

प्रकाशक—

चौखम्बा विद्याभवन
ब्लॉक, (बमारस स्टेट बैंक भवनके पीछे)
पो० बा० ६६, वाराणसी-२२१००१

सर्वाधिकार सुरक्षित

द्वितीय संस्करण १९७७

मूल्य ५०-००

अन्य प्राप्तिस्थान—

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन
के ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन, पो० बा० १२६
वाराणसी-२२१००१

THE
VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA

75



THE
ARTHA SĀSTRA
OF
KAUTILYA
AND
THE CĀNAKYA-SŪTRA

Edited With

INTRODUCTION, HINDI TRANSLATION & GLOSSARY

By

SRĪ VĀCHASPATI GAIROLA

HEAD OF THE MANUSCRIPT DEPARTMENT
HINDI SANGRAHALAYA, HINDI SAHITYA SAMMELAN,
ALLAHABAD.



THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

VARANASI

© The Chowkhamba Vidyabhawan
(Oriental Book-Sellers & Publishers)
Chowk (Behind The Benares State Bank Building),
P. Box 69, Varanasi-221001

Second Edition
1977
Price Rs 50-00

महामहोपाध्याय
पं० गणपति शास्त्री
की
पुण्यस्मृति
में

भूमिका

समिति : सभा

समिति : प्राचीन भारत में शासन-व्यवस्था के परिचालन के लिए आज की भाँति सभायें तथा समितियाँ नियुक्त होती थीं। उदाहरण के लिए प्रौढ़ों की राजसभा, जनता की सार्वजनिक सभा, व्यापारियों तथा व्यवसायियों का मण्डल (पूग), राज्यों का 'सुंघ' और कुटुम्बों (कुल) की ग्रामसभायें। ये ही सभायें कानून बनातीं तथा उसको जनता में क्रियान्वित करती थीं। इन सभाओं का प्रमुख कार्य जनता का प्रतिनिधित्व करना और राजा के निर्वाचन तथा सार्वजनिक भलाई के लिए अपनी राय देना था। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में सभा : समिति की गंभीर व्याख्या की गयी है।

यदि हम सभा : समिति के इतिहास की खोज करते हैं तो उसके बीज हमें मानव-सभ्यता के मूल में बिखरे दिखायी देते हैं। मनुष्य की उदयवेला से ही उसके इतिहास का आरम्भ होता है।

वैदिक साहित्य के अध्ययन से हमें विदित होता है कि उस समय राष्ट्रीय जीवन-सम्बन्धी सार्वजनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए समिति की व्यवस्था थी। यह समिति सर्वसाधारण प्रजाजनों (विशाः) द्वारा आयोजित तथा स्वीकृत होती थी। उसी के द्वारा राजा का चुनाव होता था। वह इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि उसमें सभी लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य बताया गया है (ऋग्वेद १०।१७३।१; अथर्ववेद ६।८७।१)। राजनीतिक दृष्टि से इस लोकसंस्था का दूसरा भी महत्त्व था; क्योंकि उसी के द्वारा राजा के अतिरिक्त राजव्यवस्था का भी संचालन होता था। यही कारण है कि ऋग्वेद (१०।१९१।३) में उसकी नीति तथा मंत्रणा के लिए शुभकामना प्रकट की गयी है। निर्वाचित राजा के लिए 'समिति' की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना आवश्यक था (ऋग्वेद ९।९२।६)।

समिति में उपस्थित प्रत्येक वक्ता इस बात के लिए यत्नशील रहना था कि उसका भाषण भोजस्वी, सर्वप्रिय और भकाट्य सिद्ध हो (अथर्ववेद २।२७)। अथर्ववेद के इस वचन से यह ध्वनि निकलती है कि समिति के वक्ताओं के विभिन्न मत होते थे और उनमें विभिन्न दृष्टियों से जनहित की

चिन्तना की जाती है। इस समिति में राजनीतिक विषयों के अतिरिक्त शिक्षा और ज्ञान-संबंधी बातों पर भी वाद-विवाद हुआ करता था। मूलतः वह ऋद्धर्मपालिका या न्यायपालिका भी होती थी।

समिति के सदस्य समाज के विभिन्न समुदायों या क्षेत्रों (वर्गों) के प्रतिनिधि होते थे। उस युग में प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का आदर होता था। ग्राम-संघटन के प्रतिनिधि को ग्रामणी कहा जाता था। यहाँ तक कि ग्रामणी के नाम पर ग्राम शब्द का व्यवहार हुआ (काशिका ५।३।११२)। इस प्रकार गावों, व्यापारियों, दार्शनिकों और राजनीतिकों के अपने-अपने प्रतिनिधि होते थे। वे प्रतिनिधि समिति के प्रमुख अंग थे। अथर्ववेद में इन समितियों और ग्रामों की बड़ी स्तुति की गयी है (१२।१।५६)। वैदिक काल के परवर्ती समाज में समिति के संघटन के मुख्य आधार ग्राम ही हुआ करते थे।

इस प्रकार की समिति की ऐतिहासिक प्राचीनता के संबंध में ठीक-ठीक पता नहीं चलता है। अथर्ववेद (७।१२) में उसको अनादि और प्रजापति की कन्या कहा गया है। उसके अस्तित्व और कार्यों का प्रमाण सर्वप्रथम ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में और उसके बाद छान्दोग्य उपनिषद् में मिलता है।

ऋग्वेद (६।२।८।६; ८।४।९; १०।३।४।६०) के अनेक स्थलों पर समितिः सभा की विशेषताओं पर कई तरह से प्रकाश डाला गया है। वहाँ उसको एक ऐसा समुदाय बताया गया है, जिसको सामाजिक व्यवहारों तथा सार्वजनिक मामलों पर विवाद करने का पूरा अधिकार था।

लगभग सूत्रग्रन्थों के निर्माण (५०० ई० पूर्व) के समय से समिति की जगह परिषद् (पर्षत्) ने ले ली थी (पारस्कर गृह्यसूत्र ३।१३।४)। इस प्रकार हमें विदित होता है कि सार्वजनिक संघटनों या संस्थाओं के लिए समिति शब्द का प्रयोग वैदिककाल में ही होने लग गया था।

सभा : समिति के अतिरिक्त वेदकालीन सार्वजनिक संस्था सभा के अस्तित्व का भी पता चलता है। अथर्ववेद (७।१२।१-४) में उसको समिति की बहिन और प्रजापति की दो कन्याओं में-से एक माना गया है। सायणाचार्य ने उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'नरिष्ठा' (सभा) बहुत से लोगों के उस निर्णय को कहते हैं, जिसका कथमपि उल्लंघन न हो सके। उसका निर्णय अमान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वह समुदाय की वस्तु है और एकस्वर में कही हुई बात है।

इस संबंध में स्वर्गीय विद्वान् डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल का कथन है कि संभवतः वह चुने गये लोगों की एक स्थायी संस्था होती थी और समिति के अधीन होकर कार्य करती थी (हिन्दू राजतंत्र १, पृ० २९)। यह सभा प्रमुखतया राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य करती थी।

वाजसनेय संहिता में प्रयुक्त सभाचार (३०।६) और अथर्ववेद में प्रयुक्त सभासद (३।१९।१; ७।१२।२; १९।५।५।६) शब्द का अभिप्राय उस व्यक्ति से बताया गया है, जो सभा में उपस्थित होकर न्याय करता है। महाभारत (४।१।२४) में सभास्तार का प्रयोग न्यायाधीश के लिए किया गया है। उसमें एक जगह (५।३।५।३८) यह कहा गया है कि वह सभा, सभा नहीं है, जिसमें प्रौढ लोग न हों; और वे प्रौढ, प्रौढ नहीं, जो नियम घोषित न कर सकें। अथर्ववेद (६।८८; ५।१०) में उसको जनता की आवाज और न्याय का एकमात्र निदर्शन करने वाली कहा गया है। ऋग्वेद (१०।१९।१३) में एक विशेष बात इस संबंध में यह भी कही गयी है कि राज्य की अभ्युत्थति के लिये राजा और सभा में भेद होना परमावश्यक है।

इस प्रकार यद्यपि सभी प्राचीन ग्रंथों के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि समिति तथा 'सभा' के अधिकारों में कुछ अन्तर अवश्य था, किन्तु उसका संवैधानिक ढाँचा लगभग एक ही था।

आदिम आर्यसंघों का स्वरूप

आदिम आर्य-संघों की संघटन-व्यवस्था की ओर आधुनिक लेखकों का ध्यान तब गया जब वे सर्वथा ध्वस्त हो चुके थे और उनकी जगह वर्ग-शासन-सत्ता एवं नये युद्धों ने ले ली थी; अर्थात् जब गृहयुद्ध, शासनसत्ता, कर, कानून और आचार के आंतरिक संघटन के बनाने का प्रश्न समाज के सामने उपस्थित हुआ था। इस दृष्टि से वैदिक साहित्य में साम्य-संघ के आंतरिक विधानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है; उसमें न तो धन की चर्चा है न व्यक्तिगत अधिकारों का विवेचन और न दण्ड के लिये कोई व्यवस्था ही। उसमें संसार, मनुष्य, अग्नि, पशु, धन आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हीं प्रश्नों पर अधिकतर विचार किया गया है। ब्राह्मण-ग्रंथों में अवश्य ही आचार, सत्ता और व्यवहार के संबन्ध में जिज्ञासायें प्रगट की गयी हैं। वैदिक साहित्य की अपेक्षा महाभारत और स्मृतियों में यह बात हमें अधिक स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है कि आदिम आर्यसंघों और परवर्ती सामाजिक संघटनों में क्या अन्तर था एवं उनके संचालन का स्वरूप क्या था।

प्रागैतिहासिक संघ : इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक मानव-सभ्यता के विकास को उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर प्रस्तर, कांस्य या लौह आदि अनेक अवस्थाओं में विभक्त किया है। प्रागैतिहासिक मानव ने अपनी जीविकोपार्जन के साधन अन्न, वस्त्र, आश्रय-स्थान आदि के लिये प्रकृति से संघर्ष किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने जितने साधनों का उपयोग किया, जितने व्यक्ति संघटित हुए, उन व्यक्तियों की जो योग्यता, कार्यक्षमता आदि थी वे सब मिलकर उस युग की उत्पादन शक्तियाँ कहलायीं। उत्पादन की ये शक्तियाँ समाज की आवश्यकता और क्रियाशीलता के अनुसार सदा ही बढ़ती रहती हैं।

सबसे पहले मनुष्य जब संघटनों की ओर प्रवृत्त होकर अपने सामाजिक जीवन का निर्माण करने में अग्रसर हो रहा था, उसका परिचय इतिहासकारों ने एक जांगल मानव के रूप में प्राप्त किया। कंदमूल और फल ही उसका आहार था। उसने पत्थरों के औजार तैयार किये; रगड़ से वह आग भी पैदा कर चुका था; धनुष-बाण का भी वह आविष्कार कर चुका था; वह गाँवों में बसने लग गया था, और टोकरियाँ बुनना तथा अस्त्र-शस्त्र बनाना भी उसने सीख लिया था। मनुष्य की दूसरी उन्नतावस्था बर्बरयुग के नाम से कही गयी है। इस युग में मिट्टी की कला अधिक विकसित हुई। पशु-पालन और पौधे उगाना इस युग की बड़ी विशेषताओं में हैं। मकान बनाने के लिये ईंटों और पत्थरों का प्रयोग भी इस युग में होने लगा था। इस युग में भोजन के लिये मांस तथा दूध पर्याप्त रूप में उपलब्ध था। लेखन-कला का जन्म भी इसी युग में हुआ। सभ्यता के तीसरे युग में पहुँच कर मनुष्य ने सारी जांगल प्रवृत्तियों और बर्बर स्वभाव को छोड़कर श्रम के विभाजन तथा उत्पादन की दिशा में अधिक उन्नति की। इस युग में विनिमय और उत्पादन की नयी शक्तियों ने वर्ग-भेद, शोषण, दासता, विरोध और निजी संपत्ति को जन्म दिया, जिससे पूरे समाज में क्रांति हुई।

ऐतिहासिक संघ : मनुष्य के आर्थिक जीवन के इतिहास का आरम्भ उत्पादन की शक्तियों, वितरण की अवस्थाओं और विनिमय के माध्यमों के जन्म से होता है। आर्ययुगीन प्राग्भारतीय समाज में इन शक्तियों, अवस्थाओं तथा माध्यमों का क्या स्वरूप था, इसका विवरण हमें भारत के प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से प्राप्त होता है।

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय समाज की चार अवस्थाएँ बतायी गयी हैं : कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग। हिन्दू समाज के

इन चारों युगों का संचालक धर्म रहा है। धर्म अर्थात् रहन-सहन का ढंग; शासन सत्ता के नियम, विवाह-संबंध आदि। हिन्दू-साहित्य के प्राचीनतम प्रमाण वेद, धार्मिक प्रवृत्ति से परिचालित उक्त युग-परिवर्तन को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसका परिचय श्री ढांगे के शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है “पूरा वेद-साहित्य सिर्फ एक मांग उपस्थित करता है। और उस मांग को पूरा करने के लिए उपायों को खोजता है। वह मांग धन है। इस धन के दो रूप हैं। एक है अन्न और दूसरा है प्रजा (मनुष्य)। धन या अन्न उस समाज के उत्पादन के साधनों, आर्थिक उत्पादन की क्रियाशीलता का घोटक है जिसका सीधा संबंध प्रजा से जुड़ा है। इन दो प्रश्नों पर सभी वेद-संहिताओं में बहुत मात्रा में सामग्री मिलती है” (पृ० ७३)।

अग्नि की उपपत्ति : आर्ययुगीन मानव के सामने पहिली समस्यायें भोजन, निवास, आग और आत्मरक्षा की थीं। कृतयुग में जब कि मनुष्य नितान्त ही जंगली अवस्था में था, उसको कई कारणों से, जैसे—भोजन, रोग तथा शत्रुओं के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकना पड़ा। प्रकृति के विरोध में, आत्मरक्षा के लिए, उसने निरंतर संघर्ष किया। धीरे-धीरे उसने आग का पता लगाया, जिसका श्रेय महर्षि अंगिरस को है (ऋग्वेद ५।२।८; १०।३२।६; ५।११।६)। आग का पता लग जाने से तत्कालीन जन-जीवन में महान् क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उसको प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखा गया। एक ओर तो उसका उपयोग पशुओं तथा मछलियों के मांस को भूनने में किया गया और दूसरी ओर उसको शत्रुवाधा को दूर करने तथा भूत-प्रेतादि को भगाने वाली महाशक्ति के रूप में भी पूजा जाने लगा (ऋग्वेद ३।१५।१; ३।१५।१)। धीरे-धीरे मनुष्य ने समझा कि ये पशु, जो दूध देते हैं, जिनका मांस खाकर जीवित रहा जा सकता है; उनकी रोमयुक्त खालों को ओढ़ कर सर्दी दूर की जा सकती है और उनकी हड्डियों तथा उनके मीठों से उपयोगी औजार भी बनाये जा सकते हैं।

अग्नि की सहायता से मनुष्य की उन्नति का एक दूसरा रूप सामने आया। उ्यों ही उसको यह ज्ञात हुआ कि अग्नि के द्वारा कच्चे लोहे को पिघला कर बड़े-बड़े असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, कि समाज का ढांचा ही बदल गया; किन्तु मनुष्य की यह सूक्ष्म ब्रह्म बाद की है। जांगल युग से बर्बर युग में पहुँच कर, अर्थात् कृतयुग के आविष्कारों का विकास कर जब उसने त्रेतायुग में प्रवेश किया तो प्रकृति के सामने उसने अपनी जिन दुर्बलताओं को स्वीकार किया था, उन पर उसने विजय प्राप्त कर ली।

उसने अपने यायावरीय जीवन को समाप्त कर बस्तियाँ बसायीं; उसने अनियमित भोजन-व्यवस्था को नियमित बनाया; वस्त्रों के द्वारा उसने अपनी नग्नता को ढँका। इस प्रकार की विकासावस्था में पहुँच कर उसने उत्पादन की नई प्रणाली, सामाजिक संघटन के नये ढंग और कला के नवीन स्वरूपों को जन्म दिया।

यज्ञ की सृष्टि : अग्नि का पता लग जाने के बाद यज्ञ की सृष्टि हुई। यज्ञ, जो कि ब्रह्म के अस्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और जिसके द्वारा भविष्य के लिए आदिम साम्यसंघ के तत्त्वों का निर्माण हुआ। यज्ञ और ब्रह्म के संबंध में श्री डांगे का कथन है कि “आर्यों के साम्यसंघ का नाम ही ब्रह्म है और यज्ञ उस समाज की उत्पादन प्रणाली है। आदिम साम्यसंघ और उत्पादन की सामूहिक प्रणाली का यही रूप था। उत्पादन की इस प्रणाली तथा विराट् ब्रह्म के स्वरूप अथवा साम्यसंघ का ज्ञान वेद है। हिन्दू-परंपरा ने इतिहास को इसी तरह से लेखबद्ध किया है; और आर्य-इतिहास के सबसे प्राचीन युग-आदिम साम्यवाद के युग को समझने के लिए यही एक कुंजी है” (भारत : आदिम साम्यवाद से दासप्रथा तक का इतिहास, पृ० ७८-७९)।

सत्र यज्ञ में आदिम साम्यसंघ के प्रचुर तत्त्व समाविष्ट हुए मिलते हैं। यह यज्ञ एक सामूहिक आयोजन के रूप में सम्पन्न होता था। इसके आयोजन में भी सामूहिक श्रम होता था और उसका फल-विभाजन भी सामूहिक रूप में हुआ करता था। जब तक कि प्राचीन आर्यसंघों में व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्गभेद और शासनसत्ता का जन्म नहीं हुआ था, उनकी सामूहिक उत्पादन-प्रणाली का नाम यज्ञ था, जिनका ज्ञान वेदों में सुरक्षित है। “इस यज्ञ ने आर्यों के साम्यसंघ को समुन्नत, धनवान् और वैभवशाली बनाकर उसे नष्ट होने से बचा लिया था.....जब मानव-समाज प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ा और उसने धातुओं को पिघलाना सीखकर हंसिया या सुरपी बनाना सीख लिया था, तब भी आर्यों के धार्मिक विधिकर्म अपने पूर्वजों की भाँति देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उन्हीं की भाँति धन प्राप्त करने के लिए उन पूर्वजों के कार्यों का अनुसरण करते थे—वे उन्हीं छंदों को गाते थे..... प्राचीन काल में यज्ञ एक यथार्थ था। बाद में वह मिथ्या वस्तु हो गयी थी। समाज के उत्तराधिकारियों ने इस अस्तित्वहीन यज्ञ को अपने उत्तराधिकार में पाया। इन उत्तराधिकारियों में अतीत काल की विचारधारा और उसके व्यवहार के कुछ अवशेष थे। वे उस यज्ञ को विधि रूप में और मंत्रों के छंदों को इस आशामय विश्वास से अपने साथ लिए

रहे मानो उसके अनुकरण द्वारा धन और आनंद की उपलब्धि हो सकती है”
(डांगे, पृ० ९१-९२) ।

उत्पत्ति और श्रम का विभाजन : यद्यपि आदिम साम्यसंघ की उत्पादन-शक्तियों में विकास हो रहा था; फिर भी श्रम की मात्रा बढ़ जाने पर भी जीवन में दरिद्रता बढ़ रही थी । सत्र श्रम के द्वारा जो श्रम-विभाजन की व्यवस्था थी भी उसके द्वारा ऐसी आशा नहीं थी कि जीवन में एक ऐसी स्थिति आ सकेगी, जिससे स्थायी रूप से आर्थिक हित का विकास हो सकेगा । यद्यपि इन उत्पादन के आरंभिक साधनों में विकास नहीं हो पाया था; तथापि सारे उत्पादन पर उत्पादकों का ही नियंत्रण था । उत्पादन के इन अविकसित साधनों के कारण आदिम साम्यसंघ (कम्यून) में श्रम-विभाजन की रीति का अभाव रहा । इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि तब तक समाज में न तो वर्ण-भेद की विधायें पैदा हुई थीं और समाज का आकार बहुत छोटा था । पूरे साम्यसंघ का निर्माण विशों (बस्ती के निवासी) द्वारा होता था ।

आदिम साम्यसंघ में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति और श्रम-विभाजन की प्रणाली का उदय धीरे-धीरे हुआ । सत्र यज्ञों के युग में हम इतना अन्तर अवश्य पाते हैं कि जहाँ पुरुषों का कार्य शिकार करना, युद्ध करना, पशु-पालन था वहाँ नारी घर का प्रबन्ध करती थीं, भोजन बनाती थीं, पशुओं को पालती थीं और बस्ती की निकटतम भूमि में अन्न उपजाती थीं । किन्तु ये इतने अस्पष्ट प्रमाण हैं कि इनके द्वारा ठीक तरह से श्रम-विभाजन की वास्तविक रूपरेखा नहीं समझी जा सकती है ।

वस्तुतः यज्ञ का अनुयायी आर्यों का प्राचीन समाज एक गण-संघटन था । उस संघटन के सभी सदस्य कुटुम्ब से एवं रक्त से संबंधित थे और उसको स्वयंचालित सशस्त्र संघटन कहा जा सकता है । इस प्रकार के प्राचीनतम दस गण थे, जिनके नाम हैं : यदु, तुर्वश, द्रुह्यु, अणु, पुरु, अंग, बंग, कलिंग, पुंद्र और सुम्ह ।

विवाह सम्बन्ध : आर्य-समूहों के संघटन का एक ठोस आधार गोत्र शब्द से प्रकट होता है । हिन्दुओं की विवाह-संबंधी व्यवस्था के लिए सगोत्र-असगोत्र को दृष्टि में रखना आवश्यक होता है । अपनी आदिम अवस्था में आर्य लोग अपने गोत्र के अंतर्गत ही विवाह करते थे; किन्तु बाद में, जब कि वे जनसंख्या में बढ़कर अलग-अलग क्षेत्रों में फैल चुके थे और उनका आर्थिक स्तर तथा विचार का धरातल अधिक व्यापक हो गया था, तब

सगोत्र विवाह निषिद्ध ठहराये जाने लगे थे, सैसा कि आज भी प्रचलित है (डांगे, पृ० १०७) ।

हिन्दुओं की विवाह-व्यवस्था के सम्बन्ध में इतिहासकारों के विचार बहुत ही उलझे हुए रहे हैं । हिन्दुओं में बहु-पतित्व या बहु-पत्नीत्व का आधार पशुओं की यौन-प्रवृत्तिको मानने वाले कुछ पूँजीवादी बुद्धिजीवी विद्वानों का कहना है कि आरंभ में पुरुष-नारी के बीच यौन-संबंध का आधार प्राकृतिक था; किन्तु इधर नयी खोजों के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि आरम्भ में भी पुरुष-नारी का यौन-संबन्ध समाज द्वारा ही नियन्त्रित होता था; उनके सम्बन्धों की नैतिकता या आचार-विचार का नियंत्रण न तो ईश्वर के हाथ में था और न प्रकृति के हाथों में ही ।

व्यावहारिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय तो हिन्दुओं में विवाह की जो प्रणाली आज प्रचलित है, अपने प्रकृत रूप में वह ऐसी ही नहीं थी । महाभारत (आदिपर्व, १२२) में लिखा है कि कलियुग के चारों विवाह और परिवार का स्वरूप सर्वथा नया था, जो कि कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया सामाजिक प्रयोग था और वह प्राकृतिक नहीं था । महाभारत (शांति २०६, ४२-४४) में युगों के अनुसार यौन-सम्बन्धों के चार रूप बताये गये हैं, जिनके नाम हैं : संकल्प, संस्पर्श, मैथुन और द्वंद्व ।

डांगे जी ने अपनी पुस्तक (पृ० १११) में इन चार प्रकार के यौन-सम्बन्धों की व्याख्या करते हुए कहा है "संकल्प यौन-सम्बन्ध वे होते थे जिनमें कोई बंधन नहीं था । यह संबंध किन्हीं दो व्यक्तियों में हो सकता था, जो इसकी कामना या इच्छा करते थे । इस कामना पर कोई भी समाजिक या व्यक्तिगत रोक नहीं थी । संस्पर्श वह यौन-संबंध था जिसमें अपने अत्यन्त निकट संबंधियों के साथ यौन-संबंध स्थापित करने पर रोक लगा दी गयी थी और एक गोत्र में विवाह करने का निषेध कर दिया गया था । उस समय भिन्न-भिन्न गोत्र आपस में यह संबंध स्थापित करते थे । प्राकृतिक वैवाहिक संबंध की अन्तिम अवस्था मैथुन है । यहाँ से यूथ-विवाह का अंत हो जाता है । जब तक पति-पत्नी की इच्छा रहती थी, तब तक वे एक कुटुम्ब में बँधे रहते थे और दूसरे नर-नारियों से यौन-संबंध नहीं स्थापित करते थे । द्वंद्व यौन-संबंध का वह रूप है जो कलियुग में प्रचलित है और जिसके अनुसार एक पति और एक पत्नी का जोड़ा होता है । यौन-संबंध के इस रूप के अनुसार नारी, पुरुष की दासी होती है; और वह

(पुरुष) व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार और एकाधिपत्य की शक्ति लेकर निरन्तर नारी के हितों का विरोधी बना रहता है ।”

समान वितरण : जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गयी, वैसे-वैसे उत्पादन की आदिम पद्धतियाँ बदलने लगीं । गण-गोत्र टूटने लगे और पूरे एशिया महाद्वीप में, जहाँ जिसको सुविधा मिली, वहीं लोग बसने लगे । जिन स्थानों पर कोई न था वहाँ बस्तियाँ बसाई जाने लगीं और जहाँ पहिले ही से लोग बस चुके थे, वहाँ अधिकार जमाने के लिए युद्ध होने लगे । अधिकारलिप्सा की भावना ने लूट-मार और युद्धों की वृद्धि कर दी थी । युद्ध में शत्रुओं को जब बंदी बनाया जाता था तो उनमें से कुछ को वीरता, सुन्दरता या कलाविद् आदि होने के कारण गण में शामिल कर दिया जाता था, जो कि पूरी तरह गण के सम्बन्धी तथा सदस्य मान लिये जाते थे; लेकिन जिनको साम्यसंघ की छोटी आर्थिक अवस्था में नहीं खपाया जा सकता था उन्हें, परिश्रम द्वारा अधिक फल की प्राप्ति न होने की संभावना से, मार दिया जाता था । उनको साम्यसंघ का शत्रु समझा जाता था और पुरुषमेघ की योजना कर उन्हें अग्नि में बलिदान कर दिया जाता था । बाद में उन्हें मार नहीं दिया जाता था; बल्कि उनके बदले अग्नि में घी की आहुति देकर उन्हें छोड़ दिया जाता था या दास बना दिया जाता । विकास की अवस्थायें ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गयीं, श्रम का मूल्य बढ़ने लगा । ऐसी दशा में युद्ध-बंदियों को आर्य लोग अग्नि में झोंक देने या भगा देने की अपेक्षा अपना दास बनाने लगे थे । “व्यक्तिगत संपत्ति और वर्ग समाज के उदय होने के साथ-साथ आर्यों के समाज ने शीघ्र ही देखा कि आचारशास्त्र का एक नियम—जो सामूहिकतावादी व्यवस्था में सबके हितों को साधता हुआ भुखमरी से सबकी रक्षा करने और साम्यसंघ के हर सदस्य के बीच एक समान वितरण की शर्त थी—किस प्रकार से अपने विरोधी रूप में प्रकट हुआ । किस तरह वही नियम उत्पादन, एकाधिपत्य, थोड़े से शोषकों के वर्ग के पास संपत्ति के संचय कराने में सहायक हुआ और बहुसंख्यक श्रमिकों, दुर्बलों, रोगियों वृद्धों, दरिद्रों तथा असंख्य गरीब गृहस्थों, नये कलियुग की संस्कृति में दासों और चाकरों के लिए भुखमरी का कारण बन गया” (डांगे, पृ० १४१) ।

वर्ण विभाजन : आर्यजातियों की प्रथम विकासावस्था में उत्पादन, कार्य और श्रम की अनेकता के कारण श्रम का विभाजन शुरू हुआ । इससे साम्यसंघ के सदस्यों के बीच भेद पड़ने लगा, और फलतः वे अलग-अलग कार्यों को अपना कर वर्गों में विभक्त होने लगे । लेकिन विकास की इस पहिली स्थिति में व्यक्तिगत संपत्ति की भावना न होने के कारण उन वर्गों में

पारस्परिक विरोध या द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ था। विकास की दूसरी अवस्था में आयों के विभिन्न वर्गों के बीच संपर्क और संवर्ष होना आरम्भ हुआ; और तभी से अतिरिक्त उत्पादन का विनिमय प्रारम्भ हुआ। इन वर्गों ने अपने को अन्य विरोधी वर्गों में बाँट लिया था और आदिम साम्यसंघ सदा के लिये छिन्न-भिन्न होकर उनके बीच गृहयुद्ध या वर्गयुद्ध आरम्भ हो गया।

ऐसी स्थिति में उन्नतिशील साम्यसंघ को बाध्य होकर युद्ध-संचालन और सुरक्षा-संबंधी कार्यों को विशेष रूप से निर्वाचित व्यक्तियों एवं अधिकारियों के हाथ में सौंप देना पड़ा। जिन्होंने युद्ध का संचालन और सुरक्षा के अधिकारों को अपने हाथ में लिया वे क्षत्र हो गए। जिन्होंने ऋतुओं का विचार, बाढ़ तथा नदियों आदि की गति को जानने का कार्य संभाला वे ब्राह्मण कहलाये और बाकी जो लोग बच गये थे उन्हें विश या सामान्य लोग कहा जाने लगा, जिनकी संख्या सबसे अधिक थी। ये लोग पशु-पालन, कृषि, दस्तकारी आदि कार्य करते थे। धीरे-धीरे जत्र धर्म की सामूहिक स्थिति टूटने लगी तो विनिमय के साधन धन-संपत्ति का सर्वाधिकार क्षत्र (प्रजापतियों) तथा ब्राह्मण (गणपतियों) के हाथों में संचित होने लगा। इस प्रकार समाज दो प्रमुख वर्गों में बँट गया। एक ओर तो धन-संपत्ति वाले क्षत्र तथा ब्राह्मण थे और दूसरी ओर परिश्रम करने वाले विश तथा अन्य लोग हो गये। सारा समाज अमीरों और गरीबों में बँट गया। ऐसे समाज में दास या शूद्रों के लिए कोई स्थान न था। ये दास या शूद्र आर्य थे, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था तथा दूसरों के हाथ बेचा जा सकता था। उनका न कोई परिवार था न कोई देवता।

सर्वहारा वर्ग : यज्ञ-फल के उत्पादन का उपयोग पहिले सब लोग समानरूप से करते थे; किन्तु बाद में अकेले ब्राह्मण ही उनके स्वामी बन गये। क्षत्र सरदारों का भी यही हाल था। केवल विश ही ऐसे थे जो शूद्रों के साथ मिल कर कठोर परिश्रम करके भी दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। श्री डॉगे महोदय ने अपनी पुस्तक में वैदिक युग के सर्वथा असमान समाज का स्वरूप और उसके प्रति ऋग्वेद के कवि का विद्वोभ इस प्रकार उद्धृत किया है।

“क्या ईश्वर के हाथों में मनुष्य के लिए अकेला दण्ड भूख है? अगर देवता की यह इच्छा है कि गरीब लोग भूख से मरें, तो धनी लोग अमर क्यों नहीं हैं? मूर्ख (धनी) के पास भोजन का जमा होना किसी की भलाई नहीं करना। वह सिर्फ अपने-आप ही खाता है, अपने दोस्तों को भोजन नहीं देता है। लोग उसकी जुगई करते हैं” (ऋग्वेद १०।११७)।

तत्कालीन समाज के सर्वाहारी वर्ग के प्रति शेष जनता की धारणा कितनी विचित्र तथा द्वेषयुक्त थी, इसका एक उदाहरण डॉ० जी ने उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि :—

“हमारे पास अनेक काम, अनेक इच्छायें और अनेक संकल्प हैं। बड़ई की कामना आरे की आवाज सुनने की है। वैद्य, रोगी की कराह सुनने की अभिलाषा रखता है। ब्राह्मण को यजमान की अभिलाषा है। अपनी लकड़ी, पंखा, निहाई और भट्टी को लेकर लुहार किसी धनी की राह देख रहा है। मैं एक गायक हूँ। मेरा बाप वैद्य है। मेरी माँ अन्न कूटती है। जिस तरह से चरवाहे गायों के पीछे दौड़ते हैं, हम लोग उसी तरह से धन के पीछे दौड़ रहे हैं” (ऋग्वेद १।११२-१-३)।

इस प्रकार सारा समाज श्रम के अभाव में दुःखी और उपयुक्त जीविका पाने के लिए विकल था। धन-संपत्ति का सारा उत्तराधिकार कुछ ही व्यक्तियों ने हड़प लिया था और शेष सारा बृहत् समाज, सारे शिल्पज्ञ, कलाकार और कारीगर आजीविका के लिये तड़प रहे थे। जन-सामान्य की इस सामूहिक माँग ने तत्कालीन समाज में एक नयी क्रांति को जन्म दिया।

इस क्रांति का पहिला प्रभाव तो प्राचीन साम्यसंघ की एकता पर पड़ा। उसमें आर्य-विरोध बढ़ते जा रहे थे और शनैः-शनैः उसके टुकड़े-टुकड़े हो रहे थे। प्राचीन यज्ञ-गण-गोत्र के विरोध में उत्पादन के नये सम्बन्ध उग रहे थे। दास प्रथा के आधार पर निर्मित व्यक्तिगत-संपत्ति की व्यवस्था अब समानता और स्वाधीनता के आधार पर निर्मित नयी व्यवस्था के आगे ध्वस्त होने लग गयी थी। आर्य-गण अब गृह-युद्ध से बुरी तरह घिर गये थे।

वर्ण-व्यवस्था के कारण जिस नयी आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ था और जो निरन्तर ही विकसित हो रही थी उसने आर्यों की प्राचीन अखंड गण-व्यवस्था को पराभूत कर लिया था। अपनी स्थिति को स्थिर बनाये रखने के लिये गणों ने हवन और दान के पुराने नियमों के पालनार्थ आवाज उठायी और प्राचीन प्रथा के अनुसार उत्पादन के उपभोग, वितरण तथा उपयोग का नारा लगाया; किन्तु उनके ये उपदेश अब सफल न हो सके। यद्यपि गणों के बीच धनी और निर्धन दोनों प्रकार के लोग थे, तथापि धनी वर्ग ही लाभान्वित था। ब्रह्म-क्षत्र वर्ण के संपत्तिशाली वर्ग विशों और शूद्रों के श्रम के शोषक बने हुए थे; दासों और पशुओं का एकाधिकार स्वामित्व वे पहिले ही से प्राप्त कर चुके थे। यही कारण थे, जिनमें वर्ण-भेद, वर्ग-भेद में बदल गया और आत्म-युद्ध तथा गृह-युद्ध की भावना तेजी से उमड़ पड़ी।

व्यक्तिगत संपत्ति का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि साम्यसंघ के परिवार और घर तक विछिन्न हो गये। पितृसत्ता की प्रबलता ने मातृसत्ता को दबा दिया, जिसके कारण पतियों से पत्नियों का और पुत्रों से माताओं का विरोध उठ खड़ा हुआ और यद्यपि अब भी प्राचीन श्रुति को ही प्रमाणिक माना जाता रहा; किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से सूत्रग्रंथों तथा स्मृतिग्रंथों को ही अपनाया जाने लगा था (वही, पृ० १८०)।

विश लोकतंत्र की अवस्था अब बहुत ही दयनीय हो गई थी। संपत्तिशाली ब्रह्म-क्षत्र परिवारों ने उनको भी चूस डाला था। वे जितना ही गरीब होते जा रहे थे, उतना ही विजित दासों की ओर झुकते जा रहे थे और ब्रह्म-क्षत्र वर्ग से उनके विरोध की खाई उतनी ही चौड़ी होती जा रही थी। मेहनतकश विश वर्ग की इस दुर्दशा ने गाँवों और नगरों के विरोध को जन्म दिया। इस स्थिति से सत्ताधारी ब्रह्म-क्षत्र-वर्ग भयभीत था कि कहीं मेहनतकश शूद्र और गरीब विश मिलकर सारे समाज को उलट न दें सारी शासनसत्ता को, व्यक्तिगत संपत्ति को तथा पितृसत्ता को नष्ट कर प्राचीन समानता की स्थापना न कर दें।

मेहनतकश श्रमिक जनता के इस विरोध, वैमनस्य एवं क्रांति ने परवर्ती साम्राज्यों को जन्म दिया। यद्यपि महाभारत-युद्ध (३०००-२००० ई० पू०) से पहिले हिन्दू दास शासन व्यवस्था की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो सकी थी, फिर भी इतना स्पष्ट है कि अर्ध दास और अर्ध सांमती राज्यों की वृद्धि ने गणसंघों का उन्मूलन करना आरम्भ कर दिया था। महाभारत-युद्ध के बाद पूर्व की ओर गंगा की वादी में दास-राज्यों का अस्तित्व प्रकाश में आने लग गया था।

अराजक और वैराज्य संघ : निश्चित रूप से यह बताना कि भारतीय इतिहास के परवर्ती साम्राज्यों का उदय कब हुआ था, जरा कठिन है। आर्यों की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का संबंध बहुधा अफगानिस्तान, सिंधु नदी के मैदानों, दक्षिणस्थ हिमालय और पंजाब के प्रदेशों से था। यहीं पर आर्य गणों द्वारा वर्ण, संपत्ति, वर्ग और दासता को विकसित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। आदिम साम्य-युग की जिस गण-व्यवस्था के सम्बन्ध में पहिले बताया गया है, परवर्ती समय तक यद्यपि उनमें से बहुत गण ध्वस्त तथा क्षीण हो चुके थे, तथापि उनका अस्तित्व सर्वथा विलुप्त नहीं हुआ था, और इस प्रकार के दीर्घ-जीवी गणों में अर्याणी, गणार्याणी, जुवार्याणी, दो-रज्जणी, वी-रज्जणी और विरुद्ध रज्जणी आदि का नाम उल्लेखनीय है, जिनका हवाला आचारांग जैनसूत्रों में शैवने को मिलता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में (पृ० ६२०, ६८८, ६८९) अराजक और वैराज्य नामक दो गणों का उल्लेख किया है। अराजक व्यवस्था से आधुनिक विद्वानों ने अराजकतावाद का अभिप्राय निकाला है; किन्तु इन गणों की वास्तविकता यह थी कि प्राचीन समय के अनुसार अभी भी वे एक साथ मिलकर रहते थे और एक साथ भोजन करते थे। अराजक गण संघों का जैसा चित्रण हमें अथर्ववेद (३।३०।५-६) में देखने को मिलता है, ठीक वैसी ही स्थिति उक्त गणों की परवर्ती समय तक भी बनी रही। अर्थशास्त्र के उक्त प्रसंग में बताया गया है कि उनके समाज में अपने पराये की कोई द्विविधा ही पैदा नहीं हुई थी। किन्तु दास राज्यों के शक्तिसंपन्न हो जाने पर अराजक जैसे आदिम साम्यसंघों की परम्परा के गणों का निरन्तर ध्वंस होता जा रहा था।

दूसरे प्रकार के वे गण थे, जिनकी व्यवस्था वैराज्य-पद्धति पर थी। यद्यपि इस प्रकार के गणों ने भी अपना कोई राज्य तथा राज्यतंत्र का विकास नहीं किया; फिर भी इनमें श्रम-विभाजन, संपत्ति की विषमता और पितृसत्तात्मक दासता का विकास हो चुका था। इन वैराज्यों की लोकतंत्र व्यवस्था लोकसभा द्वारा संचालित होती थी।

अराजक और वैराज्य गणों के अतिरिक्त जानवरों का भी एक समाज था, जिसमें लोकतंत्रवादी व्यवस्था थी; किन्तु यह लोकतंत्र आदिम गण-संघों के लोकतंत्र जैसा नहीं था। उसमें त्रिवर्णों का ही शासन था; उसमें शूद्र दासों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार की जानपद व्यवस्था के गणराज्य उत्तरकुरुओं तथा उत्तरमाद्रों के थे, जो उत्तर भारत के हिमालय प्रदेश में रहते थे। ये लोग बड़े शक्तिसंपन्न और अपने चरम उत्कर्ष पर थे।

पश्चिमी भारत में इसी समय गण-संघटन की एक स्वराज्य शासन-प्रणाली प्रचलित थी। उसका परिचालन ज्येष्ठों की एक समिति द्वारा होता था, जो पैत्रिक हुआ करती थी और जिसका आयोजन चुनाव द्वारा होता था। यद्यपि स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ स्व-शासन प्रणाली होता है; किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था उसमें नहीं थी। उसका संचालन ज्येष्ठ द्वारा होता था, जो स्वराट्ट होता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिम साम्यसंघ अपनी पुरातन विशेषताओं को छोड़कर अब व्यक्तिगत संपत्ति, वर्ग संकीर्णता, स्वामित्व, दासत्व और धनी-निर्धन के रूप में बदल गया था। उसकी प्राकृतिक लोकतंत्र व्यवस्था का अंत होने लग गया था। अभिजातकुल अब राजकुलों में परिवर्तित हो गये थे।

“जब गण ने व्यक्तिगत संपत्ति, वर्ण और दासता को विकसित कर लिया, तो वह राज्यम् हो गया और वह निर्वाचित नेतृत्व जो ‘शासन करने’ के लिए चुना जाता था, राजन् हो गया।” (डांगे, पृ० १९१)।

वार्ताशस्त्रोपजीवी संघ : कौटिल्य ने (अर्थशास्त्र, पृ० ८२१) प्राचीन गण-संघों में शस्त्रोपजीवी या आयुधजीवी और राजशब्दोपजीवी का उल्लेख किया है। इन संघों का उल्लेख कौटिल्य से पूर्व वैयाकरण पाणिनि भी कर चुका था, किन्तु उनकी समुचित व्याख्या न तो पाणिनि का भाष्य-लेखक ही कर सका और न आधुनिक विद्वानों ने ही की। यहां तक डा० जायसवाल जैसे प्रकांड अर्थशास्त्रविद् विद्वान् ने भी उक्त संघों के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। इन गणों का परिचय और उनकी पारस्परिक भिन्नता का स्पष्ट विवेचन डांगे जी ने किया है। उन्हीं के शब्दों में इस प्रसंग को यहां उद्धृत किया जाता है :

“आयुधजीवी और शस्त्रोपजीवी संघों का अर्थ उन गणों से है, जो अब भी अपनी उस प्राचीन विशेषता को लिये हुये थे जिसके अनुसार उस गण के सभी सदस्य सशस्त्र होते थे। लेकिन सामाजिक संघटन की इसी एक विशेषता का उल्लेख क्यों किया गया ? यह इसलिये कि उस समय तक गण-सदस्यों ने किसी ऐसे वर्ग-शासन और स्थायी वर्ग-विभाजन को विकसित नहीं किया था जिसमें केवल शासकवर्ग के हाथों में, अथवा निःशस्त्र श्रमिक जनता के विरुद्ध सेना के हाथों में शस्त्र की शक्ति केन्द्रित होती थी और उसके द्वारा निःशस्त्र जनता शासित होती थी। इस विशेषता का उल्लेख इसलिये किया गया है कि उस समय तक गण का निर्वाचित नेतृत्व एक सशस्त्र पैतृक अभिजात वर्ग में परिणत नहीं हो गया था। राजतांत्रिक वर्ग शासन-सत्ता के लेखक, गण की इस विशेषता की ओर स्वभावतया आकर्षित हुए थे। यह सैनिक लोकतंत्र था। फिर भी उस आदिम साम्यसंघ से इसका रूप भिन्न था, जिसमें किसी भी वर्ग की सत्ता नहीं थी। इस गण में संपत्ति-भेद प्रवेश कर चुका था। कृषि (वार्त्ता), व्यापार, मुद्रा, धन तथा पितृसत्तात्मक दासता का उदय भी उन गणों में होने लगा था। लेकिन वर्गों के आत्म-विरोध इतने तीव्र नहीं हो उठे थे कि निर्धन श्रमशील आर्य त्रिणों का नाश करने की अथवा उनको निःशस्त्र करने की आवश्यकता आ जाती। गण के अन्दर सब लोग श्रम करते थे और शूद्र दासों को छोड़कर सब लोग शस्त्र धारण करते थे। उस सशस्त्र श्रमिक गण में नेतृत्व के पद पर संपत्तिशालियों को चुना जाता था। इस प्रकार के वार्त्ताशस्त्रोपजीवी अथवा आयुधजीवी

संघों का अस्तित्व भारत में हम ३०० वर्ष ईसा पूर्व तक पाते हैं। उन संघों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं :

“१ वृक, २ दामानि, ३ 'तथा अन्य', (३-८) छह त्रिगर्तों का मंडल (इस मंडल के छह सदस्य कौण्डोपरथ, दाण्डकी, कौष्टकी, जलमानि, ब्राह्म गुप्त और जानकि होते थे), ९ यौधेय तथा अन्य, १० पार्व तथा अन्य, ११ वृद्रक, १२ मालव, १३ कठ, १४ सौभूति, १५ शिवि, १६ पारल, १७ भागल, १८ कंभोज, १९ सुराष्ट्र, २० क्षत्रिय, २१ श्रेणी, २२ ब्रह्माणक, २३ अंबष्ठ”
(वही, पृ० १९३)

इनमें से अधिकांश गणों का निवासस्थान वाहीक प्रदेश था। यह वाहीक प्रदेश सिंधु नदी की घाटी में पंजाब से लेकर सिंध के दक्षिण तक फैला हुआ था। जिन छह त्रिगर्तों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे जम्मू के निकट हिमालय के पर्वतीय जिलों में रहते थे। इन गण-संघों में सैनिक लोकतंत्र का प्रभुत्व था और उनमें इतना हड़ संगठन था कि सिंधु नदी के तट पर सिकंदर की शक्तिशाली सेना को उनसे हार माननी पड़ी थी।

राजशब्दोपजीवी संघ : प्राचीन गणतंत्रों के प्रसंग में कौटिल्य ने राजशब्दोपजीवी नामक एक दूसरी श्रेणी के गणों का उल्लेख किया है। (अर्थशास्त्र, पृ० ८२१)। इस श्रेणी के गणों में लिच्छवी, मल्ल, शाक्य, मौर्य, कुकर, माद्र, अंधक-वृष्णी, कुरु और पांचाल आदि को रखा जा सकता है। इन गणों में संपत्ति-भेद, गण-युद्ध और लोकतंत्र की शिथिलता के कारण उनकी शासन व्यवस्था इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि उनमें नेतृत्व का आधार पैतृक-परंपरा मात्र रह गया था। उनके निर्वाचित व्यक्तियों की सभायें राजन् कहलाती थीं। अकेले लिच्छवियों के ७,७०७ राजन् थे। ये लोग शासन-सत्ता को चलाने के लिए कार्यकारिणी सभाओं, अफसरों तथा नायकों का निर्वाचन करते थे। इसी लिये, कौटिल्य ने इन गण-संघों को, उनकी कार्य-व्यवस्था के अनुरूप राजशब्दोपजीवी संघ कहा है।

दण्डप्रधान दास-व्यवस्था की विजय और विश लोकतंत्रों के दमन के बाद समाज में भयंकर शोषण और आर्थिक विकास का आरंभ हुआ। विस्तृत भूमि-खंडों को कृषियोग्य बनाया गया और इतिहास में पहली बार प्रादेशिक राज्य का अस्तित्व प्रकाश में आने लगा। इस प्रकार की वर्ग-विशिष्ट राजतंत्रवादी राज्य-व्यवस्था ने पशुधन तथा स्वतंत्र प्रजा का बहिष्कार कर दिया और शांति के उद्देश्यों पर आधारित गण के साम्यसंघ को समाप्त कर दिया। यहीं से राज्य-व्यवस्था और दण्ड-व्यवस्था का आरंभ हुआ।

हिन्दू प्रजातंत्रों की स्थापना

वैदिक युग के बाद का लोक-जीवन अपने-अपने वर्ग का स्वतंत्र शासन करने की ओर तीव्र गति से प्रवृत्त हो रहा था। वैदिक युग में प्रचलित राज-शासन की जगह बाद में प्रजातंत्र ने ले ली थी। मेगस्थनीज ने (मेगस्थनीज, पृ० ३८, ४०) परंपरागत, दंत-कथाओं के आधार पर यही बताया है कि वैदिक काल के उत्तरवर्ती समाज ने राजा के द्वारा शासन की प्रथा का अंत कर दिया था और भारत के विभिन्न भागों में प्रजातंत्र शासन की प्रतिष्ठा होने लग गयी थी।

प्राचीन भारत में प्रजातंत्र शासन-प्रणाली के परिचायक गणतंत्रों और संघ-राज्यों के संबंध में हमें बौद्धों के धर्मग्रंथों में प्रचुर सामग्री देखने को मिलती हैं। भिक्षुओं की गणना के संबंध में महावग्ग (डेविड्स तथा ओल्डेनबर्ग का अनुवाद, खंड १३, पृ० २६९) में कहा गया है कि सब भिक्षुओं को एक जगह एकत्र करके उनकी गणना या तो गण की रीति पर की जाती थी या तो गोटी के द्वारा मत एकत्र किये जाते थे और मताधिकार के लिए शलाकाएँ ली जाती थीं। महावग्ग में एक शब्द गणपूरक (खंड १३, पृ० ८०७) आया है, जिसका अर्थ है गण की पूर्ति करने वाला। संभवतः गणपूरक एक प्रधान अधिकारी होता था। डा० जायसवाल ने इसी आधार पर गण शब्द का अर्थ पार्लियामेंट या सिनेट दिया है और यह माना है कि उन्हीं के द्वारा तब प्रजातंत्र राज्यों का शासन होता था (हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ३०) :

गण शब्द के अतिरिक्त संघ शब्द का भी प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख हुआ है। वैयाकरण पाणिनि ने संघ शब्द को गण के अर्थ में प्रयुक्त किया है (अष्टाध्यायी ३।३।८६)। आरंभ में संघ से प्रजातंत्र का ही बोध होता था, इसका प्रभाव हमें मज्झिमनिकाय (१।४।५।३५) में भी देखने को मिलता है। पाणिनि ने छुद्रक, मालव (अष्टाध्यायी ४।२।२५), त्रिगर्त (५।३।११६) आंध्र, वृष्णि (५।३।११४) आदि प्रजातंत्र के संघटनों का उल्लेख किया है। वे संघ दो प्रकार के थे। एक तो गण और दूसरा निकाय। गण एक राजनीतिक सभा या पंचायत थी। यद्यपि सभी वर्गों के लोग इसके सदस्य हो सकते थे, तथापि शासन करने वाला मंत्रिमण्डल केवल क्षत्रियों का ही होता था। इसका कार्य-संचालन बहुमत से होता था। निकाय एक अराजनीतिक समुदाय होता था, जिसमें वशगत भेदभाव का अभाव होता था। उसका कार्य भी बहुमत पर था। निष्कर्ष यह है कि उस समय गण और संघ प्रजातंत्र ही थे। भाष्यकार पतंजलि ने उक्त दोनों शब्दों की बारीकी के संबंध में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि गण शब्द तो शासन-प्रणाली का पर्यायवाची था और संघ

शब्द से राज्य का अर्थ लिया जाता था। संघ उसे इसलिए कहा गया है, क्योंकि वह एक संस्था या एक समूह था (महाभाष्य ५।१।५९)।

कुछ दिन पूर्व मोनियर विलियम., डा० फ्लीट, डा० थामस और डा० जायसवाल आदि विद्वानों में 'गण' शब्द की प्राचीनता तथा उसके उपयुक्त अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए बड़ा विवाद रहा। मोनियर विलियमस और डा० फ्लीट ने गण को ट्राइब (Tribe) के अर्थ में ग्रहण किया था, जिसका प्रतिवाद डा० जायसवाल ने और उनकी प्रेरणा से डा० थामस ने किया (जर्नल, रायल एशियाटिक सोसाइटी, १९१४, पृ० ४१३, १०१०; १९१५, पृ० ५३३; १९१६, पृ० १६२)।

गण शब्द का उपयुक्त अभिप्राय जानने के लिए जातक, महाभारत, धर्मशास्त्र, अमरकोश, अवदानशातक और जैनग्रंथों में बिखरी हुई प्रचुर सामग्री देखने योग्य है (हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ३५-३७)। इन सभी ग्रंथों में गण शब्द प्रजातंत्र का ही बोधक है।

प्राचीन भारत के संघराज्यों तथा गणराज्यों के संबंध में वैयाकरण पाणिनि (५०० ई० पूर्व) ने बहुत सी बातें बतायी हैं। पाणिनि के मत से संघ शब्द राजनीतिक संघों की या गणों अथवा प्रजातंत्रों की प्रकृति को प्रकट करने वाला एक पारिभाषिक शब्द है। पाणिनि यद्यपि धार्मिक संघों से परिचित था; किन्तु उसने कहीं भी जैन-बौद्ध संघों का निर्देश नहीं किया। इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि या तो वह जैन-बौद्धों के संघों से परिचित न था या तब तक वे संघ प्रकाश में नहीं आये थे। यही बात कात्यायन (४०० ई० पूर्व) के दृष्टिकोण से भी प्रकट होती है। पाणिनि और कात्यायन ने वाहीक (वाहीक देश का अर्थ है नदियों का देश। यह शब्द 'वह' धातु से निकला जान पड़ता है, जिसका अर्थ 'बहना' है। वाहिनी का एक अर्थ नदी भी होता था। इस वाहीक देश के अंतर्गत सिंध और पंजाब दोनों थे—डा० जायसवाल : हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ४६ तथा फुटनोट; सिस्वेन लेवी : इन्डियन एंटीक्वेरी, भाग ३४, पृ० १८ (१९०६); महाभारत, कर्णपर्व ४४।७।) देश के कुछ संघों का उल्लेख किया है (क्रमशः अष्टाध्यायी ५।३।११४-११७, वार्तिक ४।१।१६८), जिससे प्रतीत होता है कि उन प्रजातंत्रमूलक संघों के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा दूसरी जातियों के लोग भी हो सकते थे। पाणिनि ने उक्त संघों को आयुधजीवी अर्थात् 'आयुध' के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करने वाले' बताया है। कौटिल्य ने उक्त संघों को शस्त्रोपजीवी (अर्थशास्त्र, पृ० ८२१) कहा है। कौटिल्य ने

शास्त्रोपजीवी संघों के विपरीत भाव रखने वाले राजशब्दोपजीवी दूसरे संघों का भी उल्लेख किया है (अर्थशास्त्र, पृ० ८२१)। डा० जायसवाल ने उक्त संघों के संबंध में कहा है कि “यदि हम उपजीवी शब्द को ‘मानना’ या ‘धर्म आदि का पालन करना’ इस अर्थ में लें तो इससे यह भाव निकलता है कि जो संघ शास्त्र-अस्त्र का व्यवहार करने अथवा युद्धकला में निपुण हुआ करते थे, वे शास्त्रोपजीवी कहलाते थे, और जो संघ राजशब्दोपजीवी कहलाते थे, उनके शासक राजा की उपाधि धारण करते थे। यही बात हम दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि शास्त्रोपजीवी संघों में जो लोग होते थे, वे सब युद्धों में बहुत निपुण हुआ करते थे, और राजशब्दोपजीवी संघों के शासक या प्रधान सदस्य राजा की उपाधि धारण करते थे” (हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ४४, ८१-८२)। इस दृष्टि से पाणिनि द्वारा प्रोक्त आयुधजीवी संघों का अभिप्राय युद्धकला-विशारद होना ही युक्तिसंगत जान पड़ता है।

वैयाकरण पाणिनि ने तत्कालीन प्रजातंत्र के परिचायक ६ समाजों का उल्लेख किया है, जिनके नाम हैं (१) मद्र, (२) वृजि (अष्टाध्यायी ४।२।१३५), ३. राजन्य (४।२।५३), ४. अंधकवृष्णी (६।२।३४), ५. महाराज और ६. भर्ग (४।३।९७)। इन सभी समाजों में प्रजातंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी।

तुद्धकालीन धार्मिक संघ भारतीय साहित्य और पुरातन भारतीय राजनीति, दोनों के लिए महान देन छोड़ गये हैं। इन भिन्नसंघों की रचना यद्यपि धार्मिक भावना के आधार पर हुई थी; किन्तु उनका संचालन एवं संघटन अपने समकालीन राजनीतिक संघों की प्रणाली पर संपन्न होता था; और वे इतने सफल सिद्ध हुए कि अल्पकाल में ही उनकी बहुश्रुति एवं लोकप्रियता धरतीके कोने-कोने तक फैल गयी। उनके द्वारा एक ओर तो मानव जाति की शांति तथा प्रेम की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ और दूसरी ओर सामाजिक अभ्युत्थति के क्षेत्र में प्रजातंत्र की भावना को अधिक उभरने के लिए बल मिला। इस संबंध में डा० जायसवाल का कहना है कि “बौद्धसंघ के जन्म का इतिहास सारे संसार के त्यागियों के सम्प्रदायों के जन्म का इतिहास है। इसलिए भारतीय प्रजातंत्र के संघटनात्मक गर्भ से बुद्ध के धार्मिक संघ के जन्म का इतिहास केवल इस देश वालों के लिए ही नहीं; बल्कि सारे संसार के लिए भी विशेष मनोरंजक है” (हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ. ६१)।

बौद्धकालीन प्रजातंत्र राज्यों का विस्तार पूर्व में गोरखपुर तथा बलिया के जिलों से भागलपुर जिले तक और मगध के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण

तक था । ऐसे जनतंत्र राज्यों में शाक्य, कोलिय, लिच्छवी, विदेह (वृजी), मल्ल, मोरिय, बुली और मग का नाम उल्लेखनीय है (—डेविड्स का अनुवाद—महापरिनिब्बान सुत्तन्त, पृ० ६, २१—२७; Dialogues of the Buddha, पृ० २, १७९—९०; Buddhist India, पृ० २२—२३) ।

मेगस्थनीज, एरियन और कर्टियस आदि यूनानी विद्वानों ने भारतीय प्रजातंत्रों के संबंध में अपनी आँखों देखा प्रामाणिक वृत्तान्त दिया है । उन्होंने तत्कालीन भारतीय राज्य-व्यवस्था के दो रूप बताये हैं : एक तो वह जिसमें एकराजत्व शासन प्रणाली प्रचलित थी और दूसरा वह जिसमें प्रजातंत्र शासन प्रणाली वर्तमान थी । इस प्रकार की शासन प्रणाली वाले तत्कालीन संघ-राज्यों, स्वतंत्रसंघों और राजाधीन गणतंत्रों में यूनानी इतिहासकारों ने कथई (कठ), अद्रेस्टई, सौभूति, जुद्रक, मालव, शिवि, अग्रश्रेणी, आर्जुनायन, अंबष्ठ, चत्रिय, मुसिकनि, ब्रचमनोई, पटल, फेगेल (भगल), यौधेय, अरट्ट, शयेड, गोपालव और कौडिवृषस् आदि की नामावली तथा उनका इतिहास, अथ च उनमें से अधिकांश राज्यों के साथ हुए युद्धों का वर्णन दिया है । (मेगस्थनीज, एरियन १२; एरियन : अनाबेसिस, ५, २२, २५; इन्वेजियन ऑफ इंडिया बाई अलेक्जेंडर दि ग्रेट; कर्टियस भाग ९, प्रक० ४; डा० जायसवाल : हिन्दू-राजतंत्र १, पृ० ८३—१०८) ।

ऊपर कहे गये इतने अधिक संघराज्यों या गणराज्यों की उपलब्धि से हमें विदित होता है कि प्राचीन भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थीं । प्राचीन भारत की प्रजातंत्रीय शासन-प्रणाली के परिचायक उक्त राज्यों के संबन्ध में हमें संस्कृत-साहित्य और पुरातत्त्व में प्रचुर सामग्री देखने को मिलती है । इन विभिन्न शासन-प्रणालियों का स्वरूप-दर्शन भौज्य शासन-प्रणाली, स्वराज्य शासन-प्रणाली, वैराज्य शासन-प्रणाली, राष्ट्रिक शासन-प्रणाली, द्वैराज्य शासन-प्रणाली, अराजक शासन-प्रणाली, उग्र शासन प्रणाली और राजन्य शासन-प्रणाली आदि में किया जा सकता है ।

शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा हो जाने के बाद यद्यपि बहुत-से पुराने प्रजातंत्र मौर्य राजाओं की नीति की लपेट में आकर मौर्य साम्राज्य में विलयित हो चुके थे, कुछ को सर्वथा नष्ट किया जा चुका था; फिर भी कुछ सुदृढ संघात राज्य बच गये थे, जिनका अस्तित्व शुंगकाल में तथा उसके बाद तक बना रहा । ऐसे संघातों में यौधेय, मद्र, मालव, जुद्रक, शिवि, आर्जुनायन, वृष्णि, राजन्य, महाराज जनपद, चामरथ, शालंकायन और औदुम्बर आदि का नाम उल्लेखनीय है ।

डा० जायसवाल ने, प्राचीन भारत में प्रतिष्ठित ८२ प्रजातंत्रों की नामावली दी है (हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० २६७-२७०, परिशिष्ट ख), जिससे भारतीय जन-जीवन में प्रजातंत्र के प्रति अदम्य निष्ठा और आत्मोन्नयन के लिए अडिग भास्था का पता चलता है ।

जिन इतिहासकारों का यह कहना है कि भारत में प्रजातंत्र की स्थापना अधिक प्राचीन नहीं है उनको भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं है । वास्तविकता यह है कि जिस युग के भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित हो चुकी थीं, उस समय तक योरप के अनेक देशों में शासन-सूत्र का आरम्भ हो ही रहा था । जहाँ तक प्रजातन्त्रात्मक शासन का प्रश्न है इसकी स्थापना तो वहाँ और भी बाद में हुई ।

संघात-राज्य—आचार्य कौटिल्य ने संघात राज्यों की शासन-प्रणाली और उनके संघटन के संबंध में अनेक बातें बतायी हैं । महाबलशाली मौर्य साम्राज्य की एकराज शासन-व्यवस्था में अपने अस्तित्व को बनाये रखने की शक्ति इन्हीं संघात राज्यों में पायी जाती । ये संघात प्रजातंत्र के पोषक थे और उन्होंने एकराज शासन का सदा बहिष्कार किया । इन प्रजातंत्रवादी संघातों को वश में करने के लिए कौटिल्य ने साम और दान नीति को उपयुक्त बताया है; क्योंकि शक्ति और संघटन की दृष्टि से वे इतने शक्तिशाली होते थे कि उनको जीतना सर्वथा असंभव था ।

कौटिल्य का सुझाव है कि “किसी संघ को प्राप्त करना, जीतना, मित्रता संपादित करने या सैनिक सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक उत्तम है । जिन्होंने मिलकर अपना संघ बना लिया हो, उनके साथ साम और दान की नीति का व्यवहार करना चाहिए; क्योंकि वे अजेय होते हैं । जिन्होंने अपना इस प्रकार का संघ न बनाया हो, उन्हें दण्ड और भेद की नीति से जीतना चाहिए ।” (अर्थशास्त्र, पृ० ८२१)

इस विवरण से प्रतीत होता है कि जो गण या प्रजातन्त्र राज्य बलवान् होते थे और मिलकर अपना संघात बना लेते थे, मौर्यों की एकराज व्यवस्था में भी वे स्वच्छंद रूप से रहते थे, किन्तु संघातरहित राज्य भेद या दण्ड से वश में किये जा सकते थे । यह भी पता चलता है कि उन संघबद्ध गणों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था और आवश्यकता होने पर साम-दान के द्वारा उनसे मित्रता गाँठकर उनसे सैनिक सहायता भी प्राप्त की जाती थी । अशोक के शिलालेखों में पाये जाने वाले योन, कंबोज, गांधार, राष्ट्रिक, पिनिक, नामक-भोज, आंध्र और पुलिंद आदि ऐसे ही अंतर्भुक्त

पट्टोसी हैं जिनको कि अपरांत कहा गया है, प्रजातन्त्र राज्य थे, जिनमें से कुछ तो अपने सुदृढ़ संघातों में बद्ध होकर बहुत वाद तक बने रहे; जैसे कि राष्ट्रिक, भोजक आदि; और कुछ संघातरहित गणराज्यों को मौर्य साम्राज्य ने स्वायत्त का सदा के लिए विच्छिन्न कर दिया था ।

इस प्रकार हिन्दू प्रजातन्त्र का इतिहास बहुत प्राचीन है और प्रत्येक युग की शासन-प्रणाली में प्रजा की अभिरुचियों एवं धारणाओं को अधिक सम्मान के साथ अपनाया जाता रहा है । प्राचीन भारत के संघातराज्यों का अविजित शासन इस बात का प्रमाण है कि राज्यों के निर्माण-विकास में प्रजा का कितना महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त था ।

अर्थशास्त्र में वर्णित संघराज्यों का वृत्तांत

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तत्कालीन संघराज्यों के वृत्तांत के लिए स्वतन्त्र अधिकरण (११वाँ अधिकरण) की रचना की है । इन संघराज्यों के वृत्त से हमें उनके सुदृढ़ संघटन और साम्राज्य के प्रति उनकी रीति-नीति का अच्छा परिचय मिलता है । यद्यपि प्रतापी सिकन्दर के आक्रमणों ने तत्कालीन भारत के बहुत-से छोटे राज्यों को ध्वस्त कर दिया था, तथापि उससे एक बड़ा कार्य यह हुआ कि विघटित छोटे-छोटे राज्यों को एक संघटित संघराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया ।

कौटिल्य ने दो प्रकार के संघराज्यों का उल्लेख किया है : एक तो राजा उपाधि धारण करने वाले राजशासित राज्य और दूसरे विना राजा की उपाधि धारण करने वाले संघराज्य । इन संघराज्यों की उपयोगिता के संबंध में कौटिल्य का अभिमत है कि 'दण्डलाभ और मित्रलाभ, दोनों की अपेक्षा संघलाभ उत्तम होता है । संघटित होने के कारण संघराज्यों को बलवान्-से-बलवान् शत्रु भी दबा नहीं सकता है ।' (अर्थशास्त्र, पृ० ८२१)

राजा की उपाधि धारण करने वाले जिन संघराज्यों के सम्बन्ध में कौटिल्य ने प्रकाश डाला है उनके नाम हैं : लिच्छिविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु और पांचाल । दूसरी श्रेणी के, विना राजा की उपाधि वाले संघराज्यों को कौटिल्य ने शस्त्र, व्यापार और कृषि द्वारा जीविका-निर्वाह करने वाले बताये हैं । उनके नाम हैं : कांभोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणी आदि (अर्थशास्त्र, पृ० ८२१) । विजय की इच्छा रखने वाले राजा को किस रीति-नीति से इन संघराज्यों को स्वायत्त करना चाहिए अथवा मित्रता द्वारा

उनसे किस प्रकार लाभ उठाना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। (अर्थशास्त्र, पृ० ८२२-८२९)।

ऐतिहासिक दृष्टि से अब हम उक्त संघराज्यों और उनकी प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली पर विचार करेंगे।

लिच्छवी : भारतीय इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान् डा० विन्सेट स्मिथ ने लिखा है कि लिच्छवियों का संबंध तिब्बत से था। इस संबंध में पहिली दलील तो उन्होंने यह दी है कि लिच्छवियों के बीच तिब्बत में प्रचलित यह प्रथा वर्तमान थी कि वे अपने मृतकों को यों ही जंगल में फेंक भाते थे; और दूसरा आधार उन्होंने यह दिया है कि लिच्छवियों की न्याय-प्रणाली तिब्बत में प्रचलित न्याय-प्रणाली से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है (अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, तीसरा संस्करण, पृ० १५५)। इसी अभिमत को स्मिथ साहब अपने एक निबंध 'लिच्छवियों का तिब्बती रक्त-संबंध' में बहुत पहिले प्रकट कर चुके थे (इण्डियन एंटीक्वेरी, पृ० २३३-२३५, १९०३)। इन आधारों पर उन्होंने लिच्छवियों का मूल-निवास तिब्बत बताया है।

किन्तु डा० जायसवाल ने संस्कृत के नाटकों, सनातनी हिन्दुओं में प्रचलित सामाजिक तथा धार्मिक रीति-रिवाजों और मनुस्मृति में उल्लिखित प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि शव-संस्कार की उक्त प्रथा का पुरातन हिन्दुओं में व्यापक रूप से प्रचार था। इस संबंध में उन्होंने 'अटकथा' के प्रामाणिक विवरण को भी उद्धृत करते हुए डा० स्मिथ की इस धारणा का भी खंडन किया है कि लिच्छवियों की न्याय-प्रणाली, तिब्बतियों की न्याय-प्रणाली से मिलती है। लिच्छवियों की न्याय-प्रणाली को डा० जायसवाल ने महाभारत में प्रतिपादित (शांतिपर्व, अध्याय १०७) गणतन्त्रों की न्याय-प्रणाली पर आधारित बताया है (हिन्दू राज्यतन्त्र, १, पृ० २४९-२५४)।

व्याकरण-व्युत्पत्ति के अनुसार लिच्छु के अनुयायी या वंशज लिच्छवी कहलाते हैं। यह नाम उनकी आकृति के अनुसार पड़ा हुआ मालूम होता है। बौद्धग्रन्थ महापरिनिब्बान सुत्त (५।१९) में लिच्छवियों के पड़ोसी वाशिष्ठ मल्ल कहे गये हैं। लिच्छवियों का मूल निवास वैशाली था, जिनकी वंशपरम्परा आर्यों से संबन्ध है। वे विशुद्ध भारतीय थे। विदेह और लिच्छवि, दोनों एक ही राष्ट्रीय नाम वृजि से प्रसिद्ध थे। दोनों ही एक राष्ट्र या एक जाति की दो शाखाएँ थीं (हिन्दू राज्यतन्त्र, १, पृ० २५४)।

वृज्जिः अर्थशास्त्रकार ने जहाँ वृजियों का उल्लेख किया है, वहाँ विदेहों को ही लिया है। पाणिनि ने वृजिक और मद्रक शब्दों के लिए जो अर्थ दिया है (अष्टाध्यायी ४।२।१३१) उसी को अर्थशास्त्रकार ने भी ग्रहण किया है। कात्यायन ने मद्रों और वृजियों के प्रजातन्त्री उदाहरण दिए हैं; अर्थात् मद्र का भक्त (राजभक्त) मद्रक और वृजी का भक्त वृजिक कहा जायगा (अष्टाध्यायी वार्तिक ४।३।१००; महाभाष्य, ४।२।४५; ५।३।५२) कौटिल्य ने ऊपर राजशब्दोपजीवी संघों में मद्रक और वृजिक रूपों का ही उल्लेख किया है। वृजियों की शासन-प्रणाली कुलिक (रञ्ज-कुलोत्पन्न) आधार पर थी। उसके न्यायालय के तीन प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे : सेनापति, उपराज और राजा। वृजि लोग दक्षिणात्य थे।

वृजियों के संबंध में हमें बौद्ध ग्रन्थ 'दीघनिकाय' में पुष्कल सामग्री देखने को मिलती है। प्रसंग ऐसा है कि एक समय मगध के राजा को ओर से उसका महामन्त्री भगवान् बुद्ध के पास इस आशय की एक जिज्ञासा लेकर आया कि वृजियों (वृजियों), लिच्छवियों और विदेहों पर उसे आक्रमण करना चाहिए या नहीं। उसके उत्तर में बुद्ध ने अपने शिष्य भानन्द को सम्बोधित करते हुए वृजियों के संबंध में सात प्रश्न किये थे। इन सात प्रश्नों में उन्होंने वृजियों की शासन-प्रणाली और उनके सुदृढ़ संघटन पर प्रकाश डाला है। (डायलाग्स आफ दि बुद्धा, भाग २, पृ० ७९-८५; सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, भाग ११, पृ० ३-६; हिन्दू राज्यतन्त्र, भाग १, पृ० ५९-६१)।

मल्लः लिच्छवियों और वृजियों की ही भाँति मल्लों का उल्लेख भी विभिन्न ग्रन्थों में पाया जाता है। मज्झिमनिकाय में संघों और गणों के प्रसंग में कहा गया है कि "हे गोतम, यह बात संघों और गणों के सम्बन्ध में है; जैसे वृजि और मल्ल" (मज्झिमनिकाय १।४।५।३५)। एक जैन-ग्रन्थ में गण शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि गण मनुष्यों का वह समूह है जिसका मुख्य गुण मनयुक्त (सचित्त) अथवा विवेकयुक्त होना है; जैसे मल्लों का गण। (अभिधानराजेन्द्र, खण्ड ३, पृ० ८१२)।

प्रो० रायस डेविड्स तथा डा० जायसवाल का अभिमत है कि मल्लों का राज्य बहुत विस्तृत था। उसका विस्तार गोरखपुर जिला से पटना तक फैला हुआ था। वह दो भागों में विभक्त था, जिसमें एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा में थी। (डायलाग्स आफ दि बुद्धा, भाग २, पृ० १७९-१७९०; हिन्दू राज्यतन्त्र, भाग १, पृ० ६२)। राजनीतिक दृष्टि से वृजियों और मल्लों, दोनों का प्राचीन भारत के संघ राज्यों में सर्वोच्च स्थान था।

महलों के बृहद् संधागार (सार्वजनिक भवन—House of Communal Law) का उल्लेख महापरिनिब्बान सुत्त (६।२३) में हुआ है । इसमें लिखा गया है कि बुद्ध भगवान् के निर्वाण की सूचना देने के लिए आनंद जब महलों के यहाँ पहुँचा तो उस समय उक्त संधागार में महल लोग एकत्र होकर उसी विषय पर विचार कर रहे थे । जैनों के 'कल्पसूत्र' (पृ० १२८) से विदित होता है कि विदेहों और लिच्छवियों ने एक संयुक्त लीग की स्थापना की थी, जिसमें नौ सदस्य महलों के थे ।

लिच्छवियों के प्रसंग में पहिले बताया गया है कि वे महलों के पड़ोसी थे । महलों को महापरिनिब्बान सुत्त (५।१९) में वाशिष्ठ कहा गया है, जो आर्यों का एक प्रसिद्ध गोत्र था । डा० जायसवाल का कहना है कि मौर्य राज्य की स्थापना के बाद महलों की प्रजातंत्र शासन-प्रणाली समाप्त हो चुकी थी, किन्तु ११वीं शताब्दी तथा उसके बाद तक तिरहुत तथा नेपाल में उनके भिन्न-भिन्न वंश प्रतिष्ठित-प्रकाशित होते रहे । गोरखपुर और आजमगढ़ में आज भी महलों के वंशज बचे हुए हैं, जो कि व्यापार आदि से जीविकोपार्जन करते हैं (हिन्दू राज्यतंत्र भाग १, पृ-७७) ।

मद्रक : मद्रकों का इतिहास बहुत प्राचीन है । यजुर्वेद (१५-११-१३) और ऐतरेय ब्राह्मण (८।१४) में जिस प्रजातंत्री शासन-प्रणाली का उल्लेख मिलता है, उसमें उत्तर मद्र और उत्तर कुरु भी सम्मिलित हैं । पाणिनि की अष्टाध्यायी में मद्रों का उल्लेख दिशा के विचार से हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके शासन के दो विभाग थे । (अष्टाध्यायी ४।२।१०८, ७।३।११) । एक गुप्तकालीन शिलालेख (फ्लीट : गुप्ता इन्सक्रिप्शन्स, पृ० ८) से विदित होता है कि पाणिनि के समय में मद्र लोगों की प्रजातंत्र शासन-प्रणाली प्रचलित थी और उनकी यह स्थिति लगभग चौथी शताब्दी ई० पूर्व तक बनी रही । मद्रों के दो कुल थे : एक तो उत्तर में और दूसरा दक्षिण में । दोनों की शासन-प्रणाली भिन्न-भिन्न थी । इस संबंध में हमें यह भी पता चलता है कि उत्तर-कुरुओं के प्रकाश में आने तक उत्तर मद्रों का अस्तित्व पौराणिक कोटि में चला गया था । उनका वैभव अब कथा-कहानियों भर में ही रह गया था । (मिलिंदपद्म, खंड १, पृ० २-३) ।

महाभारत (कर्णपर्व, अध्याय ११, ४४) से हमें पता चलता है कि उत्तर मद्रों की राजधानी शाकल (संभवतः स्यालकोट) थी । उन्होंने शाकल के आसपास के प्रदेश का नाम अपने नाम पर मद्र रख छोड़ा था । मिलिंदपद्म के उल्लेखानुसार दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में उक्त शाकल नगर मिनेडर

के कब्जे में चला गया था (गुप्ता इन्सक्रिप्शन्स, पृ० ८) । संभवतः उसी समय मद्र लोग उत्तर को छोड़कर दक्षिण में गये, जहाँ उस समय गुप्तों का सुख-संपन्न शासन स्थापित था (हिन्दू राज्यतंत्र, भाग १, पृ० १२९) । मद्रों की मुठभेड़ समुद्रगुप्त के साथ हुई थी । इसके बाद उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है ।

मद्रों की एक विशेषता उनके सिक्कों में दिखाई देती है । उन्होंने हस्ताक्षर-युक्त सिक्के चलाये थे । उनका कोई भी ऐसा सिक्का नहीं मिला है, जिस पर किसी प्रकार का लेख न खुदा हो ।

कुकुर : कौटिल्य ने जिस राजा-शासित कुकुर संघ का उल्लेख किया है, वह अंधक वृष्णी के संयुक्त संघ का एक अंग था । पश्चिम भारत में प्रथम शताब्दी के अंत में उपलब्ध होने वाले शिलालेखों में कुकुरों का उल्लेख मिलता है (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० ४४, ६०) । कुकुरों के संबंध में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं होता है । संभवतः १५० ई० पूर्व के बाद रुद्रदामन का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर कुकुरों का अस्तित्व उसी में खो गया ।

कुरु : कुरुओं का इतिहास बहुत पुराना जान पड़ता है । वैदिक युग में हिन्दू समाज के जिन विभिन्न वर्गों (विशों) का उल्लेख मिलता है उनमें कुरुओं का नाम भी आता है । वे स्वयं को आर्य कहा करते थे (मेकडालन तथा कीथ : वैदिक इन्डेक्स) ।

कुरुओं को कौटिल्य ने प्रजातंत्रवादी बताया है; किन्तु पेटरेय ब्राह्मण (पृ० ८१४) में कुरुओं और पांचालों को एकराजत्व शासन-प्रणाली वाले संघ बताया गया है । बुद्ध के समय में उनके राज्य का अस्तित्व धुंधला पड़ गया था । संभवतः बुद्ध के बाद और कौटिल्य से पूर्व ही उन्होंने प्रजातंत्र को अपनाया होगा ।

पांचाल : पांचालों के संबंध में जैसा बताया गया है कि पहिले वे एक राजस्व शासन के पोषक रहे हैं; किन्तु कुरुओं की ही भाँति बुद्ध के निर्वाण के बाद वे भी प्रजातंत्रवादी हो गये थे, जिस रूप का उल्लेख कौटिल्य ने किया है । पांचालों का राज्य मौर्यों के उपरान्त भी बना रहा ।

काम्भोज : राजा की उपाधि धारण करने वाले उक्त राजसंघों के अतिरिक्त कौटिल्य ने शस्त्र, व्यापार और कृषि द्वारा जीविका-निर्वाह करने वाले गणतंत्रों में काम्भोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय तथा श्रेणी आदि का उल्लेख किया है ।

काम्भोजों का मूल स्थान पूर्वी अफगानिस्तान (काबुल नदी, आधुनिक

कांबोह के तट) था। अशोक के शिलालेखों में उनका उल्लेख गांधारों के बाद आया है (पाँचवाँ अभिलेख)। पाणिनि ने कांबोजों का उल्लेख किया है (अष्टाध्यायी ४।१।१७५), जिससे प्रतीत होता है कि कांबोजों में जो राजा होता था वह एकराज होता था अथवा निर्वाचित शासक होता था। कौटिल्य के समय में कांबोजों की शासन-व्यवस्था, पाणिनि के दृष्टिकोण की अपेक्षा सर्वथा बदली हुई दिखाई देती है। कांबोज का शब्दार्थ है : निकृष्ट भोज। कांबोज भी उसका पर्याय है।

यास्क (७०० ई० पूर्व) के कथनानुसार कांबोजों की मातृभाषा संस्कृत थी; किन्तु उनकी भाषा में पड़ोसी ईरानियों की भाषा के रूप मिल गये थे (निरुक्त २।१।३।४)।

सुराष्ट्र : सुराष्ट्र लोग काठियावाड के निवासी थे। बलभी के ५८ ई० पूर्व के शिलालेखों (जिनका प्रामाणिक वंशक्रम डा० जायसवाल ने तैयार किया है, देखिए जे० बी० ओ० आर० एस०, १, १०१, १९१४; एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० ४४) और रुद्रदामन् के जूनागढ़ वाले शिलालेखों (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० ६०), जिनकी स्थिति दूसरी शताब्दी ई० की है, से विदित होता है कि सुराष्ट्र लोग मौर्य-साम्राज्य के बाद भी बने रहे। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० के लगभग उनके संघटन का महत्त्व लोप हो गया था; उसके बाद उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व न रह गया था (हिन्दू राज्यतंत्र १, पृ० २१६)।

क्षत्रिय : श्रेणी : क्षत्रियों और श्रेणियों के संबंध में कहा गया है कि वे सिंध के रहने वाले, एक-दूसरे के पड़ोसी थे (इरियन, भाग ६, प्रकरण १५)। यूरोपीय विद्वानों ने क्षत्रियों को एक विशिष्ट उपजाति (Xathroi) कहा है किन्तु अर्थशास्त्र से विदित होता है कि वह नाम एक विशिष्ट राजनीतिक संघ का था। श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न नाम दिये गए हैं (ऐश्र्येंट इण्डिया, इट्स इन्वेजन बाई अलेक्जेंडर दि ग्रेट, पृ. २६७)। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेणी लोग कई उपवर्गों में विभाजित थे और जिन श्रेणियों से सिकन्दर की सुठभेड़ हुई थी वे अग्र या प्रथम श्रेणी थे। आधुनिक सिंधी खत्री, प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं।

अग्र श्रेणियों के संबंध में कहा गया है कि वे बड़े वीर थे। अपनी पराजय के समय उन्होंने अपने स्त्री-बच्चों को उसी प्रकार भाग में जला डाला था जैसे जौहर के समय राजपूत अपने स्त्री-बच्चों को जला डालते थे (कर्टियस, भाग ९,

प्रक० ४, अलेक्जेंडर, पृ० २३२) । प्राचीन भारत के राजसंघों में क्षत्रियों और श्रेणियों का अधिकता से उल्लेख पाया जाता है ।

मंत्रिपरिषद्

प्राचीन भारत में राष्ट्र-संघटन की दृष्टि से मंत्रिपरिषद् का महत्वपूर्ण स्थान है । उसकी उत्पत्ति वैदिक युग की राष्ट्रीय सभा से हुई, किन्तु बाद में हिन्दू राज्यों के अभ्युदय तथा उन्नयन की दृष्टि से उसकी उपयोगिता निरन्तर बढ़ती गयी । धर्म, अर्थ, शासन, न्याय आदि विषयों पर लिखे गये ग्रंथों में मंत्रिपरिषद् पर इसीलिए गंभीरता से विचार किया गया कि एक चिरस्थायी एवं सर्वांगीण साम्राज्य की सुरक्षा-व्यवस्था के लिये उसकी परम आवश्यकता है ।

कौटिल्य ने मंत्रियों की इस सभा को 'मंत्रिपरिषद्' ही कहा है (अर्थशास्त्र, पृ० ५८) इससे पहले जातक (खण्ड ६, पृ० ४०५, ४३१) महावस्तु (खंड २, पृ० ४१६-४४२) और अशोक के शिलालेखों (तीसरा, छठा) में उसको परिषा कहा गया है । धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय के ग्रंथों में कहा गया है मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति तथा उसके सहयोग के बिना राजा को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए । मनु ने कहा है कि छोटे-बड़े सभी कार्य राजा को मंत्रिपरिषद् के साथ विचार करके करने चाहिए (मनुस्मृति ७।३०-३१, ५५, ५६) । याज्ञवल्क्य (याज्ञवल्क्यस्मृति १।३११) तथा अन्य ग्रंथकारों ने भी यही बात कही है ।

कौटिल्य यद्यपि एक राज्य-शासन-प्रणाली का समर्थक रहा है, जिसमें राजा ही एकमात्र कर्ता-धर्ता होता है, किन्तु मंत्रिपरिषद् की अनिवार्यता को उसने भी माना है । उसका कहना है कि राजा को अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद् के परामर्श से करने चाहिए और संदिग्ध या विवादग्रस्त विषयों में जो बहुमत द्वारा समर्थित हों उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए (अर्थशास्त्र, पृ० ५८) । कौटिल्य ने कहा है कि इन्द्र का सहस्राक्ष अभिधान इसलिये हुआ कि उसकी मंत्रिपरिषद् में एक हजार बुद्धिमान् सदस्य थे । वे ही उसके नेत्र कहे जाते थे (अर्थशास्त्र, पृ० ५७-५८) ।

संपूर्ण प्रजा, सारा राज्य और यहाँ तक कि राजा भी मंत्रिपरिषद् पर निर्भर है । अर्थशास्त्र की दृष्टि से मंत्री के बिना राजा का कोई अस्तित्व नहीं है । राजा और मंत्री के पारस्परिक संबंध और राज्य के लिये उनकी क्या आवश्यकता है, इसकी चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि राजा और

मंत्री साम्राज्यरूपी शकट के दो पहिये हैं, जिनके बिना वह राज्य-शकट आगे नहीं बढ़ सकता है। (अर्थशास्त्र, पृ० २४)। मंत्री ही राजा का ऐसा सहायक है, जो विपत्ति के समय उसकी रक्षा और प्रमाद के समय उसको सावधान करता है।

मंत्रिपरिषद् की योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक राजकीय समस्या पर विचार करना और राज्य की उन्नति के लिये योजनायें बनाना। सभी राजकार्यों को मंत्रणा के बाद ही क्रियान्वित करने का कौटिल्य ने विधान किया है। इस मंत्रणा को राजा एकाकी नहीं कर सकता। अकेले में विचारित कार्यक्रमों की सफलता संदिग्ध होती है। इसलिए समुचित परामर्श के लिये मन्त्रिपरिषद् की अनिवार्यता स्वयं सिद्ध है।

कौटिल्य का कहना है कि अज्ञात विषय को जान लेना, ज्ञात विषय का निश्चय करना, निश्चित विषय को स्थायी रूप देना, मतभेद हो जाने पर संशय का निराकरण करना, किसी विषय का आंशिक ज्ञान होने पर ही उस सारे विषय को हृदयंगम करना ये सभी कार्य मन्त्रिपरिषद् के अधीन होते हैं। इसलिए मन्त्रियों का अत्यन्त बुद्धिमान् होना आवश्यक है (अर्थशास्त्र, पृ० ५४)।

किसी भी सुविचारित गुप्त विषय के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिये कौटिल्य ने बड़ा जोर दिया है। कौटिल्य का कहना है कार्यान्वित होने से पहले ही किसी गुप्त योजना का फूट जाना राजा और मंत्रिपरिषद् दोनों के लिये अनिष्ट का कारण हो सकती है (अर्थशास्त्र, पृ० ५२)। इसलिए मंत्र की सुरक्षा के लिये पहली आवश्यकता यह है कि मंत्रणा-गृह अत्यन्त सुरक्षित हो। दूसरे में राजा तथा उसके पारिषद् इतने संयमी एवं विचारवान् होने चाहिये कि उनकी किसी भी चेष्टा से उनके गुप्त रहस्यों का भेद प्रकट न हो सके। मंत्र की सुरक्षा के लिये तीसरी आवश्यकता इस बात की है कि मंत्रणा में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति मादक वस्तुओं का सेवन न करता हो (अर्थशास्त्र, पृ० ५३)।

कौटिल्य ने मंत्र के पाँच अंग बताये हैं : कार्य आरंभ करने का तरीका, योग्य पुरुषों का सहयोग तथा द्रव्य-संचय, देश तथा काल का विचार, अनर्थों से आत्मरक्षा और अपनी अभीष्ट सिद्धि का विचार।

मनु (मनुस्मृति ७।५७) और कौटिल्य (अर्थशास्त्र, पृ० ५६) दोनों इस बात में सहमत हैं कि राजा को चाहिये कि पहले वह सब मंत्रियों से अलग-अलग परामर्श करे और तब उन सबको एकसाथ बैठा कर उनके साथ विचार करे। बृहस्पति (बृहस्पतिशास्त्र १।४, ५) का तो यहाँ तक कहना है

कि प्रत्येक ऐसा कार्य भी, जो कि सर्वथा न्यायसंगत एवं धर्मानुमोदित हो, उसको भी मंत्रियों की संमति-स्वीकृति से ही करना चाहिये ।

मंत्रियों की संख्या : मन्त्रिपरिषद् की अनिवार्यता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है, किन्तु उसके सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिये इस संबंध में उनकी राय एक नहीं है । मंत्रियों की संख्या के प्रसंग में कौटिल्य ने बृहस्पति और शुक्राचार्य के मतों को उद्धृत किया है । इस प्रसंग में कौटिल्य ने न तो अपना ही अभिमत दिया है और न उक्त दो आचार्यों के अतिरिक्त किसी तीसरे पुरातन आचार्य को उद्धृत किया है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बृहस्पति और शुक्राचार्य का मत ही कौटिल्य को अभीष्ट था ।

आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वानों के मतानुसार मंत्रियों की संख्या सोलह और शुक्राचार्य के समर्थक विद्वानों के अनुसार बीस बतायी गयी है । कौटिल्य ने इस संबंध में केवल इतना ही कहा है कि परिषद् में मंत्रियों की संख्या इतनी होनी चाहिये कि जिससे वे सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपादन करते हुए राज्य की उन्नति करते रहें ।

कौटिल्य ने मन्त्रिपरिषद् के प्रमुख चार सदस्य बताये हैं, श्रेष्ठता के अनुसार जिनका क्रम है : मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज (अर्थशास्त्र, पृ० ४०) इनके अतिरिक्त पौर, जानपाद आदि भी परिषद् के सदस्य होते थे ।

मन्त्रिपरिषद् वस्तुतः राष्ट्रपरिषद् थी । उसके कार्यों की सीमा मंत्रियों तथा राजा तक ही सीमित नहीं थी, अपितु वह सारे राष्ट्र के कार्यों, विभिन्न विभागीय अध्यक्षाओं की रीति-नीति को निर्धारित करने वाली परिषद् थी । उसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक था ।

मंत्री और अमात्य : कौटिल्य के अनुसार मंत्री और अमात्य दो अलग-अलग पद थे । कौटिल्य ने लिखा है कि 'इस प्रकार राजा को चाहिए कि यथोचित गुण, देश, काल और कार्य की व्यवस्था को देखकर वह सर्व-गुणसम्पन्न व्यक्तियों को अमात्य बना सकता है; किन्तु सहसा ही उनको मन्त्रिपद पर नियुक्त न करे (अर्थशास्त्र, पृ० २७) ।

इससे स्पष्ट है कि मंत्री और अमात्य, दो भिन्न-भिन्न पद थे और अमात्य की अपेक्षा मंत्री का पद बड़ा था । कदाचित् बात यह रही होगी कि मंत्री, मन्त्रिपरिषद् का सदस्य भी होता था और राजा को भी सुझाव दे सकता था; जब कि अमात्य मन्त्रिपरिषद् का सदस्य तो होता था किन्तु

उसको मंत्रिपद प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। कौटिल्य की विवेचन-प्रणाली से हमें यह भी विदित होता है कि मंत्रिपरिपद् के निर्णय बहुमत पर आधारित थे। बहुमत द्वारा स्वीकृत-समर्थित कार्यों को ही कौटिल्य ने क्रियान्वित करने का विधान किया है।

राजा : कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' और उसके जीवन-संबंधी ध्येयों का अध्ययन कर यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि कौटिल्य का उद्देश्य एक ऐसे विराट् साम्राज्य की स्थापना करना था, जिसकी शासन-सत्ता निरंकुश हो और जिसके अतुल्य बल-वैभव के समक्ष किसी को भी शिर उठाने का साहस न हो; फिर भी उसकी नीति के अंतराल में लोक-कल्याण की एक व्यापक भावना विद्यमान थी, जिसका उल्लंघन उसने कभी भी नहीं किया; और संभवतः यही एक भारी कारण रहा कि कौटिल्य की निरंकुश नीति में प्रजातंत्री विचारों का आश्चर्यमय समन्वय था।

कौटिल्य का निर्देश है कि राजा का पहिला कर्तव्य प्रजा को प्रसन्न रखना है। वस्तुतः राजा नाम की कोई हस्ती ही कौटिल्य के सामने नहीं दिखाई देती है; प्रजा ही सब कुछ है। राजा का अपना कोई हित या सुख अथवा अभीष्ट नहीं होना चाहिए। वह तो प्रजा की सुख-सुविधाओं एवं प्रजा के अभीष्टों की व्यवस्था करने वाला एक व्यवस्थापक मात्र है। उस विराट् प्रजा के कुशल-क्षेम के लिए किन-किन बातों और किन-किन साधनों की आवश्यकता है, इसकी सारी जिम्मेदारी और सारा भार राजा के ऊपर निर्भर है। (अर्थशास्त्र, पृ० ७७) कदाचित् इसीलिए विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक में एक बार चन्द्रगुप्त अपने परतंत्र जीवन के लिए इतना झुंझला पड़ता है कि सारा राजपाट छोड़ देने के लिए वह उत्तेजित हो उठता है।

इसलिए राजा के चारित्रिक गुणों के संबंध में कौटिल्य ने जो सीमाये निर्धारित की हैं, उन तक पहुँचना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। सत्कुलोत्पन्न, दैवबुद्धि, बलवान्, धार्मिक, सत्यवादी, तस्ववक्ता, कृतज्ञ, उच्चादर्श-युक्त, उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाला, समर्थ सामंतों से युक्त, दृढ़निश्चयी और विद्या-ध्यसनी; राजा के चरित्र के ये प्रधान गुण हैं। (अर्थशास्त्र, पृ० २३-२४) इनके अतिरिक्त उसकी बुद्धि में शास्त्रों को सुनने की उत्कण्ठा, शास्त्रोपदेश को ग्रहण करने की क्षमता, तदनुसार आचरण करने का संयम और तर्क-वितर्क के द्वारा तत्त्व की बात को जान लेने की निपुणता होनी चाहिए।

शौर्य, अमर्ष, शीघ्रता और दृढ़ता, ये चार बातें उसके उत्साह में होनी चाहिये, इन बातों के साथ-साथ उसमें वे सभी बातें भी होनी चाहिए, जिनके कारण वह विराट् प्रजा के उच्चादर्शों को जान सके और अपने उन्नत गुणों को प्रजा में क्रियान्वित कर सके। राजा के चरित्र की यह संपदा (पूँजी) है।

राजा के सदाचरण पर कौटिल्य ने बड़ा जोर दिया है। अपने आचरण को विशुद्ध बनाये रखने के लिए राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए; उसको बृद्धजनों का सहवास करना चाहिए; उसको परस्त्री, पर धन और हिंसा आदि कार्यों से सदा दूर रहना चाहिए; अधिक शयन करना तथा लोभ, मिथ्या-व्यवहार, उद्धतवेष एवं अनर्थकारी कार्यों को त्याग देना चाहिए; अधर्मकारी तथा अनर्थकारी कार्यों से उसको दूर रहना चाहिए; धर्म और अर्थ को क्षति न पहुँचाने वाले काम का सेवन करना चाहिए; यदि वह धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में से किसी एक का अधिक सेवन करता है तो अपने लिए वह नाशकारी अनर्थ को पैदा करता है।

कौटिल्य का सुझाव है कि राजा के आचरण पर ही उसके कर्मचारियों का आचरण निर्भर है। यदि वह प्रमादी होगा तो उसके कर्मचारी भी प्रमाद करने लगेंगे और यह भी असंभव नहीं कि प्रमादी राजा के कर्मचारी उसके शत्रु से संधि करके एक दिन उसका सर्वस्व ही समाप्त कर डालेंगे। इसके विपरीत यदि राजा उदार, परिश्रमी और विवेकशील होगा तो उसका सारा भृत्यवर्ग उसके इन गुणों को अपनायेगा। इसलिए, कौटिल्य का कहना है कि, उक्त बातों पर ध्यान रखकर राजा को चाहिए कि यत्नपूर्वक सावधानी से वह अपनी उन्नति की ओर सचेष्ट रहे।

ऐसा तभी संभव है यदि उसकी कार्य-व्यवस्था का ढंग निश्चित रूप से विचारपूर्वक संपन्न होता रहे। राजा की कार्य-व्यवस्था नियमित ढंग से संचालित होती रहे, इसके लिए कौटिल्य ने रात और दिन को दो भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग को आठ-आठ उप-भागों में बाँट दिया है। ब्राह्म-मुहूर्त में उठने के बाद रात्रि में शयनपर्यन्त राजा को किस समय क्या कार्य करना चाहिए, इसका कौटिल्य ने व्यौरेवार विवरण दिया है।

राजा के प्रमुख कर्तव्य हैं यज्ञ, प्रजापालन, न्याय, दान, शत्रु-मित्र से उचित व्यवहार, विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वानों को उनके उपयुक्त स्थानों पर नियुक्त करना। (अर्थशास्त्र, पृ० ७७) इसीको अच्छी नीति (सुशासन) कहा गया है और ऐसी नीति के अनुसार आचरण करने वाले राजा की सभी विघ्न-बाधाएँ दूर होकर उसकी उन्नति एवं कल्याण होता है।

प्राचीन भारत की एकराजत्व शासन-प्रणाली को दृष्टि में रखकर स्वभावतः होना तो यह चाहिये था कि सर्वसत्तामान शासक (राजा) ही संपूर्ण राज-सत्ता का एकाधिकारी व्यक्ति होता, किन्तु अर्थशास्त्र तथा न्यायशास्त्र विषयक ग्रन्थों में जो नीति-नियम निर्धारित हैं उनको देखकर ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू राजा की स्थिति एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं थी। राजा और राजपरिवार का वेतन (वृत्ति) निर्धारित था, जो कि देश की आय तथा देश की स्थिति पर निर्भर था। राजमाता, पटरानी, दूसरी रानियाँ, राजकुमार और दूसरे राजपरिवार के व्यक्तियों के लिये वेतन नियत था (अर्थशास्त्र, पृ० ५१२-५१५)। राजा को यद्यपि स्वामी कहा जाता था, किन्तु उसके अधिकार की सीमायें अपराधियों के दमन तक ही सीमित थीं। सार्वजनिक बहुमत से वह बंधा रहता था। वह पौरजानपद की राष्ट्र-संघटन की शक्ति के अधीन था। इस दृष्टि से उसकी स्थिति राष्ट्र के एक सेवक या भृत्य से बढ़कर नहीं थी। उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व और उसकी कोई व्यक्तिगत रुचि-अरुचि नहीं हुआ करती थी। हिन्दू राजा की यह दास या भृत्य जैसी स्थिति ही वस्तुतः नैतिक दृष्टि से उसे स्वामित्व के उच्चासन पर अडिग बनाये रखी रही। राज्यरूपी वृक्ष का मूल बताते हुए शुक्रनीतिसार (५।१२) में उसकी स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। कहा गया है कि “राजा, राज्यरूपी वृक्ष का मूल है, मंत्रि-परिषद् उसका धड़ या स्कंध है, सेनापति उसकी शाखायें हैं, सैनिक उसके पञ्चव हैं, प्रजा उसके पुष्प हैं, देश की संपन्नता उसके फल हैं और समस्त देश उसका बीज है।”

इसलिये यदि राजा न हो तो प्रजा और राष्ट्र की क्या स्थिति हो सकती है, यह स्पष्ट हो जाता है।

हिन्दू राजनीति की दृष्टि से राज्य एक ऐसी पुनीत थाती है जो राजा को इसलिये सौंपी जाती है कि वह प्रजा की सुख-समृद्धि और कल्याण-कामना के लिए सतत यत्नशील बना रहे। प्रत्येक राज्याभिषेक के समय अभिषिक्त राजा को यह कह कर इस पुनीत थाती को सौंपा जाता था कि “यह राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। तुम इसके संचालक, नियामक और उत्तरदायित्व के दृढ़ वाहन-कर्ता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, संपन्नता, प्रजा के पोषण के लिए दिया जाता है (शुक्र यजुर्वेद ९।२२)।

इसलिये राजा के लिये पहिली प्रतिज्ञा राष्ट्रहित और प्रजा की हित-कामना को हुआ करती थी। हिन्दुओं की एकराजता का यह महान आदर्श, जिसका

एकमात्र उद्देश्य प्रजा की भलाई था, संसार की तत्कालीन राजनीति के इतिहास में अपना अनन्य स्थान रखता है। वस्तुतः वह एक नागरिक राज्य था, जिसके प्रांतीय शासक या मांडलिक सदा ही नागरिक हुआ करते थे। इस एकराज शासन की अनेक प्रणालियाँ प्रचलित थीं जैसे राज्य, महाराज्य, आधिपत्य और सार्वभौम। सार्वभौम शासन-प्रणाली का विकास आगे चलकर चक्रवर्ती शासन-प्रणाली के रूप में प्रकट हुआ। कौटिल्य ने इसके संबंध में कहा है कि 'सारी भूमि या भारत, देश है। उसमें हिमालय से लेकर समुद्र तक सीधे उत्तर-दक्षिण एक हजार योजन में चक्रवर्ती क्षेत्र है (अर्थशास्त्र, पृ० ७२५)। ये शासन प्रणालियाँ भी आगे-आगे बदलती रहीं, किन्तु उन सभी में प्रजा-कल्याण की भावना सदा ही बनी रही।

शासन-व्यवस्था

वैदिक साहित्य में हमें दो प्रकार की राजतंत्रात्मक शासन पद्धतियों के दर्शन होते हैं : नियंत्रित और अनियंत्रित। इन पद्धतियों के स्वामी (राजा) का यह दावा रहा है कि उसकी उत्पत्ति दैवी है, जो या तो बिना किसी प्रकार के विरोध के देश पर अधिकार कर लेता था अथवा विरोध को दबाकर बलात् सारे शासन को स्वायत्त कर लेता था। नियंत्रण की दशा में तो वह जनता की राजमंडी से ही जनता पर अधिकार करता था और दूसरी अनियंत्रित दशा में अपने बल द्वारा उस पर काबू करता था। ये दोनों प्रकार की पद्धतियाँ वंशगत थीं। अनियंत्रित राज्य बलपूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है ऐसा विधान हमें अथर्ववेद (४।२२) में भी देखने को मिलता है। साथ ही वैदिक ग्रन्थों में हमें यह भी देखने को मिलता है कि नियंत्रित राज्यतंत्र में राजा या तो चुना जाता था या स्वीकार किया जाता था। (देखिए : ऋग्वेद १।२४।८; १०।१७५।१; अथर्ववेद ३।४।२)।

तत्कालीन गण आधुनिक प्रजातंत्र के स्वरूप थे। उन गणों (सभा या समूह) का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता था। इस प्रकार के प्राचीन गणों में शाक्य, मल्ल, विज्जी, लिच्छवी, मालव, शुद्रक, समवस्ताई, पहला, योधेय, कुनिन्द, शिवि, अर्जुनायन आदि प्रमुख हैं। इन सभी गणों का मुखिया (राजा) वंशगत होता था और उनके सार्वजनिक कार्यों का संचालन निर्वाचित सभासदों की एक कमेटी द्वारा संपन्न होता था। इनकी शासन-पद्धति राजतंत्रात्मक थी; किन्तु उनकी संघ-व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक थी। गौतमबुद्ध के समय तक अस्तित्व में आये गणों का उल्लेख रायस डेविड्स की बुद्धिस्ट इंडिया में किया गया है, जिनके नाम हैं : कपिलवस्तु के शाक्य,

सुमसुमार की पहाड़ियों के भाग, अलकण्णा के बुली, केशपट्ट के कलामा, राम-गाँव के कालया, कुशीनगर के मञ्जु, पावा के मञ्जु, पिप्पलिवन के मौर्य, विमिथा के विदेह और वैशाली के लिच्छवी या विज्जी । इन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्यों का संचालन ग्रौहों की एक राजसभा, एक सार्वजनिक सभा (संघ) और ग्रामीणों की पंचायत द्वारा हुआ करता था । सारे शासन का आधार ग्राम्य-संघटन था । ग्राम का मुखिया (ग्रामीण) ही कर के भुगतान तथा ग्राम सम्बन्धी दूसरे शासन-प्रबंधों के लिए उत्तरदायी समझा जाता था । एक प्रबंधक के नियंत्रण में पाँच से दस गाँव तक होते थे । इसे गोप (जिला) कहा गया है । इसी प्रकार के चार ग्राम-समूहों (गोपों) का समूह-पति होता था, जिसके शासक को स्थानिक और उसके ऊपर का शासक नागरिक नाम से कहा जाता था । नागरिक अर्थात् राजधानी का प्रमुख । इन सबके ऊपर देख-रेख के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी उसको समाहर्ता कहा जाता था । (अर्थशास्त्र, पृ० ११९-१२३) ।

शासन-व्यवस्था के प्रसंग में कौटिल्य ने नगर की व्यवस्थापिका सभा (नगर पालिका) का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है । उसके छह विभाग बताये गये हैं । प्रत्येक विभाग का संचालन पाँच सदस्यों के हाथ में हुआ करता था । एक विभाग का कार्य कारीगरों (कलाकारों) की निगरानी करना था; दूसरे विभाग के हाथ में विदेशियों की देखरेख तथा उनके आवास आदि की व्यवस्था थी; तीसरा विभाग जनगणना, स्वास्थ्य तथा आय-व्यय से संबंधित था; चौथा विभाग मुद्रा तथा विनिमय, तौल, चुंगी, पासपोर्ट आदि का कार्य करता था; पाँचवाँ विभाग निर्मित वस्तुओं की निगरानी के लिये नियुक्त था; और छठा विभाग केवल कर-त्रसूली का था ।

विभागीय अध्यक्ष : धर्म और शासन के क्षेत्र में कार्य करने वाले जिन प्रमुख विभागीय अधिकारियों का कौटिल्य ने (अर्थशास्त्र, पृ० ४०) इस प्रकार उल्लेख किया है, उनकी सूची डा० जायसवाल ने (हिन्दू राज्यतंत्र, भाग २; पृ० २६१-२६२) इस प्रकार दी है :

१. मंत्री

२. पुरोहित

३. सेनापति-सेना-विभाग का मंत्री

४. युवराज

५. दौवारिक-राजप्रासाद का प्रधान अधिकारी

६. अंतरवंशिक-राजवंश के गृहकार्यों का प्रधान अधिकारी

७. प्रशास्तृ या प्रशास्ता—कारागारों का प्रधान अधिकारी
८. समाहर्ता—माल-विभाग का मंत्री
९. सन्निधाता—राजकोष का मंत्री
१०. प्रदेष्टा—राजाज्ञाओं का प्रचार करने वाला
११. नायक—सैनिकों का प्रधान अधिकारी
१२. पौर—राजधानी का प्रधान शासक
१३. व्यावहारिक—न्यायकर्ता, न्यायाधीश
१४. कार्मांतिक—खानों और कारखानों आदि का प्रधान अधिकारी
१५. सभ्य—मन्त्रि-परिषद् का अध्यक्ष
१६. दण्डपाल—सेना के निर्वाह का कार्य करने वाला प्रमुख अधिकारी
१७. अंतपाल या राष्ट्रांतपाल—सीमाप्रांतों का प्रधान अधिकारी
१८. दुर्गपाल—शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाला अधिकारी

उक्त अठारह प्रकार के राज्याधिकारियों को कौटिल्य ने तीन भागों में विभक्त किया और उसी क्रम से उनका वेतन निर्धारित किया है। पहिली श्रेणी में मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज; दूसरी श्रेणी में दौवारिक, अंतरवंशिक, प्रशास्तृ, समाहर्ता, सन्निधाना; और तीसरी श्रेणी में प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यावहारिक, कार्मांतिक, सभ्य, दण्डपाल, दुर्गपाल तथा अंतपाल को रखा गया है। इन तीनों श्रेणियों के अधिकारियों का वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः ४८००० पण (रौप्य); २४००० पण; और १२००० पण निर्धारित किया है (अर्थशास्त्र, पृ० ५१२-५१५)।

राजदूत

राजनीति के क्षेत्र में राजदूत का आज जो महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है, प्राचीन भारत में भी उसको ऐसा ही गौरव प्राप्त था। रामायण, महाभारत धर्मशास्त्र और कौटिल्य द्वारा उद्धृत पुरातन अर्थशास्त्रकारों की दृष्टि में राजदूत का एक जैसा प्रतिष्ठित स्थान माना गया है। कुछ आचार्यों ने तो आज की ही भाँति, राजदूत को, मन्त्रि-परिषद् का एक सदस्य स्वीकार किया है। कौटिल्य ने राजदूत को राजा का मुख माना है। (अर्थशास्त्र, पृ० ६०) राजा का मुख उसको इसलिये कहा गया है कि अपने राष्ट्र में राजा जैसी व्यवस्था और जैसे नीति-नियम निर्धारित करता है, परराष्ट्र में राजा का वही कार्य राजदूत करता है। परराष्ट्र संबंधी कार्यों में वह राजा का प्रतिनिधि माना जाता है।

मनुस्मृत (७।६३-६४) में राजदूतों की योग्यता के संबंध में कहा गया है कि वह बहुश्रुत आकार तथा चेष्टाओं के विकार से हृदयस्थ भावों को पकड़ने वाला, स्मृतिमान, दर्शनीय, दक्ष, सत्कुलीन, राजभक्त, देश-काल का ज्ञाता, पवित्र आचरण करने वाला, वाग्मी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। महाभारत (शांति०-८५।२८) में भी दूत के यही विशेषण गिनाये गये हैं।

राजदूतों को किस ढंग से प्रस्थान करना चाहिये और उनके आचार-व्यवहार के क्या तरीके होने चाहिये, इस संबंध में कौटिल्य ने बड़ी वारीकी से विचार किया है। इस संबंध में उसका कहना है कि प्राणबाधा उपस्थित हो जाने पर भी राजदूत को चाहिये कि वह अपने राजा के संदेश को अविकल रूप में दूसरे राजा के सामने पेश करे। (अर्थशास्त्र, पृ० ६०)

राजदूत पर जहाँ एक साथ इतनी जिम्मेदारियाँ और प्राणभय तक की भारी विपत्तियाँ निर्भर हैं, वहाँ उसकी सुरक्षा तथा उसके महत्वपूर्ण कार्यों को दृष्टि में रखकर उसको कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। सबसे पहिला विशेषाधिकार उसको आत्मरक्षा का दिया गया है। सभी धर्म-शास्त्रकारों और राजनीति के आचार्यों ने एकमत होकर इस बात की व्यवस्था दी है कि राजदूत अवध्य है। कौटिल्य ने तो यहाँ तक कहा है कि राजदूत भले ही चांडाल हो, वह अवध्य है, क्योंकि दूत का धर्म अपने मालिक का संदेश पहुँचाना भर है (अर्थशास्त्र, पृ० ६०) रामायण में भी कहा गया है कि दूत चाहे साधु हो या असाधु; वह तो दूसरे का भेजा हुआ एवं दूसरे की बात को कहने वाला होता है। इसलिए दूत का वध सर्वदा निषिद्ध है (रामायण सुंद० सर्ग ५२ १ श्लो० १३)। महाभारत (शांति० अध्या० ८५, श्लो० २७) में तो कहा गया है कि छात्रधर्मरत जो राजा सत्यवादी दूत का वध करता है उसके पितर भ्रूण-हत्या के भागी होते हैं।

राजदूत के संबंध में ऐसे नीति-नियम निर्धारित थे, जिनको प्राचीन काल में भी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त थी। कदाचित् कोई दूत ऐसा महान अपराध कर भी बैठता था, जो वैधानिक दृष्टि से क्षम्य नहीं होता था, तब भी उसको सजा दी जाती थी, प्राणदण्ड नहीं; जैसे कि रावण के अनुरोध पर धर्मवेत्ता विभीषण ने हनुमान के लिए दण्ड निर्धारित किया था।

कौटिल्य ने दूतों की तीन श्रेणियाँ बताई हैं : १ निस्पृष्टार्थ, २ परिमितार्थ और ३ शासनहर (अर्थशास्त्र, पृ० ५९)। पहिली श्रेणी के दूतों का प्रमुख कार्य अपने राजा का संदेश ले जाना और अपने राजा के लिये संदेश

लाना था। उन्हें समयानुसार यह भी अधिकार प्राप्त था कि अपने राजा की कार्यसिद्धि के लिये वे स्वयं भी अपनी ओर से बात-चीत कर सकते हैं। इस श्रेणी के दूतों में अमात्य की सारी योग्यतायें बनायी गयी हैं। दूसरी श्रेणी के परिमितार्थ दूतों के लिये अमात्य की तीन-चौथाई योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं। परिमितार्थ दूत की पहुँच कुछ निर्धारित सीमाओं तक ही रखी गई है, जिससे कि उसका ऐसा नामकरण हुआ। तीसरे शासनहर दूतों का एकमात्र कार्य संदेशों का आदान-प्रदान करना था।

गुप्तचर

कौटिल्य की अर्थनीति में गुप्तचरों का स्थान बहुत ऊँचा है। गुप्तचर (खुफिया विभाग) का जैसा एकमात्र उद्देश्य आज अपराधों का पता लगाना मात्र माना जाता है, पुराने भारत में इस उद्देश्य को नितान्त ही गौण समझा जाता रहा है। वस्तुतः गुप्तचरों की आवश्यकता राजनीति के क्षेत्र में इसलिये आवश्यक प्रतीत हुई जिससे शासक को प्रजा के कष्टों, क्लेशों और पीड़ाओं का पता लग सके। प्रजा की सुख-शांति में बाधा उत्पन्न करने वालों और राजकीय नियमों के पालन करने-कराने में रोक लगाने वालों का दमन कैसे हो, इसकी सूचना राजा तक पहुँचाना, गुप्तचरों का प्रमुख कार्य था।

क्योंकि समाज में अनेक वर्ग और उन वर्गों में भी अनेक उपवर्ग होते हैं। इसलिये, समाज के ओर-छोर तक के छिद्रों का पता लगाने वाले गुप्तचरों के तौर-तरीकों में भी विविधता का होना स्वाभाविक-सा है। इस दृष्टि से कौटिल्य ने कार्य भेद से गुप्तचरों के नौ वभाग किये हैं, जिनके नाम हैं : (१) कापाटिक, (२) उदास्थित, (३) गृहपतिक, (४) वैदेहक, (५) तापस, (६) सत्री, (७) तीक्ष्ण, (८) रसद और (९) भिक्षुकी।

राज्य की सुव्यवस्था, शासन का पूर्णतया पालन और प्रजा की सुख-शांति का बहुत-कुछ दायित्व गुप्तचरों पर निर्भर है। ऊपर जिन नौ प्रकार के गुप्तचरों का निर्देश किया गया है, उनकी कार्य-विधि और उनके पारस्परिक सहयोग का ढंग कैसा होना चाहिए, इसका विस्तार से विवेचन एक पूरे प्रकरण में किया गया है।

इन गुप्तचरों के कार्यों का अध्ययन करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राचीन भारत की शासन-व्यवस्था का यह गुप्तचर-विभाग कितना उपयोगी और ठोस था। उनका संवटन, उनके गुप्त रहस्य और उनकी संकेत-प्रणाली इनकी जटिल, किन्तु इनकी व्यवस्थित थी कि उस समय की अंतरराष्ट्रीय

राजनीति के किस हिस्से में क्या हो रहा है, इसका ज्ञान राजा को गुप्तचरों के द्वारा ही प्राप्त होता था ।

पुर और जनपद की स्थापना

शासन-व्यवस्था और सुख-सुविधा की दृष्टि से कौटिल्य ने समग्र राष्ट्र को दो भागों में विभक्त किया है : पुर और जनपद । पुर से उनका अभिप्राय नगर, दुर्ग या राजधानी से और जनपद से शेष सारे राष्ट्र से है । राज्य की सात प्रकृतियों में जनपद और दुर्ग (पुर) को इसीलिए अलग-अलग माना गया है ।

पुर (राजधानी) के प्रमुख अधिकारी को नागरिक कहा गया है और उसी प्रकार जनपद की शासन-व्यवस्था का दायित्व समाहर्ता पर निर्भर किया है (अर्थशास्त्र, पृ० ११९) । राजधानी में शांति-सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए कौटिल्य ने नगर में प्रवेश करने वाले नवागंतुक व्यक्तियों की देख-रेख, नगर-रक्षकों की व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी, अभिभय की रक्षा का प्रबन्ध, और नगरवासियों के स्वास्थ्य-लाभ के लिए यथोचित व्यवस्था आदि जितनी भी आवश्यक बातें हैं सन्को ध्यान में रखा है ।

जनपद की स्थापना किस प्रकार की जानी चाहिए, इस संबन्ध में कौटिल्य ने विस्तार से प्रकाश डाला है । जनपद की सबसे छोटी घन्ती को ग्राम और दस ग्रामों के संघटन से संग्रहण नामक राजकीय कार्यालय की स्थापना का निर्देश किया है (अर्थशास्त्र, पृ० ९१) । दस-दस ग्रामों के उक्त क्रम से दो सौ ग्रामों का संघटन करके एक क्षेत्र का निर्माण और उसमें खरवटक नाम की वस्ती (शासन स्थान) बसाये जाने की व्यवस्था दी गई है (अर्थशास्त्र, वही) । फिर चार-सौ गाँवों का संघटन कर उनके शासन के लिए द्राणमुख की स्थापना होनी चाहिए (अर्थशास्त्र, वही) । फिर आठ-सौ गाँवों के बीच पूर्वोक्त विधि से स्थानीय नामक राजकीय कार्यालय का स्थापित करना चाहिए (अर्थशास्त्र, वही) । इसी प्रकार जनपद के सीमान्त पर अंतपालों की संरक्षता में दुर्गों का निर्माण करना चाहिए, जिनसे कि जनपद में शत्रुओं को न आने दिया जाय (अर्थशास्त्र, पृ० १०३) । जनपद की कुछ अंतपाल रहित सीमाओं पर व्याध, शबर, पुलिंद, चाण्डाल और अन्य वनचर जातियों को बसा कर वहाँ की सुरक्षा का भार उन्हीं को सौंप देना चाहिए (अर्थशास्त्र, पृ० ९४) ।

जनपद को ऐसी भूमि में बसाया जाना चाहिए जहाँ नदियाँ, पर्वत, वन

हों; जहाँ अल्पश्रम से ही अधिक उपज की प्राप्ति हो; जहाँ अच्छी-अच्छी खानें, हाथियों के जंगल हों; जहाँ की जल-वायु नागरिकों के स्वास्थ्यलाभ के लिए उपयोगी सिद्ध हो; जहाँ तरह-तरह के पशु हों; जहाँ परिश्रमी किसान हों; जहाँ की प्रजा दण्ड तथा कर को सहन करने की चमत्ता रखती हो। कौटिल्य ने इसको उत्तम जनपद कहा है (अर्थशास्त्र, पृ० ९४-९९)।

दण्ड : समाज के सभी वर्ग, अथ च, समस्त प्रजा अपने-अपने धर्म-पालन में एकनिष्ठ रहे, इसकी देख-रेख का सारा दायित्व राजा पर निर्भर है। अपने-अपने धर्मों का सम्यक् पालन प्रजाजन तभी कर सकते हैं जब उन्हें अपने अधिकारों को भोगने और अपने कर्तव्यों को निबाहने के लिए पूरी सुविधायें प्राप्त हों। समाज निर्वाधित रूप में अपने-अपने धर्मों (कर्तव्यों) के प्रति निष्ठावान् बना रहे, उसको उसके अधिकारों की पूरी सुविधायें सुलभ होती रहें, इसी हेतु न्याय की आवश्यकता हुई।

कौटिल्य जैसे प्रकाण्ड राजनीतिज्ञ ने, जिसके जीवन का अधिकांश भाग राजनीति के क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से बीता, न्याय की दिशा में बहुत ही चारीकी से विचार किया है। न्याय-व्यवस्था को उसने दो भागों में बाँटा है :
(१) व्यवहार और (२) कण्टकशोधन।

नागरिकों के पारस्परिक कलहों के मूल कारणों का पता लगाकर उनकी विवेचना करना और तब निरपेक्ष होकर दोषी को दण्ड तथा निर्दोषी को मुक्ति देना, कौटिल्य की न्याय-स्थापना का यह पहिला व्यवहार पक्ष है। न्याय-व्यवस्था के दूसरे पक्ष का संबंध राज-कर्मचारियों से है; किन्तु उसके अन्तर्गत पूँजीपति और दुर्जन लोगों का भी समावेश किया गया है। अर्थात् राजकर्मचारियों, व्यवसायियों और दुर्जनों के द्वारा प्रजा की किस प्रकार रक्षा की जाय, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कण्टक-शोधन नामक न्याय के दूसरे पक्ष की स्थापना की गयी है।

न्याय-व्यवस्था के लिए कौटिल्य ने जिस व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है वह बहुत ही उपयुक्त बैठता है। आचार्य कात्यायन ने व्यवहार शब्द की निष्पत्ति करते हुए लिखा है वि = नानार्थ; अव = संदेह; और हार = हरण। इस नानार्थ संदेह के हरण याने दूर करने के उपायों का दिग्दर्शन ही व्यवहार के अंतर्गत किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (पृ० ३१३-३१९) में अनेक प्रकार के व्यवहार-मार्गों पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया गया है।

कण्टकशोधन के लिए कौटिल्य ने जो व्यवस्था दी है उससे ऐसा अवगत होता है कि समाज में छोटे-से-छोटे छिद्रों और नितांत परोक्ष रूप में घटित होने वाले शोषणों का उसने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। इन कंटकों की तीन प्रमुख श्रेणियाँ बतायी गयी हैं। पहिली श्रेणी में तो कर्मकार (व्यवसायी), जैसे धोबी, जुलाहे, सुनार, वैद्य; दूसरी श्रेणी में प्रजा को पीड़ित करने वाले दुष्ट जन और तीसरी श्रेणी में राजकर्मचारियों की छट-खसोट, गबन तथा कूटकर्म आदि के लिए व्यवस्था दी गयी है।

न्याय की अवस्थिति दण्ड पर निर्भर है। इस हेतु बृहद् धर्मस्थ अधिकरण में कौटिल्य ने दण्ड-व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कौटिल्य की दण्ड-व्यवस्था को पढ़ कर उसकी तत्त्वग्राही बुद्धि का परिचय तो मिलता है; किन्तु इस उद्देश्य के प्रतिपादन में उसने इतना अधिक समय लगा दिया कि उसके द्वारा कल्पित उस निष्कंटक साम्राज्य की सत्यता पर पाठक को संदेह होने लगता है और दण्ड-ही-दण्ड की एकांत व्यवस्था से वह भयभीत भी हो उठता है।

कौटिल्य की दण्ड-व्यवस्था के प्रमुख तीन अंग हैं : अर्थदण्ड, शरीरदण्ड और कारागारदण्ड। इनमें भी विकल्प दिये गये हैं। दण्ड का पहिला सिद्धान्त अपराध पर आधारित है। जैसा अपराध वैसा दण्ड। फिर अपराधी के सामर्थ्य के अनुसार, अपराधी के ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण के अनुसार, अपराधी की विशेष परिस्थिति के अनुसार, अनेक ढंगों पर दण्ड को निर्धारित किया गया है।

अपराधियों के सुधार और बंदीगृहों की सुव्यवस्था पर भी कौटिल्य ने विचार किया है। बंदी बनाये गये स्त्री-पुरुषों के लिए ऐसे अनेक कार्य सुझाये गये हैं, जिनको सीख लेने के बाद कारामुक्त होने पर वे लाभदायी सिद्ध हो सकें; और अपराध की जो सबसे बड़ी समस्या रोजी-रोटी की रही है, उसकी पूर्ति हो सके।

कौटिल्य का विचार है कि प्रत्येक मनुष्य अरिषड्वर्ग से पराभूत है, इसलिए उसका सर्वदा निर्लिप्त, निर्दोष बना रहना संभव नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष ये छह शत्रु न जाने कब मनुष्य को उद्वेजित करके उसको अधर्म तथा दुराचरण की ओर ले जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति आ गयी तो निश्चय ही समाज में मत्स्यन्याय फैल जायगी; अर्थात् चलवान् निर्बल को निगल जायगा। (अर्थशास्त्र, पृ० १६)

इन्हीं सभ बातों को ध्यान में रखकर दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने धर्म (कर्तव्य) का पालन करे और सदाचार में प्रवृत्त रहे, कौटिल्य की व्यवस्था का यह प्रमुख उद्देश्य है; किन्तु धर्म और सदाचार की अवरोधक प्रवृत्तियों का दमन कैसे संभव हो, इसके लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी। कौटिल्य की यह दण्ड-व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक है। जिस रूप में कि मनुष्य का धर्म बना रहे और समाज में लोक कल्याण के आदर्श प्रतिष्ठित रहें, वैसे विधान में दण्ड की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में कौटिल्य का अभिमत है कि अपराधियों के लिए ऐसा दण्ड निर्धारित होना चाहिए जो कि उद्वेगकर न हो; मृत्युदण्ड से प्रजा दण्ड देने वाले का ही तिरस्कार करने लगती है; उचित दण्ड ही कल्याणकर होता है; भली-भाँति विचार करके निर्धारित किया गया दण्ड प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में लगाये रखता है; ईर्ष्या, द्वेष और अज्ञान के द्वारा अविचारित दण्ड जीवनमुक्त वानप्रस्थों और परित्राजकों तक को कुपित कर देता है; फिर भला गृहस्थ लोगों के संबंध में तो उसकी कल्पना करना भी भयावह है। (अर्थशास्त्र, पृ० १६)

कौटिल्य के मतानुसार दण्ड का बहुत बड़ा स्थान है; क्योंकि आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड, इन चारों विद्याओं में दण्डनीति ही एक ऐसी बलवती विद्या है, जिसके द्वारा शेष तीनों विद्याओं का सुविधापूर्वक संचालन किया जा सकता है। (अर्थशास्त्र, वही) वस्तुतः कौटिल्य की दण्ड-व्यवस्था की योजना का संपूर्ण आधार लोककल्याण और लोकरक्षा के निमित्त जान पड़ता है।

वर्णाश्रम व्यवस्था

प्राचीन ग्रंथों का अनुशीलन करने पर हमें तत्कालीन जन-समुदाय तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त हुआ मिलता है : क्षत्र (योद्धा), ब्रह्मण (पुरोहित) और विश (श्रमिक)। क्षत्र लोग समाज के नेता, शासक, राजा एवं सरदार रहे; ब्रह्मण अपनी बौद्धिक शक्ति के कारण राजा के सचिव, न्यायाधीश तथा धार्मिक नेता या अनुशासक के पदों पर अधिष्ठित थे, और विश वर्ग के लोग कृषक, व्यापारी के रूप में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग-धंधों के द्वारा संपत्ति का उपार्जन करते रहे। जन-समूह का यह त्रिविध वर्ग-भेद जब तक श्रम-विभाजन की दृष्टि से अपने कर्तव्यों में ईमानदार बना रहा तब तक तो उसने अच्छी उन्नति की; किन्तु जब वह अधिकार-लिप्सु तथा शोषक बन कर शेष समाज की उपेक्षा करने लगा तो स्वभावतः उसके पतन की भूमिका तैयार होने लगी थी। उनकी इन पतनोन्मुख स्थितियों एवं प्रवृत्तियों पर प्रकाश

ढालने से पूर्व यहाँ भारत की कुछ प्राचीन आदिम मूल जातियों का उल्लेख करना आवश्यक समझा जा रहा है ।

ऋग्वेद (५।७९।१२९।३; ६।४६।७) में जिन पाँच भूमियों (पच-क्षिति) का उल्लेख किया गया है, वे पाँच भूमियाँ वस्तुतः उन पाँच नदियों के आस-पास की भूमियाँ थीं, जिनके कारण पंचनद का नाम इतिहास में देखने को मिलता है । इन पाँच भूमियों में बसने वाले एक ही स्तर के लोग धीरे-धीरे पाँच विभिन्न जातियों में (पंचजन, ऋक् ६।११।४; ६।५१।११; ७।३२।३२, ९।६५।३२) में बँट गयीं, जिनकी आजीविका खेती थी और इसीलिये जिन्हें पाँच कृषि-जीवियों (पंच कृषिवी : ऋक्—२।२।१०, ४।३८।१०।२) के नाम से स्मरण किया गया । ये पाँच जातियाँ आरंभ में बड़ी उद्योगी थीं और नदियों के उर्वर तटों पर कृषि एवं चरागाह के द्वारा जीविकोपार्जन किया करती थीं, इन्हीं के द्वारा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की व्यापक सभ्यता का निर्माण हुआ (मैक्समूलर : इंडिया : हाट कैन इट टीच अस, पृ० ९५, ९६, १८९९) । पाँच आर्य परिवारों के परिचायक पुरुष, तुर्वस्, वेदस्, अनुस् और द्रुह्यस्, इन्हीं पाँच जातियों के प्रतीक थे ।

ये पाँच जातियाँ अपने व्यावसायिक विभेदों के कारण पाँच वर्णों में विभक्त हो गये थे, जिनके नाम थे : भंन्यी, योद्धा, व्यापारी, दास और काले चमड़े वाले । लंबी अवधि तक इन जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह और सहभोज की स्थिति बनी रही । किन्तु काले चमड़े वाले आर्यों ने जब यहाँ के मूल निवासी दस्युओं (दासों) के साथ सेवक भावना का आचरण करना आरंभ किया और वंश, जन्म, जाति आदि की प्रमुखता स्वीकार की जाने लगी तो सहभोज तथा अंतर्जातीय विवाहों की परंपरा तो जाती ही रही, वरन् उनके बीच गहरी खाई भी पड़ने लग गयी थी ।

ऐसा प्रतीत होता है कि जातियों के जन्मना निर्णय करने का सिद्धांत पुराणकाल तक स्वीकृत नहीं हुआ था (विष्णुपुराण, खंड ३ अध्याय ८) । जातक कथाओं (उद्दालक ४।२९३, चाण्डाल ४।३८८, सतकलम्म २।८२, चित्त संभूत ४।३९०) तथा अन्य बौद्ध ग्रंथों (जे० आर० ए० एस पृ. ३४९, १८९४) से यह बात स्पष्ट होती है कि जातियों की उच्चता तथा निम्नता का निर्णय बौद्धिक समता के आधार पर था । उदाहरण के लिये विश्वामित्र ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी अपने उच्चत कर्मों और ऊँची प्रतिभा के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था । लेकिन चारों वर्णों की भिन्नता का

सिद्धांत बहुत पहिले ही से चला आ रहा था (आर० सी० मजूमदार : कारपोरेट लाइफ इन पैंशिपंट इंडिया, पृ. ३६४) ।

अपनी चतुराई और बुद्धि के प्रभाव से ब्राह्मणों ने धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी । यद्यपि वे शासक नहीं रहे, फिर भी पुरोहितों सचिवों, न्यायाधीशों के सारे शासन-संचालन संबंधी अधिकार उन्हें प्राप्त थे और उन्होंने ही चारों वर्णों के लिये एवं आश्रम संबंधी व्यवस्था के लिए नियम भी बनाये ।

श्रम के इस वंशगत विभाजन के कारण समाज में अनेक जातियाँ पनपने लगी थीं । भारत की पुरातन समाज-व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक दृष्टि से भले ही उसने अनेक पराजय देखे थे, किन्तु घोर आपत्ति और कठिन संकट में भी एकता की भावना को उसने खोया नहीं । अनेक श्रेणियों, वर्गों, वर्णों, जातियों, भाषाओं और धर्मों के बावजूद भी भारतीय जनता की नैतिक तथा बौद्धिक शक्ति कभी भी क्षीण नहीं हुई ।

कौटिल्य ने वर्णाश्रम की व्यवस्था से मर्यादित समाज को सुखकर और मुक्तिदायी बताया है । यह मर्यादित वर्णाश्रम-व्यवस्था अपने-अपने धर्म के पालन में बताई गई है (अर्थशास्त्र, पृ० १७) ।

वर्णाश्रम की व्यवस्था का महत्त्व हिन्दू समाज में लगभग अनादि है । प्राचीन भारत में व्यष्टि और समष्टि के क्रिया-क्षेत्रों को एक दूसरे से भिन्न माना गया है; किन्तु उनकी पूर्णता पारस्परिक समन्वय में ही बताई गई है । कुछ व्यक्तिगत नियम ऐसे हैं, जिनका पालन करके या जिनको जीवन में उतार कर व्यक्ति अपना उत्थान कर स्वयं को इस योग्य बना पाता है कि वह दूसरे का या सारे मानव समाज का उत्थान कर सके । व्यक्ति और समष्टि के उत्थान हेतु प्राचीन भारत में जो नियम-निर्देश निर्धारित किये गये थे, उन्हीं को वर्णाश्रम नाम दिया गया ।

वर्ण-व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति को सामूहिक हित-चिंतना की ओर ले जाता है, जब आश्रम-व्यवस्था उसको व्यक्तिगत उन्नयन की ओर आकषित करती है, जिससे कि तप तथा त्याग के द्वारा वह अपने कलुषों एवं असन्तोषों को भस्म कर स्वयं को इस योग्य बना पाता है कि समाज के अभ्युदय में वह उपयोगी सिद्ध हो सके ।

वर्णाश्रम-व्यवस्था की इसी मर्यादा को कौटिल्य ने अपनाया है और उसी के कल्याणमय स्वरूप को उन्होंने यों रखा है ।

गृहस्थ-जीवन के दायित्व से निवृत्ति प्राप्त करने के संबंध में हमारे पूर्वाचार्यों ने विशेष नियम निर्धारित किए हैं। सामान्यतया गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों से ५० वर्ष की आयु के बाद छुटकारा पाया जा सकता है; किन्तु उससे पूर्व कुछ अनिवार्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक बताया गया है। मनु (६।१) ने कहा है कि 'द्विज को चाहिए कि दृढ़ प्रतिज्ञ होकर इंद्रियों को वश में करके वह वन में निवास कर सकता है।' साथ ही उसने अवकाश ग्रहण करने के संबंध में कहा है (६।२) कि 'जब शरीर की त्वचा में सिकुडन पड़ जाय और बाल-फूलने लगें, तब उस व्यक्ति को गृहस्थ से अवकाश ले लेना चाहिए'। (अर्थशास्त्र, पृ० ९७) ने कहा है कि 'जो व्यक्ति मैथुन-भोग्य-अवस्था को पार कर जाता है, वह अपनी संपत्ति का सम्यक् वितरण करके साधु हो सकता है।'

सन्यास या वानप्रस्थ जीवन ग्रहण करने से पूर्व एक बात यह भी कही गई है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने पुत्र के पुत्र को नहीं देख लेता, वह अवकाश ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। इसका भाशय यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुत्र को इस योग्य बना देना चाहिए कि वह पग्वार और समाज की भलाई के लिए गृहस्थ के कर्तव्यों का भार वहन के सर्वथा योग्य हो सके। कौटिल्य ने इस शर्त का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया है और कहा है 'यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के भरण-पोषण का प्रबंध किए बिना तपस्वी का जीवन ग्रहण कर लेता है तो वह दण्ड का भागी है।'

समाज और परिवार की उन्नति को दृष्टि में रखकर अपने कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वाह करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति वानप्रस्थ और उसके बाद पवित्र संन्यास-जीवन धारण कर सकता है। हिन्दुओं की धर्म-व्यवस्था में वैयक्तिक आत्मोन्नति की कामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक बताया गया है कि पहिले वह नैतिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन की मंजिलों को क्रमशः पार कर उसके बाद वानप्रस्थ या संन्यास का ऊँचा जीवन बिता सकता है।

समाज की अभ्युन्नति और जीवन में सदाचार एवं नैतिकता बनाये रखने के लिए हिन्दुओं की धर्म-व्यवस्था में आदि से ही विवाह को एक श्रेष्ठ आदर्श के रूप में ग्रहण किया गया है। हिन्दुओं के धर्मग्रन्थों में विवाह के लिए भिन्न गोत्र की व्यवस्था पर बड़ा जोर दिया गया है, जिसके फल-

स्वरूप पति और पत्नी के विभिन्न रक्तों (गोत्रों) का संमिश्रण होकर अच्छी संतति को पैदा किया जा सके। इस व्यवस्था ने समाज में विभिन्न परिवारों को संघटित करने में बड़ी सहायता की। विवाह के लिए सम-स्वभाव के दम्पती को ही आवश्यक बताया गया है। सम-स्वभाव अर्थात् ऐसे परिवार जो व्यवसाय, आर्थिकस्तर, धर्म और विचारों में एकता रखते हों। एकता की इसी भावना ने पहिले तो विच्छिन्न व्यक्ति-समूहों को कुछ विशिष्ट जातियों में एकत्र किया और बाद में भी उन्हीं संघटित जातियों के द्वारा बृहद् राष्ट्र की नींव पड़ी।

न्याय और व्यवस्था

प्राचीन भारत की राज्य-व्यवस्था में धर्म का सर्वोच्च स्थान रहा है। समाज के सभी वर्ग और सारी कार्य-प्रणाली के मूल में धर्म के नीति-निर्देश समन्वित थे। समाज का सबसे बड़ा व्यवस्थापक राजा भी धर्म के बन्धन से इस प्रकार बंधा था कि इस दिशा में कोई संस्कार-संशोधन करने का उसे कोई अधिकार ही नहीं था। धर्मसूत्रों और मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में राजा को धर्म का ही एक अंग माना गया है। हिन्दू राज्य-व्यवस्था में जिस युग में राजा को सभी अधिकार प्राप्त थे तब भी राजा से धर्म को उच्च स्थान प्राप्त था। मनुस्मृति में तो राजा को अर्थदण्ड देने तक की बात कही गई है (८।३३६)। अर्थशास्त्र में तो राजा को इतनी छूट दी गई है कि वह कानून बना सकता है; किन्तु धर्मशास्त्र में वह बात भी नहीं है। किन्तु अर्थशास्त्र (अर्थशास्त्र, पृ० ३१८) में साथ ही यह भी कहा गया है कि राजा ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो धर्म के विरुद्ध हो और जिससे राजा को मनमाना अधिकार प्राप्त हो सके।

प्राचीन भारत में, जब कि हिन्दू-शासन-प्रणाली सर्वथा एक राजत्व पर आधारित थी, न्याय-विभाग, शासन-विभाग से अलग रखा जाता था। उस समय राजनीति के प्रकाण्ड विद्वान् तथा श्रेष्ठ नैतिक आचरण वाले पुरोहित, राजनीतिज्ञ और ब्राह्मण लोग मंत्री नियुक्त किये जाते थे और वही न्यायाधीश भी हुआ करते थे। धर्म-संबंधी सारी शासन-व्यवस्था पुरोहितों के हाथ में थी। उस पुरोहित न्यायाधीश पर राजा का कोई अंकुश नहीं होता था।

इस प्रकार की कानूनी अदालत का नाम सभा था, जिसमें न्यायाधीशों की सहायता के लिए समाज के लोगों की एक स्वतन्त्र संस्था भी हुआ

करती थी। मनु के मतानुसार तीन पंच, न्यायाधीशों की सहायता के लिए हुआ करते थे (मनुस्मृति ८।१०) और जो कानून पारित किया जाता था उसका ठीक तरह से अर्थ बताने के लिए एक विद्वान् ब्राह्मण हुआ करता था (७।२०)। किन्तु कौटिल्य ने लिखा है कि न्याय-व्यवस्था का सारा भार राज्य के धर्मशास्त्रविद् तीन सदस्यों और तीन अमात्यों के ऊपर निर्भर होना चाहिए।

मुकदमों की निष्पत्ति जाँच हो और न्याय की दिशा में किसी प्रकार का दोष न आने पावे, इसका निरीक्षण करने के लिए वृद्धों की व्यवस्था थी। ये वृद्ध आजकल के ज्यूरियों जैसे थे। इस प्रकार के लगभग ७, ५ या ३ ज्युरी होते थे (शुक्रनीतिसार ४।५।३६-२७)। राजा अपना परिषद् के साथ मुकदमा सुनता था, जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी हुआ करते थे। किसी भी मामले की अपील करने के लिए उच्च न्यायालय होता था (नारद, प्रस्ता० १।७; बृहस्पति १।२९; याज्ञवल्क्य २।३०)। जिन मुकदमों को राजा सुनता था, उनका फैसला वह अपनी परिषद् तथा जजों के परामर्श से करता था। सभी न्यायों का निर्णय राजा के नाम से होता था।

उच्च न्यायालय के सर्वप्रधान न्यायाधीश को प्राड्विवाक कहा जाता था। वही न्याय-विभाग का मंत्री भी हुआ करता था। धर्मशास्त्र विभाग का अलग मंत्री था, जिसको पंडित (धर्माधिकारी) कहा जाता था। दोनों के कार्य अलग-अलग थे। न्याय की दिशा में प्राड्विवाक का कार्य ज्युरी का बहुमत जानकर धर्म या कानून के अनुसार यह बतलाना होता था कि अभियुक्त वास्तव में दोषी है कि नहीं, और तब उसके वाद राजा को परामर्श देना था। 'पंडित' या धर्माधिकारी का यह कार्य होता था कि लोक में जिन-जिन धर्मों का व्यवहार किया जा रहा है वे धर्मशास्त्रसंमत हैं या नहीं और तब राजा से वह ऐसे कानून बनवाने की सिफारिश करता था जो लोक को हितकारी सिद्ध हों।

इस प्रकार न्याय और व्यवस्था की दृष्टि से राजा सर्वदा ही प्राड्विवाक और धर्माधिकारी के अधीन हुआ करता था। समाज में जहाँ भी जिस दिशा में ऐसी आशंका होती कि धर्म और न्याय के द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ के लिये वह प्रजा को इस बात के लिए सावधान करता था कि वह प्राड्विवाक तथा धर्माधिकारी की आज्ञाओं पर चले।

न्याय-व्यवस्था की शरण में जाने या मुकदमों के लिए मनु ने १८ कारण गिनाये हैं (मनुस्मृति ८।४-७) जिनके नाम हैं : ऋण और धरोहर का

भुगतान न करना; बिना स्वामित्व का विक्रय करना; साक्षीदारों के संबंध में राइबड़ी हो जाना; दान दी हुई वस्तु को पुनः वापिस लेना; पारिश्रमिक का भुगतान न करना; समझौतों को भंग करना; क्रय-विक्रय की व्यवस्था का उल्लंघन करना; स्वामी तथा भृत्य के बीच विवाद पैदा होना; सीमा संबंधी अड़चन का उपस्थित होना; किसी को मारना; किसी का अपमान करना; किसी की चोरी करना; हिंसा तथा व्यभिचार करना; वैयक्तिक कर्तव्यों को न निभाना; पैतृक संपत्ति के बँटवारे में मतभेद हो जाना; और जुआ तथा पांसा आदि खेलना ।

इस प्रकार के किसी भी विवाद के उपस्थित हो जाने पर कौटिल्य का कहना है कि न्यायाधीश को चाहिये कि वह किसी भी वादी-प्रतिवादी को न धमकाये; या अपमान करे; या न्यायालय से बाहर निकाले । किसी मामले में व्यक्तिगत दबाव नहीं डालना चाहिए । मुकदमे का लेखक वादी-प्रतिवादी के बयानों में न तो अस्पष्ट बयानों को टाले और न ही स्पष्ट कही हुई बातों को अन्यथा या संदिग्ध रूप में लिखे । प्रधान न्यायाधीश का कर्तव्य था कि वह प्रत्येक निर्णीत मुकदमे का पुनर्निरीक्षण करे और उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह से देखे । न्याय की प्रभावशाली व्यवस्था का परिचय हमें कौटिल्य के उस वाक्य से मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि “जब राजा किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड देता है तो उस किए गए अर्थदण्ड का तीस गुना द्रव्य राजा को वरुण देवता के निमित्त जल में फेंकना पड़ता है, जो कि बाद में ब्राह्मणों में बाँट दिया जाता है (अर्थशास्त्र, पृ० ४७९)। इससे पता चलता है कि पूरी सावधानी रखने के बावजूद भी न्याय में त्रुटि रह जाने की संभावना थी और राजा तक उस सर्वोच्च न्याय-व्यवस्था से नियमित था । अर्थशास्त्र में उद्घृत अपराधों और अपराधियों की सूची को देखकर पता चलता है कि न्याय की दिशा में कौटिल्य के विचार कितने परिष्कृत और कितने ठोस थे ।

कौटिल्य की कानून-व्यवस्था के अनुसार राज्य के सभी व्यक्ति एकसमान माने गये हैं । यहाँ तक कि जिस ब्राह्मण के प्रति पक्षपात का दोषारोपण किया जाता है, अपराध के आगे वह भी अन्य जातियों के समान दण्डभागी माना गया है । स्वयं राजा के लिये दण्ड-व्यवस्था निर्धारित करके कौटिल्य की न्याय-व्यवस्था में जनतंत्र की भावना को सर्वोपरि स्वीकार किया गया है । एक सामाजिक व्यक्ति का परिवार के प्रति, माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र, शासक, शासित, नौकर, श्रमिक, व्यापारी, कलाकार, धोबी, ग्वाला और ग्राहक आदि के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी भी व्यापक व्याख्या कौटिल्य ने की है ।

बलात्कार, व्यभिचार जैसे सामाजिक तथा नैतिक पतन के कार्यों के लिए कौटिल्य ने कठोर दण्ड निर्धारित किये हैं। चरित्र संबंधी ऊँचाई के लिए कौटिल्य की न्याय-व्यवस्था बड़ी ही उपयोगी है।

राज्य की आर्थिक आय के साधन

कौटिल्य की साम्राज्य-व्यवस्था का आर्थिक ढाँचा औद्योगिक आधार-भूमि पर खड़ा है। कौटिल्य की अर्थ-नीति के प्रमुख सिद्धांत तीन हैं। पहिले सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे उद्योगों (Industries) को रखा गया है, जिन पर राज्य का स्वामित्व हो और जो राज्य के द्वारा ही संचालित एवं संघटित हों। इन उद्योगों की पूँजी (Capital), श्रम (Labour) और प्रबंध (Management) का दायित्व राज्य पर ही निर्भर रहे। इस प्रकार की औद्योगिक अर्थनीति का परोक्ष उद्देश्य एक सशक्त, आत्म-निर्भर और सर्वसाधनसंपन्न राज्य की प्रतिष्ठा करना था। इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण उद्योगों (Key Industries) में सोना, चाँदी, शिलाजीत, ताँबा, शीशा, टिन, लोहा, मणि, लवण आदि आकर उद्योगों (Industry of mines) का प्रमुख स्थान है।

दूसरे प्रकार के उद्योगों का संबंध जनता से है। इस श्रेणी के उद्योग राज्य के नागरिकों की निजी संपत्ति (Private Property) के रूप में माने गये हैं। उनके संघटन, संचालन और पूँजी, श्रम एवं प्रबंध का दायित्व भी नागरिकों पर ही निर्भर है। उन पर जनता का ही पूर्ण स्वामित्व है। ऐसे उद्योगों में खेती, सूत, शिल्प, गोपालन, अश्वपालन, हस्तिपालन, सुरा, मांस, वेश्यालय और नट-नर्तक गायक-वादक आदि की गणना की जा सकती है।

कौटिल्य की अर्थनीति का तीसरा सिद्धांत समाज में ऐसी सुव्यवस्था बनाये रखने से संबद्ध है, जिसके अनुसार राज्य के समस्त उत्पादन (Production), वितरण (Distribution) और उपभोग (Consumption) पर शासन-सत्ता का नियंत्रण बना रहेगा।

उक्त सभी उद्योगों तथा व्यवसायों पर राज्य का स्वामित्व (State Ownership) इसलिए माना गया है कि राज्य का अर्थबल सशक्त बना रहे और समाज के सभी वर्ग क्रियाशील बने रहें।

धर्म, दर्शन, काव्य, कला और अर्थ आदि साहित्य के जितने भी अंग हैं उनमें धर्म-अर्थ-काम एवं मोक्ष, इस वर्गचतुष्टय की उपयोगिता पर अनेक प्रकार से विचार किया गया है। अर्थशास्त्र, क्योंकि ऐहिक जीवन से संबद्ध क्रिया व्यापारों की ही विवेचना प्रस्तुत करता है, अतः उसमें मोक्ष को छोड़कर

त्रिवर्ग के संबंध में ही प्रकाश डाला गया है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का पारस्परिक संबंध बताते हुए कौटिल्य ने यह स्वीकार किया है कि उनमें प्रमुखता अर्थ की है और शेष दोनों धर्म तथा काम, अर्थ पर ही निर्भर हैं। इसी लिए त्रिवर्ग की समुचित उपलब्धि के लिए अर्थ की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। यही अर्थ जब राज्यकर के रूप में या रक्षा के पुरस्कार हेतु अथवा सेवा के प्रतिदान के निमित्त शासन को प्राप्त होकर एक संरक्षित स्थान पर एकत्र कर रखा जाता है तब उसी को राजकोष के नाम से कहा जाता है।

राष्ट्र की समुन्नति और सुरक्षा के निमित्त जितने भी उपाय तथा साधन बताये गये हैं उनमें कोष का प्रमुख स्थान है। इसी हेतु कोष-विभाग के कर्मचारियों से लेकर कोष की सुरक्षा, उसकी वृद्धि के उपाय, उसकी आय के साधन और उसके क्षय के कारणों पर कौटिल्य ने बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया है।

अर्थ-विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को समाहर्ता कहा गया है। वह समाज के विभिन्न वर्गों पर, राष्ट्र की विभिन्न वस्तुओं पर, गाँवों, नगरों तथा घरों पर, व्यावसायियों तथा शिल्पियों पर और भूमि पर जो राज्यांश निर्धारित है उसका संचय करता है तथा उसका पूरा ड्यौरा अपनी निबंध-पुस्तक (Sealed Registers) में अंकित रखता है।

अर्थ-विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों में सन्निधाता (भंडारों का अधिकारी), स्थानिक (जनपद के चतुर्थांश का अधिकारी), गोप (गाँवों का अधिकारी), प्रदेष्टा (स्थानिक तथा गोप का सहायक अधिकारी) अक्षपटलाध्यक्ष (अकाउंट जनरल), कोषाध्यक्ष, अर्थकारणिक (मुख्य अकाउंटेंट) कार्मिक (अर्थकारणिक का अधीनस्था कर्मचारी), गाणनिक्य (जिलों का हिसाब-किताब रखने वाले कर्मचारी), सांख्यानक (गणना करने वाले), लेखक (क्लर्क), नीवीग्राहक, गोपालक, अपयुक्त, निधानक, निबंधक, प्रतिग्राहक, दायक और मंत्रिवैयावृत्यक आदि का नाम उल्लेखनीय है।

राजकोष के संचय के साधनों में, जिन्हें कि कौटिल्य ने आयशरीर कहा है, दुर्ग, राष्ट्र, खान, सेतु, वन, व्रज और वणिक्पथ प्रमुख हैं।

राज्य की आर्थिक अवस्था पर ही उसकी उन्नति के सभी जरिये निर्भर हैं। इसलिये राजकोष के उक्त आय-स्रोतों के अलावा अर्थदण्ड संबंधी पौतव कर (नाप तौल का कर), नागरिकों द्वारा प्राप्त राज्यांश, कृषिकर, उपज का

अंश, बलि कर, धार्मिक कर, वणिक् कर और व्यावसायिक वस्तुओं के आयात-निर्यात से जो आमदनी होती थी उसको भी राजकोष में जमा कर दिया जाता था ।

राजकर

हिन्दुओं की राज्य-व्यवस्था के इतिहास में राजकर का मौलिक महत्त्व माना गया है । क्योंकि राजकर का संबंध प्रजा से होता था, इस दृष्टि से राजकर को निर्धारित करने के सारे नीति-नियम यद्यपि धर्म-ग्रन्थों द्वारा निर्धारित किये जाते थे, तथापि उसको लागू करने से पूर्व उस पर समाज की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता था । इस प्रकार धर्मशास्त्र द्वारा निर्धारित और समाज द्वारा स्वीकृत जो राजकर होता था, शासन-व्यवस्था चाहे जैसी भी रहे, किन्तु राजकर के नियमों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आने पाता था । यही कारण था कि राजकर के संबंध में राजा-प्रजा के बीच कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ । कई ग्रंथों में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि राजकर के संबंध में जो धर्म द्वारा प्रतिपादित नियम थे उनका अतिक्रमण करने का साहस बड़े-से-बड़े शासक भी नहीं कर सके थे ।

अर्थशास्त्र के एक प्रसंग (अर्थशास्त्र, पृ० ५०५-५१०) में कहा गया है कि सेल्युकस के आक्रमण के समय जब प्राप्त राजकर से कार्य न सध पाया था तो चन्द्रगुप्त के महामात्य कौटिल्य ने प्रजा से धन संग्रह करने में अपना सारा बुद्धिबल लगा दिया था । इसके लिए उन्हें बड़े विलक्षण उपायों का आश्रय लेना पड़ा था । अंत में चन्द्रगुप्त ने अपनी प्रजा से अनुग्रह की भिन्ना मांगते हुए कहा था 'आप लोग मुझ पर अपना प्रेम सूचित करने के लिए धन दें ।' उसने इस विपत्ति से रक्षा के लिए देव-मंदिरों तक से धन वसूल किया था ।

राज्य की सारे आय-व्यय पर मंत्री-परिषद् का अधिकार होता था । राजा और राजकर के संबंध में महाभारत (शांति० ७१।१०) एक सुन्दर प्रसंग उपस्थित करता है । उसमें लिखा है कि 'षष्ठांश बलिकर (आयात-निर्यात), अपराधियों से मिलने वाला जुरमाना और उनके द्वारा अपहृत धन, जो कुछ भी न्यायतः प्राप्त हो, वह सब तुम्हारे वेतन के रूप में होगा; और वही तुम्हारी आय के द्वार या राजकर होगा ।' नारदस्मृति (१८।४८) में लिखा हुआ है कि 'राजाओं को पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार जो धन प्राप्त हो और भूमि की उपज का जो षष्ठांश प्राप्त हो, वह सब राजकर होगा;

और प्रजा की रक्षा करने के पुरस्कार स्वरूप वह राजा को मिलेगा ।' अपनी रक्षा के फलस्वरूप प्रजा, का प्रतिनिधि पुरोहित राज्याभिषेक के समय राजा से यह कहता था कि 'हम तुम्हारे निर्वाह के लिए तुम्हारा उचित अंश (भाग) तुम्हें दिया करेंगे' (शुक्रनीतिसार १।१८८) ।

इन सभी उल्लेखों से हमें राजकर की सुव्यवस्था के संबंध में कितनी आस्थापूर्ण विचारधारा का पता लगता है ।

राजकर संबंधी नियमों के प्रसंग में दूसरी अनेक बातों के अतिरिक्त महाभारत (१२।८८।४) में एक महत्त्व की बात यह कही गयी है कि 'राजकर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा पर भारस्वरूप सिद्ध न हो; राजा को अपना आचरण उस मधुमक्खी के समान रखना चाहिए जो वृक्षों को बिना कष्ट पहुँचाये उनसे मधु एकत्र करती है।' (अर्थशास्त्र, पृ० ५११) कुछ निरर्थक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि 'जो वस्तुएँ राष्ट्र के लिए दुःखदायक हों; जो निरर्थक और केवल शौक के लिए हों; उन पर अधिक कर लगा करके उनका आयात कम करना चाहिए (अर्थशास्त्र, पृ० ५०२-५११) । इनके अतिरिक्त कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जिनका निर्यात वर्जित था और देश में जिनका अधिक आयात करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था; यथा अस्त्र-शस्त्र आदि; धातु; सेना के काम में आने वाले रथ आदि; अप्राप्य या दुर्लभ पदार्थ; अनाज; और पशु आदि; (अर्थशास्त्र वही) । कुछ अवस्थाओं में विशेष कर लगाने का भी नियम था । इस संबंध में कहा गया है कि जो लोग विदेश से अच्छी सुरायें आदि लाते थे अथवा घर में भरिष्ट आदि बनाते थे उन पर इतना अधिक कर लगाया जाता था जिससे राज्य में विक्राने वाली ऐसी चीजों की कम बिक्री का हरजाना निकल आये (अर्थशास्त्र वही) ।

आधुनिक समाजवाद

अठारहवीं शताब्दी के जितने भी महान् दार्शनिक हुए उन्होंने भी संसार की सारी वस्तुओं को विवेक की कसौटी पर परखा ।

आधुनिक समाजवाद की उत्पत्ति में प्रमुख दो कारण हैं : एक तो पूँजी-पतियों तथा श्रमिकों का श्रेणी-विरोध और दूसरा उत्पादन में व्याप्त अराजकता । बुद्धि और तर्क के द्वारा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना ही समाजवादी क्रांति को जन्म देने वाले, महापुरुषों का ध्येय रहा है । समाज और राज्य का जो बारीपन था, परम्परा की जो रूढ़ियाँ

थी, अंधविश्वासों की जो मिथ्यायें थीं, उनकी जगह सच्चाई, प्रकाश, न्याय और समानता ने ले ली थी। समाजवाद के अभ्युदय का यह अठारहवीं शताब्दी का स्वरूप था। इस नयी क्रांति के बाद पहिले तो उस समय के सामन्ती ठाकुरों तथा पूंजीवादियों के बीच संघर्ष हुआ और इसी बीच शोषकों तथा शोषितों का संघर्ष भी जारी था। यह संघर्ष था पूंजीवादी वर्ग का और मजदूर वर्ग का (फ्रेडरिक एंगेल्स, समाजवाद : वैज्ञानिक और कार्यात्मिक, पृ० ९)।

१८वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाजवादी क्रांति के पोषक हुए मोरेली, मैवलीकी, सेंट साइमन, फूरिये और ओवेन। इनमें सेंट साइमन का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। फ्रांसिसी क्रांति के समय यद्यपि उसकी अवस्था तीस साल से भी कम थी, फिर भी उसका दृष्टिकोण इतना व्यापक और व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली था कि उसके बाद जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके विचारों में जितनी बातें देखने को मिलती हैं उन सबका मूल साइमन की रचनाओं में है।

फूरिये ने सामाजिक विकास के पूरे इतिहासको जांगल, बर्बर, पितृसत्तात्मक और सभ्य—इन चार भागों में विभक्त किया है। अपने समसामयिक दार्शनिक हीगेल की ही भाँति फूरिये ने भी द्वन्द्ववाद की प्रणाली का आश्रय लेकर यह दर्शाया है कि अंत में जाकर मनुष्य जाति का भी नाश हो जायगा। उसने पूंजीवादी प्रवृत्तियों के समर्थक लेखकों की बड़ी खिन्नी उड़ाई है। वह एक सिद्धहस्त व्यंग्यकार भी था और उसने तत्कालीन समाज में व्याप्त धोखेवाजी तथा व्यावसायिक मनोवृत्ति का बड़ा ही सजीव रूप उतारा है (वही, पृ० १६)। फूरिये के विचारों के अनुसार समाज की उक्त बुराइयों को सुधारने का महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किया रावर्ट ओवेन ने। उसने समाज का पूर्ण साम्यवादी ढंग से संघटन की दिशा में भी यत्न किया (वही, पृ० २०)।

अब तक समाजवाद का उद्देश्य था एक दोषरहित समाज-व्यवस्था का निर्माण करना; किन्तु अब उसका उद्देश्य हो गया है पूंजीपति और मजदूर वर्गों के और उनके पारस्परिक संघर्षों के आर्थिक घटनाक्रमों के इतिहास का अध्ययन करना। इस समीक्षित सिद्धांत के द्वारा यह पता लग सका है कि अतीत का सारा इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है और वर्गों के उदय के मूल में एक मात्र कारण रही हैं आर्थिक परिस्थितियाँ (वही, पृ० २७-२८)।

अब तक दार्शनिकों ने इतिहास को अतिभौतिकवादी, द्वंद्ववादी, आदर्श-

वादी ढंग से परखने का यत्न किया और यह स्वीकार किया कि मनुष्य की चेतना ही उसकी सत्ता का आधार रही है; किन्तु अब भौतिकवादी ढंग से इतिहास की गवेषणा करने पर यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य की सत्ता को उसकी चेतना का आधार प्राप्त है। अब आवश्यकता इस बात को दिखाने की है कि ऐतिहासिक विकास की एक निश्चित अवस्था में पूँजीवाद का उत्पन्न होना अनिवार्य है; और इसलिए उस अवस्था के परिपक्व हो जाने पर उसका पतन भी निश्चित है।

इतिहास-संदर्धी इस भौतिकवादी धारणा का महान् आविष्कारक था मार्क्स। मार्क्स ने यह सिद्ध किया है कि उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का विनिमय ही समाज-व्यवस्था का आधार रहा है। इस आधार पर सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक क्रांतियों का पता लगाने के लिए हमें न तो सत्य, न्याय एवं विचारों की खोज करनी चाहिए; बल्कि यह देखना चाहिए कि उस युग की उत्पादन तथा विनियम-प्रणाली में क्या-क्या परिवर्तन हुए। यह एक बहुत बड़ा सत्य अर्थशास्त्रियों ने खोज निकाला है कि किसी युग की ठीक परिस्थितियों का सही ज्ञान, उस युग की दार्शनिक विचारधारा से प्राप्त न होकर उस युग की आर्थिक परिस्थितियों से उपलब्ध हो सकता है।

उत्पादन और विनिमय का तुमुल संघर्ष आज भी पूरी शक्ति पर है। भारत जैसे देश में, जहाँ कि समाजवादी व्यवस्था का आगमन एक नये युग के समान माना जायगा और जिसके आगमन की माँग दिनों-दिन बढ़ रही है, उत्पादन तथा विनिमय का माध्यम बहुत ही असंतुलित है। इस असंतुलन एवं असंगति को दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि :

“सर्वहारा वर्ग राजसत्ता पर अधिकार कर ले। इस सत्ता के सहारे उत्पादन के साधनों को पूँजीवादियों के दुर्बल हाथों से छीन करके उन्हें सार्वजनिक संपत्ति बना दिया जाय। इस कार्य द्वारा उत्पादन के साधनों को पूँजी के बंधनों से वह मुक्त कर देगा और अपने सामाजिक स्वरूप की प्रतिष्ठा करने का उन्हें सुवसवर देगा। उस अवस्था में समाज का उत्पादन पहिले से बनी योजना के अनुसार संभव हो सकेगा। उत्पादन का विकास हो जाने से समाज में विभिन्न वर्गों का अस्तित्व अनावश्यक और निरर्थक बन जायगा। जैसे-जैसे सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र से अराजकता दूर होगी, वैसे-ही-वैसे राज्य का राजनीतिक अधिकारों का भी अंत हो जायगा। मनुष्य अपने सामाजिक संघटन का स्वामी बन जायगा; अतः वह प्रकृति का

और अपने आपका भी स्वामी बन जायगा ! इतिहास में पहिली बार मनुष्य पूर्णतः स्वतन्त्र होगा ।” (वही, पृ० ४८)

एंगेल्स के अतिरिक्त मार्क्स, लेनिन और स्तालिन का भी दृष्टिकोण यही रहा है; और आज भी यही स्थिति हमारे सामने विचारणीय है । १८५३ ई० में कोलोन में कम्युनिस्ट लीग के सदस्यों के सजा पाने के बाद मार्क्स राजनीति के आंदोलन से दूर हो गये । उसके बाद दस वर्ष तक उन्होंने ब्रिटिश म्युजियम में अर्थशास्त्र पर उपलब्ध विपुल सामग्री का अध्ययन किया । उनका यह अध्ययन १८५९ ई० में अर्थशास्त्र की समालोचना (भाग १) पुस्तक के रूप में फलित हुआ, जिसमें मूल्य और मुद्रा संबंधी मार्क्सिय सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिलती है । अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संप्रति सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक दास कापीटल, क्रिटिक देर पोलीटीशन ईकोनोमी, एस्टैर बांट का प्रथम खण्ड १८६७ ई० में हाम्बुर्ग से प्रकाशित हुआ । यह पुस्तक युगप्रवर्तक के रूप में सिद्ध हुई । इस पुस्तक में समाजवादी दृष्टिकोण से पूंजीवादी उत्पादन और उसके फलाफल की विस्तृत व्याख्या की गयी है ।

विज्ञान के इतिहास में मार्क्स ने जिन महत्त्वपूर्ण बातों का पता लगाकर अपने यश को अमर बनाया उनमें से “पहिली तो वह क्रांति है, जो संसार के इतिहास को देखने-परखने के दृष्टिकोण से उन्होंने की है । मार्क्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब तक का सारा इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है; अब तक के सीधे और जटिल, सभी राजनीतिक संघर्षों की जड़ में सामाजिक वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक शासन की समस्या ही रही है । समस्या यह रही है कि पुराने वर्ग अपनी मिल्कियत बनाये रखें या नये पनपते हुए वर्ग इस मिल्कियत पर हॉवी हो जाँय ।”

इन बातों पर गम्भीरता से विचार किए जाने पर मार्क्स के अनुसंधान से “इतिहास को पहिली बार अपना वास्तविक अधिकार मिला । यह आधार एक बहुत ही स्पष्ट सत्य था, जिसकी ओर लोगों का ध्यान न गया था । यानी यह कि मनुष्य को सबसे पहिले खाना, पीना, कपड़ा पहनना और घर में रहना होता है । इसलिए उसे काम भी करना होता है । इसके हल हो जाने पर ही प्रधानता पाने के लिए मनुष्य एक-दूसरे से झगड़ सकते हैं और राजनीति, धर्म, दर्शन आदि को अपना समय दे सकते हैं । अंततः इस स्पष्ट सत्य को अपना ऐतिहासिक आधार प्राप्त हुआ ।”

“माक्स ने जिस दूसरी महत्वपूर्ण बात का पता लगाया है वह पूँजी और श्रम के सम्बन्ध की निश्चित व्याख्या है। दूसरे शब्दों में उसने यह दिखा दिया कि वर्तमान समाज में उत्पादन की जो पूँजीवादी पद्धति चालू है, उसके द्वारा किस तरह पूँजीपति, मजदूर का शोषण करता है। जब एक बार अर्थशास्त्र ने यह सिद्धांत बना लिया कि सभी तरह की संपत्ति और मूल्य का मूलस्रोत श्रम ही है तो, यह प्रश्न भी अनिवार्य रूप से सामने आता है कि इस सिद्धान्त से हम इस तथ्य का मेल कैसे करें कि मजदूर अपने श्रम से जिस मूल्य का निर्माण करता है वह सब उसे नहीं मिलता, वरन् उसका एक अंश उसे पूँजीपति को दे देना पड़ता है” (फ्रेडरिक एंगेल्स : कार्ल माक्स और उनके सिद्धांत पृ० ८-१० डा०, रामविलास शर्मा का अनुवाद)।

समाजवादी दृष्टिकोण से इतिहास की इन नयी धारणाओं का परिणाम महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इनसे पता लगा कि पहिले इतिहास की गति वर्ग-विरोध और वर्ग-संघर्षों के बीच रही है; शासक और शासित, शोषक और शोषित का अस्तित्व बराबर बना रहा है। माक्स से पूर्व की समूची ऐतिहासिक प्रगति विशेषाधिकार प्राप्त एक अल्पसंख्यक समुदाय पर निर्भर थी। माक्स के विवेचन के बाद समाज की वे उत्पादक शक्तियाँ, जो पूँजीवादी नियंत्रण की सीमाओं को लॉघ चुकी हैं, अब उस संघटित सर्वहारा वर्ग की ताक में हैं जिससे उस पर अधिकार कर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि जन-साधारण का उत्पादन में ही भाग न हो, बल्कि, सामाजिक संपत्ति के वितरण और उसके संचालन में भी उसका हाथ रहे, जिससे कि उत्पादक शक्तियों और उत्पादन, दोनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

माक्स के बाद एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन आदि अर्थशास्त्रियों एवं क्रांतिकारी राजनीतिज्ञों ने भी आज के वैज्ञानिक समाजवाद का मूल आधार यही माना है।

मानव-इतिहास में विकास के नियम की पहिली खोज माक्स ने की थी। उसने एक अभूतपूर्व सत्य का उद्घाटन किया कि किसी भी युग में जीविका के तात्कालिक भौतिक साधनों का उत्पादन ही समाज के आर्थिक विकास का मूल कारण रहा है। उसने बताया कि कला, धर्म, विज्ञान, राजनीति, साहित्य आदि के लिए समय देने से पूर्व यह आवश्यक है कि मनुष्य जाति के लिए रोटी, रोजी, वस्त्र और रहने के साधन सुलभ हों।

माक्स के विचारों में सच्चाई, आत्मबल, विश्वास और विश्लेषण की जो

अनेक बातें एक साथ दिखायी देती हैं उनका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि वे अपने युग के सबसे लॉकित और प्रताडित व्यक्ति थे। उनकी वाणी में अनुभव और अध्ययन की छाप थी। मार्क्स और एंगेल्स के सह-यत्न से प्रस्तुत और कम्युनिस्ट लीग (बुन्देरे कम्युनिस्टेन) के दूसरे अधिवेशन में (लंदन, नव० १८४७) में पढ़ा गया कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र संसार के साम्यवादी इतिहास में अपना नाम रखता है। इस घोषणा-पत्र ने संसार के भागे एक नयी रूपरेखा यह प्रस्तुत की कि गतिमूलक द्वन्द्ववाद विकास का सबसे व्यापक और आधारभूत सिद्धान्त है। मार्क्स ने जर्मनी का प्राचीन दर्शन, इंग्लैंड का पुरातन (क्लैसिकल) अर्थशास्त्र और फ्रांस का समाजवाद, इन १९वीं शताब्दी की तीन सैद्धांतिक विचारधारा को एक सूत्र में गूँथ कर मार्क्सवाद को जन्म दिया; जिसको आज वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है।

मार्क्स का भौतिक दर्शन : मार्क्स ने दार्शनिक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। मार्क्स के अनुसार संसार की एकता उसके अस्तित्व में न होकर उसकी भौतिकता में है। भूत या प्रकृति के अस्तित्व की पद्धति का नाम ही गति है। गति के बिना भूत का कोई अस्तित्व नहीं है। विचार और चेतना मानव-मस्तिष्क की उपज है; और मानव-प्रकृति की उपज है, जिसका विकास उसके साथ-साथ हुआ। इस दृष्टि से यह सिद्ध होता है कि मार्क्स का शेष प्रकृति से कोई विरोध नहीं है; बल्कि मानव-मस्तिष्क, प्रकृति की उपज होने के कारण शेष प्रकृति के साथ उसका साम्य ही स्वीकार करते हैं।

हेगेल के द्वन्द्ववाद का समर्थन : मार्क्स और एंगेल्स, दोनों ने हेगेल के द्वन्द्ववाद को जर्मनी के पुरातन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण देन बताया है; क्योंकि उसमें विकास के व्यापक सिद्धांत और प्रसार के लिये गंभीर तत्त्व वर्तमान है। मार्क्स के मतानुसार द्वन्द्ववाद की कसौटी प्रकृति है और यह मानना होगा कि आधुनिक प्रकृति-विज्ञान ने इस कसौटी के लिए बहुत-सी सामग्री और दिन-पर-दिन बढ़ने वाली सामग्री दी है (लेनिन का लेख : कार्ल मार्क्स और उनकी देन; कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धांत, पृ. २०)।

हेगेल के दर्शन में एक क्रांतिकारी पहलू था। उसके द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के लिये ऐसे दर्शन की कतई आवश्यकता-अपेक्षा नहीं समझी गयी है जो विज्ञान से शून्य या परे हो। वस्तुतः द्वन्द्वात्मक दर्शन के लिए कुछ भी अंतिम, त्रिकाल प्रत्य और पवित्र नहीं है। उसकी दृष्टि से हरेक वस्तु में क्षण-भंगुरता है।

आवागमन के अबाधक्रम को छोड़कर निरंतर नीचे से ऊपर की ओर अविराम गति से अग्रसर होना ही चिरंतन है । चिंतनशील मस्तिष्क में द्वंद्वात्मक दर्शन इसी को उत्क्रांत करता है (वही, पृ. २१; तथा एंगेल्स : डूरिंग का मत-खंडन, पृ. ३१) ।

वर्ग-संघर्ष : इतिहास से हमें विदित होता है कि जातियों और समाजों के संघर्ष से ही क्रांति का बीजारोपण हुआ है । आज का समाज दो प्रमुख हिस्सों में बँटा है : पूँजीवादी और श्रमजीवी । पूँजीवादी वर्ग के विरुद्ध जितने भी वर्ग खड़े हैं उनमें मजदूर वर्ग ही एक ऐसा है, जिसने वास्तविक क्रांति को जन्म दिया है । निम्न मध्य-वर्ग में छोटे कारखानेदार, दूकानदार, दस्तकार आदि जितने भी हैं उन्होंने भी अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये पूँजी-पति-वर्ग से ही संघर्ष किया है; किन्तु उनके संघर्ष में क्रांति के तत्त्व न होकर रूढ़िवादिता अधिक है । वल्कि मार्क्स ने उनको प्रतिक्रियावादी कहा है, क्योंकि वे इतिहास के पहियों को पीछे की ओर घुमाने की कोशिश करते हैं (देखिए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र) । संयोगवश उनके संघर्ष में यदि क्रांति का आभास भी मिलता है तब भी वे अपने वर्तमान हितों की अपेक्षा अपने भविष्य के स्वार्थों की ही रक्षा करते हैं ।

आधुनिक समाजवाद की यही रूपरेखा है और मार्क्स तथा एंगेल्स प्रभृति अर्थशास्त्रियों ने मानवता के सुख-चैन और कल्याण के लिए इसी को एक मात्र साधन स्वीकार किया है ।

आचार्य कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र

आचार्य कौटिल्य का महाव्यक्तित्व एक पारंगत राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य के विपुल यश के साथ एकप्राण होकर, एक ओर तो भारत के राजनीतिक इतिहास में अपनी कीर्ति-कथा को अमर बनाये है और दूसरी ओर अपनी अतुलनीय, अद्भुत कृति के कारण संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपने विषय का एकमात्र विद्वान् होने का गौरव उन्हें प्राप्त है । इन असाधारण खूबियों के कारण ही आचार्य कौटिल्य के नाम-माहात्म्य की कथाएँ पुराणों से लेकर काव्य, नाटक और कोष-ग्रन्थों में सर्वत्र परिग्याप्त हैं । कौटिल्य द्वारा नंद-वंश का विनाश और मौर्य-वंश की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित विष्णुपुराण में एक कथा आती है :

‘महाभदन्त तथा उसके नौ पुत्र १०० वर्ष तक राज्य करेंगे । अन्त में कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण उस राज्य-परम्परा के अंतिम उत्तराधिकारी नंदवंश

का विनाश करेगा । नन्द-वंश के समूल विनष्ट हो जाने के उपरान्त उसकी जगह मौर्य-वंश के पहले प्रतापी शासक चन्द्रगुप्त का कौटिल्य राज्याभिषेक करेंगे । उसका पुत्र बिन्दुसार और बिन्दुसार का पुत्र अशोक होगा । (महाभदन्तः तत्पुत्राश्चैकं वर्षशतमवनीपतयो भविष्यन्ति । नवैव । तान्नन्दान्कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति । तेषामभावे मौर्याश्च पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति । कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तं राज्येऽभिषेक्ष्यति । तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति । तस्याप्यशोकवर्धनः) ।

इस पुराण-प्रोक्त विवरण से दो मोटी बातों का पता लगता है कि मगध के राज्य-सिंहासन पर पहले नन्द-वंश का अधिकार था और उसके बाद कौटिल्य के कौशल से मगध की राज-सत्ता छिन कर मौर्य-वंश के हाथों में आयी । इस दृष्टि से मौर्य-वंश की सत्यता पर आधारित आचार्य कौटिल्य के सही व्यक्तित्व का पता लगाने के लिये नन्द-वंश की प्रामाणिक जानकारी और उससे भी पूर्व मगध की शासन-परम्परा से परिचय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है ।

मगध की शासन परम्परा

मगध या मागध भारतीय इतिहास का एक सुपरिचित अति प्राचीन नाम है । वेदों से लेकर पुराणों तक सर्वत्र मागध भूमि और मगध-वंश की चर्चाएं उल्लिखित हैं । पुराणों से यह भी विदित होता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व मगध में ब्राह्मणों का राज्य स्थापित हो चुका था और चेदि नरेश उपरिचार के पुत्र बृहद्रथ सर्वप्रथम मगधनरेश की उपाधि से विभूषित भी हो चुके थे । इनके पुत्र जरासि और पौत्र सहदेव महाभारत युद्ध के समकालीन व्यक्ति थे । इनकी २३ वीं पीढ़ी के बाद मगध के राजसिंहासन पर अवन्तिनरेश चन्द्र-उद्योत का अधिकार हुआ । तदन्तर गिरिव्रज का शिशुनागवंश मगध पर अधिष्ठित हुआ, जिसके उत्तराधिकारियों की ऐतिहासिक परम्परा है : शिशुनाग, काकवर्ण, क्षेत्रधर्मन्, छत्राजीत और विम्बसार । इनमें विम्बसार ही सर्वाधिक प्रतापी नरेश था, जो कि तीर्थंकर महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध का समकालीन हुआ ।

विम्बसार से मगध राज-वंश की परंपरा क्रमशः अजातशत्रु, दर्शक, उदयाश्व (उदायी), नन्दिवर्धन् तक पहुँच कर अंत में महानन्दि के हाथों में आयी । महानन्दि इस वंश का अन्तिम एवं महाबलशाली सम्राट् हुआ, जिससे एक शूद्रा स्त्री द्वारा नन्द नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इसी शूद्रा-पुत्र नन्द ने मगध की राजगद्दी पर नन्द-वंश की प्रतिष्ठा की ।

ऐतिहासिक खोजों से विदित है कि ५८५-३१५ वि० पूर्व (६३२-३७२ ई० पू०) तक मगध की शासन-सत्ता शिशुनाग-वंश के अधीन रही और तदनंतर नंद-वंश उत्तराधिकारी हुआ, जिसका प्रथम यशस्वी सम्राट् महापद्म-नंद था। ८८ वर्ष राज्योपरान्त वह दिवंगत हुआ। तदन्तर लगभग २२ वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का अस्तित्व बने रहने के बाद मगध की राजलक्ष्मी मौर्यों के अधीनस्थ हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य-वंश का पहला सम्राट् हुआ, जिसको पंचनद की ओर से नंद-वंश के विरोध में उभाड़ कर स्वाभिमानी ब्राह्मण-पुत्र चाणक्य मगध की ओर लाया।

भारतीय इतिहास का उदीयमान नक्षत्र और मौर्य-वंश के महाप्रतापी सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त नामक एक अद्भुत कुटिल मति राजनीतिज्ञ ब्राह्मण की सहायता से मगध के नन्द-वंश को विनष्ट कर तथा शक्तिशाली यवनराज सिकन्दर के संपूर्ण प्रयत्नों को विफल कर लगभग ३२१ ई० पूर्व में एक विराट् साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको इतिहासकारों ने मौर्य-साम्राज्य के नाम से पुकारा। चंद्रगुप्त सामान्य क्षत्रिय-वंश से प्रसूत था। लगभग २४ वर्ष तक मगध की राजगद्दी पर उसका एकलत्र शासन रहा।

ग्रीक सेनापति सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज की अनुपलब्ध कृति इण्डिया के अन्यत्र उद्धृत अंशों से और चन्द्रगुप्त के महासाथ्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विदित होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य एक असाधारण दिग्विजयी सम्राट् हुआ है और उसने अपने राज्यकाल में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक उन्नति के लिए अविरल प्रयत्न किये।

कौटिल्य के नाम का निराकरण

मगध की शासन-परंपरा में नंद-वंश और तदन्तर मौर्य-साम्राज्य की प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अध्ययन करने के पश्चात् आचार्य कौटिल्य के नाम निराकरण की बात सामने आती है। आचार्य कौटिल्य की ख्याति दूसरे ही नामों से है। उनका एक लोक-विश्रुत नाम चाणक्य भी है। चाणक्य उन्हें चणक का पुत्र होने के कारण और कौटिल्य उन्हें कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण कहा जाता है। वे दोनों नाम उनके पितृ-प्रदत्त न होकर वंश-नाम या उपाधि नाम हैं।

कौटिल्य का वास्तविक पितृ-प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य के इस विष्णुगुप्त नाम का हवाला आचार्य कामन्दक के नीतिसार में उपलब्ध होता है, जिसकी रचना ४०० ई० के लगभग हुई। आचार्य कामन्दक कृत नीतिसार

के आरंभिक अंश में हमें चार बातों की जानकारी होती है । पहली बात तो यह कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, दूसरी बात यह कि कामान्दक के नीति-ग्रंथ का आधारभूत वही अर्थशास्त्र था, तीसरी बात यह कि कौटिल्य ने नन्द-वंश का उन्मूलन कर उसकी जगह मौर्य-वंश को प्रतिष्ठित किया और चौथी बात यह कि कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त था । नीतिसार का सारांश इस प्रकार है :

नीतिसार उसी विद्वान् के ग्रंथ का आधार है, जिसके बज्र ने पर्वत की तरह अविचल, अडिग नन्द-वंश को उखाड़ फेंका था, जिसने चन्द्रगुप्त को पृथ्वी का स्वामित्व दिया और जिसने अर्थशास्त्र रूपी महार्णव से नीतिशास्त्र रूपी नवनीत का दोहन किया, ऐसे उस महामति विष्णुगुप्त नामक विद्वान् को नमस्कार है ।

नीतिशास्त्रामृतं धीमानर्थशास्त्र महोदधे ।
समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥
—नीतिसार

विष्णुगुप्तस्तु कौटिल्यश्चाणक्यो द्रामिलो गुलः ।
वास्यायनो मल्लनागः पाण्डिलस्वामिनावपि ॥
वास्यायनो मल्लनागः कौटिल्यश्चणकारमजः ।
द्रामिलः पाण्डिलः स्वामी विष्णुगुप्तो गुलश्च स ।
—हेमचन्द्र

वास्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः ।
द्रामिल पाण्डिल स्वामी मल्लनागो वलोऽपि च ॥
—यादव प्रकाश-वैजयंती

कात्यायनो वरहचिर्मयजिष्य पुनर्वसुः ।
कात्यायनस्तुकौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः ॥
द्रामिल पाण्डिल स्वामी मल्लनागो गुलोऽपि च ।

—भोजराज नाममल्लिका

नीतिसार के अतिरिक्त संस्कृत के कतिपय कोष-ग्रंथों से भी आचार्य विष्णुगुप्त के पर्यायवाची नामों का पता लगता है, जिनमें कौटिल्य और चाणक्य के अतिरिक्त अनेक अप्रचलित नाम देखने को मिलते हैं । ये नाम प्राचीन और मध्यकालीन सभी ग्रंथों में मिलते हैं । विभिन्न कोष-ग्रंथों की इस नामावली की उपलब्धि से आचार्य कौटिल्य के वास्तविक नाम और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले दूसरे नामों का स्वतः ही निराकरण हो जाता है ।

अर्थशास्त्र का प्रणेता

कामानन्दकीय नीतिसार के पूर्वोक्त प्रमाणों से सुनिश्चित है कि अर्थशास्त्र का निर्माण आचार्य कौटिल्य ने किया। कुछ दिन पूर्व विदेशी विद्वानों के एक वर्ग ने यहाँ तक सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि अर्थशास्त्र एक जाली ग्रंथ है और जिसके नाम को उसके साथ जोड़ा गया है, वह कौटिल्य भी एक कल्पित नाम है। विदेशी विद्वानों की इन भ्रान्त धाराओं को व्यर्थ सिद्ध करने वाली नयी खोजों का सविस्तार उल्लेख आगे किया जायगा। यहाँ तो इतना ही बता देना यथेष्ट है कि अर्थशास्त्र का प्रणेता विष्णुगुप्त कौटिल्य ही था।

अर्थशास्त्र का समाप्ति-सूचक एक श्लोक आता है, जिसका निष्कर्ष है कि इस ग्रंथ की रचना उसने की, जिसने की शस्त्र, शास्त्र और नन्द राजा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया।

येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भूः ।

अमर्षेणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

—अर्थशास्त्र, पृ० ९३४

अर्थशास्त्र के इस श्लोक में वर्णित नन्दराज द्वारा शासित राजसत्ता को विनष्ट कर उसकी जगह मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा करने वाले अद्भुत राजनीति-विशारद आचार्य कौटिल्य का निर्देश पुराण और नीति ग्रन्थों के अनुसार पहिले किया जा चुका है। इससे प्रमाणित है कि अर्थशास्त्र का निर्माता कौटिल्य ही था। उक्त श्लोक में कौटिल्य की अहंवादिता का आभास मिलता है, जो कि सर्वथा युक्त है। ऐसा विदित होता है कि आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के निष्णात पंडित तो थे ही, साथ ही दूसरे शास्त्रों और शस्त्रविद्याओं में भी कुशल थे।

अर्थशास्त्र और कौटिल्य के सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व जो विवाद चल पड़ा था, आधुनिकतम अनुसंधानों ने उसको सर्वथा व्यर्थ सिद्ध कर अंतिम रूप से यह प्रमाणित कर दिया है कि अर्थशास्त्र का निर्माता आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ही था।

अर्थशास्त्र का उद्धार

अर्थशास्त्र और उसके निर्माता कौटिल्य के सम्बन्ध में जितना विवाद रहा, उससे कहीं अधिक भ्रमपूर्ण धारणाएँ उसके स्थिति-काल के सम्बन्ध में प्रचारित हुईं। आचार्य कौटिल्य की जीवन-सम्बन्धी जानकारी और उनके

अद्भुत ग्रंथ अर्थशास्त्र की छान-बीन करने में विदेशी विद्वानों का वर्षों तक घोर विवाद चलता रहा। इस तर्क-वितर्क और वाद-विवाद की परंपरा में जिन देशी-विदेशी विद्वानों का भरपूर हाथ रहा उनमें पं० शामशास्त्री, महामहोपाध्याय पं० गणपतिशास्त्री, श्री काशीप्रसाद जायसवाल, श्री नरेन्द्रनाथ लाहा, श्री राधाकुमुद मुकर्जी, श्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, श्री रमेश मजूमदार, श्री उपेन्द्र घोपाल, श्री प्राणनाथ विद्यालंकार, श्री विनयकुमार सरकार और श्री जयचंद विद्यालंकार प्रमुख हैं। इसी प्रकार विदेशी विद्वानों में श्री हिलेब्रांट, श्री हर्टल, याकोबी साहब, श्री विल्लेंट स्मिथ, श्री औटो स्टाइन, डा० जौली, डा० विंटरनिस और डा० कीथ का नाम उल्लेखनीय है।

कौटिल्य अर्थशास्त्र के उद्धारक के रूप में पं० शामशास्त्री का नाम अर्थशास्त्र की महानता के साथ अमर हो चुका है। श्री शास्त्री जी ने मैसूर राज्य से प्राप्त कर इस महाग्रन्थ के कुछ अंशों को पहले-पहल १९०५ ई० में इण्डियन एण्टीक्वेरी में सानुवाद प्रकाशित किया और बाद में १९०९ ई० में संपूर्ण ग्रन्थ को बड़ी शुद्धता के साथ प्रकाशित भी किया। पं० शामशास्त्री ने ग्रन्थ के विस्तृत उपोद्घात में बड़े पांडित्यपूर्ण प्रमाणों के आधार पर अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में तीन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया। पहली बात तो उन्होंने यह बताया कि आचार्य कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य के आमात्य थे, दूसरी बात उन्होंने यह दिखायी कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की ही कृति है और तीसरा निराकरण उन्होंने यह भी किया कि अर्थशास्त्र का यही प्रामाणिक मूलपाठ है। पं० शामशास्त्री ने अर्थशास्त्र के जिस अनुवाद का प्रकाशित किया था, ट्रावनकोर राज्य से प्रकाशित कामन्दकीय नीतिसार की टीका में उद्धृत अर्थशास्त्र के अंशों से उनका मिलान ठीक नहीं बैठता है।

अर्थशास्त्र विषयक विवाद

पं० शामशास्त्री की दो बातों का, कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की ही कृति है और वह अपने मूलरूप में उपलब्ध है, समर्थन हिलब्रांट, हर्टल, याकोबी (१९१२ ई०) और स्मिथ ने भी किया। श्री विल्लेंट स्मिथ ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया के तीसरे संस्करण (१९१४ ई०) में शास्त्री जी की उक्त स्थापनाओं को मान्यता देकर उन पर अपने समर्थन की अन्तिम मुहर लगायी।

स्मिथ साहब के उक्त इतिहास-ग्रन्थ के लगभग आठ वर्ष बाद विदेशी विद्वानों के एक वर्ग ने कौटिल्य, उनके अर्थशास्त्र और उसकी प्रामाणिकता

एवं रचना-काल के बारे में अविश्वास की नयी मान्यताओं को स्थापित किया। उनके मतानुसार कौटिल्य, ग्रन्थकार का वास्तविक नाम न होकर एक कल्पित नाम है एवं अर्थशास्त्र तीसरी शती का रचा हुआ एक जाली ग्रन्थ है। ओटोस्टाइन महोदय ने मेगस्थनीज ऐण्ड कौटिल्य नामक अपनी तुलनात्मक पुस्तक में मेगस्थनीज और कौटिल्य के सम्बन्ध में पारस्परिक विरोध दिखाने की चेष्टा की है। ओटोस्टाइन के बाद डा० जौली ने इस क्षेत्र को संभाला और उन्होंने जिन नयी सूत्रों की उद्गावना की वे आज भी हमारे सामने हैं।

१९२३ ई० में डा० जौली की पंजाबी संस्कृत सीरीज, लाहौर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका नाम है अर्थशास्त्र आफ कौटिल्य। अपनी इस पुस्तक की प्रस्तावना में डाक्टर साहब ने यह सिद्ध किया कि अर्थशास्त्र तीसरी सदी में लिखा गया एक जाली ग्रन्थ है। उसके रचयिता कौटिल्य को डा० जौली ने एक कल्पित राज-मन्त्री कहा है।

डा० जौली के उक्त मत को अतर्क्य कहकर डा० विंटरनिट्स ने अपने ग्रन्थ ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (१९२७ ई०) में जौली साहब के मत की ही पुष्टि की। इसके पश्चात् डा० कीथ ने १९२८ ई० में सर आशुतोष स्मारक ग्रन्थ के प्रथम भाग में एक लेख लिखकर भरपूर शब्दों में यह सिद्ध किया कि अर्थशास्त्र की रचना ३०० ई० से पहले की कदापि नहीं हो सकती है। इससे भी आगे बढ़ कर उक्त लेख में एक नयी बात उन्होंने यह भी जोड़ दी कि सम्पूर्ण अर्थशास्त्र एक अप्रामाणिक रचना है।

डा० जौली के भ्रमपूर्ण प्रचार और प्रस्तावना में उद्धृत उनके तर्कों को डा० जायसवाल ने खंडित किया और प्रामाणिक आधारों को साक्षी रखकर स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र जैसा संस्कृत साहित्य का महान् ग्रन्थ जाली नहीं है। उसका रचयिता कौटिल्य एक कल्पित व्यक्ति न होकर सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य का महामात्य था। अर्थशास्त्र उसी की कृति है, जो प्रामाणिक रूप में संप्रति उपलब्ध है और जिसकी रचना ४०० ई० पू० में हुई (विस्तृत विवरण के लिए डा० जायसवाल-हिन्दू राजतन्त्र परिशिष्ट 'ग' 'पहिले खण्ड के अतिरिक्त नोट' पृ० ३२७-३६७)।

इसी प्रकार श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने डा० कीथ द्वारा अपने निबन्ध में उपस्थित किये गये तर्कों एवं उनकी युक्तियों की विस्तृत आलोचना करके दूसरे इतिहासकारों की इस राय से कि कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य (३२५-२७३ ई० पूर्व) के राजमन्त्री थे और अर्थशास्त्र उन्हीं की कृति है, जो अपने

प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है, अपना अभिमत कौटिल्य अर्थशास्त्र के ३०० ई० पू० के लगभग रचे जाने के समर्थन में पेश किया (चन्द्रगुप्त विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा २, पृ० ५४७, ६७३-७००)।

अर्थशास्त्र का व्यापक प्रभाव

संस्कृत-साहित्य के कतिपय ग्रन्थकारों की कृतियों पर अर्थशास्त्र का पर्याप्त प्रभाव है, जिससे उसकी सार्वभौम मान्यता का सहज में ही पता चलता है। ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में वर्तमान संस्कृत के सुपरिचित महाकवि कालिदास से लेकर याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन, विष्णुशर्मा, विशाखदत्त तथा वाण प्रभृति महाकवियों, स्मृतिकारों, गद्यकारों और नाटककारों की सातवीं शताब्दी ई० तक की रची गयी कृतियाँ अर्थशास्त्र से प्रभावित हैं। वैसे भी स्वतन्त्र रूप से अर्थशास्त्र का दाय लेकर अनेक तद्विषयक कृतियाँ संस्कृत में निर्मित हुईं, किन्तु दूसरे विषय के जिन ग्रन्थों में कौटिल्य अर्थशास्त्र का महत्त्व एवं उसकी शैली का अनुकरण है, उनकी संख्या भी पर्याप्त है।

महाकवि कालिदास (१०० ई० पू०) के रघुवंश, कुमारसंभव और शाकुन्तल अत्यधिक रूप से अर्थशास्त्र से प्रभावित हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति (१५० ई०) भी अर्थशास्त्र के प्रभाव से अछूती नहीं है। आचार्य वात्स्यायन (३०० ई०) ने तो अपने कामसूत्र का एकमात्र आधार कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्वीकार किया है और इसी हेतु इन दोनों ग्रन्थों का प्रकरण-विभाजन भी एक जैसा है। (मिलाइये अर्थशास्त्र २।१, १०।७, १७।५५, ७३, ९।१, ७।१५, १।२, ८।३ क्रमशः रघुवंश १५।९, कुमारसंभव ६।७३, रघुवंश १७।४९, १२।५५, १७।५६, १७।७६ १७।८९, १८।५० तथा शाकुन्तल २।५ कामसूत्रमिदं प्रणीतम् । तस्यायं प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः कामसूत्र १।१)।

संस्कृत के जन्तु-विषयक कथाओं का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ पञ्चतन्त्र संप्रति अपने मूल में उपलब्ध नहीं है, जिसकी रचना ३०० ई० पू० मानी जाती है और अपने विषय का जिसे दुनिया के जन्तु-कथा-काव्यों में पहिला स्थान प्राप्त है, तथापि उसके विभिन्न छाया रूपों में विष्णु शर्मा कृत पञ्चतन्त्र ही प्रधान माना जाता है, जिसकी रचना कथमपि ३०० ई० के बाद की नहीं है। इस कथा-ग्रन्थ में चाणक्य के अर्थशास्त्र को मनुस्मृति और कामसूत्र की भाँति अपने विषय का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ कह कर स्मरण किया गया है। (ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि । अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि,

कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीति ।) पञ्चतन्त्र के प्रथम अध्याय में एक-दूसरे स्थल पर अर्थशास्त्र को नयशास्त्र से भी अभिहित किया गया है ।

संस्कृति-साहित्य का एक नाटक मुद्राराक्षस है, जिसका रचयिता विशाखदत्त ६०० ई० के लगभग हुआ । यह नाटक एक प्रकार से आचार्य कौटिल्य की आंशिक जीवनी है । मुद्राराक्षस से महामति कौटिल्य के अतुल्य व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त किया जा सकता है ।

विशाखदत्त के समकालीन कथाकार एवं काव्यशास्त्री आचार्य दण्डी ने कौटिलीय दण्डनीति के अध्ययन पर जोर दिया ही है, वरन् उस दण्डनीति के स्वरूप के सम्बन्ध में भी एक ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है । दण्डी का कथन है कि 'आचार्य विष्णुगुप्त निर्मित उस दण्डनीति का अध्ययन करो, जिसको उन्होंने मौर्य (चन्द्रगुप्त) के लिये छः हजार श्लोकों में संचित किया था । जो भी इस उत्तम ग्रन्थ को पढ़ेगा उसको उत्तम फल मिलेगा ।' (अधीष्ण तावद्दण्डनीतिम् । तदिदमिदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे षड्भिः श्लोकसहस्रैः संक्षिप्ता । सैवेयमधीत्य सम्यगनुष्ठीयमानयथोक्तकार्यत्रमेति) ।

कादम्बरी जैसे बृहत्कथा काव्य के निर्माता बाणभट्ट (७०० ई०) ने कौटिल्य शास्त्र का उल्लेख तो किया है, किन्तु मालूम नहीं किस दृष्टि से उन्होंने उसको निकृष्ट शास्त्र की संज्ञा दी है । बाण का कथन है कि 'उन लोगों के लिये क्या कहा जाय जो अति नृशंस कार्य को उचित बताने वाले कौटिल्य के शास्त्र को प्रमाण मानते हैं' । (किं वा तेषां सांप्रतं येषामतिनृशंसप्रायोपदेशे कौटिल्यशास्त्रप्रमाणम्) ।

अर्थशास्त्र और उसकी परंपरा

बृहद् हिन्दू जाति के राजनीतिशास्त्र-विषयक साहित्य का निर्माण लगभग ६५० ई० पूर्व में हो चुका था । यह कल्पसूत्रों की रचना का समय था । कौटिलीय अर्थशास्त्र के सैकड़ों शब्दों में एवं उसकी लेखन शैली पर कल्पसूत्रों की शब्दावली एवं उनकी रचना शैली का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । (प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार कौटिल्य अर्थशास्त्र की प्रस्तावना) ।

इससे प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थों का निर्माण कल्पसूत्रों (७०० ई० पू०) के बाद और विशेष रूप से बौधायन धर्मसूत्र (५०० ई० पू०) के बाद होना आरम्भ हो गया था । बौद्ध धर्म के प्राण-सर्वस्व जातक ग्रन्थों का रचनाकाल तथागत बुद्ध से पूर्व अर्थात् लगभग ६०० ई० पू०

वैठता है। इन जातकों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय तक अर्थशास्त्र को एक प्रमुख विज्ञान के रूप में परिगणित किया जाने लगा था। (फ्रास्वोल जातक, जिह्द २, पृष्ठ ३०, ७४)।

सूत्रकाल की समाप्ति (२०० ई० पू०) के लगभग अर्थशास्त्र एक प्रामाणिक शास्त्र के रूप में समहित हो चुका था। सूत्र-ग्रन्थों में अर्थशास्त्र-विषयक चर्चाओं को देख कर उसकी मान्यता का सहसा अनुमान लगाया जा सकता है (आपस्तंब धर्मसूत्र २, ५, १०, १४)। गृह्यसूत्र में तो आदित्य नामक एक अर्थशास्त्रविद् आचार्य का उल्लेख तक मिलता है (आश्वलायन गृह्यसूत्र ३, १३, १६)। महाभारत में हिन्दू राजनीतिशास्त्र का सिलसिलेवार इतिहास मिलता है और इस परंपरा के कतिपय प्राचीन आचार्यों की सूची भी उसमें उल्लिखित है (महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ५८, ५९)।

अर्थशास्त्र की प्राचीन परम्परा का अध्ययन करते समय इस संबंध में एक बात जानने योग्य यह है कि आरम्भ में दण्डनीति और शासन-सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र के लिए ही होता था, किन्तु कौटिल्य के बाद अर्थशास्त्र से केवल जनपद-सम्बन्धी कार्यों का ही विधान होने लगा था। अर्थ की व्याख्या करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि 'अर्थ का अभिप्राय है मनुष्यों की वस्ती, अर्थात् वह प्रदेश जिसमें मनुष्य बसते हैं। अर्थशास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं, जिसमें राज्य की प्राप्ति और उसके पालन के उपायों का वर्णन हो।' (अर्थशास्त्र, पृ० ९३७)। आचार्य उष्ण के राजनीतिशास्त्र-विषयक ग्रन्थ को दण्डनीतिशास्त्र (विशाखदत्त : मुद्राराक्षस १।७) और आचार्य वृहस्पति के ग्रन्थ को अर्थशास्त्र (वात्स्यायन : कामसूत्र १) इसीलिए कहा जाने लगा था। इसी परम्परा के अनुसार महाभारतकार ने भी प्रजापति के ग्रन्थ को राजशास्त्र कहकर स्मरण किया है (महाभारत, शान्तिपर्व, अ० ५९)। इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो ग्रन्थकार ऐतिहासिक व्यक्ति माने गये हैं वे शान्तिपर्व में देवी-विभूति तथा पौराणिक रूप में स्मरण किये गए हैं (जायसवाल : हिन्दूराजतन्त्र १, पृ० ६ का फुटनोट)।

समस्त पूर्ववर्ती आचार्य-परंपरा के सिद्धान्तों और उनकी वे कृतियाँ, जो कि संप्रति अनुपलब्ध हैं, उन सब का एक साथ निष्कर्ष हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाते हैं। कौटिल्य ने अपने पूर्ववर्ती लगभग अठारह-उन्नीस अर्थशास्त्रविद् आचार्यों का उल्लेख किया है; जिनसे विचार ग्रहण कर उन्होंने अपने अद्भुत ग्रन्थ का निर्माण किया। इस प्राचीन आचार्य-परम्परा के परिचय से

ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र का निर्माण बहुत पहले से होने लगा था और विभिन्न ग्रन्थों में आदर के साथ उसका उल्लेख किया जाने लगा था, जिसकी व्यापक व्याख्या हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाते हैं।

ई० पूर्व ४०० के अनन्तर और ४०० के बीच में रचे गये धर्मशास्त्र-विषयक ग्रंथों में सर्वत्र ही हमें अर्थशास्त्र की विस्तृत चर्चाएं और प्राचीन अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों का उल्लेख देखने को मिलता है। किन्तु ये सभी चर्चाएं बिखरी हालत में उपलब्ध होती हैं। आचार्य कामन्दक ने ४०० ई० के लगभग एक पद्यमय ग्रंथ नीतिसार लिखा, जो कि आचार्य शुक्र कृत शुक्रनीतिसार का संस्करण मात्र था और आधुनिक विद्वानों ने कामन्दकीय नीतिसार के उन उद्धरणों को, जिनको कि मध्ययुग के बाद वाले स्मृतिशास्त्र के टीकाकारों ने उद्धृत किया है, मिलान करने पर पता लगाया कि कामन्दक के नीतिसार का १७वीं शताब्दी के लगभग पुनः संस्करण हुआ।

ईसा की छठीं और सातवीं शताब्दी में विरचित अग्नि और मत्स्य आदि पुराणों में भी यद्यपि अर्थशास्त्र सम्बन्धी चर्चाएं और तत्सम्बन्धी कुछ आचार्यों के नाम उपलब्ध होते हैं, तथापि वे विशेष महत्त्व के नहीं हैं। नवम-दशम शताब्दी के दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। पहिले अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थ बृहस्पतिसूत्र को डा० एफ० डब्ल्यू० थामस ने खोज कर संपादित एवं प्रकाशित किया। यह ग्रन्थ अपने मूलरूप में बहुत प्राचीन था, किन्तु जिस रूप में आज वह उपलब्ध है, वह नवम-दशम शताब्दी का पुनःसंस्करण है। इसी प्रकार दूसरा ग्रंथ दशवीं शताब्दी में विरचित सूत्रात्मक शैली का नीतिवाक्यामृत है, जिसके रचयिता का नाम सोमदेव था। यह सोमदेव कथासरित्सागर का रचयिता ११वीं श० के काश्मीर देशीय सोमदेव से पृथक् व्यक्ति था।

तदन्तर १०वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक की कोई कृति उपलब्ध नहीं होती। अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों के निर्माण परम्परा लगभग १८वीं शताब्दी तक पहुँचती है। अर्थशास्त्र का यह अन्तिम समय नितान्त अवनति का रहा है। १४वीं से १८वीं शताब्दी तक के ग्रन्थकारों में चन्द्रशेखर, मित्रमिश्र और नीलकण्ठ प्रमुख हैं, जिनके ग्रंथों का नाम क्रमशः राजनीति रत्नाकर (जायसवाल, बिहार, उड़ीसा, रिसर्च सोसाइटी)। वीरमित्रोदय (चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी से प्रकाशित)। और राजनीतिमयूख (स्व० वा० गोविन्ददास, वाराणसी के पुस्तकालय में सुरक्षित) है

चन्द्रशेखर के ग्रंथ में दो अन्य अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थों के नाम उद्धृत हैं, जिनमें से एक ग्रंथ राजनीतिकल्पतरु के रचयिता का नाम लक्ष्मीधर और दूसरे विलुप्त नामक ग्रंथकार का राजनीतिकामधेनु है।

इस प्रकार आचार्य कौटिल्य, उनका अर्थशास्त्र और उस परम्परा का आकण्ठ अध्ययन करने के पश्चात् हमें विदित होता है कि संस्कृत-साहित्य की अभिवृद्धि में अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण योग रहा है और आचार्य कौटिल्य काल्पनिक व्यक्ति न होकर एक युगविधायक महात्मी के रूप में संस्कृत भाषा की महानताओं के साथ अजर एवं अमर हो चुके हैं।

प्रस्तुत संस्करण

‘कौटिलीय अर्थशास्त्र’ के साथ डॉ० शाम शास्त्री और महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री का नाम अमर है। डॉ० शाम शास्त्री का अंग्रेजी अनुवाद और म० म० गणपति शास्त्री का संस्कृतानुवाद इस विषय की सर्वांगीण, शोधपूर्ण और प्रामाणिक कृतियाँ हैं।

‘कौटिलीय अर्थशास्त्र’ का प्रस्तुत संस्करण म० म० गणपति शास्त्री के संस्करण पर आधारित है। स्व० शास्त्री जी ने ‘अर्थशास्त्र’ का गम्भीर अध्ययन करने के उपरान्त उसके मूल भाग को विषय और प्रसङ्ग के अनुसार अलग-अलग वर्गों, वाक्यों और वाक्यखण्डों में विभाजित किया है। उनकी यह स्वतन्त्र देन है।

प्रत्येक सूत्र के आगे संख्या डालने की अवैज्ञानिक पद्धति स्व० शास्त्री जी के संस्करण में नहीं अपनायी गयी है। वरिष्ठ उन्होंने मूल पाठ के प्रत्येक पैराग्राफ को इस ढङ्ग से संयोजित किया है कि अर्थसङ्गति की दृष्टि से वह भ्रम तथा विच्छिन्न न होने पावे। डॉ० शाम शास्त्री का दृष्टिकोण भी यही रहा है।

प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद के प्रत्येक पैराग्राफ पर संख्या का उल्लेख इसलिये किया है कि नाचे उसका अनुवाद पढ़ने में सुगमता हो। अधिकरण, प्रकरण और अध्याय का जो क्रम सभी संस्करणों में है वही इस संस्करण में भी देखने को मिलेगा।

पुस्तक के अन्त में चाणक्य सूत्रों को भी जोड़ दिया गया है । आचार्य कौटिल्य के नाम पर चाणक्य सूत्रों को जोड़ना ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि असङ्गत है, किन्तु अध्येताओं की सुविधा के लिये उनका समावेश करना भी आवश्यक समझा गया है ।

डॉ० शाम शास्त्री और म० म० गणपति शास्त्री के संस्करणों के अतिरिक्त श्री उदयवीर शास्त्री के हिन्दी अनुवाद से भी मैंने सहायता ली है । इस हेतु इन सभी महानुभावों का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ । श्रद्धेय श्री रामचन्द्र झा के सत्परामर्शों के लिये मैं अनुगृहीत हूँ ।

—वाचस्पति गैरोला

विषय सूची

(१) विनयाधिकारिक : पहला अधिकरण

विषय	पृष्ठ
प्रकरण और अधिकरण का निरूपण	१
१ : विद्याविषयक विचार : आन्वीक्षकी	१०
२ : विद्याविषयक विचार : ऋषी	१२
३ : विद्याविषयक विचार : वार्ता और दरडनीति	१५
४ : वृद्धजनो की संगति	१८
५ : काम-क्रोधादि छह शत्रुओ का परित्याग	२१
६ : साधु-स्वभाव राजा की जीवनचर्या	२३
७ : आमात्यो की नियुक्ति	२५
८ : मन्त्री और पुरोहित की नियुक्ति	२८
९ : गुप्त उपायों से आमात्यो के आचरणो की परीक्षा	३१
१० : गुप्तचरो की नियुक्ति (स्थायी गुप्तचर)	३५
११ : गुप्तचरो की नियुक्ति (भ्रमणशील गुप्तचर)	३९
१२ : अपने देश मे कृत्य-अकृत्य पक्ष की सुरक्षा	४४
१३ : शत्रु-देश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना	४८
१४ : मन्त्राधिकार	५२
१५ : सन्देश देकर राजदूतों को शत्रुदेश मे भेजना	५९
१६ : राजपुत्रो से राजा की रक्षा	६४
१७ : नजरबन्द राजकुमार और राजा का पारस्परिक व्यवहार	७१
१८ : राजा के कार्य-व्यापार	७४
१९ : राज-भवन का निर्माण और राजा के कर्तव्य	७९
२० : आत्मरक्षा का प्रबन्ध	८४

(२) अध्यक्षप्रचार : दूसरा अधिकरण

१ : जनपदो की स्थापना	९३
२ : ऊसर भूमि को उपयोगी बनाने का विधान	१००
३ : दुर्गों का निर्माण	१०३

विषय	पृष्ठ
४ : दुर्ग से सम्बन्धित राजभवनों तथा नगर के प्रमुख स्थानों का निर्माण	११०
५ : कोष-गृह का निर्माण और कोषाध्यक्ष के कर्तव्य	११५
६ : सैमाहर्ता का करसंग्रह कार्य	११९
७ : अक्षपटल में गणित के कार्यों का निरूपण	१२४
८ : अध्यक्षों द्वारा गमन किये गये धन की पुनः प्राप्ति	१३१
९ : राजकीय उच्चाधिकारियों के चालचलन की परीक्षा	१३७
१० : शासनाधिकार	१४३
११ : कोष में रखने योग्य रत्नों की परीक्षा	१५१
१२ : खान एवं खनिज पदार्थों की पहिचान और उनके विक्रय की व्यवस्था	१६२
१३ : अक्षशाला में सुवर्णाध्यक्ष के कार्य	१७४
१४ : राजकीय स्वर्णकारों के कर्तव्य	१८३
१५ : कोष्ठागार का अध्यक्ष	१९२
१६ : पर्य का अध्यक्ष	२०१
१७ : कुप्य का अध्यक्ष	२०५
१८ : आयुधागार का अध्यक्ष	२०८
१९ : तौल और माप का अध्यक्ष	२१३
२० : देश और काल का मान	२२१
२१ : शुल्क का अध्यक्ष	२२७
२२ : कर वसूली के नियम	२३२
२३ : सूत-व्यवसाय का अध्यक्ष	२३५
२४ : कृषि-विभाग का अध्यक्ष	२३८
२५ : आवकारों विभाग का अध्यक्ष	२४५
२६ : वधस्थान का अध्यक्ष	२५२
२७ : वेदयालयों का अध्यक्ष	२५५
२८ : परिवहन विभाग का अध्यक्ष	२६१
२९ : पशुविभाग का अध्यक्ष	२६६
३० : अश्वविभाग का अध्यक्ष	२७४
३१ : गज-शाला का अध्यक्ष	२८३
३२ : हाथियों की श्रेणियाँ तथा उनके कार्य	२८७
३३ : रथ-सेना तथा पैदल-सेना के अध्यक्षों और सेनापति के कार्यों का निरूपण	२९२

विषय	पृष्ठ
३४ : मुद्राविभाग और चारागाह विभाग के अध्यक्ष	२९५
३५ : समाहर्ता और गुप्तचरो के कार्यों का निरूपण	२९७
३६ : नागरिक के कार्य	३०१

(३) धर्मस्थीय : तीसरा अधिकरण

१ : शर्तनामो का लेखन-प्रकार और तत्सम्बन्धी विवादों का निर्णय	३१३
२ : विवाह-सम्बन्ध : (१) धर्म-विवाह; स्त्री का धन : स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार : पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार	३२०
३ : विवाह-सम्बन्ध : (२) स्त्री की परिवरिणः कठोर स्त्री के साथ व्यवहार : पति-पत्नी का द्वेष : पति-पत्नी का अतिचार : अतिचार पर प्रतिषेध	३२६
४ : विवाह-सम्बन्ध : (३) परिणीताका निष्पतन : पुरुषका अनुशरण : पुनर्विवाह की स्थिति	३३१
५ : दायविभाग : उत्तराधिकार का सामान्य नियम	३३७
६ : दायविभाग : पैतृक क्रम से विशेषाधिकार	३४१
७ : दायविभाग : पुत्रक्रम से उत्तराधिकार	३४५
८ : वास्तुक : गृहनिर्माण	३५०
९ : वास्तुक : मकान बेचना : सीमाविवाद : खेतों की सीमाएँ : मिश्रित विवाद : कर की छूट	३५४
१० : वास्तुक : रास्तो का रोकना : गावो का बन्दोबस्त : चारागाहों का प्रबन्ध : सामूहिक कार्यों मे शामिल न होने का मुआवजा	३५९
११ : ऋण लेना	३६६
१२ : धरोहरसम्बन्धी नियम	३७४
१३ : दास और श्रमिक सम्बन्धी नियम	३८१
१४ : मजदूरी के नियम और साझीदारी का हिस्सा	३८७
१५ : ऋय-विक्रय का बयाना	३९२
१६ : दान किये हुये धन को न देना; अस्वामिविक्रय; स्व-स्वामि-सम्बन्ध	३९५
१७ : साहस	४०१
१८ : वाक्यारुष्य	४०४
१९ : दरडपारुष्य	४०७
२० : द्यूत-समाह्वय और प्रकीर्ण	१४३

विषय

पृष्ठ

(१) कण्टक-शोधन : चौथा अधिकरण

१ : शिल्पियों से प्रजा की रक्षा	४२१
२ : व्यापारियों से प्रजा की रक्षा	४२९
३ : दैवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा के उपाय	४३४
४ : गुप्त षड्यन्त्रकारियों से प्रजा की रक्षा के उपाय	४४०
५ : सिद्ध वेषधारी गुप्तचरो द्वारा दुष्टों का दमन	४४४
६ : शक्ति पुरुषों की पहिचान; चोरी के माल की पहिचान और चोर की पहिचान	४४७
७ : आशुमृतक की परीक्षा	४५३
८ : जाँच और यातना के द्वारा चोरी को अंगीकार करना	४५८
९ : सरकारी विभागों और छोटे-बड़े कर्मचारियों की निगरानी	४६३
१० : एकांग वध अथवा उसकी जगह द्रव्य-दण्ड	४७०
११ : शुद्ध दण्ड और चित्र दण्ड	४७४
१२ : कुंवारी कन्या से संभोग करने का दण्ड	४७८
१३ : अतिचार का दण्ड	४८४

(५) योग-वृत्त : पाँचवाँ अधिकरण

१ : राज-द्रोही उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध में दण्ड-व्यवस्था	४९३
२ : कोष का अधिकाधिक संग्रह	५०२
३ : भृत्यों का भरण-पोषण	५१२
४ : राजकर्मचारियों का राजा के प्रति व्यवहार	५१८
५ : व्यवस्था का यथोचित पालन	५२२
६ : विपत्तिकाल में राज-पुत्र का अभिषेक और एकछत्र राज्य की प्रतिष्ठा	५२६

(६) मण्डल-योनि : छठा अधिकरण

१ : प्रकृतियों के गुण	५३५
२ : शान्ति और उद्योग	५४०

(७) पाङ्गुण्य : सातवाँ अधिकरण

१ : छह गुणों का उद्देश्य और क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय	५४९
२ : बलवान् का आश्रय	५५६

विषय	पृष्ठ
३ : सम, हीन तथा बलवान् राजाओं के चरित्र और हीन राजा के साथ संबन्ध	५६०
४ : विग्रह करके आसन और यान का अवलंब	५६७
५ : यान संबन्धी विचार, प्रकृति मङ्गल के क्षय, लोभ तथा विराग के हेतु और सहयोगी समवायिकों का हिस्सा	५७३
६ : सामूहिक प्रयाण और देश, काल तथा कार्य के अनुसार संधियाँ	५८१
७ : द्वैधीभाव सम्बन्धी सन्धि और विक्रम	५९०
८ : यातव्य सम्बन्धी व्यवहार और अनुग्रह करने वाले मित्रों के प्रति कर्तव्य	५९७
९ : मित्र-सन्धि और हिरण्य-सन्धि (सन्धिविचार १)	६०३
१० : भूमि-सन्धि (सन्धि-विचार २)	६११
११ : अनवसित सन्धि (सन्धि-विचार ३)	६१७
१२ : कर्म-सन्धि (सन्धि-विचार ४)	६२४
१३ : पार्ष्णिग्राह-चिन्ता	६३०
१४ : दुर्बल विजगीषु के लिये शक्तिसंचय के साधन	६३८
१५ : बलवान् शत्रु और विजित शत्रु के साथ व्यवहार	६४४
१६ : अधीनस्थ राजाओं के प्रति विजेता विजगीषु का व्यवहार	६५१
१७ : सन्धि-कर्म और सन्धि-मोक्ष	६५७
१८ : मध्यम, उदासीन और मरुडल चरित	६६६

(८) व्यसनाधिकारिक : आठवाँ अधिकरण

१ : प्रकृतियों का व्यसन और उनका प्रतीकार	६७९
२ : राजा और राज्य के व्यसनो पर विचार	६८८
३ : सामान्य पुरुषों के व्यसन	६९३
४ : पीडन वर्ग, स्तम्भ वर्ग और कोष सङ्ग वर्ग	७०२
५ : सेना-व्यसन और मित्र-व्यसन	७१२

(९) अभियास्यत्कर्म : नौवाँ अधिकरण

१ : शक्ति, देश, काल, बल-अबल का ज्ञान और आक्रमण का समय	
२ : सैन्य-संग्रह का समय, सैन्य-संगठन और शत्रुमेना से मुकाबला	७३०
३ : पश्चात्कोप चिन्ता और वाह्य-आभ्यन्तर कृति के कोप का प्रतीकार	७३९

विषय	पृष्ठ
४ : क्षय, व्यय और लाभ का विचार	७४७
५ : बाह्य और आभ्यन्तर आपत्तियाँ	७५२
६ : राजद्रोही और शत्रुजन्य आपत्तियाँ	७५७
७ : अर्थ, अनर्थ तथा संशय सम्बन्धी आपत्तियाँ और उनके प्रतीकार के उपायो से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ	७६७

(१०) साङ्ग्रामिक : दसवाँ अधिकरण

१ : छावनी का निर्माण	७८१
२ : छावनी का प्रयाण और आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की रक्षा	७८४
३ : कूट युद्ध के भेद : अपनी सेना का प्रोत्साहन और अपनी तथा पराई सेना का प्रयोग	७८९
४ : युद्धयोग्य भूमि और पदाति, अश्वस्थ तथा हाथी आदि सेनाओं के कार्य	७९७
५ : पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहों का सेना के परिणाम के अनुसार दो विभाग, सार तथा फल्गु बलों का विभाग और चतुरङ्ग सेना का युद्ध	८०३
६ : प्रकृति व्यूह, विकृति व्यूह और प्रतिव्यूह की रचना	८१२

(११) वृत्तसंघ : ग्यारहवाँ अधिकरण

१ : भेदक प्रयोग और उपासु दण्ड	८२१
-------------------------------	-----

(१२) आवलीयस : बारहवाँ अधिकरण

१ : दूतकर्म	८३३
२ : मन्त्र-युद्ध	८३७
३ : सेनापतियों का वध और राजमण्डल की सहायता	८४३
४ : शस्त्र, अग्नि तथा रसो का गूढ़ प्रयोग और विविध आसार तथा प्रसार का नाश	८४८
५ : कपट उपायो या दण्ड प्रयोगों द्वारा और आक्रमण के द्वारा विजयोपलब्धि	८५३

(१३) दुर्गलम्भोपाय : तेरहवाँ अधिकरण

१ : उपजाप	८६३
२ : कपट उपायो द्वारा राजा को लुभाना	८६८

विषय	पृष्ठ
३ : गुप्तचरों का शत्रु-देश में निवास	८७६
४ : शत्रु के दुर्ग को घेरकर अपने अधिकार में करना	८८५
५ : विजित देश में शान्ति की स्थापना	८९६

(१४) औपनिषदिक : चौदहवाँ अधिकरण

१ : शत्रुवध के प्रयोग	९०३
२ : प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन	९१२
३ : प्रलम्भन योग में ओषधि तथा मन्त्र का प्रयोग	९२०
४ : शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार	९३२

(१५) तन्त्रयुक्ति : पन्द्रहवाँ अधिकरण

१ : अर्थशास्त्र की युक्तियाँ	९३७
चारणक्य-सूत्र	९४७
अर्थशास्त्र सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दकोश	९८५
शब्द-सूची	९९६



कौटिलीयम्
अर्थशास्त्रम्



विनयाधिकारिकं प्रथममाधिकरणम्

ॐ

नमः शुक्रबृहस्पतिभ्याम्

१. पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः
प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहत्यैकमिदमर्थशास्त्रं कृतम् ।

कौटिल्य का

अर्थशास्त्र

पहला अधिकरण

ॐ

शुक्राचार्य और बृहस्पति के लिए नमस्कार है

प्रकरण और अधिकरण का निरूपण

१. पृथिवी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने
भी अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थों का निर्माण किया उन सबका सार-संकलन
कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है ।

१. तस्यायं प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः ।

२. विद्यासमुद्देशः ॥ १ ॥ वृद्धसंयोगः ॥ २ ॥ इन्द्रियजयः
॥ ३ ॥ अमात्योत्पत्तिः ॥ ४ ॥ मन्त्रिपुरोहितोत्पत्तिः ॥ ५ ॥
उपधाभिः शौचाशौचज्ञानममात्यानाम् ॥ ६ ॥ गूढपुरुषोत्पत्तिः
॥ ७ ॥ गूढपुरुषप्रणिधिः ॥ ८ ॥ स्वविषये कृत्याकृत्यपक्ष-
रक्षणम् ॥ ९ ॥ परविषये कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः ॥ १० ॥
मन्त्राधिकारः ॥ ११ ॥ दूतप्रणिधिः ॥ १२ ॥ राजपुत्ररक्षणम् ॥ १३ ॥
अवरुद्धवृत्तम् ॥ १४ ॥ अवरुद्धे च वृत्तिः ॥ १५ ॥ राजप्रणिधिः
॥ १६ ॥ निशान्तप्रणिधिः ॥ १७ ॥ आत्मरक्षितकम् ॥ १८ ॥

इति विनयाधिकारिकं प्रथममधिकरणम् ।

३. जनपदविनिवेशः ॥ १ ॥ भूमिच्छिद्रविधानम् ॥ २ ॥
दुर्गविधानम् ॥ ३ ॥ दुर्गविनिवेशः ॥ ४ ॥ संनिधातुनिचय-
कर्म ॥ ५ ॥ समाहर्तृसमुदयप्रस्थापनम् ॥ ६ ॥ अक्षपटले-

१. इस अर्थशास्त्र के प्रकरणों और अधिकरणों का निरूपण इस प्रकार है :

पहला अधिकरण : राजवृत्ति-निरूपण

२. (१) विद्या-विषयक विचार; (२) वृद्धजनों की संगति; (३) इंद्रियजय;
(४) अमात्यों की नियुक्ति; (५) मन्त्री और पुरोहित की नियुक्ति; (६) गुप्त
उपायों से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा; (७) गुप्तचरों का निरूपण;
(८) गुप्तचरों की कार्यों पर नियुक्ति; (९) अपने देश में कृत्य-अकृत्य
पक्ष की सुरक्षा; (१०) शत्रुदेश में कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना;
(११) मन्त्राधिकार; (१२) दूतों की कार्यों पर नियुक्ति; (१३) राजपुत्र की
रक्षा; (१४) नजरबन्द राजकुमार का व्यवहार; (१५) नजरबन्द (राजकुमार)
के प्रति राजा का व्यवहार; (१६) राजा के कार्य-व्यापार; (१७) राजभवन
का निर्माण; (१८) आत्मरक्षा का प्रबन्ध ।

दूसरा अधिकरण : अध्यक्षों का निरूपण

३. (१) जनपदों की स्थापना; (२) भूमि को उपयोगी बनाने का विधान;
(३) दुर्गों का निर्माण; (४) दुर्गविनिवेश; (५) संनिधाता के कार्य;

गाणनिक्याधिकारः ॥ ७ ॥ समुदयस्य युक्तापहतस्य प्रत्या-
नयनम् ॥ ८ ॥ उपयुक्तपरीक्षा ॥ ९ ॥ शासनाधिकारः
॥ १० ॥ कोशप्रवेश्यरत्नपरीक्षा ॥ ११ ॥ आकरकर्मान्त-
प्रवर्तनम् ॥ १२ ॥ अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षः ॥ १३ ॥
विशिखायां सौवर्णिकप्रचारः ॥ १४ ॥ कोष्ठागाराध्यक्षः ॥ १५ ॥
पण्याध्यक्षः ॥ १६ ॥ कुप्याध्यक्षः ॥ १७ ॥ आयुधागाराध्यक्षः
॥ १८ ॥ तुलामानपौतवम् ॥ १९ ॥ देशकालमानम् ॥ २० ॥
शुल्काध्यक्षः ॥ २१ ॥ सूत्राध्यक्षः ॥ २२ ॥ सीताध्यक्षः ॥ २३ ॥
सुराध्यक्षः ॥ २४ ॥ सूनाध्यक्षः ॥ २५ ॥ गणिकाध्यक्षः ॥ २६ ॥
नावध्यक्षः ॥ २७ ॥ गोऽध्यक्षः ॥ २८ ॥ अश्वध्यक्षः ॥ २९ ॥
हस्त्यध्यक्षः ॥ ३० ॥ रथाध्यक्षः ॥ ३१ ॥ पत्यध्यक्षः ॥ ३२ ॥
सेनापतिप्रचारः ॥ ३३ ॥ मुद्राध्यक्षः ॥ ३४ ॥ विवीताध्यक्षः
॥ ३५ ॥ समाहर्तृप्रचारः ॥ ३६ ॥ गृहपतिवैदेहकतापसव्यञ्जनाः

(६) समाहर्ता का कर-संग्रह कार्य; (७) अक्षपटल में गाणनिक के कार्य; (८) गबन किए गए राजधन को पुनः प्राप्त करना; (९) उपयुक्त परीक्षा; (१०) शासनाधिकार; (११) कोष में रखने योग्य रत्नों की परीक्षा; (१२) खान के कार्यों का संचालन; (१३) अक्षशाला में स्वर्णाध्यक्ष का कार्य; (१४) विशिखा में सौवर्णिक का व्यापार; (१५) कोष्ठागार का अध्यक्ष; (१६) पण्य का अध्यक्ष; (१७) कुप्य का अध्यक्ष; (१८) आयुधागार का अध्यक्ष; (१९) तोल-माप का निश्चय; (२०) देश और काल का मान; (२१) शुल्क का अध्यक्ष; (२२) सूत का अध्यक्ष; (२३) कृषि का अध्यक्ष; (२४) आबकारी का अध्यक्ष; (२५) बंधस्थान का अध्यक्ष; (२६) वेश्यालयों का अध्यक्ष; (२७) परिवहन का अध्यक्ष; (२८) पशुओं का अध्यक्ष; (२९) अश्वशाला का अध्यक्ष; (३०) गजशाला का अध्यक्ष; (३१) रथसेना का अध्यक्ष; (३२) पैदल सेना का अध्यक्ष; (३३) सेनापति का कार्य; (३४) मुद्रा-विभाग का अध्यक्ष; (३५) चरागाह का अध्यक्ष; (३६) समाहर्ता का कार्य; (३७) गृहपति,

प्रणिधयः ॥ ३७ ॥ नागरिकप्रणिधिः ॥ ३८ ॥

इत्यध्यक्षप्रचारो द्वितीयमधिकरणम् ।

- १ व्यवहारस्थापना ॥ १ ॥ विवादपदनिबन्धः ॥ २ ॥ विवाह-संयुक्तम् ॥ ३ ॥ दायविभागः ॥ ४ ॥ वास्तुकम् ॥ ५ ॥ समयस्यानपाकर्म ॥ ६ ॥ ऋणादानम् ॥ ७ ॥ औपनिधिकम् ॥ ८ ॥ दासकर्मकरकल्पः ॥ ९ ॥ संभूयसमुत्थानम् ॥ १० ॥ विक्रीत-क्रीतानुशयः ॥ ११ ॥ दत्तस्यानपाकर्म ॥ १२ ॥ अस्वामि-विक्रयः ॥ १३ ॥ स्वस्वामिसंबन्धः ॥ १४ ॥ साहसम् ॥ १५ ॥ वाक्पारुष्यम् ॥ १६ ॥ दण्डपारुष्यम् ॥ १७ ॥ द्यूतसमाह्वयम् ॥ १८ ॥ प्रकीर्णकानि ॥ १९ ॥

इति धर्मस्थीयं तृतीयमधिकरणम् ।

२. कारुकरक्षणम् ॥ १ ॥ वैदेहकरक्षणम् ॥ २ ॥ उपनिपातप्रती-कारः ॥ ३ ॥ गूढाजीविनां रक्षा ॥ ४ ॥ सिद्धव्यञ्जनैर्माणव-प्रकाशनम् ॥ ५ ॥ शङ्कारूपकर्माभिग्रहः ॥ ६ ॥ आशुमृतक-

वैदेहक तथा तापस के वेष में गुप्तचर; और (३८) नागरिक के कार्य ।

तीसरा अधिकरण : न्याय का निरूपण

१. (१) व्यवहार की स्थापना; (२) विवाद पदों का विचार; (३) विवाह-सम्बन्धी विचार; (४) दाय-विभाग; (५) वास्तुक; (६) समय; (प्रतिज्ञा) का न छोड़ना; (७) ऋण लेना; (८) धरोहर-सम्बन्धी नियम; (९) दास और श्रमिकों के नियम; (१०) साक्षेदारी का हिस्सा; (११) क्रय-विक्रय-सम्बन्धी व्यवसाय; (१२) देने का वचन देकर फिर न देना; (१३) अस्वामि-विक्रय; (१४) स्व-स्वामि-सम्बन्ध; (१५) साहस; (१६) वाक्पारुष्य; (१७) दण्डपारुष्य; (१८) द्यूत-समाह्वय; और (१९) प्रकीर्णक ।

चौथा अधिकरण : कण्टक-शोधन

२. (१) शिल्पियों से देश की रक्षा; (२) व्यापारियों से देश की रक्षा; (३) दैवी आपत्तियों का प्रतीकार; (४) गुप्त षड्यन्त्रकारियों से देश की रक्षा; (५) सिद्ध पुरुषों के बहाने प्रलोभन-विद्याओं का प्रकाशन; (६) सन्देह, वस्तु

पहला अधिकरण

परीक्षा ॥ ७ ॥ वाक्यकर्मानुयोगः ॥ ८ ॥ सर्वाधिकरणरक्षणम्
॥ ९ ॥ एकाङ्गवधनिष्क्रयः ॥ १० ॥ शुद्धचित्रश्च दण्डकल्पः
॥ ११ ॥ कन्याप्रकर्म ॥ १२ ॥ अतिचारदण्डः ॥ १३ ॥

इति कण्टकशोधनं चतुर्थमधिकरणम् ।

१. दाण्डकर्मिकम् ॥ १ ॥ कोशाभिसंहरणम् ॥ २ ॥ भृत्यभर-
णीयम् ॥ ३ ॥ अनुजीविवृत्तम् ॥ ४ ॥ सामयाचारिकम् ॥ ५ ॥
राज्यप्रतिसंधानम् ॥ ६ ॥ एकैश्वर्यम् ॥ ७ ॥

इति योगवृत्तं पञ्चममधिकरणम् ।

२. प्रकृतसम्पदः ॥ १ ॥ शमव्यायामिकम् ॥ २ ॥

इति मण्डलयोनिः षष्ठमधिकरणम् ।

३. षाड्गुण्यसमुद्देशः ॥ १ ॥ क्षयस्थानवृद्धिनिश्चयः ॥ २ ॥
संश्रयवृत्तिः ॥ ३ ॥ समहीनज्यायसां गुणाभिनिवेशः ॥ ४ ॥
हीनसंधयः ॥ ५ ॥ विग्रह्यासनम् ॥ ६ ॥ संधायासनम् ॥ ७ ॥

और कार्य के द्वारा चोरों को पकड़ना; (७) आशुमृत की परीक्षा; (८) वाक्य-
कर्मानुयोग; (९) सभी राजकीय विभागों की रक्षा; (१०) एक अङ्ग का वध
या उसकी जगह द्रव्यदण्ड; (११) शुद्धदण्ड और चित्रदण्ड; (१२) कुंवारी
कन्या से सम्भोग करने का दण्ड; और (१३) अतिचार का दण्ड ।

पाँचवाँ अधिकरण : योगवृत्त-निरूपण

१. (१) दंडव्यवस्था; (२) कोश का संग्रह; (३) भृत्यों का भरण-पोषण;
(४) राज्यकर्मचारियों का व्यवहार; (५) व्यवस्था का यथोचित पालन;
(६) राज्य का प्रतिसंधान और (७) एकैश्वर्य !

छठा अधिकरण : प्रकृतियों का निरूपण

२. (१) प्रकृतियों के गुण; और (२) शांति तथा उद्योग ।

सातवाँ अधिकरण : छह गुणों का निरूपण

३. (१) छह गुणों का उद्देश्य; (२) क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय;
(३) बलवान् का आश्रय; (४) सम, हीन तथा बलवान् आदि राजाओं का
चरित; (५) हीन संधि; (६) विग्रह करके आसन; (७) संधि करके आसन;

विगृह्ययानम् ॥ ८ ॥ संघाय यानम् ॥ ९ ॥ संभूय प्रयाणम्
 ॥ १० ॥ यातव्यामित्रयोरभिग्रहचिन्ता ॥ ११ ॥ क्षयलोभविराग-
 हेतवः प्रकृतीनाम् ॥ १२ ॥ सामवायिकविपरिमर्शः ॥ १३ ॥
 संहितप्रयाणिकम् ॥ १४ ॥ परिपणितापरिपणितापसृताश्च संघयः
 ॥ १५ ॥ द्वैधीभाविकाः संधिविक्रमाः ॥ १६ ॥ यातव्यवृत्तिः
 ॥ १७ ॥ अनुग्राह्यमित्रविशेषाः ॥ १८ ॥ मित्रहिरण्यभूमिकर्म-
 संघयः ॥ १९ ॥ पार्णिग्राहचिन्ता ॥ २० ॥ हीनशक्तिपूर-
 णम् ॥ २१ ॥ बलवता विगृह्योपरोधहेतवः ॥ २२ ॥ दण्डो-
 पनतवृत्तम् ॥ २३ ॥ दण्डोपनायिवृत्तम् ॥ २४ ॥ संधिकर्म
 ॥ २५ ॥ संधिमोक्षः ॥ २६ ॥ मध्यमचरितम् ॥ २७ ॥ उदासीन-
 चरितम् ॥ २८ ॥ मण्डलचरितम् ॥ २९ ॥

इति षाड्गुण्यं सप्तममधिकरणम् ।

१. प्रकृतिव्यसनवर्गः ॥ १ ॥ राजराज्ययोर्व्यसनचिन्ता ॥ २ ॥

(८) विग्रह करके यान; (९) संधि करके यान; (१०) सामूहिक प्रयाण; (११) यातव्य और शत्रु के प्रति यान का निर्णय; (१२) प्रकृतियों के क्षय, लोभ और विराग के हेतु; (१३) सामवायिक राजाओं का विचार; (१४) मिलकर आक्रमण; (१५) परिपणित, अपरिपणित और अपसृत संधि; (१६) द्वैधीभाव-सम्बन्धी सन्धि और विक्रम; (१७) यातव्य-सम्बन्धी व्यवहार; (१८) अनुग्राह्य मित्र-विशेष; (१९) मित्रसंधि, हिरण्यसंधि, भूमिसंधि और कर्मसंधि; (२०) पार्णिग्राह-चिन्ता; (२१) दुर्बल का शक्ति-संचय; (२२) बलवान् से विरोध करके दुर्गप्रवेश के कारण; (२३) दंडोपनतवृत्त; (२४) दंडोपनायिवृत्त; (२५) संधिकर्म; (२६) संधिमोक्ष; (२७) मध्यम का चरित; (२८) उदासीन का चरित; और (२९) राजमंडल का चरित ।

आठवाँ अधिकरण : व्यसनों का निरूपण

१. (१) प्रकृतियों के व्यसन; (२) राजा और राज्य के व्यसनों पर विचार;

पहला अधिकरण

पुरुषव्यसनवर्गः ॥३॥ पीडनवर्गः ॥ ४ ॥ स्तम्भनवर्गः ॥ ५ ॥
कोशसङ्गवर्गः ॥६॥ बलव्यसनवर्गः ॥७॥ मित्रव्यसनवर्गः ॥८॥
इति व्यसनाधिकारिकमष्टममधिकरणम् ।

१. शक्तिदेशकालबलाबलज्ञानम् ॥ १ ॥ यात्राकालः ॥ २ ॥
बलोपादानकालः ॥ ३ ॥ संनाहगुणाः ॥ ४ ॥ प्रतिबलकर्म
॥ ५ ॥ पश्चात्कोपचिन्ता ॥ ६ ॥ बाह्याभ्यन्तरप्रकृतिकोपप्रती-
कारः ॥ ७ ॥ क्षयव्ययलाभविपरिमर्शः ॥ ८ ॥ बाह्याभ्यन्त-
राश्चापदः ॥ ९ ॥ दूष्यशत्रुसंयुक्ताः ॥ १० ॥ अर्थानर्थसंशय-
युक्ताः ॥ ११ ॥ तासामुपायविकल्पजाः सिद्धयः ॥ १२ ॥
इत्यभियास्यत्कर्म नवममधिकरणम् ।

२. स्कन्धावारनिवेशः ॥ १ ॥ स्कन्धावारप्रयाणम् ॥ २ ॥
बलव्यसनावस्कन्दकालरक्षणम् ॥ ३ ॥ कूटयुद्धविकल्पाः ॥ ४ ॥
स्वसैन्योत्साहनम् ॥ ५ ॥ स्वबलान्यबलव्यायोगः ॥ ६ ॥

(३) सामान्य पुरुषों के व्यसन; (४) पीडनवर्ग; (५) स्तम्भनवर्ग; (६) कोष-
संगवर्ग; (७) बलव्यसनवर्ग और (८) मित्रव्यसनवर्ग ।

नवाँ अधिकरण : आक्रमण का निरूपण

१. (१) शक्ति, देश और काल के बलाबल का ज्ञान; (२) आक्रमण का समय;
(३) सेनाओं के तैयार होने का समय; (४) सैन्य-संगठन (५) शत्रुसेना से
मुकाबला; (६) पश्चात्कोपचिन्ता; (७) बाह्य और आभ्यन्तर प्रकृति के कोप
का प्रतीकार; (८) क्षय, व्यय और लाभ का विचार; (९) बाह्य और आभ्यन्तर
आपत्तियाँ; (१०) राजद्रोही और शत्रुजन्म आपत्तियाँ; (११) अर्थ, अनर्थ तथा
संशयसंबंधी आपत्तियाँ; (१२) उन आपत्तियों के प्रतीकारों के उपायों से प्राप्त
होनेवाली सिद्धियाँ ।

दसवाँ अधिकरण : संग्राम का निरूपण

२. (१) छावनी का निर्माण; (२) छावनी का प्रयाण; (३) आपत्ति एवं
आक्रमण के समय सेना की रक्षा; (४) कूटयुद्ध के भेद; (५) अपनी सेना को

युद्धभूमयः ॥ ७ ॥ पत्त्यश्वरथहस्तिकर्माणि ॥ ८ ॥ पक्षकक्षोर-
स्यानां बलाग्रतो व्यूहविभागः ॥ ९ ॥ सारफल्गुबलविभागः
॥ १० ॥ पत्त्यश्वरथहस्तियुद्धानि ॥ ११ ॥ दण्डभोगमण्डला-
संहतव्यूहव्यूहनम् ॥ १२ ॥ तस्य प्रतिव्यूहसंस्थापनम् ॥ १३ ॥

इति साङ्ग्रामिकं दशममधिकरणम् ।

१. भेदोपादानानि ॥ १ ॥ उपांशुदण्डः ॥ २ ॥

इति सङ्घवृत्तमेकादशमधिकरणम् ।

२. दूतकर्म ॥ १ ॥ मन्त्रयुद्धम् ॥ २ ॥ सेनामुख्यवधः ॥ ३ ॥
मण्डलप्रोत्साहनम् ॥ ४ ॥ शस्त्राग्निरसप्रणिधयः ॥ ५ ॥ विवधा-
सारप्रसारवधः ॥ ६ ॥ योगातिसंधानम् ॥ ७ ॥ दण्डातिसंधानम्
॥ ८ ॥ एकविजयः ॥ ९ ॥

इत्यावलीयसं द्वादशमधिकरणम् ।

३. उपजापः ॥ १ ॥ योगवामनम् ॥ २ ॥ अपसर्पप्रणिधिः

प्रोत्साहन; (६) अपनी और पराई सेना का प्रयोग; (७) युद्ध के योग्य भूमि;
(८) पदाति, अश्वं, रथ तथा हाथी आदि सेनाओं के कार्य; (९) पक्ष, कक्ष
तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहों का सेना के परिणाम के अनुसार व्यूहविभाग;
(१०) सार तथा फल्गु बलों का विभाग; (११) चतुरंग सेना का युद्ध; (१२)
दंडव्यूह, भोगव्यूह, मंडलव्यूह, असंगत व्यूह और उनके प्रकृतिव्यूह तथा
विकृतिव्यूह की रचना; (१३) उक्त दंडादि व्यूहों के प्रतिव्यूहों की रचना ।

ग्यारहवाँ अधिकरण : संघवृत्त निरूपण

१. (१) भेदकप्रयोग; (२) उपाशुदण्ड ।

बारहवाँ अधिकरण : आवलीयस का निरूपण

२. (१) दूतकर्म; (२) मन्त्रयुद्ध, (३) सेनापतियों का वध; (४) राजमंडल की
सहायता; (५) शस्त्र, अग्नि और रथों का गूढ प्रयोग; (६) विवध, आसार और
प्रसार का नाश; (७) योगातिसंधान; (८) दंडातिसंधान; (९) एकविजय ।

तेरहवाँ अधिकरण : दुर्गप्राप्ति का निरूपण

३. (१) उपजाप, (२) योगवामन; (३) गुप्तचरों का शत्रुदेश में निवास;

पहला अधिकरण

॥३॥ पर्युपासनकर्म ॥ ४ ॥ अवमर्दः ॥ ५ ॥ लब्धप्रशमनम् ॥ ६ ॥

इति दुर्गलम्भोपायस्त्रयोदशमधिकरणम् ।

१. परघातप्रयोगः ॥ १ ॥ प्रलम्भनम् ॥ २ ॥ स्वबलोपघात-
प्रतीकारः ॥ ३ ॥

इत्यौपनिषदं चतुर्दशमधिकरणम् ।

२. तन्त्रयुक्तयः ॥ १ ॥

इति तन्त्रयुक्तिः पञ्चदशमधिकरणम् ।

३. शास्त्रसमुद्देशः पञ्चदशाधिकरणानि सपञ्चाशदध्यायशतं
साशीतिप्रकरणशतं षट् श्लोकसहस्राणीति ।

४. सुखग्रहणविज्ञेयं तत्त्वार्थपदनिश्चितम् ।
कौटिल्येन कृतं शास्त्रं विमुक्तग्रन्थविस्तरम् ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारके प्रथमाधिकरणे राजवृत्तिनिरूपणम् ।

(४) शत्रु के दुर्ग को घेरना; (५) शत्रु के दुर्ग को तोड़ना; (६) जीते हुए दुर्ग में शांति कायम करना ।

चौदहवाँ अधिकरण : औपनिषदिक-निरूपण

१. (१) शत्रुवध के प्रयोग; (२) प्रलम्भन योग; (३) शत्रुद्वारा अपनी सेना पर किए गए घातक प्रयोगों का प्रतीकार ।

पन्द्रहवाँ अधिकरण : तन्त्रयुक्ति का निरूपण

२. (१) तन्त्रयुक्तियाँ ।

३. इस प्रकार सम्पूर्ण कौटिलीय अर्थशास्त्र में पन्द्रह अधिकरण; एक सौ पचास अध्याय; एक सौ अस्सी प्रकरण; और छह हजार श्लोक हैं ।

[उक्त श्लोकसंख्या अक्षरों की गणना से दी गई है । बत्तीस अक्षरों का एक अनुष्टुप् छंद होता है । यदि इस कौटिलीय अर्थशास्त्र के अक्षरों को अनुष्टुप् छंद में बाँध दिया जाय तो छह हजार श्लोक बनते हैं ।]

४. इस अर्थशास्त्र में तत्त्वार्थ और पदों का प्रयोग किया गया है । व्यर्थ विस्तार से यह ग्रंथ सर्वथा मुक्त है । सरलमति बालक भी इस ग्रंथ को सुखपूर्वक समझ सकते हैं । इस अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने बनाया है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में राजवृत्तिनिरूपण समाप्त ।

प्रवृत्तः ?

अध्याय १

विद्यारामुद्देशः

आन्वीक्षकीस्थापना

१. आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः ।
२. त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः । त्रयीविशेषो ह्यान्वीक्षकीति ।
३. वार्ता दण्डनीतिश्चेति बार्हस्पत्याः । संवरणमात्रं हि त्रयी लोक-
यात्राविद इति ।
४. दण्डनीतिरेका विद्येत्यौशनसाः । तस्यां हि सर्वविद्यारम्भाः
प्रतिबद्धा इति ।
५. चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः । ताभिर्धर्मार्थौ यद्विद्यात्त-
द्विद्यानां विद्यात्वम् ।

विद्या-विषयक विचारः आन्वीक्षकी

१. आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, ये चार विद्यायें हैं ।
२. मनु संप्रदाय के अनुयायी आचार्य त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, इन तीन विद्याओं को मानते हैं । उनका मत है कि आन्वीक्षकी का समावेश त्रयी के अन्तर्गत हो जाता है ।
३. आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वान् केवल दो ही विद्यायें मानते हैं : वार्ता और दण्डनीति । उनके मतानुसार त्रयी तो दुनियादार (लोकयात्राविद) लोगों की आर्जाविका का साधन मात्र है ।
४. शुक्राचार्य के अनुयायी विद्वानों ने तो केवल दण्डनीति को ही विद्या माना है, और उसी को सम्पूर्ण विद्याओं का स्थान एवं कारण स्वीकार किया है ।
५. किन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त चारों विद्याओं को मानते हैं और उनकी यथार्थता धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में बताते हैं ।

पहला अधिकरण : प्रकरण १, अध्याय १

१. साङ्ख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षकी । धर्माधर्मौ त्रय्याम-
र्थानर्थौ वार्तायां नयापनयौ दण्डनीत्याम् । बलाबले चैतासां
हेतुभिरन्वीक्षमाणान्वीक्षकी लोकस्योपकरोति; व्यसनेऽभ्युदये
च बुद्धिमवस्थापयति; प्रज्ञावाक्यक्रियावैशारद्यं च करोति ।

२. प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।
आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षकी मता ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे विद्यासमुद्देशे
आन्वीक्षकीस्थापना नाम प्रथमोऽध्यायः ।



१. सांख्य, योग और लोकायत (नास्तिक दर्शन), ये आन्वीक्षकी विद्या के अन्तर्गत हैं । इसी प्रकार त्रयी में धर्म-अधर्म का, वार्ता में अर्थ-अनर्थ का और दण्डनीति में सुशासन-दुःशासन का ज्ञान प्रतिपादित है । त्रयी आदि विद्याओं की प्रधानता-अप्रधानता (बलाबल) को, भिन्न-भिन्न युक्तियों से, निर्धारित करती हुई आन्वीक्षकी विद्या लोक का उपकार करती है; सुख-दुःख से बुद्धि को स्थिर रखती है; और सोचने, विचारने बोलने तथा कार्य करने में सक्षम बनाती है ।

२. यह आन्वीक्षकी विद्या सर्वदा ही सब विद्याओं का प्रदीप, सभी कार्यों का साधन और सब धर्मों का आश्रय मानी गई है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



प्रवृत्तरण १

अध्याय २

त्रयीस्थापना

१. सामर्ग्यजुर्वेदास्त्रयस्त्रयी । अथर्ववेदेतिहासवेदौ च वेदाः । शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दोविचितिज्योतिषमिति चाङ्गानि ।
२. एष त्रयीधर्मश्चतुर्णां वर्णानामाश्रमाणां च स्वधर्मस्थापना-दौपकारिकः ।
३. स्वधर्मो ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्चेति । क्षत्रियस्याध्ययनं यजनं दानं शस्त्राजीवो भूतरक्षणं च । वैश्यस्याध्ययनं यजनं दानं कृषिपाशुपाल्ये

विद्या-विषयक विचार : त्रयी

१. साम, ऋक् तथा यजु, इन तीनों वेदों का समन्वित नाम ही त्रयी (तीनों वेद) है । अथर्ववेद और इतिहासवेद ही वेद कहे जाते हैं । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदोविचिति (विचिति = विचार, विवेक) और ज्योतिष ये छह वेदांग हैं ।
२. त्रयी में निरूपित यह धर्म, चारों वर्णों और चारों आश्रमों को अपने-अपने धर्म (कर्तव्य) में स्थिर रखने के कारण लोक का बहुत ही उपकारक है ।
३. ब्राह्मण का धर्म अध्ययन-अध्यापन, यज्ञ-याजन और दान देना तथा दान लेना है । क्षत्रिय का धर्म है पढना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्रबल से जीविकोपार्जन करना और प्राणियों की रक्षा करना । वैश्य का धर्म पढना, यज्ञ करना, दान देना, कृषिकार्य एवं पशुपालन और व्यापार करना है । इसी प्रकार शूद्र का अपना धर्म है कि वह ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य की सेवा करे; खेती, पशु-

पहला अधिकरण : प्रकरण १, अध्याय २

वणिज्या च । शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषा वार्ता कारुकुशील-
वकर्म च ।

१. गृहस्थस्य स्वकर्माजीवस्तुल्यैरसमानर्षिभिर्वैवाह्यमृतुगामित्वं
देवपित्रतिथिभृत्येषु त्यागः शेषभोजनं च ।
२. ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायोऽग्निकार्याभिषेकौ भैक्षव्रतत्वमाचार्ये
प्राणान्तिकी वृत्तिस्तदभावे गुरुपुत्रे सब्रह्मचारिणि वा ।
३. वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यं भूमौ शय्या जटाऽजिनधारणमग्निहोत्रा-
भिषेकौ देवतापित्रतिथिपूजा वन्यश्वाहारः ।
४. परिव्राजकस्य संयतेन्द्रियत्वमनारम्भो निष्किञ्चनत्वं सङ्ग-
त्यागो भैक्षमनेकत्रारण्यवासो बाह्याभ्यन्तरं च शौचम् ।

पालन तथा व्यापार करे; और शिल्प (कारीगरी), गायन, वादन एवं चारण,
भाट आदि का कार्य करे ।

१. गृहस्थ अपनी परम्परा के अनुकूल कार्यों द्वारा जीविकोपार्जन करे; सगोत्र
तथा असगोत्र समाज में विवाह करे; ऋतुगामी हो; देव, पितर, अतिथि और
भृत्यजनों को देकर सबसे अन्त में भोजन करे ।
२. ब्रह्मचारी का धर्म है कि वह नियमित स्वाध्याय करे; अग्निहोत्र रचे; नित्य
स्नान करे; भिक्षाटन करे; जीवनपर्यन्त गुरु के समीप रहे; गुरु की अनुपस्थिति
में गुरुपुत्र अथवा अपने किसी समान शाखाध्यायी के निकट रहे ।
३. वानप्रस्थी का धर्म है : ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना; भूमि पर शयन करना;
जटा, मृगचर्म को धारण किए रहना; अग्निहोत्र तथा प्रतिदिन स्नान करना;
देव, पितर एवं अभ्यागतों की सेवा-पूजा करना और वन के कन्द-मूल-फल
पर निर्वाह करना ।
४. संन्यासी का धर्म है : जितेन्द्रिय होना; वह किसी भी सांसारिक कार्य को
न करे; निष्किञ्चन बना रहे; एकाकी रहे; प्राणरक्षा मात्र के लिए स्वरूप आहार
करे; समाज में न रहे; जंगल में भी एक ही स्थान पर न रहता रहे; मन,
वचन, कर्म से अपना भीतर तथा बाहर पवित्र रखे ।

१. सर्वेषामहिंसा सत्यं शौचमनसूयाऽऽनृशंस्यं क्षमा च ।
२. स्वधर्मः स्वर्गायानन्त्याय च । तस्यातिक्रमे लोकः सङ्करा-
दुच्छिद्येत ।
३. तस्मात्स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत् ।
स्वधर्मं संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति ॥
४. व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः ।
त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे विद्यासमुद्देशे
त्रयीस्थापना द्वितीयोऽध्यायः ।



१. प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम का धर्म है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा न करे; सत्य बोले; पवित्र बना रहे; किसी से ईर्ष्या न करे; दयावान् और क्षमाशील बना रहे ।
२. अपने धर्म का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है । उसका पालन न करने से वर्ण तथा कर्म में संकरता आ जाती है, जिससे लोक का नाश हो जाता है ।
३. इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को धर्म और कर्म मार्ग से भ्रष्ट न होने दे । अपनी प्रजा को धर्म और कर्म में प्रवृत्त रखने वाला राजा लोक और परलोक में सुखी रहता है ।
४. पवित्र आर्यमर्यादा में अवस्थित, वर्णाश्रमधर्म में नियमित और त्रयी धर्म से रक्षित प्रजा दुखी नहीं होती, सदा सुखी रहती है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



प्रकरण १

अध्याय ३

वार्तादण्डनीतिस्थापना

१. कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता । धान्यपशुहिरण्यकुप्य-
विष्टिप्रदानादौपकारिकी । तथा स्वपक्षं परपक्षं च वशीकरोति
कोशदण्डाभ्याम् ।
२. आन्वीक्षकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डः । तस्य नीति-
दण्डनीतिः । अलब्धलाभार्था; लब्धपरिरक्षणी; रक्षितविवर्धनी;
वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च ।

विद्या-विषयक विचार : वार्ता और दण्डनीति

१. कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये वार्ताविद्या के विषय हैं । यह विद्या, धान्य, पशु, हिरण्य, ताम्र आदि खनिज पदार्थ और नौकर-चाकर आदि की देने वाली परम उपकारिणी है । इसी विद्या से उपार्जित कोश और सेना के बल पर राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वश में कर लेता है ।
२. आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता, इन सभी विद्याओं की सुख-समृद्धि दण्ड पर निर्भर है । दण्ड (शासन) को प्रतिपादित करने वाली नीति ही दण्डनीति कहलाती है । वही अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त कराती है; प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करती है; रक्षित वस्तुओं की वृद्धि करती है और वही संवर्द्धित वस्तुओं को समुचित कार्यों में लगाने का निर्देश करती है । उसी पर संसार की सारी लोकयात्रा निर्भर है। इसलिए लोक को समुचित मार्ग पर ले चलने की इच्छा रखने वाला राजा सदा ही उद्यतदण्ड (दण्ड देने के लिए प्रस्तुत) रहे ।

१. तस्यामायत्ता लोकयात्रा । तस्माल्लोकयात्रार्थी नित्यमुद्यतदण्डः स्यात् । न ह्येवंविधं वशोपनयनमस्ति भूतानां यथा दण्ड इत्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः । तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्वेजनीयः । मृदुदण्डः परिभूयते । यथार्हदण्डः पूज्यः । सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्मार्थकामैर्योजयति ।
३. दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्धानप्रस्थपरिव्राजकानपि कोपयति, किमङ्ग पुनर्गृहस्थान् । अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्भावयति । बलीयानबलं हि ग्रसते दण्डधराभावे । तेन गुप्तः प्रभवतीति ।

१. पुरातन आचार्यों का अभिमत है कि 'दण्ड के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिससे सभी प्राणियों को सहज ही वश में किया जा सके' ।
२. किन्तु आचार्य कौटिल्य इस युक्ति से सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि 'कठोर दण्ड देने वाले राजा (निष्ठुर शासक) से सभी प्राणी उद्विग्न हो उठते हैं; किन्तु दण्ड में ढीलाई कर देने से भी लोक, राजा की अवहेलना करने लगता है । इसलिए राजा को समुचित दण्ड देने वाला होना चाहिए ।'
३. भली भाँति सोच-समझ कर प्रयुक्त दण्ड प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त करता है । काम-क्रोध के वशीभूत होकर अज्ञानतापूर्वक अनुचित रीति से प्रयुक्त किया हुआ दण्ड, वानप्रस्थ और परिव्राजक जैसे निःस्पृह व्यक्तियों को भी कुपित कर देता है; फिर गृहस्थ लोगों पर ऐसे दण्ड की क्या प्रतिक्रिया होगी, सोचा ही नहीं जा सकता है ! इसके विपरीत, यदि दण्ड से व्यवस्था सर्वथा ही तोड़ दी जाय तो उसका कुप्रभाव यह होगा कि जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, वैसे ही बलवान् व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति का रहना दूबर कर देगा । दण्ड-व्यवस्था के अभाव में सर्वत्र ही अराजकता फैल जाती है और निर्बल को बलवान् सताने लगता है; किन्तु दण्डधारी राजा से रक्षित दुर्बल भी बलवान् बना रहता है ।

पहला अधिकरण : प्रकरण १, अध्याय ३

१. चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः ।
स्वधर्मकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वेश्मसु ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे विद्यासमुद्देशे
वार्त्तास्थापना दण्डनीतिस्थापना च तृतीयोऽध्यायः ।



१. राजा की दण्ड-व्यवस्था से रहित चारों वर्ण-आश्रम, सारा लोक, अपने-अपने धर्मकर्मों में प्रवृत्त होकर निरन्तर अपनी-अपनी मर्यादा पर बने रहते हैं ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।



प्रवृत्तः २

अध्याय ४

वृत्त-संयोगः

१. तस्माद्दण्डमूलास्तिस्रो विद्याः । विनयमूलो दण्डः प्राणभृतां योगक्षेमावहः ।
२. कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः । क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम् । शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनि-विष्टबुद्धिं विद्या विनयति नेतरम् ।
३. विद्यानां तु यथास्वमाचार्यप्रामाण्याद्विनयो नियमश्च ।
४. वृत्तचौलकर्मा लिपिं संख्यानां चोपयुञ्जीत ।

वृद्धजनों की संगति

१. यही कारण है कि आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन तीनों विद्याओं का अस्तित्व दण्डनीति पर आधारित है । शास्त्रविहित उचित रीति से प्रयुक्त दण्ड, प्रजा के योगक्षेम का साधक होता है ।
२. विनय (शिक्षा) दो प्रकार का होता है : (१) कृतक (कृत्रिम, बना-वटी, नैमित्तिक) और (२) स्वाभाविक (स्वतःसिद्ध) । शिक्षा, सुपात्र को ही योग्य बना सकती है, अपात्र को नहीं । विद्या से वही योग्य हो सकते हैं, जो कि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह (तर्क-वितर्क) में विवेक तथा बुद्धि से काम लेते हैं ।
३. विभिन्न विद्याओं के विभिन्न आचार्यों के मतानुसार ही शिष्य का शिक्षण और नियमन होना चाहिए ।
४. मुण्डन-संस्कार के बाद वर्णमाला और अङ्गमाला का अभ्यास करे । उप-नयन के बाद सदाचारशील विद्वान् आचार्यों से त्रयी तथा आन्वीक्षिकी,

वृत्तोपनयनस्त्रयीमान्वीक्षकीं च शिष्टेभ्यः, वार्त्तामध्यक्षेभ्यः,
दण्डनीतिं वक्तृप्रयोक्तृभ्यः ।

१. ब्रह्मचर्यं चाषोडशाद्वर्षात् । अतो गोदानं दारकर्म च । अस्य
नित्यश्च विद्यावृद्धसंयोगो विनयवृद्धयर्थं तन्मूलत्वाद्दिनयस्य ।
२. पूर्वमहर्भागं हस्त्यश्वरथप्रहरणविद्यासु विनयं गच्छेत् । पश्चिम-
मितिहासश्रवणे । पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्र-
मर्थशास्त्रं चेतीतिहासः । शेषमहोरात्रभागमपूर्वग्रहणं गृहीतपरि-
चयं च कुर्यात् । अगृहीतानामाभीक्ष्ण्यश्रवणं च ।
३. श्रुताद्धिं प्रज्ञोपजायते; प्रज्ञाया योगो योगादात्मवत्तेति
विद्यासामर्थ्यम् ।

विभागीय अध्यक्षां से वार्ता और वक्ता-प्रयोक्ता विशेषज्ञों (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव आदि के आचार्यों) से दण्डनीति की शिक्षा ग्रहण करे ।

१. सोलह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करे । तदनन्तर समावर्तन संस्कार (केशान्त कर्म) और विवाह करे । विवाह के बाद अपने विनय (शिक्षा) की वृद्धि के लिए सदा ही विद्यावृद्ध पुरुषों का सहवास करे, क्योंकि सारा विनय उन्हीं पर निर्भर है ।
२. दिन का पहिला भाग हाथी, घोड़ा, रथ, अस्त्र-शस्त्र आदि विद्याओं की शिक्षा में बिताये । दिन के दूसरे भाग को इतिहास सुनने में लगाये । पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण (मीमांसा), धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सभी विषय इतिहास हैं । दिन और रात के बाकी बचे समय में नये ज्ञान का अर्जन और अधीत ज्ञान का मनन-चिन्तन करे । जो विषय एक बार सुनने में बुद्धिस्थ न हो सके, उसको बार-बार सुने ।
३. क्योंकि शास्त्र-श्रवण से बुद्धि का विकास होता है; उससे योगशास्त्रों में रुचि और योग से आत्मबल प्राप्त होता है । यही विद्या का सुपरिणाम है ।

१. विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः ।
अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः ॥
इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे
वृद्धसंयोगः चतुर्थोऽध्यायः ।

—००१००—

जो विद्वान् राजा प्राणिमात्र की हितकामना में लगा रहता है और प्रजा के शासन तथा शिक्षण में तत्पर रहता है, वह चिरकाल तक पृथिवी का निर्वाध शासन करता है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।

—००१००—

प्रवृत्तः ३

अध्याय ५

इन्द्रिय-जयः

अरिषड्वर्गत्यागः

१. विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः; कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागा-
त्कार्यः । कर्णत्वगक्षिजिह्वाघ्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसग-
न्धेष्वविप्रतिपत्तिरिन्द्रियजयः ।
२. शास्त्रार्थानुष्ठानं वा । कृत्स्नं हि शास्त्रमिदमिन्द्रियजयः ।
तद्विरुद्धवृत्तिरवश्येन्द्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनश्यति ।
यथा दाण्डक्यो नाम भोजः कामाद् ब्राह्मणकन्यामभिर्मन्यमानः
सबन्धुराष्ट्रो विननाश । करालश्च वैदेहः । कोपाज्जनमेजयो
ब्राह्मणेषु विक्रान्तस्तालजङ्घश्च भृगुषु । लोभादैलश्चातुर्वर्ण्य-

काम-क्रोधादि छह शत्रुओं का परित्याग

१. विद्या और विनय का हेतु इन्द्रियजय है; अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्यागसे इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका को उनके विषयों : शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है ।
२. अथवा शास्त्रों में प्रतिपादित कर्तव्यों के सम्यक् अनुष्ठान को ही इन्द्रियजय कहते हैं । सारे शास्त्रों का मूल कारण इन्द्रियजय है । शास्त्र-रहित कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला इन्द्रिय-लोलुप राजा सारी पृथिवी का अधिपति होता हुआ भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । अदाहरणस्वरूप भोजवंशीय दाण्डक्य नामक राजा कामवश ब्राह्मणकन्या का अपहरण करने के अपराध में, उसके पिता के शाप से, सपरिवार एवं सराष्ट्र विनष्ट हो गया । यही गति विदेह देश के राजा कराल की भी हुई । क्रोधवश राजा जनमेजय भी ब्राह्मणों से कलह कर बैठा और वह भी उनके शाप से

मत्याहारयमाणः सौवीरश्चाजविन्दुः । मानाद्रावणः परदारानप्रयच्छन् । दुर्योधनो राज्यादंशं च । मदाद् डम्भोद्भवो भूतावमानी हैहयश्चार्जुनः । हर्षाद्वातापिरगस्त्यमत्यासादयन्वृष्णिसंघश्च द्वैपायनमिति ।

१. एते चान्ये च बहवः शत्रुषड्वर्गमाश्रिताः ।
सवन्धुराष्ट्रा राजानो विनेशुरजितेन्द्रियाः ॥
शत्रुषड्वर्गमुत्सृज्य जामदग्न्यो जितेन्द्रियः ।
अम्बरीषश्च नाभागो बुभुजाते चिरं महीम् ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमेऽधिकरणे इन्द्रियजये
अरिषड्वर्गत्यागः पञ्चमोऽध्यायः ।



नष्ट हो गया । इसी प्रकार भृगुवंशियों से कलह करने पर तालजंघ की भी दुर्गति हुई । लोभाभिभूत होकर इला का पुत्र पुरुरवा, चारों वर्णों से अत्याचारपूर्वक धन का अपहरण करने के कारण, उनके अभिशाप से मारा गया । यही हाल सौवीर देश के राजा अजविन्दु का भी हुआ । अभिमानी रावण परपत्नी के अपहरण के अपराध से और दुर्योधन अपने भाइयों को राज्य का भाग न देने के अन्याय से मारे गये । मदनमत्त राजा जम्भोद्भव अपनी प्रजा का तिरस्कार करता रहा; अन्त में नर-नारायण के साथ युद्ध करते हुए वह भी विनाश को प्राप्त हुआ । इसी कारण हैहयराज अर्जुन, परशुराम के हाथ से मारा गया । हर्ष के वशीभूत होकर वातापि नाम का असुर, अगस्त्य ऋषि के साथ प्रवृद्धना करते हुए और यादवसंघ, द्वैपायन ऋषि के साथ कपट के अपराध में शापवश मृत्युमुख में जा पहुँचे ।

१. कामादि छह शत्रुओं के वश में होकर, ऊपर गिनाये गए राजाओं के अतिरिक्त दूसरे भी बहुत से राजा, सवन्धु-बान्धव एवं सराज्य नष्ट हो गये । किन्तु जामदग्न्य (परशुराम), अम्बरीष और नाभाग (नभाग का पुत्र) जैसे जितेन्द्रिय राजाओं ने चिरकाल तक इस पृथिवी का निष्कण्टक राज्य भोगा ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।



घातकरण ३

अध्याय ६

राजर्षिवृत्तम्

१. तस्मादरिषड्वर्गत्यागेनेन्द्रियजयं कुर्वीत । वृद्धसंयोगेन प्रज्ञां, चारेण चक्षुउत्थानेन योगक्षेमसाधनं, कार्यानुशासनेन स्वधर्म-स्थापनं, विनयं विद्योपदेशेन, लोकप्रियत्वमर्थसंयोगेन, हितेन वृत्तिम् ।
२. एवं वश्येन्द्रियः परस्त्रीद्रव्यहिंसाश्च वर्जयेत् । स्वप्नं लौल्यमनृत-मुद्धतवेषत्वमनर्थसंयोगं च; अधर्मसंयुक्तमानर्थसंयुक्तं च व्यवहारम् ।

साधु-स्वभाव राजा की जीवनचर्या

१. इसलिए, काम-क्रोधादि छहों शत्रुओं का सर्वथा परित्याग करके इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करे । विद्वान् पुरुषों की सङ्गति में रहकर बुद्धि का विकास करे । गुप्तचरों द्वारा स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र के वृत्तान्त अवगत करे । उद्योग के द्वारा राज्य के योग-क्षेम का सम्पादन करे । राजकीय नियमों द्वारा अपने-अपने धर्म पर दृढ बने रहने के लिए प्रजा पर नियन्त्रण रखे । शिक्षा के प्रचार-प्रसार से प्रजा को विनम्र और शिक्षित बनावे । प्रजाजनों को धन-सम्मान प्रदान कर अपनी लोकप्रियता को बनाये रखे । दूसरों का हित करने में उत्सुक रहे ।
२. इस प्रकार इन्द्रियों को वश में रखता हुआ वह (राजा) पराई स्त्री, पराया धन और हिंसावृत्ति को सर्वथा त्याग दे । कुसमय शयन करना, चञ्चलता, झूठ बोलना, अविनीत वृत्ति बनाये रखना, इस प्रकार के आचरणों और इस प्रकार के आचरण वाले लोगों की सङ्गति को वह छोड़ दे । उसको चाहिए कि वह अधर्माचरण और अनर्थकारी व्यवहार का भी परित्याग कर दे । -

१. धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत । न निःसुखः स्यात् । समं वा त्रिवर्गमन्योन्यानुबन्धम् । एको ह्यत्यासेवितो धर्मार्थकामानामात्मानमितरौ च पीडयति ।
२. अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः; अर्थमूलौ हि धर्मकामाविति ।
३. मर्यादां स्थापयेदाचार्यान्मात्यान् वा । य एनमपायस्थानेभ्यो वारयेयुः । छायानालिकाप्रतोदेन वा रहसि प्रमाद्यन्तमभितुदेयुः ।
४. सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते ।
कुर्वति सचिवांस्तस्मात्तेषां च शृणुयान्मतम् ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे इन्द्रियजये
राजर्षिवृत्तं षष्ठोऽध्यायः ।

—००५०००—

१. काम का भी वह सेवन करे; किन्तु उससे धर्म और अर्थ को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे । सर्वथा सुखरहित जीवन-यापन न करे । परस्पर अनुबद्ध धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का सन्तुलित उपभोग करे । इस त्रिवर्ग का असन्तुलित उपभोग बड़ा दुःखदायी सिद्ध होता है ।
२. आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि 'धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में अर्थ प्रधान है, धर्म और काम अर्थ पर निर्भर हैं' ।
३. गुरुजन और अमात्यवर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करे । वे ही राजा को अनर्थकारी कार्यों से रोकते रहें । यदि वह एकान्त में प्रमाद करता हुआ बेसुध हो तो समय-सूचक यन्त्र द्वारा अथवा घंटा आदि बजाकर उसको उद्बुद्ध करें ।
४. एक पहिये की गाड़ी की भाँति राजकाज भी बिना सहायता-सहयोग से नहीं चलाया जा सकता है । इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति कर उनके परामर्शों को हृदयंगम करे ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में छठवाँ अध्याय समाप्त ।

—००५०००—

अमात्यनियुक्तिः

१. सहाध्यायिनोऽमात्यान् कुर्वीत, दृष्टशौचसामर्थ्यत्वादिति भारद्वाजः । ते ह्यस्य विश्वास्या भवन्तीति ।
२. नेति विशालाक्षः । सहक्रीडितत्वात् परिभवन्त्येनम् । ये ह्यस्य गुह्यसधर्माणस्तानमात्यान् कुर्वीत, समानशीलव्यसनत्वात् । ते ह्यस्य मर्मज्ञभयान्नापराध्यन्तीति ।
३. साधारण एष दोष इति पराशरः । तेषामपि मर्मज्ञभयाकृताकृतान्यनुवर्तेत ।
४. यावद्भयो गुह्यमाचष्टे जनेभ्यः पुरुषाधिपः ।
अवशः कर्मणा तेन वश्यो भवति तावताम् ॥

अमात्यो की नियुक्ति

१. आचार्य भारद्वाज का अभिमत है कि 'राजा, अपने सहपाठियों की अमात्य पद पर नियुक्त करे; क्योंकि उनके हृदय की पवित्रता से वह सुपरिचित होता है; उनकी कार्यक्षमता को भी वह जान चुका होता है । ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वासपात्र होते हैं' ।
२. आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि 'ऐसा उचित नहीं । एक साथ खेलने, तथा उठने-बैठने के कारण सहपाठी अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं । इसलिए उनको अमात्य बनाना चाहिए जो कि गुप्तकार्यों में राजा का साथ देते रहे हों । समान शील और समान व्यसन होने के कारण ऐसे लोग गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से, राजा का अपमान नहीं करते हैं' ।
३. आचार्य पराशर के मत से आचार्य विशालाक्ष की युक्तियाँ दोषपूर्ण हैं । पराशर का कहना है कि यह बात तो दोनों ही पक्षों पर एक समान चरितार्थ होती है । ऐसा करने से यह भी तो संभव है कि गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा ही अमात्य की कठपुतली बन जाय ! क्योंकि :
४. राजा जिन लोगों से जितना ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है, उतना ही शक्ति से क्षीण होकर वह उनके वश में हो जाता है ।

१. य एनमापत्सु प्राणाबाधयुक्तास्वनुगृहीयुस्तानमात्यान् कुर्वीत, दृष्टानुरागत्वादिति ।
२. नेति पिशुनः । भक्तिरेषा न बुद्धिगुणः । संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थं सविशेषं वा कुर्युस्तानमात्यान् कुर्वीत, दृष्टगुणत्वादिति ।
३. नेति कौणपदन्तः । अन्यैरमात्यगुणैरयुक्ता ह्येते । पितृपैतामहानमात्यान् कुर्वीत, दृष्टापदानत्वात् । ते ह्येनमपचरन्तमपि न त्यजन्ति, सगन्धत्वात् । अमानुषेष्वपि चैतद् दृश्यते—गावो ह्यसगन्धं गोगणमतिक्रम्य सगन्धेष्वेवावतिष्ठन्ते इति ।
४. नेति वातव्याधिः, । ते ह्यस्य सर्वमपगृह्य स्वामिवत् प्रचर-

१. 'इसलिए जो पुरुष राजा की प्राणघातक आपत्तियों में रक्षा करें, उनको अमात्य नियुक्त करना चाहिए । उनके अनुराग की परीक्षा राजा कर चुका होता है ।'
२. आचार्य पिशुन इसको भक्ति कहते हैं । उनका कहना है कि 'प्राणों की चिन्ता न करके राजा की सहायता करना भक्ति है, सेवाधर्म है; वह बुद्धि का प्रमाण नहीं; जो बुद्धिमानी कि अमात्य का सर्वोच्च गुण है । इसलिए अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए जो कि विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को विशेष योग्यता के साथ संपन्न करके दिखा दें, क्योंकि इस ढंग पर उनके बुद्धि-वैशिष्ट्य की परीक्षा हो जाती है' ।
३. आचार्य कौणपदन्त उक्त मत को नहीं मानते । उनका कहना है कि 'ऐसे लोग अमात्योचित गुणों से शून्य होते हैं । अमात्यपद जिनको वंश-परंपरा से उपलब्ध रहा हो, उन्हीं को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए । वे ही उसकी संपूर्ण रीति-नीति से सुपरिचित होते हैं । यही कारण है कि वे अपना अपकार होने पर भी, परंपरागत संबंध के कारण राजा को नहीं छोड़ते । यह बात पशु-पक्षियों तक में देखी जाती है : गाय, अपरिचित गोष्ठ को छोड़कर परिचित गोष्ठ में ही जाकर ठहरती है' ।
४. आचार्य वातव्याधि, आचार्य कौणपदन्त के अभिमत के समर्थक नहीं हैं । उनकी मान्यता है कि 'इस प्रकार के अमात्य; राजा के सर्वस्व को अपने अधीन करके, राजा के समान स्वतन्त्र वृत्ति वाले हो जाते हैं । इसलिए

न्तीति । तस्मान्नीतिविदो नवानमात्यान् कुर्वीत । नवास्तु यमस्थाने दण्डधरं मन्यमाना नापराध्यन्तीति ।

१. नेति बाहुदन्तीपुत्रः । शास्त्रविददृष्टकर्मा कर्मसु विषादं गच्छेत् । अभिजनप्रज्ञाशौचशौर्यानुरागयुक्तानमात्यान् कुर्वीत, गुणप्राधान्यादिति ।

२. सर्वमुपपन्नमिति कौटिल्यः । कार्यसामर्थ्याद्धि पुरुषसामर्थ्यं कल्प्यते सामर्थ्यतश्च ।

३. विभज्यामात्यविभवं देशकालौ च कर्म च ।
अमात्याः सर्व एवैते कार्याः स्युर्न तु मन्त्रिणः ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाऽधिकरणेऽमात्योत्पत्तिनामकः सप्तमोऽध्यायः ।



नीतिकुशल राजा नये व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करे । नये अमात्य, दण्डधारी राजा को यम का दूसरा अवतार समझ कर, उसकी कभी भी अवमानना नहीं करते हैं ।'

१. आचार्य बाहुदन्तीपुत्र (इन्द्र) के मत से यह भी ठीक नहीं है । वे कहते हैं 'नीतिशास्त्रपारांगत, किन्तु क्रियात्मक अनुभव से शून्य व्यक्ति राजकार्यों को नहीं कर सकता है । इसलिए जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर और राजभक्त हों, उनको अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए । उनमें गुणों की प्रधानता होती है ।'

२. आचार्य कौटिल्य के मतानुसार, भारद्वाज से लेकर बाहुदन्तीपुत्र तक की विचार-परम्परा, अपने-अपने स्थान पर ठीक है । 'किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्यों की सफलता पर निर्भर है, और उसकी यह कार्यक्षमता उसकी विद्या-बुद्धि के बल पर ही आँकी जा सकती है ।' इसलिए :

३. राजा को चाहिए कि वह सहपाठी आदि की भी सर्वथा अवहेलना न करे । उसके लिए यह परमावश्यक है कि वह विद्या, बुद्धि, साहस, गुण, दोष, देश, काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे; किन्तु उन्हें अपना मन्त्री कदापि न बनाये ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त ।



मन्त्रि-पुरोहितयोर्नियुक्तिः

१. जानपदोऽभिजातः स्ववग्रहः कृतशिल्पश्चक्षुष्मान् प्राज्ञो धार-
यिष्णुर्दक्षो वाग्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमानुत्साहप्रभावयुक्तः क्लेश-
सहः शुचिर्मेत्रो दृढभक्तिः शीलवलारोग्यसत्त्वसंयुक्तः स्तम्भ-
चापल्यवर्जितः संप्रियो वैराणामकर्तेत्यमात्यसंपत् । अतः
पादार्धगुणहीनौ मध्यमावरौ ।
२. तेषां जनपदमवग्रहं चाप्यतः परीक्षेत, समानविद्येभ्यः शिल्पं
शास्त्रचक्षुष्मत्तां च; कर्मारम्भेषु प्रज्ञां धारयिष्णुतां दाक्ष्यं च;
कथायोगेषु वाग्मित्वं प्रागल्भ्यं प्रतिभानवत्त्वं च; आपद्यु-

मन्त्री और पुरोहित की नियुक्ति

मन्त्री की योग्यता :

१. स्वदेशीत्पन्न, सत्कुलीन, अवगुणशून्य, निपुण सवार एवं ललित कलाओं का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विद्वान्, बुद्धिमान्, स्मरणशक्तिसंपन्न, चतुर, वाक्पटु, प्रगल्भ (दवंग), प्रतिवाद तथा प्रतिकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभाव-
शाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ, स्वामिभक्त, सुशील, समर्थ, स्वस्थ, धैर्यवान्, निरभिमानी, स्थिरप्रकृति, प्रियदर्शी और द्वेषवृत्तिरहित पुरुष प्रधानमन्त्री पद के योग्य है । जिनमें इसकें एक-चौथाई या आधी योग्यताएँ हों उन्हें मध्यम या निकृष्ट मन्त्री समझना चाहिए ।
२. मन्त्री नियुक्त करने से पूर्व राजा को चाहिए कि वह प्रामाणिक, सत्यवादी एवं आप्त पुरुषों के द्वारा उनके निवासस्थान तथा उनकी आर्थिक स्थिति का; सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रप्रवेश का; नये-नये कार्यों में नियुक्त कर उनकी बुद्धि, स्मृति तथा चतुराई का; व्याख्यानों एवं सभाओं के माध्यम से उनकी वाक्पटुता, प्रगल्भता एवं प्रतिभा का; आपत्तियों

त्साहप्रभावौ क्लेशसहत्वं च; संव्यवहाराच्छौचं मैत्रतां दृढ-
भक्तित्वं च; संवासिभ्यः शीलबलारोग्यसत्त्वयोगमस्तम्भमचा-
पल्यं च; प्रत्यक्षतः संप्रियत्वमवैरित्वं च ।

१. प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया हि राजवृत्तिः । स्वयंदृष्टं प्रत्यक्षं, परोपदिष्टं
परोक्षं, कर्मसु कृतेनाकृतावेक्षणमनुमेयम् । यौगपद्यात्तु कर्मणा-
मनेकत्वाद्नेकस्थत्वाच्च देशकालात्ययो मा भूदिति परोक्ष-
ममात्यैः कारयेदित्यमात्यकर्म ।

२. पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं षडङ्गे वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यां
चाभिविनीतमापदां दैवमानुषीणाम् अथर्वभिरुपायैश्च प्रति-

से उनके उत्साह, प्रभाव तथा सहिष्णुता का; व्यवहार से उनकी पवित्रता,
मित्रता एवं दृढ़ स्वामिभक्तिका; सहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके
शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा स्थिरवृत्ति का पता लगाये और
उनके मथुरभाषी स्वभाव तथा द्वेषरहित प्रकृति की परीक्षा स्वयं राजा करे ।

१. प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय, राजा के व्यवहार की ये तीन विधियाँ हैं ।
स्वयं देखा हुआ प्रत्यक्ष, दूसरे के माध्यम से जाना हुआ परोक्ष और सम्पादित
कार्यों से किए जाने वाले कार्यों का अनुमान करना ही अनुमेय कहलाता है ।
कार्यों की विधियाँ और उनके विधान एक जैसे नहीं हैं । राजा उन कार्यों को
अकेला नहीं कर सकता है । जिससे कार्यों के सम्पादन में देश-काल का अति-
क्रमण न हो, एतदर्थ, अमात्यों के द्वारा परोक्षरूप से राजा उन कार्यों को
कराये । इसी हेतु अमात्यों की नियुक्ति और परीक्षा के लिए ऊपर वैसा
विधान किया गया है ।

पुरोहित की योग्यता :

२. उच्चकुलोत्पन्न; शील-गुणसम्पन्न; वेद-वेदाङ्गों का ज्ञाता; ज्योतिषशास्त्र, शकुन-
शास्त्र, दण्डनीति में पाराङ्गत; अथर्ववेद में निर्दिष्ट उपायों द्वारा दैवी तथा
मानुषी विपत्तियों का प्रतिकार करने वाला; इन योग्यताओं से सम्पन्न पुरोहित
को नियुक्त करना चाहिए । जैसे आचार्य के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र

कर्तारं कुर्वीत । तमाचार्यं शिष्यः, पितरं पुत्रो, भृत्यः
स्वामिनमिव चानुवर्तेत ।

१. ब्राह्मणेनैधितं क्षत्रं मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम् ।
जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगतशस्त्रितम् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे मन्त्रिपुरोहितयोर्नियुक्तिर्नाम अष्टमोऽध्यायः ।

—००२५००—

और स्वामी के पीछे भृत्य चलता है, वैसे ही राजा को पुरोहित का अनुगामी होना चाहिए ।

१. इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित से संवर्धित, सर्वगुणसम्पन्न योग्य मन्त्रियों के परामर्श से अभिरक्षित और शास्त्रोक्त अनुष्ठानों का आचरण करने वाला राजकुल युद्ध के विना अजेय एवं अलभ्य वस्तुओं को भी सहज ही में स्वायत्त कर लेता है ।

विनयाधिकरण प्रथम अधिकरण में अष्टम अध्याय समाप्त ।

—००२५००—

उपधाभिः शौचाशौचज्ञानममात्यानाम्

१. मन्त्रिपुरोहितसखः सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापयित्वाऽमात्या-
नुपधाभिः शोधयेत् ।
२. पुरोहितमयाज्ययाजनाध्यापने नियुक्तममृष्यमाणं राजाव-
क्षिपेत् । सत्रिभिः शपथपूर्वमेकैकममात्यमुपजापयेत्—अधार्मि-
कोऽयं राजा, साधु धार्मिकमन्यमस्य तत्कुलीनमवरुद्धं कुल्य-
मेकप्रग्रहं सामन्तमाटविकमौपपादिकं वा प्रतिपादयामः । सर्वेषा-
मेतद्रोचते, कथं वा तवेति ? प्रत्याख्याने शुचिरिति धर्मोपधा ।
३. सेनापतिरसत्प्रतिग्रहणावक्षिप्तः सत्रिभिरेकैकममात्यमुपजापये-

गुप्त उपायों से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा

१. सामान्य पदों पर अमात्यों की नियुक्ति करके, मन्त्री और पुरोहित के सहयोग से राजा, गुप्त उपायों के द्वारा उनके आचरणों की परीक्षा करे ।
२. धर्मोपधा से राजा, पुरोहित को किसी नीच जाति के यहाँ यज्ञ करने तथा पढ़ाने के लिए नियुक्त करे । जब पुरोहित इस कार्य के लिए निषेध करे तो राजा उसको उसके पद से च्युत कर दे । वह पदच्युत पुरोहित गुप्तचर स्त्री-पुरुषों के माध्यम से शपथपूर्वक प्रत्येक अमात्य को राजा से भिन्न कराये । वह कहे 'यह राजा बड़ा अधार्मिक है । हमें चाहिए कि उसके स्थान पर, उसके ही वंशज किसी श्रेष्ठ पुरुष को, किसी धार्मिक व्यक्ति को, समीप के किसी सामन्त को, अथवा किसी जंगल के स्वामी को, या जिसको भी एकमत होकर हम निश्चित कर लें, उसको नियुक्त करें । मेरे इस प्रस्ताव को सब ने स्वीकार कर लिया है । बताओ, तुम्हारी क्या राय है ?' पुरोहित की यह बात सुनकर यदि अमात्य उसको स्वीकार न करे तो उसे पवित्र हृदय वाला समझना चाहिए । गुप्त धार्मिक उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को 'धर्मोपधा' कहते हैं ।
३. अर्थोपधा से राजा, किसी निन्दनीय या अपूज्य व्यक्ति का सत्कार करने

होमनीयेनार्थेन राजविनाशाय—सर्वेषामेतद्रोचते, कथं वा तवेति ? प्रत्याख्याने शुचिरित्यर्थोपधा ।

१. परिव्राजिका लब्धविश्वासान्तःपुरे कृतसत्कारा महामात्रमेकैकमुपजपेत्—राजमहिषी त्वां कामयते । कृतसमागमोपाया महानर्थश्चते भविष्यतीति । प्रत्याख्याने शुचिरिति कामोपधा ।
२. प्रवहणनिमित्तमेकोऽमात्यः सर्वानमात्यानावाहयेत् । तेनोद्वेगेन राजा तानवरुन्ध्यात् । कापटिकच्छात्रः पूर्वावरुद्धस्तेषामर्थमानावक्षिप्तमैकैकममात्यमुपजपेत्—असत्प्रवृत्तोऽयं राजा, सहसैनं

के लिए, सेनापति को आदेश दे । राजा की इस बात से जब सेनापति रुष्ट हो जाय तो राजा उसको भी पदच्युत कर दे । वह पदच्युत अपमानित सेनापति गुप्तभेदियों द्वारा अमात्य को धन का प्रलोभन देकर उन्हें पूर्वोक्त विधि से राजा के विनाश के लिए उकसाये । वह कहे 'मेरी इस युक्ति को सभी ने स्वीकार कर लिया है । बताओ, तुम्हारी क्या सम्मति है ?' सेनापति की यह बात सुनकर अमात्य यदि उसका विरोध करे तो समझ लेना चाहिए कि वह पवित्र हृदय वाला है । गुप्त आर्थिक उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को ही 'अर्थोपधा' कहते हैं ।

१. कामोपधा से राजा, किसी अन्यासिनी का वेष धारण करने वाली विशेष गुप्तचर स्त्री को अन्तःपुर में ले जाकर उसका अच्छा स्वागत-सत्कार करे और फिर वह एक-एक अमात्य के निकट जाकर कहे 'महामात्य, महारानी जी आप पर आसक्त हैं । आपके समागम के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है । इससे आपको यथेष्ट धन भी प्राप्त होगा ।' अमात्य यदि उसका विरोध करे तो उसे पवित्रचित्त समझना चाहिए । गुप्त कामसम्बन्धी उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को ही 'कामोपधा' कहते हैं ।
२. भयोपधा से नौका-विहार के लिए एक अमात्य दूसरे अमात्यों को बुलाये; इस प्रस्ताव पर राजा उत्तेजित होकर उन सब को दण्डित कर दे । तदनन्तर राजा द्वारा पहले अपकृत हुआ कपट-वेषधारी छात्र (छात्र के वेश में गुप्तचर) उस तिरस्कृत एवं दण्डित अमात्य के निकट जाकर उससे कहे 'यह राजा दंडित ही बुरा है । इसका वध करके हम किसी दूसरे

हत्वाऽन्यं प्रतिपादयामः । सर्वेषामेतद्रोचते, कथं वा तवेति ?
प्रत्याख्यानं शुचिरिति भयोपधा ।

१. तत्र धर्मोपधाशुद्धान् धर्मस्थीयकण्टकशोधनेषु स्थापयेत्, अर्थो-
पधाशुद्धान् समाहर्तृसन्निधातृनिचयकर्मसु, कामोपधाशुद्धान्
बाह्याभ्यन्तरविहाररक्षासु, भयोपधाशुद्धानासन्नकार्येषु राज्ञः ।
सर्वोपधाशुद्धान् मन्त्रिणः कुर्यात् । सर्वत्राशुचीन् खनिद्रव्य-
हस्तिवनकर्मन्तेषूपयोजयेत् ।
२. त्रिवर्गभयसंशुद्धानमात्यान् स्वेषु कर्मसु ।
अधिकुर्याद् यथाशौचमित्याचार्या व्यवस्थिताः ॥

राजा को उसके स्थान पर नियुक्त करें । सभी अमात्यों को यह स्वीकृत है ।
कहिए, आपकी क्या राय है ?' अमात्य यदि उसका विरोध करे तो उसको
शुचिचित्त समझना चाहिए ।

गुप्तभय सम्बन्धी उपायों द्वारा अमात्य की शुचिता की परीक्षा को ही
'भयोपधा' कहते हैं ।

परीक्षित अमात्यों की नियुक्ति

१. जो अमात्य धर्मपरीक्षा में खरे उतरें उन्हें धर्मस्थानीय (दीवानी कचहरी)
तथा कण्टकशोधन (फौजदारी कचहरी) सम्बन्धी कार्यों में नियुक्त करना
चाहिए । अर्थपरीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को समाहर्ता (टैक्स कलक्टर) तथा
सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) के पदों पर रखना चाहिए । कामोपधा में परीक्षित
अमात्यों को बाहरी विलास-स्थानों (विहारों) तथा भीतरी अन्तःपुर-सम्बन्धी
रक्षा का व्यवस्था-भार सौंपना चाहिए । भयपरीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को
राजा अपना अङ्गरक्षक नियुक्त करे । इनके अतिरिक्त जो अमात्य सभी परी-
क्षाओं में खरे उतरे हों उन्हें मन्त्रिपद पर नियुक्त किया जाना चाहिए; और
सभी परीक्षाओं में असफल अमात्यों को खदानों, हाथियों और जङ्गलों आदि
की परिश्रम-साध्य व्यवस्था का भार सौंपना चाहिए ।
२. सभी पुरातन अर्थशास्त्रविद् आचार्यों का यही अभिमत है कि 'धर्म, अर्थ,
काम और भय द्वारा परीक्षित पवित्र अमात्यों को, उनकी कार्यक्षमता के
अनुसार कार्यभार सौंपना चाहिए ।'

१. न त्वेव कुर्यादात्मानं देवीं वा लक्ष्मीश्वरः ।
शौचहेतोरमात्यानामेतत् कौटिल्यदर्शनम् ॥
२. न दूषणमदुष्टस्य विषेणोवाम्भसश्चरेत् ।
कदाचिद्धि प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम् ॥
३. कृता च कलुषा बुद्धिरुपधाभिश्चतुर्विधा ।
नागत्वाऽन्तनिवर्तेत स्थिता सत्त्ववतां धृतौ ॥
४. तस्माद् बाह्यमधिष्ठानं कृत्वा कार्ये चतुर्विधे ।
शौचाशौचममात्यानां राजा मार्गेत सत्रिभिः ॥
इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे उपधाभिः शौचाशौच-
ज्ञानममात्यानां नवमोऽध्यायः ।

—००६१००—

१. किन्तु, इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का एक संशोधन यह है कि 'अमात्यों की परीक्षा अवश्य ली जाय; पर उस परीक्षा का माध्यम राजा अपने को तथा रानी को न बनाये ।
२. क्योंकि कभी-कभी किसी निर्दोष अमात्य को छल-प्रपञ्चयुक्त इन गुप्त-रीतियों से ठगा जाना, पानी में विष घोल देने के समान हो जाता है । सम्भव हो सकता है कि उक्त रीतियों से बिगड़ा हुआ अमात्य फिर कभी भी सुधर न सके । क्योंकि :
३. छल-छद्म जैसे कपट उपायों के द्वारा ठगा गया चरित्रवान पुरुष की बुद्धि तब तक चैन नहीं लेती, जब तक उसने अभीष्ट को प्राप्त न कर लिया हो (अर्थात् अपने अपमान का बदला न ले लिया हो) ।
४. इसलिये सर्वोत्तम यही है कि उक्त चारों उपायों से परीक्षण के लिए राजा, किसी बाह्य वस्तु को माध्यम बनाये और गुप्तचरों द्वारा अमात्यों के चरित्र की परीक्षा करे ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में नवौं अध्याय समाप्त ।

—००६१००—

गूढपुरुषोत्पत्तिः

१. उपधाभिः शुद्धामात्यवर्गो गूढपुरुषानुत्पादयेत् । कापटिकोदा-
स्थितगृहपतिवैदेहकतापसव्यञ्जनान् सत्रितीक्ष्णरसदभिक्षुकीश्च ।
२. परमर्मज्ञः प्रगल्भश्छात्रः कापटिकः । तमर्थमानाम्यामुत्साह्य
मन्त्री ब्रूयात्—राजानं मां च प्रमाणं कृत्वा यस्य यदकुशलं
पश्यसि तत्तदानीमेव प्रत्यादिशेति ।
३. प्रव्रज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशौचयुक्त उदास्थितः । स वार्ताकर्म-
प्रदिष्टायां भूमौ प्रभूतहिरण्यान्तेवासी कर्म कारयेत् । कर्म-

गुप्तचरों की नियुक्ति

(स्थायी गुप्तचर)

१. धर्मोपधा आदि उपायों के द्वारा अमात्यवर्ग की परीक्षा कर लेने के अनन्तर राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करे । कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी आदि अनेक प्रकार के गुप्तचर होते हैं ।
२. दूसरों के रहस्यों को जानने वाला, बड़ा प्रगल्भ (दबंग) और विद्यार्थी की वेष-भूषा में रहने वाला गुप्तचर 'कापटिक' कहलाता है । इस गुप्तचर को धन, मान और सत्कार से सन्तुष्ट कर मन्त्री उससे कहे 'जिस-किसी की भी तुम हानि होते देखो, राजा को और मुझे प्रमाण मान कर तत्काल ही तुम मुझे सूचित कर दो ।'
३. बुद्धिमान्, सदाचारी, संन्यासी के वेष में रहने वाले गुप्तचर का नाम 'उदास्थित' है । वह अपने साथ बहुत-से विद्यार्थी और बहुत-सा धन लेकर, वहाँ जाकर विद्यार्थियों द्वारा कार्य करवावे, जहाँ कृषि, पशुपालन, एवं व्यापार के लिए भूमि नियुक्त है । उस कार्य को करने से जो लाभ हो, उससे वह सब संन्यासियों के भोजन, वस्त्र एवं निवास का प्रबन्ध करे । जो भी इस

फलाच्च सर्वप्रव्रजितानां प्रासाच्छादनावसथान्प्रतिविदभ्यात् ।
वृत्तिकामांश्रोपजपेत्—एतेनैव वेषेण राजार्थश्चरितव्यो भक्त-
वेतनकाले चोपस्थातव्यमिति । सर्वप्रव्रजिताश्च स्वं स्वं
वर्गमुपजपेयुः ।

१. कर्षको वृत्तिकीर्णः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृहपतिकव्यञ्जनः । स कृषि-
कर्मप्रदिष्टायां भूमाविति समानं पूर्वेण ।
२. वाणिजको वृत्तिकीर्णः प्रज्ञाशौचयुक्तो वैदेहकव्यञ्जनः । स
वाणिकर्मप्रदिष्टायां भूमाविति समानं पूर्वेण ।
३. मुण्डो जटिलो वा वृत्तिकामस्तापसव्यञ्जनः । स नगराभ्याशे
प्रभूतमुण्डजटिलान्तेवासी शाकं यवसमुष्टिं वा मासद्विमासान्तरं
प्रकाशमश्नीयात्, गूढमिष्टमाहारम् । वैदेहकान्तेवासिनश्चैनं
समिद्धयोगैरर्चयेयुः । शिष्याश्चास्यावेदयेयुः—असौ सिद्धः

प्रकार की आजीविका की इच्छा करें, उन्हें सब तरह से अपने वश में कर ले
और उनसे कहे 'तुम्हें इसी वेष में राजा का कार्य करना है । जब तुम्हारे
वेतन तथा भक्त का समय आवे, यहाँ उपस्थित हो जाना ।' दूसरे संन्यासी भी
अपने-अपने संप्रदाय के संन्यासियों को इसी प्रकार समझा-बुझा दें ।

१. बुद्धिमान्, पवित्र हृदय और गरीब किसान के वेष में रहने वाले गुप्तचर
को 'गृहपतिक' कहते हैं । वह, कृषिकार्य के लिए नियुक्त भूमि में जाकर
'उदास्थित' गुप्तचर के ही समान कार्य करे ।
२. बुद्धिमान्, पवित्र हृदय, गरीब, व्यापारी के वेष में रहने वाला गुप्तचर
'वैदेहक' है । वह व्यापारकार्य के लिए नियुक्त भूमि में जाकर 'उदास्थित'
गुप्तचर की भाँति कार्य करता हुआ रहे ।
३. जीविका के लिए सिर मुँढाये या जटा धारण किए हुए, राजा का कार्य
करने वाला गुप्तचर ही 'तापस' है । वह कहीं नगर के समीप ही बहुत से
मुँढ या जटिल विद्यार्थियों को लेकर रहे और महीने दो महीने तक लोगों
के सामने हरा शाक या सुटीभर अनाज खाता रहे; जैसे छिपे तौर पर
अपनी इच्छानुसार सुस्वादु भोजन करता रहे । वैदेहक तथा उसके अनुचर

सामेधिक इति । समेधाशास्तिभिश्चाभिगतानामङ्गविद्यया
शिष्यसंज्ञामिश्च कर्माण्यभिजनेऽवसितान्यादिशेदल्पलाभमग्निदाहं
चोरभयं दूष्यवधं तुष्टिदानं विदेशप्रवृत्तिज्ञानम् इदमद्य श्वो वा
भविष्यतीदं वा राजा करिष्यतीति ।

१. तदस्य गूढाः सत्रिणश्च संवादयेयुः । सत्त्वप्रज्ञावाक्यशक्ति-
सम्पन्नानां राजभाव्यमनुव्याहरेन्मन्त्रिसंयोगं च । मन्त्री चैषां
वृत्तिकर्मभ्यां वियतेत ।
२. ये च कारणादभिक्रुद्धास्तानर्थमानाभ्यां शमयेत्, अकारण-
क्रुद्धान् तूष्णींदण्डेन राजद्विष्टकारिणश्च ।

‘तापस’ गुप्तचर की पूजा-अर्चना करें । शिष्यमंडली घूम-घूम कर यह प्रचार करे कि यह तपस्वी पूर्ण सिद्ध, भविष्यवक्ता और लौकिक शक्तियों से संपन्न है । अपना भविष्य फल जानने की इच्छा से आये हुए लोगों की पारिवारिक पहिचान, उनके शारीरिक चिह्नों के माध्यम से तथा अपने शिष्यों के संकेतों के अनुसार बतावे । ऐसा भी बतावे कि इन-इन कार्यों में थोड़ा लाभ का योग है । इसके अतिरिक्त वह, आग लगने चोरी हो जाने; दुष्ट लोगों के वध स्वरूप इनाम देने; देश-विदेश के फल; यह कार्य आज होगा या कल; या इस कार्य को राजा करेगा; आदि बातें भी उसको बतावे ।

१. इस प्रश्नोत्तर प्रसंग में ‘तापस’ गुप्तचर की दूसरे सत्री आदि गुप्तचर सहायता करें । प्रश्नकर्ताओं में यदि धीर, बुद्धिमान, चतुर लोग हों तो उनसे वह, राजा की ओर से, धन प्राप्त होने की बात कहे; मन्त्री के साथ भी उनकी मुलाकात का संयोग बताये । जब मन्त्री से इन लोगों की मुलाकात हो तो उचित यह होगा कि ऐसे लोगों को मन्त्री धन, तथा आजीविका आदि देकर, गुप्तचर की भविष्य वाणी को सच्ची सिद्ध कर दे ।
२. जो लोग किसी कारणवश क्रुद्ध हो गए हों उन्हें धन एवं संमान देकर संतुष्ट किया जाय । जो बिना कारण ही क्रुद्ध हों, तथा राजा से द्वेष रखते हों, उनका चुपचाप बध करवा डाले ।

१. पूजिताश्वार्थमानाभ्यां राज्ञा राजोपजीविनाम् ।
जानीयुः शौचमित्येताः पञ्च संस्थाः प्रकीर्तिताः ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे
गूढपुरुषोत्पत्तौ संस्थोत्पत्तिर्नाम दशमोऽध्यायः ॥

—००९९००—

१. इस प्रकार धन और मीन से राजा द्वारा संमानित गुप्तचर तथा असात्य आदि राजोपजीवी पुरुषों के सद्ब्यवहारों को भली-भांति जान लें । पांच प्रकार के गुप्तचर पुरुषों की नियुक्ति और उनके कार्यों के विवरण का यही विधान है ।
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में दसवां अध्याय समाप्त ।

—००९९००—

गूढपुरुषपरिधिः

१. ये चास्य सम्बन्धिनोऽवश्यमर्तव्यास्ते लक्षणमङ्गविद्यां जम्भक-
विद्यां मायागतमाश्रमधर्मं निमित्तमन्तरचक्रमित्यधीयानाः
सत्रिणः संसर्गविद्या वा ।
२. ये जनपदे शूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्यालं वा द्रव्यहेतोः
प्रतियोधयेयुस्ते तीक्ष्णाः ।
३. ये बन्धुषु निःस्नेहाः क्रूराश्चालसाश्च ते रसदाः ।
४. परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा प्रगल्भा ब्राह्मण्यन्तः-

गुप्तचरों की नियुक्ति

(भ्रमणशील गुप्तचर)

१. जो राजा के संबंधी न हों; किन्तु जिनका पालन-पोषण करना राजा के लिए आवश्यक हो; जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण आदि अंगों का शुभाशुभ फल बताने वाली विद्या; वशीकरण; इन्द्रजाल; धर्मशास्त्र; शकुनशास्त्र; पक्षिशास्त्र; कामशास्त्र तथा तत्संबंधी नाचने-गाने की कला में निपुण हों वे 'सत्री' कहलाते हैं। [१० वें अध्याय में जिन गुप्तचरों का वर्णन किया है वे एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने के कारण 'संस्था' कहलाते हैं। इस अध्याय में वर्णित गुप्तचर 'संचार' कहलाते हैं, जो कि घूम-घूम कर कार्य करते हैं।]
२. अपने देश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति, जो द्रव्य के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करके हाथी, बाघ और सांप से भी भिड़ जाते हैं, उन्हें 'तीक्ष्ण' कहते हैं।
३. अपने भाई-बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाले, क्रूरप्रकृति और आलसी स्वभाव वाले व्यक्ति 'रसद' (जहर देने वाला) कहलाते हैं।
४. आजीविका की इच्छुक, दरिद्र, प्रौढ, विधवा, दबंग ब्राह्मणी, रनिवास में संमानित, प्रधान अमात्यों के घर में प्रवेश पानेवाली 'परिव्राजिका'

पुरे कृतसत्कारा महामात्रकुलान्यधिगच्छेत् । एतया मुण्डा-
वृषल्यो व्याख्याताः । इति सञ्चाराः ।

१. तान् राजा स्वविषये मन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजशौवारिका-
न्तर्वंशिकप्रशास्तृसमाहर्तृसन्निधातृप्रदेष्टृनायकपौरव्यावहारिकका-
र्मान्तिकमन्त्रिपरिषदध्यक्षदण्डदुर्गान्तपालाटविकेषु श्रद्धेयदेशवेष-
शिल्पभाषाभिजनापदेशान् भक्तितः सामर्थ्ययोगाच्चापसर्षयेत् ।
२. तेषां बाह्यं चारं छत्रभृङ्गारव्यजनपादुकासनयानवाहनोपग्रा-
हिणस्तीक्ष्णा विद्युः । त्वं सत्रिणः संस्थास्वर्षयेयुः ।
३. सूदारालिकस्नापकसंवाहकास्तरककल्पकप्रसाधकोदकपरिचारका

(संन्यासिनी के वेश में खुपिया का काम करने वाली) नाम की गुप्तचरी
कहलाती है । इसी प्रकार मुंडा (मुंडित बौद्ध-भिक्षुणी) और वृषली (शूद्रा)
आदि नारी गुप्तचरियों को भी जान लेना चाहिए । ये सभी 'संचार' नामक
गुप्तचर हैं ।

१. राजा को चाहिए कि वह, इन सत्री आदि गुप्तचरों को मंत्री, पुरोहित,
सेनापति, युवराज, ज्योतीदार, अंतःपुररक्षक, छावनी का रक्षक, कलक्टर,
कोषाध्यक्ष, कमिश्नर, हवलदार, नगरमुखिया, खदानों का निरीक्षक, मन्त्रि-
परिषद का अध्यक्ष, सेनारक्षक, दुर्गरक्षक, सीमारक्षक और अटवीपाल आदि
अधिकारियों के समीप, वेष, बोली, कौशल, भाषा तथा कुलीनता के आधार
पर उनकी भक्ति और उनके सामर्थ्य की परीक्षा करके, तब रवाना करे ।
२. उनमें से तीक्ष्ण नामक गुप्तचर का कर्तव्य है कि वह छत्र, चामर, व्यजन,
पादुका, आसन, शिविका (पालकी) और घोड़े आदि बाहरी उपकरणों की
देख-रेख करता हुआ अमात्य आदि की सेवा करे और उनके व्यवहारों को
जाने । तीक्ष्ण गुप्तचर द्वारा जानी हुई बातों को सत्री नामक गुप्तचर स्थानिक
कापटिक आदि गुप्तचरों को बता दे ।
३. सूद (शरीरिया), आरालिक (मांस पकाने वाला), स्नापक (नहलाने
वाला), संवाहक (हाथ-पैर दवाने वाला), आस्तरक (विस्तर बिछाने
वाला), कल्पक (नाई), प्रसाधक (शृंगार करने वाला) और उदक-
परिचारक (जल भरने वाला) आदि विभिन्न रूप-नामों में रह कर रसद नामक

रसदाः कुब्जवामनकिरातमूकबधिरजडान्धच्छदानो नटनर्तक-
गायनवादकवाग्जीवनकुशीलवाः स्त्रियश्चाभ्यन्तरं चारं विद्युः ।
तं भिक्षुक्यः संस्थास्वर्षयेयुः ।

१. संस्थानामन्तेवासिनः संज्ञालिपिभिश्चरसञ्चारं कुर्युः । न चान्योन्यं संस्थास्ते वा विद्युः ।
२. भिक्षुकीप्रतिषेधे द्वाःस्थपरम्परा मातापितृव्यञ्जनाः शिल्प्रकारिकाः कुशीलवा दास्यो वा गीतपाठ्यवाद्यभाण्डगूढलेख्यसंज्ञाभिर्वा चारं निर्हरेयुः । दीर्घरोमोन्मादाग्निरसविसर्गेण वा गूढनिर्गमनम् ।

गुप्तचर, मन्त्री आदि उच्च अधिकारियों के भेदों का पता लगाये । इसी प्रकार कुबड़े, बौने, किरात (जङ्गली आदमी), गूंगे, बहरे, मूर्ख अन्धे, आदि के वेष में गुप्तचर और नट, नाचने-गाने-बजाने वाले, कहानी कहने वाले, कूद-फाँद कर खेल दिखाने वाले, आदि के वेष में स्त्री गुप्तचर सब रहस्यों का पता लगा ले । भिक्षुकी वेष धारण करने वाली गुप्तचर महिला की चाहिये कि वह रसद आदि पुरुष गुप्तचरों से प्राप्त समाचारों को कापटिक आदि गुप्तचरों तक पहुँचा दे ।

१. संस्थावा (कापटिक आदि गुप्तचरों) के विद्यार्थी अपनी विशिष्ट संकेतलिपि द्वारा उस सूचना को राजा तक पहुँचावें । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संस्था-गुप्तचरों को संचार-गुप्तचर और संचार-गुप्तचरों को संस्था-गुप्तचर बिलकुल न जानने पावें ।
२. यदि अमात्य आदि के घरों में भिक्षुकी का अंतःप्रवेश निषिद्ध हो तो वह समाचार द्वारपालों के माध्यम से बाहर भिक्षुकी तक पहुँचे । यदि इसमें भी कुछ आशंका या असम्भव जान पड़े तो अंतःपुर के नौकरों के माता-पिता बनने का बहाना करके वृद्धा स्त्री-पुरुष भीतर प्रवेश करके रहस्य का पता लगायें । या तो रानियों के बाल सवॉरने वाली या नाचने-गाने वाली स्त्रियों अथवा दासियों द्वारा, अथवा निजी संकेतों वाले गीतों, श्लोकों, प्रार्थनाओं या तो बाजों, बर्तनों, टोकरियों में गुप्त लेख रखकर, अथवा अन्य विधियों से, जैसा भी समय के अनुसार अपेक्ष्य हो, अंतःपुर के समाचारों को बाहर लाया जाय । यदि इन युक्तियों से भी सफलता न मिले तो गुप्तचर को चाहिए कि वह किसी भयङ्कर बीमारी अथवा पागलपन के बहाने से आग लगाकर या

१. त्रयाणामेकत्राक्ये सम्प्रत्ययः । तेषामभीक्ष्णविनिपाते तूर्णान्-
दण्डः प्रतिषेधो वा ।
२. कण्टकशोधनोक्ताश्चापसर्पाः परेषु कृतवेतना वसेयुः सम्पात-
निश्चारार्थं, त उभयवेतनाः
३. गृहीतपुत्रदारांश्च कुर्यादुभयवेतनान् ।
तांश्चारिप्रहितान् विद्यात् तेषां शौचं च तद्विधैः ॥
४. एवं शत्रौ च मित्रे च मध्यमे चावपेक्षरात् ।
उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्वपि ॥
५. अन्तर्गृहचरास्तेषां कुब्जवामनषण्डकाः ।

किसी को जहर देकर (जिससे अंतःपुर में कोलाहल मच जाये) चुपचाप बाहर निकल आवे ।

१. परस्पर अपरिचित तीन गुप्तचरों द्वारा लाये गये समाचार यदि एक ही तरह से मिलें तो उन्हें ठीक समझना चाहिए । यदि वे परस्पर विरोधी समाचारों को लायें तो उन्हें या तो नौकरी से अलग कर दिया जाय अथवा चुपचाप पिटवाया जाय ।
२. उक्त गुप्तचरों के अतिरिक्त 'कंटकशोधन' प्रकरण में आगे बताया गये गुप्तचरो को भी नियुक्त करना चाहिये । ऐसे गुप्तचर विदेशों में जाकर वहाँ की सरकार के वेतनभोगी नौकर बनें और उनके गुप्त रहस्यों को समझें । ये गुप्तचर मित्र-पक्ष और शत्रु-पक्ष- दोनों ओर से वेतन लें ।
३. उभयवेतनभोगी इस प्रकार के गुप्तचरों के सम्बन्ध में विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह उनके स्त्री-बच्चों को सत्कारपूर्वक अपने आधीन रखे । शत्रु की ओर से नियुक्त इस प्रकार के उभयवेतनभोगी गुप्तचरों की भी राजा जानकारी रखे और उनके माध्यम से अपने उभयवेतन-भोगी गुप्तचरों की पवित्रता की भी परीक्षा करता रहे ।
४. इस प्रकार विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह शत्रु, मित्र, मध्यम तथा उदासीन राजाओं और उनके मन्त्री, पुरोहित, सेनापति आदि अठारह प्रकार के अधीनस्थ कर्मचारियों के निकट, सभी स्थानों पर, अपने गुप्तचरों को नियुक्त करे ।
५. इसके अतिरिक्त उन शत्रु, मित्र, मध्यम आदि राजाओं के घरों तथा उनके

- शिल्पवत्यः स्त्रियो मूकाश्चित्राश्च म्लेच्छजातयः ॥
 १. दुर्गेषु वणिजः संस्था दुर्गान्ते सिद्धतापसाः ।
 कर्षकोदास्थिता राष्ट्रे राष्ट्रान्ते व्रजवासिनः ॥
 २. वने वनचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः ।
 परप्रवृत्तिज्ञानार्थाः शीघ्राश्चारपरम्पराः ॥
 ३. परस्य चैते बोद्धव्यास्तादृशैरेव तादृशाः ।
 चारसञ्चारिणः संस्था गूढाश्चागूढसंज्ञिताः ॥
 ४. अकृत्यान् कृत्यपक्षीयैर्दर्शितान् कार्यहेतुभिः ।
 परापसर्पज्ञानार्थं मुख्यानन्तेषु वासयेत् ॥

इति कौटलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे गूढपुरुषोत्पत्तौ
 सञ्चारोत्पत्तिः, गूढपुरुषप्रणिधिर्नाम एकादशोऽध्यायः ॥



मन्त्री, पुरोहित आदि के घरों में भी काम करने वाले कुबड़े, बौने, नपुंसक, कारीगर स्त्रियाँ, गूंगे तथा दूसरे-दूसरे प्रकार के बहानों को लेकर म्लेच्छ जाति के पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ।

१. किलों में व्यापार करने वाले लोगों को, किले की सीमा पर सिद्ध तपस्वियों को, राज्य के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर कृषक तथा उदास्थित पुरुषों को और राज्य की सीमा पर चरवाहों को, गुप्तचर वेष में नियुक्त करना चाहिये ।
२. जंगल में शत्रु की प्रत्येक गति-विधि का पता लगाने के लिए चतुर, वान-प्रस्थी और जंगली लोगों को गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए ।
३. इस प्रकार, प्रकट रूप से सामान्य स्थिति में रहते हुए ये गुप्तचर, शत्रु की ओर से नियुक्त सभी, तीक्ष्ण, कापटिक, उदास्थित आदि गुप्तचरों को अपने वर्ग के अनुसार ही चीन्हें ।
४. शत्रु के किसी प्रलोभन या बहकावे में न फँसने वाले अपने विश्वस्त पुरुषों को, शत्रु के गुप्तपुरुषों का पता लगाने के लिए, राज्य की सीमा पर नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें शत्रुपक्ष के लोगों को स्ववश करने के उपाय भी बता देने चाहिए ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।



रत्नविषये कृत्याकृत्यपक्षरक्षराम्

१. कृतमहामात्यापसर्पः पौरजानपदानपसर्पयेत् ।
२. सत्रिणो द्वन्द्विनस्तीर्थसभाशालापूगजनसमवायेषु विवादं कुर्युः—सर्वगुणसम्पन्नश्चायं राजा श्रूयते । न चास्य कश्चिद् गुणो दृश्यते यः पौरजानपदान् दण्डकराभ्यां पीडयति इति ।
३. तत्र येऽनुप्रशंसेयुः, तानितरस्तं च प्रतिषेधयेत्—मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजामनुं वैवस्वतं राजान चक्रिरे । धान्यषड्भागं

अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष की सुरक्षा

१. राजा को चाहिए कि महामंत्री, मंत्री, पुरोहित आदि के समीप गुप्तचर नियुक्त करने के पश्चात् वह अपने प्रति प्रजाजनों तथा नगरनिवासियों का अनुराग-द्वेष जानने के लिए वहां भी गुप्तचरों की नियुक्ति करे ।
२. पहिले तो गुप्तचर आपस में ही लड़ने-झगड़ने लगे; और वाद में वे तीर्थस्थानों, सभा-सोसाइटियों, खाने-पाने की दूकानों, राजकर्मचारियों के बीच, तथा नाना प्रकार के लोगों में यह कहकर वाद-विवाद करें कि 'यह राजा तो सर्वगुण-संपन्न सुना जाता है; किन्तु इसमें कोई भी सद्गुण नहीं दिखाई दे रहा है । उल्टा वह नगरवासियों तथा जनपदवासियों को दण्ड देकर एवं कर वसूली करके पीड़ा पहुंचा रहा है ।'
३. उसके वाद सुनने वालों की उचित-अनुचित प्रतिक्रिया को ताडता हुआ दूसरा गुप्तचर उसके विरोध में यों कहे—'देखो, जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, पुराकाल में वैसे ही बलवान लोगों ने निर्बल लोगों का रहना दूभर कर दिया था । इस अन्याय से बचने के लिए प्रजा ने मिलकर विवद्वान् के पुत्र मनु को अपना राजा नियुक्त किया; और तभी से खेती की उपज का

पण्यदशभागं हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पयामासुः । तेन भृता राजानः प्रजानां योगक्षेमवहाः । तेषां किल्बिषं दण्डकरा हरन्ति, योगक्षेमवहाश्च प्रजानाम् । तस्माद्दुष्कृषड्भागमारण्यका अपि निवपन्ति—तस्यैतद् भागधेयं योऽस्मान् गोपायतीति । इन्द्रयमस्थानमेतद् राजानः प्रत्यक्षहेडप्रसादाः । तानवमन्यमानं दैवोऽपि दण्डः स्पृशति । तस्माद् राजानो नावमन्तव्याः इति क्षुद्रकान् प्रतिषेधयेत् ।

१. किंवदन्तीं च विद्युः ।

२. ये चास्य धान्यपशुहिरण्यान्याजीवन्ति, तैरुपकुर्वन्ति व्यसने अभ्युदये वा, कुपितं बन्धुं राष्ट्रं वा व्यावर्तयन्ति, अमित्रमाटविकं वा प्रतिषेधयन्ति, तेषां मुण्डजटिलव्यञ्जनास्तुष्टातुष्टत्वं विद्युः ।

छठा भाग, व्यापार की आमदनी का दसवां भाग तथा थोड़ा सा सुवर्ण राजा के लिए कर रूप में निर्धारित भी कर दिया था । प्रजा के द्वारा निर्धारित भाग को पाकर राजाओं ने प्रजा के योग-क्षेम का सारा दायित्व अपने ऊपर लिया । इस प्रकार ये निर्धारित दण्ड एवं कर प्रजा के उत्पीड़नों को दूर करने में सहायक होते हैं, और प्रजा की भलाई एवं कल्याण के कारण सिद्ध होते हैं । यही कारण है कि जंगलों में एकांत जीवन बिताने वाले ऋषि-मुनि भी दाना-दाना करके बीने हुए अन्न का छठा भाग राजा को देते हैं; यह जानकर कि राजा का इस पर सनातन हक है, जिसके बदले में वह हमारी रक्षा करता है । इंद्र और यम के समान ये राजा लोग भी प्रजाजनों का प्रत्यक्ष निग्रह एवं उनपर अनुग्रह करने वाले होते हैं । इसलिए जो उनका तिरस्कार करता है, निश्चित ही, उस पर दैवी विपत्तियां टूटती हैं । यही कारण है, जिनको दृष्टि में रख कर राजा का अपमान नहीं करना चाहिए ।' इत्यादि बातों को कह कर राजा की निंदा करने वालों को रोक दें ।

१. गुप्तचरों के लिए आवश्यक है कि वे अफवाहों पर भी ध्यान दें ।

२. जो लोग धान्य, पशु, हिरण्य आदि से राजा की सेवा करते हैं; विपत्ति और अभ्युत्थिति के समय उसकी सहायता करते हैं; राजा के प्रति क्रुद्ध भाई तथा

१. तुष्टान् भूयः पूजयेत् । अतुष्टांस्तुष्टिहेतोस्त्यागेन साम्ना च प्रसादयेत् । परस्पराद्वा भेदयेदेनान् सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धेभ्यश्च । तथाप्यतुष्यतो दण्डकरसाधनाधिकारेण वा जनपदविद्वेषं ग्राहयेत् । विद्विष्टानुपांशुदण्डेन जनपदकोपेन वा साधयेत् । गुप्तपुत्रदारानाकरकर्मान्तेषु वा वासयेत् परेषामास्पदभयात् ।
२. क्रुद्धलुब्धभीतावमानिनस्तु परेषां कृत्याः । तेषां कार्तान्तिकनैमित्तिकमौहूर्तिकव्यञ्जनाः परस्पराभिसम्बन्धम्, अमित्रप्रतिसम्बन्धं वा विद्युः ।
३. तुष्टानर्थमानाभ्यां पूजयेत् । अतुष्टान् सामदानभेददण्डैः साधयेत् ।

कुपित प्रजा को जो शांत कर देते हैं; उनकी प्रसन्नता और उनके कोप पर भी मुंड एवं जटिल गुप्तचर निगाह रखें ।

१. जो लोग राजा से संतुष्ट हों उन्हें धन और मान द्वारा और भी संतुष्ट करना चाहिए । जो किसी कारण अप्रसन्न हैं, उन्हें भी प्रसन्न करने के लिए धन आदि देना चाहिए; सांत्वना भी देनी चाहिए; न हो तो इन असंतुष्ट व्यक्तियों में आपसी कलह करा दे; सामन्त, आटविक एवं उनके संबन्धियों से भी इनकी फूट डाल दे । इन उपायों के बावजूद भी यदि वे असंतुष्ट ही बने रहें तो राजा को चाहिए कि अपने दण्डसंबन्धी या करसंबन्धी अधिकारों द्वारा वह सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ उनका द्वेष करा दे । जब सारा जनपद उनका द्वेषी हो जाय तब या तो चुपचाप ही उनका वध करवा लिया जाय अथवा असंतुष्ट जनपद से ही उनका दमन करा लिया जाय ।
२. इन लोगों के दमन के लिए एक दूसरा तरीका यह भी है कि राजा उनके स्त्री-बच्चों को अपने अधिकार में करले और उन्हें खदान के कार्य में भेज दिया जाय । क्योंकि ऐसा भी संभव है कि ये असंतुष्ट लोग शत्रुपक्ष में जाकर मिल जायं । प्रायः ऐसा देखा गया है कि क्रोधी, लोभी, डरपोक और अपमानित लोग सहज ही शत्रु के वश में हो जाते हैं ।
३. जो व्यक्ति संतुष्ट हों, राजा उन्हें और भी धन-मान से सत्कृत करे । किन्तु

पहला अधिकरण : प्रकरण ८, अध्याय १२

१. एवं स्वविषये कृत्यान्कृत्यांश्च विचक्षणः ।
परोपजापात् संरक्षेत् प्रधानान् क्षुद्रकानपि ॥

इति कौटलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे स्वविषये
कृत्याकृत्यपक्षरक्षणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥

—००००००—

असंतुष्ट व्यक्तियों को साम, दाम, दण्ड, भेद जैसे भी ब्रन पड़े, अपने वश में करे ।

१. इस प्रकार बुद्धिमान् राजा को चाहिए कि अपने राज्य के छोटे-बड़े कृत्य-अकृत्य लोगों को वह, किसी भी प्रकार, शत्रु के पक्ष में जाने से रोके ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

—००००००—

परविषये कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः

१. कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः स्वविषये व्याख्यातः परविषये वाच्यः ।
२. संश्रुत्यार्थान् विप्रलब्धः, तुल्यकारिणोः शिल्पे वोपकारे वा विमानितः, बल्लभावरुद्धः, समाहूय पराजितः, प्रवासोपतप्तः, कृत्वा व्ययमलब्धकार्यः, स्वधर्माद् दाय्याद्याद् वोपरुद्धः, मानाधिकाराभ्यां भ्रष्टः, कुल्यैरन्तर्हितः, प्रसभाभिमृष्टस्त्रीकः, काराभिन्यस्तः, परोक्तदण्डितः, मिथ्याचारवारितः, सर्वस्व-

शत्रुदेश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना

१. अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष को किस प्रकार सुरक्षित अथवा संगठित रखना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया जा चुका है । शत्रुदेश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को किस प्रकार अपने वश में करना चाहिए, अब इसका वर्णन किया जाता है।
२. जिसको धन देने की प्रतिज्ञा करके धन न दिया गया हो; किसी शिल्प या उपकार संबंधी कार्यों को समान रूप से करने वाले दो व्यक्तियों में से एक का तो सम्मान किया गया हो और दूसरे की अवमान की गई हो; राजा के विश्वस्त कर्मचारियों ने जिसको राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया हो; स्वयं बुलाकर जिसका तिरस्कार किया गया हो; राजाज्ञा से प्रवासित होने के कारण दुःखित; व्यय करके भी जिसका अभीष्ट कार्य पूरा न हुआ हो; जिसको अपने धर्म तथा अधिकार से रोका गया हो; संमानित तथा अधिकारपूर्ण पद से जिसको च्युत किया गया हो; राजपुरुषों द्वारा जिसको बदनाम किया गया हो; जिसकी स्त्री को जबरदस्ती छीन लिया गया हो; जिसको जेल में ठूस दिया गया हो; दूसरे के कहने मात्र से जिसको दण्ड दिया गया हो; झूठा इलजाम लगाकर जिस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया हो; जिसका सर्वस्व अपहरण किया गया हो; अशक्त कार्यों पर नियुक्त करके जिसको पीडित किया

माहारितः, बन्धनपरिक्लिष्टः, प्रवासितबन्धुरिति क्रुद्धवर्गः ।

१. स्वयमुपहतः, विप्रकृतः, पापकर्माभिख्यातः, तुल्यदोषदण्डेनो-
द्विग्नः, पर्यात्तभूमिः, दण्डेनोपहतः, सर्वाधिकरणस्थः, सहसोप-
चितार्थः, तत्कुलीनोपाशंसुः, प्रद्विष्टो राज्ञा, राजद्वेषी चेति
भीतवर्गः ।
२. परिक्षीणोऽत्यात्तस्वः कदर्यो व्यसन्यत्याहितव्यवहारश्चेति
लुब्धवर्गः ।
३. आत्मसम्भावितो मानकामः शत्रुपूजामर्षितो नीचैरुपहितस्तीक्ष्णः
साहसिको भोगेनासन्तुष्ट इति मानिवर्गः ।
४. तेषां मुण्डजटिलव्यञ्जनैर्यो यद्भक्तिः कृत्यपक्षीयस्तं तेनोप-
जापयेत् ।

गया हो और जिसके बंधु-बांधवों को देश-निकाला दिया गया हो—इस प्रकार के सभी लोग 'क्रुद्धवर्ग' कहलाते हैं ।

१. किसी लोभ के कारण हिंसा करके जो दूषित हो चुका हो; पाप कर्मों को करने में जो कुख्यात हो; अपने समान अपराधी को दण्डित हुआ देखकर जो बबड़ा गया हो; भूमि का अपहरण करने वाला; जो दण्ड के द्वारा वश में किया गया हो; सभी राजकीय विभागों पर जिसका अधिकार हो; अपनी कार्यक्षमता से जिसने प्रभूत धन एकत्र कर लिया हो; जो राजा के किसी वंशज हिस्सेदार के निकट कुछ कामना से रहता हो; जिससे राजा शत्रुता रखता हो और जो राजा से शत्रुता रखता हो—इस प्रकार के सभी लोग 'भीतवर्ग' कहलाते हैं ।
२. जिसका सब धन-वैभव नष्ट हो गया हो; जो कायर, व्यसनी और अपव्ययी हो, वह 'लुब्धवर्ग' कहलाता है ।
३. अपने को महान् समझनेवाला; आत्मरलाधी; शत्रु के संमान को सहन न करनेवाला; नीच लोगों द्वारा प्रशंसित; तीक्ष्णप्रकृति; साहसी और भोग्य पदार्थों से कभी संतुष्ट न होनेवाला वर्ग ही 'मानिवर्ग' कहलाता है ।
४. उक्त क्रुद्ध, लुब्ध, भीत आदि कृत्यपक्ष के लोगों में से जिस मुण्ड या जटिल गुसचर के जो-जो भक्त हों उनको वही गुसचर अपने वश में करे ।

१. यथा मदान्धो हस्ती मत्तेनाधिष्ठितो यद्यदासादयति तत् सर्वं प्रमृद्वात्येवमयमशास्त्रचक्षुरन्धो राजाऽन्धेन मन्त्रिणाऽधिष्ठितः, पौरजानपदवधायाभ्युत्थितः । शक्यमस्य प्रतिहस्तिप्रोत्साहनेनापकर्तुम् । अमर्षः क्रियताम्—इति क्रुद्धवर्गमुपजापयेत् ।
२. यथा लीनः सर्पो यस्माद् भयं पश्यति तत्र विषमुत्सृजत्येवमयं राजा जातदोषाशङ्कस्त्वयि पुरा क्रोधविषमुत्सृजति । अन्यत्र गम्यताम्—इति भीतवर्गमुपजापयेत् ।
३. यथा श्वगणिनां धेनुः श्वभ्यो दुग्धे न ब्राह्मणेभ्यः, एवमयं राजा सत्त्वप्रज्ञावाक्यशक्तिहीनेभ्यो दुग्धे नात्मगुणसम्पन्नेभ्यः । असौ राजा पुरुषविशेषज्ञः सेव्यताम्—इति लुब्धवर्गमुपजापयेत् ।

१. गुप्तचर, क्रुद्धवर्ग के लोगों को उनके स्वामी से यह कह कर फोड़े 'देखो, जैसे उन्मत्त पीलवान से चलाया गया मतवाला हाथी अपने सामने जो-कुछ भी देखता है, उसे कुचल डालता है, उन्नी प्रकार शास्त्ररूपी आँखों से हीन, अपने अंधे मंत्री के साथ रहना हुआ यह राजा राष्ट्र और प्रजा को नष्ट करने के लिए उद्यत है । ऐसी अवस्था में इस राजा से शत्रुता रखने वाले लोगों को उभाड़ देने से उसका अपकार किया जा सकता है । इस राजा के प्रति तुम्हें कुपित होना चाहिए ।' यह कह कर क्रुद्धवर्ग को राजा से फोड़ दे ।

२. भीतवर्ग को अपने वश में करने के लिए गुप्तचर ऐसा कहे 'देखो, जैसे डरा हुआ साँप जिससे भय खाता उन्नी पर अपना विष उगल देता है, उसी प्रकार यह राजा भी तुमसे शंकित है और सर्वप्रथम यह तुम्हारे ऊपर क्रोध-रूपी विष उगलने वाला है । तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम इस स्थान को छोड़ कर कहीं अन्यत्र चले जाओ ।' यह कह कर भीतवर्ग का भेदन करे ।

३. लुब्धवर्ग को वश में करने के लिए गुप्तचर यों कहे, 'देखो जैसे चाण्डालों की गाय चाण्डालों के लिए ही दूध देती है, ब्राह्मणों के लिए नहीं, उसी प्रकार राजा भी बल, बुद्धि और वाक्यशक्ति से हीन लोगों के लिए लाभदायक है, सर्वगुण-संपन्न लोगों के लिए नहीं । इसके विपरीत अमुक राजा बड़ा गुणज्ञ है, तुम्हें उसी के आश्रय में रहना चाहिए ।' इस प्रकार लुब्धवर्ग को मिलाये ।

१. यथा चण्डालोदपानश्चण्डालानामेवोपभोग्यो नान्येषामेवस्य
राजा नीचो नीचानामेवोपभोग्यो न त्वद्विधानामार्याणाम् ।
असौ राजा पुरुषविशेषज्ञः, तत्र गम्यताम्—इति मानिवर्ग-
मुपजापयेत् ।
२. तथेति प्रतिपन्नांस्तान् संहितान् पणकर्मणा ।
योजयेत यथाशक्ति सापसर्पान् स्वकर्मसु ॥
३. लभेत सामदानाभ्यां कृत्यांश्च परभूमिषु ।
अकृत्यान् भेददण्डाभ्यां परदोषांश्च दर्शयेत् ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे
त्रयोदशोऽध्यायः परविषये कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः ॥



१. मानीवर्ग का भेदन करने के लिए गुप्तचर कहे 'देखो, जैसे चाण्डालों का कुआ अकेले उन्हीं के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार नीच राजा भी नीच लोगों के लिए ही सुखकर है, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नहीं। किन्तु वह अमुक नाम का राजा स्वयं गुणी और गुणज्ञों का आदर करनेवाला है। तुम्हें उसी के आश्रय में जाकर रहना चाहिए।' इस प्रकार मानीवर्ग को उसके स्वामी से अलग करे।
२. इस प्रकार राजा अपने पक्ष में किए गए पुरुषों को शपथ, संधि आदि से विश्वास दिला कर उन्हें उन्हीं कार्यों में नियुक्त करे, जिन पर वे नियुक्त थे; किन्तु उनके पीछे गुप्तचरों को अवश्य रखे।
३. इस प्रकार राजा, शत्रुदेश में कृत्यपक्ष के पुरुषों को साम तथा दाम के द्वारा अपनी ओर मिलावे। परन्तु अकृत्यपक्ष के पुरुष उन्हें भेद तथा दण्ड के द्वारा अपनी ओर करते रहे और उनके सामने शत्रु के दोषों की बराबर चर्चा करते रहें।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में परविषयक कृत्याकृत्यपक्षोपग्रह
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।

प्रकृरणा १०

अध्याय १४

मन्त्राधिकारः

१. कृतस्वपक्षपरपक्षोपग्रहः कार्यारम्भांश्चिन्तयेत् । मन्त्रपूर्वाः सर्वारम्भाः ।
२. तदुद्देशः संवृतः कथानामनिःस्वावी पक्षिभिरप्यनालोक्यः स्यात् । श्रूयते हि शुक्रशारिकाभिर्मन्त्रो भिन्नः श्वभिरन्यैश्च तिर्यग्योनिभिः । तस्मान्मन्त्रोद्देशमनायुक्तो नोपगच्छेत् । उच्छिद्येत मन्त्रभेदी ।

मन्त्राधिकार

१. अपने देश और शत्रुदेश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को वश में करने के उपरान्त विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह अपने देश में दुर्ग आदि तथा शत्रुदेश के सम्बन्ध में संधि-विग्रह आदि कार्यों पर विचार करे । इस प्रकार के सभी कार्यों को गम्भीर विचार-विनिमय के अनन्तर ही आरम्भ करना चाहिए ।
२. जिस स्थान पर बैठकर मंत्रणा की जाय वह चारों ओर से इस प्रकार बन्द होना चाहिए कि जिससे वहाँ पत्नी तक न झाँक सकें और कोई शब्द बाहर न सुनाई दे; क्योंकि अनुश्रुति है कि पुराकाल में किसी राजा की गुप्त मंत्रणा को तोता और मैना ने सुनकर बाहर प्रकट कर दिया था । इसी प्रकार कुत्ते तथा अन्य पशु-पक्षियों के सम्बन्ध में भी सुना जाता है । इसलिए राजा की आज्ञा के दिना कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में मंत्रणास्थल न जाये । यदि गुप्त मंत्रणा के भेद को कोई फोड़ दे तो तत्काल ही उसको मरवा देना चाहिए ।

१. मन्त्रभेदो हि दूतामात्यस्वामिनामिङ्गिताकाराभ्याम् । इङ्गित-मन्यथावृत्तिः । आकृतिग्रहणमाकारः ।
२. तस्य संवरणम् आयुक्तपुरुषरक्षणमा कार्यकालादिति । तेषां हि प्रमादमदसुप्तप्रलापकामादिरुत्सेकः प्रच्छन्नोऽवमतो वा मन्त्रं भिनत्ति । तस्माद् रक्षेन्मन्त्रम् ।
३. मन्त्रभेदो ह्ययोगक्षेमकरो राजस्तदायुक्तपुरुषाणां च । तस्माद् गुह्यमेको मन्त्रयेतेति भारद्वाजः । मन्त्रिणामपि हि मन्त्रिणो भवन्ति । तेषामप्यन्ये । सैषा मन्त्रिपरम्परा मन्त्रं भिनत्ति ।

१. कभी-कभी बिना कहे ही दूत, अमात्य तथा राजा के हाव-भाव एवं मुद्रा द्वारा भी गुप्त भेद प्रकट हो जाते हैं स्वाभाविक क्रियाओं के विपरीत भिन्न चेष्टाएँ 'इंगित' कहलाती हैं । चेष्टाओं को प्रकट करनेवाले अंग 'आकार' या 'आकृति' कहलाते हैं ।
२. इसलिए विजिगीषु राजा को चाहिए कि जब तक विचारित कार्यों के आरंभ करने का समय नहीं आता तब तक अपने गुप्त भावों को दबाकर रखे । मंत्रियों की असावधानी के कारण या मद्यपान की बेहोशी में, अथवा सोते समय आकस्मिक प्रलाप द्वारा या विषय-भोग की लालसा से अथवा अभिमान के भाव से गुप्त मंत्रणाएँ समय से पहिले ही प्रकट हो जाती हैं । आड़ में छिपकर सुननेवाले अथवा मंत्रणाकाल में मूर्ख कहकर अपमानित हुआ व्यक्ति भी मंत्र के भेद को फोड़ देते हैं । इसलिए इन सभी बातों को दृष्टि में रखकर राजा को चाहिए कि वह अपने गुप्त रहस्यों की सावधानी से रक्षा करे ।
३. आचार्य भारद्वाज का सुझाव है कि 'मन्त्र के प्रकट हो जाने पर राजा और उसके सलाहकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है । इसलिये इस प्रकार की गुप्त मन्त्रणाओं पर राजा अकेला ही विचार करे; क्योंकि मन्त्रियों के भी अपने सलाहकार होते हैं । उनके भी दूसरे लोग परामर्शदाता होते हैं इसलिए इस मन्त्रि-परम्परा के कारण गुप्त बातों के प्रकट हो जाने का भय बना रहता है ।

१. तस्मान्नास्य परे-विद्युः कर्म किञ्चिच्चिकीर्षितम् ।
आरब्धारस्तु जानीयुरारब्धं कृतमेव वा ॥
२. नैकस्य मन्त्रसिद्धिरस्तीति विशालाक्षः । प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया
हि राजवृत्तिः । अनुपलब्धस्य ज्ञानमुपलब्धस्य निश्चयवला-
धानमर्थद्वेषस्य संशयच्छेदनमेकदेशदृष्टस्य शेषोपलब्धिरिति
मन्त्रिसाध्यमेतत् । तस्माद् बुद्धिवृद्धैः सार्धमासीत् मन्त्रम् ।
३. न कश्चिद्वमन्येत सर्वस्य शृणुयान्मतम् ।
बालस्याप्यर्थवद् वाक्यमुपयुञ्जीत पण्डितः ॥
४. एतन्मन्त्रज्ञानं नैतन्मन्त्ररक्षणमिति पाराशरः । यदस्य कार्य-

१. 'इसलिए गुप्त मन्त्रणाओं को राजा के अतिरिक्त कोई न जानने पावे । केवल कार्यारम्भ करनेवाले व्यक्ति ही उसके आभास को जान सकें और उन्हें भी उसका परिणाम कार्य की समाप्ति के बाद ही ज्ञात हो ।'
२. आचार्य विशालाक्ष कुछ संशोधन के साथ अपना विचार प्रकट करते हैं । उनका कहना है कि 'एक ही व्यक्ति द्वारा सोचा-विचारा हुआ मन्त्र सिद्धि-दायक नहीं हो सकता । सभी राजकार्य प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के होते हैं; उनके लिए मन्त्रियों की अपेक्षा होती है । न जाने हुए कार्य को जानना, जाने हुए कार्य का निश्चय करना, निश्चित कार्य को दृढ़ करना, किसी कार्य में सन्देह उत्पन्न हो जाने पर विचार-विमर्श द्वारा उस संशय का निराकरण करना, आंशिक कार्य को पूरी तरह विचारना इत्यादि सभी बातें मन्त्रियों में सहयोग से ही पूरी की जा सकती हैं । इसलिए विजिगीषु राजा को अत्यन्त बुद्धिमान् और पर्याप्त अनुभवी व्यक्तियों के साथ बैठकर विचार करना चाहिए ।
३. 'राजा को चाहिए कि सलाह करते समय वह किसी को अवमानित न करे, सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने; यहाँ तक कि बालक की भी सारगर्भित बात को ग्रहण करे ।'
४. आचार्य पाराशर के मतावलम्बी विद्वानों का कहना है कि 'आचार्य विशालाक्ष के उक्त कथन से मन्त्र का ज्ञान भले ही हो सकता है, मन्त्र की रक्षा नहीं । इसलिए राजा को जिस कार्य के लिए सलाह लेनी हो उस कार्य के समान

मभिप्रेतं तत्प्रतिरूपकं मन्त्रिणः पृच्छेत्—कार्यमिदमेवमासीदेवं
वा यदि भवेत् तत् कथं कर्तव्यमिति । ते यथा ब्रूयुः तत्
कुर्यात् । एवं मन्त्रोपलब्धिः संवृतिश्च भवतीति ।

१. नेति पिशुनः । मन्त्रिणो हि व्यवहितमर्थं वृत्तमवृत्तं वा पृष्ट-
मनादरेण ब्रुवन्ति प्रकाशयन्ति वा । स दोषः । तस्मात् कर्मसु
ये येष्वभिप्रेतास्तैः सह मन्त्रयेत् । तैर्मन्त्रयमाणो हि मन्त्र-
बुद्धिं गुप्तिं च लभत इति ।
२. नेति कौटिल्यः । अनवस्था ह्येषा । मन्त्रिभिक्षिभिश्चतुर्भिर्वा
सह मन्त्रयेत् । मन्त्रयमाणो ह्येकैनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधि-
गच्छेत् । एकश्च मन्त्री यथेष्टमनवग्रहश्चरति । द्वाभ्यां मन्त्रय-

ही दूसरे कार्य के सम्बन्ध में वह मन्त्रियों से पूछे । राजा किसी ऐतिहासिक
घटना का हवाला देकर कहे कि असुकर कार्य इस ढंग से किया गया था;
इसी कार्य को यदि इस ढंग से करना होता तो कैसे किया जाना चाहिए था ।
इस पर मन्त्री जो राय दें उसके अनुसार ही तत्समान अपने अभीष्ट कार्य को
सम्पन्न करे । ऐसा करने से मन्त्र का ज्ञान भी हो जाता है और मन्त्र
की रक्षा भी ।'

१. आचार्य पिशुन (नारद) इस मन्तव्य को नहीं मानते । उनकी स्थापना है
'क्योंकि इस तरह प्रकारान्तर से मन्त्रियों के सम्मुख किसी बात को
रख देने से वे समझने लगते हैं कि राजा हमारी सलाह नहीं मानता और
उसका हम पर विश्वास नहीं है । इसलिए वे पूर्वघटित एवं अघटित विषय
पर लापरवाही से उत्तर देते हैं और उस बात को प्रकाशित भी कर देते हैं ।
यह तो मन्त्र के लिए बड़ा दोष है । इसलिए राजा को यही उचित है कि जो
लोग जिन-जिन कार्यों पर नियुक्त एवं जिन-जिन विचारों के लिए उपयुक्त
भी हैं उन्हीं के साथ वैसी सलाह करे । ऐसा करने से मन्त्रणा में अधिक
परिमार्जन हो जाता है और उसकी सुरक्षा भी हो जाती है ।
२. आचार्य कौटिल्य उक्त मत से अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि
'नारद मुनि की बताई हुई युक्तियों के अनुसार मन्त्र व्यवस्थित नहीं हो सकता ।
इसलिए तीन या चार मन्त्रियों को साथ बैठाकर राजा को मन्त्रणा करनी
चाहिए । क्योंकि एक ही मन्त्री से सलाह करता हुआ राजा किसी कठिनतम

माणो द्वाभ्यां संहताभ्यामवगृह्यते, विगृहीताभ्यां विनाश्यते ।
त्रिषु चतुर्षु वा नैकान्तं कृच्छ्रेणोपपद्यते महादोषम् । उपपन्नं तु
भवति । ततः परेषु कृच्छ्रेणार्थनिश्चयो गम्यते, मन्त्रो वा रक्ष्यते ।

१. देशकालकार्यवशेन त्वेकेन सह द्वाभ्यामेको वा यथासामर्थ्यं
मन्त्रयेत ।

२. कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपद् देशकालविभागः विनि-
पातप्रतीकारः कार्यसिद्धिरिति पञ्चाङ्गो मन्त्रः । तानेकैकशः
पृच्छेत् समस्तांश्च । हेतुभिश्चैषां मतिप्रविवेकान् विद्यात् । अवा-

कार्य के अड जाने पर उचित समाधान नहीं कर पाता और मंत्री प्रतिद्वंद्वी
के रूप में मनमाना करने लगता है । दो मंत्रियों के साथ बैठकर भी वह
सलाह करता है तो कोई असंभव नहीं कि वे दोनों मिलकर राजा को अपने
वश में कर लें अथवा दोनों लड़ने लग जायँ तो सारी मंत्रणा ही धूल में मिल
जायगी । यदि तीन या चार मंत्री सलाहकार होंगे तो उस अवस्था में इस
प्रकार के अनर्थकारी महान् दोष के उत्पन्न हो जाने की संभावना नहीं
है । कोई भी दोष उसमें सहसा ही नहीं आ सकता है । यदि चार से अधिक
मंत्री हो जायँ तो कार्य का निश्चय करना कठिन हो जाता और उस दशा
में मंत्र की सुरक्षा में भी संदेह हो जाता है ।'

१. इसलिये देश, काल और कार्य के अनुसार एक या दो मंत्रियों के
साथ भी राजा मंत्रणा करे । अपनी विचार-शक्ति के अनुसार वह
अकेला बैठकर कुछ कार्यों का स्वयं ही निर्णय करे ।

२. मंत्र के पाँच अंग होते हैं : (१) कार्यारंभ करने का उपाय, (२) पुरुष
तथा द्रव्य-संपत्ति, (३) देश-काल का विभाग, (४) विघ्न-प्रतीकार और
(५) कार्यसिद्धि । मंत्र के विषय में राजा एक-एक मंत्री से अथवा एक साथ
सभी मंत्रियों से परामर्श कर सकता है । मंत्रियों के भिन्न-भिन्न अभिप्रायों
को वह युक्तियों के द्वारा समझे । भली-भाँति समझ-वृद्ध जाने पर अविलंब
ही वह अपने निश्चय को कार्यरूप में परिणत कर दे । किसी कार्य को अधिक
समय तक विचारने रहना उचित नहीं है । जिन लोगों का कर्मी अपकार

पहला अधिकरण : प्रकरण १०, अध्याय १४

सार्थः कालं नातिक्रामयेत् । न दीर्घकालं मन्त्रयेत् । न च तेषां
पक्ष्यैर्येषामपकुर्यात् ।

१. मन्त्रिपरिषद् द्वादशामात्यान् कुर्वीतेति मानवाः ।
२. षोडशेति ब्राह्मण्यः ।
३. विंशतिमित्यौशनसाः ।
४. यथासामर्थ्यमिति कौटिल्यः ।
५. ते ह्यस्य स्वपक्षं परपक्षं च चिन्तयेयुः । अकृतारम्भमारब्धा-
नुष्ठानमनुष्ठितविशेषं नियोगसम्पदं च कर्मणां कुर्युः । आसन्नैः
सह कार्याणि पश्येत् । अनासन्नैः सह पत्रसम्प्रेषणेन मन्त्रयेत् ।

किया हो, उनके साथ या उनके सहयोगियों के साथ कभी भी मंत्रणा नहीं
करनी चाहिए ।

(मन्त्रि-परिषद् का विचार)

१. मनु के अनुयायी अर्थशास्त्रविदों का इस संबन्ध में कहना है कि 'मन्त्रि-
परिषद् में बारह भ्रमर्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए ।'
२. बृहस्पति के अनुयायी विद्वान् 'सोलह मंत्रियों' के पक्ष में है ।
३. शुक्राचार्य-पक्ष के आचार्य मंत्रियों की संख्या 'बीस' रखना अधिक उपयुक्त
समझते हैं ।
४. आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'कार्य करने वाले पुरुषों के सामर्थ्य के
अनुसार ही उनकी संख्या नियत होनी चाहिए ।'
५. वे निर्धारित मंत्री विजिगीषु राजा के और उसके शत्रु राजा के संबंध
में विचार करें । जो कार्य प्रारंभ न किए गए हों उन्हें प्रारंभ करायें; प्रारंभ
किए कार्यों को पूरा करावें और जो कार्य पूरे हो चुके हों उनमें आवश्यकता-
नुसार संशोधन-संमार्जन करें । निष्कर्ष यह कि विभागीय अध्यक्ष अपने-अपने
कार्यों को अंत तक अधिकाधिक निपुणता से संपन्न करे । जो मंत्री राजा
के सन्निकट हों, उनको साथ लेकर राजा उनके कार्यों का स्वयं ही निरीक्षण
करे । किन्तु जो दूर हों, उनसे पत्र द्वारा परामर्श करता रहे । इन्द्र की
मन्त्रि-परिषद् में एक हजार ऋषि थे, जो कि उसके कार्यों के निर्देशक थे ।

इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्दीणां सहस्रम् । स तच्चक्षुः । तस्मादिमं
द्वयक्षं सहस्राक्षमाहुः ।

१. आत्ययिके कार्ये मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदं चाहूय ब्रूयात् । तत्र
यद् भूयिष्ठाः कार्यसिद्धिकरं वा ब्रूयुस्तत् कुर्यात् । कुर्वतश्चः—
२. नास्य गुह्यं परे विद्युच्छिद्रं विद्यात् परस्य च ।
गूहेत् कूर्म इवाङ्गानि यत्स्याद् विवृतमात्मनः ॥
३. यथा ह्यश्रोत्रियः श्राद्धं न सतां भोक्तुमर्हति ।
एवमश्रुतशास्त्रार्थो न मन्त्रं श्रोतुमर्हति ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे

मन्त्राधिकारो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥



इसीलिए तो दो नेत्रों वाले इन्द्र को हजार आँखों वाला (सहस्राक्ष) कहा गया है ।

१. अत्यावश्यक कार्य के आ जाने पर राजा, मन्त्रि-परिषद् का आयोजन कर उससे परामर्श करे । उनमें से बहुसमर्थित तथा शीघ्र ही कार्यसिद्धि कर देने वाली राय के अनुसार कार्य संपादन करे ।
२. इस ढंग से कार्य करते हुए राजा के गुप्त रहस्यों को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान पाता है प्रत्युत वह दूसरों के दोषों को भी जान लेता है । राजा को चाहिए कि वह अपने गुप्त भावों को उसी प्रकार अपने मन में छिपाये रखे जिस प्रकार कि कजुआ अपने अंगों को छिपाये रखता है ।
३. जिस प्रकार वेदाध्ययन से शून्य ब्राह्मण किसी श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्राद्ध नहीं कर सकता है । उसी प्रकार शास्त्रज्ञान से शून्य व्यक्ति मन्त्र को सुरक्षित नहीं रख पाता है ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में मन्त्राधिकार नामक
चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।



दूतप्रणिधिः

१. उद्धृतमन्त्रो दूतप्रणिधिः । अमात्यसम्पदोपेतो निःसृष्टार्थः,
पादगुणहीनः परिमितार्थः, अर्धगुणहीनः शासनहरः ।
२. सुप्रतिविहितयानवाहनपुरुषपरिवापः प्रतिष्ठेत । शासनमेव
वाच्यः परः, स वक्ष्यत्येवं, तस्येदं प्रतिवाक्यम्—एवमतिसन्धा-
तव्यमित्यधीयानो गच्छेत् । अटव्यन्तपालपुरराष्ट्रमुख्यैश्च प्रति-
संसर्गं गच्छेत् । अनीकस्थानयुद्धप्रतिग्रहापसारभूमीरात्मनः
परस्य चावेक्षेत । दुर्गराष्ट्रप्रमाणं सारवृत्तिगुप्तिच्छिद्राणि चोप-

सन्देश देकर राजदूतों को शत्रु-देश में भेजना

१. गुप्त मंत्रणा के निश्चित हो जाने पर ही दूत को शत्रुदेश की ओर भेजना चाहिए । दूत तीन प्रकार के होते हैं : (१) निःसृष्टार्थ, (२) परिमितार्थ और (३) शासनहर । अमान्य के पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न निःसृष्टार्थ उनमें एक चौथाई गुणहीन परिमितार्थ और आधा गुणहीन शासनहर कहलाता है ।
२. पालकी आदि सवारी, घोड़े आदि वाहन, नौकर-चाकर और सोने-चिड़चाने आदि सामग्री की भलीभांति व्यवस्था करके दूत को शत्रुदेश की ओर प्रस्थान करना चाहिये । दूत को पहिले ही से यह सोच-विचार कर लेना चाहिये कि 'मैं अपने स्वामी का सन्देश इस ढंग से कहूँगा; उसका यह उत्तर होगा तो मेरे प्रत्युत्तर की विधि इस प्रकार होगी; या किन-किन विधियों से उस शत्रु राजा को वश में करना होगा ।' आदि-आदि । राजदूत को चाहिये कि वह शत्रुदेश के वनरक्षक, सीमारक्षक, नगरवासियों तथा जनपदवासियों से मित्रता गांठे । साथ ही वह उभयपक्ष की सेनाओं के ठहरने योग्य युद्ध-भूमि और संयोग आने पर अपनी सेना के भाग सकने योग्य उपयुक्त स्थानों तथा रास्तों का भी निरीक्षण करे । साथ ही शत्रुपक्षी राजा के दुर्ग, उसके राज्य की सीमाएँ, आमदनी, उपज, आजीविका के साधन, राष्ट्रज्ञा के तरीके

लभेत । पराधिष्ठानमनुज्ञातः प्रविशेत् । शासनं च यथोक्तं
ब्रूयात् प्राणावाधेऽपि दृष्टे । परस्य वाचि वक्त्रे दृष्ट्यां च प्रसादं
वाक्यपूजनमिष्टपरिप्रश्नं गुणकथासङ्गमासन्नमासनं सत्कारमिष्टेषु
स्मरणं विश्वासगमनं च लक्षयेत् तुष्टस्य । विपरीतमतुष्टस्य ।
तं ब्रूयात्—दूतमुखा वै राजानस्त्वं चान्ये च । तस्मादुद्य-
तेष्वपि शस्त्रेषु यथोक्तं वक्तारः तेषामन्तावसायिनोऽप्यवध्याः,
किमङ्ग पुनर्ब्राह्मणाः । परस्यैतद् वाक्यमेष दूतधर्मः इति ।

१. वसेद्विसृष्टः; प्रपूजया नोत्सिक्तः; परेषु बलित्वं न मन्येत;

वहाँ के गुप्त भेद एवं वहाँ की बुराइयों का पता लगाना भी दूत का ही कर्तव्य है । किसी शत्रु राजा के राज्य में प्रवेश करने से पूर्व दूत, उस राजा की आज्ञा प्राप्त कर ले । प्राणांतक परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर भी वह अपने स्वामी का संदेश अविकल रूप में कहे । यदि, शत्रु राजा की वाणी में, मुखमुद्रा में, दृष्टि में प्रसन्नता झलकती हो; वह दूत की बातों को आदरपूर्वक सुन रहा हो; दूत को स्वेच्छया प्रश्न करने या अभीष्ट को प्रकट करने की स्वतन्त्रता हो; दूत के स्वामी राजा का कुशल-क्षेम तथा उसके गुणों के प्रति शत्रु राजा की उत्सुकता हो; दूत को वह आदरपूर्वक समीप ही बैठाये; राजकीय उत्सवों पर दूत को भी स्मरण करे और दूत के प्रत्येक कार्य पर शत्रु राजा का विश्वास हो; तो दूत को समझना चाहिए कि वह मुझ पर प्रसन्न है । यदि इसके विपरीत आचरण देखे, तो समझ ले कि शत्रु राजा उस पर रुष्ट है । इस प्रकार के रुष्ट हुए राजा से दूत कहे 'स्वामिन्, आप हों, अथवा दूसरे कोई भी राजा हों, दूत सभी का मुख होता है । उसी के माध्यम से राजा लोग पारस्परिक वार्ता-विनिमय करते हैं । इसलिए प्राणघातक स्थिति के आ जाने पर भी दूत सही संदेश ही निवेदित करते हैं । कोई चांडाल भी इस कार्य पर नियुक्त किया गया हो तो राजधर्म के अनुसार वह भी अवध्य है, उसी स्थान पर यदि ब्राह्मण हो तो उसके वध के सम्बन्ध में तो सोचा भी नहीं जा सकता है । दूसरे की कही हुई बात को ही दुहरा देना मात्र दूत का कार्य होता है ।'

१. जब तक शत्रुराजा उसे अपने राज्य से जाने की आज्ञा न दे तब तक वह वहीं रहे । शत्रुराजा द्वारा प्राप्त संमान पर वह गर्व न करे । शत्रुओं के

वाक्यमनिष्टं सहेत; स्त्रियः पानं च वर्जयेत्; एकः शयीत; सुप्तमत्तयोर्हि भावज्ञानं दृष्टम् । कृत्यपक्षोपजापमकृत्यपक्षे गूढ-प्रणिधानं रागापरागौ भर्तारि रन्ध्रं च प्रकृतीनां तापसवैदेहक-व्यञ्जनाभ्यामुपलभेत । तयोरन्तेवासिभिश्चिकित्सकपाषण्डव्यञ्जनोभयवेतनैर्वा, तेषामसंभाषायां याचकमत्तोन्मत्तसुप्तप्रलापैः पुण्यस्थानदेवगृहचित्रलेख्यसंज्ञाभिर्वा चारमुपलभेत । उपलब्धस्योपजापमुपेयात् । परेण चोक्तः स्वासां प्रकृतीनां परिमाणं नाचक्षीत । सर्वं वेद भवानिति ब्रूयात्, कार्यसिद्धिकरं वा ।

१. कार्यस्य सिद्धावुपरुध्यमानस्तर्कयेत् । किं भर्तुर्मे व्यसनमासनं

बीच रहता हुआ अपने को वह बलवान् न समझे । किसी के कुवाक्य को भी वह पी ले । स्त्री-प्रसंग और मद्यपान को वह सर्वथा त्याग दे । अपने स्थान में एकाकी ही शयन करे । मद्य पीने तथा दूसरों के साथ शयन करने से प्रमादवश या स्वप्नावस्था में मन के गुप्त रहस्यों के प्रकट हो जाने का भय बना रहता है । दूत को चाहिये कि वह, शत्रुदेश के कृत्यपक्ष को फोड़ देने का कार्य तथा अकृत्यपक्ष को वश में कर देने का कार्य अपने गुप्तचरों द्वारा जाने । राजा और अमात्य आदि उच्चाधिकारियों का पारस्परिक राग-द्वेष तथा राजा की बुराइयों का भेद वह, तापस, वैदेहक आदि गुप्तचरों के द्वारा अवगत करे । अथवा तापस, वैदेहक आदि के शिष्यों, चिकित्सक तथा पाखंडी के वेश में रहने वाले गुप्तचरों या उभयवेतनभोगी गुप्तचरों के द्वारा वह शत्रुराजा के रहस्यों का पता करता रहे । यदि इन गुप्तचरों से भी काम बनता न देखे तो, भिक्षुक, मत्त, उन्मत्त तथा सोते में प्रलाप करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से शत्रु के कार्यों का पता लगाता रहे । तीर्थस्थानों, देवाल्यों, गृहचित्रों तथा लिपि-संकेतों द्वारा भी वह वहाँके वृत्तांत जाने । ठीक-ठीक समाचार अवगत हो जाने पर वह तदनुसार भेदरूप उपायों का प्रयोग करे । दूत को चाहिए कि शत्रु के पूछे जाने पर भी वह अपने मंत्रिपरिषद् का ठीक-ठीक परिचय न दे । 'आप तो सर्वज्ञ हैं' इतना कहकर बात को टाल दे । यदि इतना बताने पर भी शत्रुराजा को संतोष न हो तो उतना मात्र परिचय देना चाहिये, जितने से अपने कार्य की सिद्धि हो जाय ।

१. कार्य सिद्ध हो जाने पर भी यदि शत्रुराजा दूत को अपने ही यहाँ रोकें

पश्यन्, स्वं वा व्यसनं प्रतिकर्तुकामः, पाष्णिग्राहासारावन्तः-
कोपसाटविकं वा समुत्थापयितुकामः, मित्रसाक्रन्दं वा व्यापा-
दयितुकामः, स्वं वा परतो विग्रहमन्तःकोपसाटविकं वा प्रति-
कर्तुकामः, संसिद्धं मे भर्तुर्यात्राकालमभिहन्तुकामः, सस्य-
कूप्यपण्यसंग्रहं दुर्गकर्म बलसमुत्थानं वा कर्तुकामः, स्वसैन्यानां
वा व्यायायदेशकालायाकाङ्क्षमाणः, परिभवप्रमदाभ्यां वा,
संसर्गान्नुवन्थार्थी वा सासुपरुणद्भीति ज्ञात्वा वसेदपसरेद्वा ।

रखना चाहना है, तो दूत को, राजा की इस अप्रत्याशित नीति के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उसको विचार करना चाहिए कि 'क्या शत्रुराजा को 'मेरे स्वामी पर जानेवाली किसी सन्निकट विपत्ति का पता लग गया है। या कि वह मेरे जाने से पूर्व ही अपने किसी व्यसन का प्रतीकार करना चाहता है। अथवा वह पाष्णिग्राह (स्वामिराजा का शत्रु एवं शत्रुराजा का मित्र) तथा आसार (शत्रुराजा के मित्र का मित्र) को मेरे स्वामी के विरोध में युद्ध करने के लिए तो नहीं उकसाना चाहता। या उसका इरादा मेरे स्वामी के अमात्य आदि को उससे कुपित करने का तो नहीं है। या कि वह किसी आटविक को भिडाने की साजिश तो नहीं रच रहा है। उसकी योजना ऐसी तो नहीं है कि वह मित्र (स्वामिराजा के संमुख प्रदेश का मित्रराजा) तथा आक्रन्द (स्वामिराजा के पृष्ठप्रदेश का मित्र राजा) आदि मित्रराष्ट्रों के राजाओं को मरवाना चाहता हो। या अपने ऊपर किए गये आक्रमण का, अपने अमात्य आदि के कोप का तथा अपने आटविक का प्रतीकार तो नहीं करना चाहता है। या कि वह मेरे स्वामी के इस प्रस्तुत आक्रमण को टालने तथा रोकने का यत्न तो नहीं कर रहा है। अथवा वह युद्ध की तैयारी के लिये धातुसंग्रह, किलाबंदी तथा सैन्य-संग्रह तो नहीं कर रहा है। या वह सैन्य-शिक्षण तथा उचित देश-काल की आकांक्षा में तो नहीं है। अथवा किसी प्रकार के तिरस्कार, प्रीति, विवाह-संबंध, दोष-वैमनस्य आदि के लिये तो वह मुझे नहीं रोक रहा है।' इस प्रकार के रहस्यों, कारणों और उद्देश्यों के संबंध में दूत अच्छी तरह से छान-बीन करे। रोके जाने के कारणों का ठीक-ठीक पता लग जाने पर वह उचित समझे तो स्के अन्यथा वहाँ से चल दे। अपने स्वामी की अभीष्ट-व्यक्ति लिये वह चाहे तो उसी नगर

प्रयोजनमिष्टमवेक्षेत वा । शासनमनिष्टमुक्त्वा बन्धवधभयाद-
विसृष्टोऽप्यपगच्छेत् । अन्यथा नियम्येत ।

१. श्रेष्ठं संधिपालत्वं प्रतापो मित्रसंग्रहः ।
उपजापः सुहृद्भेदो दण्डगूढातिसारणम् ॥
बन्धुरत्नापहरणं चारज्ञानं पराक्रमः ।
समाधिमोक्षो दूतस्य कर्म योगस्य चाश्रयः ॥
२. स्वदूतैः कारयेदेतत् परदूतांश्च रक्षयेत् ।
प्रतिदूतापसर्पाभ्यां दृश्यादृश्यैश्च रक्षिभिः ॥
इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे
दूतप्रणिधिनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥

में रुककर, गुप्त पुरुषों के द्वारा राजा तक सूचनाएँ पहुँचा कर, उनका प्रतीकार करवावे । अपने स्वामी का ऐसा संदेश, जिसको सुनकर शत्रुराजा क्रोधित हो उठे, सुनाने पर, दूत को बिना अनुमति लिये ही वहाँ से कूच कर देना चाहिए अन्यथा उसका पकड़ा जाना निश्चित है ।

१. शत्रुप्रदेश में अपने स्वामी का संदेश लेकर जाना; शत्रुराजा का संदेश लाने के लिए जाना; सन्धिभाव को बनाये रखना; समय आने पर अपने पराक्रम को दिखाना; अधिक से अधिक मित्र बनाना; शत्रु के कृत्यपक्ष के पुरुषों को फोड़ देना; शत्रु के मित्रों को उससे विमुख कर देना; तीक्ष्ण, रसद आदि गुप्तचरों एवं अपनी सेना को भगा देना; शत्रु के बांधवों एवं रत्नों का अपहरण (स्वायत्त) कर लेना; शत्रु के देश में रहकर गुप्तचरों के कार्यों का निरीक्षण करना; समय आने पर पराक्रम दिखाना; सन्धि की चिरस्थिति के निमित्त जमानत-रूप में रखे हुए राजकुमार को मुक्त कराना और मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना; ये सभी दूत के कार्य हैं ।
२. राजा को चाहिये कि वह उपर्युक्त सभी कार्य दूतों के द्वारा करवाये और शत्रुओं के पीछे अपने दूतों या गुप्तचरों को लगाये रखे । अपने देश में तो वह शत्रुदूतों के कार्यों का पता प्रकट रूप से लगाये; किन्तु शत्रुदेश में उनकी सूचनायें गुप्तरूप से संग्रह करवाये ।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में दूतप्रणिधि नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

प्राक्करण १२

अध्याय १६

राजपुत्ररक्षणम्

१. रक्षितो राजा राज्यं रक्षत्यासन्नेभ्यः परेभ्यश्च । पूर्वं दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च ।
२. दाररक्षणं निशान्तप्रणिधौ वक्ष्यामः ।
३. पुत्ररक्षणं जन्मप्रभृति राजपुत्रान् रक्षेत् । कर्कटकसधर्माणो हि जनकभक्षा राजपुत्राः ।
४. तेषामजातस्त्रेहे पितर्युपांशुदण्डः श्रेयानिति भारद्वाजः ।
५. नृशंसमदृष्टवधः क्षत्रविनाशश्चेति विशालाक्षः । तस्मादेकस्थाना-वरोधः श्रेयानिति ।

राजपुत्रों से राजा की रक्षा

१. निकटवर्ती सम्बन्धियों तथा शत्रुओं से सुरक्षित राजा ही राज्य की रक्षा कर सकता है । राजा को चाहिये कि सर्वप्रथम वह अपनी रानियों और अपने पुत्रों से अपनी रक्षा का प्रबन्ध करे ।
२. रानियों से किस प्रकार राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिये, इसके उपाय आगे निशांतप्रणिधि प्रकरण में बताये जायेंगे ।
३. अपने पुत्रों से आत्मरक्षा करने के लिए राजा को चाहिए कि वह जन्म से ही राजपुत्रों पर कड़ी निगरानी रखे; क्योंकि केकडे की भाँति राजपुत्र भी अपने पिता के भक्षक होते हैं ।
४. इस सम्बन्ध में आचार्य भारद्वाज का कहना है कि 'यदि राजकुमारों में पितृ-भक्ति की भावना न दिखाई दे तो उनका चुपचाप वध कर डालना ही श्रेयस्कर है ।'
५. आचार्य विशालाक्ष इसको पापकर्म कहते हैं । उनका कथन है कि 'निरपराध वृद्धों को इस प्रकार मरवा डालना बोर पाप और अति क्रूरता है, इस प्रकार तो क्षत्रिय वंश ही सर्वथा नष्ट हो जायगा । इसलिए यदि राजकुमारों में पितृभक्ति न दिखाई दे तो उन्हें किसी स्थान में कैद करके रखा जाना उचित है ।'

१. अहिभयमेतदिति पाराशराः । कुमारो हि विक्रमभयान्मां पिता
रुणद्धीति ज्ञात्वा तमेवाङ्के कुर्यात् । तस्मादन्तपालदुर्गे वासः
श्रेयानिति ।
२. औरभ्रकं भयमेतदिति पिशुनः । प्रत्यापत्तेर्हि तदेव कारणं
ज्ञात्वान्तपालसखः स्यात् । तस्मात् स्वविषयादपकृष्टे साम-
न्तदुर्गे वासः श्रेयानिति ।
३. वत्सस्थानमेतदिति कौणपदन्तः । वत्सेनेव हि धेनुं पितरमस्य
सामन्तो दुह्यात् । तस्मान्मातृबन्धुषु वासः श्रेयानिति ।

१. आचार्य पराशर के अनुयायी इसके भी विरुद्ध हैं । उनका अभिमत है कि 'यह तो सर्पभय के समान है । जैसे घर में घुसा हुआ साँप भयावह होता है, उसी प्रकार पुत्र को कैद में रखना भी भयप्रद है; क्योंकि राजकुमार को जब यह पता चल जायगा कि पिता ने अपने वध के भय से उसे कैद में डाल रखा है, तो वह पिता के घर में रहता हुआ सरलता से उसके वध की योजना तैयार कर सकता है । इसलिए राज्य की सीमा के दूरस्थ दुर्ग में ही राजकुमार को रखना श्रेयस्कर है ।'
२. आचार्य पिशुन (नारद) इस युक्ति से सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि 'दूरस्थ दुर्ग में राजपुत्र को रखना उसी प्रकार भयावह है, जैसे आक्रमण करने से पूर्व मेढा कुछ पीछे हट जाता है और पुनः दुगुने वेग से झपट पडता है । राजकुमार को जब अपने कैद होने का कारण विदित हो जायगा तो वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए दुर्गपाल को मित्र बनाकर, उसकी सहायता से अपने पिता पर आक्रमण कर सकता है । इसलिए राजकुमार को, राज्य की सीमा से बाहर किसी पड़ोसी (मित्र) राजा के दुर्ग में रखना ही अधिक उपयुक्त है ।'
३. आचार्य कौणपदन्त की कुछ दूसरी ही स्थापना है । उनकी स्थापना है कि 'राज-कुमार को परराज्याश्रित करने का परिणाम यह होगा कि जैसे गाय का बछड़ा दूसरे के हाथ में साँप देने से इच्छानुसार वह कभी भी गाय को दुह सकता है, वैसे ही राजकुमार का संरक्षक पड़ोसी राजा, राजकुमार को अपने वश में करके उचित-अनुचित रीति से इच्छानुसार विजिगीषु से धन आदि ले सकता है । इसलिए राजकुमार को ननिहाल में रख देना ही उचित जान पड़ता है ।'

१. ध्वजस्थानमैतदिति वातव्याधिः । तेन हि ध्वजेनादितिकौशि-
कवदस्य मातृवान्धवा भिच्छेरन् । तस्माद् ग्राम्यधर्मेष्वेनमव-
सृजेयुः । सुखोपरुद्धा हि पुत्राः पितरं नाभिद्रुहन्तीति ।
२. जीवन्मरणमैतदिति कौटिल्यः । काष्ठमिव हि घुणजग्धं राज-
कुलमविनीतपुत्रमभियुक्तमात्रं भज्येत । तस्माद्दत्तमत्यां महि-
ष्याम् ऋत्विजश्चरुमैन्द्रवार्हस्पत्यं निर्वपेयुः । आपन्नसत्त्वायां
कौमारभृत्यो गर्भभर्मणि प्रजने च वियतेत । प्रजातायाः पुत्र-
संस्कारं पुरोहितः कुर्यात् । समर्थं तद्विदो विनयेयुः ।

१. आचार्य वातव्याधि इस सलाह पर भी आपत्ति प्रकट करते हैं । उनका परामर्श है कि 'राजकुमार को उसके मातृकुल में रखना एक ध्वजा के समान है, जिसको मातृकुल वाले अपनी आमदनी का वैसा ही माधन बनाकर उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि अदिति नाम की भिच्छुणी और कौशिक नाम के सँपेरे जीविका-निर्वाह के लिए अपने पेशेवर कौतुकों को दिखाते फिरते हैं । इसलिए राजकुमार को, उसकी इच्छानुसार, विषय-भोग में लिप्त रहने देना चाहिए, क्योंकि विषय-वासनाओं में उलझे हुए राजकुमारों को पिता से द्रोह करने का अवकाश ही नहीं मिलता है ।'

२. आचार्य कौटिल्य इस सिद्धान्त को, जीते-जी राजपुत्रों की हत्या कर देने के समान अनर्थकारी बताते हैं । उनका कहना है 'राजकुमारों को इस प्रकार विषयभोग में फँसाना उन्हें जीते ही मृत्यु के मुख में दे देना है । जिस प्रकार घुन लगी लकड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अशिक्षित राजकुमारों का कुल बिना युद्ध आदिके ही विनष्ट हो जाता है । इसलिए राजा को चाहिए कि जब रानी ऋतुमती हो, तो (संतति की) ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि के निमित्त ऋत्विक्, इंद्र और बृहस्पति आदि देवताओं के लिये हविदान किया जाय । जब महारानी गर्भवती हो जाय तो कौमारभृत्य अंग के ज्ञाता शिशु-चिकित्सकों के निर्देशानुसार गर्भ की पुष्टि तथा उसके सुखपूर्वक प्रजन के लिए यत्न किया जाय । राजकुमार के पैदा हो जाने पर विद्वान् पुरोहित विधिपूर्वक उसका संस्कार करें । जब वह समझने योग्य हो जावे तो विभिन्न विषयों के पारंगत विद्वान् उसको शिक्षा दे ।'

१. सत्रिणामेकश्चैनं मृगयाघृतमद्यस्त्रीभिः प्रलोभयेत्—पितरि विक्रम्य राज्यं गृहाणेति । तदन्यः सत्री प्रतिषेधयेद् इत्याम्भीयाः ।
२. महादोषमबुद्धबोधनमिति कौटिल्यः । नवं हि द्रव्यं येन येनार्थजातेनोपदिह्यते तत्तदाचूषति । एवमयं नवबुद्धिर्यद्यदुच्येत तत्तच्छास्त्रोपदेशमिवाभिजानाति । तस्माद् धर्ममर्थं चास्योपदिशेन्नाधर्ममनर्थं च ।
३. सत्रिणस्त्वेनं तव स्म इति वदन्तः पालयेयुः । यौवनोत्सेकात् परस्त्रीषु मनः कुर्वाणमार्याव्यञ्जनाभिः स्त्रीभिरमेध्याभिः शून्या-

१. आचार्य आंभ के मतानुयायियों का कहना है कि 'सत्रियों (गुप्तचरों) में से कोई एक सत्री राजकुमार को मृगया, घृत, मद्य और स्त्रियों का प्रलोभन दे । यह भी कहे कि पिता पर आक्रमण करके तुम राज्य को ले लो; फिर मौज करो । इस पर दूसरा सत्री कहे ऐसा करना बहुत बुरा है ।'
२. आचार्य कौटिल्य के मतानुसार राजकुमार के भीतर यह कुबुद्धि जगाना बहुत ही अनिष्टदायी है । उनका तर्क एवं सुझाव है कि 'सरलमति बालकों में ऐसी कुबुद्धि पैदा करना महादोष कहा जायगा । जैसे मिट्टी का नया वर्तन घी, तेल आदि जिस भी नये द्रव्य का स्पर्श पाकर उसी को चूस लेता है, ठीक वैसे ही, अपरिपक्व बुद्धिवाले बालक जो कुछ भी सिखाया जाता है, उसको वह शास्त्र-उपदेश की भाँति असिद्ध रूप से बुद्धि में जमा लेता है । इसलिये सरलमति बालकों को धर्म, अर्थ का ही उपदेश देना चाहिए, अधर्म, अनर्थ का नहीं ।'
३. सत्री लोग 'हम आपके ही हैं' इस अपनत्व को दर्शित करते हुए, राजपुत्र का पालन करें । यदि राजकुमार का युवा मन परस्त्री के लिए बेचैन हो उठता है तो उस समय उसके संरक्षकों को चाहिए कि आर्यावेश धारण की हुई अपवित्र, घृण्य स्त्रियों को रात्रि के एकांत में राजकुमार के निकट भेज कर उसके मन में ऐसी घृणा तथा खिन्नता पैदा करायें कि परस्त्री की चाह से

गारेषु रात्राबुद्धेजयेयुः । मद्यकामं योगपानेनोद्धेजयेयुः । द्यूत-
कामं कापटिकैः पुरुषैरुद्धेजयेयुः । मृगयाकामं प्रतिरोधकव्यञ्ज-
नैस्त्रासयेयुः । पितरि विक्रमबुद्धिं तथेत्यनुप्रविश्य भेदयेयुः ।
अप्रार्थनीयो राजा, विपन्ने घातः, संपन्ने नरकपातः, संक्रोशः
प्रजाभिरेकलोष्टवधश्चेति ।

१. विरागं प्रियमेकपुत्रं वा बध्नीयात् । बहुपुत्रः प्रत्यन्तमन्य-
विषयं वा प्रेषयेद्यत्र गर्भः पण्यं डिम्बो वा न भवेत् । आत्म-
सम्पन्नं सेनापत्ये यौवराज्ये वा स्थापयेत् ।

उसका मन सर्वथा फिर जाय । यदि वह मद्य पीने की इच्छा करे तो मद्य में
कोई ऐसा पदार्थ मिलाकर उसको दिया जाय, जिससे कि मद्य के लिए
उमकी अरुचि हो जाय । यदि वह जुआ खेलने की कामना करे तो छली-
कपटी लोगों के साथ बैठकर उसको इतना उद्धिग्न किया जाय कि आगे से
वह जुआ खेलने का नाम भी न ले । यदि वह शिकार खेलना चाहता है तो
कपटवेश धारण किए हुए राजपुरुष बचैन करके उधर से उसके मन को
विचल कर दें । यदि वह पिता पर आक्रमण करने की इच्छा रखता है तो
पहिले तो उसे बढ़ाया दिया जाय किंतु ऐन मौके पर उससे कहें 'देखो, राजा
के साथ कभी द्वेष नहीं करना चाहिए । यदि तुम असफल हो गए तो
तुम्हारी मृत्यु अवश्यंभावी है और जीत भी गए तो पितृघातक होने के कारण
तुमको घोर नरक भोगना पड़ेगा, सारी प्रजा तुमको लानत देगी और कोई
असंभव नहीं कि एकमत होकर प्रजा तुम्हारा ही प्राणान्त कर दे । इसलिए
तुम्हें इस भयंकर पाप-कर्म से बचना चाहिए ।'

यदि एक ही राजपुत्र हा, और वह भी पितृद्रोही निकले तो उसे कैद कर
देना चाहिए । यदि पुत्र अधिक हों तो उस द्रोही पुत्र को सीमांत प्रदेश
अथवा किसी दूसरे देश में प्रवासित कर देना चाहिए, जहाँ कि उचित
अन्न-वस्त्र प्राप्त न हो और जहाँ की प्रजा की उसके प्रति कोई सहानुभूति
न हो । इसके विपरीत जो राजपुत्र आत्मगुणसंपन्न हो, उसको सेनापति
या यवराज के उच्च पद पर नियुक्त किया जाय ।

१. बुद्धिमानाहार्यबुद्धिर्दुर्बुद्धिरिति पुत्रविशेषाः । शिष्यमाणो धर्मार्थावुपलभते चानुतिष्ठति च बुद्धिमान् । उपलभमानो नानुतिष्ठत्याहार्यबुद्धिः । अपायनित्यो धर्मार्थद्वेषी चेति दुर्बुद्धिः ।
२. स यद्येकपुत्रः पुत्रोत्पत्तावस्य वियतेत । पुत्रिकापुत्रानुत्पादयेद्वा । वृद्धस्तु व्याधितो वा राजा मातृबन्धुकुल्यगुणवत्सामन्तानामन्यतमेन क्षेत्रे बीजमुत्पादयेत् । न चैकपुत्रमविनीतं राज्ये स्थापयेत् ।
३. बहूनामेकसंरोधः पिता पुत्रहितो भवेत् । अन्यत्रापद ऐश्वर्यं ज्येष्ठभागि तु पूज्यते ॥

१. राजपुत्रों की तीन श्रेणियाँ हैं : (१) बुद्धिमान, (२) आहार्यबुद्धि और (३) दुर्बुद्धि । जो धर्म और अर्थविषयक उपदेश को उचित रीति से ग्रहण करके तदनुसार आचरण करता है, वह 'बुद्धिमान्' है । जो धर्म और अर्थ को समझ नो लेता है, किंतु तदनुसार अपना आचरण नहीं बना पाता उसे 'आहार्यबुद्धि' कहते हैं । जो बुराइयों में लीन तथा धर्म और अर्थ से द्वेष रखता है वह 'दुर्बुद्धि' है ।

२. यदि राजा का एक ही पुत्र हो और वह भी दुर्बुद्धि निकले तो राजा उस दुर्बुद्धि राजकुमार से ऐसा पुत्र पैदा कराने का यत्न करे, जो राजा बनने के योग्य हो । यदि ऐसा भी संभव न हो तो अपनी पुत्री के पुत्र (पोते) को राज्य का उत्तराधिकार सँभालने के योग्य बनाये । यदि राजा बूढ़ा हो गया हो, या सदैव स्वर्ण ही रहता हो, तो अपने किसी ममेरे भाई अथवा अपने ही कुल के किसी बंधु से या किसी गुणवान सामंत से अपनी स्त्री में नियोग कराकर पुत्र पैदा करवावे । किंतु अयोग्य अशिक्षित पुत्र को राज्यभार न सौंपे ।

३. यदि अनेक पुत्रों में एक पुत्र दुर्बुद्धि हो तो उसे किसी दूसरे देश में भेज कर रोक रखे । वैसे राजा को चाहिए कि सर्वदा ही वह अपने पुत्रों की कल्याणकामना करता रहे । यदि सभी पुत्र राजा को एक समान प्रिय हों, तो उस अवस्था में वह ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनावे ।

१. कुलस्य वा भवेद्राज्यं कुलसङ्घो हि दुर्जयः ।
अराजव्यसनाबाधः शश्वदावसति क्षितिम् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे राजपुत्ररक्षणं नाम
षोडशोऽध्यायः ॥

—००७७३००—

१. अथवा वे सभी भाई मिलकर राज्य को सँभालें; क्योंकि यदि राज्य का संचालन सामुदायिक ढंग से हुआ तो निश्चित ही वह राज्य दुर्जय होता है। सामुदायिक राज्य-व्यवस्था से एक बड़ा लाभ यह भी है कि एक व्यक्ति के व्यसनग्रस्त हो जाने पर दूसरे व्यक्ति उसके कार्य को सँभाल लेते हैं और इस प्रकार सर्वदैव प्रजा की सुखमय अवस्था पृथ्वी पर बनी रहती है।

विनयाधिकारिक प्रथमाधिकरण में राजपुत्ररक्षण
नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

—००७७३००—

प्रकरण १३

अध्याय १७

अनुरुद्धवृत्तम्, अनुरुद्धे च वृत्तिः

१. राजपुत्रः कृच्छ्रवृत्तिरसदृशे कर्मणि नियुक्तः पितरमनुवर्तेत, अन्यत्र प्राणाबाधकप्रकृतिकोपपातकेभ्यः । पुण्यकर्मणि नियुक्तः पुरुषमधिष्ठातारं याचेत । पुरुषाधिष्ठितश्च सविशेषमादेशमनुतिष्ठेत् । अभिरूपं च कर्मफलमौपायनिकं च लाभं पितुरुपनाययेत् ।
२. तथाऽप्यतुष्यन्तमन्यस्मिन् पुत्रे दारेषु वा स्निह्यन्तमरणाय आपृच्छेत् । बन्धवधभयाद् वा यः सामन्तो न्यायवृत्तिर्धार्मिकः

नजरबन्द राजकुमार और राजा का पारस्परिक व्यवहार

नजरबन्द राजकुमार का व्यवहार

१. अपनी हैसियत से निम्न कार्य पर नियुक्त एवं कठिनाई से जीवन-यापन करने वाले राजपुत्र को चाहिए कि अपने पिता के आदेशों का वह पूर्णतः पालन करे । परंतु किसी कार्य को करने में यदि प्राणभय, अमात्य आदि प्रकृतियों के कुपित होने का भय अथवा पातकभय हो तो राजपुत्र को चाहिए कि वह पिता के आदेशों का कदापि पालन न करे : किसी पुण्यकार्य में नियुक्त राजपुत्र अपने लिए एक संरक्षक (अधिष्ठाता) की माँग करे और उसके निर्देशानुसार वह राजा की आज्ञाओं का यथाविधि पालन करे । कार्य के अनुसार उसको जो कुछ फल प्राप्त हो और प्रजाजनों से उसको जो कुछ भी उपहार मिलें, उनको वह पिता के पास भिजवा दे ।
२. इस पर भी यदि राजा संतुष्ट न हो और दूसरे पुत्रों तथा स्त्रियों के साथ विशेष स्नेह-प्रेम प्रदर्शित करता रहे तो राजपुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता की आज्ञा लेकर तपस्या आदि करने के लिए जंगल में चला जाय । अथवा ऐसा करने पर यदि उसको गिरफ्तार होने या मारे जाने का भय हो तो वह ऐसे राजा की शरण में चला जाय, जो न्यायपरायण, धार्मिक, सत्यवादी, धोखा न देनेवाला, शरणागत की रक्षा करनेवाला और आश्रय

सत्यवागविसंवादकः प्रतिग्रहीता मानयिता चाभिपन्नाना
तमाश्रयेत् । तत्रस्थः क्रोशदण्डसंपन्नः प्रवीरपुरुषकन्यासम्बन्ध-
मटवीसम्बन्धं कृत्यपक्षोपग्रहं वा कुर्यात् ।

१. एकचरः सुवर्णपाकमणिरागहेमरूप्यपण्याकरकर्मान्तानाजीवेत् ।
पाण्डसङ्घद्रव्यमश्रोत्रियभोग्यं देवद्रव्यमाढ्यविधवाद्रव्यं वा
गूढमनुप्रविश्य सार्थयानपात्राणि च मदनरसयोगेनातिसन्धा-
यावहरेत् । पारग्रामिकं वा योगमातिष्ठेत् । मातुः परिजनोप-
ग्रहेण वा चेष्टेत् । कारुशिल्पिकुशीलवचिक्रित्सकवाग्जीवनपाप-
ण्डच्छत्रभिर्वा नष्टरूपस्तञ्जन्नसखश्छिद्रे प्रविश्य राज्ञः शस्त्र-
रसाभ्यां प्रहृत्य ब्रूयात्—अहमसौ कुमारः, सहभोग्यमिदं

में आये हुए व्यक्ति का स्वागत-सत्कार करनेवाला हो । वहाँ रहकर वह धन-बल से संपन्न होकर किसी वीर पुरुष की कन्या से विवाह कर ले और तब अपने पिता के आटविक लोगों से मित्रता कर वहाँ के कृत्यपक्ष को अपने साथ मिलाने का यत्न करे ।

१. यदि राजपुत्र को धन-बल की उपलब्धि न हो तो वह रासायनिक कर्मों के द्वारा मणि, सुक्ता, सुवर्ण, चाँदी आदि विक्रीय पदार्थों को बनाकर उनके अथवा दूसरे खनिज पदार्थों के व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलाये । अथवा पाखंडी, अधर्मी पुरुषों की संचित कमाई को, श्रोत्रिय के अतिरिक्त दूसरे लोगों के भोग्य द्रव्य को, देव-निमित्तक द्रव्य को या किसी धन-सम्पन्न विधवा के द्रव्य को चोरी करके अपना जीविकोपार्जन करे । या जहाजी व्यापारियों को औषधि आदि से बेहोश कर उन्हें धोखा देकर उनके धन का अपहरण करे । अथवा विजिगीषु राजा जब किसी दूसरे गाँव को चला जाय, तब उसके यहाँ से धन का अपहरण करे, अथवा अपनी माता के परिजनों को अपने अनुकूल बनाकर उनके द्वारा अपने उद्धार की चेष्टा करे । अथवा बड़ई, लुहार, नट, वैद्य, भाट, कथावाचक, पाखंडी आदि पुरुषों के साथ अपने वेश को छिपाकर, किन्तु उनके सहश न बनकर, अपने पिता के दोषों का पता लगाकर उन्हीं को पकड़ कर शस्त्र या जहर के द्वारा राजा को मारकर फिर अमात्य आदि से वह इस प्रकार रहे : 'मैं ही असली राजकुमार हूँ; साझे में भोगे जाने वाले

राज्यमेको नार्हति भोक्तुं, तत्र ये कामयन्ते भर्तुं तानहं द्विगुणेन भक्तवेतनेनोपस्थास्य इति, इत्यवरुद्धवृत्तम् ।

१. अवरुद्धं तु मुख्यपुत्रमपसर्पाः प्रतिपाद्यानयेयुः, माता वा प्रतिगृहीता । त्यक्तं गूढपुरुषाः शस्त्ररसाभ्यां हन्युः । अत्यक्तं तुल्यशीलाभिः स्त्रीभिः पानेन मृगयया वा प्रसज्य रात्रावुपगृह्यानयेयुः ।
२. उपस्थितं च राज्येन मदूर्ध्वमिति सान्त्वयेत् ।
एकस्थमथ संरुन्ध्यात् पुत्रवान् वा प्रवासयेत् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाऽधिकरणेऽवरुद्धवृत्तमवरुद्धे च वृत्तिर्नाम सप्तदशोऽध्यायः॥



राज्य को कोई भी अकेले नहीं भोग सकता है, जो राजकर्मचारी पूर्ववत् शांति से अपने पदों पर बने रहना चाहते हैं, उन्हें मैं दुगुना वेतन दूँगा । यहाँ तक नजरबन्द राजकुमार के व्यवहार का निरूपण किया गया ।

राजकुमार के प्रति राजा का व्यवहार

१. अमात्य आदि मुख्य पुरुषों के पुत्र गुप्तरूप में जाकर नजरबन्द राजकुमार को यह दिलासा देकर मना ले आवें कि राजा उसको अवश्य ही युवराज बनायेगा । या राजा से संस्कृत राजपुत्र की माता ही उसको मना ले आवे । यदि वह राजपुत्र किसी भी तरीके से राजा का कहना न माने तो उस दशा में राजा को यही उचित है कि उस सर्वथा परित्याज्य राजपुत्र को वह गुप्तचरों से शस्त्र या विष आदि के द्वारा मरवा डाले । यदि अभी तक राजा ने उसका परित्याग न किया हो तो ऐसी स्थिति में समान स्वभाव वाली स्त्रियों के द्वारा मद्य आदि पिलाकर या शिकार आदि के बहाने रात में गिरफ्तार कर उसको राजा के सामने लाया जाने का यत्न किया जाय ।
२. अपने पास लाये जाने पर राजा उस राजकुमार से कहे कि 'मेरे वाद इस राज्य के स्वामी तुम्हीं बनोगे' ऐसा कहकर संतुष्ट करे । यदि वह एक ही पुत्र हो और अधार्मिक साबित हो तो उसे बन्दी बनाकर रखे और यदि अनेक पुत्र हों तो उसको देशनिकाला दे दे या मरवा डाले ।

विनयाधिकारिक प्रथमाधिकरण मे अवरुद्धवृत्त नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।



घृहकरण १४

अध्याय १८

राजप्रणिधिः

१. राजानमुत्तिष्ठमानमनूत्तिष्ठन्ते भृत्याः । प्रपाद्यन्तमनुप्रमाद्यन्ति ।
कर्माणि चास्य भक्षयन्ति । द्विषद्भिश्चातिसन्धीयते । तस्मादु-
त्थानमात्मनः कुर्वीत । नाडिकाभिरहरष्टधा रात्रिं च विभ-
जेत् ; छायाप्रमाणेन वा । त्रिपौरुषी पौरुषी चतुरङ्गुला च छाया
मध्याह्न इति चत्वारः पूर्वे दिवसस्याष्टभागाः । तैः पश्चिमा
व्याख्याताः ।

राजा के कार्य-व्यापार

१. राजा के उन्नतिशील होने पर ही उसका सारा भृत्यवर्ग उन्नतिशील होता है । इसके विपरीत राजा के प्रमादी होने पर सारा भृत्यवर्ग प्रमाद करने लगता है । उस दशा में वह प्रमादित भृत्यवर्ग राज्यकार्यों को चुपचाप पी जाता है । ऐसा राजा शत्रुओं के धोखे में आ जाता है । इसलिए राजा को उचित है कि वह अपने आपको सदा ही उन्नतिशील बनाये रखे । राजकार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए वह दिन और रात को आठ-आठ घड़ियों में बाँट दे । अथवा पुरुष की छाया से भी वह समय का विभाजन कर सकता है । सूर्योदय से लेकर जब तक पुरुष की छाया तिगुनी लंबी रहे, वह दिन का पहिला आठवाँ हिस्सा है । इस छाया को 'त्रिपौरुषी' छाया कहते हैं । इसी प्रकार वह छाया जब एक पुरुष के बराबर लंबी रह जाय, तो, वह दिन का दूसरा भाग है । उसको 'एकपौरुषी' छाया कहते हैं । तदनंतर वही 'एक पौरुषी' छाया घटकर जब चार अंगुल मात्र रह जाय तो वह दिन का तीसरा भाग है । उसको 'चतुरंगुली' छाया कहते हैं । उसके बाद का समय मध्याह्न कहलाता है । दिन का यह चौथा भाग है । मध्याह्न के उपरांत इसी क्रम से त्रिपौरुषी, पौरुषी, चतुरङ्गुला और दिनांत, ये चार भाग हैं । इस प्रकार दिन के ये आठ भाग हुए ।

१. तत्र पूर्वे दिवसम्याष्टभागे रक्षविधानमायव्ययौ च शृणुयात् । द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत् । तृतीये स्नानभोजनं सेवेत; स्वाध्यायं च कुर्वीत । चतुर्थे हिरण्यप्रतिग्रहमध्यक्षांश्च कुर्वीत । पञ्चमे मन्त्रिपरिषदा पत्रसंप्रेषणेन मन्त्रयेत; चार-गुह्यबोधनीयानि च बुद्धयेत् । षष्ठे स्वैरविहारं मन्त्रं वा सेवेत । सप्तमे हस्त्यश्वरथायुधीयान् पश्येत् । अष्टमे सेनापतिसखो विक्रमं चिन्तयेत् । प्रतिष्ठितेऽहनि संध्यामुपासीत ।
२. प्रथमे रात्रिभागे गूढपुरुषान्पश्येत् । द्वितीये स्नानभोजनं कुर्वीत स्वाध्यायं च । तृतीये तूर्यघोषेण संविष्टश्चतुर्थपञ्चमौ शयीत । षष्ठे तूर्यघोषेण प्रतिबुद्धः शास्त्रमतिकर्तव्यतां च चिन्तयेत् । सप्तमे मन्त्रमध्यासीत; गूढपुरुषांश्च प्रेषयेत् । अष्टमे ऋत्वि-

१. पूर्वाह्न के प्रथम भाग में राजा रक्षा-संबंधी कार्यों का निरीक्षण करे और बीते हुए दिन के आय-व्यय की जाँच करे । दूसरे भाग में वह पुरवासियों तथा जनपदवासियों के कार्यों का निरीक्षण करे । तीसरे भाग में स्नान, भोजन तथा स्वाध्याय करे और चौथे भाग में बीते दिन की अवशिष्ट आमदनी को सँभाले तथा उसी भाग में विभिन्न कार्यों पर अध्यक्ष आदि की नियुक्ति भी करे । उत्तरार्ध के पाँचवें भाग में वह मन्त्रि-परिषद् के परामर्श से पत्र भेजे तथा आवश्यक कार्यों के संबंध में विचार-विनिमय करे । इसी समय वह गुप्तचरों के कार्यों एवं गुप्त बातों के संबंध में जाने-सुने । छठे भाग में वह स्वतंत्र होकर स्वेच्छया विहार तथा विचार करे । सातवें भाग में वह हाथी, घोड़े, रथ तथा अस्त्र-शस्त्रों का निरीक्षण करे । अंतिम आठवें भाग में वह सेनापति के साथ युद्ध आदि के संबंध में विचार-विमर्श करे । दिनांत के बाद वह संध्योपासन करे ।

२. इसी प्रकार रात्रि के पहिले भाग में वह गुप्तचरों को देखे । दूसरे भाग में स्नान, भोजन, स्वाध्याय, तीसरे भाग में संगीत सुनता हुआ शयन करे और चौथे-पाँचवें भाग तक सोता रहे । रात्रि के छठे भाग में संगीत के द्वारा जागा हुआ वह अर्थ-शास्त्रसंबंधी तथा दिन में संपादित किए जाने योग्य कार्यों पर विचार करे । सातवें भाग में गुप्त-मंत्रणा करे और गुप्तचरों को

गाचार्यपुरोहितसखः स्वस्त्ययनानि प्रतिगृह्णायात् ; चिकित्स-
क्रमाहानसिकमौहूर्तिकांश्च पश्येत् । सवत्सां धेनुं वृषभं च प्रद-
क्षिणीकृत्योपस्थानं गच्छेत् ।

१. आत्मवलानुकूल्येन वा निशाहर्भागान् प्रविभज्य कार्याणि सेवेत ।
२. उपस्थानगतः कार्यार्थिनामद्वारासङ्गं कारयेत् । दुर्दर्शो हि
राजा कार्यकार्यविपर्ययासमासन्नैः कार्यते । तेन प्रकृतिकोपम-
रिवशं वा गच्छेत् । तस्माद्देवताश्रमपापण्डश्रोत्रियपशुपुण्य-
स्थानानां बालवृद्धव्याधितव्यसन्यनाथानां स्त्रीणां च क्रमेण
कार्याणि पश्येत् ; कार्यगौरवादात्ययिकवंशेन वा ।

यथास्थान भेजे । रात्रि के अंतिम आठवें भाग में ऋत्विक्, आचार्य तथा पुरोहित के साथ स्वस्तिवाचन-सहित आशीर्वाद ग्रहण करे । इसी समय वह वैद्य, प्रधान रसोइयाँ और ज्योतिषी आदि से भी तत्संबंधी बातों पर परामर्श करे । इन सब कार्यों से निवृत्त होकर वह बछड़े वाली गाय और बैल की प्रदक्षिणा करके राज-दरवार में प्रवेश करे ।

१. उपर का काल-विभाग सामान्य-दृष्टि से निरूपित किया गया है, वैसे शक्ति तथा अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार स्वेच्छया राजा अपनी कार्य-व्यवस्था को स्वयं भी निर्धारित कर सकता है ।
२. राजा जब दरवार में हो तो प्रत्येक कार्यार्थी को वह बिना रोक-टोक प्रवेश करने की अनुमति दे दे । क्योंकि जो राजा कठिनाई से प्रजा को दर्शन देता है, उसके समीप रहने वाले कर्मचारी उसके कार्यों को उलट-पलट कर देते हैं । इसका परिणाम यह होता है—राजा के अमात्य आदि उससे कुपित हो जाते हैं, राजकार्य शिथिल पड जाते हैं, राजा अपने शत्रुओं के अधीन हो जाता है । इसलिए राजा को उचित है कि देवालय, ऋषि-आश्रम, धूर्त-पाखंडियों के केंद्र, वेदपाठी ब्राह्मणों के संस्थान, पशुशाला, आदि स्थानों का और बाल, वृद्ध, स्तन, दुखित, अनाथ तथा स्त्रियों से संबद्ध कार्यों का स्वयमेव विधिपूर्वक निरीक्षण करे । इनमें से यदि कोई कार्य अत्यावश्यक है, अथवा उसकी अवधि बीत रही है तो उसी का निरीक्षण राजा पहिले करे ।

१. सर्वमात्ययिकं कार्यं शृणुयान्नातिपातयेत् ।
कृच्छ्रसाध्यमतिक्रान्तमसाध्यं वा विजायते ॥
२. अग्नयगारगतः कार्यं पश्येद्वैद्यतपस्विनाम् ।
पुरोहिताचार्यसखः प्रत्युत्थायाभिवाद्य च ॥
३. तपस्वितां तु कार्याणि त्रैविद्यैः सह कारयेत् ।
मायायोगविदां चैव न स्वयं कोपकारणात् ॥
४. राज्ञो हि व्रतमुत्थानं यज्ञः कार्यानुशासनम् ।
दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याभिषेचनम् ॥
५. प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।
नात्मप्रिय हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥

१. राजा को चाहिए कि पहिले वह उस कार्य को देखे, जिसकी मियाद बहुत बीत चुकी है। उसको देखने में वह अधिक विलंब न करे। क्योंकि इस प्रकार अवधि बीत जाने पर कार्य या तो कष्टसाध्य हो जाता है अथवा सर्वथा असाध्य हो जाता है।
२. राजा को चाहिए कि पुरोहित एवं आचार्य के साथ यज्ञशाला में उपस्थित होकर उन विद्वानों और तपस्वियों के कार्यों को खड़े ही खड़े अभिवादन-पूर्वक देखे।
३. तपस्वियों तथा मायावी लोगों के कार्यों का निर्णय राजा, अकेला न करके वेदविद् विद्वानों के साथ बैठकर करे। अकेले वह उन लोगों के कोप का कारण न बने।
४. उद्योग करना, यज्ञ करना, अनुशासन करना, दान देना, शत्रु और मित्रों से—उनके गुण-दोषों के अनुसार समान व्यवहार करना, दीक्षा समाप्त कर अभिषेक करना, ये सब राजा के नैमित्तिक व्रत हैं।
५. प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है। अपने आप को अच्छे लगने वाले कार्यों को करने में राजा का हित नहीं, बल्कि उसका हित तो प्रजाजनों को अच्छे लगने वाले कार्यों के संपादन करने में है।

१. तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम् ।
अर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः ॥
२. अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च ।
प्राप्यते फलमुत्थानाल्लभते चार्थसंपदम् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाऽधिकरणे राजप्रणिधिर्नामाष्टादशोऽध्यायः ।

—००७०००—

१. इसलिए राजा को चाहिए कि उद्योगशील होकर वह व्यवहार-संबंधी तथा राज्यसंबंधी कार्यों को उचित रीति से पूरा करे । उद्योग ही अर्थ का मूल है, और इसके विपरीत, उद्योगहीनता ही अनर्थों को देने वाली है ।
२. राजा यदि उद्योगी न हुआ तो उसके प्राप्त अर्थों और प्राप्तव्य अर्थों, दोनों का ही नाश हो जाता है; किंतु जो राजा उद्योगी है, वह शीघ्र उद्योग का मधुर फल पाता है और इच्छित सुख-संपदा का उपभोग करता है ।

विनयाधिकारिक प्रथमाधिकरण में अट्ठारहवाँ अध्याय समाप्त

—००७०००—

प्रवृत्तः १५

अध्याय १९

निशान्तप्रणिधिः

१. वास्तुकप्रशस्ते देशे सप्राकारपरिखाद्वारमनेककक्ष्यापरिगतमन्तःपुरं कारयेत् ।
२. कोशगृहविधानेन वा मध्ये वासगृहं, गूढभित्तिसंचारं मोहनगृहं तन्मध्ये वा वासगृहं, भूमिगृहं वाऽऽसन्नकाष्ठचैत्यदेवतापिधानद्वारमनेकसुरुङ्गासंचारं प्रासादं वा गूढभित्तिसोपानं, सुषिरस्तम्भप्रवेशापसारं वा, वासगृहं यन्त्रवद्वतलावपातं कारयेद्

राजभवन का निर्माण और राजा के कर्तव्य

१. वास्तुविद्या के विशेषज्ञ (इञ्जीनियर) जिस स्थान को उपयुक्त बतायें, उसी स्थान पर ऐसे अन्तःपुर का निर्माण कराना चाहिये, जिसके चारों ओर परकोटा एवं खाई और जिसमें अनेक ड्यौदियाँ हों ।
२. या कोशागार-निर्माण के विधानानुसार अन्तःपुर के बीच में राजा अपना महल बनवाये, या ऐसा मकान बनवाये, जिसकी दीवारों तथा गलियों (रास्तों) का पता न लगे, ऐसे मकान को मोहनगृह (भूलभुलैया) कहते हैं, उसके बीच में राजा अपने रहने का मकान बनवाये, या भूमि को खुदवा कर उसमें घर बनवाये, उस भूमिगृह के दरवाजे पर, समीप ही किसी देवता की मूर्ति स्थापित करवाये, उसमें जाने-आने के लिए गुप्त सुगंगें हों, या तो फिर ऐसा महल बनवाये, जिसकी दीवारों के भीतर गुप्त मार्ग हो, अथवा पोले खंभों के भीतर जाने-जाने तथा चढ़ने उतरने का रास्ता हो, अथवा आपत्तिकाल के निवारण के लिए यन्त्रों के आधार पर ऐसा वासगृह बनवाये जिसको इच्छानुसार नीचे-ऊपर तथा इधर-उधर हटाया जा सके । अथवा आपत्तिकाल के उपस्थित हो जाने पर ऐसे

करवाये । यदि राजा को इस

आपत्प्रतीकारार्थम् । आपदि वा कारयेत् । अतोऽन्यथा वा विकल्पयेत् ; सहाध्यायिभयात् ।

१. मानुषेणाग्निना त्रिरपसव्यं परिगतमन्तःपुरमग्निरन्यो न दहति; न चात्रान्योऽग्निर्ज्वलति; वैद्युतेन भस्मना मृतसंयुक्तेन कनकवारिणाऽवलिप्तं च ।

२. जीवन्तीश्वेतामुष्ककपुष्पवन्दाकाभिरक्षीवे जानस्याश्वत्थस्य प्रतानेन वा गुप्तं सर्पा विषाणि वा न प्रसहन्ते । मार्जारमयूरनकुलपृषतोत्सर्गः सर्पान्भक्षयति । शुकः शारिका भृङ्गराजो वा सर्पविषशङ्कायां क्रोशति । क्रौञ्चो विषाभ्याशे माद्यति; ग्लायति

वात की आशंका हो कि उसके समान ही दूसरा शत्रु राजा भी नीति-निपुण वास्तुकलाविद् है और वह, गुप्तभवन-निर्माणसम्बन्धी सभी रहस्यों को जानता है तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दे ।

१. मनुष्य की हड्डी में बाँस के रगड़ने से उत्पन्न अग्नि का स्पर्श, यदि अथर्ववेद के मन्त्रोच्चारण के साथ साथ बाँई ओर से तीन परिक्रमा करते हुए, कराया जाय तो उस अंतःपुर को आग नहीं जला सकती, और न दूसरी अग्नि ही वहाँ जल सकती है । विजली के गिरने से जले हुए पेड़ की राख लेकर उसमें उतनी ही मिट्टी मिला दी जाय और दोनों को घट्टे के पानी के साथ गूँथकर यदि उसका दीवारों पर लेपन किया जाय तब भी वहाँ दूसरी अग्नि असर नहीं कर सकती है ।

२. गिलोय, शंखपुष्पी, कालीपांढरी और करौंदे के पेड़ पर लगे हुए बंदे की माला आदि के रख देने; अथवा सहिजन (सेंजने) के पेड़ के ऊपर पैदा हुए पीपल के पत्तों के बंदनवार बाँध देने से अंतःपुर में सर्प, विच्छू आदि विषैले जंतुओं तथा दूसरे विषों का कोई प्रभाव नहीं होता है । बिस्ही, मोर, नेवला और मृग आदि भी साँपों को खा जाते हैं । अन्न आदि में सर्प-विष की आशंका होने पर तोता, मैना और बडा भौरा चिल्लाने लगते हैं । विष के समीप होने पर क्रौंच पक्षी विह्वल हो जाता है । जीवन्जीव (चकोर के समान एक पक्षी) नामक पक्षी जहर को देखकर मुरझा जाता है । कोयल विष को

जीवजीवकः; म्रियते मत्तकोकिलः; चकोरस्याक्षिणी विरज्येते ।
इत्येवम् अग्निविषसर्पेभ्यः प्रतिकुर्वीत ।

१. पृष्ठतः कक्ष्याविभागे स्त्रीनिवेशो गर्भव्याधिवैद्यप्रत्याख्यात-
संस्था वृक्षोदकस्थानं च । बहिः कन्याकुमारपुरम् । पुरस्ताद-
लङ्कारभूमिर्मन्त्रभूमिरुपस्थानं कुमाराध्यक्षस्थानं च । कक्ष्या-
न्तरेष्वन्तर्वांशिकसैन्यं तिष्ठेत् ।
२. अन्तर्गृहगतः स्थविरस्त्रीपरिशुद्धां देवीं पश्येत् । न काश्चिदभि-
गच्छेत् । देवीगृहे लीनो हि भ्राता भद्रसेनं जघान; मातुः
शय्याऽन्तर्गतश्च पुत्रः कारुशम् । लाजान् मधुनेति विषेण पर्यस्य

देखकर मर जाती है । विष को देखकर चकोर की आँखें लाल हो जाती हैं ।
इन सब उपायों के द्वारा राजा अपने आप को तथा अंतःपुर को अग्नि, सर्प
और विष के भय से बचा कर रखे ।

१. राजमहल के पीछे कक्ष्याभाग में रनिवास, उसके समीप ही प्रसूता, बीमार
तथा असाध्य रोगिणी स्त्रियों के लिए अलग-अलग तीन आवास बनवाए
जायँ और उन्हीं के साथ छोटे-छोटे उद्यान तथा सरोवरों का निर्माण किया
जाय । बाहर की ओर राजकुमारियों और युवक राजकुमारों के लिए स्थान
बनवाए जायँ । राजमहल के आगे हरी-हरी वास और फूलों से सजे हुए
उपवन होने चाहिए । उसके बाद मंत्रसभा का स्थान फिर दरबार और
तदनंतर युवक राजकुमार, समाहर्ता-सन्निधाता आदि अध्यक्षों के प्रधान
कार्यालय होने चाहिए । कक्ष्याओं के बीच-बीच में कंचुकी तथा अंतःपुर-
रक्षकों की उपस्थिति रहे ।
२. रनिवास के अंदर जाकर राजा किसी विश्वस्त बूढ़ी परिचारिका के साथ
महारानी से मिले । अकेला किसी रानी के पास न जाए, क्योंकि ऐसा करने में
कभी-कभी बड़ा धोखा हो जाता है । कहा जाता है कि पहले कभी भद्रसेन
नामक राजा के भाई वीरसेन ने उसकी रानी से मिलकर छिपे में भद्रसेन
राजा को मार डाला था । इसी प्रकार माता की शय्या के नीचे छिपे हुए
राजकुमार ने अपने पिता कारुश को मार डाला था । इसी प्रकार काशीराज
की रानी ने धान के खीलों में मधु के बहाने विष मिलाकर अपने पति को

देवी काशिराजं, विषदिग्धेन नूपुरेण वैरन्त्यं, मेखलामणिना
सौवीरं, जालूथमादर्शेन, वेण्यां गूढं शस्त्रं कृत्वा देवी विदूरथं
जघान । तस्मादेतान्यास्पदानि परिहरेत् ।

१. मुण्डजटिलकुहकप्रतिसंसर्गं बाह्याभिश्च दासीभिः प्रतिषेधयेत् ।
न चैनाः कुल्याः पश्येयुरन्यत्र गर्भव्याधिसंस्थाभ्यः । रूपा-
जीवाः स्नानप्रघर्षशुद्धशरीराः परिवर्तितवस्त्रालङ्काराः पश्येयुः ।
आशीतिकाः पुरुषाः पञ्चाशत्काः स्त्रियो वा मातापितृव्यजनाः
स्थविरवर्षवराभ्यागारिकाश्चावरोधानां शौचाशौचं विद्युः,
स्थापयेयुश्च स्वामिहिते ।
२. स्वभूमौ च वसेत् सर्वः परभूमौ न सञ्चरेत् ।
न च बाह्येन संसर्गं कश्चिद्राभ्यन्तरो व्रजेत् ॥

मार डाला था । इसी भाँति विश में बुझे नूपुर के द्वारा वैरन्त्य राजा को
और विष-बुझी करधनी की मणि से सौवीर राजा को, शीशे के द्वारा जालूथ
राजा को और अपनी वेणी में शस्त्र छिपाकर विदूरथ राजा को, उनकी
रानियों ने धोके में मार डाला था । इसलिए, रानियों से मिलते समय, राजा
को इस प्रकार की अदृष्ट विपत्तियों से सावधान रहना चाहिए ।

१. राजा को चाहिए कि वह, मुंडी, जटी इसी प्रकार के अन्य धूर्त और बाहर की
दासियों के साथ रानियों का संपर्क न होने दे । रानियों के सगे-संबंधी भी
उन्हें प्रसव या बीमारी की अवस्था के अतिरिक्त न देखने पावें ? स्नान, उवटन
के बाद सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर वेश्याएँ राजा के निकट जायँ ।
अस्सी वर्ष की अवस्था के पुरुष तथा पचास वर्ष की बूढ़ी स्त्रियाँ माता-पिता
की भाँति रानियों के हितचिंतन में रत रहें; अंतःपुर के दूसरे वृद्ध तथा
नपुंसक पुरुष रानियों के चरित्र का ध्यान रखें और उनको राजा की हित-
कामना में लगाये रखे ।
२. अंतःपुर के सभी परिचारक-परिचारिकाये अपने-अपने स्थानों पर ही रहें, एक
दूसरे के स्थान पर न जाने पावें । इसी प्रकार कोई भी भीतर का आदमी
बाहर के आदमियों से न मिलने पावे ।

पहला अधिकरण : प्रकरण १५, अध्याय १६

१. सर्व चावेक्षितं द्रव्यं निबद्धागमनिर्गमम् ।
निर्गच्छेदधिगच्छेद्वा मुद्रासंक्रान्तभूमिकम् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाऽधिकरणे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥



१. जो भी वस्तु महल से बाहर आवे तथा महल में जावे उसका भली-भाँति निरीक्षण कर और उसके संबंध के सारे विवरण रजिस्टर में लिख देने चाहिए । राजमहल के बाहर और भीतर जाने-आने वाली प्रत्येक वस्तु पर राजकीय मुहर लग जानी चाहिए ।

विनयाधिकारिक प्रथमाधिकरण में उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।



पृच्छरण १६

अध्याय २०

आत्मरक्षितकम्

१. शयनादुत्थितः स्त्रीगणैर्धन्विभिः परिगृह्येत; द्वितीयस्यां कक्ष्यायां कञ्चुकोष्णीपिभिर्वर्षवराभ्यागारिकैः, तृतीयस्यां कुब्जवामन-किरातैः, चतुर्थ्यां मन्त्रिभिः सम्बन्धिभिर्दौवारिकैश्च प्रासपाणिभिः ।
२. पितृपैतामहं महासंबन्धानुबन्धं शिक्षितमनुरक्तं कृतकर्माणं जनमासन्नं कुर्वीत; नान्यतोदेशीयमकृतार्थमानं स्वदेशीयं वाप्य-पकृत्योपगृहीतम् । अन्तर्वाशिकसैन्यं राजानमन्तःपुरं च रक्षेत् ।

आत्मरक्षा का प्रबंध

१. प्रातःकाल राजा के विस्तर से उठते ही, धनुष-वाण लिए स्त्रियाँ उन्हें घेर लें । शयनकक्ष से उठकर राजा जब दूसरे कक्ष में प्रवेश करे तो वहाँ कुर्ता, पगड़ी, पहिने हुए नपुंसक तथा दूसरे सेवक राजा की देख-रेख के लिए उपस्थित रहें । तीसरे कक्ष में, कुवड़े, बौने एवं निम्न जाति के परिजन राजा की रक्षा करें । चौथे कक्ष में मन्त्रियों, संबन्धियों और हाथ में भाला लिए द्वारपालों द्वारा राजा की रक्षा होनी चाहिए ।
२. वंश-परंपरा से अनुगत, उच्चकुलोत्पन्न, शिक्षित, अनुरक्त और प्रत्येक कार्य को भली-भाँति समझने वाले पुरुषों को राजा अपना अंगरक्षक नियुक्त करे । किंतु धन-संमान-रहित विदेशी व्यक्ति को तथा एक बार पृथक् होकर पुनः नियुक्त स्वदेशीय व्यक्ति को भी राजा अपना अंगरक्षक कदापि नियुक्त न करे । राजमहल की भीतरी सेना राजा और रनिवास की रक्षा करे ।

१. गुप्ते देशे माहानसिकः सर्वमास्वादबाहुल्येन कर्म कारयेत् ।
तद्राजा तथैव प्रतिभुञ्जीत, पूर्वमग्नये वयोभ्यश्च बलिं कृत्वा ।
२. अग्नेर्ज्वालाधूमनीलता शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्य, वयसां
विपत्तिश्च । अन्नस्योष्मा मयूरग्रीवाभः शैत्यमाशु क्लिष्टस्येव
वैवर्ण्यं सोदकत्वमक्लिन्नत्वं च । व्यञ्जनानामाशुशुष्कत्वं च
क्वाथः श्यामफेनपटलविच्छिन्नभावो गन्धस्पर्शरसवधश्च । द्रवेषु
हीनातिरिक्तच्छायादर्शनं फेनपटलसीमान्तोर्ध्वराजीदर्शनं च ।
रसस्य मध्ये नीला राजी, पयसस्ताम्रा, मद्यतोययोः काली,

१. माहानसिक (पाकशाला का अध्यक्ष या निरीक्षक) को चाहिए कि वह किसी एकांत स्थान में भोज्य पदार्थों का स्वाद ले-लेकर उन्हें सुस्वादु तथा सुरक्षा से तैयार कराये । भोजन के तैयार हो जाने पर राजा, पहिले अग्नि तथा पत्तियों को बलि प्रदान कर, फिर स्वयं खावे ।

विषमिश्रित पदार्थों की पहिचान

२. जिस अन्न में विष मिला हो उसे अग्नि में डालने से अग्नि और लपट, दोनों नीले रंग के हो जाते हैं तथा उसमें चट-चट का शब्द होता है । विषमिश्रित अन्न के खाने पर पत्तियों की भी मृत्यु हो जाती है । विषयुक्त अन्न की भाफ मयूरग्रीवा जैसे रंग की होती है; वह भोजन शीघ्र ही ठंडा हो जाता है; हाथ के स्पर्श या तोड़ने-मोड़ने से उसका रंग बदल जाता है; उसमें गाँठ-सी पड़ जाती है; और वह अन्न अधपका ही रह जाता है । विष मिली दाल जल्दी ही सूख जाती है; फिर से आँच पर रखा जाय तो मट्टे की तरह वह फट जाती है; उसकी क्षाग काली तथा वह अलग-अलग हो जाती है; और उसका स्वाद, स्पर्श, उसकी सुगंध आदि सब जाते रहते हैं । विषयुक्त रसेदार तरकारी विरंगी-विकृत हो जाती है; उसका पानी अलग तैरता रहता है; और उसके ऊपर रेखा-सी खिंच जाती है । यदि घी, नेल आदि रसिक पदार्थों में विष मिला हो तो उनमें नीले रंग की रेखाएँ तैरने लगती हैं, विषमिश्रित दूध में ताम्रवर्ण की, शराब तथा पानी में काले रंग की, दही में श्यामवर्ण की और शहद में सफेद रंग की रेखाएँ दिखाई देती हैं । आम, अनार आदि द्रव्यों

दध्नः श्यामा, मधुनः श्वेता च । द्रव्याणामार्द्राणामाशुप्रम्लानत्व-
मुत्पक्वभावः काथनीलश्यामता च । शुष्काणामाशुशातनं वैवर्ण्यं
च । कठिनानां मृदुत्वं मृदूनां कठिनत्वं च । तदभ्याशे क्षुद्र-
सन्त्ववधश्च । आस्तरणप्रावरणानां श्याममण्डलता तन्तुरोम-
पक्ष्मशातनं च । लोहमणिमयानां पङ्कमलोपदेहता स्नेहराग-
गौरवप्रभाववर्णस्पर्शवधश्च । इति विषयुक्तलिङ्गानि ।

१. विषप्रदस्य तु शुष्कश्यामवक्त्रता वाक्सङ्गः स्वेदो विजृम्भणं
चातिमात्रं वेपथुः प्रस्खलनं वाक्यविप्रेक्षणमावेशः कर्मणि
स्वभूमौ चानवस्थानमिति ।

में विष मिला हो तो वे सिकुड़ जाते हैं; उनके सडांध आने लगती है; और पकाने पर उनका वर्ण कुछ कालापन एवं भूरापन लिए होता है । यदि सूखे हुए पदार्थों में विष मिला हो तो वे छूते ही चूर-चूर होकर विवर्ण हो जाते हैं । विषमिश्रित ठोस पदार्थ मुलायम और मुलायम पदार्थ ठोस हो जाता है । विषमय वस्तु के समीप रंगने वाले छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं । ओढ़ने-विछाने के कपड़ों पर यदि विष का प्रयोग किया गया हो तो उनमें स्थान-स्थान पर धब्बे पड़ जाते हैं । यदि कपड़ा सूती हुआ तो उसका सूत और ऊनी हुआ तो उसकी रुआँ उड़ जाती है । सोने, चाँदी, स्फटिक मणि आदि धातुओं पर यदि विष का प्रयोग किया गया हो तो उनकी आभा पंकिल दिखाई देती है; उनकी चमक, भारीपन और पहिचान आदि सब जाते रहते हैं । यहाँ तक विषमिश्रित पदार्थों के पहिचान की विधियों का निरूपण किया गया है ।

विष देने वाले की पहिचान

१. विष देने वाले का मुँह सूख जाता है; उसके चेहरे का रंग बदल जाता है; बात-चीत करते हुए उसकी वाणी लड़खड़ाने लगती है; उसको पसीना, कंपकंपी तथा जंभाई आने लगती है; बेचैन होकर वह गिर पड़ता है; संदेहवश दूसरों की बातें वह ध्यानपूर्वक सुनने लगता है; बात-बात में वह आवेश करने लगता है; अपने कार्य और अपने स्थान पर उसका मन स्थिर नहीं रह पाता है ।

१. तस्मादस्य जाङ्गलीविदो भिषजश्चासन्नाः स्युः ।
२. भिषग्भैषज्यागारादास्वादविशुद्धमौषधं गृहीत्वा पाचकपोषकाभ्यामात्मना च प्रतिस्वाद्य राज्ञे प्रयच्छेत् । पानं पानीयं चोषधेन व्याख्यातम् ।
३. कल्पकप्रसाधकाः स्नानशुद्धवस्त्रहस्ताः समुद्रमुपकरणमन्तर्वशिकहस्तादादाय परिचरेयुः ।
४. स्नापकसंवाहकास्तरकरजकमालाकारकर्म दास्यः कुर्युः; ताभिरधिष्ठिता वा शिल्पिनः । आत्मचक्षुषि निवेश्य वस्त्रमाल्यं दद्युः; स्नानानुलेपनप्रघर्षचूर्णवासस्नानीयानि स्ववक्षोबाहुषु च । एतेन परस्मादागतकं व्याख्यातम् ।

१. इसलिए, विषविद्या के जानकार और वैद्य राजा के समीप अवश्य रहें ।
२. वैद्य को चाहिए कि औषधालय में स्वयं खाकर परीक्षा की हुई औषधि को वह राजा के सामने लाकर उसमें से कुछ को पकाने-पीसने वाले लोगों को और कुछ स्वयं भी खाकर पुनः राजा को दे । इसी प्रकार जल तथा मद्य को भी, परीक्षा करने के उपरांत, राजा को देना चाहिए ।

परिजनों के कर्तव्य

३. दाढ़ी-मूँछ बनाने वाले नाई तथा वस्त्रालंकरण धारण कराने वाले परिचारकों को चाहिए कि वे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए हाथों को अच्छी तरह धोकर राजमहल के अंदर रहने वाले कंचुकी आदि से मुहर लगे हुए उस्तरा और वस्त्राभूषण को लेकर राजा की परिचर्या करे ।
४. राजा को स्नान कराना, उसके अंगों को दबाना, बिस्तर बिछाना, कपड़े धोना और माला बनाना आदि कार्यों को दासियाँ ही करें; अथवा दासियों की देख-रेख में उस कार्य के जानकार लोग करें । दासियों को चाहिए कि अपनी आँखों से देखकर ही वे, राजा को वस्त्रालंकरण पहिनावे । स्नान के समय उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, जैसे : उबटन, चंदन, सुगन्धित चूर्ण (पाउडर) तथा पटवास आदि को, दासियाँ पहिले अपनी छाती एवं बाँह पर लगाकर अजमा ले और तदनंतर राजा पर उनका प्रयोग करें । यही बात दूसरे स्थान से आई हुई वस्तुओं के संबंधमें भी जान लेनी चाहिए ।

१. कुशीलवाः शस्त्राभिरसवर्जं नर्मयेयुः । आतोद्यानि चैषाम-
न्तस्तिष्ठेयुः, अश्वरथद्विपालङ्काराश्च ।
२. मौलपुरुषाधिष्ठितं यानवाहनमारोहेत् ; नावं चाप्तनाविकाधि-
ष्ठिताम् । अन्यनौप्रतिबद्धां वातवेगवशां च नोपेयात् । उद-
कान्ते सैन्यमासीत् । मत्स्यग्राहविशुद्धमवगाहेत् । व्यालग्राह-
परिशुद्धमुद्यानं गच्छेत् ।
३. लुब्धकैः श्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यालपरावाधभयं चललक्षपरि-
चयार्थं मृगारण्यं गच्छेत् ।
४. आप्तशस्त्रग्राहाधिष्ठितः सिद्धतापसं पश्येत् ; मन्त्रिपरिषदा
सामन्तदूतम् । सन्नद्धोऽश्वं हस्तिनं रथं वाऽऽरूढः सन्नद्धमनीकं
गच्छेत् ।

१. खेल दिखाने वाले नट-नर्तक, हथियार, आग, विष आदि के अतिरिक्त दूसरे खेलों को ही राजा के सामने दर्शित करें। नट-नर्तकों के उपयोग में आने वाली सामग्री, जैसे : वादन, वस्त्र, घोड़े, अलंकरण आदि, राजमहल से ही दी जानी चाहिए।
२. विश्वस्त प्रधान पुरुष के साथ होने पर ही राजा पालक्री तथा घोड़े आदि यान-वाहनों पर चढ़े। विश्वस्त नाविक के रहते ही नौका पर चढ़े। दूसरी नाव पर बंधी एवं वायु से चालित नाव पर वह कदापि न बैठे। राजा जब नौका-विहार करे तो, सुरक्षा के लिए, नदी के दोनों तटों पर सेना तैनात रहनी चाहिए। मछुओं द्वारा भलीभाँति जाँच किए गए घाट पर ही वह स्नान करे। इसी प्रकार संपेरों द्वारा परिशोधित उद्यान में ही वह भ्रमण करे।
३. चोर तथा व्याघ्र आदि से रहित, कुत्ते रखने वाले शिकारियों के साथ राजा, चलते हुए लक्ष्य पर निशाना साधने के उद्देश्य से, जंगल में जाय।
४. दर्शनार्थ आये हुए किसी सिद्ध या तपस्वी से मिलते समय राजा, अपने विश्वस्त सशस्त्र पुरुष को साथ ले ले। अपने मन्त्रि-परिषद् के साथ ही वह सामंत राजा के दूत से मिले। घोड़े, हाथी या रथ पर सवार युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाली सेना का वह, युद्धोचित कवच आदि पहिन कर सैनिक वेश में निरीक्षण करे।

पहला अधिकरण : प्रकरण १६, अध्याय २०

१. निर्याणेऽभियाने च राजमार्गमुभयतः कृतारक्षं दण्डभिरपास्त-
शस्त्रहस्तप्रव्रजितव्यङ्गं गच्छेत् । न पुरुषसंबाधमवगाहेत ।
यात्रासमाजोत्सवप्रवहणानि च दशवर्गिकाधिष्ठितानि गच्छेत् ।
२. यथा च योगपुरुषैरन्यान् राजाऽधितिष्ठति ।
तथाऽयमन्यबाधेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाऽधिकरणे आत्मरक्षितकं विंशोऽध्यायः ।



१. बाहर जाते या बाहर से आते समय राजा, हाथ में दण्ड लिए रक्षकों द्वारा दोनों ओर से सुरक्षित मार्ग पर चले । ऐसा प्रबंध हो कि रास्ते भर में कहीं भी राजा को शस्त्ररहित पुरुष, संन्यासी या लूला-लंगड़ा, अपंग व्यक्ति न दिखाई दे । पुरुषों की भीड़ में भी वह कदापि न घुसे । किसी देवालय, सभा, उत्सव तथा पार्टी आदि में वह सामिल होने जाय तो कम से कम दस सिपाही तथा सेनानायक उसके साथ उपस्थित रहें ।
२. विजय की इच्छा रखने वाला राजा जैसे अपने गुप्तचरों द्वारा दूसरों को बध् पहुँचाता है, उसी प्रकार दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों से भी वह अपनी रक्षा करे ।

विनयाधिकारिक प्रथमाधिकरण में वीसवाँ अध्याय समाप्त ।





अध्यक्ष-प्रचार
दूसरा अधिकरण

प्राक्करण १७

अध्याय १

जनपदानिवेशः

१. भूतपूर्वमभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्द-
वमनेन वा निवेशयेत् ।
२. शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशतकुलपरं ग्रामं क्रोशद्विक्रोशसी-
मानमन्योन्यारक्षं निवेशयेत् । नदीशैलवनगृष्टिदरीसेतुबन्धशा-
ल्मलीशमीक्षीरवृक्षानन्तेषु सीमां स्थापयेत् ।
३. अष्टशतग्राम्या मध्ये स्थानीयं, चतुश्शतग्राम्या द्रोणमुखं,
द्विशतग्राम्याः खार्वटिकं, दशग्रामीसंग्रहेण संग्रहणं स्थापयेत् ।

जनपदों की स्थापना

१. राजा को चाहिए कि दूसरे देश के मनुष्यों को बुलाकर अथवा अपनी देश की आबादी को बढ़ाकर वह पुराने या नये जनपद को बसाए ।
२. प्रत्येक जनपद में कम से कम सौ घर और अधिक से अधिक पाँच सौ घर वाले, ऐसे गाँव बसायें जाँय जिसमें प्रायः शूद्र तथा किसान अधिक हों । एक गाँव दूसरे गाँव से कोष भर या दो कोष की दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए, यतः अवसर आने पर वे एक दूसरे की मदद कर सकें । नदी, पहाड़, जंगल, बेर के वृक्ष, खाई, तालाब, सेंमल के वृक्ष, शमी के वृक्ष और वरगद आदि के वृक्ष लगाकर उन बसाए हुए गाँवों की सीमा निर्धारित करे ।
३. आठ सौ गाँवों के बीच में एक स्थानीय; चार सौ गाँवों के समूह में एक द्रोणमुख; दो सौ गाँवों के बीच में एक कार्वटिक और दस गाँवों के समूह में संग्रहण नामक स्थानों की विशेष रूप से स्थापना करे ।

१. अन्तेष्वन्तपालदुर्गाणि, जनपदद्वाराण्यन्तपालाधिष्ठितानि स्थापयेत् । तेषामन्तराणि वागुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा रक्षेयुः ।
२. ऋत्विगाचार्यपुरोहितश्रोत्रियेभ्यो ब्रह्मदेयान्यदण्डकराण्यभिरुपदायकानि प्रयच्छेत् । अध्यक्षसङ्घायाकादिभ्यो गोपस्थानिकानीकस्थचिकित्साश्वदमकजङ्घाकरिकेभ्यश्च विक्रयाधानवर्जम् ।
३. करदेभ्यः कृतक्षेत्राण्यैकपुरुषिकाणि प्रयच्छेत् । अकृतानि कर्तृभ्यो नादेयात् ।
४. अकृषतामाच्छिद्यान्येभ्यः प्रयच्छेत् । ग्रामभृतकवैदेहका वा

१. राज्य की सीमा पर अंतपाल नामक दुर्गरक्षक के संरक्षण में एक दुर्ग की भी स्थापना करे। जनपद की सीमा पर अंतपाल की अध्यक्षता में ही द्वारभूत स्थानों का भी निर्माण करे। उनके भीतरी भागों की रक्षा व्याध, शबर, पुलिन्द, चाण्डाल आदि वनचर जातियों के लोग करें।
२. राजा को चाहिए कि वह ऋत्विक्, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणों के लिए भूमिदान करे, किन्तु उनसे कर आदि न ले और उस भूमि को वापिस भी न ले। इसी प्रकार विभागीय अध्यक्षों, संख्यायकों (क्लर्कों), गोपों (दस-दस गाँवों के अधिकारियों), स्थानिकों (नगर के अधिकारियों), अनीकस्थों (हस्तिशिल्पियों), वैद्यों, अश्वशिल्पियों और जंघाकरियों (दूर देश में जीविकोपार्जन करने वाले लोगों) आदि अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रजाजनों के लिए भी राजा भूमि-दान करे। किन्तु इस प्रकार पाई हुई जमीन को बेचने या गिरवी रखने के लिए वर्जित कर दे।
३. खेती के उपयोगी जो भूमि लगान पर जिस भी किसान के नाम दर्ज की जाय उसके मर जाने के बाद राजा को अधिकार है कि वह उस भूमि को मृतक किसान के पुत्र आदि को दे या न दे।
४. किन्तु ऐसी ऊसर या बंजर जमीन जिसको किसान ने अपने श्रम से खेती योग्य बनाया है, राजा को चाहिए कि उसे कभी भी वापिस न ले; ऐसी जमीन पर किसानों का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई किसान किसी खेती योग्य भूमि को बिना जोते-बोये परती ही डाले रहता है तो राजा

दूसरा अधिकरण : प्रकरण १७, अध्याय १

कृषेयुः । अकृषन्तोऽपहीनं दद्युः । धान्यपशुहिरण्यैश्चैनानुगृ-
हीयात् । तान्यनु सुखेन दद्युः ।

१. अनुग्रहपरिहारौ चैभ्यः कोशवृद्धिकरौ दद्यात् । कोशोपघातिकौ
वर्जयेत् । अल्पकोशो हि राजा पौरजानपदानेव ग्रसते । निवे-
शसमकालं यथागतकं वा परिहारं दद्यात् । निवृत्तपरिहारान्
पितेवानुगृहीयात् ।

२. आकरकर्मान्तद्रव्यहस्तिवनत्रजवणिकपथप्रचारान्वारिस्थलपथ-
पण्यपत्तनानि च निवेशयेत् ।

को चाहिए कि ऐसे किसान से उस भूमि को छीन कर किसी जरूरतमंद
दूसरे किसान को दे दे । ऐसे जरूरतमंद किसान के न मिलने पर गाँव का
मुखिया या व्यापारी उस जमीन पर खेती करें । खेती करने की शर्त पर
यदि कोई जमीन को ले और उसमें खेती न करे तो उससे उसका हर्जाना
वसूल करना चाहिए । राजा को चाहिए कि वह अन्न, बीज, बैल और धन
आदि देकर किसानों की सहायता करता रहे और किसानों को भी चाहिए
कि फसल कट जाने पर सुविधानुसार धीरे-धीरे वे उधार ली हुई वस्तुओं को
राजा को वापिस कर दें ।

१. किसानों की स्वास्थ्य-वृद्धि और रूग्णता-निवारण के लिए राजा उन्हें परिमित
धन देता रहे, जिससे कि वे धन-धान्य की वृद्धि करके राजकोष को समृद्ध
बनावें । किन्तु इस प्रकार की सहायता से यदि राजकोष को कोई हानि
पहुँचे, तो राजा उसको बन्द कर दे; क्योंकि कोष के कम हो जाने पर राजा,
नगर और जनपद-निवासियों को सताने लगता है । किसी नए कुल को
बसाए जाने के लिए प्रतिज्ञात धन राजा को अवश्य देना चाहिए । अथवा
राजकोष की आय के अनुसार स्वास्थ्य-सुधार के लिए राजा अवश्य धन खर्च
करता रहे । यदि नगर और जनपद-निवासी राजा के द्वारा स्वास्थ्य-सुधार
के लिए खर्च किए गए धन को चुका दें, तो पिता के समान राजा उन पर
अनुग्रह करे ।

२. राजा को चाहिए कि वह आकर (खान) से उत्पन्न सोना-चाँदी आदि के
विक्रय-स्थान, चंदन आदि उत्तम काष्ठ के बाजार, हाथियों के जंगल, पशुओं

१. सहोदकमाहार्योदकं वा सेतुं बन्धयेत् । अन्येषां वा वघ्नतां भूमिमार्गवृक्षोपकरणानुग्रहं कुर्यात् ; पुण्यस्थानारामाणां च संभूय सेतुबन्धादपक्रामतः कर्मकरबलीवर्दाः कर्म कुर्युः । व्यय-कर्मणि च भागी स्यात् । न चांशं लभेत ।
२. मत्स्यप्लवहरितपण्यानां सेतुषु राजा स्वाम्यं गच्छेत् । दासा-हितकबन्धूनननुशृण्वतो राजा विनयं ग्राहयेत् । बालवृद्धव्याधि-तव्यसन्यनाथांश्च राजा विभृयात् ; स्त्रियमप्रजातां प्रजातायाश्च पुत्रान् ।

की वृद्धि के स्थान, आयात-निर्यात के स्थान, जल-थल के मार्ग और बड़े-बड़े बाजारों या बड़ी-बड़ी मंडियों की भी व्यवस्था कराये ।

१. भूमि की सिंचाई के लिए राजा को चाहिए कि नदियों पर बड़े-बड़े बाँध बाँधवाये; अथवा वर्षा ऋतु के जल को भी बड़े-बड़े जलाशयों में भरवा दे । यदि प्रजाजन ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो राजा को चाहिए कि उन्हें जलाशय के लिए भूमि, नहर के लिए रास्ता और आवश्यकतानुसार लकड़ी आदि सामान देकर उनका उपकार करे । देवालय और वाग-वगीचे आदि के लिए भी राजा, प्रजा की भूमिदान आदि से सहायता करे । गाँव के जो मनुष्य अन्य आवश्यक कार्यों के आ जाने पर उस सहकारी उद्योग में सम्मिलित न हो सकें तो वे अपने स्थान पर नौकर तथा बैल भेज कर सहयोग दें । यदि वे ऐसा भी न कर सकें तो अनुपात के अनुसार उनसे उनके हिस्से का सारा खर्च लिया जाय और कार्य समाप्त होने पर न तो उन्हें उसका साक्षीदार समझा जाय और नहीं उसका लाभ उठाने दिया जाय ।
२. इस प्रकार के बड़े-बड़े जलाशयों में उत्पन्न होने वाली मछली, प्लव पक्षी (बतख की भाँति एक जलचर पक्षी) और कमलदंड आदि व्यापार-योग्य वस्तुओं पर राजा का ही अधिकार रहे । यदि नौकर-चाकर, भाई, पुत्र, आदि अपने मालिक की आज्ञा का उलंघन करें तो राजा उन्हें उचित शिक्षा दे । राजा को चाहिए कि वह बालक, वृद्ध, व्याधिग्रस्त, विपत्तिपीडित और अनाथ व्यक्तियों का भरण-पोषण करे । संतानहीन (बन्ध्या) और पुत्रवती अनाथ स्त्रियों तथा उनके बच्चों की भी राजा रक्षा करे ।

१. बालद्रव्यं ग्रामवृद्धा वर्धयेयुराव्यवहारप्रापणात् ; देवद्रव्यं च ।
२. अपत्यदारान् मातापितरौ भ्रातृनप्राप्तव्यवहारान्भगिनीः
कन्या विधवाश्चाबिभ्रतः शक्तिमतो द्वादशपणो दण्डोऽन्यत्र
पतितेभ्यः अन्यत्र मातुः ।
३. पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रव्रजतः पूर्वः साहसदण्डः स्त्रियं च
प्रव्राजयतः । लुप्तव्यवायः प्रव्रजेदापृच्छ्य धर्मस्थान्, अन्यथा
नियम्येत ।
४. वानप्रस्थादन्यः प्रव्रजितभावः, सुजातादन्यः संघः, सामुत्था-

१. नाबालिक बच्चे की सम्पत्ति पर गाँव के वृद्ध पुरुषों का अधिकार रहे । उसको वे बढ़ाते रहें और बालिग हो जाने पर उसकी सम्पत्ति को उसे वापिस कर दें । इसी प्रकार देव-सम्पत्ति पर भी ग्राम-वृद्धों का ही अधिकार हो जो कि उसकी वृद्धि में तत्पर रहें ।
२. जब कोई पुरुष, समर्थ होने पर भी, अपने लड़के-बच्चों, स्त्रियों, माता-पिता, नाबालिग भाई, अविवाहित तथा विधवा बहिन आदि का भरण-पोषण न करे तो राजा उसे बारह पणों (सोने का सिक्का) का दंड दे । किन्तु ये लड़के, स्त्री आदि यदि किसी कारण से पतित हो गए हों तो सम्बन्धी उनका भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं हैं । यह निषेध माता के सम्बन्ध में नहीं है; माता यदि पतिता भी हो गई हो तो उसका भरण-पोषण और उसकी रक्षा करनी चाहिए ।
३. पुत्र तथा स्त्री के जीवन-निर्वाह का उचित प्रबन्ध किए बिना ही यदि कोई पुरुष, संन्यास ग्रहण कर ले तो राजा को उसे प्रथम साहस दंड देना चाहिए । यही दंड उस पुरुष को भी दिया जाना चाहिए जो अपनी स्त्री को संन्यासिनी हो जाने को प्रेरित करे । जब मनुष्य के मैथुन-सम्बन्धी काम-विकार शांत हो जाँय तब उसे धर्माधिकारी पुरुषों की अनुमति लेकर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, इस राज्य-नियम का उल्लङ्घन करने वाले व्यक्ति को कारागार में बंद कर दिया जाय ।
४. वानप्रस्थ के अतिरिक्त कोई दूसरा संन्यासी जनपद में न रहना चाहिए; इसी प्रकार राजभक्त जनसंघ के अतिरिक्त तथा स्थानीय सहकारी संस्थाओं के

यकादन्यः समयानुबन्धो वा नास्य जनपदमुपनिविशेत् ।

१. न च तत्रारामा विहारार्थाः शालाः स्युः । नटनर्तनगायन-
वादक्याग्जीवनकुशीलवा वा न कर्मविघ्नं कुर्युः । निराश्रय-
त्वाद् ग्रामाणां क्षेत्राभिरतत्वाच्च पुरुषाणां कोशविष्टिद्रव्यधान्य-
रसवृद्धिर्भवतीति ।
२. परचक्राटवीग्रस्तं व्याधिदुर्भिक्षपीडितम् ।
देशं परिहरेद्राजा व्ययक्रीडाश्च वारयेत् ॥
३. दण्डविष्टिकराबाधैः रक्षेदुपहतां कृषिम् ।
स्तेनव्यालविषग्राहैर्व्याधिभिश्च पशुव्रजान् ॥
४. वल्लभैः कार्मिकैः स्तेनैरन्तपालैश्च पीडितम् ।

अतिरिक्त कोई दूसरी संस्था या दूसरा संघ राज्य में न बनने पावे, जो द्रोह या फूट फैलाने वाला सिद्ध हो ।

१. गाँवों में कोई भी नाट्यगृह, विहार तथा क्रीडा-शालाएँ नहीं होनी चाहिएँ । नट, नर्तक, गायक, वादक, भाण और कुशीलव आदि गाँवों में अपना खेल दिखा कर कृषि आदि कार्यों में विघ्न उत्पन्न न करें । क्योंकि गाँवों में नाट्य-शालाएँ आदि न होने से ग्रामवासी अपने-अपने कृषिकर्म में संलग्न रहते हैं, जिससे कि राजकोष की अभिवृद्धि होती है और सारा देश धन-धान्य से समृद्ध होता है ।
२. राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं जंगली लोगों, व्याधियों एवं दुर्भिक्षों से अपने देश को बचावे । वह उन क्रीडाओं का भी बहिष्कार कराये जो धन का अपव्यय और विलासप्रियता को बढ़ाने वाली हों ।
३. राजा को चाहिए कि दंड, विष्टि (बेगार), कर (टैक्स) आदि की बाधा से कृषि की रक्षा करे । इसी प्रकार चोर, हिंसक जंतु, विष-प्रयोग तथा अन्य कष्टों से भी किसानों के पशुओं की रक्षा करे ।
४. वल्लभ (राजप्रिय), कार्मिक (राज-कर वसूल करने वाले), चोर, अंतपाल (सीमारक्षक) और व्याघ्र आदि, राजपुरुषों, लुटेरों एवं हिंसक जंतुओं से

दूसरा अधिकरण : प्रकरण १७, अध्याय १

शोधयेत्पशुसङ्घैश्च क्षीयमाणं वणिक्पथम् ॥
१. एवं द्रव्यद्विपवनं सेतुबन्धमथाकरान् ।
रक्षेत्पूर्वकृतान् राजा नवांश्चाभिप्रवर्तयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे जनपदनिवेशः
प्रथमोऽध्यायः; आदित एकविंशः ॥

—००००—

प्रस्त व्यापारी-मार्गों का भी राजा परिशोधन करे । अर्थात् अपने देश से इन सब आपत्तियों को दूर करे ।

१. इस प्रकार राजा प्रथम तो लकड़ी के जंगल, हाथियों के जंगल, सेतुबन्ध तथा स्नानों की रक्षा करे और तदुपरान्त आवश्यकतानुसार नये जंगल, सेतुबंध आदि का निर्माण करवाए ।

अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में प्रथम अध्याय समाप्त ।

—००००—

भूमिच्छिद्र-विधानम्

१. अकृष्यायां भूमौ पशुभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत् । प्रदिष्टाभय-
स्थावरजङ्गमानि च ब्राह्मणेभ्यो ब्रह्मसोमारण्यानि, तपोवनानि
च तपस्विभ्यो गोरुतपराणि प्रयच्छेत् । तावन्मात्रमेकद्वारं
खातगुप्तं स्वादुफलगुल्मगुच्छमकण्टकिद्रुममुत्तानतोयाशयं दान्त-
मृगचतुष्पदं भग्नखदंष्ट्रव्यालं मार्गायुकहस्तिहस्तिनीकलभं
मृगवनं विहारार्थं राज्ञः कारयेत् ।
२. सर्वातिथिमृगं प्रत्यन्ते चान्यन्मृगवनं भूमिवशेन वा निवेशयेत् ।

ऊसर भूमि को उपयोगी बनाने का विधान

१. ऊसर भूमि में पशुओं के लिए चरागाहें बनवानी चाहिए । जिस भूमि को वृक्ष-लता एवं मृग आदि के लिए छोड़ दिया गया हो, ऐसे दो कोस तक फैले हुए जंगल को वेदाध्यायी ब्राह्मणों को वेदाध्ययन एवं सोमयाग के लिए दे देना चाहिए; इसी प्रकार के तपोवनों को तपस्वियों के लिए दे देना चाहिए । ऐसे ही दो कोस परिमाण के मृगवन को राजा अपने विहार के लिए तैयार कराये । उस विहारवन के दो दरवाजे हों; उसके चारों ओर खुदी हुई खाई हो; उसमें स्वादिष्ट फल, लता, गुल्म एवं वृक्ष हों, वह काँटेदार पेड़ों से रहित हो; उसमें कम गहरे सरोवर हों; मनुष्यों से परिचित मृग हो; मृगण के लिए वहाँ ऐसे व्याघ्र, हाथी, हथिनी तथा उनके बच्चे रखे गये हों, जिनके नख एवं दाँत न हों ।
२. उसके ही समीप एक दूसरा मृगवन ऐसा तैयार कराया जाय, जिसमें देश-देशांतरों के जानवर लाकर रखे गये हों ।

१. कुप्यप्रदिष्टानां च द्रव्याणामेकैकशो वा वनं निवेशयेत् ; द्रव्य-
वनकर्मान्तानटवीश्च द्रव्यवनापाश्रयाः ।
२. प्रत्यन्ते हस्तिवनमटव्यारक्ष्यं निवेशयेत् । नागवनाध्यक्षः
पार्वतं नादेयं सारसमानूपं च नागवनं विदितपर्यन्तप्रवेश-
निष्कसनं नागवनपालैः पालयेत् । हस्तिघातिनं हन्युः । दन्त-
युगं स्वयं मृतस्याहरतः सपादचतुष्पणो लाभः ।
३. नागवनपाला हस्तिपकपादपाशिकसैमिकवनचरकपारिकर्मिक-
सखाहस्तिमूत्रपुरीषच्छन्नगन्धा भल्लातकीशाखाप्रतिच्छन्नाः
पञ्चभिः सप्तभिर्वा हस्तिबन्धकीभिः सह चरन्तः शय्यास्थान-
पद्यालण्डकूलपातोद्देशेन हस्तिकूलपर्यग्रं विद्युः ।

१. कुप्याध्यक्ष प्रकरण में निर्दिष्ट चंदन, पलाश, अशोक आदि लकड़ी के लिए अलग-अलग वन बसाये जाँय । लकड़ी के जंगलों की संपूर्ण व्यवस्था, जंगलों के अध्यक्ष तथा जंगलों पर जीवन बिताने वाले पुरुष करें ।
२. जनपद की सीमा पर, जंगल के अध्यक्षों के संरक्षण में एक हस्तिवन भी स्थापित करना चाहिए । हस्तिवन के अध्यक्षों को आवश्यक है कि वे स्वयं तथा अपने सहयोगी वनपालों के सहयोग से पर्वत, नदी, जलाशय तथा किसी जलमय स्थान से होकर हस्तिवनों के अंदर जाने वाले मार्गों की भली-भाँति देख-रेख रखे । हाथियों को मारने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राण दण्ड की सजा मिलनी चाहिए । मृतक हाथी के दाँतों को उखाड़कर जो स्वयं ही राजपुरुषों के सुपुर्द कर दे, उसे सत्रा चार पण पुरस्कार स्वरूप दिया जाना चाहिए ।
३. हस्तिवन के रक्षको को चाहिए कि वे हस्तिपक (महावत), पादपाशिक (हाथियों को जाल में फँसाने वाला), सैमिक (सीमारक्षक), वनचरक (जगली मनुष्य) और पारिकर्मिक (हाथियों की परिचर्या में निपुण) आदि पुरुषों को साथ लेकर जंगल में हाथियों के समूह का पता लगायें । अपने साथ वे हाथी के मल-मूत्र के गंध के समान किसी वस्तु को, हाथियों को वश में करने वाली पाँच-सात हथिनियों को भी साथ में लेकर और स्वयं को भल्लातकी (भिलावे) की शाखा में छिपाये हुए; हाथियों के पड़ाव, उनके पैरों के निशान,

१. यूथचरमेकचरं निर्यूथं यूथपतिं हस्तिनं व्यालं मत्तं पोतं बद्ध-
मुक्तं च निबन्धेन विद्युः । अनोकस्थप्रमाणैः प्रशस्तव्यञ्जना-
चारान्हस्तिनो गृह्णीयुः । हस्तिप्रधानो हि विजयो राज्ञाम् ।
परानीकव्यूहदुर्गस्कन्धावारप्रमर्दना ह्यतिप्रमाणशरीराः प्राणहर-
कर्माणो हस्तिन इति ।

२. कलिङ्गाङ्गजाः श्रेष्ठाः प्राच्याश्चेति करुशजाः ।

दाशार्णाश्चापरान्ताश्च द्विपानां मध्यमा मताः ॥

३. सौराष्ट्रिकाः पाश्चनदाः तेषां प्रत्यवरा स्मृताः ।

सर्वेषां कर्मणा वीर्यं जवस्तेजश्च वर्धते ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे भूमिच्छिद्रविधानं द्वितीयोऽध्यायः; आदितो द्वाविंशः ॥

उनके मल-मूत्र त्यागने की जगह और उनके द्वारा गिराये गए नदी-कगारों
आदि का सुराग लेकर हस्तिसमूहों का पता लगायें ।

१. झुंड के साथ घूमने वाले, अकेले विचरण करने वाले, झुंड से फूटे हुए, झुंड-
प्रमुख, दृष्टप्रकृति, उन्मत्त, शिशुहस्ति, बंधनमुक्त आदि हाथियों से संबंधित
जितने भी विवरण हैं, उनकी जानकारी, हस्तिवनरत्नक अपनी गणना-
पुस्तक (स्टाकबुक) से प्राप्त करें । हस्तिविद्या में निपुण पुरुषों के निर्देशा-
नुसार श्रेष्ठ लक्ष्णों से युक्त हाथियों को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि हाथी ही
राजा की विजय के प्रधान साधन हैं । भारी भरकम हाथी ही शत्रुसेना,
उसकी व्यूह-रचना, उसके दुर्ग तथा उसकी छावनियों को कुचलने वाले और
उसके प्राणों तक को ले लेने वाले होते हैं ।

२. कलिङ्ग, अंग और पूर्वीय करुश देश के हाथी सर्वोत्तम गिने जाते हैं । दक्षार्ण
तथा पश्चिम देश के हाथी मध्यम माने जाते हैं ।

३. गुजरात और पंजाब के हाथी अधम कहे जाते हैं । इस पर भी, प्रत्येक
हाथी के बल, विक्रम, वेग और तेज का संवर्धन आदि उसको दी जाने वाली
समुचित शिक्षा पर निर्भर है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।

प्राक्करण १९

अध्याय ३

दुर्गनिधानम्

१. चतुर्दिशं जनपदान्ते सांपरायिकं दैवकृतं दुर्गं कारयेत् ; अन्त-
द्वीपं स्थलं वा निम्नावरुद्धमौदकं, प्रास्तरं गुहां वा पार्वतं,
निरुदकस्तम्भमिरिणं वा धान्वनं, खञ्जनोदकं स्तम्भगहनं वा
वनदुर्गम् । तेषां नदीपर्वतदुर्गं जनपदारक्षस्थानं धान्वनवनदुर्ग-
मटवीस्थानम् आपद्यपसारो वा ।
२. जनपदमध्ये समुदयस्थानं स्थानीयं निवेशयेद् । वास्तुकप्रशस्ते
देशे नदीसङ्गमे हृदस्य वा विशोषस्याङ्के सरसस्तटाकस्य वा वृत्तं

दुर्गों का निर्माण

१. जनपद-सीमाओं की चारों दिशाओं में राजा युद्धोचित प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण
करवाए । दुर्ग चार प्रकार के हैं (१) औदक (२) पार्वत (३) धान्वन
और (४) वनदुर्ग । चारों ओर पानी से घिरा हुआ टापू के समान गहरे
तालावों से आवृत स्थलप्रदेश औदकदुर्ग कहलाता है । बड़ी-बड़ी चट्टानों
अथवा पर्वत की कन्दराओं के रूप में निर्मित दुर्ग पार्वतदुर्ग कहलाता है ।
जल तथा घास आदि से रहित अथवा सर्वथा ऊसर भूमि में निर्मित दुर्ग
धान्वनदुर्ग है । इसी प्रकार चारों ओर दलदल से घिरा हुआ अथवा काँटेदार
सघन झाड़ियों से परिभूत दुर्ग वनदुर्ग कहलाता है । इनमें औदक तथा
पार्वतदुर्ग आपत्तिकाल में जनपद की रक्षा के उपयोग में लाए जाते हैं ।
धान्वन और वनदुर्ग वनपालों की रक्षा के लिये उपयोगी होते हैं । अथवा
आपत्ति के समय इन दुर्गों में भागकर राजा भी अपनी रक्षा कर सकता है ।
२. राजा को चाहिए कि धनोत्पादन के मुख्य केन्द्र बड़े-बड़े स्थानीय नगरों का
निर्माण करवाए । वास्तुविद्या के विद्वान् जिस प्रदेश को श्रेष्ठ वनायें वहीं पर

दीर्घं चतुरश्रं वा वास्तुकवगेन प्रदक्षिणोदकं पण्यपुटभेदनमंस-
वारिपथाभ्यामुपेतम् । तस्य परिखास्तिस्त्रो दण्डान्तराः कारयेत् ।
चतुर्दश द्वादश दशेति दण्डान् विस्तीर्णाः विस्तारादवगाधाः
पादोनमर्धं वा त्रिभागमूला मूले चतुरश्राः पाषाणोपहिताः
पाषाणेष्टकावद्धपार्श्वा वा तोयान्तिकीरागन्तुतोयपूर्णा वा
सपरिवाहाः पद्मग्राहवतीः ।

१. चतुर्दण्डावकृष्ट परिखायाः षड्दण्डोच्छ्रितमवरुद्धं तद्विगुणविष्क-

नगर बसाना चाहिए; अथवा किसी नदी के संगम पर, बड़े-बड़े तालाबों के किनारे, या कमलयुक्त जलाशयों के तट पर भी नगर बसाये जा सकते हैं। नगर का निर्माण संबंधित भूमि के अनुसार गोल, लंबा अथवा चौकोर जैसा भी उचित हो, होना चाहिए। उसके चारों ओर छोटी-छोटी नहरों द्वारा पानी का प्रवन्ध अवश्य रहे। उसकी इधर-उधर की भूमि में पैदा होने वाली विक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह तथा उनके विक्रय का प्रबंध भी वहाँ होना चाहिए। नगर में आने-जाने के लिए जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनों की सुविधा होनी चाहिए। नगर के चारों ओर एक-एक दंड (चार हाथ) की दूरी पर तीन खाइयाँ खुदवानी चाहिए। वे खाइयाँ क्रमशः चौदह, बारह और दस दंड चौड़ी होनी चाहिए। जितनी वे चौड़ी हो उससे चौथाई अथवा आधी गहरी होनी चाहिए। अथवा चौथाई का तीसरा हिस्सा गहरी भी हो सकती है। उन खाइयों की तलहटी बराबर चौरस एवं मजबूत पत्थरों से बंधी हो। उनकी दीवारें पत्थर अथवा ईंटों से मजबूत बनी हुई हों। कहीं-कहीं खाइयाँ इनकी कम गहरी हों कि जहाँ से जल बाहर की ओर छलकने लगे अथवा किसी नदी के जल से इन्हें भरा जा सके। उनमें जल के निकलने का मार्ग अवश्य रहना चाहिए। कमल के फूल तथा घड़ियाल आदि चलचर भी उनमें रहें।

- खाई से चार दंड की दूरी पर छह दंड ऊँचा, सब ओर से मजबूत और ऊपर की चौड़ाई से दुगुनी नीव वाला एक बड़ा वप्र (प्राकार या फसील) बनवाया जाय। इसके बनवाने में ब्रही मिट्टी काम में लाई जाय, जो खाई से खोदकर बाहर फेंकी गई है। प्राकार (वप्र) तीन प्रकार का होना चाहिए (१) ऊर्ध्वचय, (२) मञ्जपृष्ठ और (३) कुम्भकुक्षिक; अर्थात्

म्भं खाताद्वयं कारयेत् ; ऊर्ध्वचयं मञ्चपृष्ठं कुम्भकुक्षिकं वा हस्ति-
भिर्गोभिश्च क्षुण्णं कण्टकिगुल्मविषवल्लीप्रतानवन्तम् । पांसुशेषेण
वास्तुच्छिद्रं वा पूरयेत् ।

१. वप्रस्योपरि प्राकारं विष्कम्भद्विगुणोत्सेधमैष्टकं द्वादशहस्ता-
दूर्ध्वमोजं युग्मं वा आचतुर्विंशतिहस्तादिति कारयेत् । रथचर्या-
संचारं तालमूलमुरजकैः कपिशीर्षकैश्चाचिताग्रं पृथुशिलासंहितं
वा शैलं कारयेत् ; न त्वेव काष्ठमयम् । अग्निरवहितो हि
तस्मिन्वसति ।
२. विष्कम्भचतुरश्रमट्टालकमुत्सेधसमावक्षेपसोपानं कारयेत् ,
त्रिंशद्दण्डान्तरं च ।

क्रमशः ऊपर पतला, नीचे चपटा और बीच में कुम्भाकार । इन प्राकारों को
वनवाते समय, इनकी मिट्टी को हाथी और बैलों से अच्छी तरह रौंदवाना
चाहिए, जिससे कि मिट्टी बैठकर मजबूत हो जाय । इनके चारों ओर काँटेदार
विषैली झाड़ियाँ लगी होनी चाहिए । प्राकार बन जाने पर यदि मिट्टी बची
रह जाय तो उसे उन्हीं गड्ढों में भर देना चाहिए, जहाँ से उसको खोदा गया
है; अथवा उस अवशिष्ट मिट्टी से, प्राकार के जो छिद्र रह गए हों, उन्हें
भरवा देना चाहिए ।

१. वप्र बन जाने पर उसके ऊपर दीवार बनवानी चाहिए । वह दीवार चौड़ाई
से दुगुनी ऊँची हो, कम-से-कम बारह हाथ से लेकर चौदह, सोलह, अठारह
सम संख्याओं में; अथवा पन्द्रह, सत्रह आदि विषम संख्याओं में; अधिक-से-
अधिक चौबीस हाथ तक ऊँची होनी चाहिए । प्राकार का ऊपरी भाग इतना
चौड़ा होना चाहिए जिस पर एक रथ आसानी से चलाया जा सके । ताड वृक्ष
की जड़ के समान, मृदंग बाजे के समान, बंदर की खोपड़ी के समान आकार
वाले ईंट-पत्थरों की कंकरीटों से अथवा बड़े-बड़े शिलाखंडों से प्राकार का
निर्माण करवाना चाहिए । लकड़ी का प्राकार कभी भी न बनवाना चाहिए;
क्योंकि उसमें सदा आग लगने का भय बना रहता है ।
२. प्राकार के आगे एक ऐसी अट्टालिका बनवाये जिसकी लंबाई, चौड़ाई और
ऊँचाई प्राकार के बराबर हो । ऊँचाई के अनुपात से उस पर सीढियाँ भी
बनवानी चाहिए । ये अट्टालिकाएँ एक-दूसरी से तीस दंड की दूरी पर हो ।

१. द्वयोरदालकयोर्मध्ये सहर्म्यद्वितलामध्यर्धायामां प्रतोलीं कारयेत् ।
२. अदालकप्रतोलीमध्ये त्रिधानुष्काधिष्ठानं सापिधानच्छिद्रफलक-
संहितमितीन्द्रकोशं कारयेत् ।
३. अन्तरेषु द्विहस्तत्रिष्कम्भं पार्श्वे चतुर्गुणायाममनुप्राकारम् अष्ट-
हस्तायतं देवपथं कारयेत् ।
४. दण्डान्तरा द्विदण्डान्तरा वाचार्याः कारयेद् ; अग्राद्ये देशे प्रधा-
चितिकां निष्कुहद्वारं च ।
५. बहिर्जानुभञ्जनीत्रिशूलप्रकरकूपकूटावपातकण्टकप्रतिसराहिष्ठ-

१. दो अदालिकाओं के बीच, चौड़ाई से छेदगुना लंबा प्रतोली नाम का एक घर बनवाना चाहिए, जिसकी दूसरी मंजिल में जनानखाना रहे ।
२. अदालिका और प्रतोली के बीच में इन्द्रकोष नामक एक विशिष्ट स्थान बनवाया जाय । वह इतना ही बड़ा हो जिसमें तीन धनुर्धारी संतरी आसानी से बैठ सकें । उसके आगे छिद्रयुक्त एक ऐसा तख्ता लगा रहना चाहिए, जिससे धनुर्धारी बाहर की वस्तु देख सकें और भीतर से ही निशाना बाँध सकें; किन्तु बाहर के लोग उन्हें न देख सकें ।
३. प्राकार के साथ ही एक ऐसा देवपथ (गुप्तमार्ग या सुरंग) बनवाना चाहिए जो अदालक, प्रतोली तथा इन्द्रकोष के बीच में दो हाथ चौड़ा और प्राकार के पास आठ हाथ चौड़ा हो ।
४. इसी प्रकार एक दंड या दो दंड की दूरी पर चार्या अर्थात् प्राकार आदि पर घड़ने उतरने का स्थान बनवाना चाहिए । प्राकार के ऊपर ही जिस स्थान को कोई न देख सके, प्रधाचितिका तथा उसके पास ही निष्कुहद्वार भी बनवाने चाहिए । बाहर से छोड़े गए बाण आदि से सुरक्षित रहने के लिए छिपने योग्य आड़ को प्रधाचितिका कहते हैं । उसमें निशाना मारने के लिए जो छिद्र बनाया जाता है उसको निष्कुहद्वार कहा जाता है ।
५. प्राकार की बाहरी भूमि में शत्रुओं के घुटनों को तोड़ देने वाले खँटे, त्रिशूल, अँधेरे गड्ढे, लौह कंटक के ढेर, साँप के काँटे, ताड़पत्रों के समान धने हुए लोहे के जाल, तीन नोकवाले नुकीले काँटे, कुत्ते की दाढ़ के समान लोहे की

तालपत्रशृङ्गाटकश्वदंष्ट्रार्गलोपस्कन्दनपादुकाम्बरीषोदपानकैः छन्न-
पथं कारयेत् ।

१. प्राकारमुभयतो मण्डपकमध्यर्धदण्डं कृत्वा प्रतोलीषट्फलान्तरं
द्वारं निवेशयेत् ; पञ्चदण्डादेकोत्तरशृङ्गाष्टदण्डादिति चतुर-
श्रम् । द्विदण्डं वा । षड्भागमायामादधिकमष्टभागं वा ।
२. पञ्चदशहस्तादेकोत्तरमष्टादशहस्तादिति तुलोत्सेधः ।
३. स्तम्भस्य परिक्षेपाः षडायामा द्विगुणो निखातः चूलिकाया-
श्चतुर्भागः ।
४. आदितलस्य पञ्च भागाः शाला वापी सीमागृहं च । दश-
भागिकौ समत्तवारणौ द्वौ प्रतिमञ्चौ अन्तरम् आणिः । हर्म्यं

तीक्ष्ण कीलें, बड़े-बड़े लट्टे, कीचड़ से भरे हुए गढ़े, आग और जहरीले पानी
के गढ़े आदि बनाकर दुर्ग के मार्ग को पाट देना चाहिए ।

१. जिस स्थान पर किले का दरवाजा बनवाना हो वहाँ पहिले, प्राकार के दोनों
भागों में बड़े दंड लंबा-चौड़ा मंडप (चबूतरा) बनाया जाय । तदनन्तर उसके
ऊपर प्रतोली के समान छह खंभे खड़े करके द्वार का निर्माण करवाया जाय ।
द्वार का निर्माण पाँच दंड परिधि से करना चाहिए; और तदनन्तर एक-एक
दंड बढ़ाते हुए अधिक से अधिक आठ दंड तक उसकी परिधि होनी चाहिए;
अथवा, कुछ विद्वानों के मत से दरवाजा दो दंड का हो । या नीचे के आधार
के परिणाम से छठा तथा आठवाँ हिस्सा अधिक ऊपर का दरवाजा बनवाया जाय ।
२. दरवाजेके खंभों की ऊँचाई पन्द्रह हाथ से लेकर अठारह हाथ तक होनी चाहिए ।
३. खंभों की मोटाई उसकी ऊँचाई से छठा हिस्सा होनी चाहिए । मोटाई से
दुगुना भाग भूमि में गाढ़ दिया जावे और चौथाई भाग खंभे के ऊपर चूल
के लिए छोड़ दिया जावे ।
४. प्रतोलिका के तीन तल्लों में से पहिले तल्ले के पाँच हिस्से किए जाँय । उनमें से
बीच के हिस्से में बावड़ी बनवाई जाय, उसके दायें-वायें शाला और शाला के
छोरों पर सीमागृह बनवाए जाँय । शाला के किनारों पर भी आमने-मामने
छोटे-छोटे दो चबूतरे बनवाए जाँय जिन पर बुजें भी हों । शाला और सीमागृह
के बीच में आणि (एक छोटा दरवाजा) होना चाहिए । मकान की दूसरी

च समुच्छ्रयादर्धतलं स्थूणावबन्धश्च । आर्धवास्तुकमुत्तमागारं
त्रिभागान्तरं वा, इष्टकावबद्धपार्श्वं, वामतः प्रदक्षिणसोपानं
गूढभित्तिसोपानमितरतः ।

१. द्विहस्तं तोरणशिरः, त्रिपञ्चभागिकौ द्वौ कवाटयोगौ, द्वौ द्वौ परिधौ, अरत्तिरिन्द्रकीलः, पञ्चहस्तमणिद्वारं, चत्वारो हस्तिपरिधाः ।
२. निवेशार्धं हस्तिनखः मुखसमः । संक्रमोऽसंहार्यो वा भूमि-मयो वा निरुदके ।
३. प्राकारसमं मुखमवस्थाप्य त्रिभागगोधामुखं गोपुरं कारयेत् ; प्राकारमध्ये कृत्वा त्र्यार्षीं पुष्करिणीद्वारं, चतुःशालमध्यर्धान्त-

मंजिल की ऊँचाई पहिली मंजिल की ऊँचाई से आधी होनी चाहिए; उसकी छत के नीचे सहारे के लिए छोटे-छोटे खंभे भी होने चाहिए । मकान की तीसरी मंजिल को उत्तमागार कहते हैं, उसकी ऊँचाई डेढ़ दंड होनी चाहिए । उत्तमागार परिमाण द्वार का तृतीयांश होना चाहिए । उसके पार्श्व भाग पक्की ईंटों से मजबूत होने चाहिए । उसकी बाईं ओर घुमावदार सीढ़ियाँ और दाहिनी ओर गुप्त सीढ़ियाँ होनी चाहिए ।

१. किले के दरवाजे का ऊपरी बुर्ज दो हाथ लम्बा होना चाहिए । दोनों फाटक तीन या पाँच तल्लों की पर्त के बने हों । किवाड़ों के पीछे दो-दो अर्गलाएँ होनी चाहिए । किवाड़ों को बन्द करने के लिए एक अरत्ती परिमाण (एक हाथ) की इन्द्रकील (चटखनी) होनी चाहिए । फाटक के बीच में पाँच हाथ का एक छोटा सा दरवाजा जुड़ा होना चाहिए । पूरा दरवाजा इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें चार हाथी एक साथ प्रवेश कर सकें ।
२. द्वार की ऊँचाई के आधा, हाथी के नाखून के आकार-प्रकार का, मजबूत लकड़ी का बना हुआ ऐसा मार्ग होना चाहिए जिससे यथा अवसर किले में टहला जा सके । जहाँ जल का अभाव हो वहाँ सिट्टी का ही मार्ग बनवाना चाहिए ।
३. प्राकार की ऊँचाई जितना किंतु उसके तृतीयांश जितना, गोह के मुँह के आकार का एक नगरद्वार भी बनवाना चाहिए । प्राकार के बीच में एक बावड़ी बनाकर उससे संबद्ध एक द्वार भी बनवाए । उस द्वार को पुष्करिणी

दूसरा अधिकरण : प्रकरण १६, अध्याय ३

राणिकं कुमारीपुरं, मुण्डहर्म्यं द्वितलं मुण्डकद्वारं, भूमिद्रव्य-
वशेन वा । त्रिभागाधिकायामा भाण्डवाहिनीः कुल्याः कारयेत् ।

१. तासु पाषाणकुदालकुठारीकाण्डकल्पनाः ।
मुसृष्टिमुग्दरा दण्डचक्रयन्त्रशतघ्नयः ॥
कार्याः कार्मारिकाः शूला वेधनाग्राश्च वेणवः ।
उष्ट्रग्रीव्योऽग्निसंयोगाः कुप्यकल्पे च यो विधिः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे दुर्गत्रिधानं नाम तृतीयोऽध्यायः ;
आदितस्त्रयोविंशः ॥



कहते हैं । जिस दरवाजे के आसपास चार शालाएं बनाई जाय और उस दरवाजे में पुष्करिणी द्वार से ब्योढ़ा दरवाजा लगा हो । उसका नाम कुमारी-पुरद्वार है । जो दरवाजा दुमंजला हो एवं जिस पर कंगूरे आदि न लगे हों उसे मुण्डकद्वार कहते हैं । इस प्रकार राजा अपनी भूमि और संपत्ति के अनुसार जैसा उचित समझे, कुछ परिवर्तन करके दरवाजों को बनवाए । किले के अन्दर की नहरें सामान्य नहरों से तिगुनी चौड़ी बनवाए, जिनके द्वारा हर प्रकार का सामान अन्दर और बाहर ले जाया-लाया जा सके ।

१. पत्थर, कुदाली, कुल्हार्डी, चाण, हाथियों का सामान, गदा, मुद्गर, लाठी, चक्र, मसीनें, तोपें, लोहारों के औजार, लोहे का बना सामान, नुकीले भाले, बाँस, ऊँट की गर्दन के आकार वाले हथियार, अग्निवाण आदि सामान नहर के द्वारा लाया और ले जाया जाता है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।



दुर्गनिवेशः

१. त्रयः प्राचीना राजमार्गान्त्रय उदीचीना इति वास्तुविभागः ।
स द्वादशद्वारो युक्तोदकभूमिच्छन्नपथः ।
२. चतुर्दण्डान्तरा रथ्याः । राजमार्गद्रोणमुखस्थानीयराष्ट्रविवीत-
पथाः संयानीयव्यूहश्मशानग्रामपथाश्चाष्टदण्डाः । चतुर्दण्डः
सेतुवनपथः । द्विदण्डो हस्तिक्षेत्रपथः । पञ्चारत्नयो रथपथ-
श्चत्वारः पशुपथो द्वौ क्षुद्रपशुमनुष्यपथः ।

दुर्ग से संबंधित राजभवनों तथा नगर के
प्रमुख स्थानों का निर्माण

१. वास्तुविद्याविशेषज्ञों के निर्देशानुसार जिस भूमि को नगर-निर्माण के लिए चुना जाय उसमें पूरव से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले तीन-तीन राजमार्ग हों । इन छह राजमार्गों में नगर-निर्माण या गृह-निर्माण की भूमि का विभाग करना चाहिए । चारों दिशाओं में कुल मिलाकर चारह द्वार हों, जिसमें जल, थल तथा गुप्त मार्ग बने हों ।
२. नगर में चार दण्ड (२४ फीट) चौड़ी रथ्याएँ (छोटी गलियाँ) हों । राजमार्ग, द्रोणमुख (चार सौ गाँवों का मुख्य केन्द्र), स्थानीय, (आठ सौ गाँवों का मुख्य केन्द्र) राष्ट्र, चरागाह, संयानीय, (व्यापारी मंडियाँ) सैनिक छावनियाँ, श्मशान और गाँवों की ओर जाने वाली सभी सड़कों की चौड़ाई आठ दण्ड (१६ गज) होनी चाहिये । जलाशयों तथा जंगलों की ओर जाने वाली सड़कों की चौड़ाई चार दण्ड होनी चाहिये । हाथियों के आने-जाने का मार्ग और खेतों को जाने वाला रास्ता दो दण्ड चौड़ा होना चाहिए । रथों के लिए पाँच धरत्ति (ढाई गज) और पशुओं के चलने का रास्ता दो गज चौड़ा होना चाहिये । मनुष्य तथा भेड़-बकरी आदि छोटे पशुओं के लिए एक गज चौड़ा रास्ता होना चाहिए ।

१. प्रवीरे वास्तुनि राजनिवेशश्चातुर्वर्ण्यसमाजीवे । वास्तुहृदयादु-
त्तरे नवभागे यथोक्तविधानमन्तःपुरं प्राङ्मुखमुदङ्मुखं वा कार-
येत् । तस्य पूर्वोत्तरं भागमाचार्यपुरोहितेज्यातोयस्थानं मन्त्रि-
णश्चावसेयुः । पूर्वदक्षिणं भागं महानसं हस्तिशाला कोष्ठागारं
च । ततः परं गन्धमाल्यधान्यरसपण्याः प्रधानकारवः क्षत्रियाश्च
पूर्वा दिशमधिवसेयुः । दक्षिणपूर्वं भागं भाण्डागारमक्षपटलं
कर्मनिषद्याश्च । दक्षिणपश्चिमं भागं कुप्यगृहमायुधागारं च ।
ततः परं नगरधान्यव्यावहारिककामान्तिकबलाध्यक्षाः
पक्वान्नसुरामांसपण्याः रूपाजीवास्नालावचरा वैश्याश्च दक्षिणां
दिशमधिवसेयुः । पश्चिमदक्षिणं भागं खरोष्ट्रगुप्तिस्थानं कर्मगृहं

१. नगर के सुदृढ़ भूमिभाग में राजभवनों का निर्माण कराना चाहिए; साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि चारों वर्णों की आजीविका के लिए उपयोगी है। गृह-भूमि के बीच से उत्तर की ओर नवें हिस्से में, निशांत प्रणिधि प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अंतःपुर का निर्माण कराना चाहिए, जिसका द्वार पूरब या पश्चिम की ओर हो। अंतःपुर के पूर्वोत्तर भाग में आचार्य, पुरोहित के भवन, यज्ञशाला, जलाशय और मंत्रियों के भवन बनवाये जाँय। अन्तःपुर के पूर्व-दक्षिण भाग में महानस (रसोईवर), हस्तिशाला और कोष्ठागार (भंडार) हों। उसके आगे पूरब दिशा में इत्र, तेल, पुष्पहार, अन्न, घी, तेल की दुकानें और प्रधान कारीगरों एवं क्षत्रियों के निवासस्थान होने चाहिएँ। दक्षिण-पूरब में भांडागार, राजकीय पदार्थों के आय-व्यय का स्थान और सोने-चाँदी की दुकानें होनी चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण-पश्चिम दिशा में शस्त्रागार तथा सोने-चाँदी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को रखने का स्थान होना चाहिए। उससे आगे, दक्षिण दिशा में नगराध्यक्ष, धान्याध्यक्ष, व्यापाराध्यक्ष, खदानों तथा कारखानों के निरीक्षक, सेनाध्यक्ष, भोजनालय, शराब एवं मांस की दुकानें, वेश्या, नट और वैश्य आदि के निवासस्थान होने चाहिए। पश्चिम-दक्षिण भाग में ऊँटों एवं गधों के गुप्ति-स्थान (तबेले) तथा उनके व्यापार के लिए एक अस्थायी घर बनवाया

च । पश्चिमोत्तरं भागं यानरथशालाः । ततः परं ऊर्णासूत्र-
वेणुचर्मवर्मशस्त्रावरणकारवः शूद्राश्च पश्चिमां दिशमधिवसेयुः ।
उत्तरपश्चिमं भागं पण्यभैषज्यगृहम्, उत्तरपूर्व भागं कोशो
गवाश्वं च । ततः परं नगरराजदेवतालोहमणिकारवो ब्राह्मणा-
श्चोत्तरां दिशमधिवसेयुः । वास्तुच्छिद्रानुलासेषु श्रेणीप्रवहणिक-
निकाया आवसेयुः ।

१. अपराजिताप्रतिहतजयन्तवैजयन्तकोष्ठकान् शिववैश्रवणाश्वि-
श्रीमदिरागृहं च पुरमध्ये कारयेत् । कोष्ठकालयेषु यथोद्देशं
वास्तुदेवताः स्थापयेत् । ब्राह्मैन्द्रयाम्यसैनापत्यानि द्वाराणि ।
बहिः परिखायाः धनुश्शतावकृष्टाश्चैत्यपुण्यस्थानवनसेतुबन्धाः
कार्याः, यथादिशं च दिग्देवताः ।

जाय । पश्चिम-उत्तर की ओर रथ तथा पालकी आदि सवारियों को रखने के स्थान होने चाहिए । उसके आगे, पश्चिम दिशा में ही ऊन, सूत, बाँस और चमड़े का कार्य करने वाले, हथियार और उनके म्यान बनवाने वाले और शूद्र लोगों को बसाया जाना चाहिए । उत्तर-पश्चिम में राजकीय पदार्थों को बेचने-खरीदने का बाजार और औषधालय होने चाहिए । उत्तर-पूर्व में कोषगृह और गाय, बैल तथा घोड़ों के स्थान बनवाने चाहिए । उसके आगे, उत्तर दिशा की ओर नगरदेवता, कुलदेवता, लुहार, मनिहार और ब्राह्मणों के स्थान बनवाये जायँ । नगर के ओर-छोर जहाँ खाली जगह छूटी है, धोबी, दर्जी, जुलाहे और विदेशी व्यापारियों को बसाया जाय ।

१. दुर्गा, विष्णु, जयन्त, इन्द्र, शिव, वरुण, अश्विनीकुमार, लक्ष्मी और मदिरा, इन देवताओं की स्थापना नगर के बीच में करनी चाहिये । कोष्ठागार आदि में भी कुलदेवता या नगरदेवता की स्थापना करनी चाहिये । प्रत्येक दिशा के मुख्य द्वार पर उसके अधिष्ठाता देवता की स्थापना की जाय । उत्तर का देवता ब्रह्मा, पूर्व का इन्द्र, दक्षिण का यम और पश्चिम का सेनापति (कुमार) होता है । नगर की परिखा से बाहर दो-सौ गज की दूरी पर चैत्य, पुण्यस्थान, उपवन और सेतुबंध आदि स्थानों की रचना और यथास्थान दिग्देवताओं की भी स्थापना की जाय ।

१. हस्त्यश्वरथपादातमनेकमुख्यमवस्थापयेत् । अनेकमुख्यं हि परस्परभयात् परोपजापं नोपैतीति ।
२. एतेनान्तपालदुर्गसंस्कारा व्याख्याताः ।
३. न च वाहिरिकान्कुर्यात्पुरराष्ट्रोपघातकान् ।
क्षिपेज्जनपदस्यान्ते सर्वान्वादापयेत्करान् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे दुर्गनिवेशश्चतुर्थोऽध्यायः ; आदितश्चतुर्विंशः ॥



१. हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन चारों प्रकार की सेनाओं को अनेक सुयोग्य सेनाध्यक्षों के संरक्षण में रखा जाना चाहिए । क्योंकि अनेक सेनाध्यक्षों की नियुक्ति से पहिला लाभ तो यह है कि पारस्परिक भय के कारण वे शत्रु में जाकर नहीं मिल पाते और दूसरा लाभ यह है कि एक अध्यक्ष के फूट जाने पर दूसरा अध्यक्ष उसका कार्य सम्भाल सकता है ।
२. इन नगरदुर्गों के निर्माण के नियमों के अनुसार ही जनपद की सीमा के दुर्गों और उनके प्रबन्ध का विधान समझ लेना चाहिये ।
३. राजा को चाहिए कि वह नगर में ऐसे लोगों को न बसने दे, जिनके कारण राष्ट्र तथा नगर का नैतिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय स्तर गिरता हो । यदि इनको बसाना ही हो तो सीमा प्रान्त में बसाया जाय और उनसे राज्यकर वसूल किया जाय ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



दूसरा अधिकरण : प्रकरण २०, अध्याय ४

१. उत्तरः पूर्वो वा श्मशानवाटः, दक्षिणेन वर्णोत्तमानाम् ।
तस्यातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ।
२. पाण्डचण्डालानां श्मशानान्ते वासः ।
३. कर्मान्तक्षेत्रवशेन वा कुटुम्बिनां सीमानं स्थापयेत् । तेषु
पुष्पफलवाटषण्डकेदारान्धान्यपण्यनिचयांश्चानुज्ञाताः कुर्युः,
दशकुलीवाटं कूपस्थानम् । सर्वस्नेहधान्यक्षारलवणभैषज्यशुष्क-
शाक्यवसवल्लूरवृणकाष्ठलोहचर्माङ्गारस्त्रायुविषविषाणवेणुवल्क-
लसारदारुप्रहरणावर्णाश्मनिचयाननेकवर्षोपभोगसहान् कारयेत् ।
नयेनानयं शोधयेत् ।

-
१. नगर के उत्तर या पूरब में श्मशान होना चाहिए । दक्षिण दिशा में छोटी जाति वाले लोगों का श्मशान होना चाहिए । जो भी इस नियम का उल्लंघन करे उसे प्रथम साहस-दंड दिया जाय ।
 २. कापालिकों और चाण्डालों का निवासस्थान श्मशानों के ही समीप बनवाया जाय ।
 ३. नगर में बसने वाले परिवारों को उनके अध्ववसाय तथा उनके योग्य भूमि की गुजायश देखकर ही, बसाया जाय । उन खेतों में फूल, फल, साग-सब्जी, कमल आदि की क्यारियाँ बनाई जायँ । राजा तथा राजपुरुषों की आज्ञा प्राप्त कर उनमें अनाज तथा विक्रय योग्य वस्तुएँ पैदा की जाँयँ । दशकुलीवाट (बीस हलों से जोती जाने योग्य भूमि) के बीच सिंचाई के लिए एक कुआँ होना चाहिए । घी, तेल, इत्र, चार, नमक, दवा, सूखे साक, भूसा, सूखा माम, घास, लकड़ी, लोहा, चमड़ा, कोयला, ताँत, विष, सींग, बाँस, छाल, चंदन या देवदारु की लकड़ी, हथियार, कवच और पत्थर, इन सभी वस्तुओं को दुर्ग के अंदर इतनी तादाद में जमा होना चाहिए कि कई वर्षों तक उपयोग में लाने के लिए वे पर्याप्त हों । उनमें पुरानी वस्तु की जगह नई वस्तु रख देनी चाहिए ।

सन्निधातृनिचयकर्म

१. सन्निधाता कोशगृहं पण्यगृहं कोष्ठागारं कुप्यगृहमायुधागारं
बन्धनागारं च कारयेत् ।
२. चतुरश्रां वापीमनुदकोपस्त्रेहां खानयित्वा पृथुशिलाभिरुभयतः
पार्श्वं मूलं च प्रचित्य सारदारूपञ्जरं भूमिसमत्रितलमनेकवि-
धानं कुट्टिमदेशस्थानतलमेकद्वारं यन्त्रयुक्तसोपानं देवतापिधानं
भूमिगृहं कारयेत् । तस्योपर्युभयतोनिषेधं सप्रग्रीवमष्टकं
भाण्डवाहिनीपरिक्षिप्तं कोशगृहं कारयेत्, प्रासादं वा । जन-
पदान्ते ध्रुवनिधिमापदर्थमभित्यक्तैः पुरुषैः कारयेत् ।

कोपगृह का निर्माण और कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य

१. सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) को चाहिये कि वह कोपगृह, पण्यगृह (राजकाय
विक्रेय वस्तुओं का स्थान), कोष्ठागार (भाण्डारगृह), कुप्यगृह (अन्नागार),
शस्त्रागार और कारागार का निर्माण करवावे ।
२. सीलरहित स्थान में बावड़ी के समान एक चौरस गढ़ा खुदवाकर चारों ओर
से उसकी दीवारों और उसके फर्श को मोटी मजबूत शिलाओं से चुनवाना
चाहिये । उसके बीच में मजबूत लकड़ियों से बने हुए पिंजरे के समान अनेक
कोठरियाँ हों; उनमें तीन मंजिलें हों; तीनों मंजिलों में बड़ियां दरवाजे तथा
सुन्दर फर्श हो; ऊपर-नीचे चढ़ने-उतरने के लिए उसमें लिफ्ट लगा हो; उसके
दरवाजों पर देवताओं की मूर्तियाँ अंकित हों; इस प्रकार का एक भूमिगृह
(तहखाना, अण्डर प्राउण्ड) बनवाना चाहिये । उस भूमिगृह के ऊपर एक
कोषगृह (खजाना) बनवाना चाहिये; उस पर भीतर-बाहर से बन्द की जाने
वाली अर्गलाएँ हो; एक बरामदा हो; पक्की ईंटों से उसको बनाया गया हो;
एवं वह चारों ओर अनेक पदार्यों से भरे हुए मकानों से घिरा हो । जनपद के
मध्यभाग में प्राणदण्ड पाये पुरुषों के द्वारा, आपत्ति में काम आने वाला
एक ध्रुवनिधि (गुप्त खजाना) बनवाना चाहिये ।

१. पक्षेष्टकास्तम्भं चतुःशालमेकद्वारमनेकस्थानतलं विवृतस्तम्भाप-
सारमुभयतः पण्यगृहं, कोष्ठागारं च, दीर्घबहुलशालं कक्ष्या-
वृतकुड्यमन्तः कुप्यगृहं, तदेव भूमिगृहयुक्तमायुधागारं, पृथग् ।
२. धर्मस्थीयं महामात्रीयं विभक्तस्त्रीपुरुषस्थानमपसारतः सुगुप्त-
कक्ष्यं बन्धनागारं कारयेत् ।
३. सर्वेषां शालाखातोदपानवच्च स्नानगृहाशिविषत्राणमार्जारनकुला-
रक्षाः स्वदैवपूजनयुक्ताः कारयेत् ।

१ पण्यगृह और गोष्ठागार

पक्की ईंटों से चुना हुआ, चार भवनों से परिवृत; एक दरवाजे वाला, अनेक कक्षों एवं मंजिलों से युक्त और चारों ओर खुले हुए खम्भों वाले चबूतरे से घिरा हुआ पण्यगृह (विक्रेय वस्तुओं को रखने का घर) तथा कोष्ठागार (कोठार) बनाना चाहिये ।

कुप्यगृह और शस्त्रागार

अनेक लम्बे दालानों से युक्त, चारों ओर अनेक कोठरियों से घिरी हुई दीवारों वाला, भीतर की ओर कुप्यगृह बनवाना चाहिये । उसी में एक तहखाना बनवाकर शस्त्रागार बनवाया जाय ।

कारागृह

२. धर्मस्थ (न्यायाधीश) और महायाम (सन्निधाता, समाहर्ता आदि) से सजा पाये हुए लोगों को कारागृह में रखना चाहिये । कारागृह में स्त्री-पुरुषों के लिए अलग-अलग स्थान होने चाहिये । उसके बहिर्भाग तथा चारों ओर की अच्छी तरह रक्षा होनी चाहिये ।

३. उक्त सभी कोशगृह आदि स्थानों में शाला, परिखा और कूओं की तरह स्नानागार भी बनवाने चाहिये । अग्नि और विष से भी उनकी रक्षा की जानी चाहिये । विष की रक्षा के लिये बिल्ली और नेत्रला आदि को पालना चाहिये । इन स्थानों की भलीभांति रक्षा की जानी चाहिये । उनके अधिष्ठित देवताओं जैसे, कोप्यगृह का कुबेर, पण्यगृह तथा कोष्ठागार की श्री, कुप्यगृह का विश्वकर्मा, शस्त्रागार का यम और वन्दीगृह का वरुण आदि की पूजा करवानी चाहिये ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २१, अध्याय ५

१. कोष्ठागारे वर्षमानमरलिमुखं कुण्डं स्थापयेत् ।
२. तज्जातकरणाधिष्ठितः पुराणं नवं च रत्नं सारं फल्गु कुप्य वा प्रतिगृह्णीयात् । तत्र रत्नोपधावुत्तमो दण्डः कर्तुः कारयितुश्च, सारोपधौ मध्यमः, फल्गुकुप्योपधौ तच्च तावच्च दण्डः ।
३. रूपदर्शकशुद्धं हिरण्यं प्रतिगृह्णीयाद्, अशुद्धं छेदयेत् । आहर्तुः पूर्वः साहसदण्डः ।
४. शुद्धं पूर्णमभिनवं च धान्यं प्रतिगृह्णीयात् । विपर्यये मूल-द्विगुणो दण्डः ।
५. तेन पण्यं कुप्यमायुधं च व्याख्यातम् ।

१. वर्षाजल को मापने के लिए कोष्ठागार में एक ऐसा कुण्ड बनवाया जाना चाहिये जिसमें मुँह का घेरा एक अरत्ति (चौबीस अंगुल) हो ।
२. कोष्ठागाराध्यत्त, प्रत्येक वस्तु के विशेषज्ञों की सहायता से नये और पुराने का भेद समझकर रत्न, चन्दन, वस्त्र, लकड़ी, चमड़ा, बाँस आदि उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करे । यदि कोई व्यक्ति असली रत्न की जगह नकली रत्न दे और छल से असली रत्न का अपहरण कर ले जाय तो अपहरण करने वाले और कराने वाले, दोनों को उत्तम साहसदंड दिया जाय । चन्दन आदि वस्तुओं में कपट करने पर मध्यम साहसदंड दिया जाना चाहिये । वस्त्र, लकड़ी और चमड़ा जैसे पदार्थों में छल करने वाले व्यक्ति से वैसी ही दूसरी वस्तु ले ली जाय या उसका मूल्य ले लिया जाय और उतना ही उससे दंडरूप में वसूल कर लिया जाय ।
३. सिक्कों के पारखी पुरुषों द्वारा स्वर्णमुद्रा का संग्रह किया जाना चाहिये । सिक्कों में से जो नकली मालूम हो उसको तत्काल ही काट दिया जाय, यतः उसको व्यवहार में न लाया जा सके । नकली सिक्कों को लाने वाले पुरुष भी प्रथम साहसदंड के अपराधी हैं ।
४. धान्याधिकारी पुरुष को चाहिये कि वह शुद्ध, पूरा तथा नया अन्न ले । यदि वह ऐसा न करे तो उससे दुगुना दंड वसूल किया जाय ।
५. इसी प्रकार पण्य, कुप्य और आयुध के सम्बन्ध में भी नियम समझने चाहिये ।

१. सर्वाधिकरणेषु युक्तोपयुक्ततत्पुरुषाणां , पणद्विपणचतुष्पणाः,
परमपहारेषु पूर्वमध्यमोत्तमत्रया दण्डाः ।
२. कोशाधिष्ठितस्य कोशावच्छेदे घातः । तद्वैयावृत्यकाराणामर्ध-
दण्डः । परिभाषणमविज्ञाते । चोराणामभिप्रधर्षणे चित्रो घातः ।
३. तस्मादाप्तपुरुषाधिष्ठितः सन्निधाता निचयावनुतिष्ठेत् ।
४. बाह्यमाभ्यन्तरं चायं विद्याद्वर्षशतादपि ।
यथा पृष्टो न सज्येत व्ययशेषं च दर्शयेत् ॥
इत्यभ्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सन्निधातृनिचयकर्म
पञ्चमोऽध्यायः ; आदिनः पञ्चविंशः ॥

१. प्रत्येक अधिकारी पुरुष को उसके सहकारियों को तथा उन दोनों के बीच काम करने वाले पुरुषों को, पहली बार किसी वस्तु का अपहरण करने पर क्रमशः एक पण, दो पण और चार पण का दंड दिया जाना चाहिये । यदि वे फिर भी अपहरण करें तो क्रमानुसार उन्हें प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस दंड दिया जाना चाहिये । इस पर भी वे न मानें तो उन्हें प्राणदंड दिया जाय ।
२. कोषाध्यक्ष यदि सुरंग आदि उपाय से कोष का अपहरण करे तो उसे प्राणदंड दिया जाय । इसमें अधीनस्थ लोगों को उसका आधा दंड दिया जाय । यदि कोष का अपहरण करने में अधीनस्थ लोगों का हाथ न हो तो उन्हें दंड न दिया जाय । केवल उनकी निंदा तथा उपहास कर उनको दुत्कारा जाय । यदि चोर संध लगाकर चोरी करें तो उन्हें चित्रवध का दंड (कष्टकर प्राण-दंड) दिया जाय ।
३. इसलिए कोषाध्यक्ष को चाहिये कि विश्वासी पुरुषों के सहयोग से ही वह धन-संग्रह आदि का कार्य करे ।
४. कोषाध्यक्ष को चाहिये कि वह जनपद तथा नगर से होने वाली आय को अच्छी तरह से जाने । इस सम्बन्ध में उसे इतनी जानकारी होनी चाहिये कि यदि उससे सौ वर्ष पीछे की आय का लेखा-जोखा पूछा जाय तो तत्काल ही वह उसकी समुचित जानकारी दे सके । बचे हुए धन को वह सदा कोष में दिखाता रहे ।

अभ्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

समाहर्तृसमुदयप्रस्थापनम्

१. समाहर्ता दुर्गं राष्ट्रं खनिं सेतुं वनं ब्रजं वणिक्पथं चावेक्षेत ।
२. शुल्कं दण्डः पौतवं नागरिको लक्षणाध्यक्षो मुद्राध्यक्षः सुरा सूना सूत्रं तैलं घृतं क्षारः सौवर्णिकः पण्यसंस्था वेश्या घृतं वास्तुकं कारुशिल्पिगणो देवताध्यक्षो द्वारवाहिरिकादेयं च दुर्गम् ।
३. सीता भागो बलिः करं वणिक् नदीपालस्तरो नावः पट्टनं विवीतं वर्तनी रज्जूश्चोररज्जूश्च राष्ट्रम् ।

समाहर्ता का कर-संग्रह कार्य

१. समाहर्ता (कलक्टर जनरल) को चाहिये कि वह (१) दुर्ग, (२) राष्ट्र, (३) खनि, (४) सेतु, (५) वन, (६) ब्रज और (७) व्यापार सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण करे ।
२. दुर्ग : शुल्क (चुङ्गा), दण्ड (जुर्माना), पौतव (तराजू-घाट), नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष (पटवारी, कानूनगो, अमीन), मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष (आवकारी अधिकारी), सूनाध्यक्ष (फासी देने वाला), सूत्राध्यक्ष, तल-वी आदि का विक्रेता, सुवर्णाध्यक्ष, दूकान, वेश्या, घृत, वास्तुक (शिल्पी), चढ़ई, लुहार, सुनार, मन्दिरों के निरीक्षक, द्वारपाल और नट-नर्तक आदि से लिया जाने वाला धन दुर्ग कहलाता है ।
३. राष्ट्र : सीता (खेती), भाग (धान्य का पष्ठांश), बलि (उपहार), कर (फल, वृक्ष आदि का टैक्स), वणिक् (व्यापारकर), नदीपालस्तर (नदी पार होने का टैक्स), नाव का कर, पट्टन (करवों की आय), विवीत (चरागाहों की आय), वर्तनी (मार्गकर), रज्जू (भूमि निरीक्षकों द्वारा प्राप्तव्य धन) और चार रज्जू (चारों को पकड़ने के लिये ग्रामवासियों से मिला धन) आदि आय के साधन राष्ट्र नाम से कहे जाते हैं ।

१. सुवर्णरजतवज्रमणिमुक्ताप्रवालशङ्खलोहलवणभूमिप्रस्तररसधा-
तवः खनिः ।
२. पुष्पफलवाटषण्डकेदारमूलवापाः सेतुः ।
३. पशुमृगद्रव्यहस्तिवनपरिग्रहो वनम् ।
४. गौमहिषमजाधिकं खरोष्ट्रमश्वश्वतराश्च व्रजः ।
५. स्थलपथो वारिपथश्च वणिक्पथः ।
६. इत्यायशरीरम् । मूलं भागो व्याजी परिघः क्लृप्तं रूपिकमत्यय-
श्रायमुखम् ।
७. देवपितृपूजादानार्थं स्वस्तिवाचनमन्तःपुरं महानसं दूतप्राव-
र्तिमं कोष्ठागारमायुधागारं पण्यगृहं कुप्यगृहं कर्मान्तो विधिः

१. खनि : सोना, चाँदी, हीरा, मणि, मोती, मूँगा, शंख, लोहा, लवण, भूमि, पत्थर और खनिज पदार्थ खनि कहे जाते हैं ।
२. सेतु : फूल, फल, केला, सुपारी, अन्न के खेत, अदरख और हल्दी के खेत इन सबको सेतु कहा जाता है ।
३. वन : हरिण आदि पशु, लकड़ी आदि द्रव्य और हाथियों के जंगल को वन कहा जाता है ।
४. व्रज : गाय, भैस, बकरी, भेड़, गधा, ऊँट, घोड़ा, खच्चर आदि जानवर व्रज नाम से कहे जाते हैं, क्योंकि वे अपने गोष्ठ (व्रज) में रहते हैं ।
५. वणिक्पथ : स्थलमार्ग और जलमार्ग, व्यापार के इन दो मार्गों को वणिक्पथ कहा जाता है ।
६. ये सभी आमदनी के साधन हैं । इनके अतिरिक्त मूल (अनाज, साग, सब्जी आदि को बेचकर पुरुत्र किया गया धन), भाग (पैदावार का पष्ठांश), व्याजी (कपटी व्यापारियों से दण्ड रूप में वसूल किया गया धन), परिघ (लावारिस का धन), क्लृप्त (नियत कर), रूपिक (नसककर), अत्यय (जुग्माने का धन), आदि भी आमदनी के साधन हैं ।
७. देवपूजा, पितृपूजा. दान, स्वस्तिवाचन आदि धार्मिक कृत्य, अन्तःपुर रमोर्द्धार. दूत प्रेषण कोष्ठागार. शस्त्रागार. पण्यगृह. कुप्यगृह का व्यय

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २२, अध्याय ६

पत्न्यश्वरथद्विपपरिग्रहो गोमण्डलं पशुमृगपक्षिव्यालवाटाः
काष्ठतृणवाटश्चेति व्ययशरीरम् ।

१. राजवर्ष मासः पक्षो दिवसश्च व्युष्टम् । वर्षाहेमन्तग्रीष्माणां
तृतीयसप्तमा दिवसोनाः पक्षाः, शेषाः पूर्णाः । पृथगधिमासक
इति कालः ।
२. करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययौ नीवी च ।
३. संस्थानं प्रचारः शरीरावस्थापनमादानं सर्वसमुदयपिण्डः
सञ्जातमेतत्करणीयम् ।

कर्मान्त (कृषि, व्यापार), विष्टि (बेगारी का व्यय); पैदल, हाथी, घोडा तथा रथ आदि चारों प्रकार के सेना-संग्रह का व्यय; गाय, भैस, बकरी आदि उपयोगी पशुओं का व्यय; हरिण, पक्षी तथा अन्य हिंसक जंगली जानवरों की रक्षा के लिए किया गया व्यय और स्थान, लकड़ी, घास आदि के जंगलों की सुरक्षा के लिए किया गया व्यय, ये सभी व्यय के स्थान कहलाते हैं ।

१. राजा के राज्याभिषेक के बाद, उसके प्रत्येक कार्य में 'व्युष्ट' नाम से कहे जाने वाले वर्ष, मास, पक्ष और दिन, इन चारों बातों का उल्लेख होना चाहिये; राजवर्ष के तीन विभाग हैं : (१) वर्षा (२) हेमन्त और (३) ग्रीष्म, इन तीनों विभागों में प्रत्येक के आठ-आठ पक्ष होते हैं; प्रत्येक पक्ष पंद्रह दिन का होता है; प्रत्येक ऋतु के तीसरे तथा सातवें पक्ष में एक-एक दिन कम माना जाय; शेष छहों पक्ष पंद्रह-पंद्रह दिन के माने जाँय; इसके अतिरिक्त एक अधिमास (मलमास) भी माना जाय; यही काल-विभाजन राजकीय कार्यों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए ।
२. समाहर्त्ता को चाहिए कि वह करणीय, सिद्ध, शेष, आय, व्यय तथा नीवी आदि कार्यों को उचित रीति से संपन्न करे ।
३. करणीय ६ प्रकार का होता है (१) संस्थान (२) प्रचार (३) शरीरावस्थान (४) आदान (५) सर्वसमुदयपिण्ड और (६) संजात ।

१. कोशापितं राजहारः पुरव्ययश्च प्रविष्टं, परमसंवत्सरानुवृत्तं शासनमुक्तं मुखाज्ञप्तं चापातनीयम्, एतत्सिद्धम् ।
२. सिद्धिप्रकर्मयोगः दण्डशेषमाहरणीयं, बलात्कृतप्रतिस्तब्धमवसृष्टं च प्रशोध्यम्, एतच्छेषमसारमल्पसारं च ।
३. वर्तमानः पर्युषितोऽन्यजातश्चायः । दिवसानुवृत्तो वर्तमानः । परमसांवत्सरिकः परप्रचारसंक्रान्तो वा पर्युषितः । नष्टप्रस्मृतमायुक्तदण्डः पार्श्वं पारिहीणिकमौपायनिकं उमरगतकस्वमपुत्रकं निधिश्चान्यजातः । विक्षेपव्याधितान्तरारम्भशेषश्च व्ययप्रत्यायः । विक्रये पण्यानामर्घवृद्धिरुपजा मानोन्मानविशेषो व्याजी क्रयसङ्घर्षे वा वृद्धिरित्यायः ।
४. नित्यो नित्योत्पादिको लाभो लाभोत्पादिक इति व्ययः ।

१. सिद्ध भी ६ प्रकार का होता है (१) कोशापित (२) राजहार (३) पुरव्यय (४) परसंवत्सरानुवृत्त (५) शासनमुक्त और (६) मुखाज्ञप्त ।
२. शेष के भी ६ भेद हैं (१) सिद्धप्रकर्मयोग (२) दण्डशेष (३) बलात्कृत प्रतिस्तब्ध (४) अवसृष्ट (५) असार और (६) अल्पसार ।
३. आय तीन प्रकार की है (१) वर्तमान (२) पर्युषित और (३) अन्यजात । प्रतिदिन की आमदनी को 'वर्तमान' आय कहा जाता है; पिछले वर्ष का बकाया अथवा शत्रुदेश से प्राप्त धन 'पर्युषित' आय है; भूले हुए धन की स्मृति, अपराधस्वरूप प्राप्त धन, कर के अतिरिक्त अन्य उपायों या प्रभुत्व से प्राप्त धन, कांजीहाउस से प्राप्त धन, भेंटस्वरूप प्राप्त धन, शत्रुसेना से अपहृत धन और लावारिस का धन 'अन्यजात' आय कहलाती है । इसके अतिरिक्त सैनिक खर्च से बचा हुआ धन, स्वास्थ्य-विभाग के व्यय से बचा हुआ धन और इमारतों के बनवाने से बचा हुआ धन 'व्ययप्रत्याय' कहलाता है । यह भी एक प्रकार की आय है । विक्री के समय वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने से, निषिद्ध वस्तुओं के बेचने से, बाट-नगाजू आदि की देईमानी से तथा खरीदारों की प्रतिस्पर्धा से प्राप्त धन भी आमदनी का धन है ।
४. व्यय चार प्रकार का होता है : (१) नित्य (२) नित्योत्पादिक (३) लाभ

दिवसानुवृत्तो नित्यः । पक्षमाससंवत्सरलाभो लाभः । तयो-
रुत्पन्नो नित्योत्पादिको लाभोत्पादिक इति ।

१. व्ययसञ्जातादायव्ययविशुद्धा नीवी प्राप्ता चानुवृत्ता चेति ।
२. एवं कुर्यात्समुदयं वृद्धिं चायस्य दर्शयेत् ।
हासं व्ययस्य च प्राज्ञः साधयेच्च विपर्ययम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे समाहर्तृसमुदयप्रस्थापनं षष्ठोऽध्यायः;

आदितः षड्विंशः ॥



और (४) लाभोत्पादिक । प्रतिदिन के नियमित व्यय को 'नित्य' व्यय कहते हैं । पाक्षिक, मासिक तथा वार्षिक आय के लिए व्यय किया गया धन 'लाभ' कहलाता है । नियमित व्यय से अधिक खर्च हो जानेवाले धन को 'नित्योत्पादिक' तथा 'लाभोत्पादिक' कहा जाता है ।

१. सब तरह के आय-व्यय का भली भाँति हिसाब करके भी वचत रूप में निकलने वाला धन 'नीवी' कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है (१) प्राप्त और (२) अनुवृत्त । प्राप्त वह, जो खजाने में जमा हो और अनुवृत्त वह, जो खजाने में जमा किया जानेवाला हो ।
२. समाहर्ता को चाहिए कि वह ऊपर निर्दिष्ट विधियों, साधनों एवं मार्गों से राजकीय धन का संग्रह करे और आय-व्यय में वचत-हानि का लेखा-जोखा ठीक रखे । यदि किसी अवस्था में भविष्य की विशेष आय की आशा में पहिले अधिक व्यय भी करना पड़े तो वैसा करके आय को बढ़ाये ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ७

अक्षपटले गारानिव्याधिकारः

१. अक्षपटलमध्यक्षः प्राङ्मुखमुदङ्मुखं वा विभक्तोपस्थानं निबन्धपुस्तकस्थानं कारयेत् ।
२. तत्राधिकरणानां संख्याप्रचारसज्जाताग्रं, कर्मान्तानां द्रव्यप्रयोगे वृद्धिक्षयव्ययप्रयामव्याजीयोगस्थानवेतनविष्टिप्रमाणं, रत्नसारफल्गुकुप्यानामर्घप्रतिवर्णकप्रतिमानमानोन्मानभाण्डं, देशग्रामजातिकुलसङ्गानां धर्मव्यवहारचारित्रसंस्थानं, राजोप-

अक्षपटल में गाणनिक के कार्यों का निरूपण

१. आय-व्यय का निरीक्षक (एकाउण्ट्स सुपरिन्टेण्डेण्ट), अक्षपटल (एकाउन्टेण्ट्स ऑफिस) का निर्माण करावे: उसका दरवाजा पूरव या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए; उसमें लेखकों (क्लर्कों) के बैठने के लिए कक्ष और आय-व्यय की निबंध-पुस्तकों (एकाउण्ट बुक्स) को रखने के लिये नियमित व्यवस्था होनी चाहिए ।
२. उसमें विभिन्न विभागों की नामावली; जनपद की पैदावार एवं उसकी आमदनी का विवरण; खान तथा कारखानों के आय-व्यय का हिसाब; कर्मचारियों की नियुक्ति; अन्न एवं सुवर्ण आदि का उपयोग; प्रयाम (अनाज के गोदाम), व्याजी (कम तौलने के कारण व्यापारियों से दंडरूप में हुई आमदनी), यांग (अच्छे-बुरे द्रव्य की मिलावट), स्थान (गाँव), वेतन, विष्टि (वेगार), आदि का व्यौरा; रत्नसार एवं कुप्य आदि पदार्थों के मूल्य, उनका गुण, तौल, उनकी लंबाई-चौड़ाई, ऊँचाई, एवं असली मूलधन का उल्लेख; देश, ग्राम, जाति, कुल, सभा-सोसाइटियों के धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा परिस्थितियों का उल्लेख; राजकीय सहायता से जीवित रहनेवाले प्रग्रह

जीविनां प्रग्रहप्रदेशभोगपरिहारभक्तवेतनलाभं, राज्ञश्च पत्नीपुत्राणां रत्नभूमिलाभं निर्देशौत्पादिकप्रतीकारलाभं, मित्रामित्राणां च सन्धिविक्रमप्रदानादानं निबन्धपुस्तकस्थं कारयेत् ।

१. ततः सर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययौ नीवीं उपस्थानं प्रचारचरित्रसंस्थानं च निबन्धेन प्रयच्छेत् । उत्तममध्यमावरेषु च कर्मसु तज्जातिकमध्यक्षं कुर्यात् । सामुदायिकेष्ववकल्पिकं यमुपहत्य न राजानुतप्येत ।
२. सहग्राहिणः प्रतिभुवः कर्मोपजीविनः पुत्रा भ्रातरो भार्या दुहितरो भृत्याश्वास्य कर्मच्छेदं वहेयुः ।

(देवालय, मंत्री, पुरोहित का सम्मान); निवासस्थान, भेंट, परिहार (कर आदि का न लेना), एवं वेतन आदि का उल्लेख; महारानी तथा राजपुत्रों द्वारा रत्न एवं भूमि आदि की प्राप्ति का विवरण; राजा, महारानी तथा राजपुत्रों को नियमित रूप से दिये जानेवाले धन के अतिरिक्त दिया हुआ धन; उत्सवों तथा स्वास्थ्य संबंधी सुधारों से प्राप्त धन का उल्लेख; और मित्र राजाओं तथा शत्रु राजाओं के साथ संधि-विग्रह आदि के निमित्त प्राप्त हुए अथवा खर्च हुए धन का विवरण आदि सभी ऐसे विषय हैं जिनका उल्लेख निबन्धपुस्तक (एकाउण्ट बुक्स) में किया जाना चाहिये ।

१. इसके बाद सभी उत्पत्ति-केन्द्रों एवं विभागों के लिए किए जानेवाले, किए गए तथा बचे हुए आय, व्यय, नीवी, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, प्रचार, चरित्र और संस्थान आदि सब बातों को रजिस्टर में दर्ज करके राजा को दे देना चाहिए । उत्तम, मध्यम और निकृष्ट जैसे भी कार्य हों उनके अनुसार ही उनके अध्यक्ष नियुक्त किये जाने चाहियें । एक ही कार्य को करनेवाले अनेक व्यक्तियों में उसी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिये जो निपुण, गुणी, यशस्वी हो और जिसे दंड देने के पश्चात् राजा को पश्चात्ताप न करना पड़े ।
२. यदि कोई अध्यक्ष राजकीय धन का गवन करके उसको अदा करने में असमर्थ हो तो वह धन क्रमशः उसके हिस्सेदार, उसके जामिन, उसके अधोनस्थ कर्मचारी, उसके पुत्र एवं भाई, उसकी स्त्री एवं लडकी अथवा उसके नौकर अदा करे ।

१. त्रिशतं चतुःपञ्चाशच्चाहोरात्राणां कर्मसंवत्सरः । तमापाढीपर्य-
वसानमूनं पूर्णं वा दद्यात् । करणाधिष्ठितमधिमासकं कुर्यात् ।
अपसर्पाधिष्ठितं च प्रचारम् । प्रचारचरित्रसंस्थानान्यनुपलभ-
मानो हि प्रकृतः समुदयमज्ञानेन परिहापयति । उत्थानक्लेश-
सहत्वादालस्येन, शब्दादिष्विन्द्रियार्थेषु प्रमादेन, संक्रोशा-
धर्मानर्थभोरुर्भयेन, कार्यार्थिष्वनुग्रहवृद्धिः कामेन, हिंसावृद्धिः
क्रोधेन, विद्याद्रव्यवह्यभापाश्रयाद् दर्पेण, तुलामानतर्कगणि-
कान्तरोपधानात् लोभेन ।

२. तेषामानुपूर्व्यां यावानथांपघातः तावानेकोत्तरो दण्ड इति

१. तीन-सौ-चौवन दिन-रान का एक कर्मसंवत्सर होता है । उसकी समाप्ति
आपाढी पूर्णिमा को समझनी चाहिये । इसी वर्ष-गणना के हिसाब से प्रत्येक
अध्यक्ष का वेतन दिया जाना चाहिये । यदि अध्यक्ष की नियुक्ति वर्ष के मध्य
में हुई है तो उसको कम वेतन और यदि उसने पूरे वर्ष कार्य किया है तो उसे
पूरा वेतन दिया जाना चाहिये । प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का व्यौरा उपस्थिति-
रजिस्टर से देखना चाहिये । अध्यक्ष को चाहिये कि वह जनपद के समस्त
कार्यालयों की कार्य-व्यवस्था का ज्ञान गुप्तचरों से प्राप्त करे । यदि वह ऐसा
नहीं करता तो अपनी अज्ञानता के कारण वह धनोत्पादन में हानिकर सिद्ध
होता है । (१) अज्ञान (२) आलस्य (३) प्रमाद (४) काम
(५) क्रोध (६) दर्प (७) लोभ, ये धनोत्पादन में विघ्न डालनेवाले
दोष हैं । अधिक परिश्रम से कतराने के कारण आलस्य के द्वारा; गाना-ब्रजाना
तथा स्त्रियों में आसक्त रहने के कारण प्रमाद के द्वारा; निन्दा, अधर्म तथा
अनर्थ के कारण भय द्वारा; किसी कार्यार्थी पर अनुग्रह करने के कारण काम
द्वारा, किसी क्रूरता के कारण क्रोध द्वारा; विद्या, धन एवं राजप्रिय होने के
कारण दर्प द्वारा, और नाप-तौल तर्कना तथा हिंसा से गड़बड़ कर देने के
कारण लोभ के द्वारा; कर्मचारी लोग आमदनी में बाधा डाल देते हैं ।

२. आचार्य मनु के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि 'जो कर्मचारी ऊपर
निर्दिष्ट दोषों के वशीभूत होकर जितना अपराध करे उसको उसी क्रम से
दंड दिया जाना चाहिये' अर्थात् यदि वह अज्ञान के कारण अपराध करता

मानवाः । सर्वत्राष्टगुण इति पाराशराः । दशगुण इति बार्हस्पत्याः । विंशतिगुण इत्यौशनसाः । यथापराधमिति कौटिल्यः ।

१. गाणनिक्रयान्याषाढीमागच्छेद्युः । आगतानां समुद्रपुस्तभाण्डनीवीकानामेकत्रासम्भाषावरोधं कारयेत् । आयव्ययनीवीनामग्राणि श्रुत्वा नीवीमवहारयेत् । यच्चाग्रादायस्यान्तरवर्णे नीव्या वर्धेत, व्ययस्य वा यत् परिहापयेत्, तदष्टगुणमध्यक्षं दापयेत् । विपर्यये तमेव प्रति स्यात् ।

हैं तो उसे उतना ही दंड दिया जाना चाहिये जितने का कि उसने नुकसान किया है; यदि वह आलस्य के कारण नुकसान करता है तो दुगुना, प्रमाद के कारण नुकसान करता है तो तिगुना दंड दिया जाना चाहिये । आचार्य पाराशर के मतानुयायियों का कहना है 'कि अपराध करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को अठगुना दंड देना चाहिये; क्योंकि सभी अपराध एक समान हैं ।' आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वानों का मत है कि 'सभी अपराधियों को दसगुना दंड दिया जाना चाहिये ।' शुकाचार्य के अनुयायी कहते हैं कि 'सबको बीसगुना दंड मिलना चाहिये ।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'जो जितना अपराध करे तदनुसार ही उसे दंड दिया जाना चाहिये ।'

३. सभी कार्यालयों के अध्यक्ष (त्रिभिन्न जिलों के एकाउण्टेण्टस) आपाद के महीने में वर्ष की समाप्ति पर प्रधान कार्यालय में आकर हिसाब का मिलान करें । उन आये हुए लोगों को तब तक एक-दूसरे से बातचीत न करने दी जाय तथा मिलने न दिया जाय, जब तक कि उनके पास राजकीय मोहर लगे रजिस्टर तथा व्ययसे बचा हुआ धन मौजूद हैं । सर्व प्रथम आय-व्यय को सुनकर उसके पास जो बचत शेष हो उसे ले लिया जाय । अध्यक्ष की बताई हुई आय-राशि से यदि रजिस्टर का हिसाब अधिक निकले और उसी प्रकार बताए हुये व्यय की अपेक्षा रजिस्टर में उससे कम निकले तो अध्यक्ष पर, उसके द्वारा बनाई गई कम-अधिक रकम का आठगुना जुर्माना किया जाय । यदि आमदनी से अधिक अथवा व्यय से कम रकम रजिस्टर में चढ़ी हो तो ऐसी दशा में अध्यक्ष को दण्ड न दिया जाय, वरन् आय-व्यय की जो कमी-बेसी हुई है वह उसी को दे दी जाय ।

१. यथाकालमनागतानामपुस्तनीवीकानां वा देयदशवन्धो दण्डः ।
कार्मिके चोपस्थिते कारणिकस्याप्रतिबध्नतः पूर्वः साहसदण्डः ।
विपर्यये कार्मिकस्य द्विगुणः ।
२. प्रचारसमं महामात्राः समग्राः श्रावयेयुरविषममात्राः । पृथग्भूतो
मिथ्यावादी चैषामुत्तमदण्डं दद्यात् ।
३. अकृताहोरूपहरं मासमाकाङ्क्षेत । मासादूर्ध्वं मासद्विशतोत्तरं
दण्डं दद्यात् । अल्पशेषनीविकं पञ्चरात्रमाकाङ्क्षेत ततः परम् ।
४. कोशपूर्वमहोरूपहरं धर्मव्यवहारचरित्रसंस्थानसङ्कलननिर्वर्तना-
नुमानचारप्रयोगैरवेक्षेत ।

१. जो अध्यक्ष निश्चित समय में अपने रजिस्टर तथा शेष धन आदि को लेकर प्रधान कार्यालय में उपस्थित नहीं होता उसके हिसाब में जितना बाकी निकले उसका दसगुना जुर्माना उस पर किया जाना चाहिए । यदि प्रधान अध्यक्ष (एकाउंट्स सुपरिन्टेन्डेंट) निर्धारित समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुँच जाय और वहाँ के विभागीय अध्यक्ष कार्यालय का हिसाब-किताब दिखाने में असमर्थ हों तो उन्हें प्रथम साहस-दण्ड दिया जाना चाहिए । इसके विपरीत यदि प्रधान अध्यक्ष निर्धारित समय पर न पहुँच पावे तो उसे दुगुना प्रथम साहस-दण्ड देना चाहिए ।
२. राजा के महामात्र आदि प्रधान कर्मचारी आय-व्यय तथा नीवीसम्बन्धी सारी राजकीय व्यवस्थाएँ प्रजाजनों को समझाये-बुझाये । यदि उनमें से कोई झूठा प्रचार करे तो उसे उत्तम साहस-दण्ड दिया जाना चाहिये ।
३. द्रव्य की वसूली करनेवाला राजकर्मचारी यदि निर्धारित समय पर द्रव्य-वसूली न कर सके तो उसे एक मास का और समय दिया जाय । यदि फिर भी वह द्रव्य संग्रह करके राजकोष में न पहुँचा सके तो उस पर प्रति मास के हिसाब से दो-सौ रुपया जुर्माना कर देना चाहिए । जिस अध्यक्ष के पास थोडा राजदेय धन बाकी हो, निर्धारित समय से केवल पाँच दिन तक उसकी प्रतीक्षा की जाय । तदनंतर उसे भी दण्डनीय समझा जाय ।
४. कोषग्रन और कोषरजिस्टर लानेवाले अध्यक्ष की परीक्षा पहिले धर्म के द्वारा ली जाय; अर्थात् उसे देखा जाय कि वह धर्मात्मा है या दम्भी; फिर

१. दिवसपञ्चरात्रपक्षमासचातुर्मास्यसंवत्सरैश्च प्रतिसमानयेत् ।
व्युष्टदेशकालमुखोत्पत्त्यनुवृत्तिप्रमाणदायकदापकनिबन्धकप्रतिग्राहकैश्चायं समानयेत् । व्युष्टदेशकालमुखलाभकारणदेययोगपरिमाणज्ञापकोद्धारकनिधातृकप्रतिग्राहकैश्च व्ययं समानयेत् । व्युष्टदेशकालमुखानुवर्तनरूपलक्षणपरिमाणनिक्षेपभाजनगोपायकैश्च नीवीं समानयेत् ।

उसके व्यवहार को देखा जाय; तदनन्तर उसके आचार-विचार, उसकी पूर्वस्थिति, उसके कार्य एवं हिसाब-किताब; और अन्त में उसके कार्यों का पारस्परिक मिलान करके उसकी परीक्षा ली जाय; गुप्तचरों द्वारा भी उसके भेद जाने जाय ।

१. अध्यक्ष को चाहिए कि वह प्रतिदिन, प्रति पाँच दिन, प्रतिपक्ष, प्रतिमास, प्रति चार मास और प्रतिवर्ष के क्रम से राजकीय आय-व्यय एवं नीवी का लेखा-जोखा साफ-सुथरे ढंग में रखे। अर्थात् वर्षारंभ से, पहिले एक दिन का हिसाब, फिर एक साथ पाँच दिन का हिसाब, फिर एक साथ पन्द्रह दिन का हिसाब, फिर एक साथ एक मास का हिसाब, और अंत में एक साथ पूरे एक वर्ष का हिसाब करके रखे । आय का लेखा निर्दोष और साफ रहे, एतदर्थ रजिस्टर में राजवर्ष (मास, पक्ष, दिन), देश, काल, मुख (आयमुख, आयशरीर), उत्पत्ति (आयवृद्धि), अनुवृत्ति (स्थानांतर) प्रमाण, कर देनेवाले का नाम, दिलानेवाले अधिकारी का नाम, लेखक का नाम और लेनेवाले का नाम, इस प्रकार के स्तंभ (खाने) बने होने चाहिए । व्यय का लेखा तैयार करने के लिए रजिस्टर में इस प्रकार के खाने होने चाहिये : व्युष्ट, देश, काल, मुख, लाभ (पक्ष, मास, वर्ष के क्रम से) व्यय का कारण, देय वस्तु का नाम, मिलावटी द्रव्य में अच्छाई-बुराई का उल्लेख, तौल, किसकी आज्ञा से व्यय किया गया, किसको दिया गया, भाण्डागारिक और लेनेवाले का पूरा विवरण । इसी प्रकार नीवी (शेष धन) का लेखा : व्युष्ट, देश, काल, मुख, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य की विशेषता, तौल, जित पात्र में द्रव्य रखा जाय और द्रव्य का संरक्षक, आदि विवरणों के आधार पर तैयार करना चाहिए ।

१. राजार्थं कारणिकस्याप्रतिबन्धनतः प्रतिपेधयतो वाज्ञां निवन्धा-
दायव्ययमन्यथा वापि कल्पयतः पूर्वः साहसदण्डः ।
२. क्रमावहीनमुत्क्रममविज्ञातं पुनरुक्तं वा वस्तुकमवल्लिखतो द्वाद-
शपणो दण्डः ।
३. नीवीमवल्लिखतो द्विगुणः, भक्षयतोऽष्टगुणः, नाशयतः पञ्च-
बन्धः प्रतिदानं च । मिथ्यावादे स्तेयदण्डः । पश्चात् प्रति-
ज्ञाते द्विगुणः प्रस्मृतोत्पन्ने च ।

४. अपराधं सहेतालपं तुष्येदल्पेऽपि चोदये ।
महोपकारं चाध्यक्षं प्रग्रहेणाभिपूजयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे अक्षपटले गाणनिक्याधिकारे

सप्तमोऽध्यायः; आदितः सप्तविंशः ॥

—००२०००—

१. यदि कारणिक (क्लर्क) अर्थलाभ को रजिस्टर में दर्ज नहीं करता है, राजकीय आज्ञा का उल्लंघन करता है, अथवा आय-व्यय के संबंध में विपरीत कल्पनायें भी करता है तो उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।
२. क्रम के विरुद्ध, उलट-पलट कर विपरीत लिख देना, किसी वस्तु को बिना समझे-बूझे ही लिख देना और एक वस्तु का दुबारा चढ़ा देना, ऐसी गड़बड़ी करनेवाले कर्मचारी को बारह पण का दण्ड दिया जाय ।
३. यदि नीवी (बचत धन) के संबंध में लेखक की ऐसी गड़बड़ी पाई जाय तो चौबीस पण दण्ड, उसका गबन करे तो छियानवे पण दण्ड और उसका अपव्यय करे तो साठ पण दण्ड दिया जाना चाहिए । झूठ बोलनेवाले को चोर जितना दण्ड देना चाहिए । हिसाब-किताब के संबंध में पीछे से किसी बात को स्वीकार करने पर चोरी से दुगुना दण्ड और पूछे जाने पर किसी बात का उत्तर न देकर वाद में उसका उत्तर देने पर भी यही दण्ड देना चाहिए ।
४. राजा को चाहिए कि वह अपने अध्यक्ष के थोड़े अपराध को क्षमा कर दे, और यदि वह पूर्वापेक्षया आमदनी में थोड़ी भी वृद्धि कर लेता है, तो उसके प्रति प्रसन्नता एवं संतोष प्रकट करे । महान् उपकार करनेवाले अध्यक्ष का कृतज्ञ होकर राजा को सदैव उसका संमान करना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त ।

—००२०००—

घट्टरणा २४

अध्याय ८

समुदयस्य युक्तापहतस्य प्रत्यानयनम्

१. कोषपूर्वाः सर्वारम्भाः । तस्मात् पूर्व कोषमवेक्षेत ।
२. प्रचारसमृद्धिश्चरित्रानुग्रहश्चोरग्रहो युक्तप्रतिषेधः सस्यसम्पत् पण्यबाहुल्यमुपसर्गप्रमोक्षः परिहारक्षयो हिरण्योपायनमिति कोषवृद्धिः ।
३. प्रतिबन्धः प्रयोगो व्यवहारोऽवस्तारः परिहापणमुपभोगः परिवर्तनमपहारश्चेति कोषक्षयः ।

अध्यक्षों द्वारा गबन किए गए धन की पुनः प्राप्ति

१. सारे कार्य कोष पर निर्भर हैं । इसलिये राजा को चाहिए कि सबसे पहिले वह कोष पर ध्यान दे ।
२. राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाना; राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना; चोरों पर निगरानी रखना; राजकीय अधिकारियों को रिश्वत लेने से रोकना; सभी प्रकार के अन्नोत्पादन को प्रोत्साहित करना; जल-स्थल में उत्पन्न होनेवाली प्रत्येक व्यापारयोग्य वस्तुओं को बढ़ाना; अग्नि आदि के भय से राज्य की रक्षा करना; ठीक समय पर यथोचित कर वसूल करना और हिरण्य आदि की भेट लेना; ये सब कोषवृद्धि के उपाय हैं ।
३. कोषक्षय के आठ कारण हैं: (१) प्रतिबंध, (२) प्रयोग, (३) व्यवहार, (४) अवस्तार, (५) परिहायण, (६) उपभोग, (७) परिवर्तन और (८) अपहार ।

१. सिद्धीनामसाधनमनवतारणमप्रवेशनं वा प्रतिबन्धः । तत्र दश-
बन्धो दण्डः ।
२. कोषद्रव्याणां वृद्धिप्रयोगः प्रयोगः ।
३. पण्यव्यवहारो व्यवहारः । तत्र फलद्विगुणो दण्डः ।
४. सिद्धं कालमप्राप्तं करोत्यप्राप्तं प्राप्तं वेत्यवस्तारः । तत्र पञ्च-
बन्धो दण्डः ।
५. क्लृप्तमायं परिहापयति व्ययं वा विवर्धयतीति परिहापणम् ।
तत्र हीनचतुर्गुणो दण्डः ।
६. स्वयमन्यैर्वा राजद्रव्याणामुपभोजनमुपभोगः । तत्र रत्नोपभोगे

-
१. राजकर को वसूल करना; वसूल करके उसे अपने अधिकार में न रखना; और अधिकार में करके भी उसे खजाने में जमा न करना; यह तीन प्रकार का प्रतिबंध है। जो अध्यक्ष इन माध्यमों से कोष का क्षय करे, उस पर क्षत राशि से दशगुना जुर्माना करना चाहिए।
 २. कोषधन का स्वयं ही लेन-देन करके वृद्धि का यत्न करना प्रयोग कहलाता है। ऐसे अधिकारी पर दुगुना जुर्माना करना चाहिए।
 ३. कोष के द्रव्य से स्वयं ही व्यापार करना व्यवहार कहलाता है। ऐसा करने पर भी दुगुना दण्ड देना चाहिए।
 ४. राजकर वसूल करनेवाला अधिकारी, नियत समय से कर-वसूली न करके रिश्वत लेने की इच्छा से, मियाद बीत जाने का भय देकर प्रजा को तंग करके जो धन एकत्र करता है उसे अवस्तार कहते हैं। ऐसा करने पर उसे नुकसान की राशि से पाँचगुना दण्ड देना चाहिए।
 ५. जो अध्यक्ष अपने कुप्रबंध के कारण कर की आय को कम कर देता और व्यय की राशि को बढ़ा देता है, उस क्षय को परिहापण कहते हैं। ऐसा करने पर अध्यक्ष को क्षय से चौगुना दण्ड दिया जाय।
 ६. राजकोष के द्रव्य को स्वयं भोग करना तथा दूसरों को भोग कराना 'उपभोग' क्षय है। इसके अपराध में अध्यक्ष को, यदि वह रत्नों का उपभोग

घातः, सारोपभोगे मध्यमः साहसदण्डः, फल्गुकुप्योपभोगे तच्च तावच्च दण्डः ।

१. राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादानं परिवर्तनं, तद् उपभोगेन व्याख्यातम् ।
२. सिद्धमायं न प्रवेशयति निबद्धं व्ययं न प्रयच्छति, प्राप्तां नीवीं विप्रतिजानीत इत्यपहारः । तत्र द्वादशगुणो दण्डः ।
३. तेषां हरणोपायाश्चत्वारिंशत्—पूर्वं सिद्धं पश्चादवतारितम्, पश्चात् सिद्धं पूर्वमवतारितम्, साध्यं न सिद्धम्, असाध्यं मिद्धम्, सिद्धमसिद्धं कृतम्, असिद्धं सिद्धं कृतम्, अल्पसिद्धं बहुकृतम्, बहुसिद्धमल्पं कृतम्, अन्यत् सिद्धमन्यत् कृतम्, अन्यतः सिद्धमन्यतः कृतम्, देयं न दत्तम्, अदेयं दत्तम्, काले

करता है तो प्राणदण्ड, सारद्रव्यों का उपभोग करता है तो मध्यम साहस दण्ड, और फल्गु एवं कुप्प आदि पदार्थों का उपभोग करता है तो, उससे द्रव्य वापिस लेकर उसकी लागत का दण्ड दिया जाना चाहिए ।

१. राजकोष के द्रव्यों को दूसरे द्रव्यों से बदल लेना परिवर्तन कहलाता है । इस कार्य को करनेवाले अध्यक्ष के लिए भी उपभोग-क्षय के समान ही दण्ड दिया जाय ।
२. प्राप्त आय को रजिस्टर में न चढ़ाना; नियमित व्यय को रजिस्टर में चढ़ाकर भी खर्च न करना; और प्राप्त नीवी के संबंध में सुकर जाना; यह तीन प्रकार का अपहार है । अपहार के द्वारा कोषक्षय करनेवाले अध्यक्ष को हानि से वारहगुना दण्डित करना चाहिए ।
३. अध्यक्ष, चालीस प्रकार के उपायों से राजद्रव्य का अपहरण कर सकते हैं । पहिली फसल में प्राप्त हुए द्रव्य को दूसरी फसल आने पर रजिस्टर में चढ़ाना; दूसरी सफल की आमदनी का कुछ हिस्सा पहिली फसल के रजिस्टर में चढ़ा देना; राजकर को रिश्वत लेकर छोड़ देना, राजकर से मुक्त देवालय, ग्राहण आदि से कर वसूल करना; कर देने पर भी उसको रजिस्टर में न

न दत्तम्, अकाले दत्तम्, अल्पं दत्तं बहु कृतम्, बहु दत्त-
मल्पं कृतम्, अन्यद् दत्तमन्यत् कृतम्, अन्यतो दत्तमन्यतः
कृतम्, प्रविष्टमप्रविष्टं कृतम्, अप्रविष्टं प्रविष्टं कृतम्, कुप्य-
मदत्तमूल्यं प्रविष्टम्, दत्तमूल्यं न प्रविष्टम्, संक्षेपो विक्षेपः
कृतः, विक्षेपः संक्षेपो वा, महार्घमल्पार्घेण परिवर्तितम्,
अल्पार्घं महार्घेण वा, समारोपितोऽर्घः, प्रत्यवरोपितो
वा, रात्रयः समारोपिताः, प्रत्यवरोपिता वा, संवत्सरो
मासविषमः कृतः, मासो दिवसविषमो वा, समागम-

चदाना; कर न देने पर भी उसको रजिस्टर में भर देना; कम प्राप्त हुए धन को रिश्वत लेकर पूरा दर्ज कर देना; पूरे प्राप्त हुए धन को अधूरा कह कर लिख देना; जो द्रव्य प्राप्त हुआ है, उसकी जगह दूसरा ही द्रव्य भर देना; एक पुरुष से प्राप्त हुए धन को रिश्वत लेकर, दूसरे के नाम दर्ज कर देना; देने योग्य वस्तु को न देना; जो वस्तु देने योग्य नहीं है, उसको दे देना; समय पर किसी वस्तु को न देना; रिश्वत लेकर असमय में ही उस वस्तु को दे देना; थोड़ा देकर भी बहुत लिख देना, बहुत देकर भी थोड़ा लिख देना; अभीष्ट वस्तु की जगह दूसरी ही वस्तु दे देना; जिस व्यक्ति को देने के लिए कहा गया है. उससे बदले में किसी दूसरे को ही दे देना; राजधन को वसूल करके उसे खजाने में जमा न करना; राजकर को वसूल न करके, रिश्वत लेकर, उसे जमा-रजिस्टर में चदा देना; राजाज्ञा से वस्त्रादि क्रय करके तत्काल ही उनका मूल्य चुकता न करके एकांत में कुछ कम रकम देना; अधिक मूल्य में क्रीत वस्तुओं की रकम कम करके रजिस्टर में लिखना; सामूहिक करवसूली को अलग-अलग व्यक्ति से लेना; अलग-अलग व्यक्ति से लिए जानेवाले कर को सामूहिक रूप में वसूल करना; बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य की वस्तु से बदल देना; अल्पमूल्य की वस्तु को बहुमूल्य वस्तु से बदलना; रिश्वत लेकर बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ा देना; वस्तुओं का भाव घटा देना; दो दिन का वेतन दिया हो तो चार दिन बढ़ाकर लिख देना; चार दिन का वेतन दिया हो तो दो दिन घटाकर लिख देना; मलिमासरहित संवत्सर को मलिमासयुक्त बता देना; महीने के दिन

विषमः, मुखविषमः, धार्मिकविषमः, निर्वर्तनविषमः, पिण्ड-
विषमः, वर्णविषमः, अर्घविषमः, मानविषमः, मापनविषमः,
भाजनविषम इति हरणोपायाः ।

१. तत्रोपयुक्तनिधायकनिधन्धकप्रतिग्राहकदायकदापकमन्त्रिवैयावृ-
त्त्यकरणेकैकशोऽनुयुञ्जीत । मिथ्यावादे चैषां युक्तसमो दण्डः ।
२. प्रचारे चावघोषयेत्—अमुना प्रकृतेनोपहताः प्रज्ञापयन्त्विति ।
प्रज्ञापयतो यथोपघातं दापयेत् । अनेकेषु चाभियोगेष्वपव्यय-

घटा-बढ़ाकर लिख देना; नौकरों की संख्या बढ़ाकर लिख देना; एक जरिये से हुई आमदनी को दूसरे जरिये से दर्ज कर देना; ब्राह्मणादि को स्वाकृत धन में से कुछ स्वयं ले लेना; कुटिल उपाय से अतिरिक्त धन वसूल करना; सामूहिक वसूली में से न्यूनाधिक्य रूप में धन लेना; वर्णविषमयता दिखाकर धन का अपहरण कर लेना; जहाँ मूल्य निर्धारित न हों, वहाँ दाम बढ़ाकर लाभ उठाना; तोल में कमी-बेशी करके उपार्जन करना; नाप में विषमता पैदा करके धन कमाना; और घृत से भरे हुए सौ बड़े घड़ों की जगह सौ छोटे घड़े दे देना; राजकीय धन को अपहरण करने के ये चालीस तरीके हैं ।

१. यदि किसी अध्यक्ष के संबंध में राजा को यह सन्देह हो जाय कि उसने अनुचित उपायों से राजकीय धन का अपहरण किया है तो राजा को चाहिए कि उस विभाग के प्रधान निरीक्षक, कोषाध्यक्ष, लेखक (क्लर्क), कर लेनेवाले और कर दिलानेवाले सलाहकारों को अलग-अलग बुलाकर यह पूछे कि उनके अध्यक्ष ने गवन किया है या नहीं । यदि उनमें से कोई झूठ बोले तो उसे गवन करनेवाले अपराधी के समान ही दण्ड दिया जाय ।
२. अपने सारे राज्य में राजा यह घोषणा करा दे कि अपराधी अध्यक्ष ने जिस जिसका गवन किया है, उसकी सूचना राजदरवार को भेज दी जाय । इस प्रकार सूचना मिलने पर राजा, प्रजा की उस हानि को पूरा करे । यदि अध्यक्ष के विरुद्ध एक साथ ही अनेक शिकायतें हों और उनमें से वह किसी को भी स्वीकार न करे तो उसका एक ही अपराध साबित हा जाने पर, सभी शिकायतों का अभियोग उस पर लगाया जाय । यदि अभियुक्त कुछ अपराधों

मानः सकृदेव परोक्तः सर्वं भजेत । वैषम्ये सर्वत्रानुयोगं
दद्यात् । महत्यर्थापहारे चालपेनापि सिद्धः सर्वं भजेत ।

१. कृतप्रतिघातावस्थः सूचको निष्पन्नार्थः षष्ठमंशं लभेत, द्वादश-
मंशं भृतकः । प्रभूताभियोगादल्पनिष्पत्तौ निष्पन्नस्यांशं लभेत ।
अनिष्पन्ने शारीरं हैरण्यं वा दण्डं लभेत, न चानुग्राह्यः ।

२. निष्पत्तौ निक्षिपेद्वादमात्मानं वापवाहयेत् ।
अभियुक्तोपजापात्तु सूचको वधमाप्नुयात् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे समुदयस्य युक्तापहतस्य प्रत्यानयन-
मष्टमोऽध्यायः; आदितः अष्टाविंशः ॥




को स्वीकार करता है और कुछ से मुकर जाता है, तो उससे पूरे सबूत माँगे जाँय । गबन किए गए बहुत से धन के संबंध में पूरे सबूत नहीं मिलते, कुछ ही धन के संबंध में सबूत मिल पाते हों, तो उस पर पूरे गबन का अभियोग लगाना चाहिए ।

१. यदि कोई निष्पत्त, राजहितेच्छु व्यक्ति किसी अध्यक्ष के गबन की सूचना देता है, तो अपराध सिद्ध हो जाने पर, उस अपहत धन का छठा भाग सूचना देनेवाले को दिया जाना चाहिए । यदि सूचना देनेवाला व्यक्ति राजकर्मचारी हो तो उसे बारहवाँ भाग दिया जाना चाहिए । यदि अभियोग बहुत से धन का सिद्ध हो चुका है; किन्तु मिला कुछ ही धन है तो सूचना देनेवाले व्यक्ति को उस प्राप्त धन में से ही हिस्सा देना चाहिए । यदि अपराध सिद्ध न हो सके तो सूचना देनेवाले व्यक्ति को उचित शारीरिक या आर्थिक दण्ड दिया जाना चाहिए । किसी भी अपराधी को क्षमा न किया जाय ।

२. अभियोग साबित हो जाने पर सूचना देनेवाला व्यक्ति अदालत से अपने को बरी करा सकता है; किन्तु रिश्वत लेकर यदि वह अपराधी के पक्ष में हो जाता है, और सच्चा वयान नहीं देता है तो उसे प्राणदण्ड दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त ।



प्रकरण २५

अध्याय ९

उपयुक्तपरीक्षा

१. अमात्यसम्पदोपेताः सर्वाध्यक्षाः शक्तितः कर्मसु नियोज्याः ।
कर्मसु चैषां नित्यं परीक्षां कारयेत्, चित्तानित्यत्वान्मनुष्या-
णाम् । अश्वसधर्माणो हि मनुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते ।
२. तस्मात् कर्तारं कारणं देशं कालं कार्यं प्रक्षेपमुदयं चैषु विद्यात् ।
ते यथासन्देशमसंहता अविगृहीताः कर्माणि कुर्युः । संहता

राजकीय उच्चाधिकारियों के चाल-चलन की परीक्षा

१. राजकीय उच्चपदस्थ कर्मचारियों को अमात्य के गुणों से युक्त होना चाहिए; योग्यता एवं कार्यक्षमता के आधार पर ही उन्हें भिन्न-भिन्न पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए । उपयुक्त पदों पर नियुक्त किए जाने के अनंतर समय-समय पर राजा उनके चाल-चलन की निगरानी कराता रहे; क्योंकि मनुष्यों की चित्त-वृत्तियाँ सदा एक जैसी नहीं रहती हैं । देखा यह जाता है कि कभी-कभी मनुष्य भी घोड़ों की आदत जैसा आचरण करने लगते हैं । अर्थात् घोड़ा जैसे अपने स्थान पर बँधा हुआ शान्त दिखाई देता है; किन्तु रथ आदि में जोड़ते ही वह बिगड़ पड़ता है, वैसे ही स्वभाव से शांत दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कार्य पर नियुक्त हो जाने के बाद उद्विग्न हो जाता है ।
२. इसलिए राजा को चाहिए कि अध्यक्षा के संबंध में वह कारण (अधीनस्थ कर्मचारी), देश, काल, कार्य, वेतन और लाभ, इन बातों की जानकारी रखे ! उच्चपदस्थ कर्मचारियों को भी चाहिए कि वे राजा के आदेशानुसार एक-दूसरे से द्वेष न करते हुए जुदा-जुदा रह कर ही अपने कार्यों में तत्पर रहें । यदि वे आपस में मिल जायेंगे तो राजधन का अपहरण करेंगे और परस्पर द्वेष करेंगे तो राजकार्यों को नष्ट कर देंगे । कर्मचारियों को चाहिए कि राजा

भक्षयेयुः । विगृहीता विनाशयेयुः । न चानिवेद्य भर्तुः किञ्चिदा-
रम्भं कुर्युरन्यत्रापत्प्रतीकारेभ्यः । प्रमादस्थानेषु चैषामत्ययं
स्थापयेद् दिवसवेतनव्ययद्विगुणम् ।

१. यश्चैषां यथादिष्टमर्थं सविशेषं वा करोति स स्थानमानौ लभेत ।
२. अल्पायतिश्चेन्महाव्ययो भक्षयति । विपर्यये यथायतिव्ययश्च
न भक्षयति इत्याचार्याः । अपमर्षेणैवोपलभ्यते इति कौटिल्यः ।
३. यः समुदयं परिहापयति स राजार्थं भक्षयति । स चेदज्ञाना-
दिभिः परिहापयति तदेनं यथागुणं दापयेत् ।

की आज्ञा प्राप्त किए बिना वे किसी भी नये कार्य का आरंभ न करें; किन्तु आपत्तियों का प्रतीकार करने के लिए किए जाने योग्य कार्यों को वे राजा की अनुमति प्राप्त किए बिना भी आरंभ कर सकते हैं । यदि उच्चपदस्थ कर्मचारी अपने कार्यों में प्रमाद करें तो उन पर उनके वेतन का दुगुना दण्ड किया जाय ।

१. जो पदाधिकारी आदिष्ट कार्य को पूरा करके, स्वेच्छया किसी दूसरे हितकर कार्य को भी करता है, उसे तरक्की और संमान दिया जाना चाहिए ।
२. कुछ पुरातन आचार्यों का कहना है कि 'यदि किसी अध्यक्ष की आमदनी थोड़ी और खर्च अधिक दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि वह राज्य के धन का अपहरण करता है । यदि जितनी आमदनी है, उतना ही व्यय दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वह न तो राजधन का गवन करता है और न रिश्वत लेता है ।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'धन का अपहरण करनेवाला भी थोड़ा खर्च कर सकता है । अतः गुप्तचरों द्वारा ही इस कार्य का ठीक पता लग सकता है ।'
३. जो अधिकारी नियमित आय में कमी दिखाता है, वह निश्चय ही राजधन का अपहरण करता है । यदि उसकी अज्ञानता, प्रमाद एवं आलस्य के कारण हुई है तो उसे अपराध के अनुसार दुगुना, तिगुना दण्ड दिया जाना चाहिए ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २५, अध्याय ६

१. यः समुदयं द्विगुणमुद्धावयति स जनपदं भक्षयति । स चेद् राजार्थमुपनयत्यल्पापराधं वारयितव्य । महति यथापराधं दण्डयितव्यः ।
२. यः समुदयं व्ययमुपनयति स पुरुषकर्माणि भक्षयति । स कर्म-दिवसद्रव्यमूलपुरुषवेतनापहारेषु यथापराधं दण्डयितव्यः ।
३. तस्मादस्य यो यस्मिन्नधिकरणे शासनस्थः स तस्य कर्मणो याथातथ्यमायव्ययौ च व्याससमासाभ्यामाचक्षीत ।
४. मूलहरतादात्त्विककदर्याश्च प्रतिषेधयेत् । यः पितृपैतामहमर्थम-न्यायेन भक्षयति स मूलहरः । यो यद्यदुत्पद्यते तत्तद् भक्षयति

१. जो अधिकारी नियमित आय से दुगुनी आय दिखाता है, वह निश्चय ही प्रजा को पीड़ित कर इतना धन वसूल करता है । यदि वह उस दुगुनी आमदनी को राजकोष के लिए भेज देना है तो उसे इतना ही दण्ड देना चाहिए, जिससे कि आगे वह ऐसा अनुचित कार्य न कर सके । यदि वह उस अधिक धन को राजकोष के लिए न भेज कर स्वयं ही खा लेता है तो उसे अपराध के अनुसार कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए ।
२. जो अधिकारी व्ययनिमित्त निर्धारित राशि को खर्च न करके वचा लेता है वह मजदूरों का पेट काटता है । उस अपराधी अधिकारी को, कार्यहानि के मूल्य का तथा मजदूरी के अपहरण का, यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए ।
३. इसलिए प्रत्येक राजकीय अधिकारी का कर्तव्य है कि अपने कार्य की यथार्थता और तत्संबंधी आय-व्यय का विवरण वह संक्षेप में तथा विस्तार से राजा के संमुख प्रस्तुत करे ।
४. उसका यह भी कर्तव्य है कि वह मूलहर, तादात्त्विक, तथा कदर्य पुरुषों पर भी अंकुश रखे । अपनी वंशानुगत संपत्ति का उपभोग जो अन्याय से करता है वह मूलहर है । जो पुरुष जितना उत्पन्न करता है उतना ही व्यय भी कर लेता है, वह तादात्त्विक कहलाता है । जो अपने को और अपने नौकरों को कष्ट देकर धनोपार्जन करता है वह कदर्य कहा जाता है । यदि निषेध करने पर भी ये मूलहर आदि अपने कार्यों को न छोड़े तो (यदि उनके वंधु-

स तादात्विकः । यो भृत्यात्मपीडाभ्यामुपचिनोत्यर्थं स कदर्यः ।
सः पक्षवांश्चेदनादेयः । विपर्यये पर्यादातव्यः ।

१. यो महत्यर्थसमुदये स्थितः कदर्यः सन्निधत्ते, अवनिधत्ते, अवस्त्रावयति वा—सन्निधत्ते स्ववेश्मनि, अवनिधत्ते पौरजान-पदेषु अवस्त्रावयति परविषये—तस्य सत्री मन्त्रिमित्रभृत्य-बन्धुपक्षमागतिं गतिं च द्रव्याणामुपलभेत ।
२. यश्चास्य परविषये सञ्चारं कुर्यात्तमनुप्रविश्य मन्त्रं विद्यात् । सुविदिते शत्रुशासनापदेशेनैनं घातयेत् ।
३. तस्मादस्याध्यक्षाः संख्यायकलेखकरूपदर्शकनीवीग्राहकोत्तरा-ध्यक्षसखाः कर्माणि कुर्युः ।

वांधव न हों) उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाय और बंधु-वांधव हों तो उन्हें पदच्युत कर दिया जाय ।

जो कदर्य (कंजूस) पदाधिकारी गहरी आमदनी करता है, धन को भूमि में गाड़ता है, उसको किसी के पास छिपाकर रखता है, शत्रुदेश में भेजकर किसी के पास जमा करता है, उस अधिकारी के परमर्शदाता, मित्र, नौकर, बंधु-वांधव और आय-व्यय आदि का पता गुप्तचर प्राप्त करें ।

२. गुप्तचर को चाहिए कि वह कदर्य अधिकारी के धन को शत्रुदेश में ले जानेवाले पुरुष से मिलकर अथवा उसका सेवक बनकर, उसके रहस्य का पता लगावे । गुप्तचर द्वारा राजा को जब इस भेद की सही जानकारी प्राप्त हो जाये तो वह शत्रु के आदेश का वहाना बताकर उस कदर्य अधिकारी को मरवा डाले ।

३. इसलिये प्रत्येक विभाग के सभी अध्यक्षों को चाहिए कि वे संख्यानक (गणक), लेखक (क्लर्क), रूपदर्शक (मुद्राओं तथा मणि-मुक्ताओं का पारखी), नीवीग्राहक (वचन रकम को सँभालनेवाला) और उत्तराध्यक्ष (प्रधान अधिकारी), इन सबके सहयोग से ही कार्य करें ।

१. उत्तराध्यक्षा हस्त्यश्वरथारोहाः । तेषामन्तेवासिनः शिल्पशौच-
युक्ताः सङ्ख्यायकादीनामपसर्पाः ।
२. बहुमुख्यमनित्यं चाधिकरणं स्थापयेत् ।
३. यथा ह्यनास्वादयितुं न शक्यं जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा ।
अर्थस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः स्वल्पोऽप्यनास्वादयितुं न शक्यः ॥
४. मत्स्या यथान्तसलिले चरन्तो ज्ञातुं न शक्याः सलिलं पिबन्तः ।
युक्तास्सथा कार्यविधौ नियुक्ता ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः ।
५. अपि शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतत्रिणाम् ।
न तु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गतिः ॥
६. आस्रावयेच्चोपचितान् विपर्यस्येच्च कर्मसु ।
यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ति वा ॥

१. उत्तराध्यक्ष (प्रधान अधिकारी) उनको नियुक्त, किया जाय, जो हाथी, घोड़े और रथों की सवारी में निपुण हों । उनके अधीनस्थ ऐसे आज्ञाकारी, कुशल, पवित्र एवं सदाचरणशील कार्यकर्ता हों, जो संख्यांक आदि राजकीय कर्मचारियों की प्रवृत्तियों का पता लगाने में गुप्तचरों का कार्य करें ।
२. प्रत्येक विभाग में अनेक उच्च पदाधिकारियों को नियुक्ति की जानी चाहिए; किन्तु उन्हें एक ही विभाग में न रहने दिया जाय ।
३. जैसे जीभ में रखे हुए मधु अथवा विष का स्वाद लिए बिना नहीं रहा जा सकता, उसी प्रकार अर्थाधिकार कार्यों पर नियुक्त पुरुष, अर्थ का थोड़ा भी स्वाद न लें, यह असंभव है ।
४. जिस प्रकार पानी में रहनेवाली मछलियाँ पानी पीती नहीं दिखाई देती हैं, उसी प्रकार अर्थकार्यों पर नियुक्त कर्मचारी भी धन का अपहरण करते हुए नहीं जाने जा सकते हैं ।
५. आकाश में उड़नेवाले पक्षियों की गति-विधि का पता लगाया जा सकता है; किन्तु धन का अपहरण करनेवाले कर्मचारियों की गति-विधि से पार पाना कठिन है ।
६. राजा, जब ऐसे अध्यक्षों का पता लगा ले, तो वह उन धनसंपन्न अधि-

१. न भक्षयन्ति ये त्वर्थान् न्यायतो वर्धयन्ति च ।
नित्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे उपयुक्तपरीक्षा नवमोऽध्यायः;
आदितः एकोनत्रिंशः ॥



कारियों की सारी संपत्ति को छीन ले और उन्हें उनके उच्चपदों से गिराकर निम्न पदों पर नियुक्त कर दे, जिससे वे भविष्य में गवन न कर सकें एवं अपने गवन को स्वयं ही उगल दें ।

३. जो अध्यक्ष राज्यधन का अपहरण नहीं करता, वरन्, न्यायपरायण होकर राजा की समृद्धि में यत्नशील रहते हैं और प्रिय समझकर राजा का हित करते रहते हैं, ऐसे सच्चरित्र अध्यक्षों को सदा संमानपूर्वक उच्चपद पर बनाये रखना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में नौवाँ अध्याय समाप्त ।



प्राक्करण २६

अध्याय १०

शासनाधिकारः

१. शासने शासनमित्याचक्षते । शासनप्रधाना हि राजानः; तन्मूलत्वात् सन्धिविग्रहयोः ।
२. तस्मादमात्यसम्पदोपेतः सर्वसमयविदाशुग्रन्थश्चार्वाक्षरो लेखवाचनसमर्थो लेखकः स्यात् । सोऽव्यग्रमना राज्ञः सन्देशं श्रुत्वा निश्चितार्थं लेखं विदध्याद्, देशैश्वर्यवंशनामधेयोपचारमीश्वरस्य, देशनामधेयोपचारमनीश्वरस्य ।

शासनाधिकार

१. राजा की ओर से पत्र आदि पर लिखित आज्ञा या प्रतिज्ञा का नाम 'शासन' है । राजा लोग शासन (लिखित बात) पर ही विश्वास करते हैं, मौखिक बात पर नहीं । संधि, विग्रह आदि षाड्गुण्य संबंधी राजकीय कार्य शासनमूलक (लिखित) होने पर ही ठीक समझे जाते हैं ।
२. इसलिए राजकीय शासन को लिखनेवाले लेखक को अमात्य की योग्यताओं वाला, आचार-विचार का ज्ञाता, शीघ्र ही सुंदर वाक्य-योजना में निपुण, सुलेखक और विभिन्न लिपियों को पढ़ने-लिखनेवाला होना चाहिए । वह लेखक प्रकृतिस्थ होकर राजा के संदेश को सुने और पूर्वापर प्रसंगों को दृष्टि में रखकर स्पष्ट अभिप्राय प्रकट करनेवाले लेख को लिखे । लेख यदि किसी राजा से संबद्ध हो तो, उसमें देश, ऐश्वर्य, वंश और नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि उसका संबंध किसी अमात्य से हो तो उसमें केवल उसके देश और नाम का ही उल्लेख किया जाय ।

१. जातिं कुलं स्थानवयःश्रुतानि कर्मद्विशीलान्यथ देशकालौ ।
यौनानुबन्धं च समीक्ष्य कार्ये लेखं विदध्यात् पुरुषानुरूपम् ॥
२. अर्थक्रमः, सम्बन्धः, परिपूर्णता, माधुर्यमौदार्यं, स्पष्टत्वम्,
इति लेखसम्पत् ।
३. तत्र यथावदनुपूर्वक्रिया प्रधानस्यार्थस्य पूर्वमभिनिवेश इत्य-
र्थस्य क्रमः ।
४. प्रस्तुतस्यार्थस्यानुपरोधादुत्तरस्य विधानमासमाप्तेरिति सम्बन्धः ॥
५. अर्थपदाक्षराणामन्यूनातिरिक्तता हेतूदाहरणदृष्टान्तैरर्थोपवर्णना-
श्रान्तपदत्तेति परिपूर्णता ।
६. सुखोपनीतचार्वर्थशब्दाभिधानं माधुर्यम् ।

१. लेख यदि राजकार्य-संबन्धी हो तो उसमें जाति, कुल, स्थान, आयु, योग्यता, कार्य, धन-संपत्ति, सदाचार, देश, काल, वैवाहिक संबंध आदि बातों का भली भाँति विचार करके, प्राप्तकर्ता पुरुषों की श्रेष्ठता, निकृष्टता आदि का भी अवश्य उल्लेख करे ।
२. उस लेखक में (१) अर्थक्रम, (२) संबंध, (३) परिपूर्णता, (४) माधुर्य, (५) औदार्य और (६) स्पष्टता आदि छह प्रकार की योग्यताएँ होनी चाहिए ।
३. प्रधान अर्थ और अप्रधान अर्थ को पूर्वापर यथानुक्रम में रखना ही अर्थक्रम कहलाता है ।
४. लेख की समाप्ति पर्यन्त अगला अर्थ, प्रस्तुत अर्थ का बाधक न होने पर अर्थसंबन्ध कहलाता है ।
५. अर्थपद तथा अक्षरों का न्यूनाधिक्य न होना; हेतु उदाहरण, तथा दृष्टान्त सहित अर्थ का निरीपण करना; और प्रभावहीन शब्दों का प्रयोग न करना परिपूर्णता कहलाता है ।
६. सरल सुबोध शब्दों का प्रयोग करना माधुर्य है ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २६, अध्याय १०

१. अग्राम्यशब्दाभिधानमौदार्यम् ।
२. प्रतीतशब्दप्रयोगः स्पष्टत्वमिति ।
३. अकारादयो वर्णास्त्रिषष्टिः ।
४. वर्णसङ्घातः पदम् । तच्चतुर्विधं नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्चेति ।
तत्र नाम सत्त्वाभिधायि । अविशिष्टलिङ्गमाख्यातं क्रियावाचि ।
क्रियाविशेषकाः प्रादय उपसर्गाः । अव्ययाश्चादयो निपाताः ।
५. पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ । एकपदावरस्त्रिपदपरः परपदा-
र्थानुरोधेन वर्गः कार्यः । लेखपरिसंहरणार्थं इतिशब्दो वाचिक-
मस्येति च ।
६. निन्दा प्रशंसा पृच्छा च तथाख्यानमथार्थना ।

-
१. शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना औदार्य कहलाता है ।
 २. सुप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करना ही स्पष्टता है ।
 ३. अकार आदि त्रेसठ वर्ण होते हैं ।
 ४. वर्णों के समूह को पद कहते हैं । पद चार प्रकार का होता है : (१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग और (४) निपात । जाति, गुण और द्रव्य को बताने वाला पद नाम कहलाता है । स्त्री-पुरुष आदि विशेष लिङ्गों से रहित क्रियावाचक पद को आख्यात कहते हैं । क्रियाओं के विशेष अर्थों का घोटन करने वाले उनके आरंभ में लगे हुए प्र, परा, आदि पद उपसर्ग कहलाते हैं । च आदि अव्ययों को निपात कहते हैं ।
 ५. सम्पूर्ण अर्थ को कहने वाले पदसमूह का नाम वाक्य है । कम-से-कम एक पद पर और अधिक से-अधिक तीन पद पर मुख्य पद के अनुसार विराम करना चाहिये । लेख की समाप्ति को बताने के लिए अन्त में इति शब्द लिख देना चाहिए; यदि लेख में पूरी बातें न लिखी गई हों तो अन्त में वाचिकमस्य (शेष अंश पत्रवाहक के मुँह से सुन लीजिए), इस प्रकार लिख देना चाहिए ।
 ६. निन्दा, प्रशंसा, पृच्छा, आख्यान, अर्थना, प्रत्याख्यान, उपालम्भ, प्रतिषेध,

प्रत्याख्यानमुपालम्भः प्रतिषेधोऽथ चोदना ॥

सान्त्वमभ्यवपत्तिश्च भर्त्सनानुनयौ तथा ।

एतेष्वर्थाः प्रवर्तन्ते त्रयोदशसु लेखजाः ॥

१. तत्राभिजनशरीरकर्मणां दोषवचनं निन्दा । गुणवचनमेतेषामेव प्रशंसा । कथमेतदिति पृच्छा । एवम् इत्याख्यानम् । देहीत्यर्थना । न प्रयच्छामीति प्रत्याख्यानम् । अननुरूपं भवत इत्युपालम्भः । मा कार्षीः इति प्रतिषेधः । इदं क्रियतामिति चोदना । योऽहं स भवान् , मम यद् द्रव्यं तद्भवतः इत्युपग्रहः सान्त्वम् । व्यसनसाहाय्यमभ्यवपत्तिः । सदोपमायतिप्रदर्शनमभिभर्त्सनम् ।
२. अनुनयस्त्रिविधोऽर्थकृतावतिक्रमं पुरुषादिव्यसने चेति ।

चोदना, सान्त्वना, अभ्यवपत्ति, भर्त्सना और अनुनय इन्हीं तेरह बातों में से ही किसी बात को पत्र में प्रकट किया जाता है ।

- १ किसी के दोष, शरीर और कार्य में दोषारोपण करना निन्दा है । उन्हीं बातों के सम्बन्ध में गुणगान करना प्रशंसा है । 'यह कैसा हुआ ?' इस प्रकार पूछना ही पृच्छा है । 'इसको इस प्रकार करना चाहिए' ऐसा कहना आख्यान है । 'दीजिए' इस प्रकार मांगना अर्थना है । 'नहीं देता हूँ' इस प्रकार निषेध करना ही प्रत्याख्यान है । 'यह कार्य आपने अपने अनुरूप नहीं किया' इस प्रकार का वचन उपालम्भ है । 'ऐसा मत करो' यह प्रतिषेध है । 'ऐसा करना चाहिए' इस प्रकार की प्रेरणा चोदना है । 'जो मैं हूँ वही आप हैं; जो मेरा धन है वही आपका भी है' इस प्रकार की तसल्ली देना सान्त्वना है । आपत्ति के समय सहायता करना अभ्युपपत्ति है । दोष देकर धमकी देना भर्त्सना है ।
२. अनुनय तीन प्रकार का होता है : (१) अर्थकरणनिमित्तक, (२) अतिक्रमनिमित्तक और (३) पुरुषादिव्यसननिमित्तक । किसी आवश्यक कार्य को करने के लिए अनुनय किया जाना ही अर्थकरणनिमित्तक है; किसी कुपित पुरुष को शान्त करने के लिए अनुनय करना अतिक्रमनिमित्तक है; और किसी आत्मीय की मृत्यु के कारण आई हुई विपत्ति में अनुनय करना पुरुषादिव्यसननिमित्तक है । अनुनय कहते हैं अनुग्रह को ।

१. प्रज्ञापनाज्ञापरिदानलेखास्तथा परीहारनिसृष्टिलेखौ ।
प्रावृत्तिकश्च प्रतिलेख एव सर्वत्रगश्चेति हि शासनानि ॥
२. अनेन विज्ञापितमेवमाह तदीयतां चेद्यदि तच्चमस्ति ।
राज्ञः समीपे वरकारमाह प्रज्ञापनैषा विविधोपदिष्टा ॥
३. भर्तुराज्ञा भवेद् यत्र निग्रहानुग्रहौ प्रति ।
विशेषेण तु भृत्येषु तदाज्ञालेखलक्षणम् ॥
४. यथार्हगुणसंयुक्ता पूजा यत्रोपलक्ष्यते ।
अप्याधौ परिदाने वा भवतस्तावुपग्रहौ ॥
५. जातेर्विशेषेषु पुरेषु चैव ग्रामेषु देशेषु च तेषु तेषु ।
अनुग्रहो यो नृपतेर्निदेशात्तज्ज्ञः परीहार इति व्यवस्येत् ॥
६. निसृष्टिस्थापना कार्यकरणे वचने तथा ।

१. (१) प्रज्ञापना, (२) आज्ञा, (३) परिदान, (४) परीहार, (५) निसृष्टि (६) प्रावृत्तिक (७) प्रतिलेख और (८) सर्वत्रग, लेख के ये आठ भेद और हैं ।
२. यदि कोई महामात्र राजकीय धन का संग्रह करके अपने पास रख लेता है और गुप्तचर से उसकी सूचना पाकर राजा जब उस महामात्र से राजकीय धन को राजकोष में जमा करने की आज्ञा देता है और जब महामात्र धन देना स्वीकार कर लेता है तब जो लिखा-पढ़ी होती है, उस लेख-पत्र का नाम ही प्रज्ञापना है ।
३. जिस लेख-पत्र में राजा की ओर से निग्रह या अनुग्रह ही आज्ञा हो और विशेषरूप से जो नौकरों के सम्बन्ध में लिखाजाय उसे आज्ञा कहते हैं ।
४. जिस लेख-पत्र में समुचित गुणों से सत्कार का भाव प्रकट किया जाता है उसे परिदान कहते हैं । यह दो प्रकार से लिखा जाता है । (१) जब नौकरों का कोई आत्मीय मर जाता है जिसके कारण वे व्यथित हैं; (२) जब राजा उनकी रक्षा के लिए दयाभाव प्रकट करता है ।
५. विशेष जातियों नगरों, ग्रामों और देशों पर राजा की आज्ञा के अनुसार जो अनुग्रह किया जाता है, विशेषज्ञ लोग उसी को परीहार कहते हैं ।
६. किसी कार्य के करने तथा कहने में किसी आरमवचन का प्रमाण देना ही

एष वाचिकलेखः स्याद्भवेन्नैसृष्टिकोऽपि वा ॥

१. विविधां दैवसंयुक्तां तत्त्वजां चैव मानुषीम् ।
द्विविधां तां व्यवस्यन्ति प्रवृत्तिं शासनं प्रति ॥
२. दृष्ट्वा लेखं - यथातत्त्वं ततः प्रत्यनुभाष्य च ।
प्रतिलेखो भवेत् कार्यो यथा राजवचस्तथा ॥
३. यथेश्वरांश्चाधिकृतांश्च राजा रक्षोपकारौ पथिकार्थमाह ।
सर्वत्रगो नाम भवेत् स मार्गं देशे च सर्वत्र च वेदितव्यः ॥
४. उपायाः सामोपप्रदानभेददण्डाः ।
५. तत्र साम पञ्चविधं - गुणसंकीर्तनं, सम्बन्धापाख्यानं, पर-
स्परोपकारसन्दर्शनं, आयतिप्रदर्शनं, अमात्मोपनिधानमिति ।
६. तत्राभिजनशरीरकर्मप्रकृतिश्रुतद्रव्यादीनां गुणागुणग्रहणं प्रशंसा
स्तुतिर्गुणसङ्कीर्तनम् ।

निःसृष्टि है, उसके वाचिक और नैसृष्टिक दो भेद होते हैं ।

१. अनेक प्रकार की दैवी, पारमार्थिक और मानुषी आपत्तियों की सूचना को प्रावृत्तिक कहते हैं । वह शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है ।
२. दूसरे के भेजे हुए लेख को भली-भाँति देखने और पढ़ने के अनन्तर, फिर राजा के सामने पढ़कर, राजा की आज्ञा के अनुसार उसका जो उत्तर लिखा जाय उसको प्रतिलेख कहते हैं ।
३. जिस लेखपत्र में राजा राहगीरों की रक्षा और उनके उपकार के लिए अपने अधिकारियों को आदेश देता है वह सर्वत्रग है; क्योंकि वह मार्ग में, देश में तथा राष्ट्र में सब जगहों पर लिखा जाता है ।
४. उपाय चार है : (१) साम, (२) दान, (३) दण्ड और (४) भेद ।
५. उनमें साम पाँच प्रकार का होता है : (१) गुणसंकीर्तन, (२) सम्बन्धो-
पाख्यान, (३) परस्परोपकारसंदर्शन, (४) आयतिप्रदर्शन और (५) आत्मो-
पनिधान ।
६. वंश, शरीर, कार्य, स्वभाव, विद्वता, हाथी-घोड़े-रथ आदि के गुणों और अवगुणों को जानकर उनकी प्रशंसा करना ही गुणसंकीर्तन कहलाता है ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २६, अध्याय १०

१. ज्ञातियोंनमौखस्रौवकुलहृदयमित्रसंकीर्तनं सम्बन्धोपाख्यानम् ।
२. स्वपक्षपरपक्षयोरन्योन्योपकारसंकीर्तनं परस्परोपकारसन्दर्शनम् ।
३. अस्मिन्नेवं कृत इदमावयोर्भवतीत्याशाजननमायतिप्रदर्शनम् ।
४. योऽहं स भवान् , यन्मम द्रव्यं तद्भवता स्वकृत्येषु प्रथोज्यताम् इत्यात्मोपनिधानमिति ।
५. उपप्रदानमर्थोपकारः ।
६. शङ्काजननं निर्भर्त्सनं च भेदः ।
७. वधः परिक्लेशोऽर्थहरणं दण्ड इति ।
८. अकान्तिव्याघातः पुनरुक्तमपशब्दः संप्लव इति लेखदोषाः ।

-
१. समानकुल, विवाह, गुरु-शिष्य, पुरोहित-यजमान, वंशपरंपरागत, हार्दिक और मैत्रीभाव आदि सात प्रकार के सम्बन्धों में से किसी एक का कथन करना सम्बन्धोपाख्यान है ।
 - २ परस्पर एक दूसरे द्वारा किया गया उपकार परस्परोपकारसंदर्शन कहलाता है ।
 ३. 'इस कार्य के करने में हम दोनों को ऐसा फल प्राप्त होगा' ऐसी आशा करना आयतिप्रदर्शन है ।
 ४. 'जो मैं हूँ वही आप हैं तथा मेरा धन ही आपका धन है, उसे आप इच्छानुसार अपने कार्य में लगा सकते हैं ।' इस आत्मसमर्पण की भावना को आत्मोपनिधान कहते हैं ।
 ५. धन आदि के द्वारा उपकार करना दान या उपप्रदान है ।
 ६. शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना भेद है ।
 ७. उसे मार देना, उसको पीटा पहुँचाना या उसके धन का अपहरण करना दण्ड कहलाता है ।
 - ८ पत्रलेख के पाँच दोष हैं—(१) अकान्ति, (२) व्याघात, (३) पुनरुक्त, (४) अपशब्द और (५) संप्लव ।

१. तत्र कालपत्रक्रमचारुविषमविरागाक्षरत्वमकान्तिः ।
२. पूर्वेण पश्चिमस्यानुपपत्तिर्व्याघातः ।
३. उक्तस्याविशेषण द्वितीयमुच्चारणं पुनरुक्तम् ।
४. लिङ्गवचनकालकारकाणामन्यथाप्रयोगोऽपशब्दः ॥
५. अवर्गे वर्गकरणं वर्गे चावर्गक्रिया गुणविपर्यासः संप्लव इति ।
६. सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च ।
कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे शासनाधिकारं नाम दशमोऽध्यायः;

भादितः त्रिंशः ।



१. स्याही पड़े कागद पर लिखना, मलिन कागद पर लिखना, भद्दे अक्षर लिखना, छोटे-बड़े अक्षर लिखना और फीकी स्याही से लिखना अकान्ति नामक दोष है ।
२. पहले लेख से पिछले लेख का विरोध हो जाना अथवा पहिले लेख से पिछले लेख की बाधा हो जाना व्याघात दोष है ।
३. जो बात पहिले कही गई है उसे ही दुहरा देना पुनरुक्त दोष है ।
४. लिङ्ग, वचन, काल और कारक का विपरीत प्रयोग करना अपशब्द दोष है ।
५. लेख में विराम आदि चिन्हों की, अर्थक्रम के अनुसार योजना न करना, संप्लव दोष है ।
६. आचार्य कौटिल्य ने सम्पूर्ण शास्त्रों का विधिवत् अध्ययन करके और उनके प्रयोगों को अच्छी तरह परीक्षा करके ही राजा के लिए इस शासनविधि की रचना की है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में दसवाँ अध्याय समाप्त ।



प्रकाशरण २७

अध्याय ११

कोषप्रवेश्यरत्नपरीक्षा

१. कोषाध्यक्षः कोषप्रवेश्यं रत्नं सारं फल्गु कुप्यं वा तज्जात-
करणाधिष्ठितः प्रतिगृह्णीयात् ।
२. ताम्रपर्णिकं, पाण्ड्यकवाटकं, पाशिक्यं, कौलेयं, चौर्ण्यं,
माहेन्द्रं, कार्दमिकं स्रौतसीयं, हादीयं, हैमवतं, च मौक्तिकम् ।
३. शङ्खः शुक्तिः प्रकीर्णकं च योनयः ।

कोष में रखने योग्य रत्नों की परीक्षा

१. कोषाध्यक्ष को चाहिए कि वह विशेषज्ञों की सहमति से ही रत्न, सार, फल्गु और कुप्य आदि मूल्यवान् द्रव्यों को राजकोष के लिए लेना स्वीकार करे ।
२. मोतियों के दस उत्पत्ति स्थान हैं : (१) ताम्रपर्णिक (पाण्ड्यदेश की ताम्रपर्णी नदी के संगम पर उत्पन्न), (२) पाण्ड्यकवाटक (मलयकोटि नामक पर्वत पर उत्पन्न), (३) पाशिक्य (पाटलिपुत्र के समीप पाशिका नामक नदी में उत्पन्न), (४) कौलेय (सिंहलद्वीप की कुला नामक नदी में उत्पन्न), (५) चौर्ण्य (केरल की चूर्णी नामक नदी में उत्पन्न), (६) माहेन्द्र (महेन्द्रगिरि के निकटवर्ती समुद्रतल में उत्पन्न), (७) कार्दमिक (फारस की कर्दमा नामक नदी में उत्पन्न), (८) स्रौतसीय (बर्बर के समीप स्रौतसी नामक नदी में उत्पन्न), (९) हादीय (बर्बर के समीप समुद्रतलवर्ती श्रीघण्ड नामक झील में उत्पन्न) और (१०) हैमवत (हिमालय पर्वत पर उत्पन्न) ।
३. मोतियों की उत्पत्ति के तीन कारण हैं : शुक्ति, शंख और प्रकीर्णक (गजमुक्ता तथा सर्पमणि) ।

१. मसूरकं त्रिपुटकं कूर्मकमर्धचन्द्रं कञ्चुकितं यमकं कर्तकं खरकं सिक्थकं कामण्डलुकं श्यावं नीलं दुर्विद्धं चाप्रशस्तम् ।
२. स्थूलं वृत्तं निस्तलं भ्राजिष्णु श्वेतं गुरु स्निग्धं देशविद्धं च प्रशस्तम् ।
३. शीर्षकमुपशीर्षकं प्रकाण्डकमवघाटकं तरलप्रतिबन्धं चेति यष्टिप्रभेदाः ।
४. यष्टीनामष्टसहस्रमिन्द्रच्छन्दः । ततोऽर्धं विजयच्छन्दः । शतं देवच्छन्दः । चतुष्पाष्टिरर्धहारः । चतुष्पञ्चाशद्रश्मिकलापः । द्वात्रिंशद्गुच्छः । सप्तविंशतिर्नक्षत्रमाला । चतुर्विंशतिरर्धगुच्छः ।

१. दूषित मोतियों के तेरह प्रकार होते हैं : (१) मसूरक (मसूर की तरह का), (२) त्रिपुटक (तीन खंड वाला), (३) कूर्मक (कछुये के समान), (४) अर्धचन्द्रक (अर्धचन्द्र की भांति), (५) कञ्चुकित (मोटे छिस्के वाला), (६) यमक (जुड़ा हुआ), (७) कर्तक (कटा हुआ), (८) खरक (खुरदुरा), (९) सिक्थक (दागवाला), (१०) कामण्डलुक (कमण्डलु के समान), (११) श्याव (भूरे रङ्ग का), (१२) नील (नीले रङ्ग का) और (१३) दुर्विद्ध (अस्थान विधा मोती) ।
२. मोटा, गोल, तलरहित, दीप्तिमान, श्वेत, वजनी, चिकना और स्थान पर विधा मोती उत्तम कोटि का है ।
३. यष्टि अर्थात् मोतियों की माला के कई नाम हैं ; शीर्षक (जिसमें दो छोटे मोतियों के बीच में एक बड़ा मोती परोया गया हो), उपशीर्षक (जिसमें दो छोटे मोतियों के बाद एक बड़ा मोती हो), प्रकाण्डक (जिसमें चार छोटे मोतियों के बाद एक बड़ा मोती हो), अवघाटक (जिस माला के बीच में एक बड़ा मोती और उसके दोनों ओर उत्तरोत्तर छोटे-छोटे मोती हों) और तरलप्रतिबन्ध (जिसमें सभी मोती एक समान लगे हों) ।
- ४ एक हजार आठ लड़ों की माला को इन्द्रच्छन्द, उससे आधी पाँच सौ चार लड़ों की माला को विजयच्छन्द; सौ लड़ों की माला को देवच्छन्द; चौंसठ लड़ों की माला को अर्धहार; चौवन लड़ों की माला को रश्मिकलाप; बत्तीस लड़ों की माला को गुच्छ; सत्ताईस लड़ों की माला को

विंशतिर्माणवकः । ततोऽर्धमर्धमाणवकः । एत एव मणिम-
ध्यास्तन्माणवका भवन्ति । एकशीर्षकः शुद्धोहारः । तद्व-
च्छेषाः । मणिमध्योऽर्धमाणवकस्त्रिफलकः फलकहारः पञ्च-
फलको वा । सूत्रमेकावली शुद्धा । सैव मणिमध्या यष्टिः ।
हेममणिचित्रा रत्नावली । हेममणिमुक्तान्तरोऽपवर्तकः । सुवर्ण-
सूत्रान्तरं सोपानकम् । मणिमध्यं वा मणिसोपानकम् ।

१. तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याताः ।

नक्षत्रमाला; चौबीस लड़ों की माला को अर्धगुच्छ; बीस लड़ों की माला को माणवक; और उससे आधा दस लड़ों की माला को अर्धमाणवक कहा जाता है । इन्ही मालाओं के बीच में यदि मणि पिरो दी जाय तो उनके नाम के भागे माणवक शब्द जुड़ जाता है । यदि इन्द्रच्छन्द आदि मालाओं में सभी मोती शीर्षक के समान पिरोये जाते हैं तो उनका नाम इन्द्रच्छन्दशीर्षक शुद्धहार, विजयच्छन्दशीर्षक शुद्धहार कहा जाता है । इसी प्रकार यदि इन्द्रच्छन्द आदि में सभी मोती उपशीर्षक के समान पिरोये गए हों तो उसे इन्द्रच्छन्दोपशीर्षकशुद्धहार कहा जाता है । यदि इन शुद्धहारों के बीच में मणि पिरो दी जाय तो, बजाय शुद्धहार के वे अर्धमाणवक कहलाते हैं और तब उनका पूरा नामकरण होता है इन्द्रच्छन्दशीर्षकार्धमाणवक । इसी प्रकार उपशीर्षक आदि के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । दश लड़ियों की माला में यदि सोने के तीन या पांच दाने पिरो दिए गए हों तो उसे फलकहार कहा जाता है । एक ही लड़ी की मोती की माला का नाम सूत्र है । यदि उसके बीच में मणि पिरो दी जाय तो उसे ही यष्टि कहा जाता है । सोने के दाने और मणियों से पिरोई गई मोती की माला रत्नावली कहलाती है । यदि किसी माला में सोने के दाने, मणि और मोती क्रमशः पिरो दिए गए हैं तो उस माला को अपवर्तक कहते हैं । यदि अपवर्तक माला में मणि न लगी हो तो उसका नाम सोपानक है । यदि बीच में मणि लगा दी जाय तो उसे मणिसोपानक कहते हैं ।

१. इसी प्रकार शिर, हाथ, पैर और कमर की भिन्न-भिन्न मालाओं के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये ।

१. मणिः कौटो मालेयकः पारसमुद्रकश्च ।
२. सौगन्धिकः पद्मरागः अनवद्यरागः पारिजातपुष्पकः बाल-
सूर्यकः ।
३. वैदूर्यः—उत्पलवर्णः शिराषपुष्पक उदकवर्णो वंशरागः शुक-
पत्रवर्णः पुष्यरागो गोमूत्रको गोमेदकः ।
४. नीलावलीय इन्द्रनीलः कलायपुष्पको महानीली जाम्बवाभो
जीमूतप्रभो नन्दकः स्रवन्मध्यः ।
५. शुद्धस्फटिकः मूलाटवर्णः शीतवृष्टिः सूर्यकान्तश्चेति मणयः ।

१. मणियों के तीन उत्पत्ति-स्थान हैं : (१) कौट (मलयसागर के समीप कोटि नामक स्थान में उत्पन्न) (२) मालेयक (मलय देश के कर्णावन नामक पर्वत में उत्पन्न) और (३) पारसमुद्रक (समुद्र पार सिंहल आदि स्थानों में उत्पन्न) ।

२. मणियों में पाँच प्रकार के माणिक्य होते हैं : (१) सौगन्धिक (सायंकाल खिलने वाले सौगन्धिक नामक नीलवर्णयुक्त कमल के समान), (२) पद्मराग (पद्म नामक कमल के समान), (३) अनवद्यराग (केशर के समान), (४) पारिजात पुष्पक (हरसिंगार पुष्प के समान) और (५) बालसूर्यक (उदय होते सूर्य के समान) ।

३. वैदूर्य मणि आठ प्रकार की होती है : (१) उत्पलवर्ण (लाल कमल के समान), (२) शिरीषपुष्पक (शिरीष पुष्प की भाँति), (३) उदकवर्ण (जल के समान), (४) वंशराग (घाँस के पत्ते के समान), (५) शुक-पत्रवर्ण (तोते के पंख की तरह), (६) पुष्यराग (हनुदी के समान), (७) गोमूत्रक (गोमूत्र के समान) और (८) गोमेदक (गोशेचन के समान) ।

४. इन्द्रनीलमणि भी आठ प्रकार की होती है : (१) नीलावलीय (नीली धारियों वाली), (२) इन्द्रनील (मोरपंख के समान), (३) कलायपुष्पक (मटर पुष्प के समान), (४) महानील (गहरे काले रंग की), (५) जाम्ब-वाभ (जामुन के समान), (६) जीमूतप्रभ (मेघ के समान), (७) नन्दक (भीतर से श्वेत तथा बाहर से नीली) और (८) स्रवन्मध्य (जलप्रवाह के समान तरलित किरणों वाली) ।

५. स्फटिक मणि चार प्रकार की होती है : (१) शुद्धस्फटिक (स्वच्छ, श्वेत),

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २७, अध्याय ११

१. षडश्रश्चतुरश्रो वृत्तो वा, तीव्ररागः संस्थानवानच्छः स्निग्धो गुरुरचिष्मानन्तर्गतप्रभः प्रभानुलेपी चेति मणिगुणाः ।
२. मन्दरागप्रभः सशर्करः पुष्पच्छिद्रः खण्डो दुर्विद्धो लेखाकीर्ण इति दाषाः ।
३. विमलकः सस्यकोऽञ्जनमूलकः पित्तकः सुलभको लोहिताक्षो मृगाश्मको ज्योतीरसको मैलेयक आहिच्छत्रकः कूर्पः प्रतिकूर्पः सुगन्धिकूर्पः क्षीरपकः शुक्तिचूर्णकः शिलाप्रवालकः पुलकः शुक्रपुलक इत्यन्तरजातयः ।

(२) मूलाटवर्ण (मक्खन निकाले हुए मट्ठे की भांति), (३) शीतवृष्टि (चन्द्रमा के किरणों से पिघलने वाली) और (४) सूर्यकान्त (सूर्य किरणों का स्पर्श पाकर भाग उगलने वाली) ।

१. मणियों में ग्यारह प्रकार के गुण होते हैं : (१) षडज (छह कोनों वाली), (२) चतुरस्र (चार कोनों वाली), (३) वृत्त (गोलाकार), (४) गहरे रंगवाली चमकदार, (५) आभूषण में लगाने योग्य, (६) निर्मल, (७) चिकनी, (८) भारी, (९) दीप्तियुक्त, (१०) चञ्चलकान्तियुक्त और (११) अपनी कांति से पास की वस्तु को प्रकाशित कर देने वाली (प्रभानुलेपी) ।
२. मणियों में सात प्रकार के दोष पाये जाते हैं : (१) हलके रंग वाली, (२) हलकी प्रभावाली, (३) खुरदरी, (४) छोटे छिद्र वाली, (५) कटी हुई, (६) उपयुक्त स्थान पर न बेधी हुई और (७) विभिन्न रेखाओं वाली ।
३. मणियों की अठारह प्रकार की उपजातियाँ हैं—(१) विमलक (श्वेत-हरित वर्णों में मिश्रित), (२) मस्यक (नीली), (३) अंजनमूलक (नील-श्याम वर्ण-मिश्रित), (४) पित्तक (गाय के पित्त के समान), (५) सुलभक (श्वेत), (६) लोहिताक्ष (किनारों पर लाल और केंद्र में श्याम), (७) मृगाश्मक (श्वेत-अरुण मिश्रित), (८) ज्योतीरसक (श्वेत-अरुण-मिश्रित), (९) मैलेयक (शिंगरफ की भांति), (१०) आहिच्छत्रक (फीके रंग वाली), (११) कूर्प (खुरदरी), (१२) प्रतिकूर्प (दागी), (१३) सुगन्धिकूर्प (मूंग-वर्णी), (१४) क्षीरपक (दुरध भवत), (१५) शुक्ति चूर्णक (अनेक रंगों वाली), (१६) शिलाप्रवालक (मूंगे के समान), (१७) पुलक (केंद्र में काली) और (१८) शुक्रपुलक (केंद्र में श्वेत) ।

१. शेषाः काचमणयः ।
२. सभाराष्ट्रकं मध्यमराष्ट्रकं कास्तीरराष्ट्रकं श्रीकटनकं मणिमन्त-
कमिन्द्रवानकं च वज्रम् ।
३. खनिः स्रोतः प्रकीर्णकं च योनयः ।
४. मार्जाराक्षकं च शिरीषपुष्पकं गोमूत्रकं गामेदकं शुद्धस्फटिकं
भूलाटोपुष्पकवर्णं मणिवर्णानामन्यतमवर्णमिति वज्रवर्णाः ।
५. स्थूलं स्निग्धं गुरु प्रहारसहं समकोटिकं भाजनलेखि तर्कुभ्रामि
भ्राजिष्णु च प्रशस्तम् ।
६. नष्टकोणं निरश्रिपार्श्वापवृत्तं च अप्रशस्तम् ।
७. प्रवालकं आलकन्दकं वैवर्णिकं च रक्तं पद्मरागं च करटगर्भि-
णिकावर्जमिति ।

१. इनके अतिरिक्त जो मणियाँ हों वे कांच के समान निम्न कोटि की होती हैं ।
२. हीरा के छह उत्पत्ति स्थान हैं : (१) सभाराष्ट्रक (बरार, बम्बई प्रदेश में उत्पन्न), (२) मध्यमराष्ट्रक (कोशल देश में उत्पन्न), (३) कास्तीर राष्ट्रक (कास्तोर देश में उत्पन्न), (४) श्रीकटनक (श्रीकटन पर्वत पर उत्पन्न), (५) मणिमतक (उत्तरस्थ मणिमन्त पर्वत में उत्पन्न) और (६) इन्द्रवानक (कर्लिंग देश में उत्पन्न) ।
३. इनके अतिरिक्त खदान, विशेष जलप्रवाह और हाथी दांत की जड़ आदि भी हीरा के उत्पत्ति स्थान हैं । खान और जलप्रवाह आदि के अन्य स्थानों में उत्पन्न हीरा को प्रकीर्णक रहते हैं ।
४. हीरा के अनेक आकार-प्रकार हैं : बिलाव की भाँख के समान; शिरीष-पुष्प की आकृति का; गोमूत्र के समान; गोरोचन की भाँति; सर्वथा स्वच्छ, श्वेत; मुलहटी के फूल जैसा; और मणियों की आकृति का ।
५. मोटा, वजनी, घन की चोट सहने वाला, समकोण, पानी से भरे पीतल के वर्तन में उसको हिलाने से लकीरें डाल देने वाला, चर्खे में लगे तर्कुवे की तरह घूमने वाला और चमकदार हीरा उत्तम कोटि का है ।
६. नष्टकोण, नुकीले कोनों से रहित और छोटे-बड़े कोनों वाला हीरा दूषित समझा जाता है ।
७. प्रवाल (मंगा) के दो उत्पत्ति स्थान हैं—(१) आलकन्दक (अलकन्द

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २७, अध्याय ११

१. चन्दनम्—सातनं रक्तं भूमिगन्धि । गोशीर्षकं कालताम्रं
मत्स्यगन्धि । हरिचन्दनं शुकपत्रवर्णमात्रगन्धि । तार्णसं च ।
ग्रामेरुकं रक्तं रक्तकालं वा वस्तमूत्रगन्धि । दैवसभेयं रक्तं
पद्मगन्धि । जावकं च । जोङ्गकं रक्तं रक्तकालं वा स्निग्धम् ।
तौरूपं च । मालेयकं पाण्डुरक्तम् । कुचन्दनं कालवर्णकं
गोमूत्रगन्धि । कालपर्वतकं रूक्षमगुरुकालं रक्तं रक्तकालं वा ।
कोशकारपर्वतकं कालं कालचित्रं वा । शीतोदकीयं पद्मामं

नामक स्थान से उत्पन्न) और (२) वैवर्णिक (यूनान के समीपवर्ती
विवर्ण नामक समुद्रतल में उत्पन्न) । प्रवाल के दो रंग होते हैं : (१) रक्त
और (२) कमल । वह कीड़े का खाया हुआ तथा बीच में मोटा या उठा
हुआ नहीं होना चाहिये ।

१. चन्दन के सोलह उत्पत्ति स्थान, नौ रंग, छह गन्ध और ग्यारह गुण
होते हैं । उत्पत्तिस्थान—(१) सातन देश में उत्पन्न चन्दन लाल रंग का
होता है और उसमें धरती की सोंध होती है; (२) गोशीर्ष देश में उत्पन्न
चन्दन कालिमा एवं लाली लिप् होता है और उसमें मछली की जैसी गन्ध
होती है; (३) हरि नामक देश में उत्पन्न चन्दन तोते के पंख के समान
हरे रंग का और उसमें भाम की जैसी महक होती है; (४) तृणसा नामक
नदी के किनारे उत्पन्न होने वाला चन्दन भी हरिचन्दन के ही समान
होता है; (५) ग्रामेरु प्रदेश में उत्पन्न चन्दन या तो लाल रंग का अथवा
लाल काले मिले हुए रंग का होता है और उसमें बकरे की पेशाब जैसी
गन्ध होती है; (६) देवसभा नामक स्थान में उत्पन्न चन्दन लाल रंग का
और पद्म के समान सुगन्धि वाला होता है; (७) जावक देश का चन्दन भी
देवसभा चन्दन की भांति होता है; (८) जोंग देश में उत्पन्न चन्दन या
तो लाल रंग का अथवा लाल-काला रंग का चिकना होता है और वह भी
पद्म के समान सुगन्धित होता है, (९) तुरूप देश का चन्दन भी जोंगरु की
भांति होता है; (१०) माल देश में उत्पन्न चन्दन का रंग लाल-पीला
होता है; उसमें पद्म के समान सुगन्ध होती है, (११) कुचन्दन काले
रंग का तथा गोमूत्र के समान गन्ध वाला होता है; (१२) काल पर्वत पर
उत्पन्न चन्दन खुरदुरा, अगर के समान काला या लाल या लाल-काला

कालस्निग्धं वा । नागपर्वतकं रूक्षं शैलवर्णं वा । शाकलं कपिलमिति ।

१. लघु स्निग्धमश्यानं सर्पिः स्नेहलेपि गन्धसुखं त्वगनुसार्यनु-
ल्वणमविराग्युष्णसहं दाहग्राहि सुखस्पर्शनमिति चन्दनगुणाः ।
२. अगुरु—जोङ्गकं कालं कालचित्रं मण्डलचित्रं वा । श्यामं
दोङ्गकम् । पारसमुद्रकं चित्ररूपम् । उशीरगन्धि नवमालि-
कागन्धि वेति ।
३. गुरु । स्निग्धं पेशलगन्धि निर्हारि अग्निसहमसंप्लुतधूमं सम-
गन्धं विमर्दसहम् इत्यगुरुगुणाः ।

होता है और उसमें भी गोमूत्र जैसी गन्ध होती है; (१३) कोशकार पर्वत पर उत्पन्न चन्दन काला अथवा चित्तकवरा होता है; (१४) शीतोदक देश में उत्पन्न चन्दन पत्र के रंग का या काला अथवा स्निग्ध होता है; (१५) नाग पर्वत पर उत्पन्न चन्दन रूखा और सेवार के रंग जैसा होता है; (१६) शाकल देश में उत्पन्न चन्दन पीला-लाल (कपिल) वर्ण का होता है ।

१. चन्दन में ग्यारह गुण होते हैं—(१) लघु (२) स्निग्ध (३) बहुत दिनों में सूखने वाला, (४) शरीर में घों के समान लगने वाला, (५) सुगन्धित, (६) त्वचा के भीतर ठंडक पहुँचाने वाला, (७) बिना फटा, (८) स्थायी वर्ण एवं गन्ध वाला, (९) गर्मी शांत करने वाला, (१०) सन्ताप को दूर करने वाला और (११) सुखकर स्पर्श वाला ।
२. अगर का निरूपण इस प्रकार है—जोंगल नामक अगर तीन तरह का होता है : काला, चित्तकवरा और काली-सफेद दागों वाला । दोंगक नामक अगर काला होता है; जोंगक और दोंगक दोनों आसाम में पैदा होते हैं । समुद्र पार पैदा होने वाला अगर, चित्र रूप का होता है, जिमकी गन्ध खश और चमेली जैसी होती है ।
- ३ भारी, स्निग्ध, सुगन्धित, दूर तक सुगन्ध फैकने वाला, अग्नि को सहन करने वाला, जिसका धुवां व्याकुल न कर दे, जलते समय एक जैमी गन्ध देने वाला और वस्त्र आदि पर पृच्छ देने से गन्ध बनी रहना; ये अगर के गुण हैं ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २७, अध्याय ११

१. तैलपर्णिकम्—अशोकग्रामिकं मांसवर्णं पद्मगन्धि । जोङ्गकं रक्तपोतकभुत्पलगन्धि गोमूत्रगन्धि वा ग्रामेरुकं स्निग्धं गोमूत्रगन्धि । सौवर्णकुड्यकं रक्तपीतं मातुलुङ्गगन्धि । पूर्णक-द्वीपकं पद्मगन्धि नवनीतगन्धि वेति ।
२. भद्रश्रीयम्—पारलौहित्यकं जातीवर्णम् । आन्तरवत्यमुशीर-वर्णम् । उभयं कुष्ठगन्धि चेति ।
३. कालेयकः—स्वर्णभूमिजः स्निग्धपीतकः । औत्तरपर्वतको रक्तपीतकः इति साराः ।
४. पिण्डक्वाथधूमसहमविरागि योगानुविधायि च । चन्दना-गरुवच्च तेषां गुणाः ।

१. असम में पैदा होने वाला तैलपर्णिक चन्दन मांस के रङ्ग का और पद्म के समान गन्ध वाला होता है । असम में ही पैदा होने वाला दूसरा तैलपर्णिक चन्दन लाल-पीले रङ्ग का और कमल अथवा गोमूत्र की गन्ध का होता है । ग्रामेरु प्रदेश में पैदा होने वाला चन्दन चिकना और गोमूत्र की गन्ध का होता है । असम के सुवर्णकुड्य नामक स्थान में पैदा होने वाला चन्दन लाल-पीला और नीबू की गन्ध का होता है । पूर्णक द्वीप में उत्पन्न चन्दन पद्म अथवा मक्खन की गन्ध का होता है ।

२. भद्रश्रीय नामक चन्दन दो प्रकार का होता है : (१) पारलौहित्य और (२) आन्तरवत्य । पारलौहित्य असम में पैदा होता है और उसका रङ्ग चमेलीपुष्प जैसा होता है; आन्तरवत्य चन्दन भी असम में ही पैदा होता है; उसका रङ्ग खस की भाँति होता है । इन दोनों की गन्ध कूट औषधि की तरह होती है ।

३. कालेयक नामक चन्दन स्वर्णभूमि में पैदा होता है और वह स्निग्ध एवं पीले रङ्ग का होता है । हिमालय पर पैदा होने वाला कालेयक लाल-पीले रङ्ग का होता है । यहां तक सार वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

४. तैलपर्णिक, भद्रश्रीय और कालेयक, इन तीनों में पीसने पर, पकाने पर, आग में जलाने पर किसी प्रकार का विकार पैदा न होना; दूसरी वस्तु के साथ मिलाने पर तथा देर तक रखे रहने पर उनकी गन्ध में किसी प्रकार

१. कान्तनावकं प्रैयकं चोत्तरपर्वतकं चर्म । कान्तनावकं मयूर-
ग्रीवाभम् । प्रैयकं नील पीतं श्वेतं लेखाविन्दुचित्रम् । तदु-
भयमष्टाङ्गुलायामम् ।
२. विसी महाविसी च द्वादशग्रामीये । अव्यक्तरूपा दुहिलिका
चित्र वा विसी । परुषा श्वेतप्राया महाविसी । द्वादशाङ्गु-
लायाममुभयम् ।
३. श्यामका कालिका कदली चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहजाः ।
कपिला विन्दुचित्रा वा श्यामिका । कालिका कपिला कपोत-
वर्णा वा । तदुभयमष्टाङ्गुलायाम । परुषा कदली हस्तायता ।

का फर्क न आना; ये गुण पाये जाते हैं । पूर्वोक्त चन्दनों में जो गुण बताये गए हैं, वे भी इन तीनों में पाये जाते हैं ।

१. फल्गु पदार्थों में पहिला स्थान चमड़े का है, जिसकी लगभग पन्द्रह जातियाँ होती हैं; (१) कान्तनावक और (२) प्रैयक दोनों प्रकार का चमड़ा हिमालय में पैदा होता है । उनमें कान्तनावक मयूरग्रीवा की कान्ति वाला और प्रैयक नीले-पीले तथा सफेद रेखाओं अथवा दागों से युक्त होता है । इन दोनों का विस्तार आठ अंगुल होता है ।
२. हिमालय में स्थित भ्लेच्छों के वारह गावों में (३) विसी और (४) महा-विसी नामक चमड़ा पैदा होता है । विसी बहुरङ्ग, बालों वाला एवं चितकवरा, और महाविसी कठोर तथा श्वेत होता है । इन दोनों का विस्तार वारह-वारह अंगुल होता है ।
३. हिमालय के आरोह नामक स्थान में पंदा होने वाला चमड़ा पाँच प्रकार का होता है . (५) श्यामिका, (६) कालिका (७) कदली (८) चन्द्रोत्तरा और (९) शाकुला ! कपिल और चितकवरे रङ्ग का चमड़ा श्यामिका है । कपिल अथवा कवृत्तरी रङ्ग का चमड़ा कालिका कहलाता है । इन दोनों का विस्तार आठ-आठ अंगुल होता है । कदली नामक चमड़ा कठोर तथा सुरदुरा होता है, जिसकी लम्बाई एक हाथ मानी गई है । कदली नामक चमड़े पर यदि चन्द्रविन्दु अंकित हों तो वह चन्द्रोत्तरा कहलाता है । रङ्ग में ये दोनों कालिका के समान होते हैं । कदली से तीन गुणा बड़ा (तीन

सैत्र चन्द्रचित्रा चन्द्रोत्तरा । कदलीत्रिभागा शाकुला कोठ-
मण्डलचित्रा कृतकर्णिकाजिनचित्रा चेति ।

१. सामूरं चीनसी सामूली च बाह्वेयाः । षट्त्रिंशदङ्गुलमञ्जन-
वर्णं सामूरम् । चीनसी रक्तकाली पाण्डुकाली वा । सामूली
गोधूमवर्णेति ।
२. सातिना नलतूला वृत्तपुच्छा औद्राः । सातिना कृष्णा । नल-
तूला नलतूलवर्णा । कपिला वृत्तपुच्छा च । इति चर्मजातयः ।
३. चर्मणां मृदु स्निग्धं बहुलरोम च श्रेष्ठम् ।
४. शुद्धं शुद्धरक्तं पक्षरक्तं च आविकम् । खचितं वानचित्रं
खण्डसङ्घात्यं तन्तुविच्छिन्नं च ।

हाथ का) या कदली का तीसरा हिस्सा (भाठ अङ्गुल) शाकुला नामक
चमड़ा होता है, जिसमें लाल धब्बे और कुछ गांठें पड़ी होती हैं ।

१. हिमालय के बालहव नामक प्रदेश में तीन प्रकार का चमड़ा होता है :
(१०) सामूर, (११) चीनसी और (१२) सामूली । सामूर चमड़ा अञ्जन
के समान काले रङ्ग का और छत्तीस अंगुल का होता है । चीनसी चमड़ा
लाल-काला अथवा पीला-काला रङ्ग का होता है । सामूली गेहुंए रङ्ग का
होता है । ये दोनों छ्बीस-छ्बीस अंगुल के होते हैं ।
२. उद्र नामक जलचर प्राणी की खाल तीन प्रकार की होती है (१३)
सातिना (१४) नलतूला और (१५) वृत्तपुच्छा । सातिना काले रङ्ग की
होती है । नलतूला, नरसल के समान सुफेद होती है । वृत्तपुच्छा लाल-
पीले रङ्ग की होती है । चमड़े की ये पन्द्रह प्रकार की भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं ।
३. सुलायम, चिकना और अधिक वालों वाला चमड़ा उत्तम समझा जाता है ।
४. भेड़ की ऊन के कपड़े प्रायः सफेद और सफेद-लाल अथवा दूसरे रंग के
भी होते हैं । इनके चार भेद हैं (१) खचित (बेल-वृटेदार), (२) वानचित्र
(बुनाई के समय जिनमें तरह-तरह के फूल चित्रित हों) (३) खण्ड-
संघात्य (तरह-तरह की बुनावट के छोटे-छोटे टुकड़ों के जोड़) और
(४) तन्तु-विच्छिन्न (जालीदार कपड़ा) ।

१. कम्बलः केचलकः कलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं तच्छिलकं वारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं च आविकम् ।
२. पिच्छलमार्द्रमिव च सूक्ष्म मृदु च श्रेष्ठम् ।
३. अष्टप्लोतिसङ्घात्या कृष्णा भिङ्गिसी वर्षवारणम्, अपसारक इति नैपालकम् ।
४. संपुटिका चतुरश्रिका लम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्तलिका इति मृगरोम ।
५. वाङ्गकं श्वेतं स्निग्धं दुकूलं, पौण्ड्रकं श्यामं मणिस्निग्धं, सौवर्णकुड्यकं सूर्यवर्णम् । मणिस्निग्धोदकवानं चतुरश्रवानं व्यामिश्रवानं च ।

१. इनके अतिरिक्त (१) कम्बल, (२) केचलक, (३) कलमितिका, (४) सौमितिका, (५) तुरगास्तरण, (६) वर्णक, (७) तच्छिलक, (८) वारवाण, (९) परिस्तोम और (१०) समन्तभद्रक, ये दस भेद बने हुए ऊनी वस्त्रों के और होते हैं ।
२. चिकना, चमकदार, बारीक डोरे का और मुलायम कम्बल उत्तम समझा जाता है ।
३. काले रंग के आठ टुकड़ों को जोड़ कर भिङ्गिसी बनाई जाती है, जो कि वर्षा में भीगने से बचाती है । इसी तरह एक ही साबूत कपड़े का बना अपसारक कहलाता है । ये कपड़े नैपाल देश में बनते हैं ।
४. मृग के वालों से छह प्रकार का कपड़ा बनाया जाता है : (१) संपुटिका (जाधिया या सुथनी), (२) चतुरश्रिका, (३) लम्बरा, (४) कटवानक (५) प्रावरक और (६) सत्तलिका ।
५. दुशाला देश भेद से तीन प्रकार का होता है : (१) वाङ्गक, (२) पौण्ड्रक और (३) सौवर्णकुड्यक । वाङ्गक अर्थात् बङ्गाल में बना हुआ दुशाला सफेद एवं चिकना होता है; पौण्ड्रक अर्थात् पुण्ड्र देश में बना हुआ दुशाला काला एवं मणि के समान स्निग्ध होता है; और असम के सुवर्णकुड्य नामक स्थान में बना हुआ दुशाला सूर्य के समान चमकदार होता है । इन

१. एतेषामेकांशुकमध्यर्धद्वित्रिचतुरंशुकमिति ।
२. तेन काशिकं पौण्ड्रकं च क्षौमं व्याख्यातम् ।
३. मागधिका पौण्ड्रिका सौवर्णकुड्यका च पत्रोर्णाः नागवृक्षो
लिकुचां वकुलो वटश्च योनयः । पीतिका नागवृक्षिका,
गोधूमवर्णा लैकुची, श्वेता वाकुली, शेषा नवनीतवर्णा ।
४. तासां सौवर्णकुड्यका श्रेष्ठा । तथा कौशेयं चीनपट्टाश्च चीन-
भूमिजा व्याख्याताः ।

दुशालों की बुनावट तीन प्रकार की होती है (१) दुशाले बनाने के साधन-भूत तन्तु पहिले पानी में भिगो दिए जाय; फिर सणिबन्ध में रगड़कर उन्हें मजबूत बना दिया जाय (२) ताना और बाना दोनों का तागा एक-सा बारीक हो, इस प्रकार की बुनावट (३) कपास, रेशम, ऊन आदि मिले हुए तन्तुओं से रंगीन बुनावट करना ।

१. जिसके ताने और बाने में एक जैसे बारीक तन्तु हों, वह उत्तम दुशाला है; इनसे ढ्योढ़े, दुगने, तिगुने आदि मोटे तन्तुओं के होने पर उत्तरोत्तर वह दुशाला कम कीमत का समझा जाता है ।
२. इसी प्रकार काशी तथा पुंड्र आदि में बनने वाले रेशमी वस्त्रों की उत्कृष्टता-निकृष्टता के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये; अर्थात् रेशम के तन्तु जितने बारीक और एक सूत के होंगे, रेशम उतना ही उत्तम होगा और तन्तुओं के मोटे होने पर उत्तरोत्तर वह निकृष्ट समझा जायगा ।
३. मगध, पुंड्रक और सुवर्णकुड्यक, इन तीन देशों में पत्रोर्णा नाम की ऊन होती है । वह नागकेसर, बड़हर, मौलसरी और वरगद, इन चार पेड़ों से पैदा होती है । नागकेसर के पेड़ से निकाली जाने वाली पत्रोर्णा पीली होती है । बड़हर पर गेहुँए रंग की होती है । मौलसरी की सुफेद होती है । वरगद तथा अन्य वृक्षों की पत्रोर्णा मक्खन के रंग की होती है ।
४. उनमें सुवर्णकुड्यक (असम) की पत्रोर्णा उत्तम समझी जाती है । इसी प्रकार दूसरे रेशम और चीन में उत्पन्न होने वाले चीनपट्ट के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये ।

१. माधुरमापरान्तकं कालिङ्गकं काशिकं वाङ्गकं वात्सकं माहिषकं
च कार्पासिकं श्रेष्ठमिति ।
२. अतः परेषां रत्नानां प्रमाणं मूल्यलक्षणम् ।
जातिं रूपं च जानीयान्निधानं नवकर्म च ॥
३. पुराणप्रतिसंस्कारं कर्मगुह्यमुपस्करान् ।
देशकालपरीभोगं हिंसाणां च प्रतिक्रियाम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे कोशप्रवेश्यरत्नपरीक्षा नाम

एकादशोऽध्यायः; आदितः एकत्रिंशः ।



१. मधुरा (मधुरा), अपरांतक (कोंकण), कलिंग, काशी, वंग, वात्स और माहिषक (मैसूर). इन देशों में पैदा होने वाली कपास के कपड़े सर्वोत्तम समझे जाते हैं ।
२. कोषाध्यक्ष को चाहिये कि वह, मोती से लेकर कपास तक जिन रत्न, सार और फलगु आदि पदार्थों का निरूपण किया गया है, तथा जिनका निरूपण आगे किया जायगा, इसके अतिरिक्त रत्नों के प्रमाण, मूल्य, लक्षण, जाति, रूप, निधान और संस्कार-शुद्धि आदि विषयों के संबन्ध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करे ।
३. पुराने रत्नों का पुनः संस्कार, उनको छीलना, उनका रंग बदलना, उनको साफ करना, देश-काल के अनुसार उनका उपयोग करना, कृमि-कीटों से उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना आदि कार्य भी कोषाध्यक्ष की जानकारी से सम्बद्ध हैं ।

अध्यक्षप्रचार नामक दूसरे अधिकरण में ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।



आकरकर्मन्तप्रवर्तनम्

१. आकराध्यक्षः शुल्बधातुशास्त्ररसपाकमणिरागज्ञस्तज्ज्ञसखो वा तज्जातकर्मकरोपकरणसंपन्नः किट्टमूषाङ्गारभस्मलिङ्गं वाकरं भूतपूर्वमभूतपूर्वं वा भूमिप्रस्तररसधातुमत्यर्थवर्णगौरवमुग्रगन्धरसं परीक्षेत ।
२. पर्वतानामभिज्ञातोद्देशानां बिलगुहोपत्यकालयनगूढखातेष्वन्तःप्रस्यन्दिनो जम्बूचूततालफलपक्कहरिद्राभेदहरितालक्षौद्रहिङ्गुलकपुण्डरीकशुकमयूरपत्रवर्णाः सवर्णोदकौषधिपर्यन्ताश्चिक्वणा विशदा भारिकाश्च रसाः काञ्चनिकाः ।

खान एवं सनिज पदार्थों की पहिचान और उनके विक्रय की व्यवस्था

१. आकर (खान) के अध्यक्ष को चाहिये कि वह शुल्बशास्त्र, धातुशास्त्र, रसायन, पाकविधि और मणिराग आदि के विषयों में निपुणता प्राप्त करे; अथवा उन विषयों के विशेषज्ञ पुरुषों तथा उन वस्तुओं के व्यापारियों के साथ रहकर; कुल्हाड़े, धौकनी, सन्सी आदि आवश्यक सामग्री को साथ लेकर, कीटी, मूषा, राख आदि लक्षणों को देखकर पुरानी खान की परीक्षा करे; यदि मिट्टी, पत्थर, पानी आदि में धातु मिली हुई जान पड़े या उनका रंग चमकदार मालूम हो या वे वजनदार लगे अथवा उनमें तेज गन्ध आती हो तो इन लक्षणों से समझ लेना चाहिए कि उस स्थान पर खान है ।
२. परिचित पहाड़ों के गड्ढों, गुफाओं, तराहियों, पथरीले स्थानों एवं शिलाओं से ढके हुए छेदों द्वारा वहने वाले जल से, जिसका रङ्ग जामुन, आम, ताड़ का फल, पक्की हल्दी, हरताल, मैन्सिल, शहद, शिगरफ, कमल, तोता, मोरपंख आदि के रङ्ग का हो, और अपने समान रङ्ग के पानी तथा औषधितक वहने वाले चिकने भारी जल को देखकर सोने की खान का अनुमान करना चाहिए ।

१. अप्सु निष्ठयूतास्तैलवद्विसर्पिणः पङ्कमलग्राहिणश्च ताप्ररूप्ययोः शतादुपरि वेद्वारः ।
२. तत्प्रतिरूपकमुग्रगन्धरसं शिलाजतु विद्यात् ।
३. पीतकास्ताम्रकास्ताम्रपीतका वा भूमिप्रस्तरधातवो भिन्ना नीलराजीमन्तो मुद्गमाषकसरवर्णा वा दधिविन्दुपिण्डचित्रा हरिद्राहरीतकीपत्रपत्रशैवलयकृत्प्लीहानवद्यवर्णा भिन्नाश्चुञ्चुवालुकालेखाविन्दुस्वस्तिकवन्तः सगुलिका अर्चिष्मन्तस्ताप्यमाना न भिद्यन्ते बहुफेनधूमाश्च सुवर्णधातवः प्रतीवापार्थास्ताम्ररूप्यवेधनाः ।
४. शङ्खकपूरस्फटिकनवनीतकपोतपारावतविमलकमयूरग्रीवावर्णाः

१. इस प्रकार के जल को यदि दूसरे जल में मिलाया जाय और वह तेल की तरह फैलने लगे; या निरविसी फल के समान पानी को साफ करता हुआ नीचे बैठ जाय; अथवा सौ पल तांबा या चाँदी उसके ऊपर डालकर यदि वह उसको एक पल जल सुन्दहरा बना दे तो समझना चाहिए कि इस जल-स्त्रीत के नीचे अवश्य ही सोने की खान है ।
२. यदि किसी स्थान पर उसी के समान केवल तेज गन्ध या उग्र रस की संभावना हो तो समझना चाहिए कि वहाँ पर शिलाजीत का उत्पत्तिस्थान है ।
३. पीले या ताँबे अथवा दोनों रङ्गों की मिट्टी और पत्थर जिनके तोड़ने पर बीच में नीली रेखायें या मूँग, उड़द, तिल आदि के समान; या दही के छोटे-छोटे कणों के समान छोटी-छोटी बूँदों वाला; हल्दी, हरीतकी, कमलपत्र, सेवार, यकृत, प्लीहा तथा केसर के समान या तोड़ने पर बारीक रेत की रेखाओं, बूँदों, स्वस्तिक-चिन्हों, मोटे रेत के कणों के समान; कान्ति युक्त और तपाए जाने पर न फटने वाली तथा बहुत क्षाग एवं धुँधों देने वाली सुवर्ण धातु होती है । इस प्रकार की मिट्टी और पत्थर से ताँबा तथा चाँदी को सोना बनाया जा सकता है ।
४. शंख, कपूर, स्फटिक मणि, मक्खन, जङ्गली कबूतर, पालतू कबूतर, सफेद तथा लाल रङ्ग की मणि, मयूर ग्रीवा, नील मणि, गोरोचन, गुग्गु, शकर,

सस्यकगोमेदकगुडमत्स्यण्डिकावर्णाः कोविदारपद्मपाटलीकला-
यक्षौमातसीपुष्पवर्णाः ससीसाः साञ्जनाः विस्रा भिन्नाः श्वेता-
भाः कृष्णाः कृष्णाभाः श्वेताः सर्वे वा लेखाविन्दुचित्रा मृदवो
ध्यायमाना न स्फुटन्ति बहुफेनधूमाश्च रूप्यधातवः ।

१. सर्वधातूनां गौरववृद्धौ सत्त्ववृद्धिः । तेषामशुद्धा मूढगर्भा
वा तीक्ष्णमूत्रक्षारभाविता राजवृक्षवटपीलुगोपित्तरोचनामहिष-
खरकरभमूत्रलण्डपिण्डबद्धास्तत्प्रतीवापास्तदवलेपा वा विशुद्धाः
स्रवन्ति ।

२. यवमाषतिलपलाशपीलुक्षारैर्गोक्षीराजक्षीर्वा कदलीवज्रकन्दप्रती-
वापो मार्दवकरः ।

कचनार, कमल, पाटली, मटर, अलसी आदि के समान रङ्ग वाले; सीसा, अञ्जन, दुर्गन्ध से युक्त; तोड़ने पर बाहर से सफेद मालूम होने वाले किन्तु भीतर तथा बाहर से काले और भीतर से सफेद प्रतीत होने वाले अथवा हर प्रकार की रेखाओं तथा बूँदों से युक्त, मृदु, तपाये जाने पर जो फटे नहीं किन्तु बहुत ज्ञाग और धुआँ उगलें; इस प्रकार की धातु रूप्यधातु कही जाती हैं ।

१. इन सभी धातुओं के सम्बन्ध में यह समझना चाहिए कि उनमें जितना ही भारीपन होगा वे उतनी ही उत्तम कोटि के सिद्ध होंगी । इनमें जो धातु अशुद्ध हो अथवा मैल जम जाने के कारण जिसके गुण-दोषों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पा रहा हो उसका शोधन कर लिया जाय । शोधन के प्रकार ये हैं : तीक्ष्णमूत्र (मनुष्य हाथी-घोड़ा, गाय, गधा, बकरा आदि में से किसी का मूत्र), तीक्ष्णचार, अमलतास, वरगद, पीलु, गोरोचन, भैंसे का मूत्र, बालक का मूत्र, ऊँट का मूत्र तथा उनके पुरीष, (मल) आदि वस्तुओं में कई बार धातुओं की भावनाएँ देने से वे विशुद्ध हो जाती हैं; अमलतास आदि के चूर्ण से अथवा उनके लेप से भी धातु का मल नष्ट होकर वे अपने असली रूप में आ जाती हैं ।

२. जो, उद्द, तिल, ढाक, पीलु वृक्ष का चार और गाय तथा बकरी के दूध में केला एवं सूरण को एकसाथ मिलाकर यदि उनमें सोने-चाँदी की भावना दी जाय तो वे नर्म हो जाते हैं ।

१. मधुमधुकमजापयः सतैलं घृतगुडकिण्वयुतं सकन्दलीकम् ।
यदपि शतसहस्रधा विभिन्नं भवति मृदु त्रिभिरेव तन्निषेकैः ॥
२. गोदन्तशृङ्गप्रतीवापो मृदुस्तम्भनः ।
३. भारिकः स्निग्धो मृदुश्च प्रस्तरधातुभूमिभागो वा पिङ्गलो
हरितः पाटलो लोहितो वा ताम्रधातुः ।
४. काकमेचकः कपोतरोचनावर्णः श्वेतराजिनद्धो वा विस्रः
सीसधातुः ।
५. ऊषरकर्बुरः प्रकलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातुः ।
६. कुरुम्बः पाण्डुरोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो वा तीक्ष्णधातुः ।

१. शहद, मुलहटी, बकरी का दूध, तेल, घी, गुड़ की शराब और खादर में पैदा होने वाले झाड़ आदि सब को मिलाकर, उनमें तीन बार सोने-चाँदी की भावना दी जाय तो वे चाहे जितने भी कटे-फटे एवं खुरदरे क्यों न हों, मुलायम हो जाते हैं ।
२. यदि पिघले हुए सोने-चाँदी के ऊपर गाय के दाँत तथा सींग का चूर्ण बुरक दिया जाय तो सोना-चाँदी ठोस हो जाते हैं ।
३. जहाँ पाषाणधातु, भूमिधातु और ताम्रधातु, इन तीन प्रकार के पत्थर तथा मिट्टी के चिकने एवं मृदु भू-भाग हों, वहाँ ताँबे की खान होती है । ताँबा चार प्रकार का होता है : (१) पिङ्गल (२) हरित (३) पाटल और (४) लोहित ।
४. जो भूमि-भाग कौए के समान काला, कबूतर तथा गोरोचन की आकृति वाला, सफेद रेखाओं से युक्त और दुर्गन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसा की खान समझनी चाहिए ।
५. जो भूमि-भाग ऊसर जमीन की भाँति कुछ सफेदी लिए हो, अथवा पके हुए ढेले के रंग का हो, वहाँ सफेद सीसे की खान समझनी चाहिये ।
६. जो भूमि भाग चिकने पत्थरों वाला, कुछ सफेदी एवं लाली लिए हो, अथवा उसकी आकृति निगुण्डी के पुष्प से मिलती हो, वहाँ लोहे की खान समझनी चाहिये ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २८, अध्याय १२

१. काकाण्डभुजपत्रवर्णो वा वैकृन्तकधातुः ।

२. अक्छः स्निग्धः सप्रभो घोषवान् शीततीव्रस्तनुरागश्च
'मणिधातुः ।

३. धातुसमुत्थं तज्जातकर्मान्तेषु प्रयोजयेत् ।

४. कृतभाण्डव्यवहारेमेकमुखम्, अत्ययं चान्यत्रकर्तृक्रेतृविक्रेतृणां
स्थापयेत् ।

५. आकरिकमपहरन्तमष्टगुणं दापयेदन्यत्र रत्नेभ्यः ।

६. स्तेनमनिसृष्टोपजीविनं च बद्ध्वा कर्म कारयेद्, दण्डोप-
कारिणं च ।

१. जो भूमि-भाग कौवे के अण्डे या भोजपत्र की आकृति का हो, वहां इस्पाती लोहे की खान समझनी चाहिये ।

२. जो भूमि-भाग, इतना स्वच्छ हो कि जिसमें परछाई दिखाई दे, जो चिकना, दीप्त, शब्द देने वाला, अत्यन्त शीतल और फीके रंग वाला हो, वहां मणियों की खान जाननी चाहिये ।

३. खान से प्राप्त सुवर्ण आदि के लाभ को पुनः खान के कार्यों में लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिये ।

४. किसी एक नियत स्थान में ही सुवर्ण आदि धातुओं की विक्री की व्यवस्था करनी चाहिये; उससे अन्यत्र बेचने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिये ।

५. धातुओं की चोरी करने वाले व्यक्ति पर, चोरी का आठ गुना दण्ड करना चाहिये; किन्तु यदि वह रत्नों की चोरी करता है तो उसको प्राणदण्ड दिया जाना चाहिये ।

६. जो व्यक्ति चोरी करे अथवा राजा की अनुमति के बिना धातुओं का व्यापार करे, उसे पकड़कर खान के कार्य में लगा देना चाहिये; और जिस व्यक्ति को न्यायालय ने प्राणदण्ड की सजा दी हो, किन्तु कारणवश वह उस दण्ड को पूरा न कर सके तो, ऐसे व्यक्ति को भी खान में लगा देना चाहिये ।

१. व्ययक्रियाभारिकमाकरं भागेन प्रक्रयेण वा दद्यात्, लाघ-
विकमात्मना कारयेत् ।
२. लोहाध्यक्षः ताम्रसीसत्रपुवैकृन्तकारकूटवृत्तकंसताललोहकर्मान्तान्
कारयेत्, लोहभाण्डव्यवहारं च ।
३. लक्षणाध्यक्षः चतुर्भागताम्रं रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाञ्जनानाम-
न्यतमाषबीजयुक्तं कारयेत् पणम्, अर्धपणं पादमष्टभाग-
मिति । पादाजीवं ताम्ररूपं माषकमर्धमाषकं काकणीमर्धका-
कणीमिति ।

१. यदि खान पर लोगों का कर्जा चढ़ गया हो और उस कर्जा को चुकता कर देने पर ही लाभ निर्भर हो तो, खान के अध्यक्ष को चाहिए कि वह थोड़ी-थोड़ी किस्तों में उस कर्जे को चुकता कर दे; अथवा राजा से, कुछ सोना देकर, एक सुस्त रकम देकर, वह उस कर्जे को सर्वथा चुकता कर दे । यदि थोड़ी पूंजी या थोड़े श्रम से कार्य पूरा हो सकता है तो, अध्यक्ष स्वयं ही वैसा कर दे ।
२. अध्यक्ष को चाहिए कि वह ताँबा, सीसा, त्रपु, वैकृन्तक, आरकूट, वृत्त, कंस और ताल आदि अन्य प्रकार के लोहों का कार्य अपनी देख-रेख में कराये । लोहे की बनी वस्तुओं एवं तत्सम्बन्धी कार्य-व्यवहार को भी वह अपनी निगरानी में करवावे ।
३. एकसाल के अध्यक्ष (लक्षणाध्यक्ष) को चाहिए कि वह पण, अर्धपण, पादपण तथा अष्टभागपण नामक चार चाँदी के सिक्कों को विधिपूर्वक ढलवावे । १६ माष का एक पण होता है । उसमें ४ माष ताँबा; लोहा, राँगा, सीसा तथा अंजन, इनमें से कोई भी एक माष; बाकी ११ माष चाँदी होनी चाहिए । इसी हिसाब से अर्धपण (अठन्नी), पादपण (चवन्नी) और अष्टभागपण (दुअन्नी) आदि को ढलवावे । पण के चौथे हिस्से को व्यवहार में लाने के लिए ताँबे का एक अलग सिक्का होना चाहिए, जिसमें चौथाई हिस्सा चाँदी, एक हिस्सा लोहा, सीसा आदि में से कोई एक और ग्यारह माष ताँबा होना चाहिए; इस सिक्के का नाम माषक है, जिसका वजन सोलह माष होता है; इसका

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २८, अध्याय १२

१. रूपदर्शकः पणयात्रां व्यावहारिकीं कोशप्रवेश्यां च स्थापयेत् । रूपिकमष्टकं शतं, पञ्चकं शतं व्याजीं, पारीक्षिकमष्टभागिकं शतम् । पञ्चविंशतिपणमत्ययं चान्यत्र कर्तृक्रेतु-विक्रेतुपरीक्षितृभ्यः ।
२. खन्यध्यक्षः शङ्खवज्रमणिमुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तान् कारयेत्, पणनव्यवहारं च ।
३. लवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लवणभागं प्रक्रयं च यथाकालं संगृह्णीयाद्, विक्रयाच्च मूल्यं रूपं व्याजीं च ।

भी अर्धमाषक सिक्का तैयार करवाना चाहिए; इसके पादमाषक तथा अष्टभाग-माषक के लिए 'काकणी' तथा 'अर्धकाकणी' नामक सिक्कों को बनवाना चाहिए ।

१. सिक्कों के विशेषज्ञ को इस बात की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि कौन-सा सिक्का चलाया जाय और कौन-सा सिक्का खजाने में जमा किया जाय ! सौ पण पर जो आठ पण राज्यभाग जनता से लिया जाता है, उसका नाम रूपिक है; सौ पण पर पाँच पण राज्यभाग व्याजी और सौ पण पर आठ पण राज्यभाग पारीक्षिक कहलाता है । यदि कोई पारीक्षिक का अपहरण करे तो उसे पच्चीस पण दण्ड दिया जाय; यदि अधिक अपहरण करे तो, अपहृतधन के हिसाब से, उस पर दुगुना, चौगुना दण्ड नियत करना चाहिए । किन्तु सिक्कों को बनाने, बेचने, खरीदने और परीक्षा करने वाले अधिकारियों के लिए दण्ड-विधान की व्यवस्था कुछ दूसरी ही है ।
२. खान के अध्यक्ष को चाहिए कि वह शंख, वज्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल तथा सभी तरह के चारों की उत्पत्ति और उनके क्रय-विक्रय की सुव्यवस्था करे !
३. लवण के अध्यक्ष को चाहिए कि वह विक्री के लिए तैयार नमक को और किसी दूसरी खान से कुछ शर्तों के आधार पर नियत मात्रा में उपलब्ध होने वाले नमक को ठीक समय से संग्रह कर ले; उसको चाहिए कि वह उसके विक्रय का, विक्री से प्राप्त होने वाले मूल्य का और रूप एवं व्याजी का सुप्रबंध करे ।

१. आगन्तुलवणं षड्भागं दद्यात् । दत्तभागविभागस्य विक्रयः । पञ्चकं शतं व्याजीं, रूपं, रूपिकं च । क्रेता शुल्कं, राज-पण्यच्छेदानुरूपं च वैधरणं दद्यात् । अन्यत्रक्रेता षट्छत-मत्ययं च ।
२. विलवणमुत्तमं दण्डं दद्यात् , अनिसृष्टोपजीवी च । अन्यत्र वानप्रस्थेभ्यः । श्रोत्रियास्तपस्विनो विष्टयश्च भक्तलवणं हरेयुः ।
३. अतोऽन्यो लवणक्षारवर्गः शुल्कं दद्यात् ।
४. एवं मूल्यं विभागं च व्याजीं परिघमत्ययम् । शुल्कं वैधरणं दण्डं रूपं रूपिकमेव च ॥

१. विदेश से बिक्री के लिए आये हुए नमक का छठा भाग राजकर के रूप में देना चाहिए। जो व्यक्ति समुचित राजकर एवं तौल का टैक्स भदा करे वही उसको बेचने का अधिकारी है, और उसे पाँच प्रतिशत व्याजी, रूप तथा रूपिक भी राजकर के रूप में भदा करना चाहिए। उस माल को खरीदने वाला व्यक्ति भी राजकर भदा करे; उसकी छीजन भी वह पूरी करे। राजकीय बाजार का कोई व्यापारी यदि बाहर से नमक मंगाता है तो उस से छह प्रतिशत राजकर के अतिरिक्त जुर्माना भी भदा किया जाय।

२. घटिया या मिलावटी नमक बेचने वाले व्यापारी को उत्तम साहस दण्ड देना चाहिये। इसी प्रकार जो राजाज्ञा के विरुद्ध नमक को बनाता है या उसका व्यापार करता है, उसे भी उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए। किन्तु यह नियम वानप्रस्थियों पर लागू नहीं होता है। श्रोत्रिय, बेगार ढोने वाले और तपस्वी लोग बिना कीमत दिये भी अपने उपयोग के लायक नमक ले जा सकते हैं।

३. इनके अतिरिक्त, नमक और चार का उपयोग करने वाले सभी लोग नमक के अर्धत्त और चार के अर्धत्त को शुक्ल भदा करें।

४. इस प्रकार मूल्य, विभाग, व्याजी, परिघ, अत्यय, शुक्ल, वैधरण, दण्ड, रूप,

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २८, अध्याय १२

खनिभ्यो द्वादशविधं धातुं पण्यं च संहरेत् ।
एवं सर्वेषु पण्येषु स्थापयेन्मुखसंग्रहम् ॥

१. आकरप्रभवः कोषः कोषाद्दण्डः प्रजायते ।
पृथिवी कोषदण्डाभ्यां प्राप्यते कोषभूषणा ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे आकरकर्मान्तप्रवर्तनं नाम

द्वादशोऽध्यायः; आदितः द्वात्रिंशः ।



रूपिक, खनिज पदार्थ और भिन्न-भिन्न प्रकार के विक्रेय पदार्थों का संग्रह करना चाहिए । राज्यभर की सभी मंडियों में प्रमुख विक्रेय वस्तुएं विक्री के लिए रखी जानी चाहिए ।

१. कोष की उन्नति खान पर निर्भर है; कोष की समृद्धि से शक्तिशाली सेना तैयार की जा सकती है । इस कोषगर्भा पृथिवी को कोष और सेना से ही प्राप्त किया जा सकता है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में बारहवाँ अध्याय समाप्त ।



अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षः

१. सुवर्णाध्यक्षः सुवर्णरजतकर्मान्तानामसम्बन्धावेशनचतुःशालामे-
कद्वारामक्षशालां कारयेत् । विशिखामध्ये सौवर्णिकं शिल्प-
वन्तमभिजातं प्रात्ययिकं च स्थापयेत् ।
२. जाम्बूनदं शतकुम्भं हाटकं वैणवं शृङ्गिशुक्तिजं, जातरूपं रस-
विद्धमाकरोद्गतं च सुवर्णम् ।
३. किञ्जल्कवर्णं मृदु स्निग्धमनादि भ्राजिष्णु च श्रेष्ठं, रक्तपीतकं
मध्यमं, रक्तमवरं श्रेष्ठानाम् ।

अक्षशाला में सुवर्णाध्यक्ष के कार्य

१. सुवर्णाध्यक्ष को चाहिए कि वह सोने-चांदी के प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक अक्षशाला का निर्माण करवावे; उसमें एक ही प्रधान द्वार होना चाहिये; उसके चारों ओर, एक दूसरे से अलग, चार बड़े भवन होने चाहियें । विशिखा (सर्राफा बाजार) में चतुर, कुलीन, विश्वस्त और पारखी सर्राफों को बसाया जाय ।
२. सोना पाँच प्रकार का होता है; उसके रङ्ग भी पाँच होते हैं : (१) जाम्बूनद (मेरु पर्वत से निकलने वाली जम्बू नदी से उत्पन्न जाम्बूनी रङ्ग का), (२) शतकुम्भ (शतकुम्भ पर्वत से उत्पन्न, कमलरज के समान), (३) हाटक (सोने की खान से उत्पन्न, सेवतीपुष्प की भांति), (४) वैणव (वेणु पर्वत पर उत्पन्न कर्णिकारपुष्प की आकृति का), और (५) शृङ्गिशुक्तिज (स्वर्णभूमि में उत्पन्न, मैसिल के रङ्ग का) । सुवर्ण के तीन प्रकार हैं : (१) जातरूप (स्वयं शुद्ध), (२) रसविद्ध (रमायन क्रियाओं द्वारा निर्मित) और (३) आकारोद्गत (अशुद्ध, खानों से निकाला हुआ) ।
३. कमलरज की आकृति का, मृदु, स्निग्ध, शब्दरहित और चमकदार सोना

१. पाण्डु श्वेतं चाप्राप्तकम् । तद्येनाप्राप्तकं तच्चतुर्गुणेन सीसेन शोधयेत् , सीसान्वयेन भिद्यमानं शुष्कपटलैर्ध्मापयेत् , रूक्षत्वाद्भिद्यमानं तैलगोमये निषेचयेत् ।
२. आकरोद्गतं सीसान्वयेन भिद्यमानं पाकपत्राणि कृत्वा गण्डिकासु कुड्डयेत् , कन्दलीवज्रकन्दकल्के वा निषेचयेत् ।
३. तुत्थोद्गतं गौडिकं काम्बुकं चाक्रवालिकं च रूप्यम् । श्वेतं स्निग्धं मृदु च श्रेष्ठम् । विपर्यये स्फोटनं च दुष्टम् । तत्सीसचतुर्भागेन शोधयेत् ।

सर्वोत्तम; लाल-पीत वर्ण मिश्रित सोना मध्यम; और केवल लाल वर्ण का निकृष्ट होता है ।

१. उत्तम कोटि के सुवर्ण में से जिसमें कुछ पीलाई एवं सुफेदी हो वह अप्राप्तक कहलाता है । उस सोने में जितना मैल मिला हो, उससे चौगुना सीसा डालकर उसे शुद्ध करना चाहिये । सीसा मिला देने से यदि वह फटने लगे तो उसे जंगली कण्डों की भाग में तपाना चाहिए । यदि शुद्ध करते समय रुखापन भा जाने से वह फटने लगे तो तेल और गोबर को मिलाकर बार-बार उसमें भावना देनी चाहिए ।
२. खान से निकाले हुए सोने को भी सीसा मिलाकर शुद्ध किया जाना चाहिए । यदि सीसा मिलाने से वह फटने लगे तो उसके साथ पके हुए पत्ते मिला लिए जाँय और तब उसको लकड़ी के तख्ते पर रखकर खूब कूटा जाना चाहिए । अथवा कन्दलीलता, श्रीवेर और कमलजड का काथ बनाकर तब तक उस सुवर्ण को उसमें भिगोया जाय, जब तक कि उसका फटना दूर नहीं होता है ।
३. चाँदी चार प्रकार की होती है : (१) तुत्थोद्गत (तुत्थ नामक पर्वत से उत्पन्न, चमेली पुष्प के समान), (२) गौडिक (असम में उत्पन्न, तगर-पुष्प की आकृति की), (३) कांबुक (कांबु पर्वत से उत्पन्न) और (४) चाक्रवालिक (चक्रवाल खान से उत्पन्न, कुन्दपुष्प के समान) । श्वेत, स्निग्ध और मुलायम चाँदी सर्वोत्तम समझी जाती है । इनके विपरीत काली, रूक्ष, खरखरी और फटी हुई चाँदी खराब होती है । खराब चाँदी में चौथाई सीसा डालकर उसको शुद्ध करना चाहिये ।

१. उद्गतचूलिकमच्छं भ्राजिष्णु दधिवर्णं च शुद्धम् ।
२. शुद्धस्यैको हारिद्रस्य सुवर्णो वर्णकः । ततः शुल्बकाकण्युत्तराप-
सारिता आ चतुःसीमान्तादिति षोडश वर्णकाः ।
३. सुवर्णं पूर्वं निकष्य पश्चाद्वर्णिकां निकषयेत् । समरागलेखमनि-
म्नान्नते देशे निकषितम् । परिमृदितं परिलीढं नखान्तराद्वा
गैरिकेणावचूर्णितमुपधि विद्यात् । जातिहिङ्गुलकेन पुष्पकासी-
सेन वा गौमूत्रभावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पृष्टं सुवर्णं
श्वेतीभवति ।

१. जिसमें बुदबुदे उठे हों, जो स्वच्छ, चमकदार और दही के समान श्वेत हो, वह शुद्ध चांदी होती है ।
२. हल्दी के समान स्वच्छ, शुद्ध सुवर्ण का सोलह माष का वर्णक शुद्ध वर्णक कहलाता है । उसमें चतुर्थांश ताँबा मिला दिया जाय और उतना ही हिस्सा सुवर्ण कम कर दिया जाय; इसी तरह सोने का हिस्सा कम करके और ताँबे का हिस्सा मिलाकर सोलह वर्णक बन जाते हैं । ये सोलहों मिश्र वर्णक कहलाते हैं और उनमें शुद्ध वर्णक को जोड़ दिया जाय तो सत्रह वर्णक हो जाते हैं ।
३. वर्णक की परीक्षा करने से पूर्व सुवर्ण की परीक्षा कर लेनी चाहिये; सोने को पहिले कसौटी पर विसना चाहिये और तत्पश्चात् वर्णक को । विसने के बाद उनमें समान वर्ण तथा समान रेखायें दिखाई दें; विसने से उंचा-नीचा न हो तो वर्णक को ठीक समझना चाहिये । (१) यदि विक्रेता वर्णक को उत्कृष्ट बताने के उद्देश्य से कसौटी को उस पर जोर से रगड दे; (२) या विक्रेता उसकी हीनता बताने के लिए कसौटी को धीरे से रगड़े; (३) अथवा नाखून में गेरु आदि कोई लाल-पीली वस्तु छिपाकर सोने के साथ कसौटी पर रेखा बना दे, तो इस प्रकार से यह तीनों प्रकार का कपटपूर्ण व्यवहार कहा जाता है । कपटी सर्राफ सोने को घटिया सिद्ध करने के लिए गो-मूत्र में भावना दिये गये एक विशेष प्रकार के सिंगरफ के साथ तथा कुछ पीले रङ्ग के हरनाल के साथ लिपटे हुए लेप को हाथ के अप्रभाग के स्पर्श से सोने का रङ्ग फीका कर देते हैं ।

१. सकेसरः स्निग्धो मृदुर्भ्राजिष्णुश्च निकषरागः श्रेष्ठः ।
२. कालिङ्गकस्तापीपाषाणो वा मुद्गवर्णो निकषः श्रेष्ठः । सम-
रागी विक्रयक्रयहितः । हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी
विक्रयहितः । स्थिरः परुषो विषमवर्णश्चाप्रतिरागी क्रयहितः ।
३. छेदश्चिकणः समवर्णः श्लक्ष्णो मृदुर्भ्राजिष्णुश्च श्रेष्ठः ।
४. तापे बहिरन्तश्च समः किञ्चल्कवर्णः कुरण्डकपुष्पवर्णो वा
श्रेष्ठः । श्यावो नीलश्चाप्राप्तकः ।
५. तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वक्ष्यामः । तेनोपदेशेन रूप्यसुवर्णं
दद्यादाददीत च ।

१. केसर के समान रङ्ग वाली, स्निग्ध, मृदु और चमकदार रेखा जिस कसौटी पर खिंचे, उसे सर्वोत्तम समझना चाहिए ।
२. कलिङ्ग देश के महेन्द्र पर्वत से अथवा तापी नदी से उत्पन्न, मूंग के समान आकृति वाली कसौटी सर्वोत्तम समझनी चाहिए । सोने के रङ्ग को ठीक तरह से ग्रहण करने वाली कसौटी क्रेता-विक्रेता, दोनों के लिए उचित है । हस्तिचर्म के समान खरखरी, हरे रङ्ग की और विपरीत रङ्ग को घताने वाली कसौटी सोना बेचने वालों के हक में अच्छी है । इसी प्रकार ठोस, कठोर, खरखरी, तरह-तरह के रङ्गों वाली और असली रङ्ग को न घताने वाली कसौटी सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी नहीं है ।
३. चिकना, बाहर-भीतर एक रङ्ग वाला, स्निग्ध, मृदु और चमकदार, सोने का टुकड़ा श्रेष्ठ समझा जाता है ।
४. यदि सोने का टुकड़ा, तपाये जाने पर, बाहर-भीतर एक ही रङ्ग दे, या वह कमलरज के समान दिखाई दे, या वह कुरण्ड के फूल की भाँति हो जाय तो उसे भी श्रेष्ठ समझना चाहिए । यदि तपाने से उसमें फर्क पड़ जाय, उसपर नीलिमा छा जाये तो समझना चाहिए कि वह खोटा है ।
५. सोना-चाँदी तौलने का विधान आगे चलकर 'पौतवाध्यक्ष' प्रकरण में कहा जायगा । उस प्रकरण में निर्दिष्ट तौल के अनुसार ही सोना-चाँदी देने और लेने चाहिएँ ।

१. अक्षशालामनायुक्तो नोपगच्छेत् । अभिगच्छन्नुच्छेद्यः आयुक्तो वा सरूप्यसुवर्णस्तेनैव जीयेत । विचितवस्त्रहस्तगुह्याः काञ्चन-पृषतत्वष्टृतपनीयकारवो ध्मायकचरकपांसुधावकाः प्रविशेषु-निष्कसेयुश्च । सर्वं चैषामुपकरणमनिष्ठिताश्च प्रयोगास्तत्रैवाव-तिष्ठेरन् । गृहीतं सुवर्णं धृतं च प्रयोगं करणमध्ये दध्यात् । सायं प्रातश्च लक्षितं कर्तृकारयितृमुद्राभ्यां निदध्यात् ।
२. क्षेपणो गुणः क्षुद्रकमिति कर्माणि । क्षेपणः काचार्यणादीनि । गुणः सूत्रवानादीनि । घनं सुषिरं पृषतादियुक्तं क्षुद्रकमिति ।

१. अक्षशाला में वे ही व्यक्ति प्रवेश करें, जो वहाँ कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए हैं । निषेध करने पर भी यदि कोई प्रवेश करते हुए पकड़ा जाये तो उसका सर्वस्व अपहरण कर लेना चाहिए । अक्षशाला में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने साथ सोना चाँदी लेजाता हुआ पकड़ा जाय तो उसे भी यथायोग्य दण्ड देना चाहिए । रसप्रयोग से सोना बनाने वाले, छोटी-छोटी गोली बनाने वाले, बड़े-बड़े पात्र बनाने वाले, तरह-तरह के आभूषण बनाने वाले, झाड़ू देने वाले तथा अन्य परिचारक, अपनी-अपनी वर्दी पहिने तलाशी देकर अक्षशाला में प्रवेश करें और बाहर निकलें । इन कारीगरों के औजार एवं आधे बनाये हुए आभूषण आदि अक्षशाला में ही रहें; बाहर कदापि न जाने पावें । भाँडागार से तौल कर लिया गया सोना तथा उससे बने हुए आभूषण आदि, कार्य करने के अनन्तर, भाँडागार के लेखक को भली भाँति तौल कर सौंप देना चाहिए, और विधिवत् उसको रजिस्टर में दर्ज करवा देना चाहिए । सायं और प्रातः प्रतिदिन, काम खत्म होने और शुरू होने पर सौवर्णिक तथा सुवर्णाध्यक्ष से मुहर लगाकर भण्डार का लेखक उस सुवर्ण को भण्डार में वन्द करके रख दे ।

२. आभूषण सम्बन्धी कार्य तीन प्रकार के होते हैं : (१) क्षेपण, (२) गुण और (३) क्षुद्रक । आभूषणों पर मणियों के जोड़ने को क्षेपण कहते हैं । सोने के बारीक सूतों को जोड़ने के लिए गुण कहा जाता है । ठोस तथा पोले, छोटी-छोटी वृंदो या गोलियों से बने आभूषण सम्बन्धी कार्य को क्षुद्रक कहते हैं ।

१. अर्पयेत् काचकर्मणः पञ्चभागं काश्चनं दशभागं कटुमानम् ।
ताम्रपादयुक्तं रूप्यं रूप्यपादयुक्तं वा सुवर्णं संस्कृतकं तस्माद्रक्षेत् ।
२. पृषतकाचकर्मणस्त्रयो हि भागाः परिभाण्डं द्वौ वास्तुकम् ।
चत्वारो वा वास्तुकं त्रयः परिभाण्डम् ।
३. त्वष्टृकर्मणः । शुल्बभाण्डं समसुवर्णेन संयूहयेत् । रूप्यभाण्डं
घनं घनसुषिरं वा सुवर्णार्धेन अवलेपयेत् । चतुर्भागसुवर्णं वा
वालुकाहिङ्गुलकस्य रसेन चूर्णेन वा वासयेत् ।

१. मणियों की जुड़ाई सम्बन्धी कार्य को काचकर्म कहते हैं । मणि के पाँचवें हिस्से को सोने से पिरो दे; मणि इधर-उधर न होने पावे, उसके लिए चारो ओर से सोने की पट्टी लगी रहती है उसको कटुमान कहा जाता है । मणि का जितना हिस्सा सोने में पिरो दिया जाय उसका आधा हिस्सा (दशवां भाग) कटुमान का होना चाहिए; स्वर्णकार शुद्ध किए हुए सोने में मिलावट कर सकते हैं; चाँदी की जगह ताँवा और सोने की जगह चाँदी भर कर वे उतने अंश को हड़प कर सकते हैं; यह मिलावटी सोना-चाँदी शुद्ध ही जैसा प्रतीत होता है; इसलिए इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को पूरी निगरानी रखनी चाहिए ।

२. मिश्रित काचकर्म के सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिए कि पहिले गुटिका आदि से मिश्रित काचकर्म के लिए जितना सुवर्ण निर्धारित हो उसके पाँच भाग किए जाय; उनमें तीन भाग पद्म, स्वस्तिक आदि बनाने के लिए और दो भाग उसका आधारपीठ बनाने के लिए होता है; यदि मणि बड़ी हो तो सुवर्ण के सात हिस्से करने चाहिए। जिनमें चार हिस्से आधार के लिए और शेष तीन हिस्से स्वस्तिक आदि के लिए काम में लाये जाय ।

३. ताँबे तथा चाँदी के घनपत्र की विधि इस प्रकार है : जितना ताँबे का पात्र हो उतना ही सोने का पत्र उसके ऊपर चढ़वा देना चाहिए; चाँदी का पात्र चाँहे ठोस हो या पोला हो, उसपर उसके भार से आधे, सोने का पानी चढ़वा दे; अथवा चौथा हिस्सा सोना लेकर उसे बालू और शिंजरफ के चूर्ण एवं रस के साथ मिलाकर भूसी की अग्नि में पिघलाकर पानी की तरह चढ़वा दे ।

१. तपनीयं ज्येष्ठं सुवर्णं सुरागं, समसीसातिक्रान्तं पाकपत्रपक्वं सैन्धविक्रयोज्ज्वालितं नीलपीतश्वेतहरितशुकपोतवर्णानां प्रकृतिर्भवति । तीक्ष्णं चास्य मयूरग्रीवाभं श्वेतभङ्गं चिमिचिमायितं पीतचूर्णितं काकणिकः सुवर्णरागः ।
२. तारमुपशुद्धं वा । अस्थितुत्थे चतुः, समसीसे चतुः, शुष्कतुत्थे चतुः, कपाले त्रिर्गोमये द्विः, एवं सप्तदशतुत्थातिक्रान्तं सैन्धविक्रयोज्ज्वालितम् । एतस्मात्काकण्युत्तरापसारिता । आ द्विमापादिति सुवर्णे देयं, पश्चाद्रागयोगः । श्वेततारं भवति ।

१. आभूषण आदि के लिए प्रस्तुत, कमलरज के समान स्वच्छ, स्निग्ध और चमकदार सोना उत्तम किस्म का है । वह शुद्ध सोना नील, पीत, श्वेत, हरित और शुकपोत (तोते का बच्चा) आदि रङ्ग के आभूषणों के योग्य होता है । अशुद्ध सुवर्ण में उसके परिमाण का सीसा डालकर उसे शुद्ध किया जाय; अथवा उसके पतले-पतले पत्र बनाकर फिर अरण्य के कण्डों की तपन से उसको शुद्ध किया जाय; या सिंधदेश की मिट्टी के साथ घिसकर उसे शुद्ध किया जाय । इस सुवर्ण के साथ इस्पाती लोहा भी नील, पीत आदि आभूषणों के योग्य होता है । इस्पाती लोहा मोर की गर्दन के समान आकृति का और काटने पर श्वेत, चमकता हुआ होना चाहिये । यदि गरम करके उसका चूर्ण बनाया जाय और उसको एक काकिणी सोने में मिला दिया जाय तो सोने का रङ्ग खिल उठता है ।

२. लोहे के स्थान पर शुद्ध चांदी भी मिलाई जा सकती है । हड्डी के चूर्ण के साथ मिली हुई मिट्टी से बनी हुई घरिया में चार बार, मिट्टी और सीसे से बनी घरिया में चार बार, शुद्ध मिट्टी से बनी घरिया में तीन बार और गोबर में तीन बार—इस प्रकार सत्रह बार घरिया में बदलने के बाद सिंधदेश की सारी मिट्टी में रगड़ देने से श्वेतवर्ण की शुद्ध रूप्यधातु तैयार हो जाती है । उसमें से एक काकिणी चांदी सोने में मिलाई जा सकती है । इस प्रकार दो माष तक चांदी मिलाकर उतना सोना निकाला जा सकता है । इस प्रकार सोने में चांदी मिला देने से और तदनन्तर उसको चमका देने वाली चीजों के सहयोग से सुवर्ण भी चांदी की तरह चमकने लगता है ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण २६, अध्याय १३

१. त्रयोऽंशाः तपनीयस्य द्वात्रिंशद्भागश्चेततारमूर्च्छितं तत् श्वेत-लोहितकं भवति । ताम्रं पीतकं करोति ।
२. तपनीयमुज्ज्वाल्य रागत्रिभागं दद्यात् । पीतरागं भवति ।
३. श्वेततारभागौ द्वावेकस्तपनीयस्य मुद्गवर्णं करोति ।
४. कालायसस्यार्धभागाभ्यक्तं कृष्णं भवति । प्रतिलेपिना रसेन द्विगुणाभ्यक्तं तपनीयं शुकपत्रवर्णं भवति । तस्यारम्भे राग-विशेषेषु प्रतिवर्णिकां गृह्णीयात् ।
५. तीक्ष्णताम्रसंस्कारं च बुध्येत । तस्माद्ब्रजमणिमुक्ताप्रवाल-रूपाणामपनेयिमानं च रूप्यसुवर्णभाण्डबन्धप्रमाणानि चेति ।

१. बत्तीस भागों में विभक्त साधारण सोने में तीन भाग निकालकर उनकी जगह तीन भाग शुद्ध सोना और शेष भाग चाँदी को एक साथ मिलाकर घरिया में उलटने-पुलटने से उसका रंग श्वेत-लाल मिश्रित रङ्ग का हो जाता है । यदि पूर्वोक्त रीति से चाँदी के साथ या ताँबे को सोने में मिला दिया जाय तो वह उसके रङ्ग को पीला बना देता है ।
२. साधारण सोने को खारी मिट्टी से चमका कर उसमें शुद्ध सोने का तीसरा भाग मिला दिया जाय तो उसका रंग लाल-पीला हो जाता है ।
३. दो भाग शुद्ध चाँदी में एक भाग सोने को मिला कर भावना देने से उसका रंग मूँग के समान हो जाता है ।
४. सोने का छूठा हिस्सा लोहा मिला देने से उसका रंग काला हो जाता है । पिघले हुए लोहे तथा शुद्ध चाँदी से मिला हुआ दुगुना सोना सुवापंखी रंग का हो जाता है । इसी प्रकार पूर्वोक्त नील, पीत, आदि रंगों के भेद को जानने के लिए प्रत्येक वर्णक को ग्रहण करना चाहिए ।
५. सोने का रंग बदलने के लिए उपयोग में आने वाले लोहे, ताँबे का शुद्ध करना आवश्यक है; इस लिए उनके शुद्ध करने की विधि भली भाँति जान लेनी चाहिए । जिससे वज्रमणि, मुक्ता, प्रवाल आदि उत्तम रत्नों में मिला-बट न हो सके और सोने-चाँदी आदि के आभूषण में कोई न्यूनाधिक्य मेल करके गड़बड़ी न कर सके, इसके लिए उत्तम रत्नों और सोना-चाँदी आदि के आभूषणों के संबंध में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

१. समरानं समद्वन्द्वमशक्तं पृपतं स्थिरम् ।
 सुप्रमृष्टमसंपीतं विभक्तं धारणे सुखम् ॥
 अभिनीतं प्रभायुक्तं संस्थानमधुरं समम् ।
 मनोनेत्राभिरामं च तपनीयगुणाः स्मृताः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षं नाम
 त्रयोदशोऽध्यायः ; आदितश्चतुस्त्रिंशः ।



१. (१) एकं सा रंग होना, (२) वजन तथा रूप में समान होना, (३) बाँच में गाँठ आदि का न होना, (४) टिकाऊ होना, (५) अच्छी तरह चमकाया हुआ होना, (६) ठीक तरह बना हुआ होना, (७) अलग-अलग हिस्सों वाला, (८) पहनने में सुखकर, (९) साफ-सुथरा, (१०) कांतिमान, (११) अच्छा दिखाई देने वाला, (१२) एक जैसी बनावट का, (१३) अयुक्त छिद्रों से रहित और (१४) मन तथा आँखों को अच्छा लगाने वाला, ये चौदह गुण सोने के आभूषणों में होते हैं ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।



निशिखायां सौवर्णिक प्रचारः

१. सौवर्णिकः पौरजानपदानां रूप्यसुवर्णमावेशनिभिः कारयेत् । निर्दिष्टकालकार्यं च कर्म कुर्युः, अनिर्दिष्टकालं कार्यापदेशम् ।
२. कालातिपातने पादहीनं वेतनं तद्द्विगुणश्च दण्डः । कार्यस्यान्यथाकरणे वेतननाशः, तद्विगुणश्च दण्डः ।
३. यथावर्णप्रमाणं निक्षेपं गृह्णीयुस्तथाविधमेवार्पयेयुः, कालान्तरादपि च तथाविधमेव प्रतिगृह्णीयुरन्यत्र क्षीणपरिशीर्णाभ्याम् ।

राजकीय स्वर्णकारों के कर्तव्य

१. सौवर्णिक (राज्य का प्रधान आभूषण व्यापारी) को चाहिये कि वह, नगरवासियों और जनपदवासियों के सोने-चांदी के आभूषणों का कार्य शिल्पशाला में बैठकर काम करने वाले सुनारों द्वारा कराये । सुनारों को चाहिए कि वे समय और वेतन को नियत करके ही कार्य करें; यदि कार्य की अधिकता हो या वायदे की अवधि बीत रही हो, तो उन्हें नियत समय से भी अधिक कार्य करना चाहिए ।
२. यदि कोई सुनार वायदे के अनुसार कार्य पूरा न करे तो उसके वेतन का चौथाई भाग जब्त करके उसे वेतन का दुगुना दण्ड दिया जाय । यदि कोई सुनार अभीष्ट जेवर को न बनाकर दूसरा ही जेवर बनाकर दे, तो उसकी मजदूरी जब्त कर उसे नियत वेतन का दुगुना दण्ड दिया जाय ।
३. सुनारों को चाहिए कि वे जिस प्रकार और जितने वजन का सोना आदि आभूषण बनाने के लिए लें, उसी प्रकार और उतने ही वजन का आभूषण बना कर वापिस करें । सुनार के परदेश चले जाने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण यदि सुनार के घर सोना बहुत दिनों तक पड़ा रह जाय तो उसके उत्तराधिकारियों से वह सोना वापिस ले लेना चाहिए । यदि सोना नष्ट हो गया हो या छीज गया हो तो सुनार से उसका मुआबजा भी लेना चाहिए ।

१. आवेशनिभिः सुवर्णपुद्गललक्षणप्रयोगेषु तत्तज्जानीयात् ।
२. तप्तकलधौतकयोः काकणिकः सुवर्णे क्षयो देयः । तीक्ष्ण-काकणी रूप्यद्विगुणो रागप्रक्षेपस्तस्य षड्भागः क्षयः ।
३. वर्णहीने माषावरे पूर्वः साहसदण्डः, प्रमाणहीने मध्यमः, तुलाप्रतिमानोपधावुत्तमः, कृतभाण्डोपधौ च ।
४. सौवर्णिकेनादृष्टमन्यत्र वा प्रयोगं कारयतो द्वादशपणो दण्डः, कर्तुर्द्विगुणः, सापसारश्चेत् । अनपसारः कण्टकशोधनाय नीयेत । कर्तुश्च द्विशतो दण्डः पणच्छेदनं वा ।

१. सौवर्णिक को चाहिए कि वह सुनारों के द्वारा किए जाने वाले पुद्गल तथा लक्षण आदि कपट प्रयोगों के संबंध में भी अच्छी जानकारी रखे ।
२. यदि खोटे सोने-चाँदी के आभूषण बनाने के लिए दिए जाय तो सुनार को एक काकणी (३/४ माष) छीजन देनी चाहिए । सोने का रंग बदलने के लिए एक काकणी लोहा और दो काकणी चाँदी उसमें मिलानी चाहिए । एक काकणी लोहा और दो काकणी चाँदी का छटा भाग छीजन के लिए निकाल लेना चाहिए ।
३. यदि अपनी अज्ञानता के कारण सुनार एक माष सुवर्ण को कांतिहीन कर दे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए; तौल में कम करे तो मध्यम साहस दण्ड; और तराजू-वाट में कपट करे तो उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए; इसी प्रकार सोने-चाँदी के बने हुए पात्र में यदि कोई व्यक्ति हेर-फेर करे तो उसे भी उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।
४. सौवर्णिक की अनुमति प्राप्त कर या न प्राप्त कर यदि कोई व्यक्ति शिल्पशाला (विशिखा) से बाहर किसी सुनार से आभूषण बनवावे तो उसे बारह पण दण्ड देना चाहिए, और जेवर बनाने वाले सुनार को चौबीस पण । उनके लिए यह दण्ड-व्यवस्था उसी दशा में है, यदि उन पर चोरी की आशंका न हो तो; और यदि उन पर चोरी किए जाने की आशंका हो तो उन्हें कण्टक-शोधक (प्रदेष्टा) के पास न्याय के लिए ले जाना चाहिए । यदि अपराध सिद्ध हो जाय तो सुनार पर दो-सौ पण दण्ड निर्धारित किया जाय; और इतना धन देने से यदि वह इन्कार करे तो उसकी उंगलियाँ कटवा देनी चाहिए ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३०, अध्याय १४

१. तुलाप्रतिमानमाण्डं पौतवहस्तात्क्रीणीयुः । अन्यथा द्वादश-
पणो दण्डः ।
२. घनं घनसुषिरं संयूह्यमवलेप्यं सङ्घात्यं वासितकं च कारुकर्म ।
३. तुलाविषममपसारणं विस्रावणं पेटकः पिङ्गश्चेति हरणोपायाः ।
४. सन्नामिन्युत्कीर्णिका भिन्नमस्तकोपकण्ठी कुशिक्या सकट्टु-
कक्ष्या पारिवेल्लययस्कान्ता च दुष्टतुलाः ।
५. रूप्यस्य द्वौ भागावेकः शुल्बस्य त्रिपुटकम् । तेनाकरोद्गत

१. सुनारों को चाहिए कि वे सोना-चाँदी तौलने के बाट-तराजू कहीं से न खरीद कर पौतवाध्यक्ष के यहाँ से ही खरीदें । यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन पर बारह पण का दण्ड कर देना चाहिए ।

२. सुनारों के (१) घट (ठोस गहना), (२) घनसुषिर (ऊपर से ठोस तथा भीतर से पोले कड़ा आदि गहने), (३) संयूह्य (ऊपर से मोटा पत्ता चढ़ाये आभूषण), (४) अवलेप्य (ऊपर से पतला पत्ता चढ़ाये आभूषण) (५) संघात्य (जुड़े आभूषण तगड़ों, जंजीर आदि) और (६) वासितक (रस आदि से वासित आभूषण), ये छह प्रकार के कार्य होते हैं ।

३. (१) तुलाविषम, (२) अपसारण, (३) विस्रावण, (४) पेटक और (५) पिङ्ग, ये पाँच तरीके सुनारों के चोरी करने के हैं ।

४. काँटे या तराजू का बड़ा-घटा होना, जिससे ठीक तरह न तौला जा सके, तुलाविषम कहलाता है । ऐसे काँटे आठ प्रकार के होते हैं : (१) सन्ना-
मिनी (हलके लोहे से बने, जिसको उझली लगाने में सहज ही उधर-
उधर झुकाया जा सकता है), (२) उत्कीर्णिका (जिसके भीतर छेदों में लोहे का चूर्ण भरा हो), (३) भिन्नमस्तका (जिसके आगे के हिस्से में छेद हो, जिससे हवा का रुख पाते ही वह झुक जाय), (४) उपकण्ठी (जिसमें बहुत-सी गाँठें पड़ी हों), (५) कुशिक्या (जिसका पलड़ा दूषित हो), (६) सकट्टुकक्ष्या (जिसकी डोरी अच्छी न हो), (७) पारिवेल्लय (जो हिलती रहे) और (८) आयस्कान्ता (जिसकी डण्डी में आयस्कान्त मणि लगी हो) ।

नकली द्रव्य को मिलाकर असली द्रव्य को चुरा लेना अपसारण कहलाता है । वह चार प्रकार का होता है : (१) दो हिस्सा चाँदी और एक हिस्सा

मपसार्यते तत्रिपुटकापसारितं, शुल्बेन शुल्वापसारितं, वेष्टकेन वेष्टकापसारितं, शुल्बार्धसारेण हेम्ना हेमापसारितम् ।

१. मूकमूषा पूतिकिट्टः करटकमुखं नाली सन्दंशो जोङ्गनी सुवर्चिकालवणम् । तदेव सुवर्णमित्यपसारणमार्गाः । पूर्व-प्रणिहिता वा पिण्डवालुका मूषाभेदादग्निष्ठा उद्भ्रियन्ते ।
२. पश्चाद्बन्धने आचितकपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवर्तनं विस्रावणम् , पिण्डवालुकानां लोहपिण्डवालुकाभिर्वा ।

ताँबा मिला कर जो घोल तैयार किया जाय उसको त्रिपुटक कहते हैं । शुद्ध सोने में यह त्रिपुटक मिला कर उतना सोना निकाल दिया जाय और किसी के खोटा बताने पर कहा जाय कि वह तो खान से ही ऐसा निकला है, इस चोरी नाम त्रिपुटकापसारित है । (२) जिस सोने में ताँबा मिला कर चोरी की जाय उसको शुल्वापसारित कहते हैं । (३) लोहा-चाँदी के मिश्रित घोल को वेल्तक कहते हैं; उस वेल्तक को मिलाकर सोने की जो चोरी की जाती है उसको वेल्तकापसारित कहते हैं । (४) ताँबे के साथ आधा सोना मिलाकर उसके बदले में जो चोरी की जाती है उसे हेमापसारित कहते हैं ।

१. अपसारण के ढङ्ग इस प्रकार हैं : मूकमूषा (बन्द घरिया), पूतिकिट्ट (लोहे का मैल), करटकमुख (सोना कतरने की कैची), नाली (नाल), सन्दंश (सन्सी), जोंगनी (लोहे की छड़) सुवर्चिका (शोरा) और नमक । उनसे जब कहा जाय कि उन्होंने सोना खोटा कर दिया है, तो झट ये कह देते हैं कि यह भाप का दिया हुआ सोना है, यह खान से ही ऐसा निकला है । ये अपसारण के तरीके हैं । या पहिले ही से भाग में वारीक बालुका-सी डाल दी जाती है और फिर मूषा को अग्नि में रख कर मूषा को टूट जाने का बहाना करता है और तब मालिक के सामने उस बालुका को सोने में मिला दिया जाता है और उतना ही सोना वह होशियारी से मार लेता है ।
२. किसी बनी हुई वस्तु को पीछे से जोड़ते समय या पात्रों की परीक्षा करते समय खरे सोने की जगह खोटा सोना जोड़ देना विस्रावण कहलाता है ।

१. गाढश्चाभ्युद्धार्यश्च पेटकः संयूहावलेप्यसङ्घात्येषु क्रियते ।
सीसरूपं सुवर्णपत्रेणावलिप्तमभ्यन्तरमष्टकेन बद्धं गाढपेटकः ।
स एव पटलसम्पुटेष्वभ्युद्धार्यः । पत्रमाश्लिष्टं यमकपत्रं वाव-
लेप्येषु क्रियते । शुल्बं तारं वा गर्भः पत्राणाम् । संघात्येषु
क्रियते शुल्बरूपं सुवर्णपत्रसंहतं प्रमृष्टं सुपार्श्वम् । तदेव
यमकपत्रसंहतं प्रमृष्टम् । ताम्रताररूपं चोत्तरवर्णकः ।
- २ तदुभयं तापनिकपाभ्यां निशब्दोल्लेखनाभ्यां वा विद्यात् ।
अभ्युद्धार्यं वदराम्ले लवणोदके वा सादयन्ति इति पेटकः ।

सोने की खान में उत्पन्न बालुका को लोहे की खान में उत्पन्न बालुका से बदल देना भी विस्त्रावण कहलाता है ।

१. पेटक दो प्रकार का होता है : (१) गाढ और (२) अभ्युद्धार्य; इसका प्रयोग संयूह्य, अवलेप्य तथा संघात्य कर्मों में किया जाता है । सीसे के पत्ते को सोने के पत्ते से मढ़ कर बीच में लाख से जोड़ देना ही गाढपेटक कहलाता है । वही बन्धन यदि सरलता से खुलने योग्य हो तो उसे अभ्युद्धार्यपेटक कहते हैं । अवलेप्य क्रियाओं में एक ओर या दोनों ओर सोने का पतला सा पत्रा जोड़ कर सोने को चुराया जा सकता है । अथवा बाहर पत्ता लगाने की वजाय सुवर्ण पत्रों के बीच में ताँबे या चाँदी का पत्ता लगा कर भी सोना चुराया जाता है । संघात्य क्रियाओं में ताँबे की वस्तु को एक ओर से सोने के पत्ते से मढ़कर उस हिस्से को खूब चमकदार एवं सुन्दर बना दिया जाता है । उसी ताँबे की वस्तु को दोनों ओर से इसी प्रकार चमकदार एवं सुन्दर सोने के पत्तों से मढ़कर उतना ही असली सोना हड़प लिया जाता है ।

२. इन दोनों प्रकार के पेटकों की शुद्धता जाँचने के लिये उन्हें अग्नि में तपाये, कसौटी पर घिसवाये या हल्की चोट देकर, या रेखा खींचकर या किसी तीक्ष्ण वस्तु से निशान देकर उनकी परीक्षा करे । अभ्युद्धार्य पेटक बेरी के कसैले रस में अथवा नमक के पानी में डालकर जाना जाय । ऐसा करने से उसका रंग कुछ लाल-सा हो जाता है ।

१. घनसुषिरे वा रूपे सुवर्णमृन्मालुकाहिङ्गुलुककल्को वा तप्तोऽव-
तिष्ठते । दृढवास्तुके वा रूपे बालुकामिश्रजतुगान्धारपङ्को वा
तप्तोऽवतिष्ठते । तयोस्तापनमवध्वंसनं वा शुद्धिः । सपरिभाण्डे
वा रूपे लवणमुल्क्या कटुशर्करया तप्तमवतिष्ठते । तस्य काथनं
शुद्धिः । अभ्रपटलमष्टकेन द्विगुणवास्तुके वा रूपे बध्यते ।
तस्यापिहितकाचकस्योदके निमज्जत एकदेशः सीदति ।
पटलान्तरेषु वा सूच्या भिद्यते । मणयो रूप्यं सुवर्णं वा
घनसुषिराणां पिङ्कः । तस्य तापनमवध्वंसनं वा शुद्धिः ।
इति पिङ्कः ।

१. ठोस या पोले गहनों में सुवर्णभृत्, सुवर्णमालुका (दोनों विशेष धातुयें) और शिंगरफ का चूर्ण अग्नि में तपाकर लगा दिया जाता है और उतना ही शुद्ध सोना निकाल दिया जाता है। जिस आभूषण का आधार मजबूत हो उसमें साधारण धातुओं की बालुका की लाख और सिन्दूर का घोल भाग में तपाकर लगा दिया जाता है और उसके बराबर का सोना निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के ठोस तथा पोले गहनों को भाग में तपाकर उनपर चोट देने से उनकी परीक्षा करनी चाहिये। बुंदेदार मणिवन्ध जैसे गहनों को, नमक की छोटी डलियों के साथ, लपट देने वाली भाग में तपाने से उनकी शुद्धि हो जाती है। बेरी के अम्ल रस में उबालकर भी उनकी शुद्धता को जाँचा जा सकता है। अभ्रक को उसके दुगुने सुवर्ण में लाख आदि से जोड़कर भी असली सोना रख लिया जाता है। उसकी परीक्षा के लिये अभ्रक लगे गहनों को बेरी के अम्ल जल में छोड़ देना चाहिये; अभ्रक लगा हिस्सा पानी में तैरता रहेगा। यदि अभ्रक की जगह तौवा मिलाया गया हो तो सूई से छेदकर उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिये। ठोस या पोले गहनों में काँचमणि, चाँदी और खोटा सोना मिलाकर पिंग नामक उपाय द्वारा शुद्ध सोना चुराया जा सकता है। उसको भाग में तपाना तथा उसपर हथौड़े की चोट करना ही उसकी शुद्धता का उपाय है।

१. तस्माद्भ्रमणिमुक्ताप्रवालरूपाणां जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गल-
लक्षणान्युपलभेत ।
२. कृतभाण्डपरीक्षायां पुराणभाण्डप्रतिसंस्कारे वा चत्वारो हर-
णोपायाः—परिकुट्टनमवच्छेदनमुल्लेखनं परिमर्दनं वा । पेटका-
पदेशेन पृपतं गुणं पिटकां वा यत् पग्निशातयन्ति तत् परिकुट्ट-
नम् । यद् द्विगुणवास्तुकानां वा रूपे सीसरूपं प्रक्षिप्याभ्य-
न्तरमवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम् । यद्घनानां तीक्ष्णेनोच्छि-
खन्ति तदुल्लेखनम् । हरितालमनःशिलाहिङ्गुलकचूर्णानामन्यत-
मेन कुसुविन्दचूर्णेन वा वस्त्रं संयूह्य यत् परिमृद्नन्ति तत् परि-
मर्दनम् । तेन सौवर्णराजतानि भाण्डानि क्षीयन्ते । न चैषां
किञ्चिदवरुणं भवति ।

३. भग्नखण्डघृष्टानां संयूह्यानां सदृशेनानुमानं कुर्यात् । अवले-

१. इसलिये सौवर्णिक को चाहिये कि वह, वजू, मणि, मुक्ता और प्रवाल की जाति, उनके रूप, गुण, प्रमाण, पुद्गल और लक्षण आदि की भली-भांति जाने, जिससे कोई व्यक्ति उनका अपहरण न कर सके ।
२. पात्र और आभरण आदि के तैयार हो जाने पर, उनकी परीक्षा करते समय भी सोने आदि का चार प्रकार से अपहरण किया जा सकता है : (१) परिकुट्टन से, (२) अवच्छेदन से, (३) उल्लेखन से और (४) परि-
मर्दन से । पूर्वोक्त पेटक ढंग से परीक्षा करने के बहाने जो छोटे टुकड़े या छोटी गोली सुनार काट लिया करते हैं उसे ही परिकुट्टन कहते हैं । पत्रों से जुड़े आभूषणों में सोने से मढ़े हुये कुछ सीसा के पत्ते मिलाकर और भीतर से काटकर सोना निकाल लेना ही अवच्छेदन कहलाता है । टोस गहनों को तेज औजार से खोद देना ही उल्लेखन है । हरताल, मिगरफ, मैसिल और कुसुविद पत्थर के चूर्ण को कपड़े के माथ सानकर, उससे आभूषणों को रगड़ा जाना ही परिमर्दन कहलाता है । ऐसा करने से आभरण घिस जाते हैं; किन्तु उनपर किसी प्रकार की खरोच या चोट नहीं दिखाई देती है ।
३. परिकुट्टन अवच्छेदन आदि कपट उपायों से जितने सुवर्ण का अपहरण

प्यानां यावदुत्पाटितं तावदुत्पाटयानुमानं कुर्यात् । विरूपाणां वा । तापनमुदकपेषणं च बहुशः कुर्यात् ।

१. अवक्षेपः प्रतिमानमग्निगण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छः सूत्रं चेल्लं बोल्लनं शिर उत्सङ्गो मक्षिका स्वकायेक्षा दृतिरुदकशेरावमग्निष्टमिति काचं विद्यात् ।

२. राजतानां विस्रं मलग्राहि परुषं प्रस्तीतं विवर्णं वा दुष्टमिति विद्यात् ।

किया गया हो, उसका व्योरा, उसके समानजातीय शेष अवयवों से प्राप्त करना चाहिये । जिन आभूषणों पर अवलेप्य का प्रयोग किया गया हो, उस पर से कटे सोने के टुकड़े को देखकर उसकी च्चति का अनुमान किया जाय । जिन आभूषणों में अधिक खोटा माल मिला दिया गया हो उनकी हानि का परिमाण, उनके सदृश दूसरे आभूषणों को तौलकर जाना जाय । उनको आग में तपाकर पानी में छोड़ दिया जाय और तब हथौड़े से चोट करके उनकी शुद्धता को जाँचा जाय ।

१. अपहरण के और भी तरीके हैं : (१) अवक्षेप (हाथ की सफाई से खरे माल को लेकर खोटा माल भिड़ा देना, (२) प्रतिमान (बदली करके चुरा लेना), (३) अग्नि के वाच से चुरा लेना, (४) गण्डिका (पीटने के बहाने), (५) भण्डिका (घरिया में रखने के बहाने), (६) अधिकरणी (लोहे के पात्र में रखने के बहाने), (७) पिच्छ (मोर-पेंच से चुराना), (८) सूत्र (कांटे की डोरी के बहाने), (९) चेल्ल (वस्त्र में छिपा लेना), (१०) बोल्लन (कोई किस्सा छेड़कर), (११) उत्संग (गोद या गुप्त अंग में छिपाकर), (१२) मक्षिका (मक्खी उड़ाने के बहाने पिघली हुई धातु को अपने अङ्ग में लगा देना) तथा (१३) पसीना, (१४) धौकनी, (१५) जल का शकोरा और (१६) आग में डाले हुये खोटे माल आदि के बहाने से सोना-चाँदी चुराया जा सकता है ।

मिलावटी चाँदी के आभूषणों में पाँच प्रकार के दोष होते हैं : (१) विस्र होना (दुर्गन्ध), (२) मलिन हो जाना, (३) कठोर हो जाना, (४) खुरदुरा हो जाना और (५) रंग बदल जाना ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३०, अध्याय १४

१. एवं नवं च जीर्णं च विरूपं चापि भाण्डकम् ।
परीक्षेतात्ययं चैषां यथोद्दिष्टं प्रकल्पयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाधिकरणे विशिखायां सौवर्णिकप्रचारो नाम
चतुर्दशोऽध्यायः ; आदितः पञ्चत्रिंशः ।



1. इस प्रकार नये और पुराने विरूप हुए पात्रों या आभूषणों की भली भाँति परीक्षा कर लेनी चाहिए; और फिर मिलावट के अनुसार ही अपराधियों पर दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।



प्रकरण ३१

अध्याय १५

कोष्ठागाराध्यक्षः

१. कोष्ठागाराध्यक्षः सीताराष्ट्रक्रयिमपरिवर्तकप्रामित्यकापमित्यक-सिंहनिकान्यजातव्ययप्रत्यायोपस्थानान्युपलभेत् ।
२. सीध्यक्षोपनीतः सस्यवर्णकः सीता ।
३. पिण्डकरः, पड्भागः, सेनाभक्तं, बलिः, करः, उत्सङ्गः, पार्श्व, पारिहीणिकम्, औपायनिकं, कौष्ठेयकं च राष्ट्रम् ।

कोष्ठागार का अध्यक्ष

१. कोष्ठागार (कोठार) के अध्यक्ष (कोठारी) को चाहिए कि वह (१) सीता, (२) राष्ट्र, (३) क्रयिम, (४) परिवर्तक, (५) प्रामित्यक, (६) आपमित्यक, (७) सिंहनिका, (८) अन्वजात, (९) व्ययप्रत्याय और (१०) उपस्थान, इन दस बातों के संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त करे ।
२. राजकीय कर के रूप में एकत्र धान्य को सीता कहा जाता है; उसको एकत्र करने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते हैं । कोष्ठागार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह शुद्ध एवं पूरा सीता लेकर उसको व्यवस्था से रखे ।
३. राष्ट्र के दस भेद होते हैं : (१) पिण्डकर (गाँवों से वसूल किया जाने वाला नियत राजकीय कर), (२) पड्भाग (राजा को दिया जाने वाला अन्न का छुटा भाग), (३) सेनाभक्त (युद्धकाल में विशेष रूप से निर्धारित कर), (४) बलि (छूटे भाग के अतिरिक्त कर), (५) कर (जलाशयों और जंगलों का कर), (६) उत्संग (राजकुमार के जन्मोत्सव पर दी जाने वाली भेंट), (७) पार्श्व (नियत कर के अतिरिक्त कर), (८) पारिहीणिक (गाय-बच्छियों के नुकसान पर दण्ड रूप में प्राप्त धन), (९) औपायनिक (भेंट स्वरूप प्राप्त धन) और (१०) कौष्ठेयक (राजधन से बने हुए तालाबों तथा बगीचों का कर) ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३१, अध्याय १५

१. धान्यमूल्यं कोशनिर्हारः प्रयोगप्रत्यादानं च क्रयिमम् ।
२. सस्यवर्णानामर्घान्तरेण विनिमयः परिवर्तकः ।
३. सस्ययाचनमन्यतः प्रामित्यकम् ।
४. तदेव प्रतिदानार्थमापमित्यकम् ।
५. कुट्टकरोचकसक्तुशुक्तपिष्टकर्म तज्जीवनेषु तैलपीडनमौरभ्रचा-
क्रिकेष्विक्षूणां च क्षारकर्म सिंहनिका ।
६. नष्टप्रस्मृतादिरन्यजातः ।
७. विक्षेपव्याधितान्तरारम्भशेषं च व्ययप्रत्यायः ।
८. तुलामानान्तरं हस्तपूरणमुत्करो व्याजी पर्युषितं प्राजितं चोप-
स्थानमिति ।

-
१. क्रयिक तीन प्रकार का होता है : (१) धान्यमूलक (धान्य को बेच कर प्राप्त हुआ धन), (२) कोशनिर्हार (धन देकर खरीदा हुआ भन्न) और (३) प्रयोगप्रत्यादान (व्याज आदि से प्राप्त धन) ।
 २. एक भनाज देकर उसके बदले दूसरा भनाज लेना परिवर्तक कहलाता है ।
 ३. किसी मित्र आदि से सहायता रूप में ऐसा भन्न लेना, जो फिर लौटाया न जाय, प्रामित्यक कहलाता है ।
 ४. व्याज सहित पुनः लौटा देने के वायदे पर लिया हुआ भन्न आदि कर्ज । आपमित्यक कहलाता है ।
 ५. कूट-पीस कर, छान-बीन कर, सत्तू पीस कर, गन्ना आदि को पेर कर, भाटा पीस कर, तिलों का तेल निकाल कर, भेड़ों के बाल काट कर और गुड़, राव, शक्कर आदि पर भाजीतिका निर्भर करने वाले लोगों से जो कर लिया जाता है उसे सिंहनिका कहते हैं ।
 ६. नष्ट हुए तथा भूले हुए धन का नाम अन्यजात है ।
 ७. व्ययप्रत्याय तीन प्रकार का होता है : (१) विक्षेपशेष (सेना के व्यय से बचा हुआ धन), (२) व्याधितशेष (औषधालय के व्यय से बचा धन) और (३) अन्तरारम्भशेष (दुर्ग आदि की मरम्मत से बचा हुआ धन) सब व्ययप्रत्याय धन है ।
 ८. बाट-तराजू की पसंघा से, तौलने के बाद सुट्टी-दो-सुट्टी दिया हुआ अधिक

(१६३)

१. धान्यस्नेहक्षारलवणानाम् ।
२. धान्यकल्पं सीताध्यक्षे वक्ष्यामः । सर्पिस्तैलवसामज्जानः स्नेहाः ।
३. फाणितगुडमत्स्यण्डिकाखण्डशर्कराः क्षारवर्गः ।
४. सैन्धवसामुद्रविडयवक्षारसौवर्चलोद्भेदजा लवणवर्गः ।
५. क्षौद्रं मार्द्वीकं च मधु ।
६. इक्षुरसगुलमधुफाणितजाम्बवपनसानामन्यतमो मेषशृङ्गीपिप्पलीकाथाभिषुतो मासिकः पाण्मासिकः सांवत्सरिको वा चिद्धि-टोर्वारुकेशुकाण्डाम्रफलामलकावसुतः शुद्धो वा शुक्तवर्गः ।

अन्न, तौली या गिनी हुई वस्तु में कोई दूसरी ही वस्तु मिला देना, छीजन के रूप में ली हुई वस्तु, पिछले वर्ष का बकाया और चतुराई से उपाजित धन उपस्थान कहलाता है ।

१. अब इसके उपरांत धान्य, स्नेह, क्षार और लवण का निरूपण किया जाता है ।
२. इनमें धान्यवर्ग के पदार्थों का विस्तृत विवरण आगे 'सीताध्यक्ष' नामक प्रकरण में किया जायेगा । घी, तेल, वसा और मज्जा, ये चार प्रकार के स्नेह पदार्थ हैं ।
३. गन्ने से बने : राभ, गुड़, गुड़खांड, खांड और शक्कर में क्षारवर्ग के पदार्थ हैं ।
४. लवण छह प्रकार का होता है : (१) सेंधा, (२) समुद्री, (३) विड, (४) जवाक्षार, (५) सजीखार और (६) लोना मिट्टी से बना ।
५. शहद दो प्रकार का होता है : क्षौद्र (मक्खियों द्वारा एकत्र) और (२) मार्द्वीक (मुनक्का तथा दाख के रस से बनाया हुआ) ।
६. सिरका शुक्तिवर्ग का पदार्थ है । ईख का रस, गुड़, शहद, राव, जामुन का रस, कटहल का रस, इनमें से किसी एक को मेढासिंगी और पीपल के काथ के साथ मिलाकर एक मास, छह मास तथा वर्ष भर बन्द करके रखा जाय, और उसके बाद मीठी ककड़ी, कढ़ी ककड़ी, ईख, आम का फल एवं आँवला, ये पाँचों चीजें उसमें डाल दी जाँय या न भी डाली जाँय; इस विधि से जो रस तैयार होगा उसे सिरका कहते हैं । एक मास का सिरका

१. वृक्षाम्लकरमर्दाश्रविदलामलकमातुलुङ्गकोलवदरसौवीरकपरूप-
कादिः फलाम्लवर्गः ।
२. दधिधान्याम्लादिद्रवाम्लवर्गः ।
३. पिप्पलीमरिचशृङ्गिवेराजाजीकिराततिक्तगौरसर्पपकुस्तुम्बुरुचो-
रकदमनकरुवकशिग्रुकाण्डादिः कटुकवर्गः ।
४. शुष्कमत्स्यमांसकन्दमूलफलशाकादि च शाकवर्गः ।
५. ततोऽर्धमापदर्थं जानपदानां स्थापयेत् । अर्धमुपयुञ्जीत । नवेव
चानवं शोधयेत् ।
६. क्षुण्णघृष्टपिष्टभृष्टानामार्द्रशुष्कसिद्धानां च धान्यानां वृद्धिक्षय-
प्रमाणानि प्रत्यक्षीकुर्वीत ।
७. क्रोद्रवन्नीहीणामर्धं सारः, शालीनामष्टभागोनः, त्रिभागोनो

निकृष्ट, छह मास का मध्यम और साल भर का उत्तम कहा जाता है ।

१. हमली, करौंदा, धाम, अनार, आँवला, खट्टा नीबू, झरबेरी बेर, प्यौंटी बेर,
उन्नाव और फालसा आदि खट्टे रस के फल अम्लवर्गीय हैं ।
२. दही, काँजी, मट्ठा आदि पनीली खट्टी चीजें द्रववर्गीय हैं ।
३. पीपल, मिर्च, अदरक, जीरा, चिरायता, सफेद सरसों, धनियॉ, चोरक,
दमनक, मैनफल और सैंजन आदि कटुवे पदार्थ कटुवर्गीय हैं ।
४. सूखी मछली, सूखा मांस, कन्द, मूल, फल आदि शाकवर्गीय पदार्थ हैं ।
५. स्नेहवर्ग से लेकर शाकवर्ग तक जितने पदार्थ गिनाये गये हैं, राजा को
चाहिए कि, उन सब की उपज का आधा भाग आपत्तिकाल में जनपद की
सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखे । आधी उपज का उपयोग स्वयं कर ले । इसी
प्रकार नई फसल या नया सामान आ जाने पर पुराने स्टोक को उपयोग में
ले लिया जाय और उसकी जगह नया स्टोक भर दिया जाय ।
६. कोष्टागार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह कूटा हुआ, साफ किया हुआ, पीसा
हुआ, भूना हुआ, भीगा हुआ, सुखाया हुआ और पकाया हुआ, जितना भी
धान्य है, अपने सामने तुलवाकर उसकी घट-वढ़ की जाँच करें । -
७. उनकी घट-वढ़ का नियम इस प्रकार है : कोदों और धान में आधी भूसी

वरककाणाम् । प्रियङ्गुणामर्धं सारो नवभागवृद्धिश्च । उदारकस्तुल्यः । यवा गोधूमाश्च क्षुण्णाः ।

१. तिला यवा मुद्गमाषाश्च घृष्टाः । पञ्चभागवृद्धिर्गोधूमः सक्तवश्च । पादोना कलायचमसी । मुद्गमाषाणामर्धपादोना । शैम्बानामर्धं सारः । त्रिभागोने मसूराणाम् ।
२. पिष्टमामं कुल्माषश्चाध्यर्धयुगः । द्विगुणो यावकः । पुलाकः पिष्टं च सिद्धम् ।
३. कोद्रववरकोदारकप्रियङ्गूणां, त्रिगुणमन्नं, चतुर्गुणं ब्रीहोणाम्, पञ्चगुणं शालीनाम्, तिमितमपरान्नं द्विगुणमर्धाधिकं विरूढानाम् ।

निकल जाती है ; बढ़िया धान का भी आधा भाग भूसी में निकल जाता है; लोभिया आदि अनाजों में तीसरा हिस्सा चोकर का निकल जाता है। काकुन में प्रायः आधा हिस्सा भूसी निकल जाती है; किन्तु कभी-कभी उसका नवाँ हिस्सा भी बढ़ जाता है। मोटे चावल में आधा ही भाग बन पाता है, जौ और गेहूँ में कूटने पर छीजन नहीं होती है।

१. तिल, जौ, मूँग और उड़द भी दलने पर बराबर बने रहते हैं। गेहूँ और भुने हुए जौ पीसने पर पञ्चमांश बढ़ जाते हैं। मटर पीसने पर चौथाई हिस्सा कम हो जाती है। पीसने पर मूँग और उड़द का आठवाँ हिस्सा कम हो जाता है। ज्वार की फलियों में आधा चोकर निकल जाता है। दलने पर मसूर का तीसरा हिस्सा कम हो जाता है।
२. पिसे हुए कच्चे गेहूँ तथा मूँग और उड़द आदि पकाये जाने पर दयोदे हो जाते हैं। पकाये जाने पर चावल और सूजी भी दुगुने हो जाते हैं।
३. कोदों, लोभिया, उदारक और कांगनी पकाये जाने पर तिगुने हो जाते हैं। पकाये जाने पर विरजफूल चावल और वासमती पंचगुने हो जाते हैं। खेत से अधिकची हालत में काटा गया अन्न और ब्रीहि धान पकाने पर दुगुने ही बढ़ पाते हैं। उन्हें कुछ अच्छी अवस्था में खेत से काटा जाय तो वे द्वाँई गुना भी बढ़ सकते हैं। यदि वे भूने जाँय तो उनका पंचमांश बढ़ जाता है। भुने हुए मटर, धान और जौ दुगुने हो जाते हैं।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३१, अध्याय १५

१. पञ्चभागवृद्धिर्भृष्टानाम् । कलायो द्विगुणः, लाजा भरुजाश्च ।
पट्कं तैलमतसीनाम् । निम्बकुशात्रकपित्थादीनां षञ्चभागः ।
चतुर्भागिकास्तिलकुसुम्भमधूकेङ्गुदीस्नेहाः ।
२. कार्पासक्षौमाणां पञ्चपले पलसूत्रम् ।
३. पञ्चद्रोणे शालीनां द्वादशाढकं तण्डुलानां कलभभोजनम्,
एकादशकं व्यालानां, दशकमौपवाह्यानाम्, नवकं सान्ना-
ह्यानाम्, अष्टकं पत्तीनां, सप्तकं मुख्यानां, षट्कं देवी-
कुमाराणाम्, पञ्चकं राज्ञाम् । अखण्डपरिशुद्धानां वा
तण्डुलानां प्रस्थः ।
४. चतुर्भागः सूपः, सूपषोडशो लवणस्यांशः, चतुर्भागः सर्पिषः

१. पेरने पर अलसी में छटा भाग ही तेल निकलता है । निंबोरी, कुशा, आम की गुठली और कैथे में पांचवाँ हिस्सा तेल निकलता है । तिल, कुसुम्भ, महुआ और हंगुदी में चौथा हिस्सा ही तेल निकलता है ।
२. पाँच पल कपास और रेशम में एक पल सूत तैयार होता है ।
३. पाँच द्रोण (२० आढ़क) धान में से कूट-छाटकर जब बारह आढ़क चावल शेष रह जाता है तब वह हाथी के बच्चों के खाने योग्य होता है । वही बीस आढ़क धान अधिक साफ कर देने पर जब ग्यारह आढ़क बचा रह जाय तो उन्मत्त हाथियों के खाने योग्य; जब दसवाँ हिस्सा रह जाय तो राज-सवारी के हाथियों के खाने योग्य; जब नववाँ हिस्सा रह जाय तो युद्धोपयोगी हाथियों के खाने योग्य; आठवाँ हिस्सा रह जाय तो पैदल सेना के भोजन योग्य; जब सातवाँ हिस्सा रह जाय तो प्रधान सेनापति के योग्य; जब छटा हिस्सा रह जाय तो रानियों एवं राजकुमारों के भोजन योग्य और जब साफ करते-करते बीस आढ़क में से पाँच आढ़क ही बचा रह जाय तो वह राजाओं के भोजन योग्य होता है । अथवा उस बीस आढ़क में से साफ और साबूत एक प्रस्थ दाना निकालकर राजा के उपयोग के लिए लेना चाहिये ।
४. प्रस्थ का चौथा हिस्सा दाल, दाल का सोलहवाँ हिस्सा नमन, दाल का

तैलस्य वा, एकमार्यभक्तम् । प्रस्थषड्भागः सूपः अर्धस्नेहम-
वराणाम् । पादोनं स्त्रीणाम् । अर्धं बालानाम् ।

१. मांसपलविंशत्या स्नेहार्धकुडुवः, पलिको लवणस्यांशः, क्षार-
पलयोगः, द्विधरणिकः कटुकयोगः, दध्नश्चार्धप्रस्थः ।
२. तेनोत्तरं व्याख्यातम् । शाकानामध्यर्धगुणः, शुष्काणां द्विगुणः,
स चैव योगः ।
३. हस्त्यश्वयोस्तदध्यक्षे विधाप्रमाणं वक्ष्यामः । बलीवर्दानां माष-
द्रोणं यवानां वा पुलाकः । शेषमश्वविधानम् । विशेषो—
घाणपिण्याकतुला कणकुण्डकं दशाढकं वा ।
४. द्विगुणं महिषोष्ट्राणाम् । अर्धद्रोणं खरपृषतरोहितानाम् ।

चौथा हिस्सा घी या तेल; इतना एक आर्य की भोजन-सामग्री है। छोटी स्थिति के नौकरों के लिए प्रस्थ का षष्ठमांश दाल, प्रस्थ का अष्टमांश घी या तेल और बाकी सामग्री पहिले जैसी होनी चाहिये। उसमें चौथाई भाग कम स्त्रियों के लिए और उसका आधा हिस्सा सामान बालकों के लिए होना चाहिये।

१. मांस पकाने के लिए बीस पल मांस में आधी कुडुब घी या तेल, एक पल नमक, या नमक की जगह एक पल सज्जीखार या जवाखार, दो धरण मसाला, और आधा प्रस्थ (दो कुडुब) दही डालना चाहिये।
२. इससे कम-ज्यादा मांस पकाना हो तो उक्त अनुपात से ही उसमें सामान डालना चाहिये। हरे शाक में, मांस के लिये ऊपर जो अनुपात बताया गया है, उसकी ड्योढ़ी मात्रा उपयोग में लानी चाहिये। सूखे शाक अथवा सूखे मांस में वही सामग्री दुगुनी करके डालनी चाहिये।
३. हाथी और घोड़े की खुराक का वर्णन आगे चलकर 'अन्नाध्यक्ष' तथा 'हस्त्य-
ध्यक्ष' प्रकरण में किया जायेगा। बैलों के लिए एक द्रोण उबड़ तथा उतने ही अध उबले जौ देने चाहिये। बाकी खुराक उनकी घोड़ों की खुराक जैसी है। घोड़ों की अपेक्षा बैलों को सूखे तिलों के कलक के सौ पल और दस आढक चावलों की बनी भूमी अधिक देनी चाहिये।
४. भैंसों और ऊंटों के लिये बैलों से दुगुनी खुराक होनी चाहिये। गधा और

आढकमेणकुरङ्गाणाम् । अर्धाढकमजैलकवराहाणां द्विगुणं वा कणकुण्डकम् । प्रस्थौदनः शुनाम् । हंसक्रौञ्चमयूराणामर्ध-प्रस्थः । शेषाणामतो मृगपशुपक्षिव्यालानामेकभक्तादन्नमानं ग्राहयेत् ।

१. अङ्गारांस्तुषान् लोहकर्मान्तभित्तिलेप्यानां हारयेत् । कणिकाः दासकर्मकरसूपकाराणाम् । अतोऽन्यदौदनिकापूपिकेभ्यः प्रयच्छेत् ।
२. तुलामानमाण्डं रोचनीदृषन्मुसलोलूखलकुट्टकरोचकयन्त्रपत्र-कशूर्पचालनिकाकण्डोलीपिटकसम्मार्जन्यश्वोपकरणानि ।
३. मार्जकारक्षकधारकमायकमापकदायकदापकशलाकाप्रतिग्राहक-दासकर्मकरवर्गश्च विष्टिः ।

हिरणों को वही सामग्री आधा द्रोण (दो आढक) देनी चाहिये । एण और कुरंग जाति के हिरणों को वही भोजन एक आढक देना चाहिये । वही खूराक बकरी, भेड़ तथा सूअरों को आधा आढक; अथवा चावल की कनकी और भूसी मिलाकर एक आढक खूराक देनी चाहिये । कुत्तों को एक प्रस्थ भात देना चाहिये । हंस, क्रौंच और मोरों आधा प्रस्थ खूराक है । इनके अतिरिक्त जंगली या पालतू जितने भी पशु-पक्षी हैं, उनको एक दिन खिलाकर, उसी अनुपात से उनकी खूराक निर्धारित कर लेनी चाहिये ।

१. कोयला, चोकर और भूसी आदि सामग्री लुहारों तथा मकान पोतने वालों को दे देनी चाहिये । चावलों की कनकी क्रीतदासों, दूसरे कर्मकरों तथा रसोइयों को दे देनी चाहिए । इसके अतिरिक्त जो कुछ बचे, वह साधारण अन्न पकाने वालों तथा पकवान बनाने वाले नौकरों में वितरित कर देना चाहिये ।
२. भोजनालय में नियमित रूप से उपयोग में आनेवाली सामग्री की तालिका इस प्रकार है : तराजू, बाट, चक्की, सिल-लोढ़ा, मूसल, ओखली, धान कूटने का मूसल, आटा पीसने की चक्की, सूप, छलनी, कडी, पिटारी और झाडू ।
३. झाडू लगाने वाला. कोष्ठागार का रक्षक, तौलने वाला, तुलवाने वाला अधि-

१. उच्चैर्धान्यस्य निक्षेपो मृताः क्षारस्य संहताः ।
मृत्काष्ठकोष्ठाः स्नेहस्य पृथिवी लवणस्य च ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे कौष्ठागाराध्यक्षो नाम पञ्चदशोऽध्यायः;

आदितः षट्त्रिंशः ।



कारी, समान देने वाला, देने वाला अधिकारी, बोझ उठाने वाला, क्रीतदास और चाकर, ये सब विष्टि कहलाते हैं ।

१. अनाज को जमीन के स्पर्श से ऊपर रखना चाहिए; गुड़ और ,राख आदि चीजें ऐसी जगह रखनी चाहियें, जहाँ सील न पहुँच सके; घी और तेल के रखने के लिए भृतदान या लकड़ी के पात्र होने चाहिये; और नमक को जमीन पर किसी बर्तन पर रख लेना चाहिये ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।



प्राक्करण ३२

अध्याय १६

पण्याध्यक्षः

१. पण्याध्यक्षः स्थलजलजानां नानाविधानां पण्यानां स्थलपथ-
वारिपथोपयातानां सारफल्ग्वर्धान्तरं प्रियाप्रियता च विद्यात् ।
तथा विक्षेपसंक्षेपक्रयविक्रयप्रयोगकालान् ।
२. यच्च पण्यं प्रचुरं स्यात्तदेकीकृत्यार्धमारोपयेत् । प्राप्तेऽर्धे वार्धा-
न्तरं कारयेत् ।
३. स्वभूमिजानां राजपण्यानामेकमुखं व्यवहारं स्थापयेत् , पर-
भूमिजानामनेकमुखम् । उभयं च प्रजानामनुग्रहेण विक्रापयेत् ।

पण्य का अध्यक्ष

१. पण्य के अध्यक्ष को चाहिए कि वह स्थल-जल में उत्पन्न तथा स्थल-जलमार्ग से विक्री के लिए आई हुई अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं अल्पमूल्य वस्तुओं के तारतम्य और उनकी लोकप्रियता (मांग) तथा अप्रियता (अरुचि) आदि के संबंध में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करे । उसको इस बात का भी पता होना चाहिए कि कम चीज को बढ़ाने, बढ़ी हुई को घटाने, बेची जाने योग्य वस्तु को खरीदने एवं खरीदी हुई वस्तु को बेच देने का उपयुक्त समय कौन है ।
२. जो विक्रेय वस्तु अधिक तादात में उपलब्ध हो, पण्याध्यक्ष को चाहिए कि, उसे एकत्र कर व्यापार-कौशल से पहिले तो उसका दाम बढ़ा दे और जब समझ ले कि उसमें उचित लाभ हो गया है, तो फिर उसका भाव कम करके उसको बेचे ।
३. अपने राज्य में उत्पन्न सरकारी वस्तुओं की विक्री का प्रबंध एक ही जगह किसी नियत स्थान पर करना चाहिए । दूसरे देश में उत्पन्न

- स्थूलमपि च लाभं प्रजानामौपधातिकं वारयेत् । अजस्र-
पण्यानां कालोपरोधं संकुलदोषं वा नोत्पादयेत् ।
१. बहुमुखं वा राजपण्यं वैदेहकाः कृतार्थं विक्रीणीरन् । छेदानु-
रूपं च वैधरणं दद्यात् ।
 २. षोडशभागो मानव्याजी । विंशतिभागस्तुलामानम् । गण्य-
पण्यानामेकादशभागः ।
 ३. परभूमिजं पण्यमनुग्रहेणावाहयेत् । नाविकसार्थवाहेभ्यश्च परि-
हारमायतिक्षमं दद्यात् । अनभियोगश्चाथस्वागन्तूनामन्यत्र
सभ्योपकारिभ्यः ।

वस्तुओं का विक्रय अनेक स्थानों में करना चाहिए । स्वदेश और परदेश की वस्तुओं की विक्री का ऐसा प्रबंध करना चाहिए, जिससे प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो । यदि किसी वस्तु में अधिक लाभ की संभावना हो; किन्तु उससे प्रजा को कष्ट पहुँचता हो, तो राजा को वह कार्य तत्काल रूकवा देना चाहिए । जल्दी ही विक्र जाने योग्य वस्तुओं को रोके रखना अथवा उनको बेचने का ठेका किसी एक व्यक्ति को देकर पुनः लोभवश वह ठेका दूसरे को देना, सर्वथा अनुचित है ।

१. अनेक स्थानों पर विक्रने वाली राजकीय वस्तुओं को सभी व्यापारी एक ही भाव से बेचें । यदि बेचते-बेचते मूल्य में कुछ कमी हो जाये तो उस कमी को व्यापारी ही पूरा करें ।
२. गोदाम में सुरक्षित माल का सोलहवां भाग कर रूप में राजा को देना चाहिए; उसे व्याजी या मानव्याजी कहा जाता है । तौले जाने वाले माल का बीसवां भाग और गिने जाने वाले माल का ग्यारहवां भाग राजा के लिए कर में देना चाहिए ।
३. विदेशी माल को मंगाने में कर आदि की कुछ रियायत होनी चाहिए । नाव तथा जहाज आदि से माल भंगाने वाले व्यापारियों पर राजकर की छूट होनी चाहिए । विदेश से आये व्यापारियों को भी राजा बिना ही अभियोग (प्रतिषेध) के ऋण देने की व्यवस्था करे; किन्तु विदेशी व्यापारियों के सहयोगियों पर अभियोग होना चाहिए ।

१. पण्याधिष्ठातारः पण्यमूल्यमेकमुखं काष्ठद्रोण्यामेकच्छिद्रापि-
धानायां निदध्युः । अहश्चाष्टमे मागे पण्याध्यक्षस्यार्पयेयुः-
इदं विक्रीतमिदं शेषमिति । तुलामानभाण्डकं चार्पयेयुः । इति-
स्वविषये व्याख्यातम् ।

२. परविषये तु—एष्यप्रतिपण्ययोरर्घं मूल्यं च आगमय्य शुल्क-
वर्तन्यातिवाहिकगुल्मतरदेयभक्तभाटकव्ययशुद्धमुदयं पश्येत् ।
असत्युदये भाण्डनिर्वहणेन पण्यप्रतिपण्यार्घेण वा लार्भं
पश्येत् । ततः सारपादेन स्थलव्यवहारमध्वना क्षेमेण
प्रयोजयेत् । अटव्यन्तपालपुरराष्ट्रमुख्यैश्च प्रतिसंसर्गं गच्छे-
दनुग्रहार्थम् ।

१. राजकीय वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारी, सायंकाल आठवें पहर में पण्या-
ध्यक्ष के पास विक्री का सब रुपया, लकड़ी की एक बंद संदूकची में रख कर
उपस्थित हों, और बतायें कि इतना माल विक्र गया है यथा इतना बाकी
है । माप-तौल के बांटों को भी पण्याध्यक्ष के सुपुर्द कर दे । यहां तक अपने
राज्य की विक्रीय वस्तुओं के संबध में कहा गया है ।

२. परदेश में किस रीति से व्यापार क्रिया जाता है, उसका विधान इस प्रकार
है : निर्यात-व्यापार के संबध में पण्याध्यक्ष को पहिली बात तो यह समझनी
चाहिए कि स्वदेश तथा विदेश में बेची जाने वाली किन चीजों के मूल्य में
परस्पर न्यूनाधिक्य है; इसके अतिरिक्त विक्रीकर, सीमांत अधिकारी का टैक्स,
सुरक्षा के लिए पुलिस को मांगकर, जंगल के रक्षक का कर, नदी पार करने
का कर, अपने भोजनादि का व्यय और भाड़ा आदि निकाल कर कितना बच
सकेगा; इस पर भी विचार करे । इस प्रकार हिसाब लगाने पर कुछ बचत
न दीख पड़े तो अपने माल को विदेश में ले जाकर, भविष्य में लाभ की
प्रतीक्षा करते हुए, उसके विक्रय की व्यवस्था करे; अथवा अपने माल से
वहाँ के लोकप्रिय माल को बदल कर उस रूप में अपने लाभ की बात
सोचे । यदि विचारित योजना सफल होती दिखाई दे तो लाभ का चौथा
भाग व्यय करके सुरक्षित स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार करना आरंभ करे दे ।
जंगल तथा सीमा के रक्षकों से, नगर-प्रधान और राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरुषों से

१. आपदि सारमात्मानं वा मोक्षयेत् । आत्मनो वा भूमिमप्राप्तः
सर्वदेयविशुद्धं व्यवहरेत् ।
२. वारिपथे च यानभाटकपथ्यदनपण्यप्रतिपण्यार्धप्रमाणयात्रा-
कालभयप्रतीकारपण्यपत्तनचारित्राण्युपलभेत ।
३. नदीपथे च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः ।
यतो लाभस्ततो गच्छेदलाभं परिवर्जयेत् ॥

इत्थध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे पण्यध्यक्षो नाम षोडशोऽध्यायः;

आदितः सप्तत्रिंशः ।



वनिष्टता बढ़ानी चाहिए, जिससे कि व्यापार में कोई बाधा न आने पावे ।

१. विदेश में व्यापार करते हुए यदि आपत्ति आ पड़े तो सर्वप्रथम रत्नों की और अपनी रक्षा करनी चाहिए । यदि दोनों की रक्षा संभव न हो तो रत्नों का लोभ छोड़ कर वह अपने को बचाये । जब तक वह अपने देश में न लौट आवे तब तक वहाँ के जो सरकारी टैक्स हो उनको नियमपूर्वक अदा करते हुए अपने व्यापार को संभाले रखे ।
२. जल-मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारी को यानभाटक (नाव तथा जहाज का किराया); पथ्यदन (मार्ग में खाने-पीने का खर्च), पण्य तथा प्रतिपण्य के मूल का प्रमाण (अपनी तथा पराई विक्रीय वस्तु के मूल्य का तारतम्य), यात्राकाल (किस ऋतु में यात्रा करनी चाहिए, उसकी अवधि), भय-प्रतीकार (चोर आदि से सुरक्षा के उपाय), और गंतव्य देश के आचार-व्यवहारों की जानकारी आदि के संबंध में दूरीको से विचार करने के अनंतर ही यात्रा करनी चाहिए ।
३. इसी प्रकार नदी मार्ग के संबंध में भी उक्त बातों को ध्यान में रखकर, गंतव्य देश के आचार-विचार, चरित्र आदि का ज्ञान प्राप्त कर, जिस मार्ग से अधिक लाभ की संभावना हो उसी का अनुसरण करे; जहाँ लाभ की आशा न हो, और कष्ट भी अधिक मिले, उस मार्ग को छोड़ देना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

प्रकरण ३३

अध्याय १७

कुप्याध्यक्षः

१. कुप्याध्यक्षो द्रव्यवनपालः कुप्यमानाययेत् । द्रव्यवनकर्मान्तांश्च प्रयोजयेत् । द्रव्यवनच्छिदां च देयमत्ययं च स्थापयेदन्यत्रापद्मयः ।
२. कुप्यवर्गः—शाकतिनिशधन्वनार्जुनमधूकतिलकसालशिशपारिमैदराजादनशिरीषखदिरसरलतालसर्जाश्वकर्णसोमवल्ककशाप्रप्रियकधवादिः सारदारुवर्गः ।
३. उटजचिमियचापवेणुवंशसातीनकण्टकभाल्लूकादिर्वेणुवर्गः ।

कुप्य का अध्यक्ष

१. कुप्य के अध्यक्ष को चाहिये कि वह जंगल की रक्षा में नियुक्त पुरुषों द्वारा बढ़िया-बढ़िया लकड़ी मंगवाये । लकड़ी से बनने योग्य दूसरे कार्यों को भी वही करवाये । लकड़ी काटकर जीविकोपार्जन करने वाले लोगों को वह वेतन पर नियुक्त कर ले और आज्ञा का उल्लंघन करने पर उनके लिए दण्ड भी निर्धारित कर ले; किन्तु किसी आपत्ति के कारण कार्य में विघ्न उपस्थित हो जाय तो उन्हें दण्ड न दिया जाय ।
२. कुप्यवर्ग में सर्वप्रथम सारदारु वर्ग (सर्वोत्तम लकड़ी) का निरूपण किया जाता है : शाक (सागून), तिनिश (तैहुँआ), धन्वस (पीपल), अर्जुन, मधूक (महुआ), तिलक (फरास), साल, शिशपा (शीशम), अरिमेद (दुर्गंधित खैर), राजादन (खिरनी), शिरीष (सिरसा), खदिर (खैर), सरल (देवदारु), ताल (ताड़), सर्ज (साल), अश्वकर्ण (बड़ा साल), सोमवल्क (सफेद खैर), कश (बवूल), भाम, प्रियक (कदंब), धव (गूलर) आदि सर्वोत्तम लकड़ी सारदारुवर्ग के अन्तर्गत हैं ।
३. उटज (खोखला), चिमिय (ठोस), चाप (कुछ पोला और ऊपर से

१. वेत्रशीकवल्लीवाशीश्यामलतानागलतादिर्वल्लीवर्गः ।
२. मालतीमूर्वाकशणगवेथुकात्तस्यादिर्वल्कवर्गः ।
३. मुञ्जवल्वजादि रज्जुभाण्डम् । तालीतालभूर्जानां पत्रम् ।
किंशुककुसुम्भकुङ्कुमानां पुष्पम् ।
४. कन्दमूलफलादिरौपधवर्गः ।
५. कालकूटवत्सनाभहालाहलमेषशृङ्गमुस्ताकुष्ठमहाविषवेल्लितकगौरा-
र्द्रवालकमार्कटहैमवतकालिङ्गकदारदकाङ्कोलसारक्रोष्ट्रकादीनि वि-
षाणि ।
६. सर्पाः क्रीटाश्च । त एव कुम्भगताः । विषवर्गः ।

खुरदरा), वेणु (चिकना, पोला), वंश (लंबी पोरियो वाला); सातीन, कंटक (दोनों कांटेदार) और भाल्लुक (मोटा, लंबा, कंठकरहित), ये सब वाँसों के भेद हैं ।

- १ वेत्र (बेंत), शीकवल्ली (हंसवल्ली), वाशी (सफेद फूलों की लता), श्यामलता (काली लता), नागलता, (नागवल्ली), आदि सब लताओं के भेद हैं ।
- २ मालती (चमेली), मूर्वा (मरोरफली), अर्क (आक), शण (सन), गवेथुका (नागबला) और अतसी (अलसी), आदि वल्कवर्ग के हैं ।
- ३ मुंज (मूंज), वल्वज (लधा घास), ये रज्जु, अर्थात् रस्सी बनाने की घासों हैं । ताली (ताड़ का एक भेद), ताल (ताड़), भूर्ज (भोजपत्र), इनका पत्ता लिखने के काम में आता है । किंशुक (पलाश के फूल), कुसुम्भ (कुसुम के फूल), और कंकुम (केसर), ये सब वस्त्र आदि रंगने के साधन हैं ।
४. कंद (बिदारी, सूरण आदि), मूल (अनंतमूल, कामराज, खस आदि), और फल (आँवला, हर्रा, बहेन्ना आदि), ये सब औषधिवर्ग हैं ।
५. कालकूट, वत्सनाभ, हलाहल, मेषशृङ्ग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, वेल्लितक, गौरार्द्र, वालक, मार्कट, हैमवत, कलिङ्गक, दारदक, अङ्कोलसारक और कुष्टक इत्यादि सब विष हैं ।
- ६ धारीदार साँप, मँढक तथा छिपकली आदि को सीसे के घड़े में बन्द करके आगे आने वाले 'औपनिषदिक' प्रकरण में लिखी गई विधि के अनुसार जय संस्कार किया जाता है तो वह भी विष बन जाते हैं ।

१. मोधासेरकद्वीपिशिशुमारसिंहव्याघ्रहस्तिमहिपचमरसृमरखड्ग-
गोमृगगवयानां चर्मास्थिपित्तस्नायवस्थि(?)दन्तशृङ्गखुरपुच्छानि,
अन्येषां वापि मृगपशुपक्षिव्यालानाम् ।
२. कालायसताम्रवृत्तकांस्यसीसत्रपुवैकृन्तकारकूटानि लोहानि ।
३. विदलमृत्तिकामयं भाण्डम् ।
४. अङ्गारतुपभस्मानि मृगपशुपक्षिव्यालवाटाः काष्ठवृणवाटाश्चेति ।
५. बहिरन्तरश्च कर्मान्ता विभक्ताः सर्वभाण्डिकाः ।
आजीवपुररक्षार्थाः कार्याः कुप्योपजीविना ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे कुप्याध्यक्षो नाम सप्तदशोऽध्यायः ;
आदितोऽष्टात्रिंशः ।



१. गोधा (गोह), सेरक (सफ़द गोह) द्वीपी (वधेरा), शिशुमार (बड़ी जाति की मछली), सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैसा, चमरगाय, साँभर, गैँडा, गाय, हरिण और नीलगाय इनकी खाल, हड्डी, दाँत, गित्ता, नसे, सींग, खुर और पूंछ आदि सभी उपयोग में आने वाली चीजें संप्रह-योग्य हैं; इनके अतिरिक्त अन्य मृग, पशु-पक्षी, साँप आदि जानवरों के चर्म का भी संग्रह करना चाहिये ।
२. काला लोहा, ताँबा, काँसा, सोसा, राँगा, इस्पात और पीतल, ये सब लोहे के भेद हैं ।
३. पात्र दो प्रकार के होते हैं एक विदलमय (पिटारी, टोकरी आदि) और दूसरे मृत्तिकामय (घड़े, शकोरे आदि) ।
४. कोयला, राख, मृग, पशु-पक्षी तथा अन्य जगली जानवर, लकड़ी-और घास-फूस आदि का ढेर भी कुप्य होने के कारण संप्रह-योग्य हैं ।
५. कुप्य के अध्यक्ष को और उसके सहायकों को चाहिये कि वे बाहर जंगलों के पास जनपद और दुर्ग आदि में गाड़ा तथा लकड़ी आदि से बनी हुई चीजें या सवारियों; सब तरह के बर्तन आदि को और अपनी धाजीविका तथा नगर, जनपद की रक्षा के लिये अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी संग्रह करे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।



घृत्करण ३४

अध्याय १८

आयुधागाराध्यक्षः

१. आयुधागाराध्यक्षः साङ्ग्रामिकं दौर्गकर्मिकं परपुराभिघातिकं यन्त्रमायुधमावरणमुपकरणं च तज्जातकारुशिल्पिभिः कृतकर्म-प्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः कारयेत् । स्वधूर्मा च स्थापयेत् । स्थानपरिवर्तनमातपप्रवातप्रदानं च बहुशः कुर्यात् । ऊष्मोपस्नेहक्रिमिभिरुपहन्यमानमन्यथा स्थापयेत् । जातिरूप-लक्षणप्रमाणागममूल्यानिक्षेपैश्चोपलभेत ।

आयुधागार का अध्यक्ष

१. आयुधागार के अध्यक्ष को चाहिये कि वह, युद्धोपयोगी सामग्री तैयार करने वाले कारीगरों एवं कुशल शिल्पियों के द्वारा युद्ध में काम देने वाले, दुर्ग की रक्षा के योग्य शत्रु के नगर को विध्वंस कर देने वाले सर्वतोभद्र (मशीनगन), जामदरन्य आदि यन्त्र, शक्ति, धनुष आदि हथियार कवच और सवारी आदि जितने भी साधन हैं, उनका निर्माण करवाए; उन कारीगरों से कितने समय में कितनी मजदूरी देकर कितना काम कराया जाय इत्यादि बातों को वह पहिले ही से निश्चित कर ले । तैयार हुए सामान को उसके उपयुक्त स्थान में रखवा दिया जाय अथवा अपने ही कवचे में रखा जाय । अध्यक्ष को चाहिये कि जिससे सामान पर जंक आदि न लगे, उसको धूप-हवा भी दिलाना रहे, गर्मी, सील और धुन आदि के कारण जो हथियार खराब हो रहे हों उन्हें वहाँ से उठवा कर किसी ऐसे स्थान में रखवा दे, कि वे अधिक खराब न होने पावें, उन हथियारों के जाति स्वरूप, लक्षण, लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई प्राप्तिस्थान मूल्य और उपयुक्त स्थान आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक बात को अच्छी तरह से समझ-बूझ ले ।

१. सर्वतोभद्रजामदग्न्यबहुमुखविश्वासघातिसङ्घाटीयानकपर्जन्यक-
बाहूर्ध्वबाहूर्ध्वबाहृनि स्थितयन्त्राणि ।
२. पञ्चालिकदेवदण्डसूकरिकामुसलयष्टिहस्तिवारकतालवृन्तमुद्गर-
द्रुघणगदास्पृक्तलाकुहालास्फोटिमोद्घाटिमोत्पाटिमशतघ्नीत्रिशूल-
चक्राणि चलयन्त्राणि ।

१. दश प्रकार के स्थितयंत्र होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है : (१) सर्वतोभद्र (मशीनगन), (२) जामदग्न्य (जिसमें बीच के छेद से बड़े-बड़े गोले निकलें), (३) बहुमुख (किले की दीवारों में ऊंचाई पर बनाये गये वे स्थान, जहां से सैनिक गोलीवर्षा कर सकें), (४) विश्वासघाती (नगर के बाहर तिरछी बनावट का एक ऐसा यन्त्र, जिसको लू-लेने से ही प्राणांत हो जाय), (५) संघाटि (लंबे-ऊंचे बांसों से बना हुआ वह यंत्र, जो महलों के ऊपर रोशनी फेंके), (६) यानक (पहियों पर रखा जाने वाला लम्बा यन्त्र), (७) पर्जन्यक (वरुणास्त्र, फायर त्रिगेड), (८) बाहुयन्त्र (पर्जन्यक की ही भाँति; किन्तु उसका आधा), (९) ऊर्ध्वबाहु (ऊपर स्तंभ की भाकृति का नजदीक की मार करने वाला यन्त्र) और (१०) अर्धबाहु (ऊर्ध्वबाहु का आधा) ।

२. चल्यन्त्र भी अनेक हैं, जिनका व्योरा इस प्रकार है : (१) पाञ्चालिक (बढ़िया लकड़ी पर तेज धार का बना यन्त्र, जो परकोटे के बाहर जल के बीच में शत्रु को रोकने के काम में आता है), (२) देवदण्ड (कील रहित बड़ा भारी स्तम्भ, जो परकोटे के ऊपर रखा रहता है), (३) सूकरिका (सूत और चमड़े की या बाँस और चमड़े की बनी हुई मशकरी, जो परकोटें तथा अट्टालक के ऊपर टक कर रखी जाती है), (४) मुसलयष्टि (खैर की मूसल का बना हुआ डंडा, जिसके भागे शूल लगा हो), (५) हस्ति-वारक (त्रिशूल या त्रिशूल ढण्डा), (६) तालवृन्त (चारों ओर घूमने वाला यन्त्र), (७) मुद्गर, (८) द्रुघण (मुद्गर के ही समान यन्त्र), (९) गदा, (११) स्पृक्तला (कांटेदार गदा), (११) कुहाल, (१२) आस्फोटिम (चमड़े से बना हुआ चार कोना वाला, मिट्टी के ढेले या पत्थर फेंकने वाला यन्त्र), (१३) उद्घाटिम (मुद्गर की भाकृति का यन्त्र), (१४) उत्पाटिम (संभे आदि को उड़ा देने वाला यन्त्र), (१५) शतघ्नी (कीले की दीवार के

१. शक्तिप्रासकुन्तहाटकभिण्डिपालशूलतोमरंवराहकर्णकणयकर्पण-
त्रासिकादीनि च हलमुखानि ।
२. तालचापदारवशाङ्गाणि कार्मुककोदण्डद्रूणा धनुषि ।
३. मूर्वाकशणगवेधुवेणुस्नायूनि ज्याः ।
४. वेणुशरशलाकादण्डासननाराचाश्च इषवः । तेषां मुखानि छेदन-
भेदनताडनान्यायसास्थिदारवाणि ।

ऊपर रखा जाने वाला बड़े स्तम्भ की आकृति का यन्त्र), (१६) त्रिशूल और (१६) चक्र, ये सोलह प्रकार के चलयन्त्र हैं ।

१. हलमुख (भाले की तरह) हथियारों के नाम इस प्रकार हैं : (१) शक्ति (कनेर के पत्ते की आकृति का लोहे का बना हथियार), (२) प्रास (चौबीस अङ्गुल लम्बा, दुधारा हथियार, जिसकी मूठ बीच में लकड़ी की बनी हो), (३) कुन्त (सात हाथ का उत्तम, छ हाथ का मध्यम और पांच हाथ का निकट), (४) हाटक (कुन्त के समान तीन काँटों वाला हथियार), (५) भिण्डिपाल (मोटे फल वाला, कुन्त के समान), (६) शूल (तेज मुख वाला हथियार), (७) तोमर (बाण के समान तेज मुख वाला, जो चार हाथ का अधम, साढ़े चार हाथ का मध्यम और पांच हाथ का उत्तम समझा जाता है), (८) वराहकर्ण (एक प्रकार का प्रास, जिसका मुख सुअर के कान के समान होता है), (९) कणप (लोहे का बना हुआ, दोनों ओर तीन-तीन काँटों से युक्त, चौबीस, बाईस और बीस अङ्गुल का क्रमशः उत्तम, मध्यम एवं अधम), (१०) कर्पण (तोमर के समान, हाथ से फेंका जाने वाला बाण), (११) त्रासिका (प्रास जितनी, स्रपूर्ण लोहे की बनी); ये सब हथियार हलमुख कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी का अग्रभाग हल के अग्रभाग की तरह तेज होता है ।
२. धनुष चार प्रकार से बनाये जाते हैं : (१) ताल (ताल का बना हुआ), (२) चाप (अच्छे बाँस का बना हुआ), (३) दारव (मजबूत लकड़ी का बना हुआ) और (४) शाङ्ग (सीगों का बना हुआ); आकृति और क्रिया-भेद से इनके कार्मुक, कोदण्ड और द्रूण, आदि नाम हैं ।
३. मूर्वा, आख सन, गवेधुकावेणु (रामबाँस) और ताँत; इनमें मजबूत धनुष की डोरी बनती है ।
४. बाण के भी अनेक भेद हैं, जिनके प्रकार हैं : (१) वेणु (बाँस), (२) शर (नरसल), (३) शलाका (मजबूत लकड़ी), (४) दण्डासन (आधा लोहा

१. निस्त्रिंशमण्डलाग्रासियष्टयः खड्गाः । खड्गमहिषवारणवि-
षाणदारुवेणुमूलानि त्सरवः ।
२. परशुकुठारपट्टसखनित्रकुदालक्रकचकाण्डच्छेदनाः क्षुरकल्पाः ।
३. यन्त्रगोष्पणमुष्टिपाषाणरोचनीदृषदश्रायुधानि ।
४. लोहजालजालिकापट्टकवचसूत्रकङ्कटशिशुमारकखड्गधेनुकहस्ति-
गोचर्मखुरशृङ्गसंघातं वर्माणि । शिरस्त्राणकण्ठत्राणकूर्पासकञ्चुक-

और आधा बाँस) और (५) नाराच (सम्पूर्ण लोहे का) । इन बाणों के अग्रभाग में लोहे, हड्डी तथा मजबूत लकड़ी की बनी नोक छेदने, काटने, आघात पहुँचाने और रक्तसहित एवं रक्तरहित घाव करने के लिए लगी रहती है ।

१. खड्ग (तलवार) तीन प्रकार के होते हैं : (१) निस्त्रिंश (जिसका अगला भाग काफी टेढ़ा हो), (२) मण्डलाग्र (जिसका अगला हिस्सा कुछ गोला-कार हो) और (३) असियष्टि (जिसका आकार पतला एवं लम्बा हो) । खड्ग के लिए गैडा, भैंस की सींग, हाथीदाँत, मजबूत लकड़ी और बाँस की जड़ की मूठ बनवानी चाहिए ।
२. फरसा, कुल्हाड़ा, द्विमुखी त्रिशूल, फावड़ा, कुदाल, भारा और गँदासा; ये सब धुरे की धार की भाँति तेज होने के कारण क्षुरकल्प या क्षुरवर्ग के हथियार कहलाते हैं ।
३. यन्त्रपाषाण, गोष्पणपाषाण, मुष्टिपाषाण, रोचनी और दृषद्; ये सब आयुध कहलाते हैं ।
४. कवच छह प्रकार से बनाये जाते हैं, जिनके तरीके इस प्रकार हैं : (१) लोहजाल (सिर से पैर तक ढकने वाला), (२) लोहजालिका सिर के अलावा सारे शरीर को ढकने वाला), (३) लोहपट्ट (बाहों को छोड़ सारे शरीर को ढक देने वाला), (४) लोहकवच (केवल पीठ तथा छाती को ढक देने वाला), (५) सूत्रकंकण (सूत का बना कवच) और (६) मछली, गैडा, नीलगाय, हाथी तथा बैल, इन पाँचों के चमड़े, खुर एवं सींगों को लिलकर बनाया हुआ कवच । इनके अतिरिक्त शिरस्त्राण (सिर को ढक देने वाला), कंठत्राण (गले को ढक देने वाला), कूर्पास (आधी बाँहों को ढक देने वाला), कञ्चुक (घुटनों तक शरीर को ढक

वारवाणपट्टनागौदरिकाः । पेटीचर्महस्तिकर्णतालमूलधमनिका-
कवाटकिटिकाप्रतिहतवलाहकान्ताश्चावरणानि ।

१. हस्तिरथवाजिनां योग्याभाण्डमालङ्कारिकं सन्नाहकल्पनाश्रोप-
करणानि । ऐन्द्रजालिकमौपनिषदिकं च कर्म ।

२. कर्मान्तानां च,

इच्छामारम्भनिष्पत्तिं प्रयोगं व्याजमुद्दयम् ।

क्षयव्ययौ च जानीयात् कुप्यानामायुधेश्वरः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे आयुधागाराध्यक्षो नाम अष्टादशोऽध्यायः;

आदिः एकोनचत्वारिंशः !



देने वाला), वारवाण (सारी देह को ढक देने वाला), पट्ट (बिना बाहों एवं बिना लोहे का कवच), नागौदरिका (केवल हाथ की उङ्गलियों की रक्षा करने वाला); ये सात प्रकार के आवरण (कवच) देह पर धारण किए जाने योग्य हैं । चमड़े की पेटी, मुंह ढकने का आवरण, लकड़ी की पेटी, सूत की पेटी, लकड़ी का पट्टा, चमड़ा एवं शीस को कूट कर बनाई गई पेटी, पूरे हाथों को ढकने वाला आवरण और किनारों पर लोहे के पत्तों से बंधा आवरण; आदि अनेक प्रकार के होते हैं ।

१. हाथी, घोड़ा, रथ आदि की शिक्षा एवं सजावट के साधन; अंकुश, कोड़े, पताका, कवच और शरीर की रक्षा करने वाले अन्य आवरण; ये सब उपकरण कहलाते हैं । ऐन्द्रजालिक और औपनिषदिक आदि जादू एवं प्रयोग-क्रियाएँ भी उपकरण कहलाती हैं ।

२. कुप्य के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पिछले दो अध्यायों में निर्दिष्ट द्रव्य-व्यापारों से सम्बद्ध कार्यों का आरम्भ एवं उनकी समाप्ति राजा की इच्छा तथा रुचि के अनुसार ही करे; उन विषयों और कार्यों की उपयोगिता, तथा हानि-लाभ को भी वह भलीभाँति समझे; आयुधागार के अध्यक्ष के लिए भी इन बातों का जानना आवश्यक है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अठारहवाँ अध्याय समाप्त ।



प्रवृत्तः ३५

अध्याय १९

तुलामानपौतवम्

१. पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मोन्तान् कारयेत् ।
२. धान्यमाषा दश सुवर्णमाषकः । पञ्च वा गुञ्जाः । ते षोडश सुवर्णः कर्षो वा । चतुष्कर्षं पलम् ।
३. अष्टाशीतिर्गौरसर्पपा रूप्यमाषकः । ते षोडश धरणम् । शैम्ब्यानि वा विंशतिः ।

तोल और माप का अध्यक्ष

१. पौतवाध्यक्ष (तोल-माप की जाँच करने वाला सरकारी अफसर) को चाहिये कि वह शास्त्रोक्त विधि से तोलने-मापने के साधन तराजू, घाट आदि बनवाये ।
२. दस उदद के दाने अथवा पाँच रत्ती परिमाण का एक सुवर्णमाषक होता है । सोलह माप का एक सुवर्ण या एक कर्ष होता है । चार कर्ष का एक पल होता है; अर्थात्:

सोने का तोल

१० उदद के दाने	{	= १ सुवर्णमाषक
५ रत्ती		
१६ माप	= १ सुवर्ण या १ कर्ष	
४ कर्ष	= १ पल	

३. अठ्ठासी सफेद सरसों परिमाण का एक रूप्यमाषक होता है । सोलह रूप्य-मापक या बीस मूली के बीज परिमाण का एक धरण होता है; जैसे:

चाँदी का तोल

८८ सफेद सरसों	= १ रूप्यमाषक	
१६ रूप्यमापक	{	= १ धरण
२० मूली के बीज		

१. विशतितण्डुलं वज्रधरणम् ।
२. अर्धमापकः, मापकः, द्वौ, चत्वारः, अष्टौ मापकाः, सुवर्णो, द्वौ, चत्वारः, अष्टौ सुवर्णाः, दश, विशतिः, चत्वारिंशत्, शतमिति ।
३. तेन धरणानि व्याख्यातानि ।
४. प्रतिमानान्ययोमयानि मागधमेकलशैलमयानि, यानि वा नोदकप्रदेहाभ्यां वृद्धिं गच्छेयुरुष्णेन वा हासम् ।
५. षडङ्गुलादूर्ध्वमष्टाङ्गुलोत्तराः दश तुलाः कारयेच्छोहपलादूर्ध्व-कपलोत्तराः । यन्त्रमुभयतः शिष्यं वा ।

१. बीस चावल परिमाण का एक वज्रधरण होता है :

हीरे का तोल

२० चावल = १ वज्रधरण

२. तोलने के बाटों (प्रतिमानों) का निर्माण इस क्रम से होना चाहिए : आधा मापक, मापक, दो मापक, चार मापक, आठ मापक, सुवर्ण, दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण, सौ सुवर्ण, सोना तोलने के लिए ये १४ बाट होने चाहिये ।
३. इसी क्रम से चाँदी तोलने के लिए धरण एवं रूप्यमापक बाटों का भी निर्माण करवाना चाहिये; अर्थात् धरण, दो धरण, चार धरण, आठ धरण, दस धरण, बीस धरण, तीस धरण, चालीस धरण और सौ धरण; एवं अर्ध मापक, मापक, दो मापक, चार मापक, आठ मापक; आदि १४ बाटों का क्रम है ।
४. तोलने के बाट लोहे के बनने चाहिये; या मगध तथा मेकल देश के पथर के होने चाहिये; या ऐसी वस्तुओं के बनने चाहिये, जो पानी पड़ने तथा लेप लगने से वजनी न हो जाँय और गर्मी के प्रभाव से हलके न पड़ जाँय ।
५. सोना-चाँदी तोलने के लिये छोटी-बड़ी दस तुलायें बनवानी चाहिये, जिनका क्रम इस प्रकार है (१) छह अङ्गुल की, (२) चौदह अंगुल की, (३) बाईस अंगुल की, (४) तीस अंगुल की, (५) अड़तीस अंगुल की, (६) छियालीस अङ्गुल की, (७) चौवन अङ्गुल की, (८) बासठ अंगुल की, (९) सत्तर अंगुल की और (१०) अठहत्तर अंगुल की; उनका वजन क्रमशः एक पल से

१. पञ्चविंशत्पललोहां द्विसप्तत्यङ्गुलायामां समवृत्तां कारयेत् ।
तस्याः पञ्चपलिकं मण्डलं षड्ध्वा समकरणं कारयेत् । ततः
कर्पोत्तरं पलं, फलोत्तरं दशपलं, द्वादश पञ्चदश विंशतिरिति
पदानि कारयेत् । तत आ शताद् दशोत्तरं कारयेत् । अक्षेषु
नद्भ्रीपिनद्धं कारयेत् ।
२. द्विगुणलोहां तुलामतः षण्णवत्यङ्गुलायामां परिमार्गीं कारयेत् ।
तस्याः शतपदादूर्ध्वं विंशतिः, पञ्चाशत्, शतमिति पदानि
कारयेत् ।
३. विंशतितौलिको भारः ।

१० पल तक होना चाहिये; उनके दोनों ओर पलडे (शिक्क) लगे होने चाहिये ।

१. सोना-चांदी के अनिरीक्त दूसरे पदार्थों को तोलने के लिये जो तुलायें बनवाई जाँय, उनका आकार-प्रकार इस तरह होना चाहिये; पैंतीस पल लोहे से बनी हुई, तीन हाथ लंबी समवृत्ता (गोलकाकार) नामक तुला अन्य पदार्थों को तोलने के लिए बनवानी चाहिये । उसके बीच में पाँच पल का काँटा लगवाकर ठीक मध्य में एक चिह्न भी करवा देना चाहिये । उसके बाद कांटे की गोलकाकार परिधि में उस चिह्न से क्रमशः एक कर्ष, दो कर्ष, तीन कर्ष, चार कर्ष, एक पल, दो पल, इस प्रकार दस पल तक; दस पल के बाद बारह पल, पन्द्रह पल और बीस पल के चिह्न लगवाये जाँय । फिर बीस पल के आगे दस-दस पल का अन्तर देकर सौ पल तक के चिह्न होने चाहिये । प्रत्येक पाँच पल के बाद, मोटी जानकारी के लिये, लम्बी रेखा बनवा देनी चाहिये ।

२. उक्त समवृत्ता तुला से दुगुने लोहे (सत्तर पल परिमाण) से बनी छियानवे अंगुल लम्बी तुला का नाम परिमाणी है । उसपर भी समवृत्ता नामक तुला के ही अनुसार सौ पल तक चिह्न लगाने के बाद एक सौ बीस, एक सौ पचास और दो सौ पल तक के चिह्न और लगाने चाहिये ।

३. सौ पल परिमाण की एक तुला और बीस तुला परिमाण का एक भार होता है, यथा :

$$१०० \text{ पल} = १ \text{ तुला}$$

$$२० \text{ तुला} = १ \text{ भार}$$

१. दशधरणिकं पलम् । तत्पलशतमायमानी ।
२. पञ्चपलावरा व्यावहारिकी भाजन्यन्तःपुरभाजनी च ।
३. तासामर्धधरणावरं पलम् । द्विपलावरमुत्तरलोहम् । षडङ्गुला-
वराश्रायामाः ।

१. इस धरणि का एक पल और सौ पल परिमाण की आयमानी नामक तुला होती है; आयमानी, अर्थात् आमदनी की वस्तुओं को तोलनेवाली तुला, जैसे:

$$१० धरणि = १ पल$$

$$१०० पल = १ आयमानी$$

२ आयमानी से पाँच पल कम (९५ पल) परिमाण की तुला का नाम व्यावहारिकी (क्रय-विक्रय में व्यवहार योग्य) है; उससे पाँच पल कम (९० पल) की तुला का नाम भाजनी (मृत्यों को द्रव्य देने योग्य); और उससे भी पाँच पल कम (८५ पल) परिमाण की तुला का नाम अन्तःपुरभाजनी (रानी एवं राजकुमारों को द्रव्य देने योग्य) है; अर्थात्

$$९५ पल = १ व्यावहारिकी$$

$$९० पल = १ भाजनी$$

$$८५ पल = १ अन्तःपुरभाजनी$$

३. व्यावहारिकी, भाजनी और अन्तःपुरभाजनी, इन तीनों तुलाओं में उत्तरोत्तर आधा-आधा धरण कम हो जाता है । अर्थात् आयमानी तुला में दस धरण का एक पल होता है तो व्यावहारिकी का ९५ धरण का एक पल, भाजनी का ९० धरण का एक पल और अन्तःपुरभाजनी का ८५ धरण का एक पल होना चाहिए । इसी प्रकार इन तुलाओं के बनाने में लोहा भी उत्तरोत्तर दो-दो पल कम लगना चाहिए; अर्थात् आयमानी तुला यदि पैंतीस पल लोहे की बनाई जाय तो व्यावहारिकी तुला तैंतीस पल की; भाजनी इकतीस पल की; और अन्तःपुरभाजनी उन्नीस पल की बनाई जाय । इनकी लम्बाई भी पूर्वापेक्षया उत्तरोत्तर छः-छः अङ्गुल कम होनी चाहिए; यदि आयमानी तुला बहत्तर अङ्गुल लम्बी बनाई जाय तो व्यावहारिकी छियासठ अङ्गुल की, भाजनी साठ अङ्गुल की और अन्तःपुरभाजनी चौवन अङ्गुल की ही हो ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३५, अध्याय १६

१. पूर्वयोः पञ्चपलिकः प्रयामो मांसलोहलवणमणिवर्जम् ।
२. काष्ठतुला अष्टहस्ता पदवती प्रतिमानवती मयूरपदाधिष्ठाना ।
३. काष्ठपञ्चविंशतिपलं तण्डुलप्रस्थसाधनम् । एष प्रदेशो वह्नुल्पयोः ।
४. इति तुलाप्रतिमानं व्याख्यातम् ।
५. अथ धान्यमाषद्विपलशतं द्रोणमायमानम् । सप्ताशीतिपलशत-मर्धपलं च व्यावहारिकम् । पञ्चसप्ततिपलशतं भाजनीयम् । द्विषष्टिपलशतमर्धपलं चान्तःपुरभाजनीयम् ।

१. परिमाणी और आयमानी तुलाओं में मांस, लोहा, नमक और मणियों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं को तोलने पर पाँच पल अधिक तोला जाता है; इसीको प्रयाम कहते हैं ।
२. लकड़ी की तुला आठ हाथ की होनी चाहिए, जिसमें एक, दो, तीन आदि गिनती के बिह्व बने होने चाहिएँ; इसके बाट पत्थर के और इसका आधार मोर के पैरों जैसा होना चाहिए ।
३. एक प्रस्थ चावलों को पकाने के लिए पच्चीस पल लकड़ी पर्याप्त है । इसी हिसाब से कम ज्यादा लकड़ी का उपयोग करना चाहिए ।
४. यहाँ तक सोलह प्रकार की तुलाएँ और चौदह प्रकार के वाटों का निरूपण किया गया है ।
५. इसके आगे द्रोण, आठक आदि मापने के साधनों का निरूपण किया जाता है :—दो-सौ पल धान्यमाष-परिमाण का एक आयमान द्रोण (राजकीय आय को मापने योग्य) होता है । एक-सौ साठे-सत्तासी पल का एक व्यावहारिक (सर्वसामान्य के उपयोगी) द्रोण होता है । एक-सौ-पचहत्तर पल का एक भाजनीय द्रोण (भृत्योपयोगी) होता है; और एक-सौ साठे-बासठ पल का अन्तःपुरभाजनीय द्रोण (अन्तःपुर के उपयोगी) कहा जाता है; अर्थात् :

२०० पल धान्यमापक	= १ आयमानद्रोण
१८७ ३/४ पल	= १ व्यावहारिकद्रोण
१७५ पल	= १ भाजनीयद्रोण
१६२ ३/४ पल	= १ अन्तःपुर भा० द्रोण

१. तेषामाढकप्रस्थकुडवाश्चतुर्भागावराः ।
२. षोडशद्रोणा खारी, विंशतिद्रोणिकः कुम्भः, कुम्भैर्दशभिर्वहः ।
३. शुष्कसारदारुमयं समं चतुर्भागशिखं मानं कारयेत् । अन्तः शिखं वा । रसस्य तु ।
४. सुरायाः पुष्पफलयोः तुषाङ्गाराणां सुधायाश्च शिखामानं द्विगुणोत्तरा वृद्धिः ।
५. सपादपणो द्रोणमूल्यम् । आढकस्य पादोनः । षण्माषकाः प्रस्थस्य । माषकः कुडवस्य ।

१. द्रोण का चौथाई आढक, आढक का चौथाई प्रस्थ और प्रस्थ का चौथाई कुडव होता है ।

२. सोलह द्रोण की एक खारी, बीस द्रोण का एक कुम्भ और दस कुम्भ परिमाण का एक वह होता है, यथा :

$$१६ \text{ द्रोण} = १ \text{ खारी}$$

$$\begin{matrix} २० \text{ द्रोण} \\ १\frac{१}{४} \text{ खारी} \end{matrix} \left\{ = १ \text{ कुम्भ} \right.$$

$$१० \text{ कुम्भ} = १ \text{ वह}$$

३. अनाज मापने के लिए बढ़िया सूखी लकड़ी का ऐसा मान बनवाया जाय, कि जितना अनाज उसमें समा सके, उसका चतुर्थांश उसकी गर्दन में आजाय; अथवा गर्दन घनाकर ऊपर से नीचे तक उसकी एक जैसी बनावट रहे; उसका मुह खुला रहना चाहिए । घी-तेल मापने के लिए भी ऐसा ही मान बनवाया जाय ।

४. शराव, फल, फूल, भूसी, कोयला, और चूना-कलई, इन छह पदार्थों को मापने के लिए जो वर्तन बनवाया जाय उसके ऊपर का हिस्सा, नीचे के हिस्से से दुगना चौड़ा होना चाहिए और उस पर गर्दन भी बनी होनी चाहिए ।

५. लकड़ी के घने एक द्रोण परिमाण वर्तन का मूल्य सवा पण होना चाहिए । इसी प्रकार एक आढक परिमाण के वर्तन की कीमत पौन पण; एक प्रस्थ के

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३५, अध्याय १६

१. द्विगुणं रसादीनां मानमूल्यम् ।
२. विंशतिपणाः प्रतिमानस्य । तुलामूल्यं त्रिभागः ।
३. चातुर्माषिकं प्रातिवेधनिकं कारयेत् । अग्रतिविद्धस्यात्ययः सपादः सप्तविंशतिपणः । प्रातिवेधनिकं काकणिकमहरहः पौतवाध्यक्षाय दद्युः ।
४. द्वात्रिंशद्भागस्तप्तव्याजी सर्पिषश्चतुःषष्टिभागस्तैलस्य । पञ्चाशद्भागो मानस्त्रावो द्रवाणाम् ।
५. कुडबार्धचतुरष्टभागानि मानानि कारयेत् ।

वर्तन की छह माषक और एक कुडव परिमाण वाले वर्तन की कीमत एक माषक होनी चाहिये ।

१. घी-तेल आदि द्रव पदार्थों के मापने वाले वर्तनों की कीमत अनाज मापनेवाले वर्तनों से दुगुनी होनी चाहिये ।
२. चौदह प्रकार के सम्पूर्ण बाटों की कीमत बीस पण और सम्पूर्ण तुलाओं की कीमत उसके तिहाई अर्थात् $6\frac{2}{3}$ पण होती है ।
३. पौतवाध्यक्ष को चाहिये कि हर चौथे मास वह तुला, बाट, द्रोण आदि का निरीक्षण करे । जो व्यापारी निर्धारित समय पर जाँच न करवावे उसे सवा सत्ताईस पण जुर्माना देना चाहिये । व्यापारियों को चाहिये कि वे एक काकणी प्रतिदिन के हिसाब से चार मास की एक-सौ-बीस काकणी निरीक्षण-कर के रूप में पौतवाध्यक्ष को दें ।
४. यदि गरम घी खरीदा जाय तो उसका बत्तीसवां हिस्सा और तेल खरीदा जाय तो उसका चौसठवां हिस्सा छीजन के रूप में अधिक (व्याजी) लेना चाहिए । द्रव पदार्थों में पाँचवां हिस्सा छीजन होती है ।
५. छोटी तोल के लिए एक कुडव, भाधा कुडव, चौथाई कुडव तथा आठवां हिस्सा कुडव, ये चार प्रकार के बाट और माप बनवाने चाहिए ।

१. कुडवाश्चतुराशीतिवारकः सर्पिषो मतः ।
चतुःषष्टिस्तु तैलस्य पादश्च घटिकानयोः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे तुलामानपौतवं नामैकोनविंशोऽध्यायः;
आदितश्चत्वारिंशः ।



१. घी तोलने के लिए चौरासी कुडव परिमाण का एक वारक और तेल तोलने के लिए चौसठ कुडव का एक वारक माना गया है । इक्कीस कुडव की एक घृतघटिका और सोलह कुडव की एक तैलघटिका होती है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।



घृहकरण ३६

अध्याय २०

देशकालमानम्

१. मानाध्यक्षो देशकालमानं विद्यात् ।
२. अष्टौ परमाणवो रथवक्रविग्रहः । ता अष्टौ लिखा । ता अष्टौ यूकामध्यः । ते अष्टौ यवमध्यः । अष्टौ यवमध्याः अङ्गुलम् ।
३. मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अङ्गुल्या मध्यप्रकर्षो वाङ्गुलम् ।
४. चतुरङ्गुलो धनुर्ग्रहः । अष्टाङ्गुला धनुर्मुष्टिः ।
५. द्वादशाङ्गुला वितस्तिः, छायापौरुषं च । चतुर्दशाङ्गुलं शमः शलः परिरयः पदं च । द्विवितस्तिररत्निः प्राजापत्यो हस्तः ।

देश और काल का मान

१. पौनवाध्यक्ष को चाहिये कि वह देश और काल का मान भी अच्छी तरह से जान ले । उसकी जानकारी के सूत्र इस प्रकार हैं :
२. ८ परमाणु = १ धूलकण
८ धूलकण = १ लिखा
८ लिखा = १ यूकामध्य
८ यूकामध्य = १ यवमध्य
८ यवमध्य = १ अङ्गुल
३. अथवा मध्यम कोटि के पुरुष की मध्यमा की मोटाई का माप एक अङ्गुल बराबर होता है ।
४. ४ अङ्गुल = १ धनुर्ग्रह
८ अङ्गुल } = १ धनुर्मुष्टि
२ धनुर्ग्रह
५. १२ अङ्गुल } = १ वितस्ति या १ छायापुरुष
३ धनुर्ग्रह
१३ धनुर्मुष्टि

१. सधनुर्ग्रहः पौतवविवीतमानम् । सधनुर्मुष्टिः किष्कुः कंसो वा ।
२. द्विचत्वारिंशदङ्गुलस्तक्षणः क्राकचिककिष्कुः स्कन्धावारदुर्गराजपरिग्रहमानम् । चतुःपञ्चाशदङ्गुलः कुप्यवनहस्तः ।
३. चतुरशीत्यङ्गुलो व्यामो रज्जुमानं खातपौरुषं च ।
४. चतुररत्नदर्दण्डो धनुर्नालिका पौरुषं च ।
५. गार्हपत्यमष्टशताङ्गुलं धनुः पथिप्राकारमानम् । पौरुषं च अग्निचित्यानाम् ।
६. षट्कंसो दण्डो ब्रह्मदेयातिथ्यमानम् । दशदण्डा रज्जुः । द्विरज्जुकः परिदेशः । त्रिरज्जुकं निवर्तनम् ।

१४ अङ्गुल	= १ शम, शल परिरय या पद (पैर)
२ वितस्ति	= १ अरत्नि, प्राजापत्य हाथ
१. २८ अङ्गुल	= १ हाथ (विवीत और पौतव नापने के लिये)
३२ अङ्गुल	= १ किष्कु या कंस
२. ४२ अङ्गुल	= १ हाथ (छावनी आदि में ऩढ़ई के उपयोगार्थ)
३२ अङ्गुल	= १ किष्कु या कंस (छावनी आदि में लकड़ी चीरने के लिए)
५४ अङ्गुल	= १ हाथ (जंगली लकड़ी और पदार्थ नापने के लिए)
३. ८४ अङ्गुल	= १ हाथ (रस्सी, खाई और कुआँ नापने के लिए)
४. ४ अरत्नि	= १ दण्ड, धनु, नालिका, पौरुष
५. १०८ अङ्गुल	= १ गार्हपत्यधनु (विश्वकर्मा द्वारा निश्चित, सड़क, किला एवं परकोटा नापने के लिए)
१०८ अङ्गुल	= १ पौरुष (यज्ञसम्बन्धी कार्यों के लिए)
६. ६ कंस	} = १ दण्ड (ब्राह्मण आदि को भूमिदान देने के लिए)
८ हाथ	
१० दण्ड	} = १ रज्जु
४ अरत्नि	
२ रज्जु	= १ परिदेश
३ रज्जु	} = १ निवर्तन
१३ परिदेश	

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३६, अध्याय २०

१. एकतो द्विदण्डाधिको बाहुः । द्विधनुःसहस्रं गोरुतम् । चतुर्गो-
रुतं योजनम् । इति देशमानम् ।
२. कालमानमत ऊर्ध्वम् । तुटो लवो निमेषः काष्ठा कला
नालिका मुहूर्तः पूर्वापरभागौ दिवसो रात्रिः पक्षो मास
ऋतुरयनं संवत्सरो युगमिति कालाः ।
३. निमेषचतुर्भागस्तुटः ।
४. द्वौ तुटौ लवः ।
५. द्वौ लवौ निमेषः ।
६. पञ्च निमेषाः काष्ठाः ।
७. त्रिंशत् काष्ठाः कला ।
८. चत्वारिंशत् कला नालिका ।

१. ३० + ३२ दण्ड = १ बाहु (पूरा हाथ)
६६३ निवर्त्तन } = १ गोरुत (१ कोश)
२००० धनु
४ गोरुत = १ योजन

यहाँ तक देश मान का निरूपण किया गया है ।

२. इसके बाद काल-मान का निरूपण किया जाता है । तुट, लव, निमेष, काष्ठा, कला, नालिका, मुहूर्त, पूर्वाह्न, अपराह्न, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग; काल के ये सत्रह विभाग हैं ।

३. निमेष = पलक मारने तक का समय, त्रुटि = निमेष वा चौथा हिस्सा
४. २ त्रुटि = १ लव
५. २ लव = १ निमेष
६. ५ निमेष = १ काष्ठा
७. ३० काष्ठा = १ कला
८. ४० कला = १ नालिका

१. सधनुर्ग्रहः पौतवविवीतमानम् । सधनुर्मुष्टिः किष्कुः कंसो वा ।
२. द्विचत्वारिंशदङ्गुलस्तक्षणः क्राकचिककिष्कुः स्कन्धावारदुर्ग-
राजपरिग्रहमानम् । चतुःपञ्चाशदङ्गुलः कुप्यवनहस्तः ।
३. चतुरशीत्यङ्गुलो व्यामो रज्जुमानं खातपौरुषं च ।
४. चतुररत्निर्दण्डो धनुर्नालिका पौरुषं च ।
५. गार्हपत्यमष्टशताङ्गुलं धनुः पथिप्राकारमानम् । पौरुषं च
अग्निचित्यानाम् ।
६. षट्कंसो दण्डो ब्रह्मदेयातिथ्यमानम् । दशदण्डा रज्जुः ।
द्विरज्जुकः परिदेशः । त्रिरज्जुकं निवर्तनम् ।

१४ अङ्गुल	= १ शम, शल परिरय या पद (पैर)
२ वितस्ति	= १ अरत्नि, प्राजापत्य हाथ
१. २८ अङ्गुल	= १ हाथ (विवित और पौतव नापने के लिये)
३२ अङ्गुल	= १ किष्कु या कंस
२. ४२ अङ्गुल	= १ हाथ (छावनी आदि में वदर्ह के उपयोगार्थ)
३२ अङ्गुल	= १ किष्कु या कंस (छावनी आदि में लकड़ी चीरने के लिए)
५४ अङ्गुल	= १ हाथ (जंगली लकड़ी और पदार्थ नापने के लिए)
३. ८४ अङ्गुल	= १ हाथ (रस्सी, खाई और कुर्भों नापने के लिए)
४. ४ अरत्नि	= १ दण्ड, धनु, नालिका, पौरुष
५. १०८ अङ्गुल	= १ गार्हपत्यधनु (विश्वकर्मा द्वारा निश्चित, सड़क, किला एवं परकोटा नापने के लिए)
१०८ अङ्गुल	= १ पौरुष (यज्ञसम्बन्धी कार्यों के लिए)
६. ६ कंस	} = १ दण्ड (ब्राह्मण आदि को भूमिदान देने के लिए)
८ हाथ	
१० दण्ड	} = १ रज्जु
४ अरत्नि	
२ रज्जु	= १ परिदेश
३ रज्जु	} = १ निवर्तन
१३ परिदेश	

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३६, अध्याय २०

१. एकतो द्विदण्डाधिको बाहुः । द्विधनुःसहस्रं गोरुतम् । चतुर्गो-
रुतं योजनम् । इति देशमानम् ।
२. कालमानमत ऊर्ध्वम् । तुटो लवो निमेषः काष्ठा कला
नालिका सुहूर्तः पूर्वापरभागौ दिवसो रात्रिः पक्षो मास
ऋतुरयनं संवत्सरो युगमिति कालाः ।
३. निमेषचतुर्भागस्तुटः ।
४. द्वौ तुटौ लवः ।
५. द्वौ लवौ निमेषः ।
६. पञ्च निमेषाः काष्ठाः ।
७. त्रिंशत् काष्ठाः कला ।
८. चत्वारिंशत् कला नालिका ।

-
१. ३० + ३२ दण्ड = १ बाहु (पूरा हाथ)
६६३ निवर्त्तन } = १ गोरुत (१ कोश)
२००० धनु
 - ४ गोरुत = १ योजन

यहाँ तक देश मान का निरूपण किया गया है ।

२. इसके बाद काल-मान का निरूपण किया जाता है । तुट, लव, निमेष,
काष्ठा, कला, नालिका, सुहूर्त, पूर्वाह्न, अपराह्न, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु,
अयन, संवत्सर और युग; काल के ये सत्रह विभाग हैं ।
३. निमेष = पलक मारने तक का समय, त्रुटि = निमेष वा चौथा हिस्सा
४. २ त्रुटि = १ लव
५. २ लव = १ निमेष
६. ५ निमेष = १ काष्ठा
७. ३० काष्ठा = १ कला
८. ४० कला = १ नालिका

१. सुवर्णमाषकाश्चत्वारश्वतुरंगुलायामाः कुम्भच्छिद्रकाढकमम्भसो वा नालिका ।
२. द्विनालिको मुहूर्तः । पञ्चदशमुहूर्तो दिवसो रात्रिश्च चैत्रं नास्याश्वयुजे च मासि भवतः । ततः परं त्रिभिर्मुहूर्तैरन्यतरः षण्मासं वर्धते हसते चेति ।
३. छायायामष्टपौरुष्यामष्टादशभागच्छेदः, षट्पौरुष्यां चतुर्दश-भागः, चतुष्पौरुष्यामष्टभागः, द्विपौरुष्यां षड्भागः, पौरुष्यां चतुर्भागः, अष्टाङ्गुलायां त्रयो दशभागाः, चतुरङ्गुलायाम् अष्टभागाः, अच्छायो मध्याह्न इति ।
४. परावृत्ते दिवसे शेषमेवं विद्यात् ।

१. अथवा एक घड़े में चार सुवर्णमाषक के बराबर चौड़ा और चार अङ्गुल लम्बा छेद बनाकर इतने ही परिमाण की एक नली घड़े में लगा दी जाय; उस घड़े में एक आढ़क जल भर दिया जाय । वह जल उस नली के द्वारा जितने समय में बाहर निकले, उतने समय को नालिका कहते हैं ।

५ नालिका = १ मुहूर्त

१५ मुहूर्त = १ दिन या १ रात

२. इस मान के दिन और रात केवल चैन तथा आश्विन मास में होते हैं । इसके बाद छह-मास तक दिन बढ़ता और रात्रि घटती है; दूसरे छह महीने तक रात्रि बढ़ती है और दिन घटता-रहता है ।
३. जब धूपघड़ी की छाया ९६ अङ्गुल लम्बी हो तो दिन का आठवां भाग समाप्त हुआ समझना चाहिए; ७२ अङ्गुल छाया रहने पर दिन का चौदहवाँ भाग; ४८ अङ्गुल लम्बी रहने पर आठवां हिस्सा; २४ अङ्गुल लम्बी रहने पर छठा हिस्सा; १२ अङ्गुल लम्बी रहने पर चौथा हिस्सा; ८ अङ्गुल लम्बी रहने पर दिन के दस भागों में तीसरा; हिस्सा; चार अङ्गुल लम्बी रह जाने पर आठ भागों में तीसरा हिस्सा और जब छाया विलकुल न रहे तो मध्याह्न समझना चाहिए ।
४. मध्याह्न अर्थात् बारह बजे के बाद उक्त छाया-मान के अनुसार दिन का शेष भाग समझना चाहिए ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३६, अध्याय २०

१. आपाढे मासि नष्टच्छायो मध्याह्ना भवति । अतः परं श्रावणादीनां षण्मासानां द्व्यङ्गुलोत्तरा माघादीनां द्व्यङ्गुलावरा छाया इति ।
२. पञ्चदशाहोरात्राः पक्षः । सोमाप्यायनः शुक्लः । सोमावच्छेदनो बहुलः ।
३. द्विपक्षो मासः । त्रिंशद्दहोरात्रः प्रकर्ममासः । सार्धः सौरः । अर्धन्यूनश्चान्द्रमासः । सप्तविंशतिर्नक्षत्रमासः । द्वात्रिंशद् मलमासः । पञ्चत्रिंशदश्ववाहायाः । चत्वारिंशद्धस्तिवाहायाः ।
४. द्वौ मासावृतुः । श्रावणः प्रोष्ठपदश्च वर्षाः । आश्वयुजः कार्तिकश्च शरत् । मार्गशीर्षः पौषश्च हेमन्तः । माघः फाल्गुनश्च शिशिरः । चैत्रो वैशाखश्च वसन्तः । ज्येष्ठामूलीय आपाढश्च ग्रीष्मः ।

१. आपाढ के महीने की दोपहरी (मध्यान्ह) छायारहित होती है । श्रावण से पौष तक मध्यान्ह में दो अङ्गुल छाया अधिक रहती है; और फिर माघ से ज्येष्ठ तक दो अङ्गुल कम हो जाती है ।
२. पन्द्रह दिन-रात का एक पक्ष होता है । जिस पक्ष में चन्द्रमा बढ़ता रहता है उसे शुक्लपक्ष, और जिस पक्ष में चन्द्रमा घटता है उसे कृष्ण पक्ष (बहुल) कहते हैं ।
३. दो पक्ष का एक महीना होता है । वेतन देने के लिए तीस दिन-रात का एक महीना माना जाता है । साढ़े तीस दिन रात का एक सौर मास होता है । साढ़े उनतीस दिन-रात का एक चान्द्रमास होता है । सत्ताईस दिन-रात का एक नक्षत्रमास होता है । बत्तास दिन-रात का एक मलीमास होता है । पैंतीस दिन रात का महीना घोड़ों के सईसों को वेतन देने के उपयोग में लाया जाता है । हाथियों की सेवा में नियुक्त कर्मचारियों का एक महीना, चालीस दिन-रात का होता है ।
४. दो मास की एक ऋतु होती है । श्रावण-भादों में वर्षा ऋतु होती है । आश्विन-कार्तिक में शरद् ऋतु होती है । मार्गशीर्ष-पौष में हेमन्त ऋतु

१. शिशिराद्युत्तरायणम् । वर्षादि दक्षिणायनम् ।
२. द्वययनः संवत्सरः । पञ्चसंवत्सरो युगमिति ।
३. दिवसस्य हरत्यर्कः षष्टिभागमृतौ ततः ।
करोत्येकमहश्छेदं तथैवैकं च चन्द्रमाः ॥
एवमर्धतृतीयानामब्दानामधिमासकम् ।
ग्रीष्मे जनयतः पूर्वं पश्चाद्दान्ते च पश्चिमम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे देशकालमानं नाम विंशोऽध्यायः;

आदित एकचत्वारिंशः ।



होती है। माघ-फाल्गुल में शिशिर ऋतु होती है। चैत्र-वैशाख में वसन्त ऋतु होती है। ज्येष्ठ-भाषाढ में ग्रीष्म ऋतु होती है।

१. शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्म उत्तरायण; और वर्षा, शरद् तथा हेमन्त दक्षिणायन कहलाते हैं।
२. उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों का एक संवत्सर होता है। पाँच संवत्सरों का एक युग होता है।
३. प्रतिदिन सूर्य एक घटिका छेद करता है; इस क्रम से वह एक वर्ष में छह दिन, दो वर्ष में बारह दिन और ढाई वर्ष में पन्द्रह दिन अधिक बना लेता है। इसी प्रकार चन्द्र भी प्रत्येक ऋतु में एक-एक दिन कम करता जाता है, जिससे ढाई वर्ष में पन्द्रह दिन कम हो जाते हैं। इस दृष्टि से सूर्य और चन्द्रमा की गति के अनुसार एक महीने की कमी-बेशी हो जाती है। इस गणना के अनुपात से प्रति ढाई वर्ष बाद ग्रीष्म ऋतु में प्रथम मलिमास और प्रति पाँच वर्ष के बाद हेमन्त ऋतु में दूसरा मलिमास, सूर्य तथा चन्द्रमा बनाते हैं। यही मलिमास, अधिकमास कहलाता है, जो ढाई वर्ष में एक महीने के अन्तर को पूरा कर देता है।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में बीसवाँ अध्याय समाप्त।



शुल्काध्यक्षः

१. शुल्काध्यक्षः शुल्कशालां ध्वजं च प्राङ्मुखम् उदङ्मुखं वा महा-
द्वाराभ्यांशे निवेशयेत् ।
२. शुल्कादायिनश्चत्वारः पञ्च वा सार्थोपयातान् वणिजो लिखे-
युः—के कुतस्त्याः कियत्पण्याः क चाभिज्ञानमुद्रा वा कृतेति ।
३. अमुद्राणामत्ययो देयद्विगुणः ।
४. कूटमुद्राणां शुल्काष्टगुणो दण्डः ।
५. भिन्नमुद्राणामत्ययो घटिकाः स्थाने स्थानम् ।

शुल्क का अध्यक्ष

१. शुल्क का अध्यक्ष शुल्कशाला (चुंगीघर) का निर्माण करवावे ; उसके पूर्व
तथा उत्तर की ओर, प्रधान द्वार के पास, शुल्कशाला की पहिचान के लिए
एक पताका लगवा दे ।
२. शुल्कशाला में चार-पाँच कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो
माल को लाने-लेजाने वाले व्यापारियों का नाम, उनकी जाति, उनका
निवास स्थान, माल का विवरण और उसपर कहाँ कहाँ की मुहर लगी है,
इसका विवरण लिखें ।
३. जिन व्यापारियों के माल पर मुहर न लगी हो, उनको जितनी चुकी (शुल्क)
देनी चाहिए, उन पर उसका दुगुना जुर्माना किया जाय ।
४. जिन व्यापारियों ने अपने माल पर नकली मुहर लगाई है उन पर चुंगी
का भाठगुना जुर्माना ठोकना चाहिए ।
५. जो व्यापारी मुहर लगाकर उसको मिटा दे, उन्हें तीन घड़ी तक (द्वाइ
घड़ी का एक घंटा) ऐसे स्थान पर बैठाया जाय, जहाँ पर कि आने जाने
वाले सभी व्यापारी उनके अपराध को जान सकें ।

१. राजमुद्रापरिवर्तने नामकृते सपादपणिकं वहनं दापयेत् ।
२. ध्वजमूलोपस्थितस्य प्रमाणमर्थं च वैदेहकाः पण्यस्य ब्रूयुः—
एतत्प्रमाणेनार्धेण पण्यमिदं क्रः क्रेतेति । त्रिरुद्वोपितमर्थिभ्यो
दद्यात् । क्रैवसंवर्षे मूल्यवृद्धिः । सशुल्का कोशं गच्छेत् ।
३. शुल्कभयात्पण्यप्रमाणं मूल्यं वा हीनं ब्रुवतस्तदतिरिक्तं राजा
हरेत् । शुल्कमष्टगुणं वा दद्यात् ।
४. तदेव निविष्टपण्यस्य भाण्डस्य हीनप्रतिवर्णकेनार्वापकर्षणे
सारभाण्डस्य फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने च कुर्यात् ।
५. प्रतिक्रैवभयाद्वा पण्यमूल्यादुपरि मूल्यं वर्धयतो मूल्यवृद्धिं
राजा हरेत् । द्विगुणं वा शुल्कं कुर्यात् ।

१. माल का नाम बदलने वाले व्यापारी पर सवापण दण्ड करना चाहिए ।
२. शुल्कशाला की ध्वजा के नीचे एकत्र होकर व्यापारी लोग अपने माल का नाम, उसकी कीमत और उसका वजन आदि की बोली बोलें । तीन बार आवाज लगाने पर जो भी खरीद दे, उसे माल दे देना चाहिए; यदि खरीदने वालों में होड़ लग जाय तो माल का मूल्य बढ़ा कर बोली बोली जाय और तिर्धारित आमदनी से अधिक मूल्य एवं उसकी चुङ्गी राजकीय-कोष में जमा कर दी जाय ।
३. अधिक चुंगी देने के डर से जो व्यापारी अपने माल और उसके मूल्य को कम करके बताये, उस अतिरिक्त माल को राजा ले ले; अथवा व्यापारी से आठगुना शुल्क वसूल किया जाय ।
४. यही दण्ड उस व्यापारी को भी देना चाहिए जो कि बढ़िया माल की जगह, उसी प्रकार की दूसरी पेट्टी आदि में बटिया माल रख कर उसका मूल्य कम कर दे; अथवा जो व्यापारी नीचे के हिस्से में अच्छा माल भर कर ऊपर से मसना माल भर दे और उसीके अनुसार चुंगी दे ।
५. प्रतिद्वन्द्विता के कारण जो ग्राहक किसी चीज का मूल्य बढ़ा दे, उस बढ़े हुए मूल्य को राजा ले ले; अथवा उस मूल्य बढ़ाने वाले खरीददार से दुगुनी चुंगी वसूल कर ली जाय ।

१. तदेवाष्टगुणमध्यक्षस्य छादयतः ।
२. तस्माद्विक्रयः पश्यानां धृतो मितो गणितो वा कार्यः । तर्कः फल्गुभाण्डानामानुग्राहिकाणां च ।
३. ध्वजमूलमतिक्रान्तानां चाकृतशुल्कानां शुल्कादष्टगुणो दण्डः । पथिकोत्पथिकास्तद्विद्युः ।
४. वैवाहिकमन्वायनमौपायनिकं यज्ञकृत्यप्रसवनैमित्तिकं देवेज्या-चौलोपनयनगोदानव्रतदक्षिणादिषु क्रियाविशेषेषु भाण्डमुच्छुल्कं गच्छेत् ।
५. अन्यथावादिनः स्तेयदण्डः ।
६. कृतशुल्केनाकृतशुल्कं निर्वाहयतो द्वितीयमेकमुद्रया भित्त्वा पण्यपुटमपहरतो वैदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः ।

- १ मित्रता या रिश्वत के कारण यदि अध्यक्ष किसी अपराधी व्यापारी को माफ कर दे तो अपराध के अनुपात से आठ गुना दण्ड अध्यक्ष को दिया जाय ।
- २ इसलिष् माल की बिक्री तौल कर अथवा गिन कर भलीभांति करनी चाहिए, जिससे छल-कपट न हो सके । कोयला, नमक आदि कम चुंगी वाली वस्तुओं पर अन्दाज से ही कर लेना चाहिए; उन्हें तौलने की आवश्यकता नहीं है ।
३. जो व्यापारी छिपकर या किसी छल से चुंगी दिए बिना ही चुंगीघर को लांघ कर चले जाय उन्हें नियत शुल्क से आठगुना अधिक शुल्क देना चाहिए । असली रास्ता छोड़ कर इधर-उधर से निकल जाने वाले लकड़हारों और ग्वाले आदि पर भा निगरानी रखनी चाहिए ।
४. विवाहसंबंधी, विवाह में प्राप्त, सदावर्त्त या क्षेत्रों के लिए दिया गया दान, यज्ञकर्म एवं जन्मोत्सव के लिए भेजा हुआ देवपूजा, मुंडन, जनेऊ, गोदान और व्रत आदि धार्मिक कार्यों से संबद्ध माल पर चुंगी न ली जानी चाहिए ।
५. किन्तु चुंगी के भय से जो व्यक्ति अपने माल का संबंध उक्त कार्यों से बताये तो उसे चोरी का दण्ड दिया जाय ।
६. यदि कोई व्यापारी चुंगी दिए माल के साथ बिना चुंगी दिए माल को निकाल ले जाय या इसी प्रकार बिना मुहर लगे माल को निकाल ले जाय, अथवा चुंगी दिए माल में बिना चुंगी का माल मिला दे, उस व्यापारी का

१. शुल्कस्थानाद्गोमयपत्तालं प्रमाणं कृत्वा अपहरत उत्तमः साहसदण्डः ।
२. शस्त्रवर्मकवचलोहरथरत्नधान्यपशूनामन्यतमानिर्वाह्यं निर्वाहयतो यथावघुषितो दण्डः पण्यनाशश्च ।
३. तेषामन्यतमस्यानयने बहिरेवोच्छुल्को विक्रयः ।
४. अन्तपालः सपादपणिकां वर्तनीं गृह्णीयात् पण्यवहनस्य, पणिकामेकमुखस्य, पशूनामर्धपणिकां, क्षुद्रपशूनां पादिकाम्, असभारस्य माषिकाम् । नष्टापहतं च प्रतिविदध्यात् ।
५. वैदेश्यं सार्थं कृतसारफलगुभाण्डविचयनमभिज्ञानं मुद्रां च दत्त्वा प्रेषयेदध्यक्षस्य ।

वह बिना चुङ्गी का माल जब्त कर लिया जाय और उस पर उतना ही दण्ड निर्धारित किया जाय ।

१. जो व्यापारी चुङ्गी देने के भय से अपने अच्छे माल को घटिया बताकर धोखे से निकाल ले जाने की चेष्टा करे, उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।
२. शस्त्र, कवच, लोहा, रथ, रत्न, अन्न और पशु आदि किसी भी प्रतिबन्ध लगी वस्तु को लाने-लेजाने वाले व्यापारी को पूर्व निर्धारित दण्ड दिया जाय और उसकी उस वस्तु को जब्त कर लिया जाय ।
३. इनमें से कोई वस्तु यदि बाहर से लाई जाये तो वह बिना चुङ्गी दिये भी नगर-सीमाओं के बाहर बेची जा सकती है ।
४. सीमा रक्षक अन्तपाल को चाहिये कि वह माल ढोने वाली प्रति गाड़ी से मार्गरक्षा-कर (वर्तनी) के रूप में १/४ पण कर वसूल करे । घोड़े, खच्चर, गधे आदि एक खुर वाले पशुओं की गाड़ी पर एक पण; बैल आदि पशुओं पर आधा पण; बकरी, भेड़ आदि छोटे पशुओं पर चौथाई पण और कंधे पर भार ढोने वाले व्यक्तियों पर एक माष (तांबे का सिक्का) कर लेना चाहिये । यदि किसी व्यापारी की कोई वस्तु गुम हो गई हो या चोरी गई हो तो अन्तपाल उसका पता लगावे । नष्ट हुई वस्तु मिल जाय तो दे दे, अन्यथा अपने ही पास रख दे ।
५. अन्तपाल को चाहिये कि वह विदेशी व्यापारियों के माल की भूली-भांति

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३७, अध्याय २१

१. वैदेहकव्यञ्जनो वा सार्थप्रमाणं राज्ञः प्रेषयेत् । तेन प्रदेशेन राजा शुल्काध्यक्षस्य सार्थप्रमाणमुपदिशेत्सर्वज्ञत्वख्यापनार्थम् । ततः सार्थमध्यक्षोऽभिगम्य ब्रूयात्—‘इदममुष्यामुष्य च सारभाण्डं च निगूहतव्ययम्, एष राज्ञः प्रभावः’ इति ।
२. निगूहतः फल्गुभाण्डंशुल्काष्टगुणो दण्डः, सारभाण्डं सर्वापहारः ।
३. राष्ट्रपीडाकरं भाण्डमुच्छिन्द्यादफलं च यत् ।
महोपकारमुच्छुल्कं कुर्याद्धीजं तु दुर्लभम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे शुल्काध्यक्षो नाम एकविंशोऽध्यायः;
आदितो द्विचत्वारिंशः ।

जाँच कर उस पर मुहर लगाये और रमन्ना काटकर उन्हें चुङ्गी के अध्यक्ष (शुल्काध्यक्ष) के पास भेज दे ।

१. उन विदेशी व्यापारियों के साथ गुप्त व्यापारी का भेष धारण किये राजा का खुपिया व्यापारियों के सम्बन्ध की सारी सूचनायें पहिले ही राजा तक पहुँचा दे । इस सूचना को तथा व्यापारियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी राजा, शुल्काध्यक्ष के पास भेज दे, जिससे कि राजा की जानकारी पर विश्वास किया जा सके और राजा की बात को विश्वासपूर्वक कहा जा सके । तदनुसार शुल्काध्यक्ष व्यापारियों से कहे ‘आप लोगों में से अमुक-अमुक व्यापारी के पास इतना घटिया और इतना बढ़िया माल है; आप लोगों को कुछ भी छिपाना नहीं चाहिये । देखिये, राजा का इतना प्रभाव है कि उससे कोई बात छिपी नहीं रह सकती है ।’
२. जो व्यापारी घटिया माल को छिपाने का यत्न करे, उस पर चुङ्गी से आठ-गुना जुर्माना और जो बढ़िया माल को छिपाये उसका सारा माल जब्त कर लेना चाहिये ।
३. राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाले विष या फल आदि माल को राजा नष्ट कर दें; और यदि प्रजा का उपकार करनेवाला तथा कठिनाई से प्राप्त होने वाला धान्य आदि माल हो तो उस पर चुङ्गी न लगाई जाय, जिससे उस माल का अपने देश में अधिक आयात हो ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में एकीसवाँ अध्याय समाप्त ।



शुल्कव्यवहारः

१. शुल्कव्यवहारो बाह्यमाभ्यन्तरं चातिथ्यम् ; निष्क्राम्यं, प्रवेश्यं च शुल्कम् ।
२. प्रवेश्यानां मूल्यपञ्चभागः ।
३. पुष्पफलशाकमूलकन्दवल्लिक्यबीजशुष्कमत्स्यमांसानां षड्भागं गृह्णीयात् ।
४. शंखवज्रमणिमुक्ताप्रवालहाराणां तज्जातपुरुषैः कारयेत् , कृत-कर्मप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः ।

करवसूली के नियम

१. शुल्कव्यवहार (उपयुक्त कर-वसूली) के तीन प्रकार हैं : (१) बाह्य (अपने राज्य में उत्पन्न वस्तुओं की चुङ्गी), (२) आभ्यन्तर (राजमहल तथा राजधानी के भीतर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की चुङ्गी) और (३) आतिथ्य (विदेश से आने वाले माल की चुङ्गी) । इनके दो भाग हैं : (१) निष्क्राम्य और (२) प्रवेश्य । बाहर जाने वाले माल पर लगाई गई चुङ्गी को निष्क्राम्य और बाहर से आने वाले माल पर लगाई चुङ्गी को प्रवेश्य कहते हैं ।
२. आयात माल पर सामान्यतः उसकी लागत का पाँचवाँ हिस्सा चुङ्गी ली जानी चाहिए ।
३. फूल, फल, साग, गाजर, मूल, शकरकन्द, धान्य, सूखी मछली और मांस, इन वस्तुओं पर उनकी लागत का छठा हिस्सा चुङ्गी लेनी चाहिए ।
४. शंख, हीरा, मणि, मुक्ता, प्रवाल और हार, इन मूल्यवान् वस्तुओं की चुङ्गी उनके विशेषज्ञों, पारखियों अथवा विशिष्ट रूप से नियत समय के लिए नियत वेतन पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा निर्धारित करनी चाहिए ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३८, अध्याय २२

१. क्षौमदुकूलक्रिमितानकङ्कटहरितालमनः शिलाहिङ्गुलुकलोहवर्ण-
धातूनां चन्दनागुरुकटुककिण्वावराणां सुरादन्ताजिनक्षौमदुकूल-
निकरास्तरणप्रावस्थाक्रिमिजातानामजैलकस्य च दशभागः,
पञ्चदशभागो वा ।
२. वस्त्रचतुष्पदद्विपदसूत्रक्षार्पासगन्धभैषज्यकाष्ठवेणुवल्कलचर्ममृद्भा-
ण्डानां धान्यस्नेहक्षारलवणमद्यपक्वान्नादीनां च त्रिंशतिभागः
पञ्चत्रिंशतिभागो वा ।
३. द्वारादेयं शुल्कपञ्चभागः आनुग्राहिकं वा यथादेशोपकारं स्था-
पयेत् ।
४. जातिभूमिषु च पण्यानामविक्रयः ।
५. खनिभ्यो धातुपण्यादाने षट्छतमत्ययः ।

१ मोटे तथा महीन रेशमी कपड़ों, कीमखाब, सूती कवच, हरताल, मैनसिल, हिङ्गुल, लोहा, गेरू, चन्दन, अगर, पीपल (कटुक), मादक बीजों से निकाला गया द्रव्य, शराब, हाथीदांत, मृगचर्म, रेशमी तागे, बिछौना, ओढ़ना, अन्य रेशमी वस्त्र और बकरी तथा भेड़ की ऊन के बने कपड़ों आदि पर उनके मूल्य का पन्द्रहवाँ हिस्सा चुङ्गी ली जानी चाहिए ।

२. मामूली सूती कपड़ों, चौपायों, दुपायों, सूत, कपास, दवाई, लकड़ी, बाँस, छाल, वैल आदि का चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, अनाज, घी, तेल, खारा नमक, शराब और पके हुए अनाजों पर उनकी कीमत का बीसवाँ या पच्चीसवाँ भाग चुङ्गी लेनी चाहिए ।


३. द्वारपाल को चाहिए कि वह, नगर के प्रधान द्वार से प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर, उनके नियत कर का पाँचवाँ हिस्सा टैक्स वसूल करे । हर प्रकार का कर इस ढंग से नियत करना चाहिए, जिससे देश का उपकार हो ।

४. जिन प्रदेशों में जो चीजे पैदा होती हैं वही उनको बेचना नहीं चाहिए ।

५. खानों से तैयार हुआ कच्चा माल खरीदने-बेचने वालों को ६०० पण देना है।
खुसा

१. पुष्पफलवाटेभ्यः पुष्पफलादाने चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।
२. षण्डेभ्यः शाकमूलकन्दादाने पादोनं द्विपञ्चाशत्पणः ।
३. क्षेत्रेभ्यः सर्वसस्यादाने त्रिपञ्चाशत्पणः, पणोऽध्यर्धपणश्च सीतात्ययः ।
४. अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः ।
पण्यानां स्थापयेच्छुल्कमत्ययं चापकारतः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे शुल्कव्यवहारो नाम द्वाविंशोऽध्यायः;
आदितस्त्रिचत्वारिंशः ।



१. फूल-फल के वगीचों में ही फूल-फल खरीदने-बेचने वालों को ५४ पण दण्ड देना चाहिए ।
२. साक-भाजी के खेतों में ही साक, भाजी, तथा कन्द-मूल खरीदने-बेचने वालों को ५२ $\frac{३}{४}$ पण दण्ड देना चाहिए ।
३. इसी प्रकार अनाज के खेतों में ही अनाज खरीदने वालों को ५३ पण दण्ड देना चाहिए; और अनाज को खेत से ही खरीदने-बेचने वालों को क्रमशः एक पण तथा ढेढ़ पण दण्ड देना चाहिए ।
४. इसलिये राजा को चाहिए कि वह देश, जाति तथा आचार के अनुसार नये एव पुराने हर पदार्थों पर कर की व्यवस्था करे; और उनमें जहाँ से नुकसान की सम्भावना हो, उसके लिए उचित दण्ड की व्यवस्था भी करे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में बाइसवाँ अध्याय समाप्त ।



सूत्राध्यक्षः

१. सूत्राध्यक्षः सूत्रवर्मवस्त्ररज्जुव्यवहारं तज्जातपुरुषैः कारयेत् ।
२. ऊर्णावल्ककार्पासतूलशणक्षौमाणि च विधवान्यङ्गाकन्या-
प्रव्रजितादण्डाप्रतिकारिणीभी रूपाजीवामातृकाभिर्वृद्धराजदासी-
भिव्युपरतोपस्थानदेवदासीभिश्च कर्तयेत् ।
३. श्लक्ष्णस्थूलमध्यतां च सूत्रस्य विदित्वा वेतनं कल्पयेत् । बह्व-
ल्पतां च । सूत्रप्रमाणं ज्ञात्वा तैलामलकोद्वर्तनैरेता अनुगृह्णीयात् ।
४. तिथिषु प्रतिपादनमानैश्च कर्म कारयितव्याः । सूत्रहासे
वेतनहासो द्रव्यसारात् ।

सूत-व्यवसाय का अध्यक्ष

- १ सूत्र-व्यवसाय के अध्यक्ष (सूत्राध्यक्ष) को चाहिए कि वह सूत, कवच, रुपड़ा और रस्सी आदि के कातने, बुनने तथा बटने वाले निपुण कारीगरों से उनके इन कार्यों की जानकारी प्राप्त करे ।
२. ऊन, बत्क, कपास, सेंमल, सन और जूट आदि को कतवाने के लिए विधवाओं, अङ्गहीन स्त्रियों, कन्याओं, संन्यासिनी, सजायापता स्त्रियों, वेश्याओं की खालाओं, वृद्धी दासियों और मन्दिर की दासियों को नियुक्त करना चाहिए ।
३. सूत की एकसारता, मोटाई और मध्यमता की अच्छी तरह जाँच करने के बाद उक्त महिलाओं की मजदूरी नियत करनी चाहिए । कम-ज्यादा सूत कातने वाली स्त्रियों को उनके कार्य के अनुसार वेतन देना चाहिए । सूत का वजन अथवा लम्बाई को जानकर पुरस्कार रूप में उन्हें तेल, आँवला और उबटन देना चाहिये, जिससे वे प्रमन्न होकर अधिक कार्य करें ।
४. त्योहारों और छुट्टी के दिनों में उन्हें भोजन, दान या संमान देकर उनसे कार्य करवाना चाहिये । निर्धारित मात्रा से सूत कम काता जाय तो, सूत के मूल्य के अनुसार उनका वेतन काटना चाहिए ।

१. कृतकर्मप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः कारुभिश्च कर्म कारयेत् , प्रतिसंसर्गं च गच्छेत् ।
२. क्षौमदुकूलक्रिमितानराङ्गवकार्पाससूत्रवानकर्मान्तांश्च प्रयुञ्जानो गन्धमाल्यदानैरन्यैश्चौपग्राहिकैराराधयेत् । वस्त्रास्तरणप्रावरणविकल्पानुत्थापयेत् ।
३. कंकटकर्मान्तांश्च तज्जातकारुशिल्पिभिः कारयेत् ।
४. याश्चानिष्कासिन्यः प्रोपितविधवा व्यङ्गाः कन्यका वाऽऽत्मानं विभ्रयुस्ताः स्वदासीभिरनुसार्य सोपग्रहं कर्म कारयितव्याः ।
५. स्वयमागच्छन्तीनां वा मूत्रशालां प्रत्युपसि भाण्डवेतनविनिमयं कारयेत् । मूत्रपरीक्षार्थमात्रः प्रदापः ।

१. नियत कार्य-काल और निश्चित वेतन के अनुसार ही कारीगरों को नियुक्त किया जाना चाहिए और उनसे सम्पर्क बनाये रखना चाहिए, जिससे कि कार्य में किसी प्रकार का कपट न होने पावे ।
२. अध्यक्ष को चाहिये मोटे-महीन रेशमी कपड़े, चीनी रेशम, रंजु मृग की ऊन (रंजव) और कपास का सूत कातने-बुनने वाले कारीगरों को इत्र, फुलेल तथा अन्य पारितोषिक देकर सदा प्रसन्न चित्त रखे । उनसे वह ओढ़ने, विछाने एवं पहनने के डिजाइनदार वस्त्र बनवाये ।
३. निपुण कारीगरों से मोटे और महीन सूत के कवच बनवाने चाहिये ।
४. जो स्त्रियाँ परदानसीन हों, जिनके पति परदेश गए हों, विधवा हों, जो लली-लंगड़ी हो, जिनका विवाह न हुआ हो, जो आत्मनिर्भर रहना चाहती हों; ऐसी स्त्रियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष को चाहिए कि वह दासियों द्वारा सूत भेज कर उनसे कतवाये और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे ।
५. घर पर काते हुए सूत को लेकर जो स्त्रियाँ स्वयं या दासियों को साथ लेकर प्रातः काल ही पुतलीघर (सूत्रशाला) में उपस्थित हों, उन्हें यथोचित मजदूरी दी जानी चाहिए । सूत्रशाला में अधिक सबेरा होने के कारण यदि कुछ अन्धेरा हो तो वहाँ उतना ही प्रकाश किया जाय, जिससे सूत अच्छी तरह देखा जा सके ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ३६, अध्याय २३


१. स्त्रिया मुखसन्दर्शनेऽन्यकार्यसम्भाषायां वा पूर्वः साहसदण्डः ।
वेतनकालातिपातने मध्यमः, अकृतकर्मवेतनप्रदाने च ।
२. गृहीत्वा वेतनं कर्माकुर्वत्याः अङ्गुष्ठसन्दंशनं दापयेत् । भक्षि-
तापहृतावस्कन्दितानां च । वेतनेषु च कर्मकराणामपराधतो
दण्डः ।
३. रज्जुवर्तकैश्चर्मकारैश्च स्वयं संसृज्येत । भाण्डानि च वरत्रा-
दीनि वर्तयेत् ।

४. सूत्रवल्कमयी रज्जूर्वरत्रा वैत्रवैणवीः ।

सान्नाह्या बन्धनीयाश्च यानयुग्यस्य कारयेत् ॥


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे सूत्राध्यक्षो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः;

आदितश्चतुश्चत्वारिंशः ।



१. स्त्री का मुख देखने या कार्य के अलावा इधर-उधर की बात करने वाले परीक्षक को प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए । उन्हे उचित समय पर वेतन या मजदूरी न दी जाय तो मध्यम साहस दण्ड; और कार्य न करने पर भी यदि वेतन दिया जाय तब भी मध्यम साहस दण्ड देना चाहिए ।
२. जो स्त्री वेतन लेकर भी कार्य न करे उसका अंगूठा कटवा देना चाहिए । यही दण्ड उसको भी देना चाहिए, जो माल को चुराये, खो दे, अथवा लेकर भाग जाय । प्रत्येक कर्मचारी को उसके अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक दण्ड दिया जाना चाहिए ।
३. सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह रस्सी बटकर जीविकोपार्जन करने वाले तथा चमड़े का कार्य करने वाले कारीगरों से सम्पर्क बनाये रखे । उनसे वह गाय आदि बांधने के लिए रस्सी तथा हर तरह का चमड़े आदि का सामान बनवाता रहे ।
४. सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह सूत, सन आदि की रस्सियाँ और कवच बनाने तथा घोडा बांधने के उपयोगी वेन एवं बांस की रस्सियाँ बनवाये ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में तेईसवाँ अध्याय समाप्त ।



सीताध्यक्षः

१. सीताध्यक्षः कृषितन्त्रशुल्बवृक्षायुर्वेदज्ञस्तज्ज्ञसखो वा सर्वधान्यपुष्पफलशाककन्दमूलवाह्लिक्यक्षौमकार्पासबीजानि यथाकालं गृह्णीयात् ।
२. बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमौ दामकर्मकरदण्डप्रतिकर्तृभिर्वाशयेत् ।
३. कर्षणयन्त्रोपकरणवलीवर्देश्चैषामसङ्गं कारयेत् । कारुभिश्च कर्मारकुटाकमेदकरज्जुवर्तकसर्पग्राहादिभिश्च ।
४. तेषां कर्मफलविनिपाते तत्फलहानं दण्डः ।

कृषि-विभाग का अध्यक्ष

१. कृषि विभाग के अध्यक्ष (सीताध्यक्ष) को यह आवश्यक है कि वह कृषिशास्त्र, शुल्बशास्त्र (पैमाइस) और वृक्ष-विज्ञान की पूरी जानकारी हासिल करे; अथवा इन सभी विद्याओं के विशेषज्ञों को अपना सहायक बनाकर यथासमय अन्न, फूल, फल, शाक, कंद, मूल, सन, जूट और कपास आदि के बीजों का संग्रह करे ।
२. उन संग्रह किए हुए बीजों को वह क्रीतदासों, नौकरों और सपरिश्रम सजायाफता कैदियों के द्वारा ऐसी भूमि में बुवाये, जो कई बार जोती गई हो ।
३. खेत जोतने-बोने के साधन हल-वैल आदि से उनका कोई स्थायी सम्बन्ध न रखा जाय । इसी प्रकार कारीगरों, बढ़इयों, खाई खोदने वालों, रस्सी बटने वालों और सपेरों से उन कर्मचारियों का कोई स्थायी संसर्ग न होने दिया जाय ।
४. यदि इन कारीगरों तथा बढ़ई आदि कर्मचारियों से खेती आदि में कोई चुकसान हो तो उसकी हानि उन्हीं से पूरी की जाय ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४०, अध्याय २४

१. षोडशद्रोणं जंगलानां वर्षप्रमाणमध्यर्धमानूपानाम् । देशवापानाम् । अर्धत्रयोदशाश्मकानां, त्रयोविंशतिरवन्तीनाम्, अमितमपरान्तानाम्, हैमन्यानां च कुल्यावापानां च कालतः ।
२. वर्षत्रिभागः पूर्वपश्चिममासयोः, द्वौ त्रिभागौ मध्यमयोः सुषमारूपम् ।
३. तस्योपलब्धिर्बृहस्पतेः स्थानगमनगर्भाधानेभ्यः शुक्रोदयास्तमयचारेभ्यः सूर्यस्य प्रकृतिवैकृताच्च ।
४. सूर्याद्वीजसिद्धिः । बृहस्पतेः सस्यानां स्तम्बकारिता । शुक्राद्-वृष्टिरिति ।

१. वर्षा-जल को मापने के लिए बनाये हुए एक हाथ मुंह वाले कुण्ड में यदि सोलह द्रोण पानी भर जाय तो समझना चाहिये कि रेतीली जमीन फसल बाने के योग्य हो गई है । इसी प्रकार जल बरसने वाले प्रदेशों के लिए चौबीस द्रोण पानी; दक्षिणी प्रदेशों के लिए साठे तेरह द्रोण पानी; मालव प्रदेश के लिए तेहस द्रोण पानी; पश्चिमी प्रदेशों के लिए अधिक-से-अधिक और हिमालय प्रदेशों तथा नहरी प्रांतों के लिए समय-समय का पानी; फसल बाने के लिए उचित है ।
२. वारीश के अनुपात से यदि एक हिस्सा श्रावण-कार्तिक में और दो हिस्सा भाद्रपद-आश्विन में पानी बरसे तो वह वर्ष फसल के लिए लाभदायी समझना चाहिये ।
३. अच्छे वर्ष के आसार इन बातों पर निर्भर है : जब बृहस्पति मेष राशि से वृष राशि पर संक्रमण करें; जब गर्भाधान अर्थात् मार्गशीर्ष आदि छह महीनों में कोहरा, वर्षा, बादल आदि देखे जाँय; जब शुक्र ग्रह की उदयास्त गति आषाढ की पंचमी आदि नौ तिथियों में संचरित हो; और जब सूर्य के चारों ओर मंगल दिखाई दे; ये सभी अच्छी वर्षा के लक्षण हैं ।
४. यदि सूर्य के चारों ओर मंडल पड़ा हो तो अनाज के अच्छे दानों का अनुमान करना चाहिये । यदि बृहस्पति वृष राशि का हो तो अच्छी फसल का अनुमान करना चाहिये । यदि शुक्र की उदयास्त गति कारण हो तो अच्छी वृष्टि का अनुमान करना चाहिए ।

१. त्रयः साम्राहिका मेघा अशीतिः कणशीकराः ।
षष्टिरातपमेघानामेपा वृष्टिः समाहिता ॥
२. चातमातपयोगं च विभजन् यत्र वर्षति ।
त्रीन् कर्षकांश्च जनयंस्तत्र सस्यागमो ध्रुवः ॥
३. ततः प्रभूतोदकमल्पोदकं वा सस्यं वापयेत् ।
४. शालित्रीहिकोद्रवतिलप्रियङ्गुदारकवरकाः पूर्ववापाः । मुद्गमाष-
शैभ्या मध्यवापाः । कुसुम्भमसूरकुलत्थयवगोधूमकलायात-
सीसर्षपाः पश्चाद्वापाः ।
५. यथर्तुवशेन वा बीजवापाः ।
६. वापातिरिक्तमर्धसीतिकाः कुर्युः । स्ववीर्योपजीविनो वा चतुर्थ-
पञ्चभागिकाः । यथेष्टमनवसितभागं दद्युरन्यत्र कृच्छ्रेभ्यः ।

१. लगातार सात दिन में तीन बार वर्षा उत्तम है; सारी वर्षाऋतु में अस्सी बार वृद्धों की वर्षा भी उत्तम है; यदि साठ बार धूप खिल कर फिर बार-बार वर्षा होती रहे तो वह वर्षा अति उत्तम मानी गई है ।
२. बीच-बीच में हवा के चलने और धूप के खिलने का अन्तर छोड़कर यदि वर्षा हो; और तीन-तीन दिन हल चलाने का अवसर देकर यदि वर्षा हो तो उत्तम फसल होने का अनुमान करना चाहिये ।
३. वर्षा के अनुपात से ही बीज बोना चाहिये ।
४. साठी या धान (शालि), गेहूँ-जौ-उवार (व्रीहि), कोदो, तिल, कांगनी (प्रियंगु) और लोभिया आदि को वर्षा शुरू होने के पहिले ही बो देना चाहिये । मूंग, उड़द और छीमी आदि को वर्षा के मध्य में बोना चाहिए । कुसुंबी, मसूर, कुल्फी, जौ, गेहूँ, मटर, अलसी और सरसों आदि अन्नो को वर्षा के अन्त में बोना चाहिये ।
५. अथवा इन सभी अन्नो को ऋतु के अनुसार, जैसा उचित हो बोना चाहिये ।
६. जो खेत बोये न गये हों, उन्हें सीताघ्यक्ष आधी कटाई पर दूसरे किसानों को बोने के लिये दे दे । अथवा जो लोग शारीरिक श्रम पर ही जीवित हैं, उनको वह जमीन दे दी जाय और उस जमीन की पैदावार का चौथा या पाँचवां भाग उन्हें दिया जाय; या स्वामी की इच्छानुसार ही उनको

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४०, अध्याय २४

१. स्वसेतुभ्यो हस्तप्रावर्तितममुदकभागं पंचमं दद्युः । स्कन्ध-
प्रावर्तिमं चतुर्थम् । स्रोतोयन्त्रप्रावर्तिमं च तृतीयम् ।
२. चतुर्थं नदीसरस्तटाककूपोद्धाटम् ।
३. कर्मोदकप्रमाणेन कैदारं हैमनं ग्रैष्मिकं वा सस्यं स्थापयेत् ।
४. शाल्यादि ज्येष्ठम् । षण्डो मध्यमः । इक्षुः प्रत्यवरः । इक्षवो हि
ब्रह्मवाधा व्ययग्राहिणश्च ।
५. फेनाघातो वल्लीफलानाम् , परीवाहान्ताः पिप्पलीमृद्वीकेशू-
णाम् , कूपपर्यन्ताः शाकमूलानाम् , हरिणिपर्यन्ता हरितका-

दिया जाय; किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि उन्हें उस प्रदत्त भाग को स्वीकार करने में कोई कष्ट न हो ।

१. अपने धन और बाहुबल से बनाये गए तालाबों से यदि सिंचाई की जाय तो उस उपज का पाँचवाँ हिस्सा राजा को देना चाहिए । अपने कन्धों पर जल लाकर यदि वह खेतों की सिंचाई करता है तो उसे चौथाई हिस्सा राजा को देना चाहिए । यदि वह नहर या नालियाँ बना कर खेतों को सींचता है तो उसे पैदावार का तीसरा ही हिस्सा देना चाहिए ।
२. अपने धन और श्रम से यदि नदी, झील और कुओं पर रहट लगाकर खेत की सिंचाई की जाय तो पैदावार का चौथा भाग राजा को देना चाहिए ।
३. ऋतु के अनुसार तथा पानी की सुविधा देखकर ही खेतों में बीज बोना चाहिए ।
४. धान, गेहूँ आदि की फसल उत्तम मानी गई है । कँदली आदि की फसल मध्यम कोटि की है । ईख की फसल ओछी मानी जाती है; क्योंकि इसके बोने में बड़ा श्रम करना पड़ता है और अनेक वाधाओं से उसकी रक्षा करनी पड़ती है ।
५. नदी के कछारों एवं किनारों की जमीन पेठा, कद्दू, ककड़ी तथा तरबूज आदि बोने के लिए उपयुक्त है; पीपल और ईख आदि बोने के लिए वह जमीन उपयुक्त है, जहाँ पर नदी का जल एक बार घूम गया हो; साग-भाजी बोने के लिए कुए के आस-पास की जमीन उपयुक्त है; जई आदि बोने के लिए झील तथा तालाबों के किनारे की गीली जमीन उपयुक्त

- नाम्, पाल्यो लवानां गन्धभैषज्योशीरहीधेरपिण्डालुकादी-
नाम् । यथास्वं भूमिषु च स्थल्याश्चानूप्याश्चौषधीः स्थापयेत् ।
१. तुषारपायनमुष्णशोषणं चासप्तरात्रादिति धान्यबीजानां, त्रिरात्रं
पंचरात्रं वा कोशीधान्यानां, मधुघृतसूकरवसाभिः शकृद्युक्ताभिः
काण्डबीजानां छेदलेपो मधुघृतेन कन्दानाम् । अस्थिवीजानां
शकृदालेपः । शाखिनां गर्तदाहो गोऽस्थिशकृद्भिः काले
दौहदं च ।
२. प्ररूढाँश्चाशुष्ककटुमत्स्याँश्च स्नुहिक्षीरेण पाययेत् ।
३. कार्पाससारं निर्मोकं सर्पस्य च समाहरेत् ।
न सर्पास्तत्र तिष्ठन्ति धूमो यत्रैष तिष्ठति ॥

है; धनिया, जीरा, खस, नेत्रवाला तथा कचालू आदि बोने के लिए ऐसे खेत उपयुक्त हैं जिनके बीच में तालाब बने हों; सूखी और गीली, जमीन में जिन-जिन अनाजों की अधिक उपज हो उनको समझ कर बोना चाहिए ।

१. धान के बीजों को सातदिन तक रात की ओस और दिन की धूप में रखना चाहिए । मूंग, उड़द आदि के बीजों को इसी प्रकार तीन दिन-रात या पाँच दिन-रात ओस और धूप में रखना चाहिए; बोए जाने वाले ईख के पोरों की कटी हुई जगहों में शहद, घी या सुअर की चर्बी के साथ गोबर मिला कर लगा देना चाहिए; सूरन, शकरकन्द आदि कन्दफलों के कटे हुए स्थानों पर गोबर-शहद का लेप अथवा घी का लेप लगा देना चाहिए; कपास आदि के बीजों को गोबर आदि से लपेट कर बोना चाहिए; आम, कटहल आदि वृक्षों के बीजों को किसी गढ़्ढे में डालकर कुछ गर्मी दी जाने के बाद उन्हें गाय की हड्डी और गोबर के साथ मिलाकर रखा जाना चाहिए; निष्कर्ष यह है कि इन सब प्रकार के बीजों का यथाविधि संस्कार करके फिर इनको खेत में बोना चाहिए ।
२. बीज बोने के बाद जब उनमें अङ्कुर निकल जाँय तब उनमें छोटी मछलियों की खाद छुड़वा देनी चाहिए और उन्हें सेहुड़ के दूध से सींचना चाहिए ।
३. साँप की केंचुली और त्रिनौलों को एक साथ मिलाकर जला दिया जाय; जहाँ तक उसका धुआँ फैलेगा वहाँ तक कोई भी साँप नहीं ठहर सकता ।

१. सर्वबीजानां तु प्रथमवापे सुवर्णोदकसंप्लुतां पूर्वमुष्टिं वापयेत् ।
अमुं च मन्त्रं ब्रूयात्—
‘प्रजापतये काश्यपाय देवाय नमः सदा ।
सीता मे ऋध्यतां देवी बीजेषु च धनेषु च’ ॥
२. षण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेभ्यो यथापुरुषपरिवापं भक्तं कुर्यात् ।
सपादपणिक मासं दद्यात् । कर्मानुरूपं कारुभ्यो भक्तवेतनम् ।
३. प्रशीर्णं पुष्पफलं देवकार्यार्थं व्रीहियवमाग्रयणार्थं श्रोत्रियास्तप-
स्विनश्चाहरेयुः । राशिसूलमुञ्च्यदृत्तयः ।
४. यथाकालं च सस्यादि जातं जातं प्रवेशयेत् ।
न क्षेत्रे स्थापयेत् किञ्चित् पलालमपि पण्डितः ॥

१. बोने से पहिले हरेक बीज को सुवर्ण से स्पर्श हुए जल में भिगोना चाहिए और तब बोते समय बीज की पहिली मुट्टी भरकर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए :

‘प्रजापति, सूर्यपुत्र और मेघ, तुम्हारी सदैव हम वन्दना करते हैं; हे धरती माता, हमारे बीजों और अनाजों में सदा वृद्धि होती रहे’ ।

२. खेतों की रखवाली करने वाले ग्वाले, दास और नौकर आदि प्रत्येक को उनकी मेहनत के अनुसार भोजन-वस्त्र आदि दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिमास सवा पण नियत वेतन मिलना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे कारीगरों को भी उनके परिश्रम के अनुसार भोजन, वस्त्र और वेतन आदि दिया जाना चाहिए ।

३. पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फल-फूलों को देवकार्य के लिए; तथा गोहूँ जौ आदि अन्नों को दृष्ट देवता को भोग लगाने के लिए श्रोत्रिय और तपस्वी लोग उठाएँ । खलिहान उठ जाने पर जो अन्न के दाने पड़े रह जाँय उन्हें सीता बीनकर गुजर करने वाले लोग उठाएँ ।

४. ठीक समय पर तैयार हुई फसल को सुरक्षित स्थान में रखवा देना चाहिए; पुआल और भूसा आदि बसार वस्तुओं को भी उठाकर ले जाना चाहिए ।

१. प्रकराणां समुच्छ्रयान् बलभीर्वा तथाविधाः ।
न संहतानि कुर्वीत न तुच्छानि शिरांसि च ॥
२. खलस्य प्रकरान् कुर्यान्मण्डलान्ते समाश्रितान् ।
अनग्रिकाः सोदकाश्च खले स्युः परिकर्मिणः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे सीताध्यक्षो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः;
आदितः पञ्चचत्वारिंशः ।



-
१. अनाज रखने का स्थान (प्रकर) कुछ ऊँची जगह में बनवाना चाहिए; उसी प्रकार के मजबूत तथा घिरे हुए अनागारों को बनवाना चाहिए; उनके ऊपरी हिस्से न तो आपस में मिले हुए हों और न वे खाली हों ।
 २. कटे हुए अनाज को रखने की जगह (खलिहान) और दौड़ लेने की जगह (मण्डल) दोनों आस-पास होने चाहिए । खलिहान में काम करने वाले व्यक्ति अपने पास आग न रखें किन्तु उनके पास जल का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ।



प्रकरण ४१

अध्याय २५

सुराध्यक्षः

१. सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान् दुर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जातसुराकिण्वव्यवहारिभिः कारयेदेकमुखमनेकमुखं वा, विक्रयक्रयवशेन वा । षट्छतमत्ययमन्यत्र कर्तृक्रेतृविक्रेतृणां स्थापयेत् । ग्रामादनिर्णयनमसम्पातं च सुरायाः, प्रमादभयात् कर्मसु निर्दिष्टानां मर्यादातिक्रमभयादार्याणाम् । उत्साहभयाच्च तीक्षणानाम् ।
२. लक्षितमल्पं वा चतुर्भागमर्धकुडुवं कुडुबमर्धप्रस्थं प्रस्थं वेति ज्ञातशौचा निर्हरेयुः ।

आबकारी विभाग का अध्यक्ष

१. आबकारी विभाग के अध्यक्ष (सुराध्यक्ष) को चाहिये कि वह दुर्ग, जनपद, अथवा छावनी आदि में सुरा के व्यापार का प्रबन्ध, शराब के बनाने वाले तथा बेचने वाले निपुण व्यक्तियों के द्वारा, करवाये; शराब का ठेका एक बड़े व्यापारी को दिया जाय या अनेक छोटे-छोटे व्यापारियों को; अथवा क्रय-विक्रय की जैसी व्यवस्था उचित जंचे, तदनुसार ही उसकी विक्री का प्रबन्ध किया जाय । ठेकों के अलावा अन्यत्र शराब बनाने, बेचने और खरीदने वालों पर ६०० पण जुर्माना किया जाय । शराब तथा शराबी को गाँव से बाहर, एक घर से दूसरे घर, अथवा भीड़ में न जाने दिया जाय; क्योंकि ऐसा करने से एक तो राजकीय कर्मचारी कार्यों की हानि करने लगेंगे, दूसरे में आर्य लोग अपनी मर्यादा को भंग कर सकते हैं, और तीसरे में तेज मिजाज सैनिक हथियारों का भी प्रयोग कर सकते हैं ।
२. सुविदित आभार-व्यवहार वाले लोग चौथाई कुडुव, आधा कुडुव, एक कुडुव, आधा प्रस्थ या एक प्रस्थ मुहरवन्द शराब साथ भी ले जा सकते हैं ।

१. पानागारेषु वा पिबेयुरसञ्चारिणः ।
२. निक्षेपोपनिधिप्रयोगापहनादीनामनिष्टोपगतानां च द्रव्याणां ज्ञानार्थमस्वामिकं कुप्यं हिरण्यं चोपलभ्य निक्षेप्तारमन्यत्र व्यपदेशेन ग्राहयेत् । अतिव्ययकर्तारमनायतिव्ययं च ।
३. न चानर्घेण कालिकां वा सुरां दद्यादन्यत्र दुष्टसुरायाः । तामन्यत्र विक्रापयेत् । दासकर्मकरेभ्यो वा वेतनं दद्यात् । वाहनप्रतिपानं सूकरपोषणं वा दद्यात् ।
४. पानागाराण्यनककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोद्देशानि गन्धमाल्योदकवन्ति ऋतुसुखानि कारयेत् ।
५. तत्रस्थाः प्रकृत्यौत्पत्तिकौ व्ययौ गूढा विद्युरागन्तूश्च ।

१. जिन लोगों को शराब साथ ले जाने की आज्ञा न हो वे मदिरालय में ही बैठकर शराब पीयें ।
२. यदि कोई व्यक्ति धरोहर, गिरवी, चोरी-डाका आदि का धन और सोना-चांदी आदि वस्तुओं को शराबखाने में गिरवी रख कर शराब पीये तो उसको वहां से बाहर कर-किसी दूसरे ही वहाने से नगराध्यक्ष के हवाले करा देना चाहिये । इसी प्रकार जो व्यक्ति आमदनी से अधिक या बिना आमदनी के ही फजूल खर्च करे उसे भी गिरफ्तार करा देना चाहिये ।
३. थोड़ी कीमत पर, उधार या व्याज सहित भदा होने के मूल्य पर बढ़िया शराब न बेचनी चाहिये; बल्कि ऐसे खरीदारों को घटिया शराब देनी चाहिये। घटिया शराब को बढ़िया शराब की दुकान से न बेचना चाहिये । घटिया शराब या तो दास जैसे छोटे कर्मचारियों को वेतन के रूप में दे देनी चाहिये; अथवा बैल-ऊंट की सवारी हांकने वालों तथा सूअर का पालन-पोषण करने वालों को दे देनी चाहिये ।
४. शराबखानों में अनेक ढ्योढियां होनी चाहिये; लेटने तथा बैठने के लिए अलग-अलग कमरे होने चाहियें; शराब पीने के लिए अलग स्थान होने चाहियें; उनमें सुगन्धित द्रव्यों एवं पानी आदि का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये; ये सभी स्थान ऐसे बने हों, जो सभी मौसम में सुखद हों ।
५. सरकारी गुप्तचर को चाहिए कि वह प्रतिदिन शराब की खपत तथा खर्च

१. क्रेतृणां मत्तसुमानामलङ्कारच्छादनहिरण्यानि च विद्युः ।
तन्नाशे वणिजस्तच्च तावच्च दण्डं दधुः ।
२. वणिजस्तु संवृतेषु कक्ष्याविभागेषु स्वदासीभिः पेशलरूपायि-
रागन्तूनां वास्तव्यानां च आर्यरूपाणां मत्तसुमानां भावं विद्युः ।
३. मेदकप्रसन्नासवारिष्टमैरेयमधुनाम् ।
४. उदकद्रोणं तण्डुलानामर्धाढकं त्रयः प्रस्थाः क्षिण्वस्येति
मेदकयोगः ।
५. द्वादशाढकं पिष्टस्य पञ्च प्रस्थाः क्षिण्वस्य पुत्रकत्वकफलयुक्तो
वा जातिसम्भारः प्रसन्नायोगः ।
६. कपित्थतुला फाणितं पञ्चतौलिकं प्रस्थो मधुन इत्यासवयोगः ।
पादाधिको ज्येष्ठः पादहीनः कनिष्ठः ।

का हिसाब रखे और यह भी निगरानी रखे कि बाहर से कौन-कौन व्यक्ति वहां आते हैं ।

१. शराब के नशे में बेहोश हो जाने वाले लोगों के जेवर, वस्त्र और नकदी का भी गुप्तचर ध्यान रखे । यदि बेहोश हालत में शराबियों की कोई चीज चोरी हो जाय तो उसको ठेकेदार ही भदा करे; वरन्, वह उतनी ही लागत का जुर्माना राजा को भी भदा करे ।
२. ठेकेदार को चाहिए कि वह चतुर एवं सुन्दरी दासियों के द्वारा, अलग-अलग कमरों में बेहोश उन बाहर से आये या नगर के रहने वाले, ऊपर से आर्य लगाने वाले, शराबियों के भीतरी भावों का पता लगाये ।
३. शराब कई प्रकार की होती है : (१) मेदक, (२) प्रसन्ना (३) आमव (४) अरिष्ट (५) मैरेय और (६) मधु ।
४. एक द्रोण जल, आधा आढक चावल और तीन प्रस्थ सुराबीज (क्षिण्व), इनके मेल से जो शराब बनाई जाती है उसका नाम मेदक है ।
५. बारह आढक चावल की पिठ्ठी, पांच प्रस्थ सुराबीज (क्षिण्व) मथवा उसकी जगह पुत्रक (वृत्त) की छाल तथा फलों सहित जाति-सम्भार मिलाकर प्रसन्ना शराब तैयार की जाती है ।
६. सौ पल कैथफल का सार, पाच सौ पल राव और एक प्रस्थ शहद को

१. चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्येकशो विकाराणामरिष्टाः ।
२. मेषशृङ्गीत्वक्कवाथाभिषुतो गुलप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसम्भारस्त्रिफलायुक्तो वा मैरेयः । गुलयुक्तानां वा सर्वेषां त्रिफलासम्भारः ।
३. मृद्धीकारसो मधु । तस्य स्वदेशे व्याख्यानं कापिशायनं हारहूरकमिति ।
४. माषकलनीद्रोणमामं सिद्धं वा त्रिभागाधिकतण्डुलं मोरटादीनां कार्षिकभागयुक्तं किण्वाबन्धः ।
५. पाठालोत्रतेजोवत्येलावालुकमधुकमधुरसाप्रियङ्गुदारुहरिद्रामरिचपिप्पलीनां च पञ्चकार्षिकः सम्भारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाश्च । मधुकनिर्यूहयुक्ता कटशर्करा वर्णप्रसादनी च ।

एक साथ मिलाकर आसव शराब बनाई जाती है । उक्त वस्तुओं के योग को यदि सवापण कर दिया जाय तो उत्तम आसव और पौना कर दिया जाय तो घटिया आसव कहा जाता है ।

१. प्रत्येक रोग का अरिष्ट उसी प्रकार तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि रोग के अनुसार वैद्य बतलाये ।
२. मेढासिंगी की छाल का काथ बनाकर उसमें गुड़, पीपल और मिर्च का चूर्ण या पीपल, मिर्च की जगह त्रिफला का चूर्ण मिलाया जाय तो मैरेय शराब तैयार हो जाती है । गुड़ वाली सभी शराबों में त्रिफला का चूर्ण मिलाना आवश्यक है ।
३. दाख या अंगूर के रस से जो शराब बनाई जाती है उसी का नाम मधु है । अपने देश में उसके दो नाम हैं : कापिशायन और हारहूरक ।
४. एक द्रोण उड़द का कल्क, उसका तीसरा भाग ($1 \frac{1}{3}$) चावल और एक-एक कर्ष मोरटा आदि वस्तुएँ एक साथ मिलाकर किण्व सुरा बनती है; उसीको मद्यबीज या सुराबीज भी कहते हैं ।
५. पाठा, लोध, गजपीपल, इलाइची, इत्र, मुलहठी, दूब, केशर, दारुहल्दी, मिर्च और पीपल; इन सब चीजों का पाँच-पाँच कर्ष मिला देने से

१. चोचचित्रकविलङ्गगजपिप्पलीनां च कार्षिकः क्रमुकमधुक-
मुस्तालोघ्राणां द्विकार्षिकश्चासवसम्भारः दशभागश्चैषां बीज-
बन्धः ।
२. प्रसन्नायोगः श्वेतसुरायाः ।
३. सहकारसुरा रसोत्तरा बीजोत्तरा वा महासुरा सम्भारिकी वा ।
४. तासां मोरटापलाशपत्तूरमेषशृङ्गीकरञ्जक्षीरवृक्षकषायभावितं
दग्धकटशर्कराचूर्णं लोघ्रचित्रकबिडङ्गपाठामुस्ताकलिङ्गयवदारु-

सम्भारयोग तैयार होता है, जो मेदक और प्रसन्ना सुरा में मिलाया जाता है। मुलहटी के काढ़े में रवादार शक्कर मिलाकर यदि मेदक तथा प्रसन्ना में छोड़ दिया जाय तो उनका रङ्ग निखर आता है।

१. दालचीनी, चीता, वायविडंग और गजपीपल का एक-एक कर्ष; सुपारी, मुलहटी मोथा तथा लोध का दो-दो कर्ष लेकर इन सब को आपस में मिला दिया जाय तो आसव सुरा का मसाला बन जाता है। दालचीनी आदि उक्त वस्तुओं का दसवां भाग बीजबन्ध कहलाता है।
२. प्रसन्ना नामक सुरा का जो योग बताया गया है वही श्वेतसुरा का भी समझना चाहिये।
३. सुरा के चार भेद हैं : (१) सहकारसुरा (साधारण शराब में आम का रस या तेल डालकर बनती है); (२) रसोत्तरा (गुड़ की चाशनी छोड़कर बनाई जाती है); (३) बीजोत्तरा (बीजबन्ध द्रव्यों को छोड़कर बनाई जाती है); इसी को महासुरा भी कहते हैं; और (४) सम्भारिकी (अधिक मसाले छोड़कर बनाई जाती है)।
४. इन सभी शराबों की सफाई एवं निखार का तरीका इस प्रकार है : मरोर-फली, पलाश, लोहमारक (पत्तूर औषध), मेढासिंगी, करञ्जवा तथा क्षीर-वृक्ष (वरगढ़, गूलर आदि) के काढ़े में भावना दिया गया गर्म रवादार शक्कर का चूरा; उसका आधा लोध, चीता, वायविडङ्ग, पाठा, मोथा, कलिङ्गज जौ, दारु-हल्दी, कमल, सौफ, चिरचिदा, सप्तपर्ण, नींबू और आखे

हरिद्रेन्दीवरशतपुष्पापामार्गसप्तपर्णनिम्बशस्फोटकल्कार्धयुक्तम-
न्तर्द्वयो मुष्टिः कुम्भीं राजपेयां प्रसादयति । फ्राणितः पञ्च-
पलिकश्चात्र रसवृद्धिर्देयः ।

१. कुटुम्बिनः कृत्येषु श्वेतसुरामौपधार्थं वारिष्टमन्यद्वा कर्तुं लभेरन् ।
२. उत्सवसभाजयात्रासु चतुरहः सौरिको देयः । तेष्वननुज्ञा-
तानां प्रवहणान्तं दैवसिकमत्ययं गृह्णीयात् ।
३. सुराकिण्वविचयं स्त्रियो बालाश्च कुर्युः ।
४. अराजपण्याः पञ्चकं शतं शुल्कं दद्युः । सुरक्रामेदकारिष्टमधु-
फलाम्लशीघूनां च ।

का फूल; इन सबका पिसा हुआ चूर्ण एकत्र करके यदि उसकी एक मुट्ठी, एक खारी परिमाण शराब में डाल दी जाय तो शराब का रंग इतना निखर उठता है कि वह राजाओं तक को मोहित कर लेती है । स्वाद बढ़ाने के लिये उसमें पाँच पल राव अधिक मिला देनी चाहिये ।

१. नगर तथा जनपद के निवासी विवाह आदि उत्सवों में श्वेतसुरा और दवाई के लिए आसव अथवा मेदक आदि सुरा अपने घर में बना सकते हैं ।
२. उत्सवों में, मित्र-बन्धुओं के समाज में, और तीर्थयात्रा के अवसर पर, सुरा के अध्यक्ष को चार दिन तक सुरा पीने की हजाजत दे देनी चाहिये । यदि इन उत्सवों में कोई भी व्यक्ति बिना आज्ञा प्राप्त किये शराब पिये पकड़ा जाय तो उत्सव समाप्त होने पर उसको यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिये ।
३. सुरा को बनाने एवं उसका मसाला तैयार करने के लिये स्त्रियों और बालकों को नियुक्त करना चाहिये ।
४. बिना राजाज्ञा के जो व्यक्ति उत्सवों के अवसर पर शराब बेचें वे साधारण शराब, मेदक, अरिष्ट, मधु, ताड़ी और रसोत्तरा आदि सुराओं का पाँच प्रतिशत शुल्क अदा करें ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४१, अध्याय २५

१. अह्वश्च विक्रयं व्याजीं ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः ।
तथा वैधरणं कुर्यादुचितं चानुवर्तयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे सुराध्यक्षो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः;

आदितः षट्चत्वारिंशः ।



१. इस शुल्क अदायगी के अतिरिक्त सुराध्यक्ष दैनिक विक्री और तोल-माप की उचित जानकारी प्राप्त कर नाप-तौल पर सोलहवाँ हिस्सा और नकद भामदनी पर बीसवां हिस्सा टैक्स वसूल करे; किन्तु उनके साथ सदा ही उचित व्यवहार बर्ताव बनाये रखे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में पञ्चीसवाँ अध्याय समाप्त ।



शुद्धकरण ४२

अध्याय २६

सूनाध्यक्षः

१. सूनाध्यक्षः प्रदिष्टाभयानामभयवनवासिनां च मृगपशुपक्षि-
मत्स्यानां बन्धवधहिंसायामुत्तमं दण्डं कारयेत् । कुटुम्बिनाम-
भयवनपरिग्रहेषु मध्यमम् ।
२. अप्रवृत्तवधानां मत्स्यपक्षिणां बन्धवधहिंसायां पादोनसप्त-
विंशतिपणमत्ययं कुर्यात् , मृगपशूनां द्विगुणम् ।
३. प्रवृत्तहिंसानामपरिगृहीतानां षड्भागं गृह्णीयात् ! मत्स्यपक्षिणां
दशभागं वाधिकं, मृगपशूनां शुल्कं वाधिकम् ।

वधस्थान का अध्यक्ष

१. सरकारी जंगलों या ऋपियों के आश्रमों में रहनेवाले ऐसे मृग, गेंडा, भैंसा, मोर तथा मछलियाँ, जिनको मारने-पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, कोई भी व्यक्ति उनको मारे, पकड़े या क्षति पहुँचाये तो सूना (वधस्थान) का अध्यक्ष उसे उत्तम साहस दण्ड दिलवाये । कोई राजपरिवार के व्यक्ति इस आज्ञा का उल्लंघन करें तो उन्हें मध्यम साहस दण्ड देना चाहिये ।
२. पक्षी और मछली जैसे अहिंसक प्राणियों को पकड़ने, प्रहार करने या मारने-वाले व्यक्ति को पौने सत्ताईस पण का दण्ड दिया जाय । जो व्यक्ति मृग और पशुओं का वध करे उसको दुगुना (साढे तिरपन पण) दण्ड दिया जाय ।
३. जो हिंसक जानवर हों, जिनका कोई मालिक न हो, जो सरकारी जंगलों या ऋपि-आश्रमों के न हों; उनका जो शिकार करे उससे सूनाध्यक्ष छ्त्रा हिंसा सरकारी दैव्य के रूप में ले ले । इसी प्रकार मछली तथा पक्षियों का उमवाँ हिंसा या उससे कुछ अधिक और मृग आदि, पशुओं का भी दशवाँ हिंसा या उससे कुछ अधिक राजभाग ले लेना चाहिये ।


१. पक्षिमृगाणां जीवत्वड्भागमभयवनेषु प्रमुञ्चेत् ।
२. सामुद्रहस्त्यश्चपुरुषवृषगर्दभाकृतयो मत्स्याः सारसा नादेयास्त-
टाककुल्योद्भवा वा, क्रौञ्चोत्क्रोशकदात्यूहहंसचक्रवाकजीवञ्जी-
वकभृङ्गराजचकोरमत्तकोकिलमयूरशुकमदनशारिका विहारप-
क्षिणो मङ्गल्याश्चाऽन्येऽपि प्राणिनः पक्षिमृगा हिंसाबाधेभ्यो
रक्ष्याः । रक्षातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ।
३. मृगपशूनामनस्थि मांसं सद्योहतं विक्रीणीरन् । अस्थिमतः
प्रतिपातं द्युः । तुलाहीने हीनाष्टगुणम् ।
४. वत्सो वृषो धेनुश्चैषामवध्याः । धनतः पञ्चाशत्को दण्डः ।
क्लिष्टघातं घातयतश्च ।

१. अरक्षित जङ्गलों से पकड़े हुए पक्षी और मृग आदि का छठा भाग लेकर उन्हें सरकारी जङ्गलों में छोड़ देना चाहिए ।
२. समुद्र में पैदा होने वाले; हाथी, घोड़े, पुरुष, बैल, गधा आदि की आकृति वाले, मत्स्य, सारस आदि जलचर प्राणी; तालाबों, झीलों, नदियों एवं नहरों में पैदा होने वाली मछलियाँ, क्रौंच, टिटहरी, जलकौवा, हंस, चक्रवाक, जीवञ्जीवक, भृंगराज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, मदन मैना; और बुलबुल, तीतर, बटेर तथा मुर्गा आदि क्रीडायोग्य पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए । इनको कोई सारे, पकड़े तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।
३. मृग और पशुओं का हड्डी रहित ताजा मांस बाजार में बेचना चाहिए । मांस यदि हड्डी सहित हो तो हड्डी के वजन का अधिक मांस दिया जाना चाहिए । यदि मांस तौलने में कपट किया जाय तो तौलने वाले से आठ गुना मांस दण्डरूप में वसूल करना चाहिए, जिसमें आठवां हिस्सा खरीददार का और बाकी सात हिस्से सूनाध्यक्ष के हैं ।
४. पशुओं में मृग, बछड़ा, सांड और गाय, इन्हे कभी न मारना चाहिए । जो व्यक्ति उनमें से किसी एक को भी मारे वह पचास पण का दण्डभागी है । दूसरे पशुओं को यातना देकर मारने वाले व्यक्तियों पर भी पचास पण जुर्माना करना चाहिए ।

१. परिस्रनमशिरःपादास्थि विगन्धं स्वयंमृतं च न विक्रीणीरन् ।
अन्यथा द्वादशषणो ढण्डः ।

२. दुष्टाः पशुमृगव्याला मत्स्याश्चाभयचारिणः ।
अन्यत्र गुप्तिस्थानेभ्यो वधवन्धमवाप्नुयुः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे सूनाध्यक्षो नाम षड्विंशोऽध्यायः;
आदितः सप्तचत्वारिंशः ।



-
१. कसाईखाने से बाहर मारे हुए जानवरों का मांस; शिर, पैर तथा हड्डी-रहित मांस; बदवू वाला मांस; रोग आदि के कारण स्वयं मरे हुए जानवर का मांस बाजारों में न बेचा जाय । जो इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाय उस पर बारह पण जुर्माना कर दिया जाय ।
 २. राज-रक्षित जङ्गलों के हमलावर जानवर, नीलगाय, पशु, मृग और सछली आदि वनचर-जलचर प्राणी यदि सुरक्षित जङ्गलों से बाहर चले जाय तो उनको मारा या पकड़ा जा सकता है ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में छठवींसाँ अध्याय समाप्त ।



प्रकरण ४३

अध्याय २७

गणिकाध्यक्षः

१. गणिकाध्यक्षो गणिकान्वयासगणिकान्वयां वा रूपयोवन-
शिल्पसम्पन्नां सहस्रेण गणिकां कारयेत् । कुटुम्बार्धेन प्रति-
गणिकाम् ।
२. निष्पतिताप्रेतयोर्दुहिता भगिनी वा कुटुम्बं भरेत् । तन्माता
वा प्रतिगणिकां स्थापयेत् । तासामभावे राजा हरेत् ।
३. सौभाग्यालङ्कारवृद्ध्या सहस्रेण वारं कनिष्ठं मध्यममुत्तमं वारो-

वेश्यालयों का अध्यक्ष

१. वेश्यालयों की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी को चाहिए कि
रूप, यौवन से सम्पन्न एवं गायन-वादन में निपुण स्त्री को, चाहे वह वेश्या-
कुल से संबद्ध हो या न हो, एक हजार पण देकर गणिका (वेश्या) के
कार्य पर नियुक्त करे । इसी प्रकार दूसरी गणिकाओं को नियुक्त किया
जाय, और एक सहस्र पण में से आधा उन्हें तथा आधा उनके परिवार
को दे दिया जाय ।
२. यदि कोई गणिका दूसरी जगह चली जाय या मर जाय तो उसकी जगह
उसकी लड़की या बहिन नियुक्त होकर परिवार का पोषण करे । अथवा
उसकी माता उसकी जगह किसी दूसरी गणिका को नियुक्त करे । यदि
ऐसा भी सम्भव न हो सके तो उसकी संपत्ति को राजा ले ले ।
३. वेश्याओं की तीन श्रेणियां हैं । (१) कनिष्ठ, (२) मध्यम और (३) उत्तम ।
सौन्दर्य तथा सजावट में कमसल कनिष्ठ वेश्या का वेतन एक हजार पण;
सौन्दर्य तथा सजावट में उससे अच्छी मध्यम वेश्या का वेतन दो हजार
पण; और हर एक बात में चतुर उत्तम वेश्या का वेतन तीन हजार

- पयेत् । छत्रभृद्भारव्यजनशिविकापीठिकारथेषु च विशेषार्थम् ।
१. सौभाग्यभङ्गे मातृकां कुर्यात् ।
 २. निष्क्रयश्चतुर्विंशतिसाहस्रो गणिकायाः । द्वादशसाहस्रो गणिका-
पुत्रस्य । अष्टवर्षात्प्रभृति राज्ञः कुशीलवकर्म कुर्यात् ।
 ३. गणिकादासी भग्नभोगा कोष्ठागारे महानसे वा कर्म कुर्यात् ।
अविशन्ती सपादपणमवरुद्धा मासवेतनं दद्यात् ।
 ४. भोगं दायमायं व्ययमायति च गणिकाया निबन्धयेत् ।
अतिव्ययकर्म च वारयेत् ।

पण होता है । कनिष्ठ वेश्या छत्र तथा इत्रदान लेकर राजा की सेवा करे; मध्यम वेश्या पालकी के साथ रहकर राजा को व्यजन करे; और उत्तम वेश्या राजसिंहासन तथा रथ आदि के निकट रह कर राजा की परिचर्या करे ।

१. जब गणिकाओं का सौन्दर्य जाता रहे और उनकी जवानी ढल जाय, तब उन्हें खाल्ता (मातृका) के स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिए ।
२. जो गणिकाएँ राजवृत्ति से अपने को मुक्त करना चाहें, वे राजा को चौबीस हजार पण देकर स्वतन्त्र हो सकती हैं । यदि वेश्यापुत्र राजसेवा से निवृत्त होना चाहे तो वह बारह हजार पण अदा करे । यदि वह मुक्त होने का मूल्य (निष्क्रय) अदा करने में असमर्थ हो तो आठ वर्ष तक राजा के यहां चारण का कार्य कर अपने आप को मुक्त कर सकता है ।
३. वेश्या की दासी जब बूढ़ी हो जाये तो उसे कोष्ठागार या रसोई के कार्य में नियुक्त कर देना चाहिए । यदि वह काम न करना चाहे और किसी पुरुष की स्त्री बन कर रहना चाहे, तो वह प्रतिमास उस गणिका को सवा पण वेतन दे ।
४. गणिकाध्यक्ष को चाहिए कि वह वेश्याओं के भोगधन (संभोग से प्राप्त हुई आमदनी), माता से मिला धन (दायभाग), संभोग के अतिरिक्त आमदनी (आय) और भावी-प्रभाव (आयति) आदि को रजिस्टर में दर्ज करता रहे; और उन्हें अधिक खर्च करने से रोकता रहे ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४३, अध्याय २७

१. मातृहस्तादन्यत्राभरणन्यासे सपादचतुष्पणो दण्डः । स्वापत्तेयं विक्रयमाधानं नयन्त्याः सपादपंचाशत्पणो दण्डः ।
२. चतुर्विंशतिपणो वाक्पारुष्ये । द्विगुणो दण्डपारुष्ये । सपाद-पञ्चाशत्पणः पणोऽधपणश्च कर्णच्छेदने ।
३. अकामायाः कुमार्या वा साहसे उत्तमो दण्डः । सकामायाः पूर्वः साहसदण्डः ।
४. गणिकामकामां रुन्धतो निष्पातयतो वा व्रणविदारणेन वा रूपमुपघ्नतः सहस्रदण्डः । स्थानविशेषेण वा दण्डवृद्धिरानिष्क्र-यद्विगुणात् पणसहस्रं वा दण्डः ।

१. यदि गणिका अपने आभूषणों को अपनी माता के सिवा किसी दूसरे के हाथ सौंपे तो उसे सवा चार पण दण्ड दिया जाय । यदि वह अपने गहने, कपड़े, वर्तन आदि को बेचे या गिरवी रखे तो उस पर सवा पचास पण का दण्ड किया जाय ।

२. यदि वह किसी के साथ कठोरता का बर्ताव करे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय । यदि वह हाथ, पैर, लाठी आदि से प्रहार करे तो दुगुना (अड़तालीस पण) दण्ड दिया जाय । यदि वह किसी का कान, हाथ काट ले तो उसे पौने त्रावन पण का दण्ड दिया जाय ।

३. यदि कोई पुरुष कामनारहित कुमारी पर बलात्कार करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड देना चाहिए । जो इच्छा करने वाली कुमारी के साथ संभोग करे उमे भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।

४. जो पुरुष किसी कामनारहित वेश्या को जबर्दस्ती अपने घर में रोक कर रखे या कोई चोट तथा घाव कर उसके रूप को क्षति पहुँचाये उस पुरुष को एक हजार पण से दण्डित करना चाहिये । शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों को चोट पहुँचाने पर, उन-उन स्थानों की विशेषताओं के अनुसार अधिक दण्ड दिया जा सकता है; यह दण्ड-राशि अड़तालीस हजार पण तक ली जा सकती है ।

१. प्राप्ताधिकारां गणिकां वातयतो निष्क्रयात्रिगुणो दण्डः ।
मातृकादुहितृकारूपदासीनां वात उत्तमः साहसदण्डः ।
२. सर्वत्र । प्रथमैऽपराधे प्रथमः, द्वितीये द्विगुणः, तृतीये त्रिगुणः,
चतुर्थे यथाकामी स्यात् ।
३. राजाज्ञया पुरुषमनभिगच्छन्तो गणिका शिफासहस्रं लभेत,
पञ्चसहस्रं वा दण्डः ।
४. भोगं गृहीत्वा द्विषत्या भोगद्विगुणो दण्डः । वसतिभोगापहारे
भागमष्टगुणं दद्यात्, अन्यत्र व्याधिपुरुषदोषेभ्यः ।
५. पुरुषं धनत्याश्चिताप्रतापोऽप्सु प्रवेशनं वा ।

१. राजा की सेवा में नियुक्त वेश्याओं को मारने वाले व्यक्ति पर वहत्तर हजार पण दण्ड किया जाय । खाला, वेश्यापुत्री और वेश्या को मारने-पीटने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।
२. पूर्वोक्त सारी दण्ड-व्यवस्था एक बार अपराध करने वालों के लिए निर्दिष्ट है । यदि कोई अपराधी उसी अपराध को दुहराये तो दुगुना दण्ड; तिहराये तो तिगुना दण्ड; और चौथी बार भी उसी अपराध को करे तो चौगुना दण्ड अथवा सर्वस्वहरण, देश निकाला आदि जो भी उचित हो, उसे दण्ड दिया जाय ।
३. राजा की आज्ञा होने पर यदि कोई वेश्या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाने से इनकार कर दे तो उस पर एक हजार कोड़े लगवाये जाँय; अथवा उस पर पाँच हजार पण जुर्माना किया जाय ।
४. यदि कोई वेश्या संभोग-शुल्क (भाग) लेकर धोखा कर दे तो उस पर संभोग-शुल्क से दुगुना जुर्माना करना चाहिये । यदि पूरी रात का शुल्क लेकर गणिका किस्सा-कहानियों या दूसरे बहानों में ही सारी रात टाल दे तो उसपर शुल्क का आठ गुना दण्ड किया जाना चाहिये; किन्तु किसी संक्रामक रोग या किसी दोष के कारण गणिका यदि संभोग कराने को तैयार न हो तो उसे अपराधिनी न समझा जाय ।
५. यदि कोई गणिका संभोग-शुल्क लेकर किसी पुरुष को मरवा डाले तो गणिका को उस पुरुष के साथ जीवित ही चिता में जला देना चाहिए; अथवा उसके गले में पत्थर बांधकर उसको पानी में डुबो देना चाहिये ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४३, अध्याय २७

१. गणिकाभरणमर्थं भोगं वाऽपहरतोऽष्टगुणो दण्डः । गणिका भोगमायति पुरुषं च निवेदयेत् ।
२. एतेन नटनर्तकगायकवादकवाग्जीवनकुशीलवप्लवकसौभिकचारणस्त्रीव्यवहारिणां स्त्रियो गूढाजीवाश्च व्याख्याताः ।
३. तेषां तूर्यमागन्तुकं पञ्चपणं प्रेक्षावेतनं दद्यात् ।
४. रूपाजीवा भोगद्वयगुणं मासं दद्युः ।
५. गीतवाद्यपाठ्यनृत्तनाट्याक्षरचित्रवीणावेणुमृदङ्गपरचित्तज्ञानगन्धमाल्यसंयूहनसम्पादनसंवाहनवैशिककलाज्ञानानि गणिका दासी रङ्गोपजीविनीश्च ग्राहयतो राजमण्डलादाजीवं कुर्यात् ।

१. यदि कोई पुरुष किसी गणिका के वस्त्र, आभरण या संभोग से प्राप्त धन को चुरा ले तो उसे उस धन का आठ गुना दण्ड दिया जाय । गणिका को चाहिये कि वह अपने संभोग, अपनी आमदनी और अपने साथ रहनेवाले पुरुष की सूचना गणिकाध्यक्ष को बराबर देती रहे ।
२. यही दण्ड-विधान और यही व्यवस्था उन लोगों के लिये भी है जो नट, नर्तक, गायक, वादक, कथावाचक, कुशीलव, प्लवक, जादूगर, चारण हैं; तथा जो कोई भी स्त्रियों द्वारा जीविका-निर्वाह करते हैं; और वे स्त्रियाँ जो छिपकर व्यभिचार करती हैं ।
३. बाहर से आई हुई नट-मण्डली प्रत्येक खेल पर पाँच पण राजकर के रूप में अदा करे ।
४. रूप से जीविका कमाने वाली वेश्या अपनी मासिक आमदनी के हिसाब से दो दिन की कमाई कर रूप में राजा को दे ।
५. गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, लिखना, चित्रकारी करना, वीणा-वेणु-मृदंग बजाना, दूसरे के मन को पहिचानना, सुगन्धित द्रव्यों को बनाना, माला गंधना, पैर दधाना, शरीर सजाना आदि कार्यों में निपुण लोगों की; और गणिका, दासी तथा नर्तकियों को कलाओं का ज्ञान देने वाले आचार्यों की, आजीविका का प्रबन्ध नगरों तथा गावों से आने वाली भाय द्वारा किया जाना चाहिये ।

१. गणिकापुत्रान् रंगोपजीविनश्च मुख्यान् निष्पादयेयुः सर्वता-
लावचराणां च ।

२. संज्ञाभाषान्तरज्ञाश्च स्त्रियस्तेषामनात्मसु !
चारघातप्रमादार्थं प्रयोज्या बन्धुवाहनाः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे गणिकाध्यक्षो नाम सप्तविंशोऽध्यायः;
आदितोऽष्टचत्वारिंशः ।



-
१. वेश्यापुत्रों, नाचने-गाने वालों और इसी प्रकार के अन्य लोगों को वेश्याओं का शिक्षक नियुक्त करना चाहिए ।
 २. नट-नर्तक आदि पुरुषों को धन का लालच देकर राजा अपने वश में कर ले, और तब, अनेक भाषायें बोलने वाली तथा अनेक प्रकार के वेश बनाने वाली उनकी स्त्रियों को शत्रु के गुप्तचरों का वध करने अथवा उनको विषय-वासनाओं में फंसाने के लिये नियुक्त कर दे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ।



शास्त्र ४४

अध्याय २८

नावध्यक्षः

१. नावध्यक्षः समुद्रसंयाननदीमुखतरप्रचारान् देवसरोविसरोनदी-तरांश्च स्थानीयादिष्ववेक्षेत ।
२. तद्वेलाकूलग्रामाः क्लृप्तं दद्युः ।
३. मत्स्यबन्धका नौकाभाटकं षड्भागं दद्युः । पत्तनानुवृत्तं शुल्कभागं वणिजो दद्युः । यात्रावेतनं राजनौभिः सम्पतन्तः शंखमुक्ताग्राहिणो नौभाटकं दद्युः, स्वनौभिर्वा तरेयुः ।
४. अध्यक्षश्चैषां खन्यध्यक्षेण व्याख्यातः ।

परिवहन विभाग का अध्यक्ष

१. नौका-परिवाहन के अधिकारी (नौकाध्यक्ष) को चाहिये कि वह समुद्रतट की समीपवर्ती नदी को, समुद्र के नौका-मार्गों को, झीलों, तालावों और गाँव के छोटे-छोटे जलीय मार्गों को भली-भाँति देखता रहे ।
२. समुद्र, झील तथा नदियों के किनारों पर वसे हुए ग्रामीणों को चाहिए कि वे राजा को नियत कर दे ।
३. मछुओं को चाहिये कि वे अपनी आमदनी का छठा हिस्सा कररूप में राजा को दें । समुद्रतट के व्यापारी, बन्दरगाहों के नियमानुसार माल के मूल्य का पाचवाँ या छठा भाग टैक्स दें । सरकारी नौकाओं द्वारा माल लाने-लेजाने का भाड़ा वे अलग से दें । इसी प्रकार शंख और मोती लेजाने वाले व्यापारी नाव का भाड़ा अलग से दें; अथवा सरकारी नौकाओं का उपयोग न कर वे निजी नौकाओं से पार उतरें ।
४. मछली, मोती और शंख आदि सामुद्रिक वस्तुओं के सम्बन्ध में खानों के अध्यक्ष की ही भाँति, नाव का अध्यक्ष भी प्रबन्ध करे या उसी व्यवस्था को लागू करे ।

१. पत्तनाध्यक्षनिबन्धं पण्यपत्तनचारित्रं नावध्यक्षः पालयेत् ।
२. मूढवाताहतां तां पितेवानुगृह्णीयात् । उदकप्राप्तं पण्यशुल्क-
मर्घशुल्कं वा कुर्यात् ।
३. यथानिर्दिष्टाश्चैताः पण्यपत्तनयात्राकालेषु प्रेषयेत् । संया-
न्तीर्नावः क्षेत्रानुगताः शुल्कं याचेत । हिंस्रिका निर्घातयेद् ,
अमित्रविषयातिगाः पण्यपत्तनचारित्रोपघातिकाश्च ।
४. शासकनियामकदात्ररश्मिग्राहकोत्सेचकाधिष्ठिताश्च महानावो
हैमन्तग्रीष्मतार्यासु महानदीषु प्रयोजयेत् । क्षुद्रिकाः क्षुद्रिकासु
वर्षास्राविणीषु ।

१. नगराध्यक्ष द्वारा नियत किए गए बन्दरगाह-सम्बन्धी नियमों को नावध्यक्ष भली-भांति पालन करें ।
२. दिशाओं का अन्दाज न रह जाने के कारण या तूफान में फंस जाने के कारण डूबती हुई नौका को अध्यक्ष, पिता के समान अनुग्रह करके बचाये । पानी लग जाने के कारण नुकसान हुए माल का टैक्स माफ कर देना चाहिये या नुकसान को देखते हुए आधा ही टैक्स लेना चाहिये ।
३. निःशुल्क या आधे शुल्क वाली नौकाओं को बन्दरगाहों की ओर यात्रा करने के समय में भेज दिया जाय या छोड़ दिया जाय । चलती हुई नौकायें जघ चुंगी पर पहुँच जायं तब उनकी चुंगी वसूल की जाय । चोर-डाकुओं की नौकाओं को नष्ट कर दिया जाय । जो नौकायें शत्रुदेश की ओर जाती हों या जो व्यापार-नियमों का उल्लंघन करती हों, उन्हें भी तहस-नहस कर दिया जाय ।
४. नाव का कप्तान (शासक), नावचालक (नियामक), लंगड़ डालने वाला (दात्रग्राहक), रस्सी या पतवार पकड़ने वाला (रश्मिग्राहक), और नौका में भरे हुए पानी को उलीचने वाला (उत्सेचक), इन पाँच कर्मचारियों के रहने पर ही बड़ी-बड़ी नौकाओं को गर्मी तथा सर्दी में समान रूप से बहने वाली बड़ी-बड़ी नदियों में चलाने की आज्ञा देनी चाहिए । बरसाती नदियों में चलाने के लिये अलग नौकायें होनी चाहिये ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४४, अध्याय २८

१. बद्धतीर्थाश्चैताः कार्याः राजद्विष्टकारिणां तरणभयात् ।
अकालेऽतीर्थे च तरतः पूर्वः साहसदण्डः ।
२. अकालेऽतीर्थे चानिसृष्टतारिणः पादोनसप्तविंशतिपणस्त-
रात्ययः ।
३. कैवर्तकाष्ठतृणभारपुष्पफलवाटषण्डगोपालकानामनत्ययः सम्भा-
व्यदूतानुपातिनां च सेनाभाण्डप्रचारग्रयोगाणां च । स्वतर-
णैस्तरताम् । बीजभक्तद्रव्योपस्करांश्चानूपग्रामाणां तारयताम् ।
४. ब्राह्मणप्रव्रजितबालवृद्धव्याधितशासनहरगर्भिण्यो नावध्यक्ष-
मुद्राभिस्तरेयुः ।
५. कृतप्रवेशाः पारविषयिकाः सार्थप्रमाणाः विशेष्युः ।

-
१. इन बड़ी नौकाओं को ठहरने के लिए नियत बन्दरगाह होने चाहिये और उन पर पूरी निगरानी रखी जानी चाहिये, जिससे कि किसी शत्रु राजा के गुप्तचर उनमें प्रवेश न कर सकें ।
 २. कोई भी नाव वाला यदि अनिश्चित समय में ही अनियमित मार्ग से घाट के क्षार-पार जाये तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त ठीक समय पर और नियत घाट से बिना आज्ञा नाव पार करनेवाले व्यक्ति पर पौने सत्ताईस पण दण्ड निर्धारित किया जाय ।
 ३. धोब्रर, लकड़हारे, घसियारे, माली, कुंजडे, खेतों के रखवाले, चोर की डर से पीछे जाने वाले, राजदूत के पीछे शेष कार्य को पूरा करने के लिए जाने वाली सेना, सैनिक सामग्री और गुप्तपुरुषों को बिना समय एव बिना आज्ञा ही नदी पार करने पर कोई दण्ड न दिया जाना चाहिये । अपनी नाव से नदी पार करने वाले व्यक्तियों पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । बीज, कर्मचारियों की भोजनसामग्री, फल, फूल, शाक और मसाला (उपस्कर) आदि सामान को पार ले जाने वाले व्यक्ति भी दण्ड से मुक्त समझे जाय ।
 ४. ब्राह्मण, संन्यासी, बालक, वीमार, राजदूत या हलकारा और गर्भवती स्त्री को नौकाध्यक्ष की मुहर देखकर ही, बिना झटका के पार कर देना चाहिये ।
 ५. जिन परदेशियों को पासपोर्ट मिल गया हो अथवा पासपोर्ट प्राप्त व्यापारियों

१. परस्य भार्या कन्यां वित्तं वापहरन्तं शंकितमाविग्नमुद्गाण्डी-
कृतं महाभाण्डेन मूर्ध्नि भारेणावच्छादयन्तं सद्योगृहीतलिङ्गि-
नमलिङ्गिनं वा प्रव्रजितमलक्ष्यव्याधितं भयविकारणं गूढसार-
भाण्डशासनशस्त्राग्रियोगं विषहस्तं दीघपथिकममुद्रं चोप-
ग्राहयेत् ।
२. क्षुद्रपशुर्मनुष्यश्च सभारो माषकं दद्यात् । शिरोभारः कायभारो
गवाश्वं च द्वौ । उष्ट्रमहिषं चतुरः । पञ्च लघुयानम् । षड् गो-
लिङ्गम् । सप्त शकटम् । पण्यभारः पादम् ।
३. तेन भाण्डभारो व्याख्यातः । द्विगुणो महानदीषु तरः ।

के साथ जिन-जिन व्यक्तियों को आने की अनुमति मिल गई हो, वे ही देश में प्रवेश कर सकते हैं ।

१. किसी की स्त्री, कन्या या किसी का धन चुरा कर भागने वाले व्यक्ति को आगे बताये हुए लक्षणों से पहिचान कर फौरन गिरफ्तार करवा देना चाहिए । वे लक्षण इस प्रकार हैं : यदि वह चौकन्ना-सा नजर आये, ताकत से अधिक बोझा उठाये हो, सिर पर इस प्रकार घास-फूस फैलाये हो कि शकल न दिखाई दे, नकली संन्यासी का वेष बनाये हो, संन्यासी वेश बदल कर सादा वेष धारण कर ले, विमारी का कोई चिन्ह न होने पर भी अपने को बीमार जैसा लगाये, डर से मुख की रौनक उतरी हुई हो, बहुमूल्य वस्तुओं को छिपाये हो, गुप्त कागजातों को रखे हो, हथियार छिपाकर रखे हो, जहर आदि को रखे हो, अग्नियोग को छिपाये हो, दूर का सफर करता हो और पासपोर्ट प्राप्त किए बिना ही यात्रा करता हो ।
२. भेड़, बकरी आदि छोटे जानवरों का; और जिस मनुष्य के पास हाथ में उठाने भर का बोझा हो, एक माषक भाड़ा दे । जिस पुरुष के पास सिर अथवा पीठ से उठाने योग्य बोझा हो, और गाय, घोड़ा आदि पशुओं का, दो माषक भाड़ा दिया जाय । ऊंट और भैंस का चार माषक भाड़ा दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार छोटी गाड़ी का पांच माषक, मझौली गाड़ी का छह माषक, और बड़ी बैलगाड़ी का सात माषक भाड़ा देना चाहिये । बीस तुला बोझ का $\frac{1}{4}$ पण भाड़ा निर्धारित है ।
३. इसी हिसाब से भैंस या ऊंट आदि पर ढोये जाने वाले बोझा का भाड़ा समझ

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४४, अध्याय २८

१. क्लृप्तमानूपग्रामा भक्तवेतनं दद्युः ।
२. प्रत्यन्तेषु तराः शुल्कमातिवाहिकं वर्तनीं च गृह्णीयुः । निर्गच्छ-
तश्चामुद्रस्य भाण्डं हरेयुः । अतिभारेणावेलायामतीर्थे तरतश्च ।
३. पुरुषोपकरणहीनायामसंस्कृतायां वा नावि विपन्नायां नाव-
ध्यक्षो नष्टं विनष्टं वाभ्यावहेत् ।
४. सप्ताहवृत्तामाषाढीं कार्तिकीं चान्तरा तरः ।
कार्मिकप्रत्ययं दद्यान्नित्यं चाह्निकमावहेत् ॥

इत्थध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे नावध्यक्षो नाम अष्टाविंशोऽध्यायः;
आदितः एकोनपञ्चाशः ।



लेना चाहिए । बड़ी-बड़ी नदियों की उतराई इससे दुगुनी होनी चाहिए ।

१. नदियों के किनारे बसे हुए लोग सरकारी टैक्स के अतिरिक्त कुछ निर्धारित भत्ता या वेतन भी मल्लाहों को दें ।
२. पार उतारने वाले राजकीय मल्लाह सीमाप्रदेशों में व्यापारियों से मार्ग का टैक्स और अन्तपाल को दिया जाने वाला शुल्क भी अदा करें । जो व्यापारी बिना मुहर के माल को निकालते पकड़ा जाय उसका सारा माल जब्त कर लिया जाय । जो व्यक्ति, अनिमित्त बोझा असमय और बिना घाट के ही पार उतारने की कोशिस करे उसका भी सारा माल जब्त कर लिया जाय ।
३. मल्लाहों की असावधानी, अन्य आवश्यक साधनों से हीन और बिना मरम्मत की सरकारी नौका यदि डूब जाय तो यात्रियों का सारा हर्जाना नौकाध्यक्ष पूरा करे ।
४. भाषादी पूर्णिमा से लेकर कार्तिकी पूर्णिमा के एक सप्ताह बाद तक की अवधि के बीच बरसाती नदियों में नौका-कर लिया जाना चाहिए (किन्तु सदा बहने वाली नदियों में तो हमेशा ही टैक्स लेना चाहिए) । प्रत्येक मल्लाह को चाहिए कि वह प्रतिदिन के कार्य का विवरण और दैनिक भाग नौकाध्यक्ष के सुपुर्द कर दे ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अष्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ।



प्राक्करण ४५

अध्याय २९

गोऽध्यक्षः

१. गोऽध्यक्षो वेतनोपग्राहिकं करप्रतिकरं भग्नोत्सृष्टकं भागानु-
प्रविष्टकं व्रजपर्यग्रं नष्टं विनष्टं क्षीरघृतसञ्जातं चोपलमेत ।
२. गोपालकपिण्डारकदोहकमन्थकलुब्धकाः शतं शतं धेनूनां हिर-
ण्यभृताः पालयेयुः । क्षीरघृतभृता हि वत्सानुपहन्युरिति
वेतनोपग्राहिकम् ।
३. जरद्गुधेनुगभिणीपट्टौहीवत्सतरीणां समविभागं रूपशतमेकः

पशुविभाग का अध्यक्ष

१. गो, भैंस आदि पालतू पशुओं की देख-रेख में नियुक्त अधिकारी (गोऽध्यक्ष) को चाहिए कि वह (१) वेतनोपग्राहिक, (२) करप्रतिकर, (३) भग्नोत्सृष्टक (४) भागानुप्रविष्टक (५) व्रजपर्यग्र, (६) नष्ट, (७) विनष्ट और (८) क्षीर-घृतसञ्जात, इन आठों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करे ।
२. गायों को पालने वाले (गोपालक), भैंसों को पालने वाले (पिण्डारक), गाय, भैंस को दुहने वाले (दोहक), दही को मथने वाले (मन्थक) और हिंसक पशुओं से गाय, भैंस की रक्षा करने वाले (लुब्धक), ये पांच पांच व्यक्ति मिलकर सौ-सौ गाय, भैंसों का पालन करें । वेतन के रूप में इनको या तो नगद रुपया दिया जाय अथवा अन्न-वस्त्र दिए जाय; दूध, दही आदि में इनका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध, दही में इनका हिस्सा होने के कारण ये लोग बछड़ों को मार देते हैं । गाय, भैंस आदि की रक्षा के इस उपाय का नाम वेतनोपग्राहिक है ।
३. वृद्धी, दूध देने वाली, गाभिन, पठोरी और बड़िया, इन पांच प्रकार की गायों को बीस-बीस के क्रम से सौ बना कर उन्हें किसी चरवाहे को ठेके पर

पालयेत् । घृतस्याष्टौ वारकान् पणिकं पुच्छं अङ्गुचर्म च
वार्षिकं दद्यादिति करप्रतिकरः ।

१. व्याधितान्यङ्गानन्यदोहीदुर्दोहापुत्रघनीनां च समविभागं रूप-
शतं पालयन्तस्तज्जातिकं भागं दद्युरिति भग्नोत्सृष्टकम् ।
२. परचक्राटवीभयादनुप्रविष्टानां पशूनां पालनधर्मेण दशभागं
दद्युरिति भागानुप्रविष्टकम् ।
३. वत्सा वत्सतरा दम्या वहिनो वृषा उक्षाणश्च पुंगवा ।
४. युगवाहनशकटवहा वृषभाः सूनामहिषाः पृष्ठस्कन्धवाहिनश्च
महिषाः ।

दिया जाय । इसके बदले में चरवाहा गौओं के मालिक को आठ वारक घी,
एक-एक पशु के पीछे एक-एक पण, और सरकारी मुहर से युक्त मरे हुए
पशु का एक अदद चमड़ा प्रतिवर्ष दिया करे; रक्षा के इस उपाय को
करप्रतिकर कहते हैं ।

१. बीमार, कानी, लंगड़ी, एकहथी (अनन्यदोही), मुश्किल से दुही जाने
योग्य और बच्चों को खाने वाली (पुत्रघनी), इन पाँच प्रकार की गायों
को भी पूर्ववत्, सौ बनाकर, किसी व्यक्ति को ठेके पर पालने के लिए
दिया जाय । गोपालक को चाहिए कि वह स्थिति के अनुसार घी आदि का
आधा या तिहाई हिस्सा मालिक को दे दिया करे; इस उपाय का नाम
भग्नोत्सृष्टक है ।
२. शत्रुओं अथवा चोरों के डर से जो गोपालक अपनी गायों को सरकारी
चरागाह में ही बन्द करके रखे, उसको चाहिए कि वह, गायों की आमदनी
का दसवां भाग राजा को अदा करे; गाय आदि की रक्षा के इस तौर-तरीके
को भागानुप्रविष्टक कहते हैं ।
३. दूध पीने वाला बछड़ा, बड़ा बछड़ा, कृषियोग्य बछड़ा (दम्य), बोझा
होने योग्य सांड़ (वहिनो), विना बधिया किया हुआ सांड़ और हल
जोतने योग्य बैल, ये छह प्रकार के बैल होते हैं ।
४. जुवा, हल, गाड़ी आदि में जोते जाने योग्य भैंसा, सांड़ (वृषभा), मांस

१. वत्सिका वत्सतरी पष्ठौही गर्भिणी धेनुश्चाप्रजाता वन्ध्याश्च गावो महिष्यश्च । मासद्विमासजातास्तासामुपजा वत्सा वत्सिकाश्च । मासद्विमासजातानङ्कयेत् । मासद्विमासपर्युषितमङ्कयेत् । अङ्कं चिह्नं वर्णं शृङ्गान्तरं च लक्षणम् , एवमुपजा निबन्धयेदिति ब्रजपर्यग्रम् ।
२. चोरहतमन्ययूथप्रविष्टमवलीनं वा नष्टम् ।
३. पङ्कविषमव्याधिजरातोयाहारावसन्नं वृक्षतटकाष्ठशिलाभिहतमीशानव्यालसर्पग्राहदावाग्निविपन्नं विनष्टम् । प्रमादादभ्यावहेयुः ।
४. एवं रूपाग्रं विद्यात् ।

के उपयोग में आने वाले (सूनामहिषा) और बोझा ढोने योग्य, ये चार प्रकार के भैंसे होते हैं ।

१. दूध पीने वाली बछिया, बड़ी बछिया, पठोरी (प्रष्टौही), गाभिन, दूध देने वाली, अधेड़ और बांझ, ये सात प्रकार की गाय-भैंसें हैं । उनके दो महीने या एक महीने के पैदा हुए बछड़ों को उपजा (लयेरु) कहते हैं । उन लयेरु बछड़ों को लोहे के गर्म छल्लों से दाग देना चाहिए । दो मास तक सरकारी चरागाह में रहने वाली गाय-भैंसों को भी दाग देना चाहिए, उनके स्वामियों का पता लगे या न लगे । राजकीय मुहर अथवा छल्ले आदि से अङ्कित गाय-भैंसों तथा लयेरु बछड़ों के रङ्ग, सींग आदि विशेष चिह्नों का उल्लेख रजिस्टर में किया जाय । गायों की रक्षा के इस उपाय को ब्रजपर्यग्र कहते हैं ।
२. नष्ट गोधन तीन प्रकार का होता है : (१) चोरों द्वारा अपहृत (२), दूसरे गोष्टों में विलयित और (३) अपने गोष्ट से अष्ट; इसी अवस्था को नष्ट कहते हैं ।
३. दल-दल में फँसी; गढ़े में गिरी; बीमार; बूढ़ी; पानी तथा आहार के अभाव में नष्ट; वृक्ष तले दबी; चट्टान या शिलाओं से जख्मी; बिजली गिर जाने से नष्ट; हिंसक जानवरों से आक्रान्त; सांप, नाक या जंगली आग से नष्ट; गायों को धिनष्ट कहते हैं ।
४. अध्यक्ष को चाहिए कि वह इन सभी बातों की पूरी जानकारी रखे ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४५, अध्याय २६

१. स्वयं हन्ता घातयिता हर्ता हारयिता च बध्यः । परपशूनां राजाङ्केन परिवर्तयिता रूपस्य पूर्वं साहसदण्डं दद्यात् ।
२. स्वदेशीयानां चोरहतं प्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत् । परदेशीयानां मोक्षयितार्यं हरेत् ।
३. बालवृद्धव्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुर्युः ।
४. तुब्धकश्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यालपरबाधभयमृतुविभक्तमरण्यं चारयेयुः ।
५. सर्पव्यालत्रासनार्थं गोचरानुपातज्ञानार्थं च त्रस्नूनां घण्टातूर्यं च बध्नीयुः ।
६. समव्यूढतीर्थमकर्दमग्राहमुदकमवतारयेयुः पालयेयुश्च । स्तेन-

१. यदि कोई गवाला गाय को मारे, या किसी से मरवावे; उसकी चोरी करे, या करवावे; उसे प्राणदण्ड दिया जाना चाहिए । जो गाय-भैंस सरकारी नहीं हैं उनपर राजकीय चिह्न कर उनके रूप को बदल देने वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

२. चोरों से चुराये गये अपने देश के पशुओं को जो व्यक्ति उनके वास्तविक स्वामियों को वापिस कर दे, मालिक से वह प्रति पशु के पीछे एक पण वसूल कर ले । चोरों से छुड़ाये गये परदेश के पशुओं का आधा हिस्सा मालिक का और आधा हिस्सा छुड़ाने वाले का होता है ।

३. गोपालकों को चाहिए कि वे, बछड़ों, बीमार और बूढ़े पशुओं की उचित परिचर्या करें ।

४. गोपालकों को चाहिए कि वे शिकारियों, बहेलियों, चोरों, हिंसकों और शत्रु की बाधाओं आदि से सावधान रह कर ऋतु के अनुसार सुरक्षित जंगलों में गायों को चरायें ।

५. सर्प एवं हिंसक पशुओं को डराने के लिए, चरागाह में गाय की पहिचान के लिए और घबड़ाने वाले पशुओं की गर्दन में लोह की घंटी बांध देनी चाहिए ।

६. पशुओं को पानी पिलाने एवं नहलाने के लिए ऐसे स्थान में उतारना

व्यालसर्पग्राहगृहीतं व्याधिजरावसन्नं च आवेदयेयुरन्यथा रूप-
मूल्यं भजेरन् ।

१. कारणमृतस्याङ्गचर्म गोमहिषस्य कर्णलक्षणमजाविकानां पुच्छ-
मङ्गचर्म चाश्वखरोष्ट्राणां बालचर्मवस्तिपित्तस्नायुदन्तखुरशृङ्गा-
स्थीनि चाहरेयुः ।
- २ मांसमाममार्द्रं शुष्कं वा विक्रीणीयुः । उदश्वित् श्ववराहेभ्यो
दद्युः । कूर्चिकां सेनाभक्तार्थमाहरेयुः । किलाटो घाणपिण्याक-
क्लेदार्यः ।
३. पशुविक्रेता पादिकं रूपं दद्यात् ।
४. वर्षाशरद्धेमन्तानुभयतः कालं दुह्युः । शिशिरवसन्तग्रीष्मा-

चाहिए, जहाँ चौरस घाट बने हों और दलदल एवं हिंसक जलचर जन्तु
दोनों न हों; गोपालक पूरी सावधानी से उनकी रक्षा करता रहे । गोपालकों
का कर्तव्य है कि वे चोर, व्याघ्र, साँप एवं नाक आदि से आक्रान्त और
बीमारी तथा बुढ़ापे से मरे हुए पशुओं की सूचना अध्यक्ष को दें, अन्यथा
मृतपशु के नुकसान का दायित्व उन पर समझा जायगा ।

१. यदि भैंस मर गई हो तो उसका दगा हुआ चमड़ा; बकरी तथा भेड़ के
चिह्नित कान; और घोड़ा, गधा एवं ऊँट की पूंछ लाकर ग्वाला, अध्यक्ष के
सामने पेश करे; साथ ही वह मरे हुए पशु के बाल, चमड़ा, मूत्राशय,
पित्ता, भाँत, दाँत, खुर, सींग और हड्डी, इन सब चीजों का संग्रह
करके रख ले ।
२. गीले या सूखे मांस को बेच देना चाहिए । मठा को कुत्तों और सूअरों
में वितरित कर देना चाहिए । काष्ठी को सैनिकों के लिए देनी चाहिए ।
फटे हुए दूध को गाय-भैंसों की सानी में डाल देना चाहिए ।
३. पशुओं का व्यापारी प्रत्येक पशु के पीछे, उसकी लागत का चतुर्थांश
अध्यक्ष को दे ।
४. ग्वालों को चाहिए कि वे सावन, भादों, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और

नेककालम् । द्वितीयकाले दोग्धुरङ्गुष्ठच्छेदो दण्डः ।

१. दोहनकालमतिक्रामतस्तत्फलहानं दण्डः ।
२. एतेन नस्यदस्ययुगपिङ्गनवर्तनकाला व्याख्याताः ।
३. क्षीरद्रोणे गवां घृतप्रस्थः । पञ्चभागाधिको महिषीणाम् ।
द्विभागाधिकोऽजावीनाम् । मन्थो वा सर्वेषां प्रमाणं, भूमि-
तृणोदकविशेषाद्धि क्षीरघृतवृद्धिर्भवति ।
४. यूथवृषं वृषेणावपातयतः पूर्वः साहसदण्डः, घातयत उत्तमः ।
५. वर्णावरोधेन दशतीरक्षा । उपनिवेशदिग्बिभागो गोप्रचाराद्

पौष महीनों में गाय-भैसों को दो समय दुहें । माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, और भाषाढ़ में केवल सायंकाल ही दुहें ।

१. इन छह महीनों में गाय-भैसों को दोनो समय दुहने वाले व्यक्ति का अंगूठा काट देना चाहिए । जो ग्वाले ठीक समय पर न दुहे, उसे उस दिन का वेतन न दिया जाय ।
२. इसी प्रकार जो व्यक्ति ठीक समय पर बैलों को न नाथे; ठीक समय पर नये बैलों को बाण पर न लगाये; नौसिखिए तथा पूरे बैल को एक साथ जोते; और बैलों को ठीक समय पर न सिखाये; उन्हें भी उस दिन का वेतन नहीं देना चाहिए ।
३. एक द्रोण गाय के दूध में एक प्रस्थ घी निकलता है । यदि एक द्रोण भैस का दूध हो तो उसमें पाँच प्रस्थ घी निकलता है । बकरी और भेड़ के एक द्रोण दूध में ३ घी निकलता है । किसी भी पशु के दही को मथकर ही उसमें निकलने वाले घी का ठीक परिमाण निर्धारित किया जा सकता है । भूमि, घास, पानी आदि की अधिक सुविधा के ऊपर ही दूध-घी की वृद्धि निर्भर है ।
४. यदि कोई व्यक्ति गोष्ठ के साँड़ को किसी दूसरे साँड़ से लड़ाये तो उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए; उसको मारे तब भी उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।
५. एक रंग की दस गाएँ, इस प्रकार की दस वर्गों की सौ गाएँ करके किसी ग्वाले को रक्षा के लिए दे देनी चाहिए । गायों के रहने और चरने की

बलान्वयतो वा गत्रां रक्षासामर्थ्याच्च । अजावीनां षाण्मासिको-
मूर्णां ग्राहयेत् । तेनाश्वखरोष्ट्रवराहव्रजा व्याख्याताः ।

१. बलीवर्दानां नस्याश्वभद्रगतिवाहिनां यवसस्यार्धभारः, तृणस्य द्विगुणं, तुला घाणपिण्याकस्य, दशाढकं कणकुण्डकस्य, पञ्च-
पलिकं मुखलवणं, तैलकुडुबो नस्यं, प्रस्थः पानम् । मांसतुला,
दध्नश्चाढकं, यवद्रोणं, माषाणां वा पुलाकः । क्षीरद्रोणमर्धाढकं
वा सुरायाः, स्नेहप्रस्थः, क्षारदशपलं शृङ्गिबेरपलं च प्रतिपानम् ।
२. पादोनमश्वतरगोखराणां, द्विगुणं महिषोष्ट्राणां कर्मकरबलीवर्दा-
नाम् । पायनार्थं च धेनूनाम् । कर्मकालतः फलतश्च विधा-
नम् । सर्वेषां तृणोदकप्राकाम्यम् । इति गोमण्डलं व्याख्यातम् ।

नियमित व्यवस्था, उनकी तादात को एवं उनकी सुरक्षा को देखकर ही करनी चाहिए । बकरो और भेड़ की ऊन छह मास बाद उतार लेनी चाहिए । गाय, भैसों के अनुसार ही घोड़े, गधे, ऊँट और सूअरों की भी यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

१. नथे हुए बैलों और घोड़ों के रथ पर जुते जाने वाले श्रेष्ठ बैलों को आधा भार (दस तुला) हरी घास, उससे दुगुनी भूसी, दस आढक सानी, पाँच पल नमक, एक कुडव तेल नाक में, एक प्रस्थ तेल पीने के लिए देना चाहिए; इसके अतिरिक्त सौ पल माँस, एक आढक दही, एक द्रोण जौ या उड़द, इन सब चीजों का साँदा बनाकर भी दिया जाना चाहिए; एक द्रोण दूध या आधा आढक सुरा, एक प्रस्थ तेल या घी, दस पल गुड़ और एक पल सोठ, इन सबको एकत्र करके बैलों को देना चाहिए ।
२. बैलों की इस खुराक का चतुर्थांश कम खुराक खच्चरों तथा गधों को; बैलों की दुगुनी खुराक भैसों, ऊँटों एवं खेतों में काम करने वाले बैलों को; दूध देने वाली गायों को; देनी चाहिए । काम करने वाले बैलों और दूध देने वाली गायों की खुराक उनके कार्य एवं दूध के औसत के अनुसार ही दी जानी चाहिए । सभी पशुओं को उनकी इच्छानुसार भरपेट घास-पानी देना चाहिए । यहाँ तक गो आदि पशुओं की आहार-व्यवस्था बताई गई ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४५, अध्याय २६

१. पञ्चर्षभं खराश्वानामजावीनां दशर्षभम् ।
शक्यं गोमहिषोष्वाणां यूथं कुर्याच्चतुर्वृषम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे गोऽध्यक्षो नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः;
आदितः पञ्चाशः ।



१. एक सौ गधही तथा घोड़ियों के झुण्ड में पाँच घोड़े; सौ भेड़-बकरियों में दस बकरे; सौ-सौ गाय, भैस तथा जंटों के झुण्डों में चार-चार साँड; छोड़ने चाहिए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।



पञ्चदश ४६

अध्याय ३०

अश्वनाद्यक्षः

१. अश्वध्यक्षः पण्यागारिकं क्रयोपागतमाहवलब्धमाजातं साहाय्यागतं पणस्थितं यावत्कालिकं वाश्वपर्यग्रं कुलत्रयोवर्णचिह्नकर्मवर्गागमैर्लेखयेत् ।
२. अप्रशस्तन्यङ्गव्याधितांश्चावेदयेत् ।
३. कोशकोष्ठागाराभ्यां च गृहीत्वा मासलाभमश्ववाहश्चिन्तयेत् ।
४. अश्वविभवेनायतामश्वायामद्विगुणविस्तारां चतुर्द्वारोपावर्तनमध्यां सप्रग्रीवां प्रद्वारासनफलकयुक्तां वानरमयूरपृषतनकुलचकोरशुकशारिकाभिराकीर्णां शालां निवेशयेत् ।

अश्वविभाग का अध्यक्ष

१. अश्वशाला के अध्यक्ष को चाहिये कि वह, भेंटस्वरूप प्राप्त, खरीदे हुए, युद्ध में मिले हुए, अपने यहाँ पैदा हुए, बदले-में प्राप्त, रेहन रखे हुए और कुछ समय के लिए सहायतार्थ प्राप्त, इन सभी प्रकार के घोड़ों को उनकी नस्ल, उन्न, रंग, चिह्न, समूह, कर्म और कहाँ से वे मिले हैं, इन सभी बातों का विवरण अपने रजिस्टर में दर्ज करे ।
२. घुरी नस्ल वाले, लंगड़े-लूले और बीमार घोड़ों को बदल देना चाहिये या उनका उचित इलाज करना चाहिये ।
३. कोप और कोष्ठागार से एक महीने का पूरा खर्च लेकर साईस को चाहिये कि वह सावधानीपूर्वक घोड़ों की टहल-सेवा करे ।
४. घोड़ों को रखने के लिये ऐसी घुड़साल बनवाई जाय, जो घोड़ों की संख्या के अनुसार लम्बी और घोड़ों की लम्बाई से दुगुनी चौड़ी हो; उसमें चार दरवाजे, काफी फैलाव, बड़ा बरामदा, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरे हों

१. अश्यायामचतुरश्रश्लक्ष्णफलकास्तारं सखादनकोष्ठकं समूत्र-
पुरीषोत्सर्गभ्रैकैकशः प्राङ्मुखमुदङ्मुखं वा स्थानं निवेशयेत् ।
शालावशेन वा दिग्विभागं कल्पयेत् । बडवावृषकिशोराणाम्
एकान्तेषु ।
२. बडवायाः प्रजातायास्त्रिरात्रं घृतप्रस्थपानम् । अत ऊर्ध्वं सक्तु
प्रस्थः स्नेहभैषज्यप्रतिपानं दशरात्रं, ततः पुलाको यवस्यार्त-
वश्चाहारः ।
३. दशरात्रादूर्ध्वं किशोरस्य घृतचतुर्भागः सक्तुकुडवः क्षीरप्रस्थ-
श्चाहार आ षण्मासादिति । ततः परं मासोत्तरमर्धवृद्धिर्यवप्रस्थ

और जो बन्दर, ओर, नेवला, चकोर, तोता तथा सैना आदि से घिरी हुई हो ।

१. घोड़े की लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार एक समतल चौकोर तख्ता बिछा होना चाहिए; इसके अतिरिक्त घास-भूसा खाने के लिए लकड़ी की नाँद; पेशाब तथा लीद रखने का उचित प्रबन्ध होना चाहिए; घुड़सालों के दरवाजे पूरब तथा उत्तर की ओर होने चाहिएँ; घोड़ों को बाँधने के लिए अलग-अलग खूँटे होने चाहिएँ । घुड़साल, या तो राजमहल के उत्तर-पूरब में होनी चाहिए; यदि ऐसा सम्भव न हो तो सुविधानुसार उचित दिशाओं की ओर उनके दरवाजे बना दिए जाँय । प्रसवा घोड़ियों, साँड़, घोड़ों और छह मास से तीन वर्ष तक के बछेड़ों को बाँधने के लिए अलग-अलग स्थान होने चाहिएँ ।
२. जब घोड़ी ब्यावे तो उसे तीन दिन तक एक प्रस्थ घी पीने के लिए दिया जाना चाहिए । तदनन्तर दस दिन तक उसे एक प्रस्थ सत्तू और चिकनाई में मिली दवा पीने के लिए दी जानी चाहिए । उसके बाद उसे अधपके जौ का सांदा, घास और ऋतु के अनुसार आहार देना चाहिए ।
३. नये पैदा हुए घोड़ी के बछड़े को दस दिन बाद एक कुडव सत्तू में चौथाई घी मिला कर देना चाहिए । छह महीने तक उसे एक प्रस्थ दूध प्रतिदिन दिया जाना चाहिए । तदनन्तर उसको जौ का एक प्रस्थ और उममें उत्तरोत्तर प्रतिमास आधा प्रस्थ बढ़ाकर तीन वर्ष तक यही आहार देना चाहिए । उसके बाद पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन उसे एक द्रोण

आत्रिवर्षाद्, द्रोण आ चतुर्वर्षादिति । अत ऊर्ध्वं चतुर्वर्षः पंचवर्षो वा कर्मण्यः पूर्णप्रमाणः ।

१. द्वात्रिंशदङ्गुलं मुखमुत्तमाश्वस्य, पञ्चमुखान्यायामः, विंशत्यङ्गुला जङ्घा, चतुर्जङ्घ उत्सेधः । त्र्यङ्गुलावरं मध्यमावरयाः । शताङ्गुलः परिणाहः । पञ्चभागावरं मध्यमावरयोः ।
२. उत्तमाश्वस्य द्विद्रोणं शालिव्रीहियवप्रियङ्गुणामर्धशुष्कमर्धसिद्धं वा मुद्गमाषाणां वा पुलाकः । स्नेहप्रस्थश्च । पञ्चपलं लवणस्य । मांसं पञ्चाशत्पलिकम् । रसस्याढकं द्विगुणं वा दध्नः पिण्डक्लेदनार्थम् । क्षारपञ्चपलिकः सुरायाः प्रस्थः पयसो वा द्विगुणः प्रतिपानम् । दीर्घपथभारकलान्तानां च खादनार्थं स्नेहप्रस्थोऽनुवासनम् । कुडुवो नस्यकर्मणः । यव-

आहार मिलना चाहिए । तब जाकर चार या पाँच वर्ष में वह पूरी तरह काम लेने लायक होता है ।

- १ जिस घोड़े की खाव बत्तीस अङ्गुल, लम्बाई एक-सौ-साठ अंगुल, जंघा बीस अंगुल, और ऊँचाई अस्सी अंगुल हो, वह उत्तम होता है । उससे तीन अंगुल कम परिमाण का घोड़ा मध्यम और उससे भी तीन अङ्गुल कम परिमाण का घोड़ा अधम कोटि का समझना चाहिए । उत्तम घोड़े की मोटाई सौ अङ्गुल, मध्यम घोड़े की मोटाई अस्सी अङ्गुल और अधम घोड़े की मोटाई चौंसठ अंगुल होती है ।
- २ उत्तम घोड़ों को साठी, चावल, गेहूँ, जौ, काकुन आदि में से कोई भी दो द्रोण धान्य अधपका या अधसूखा, खुराक में देना चाहिए; अथवा इतना ही मूंग या उड़द का सांदा बनाकर देना चाहिए । इसके अतिरिक्त एक प्रस्थ घी या तेल; पाँच पल नमक; पचास पल मांस; एक आढक शोरवा या दो आठक दही में भीगी हुई सानी; पाँच पल गुड़ के साथ एक प्रस्थ शराब अथवा दो प्रस्थ दूध; प्रतिदिन तीसरे पहर पीने के लिये दिया जाना चाहिये । लम्बा सफर और अधिक बोझा उठाने के कारण थके हुये घोड़ों को एक प्रस्थ घी या तेल और साथ ही उतने ही परिमाण की थकावट को

दूसरा आधकरण : प्रकरण ४६, अध्याय ३०

सस्यार्धभारः, तृणस्य द्विगुणः, षडरत्निपरिक्षेपः पुञ्जील-
ग्रहो वा ।

१. पादावरमेतन्मध्यमावरयाः । उत्तमसमो रथ्यो वृषश्च मध्यमः ।
मध्यमसमश्चावरः । पादहीनं वडवानां पारशमानां च ।
अतोऽर्धं किशोराणां च । इति विधायोगः ।

२. विधापाचकसूत्रग्राहकचिकित्सकाः प्रतिस्वादभाजः ।

३. युद्धव्याधिजराकर्मक्षीणाः पिण्डगोचरिकाः स्युः । असमर-
प्रयोज्याः पौरजानपदानामर्थेन वृषा वडवास्वायोज्याः ।

दूर करने वाली दवाइयों का मिश्रण (अनुवासन) पिलाना चाहिये; एक कुडव घी या तेल उसके नाक में छोड़ना चाहिये; खाने के लिये उसको दल तुला भूसा, बीस-तुला हरी घास या जई आदि देना चाहिये ।

१. उनम घोड़े की उक्त खुराक का चौथाई हिस्सा कम मध्यम घोड़े की और उसमें से भी चौथाई हिस्सा कम अधम घोड़े की खुराक है । जो मध्यम घोड़ा रथ में जोता जाय तथा जो साँड़ घोड़ी पर छोड़ा गया हो उनको भी उत्तम घोड़े का आहार देना चाहिये । इसी प्रकार जो अधम घोड़े रथ में जोते जाय या साँड़ छोड़े जाय उनको मध्यम घोड़े का आहार देना चाहिए । इस आहार से चौथा हिस्सा कम घोड़ी और खरुचरों का आहार है । उसका आधा आहार बछड़ों को देना चाहिये । यही घोड़ों के आहार का विधान है ।

२. घोड़ों की परिचर्या करने वाले साईंमों और उनकी चिकित्सा करने वाले वैद्यों को भी घोड़े के आहार में से कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिये ।

३. जो घोड़े युद्ध के कारण, बीमारी, बुढ़ापे और भार ढोने के कारण, अशक्त तथा बेकार हो चुके हैं, उन्हें उतना ही आहार दिया जाय कि वे भूखे न मर सकें । जो घोड़े हष्ट-पुष्ट होकर भी युद्धोपयोगी न हों, उन्हें नगर तथा जनपद के निवासियों की घोड़ियों में नस्ल पैदा करने के लिए साँड़ बना दिया जाय ।

१. प्रयोग्यानामुत्तमाः काम्बोजकसैन्धवारदृजवानायुजाः । मध्यमा
वाह्लीकपापेयकसौवीरकतैतलाः । शेषाः प्रत्यवराः ।
२. तेषां तीक्ष्णभद्रमन्दवशेन सान्नाह्यमौपवाह्यकं वा कर्म प्रयोज-
येत् । चतुरस्रं कर्माश्चस्य सान्नाह्यम् ।
३. वलग्नो नीचैर्गतो लंघनो धोरणा नारोष्ट्रश्चौपवाह्याः ।
- ४ तत्रौपवेणुको वर्धमानको यमक आलीढप्लुतः (पृथ?पूर्व)गस्त्रिक-
चाली च वलग्नः ।
५. स एव शिरःकर्णविशुद्धो नीचैर्गतः, षोडशमार्गो वा ।

१. चाल एवं कषायद में प्रवीण युद्धयोग्य घोड़ों में काबुल, सिंध, आरट्ट और अरब देशों के घोड़े उत्तम श्रेणी के हैं। व्यास, सतलज के मध्यवर्ती प्रदेश (वाह्लीक), पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त (पापेयक), राजस्थान और तितल देशों में उत्पन्न घोड़े मध्य कोटि के होते हैं। इनके अनिरिक्त सभी घोड़े अधम कोटि में आते हैं।
२. तेज, मध्यम और मन्द गति के अनुसार ही घोड़ों को युद्धकार्यों और साधारण सवारी आदि कार्यों में प्रयुक्त करना चाहिये। विशेषज्ञों द्वारा युद्ध-सम्बन्धी हर, प्रकार की चालों की शिक्षा दिलाना ही घोड़े का सन्नाह्य कर्म कहलाता है।
३. सवारी या खेलों में प्रयुक्त किए जाने वाले घोड़ों की चाल के पाँच भेद हैं : (१) वलग्न, (२) नीचैर्गत, (३) लंघन, (४) धोरण और (५) नारोष्ट्र।
४. मंडलाकार चक्कर लगाने को वलग्न कहते हैं। वह छह प्रकार का होता है : (१) औपवेणुक (एक हाथ के गोल घेरे में घूमना), (२) वर्धमानक (उतने ही घेरे में कई बार घूमना), (३) यमक (बराबर के दो घेरों में एक साथ घूमना), (४) आलीढप्लुत (एक पैर को समेट कर और दूसरे पैर को फैलाकर छलांग मारना और तत्काल ही घूम जाना) (५) पूर्वग (शरीर के अगले हिस्से के सहारे घूमना) और (६) त्रिकचाली (पुट्टाँ और पिछली दो टांगों के सहारे घूमना)।
५. शिर और कान में किसी प्रकार की कंपन पैदा किए बिना ही गोल घेरे में चक्कर लगाना ही नीचैर्गत कहलाता है; उसके सोलह प्रकार हैं :

प्रकीर्णकः प्रकीर्णोत्तरो निषण्णः पार्श्वानुवृत्त ऊर्मिमार्गः शर-
भक्रीडितः शरभप्लुतः त्रितालो बाह्यानुवृत्तः पञ्चपाणिः
सिंहायतः स्वाधूतः क्लिष्टः श्लिङ्गितो वृंहितः पुष्पाभिकीर्ण-
श्चेति नीचैर्गतमार्गाः ।

१. कपिप्लुतो भेकप्लुत एणप्लुत एकपादप्लुतः कोकिलसञ्चार्यु-
रस्यो वकचारी च लङ्घनः ।

(१) प्रकीर्णक (सभी चालें एक साथ मिली हुई होना), (२) प्रकीर्णोत्तर
(सभी चालें एक साथ मिली हुई होने पर भी एक चाल का मुख्य होना),
(३) निषण्ण (पीठ पर कंपन किये बिना ही किसी विशेष चाल को निकालना),
(४) पार्श्वानुवृत्त (एक ही ओर तिरछी चाल चलना) (५) ऊर्मिमार्ग
(लहरों जैसी ऊंची-नीची चाल चलना), (६) शरभक्रीडित (तरण हाथी
की तरह क्रीडा करते हुये चलना), (७) शरभप्लुत (तरण हाथी की तरह
कूद कर चलना), (८) त्रिताल (तीन पैरों से चलना), (९) बाह्यानु-
वृत्त (दाये-बायें घेरा बनाकर चलना), (१०) पंचपाणि (पहिले तीन
पैरों को एक साथ रखकर फिर एक पैर को दो बार रख कर चलना),
(११) सिंहायत (शेर के समान लम्बी चाल भरना), (१२) स्वाधूत
(लम्बी कूद भरना), (१३) क्लिष्ट (बिना सवार के ही चलना),
(१४) श्लिङ्गित (शरीर के अगले हिस्से को झुका कर चलना, (१५) वृंहित
(शरीर के अगले हिस्से को ऊँचा करके चलना) और (१६) पुष्पाभिकीर्ण
(टेढ़ी-मेढ़ी चाल चलना) ।

१ कूद कर चलने वाली चाल का नाम लंघन है; उसके सात प्रकार हैं :
(१) कपिप्लुत (बंदर की तरह कूद कर चलना), (२) भेकप्लुत (मेढक की
तरह उछल कर चलना), (३) एणप्लुत (हरिण की तरह छलाँग मारकर
चलना), (४) एकपादप्लुत (तीन पैरों को समेट कर एक पैर से ही
छलाँग मार कर चलना), (५) कोकिलसंचारी (कोयल की तरह फुदक कर
चलना), (६) उरस्य (पैरों को समेट कर छाती के बल कूदकर चलना)
और (७) वकचारी (बगुले की तरह बीच में धीरे-धीरे चलकर सहसा एक
साथ कूदकर चलना) ।

१. काङ्को वारिकाङ्को मायूरोऽर्धमायूरो नाकुलोऽधनाकुलो वारा-
होऽर्धवाराहश्चेति धोरणः ।
२. संज्ञाप्रतिकारो नारोष्ट्र इति ।
३. षण्णव द्वादशेति योजनान्यध्वा रथ्यानाम् । पञ्च योजनान्य-
र्धाष्टमानि दशेति पृष्ठवाह्यानामश्वानामध्वा ।
४. विक्रमो भद्राश्वासो भारवाह्य इति मार्गाः ।
५. विक्रमो वल्गितमुपकण्ठमुपजयो जवश्च धाराः ।
६. तेषां बन्धनोपकरणं योग्याचार्याः प्रतिदिशेयुः । साङ्ग्रामिकं

१. धीरे-धीरे चलकर सहसा सरपट चाल से चलना धोरण गति कहलाती है; उसके आठ प्रकार हैं : (१) कांक (बगुले की चाल चलना), (२) वारिकाङ्क (बत्तख की चाल चलना), (३) मायूर (मोर की चाल चलना), (४) अर्ध-मायूर (आधी चाल मोर की चलना), (५) नाकुल (नेवले की चाल चलना), (६) अर्धनाकुल (आधी चाल नेवले की चलना), (७) वराह (सुभर की चाल चलना) और (८) अर्धवराह (आधी चाल सुभर की चलना) ।

२. सिखाये हुये इशारों पर चलना नारोष्ट्र चाल कहलाती है ।

३. रथ में जोते जाने योग्य अधम घोड़ों को छह योजन, मध्यम घोड़ों को नौ योजन और उत्तम घोड़ों को बारह योजन चलाये जाने के बाद विश्राम देना चाहिये; अधम, मध्यम और उत्तम किसिम के भार ढोने वाले घोड़ों को इसी क्रम से पांच, साढ़े सात और दस योजन चलाने के बाद विश्राम देना चाहिये ।

४. उक्त तीनों कोटि के घोड़ों की गति तीन प्रकार की होती है, यथा : (१) मंद-गति, (२) मध्यगति और (३) तीव्रगति ।

५. मंदगति से चलना, मध्यम गति से चलना, तीव्र गति से चलना, चौकन्ना होकर चलना, कूद-फाँदकर चलना, दायें-बायें होकर चलना, तेज-तेज चलना, इन सब तरह की चालों का नाम धारा है; धारा अर्थात् ढंग या क्रम ।

६. घोड़ों के विभिन्न अवयवों को किस प्रकार के आभूषणों से सजाना चाहिये.

रथाश्वालङ्कारं च सूताः । अश्वानां चिकित्सकाः शरीरहास-
वृद्धिप्रतीकारमृतुविभक्तं चाहारम् ।

१. सूत्रग्राहकाश्वबन्धकयावसिकविधापाचकस्थानपालकेशकारजाङ्ग-
लीविदथ स्वकर्मभिरश्वानाराधयेयुः ।
२. कर्मानिक्रमे चैषां दिवसवेतनच्छेदनं कुर्यात् । नीराजनोपरुद्धं
वाहयतश्चिकित्सकोपरुद्धं वा द्वादशपणो दण्डः ।
३. क्रियाभैषज्यसङ्गेन व्याधिवृद्धौ प्रतीकारद्विगुणो दण्डः ।
तदपराधेन वैलोम्ये पत्रमूल्यं दण्डः ।
४. तेन गोमण्डलं खरोष्णमहिषमजाविकं च व्याख्यातम् ।


इसकी विधि, योग्य आचार्य बतलाये । युद्धोपयोनी घोड़ों और रथों को सजाने की सारी क्रिया का निर्देश सारथी करे । ऋतु के अनुसार घोड़ों का क्या-क्या आहार होना चाहिये एवं उनके मोटा होने या तंग होने का तरीका क्या है, इसका निर्देश अश्व-चिकित्सक करें ।

१. लगाम पहिना कर घोड़ों को टहलाने वाला नौकर, लगाम तथा जीन आदि चढ़ाने वाला कर्मचारी, घास खिलाने वाला नौकर, उनके लिये उद्द, भूषा एवं चावल पकाने वाला रसोइया, घुडसाल की सफाई करने वाला व्यक्ति, घोड़ों के बाल तथा खुरें ठीक करने वाला नौकर और अश्वचिकित्सक; ये सभी नौकर-चाकर अपने-अपने कार्यों को नियत समय पर पूरा करते हुए घोड़ों की यथोचित परिचर्या करे ।
२. इनमें से जो भी कर्मचारी अपने कार्य को उचित रीति से न करे उसका उस दिन का वेतन काट लेना चाहिए । कुशल-क्षेम एवं बल-वृद्धि के लिए और चिकित्सा के लिए रोके गये घोड़ों को काम पर लगाने वाले व्यक्ति से बारह पण दण्डरूप में वसूल किए जाय ।
३. घोड़ों की यथा समय चिकित्सा न करने के कारण यदि उनकी बीमारी बढ़ जाय तो इलाज में जितना व्यय हो, उसका दुगुना दण्ड अश्वशाला के अध्यक्ष पर करना चाहिए । यदि चिकित्सा और दवाई के दोष के कारण घोड़ा मर जाय तो जितनी कीमत का घोड़ा हो उतना दण्ड अश्वशाला के अध्यक्ष पर किया जाय ।
४. घोड़ों की परिचर्या और चिकित्सा के लिए उपर जो नियम बताये गये हैं

१. द्विरह्नः स्नानमश्वानां गन्धमाल्यं च दापयेत् ।
कृष्णसन्धिषु भूतेज्याः शुक्लेषु स्वस्तिवाचनम् ॥
२. नीराजनामाश्वयुजे कारयेन्भवमेऽहनि ।
यात्रादाववसाने वा व्याधौ वा शान्तिके रतः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणेऽश्वाध्यक्षो नाम त्रिंशोऽध्यायः;

आदित एकपञ्चाशः ।



गाय, बैल, गधा, ऊँट, भैंस और भड-वकरियों की परिचर्या तथा चिकित्सा के सम्बन्ध में भी वही नियम समझने चाहिए; इनके सम्बन्ध में भी वही दण्ड-व्यवस्था है ।

१. शरद और ग्रीष्म, दोनों ऋतुओं में घोड़ों को दो-दो बार नहलाना चाहिये । गन्ध और मालाएँ उन्हें प्रतिदिन दी जानी चाहिये । अमावस्या को घोड़ों के निमित्त भूतों को बलि देनी चाहिये और पूर्णमासी को उनके कुशल-क्षेम के लिये स्वस्तिवाचन पढ़ा जाना चाहिये ।
२. आश्विन मास की नवमी को घोड़ों के स्वस्थ-नीरोग रहने के लिये नीराजना संस्कार करना चाहिये । यात्रा के आगे और यात्रा की समाप्ति पर और घोड़ों में कोई संक्रामक रोग फैलने पर भी नीराजना संस्कार-करना चाहिये ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में तीसवाँ अध्याय समाप्त ।



सूक्तकरण ४७

अध्याय ३१

हस्त्यध्यक्षः

१. हस्त्यध्यक्षो हस्तिवनरक्षां दम्यकर्मक्षान्तानां हस्तिहस्तिनीकल-
भानां शालास्थानशय्याकर्मविधायवसप्रमाणं कर्मस्वायोगं
बन्धनोपकरणं साङ्ग्रामिकमलङ्कारं चिकित्सकानीकस्थोपस्थायु-
कवर्गं चानुतिष्ठेत् ।
२. हस्त्यायामद्विगुणोत्सेधविष्कम्भायामां हस्तिनीस्थानाधिकां
सप्रग्रोवां कुमारीसङ्ग्रहां प्राङ्मुखीमुदङ्मुखीं वा शालां
निवेशयेत् ।

गजशाला का अध्यक्ष

१. गजशाला के अध्यक्ष को चाहिये कि वह हाथियों के जंगल की रक्षा करे; सिखाये जाने योग्य हाथो-हथिनी और उनके बच्चों के लिए वह गजशाला, बाँधने, उठने बैठने के यथोचित स्थान बनवाये; वही युद्ध-सम्बन्धी कार्य, पका हुआ भोजन और हरी घास-भूसा आदि के तौल का निर्णय करे; हाथियों को हर तरह की चाल चलना सिखाए; हाथियों के अम्बारी, अंकुश आदि साजों और युद्धसम्बन्धी आभूषणों का प्रबन्ध करे; हाथियों के चिकित्सक और उनकी सेवा-टहल करने वाले कर्मचारियों पर भी अध्यक्ष नजर रखे ।
२. हाथो के लिए उसकी लम्बाई से दुगुनी ऊंची, दुगुनी चौड़ी और दुगुनी लम्बी गजशाला बनवानी चाहिये; हथिनी के रहने की गजशाला उससे छह हाथ अधिक लम्बी होनी चाहिये; गजशाला के भागे बरामदा, उसमें बाँधने के लिये तराजू के आकार के खूँटे (कुमारी) और उसके दरवाजे पूर्व या उत्तर की ओर होने चाहियें ।

१. हस्त्यायामचतुरश्रलक्षणालानस्तम्भफलकान्तरकं मूत्रपुरीषो-
त्सर्गस्थानं निवेशयेत् । स्थानसमशय्यामर्धापाश्रयां दुर्गे
सान्नाह्यौपवाह्यानां बहिर्दम्यव्यालानाम् ।
२. प्रथमसप्तमावष्टमभागावहः स्नानकालौ, तदनन्तरं विधायाः ।
पूर्वाह्णे व्यायामकालः, पश्चादह्नः प्रतिपानकालः । रात्रेभागौ
द्वौ स्वप्नकालौ, त्रिभागः संवेशनोत्थानिकः ।
३. ग्रीष्मे ग्रहणकालः । विंशतिवर्षो ग्राह्यः ।
४. विक्रो मूढो मत्कुणो व्याधितो गर्भिणी धेनुका हस्तिनी
चाग्राह्याः ।

१. हाथी की लम्बाई जितना, चौकोर, चिकना एक खूंटी वहाँ गाड़ा जाय; खूंटा एक तख्ते के बीच में लगाकर गाड़ा जाय, जिससे ऊपर की जमीन ढकी रहे और खूंटे को उखाड़ा न जा सके; पाखाना और पेशाब के लिये पाँछों की ओर ढलवां स्थान बनवाना चाहिये । हाथी के सोने-वैठने के लिये एक चबूतरा-सा बनवाया जाय, जिसकी ऊँचाई साढ़े चार हाथ होनी चाहिये । युद्ध तथा सवारी के उपयोगी हाथियों की शय्या किले के भीतर ही बनवाई जाय; जो हाथी अभी सिखवा या बनैले हों उन्हें किले के बाहर ही रखना चाहिये ।

२. एक दिन के, बराबर आठ भागों में पहिला तथा सातवाँ भाग हाथी के स्नान करने के लिये होना चाहिये । स्नान के बाद उन्हें पका खाना खिलाना चाहिये (अर्थात् दूसरे और आठवें भाग में), दोपहर से पहिले उन्हें कवायद सिखानी चाहिये. दोपहर के बाद पीने के लिये देना चाहिये । रात के बराबर तीन भागों में से दो भाग सोने के लिये और एक भाग उठने-वैठने के लिये होना चाहिये ।

३. गर्मी के मौसम में ही हाथियों को पकड़ना चाहिये । बीस वर्ष या उससे अधिक आयु का हाथी पकड़ने योग्य है ।

४. दूध पीने वाला हाथी (चिक्क), हथिनी के समान दातों वाला (मूढ), जिसके दाँत न निकले हों (मत्कुण) बीमार हाथी और गर्भिणी तथा दूध चुराने वाली हथिनी को न पकड़ना चाहिये ।

१. सप्त्वारत्तिरुत्सेधो नवायामो दशपरिणाहः । प्रमाणतश्चत्वारिंशद्वर्षो भवत्युत्तमः । त्रिंशद्वर्षो मध्यमः । पंचविंशतिवर्षोऽधमः ।
२. तयोः पादाग्रो विधाविधिः ।
३. अरत्नौ तण्डुलद्रोणः । अर्धाढकं तैलस्य । सर्पिपञ्चयः प्रस्थाः । दशपलं लवणस्य । मांसं पञ्चाशत्पलिकम् । रसस्याढकं द्विगुणं वा दध्नः पिण्डक्लेदनार्थम् । क्षारं दशपलिकम् । मद्यस्य आढकं द्विगुणं वा पयसः प्रतिपानम् गात्रावसेकस्तैलप्रस्थः शिरसोऽष्टभागः प्रादीपिकश्च । यवसस्य द्वौ भारौ सपादौ शष्पस्य शुष्कस्यार्धतृतीयो भारः । कडङ्गरस्यानियमः ।
४. सप्त्वारत्तिना तुल्यभोजनोऽष्टारत्तिरत्यरालः ।
५. यथाहस्तमवशेषः षडरत्तिः पञ्चारत्तिश्च ।

१. सात हाथ ऊंचा, नौ हाथ लम्बा और दस हाथ मोटा, चालीस वर्ष उम्र वाला हाथी सर्वोत्तम समझा जाता है । तीस वर्ष का मध्यम; और पच्चीस वर्ष का अधम माना गया है ।
२. उत्तम हाथी को जितना आहार दिया जाय उससे चौथाई हिस्सा कम मध्यम को और उससे भी चौथाई हिस्सा कम अधम को दिया जाना चाहिये ।
३. सात हाथ ऊंचे उत्तम हाथी को एक द्रोण चावल, आधा आढक तेल, तीन प्रस्थ घी, दस पल नमक, पचास पल मांस, एक आढक शोरवा या दो आढक दही में सना हुआ दाना दस पल गुड, दोपहर के बाद पीने के लिये एक आढक शराब या उससे दुगुना दूध, शरीर के मलने के लिये एक प्रस्थ तेल, शिर में लगाने के लिये आधा कुटब तेल, इतना ही तेल रात को लगाने के लिये, चालीस तुला तृण पचास तुला हरी घास, साठ तुला सूखी घास और भूसा तथा पत्तियाँ जितना खा सके, ग्विलाना चाहिये ।
४. आठ हाथ ऊंचे अत्यराल नामक हाथी को सात हाथ ऊंचे उत्तम हाथी के ही बराबर खाना दिया जाय ।
५. छह हाथ ऊंचे हाथी मध्यम कोटि के हैं; उनका आहार उत्तम हाथी के आहार से चौथाई हिस्सा कम होना चाहिये; इसी प्रकार पाँच हाथ ऊंचे

१. क्षीरयावसिको विकः क्रीडार्थं ग्राह्यः ।
२. संजातलोहिता प्रतिच्छन्ना संलिप्तपक्षा समकक्ष्या व्यतिकीर्ण-
मांसा समतल्पतला जातद्रोणिकेति शोभाः ।
३. शोभावशेन व्यायामं भद्रं मन्दं च कारयेत् ।
मृगसङ्कीर्णलिङ्गं च कर्मस्वृतुवशेन वा ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे हस्त्यध्यक्षो नामैकत्रिंशोऽध्यायः;
आदितो द्विपञ्चाशः ।



अधम श्रेणी के हाथियों के आहार मध्यम हाथियों के आहार से चौथाई हिस्सा कम होना चाहिए ।

- १ दूध पीने वाले बच्चों को केवल क्रीडाकौतुक के लिए पकड़ा जाय और दूध, हरी घास या जई आदि के छोटे-छोटे प्रास देकर उनका पालन-पोषण किया जाय ।
- २ अवस्थानुसार हाथियों की सात प्रकार की शोभा मानी गई है; (१) जब हाथियों के शरीर में केवल हड्डी, चमड़ा ही रह जाय; फिर धीरे-धीरे खूब संचरने लगे, इस शोभा को संजातलोहिता कहते हैं; (२) जब मांस बढ़ने लगे, उस अवस्था की शोभा को प्रतिच्छन्ना कहते हैं; (३) जब दोनों ओर मांस भरने लगे, उस अवस्था को संलिप्तपक्षा कहते हैं; (४) जब सारे अवयवों में मांस भरने लगे, उस समय की शोभा को समकक्ष्या कहते हैं; (५) जब शरीर पर कहीं ऊंचा कहीं नीचा मांस दिखाई दे, उस शोभा को व्यतिकीर्णमांसा कहते हैं; (६) जब रीढ़ की हड्डी के बराबर मांस चढ़ जाय, उस अवस्था की शोभा को समतल्पतला कहते हैं; और (७) जब मांस रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ जाय, उस शोभा का नाम जातिद्रोणिका है ।
३. इस प्रकार अवस्थाओं को ध्यान में रखकर हाथियों को क्वायद सिखाई जाय । जिन हाथियों में उत्तम, मध्यम आदि सांकर्य लक्षण प्रकट हों, उनको युद्ध-सम्बन्धी कार्यों में लगाना चाहिए; अथवा ऋतुओं के अनुसार ही उन्हें युद्ध आदि कार्यों में लगाया जाय ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में एकतीसवाँ अध्याय समाप्त ।



घातकरणा ४८

अध्याय ३२

हरत्यद्यक्षः हरितप्रचारश्च

१. कर्मस्कन्धाः चत्वारः—दम्यः सान्नाह्य औपवाह्यो व्यालश्च ।
२. तत्र दम्यः पञ्चविधः—स्कन्धगतः स्तम्भगतो वारिगतोऽवपातगतो यूथगतश्चेति । तस्योपचारो विक्रमः ।
३. सान्नाह्यः सप्तक्रियापथः—उपस्थानं संवर्तनं संयानं वधावधौ

हाथियों की श्रेणियाँ तथा उनके कार्य

१. कार्य-भेद से हाथियों की चार श्रेणियाँ होती हैं : (१) दम्य (शिक्षा देने योग्य), (२) सान्नाह्य (युद्ध के योग्य), (३) औपवाह्य (सवारी के योग्य) और (४) व्याल (घातक वृत्तिवाला) ।
२. उनमें दम्य हाथी पाँच प्रकार का होता है : (१) स्कन्धगत (जो सूँड़ का सहारा देकर सवार को अपने ऊपर बैठा ले), (२) स्तम्भगत (जो हाथी खूँटे पर बंधा रह सके), (३) वारिगत (हाथियों की फंसाने वाली भूमि पर आ जाने वाला), (४) अवपातगत (हाथियों को फंसाने के लिए जंगलों में बनाये गये घास-फूस के गढ़ों में भाये हुये) और (५) यूथगत (जो हथिनियों के साथ विहार करने के व्यसनी हों) । दम्य हाथी की परिचर्या हाथी के बच्चे के समान करनी चाहिये ।
३. सान्नाह्य हाथी कार्य-भेद से सात प्रकार के होते हैं : (१) उपस्थान (आगे-पीछे के अङ्गों को ऊँचा-नीचा, छोटा-बड़ा करने वाला तथा रस्सी, वाँस, ध्वजा आदि को लाँघने वाला), (२) संवर्तन (सो जाने, त्रैठ जाने तथा कूदने-फांदने वाला), (३) संयान (सीधी-न्निरछी, गोलाकार चालों को समझने वाला), (४) वधावध (सँड, दाँत आदि से प्रहार करने या पकड़

हस्तियुद्धं नागरायणं साङ्ग्रामिकं च । तस्योपविचारः कक्ष्या-
कर्म ग्रैवेयकर्म गृथकर्म च ।

१. औपवाह्योऽष्टविधः—आचरणः, कुञ्जरौपवाह्यः, धोरणः, अधान-
गतिकः, यष्ट्युपवाह्यः, तोत्रोपवाह्यः, शुद्धोपवाह्यः, मार्गायु-
कश्चेति । तस्योपविचारः—शारटकर्म धीनकर्म नारोप्टकर्म च ।
२. व्याल एकक्रियापथः । तस्योपविचार आयम्यैकरक्षः कर्मशङ्कि-
तोऽवरुद्धो विपमः प्रभिन्नः प्रभिन्नविनिश्चयः मदहेतुविनिश्चयश्च ।

देने वाला), (५) हस्तियुद्ध (हर प्रकार के हाथियों से लड़ने वाला),
(६) नगरायण (नगर आदि को नष्ट करने वाला) और (७) सांग्रामिक (खुले
भूमि युद्ध करने वाला) । सन्नाह्य हाथी को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये
कि वह रस्सी बाँधने, गले में फन्दा डालने डालने और झुण्ड के अनुकूल
कार्य करने में चतुर हो जाय ।

१. औपवाह्य हाथी आठ प्रकार के होते हैं : (१) आचरण (उठने, बैठने, झुकने,
मुड़ने आदि अनेक प्रकार की गतियों को जानने वाला), (२) कुञ्जरौपवाह्य
(दूसरे हाथियों के साथ चाल चलने वाला), (३) धोरण (एक ही ओर से
अनेक प्रकार को चाल दिखाने वाला), (४) अधानगतिक (अनेक प्रकार
की चाल चलने वाला), (५) यष्ट्युपवाह्य (ताटने पर भी कार्य न करने
वाला), (६) तोत्रोपवाह्य (बरछी मारने पर भी कार्य न करने वाला),
(७) शुद्धोपवाह्य (बिना ताडे, पैर के इशारे से ही कार्य करने वाला)
और (८) मार्गायुक (शिकार मम्बन्धो कार्यों में निपुण) । उनको शिक्षा
देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हाथी अधिक मोटे हों उन्हें
दुबला बनाया जाय; जो स्वस्थ हों उनकी रक्षा की जाय; जो मेहनत न
करता हो उससे मेहनत करवाई जाय; इसी प्रकार प्रत्येक हाथी को हर
प्रकार के इशारों की शिक्षा दी जानी चाहिए ।

२. घातक (व्याल) हाथी से कार्य लेने का एक ही मार्ग है कि उसको बांध
कर रखा जाय या ढण्डे के जोर पर उसे कावू में रखा जाय । उसके
उपद्रवों से सावधान रहा जाय; उसके उपद्रव हैं : कवायद के समय बिगड़
जाना; कार्य की लापरवाही कर देना; मन्मानी करना; उन्मत्त हो जाना;

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४८, अध्याय ३२

१. क्रियात्रिपन्नो व्यालः । शुद्धः सुव्रतो विषमः सर्वदोषप्रदुष्टश्च ।
२. तेषां बन्धनोपकरणमनीकस्थप्रमाणम् । आलानग्रैवेयकक्ष्यापारायणपरिक्षेपोत्तरादिकं बन्धनम् । अंकुशवेणुयन्त्रादिकमुपकरणम् । वैजयन्तीक्षुरप्रमालास्तरणकुथादिकं भूषणम् । वर्म-तोमरशरावापयन्त्रादिकः सांग्रामिकालङ्कारः ।
३. चिकित्सकानीकस्थारोहकाधोरणहस्तिपकौपचारिक विधापाचक-यावसिकपादपाशिककुटीरक्षकौपशायिकादिरौपस्थायिकवर्गः ।

मद तथा आहार के लिए बेचैन हो जाना; और जिसके बिगड़ने का कारण पता ही न लगे ।

१. कार्य विगाड़ देने वाले दुष्ट हाथी को व्याल कहते हैं । उसके चार भेद हैं : (१) शुद्ध (जो केवल मारने वाला हो), (२) सुव्रत (जो ठीक से न चलता हो), (३) विषम (जो मारता भी हो और ठीक तरह से चलता भी न हो) और (४) सर्वदोषप्रदुष्ट (जिसमें सभी बुराईयाँ हों) ।
२. हाथियों पर कसी जाने वाली सारी सामग्री की व्यवस्था, चतुर हस्ति-शिक्षकों की राय से करनी चाहिए । हाथियों पर कसने के लिए खूंटा (आलान), गले की जंजीर (ग्रैवेयक), काँस में बाँधने की रस्सी (कक्ष्या), चढ़ते समय सहारा देने वाली रस्सी (परायण), हाथी के पैर में बाँधने की जंजीर (परिक्षेप) और उसके गले में बाँधने की रस्सी (उत्तर) । अंकुश, बाँस का ढंडा और अम्बारी (यन्त्र) आदि उसके लिए अन्य उपकरण हैं । इसके अतिरिक्त वैजयन्ती (हाथी के ऊपर लगाये जाने वाली पताका), क्षुरप्रमाला (उसको पहनाने की माला), आस्तरण (अंबारी के नीचे का गद्दा) और कुथ (झूला); यह सामग्री हाथियों को सजाने के लिए है । हाथियों के संग्राम-संबन्धी अलङ्करण हैं : कवच, तोमर, तूणीर और भिन्न-भिन्न प्रकार के हथियार ।
३. गजवैद्य, गजशिक्षक, गजारोही, गजसंबन्धी-शास्त्रोक्त विधियों का ज्ञाता, गजरक्षक, नहलाने-धुलाने वाला, खाना बनाने वाला, चारा देने वाला, बाँधने वाला, गजशाला का रक्षक और हाथी की सोने की जगह का प्रबन्ध करने वाला; ये सब हाथी की परिचर्या करने वाले कर्मचारी हैं ।

१. चिकित्सककुटोरसविधापाचकाः प्रस्थौदनं स्नेहप्रसृति क्षार-
लवणयोश्च द्विपलिकं हरेयुः । दशपलं मांसस्यान्यत्र
चिकित्सकेभ्यः ।
२. पथिव्याधिकर्ममदजराभितप्तानां चिकित्सकाः प्रतिहुर्युः ।
३. स्थानस्याशुद्धिर्यक्सस्याग्रहणं स्थले शायनसभागे घातः पग-
रोहणसकाले यानमभूमावतीर्थेऽवतारणं तरुषण्ड इत्यत्ययस्था-
नानि । तमेषां शक्तयेतनादाददीत ।
४. तिस्रो नीराजनाः कार्याश्चातुर्मास्यृतुसन्धिषु ।
भूतानां कृष्णसन्धीज्याः सेनान्यः शुक्लसन्धिषु ॥

१. गजवैद्य, गजशाला का रक्षक और हाथियों का रसोइया, ये तीनों हाथी के आहार में से एक प्रस्थ अन्न, आधी अञ्जली तेल या घी तथा दो पल गुड़ एवं नमक ले लिया करें। गजवैद्य को छोड़ कर बाकी दोनों सेवक दस-दस पल मांस भी ले ले।
२. रास्ता चलने से, बीमारी के कारण, अधिक कार्य करने से, मद के कारण तथा बुढ़ापे की वजह से हाथियों को कोई भी कष्ट हो जाय तो गजवैद्य सावधानी से उनकी चिकित्सा करें।
३. हाथी के स्थान की सफाई न करना, उसे खाना न देना, उसको खाली जगह सुला देना, उसके नाजुक स्थानों पर चोट मारना, किसी अनधिकारी व्यक्ति को उस पर चढ़ाना, बेसमय हाथी को चलाना, बिना घाट के ही उतार देना, वने पेड़ों के बीच हाथी को ले जाना; हाथियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को दण्डित किया जाना चाहिए। वह दण्ड उनके भत्ते और वेतन में से काट लिया जाय।
४. हाथियों की बल-वृद्धि और उनके कुशल-क्षेम के लिए चार मास बाद ऋतु-सन्धि की तिथि पर वर्ष में तीन बार नीराजना कर्म कराया जाय; प्रत्येक अमावास्या पर भूतबलि और प्रत्येक पूर्णमासी पर स्कन्दपूजा भी करवाई जाय।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४८, अध्याय ३२

१. दन्तमूलपरीणाहद्विगुणं प्रोज्झय कल्पयेत् ।
अब्दे द्वयर्धे नदीजानां पश्चाब्दे पर्वतौकसाम् ॥

हस्त्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाधिकरणे हस्तिप्रचारो नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः;
आदितः त्रिपञ्चाशः ।



१. हाथी का दाँत जड़ में जितना मोटा हो, उससे दुगुना हिस्सा छोड़कर, आगे का बाकी हिस्सा कटा देना चाहिए। जो हाथी नदीचर हों, उनके दाँत ठाई वर्ष के बाद और जो हाथी पर्वतों के रैवासी हों उनके दाँत पाँच वर्ष के बाद कटवाने चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।



अध्याय ३३

रथाध्यक्षः पट्यध्यक्षः सेनापतिप्रचारः

१. अश्वान्यक्षेण रथाध्यक्षो व्याख्यातः ।
२. स रथकर्मान्तान् कारयेत् ।
३. दशपुखो द्वादशान्तरो रथः । तस्मादेकान्तरावरा आ षडन्त-
रादिति सप्त रथाः ।
४. देवरथपुण्यरथसांग्रामिकपारियाणिकपरपुराभियानिकवैनयिकांश्च
रथान् कारयेत् ।

रथसेना तथा पैदलसेना के अध्यक्षों और सेनापति के
कार्यों का निरूपण

१. रथसेना के अध्यक्ष के कार्य : पिछले प्रकरण में अश्वशाला के अध्यक्ष के जो-जो कार्य बताये गये हैं, उन्हीं के अनुसार रथ का अध्यक्ष भी अपनी जुम्मेदारी के कार्यों की व्यवस्था करे ।
२. उसको चाहिए कि वह नये-नये रथ बनवाये और जीर्ण हो जाने पर उनकी मरम्मत करवाये ।
३. एक सौ बीस अङ्गुल ऊँचा और उतना ही लम्बा रथ उत्तम कोटि का माना जाता है । सबसे बड़ा रथ बारह बित्ता लम्बा होता है; उसमें एक-एक बित्ता कम करके अन्त में सबसे छोटा रथ छह बित्ते का होता है । रथ सात प्रकार के होते हैं ।
४. रथाध्यक्ष को चाहिए कि वह विभिन्न कार्यों के उपयोगी देवरथ (यात्रा, उत्सव आदि के लिए), पुण्यरथ (विवाह आदि कार्यों के लिए), सांग्रामिक (युद्ध आदि कार्यों के लिए), पारियाणिक (सामान्य यात्रा के लिए), परपुराभियानिक (शत्रु के दुर्ग को ढाहने के लिए) और वैनयिक (घोड़े आदि को सिखाने के लिए) आदि अलग-अलग रथों का निर्माण करवाये ।

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ४६-५०, अध्याय ३३

१. इष्वस्त्रप्रहरणावरणोपकरणकल्पनाः सारथिरथिकरथ्यानां च कर्मस्वायोगं विद्यात् । आ कर्मभ्यश्च भक्तवेतनं भृतानामभृतानां च योग्यारक्षानुष्ठानमर्थमानकर्म च ।
२. एतेन पर्यध्यक्षो व्याख्यातः । स मौलभृतश्रेणिमित्रामित्रा-टवीबलानां सारफल्गुतां विद्यात् । निम्नस्थलप्रकाशकूटखन-काकाशदिवारात्रियुद्धव्यायामं च विद्यात् । आयोगमयागं च कर्मसु ।
३. तदेव सेनापतिः सर्वयुद्धप्रहरणविद्याविनीतां हस्त्यश्वरथचर्या-संघुष्टश्चतुरङ्गस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानं विद्यात् ।

१. रथाध्यक्ष को चाहिए कि वह बाण, तूणीर, धनुष, अस्त्र, तोमर, गदा, रथ के झूलों, और लगाम आदि सामग्री के सम्बन्ध में; तथा सारथि, रथ बनाने वाला, रथ के घोड़े आदि के कार्यों की पूरी जानकारी रखे। रथाध्यक्ष का यह भी कर्तव्य है कि वह नियमित रूप से कार्य करने वाले तथा अस्थायी रूप से कार्य करने वाले कारीगरों एवं कर्मचारियों के उचित वेतन-भत्ता तथा निर्वाहयोग्य धन की व्यवस्था करे एवं उनका आदर-सत्कार करे।

२. पैदल सेना के अध्यक्ष के कार्य : रथाध्यक्ष के ही समान पर्यध्यक्ष की आरम्भिक कार्य-व्यवस्था को भी समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह राजधानी की रक्षा करने वाली सेना (मौलबल), वेतनभोगी सेना (भृतबल), विभिन्न प्रदेशों में रखी गई सेना (श्रेणिवल), मित्रराजा की सेना (मित्रबल), शत्रुराजा की सेना (अमित्रबल) और जङ्गल की सुरक्षा के लिए नियुक्त सेना (अटवीबल) के सामर्थ्य-असमर्थ्य की पूरी जानकारी रखे। इसके अतिरिक्त वह, जङ्गल, तराई, मोर्चाबंदी, छल कपट, खाई, हवाई, दिन और रात आदि सभी प्रकार के युद्धों की जानकारी प्राप्त करे। देश-काल की दृष्टि से सेनाओं की उपयोगिता और अनुपयोगिता का भी वह ज्ञान रखे।

३. सेनापति के कार्य : सेनापति को चाहिए कि वह अथाध्यक्ष से लेकर पर्यध्यक्ष तक के सम्पूर्ण कार्य-व्यापार को भली भाँति समझे; सेनापति को हर प्रकार के युद्ध करने, हथियार चलाने और आन्वीक्षिकी आदि शास्त्रों में

१. स्वभूमिं युद्धकालं प्रत्यनोकमभिन्नभेदनं भिन्नसन्धानं संहत-
भेदनं भिन्नवधं दुर्गवधं यात्राकालं च पश्येत् ।
२. तूर्यध्वजपताकाभिव्यूहसंज्ञाः प्रकल्पयेत् ।
स्थाने याने ग्रहरणे सैन्यानां विनये रतः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे रथाध्यक्ष-पत्त्यध्यक्ष-सेनापतिप्रचारो नाम
त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः; आदितः चतुष्पञ्चाशः ।



पारंगत होना, चाहिए; हाथी, घोड़े और रथ चलाने की भी पूरी योग्यता उसमें होनी चाहिए; चतुरङ्गिणी सेना के कार्य और स्थान की भी उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए ।

१. इसके अतिरिक्त उसमें, अपनी भूमि, युद्धकाल, शत्रुसेना, शत्रुव्यूह का तोड़ना, विखरी हुई सेना को समेटना, विखरी हुई शत्रुसेना का मर्दन करना, दुर्ग तोड़ना और उचित समय पर युद्ध के लिए प्रस्थान करना, इन सभी बातों को समझने-करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए ।
२. सेनापति को चाहिए कि युद्धकाल में अपनी सेना को संचालित करने के लिए वह चढ़ाई करने, कूच करने एवं धावा बोलने के लिए बाजे, ध्वजा तथा झण्डियों के द्वारा ऐसे इशारों का प्रयोग करे, जिन्हें शत्रुसेना न समझ सके ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में तैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।



मुद्राध्यक्षः विविताध्यक्षः

१. मुद्राध्यक्षो मुद्रां माषकेण दद्यात् ।
२. समुद्रो जनपदं प्रवेष्टुं निष्क्रमितुं वा लभेत् ।
३. द्वादशपणममुद्रो जानपदो दद्यात् । कूटमुद्रायां पूर्वः साहस-
दण्डः । तिरोजनपदस्योत्तमः ।
४. विविताध्यक्षो मुद्रां पश्येत् ।
५. भयान्तरेषु च विवितं स्थापयेत् । चोरव्यालभयान्निम्नार-
ण्यानि शोधयेत् ।

मुद्राविभाग और चारागाहविभाग के अध्यक्ष

१. मुद्रा-विभाग का अध्यक्ष : मुद्रा-विभाग के अध्यक्ष को चाहिये कि वह जनपद में आनेवाले और नगर से जानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को राजक्रीय मुहर लगा हुआ पासपोर्ट दे तथा बदले में एक माषक टैक्स वसूल करे ।
२. जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट हो वही जनपद में प्रवेश कर सकता है और वही जनपद से बाहर जा सकता है ।
३. अपने जनपद में रहनेवाला कोई पुरुष बिना पासपोर्ट के यदि प्रवेश करे या बाहर जाये तो उस पर चारह पण दण्ड किया जाना चाहिये । अपने ही राज्य का कोई व्यक्ति यदि जाली पासपोर्ट लेकर आना-जाना चाहे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिये, यदि दूसरे देश का व्यक्ति ऐसा करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड देना चाहिये ।
४. चरागाह-विभाग का अध्यक्ष : विविताध्यक्ष का कार्य है कि जो व्यक्ति बिना पासपोर्ट या जाली पासपोर्ट लेकर छिपे तौर से जंगलों के रास्ते होकर सफर करते हुए पकड़ा जाय उसके गिरफ्तार कर लें ।
५. जिन स्थानों से चोर, शत्रु या शत्रु के गुप्तचर आदि के आने-जाने की संभावना हो, ऐसे स्थानों पर चरागाह (विवित) स्थापित किये जायं । चोर और

१. अनुदके कूपसेतुबन्धोत्सान् स्थापयेत् , पुष्पफलवाटांश्च ।
२. लुब्धकश्चगणिनः परिव्रजेयुररण्यानि । तस्करामित्राभ्यागमे शंखदुन्दुभिश्चमग्राह्याः कुर्युः शैलवृक्षाधिरूढा वा शीघ्रवाहना वा ।
३. अमित्राटवीसंचारं च राज्ञो गृहकपोतैर्मुद्रायुक्तैर्हारयेयुः धूमाग्निपरम्परया वा ।
४. द्रव्यहस्तिवनाजोवं वर्तनीं चोररक्षणम् ।
सार्थातिवाह्यं गोरक्ष्यं व्यवहारं च कारयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे मुद्राध्यक्ष-विविताध्यक्षो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः; आदितः पञ्चपञ्चाशः ।



- हिंसक जानवरों के संभावित घने जंगलों में भी खाइयाँ और गुफायें बनाकर निगरानी रखनी चाहिये ।
१. जिस जगह पानी का अभाव हो वहाँ पक्के कुएँ, पक्के तालाब, फूल तथा फलों के बगीचे और प्याऊ आदि की व्यवस्था की जाय ।
 २. शिकारी और बहेलिये निरन्तर जंगलों में घूमते रहें । उन्हें चाहिये कि वे चोर या शत्रुओं के आने की सूचना पहाड़ पर या वृक्ष पर चढ़कर अथवा शंख-दुन्दुभी बजाकर अन्तपाल को पहुँचायें; अथवा शीघ्रगामी घोड़ों पर चढ़कर वे इस सूचना को अन्तपाल तक पहुँचावें ।
 ३. यदि जंगल में शत्रु आ जाँय तो सुहर लगे पालतू कबूतरों के द्वारा उसका समाचार राजा तक पहुँचाया जाय; यदि रात को शत्रु जंगल में प्रवेश करें तो आग जलाकर और दिन में धुआँ लुङ्ग करके सूचित करें ।
 ४. विविताध्यक्ष का कार्य है कि वह द्रव्यवनों और हस्तिवनों के घास, लकड़ी तथा कोयले आदि का भी प्रवन्ध करें; दुर्ग के रास्ते जाने का टैक्स, चोरों से की हुई रक्षा का टैक्स, गोरक्षा का टैक्स तथा इन सभी वस्तुओं के खरीद-फरोक्त का प्रवन्ध भी विविताध्यक्ष ही करवाए ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में चौतीसवाँ अध्याय समाप्त ।



शुक्ररुण ५३-५४

अध्याय ३५

समाहर्तृप्रचारः

गृहपतिवैदेहकतापमव्यञ्जनाः प्राणिधयः

१. समाहर्ता चतुर्धा जनपदं विभज्य ज्येष्ठमध्यमकनिष्ठविभागेन ग्रामाग्रं परिहारकमायुधीयं धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रतिकर-मिदमेतावदिता निबन्धयेत् ।
२. तत्प्रदिष्टः पञ्चग्रामीं दशग्रामीं वा गोपश्चिन्तयेत् ।
३. सीमावरोधेन ग्रामाग्रं कृष्टाकृष्टस्थलकेदारारामषण्डवाटवनवास्तु-चैत्यदेवगृहसेतुबन्धश्मशानसत्रप्रपापुण्यस्थानविधीतपथिसंख्या-

समाहर्ता और गुप्तचरों के कार्यों का निरूपण

१. समाहर्ता (रेव्यू कलक्टर) को चाहिये कि वह सारे जनपद को चार हिस्सों में बाँटकर उन्हें श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ के क्रम से उनकी गणना, उपज, भौगोलिक परिस्थिति उनका नकशा, खसरा एवं रकवा आदि को अपने रजिस्टर में दर्ज कर ले; जो गाँव नियमित रूप से सैनिक जवानों को दें, तथा जो गाँव अन्न, पशु, सोना, चाँदी, नौकर-चाकर आदि को नियमित रूप से दें, उनका व्योरा भी रजिस्टर में दर्ज कर लें ।
२. समाहर्ता के आदेशानुसार पाँच-पाँच या दस-दस गावों का एक-एक केन्द्र बनाकर उसका प्रबन्ध गोप नामक अधिकारी करे ।
३. नदी, पहाड़, जंगल, दीवाल आदि के द्वारा गाँवों की सरहदबन्दी करके उसको रजिस्टर में चढ़ाया जाय; खेतों का व्योरा चढ़ाने वाले रजिस्टर में हतनी चाते दर्ज रहनी चाहिये : खेती योग्य जमीन; खेती के अयोग्य या पथरीली जमीन; ऊँची-नीची जमीन, साठी-गेहूँ योग्य जमीन; बाग-बगीचे योग्य जमीन; केले के योग्य जमीन; ईख के योग्य जमीन; जंगल के योग्य जमीन, आवादी के योग्य जमीन; चैत्य, देवालय, तालाब, श्मशान, अन्नक्षेत्र,

नेन क्षेत्राग्रं, तेन सीम्नां क्षेत्राणां च मर्यादारण्यपथिप्रमाण-
सम्प्रदानविक्रयानुग्रहपरिहारनिवन्धान् कारयेत् । गृहाणां च
करदाकरदसंख्यानेन ।

१. तेषु चैतावच्चातुर्वर्ण्यमेतावन्तः कर्षकगोरक्षकवैदेहकारुकर्मकर-
दासाश्चैतावच्च द्विपदचतुष्पदमिदं च हिरण्यविष्टिशुल्कदण्डं
समुत्तिष्ठतीति ।
२. कुलानां च स्त्रीपुरुषाणां बालवृद्धकर्मचरित्राजीवव्ययपरिमाणं
विधात् ।
३. एवञ्च जनपदचतुर्भागं स्थानिकः चिन्तयेत् ।

प्याऊ, तीर्थस्थान, चरागाह; और रथ-गाड़ी तथा पैदल मार्ग के योग्य जमीन । इसी प्रकार नदी, पर्वत आदि सरहद और खेतों की लम्बाई-चौड़ाई का भी उल्लेख होना चाहिये । इन बातों के अलावा ऐसे जंगल, जो ग्राम-वासियों के काम न आते हों, खेतों में जाने-आने के रास्ते, उनकी नाप, किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कौन खेत जोतने के लिए दिया है, बिक्री का व्योरा, तकाबी, मुस्तबी और छूट आदि का भी उल्लेख होना चाहिए । साथ ही रजिस्टर में यह भी दर्ज होना चाहिये कि वहाँ कितने घर, जमीन की किस्त तथा मकानों का किराया देने वाले हैं और कितने नहीं हैं ।

१. रजिस्टर में इस बात का उल्लेख किया जाय कि उन घरों में इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य और इतने शूद्र रहते हैं; इसी प्रकार वहाँ के किमान, ग्वाले, व्यापारी, कारीगर, मजदूर और दासों की संख्या भी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिये; फिर सारे मनुष्यों और सारे पशुओं का जोड़ अलग अलग लिया जाय; अन्त में इनसे इतना सोना, इतने नौकर-चाकर, इतना टैक्स और इतना दण्ड राजाको प्राप्त हुआ, यह भी जोड़ देना चाहिये ।
२. गोप नामक अधिकारी को चाहिये कि वह प्रत्येक परिवार के स्त्री पुरुष, बालक तथा वृद्ध की गणना और उनके कार्य, चरित्र, आजीविका एवं व्यय आदि के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखे ।
३. इसी प्रकार जनपदके चौथे हिस्से का प्रबन्ध स्थानिक नामक अधिकारी करे ।

१. गोपस्थानिकस्थानेषु प्रदेशारः कार्यकरणं बलिप्रग्रहं च कुर्युः ।
२. समाहर्तृप्रदिष्टाश्च गृहपतिकव्यञ्जना येषु ग्रामेषु प्रणिहितास्तेषां ग्रामाणां क्षेत्रगृहकुलाग्रं विद्युः । मानसञ्जाताभ्यां क्षेत्राणि भोगपरिहाराभ्यां गृहाणि वर्णकर्मभ्यां कुलानि च । तेषां जङ्घाग्रमायव्ययौ च विद्युः । प्रस्थितागतानां च प्रवासावास-कारणमनर्थ्यानां च स्त्रीपुष्पाणां चारप्रचारं च विद्युः ।
३. एवं वैदेहकव्यञ्जनाः स्वभूमिजानां राजपण्यानां खनिसेतुवन-कर्मान्तक्षेत्रजानां परिमाणमर्घ्यं च विद्युः । परभूमिजातानां

१. गोप और स्थानिक के कार्यक्षेत्र में प्रदेशार (कण्टक शोधनाधिकारी) नामक अधिकारी राज्य के शत्रुओं का दमन करे । गोप और स्थानिक टैक्स न देने वालों से टैक्स वसूल करें । राज्य के बलवान व्यक्ति यदि शासन में विघ्न-बाधा उपस्थित करें तो उनका भी वे दमन करें ।

२. गृहस्थ (गृहपति) के वेश में रहने वाले गुप्तचर, समाहर्ता की आज्ञानुसार अपने क्षेत्र के गावों का रकबा, घर और परिवारों की तादात को अच्छी तरह से जाने । वे गुप्तचर यह नोट रखें कि कौन खेत कितने बड़े हैं और उनकी उपज क्या है; किस घर में कर वसूल किया जाता है और कौन घर छोड़ा जाता है; यह परिवार ब्राह्मणों का है या क्षत्रियों का और वे क्या-क्या कार्य करते हैं । वे गुप्तचर यह भी जाने कि उन परिवारों के प्राणियों (मनुष्यों तथा पशुओं) की संख्या कितनी है और उनकी आमदनी खर्च के जरिये क्या है । एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने-आने वाले लोगों और अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह बस जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में; राजा से सम्बन्ध न रखने वाली नर्तकियों, जुआरियों, भांडों आदि के आवास-प्रवास पर भी वे गुप्तचर निगरानी रखें; और यह भी जाने कि शत्रुओं के गुप्तचर कहाँ-कहाँ पर रहकर क्या-क्या कार्य कर रहे हैं ।

३. इन्हीं प्रकार व्यापारी के वेष में रहनेवाले गुप्तचर (वैदेहक) समाहर्ता के आदेशानुसार अपने अधिकार-क्षेत्र में उत्पन्न और बची जाने वाली सरकारी वस्तुओं, खनिज पदार्थों, तालाबों, जंगलों तथा कारखानों से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की तौल एवं कीमत को अच्छी तरह से समझे । विदेशी

वारिस्थलपथोपयातानां सारफल्गुपण्यानां कर्मसु च, शुल्क-
वर्तन्यातिवाहिकगुल्मतरदेयभागभक्तपण्यागारप्रमाणं विद्युः ।

१. एवं समाहर्तृप्रदिष्टास्तापसव्यञ्जनाः कर्षकगोरक्षकवैदेहकानाम-
ध्यक्षाणां च शौचाशौचं विद्युः । पुराणचोरव्यञ्जनाश्चान्तेवा-
सिनश्चैत्यचतुष्पथशून्यपदोदपाननदीनिपानतीर्थायतनाश्रमार-
ण्यशैलवनगहनेषु स्तेनामित्रप्रवीरपुरुषाणां च प्रवेशनस्थानगमन-
प्रयोजनान्युपलभेरन् ।

२. समाहर्ता जनपदं चिन्तयेदेवमुत्थितः ।

चिन्तयेयुश्च संस्थास्ताः संस्थाश्चान्याः स्वयोनयः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे गृहपतितापसव्यञ्जनप्रणिधिर्नाम पंचविंशोऽ-
ध्याय ; आदितः षट्पञ्चाशः ।



व्यापारियों ने चुङ्गी, सीमाकर, मार्गरत्ता का कर, नाव कर, अन्तपाल का
टैक्स, साझेदारी का हिस्सा, भत्ता, भोजन-व्यय और बाजार आदि का टैक्स
कितना दिया है, यह भी वे जानें ।

१. इसी प्रकार तपस्वी के वेष में रहने वाले गुप्तचर (तापस), समाहर्ता की
आज्ञानुसार, अपने क्षेत्र में रहनेवाले किसान, खाले, व्यापारी और अध्येत्यों
की ईमानदारी तथा बेईमानी के रहस्यों को जानें । पुराने चोरों के वेष में
रहनेवाले उन तापस गुप्तचरों के शिष्य (पुराणचोर) देवालय, चौराहा,
निर्जन स्थान, तालाब, नदी, कुओं के समीपस्थ जलाशय, तीर्थस्थान,
आश्रम, जंगल, पहाड़ और घना जंगल आदि स्थानों में ठहर कर चोरों,
शत्रुओं, शत्रुओं के भेजे हुए तीक्ष्ण तथा रसद आदि गुप्तचरों का ठीक-ठीक
पता लगायें ।

२. इस प्रकार अपने कार्यों में तत्पर समाहर्ता जनपद की रक्षा का प्रबन्ध करें
और उसकी आज्ञा से कार्य करने वाले गुप्तचर एवं उनके विभिन्न संघ,
संस्था आदि जनपद के प्रबन्ध में तत्पर रहें ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।



नागरिकप्रणिधिः

१. समाहर्तृवन्नागरिको नगरं चिन्तयेत् ; दशकुलीं गोपो, विंशति-कुलीं चत्वारिंशत्कुलीं वा । स तस्यां स्त्रीपुरुषाणां जातिगोत्र-नामकर्मभिः जङ्घाग्रमायव्ययौ च विद्यात् ।
२. एवं दुर्गचतुर्भागं स्थानिकश्चिन्तयेत् ।
३. धर्मावसथिनः पाषण्डिपथिकानावेद्य वासयेयुः । स्वप्रत्ययाश्च तपस्विनः श्रोत्रियांश्च ।
४. कारुशिल्पिनः स्वकर्मस्थानेषु स्वजनं वासयेयुः । वैदेहकाश्चान्योन्यं स्वकर्मस्थानेषु । पण्यानामदेशकालविक्रेतारमस्वकरणं च निवेदयेयुः ।

नागरिक के कार्य

१. समाहर्ता की तरह नागरिक अधिकारी भी नगर के प्रबन्ध की चिन्ता करे । उत्तम दस कुलों, मध्यम बीस कुलों और अधम चालीस कुलों का प्रबन्ध गोप नामक अधिकारी करे । उन कुलों के स्त्री-पुरुषों के वर्ण, गोत्र-नाम कार्य, उनकी संख्या और उनके आय-व्यय के सम्बन्ध के वह भली भाँति जाने ।
२. इसी प्रकार दुर्ग के चौथे हिस्से का प्रबन्ध, अर्थात् दुर्ग में रहने वाले स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में उक्त जानकारी स्थानिक नामक अधिकारी प्राप्त करे ।
३. धर्मशाला के प्रबन्धक को चाहिए कि वह, धूर्त-पाखण्डी मुसाफिरो को गोप की अनुमति से ही टिकाये; किन्तु जिन तपस्वियों या श्रोत्रियों को वह स्वयं जानता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर भी टिका सकता है ।
४. मोटे तथा महीन कार्य को करने वाले सुपरिचित एवं विश्वस्त कारीगर को अपने कार्य करने के स्थानों में ठहराया जा सकता है । व्यापारी लोग अपने जान-पहिचान वाले व्यापारियों को अपनी-अपनी दूकानों में ठहरा सकते हैं;

१. शौण्डिकपात्रमांसिकौदनिकरूपाजीवाः परिज्ञातमावासयेयुः ।
अतिव्ययकर्तारभत्याहितकर्माणं च निवेदयेयुः ।
२. चिकित्सकः प्रच्छन्नव्रणप्रतीकारकारयितारमपथ्यकारिणं च
गृहस्वामी च निवेद्य गोपस्थानिकयोर्मुच्यते । अन्यथा
तुल्यदोषः स्यात् ।
३. प्रस्थितागतौ च निवेदयेत् । अन्यथा रात्रिदोषं भजेत् ।
क्षेमरात्रिषु त्रिपणं दद्यात् ।
४. पथिकोत्पथिकाश्च बहिरन्तश्च नगरस्य देवगृहपुण्यस्थानवनश्म-

किन्तु देश-काल के विपरात व्यापार करने वाले या दूसरे के सामान को अपने व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति की सूचना नागरिक को कर देनी चाहिए ।

१. मद्य-मांस बेचने वाले, होटल वाले और वेश्याये अपने-अपने परिचितों को अपने घर ठहरा सकते हैं । जो व्यक्ति अधिक खर्चीला दीखे या अधिक शराब पीता हो, उसकी सूचना गोप अथवा स्थानिक के पास भेज देनी चाहिए ।
२. जो व्यक्ति हथियार लगे अपने घावों का इलाज छिपा कर कराता है और रोग या महामारी आदि फैलाने वाले द्रव्यों का छिपे तौर से उपयोग करता है, उसका इलाज करने वाला वैद्य यदि उसके इन कार्यों की सूचना गोप या स्थानिक को दे देता है तो वह अदण्ड्य है; किन्तु यदि वह सूचना न दे तो अपराधी के समान ही उसको भी दण्ड दिया जाना चाहिए; जिस घर में ऐसे कार्य किए जाते हों उस घर का मालिक यदि गोप या स्थानिक को सूचित कर देता है तो वह क्षम्य है; अन्यथा उसको भी अपराधी के समान दण्ड दिया जाना चाहिए ।
३. घर के मालिक को चाहिए कि वह घर से जाने वाले या घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना गोप को दे । अन्यथा वे लोग रात्रि में यदि किसी की चोरी आदि करें तो गृहस्वामी उसके लिए उत्तरदायी समझा जायगा । वे लोग भले ही कुछ भी अपराध न करें; किन्तु सूचना न देने के अपराध में गृहस्वामी प्रतिरात्रि तीन पण दण्ड का भागी है ।
४. व्यापारियों के वेश में बड़े-बड़े भागों पर घूमने वाले, ग्वाल तथा लकड़हारे

दूसरा अधिकरण : प्रकरण ५५, अध्याय ३६

शानेषु सत्रणमनिष्टोपकरणमुद्गाण्डोकृतमाविग्निमतिश्वप्नमध्व-
क्लान्तमपूर्व वा गृहीयुः ।

१. एवमभ्यन्तरे शून्यनिवेशवेशनशौण्डिकौदनिकपाकमांसिकद्युत-
पाषण्डावासेषु विचयं कुर्युः ।
२. अग्निप्रतीकारं च ग्रीष्मे मध्यमयोरहश्चतुर्भागयोः । अष्ट-
भागोऽग्निदण्डः । बहिरधिभ्रयणं वा कुर्युः ।
३. पादः पञ्चघटीनाम् । कुम्भद्रोणीनिःश्रेणीपरशुशूर्पाङ्कुशकच-
ग्रहणीद्वतीनां चाकरणे ।

के वेश में रास्ता छोड़कर जङ्गलों में घूमने वाले, नगर के भीतर या बाहर बने हुए मन्दिरों, तीर्थों, जङ्गलों या इनशानों, कहीं भी, हथियार से घायल, हथियार तथा विष को लिए हुए, सामर्थ्य से अधिक भार उठाए हुए, ढरे हुए, बबड़ाये हुए, घोर निद्रा में सोये हुए, थके हुए या इसी प्रकार का कोई अजनबी पन किए हुए, इस प्रकार के सन्दिग्ध व्यक्ति को पकड़कर नागरिक के सुपुर्द कर देना चाहिए ।

१. इसी प्रकार नगर के खंडहरों में, कल-कारखानों में, शराब की दूकानों में, होटलों में, मांस बेचने वाली दूकानों में, जुआघरों में, पाखंडियों के अड्डों में कोई सन्दिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो, गुप्तचर उसको पकड़ कर नागरिक को सौंप दें ।
२. गर्मी की ऋतु में मध्याह्न के चार भागों में आग जलाने की मनाही कर देनी चाहिए । जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसे एक पण का आठवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय । अथवा (यदि आवश्यक ही हो तो) घास-फूस के मकानों के बाहर खुली जगह में आग जलाई जाय ।
३. यदि कोई व्यक्ति निपिद्ध समय में पाँच बड़ी तक आग जलावे तो उसे चौथाई पण दण्ड दिया जाय; और उस व्यक्ति को भी यही दण्ड दिया जाय, जो गर्मी के मौसम में अपने घर के सामने पानी से भरे बडे, पानी से भरी नाँद, सीढ़ी, कुल्हाड़ा, सूप, छाज, कौंचा, फूस आदि को निकालने के लिए लम्बा लट्ट, और चमड़े की मशक आदि वस्तुओं का हन्तजाम करके न रखे ।

१. तृणकटच्छन्नान्यपनयेत् । अग्निजीविन एकस्थान् वासयेत् । स्वगृहप्रद्वारेषु गृहस्वामिनो वसेयुरसम्पातिनो रात्रौ । रथ्यासु कुटत्रजाः सहस्रं तिष्ठेयुः, चतुष्पथद्वारराजपरिग्रहेषु च ।
२. प्रदीप्तमनभिधावतो गृहस्वामिनो द्वादशपणो दण्डः । षट्पणोऽवक्रयिणः । प्रमादादीप्तेषु चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।
३. प्रादीपिकोऽग्निना वध्यः ।
४. पांसुन्यासे रथ्यायामष्टभागो दण्डः । पङ्कोदकसन्निरोधे पादः । राजमार्गो द्विगुणः ।

१. गर्मी की मौसम में फूस और चटाई के बने मकानों को एकदम उठा देना चाहिए । बढई और लुहार आदि को किसी एक जगह में ही बसाया जाना चाहिए । घरों के स्वामियों को रात को अपने ही दरवाजों पर सोना चाहिए । गलियों तथा बाजारों में पानी से भरे हुए एक हजार घड़ों का हर समय प्रवध रहना चाहिए । हूसी प्रकार चौराहों, नगर के प्रधान द्वारों, खजानों कोष्ठागारों, गजशालाओं और अश्वशालाओं में भी पानी के भरे हजार-हजार घड़ों का हर समय इंतजाम रहना चाहिए ।
२. यदि गृहस्वामी घर में लगी हुई आग को बुझाने का प्रबंध न करे तो उस पर बारह पण दण्ड कर देना चाहिए । उस घर में रहने वाला किरायादार भी यदि ऐसा ही करे तो उसे छह पण का दण्ड दिया जाना चाहिए । यदि धोखे से अपने घर में ही आग लग जाय तो गृहस्वामी को चौवन पण दण्ड देना चाहिए ।
३. मकान में आग लगाने वाला व्यक्ति यदि पकड़ लिया जाय तो उसे प्राण दण्ड की सजा देनी चाहिए ।
४. सड़क पर मिट्टी या कूड़ा-करकट डालने वाले व्यक्ति को पण का आठवाँ हिस्सा ($\frac{1}{8}$ पण) दण्ड दिया जाना चाहिए । जो व्यक्ति गाड़ी, कीचड़ या पानी से सड़क को रोके उसे $\frac{1}{4}$ पण दण्ड दिया जाना चाहिए । जो व्यक्ति राजमार्ग को इस प्रकार गन्दा करे या रोके उसे दुगुना दण्ड दिवा जाना चाहिए ।

१. पुण्यस्थानोदकस्थानदेवगृहराजपरिग्रहेषु पणोत्तरा विष्टा-
दण्डाः । मूत्रेष्वर्धदण्डाः ।
२. भैषज्यव्याधिभयनिमित्तमदण्ड्याः ।
३. मार्जारश्चनकुलसर्पप्रेतानां नगरस्यान्तरुत्सर्गे त्रिपणो दण्डः ।
खरोष्ट्राश्चतराश्चपशुप्रेतानां षट्पणः । मनुष्यप्रेतानां पञ्चा-
शत्पणः ।
४. मार्गविपर्यासे शवद्वारादन्यतः शवनिर्णयने पूर्वः साहस-
दण्डः । द्वाःस्थानां द्विशतम् । श्मशानादन्यत्र न्यासे दहने
च द्वादशपणो दण्डः ।

१. राजमार्ग पर मल-त्याग करने वालों को एक पण, पवित्र तीर्थस्थानों पर मल-
त्याग करने वालों को दो पण, जलाशयों पर मल-त्याग करने वालों पर तीन
पण, देवालय में मल-त्याग करने वालों पर चार पण और खजाना, कोष्ठागार
आदि स्थानों पर मल-त्याग करने वाले व्यक्तियों पर पाँच पण दण्ड किया
जाना चाहिए । इन्हीं स्थानों में यदि कोई व्यक्ति पेशाब करे तो उस पर
इसका भाधा दण्ड किया जाना चाहिए ।
२. यदि जुलाब लेने के कारण, या अतिसार, प्रमेह आदि बीमारियों के कारण,
अथवा किसी डर से, उक्त स्थानों में कोई व्यक्ति मल-मूत्र-त्याग करे तो
उसे दण्ड नहीं देना चाहिए ।
३. मरे हुए बिल्ली, कुत्ता, नेवला और साँप को यदि कोई व्यक्ति नगर के पास
या नगर के बीच में डाल आवे तो उस पर तीन पण दण्ड दिया जाना
चाहिये । यदि गधा, ऊट, खच्चर तथा घोड़ा आदि को इस प्रकार छोड़ दिया
जाय तो छोड़ने वाले को छह पण दण्ड दिया जाय । मनुष्य की लाश इस
प्रकार छोड़ी जाने पर पचास पण दण्ड दिया जाना चाहिए ।
४. मुर्दों को ले जाने के लिए जो रास्ता नियत है उसको छोड़ कर और जो
द्वार नियत है, उसको छोड़कर दूसरी ही ओर से मुर्दा ले जाने वालों को
प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए । द्वार का रक्षक पुरुष यदि उन
मुर्दा ले जाने वालों को न रोके तो उसे दो-सौ पण दण्ड दिया जाना
चाहिए । श्मशान भूमि के अन्यत्र मुर्दा जलाने और गाड़ने वालों पर बारह
पण दण्ड करना चाहिए ।

१. विषण्णालिकमुभयतोरात्रं यामतूर्यम् । तूर्यशब्दे राज्ञो गृहाभ्यां सशदपणमक्षणताडनं प्रथमपश्चिमयामिकम् । मध्यमयामिकं द्विगुणम् । वहिश्चतुर्गुणम् ।
२. शङ्कनीये देशे लिङ्गे पूर्वापदाने च गृहीतमनुयुञ्जीत ।
३. राजपरिग्रहोपगमने नगररक्षारोहणे च मध्यमः साहसदण्डः ।
४. सूतिकात्रिकित्सकप्रेतप्रदीपयाननागरिकतूर्यप्रेक्षाग्निनिमित्तं द्राभिश्चाग्राह्याः ।

१. रात की पहिली छह घड़ी बीत जाने पर और रात के अन्तिम छह घड़ी बाकी रह जाने पर, दोनों समय भोंपू देना चाहिए । उस रात्रि-घोष के पीछे यदि कोई व्यक्ति राजमहल के पास गुजरना हुआ दिखाई दे तो उसे सवा पण दण्ड दिया जाना चाहिए । जो व्यक्ति रात्रिघोष के ठीक मध्यकाल में आता-जाता पकड़ा जाय, उसे ढाई पण दण्ड देना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति नगर के बाहर इस प्रकार आता-जाता पकड़ा जाये तो उस पर पांच पण दण्ड कर देना चाहिए ।
२. उक्त रोक लगे समय में यदि कोई व्यक्ति बगीचों में छिपे हुए पाये जाय, या जिनके पास ऐसा सामान पाया जाय कि उन पर चोर-ढाकू होने का शक किया जा सके, अथवा जो पहिले ही से बदनाम हों और इस प्रकार घूमते हुए मिल जाय तो उनसे पूछा जाना चाहिए 'तुम कौन हो ? कहां से आये हो ? कहां जाओगे ? क्या कार्य करते हो ? यहां तुम क्यों आये हो ?' यदि वे सन्तोषजनक उत्तर दें तो उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए ।
३. यदि इस प्रकार का कोई शकित व्यक्ति सरकारी इमारतों या नगर-रक्षा के लिए बने सफ़ीलों अथवा दुर्गों के ऊपर चढ़ता हुआ पकड़ा जाय तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।
४. यदि उक्त रोक लगे समय में प्रसूना स्त्री, वैद्य हकीम, मुर्दाफरोश, उजाला लिए, सूचनार्थ आवाज करते हुए, नाटक-सिनेमा देखने, भाग बुझाने आदि के लिए और जिनके पास राजकीय अनुमतिपत्र हो, आते-जाते पकड़ लिए जायें तो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए ।

१. चाररात्रिषु प्रच्छन्नविपरीतवेषाः प्रब्रजिता दण्डशस्त्रहस्ताश्च मनुष्या दोषतो दण्ड्याः ।
२. रक्षिणामवार्यं वारयतां वार्यं चावारयतामक्षणद्विगुणो दण्डः । स्त्रियं दासीमधिमेहयतां पूर्वः साहसदण्डः ; अदासीं मध्यमः, कृतावरोधामुत्तमः, कुलस्त्रियं वधः ।
३. चेतनाचेतनिकं रात्रिदोषमशंसतो नागरिकस्य दोषानुरूपो दण्डः, प्रमादस्थाने च ।
४. नित्यमुदकस्थानमार्गभूमिच्छन्नपथवप्रप्राकाररक्षावेक्षणं नष्टप्र-
स्मृतापसृतानां च रक्षणम् ।

१. विशेष उत्सवों के समय रात्रि में रोक हटा दी जाने पर जो व्यक्ति सुह
ढँककर अथवा वेष बदलकर तथा संन्यासी के वेष में दण्ड या हथियार
लिप् पकड़े जाय, उन्हें अपराध के अनुसार दण्ड देना चाहिये ।
२. जो पहरेदार रोके जाने योग्य व्यक्तियों को न रोक लें तो उन्हें, रोक लगे
समय के अपराध से दुगुना अर्थात् ढाई पण दण्ड देना चाहिये । जो पुरुष
दूसरे की स्त्री तथा दासी के साथ बलात्कार करे, उसे प्रथम साहस दण्ड
देना चाहिये । दासी आदि के अलावा किसी वेश्या के साथ बलात्कार
करने पर मध्यम साहस दण्ड देना चाहिये । यदि कोई दासी या वेश्या
किसी की पत्नी बन चुकी हो और तब उसके साथ कोई बलात्कार करे
तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिये । जो पुरुष कुलीन स्त्रियों के
साथ ऐसा दुर्ग्यवहार करे उसको प्राणदण्ड की सजा देनी चाहिये ।
३. जान-बूझकर या अनजाने में, रात को किये गये अपराधों की सूचना यदि
कोई नगरवासी अध्यक्ष को न पहुँचाये तो अपराध के अनुसार उसके लिये
दण्ड नियत होना चाहिये । उन पहरेदारों को भी उनके अपराध के अनुसार
यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिये, जिन्होंने पहरा देने में किसी प्रकार का
प्रमाद किया हो ।
४. नगर-अधिकारी (नागरिक) को चाहिये कि वह जल-स्थल मार्ग, सुरंग
मार्ग, सफ़ील, परकोटा, खाई तथा बुर्ज आदि की अच्छी तरह देख-भाल करें,
और उन सभी खोये हुए, भूले हुए, छूटे हुए, आभूषण, सामान या प्राणियों

१. बन्धनागारे च बालवृद्धव्याधितानाथानां जातनक्षत्रपौर्णमा-
सीषु विसर्गः । पुण्यशीलाः समयानुवृद्धा वा दोषनिष्क्रयं दद्युः ।
२. दिवसे पञ्चरात्रे वा बन्धनस्थान् विशोधयेत् ।
कर्मणा कायदण्डेन हिरण्यानुग्रहेण वा ॥
३. अपूर्वदेशाधिगमे युवराजाभिषेचने ।
पुत्रजन्मनि वा मोक्षो बन्धनस्य विधीयते ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे नागरिकप्रणिधिर्नाम षड्विंशोऽध्यायः;
आदितः सप्तपञ्चाशः ।

समाप्तमिदमध्यक्षप्रचारो नाम द्वितीयमधिकरणम् ।



को तब तक अपने संरक्षण के रखे, जब तक कि उनके असली मालिक का पता न लग जाय ।

१. जेल में बन्द हुए बूढ़े, बच्चे बीमार और अनाथ कैदियों को राजा की वर्ष-गाँठ आदि अच्छे उत्सवों या पूर्णिमा आदि पर्वों पर छोड़ देना चाहिये । धोखे में यदि कोई धर्मात्मा पुरुष अपराधी बनाकर कैद में डाला गया हो तथा ऐसे व्यक्ति, जो भविष्य में अपराध न करने की प्रतिज्ञा करते हो, उन्हें अपराध के बदले में धन लेकर छोड़ देना चाहिये; उन्हें फिर जेल में न रखा जाना चाहिये ।
२. तिदिन या प्रति पाँचवें दिन, ऐसा नियम बना दिया जाय कि उस दिन धन लेकर, शारीरिक दण्ड देकर या कार्य कराकर (निष्क्रय) कुछ कैदी छोड़ दिये जाय । धनदण्ड, शारीरिक दण्ड या कार्यदण्ड, इन तीनों में से जो कैदी आसानी से जिस दण्ड को भुगत सके वही दण्ड उसको दिया जाय ।
३. किसी नये देश को जीतने पर, युवराज का राज्याभिषेक होने पर और राज-पुत्र के जन्मोत्सव पर कैदियों को छोड़ देना चाहिये ।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।

दूसरा खण्ड

धर्मस्थीय
तीसरा अधीकरसा

अध्याय १

व्यवहारस्थापना विवाहपदानिबन्धाश्च

१. धर्मस्थास्त्रयस्त्रयोऽमात्या जनपदसन्धिसंग्रहणद्रोणमुखस्थानी-
येषु व्यावहारिकानर्थान् कुर्युः ।
२. तिरोहितान्तरगारनकारण्योपध्युपहरकृतांश्च व्यवहारान् प्रति-
षेधयेयुः । कर्तुः कारयितुश्च पूर्वः साहसदण्डः । श्रोतृणामेकैकं
प्रत्यर्धदण्डाः । श्रद्धेयानां तु द्रव्यव्यपनयः ।
३. परोक्षेणाधिकर्णग्रहणमवक्तव्यकरा वा तिरोहिताः सिद्धयेयुः ।
४. दायनिक्षेपोपनिधिविवाहसंयुक्ताः स्त्रीणामनिष्कासिनीनां व्याधि-

शर्तनामों का लेखन प्रकार और तत्संबंधी विवादों का निर्णय

१. दो राज्यों या गांवों की सीमा (जनपद-संधि) पर, दस गांवों के केन्द्र (संग्रहण) में, चार सौ गांवों के केन्द्र (द्रोणमुख) में और आठ सौ गांवों के केन्द्र (स्थानीय) में तीन-तीन न्यायधीश (धर्मस्थ) एक साथ रह कर इकरारनामा, शर्तनामा आदि व्यवहार-संबंधी कार्यों का प्रबंध करें ।
२. नियम-विरुद्ध शर्तनामों : उन शर्तनामों को न्याय-विरुद्ध घोषित किया जाय, जो छिप कर, घर के अंदर, रात में, जंगल में, छल-कपट से और एकांत में किए गए हैं । ऐसा नियम-विरुद्ध कार्य करने वालों और कराने वालों, दोनों को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । इस प्रकार के व्यवहारों में सुनकर गवाही देने वालों को आधा साहस दण्ड; और श्रद्धा-सहानुभूति रखने वालों को अर्धदण्ड दिया जाय ।
३. जिस व्यवहार को गुप्त रूप से किसी दूसरे ने सुन लिया हो तथा जिसको नियम विरुद्धसाबित न किया जा सके, ऐसा व्यवहार यदि छिपा कर भी किया गया हो तो उसे गैर कानूनी करार न दिया जाय ।
४. पर्दानशीन महिलाओं तथा चैतन्य रोगियों के द्वारा दायभाग, अमानत,

तानां चामूढसंज्ञानामन्तरगारकृताः सिद्धयेयुः ।

१. साहसानुप्रवेशकलहविवाहराजनियोगयुक्ताः पूर्वरान्नव्यवहारिणां च रात्रिकृताः सिद्धयेयुः ।
२. साथव्रजाश्रमव्याघचारणमध्येष्वरण्यचरणामारण्यकृताः सिद्धयेयुः ।
३. गूढाजीविषु चोपधिकृताः सिद्धयेयुः ।
४. मिथःसमवाये चोपहरकृताः सिद्धयेयुः ।
५. अतोऽन्यथा न सिद्धयेयुः । अपाश्रयवद्धिश्च कृताः, पितृमता पुत्रेण, पित्रा पुत्रवता, निष्कुलेन भ्रात्रा, कनिष्ठेनाविभक्तांशेन, पतिमत्या पुत्रवत्या च स्त्रिया, दासाहितकाभ्याम्, अप्राप्तातीतव्यवहाराभ्याम्, अभिशस्तप्रव्रजितव्यङ्गव्यसनिमिश्रान्यत्र निसृष्टव्यवहारेभ्यः ।

धरोहर और विवाहसंबंधी घर के अंदर किए हुए व्यवहार भी नियमविरुद्ध न समझे जाय ।

१. डाका (साहस), चोरी (अनुप्रवेश), झगड़ा, विवाह तथा सरकारी हुकम और रात के प्रथम पहर में वेश्यासंबंधी व्यवहार यदि रात के समय में भी किए जाय तो उन्हें गैरकानूनी नहीं माना जाय ।
२. व्यापारी, ग्वाले, आश्रमवासी, शिकारी और गुप्तचर आदि जंगलों में रहने वालों तथा घूमने वालों के द्वारा जंगल में किए गए व्यवहार भी वैध समझे जाय ।
३. गुप्तरूप से जीविका चलाने वालों द्वारा किए गए छल-कपट संबंधी व्यवहार भी नियमानुकूल समझे जाय ।
४. आपसी समझौते से एकांत में किए गए व्यवहार भी नियमसंगत हैं ।
५. इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त स्वीकार किए गए सभी व्यवहार गैरकानूनी समझे जाय । निराश्रित व्यक्ति, जिसका पिता जीवित हो, जिसका पुत्र जीवित हो, विरादरी से बहिष्कृत भाई, जिसकी संपत्ति का वंटवारा न हुआ हो, जिस स्त्री का पति या पुत्र जीवित हो, दास, नाबालिग, बहुत बूढ़ा, समाज में निंदित, संन्यासी, लूले-लंगड़े और बीमार

१. तत्रापि क्रुद्धेनार्तेन मत्तेनोन्मत्तेनावगृहीतेन वा कृता व्यवहारा न सिद्धयेयुः । कर्तृकारयितृश्रोतृणां पृथग् यथोक्ता दण्डाः ।
२. स्वे स्वे तु वर्गे देशे काले च स्वकरणकृताः सम्पूर्णचाराः शुद्धदेशा दृष्टरूपलक्षणप्रमाणगुणाः सर्वव्यवहाराः सिद्धयेयुः ।
३. पश्चिमं चैषां करणमादेशाधिवर्जं श्रद्धेयम् । इति व्यवहार-स्थापना ।
४. संवत्सरमृतुं मासं पक्षं दिवसं करणमधिकरणमृणं वेदकावेदकयोः कृतसमर्थावस्थयोर्देशग्रामजातिगोत्रनामकर्माणि चाभिलिख्य वादिप्रतिवादिप्रश्नानर्थानुपूर्व्या निवेशयेत् । निविष्टांश्चावेक्षेत ।

आदि व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहार भी जायज न समझे जायें; किन्तु उन व्यवहारों को वैध समझा जाय जो कि उन्हें राजा की ओर से प्राप्त हो चुके हों ।

१. क्रोधो, दुःखी, मत्त, उन्मत्त, पागल आदि व्यक्तियों के द्वारा किए गए व्यवहार भी वैधानिक न समझे जाँय । जो भी व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार करें या करायें तथा सुनें उन्हें पूर्वोक्त दण्ड देने चाहिएँ ।
२. परीक्षा : अपनी-अपनी जाति में उचित देश-काल और प्रकृति के अनुसार किए गए दोषरहित सभी व्यवहार वैध समझे जायें; वशर्ते कि उनकी सूचना दी गई हो और उनके रूप, लक्षण, प्रमाण तथा गुण की अच्छी तरह परीक्षा की गई हो ।
३. बलात्कार जैसे व्यवहारों को छोड़ कर उनके सभी व्यवहार न्याय-सम्मत माने जायें । यहां तक व्यवहार की स्थापना बताई गई ।
४. अपने-अपने पक्ष की सहादत के लिए उपस्थित हुए मुद्दाला (वेदक) और मुद्दई (आवेदक) के देश, गाँव, जाति, गोत्र, नाम और व्यवसाय आदिको पहिले लिखा जाय; फिर कर्जा लेने या चुकाने का वर्ष, ऋतु, पक्ष, महीना दिन, स्थान और गवाही आदि को लिखा जाय; अन्त में मुद्दई तथा मुद्दाला के बयान क्रमपूर्वक लिखे जायें । तब जाकर उन पर विचार किया जाय ।

१. निबद्धं पादमुत्सृज्यान्यं पादं सङ्क्रामति । पूर्वोक्तं पश्चिमेनार्थेन नाभिसन्धत्ते । परवाक्यमनभिग्राह्यमभिग्राह्यावतिष्ठते । प्रतिज्ञाय देशं 'निर्दिश' इत्युक्ते न निर्दिशति । निर्दिष्टाद् देशादन्यं देशमुपस्थापयति । उपस्थिते देशेऽर्थवचनं 'नैवम्' इत्यपव्ययते । साक्षिभिरवधृतं नेच्छति । असम्भाष्ये देशे साक्षिभिर्मिथः सम्भाषत । इति परोक्तहेतवः ।
२. परोक्तदण्डः पञ्चवन्धः । स्वयंवादिदण्डो दशवन्धः । पुरुषभृतिरष्टांशः । पथिभक्तमर्घ्यविशेषतः । तदुभयं नियम्यो दद्यात् ।
३. अभियुक्तो न प्रत्यभियुञ्जीत, अन्यत्र कलहसाहससार्थसमवायेभ्यः । न चाभियुक्तेऽभियोगोऽस्ति ।

१. पराजय के लक्षण : वयान देते समय जो व्यक्ति प्रसङ्ग की बात न कहकर धुंधर-उधर की हांकने लगता है; जिसके वयानों में कोई सिलसिला न हो; दूसरे की अमान्य बात को पकड़ कर उस पर दट जाता है; कर्जा लेने के स्थान पर हलफ देकर भी पूछने पर नहीं बतलाता; या उसकी जगह किसी दूसरे ही स्थान को बतलाता है; स्थान ठीक बताने पर ऋण लेने से मुकर जाता है; गवाहों की बात को स्वीकार नहीं करता; और निषिद्ध स्थान में गवाहों से मिल कर बात करता है; उसको हारा हुआ समझना चाहिए ।
२. पराजय का दण्ड : ऐसे हारे हुए व्यक्ति को ऋण की रकम का पांचवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय । बिना गवाह के अपनी ही बात को जो बार-बार ठीक कहता जाय उसको (देय रकम) का दसवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय । हमके अतिरिक्त हर्जाने के रूप में हारे हुए अपराधी से नौकरों के वेतन का आठवाँ हिस्सा और रास्ते का भोजन-भत्ता भी अदा कर लिया जाय ।
३. फौजदारी, डाका, व्यापारियों और लिमिटेड कम्पनियों के झगड़ों को छोड़कर अभियुक्त, अभियोक्ता पर उलटा मुकदमा नहीं चला सकता है । अभियुक्त भी पहिली बात को लेकर अभियोक्ता पर पुनः मुकदमा नहीं चला सकता है ।

१. अभियोक्ता चेत् प्रत्युक्तस्तदहरेव न प्रतिब्रूयात् , परोक्तः स्यात् । कृतकार्यविनिश्चयो ह्यभियोक्ता, नाभियुक्तः ।
२. तस्याप्रतिब्रुवतस्त्रिरात्रं सप्तरात्रमिति । अत ऊर्ध्वं त्रिपणा वरार्ध्यं द्वादशपणपरं दण्डं कुर्यात् । त्रिपक्षादूर्ध्वमप्रतिब्रुवतः परोक्तदण्डं कृत्वा यान्यस्य द्रव्याणि स्युस्ततोऽभियोक्तारं प्रतिपादयेदन्यत्र प्रच्युपकरणेभ्यः । तदेव निष्पततोऽभियुक्तस्य कुर्यात् । अभियोक्तुर्निष्पातसमकालः परोक्तभावः । प्रेतस्य व्यसनिनो वा साक्षिवचनाः सारम् । अभियोक्ता दण्डं दत्त्वा कर्म कारयेत् । आधिं वा स कामं प्रवेशयेत् । रक्षोघ्नरक्षितं वा कर्मणा प्रतिपादयेदन्यत्र ब्राह्मणादिति ।

१. जवाबतलबी : जवाबतलब किये जाने पर तत्काल ही वादी यदि उत्तर नहीं देता तो उसको पराजित समझा जाय । क्योंकि पूरे सोच-विचार के बाद ही अभियोक्ता दावा दायर करता है, जब कि अभियुक्त ऐसी स्थिति में नहीं रहता है ।
२. मुहलत : इसलिये, अभियुक्त यदि फौरन ही जवाब न दे सके तो उसे तीन से सात रात तक की मुहलत दी जाय । इतनी मुहलत मिलने पर भी यदि वह उत्तर नहीं दे पाता तो उस पर तीन से बारह पण तक का दण्ड किया जाय । यदि वेद महीने की मुहलत के बाद भी वह अपने अभियोग की सफाई पेश नहीं कर पाता तो उसको देय धन का पाँचवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय और उसकी संपत्ति में से जितना भी न्यायसंमत हो उतना हिस्सा अभियोक्ता को दिलाया जाय; सारी संपत्ति को दिये जाने के बाद भी यदि कुछ कर्जा बाकी रह जाय तो अभियुक्त के जीवन-निर्वाह योग्य भन्न, वस्त्र, बर्तन, विस्तर आदि सामान अभियोक्ता को नहीं दिलाया जाय । यदि अभियोक्ता अपराधी सिद्ध हो जाय तब उपर्युक्त सारे अधिकार अभियुक्त को दिये जायें; किन्तु अभियुक्त ही यदि अपराधी साबित हो जाय तो उसको सफाई पेश करने की मुहलत न दी जाय; बल्कि तत्काल ही पूर्वोक्त दण्ड दिया जाय । यदि बीच ही में अभियुक्त मर जाय या किसी भारी विपदा में फँस जाय तो उसके गत्राहों की सहादत के अनुसार अदालत अपराधी अभियोक्ता को यथोचित दण्ड देकर उससे

१. चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात् ।
नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्म प्रवर्तकः ॥
२. धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम् ।
विवादार्थश्चतुष्पादः पश्चिमः पूर्ववाधकः ॥
३. अत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु ।
चरित्रं सङ्ग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञा तु शासनम् ॥
४. राज्ञः स्वधर्मः स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः ।
अरक्षितुर्वा क्षेप्तुर्वा मिथ्यादण्डमतोऽन्यथा ॥
५. दण्डो हि केमलो लोकं परं चेमं च रक्षति ।
राज्ञा पुत्रे च शत्रौ च यथादोषं समं धृतः ॥
६. अनुशासद्धि धर्मेण व्यवहारेण संस्थया ।
न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत् ॥

काम ले । नियत समय तक न्यायालय उसको अपने अधिकार में रखे अथवा उससे जन-कल्याण सम्बन्धी कार्यों को कराये । यदि अभियोक्ता ब्राह्मण हो तो उससे ऐसे कार्य न करवाये जायँ ।

१. राजाज्ञा : चारों वर्ण, चारों आश्रम, सम्पूर्ण लोकाचार और नष्ट होते हुए सभी धर्मों का रक्षक राजा है; इसीलिये उसे धर्म का प्रवर्तक माना जाता है ।
२. धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा, ये विवाद के निर्णायक साधन होने के कारण राष्ट्र के चार पैर माने जाते हैं; इन्हीं पर सारा राज्य टिका है । इनमें भी धर्म से व्यवहार, व्यवहार से चरित्र और चरित्र की अपेक्षा राजाज्ञा श्रेष्ठ है ।
३. उनमें धर्म सच्चाई में, व्यवहार साक्षियों में चरित्र समाज के जीवन में और राजाज्ञा राजकीय शासन में स्थित रहती है ।
४. धर्मपूर्वक प्रजा पर शासन करना ही राजा का निजी धर्म है; वही उसको स्वर्ग तक ले जाता है । इसके विपरीत प्रजा की रक्षा न कर उसको पीड़ा पहुँचाने वाला राजा कभी भी सुखी नहीं रहता है ।
५. पुत्र और शत्रु को उनके अपराध के अनुसार समानरूप से राजा द्वारा दिया हुआ दण्ड ही लोक और परलोक की रक्षा करता है ।
६. धर्म, व्यवहार, चरित्र और न्यायपूर्वक शासन करता हुआ राजा सारी पृथ्वी का स्वामित्व प्राप्त करे ।

१. संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यवहारिकम् ।
यस्मिन्नर्थे विरुद्धयेत धर्मेणार्थं विनिर्णयेत् ॥
२. शास्त्रं विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित् ।
न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्तत्र पाठो हि नश्यति ॥
३. इष्टदोषः स्वयंवादः स्वपक्षपरपक्षयोः ।
अनुयोगार्जवं हेतुः शपथश्चार्थसाधकः ॥
४. पूर्वोत्तरार्थव्याघाते साक्षिवक्तव्यकारणे ।
चारहस्ताच्च निष्पाते प्रदेष्टव्यः पराजयः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे विवादपदनिबन्धो नाम प्रथमोऽध्यायः;

आदितोऽष्टपञ्चाशः ।



१. जहां भी चरित्र तथा लोकाचार का धर्मशास्त्र के साथ विरोध की बात उपस्थित हो, वहां धर्मशास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए ।
२. किन्तु, किसी बात पर यदि राजा के धर्मानुकूल शासन का धर्मशास्त्र के साथ विरोध पैदा हो जाय, तो वहां राज-शासन को ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धर्मशास्त्र का पाठ मात्र ही नष्ट होता है ।
३. निर्णय के हेतु : मुकदमे का फैसला देने से पूर्व कुछ बातें आवश्यक हैं; जैसे (१) जिसका अपराध देख लिया गया हो, (२) जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया हो, (३) सरलता से जिरह; (४) सरलता से कारणों का पता लग जाना और (५) कसम दिलाना, ये पांचों बातें सच्चाई को सिद्ध करने में सहायक होती हैं ।
४. यदि उक्त पांच हेतुओं के माध्यम से भी वादी-प्रतिवादी की पारस्परिक विरुद्ध दलीलों का उचित समाधान न हो सके तो साक्षियों और गुप्तचरों के द्वारा मामले की छान-बीन कराकर अपराध का फैसला देना चाहिए ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



विवाहसंगुक्तं विवाहधर्मः स्त्रीधनकल्प आधिनेदनिकम्

१. विवाहपूर्वो व्यवहारः ।
२. कन्यादानं कन्यामलङ्कृत्य ब्राह्मो विवाहः ।
३. सहधर्मचर्या प्राजापत्यः ।
४. गोमिथुनादानादार्षः ।
५. अन्तर्वेद्यामृत्विजे दानाद् दैवः ।
६. मिथस्समवायाद् गान्धर्वः ।
७. शुल्कादानासुरः ।
८. प्रसह्यादानाद् राक्षसः ।

विवाह सम्बन्ध (१)

धर्मविवाह : स्त्री का धन : स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार :
पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार

१. धर्मविवाह : विवाह के बाद ही सारे सांसारिक व्यवहार आरम्भ होते हैं ।
२. वस्त्र-आभूषण आदि से सजाकर विधिपूर्वक-कन्यादान करना ब्राह्म विवाह कहलाता है ।
३. कन्या और वर, दोनों सहधर्म पालन करने की प्रतिज्ञा कर जिस विवाह बन्धन को स्वीकार करते हैं, उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं ।
४. वर से गऊ का जोड़ा लेकर जो विवाह किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं ।
५. विवाह वेदी में बैठकर ऋत्विक् को जो कन्यादान दिया जाता है उसे दैव विवाह कहते हैं ।
६. कन्या और वर का आपसी सलाह से किया गया विवाह गान्धर्व विवाह (Love marriage) कहलाता है ।
७. कन्या के पिता को धन देकर जो विवाह किया जाता है उसे आसुर विवाह कहते हैं ।
८. किसी कन्या से बलात्कार करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है ।

१. सुप्तादानात् पैशाचः ।
२. पितृप्रमाणाश्चत्वारः पूर्वे धर्म्याः । मातापितृप्रमाणाः शेषाः ।
तौ हि शुल्कहरौ दुहितुः । अन्यतराभावेऽन्यतरो वा ।
३. द्वितीयं शुल्कं स्त्री हरेत् । सर्वेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिषिद्धम् ।
४. वृत्तिराबन्ध्यं वा स्त्रीधनम् । परद्विसाहस्रा स्थाप्या वृत्तिः ।
आबन्ध्यानियमः ।
५. तदात्मपुत्रस्नुषाभर्मणि प्रवासाप्रतिविधाने च भार्याया भोक्तु-
मदोषः । प्रतिरोधकव्याधिदुर्भिक्षभयप्रतीकारे धर्मकार्ये च
पत्युः । सम्भूय वा दम्पत्योर्मिथुनं प्रजातयोस्त्रिवर्षोपभुक्तं च

१. सोई दुई कन्या को हरण करके विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है ।
२. उक्त आठ प्रकार के विवाहों में पहिले चार प्रकार के विवाह पिता की सलाह से होने के कारण धर्मानुकूल विवाह हैं । बाकी चार विवाह माता-पिता दोनों की सलाह से होते हैं; क्योंकि वे दोनों लड़की को देकर उसके बदले में धन लेते हैं । उस धन को यदि पिता न हो तो माता ले सकती है और माता न हो तो पिता ले सकता है ।
३. इसके अतिरिक्त प्रीतिवश दिया हुआ दूसरे प्रकार का धन उस कन्या का है जिसके साथ विवाह किया गया हो । सभी प्रकार के विवाहों में स्त्री-पुरुष में परस्पर प्रीति का होना आवश्यक है ।
४. स्त्री का धन : स्त्री का धन दो प्रकार का होता है : (१) वृत्ति और (२) आवध्य । स्त्री का वृत्ति धन वह है जो स्त्री के नाम से बैंक आदि में जमा किया गया हो । उसकी रकम कम-से-कम दो हजार तक होनी चाहिए । गहना या जेवर आदि आवध्य धन कहलाते हैं, जिनकी तादाद का कोई नियम नहीं है ।
५. किसी स्त्री का पति परदेश चला जाय और उसकी (स्त्री की) जीविका निर्वाह के लिए कोई जरिया न हो तो वह स्त्री अपने पुत्र और अपनी पतोहू के जीवन-निर्वाह के लिए अपने निजी धन को खर्च कर सकती है । किसी विपत्ति, बीमारी, दुर्भिक्ष या इसी तरह के आकस्मिक संकट से बचने के लिए और किसी धर्मकार्य में पति भी यदि स्त्री के निजी धन को खर्च करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं । इसी प्रकार दो सन्तान पैदा

धर्मिष्ठेषु विवाहेषु नानुयुञ्जीत । गान्धर्वासुरोपभुक्तं सवृद्धि-
कमुभयं दाप्येत । राक्षसपैशाचोपभुक्तं स्तेयं दद्यात् । इति
विवाहधर्मः ।

- १ मृते भर्तरि धर्मकामा तदानीमेवास्थाप्याभरणं शुल्कशेषं च
लभेत । लब्ध्वा वा विन्दमाना सवृद्धिकमुभयं दाप्येत । कुटु-
म्बकामा तु श्वशुरपतिदत्तं निवेशकाले लभेत । निवेशकालं
हि दीर्घप्रवासे व्याख्यास्यामः ।
२. श्वशुरप्रातिलोभ्येन वा निविष्टा श्वशुरपतिदत्तं जीयेत । ज्ञाति-
हस्तादभिमृष्टाया ज्ञातयो यथागृहीतं दद्युः ।

होने पर स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर यदि उस धन को खर्च करें तब भी कोई दोष नहीं; और ऐसे पति-पत्नी जिनका विवाह धर्मानुकूल हुआ हो, कोई सन्तान पैदा न होने पर तीन वर्ष तक उस धन को खर्च कर सकते हैं । जिन्होंने गान्धर्व या आसुर विवाह किया हो और आपसी सलाह से वे स्त्री-धन को खर्च कर डालें तो उनसे ब्याजसहित मूलधन जमा कर लिया जाय । जिन्होंने राक्षस तथा पैशाच विधि से विवाह किया हो ऐसे पति-पत्नी यदि स्त्री धन को खर्च कर डालें तो उन्हें चोरी का दण्ड दिया जाय । यहाँ तक विवाह धर्म का निरूपण किया गया है ।

- १ स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार : पति के मर जाने पर स्त्री यदि अपने धर्म-कर्म पर रहना चाहती हो तो उसे अपने दोनों प्रकार के निजी धन तथा प्रीति धन ले लेना चाहिए । उस धन को ले लेने के बाद यदि वह दूसरा पति कर ले तो ब्याज सहित सारे मूलधन को वह वापिस कर दे । यदि वह परिवार की इच्छा से दूसरा विवाह करना चाहती हो तो अपने मृत पति और श्वशुर के दिए हुए धन को विवाह के समय में ही पा सकती है, उसके पहिले नहीं । इस प्रकार के पुनर्विवाह का विस्तृत विवेचन आगे दीर्घप्रवास प्रकरण में किया जाएगा ।
२. यदि विधवा स्त्री अपने ससुर की इच्छा के विरुद्ध पुनर्विवाह करना चाहे तो ससुर और मृत-पति का धन उसे नहीं मिलेगा । यदि विरादरी वालों के हाथ से उसके पुनर्विवाह का प्रबन्ध हो तो विरादरी वाले ही उसके लिए हुए धन को वापिस करें ।

१. न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्रीधनं गोपायेत् ।
२. पतिदायं विन्दमाना जीयेत । धर्मकामा भुञ्जीत ।
३. पुत्रवती विन्दमाना स्त्रीधनं जीयेत । तत्तु स्त्रीधनं पुत्रा हरेद्युः ।
४. पुत्रभरणार्थं वा विन्दमाना पुत्रार्थं स्फातीकुर्यात् ।
५. बहुपुरुषप्रजानां पुत्राणां यथापितृदत्तं स्त्रीधनमवस्थापयेत् ।
६. कामकारणीयमपि स्त्रीधनं विन्दमाना पुत्रसंस्थं कुर्यात् ।
७. अपुत्रा पतिशयनं पालयन्ती गुरुसमीपे स्त्रीधनम् आ आयुःक्षयाद् भुञ्जीत, आपदर्थं हि स्त्रीधनम् । ऊर्ध्वं दायदं गच्छेत् ।

१. न्यायपूर्वक प्राप्त हुई स्त्री की रक्षा करने वाला पुरुष ही उसके धन की भी रक्षा करे। पुनर्विवाह की इच्छा करने वाली स्त्री अपने मृत पति के उत्तराधिकार को नहीं पा सकती है।
२. यदि वह धर्मपूर्वक जीवन-निर्वाह करने की इच्छा करे तो वह अपने मृत पति के उत्तराधिकार को भोग सकती है।
३. यदि पुत्रवती स्त्री पुनर्विवाह करना चाहे तो वह निजी स्त्री धन की अधिकारिणी नहीं हो सकती। उस स्त्री के निजी धन के उत्तराधिकारी उसके पुत्र ही होंगे।
४. यदि कोई विधवा स्त्री अपने पुत्रों के भरण-पोषण के लिए पुनर्विवाह करना चाहे तो उसे अपनी निजी सम्पत्ति अपने लड़कों के नामजद कर देनी पड़ेगी।
५. यदि किसी स्त्री के कई पुत्र कई पतियों के द्वारा पैदा हुए हों तो उसे चाहिए कि जिस पिता का जो पुत्र हो उसी के नाम उसके पिता की सम्पत्ति नामजद करे।
६. अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए प्राप्त हुए धन को भी वह पुनर्विवाह करने से पूर्व अपने पुत्रों के नाम लिख दे।
७. पुत्रहीन विधवा अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई गुरु के संरक्षण में रहकर जीवन पर्यन्त अपने स्त्रीधन का उपभोग कर सकती है। स्त्रीधन आपत्तिकाल के लिए ही होता है। उसके मरने के बाद उसका वधा हुआ धन उसके उचित उत्तराधिकारियों को मिलना चाहिए।

१. जावति भर्तरि मृतायाः पुत्रा दुहितरश्च स्त्रीधनं विभजेरन् ।
अपुत्राया दुहितरः । तदभावे भर्ता ।
२. शुल्कमन्वाधेयमन्यद् वा बन्धुभिर्दत्तं बान्धवा हरेयुः । इति
स्त्रीधनकल्पः ।
३. वर्षाण्यष्टावप्रजायमानामपुत्रां बन्ध्यां चाकाङ्क्षेत; दश विन्दुं,
द्वादश कन्याप्रसविनीम् ।
४. ततः पुत्रार्थी द्वितीयां विन्देत् । तस्यातिक्रमे शुल्कं स्त्रीधनमर्ध-
चाधिवेदनिकं दद्यात् । चतुर्विंशान्तेषणपरं च दण्डम् ।
५. शुल्कं स्त्रीधनमशुल्कस्त्रीधनायास्तत्प्रमाणमाधिवेदनिकमनुरूपां
च वृत्तिं दत्त्वा बह्वीरपि विन्देत् । पुत्रार्था हि स्त्रियः । तीर्थ-

१. पति के रहते हुए यदि स्त्री मर जाय तो उसके निजी धन को उसकी संतानें आपस में बाँट लें । यदि लड़के न हों तो उस धन को लड़कियाँ ही बाँट लें । यदि लड़कियाँ भी न हों तो उसका पति उस धन को ले ले ।
२. बन्धु-बान्धवों ने जो धन विवाह के समय दहेज के रूप में या दूसरे रूप में उस स्त्री को दिया है उसे वे वापस ले सकते हैं । यहाँ तक स्त्री-धन विषयक नियमों पर विचार किया गया ।
३. पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार : यदि किसी स्त्री की संतान न होती हो या उसके अंदर संतान पैदा करने की शक्ति न हो, तो पति को चाहिए कि वह आठ वर्ष तक संतान होने की प्रतीक्षा करे । यदि स्त्री मरे हुए दस वर्षे ही जने तो दस वर्ष तक और यदि उसको कन्या हो पैदा होती हो तो पति को दस वर्ष तक इन्तजार करना चाहिए ।
४. उसके बाद पुत्र की इच्छा करने वाला पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है । जो भी पुरुष इस नियम का उल्लंघन करे उसे दहेज में मिला हुआ धन, स्त्री धन, अतिरिक्त धन अपनी पहली स्त्री के गुजारे के लिए देना चाहिए । इसके अतिरिक्त वह चौबीस पण तक का जुर्माना सरकार को अदा करे ।
५. जिस स्त्री के विवाह में न तो दहेज मिला है और न उसके पास अपना निजी धन है, उसको दहेज तथा स्त्री धन के बराबर धन देकर और उसके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त सम्पत्ति देकर कोई भी पुरुष कितनी ही स्त्रियों


समवाये चासां यथाविवाहं पूर्वोढां जीवत्पुत्रां वा पूर्वं गच्छेत् ।

१. तीर्थगूहनागमने षण्णवतिर्दण्डः । पुत्रवतीं धर्मकामां वन्ध्यां विन्दुं नीरजस्कां वा नाकामामुपेयात् , न चाकामः पुरुषः । कुष्ठिनीमुन्मत्तां वा गच्छेत् । स्त्री तु पुत्रार्थमेवंभूतं वोपगच्छेत् ।

२. नीचत्वं परदेशं वा प्रस्थितो राजकिल्बिषी । प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीबोऽपि वा पतिः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे विवाहसंयुक्तं नाम द्वितीयोऽध्यायः;

आदितोऽष्टपञ्चाशः ।



के साथ विवाह कर सकता है । क्योंकि स्त्रियाँ पुत्र पैदा करने के लिए ही होती हैं । यदि एक पुरुष की अनेक पत्नियाँ एक ही साथ रजस्वला हों तो पति को चाहिए कि वह सबसे पहिले विवाहिता पत्नी के पास समागम के लिए जाय अथवा उस पत्नी के पास जाय जिसका कोई पुत्र जीवित हो ।

१. यदि कोई पुरुष ऋतु-काल को छिपाकर अपनी स्त्री से संसर्ग नहीं करता तो उसको सरकार की ओर से छियानवे पण दंड दिया जाय । किसी भी पुरुष को चाहिए कि वह पुत्रवती, पवित्र जीवन वाली, वन्ध्या, मृतपुत्रा और मासिकधर्मरहित स्त्री के साथ तब तक संभोग न करे जब तक संभोग के लिए वह स्वयं राजी न हो । संभोग की इच्छा होते हुए भी कोढ़िन या पागल स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, किंतु; पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री किसी भी कोढ़ी या उन्मत्त पुरुष के साथ संसर्ग कर सकती है ।

२. किसी भी नीच, प्रवासी, राजद्रोही, घातक, जाति तथा धर्म से गिरे हुए और नपुंसक पति से स्त्री विवाह विच्छेद कर सकती है ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ३

विवाहसंयुक्तं शुश्रूषामर्मपारुष्य-
द्वेषातिचारोपकारव्यवहारप्रतिषेधाश्च

१. द्वादशवर्षा स्त्री प्राप्तव्यवहारा भवति, षोडशवर्षः पुमान् ।
अत ऊर्ध्वमशुश्रूषायां द्वादशपणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः ।
२. भर्मण्यायामनिर्दिष्टकालायां ग्रासाच्छादनं वाधिकं यथापुरुष-
परिवापं सविशेषं दद्यात् । निर्दिष्टकालायां तदेव सङ्ख्याय ।
बन्धं च दद्यात् । शुल्कस्त्रीधनाधिवेदनिकानामनादाने च ।
३. श्वशुरकुलप्रविष्टायां विभक्तायां वा नाभियोज्यः पतिः । इति
भर्म ।

विवाह संबंध (२)

स्त्री की परवरिश : कठोर स्त्री के साथ व्यवहार : पति-पत्नी का
द्वेष : पति-पत्नी का अतिचार : और अतिचार पर प्रतिषेध

१. बारह वर्ष की लड़की और सोलह वर्ष का लड़का कानूनन बालिग माने जाते हैं । इस उम्र के बाद यदि वे राज-नियम का उल्लंघन (अशुश्रूषा) करें तो लड़की को बारह पण और लड़के को चौबीस पण का दण्ड दिया जाय ।
२. स्त्री की परवरिश : यदि किसी स्त्री के भरण-पोषण (भर्म) की अवधि नियत न हो तो पुरुष को चाहिए कि वह उस स्त्री के वस्त्र, भोजन और व्यय का यथोचित प्रबंध करे; अथवा अपनी आमदनी के अनुसार उसको अतिरिक्त सुख-सुविधा भी दे; किन्तु जिस स्त्री के भरण-पोषण का समय नियत हो और जिस स्त्री ने दहेज, स्त्री धन तथा अतिरिक्त धन लेना स्वीकार न किया हो, पति को चाहिए कि अपनी आमदनी के अनुसार उसको वैधी हुई रकम देता जाय ।
३. यदि स्त्री अपने मायके में रहती हो या स्वतंत्र रह कर गुजारा करती हो,

१. नग्ने, विनग्ने, न्यङ्गे, अपितृके, अमातृके, इत्यनिर्देशेन विनयग्राहणम् । वेणुदलरज्जुहस्तानामन्यतमेन वा पृष्ठे त्रिराघातः । तस्यातिक्रमे वाग्दण्डपारुष्यदण्डाभ्यामर्धदण्डाः ।
२. तदेव स्त्रिया भर्तारि प्रसिद्धमदोषाया ईर्ष्याया बाह्यविहारेषु द्वारेषु अत्ययो यथानिदिष्टः । इति पारुष्यम् ।
३. भर्तारं द्विषती स्त्री सप्तार्तवान्यमण्डयमाना तदानीमेव स्थाप्याभरणं निधाय भर्तारम् अन्यया सह शयानमनुशयीत ।
४. भिक्षुक्यन्वाधिज्ञातिकुलानामन्यतमे वा भर्ता द्विषन् स्त्रियमेकामनुशयीत ।

तो उसके भरण-पोषण के लिए पति को बाध्य नहीं किया जा सकता है । यहाँ तक स्त्री की परवरिश पर विचार किया गया ।

१. कठोर स्त्री के साथ व्यवहार : दांपत्य-नियमों का उल्लंघन करने वाली स्त्री को पहिले 'नंगी, अधनंगी, लूली-लँगडी, वाप-मरी, मां मरी' आदि गालियाँ न देकर उसको भले ढंग से नम्रता तथा सभ्यता सिखानी चाहिए । यदि इससे कार्य न सधे तो उसकी पीठ पर बांस की खपाची, रस्सी या डप्पण से तीन बार चोट करे । फिर भी वह सीधी राह पर न आवे तो उसे वाक्पारुष्य तथा दण्डपारुष्य का आधा दण्ड दिया जाय ।
२. यही दण्ड उस स्त्री को भी दिया जाय जो अकारण ही निदोष पति से बुरा व्यवहार करती हो और पति के दरवाजे पर या बाहर किसी प्रकार की इशारेबाजी या ऐयाशी करे । इस प्रकार के नियम-विरुद्ध आचरण करने वाली स्त्री के लिए इसी प्रकरण में दण्ड का निर्देश किया गया है । यहाँ तक कटु-भाषिणी स्त्री के व्यवहार पर विचार किया गया ।
३. पति-पत्नी का द्वेष : अपने पति के साथ द्वेष रखने वाली स्त्री यदि सान ऋतुकाल तक दूसरे पुरुष के साथ समागम करती रहे तो उसे चाहिये कि वह अपने दोनों प्रकार के स्त्री-धन पति को सौंपकर पति को भी दूसरी स्त्री के साथ समागम करने की अनुमति दे दे ।
४. यदि पति, स्त्री से द्वेष करता हो तो उसको चाहिये कि वह अपनी स्त्री को संन्यासिनी तथा भाई-बंधुओं के साथ अकेली रहने से न रोके ।

१. दृष्टलिङ्गे मैथुनापहारे सवर्णापसर्पोपगमे वा मिथ्यावादी द्वादशपणं दद्यात् ।
२. अमोक्ष्या भर्तुरकामस्य द्विपती भार्या, भार्यायाश्च भर्ता । परस्परं द्वेषान्मोक्षः ।
३. स्त्रीविप्रकाराद् वा पुरुषश्चेन्मोक्षमिच्छेद्, यथागृहीतमस्यै दद्यात् । पुरुषविप्रकाराद् वा स्त्री चेन्मोक्षमिच्छेत्, नास्ये यथागृहीतं दद्यात् । अमोक्षो धर्मविवाहानाम् । इति द्वेषः ।
४. प्रतिपिद्धा स्त्री दर्पसद्यक्रीडायां त्रिपणं दण्डं दद्यात् । दिवा स्त्रीप्रेक्षाविहारगमने षट्पणो दण्डः । पुरुषप्रेक्षाविहारगमने द्वादशपणः । रात्रौ द्विगुणः ।

१. पराई स्त्री के साथ संभोग करने के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने पर भी यदि कोई पुरुष इनकार कर दे या किसी प्रेमिका के साथ संभोग करके साफ मुकर जाय तो उसको वारह पण का दण्ड दिया जाय ।
२. पति से द्वेष-वैमनस्य रखनेवाली स्त्री, पति की इच्छा के विरुद्ध तलाक नहीं दे सकती है । इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता है । दोनों में परस्पर समान दोष होने पर ही तलाक संभव है ।
३. पत्नी में कुछ बुराईयाँ आ जाने के कारण यदि पति उसका परित्याग करना चाहे तो, जो धन उसको स्त्री की ओर से मिला है उसे भी वह स्त्री को लौटा दे । यदि इसी कारण कोई स्त्री अपने पति से सर्वबन्ध-विच्छेद करना चाहे तो पति से पाये हुए धन को वह पति को लौटा दे । किन्तु चार प्रकार के धर्म विवाहों में किसी भी दशा में तलाक नहीं हो सकता है । यहाँ तक पति-पत्नी के द्वेष-वैमनस्य पर त्रिचार किया गया ।
४. पति-पत्नी का अतिचार : मना किए जाने पर भी यदि कोई स्त्री दर्पवश मद्यपान और विहार करे तो उस पर तीन पण, पति के मना करने पर यदि दिन में सिनेमा देखे तो छह पण और यदि किसी पुरुष के साथ सिनेमा देखे तो वारह पण जुर्माना किया जाय । यदि यही अपराध वह रात में करे तो उसको द्वादशपण दण्ड दिया जाय ।

१. सुप्तमत्तप्रव्रजने भर्तुरदाने च द्वारस्य द्वादशपणः । रात्रौ निष्कासने द्विगुणः ।
२. स्त्रीपुंसयोर्मैथुनार्थेऽनङ्गविचेष्टायां रहोश्लीलसम्भाषायां वा चतुर्विंशतिपणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः ।
३. केशनीवीदन्तनखावलम्बनेषु पूर्वः साहसदण्डः, पुंसो द्विगुणः ।
४. शङ्कितस्थाने सम्भाषायां च पणस्थाने शिफादण्डः । स्त्रीणां ग्राममध्ये चण्डालः पक्षान्तरे पञ्चशिफा दद्यात् । पणिकं वा प्रहारं मोक्षयेत् । इत्यतिचारः ।
५. प्रतिषिद्धयोः स्त्रीपुंसयोरन्योन्योपकारे क्षुद्रकद्रव्याणां द्वादशपणो

१. यदि कोई स्त्री सोते हुए या उन्मत्त हुए अपने पति को छोड़कर घर से बाहर चली जाय अथवा पति की इच्छा के विरुद्ध घर का दरवाजा बन्द कर दे तो उसको बारह पण दण्ड देना चाहिये । यदि कोई स्त्री अपने पति को रात में घर से बाहर कर दे तो उस स्त्री पर चौबीस पण का दण्ड किया जाय ।
२. परपुरुष या परस्त्री परस्पर मैथुन के लिए यदि इशारेबाजी करें या एकान्त में अश्लील बातचीत करें तो स्त्री पर चौबीस पण और पुरुष पर अड़तालीस पण का जुर्माना किया जाय ।
३. यदि वे परस्पर केश, तथा कमर पकड़े एक दूसरे को चूमें, दाँत काटें या नाखून गड़ावे तो इस अपराध में स्त्री को पूर्व साहस दण्ड और पुरुष को उससे दुगुना दण्ड दिया जाय ।
४. किसी संकेत स्थान से यदि वे परस्पर बातचीत करें तो आर्थिक दंड की जगह उन पर कोड़े लगाये जाँय । इस प्रकार की अपराधिनी स्त्री के किसी एक ही भद्र पर गाँव के चंडाल द्वारा पाँच कोड़े लगवाए जाँय । पण दंड भदा करने पर प्रहार दंड कम कर दिया जाय । यहाँ तक अतिचार के विषय में कहा गया ।
५. अतिचार पर प्रतिषेध : वर्जित करने पर यदि कोई स्त्री तथा पुरुष छोटी-मोटी उपहार की वस्तुयें देकर परस्पर उपहार करें तो छोटे उपहार पर स्त्री को बारह पण और बड़े उपहार पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय । यदि

दण्डः, स्थूलकद्रव्याणां चतुर्विंशतिपणः, हिरण्यसुवर्णयो-
श्चतुष्पञ्चाशत्पणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः । त एवागम्य-
योरर्घदण्डाः ।

१. तथा प्रतिपिद्धपुरुषव्यवहारेषु च । इति प्रतिषेधः ।
२. राजद्विष्टातिचाराभ्यामात्मापक्रमणेन च ।
स्त्रीधनानीतशुल्कानामस्वाम्यं जायते स्त्रियाः ।

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे विवाहसंयुक्तप्रकरणे शुश्रूषा-भर्मपारुष्य-
अतिचार-उपकारव्यवहारप्रतिषेधो नाम तृतीयोऽध्यायः;
आदितः पष्ठितमः ।



उपहार में वह सोने की कीमती चीजें दे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय । इन अपराधों को यदि पुरुष करे तो उस पर स्त्री से दुगुना दण्ड किया जाय । यदि वे स्त्री-पुरुष बिना मुलाकात किए ही उपहार की चीजें लेते-देते रहें तो पूर्वोक्त दण्ड से आधा दण्ड उन्हें दिया जाय ।

१. इसी प्रकार निषिद्ध पुरुषों के सम्बन्ध में भी दण्ड आदि का नियम समझना चाहिये । यहाँ तक प्रतिषेध के विषय में कहा गया ।
२. राज्य के प्रति बगावत करने पर, आचार का उल्लंघन करने पर और आवारा-गर्द होने पर कोई भी स्त्री अपना स्त्री धन, दूसरी शादी करने पर निर्वाह के लिए प्राप्त हुआ धन (आनीत) और दहेज में मिला हुआ धन; आदि की अधिकारिणी नहीं हो सकती ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।



निवाहसंयुक्तं निष्पतनं पथ्यनुसरणं हरनप्रवासो दीर्घप्रवासश्च

१. पतिकुलान्निष्पतितायाः स्त्रियाः षट्पणो दण्डोऽन्यत्र विप्र-
कारात् । प्रतिषिद्धायां द्वादशपणः । प्रतिवेशगृहातिगतायाः
षट्पणः ।
२. प्रातिवेशिकभिक्षुकवैदेहकानामवकाशभिक्षापण्यादाने द्वादशपणो
दण्डः, प्रतिषिद्धानां पूर्वः साहसदण्डः । परगृहातिगताया-
श्चतुर्विंशतिपणः ।
३. परभार्यावकाशदाने शत्यो दण्डोऽन्यत्रापद्भ्यः । वारणाज्ञान-
योर्निर्दोषः ।

विवाह सम्बन्ध (३)

परिणीता का निष्पतनः परपुरुष का अनुसरणः पुनर्विवाह की स्थिति

१. स्त्रियों का घर से बाहर जाना : पतिघर से भागी हुई स्त्री पर छह पण का दण्ड किया जाय; किन्तु, यदि वह किसी भय के कारण भागी तो अदण्ड्य समझी जाय । पति के रोकने पर भी यदि कोई स्त्री घर से भाग निकले तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । यदि वह पड़ोसी के ही घर में चली जाय तो उसे छह पण का दण्ड दिया जाय ।
२. पति की आज्ञा के बिना पड़ोसी को अपने घर में पनाह देने, भित्तारो की भीख देने और व्यापारी को किसी तरह का माल देने वाली स्त्री को चारह पण दण्ड दिया जाय । यदि कोई स्त्री निषिद्ध व्यक्तियों के साथ यही व्यवहार करे तो उसे प्रथमसाहस दण्ड दिया जाय । यदि वह निर्दिष्ट सीमा के घरों से बाहर जाये तो उसे चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।
३. विपत्तिरहित किसी पर-पत्नी को अपने घर में पनाह देने वाले पर स्त्री पण

१. प्रतिविप्रकारात् पतिज्ञातिसुखावस्थग्रामिकान्वाधिमिक्षुकीज्ञाति-
कुलानामन्यतमप्रपुरुषं गन्तुमदीप, इत्याचार्याः ।
२. सपुरुषं वा ज्ञातिकुलम् ; कुतो हि साध्वीजनस्यच्छलं, सुखमे-
तदवबोद्धुम् , इति कौटिल्यः ।
३. प्रेतव्याधिव्यसनगर्भनिमित्तमप्रतिपिद्धमेव ज्ञातिकुलगमनम् ।
४. तन्निमित्तं वारयतो द्वादशपणो दण्डः ! तत्रापि गूहमाना
स्त्रीधनं जीयेत्, ज्ञातयो वा छादयन्तः शुल्कशेषम् । इति
निष्पतनम् ।

का दण्ड किया जाय । यदि कोई स्त्री गृहस्वामी के रोकने पर या छिपकर उसके घर में घुस जाय तो उस स्थिति में गृहस्वामी निरपराध समझा जाय ।

१. कुछ आचार्यों का अभिमत है कि पति से तिरस्कृत कोई स्त्री यदि अपने पति के सम्बन्धी पुरुषरहित घर में जाय; या सुख-संपन्न, गाँव के मुखिया, अपने धन के निरीक्षक, भिक्षुकी या अपने किसी सम्बन्धी के पुरुषरहित घर में प्रवेश करे तो उसको दोषी नहीं समझा जाना चाहिए ।
२. इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का मत है कि ऊपर कहा गई अवस्थाओं में कोई भी साध्वी स्त्री अपने उन सम्बन्धियों या परिवारजनों के घरों में भी जा सकती है, जहाँ पुरुष विद्यमान हों; क्योंकि उसके छलपूर्ण व्यवहार उसके पति तथा सम्बन्धियों से छिपे नहीं रह सकते हैं ।
३. मृत्यु, बीमारी, विपत्ति और प्रसव काल में स्त्री अपने सम्बन्धियों के यहाँ जा सकती है ।
४. ऊपर कहे गए अवसरों पर यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को अपने सम्बन्धियों के यहाँ जाने से रोके तो वह वारह पण दण्ड का अपराधी है । यदि कोई स्त्री जाकर भी अपने जाने की बात को छिपाये तो उसका स्त्री-धन जन्त कर लिया जाय । यदि सम्बन्धी लोग लेने-देने के डर से ऐसे अवसरों की सूचना न दें तो उनको वर की ओर से अवशिष्ट देय धन न दिया जाय । यहाँ तक स्त्रियों के घर से बाहर जाने (निष्पतन) के सम्बन्ध में विचार किया गया ।

१. पतिकुलान्निष्पत्य ग्रामान्तरगमने द्वादशपणो दण्डः स्थाप्या-
भरणलोपश्च । गम्येन वा पुंसा सह प्रस्थाने चतुर्विंशतिपणः,
सर्वधर्मलोपश्चान्यत्र भर्मदानतीर्थगमनाभ्याम् । पुंसः पूर्वः
साहसदण्डः तुल्यश्रेयसः, पापीयसो मध्यमः । बन्धुरदण्ड्यः ।
प्रतिषेधेऽर्धदण्डः ।
२. पथि व्यन्तरे गूढदेशाभिगमने मैथुनार्थेन शङ्कितप्रतिषिद्धाभ्यां
वा पथ्यनुसारेण सङ्ग्रहणं विद्यात् ।
३. तालावचरचारणमत्स्यबन्धकलुब्धकगोपालकशौण्डिकानामन्ये-
षां च प्रसृष्टस्त्रीकाणां पथ्यनुमरणमदोषः । प्रतिषिद्धे वा

१. रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री का चलना : पतिघर से भाग
कर दूसरे गाँव में जाने वाली स्त्री को बारह पण का दण्ड दिया जाय,
और उसके नाम से जमा पूँजी तथा उसके भाभूपण आदि जब्त कर लिए
जाय । यदि वह मैथुन के लिए किसी पुरुष का सहवास करे तो उस पर
चौबीस पण दण्ड किया जाय, और यज्ञ-यागादि धर्मकार्यों में उसको
सहधर्मिणी के अधिकार से वंचित किया जाय; किन्तु, यदि वह घर के
भरण-पोषण या दूसरी जगह में रहने वाले पति के समीप ऋतुगमन के लिए
जाय तो उसे अपराधिनी न माना जाय । यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति इस
अपराध को करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय; और निम्न वर्ण के
व्यक्ति को मध्यम साहस दण्ड । भाई यदि इस अपराध को करे तो
दण्डनीय नहीं होता । यदि निषेध किए जाने के बाद वह इस अपराध को
करे तो उसे आधा दण्ड दिया जाय ।
२. यदि कोई स्त्री मार्ग, जंगल या किसी गुप्त स्थान में अथवा किसी सन्दिग्ध
या वर्जित पुरुष के साथ मैथुन के लिए घर से भाग निकले तो उसे गिरफ्तार
कर अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाय ।
३. गाने-बजाने वाले नट-नर्तक, भाट, मछियारे, शिकारी, कलवार तथा इसी
प्रकार के वे पुरुष जो स्त्रियों को साथ रखते हैं; उनके साथ जाने में स्त्री को
कोई दोष नहीं । मना करने पर भी यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को साथ ले
जाय या स्त्री ही स्वयं किसी पुरुष के साथ चली जाय, तो उन्हें आधा दण्ड

नयतः पुंसः स्त्रियो वा गच्छन्त्यास्त एवार्धदण्डाः । इति पथ्यनुसरणम् ।

१. ह्रस्वप्रवासिनां शूद्रवैश्यक्षत्रियब्राह्मणानां भार्याः संवत्सरोत्तरं कालमाक्राङ्क्षेरन् अप्रजाताः, संवत्सराधिकं प्रजाताः, प्रतिविहिताः द्विगुणं कालम् । अप्रतिविहिताः सुखावस्था विभृयुः, परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ वा ज्ञातयः । ततो यथादत्तमादाय प्रमुञ्च्युः ।
२. ब्राह्मणमधीयानं दशवर्षाण्यप्रजाता, द्वादश प्रजाता । राजपुरुषं आ आयुःक्षयादाक्राङ्क्षेत । सवर्णतश्च प्रजाता नापवादं लभेत ।
३. कुटुम्बद्विलोपे वा सुखावस्थैर्विमुक्ता यथेष्टं विन्देत जीवितार्थमापद्मता वा ।

दिया जाय । यहां तक रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री के जाने (पथ्यनुसरण) के सम्बन्ध में विचार किया गया ।

१. स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार : जिन शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियों के पति कुछ समय के लिए विदेश गए हों वे एक वर्ष तक, और पुत्रवती स्त्रियाँ इससे अधिक समय तक अपने पतियों के आने की इन्तजारी करें । यदि पति, उनके भरण-पोषण का पूरा इन्तजाम करके गए हों तो इससे दुगुने समय तक पत्नियाँ उनकी इन्तजारी करें । जिनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध न हो, उनके बन्धु-बान्धवों को चाहिए, कि चार वर्ष या इससे अधिक आठ वर्ष तक, वे उनका प्रबन्ध करें । इसके बाद पहिले विवाह में दिए गए धन को वापस लेकर वे उस स्त्री को दूसरी शादी करने की छूट दे दें ।
२. अध्ययन के लिए विदेश गए ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियाँ दस वर्ष तक और पुत्रवती स्त्रियाँ बारह वर्ष तक, अपने पतियों के आने की प्रतीक्षा करें । किसी राजकार्य से बाहर गए पतियों की प्रतीक्षा उनकी स्त्रियाँ आयु-पर्यन्त करें । पति के प्रवासकाल में यदि किसी समानवर्ण पुरुष से किसी स्त्री का बच्चा पैदा हो जाय तो निन्दनीय नहीं है ।
३. कुटुम्बक्षय या समृद्ध बन्धु-बान्धवों के छोड़े जाने के कारण या विपत्ति की

तीसरा आधिकरण : प्रकरण ६०, अध्याय ४

१. धर्मविवाहात् कुमारी परिग्रहोत्तरमनाख्याय प्रोषितमश्रूयमाणं सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षेत, संवत्सरं श्रूयमाणम् । आख्याय प्रोषितमश्रूयमाणं पञ्च तीर्थान्याकाङ्क्षेत, दश श्रूयमाणम् । एकदेशदत्तशुल्कं त्रीणि तीर्थान्यश्रूयमाणम्, श्रूयमाणं सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षेत । दत्तशुल्कं पञ्च तीर्थान्यश्रूयमाणम्, दश श्रूयमाणम् । ततः परं धर्मस्थैर्विसृष्टा यथेष्टं विन्देत । तीर्थोपरोधो हि धर्मवध इति कौटिल्यः ।

२. दीर्घप्रवासिनः प्रव्रजितस्य प्रेतस्य वा भार्या सप्त तीर्थान्याका-

मारी हुई कोई भी प्रोषितपतिका जीवन-निर्वाह के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, दूसरा विवाह कर सकती है ।

३. चार प्रकार के धर्म-विवाहों के अनुसार जिस कुमारी का विवाह हुआ हो; और यदि उसका पति उससे बिना कहे ही परदेश चला जाय तो सात मासिक धर्म तक वह अपने पति की प्रतीक्षा करे । यदि उसकी कोई सूचना मिल गई हो तो एक वर्ष तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे । यदि कहकर पति विदेश जाय और उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और खबर मिल जाय तो दस मासिकधर्म तक उसकी इन्तजारी करे । विवाह के समय प्रतिज्ञात धन में से जिसने अपनी पत्नी को थोड़ा ही धन दिया हो और विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो तीन मासिक धर्म पर्यंत; यदि खबर मिल जाय तो सात मासिकधर्म तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे । जिस पति ने विवाह में प्रतिज्ञात सभी धन पत्नी को चुकता कर दिया हो, विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिकधर्म तक, और खबर मिल जाय तो दस मासिकधर्म तक उसकी प्रतीक्षा की जाय । इन सभी अवस्थाओं के बीत जाने पर कोई भी स्त्री धर्माधिकारी से आज्ञा लेकर अपनी इच्छा से अपना दूसरा विवाह कर सकती है । इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का कथन है 'क्योंकि ऋतुकाल में स्त्री को पुरुष का सहवास न मिलना, धर्म का नाश हो जाने के बराबर, अमङ्गलकारी है' ।

४. जिस स्त्री का पति संन्यासी हो गया हो या मर गया हो, उसकी स्त्री सात मासिकधर्म तक दूसरा विवाह न करे । यदि उसकी कोई सन्तान हो तो

इक्षेत, संवत्सरं प्रजाता । ततः पतिसोदर्यं गच्छेत । बहुषु
प्रत्यासन्नं धार्मिकं भर्मसमर्थं कनिष्ठमभार्यं वा । तदभावेऽप्य-
सोदर्यं सपिण्डं कुल्यं वा । आसन्नपेतेषाम् । एष एव क्रमः ।

१. एतानुत्क्रम्य दायदानं वेदने जातकर्मणि ।
जारस्त्रीदातृवेत्तारः सम्प्राप्ताः सङ्ग्रहात्ययम् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे विवाहसंयुक्ते निष्पतनं पथ्यनुसरणं
हस्वप्रवासदीर्घप्रवासो नाम चतुर्थोऽध्यायः;
आदित एकपष्टितमः ।



वह एक वर्ष तक ठहर जाय । उसके बाद वह अपने पति के सगे भाई के साथ विवाह कर ले । यदि ऐसे सगे भाई बहुत हों तो वह, पति के पीठ पीछे पैदा हुए धार्मिक एवं भरण-पोषण में समर्थ भाई के साथ विवाह कर ले; या जिस भाई की पत्नी न हो उसके साथ विवाह कर ले । यदि पति का कोई सगा भाई न हो तो समान गोत्र वाले उसके किसी पारिवारिक भाई के साथ विवाह कर ले । कम से पति का जो नजदीक-से-नजदीक का भाई हो, उसके साथ विवाह कर ले ।

१ अपने पति की संपत्ति के हकदार पुरुषों को छोड़कर यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करे तो विवाह करने वाला पुरुष, वह स्त्री, उस स्त्री को देने वाला, उस विवाह में सामिल होने वाले, वे सभी लोग, स्त्री को वहकाने या अनुचित ढंग से उसको अपने काबू में करने के जुर्मदार समझे जाँय और उनको यथोचित दण्ड दिया जाय ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



दायविभागे दायक्रमः

१. अनीश्वराः पितृमन्तः स्थितपितृमातृकाः पुत्राः । तेषाम् ऊर्ध्वं पितृतो दायविभागः पितृद्रव्याणाम् । स्वयमार्जितमविभाज्यम् अन्यत्र पितृद्रव्यादुत्थितेभ्यः ।
२. पितृद्रव्यादविभक्तोपगतानां पुत्राः पौत्रा वा आ चतुर्थादित्यंश-भाजः । तावदविच्छिन्नः पिण्डो भवति । विच्छिन्नपिण्डाः सर्वे समं विभजेरन् ।
३. अपितृद्रव्या विभक्तपितृद्रव्या वा सहजीवन्तः पुनर्विभजेरन् । यतश्चोत्तिष्ठेत् स द्वयंशं लभेत् ।

दाय विभाग

उत्तराधिकार का सामान्य नियम

१. माता-पिता या केवल पिता के जीवित रहते लड़के संपत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं । उनके न रहने पर लड़के आपस में संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं; जो संपत्ति किसी लड़के ने स्वयं अर्जित की है उसका बंटवारा नहीं होता है; यदि वह संपत्ति पिता का धन खर्च करके उपार्जित हो तो उसका बंटवारा हो सकता है ।
२. संयुक्त परिवार में रहने वाले पुत्रों के पुत्र-पौत्र आदि चौथी पीढ़ी तक अविभाजित पैतृक संपत्ति के बराबर के हकदार हैं । किन्तु यह जरूरी है कि उनकी वंश-परंपरा खंडित न हुई हो । यदि वंश-परंपरा खंडित हो गई हो तो उस दशा में सभी मौजूद भाई पैतृक संपत्ति का बराबर हिस्सा करें ।
३. जिन भाइयों को पिता की संपत्ति प्राप्त न हुई हो, अथवा जो भाई बंटवारा हो जाने के बाद भी एक साथ खाते-कमाते हों, वे फिर से संपत्ति का विभाग कर सकते हैं । जिस भाई के कारण संपत्ति की अधिक वृद्धि हुई हो वह बंटवारे के समय दो हिस्सा ले सकता है ।

१. द्रव्यमपुत्रस्य सोदर्या भ्रातरः सहजीविनो वा हरेयुः कन्याश्च ।
२. रिक्थं पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः ।
तदभावे पिता धरमाणः, पित्रभावे भ्रातरो भ्रातृपुत्राश्च ।
३. अपितृका बहवोऽपि च भ्रातरो भ्रातृपुत्राश्च पितुरेकमंशं हरेयुः ।
४. सोदर्याणामनेकपितृकाणां पितृतो दायविभागः ।
५. पितृभ्रातृपुत्राणां पूर्वं विद्यमाने नापरमवलम्बन्ते, ज्येष्ठे च कनिष्ठमर्थग्राहिणः ।
६. जीवद्विभागे पिता नैकं विशेषयेत् । न चैकमकारणान्निर्विभजेत । पितुरसत्यर्थे ज्येष्ठाः कनिष्ठाननुगृह्णीयुः, अन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः ।

१. जिसके कोई पुत्र न हों उसकी संपत्ति उसके सगे भाई या साथी ले सकते हैं; और विवाहादि के लिए जितने धन की अपेक्षा हो, कन्यायें उतना धन अपनी पैतृक संपत्ति में से ले लें ।
२. सुवर्ण, आभूषण एवं नकदी आदि जो भी रिक्थ धन है उसके अधिकारी लड़के हैं; लड़कों के अभाव में वे लड़कियाँ रिक्थ धन की अधिकारिणी हैं, जो धर्म-विवाहों से पैदा हुई हैं । लड़कियों के अभाव में मृतक पुरुष का जीवन पिता; पिता के अभाव में पिता के सगे भाई; और उनके अभाव में भी उनके पुत्र उस संपत्ति के हकदार हैं ।
३. मृतक पिता के यदि बहुत-से भाई और उन भाइयों के भी कई पुत्र हों तो वे पिता की संपत्ति का बराबर बंटवारा करें ।
४. एक ही माता से अनेक पिताओं द्वारा पैदा हुए लड़कों का दाय-विभाग पिता के क्रम से होना चाहिए ।
५. मृतक के भाइयों के पुत्रों में यदि उनका पिता जीवित हो और कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिए कर्जा लिया हो तो उस कर्जे को वही चुकता करे; उसके अभाव में बड़ा पुत्र और उसके अभाव में छोटा पुत्र कर्जा भदा करे ।
६. पिता अपने जीते-जी यदि अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहे तो वह किसी एक पुत्र को अधिक हिस्सा न दे । उसे चाहिए कि अकारण ही किसी लड़के को वह हिस्सेदारी से वंचित न करे । पिता अपने पीछे यदि कुछ भी

१. प्राप्तव्यवहाराणां विभागः । अप्राप्तव्यवहाराणां देयविशुद्धं मातृबन्धुषु ग्रामवृद्धेषु वा स्थापयेयुर्व्यवहारप्रापणात् ; प्रोषितस्य वा ।
२. सन्निविष्टसमसन्निविष्टेभ्यो नैवेशनिकं दद्युः । कन्याभ्यश्च प्रादानिकम् ।
३. ऋणरिक्थयोः समो विभागः ।
४. उदपात्राण्यपि निष्किञ्चना विभजेरन् , इत्याचार्याः । छलमेतदिति कौटिल्यः । सतोऽर्थस्य विभागो नासतः ।
५. एतावानर्थः सामान्यस्तस्यैतावान् प्रत्यंशः, इत्यनुभाष्य ब्रुवन् साक्षिषु विभागं कारयेत् । दुर्विभक्तमन्योन्यापहतमन्तर्हितम-

संपत्ति न छोड़ जाय तो बड़े भाई को चाहिए कि वह छोटे भाइयों का भरण-पोषण करे; किन्तु छोटे भाई यदि आचार-व्यवहार-भ्रष्ट हो जाय तो उनकी रक्षा के दायित्व से अपने को वह बरी समझे ।

१. पुत्रों के बालिग (प्राप्तव्यवहार) हो जाने पर ही संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए । नाबालिग (अप्राप्तव्यवहार) पुत्र जब तक बालिग न हो जाय और विदेश गए पुत्र जब तक वापिस न लौट भाएँ तब तक उनके हिस्से की सम्पत्ति को उनके मामा या गाँव के किसी वृद्ध विश्वासी पुरुष के पास सुरक्षित रख देना चाहिए ।
२. विवाहित बड़े भाइयों का कर्तव्य है कि वे अपने छोटे अविवाहित भाइयों के विवाह के लिए खर्च दें और अपनी छोटी बहिनों के विवाह में दहेज आदि के लिए यथोचित धन दें ।
३. सभी भाइयों को चाहिए कि वे ऋण और आभूषण तथा नगदी आदि रिक्थ धन को आपस में बराबर बाँट लें ।
४. प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'दरिद्र लोग अपने पानी पीने आदि के बर्तनों को भी आपस में बाँट ले', किन्तु आचार्य कौटिल्य के मत से 'ऐसा करना छल-कपट है;' क्योंकि, उनके मत से, 'विद्यमान सम्पत्ति ही बंटवारे के योग्य होती है अविद्यमान सम्पत्ति नहीं ।'
५. 'सारी सम्पत्ति इतनी है और प्रत्येक भाई का इतना-इतना हिस्सा है', यह बात साक्षियों के सामने स्पष्ट करके बंटवारा कराया जाय । यदि बंटवारा

विज्ञातोत्पन्नं वा पुनर्विभजेरन् ।

१. अदायादकं राजा हरेत् स्त्रीवृत्तिप्रेतकार्यवर्जमम्, अन्यत्र श्रोत्रिय-द्रव्यात् । तत् त्रैविद्येभ्यः प्रयच्छेत् ।
२. पतितः पतिताज्जातः क्लीबश्चानंशः; जडोन्मत्तान्धकुष्ठिनश्च । सति भार्यार्थे तेषामपत्यमतद्विधं भागं हरेत् । ग्रासाच्छादनमितरे पतितवर्जाः ।

३. तेषां च कृतदाराणां लुप्ते प्रजनने सति ।

सृजेयुर्वान्धवाः पुत्रांस्तेषामंशान् प्रकल्पयेत् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे दायविभागे दायक्रमो नाम
पञ्चमोऽध्यायः; आदितो द्विषष्टितमः ।



ठीक न हुआ हो; या उस संपत्ति में से किसी हिस्सेदार ने कुछ चुरा लिया हो; या वंटवारे के समय कोई चीज रह गई हो; अथवा वंटवारे के बाद अकस्मात् ही कोई चीजें अधिक आ गई हो; तो उस संपत्ति का फिर से वंटवारा किया जाना चाहिए ।

१. जिस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी न हो उसे राजा ले ले; उस संपत्ति में से वह मृतक की विधवा के भरण पोषण योग्य तथा मृतक के श्राद्धकर्म आदि के योग्य धन छोड़ दे । श्रोत्रिय के धन को राजा कदापि न ले; बल्कि उस संपत्ति को वह वेदविद् ब्राह्मणों में वितरित कर दे ।
२. पतित को, पतित से पैदा हुई संतति को और नपुंसक को दाय-भाग नहीं मिलता है । मूर्ख, उन्मत्त, अंधा और कोढ़ी आदि भी दाय भाग के अधिकारी नहीं हैं । मूर्ख, कोढ़ी आदि की भली सतान को उनकी माता की संपत्ति का उत्तराधिकार दिया जाना चाहिए । पतितों को छोड़ कर दूसरे सभी मूर्ख आदि को केवल भोजन-वस्त्र के लिए उस संपत्ति में से दिया जाना चाहिए ।
३. यदि उक्त पतित, मूर्ख आदि पुरुषों की स्त्रियाँ हों; किन्तु अशक्त होने से उनसे वे संतान पैदा न कर सकें, तो उनके वंशु-वांधव उनकी (मूर्ख आदि की) पत्नियों से संतान पैदा करें । वे संतान अपनी परंपरागत संपत्ति के उत्तराधिकारी माने जाने चाहिए ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।



प्रकरण ६२

अध्याय ६

दायविभागे अंशविभागः

१. एकस्त्रीपुत्राणां ज्येष्ठांशः ब्राह्मणानामजाः, क्षत्रियाणामश्वाः, वैश्यानां गावः, शूद्राणामवयः ।
२. काणालिङ्गास्तेषां मध्यमांशः, भिन्नवर्णाः कनिष्ठांशः ।
३. चतुष्पदाभावे रत्नवर्जानां दशानां भागं द्रव्याणामेकं ज्येष्ठो हरेत् । प्रतिमुक्तस्वधापाशो हि भवति इत्यौशनसो विभागः ।
४. पितुः परिवापाद्यानमाभरणं च ज्येष्ठांशः, शयनासनं भुक्तकांस्यं च मध्यमांशः, कृष्णधान्यायसं गृहपरिवापो गोशकटं च कनिष्ठांशः । शेषद्रव्याणामेकद्रव्यस्य वा समो विभागः ।

दाय विभाग

पैतृक क्रम से विशेषाधिकार

१. यदि एक स्त्री के कई पुत्र हों तो उनमें से सबसे बड़े पुत्र को वर्ण क्रम से इस प्रकार हिस्सा मिलना चाहिए : ब्राह्मणपुत्र को दकरियाँ, क्षत्रिय पुत्र को घोड़े, वैश्य पुत्र को गायें और शूद्र पुत्र को भेड़ें ।
२. उन पशुओं में जो काणे हों वे मंजले पुत्र को और जो-रङ्ग-बिरङ्गे पशु हों वे सबसे छोटे पुत्र को दिए जाय ।
३. 'यदि पशु न हों तो, हीरे-जवाहरात को छोड़ कर बाकी सारी सम्पत्ति का दसवां हिस्सा बड़े लड़के को अधिक दिया जाय; क्योंकि बड़ा लड़का ही पितरों का पिंडदान एवं श्राद्ध करता है ।' अंश-विभाग के सम्बन्ध में यह उशाना (शुक्राचार्य) के अनुयायियों का मत है ।
४. मृतक पिता की सम्पत्ति में-से सवारी और आभूषण बड़े लड़के को; सोने-बिछाने और पुराने बर्तन मंजले लड़के को; और काला अन्न, लोहा तथा बैलगाड़ी आदि अन्य घरेलू सामान छोटे लड़के को मिलना चाहिए । बाकी सभी द्रव्यों या एक द्रव्य की बराबर बाँट होनी चाहिए ।

१. अदायादा भगिन्यः मातुः परिवापाद्भुक्तकांस्याभरण-
भागिन्यः ।
२. मानुषहीनो ज्येष्ठस्वृतीमंशं ज्येष्ठांशल्लभेत ; चतुर्थमन्याय-
वृत्तिर्निवृत्तधर्मकार्यो वा । कामचारः सर्वं जीयेत ।
३. तेन मध्यमकनिष्ठौ व्याख्यातौ । तयोर्मानुषोपेतो ज्येष्ठांशा-
दर्धं लभेत ।
४. नानास्त्रीपुत्राणां तु संस्कृतासंस्कृतयोः कन्याकृतक्रिययोरभावे
च, एकस्याः पुत्रयोर्यमयोर्वा पूर्वजन्मना ज्येष्ठभावः ।
५. सूतमागधत्रात्यरथकाराणामैश्वर्यतो विभागः, शेषास्तमुप-
जीवेयुः । अनीश्वराः समविभागा इति ।

१. दाय भाग की अनधिकारिणी बहिनें, माता की सम्पत्ति में-से पुराने वर्तन
तथा जेवरात ले ले ।
२. बड़ा लड़का यदि नपुंसक हो तो उसे अपने हिस्से में-से तीसरा हिस्सा,
यदि वह चरित्रहीन हो तो चौथा हिस्सा और यदि धर्मकार्यों से दूर
रहता हो तथा स्वेच्छाचारी हो तो पैतृक सम्पत्ति का उसे कुछ भी उत्तरा-
धिकार नहीं मिलना चाहिए ।
३. ऐसी अवस्था में मझले और छोटे लड़कों के सम्बन्ध में यही नियम समझना
चाहिए । इन दोनों में यदि एक नपुंसक न हो तो वह बड़े भाई के हिस्से
में से आधी बांट ले ले ।
४. अनेक स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों में उसी पुत्र को बड़ा समझा जाय, जो अवि-
वाहित स्त्री के सुकावले में, विधिपूर्वक व्याह करके लाई गई है, भले ही
उसका पुत्र पीछे पैदा हुआ हो; यदि एक स्त्री कन्या की अवस्था में ही
पत्नी बनी और दूसरी स्त्री दूसरों द्वारा भोगी जाने पर पत्नी बनी, तो
उनमें से पहिली का लड़का ही बड़ा समझा जाय; इसी प्रकार यदि किसी
स्त्री के जुड़वां बच्चे पैदा हो जायें, तो उनमें वही बड़ा माना जाय जो पहिले
पैदा हुआ है ।
५. सूत, मागध, ब्राह्म्य और रथकारों की सम्पत्ति का विभाग उनके ऐश्वर्य के
अनुसार होना चाहिए; अर्थात् जो लड़का उनमें अधिक प्रभावशाली है

१. चातुर्वर्ण्यपुत्राणां ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरोऽशान् हरेत् ; क्षत्रियापुत्र-
स्त्रीनंशान् , वैश्यापुत्रो द्वावंशौ, एकं शूद्रापुत्रः ।
२. तेन त्रिवर्णद्विवर्णपुत्रविभागः क्षत्रियवैश्ययोर्व्याख्यातः ।
३. ब्राह्मणस्यानन्तरापुत्रस्तुल्यांशः । क्षत्रियवैश्ययोर्धांशः । तु-
ल्यांशो वा मानुषोपेतः ।
४. तुल्यातुल्ययोरेकपुत्रः सर्वं हरेद् बन्धुंश्च विभृयात् ।
५. ब्राह्मणानां तु पारशवस्तृतीयमंशं लभेत । द्वावंशौ सपिण्डः कुल्यो
वासन्नः स्वधादानहेतोः । तदभावे पितुराचार्योऽन्तेवासी वा ।

वह पैतृक सम्पत्ति को ले ले और उसके बाकी भाई उस पर भाश्रित रहकर जीवित रहें। यदि उनमें से कोई एक अधिक प्रभावशाली न हो तो वे सम्पत्ति का बराबर-बराबर बांट करें।

१. यदि किसी ब्राह्मण की चारों वर्णों की पत्नियाँ हों तो ब्राह्मणी से पैदा हुए पुत्र को चार भाग, क्षत्रिया स्त्री के पुत्र को तीन भाग, वैश्या पत्नी के लड़के को दो भाग और शूद्रा में उत्पन्न हुए पुत्र को एक भाग मिलना चाहिए।
२. इसी प्रकार यदि किसी क्षत्रिय की क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा, तीन पत्नियाँ हों, तथा वैश्य की वैश्या और शूद्रा, दो ही पत्नियाँ हों तो उनके पुत्रों का दायविभाग भी उक्त विधि से ही समझ लेना चाहिए।
३. यदि किसी के ब्राह्मणी और क्षत्रिया से दो ही पुत्र पैदा हुए हों तो तो वे दोनों सम्पत्ति को बराबर बांट लें। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य के घर में नीच जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के, समान वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के के हिस्से में-से आधी बांट ले ले। जिसमें पौरुष हो वह बराबर का ही हिस्सा ले।
४. समान या असमान, किसी भी वर्ण की स्त्री से यदि लड़का पैदा हुआ हो तो वही पिता की सारी सम्पत्ति को ले ले; और अपने बन्धु-वांधवों का भरण-पोषण करे।
५. ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण की सम्पत्ति के तीसरे हिस्से को प्राप्त करे। यदि किसी मातृकुल की या निष्कट के खानदान की स्त्री से लड़का उत्पन्न हुआ हो तो वह दो भाग ले ले, जिससे कि वह मृत पिता का

१. क्षेत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः क्षेत्रजं सुतम् ।
मातृबन्धुः सगोत्रो वा तस्मै तत् प्रदिशेद् धनम् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे दायविभागे भंशविभागो नाम
षष्ठोऽध्यायः; आदितस्त्रिषष्टितमः ।



पिण्डदान कर सके । इन सब के न होने पर मृतक का आचार्य अथवा शिष्य उसकी सम्पत्ति का अधिकारी है ।

१. अथवा मृतक की स्त्री से नियोग द्वारा पैदा हुआ पुत्र या उसके मातृकुल के भाई अथवा समीप के रिश्तेदार, मृतक की सम्पत्ति के अधिकारी हैं ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त ।



दायविभागे पुत्रविभागः

१. परपरिग्रहे बीजमुत्सृष्टं क्षेत्रिणः, इत्याचार्याः ।
२. माता भस्त्रा यस्य रेतस्तस्यापत्यम्, इत्यपरे ।
३. विद्यमानमुभयम्, इति कौटिल्यः ।
४. स्वयंजातः कृतक्रियायामौरसः । तेन तुल्यः पुत्रिकापुत्रः ।
सगोत्रेणान्यगोत्रेण वा नियुक्तेन क्षेत्रजातः क्षेत्रजः पुत्रः ।
जनयितुरसत्यन्यस्मिन् पुत्रे स एव द्विपितृको द्विगोत्रो वा

दाय विभाग

पुत्रक्रम से उत्तराधिकार

१. पुरातन आचार्यों का मत है कि 'किसी पुरुष से किसी पराई स्त्री में पैदा हुआ पुत्र उस पराई स्त्री की संपत्ति है' ।
२. किन्तु दूसरे आचार्यों का कहना है कि 'जो बच्चा जिसके वीर्य से पैदा हो वह उसी का समझा जाना चाहिये ।'
३. आचार्य कौटिल्य की स्थापना है कि 'वे दोनों ही उस बालक के पिता समझे जाय ।'
४. विधिपूर्वक विवाहित स्त्री से उसके पति द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र औरस कहलाता है । उसी के समान लड़की का लड़का भी समझा जाता है । समानगोत्र अथवा भिन्नगोत्र स्त्री से उसके पति द्वारा पैदा किया गया लड़का क्षेत्रज कहलाता है । यदि मृतक पिता का कोई लड़का न हो तो वही, दो पिता या दो गोत्र वाला लड़का ही । उन दोनों के पिंडदान और संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है । क्षेत्रज पुत्र की ही तरह जो बच्चा

द्वयोरपि स्वधारिकथभाग् भवति । तत्सधर्मा बन्धूनां गृहे गूढ-
जातस्तु गूढजः । बन्धुनोत्सृष्टोऽपविद्धः संस्कर्तुः पुत्रः ।
कन्यागर्भः कानीनः । सगर्भोऽढायाः सहोढः । पुनर्भूतायाः
पौनर्भवः ।

१. स्वयंजातः पितृबन्धूनां च दायादः । परजातः संस्कर्तुरेव
न बन्धूनाम् ।
२. तत्सधर्मा मातृपितृभ्यामद्भिर्दत्तो दत्तः ।
३. स्वयं बन्धुभिर्वा पुत्रभावोपगत उपगतः ।
४. पुत्रत्वेऽधिकृतः कृतकः । परिक्रीतः क्रीत इति ।

छिपे तौर पर स्त्री के किसी भाई-बन्धु के घर पैदा हो वह गूढज कहलाता है । यदि बन्धु-बान्धव उस बच्चे को अपने यहाँ न रखना चाहें और मारकर कहीं ढाल दें या फेंक दे, उस दशा में जो उस बच्चे का पालन-पोषण करे वह पुत्र उसी का माना जाता है । अविवाहित कन्या के गर्भ से जो बच्चा पैदा हो उसे कानीन कहते हैं । गर्भवती स्त्री का विवाह होने पर जो बच्चा पैदा हो वह सहोढ कहलाता है । दुवारा व्याहता स्त्री से जो बच्चा पैदा हो उसे पौनर्भव कहते हैं ।

१. पिता या बन्धुओं से स्वयं उत्पन्न किया हुआ बच्चा उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है । जो पुत्र गूढज पुत्र के समान दूसरे से पैदा हुआ हो, वह अपने पालन-पोषण करने वाले की संपत्ति का ही उत्तराधिकारी होता है; बन्धु-बान्धवों की संपत्ति का नहीं ।
२. उक्त बालक के ही समान जो बालक माता-पिता के द्वारा, हाथ में जल लेकर, किसी दूसरे को दे दिया जाय वह दत्त कहलाता है; और पालन करने वाले की संपत्ति का वह उत्तराधिकारी होता है ।
३. जो स्वयं या बन्धुओं द्वारा पुत्र भाव से प्राप्त हुआ हो, वह उपगत कहलाता है ।
४. जो पुत्रभाव से स्वीकार किया जाय वह कृतक कहलाता है । जो खरीद कर पुत्र बनाया जाय उसको क्रीत पुत्र कहते हैं ।

१. औरसे तूत्पन्ने सवर्णास्तृतीयांशहराः । असवर्णां ग्रासाच्छा-
दनभागिनः ।
२. ब्राह्मणक्षत्रिययोरनन्तरा पुत्राः सवर्णाः, एकान्तरा असवर्णाः ।
३. ब्राह्मणस्य वैश्यायामम्बष्ठः; शूद्रायां निषादः पारशवो वा ।
क्षत्रियस्य शूद्रायामुग्रः ।
४. शूद्र एव वैश्यस्य ।
५. सवर्णासु चैषामचरितव्रतेभ्यो जाता व्रात्याः । इत्यनुलोमाः ।
६. शूद्रादायोगवक्षत्तुचण्डालाः ।
७. वैश्यान्मागधवैदेहकौ ।
८. क्षत्रियात् सूतः ।

१. औरस पुत्र के उत्पन्न होने पर अन्य सवर्ण स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र, पिता की जायदाद के तीसरे हिस्से के अधिकारी होते हैं । असवर्ण स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र केवल भोजन-वस्त्र के ही अधिकारी हैं ।
२. ब्राह्मण और क्षत्रिय के अनन्तर (ब्राह्मण के लिए क्षत्रिया और क्षत्रिय के लिए वैश्या) जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र सवर्ण और एक जाति के व्यवधान से, अर्थात् ब्राह्मण से वैश्या में या क्षत्रिय से शूद्रा में, उत्पन्न पुत्र असवर्ण समझे जाते हैं ।
३. ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ कहलाता है । ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र निषाद या पारशव कहलाता है । क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र उग्र कहलाता है ।
४. वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र शूद्र ही माना जायगा ।
५. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्वारा सवर्ण स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों का यदि यथा-समय विधिपूर्वक उपनयन एवं ब्रह्मचर्य आदि सस्कार न किया जाय तो वे व्रात्य हो जाते हैं । ये सब अनुलोम विवाहों से पैदा होते हैं ।
६. शूद्र द्वारा वैश्या, क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र क्रमशः आयोगव, क्षत्ता और चाण्डाल कहलाते हैं ।
७. वैश्य द्वारा क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र क्रमशः मागध और वैदेहक कहलाते हैं ।
८. क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र सूत कहलाता है ।

१. पौराणिकस्त्वन्यः सूतो मागधश्च; ब्रह्मक्षत्राद्विशेषतः ।
२. त एते प्रतिलोमाः स्वधमातिक्रमाद् राज्ञः सम्भवन्ति ।
३. उग्रान्नैषाद्यां कुक्कुटकः, विपर्यये पुलकसः । वैदेहिकायामम्ब-
ष्ठाद् वैणः, विपर्यये कुशीलवः । क्षत्तायामुग्राच्छ्वपाकः । इत्येतेऽन्ये
चान्तरालाः । कर्मणा वैष्यो रथकारः ।
४. तेषां स्वयोनौ विवाहः । पूर्वावरगामित्वं वृत्तानुवृत्तं च स्वधर्मान्
स्थापयेत् । शूद्रसधर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेभ्यः ।
५. केवलमेवं वर्तमानः स्वर्गमाप्नोति राजा नरकमन्यथा ।
६. सर्वेषामन्तरालानां समो विभागः ।

- १ किन्तु पुराणों में वर्णित सूत और मागध इनसे सर्वथा भिन्न हैं और वे ब्राह्मण तथा क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ हैं ।
२. राजा जब धर्मभ्रष्ट हो जाता है तभी ये प्रतिलोम वर्णसंकर सन्तानें पैदा होती हैं ।
३. क्षत्रिय-शूद्रा से उत्पन्न उग्र पुरुष द्वारा निषाद जाति की स्त्री में उत्पन्न बालक कुक्कुट कहलाता है । निषाद पुरुष से उग्रा स्त्री में उत्पन्न पुत्र पुलकस कहलाता है । अम्बष्ठ पुरुष से वैदेहिका स्त्री में उत्पन्न पुत्र वैण कहलाता है । वैदेहक पुरुष से अम्बष्ठा स्त्री में उत्पन्न पुत्र कुशीलव कहलाता है । इसी प्रकार उग्र-क्षत्ता से श्वपाक आदि अवान्तर संकर जातियों के सम्बन्ध में समझना चाहिये । वैष्य, कर्म करने से रथकार कहा जाता है ।
४. उक्त संकर वर्णों का विवाह अपनी ही जाति में होता है । पूर्वापरगामी होने तथा धर्म का निर्णय करने में वे अपने पूर्वजों का अनुगमन करें । अथवा चाण्डालों को छोड़कर सभी संकर जातियों का धर्म, शूद्रों के ही समान समझना चाहिये ।
५. प्रजा की सुव्यवस्था का यही एकमात्र विधान है, जिसको करने पर राजा स्वर्ग जाता है, अन्यथा उसको नरक होता है ।
६. इन सभी संकर जातियों में जायदाद का बराबर-बराबर हिस्सा होना चाहिये ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ६३, अध्याय ७

१. देशस्य जात्याः सङ्घस्य धर्मो ग्रामस्य वापि यः ।
उचितस्तस्य तेनैव दायधर्मं प्रकल्पयेत् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे दायविभागे
पुत्रविभागो नाम सप्तमोऽध्यायः;
आदितश्चतुषष्टितमोऽध्यायः ।



१. देश, जाति, संघ और गाँव के लिए जैसा धर्मोचित एवं श्रेयस्कर हो, उसी के अनुसार वहाँ का दाय-विभाग करना चाहिए ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त ।



अध्याय ८

वास्तुके गृहवास्तुकम्

१. सामन्तप्रत्यया वास्तुविवादाः ।
२. गृहं क्षेत्रमारामः सेतुबन्धस्तटाकमाधारो वा वास्तुः ।
३. कर्णक्रीलायससम्बन्धोऽनुगृहं सेतुः । यथासेतुभोगं वेश्म कारयेत् ।
४. अभूतं वा परकुड्यादपक्रम्य द्वावरत्नी त्रिपदीं पादे बन्धं कारयेत् ।
५. अवस्करं भ्रममुदपानं वा न गृहोचितमन्यत्र अन्यत्र सूतिकाकू-

वास्तुक

गृह-निर्माण

१. गाँव के मुखियाओं (सामन्तों) को चाहिये कि वे वास्तु-विषयक झगड़ों का फैसला करें ।
२. घर, खेत, बाग-बगीचे, सीमाबंध, तालाब और बाँध आदि सब वास्तु कहलाते हैं ।
३. प्रत्येक घर के चारों ओर चारों कोनों पर लोहे के छोटे खम्भे गाड़कर उनमें जो तार खींच दिया जाता है, उसी का नाम सेतु (सीमा) है । सीमा (सेतु) के अनुसार ही मकान बनवाना चाहिये ।
४. दूमरे की दीवार के सहारे मकान न बनवाया जाय । मकान की नींव में सवा फुट या तीन पद (दो अरत्नी) कंकरीट भरवानी चाहिये ।
५. दस दिन के लिए बनाये जाने वाले सूतिकागृह को छोड़कर, बाकी सब मकानों में पाखाना, पाइप, कुआँ, पाकशाला और भोजनशाला अवश्य

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ३४ अध्याय =

पादा निर्देशाहादिति । तस्यातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ।

१. तेनेन्धनाववातनकृतं कल्याणकृत्येष्वामोदकमार्गाश्च व्याख्याताः ।
२. त्रिपदीप्रतिक्रान्तमध्यर्धमरत्नि वा प्रवेश्य गाढप्रसृतमुदकमार्गं प्रस्रवणप्रपातं वा कारयेत् । तस्यातिक्रमे चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।
३. एकपदीप्रतिक्रान्तमरत्नि वा चक्रिचतुष्पदस्थानमग्निष्ठमुदञ्जरस्थानं रोचनीं कुट्टनीं वा कारयेत् । तस्यातिक्रमे चतुर्विंशत्पणो दण्डः ।
४. सर्ववास्तुकयोः प्राक्षिप्तयोर्वा शालयोः किष्कुरन्तरिका त्रिपदी वा । तयोश्चतुरङ्गुलं नीप्रान्तरं समारूढकं वा । किष्कुमात्र-

वनवाने चाहिये । इस नियम का उल्लंघन करने वाले को पूर्व साहस दण्ड दिया जाना चाहिए ।

१. इसी प्रकार उरसवों के समय कुल्ले का पानी बाहर निकालने के लिए नालियों और भट्टियों का प्रबन्ध भी हर मकान में रहना चाहिये ।
२. प्रत्येक मकान पर सवा फुट (तीन पद) का गहरा, प्लेन तथा साफ-सुथरा पतमाला पानी के बहने के लिये दीवार के साथ-साथ भगवा दीवार से भलग बनवाया जाय । इस भिद्यग का उल्लंघन करने वाले पर पचास पण दण्ड किया जाय ।
३. घर के बाहर एक तरफ चार खम्भों से सजित एक यज्ञशाला बनवाई जाय, जिसमें एक पद गहरा पानी बाहर निकालने की नाली हो; यज्ञशाला की दूसरी ओर आटा पीसने की लकड़ी और अनाज कूटने के लिए ओराली बनवाई जाय । ऐसा प्रबन्ध न करने वाले को चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।
४. साधारणतया दो मकानों के बीच में एक हाथ (तीन पद) का फासला होना चाहिये; खम्भे वाले या उसारे वाले मकानों में भी इतना फासला अवश्य रहना चाहिये । मकानों की छतों में पार अंगुल का अन्तर हो या वे आपस में जुड़े हों । गली की ओर एक हाथ (एक

माणिद्वारमन्तरिकायां खण्डफुल्लार्थमसम्पातं कारयेत् । प्रका-
शार्थमल्पमूर्ध्वं वातायनं कारयेत् । सम्भूय वा गृहस्वामिनो
यथेष्टं कारयेयुरनिष्टं वारयेयुः ।

१. वानलव्याश्रोध्वंमावार्यभागं कटप्रच्छन्नमवमर्शभित्ति वा कारयेद्
वर्षवाधभयात् । तस्यातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ।
२. प्रतिलोमद्वारवातायनवाधायां च, अन्यत्र राजमार्गरथ्याभ्यः ।
३. खातसोपानप्रणालीनिश्रेण्यवस्करभागैर्वहिर्वाधायां भोगनिग्रहे च ।
४. परकुड्यमुदकेनोपघ्नतो द्वादशपणो दण्डः । मूत्रपुरीषोपघाते
द्विगुणः ।
५. प्रणालीमोक्षो वर्षति, अन्यथा द्वादशपणो दण्डः ।

किष्कु) नाप की खिड़की बनाई जाय, जो मजबूत हो और जिसको यथावसर
खोला जा सके । रोशनी आने के लिए खिड़की के ऊपर छोटे-छोटे रोशनदान
बनवाये जायं । अन्तिम मकान के रोशनदान पर छाया के लिए टिन आदि
लगवा देना चाहिये । अथवा पास-पड़ोस के रहने वाले आपसी समझौते से
अपनी इच्छानुसार मकान बनवा लें, जिससे एक-दूसरे को कोई कष्ट न हो ।

१. वर्षा ऋतु के लिए स्थायी रूप से घास-फूस की एक छत बनवा लेनी चाहिये ।
ऐसा न करने पर पूर्व साहस दण्ड दिया जाय ।
२. जो व्यक्ति बाहर की ओर दरवाजा या खिड़की बनवाकर पड़ोसियों को कोई
तकलीफ दे उसको भी पूर्व साहस दण्ड दिया जाय । यदि वे दरवाजे या
खिड़कियाँ शाही सड़क या बाजार की ओर खुलें तो कोई हर्ज नहीं है ।
३. गड्ढा, जीना, सीढ़ी और पाखाना आदि के द्वारा जो मकान मालिक अपने
पड़ोसियों को कष्ट पहुँचाये, सहन को रोके और पानी निकालने का ठीक
प्रबन्ध न करे तो वह भी पूर्व साहस दण्ड का भागीदार है ।
४. पानी आदि से जो दूसरे की दीवाल को नुकसान पहुँचाये उसे बारह पण
दण्ड दिया जाय । पेशाब और पाखाने की रुकावट करने वाले को चौबीस
पण दण्ड दिया जाय ।
५. कूड़ा-करकट बहने के लिये वर्षा-ऋतु में हर एक नाली खुली रहनी चाहिये;
अन्यथा उसको बारह पण दण्ड दिया जाय ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ६४, अध्याय ८

१. प्रतिषिद्धस्थ च वसतः । निरस्यतश्चावक्रयणम् ; अन्यत्र पारु-
ष्यस्तेयसाहससङ्ग्रहणमिथ्याभोगेभ्यः । स्वयमभिप्रस्थितो
वर्षावक्रयशेषं दद्यात् ।
२. सामान्ये वेश्मनि साहाय्यमप्रयच्छतः सामान्यमुपरुन्धतो भोगं
च गृहे द्वादशपणो दण्डः; विनाशयतस्तद्द्विगुणः ।
३. कोष्ठकाङ्गणवर्जानामग्निकुट्टनशालयोः ।
विष्टतानां च सर्वेषां सामान्यो भोग इष्यते ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे वास्तुके गृहवास्तुकं नाम अष्टमोऽध्यायः;
आदितः पञ्चषष्टितमः ।



१. मालिक मकान के मना करने पर भी जो किरायादार मकान खाली न करे और किराया देने पर भी जो मकान मालिक किरायेदार को निकाले, उन्हें वारह पण दण्ड दिया जाय; बशर्ते कि उनके सम्बन्ध में कठोर भाषण, चोरी, डाका, व्यभिचार तथा धोखादेही का कोई मामला न हो। यदि किरायादार स्वेच्छा से मकान को छोड़ दे तो साल भर का किराया मालिक को अदा करे।
२. धर्मशाला आदि पञ्चायती घरों में सहायता न देने वाले व्यक्ति को तथा उन घरों का उपयोग करने में बाधा डालने वाले व्यक्ति को वारह पण दण्ड दिया जाय। यदि कोई उन पञ्चायती घरों की क्षति करे तो उस पर चौबीस पण जुर्माना किया जाय।
३. कोठा और आँगन को छोड़कर अग्निशाला, कुट्टनशाला (ओखली) तथा दूसरे सभी खुले स्थानों का सब लोग उपयोग कर सकते हैं।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त ।



वास्तुके वास्तुनिक्रयः

१. ज्ञातिसामन्तधनिकाः क्रमेण भूमिपरिग्रहान् क्रेतुमभ्यामवेयुः ।
ततोऽन्ये बाह्याः ।
२. सामन्तचत्वारिंशत्कुल्या गृहप्रतिमुखे वेश्म श्रावयेयुः । साम-
न्तग्रामवृद्धेषु क्षेत्रमारामं सेतुबन्धं तटाकमाधारं वा मर्यादासु
यथासेतुभोगम् । 'अनेनार्घेण कः क्रेता' इति त्रिराघुपितम-
व्याहतं क्रेता क्रेतुं लभेत ।
३. स्पर्धया वा मूल्यवर्धने मूल्यवृद्धिः सशुल्का कोशं गच्छेत् ।

वास्तुक

मकान वेचनाः सीमाविवादः खेतों की सीमाएँ;

मिश्रित विवादः कर की छूट

१. मकान वेचना—यदि मकान वेचना हो तो मकान मालिक को चाहिए कि क्रमशः वह अपने कुटुम्बी, गाँव का मुखिया और धनाढ्य से पूछे । यदि वे खरीदने से इनकार कर दे तब बाहर के लोगों से बातचीत चलाई जाय ।
२. दूसरे गाँवों के मुखिया तथा उनके चालीस कुल तक के पुरुषों को, मकान के सामने ही मकान की कीमत सुनाई जाय । गाँव के मुखिया तथा अन्य वृद्ध पुरुषों के सामने खेत, बाग, सीमबन्ध, तालाब और हौज आदि की मर्यादा के अनुसार कीमत निर्धारित करे 'इस मकान की इतनी कीमत है; इसको कौन खरीदना चाहता है?' इस प्रकार तीन बार भावाज लगाने पर जो भी खरीददार बोली बोले, उसको बे-रोक-टोक मकान बेच देना चाहिए ।
३. खरीददारों की होड़ के कारण बोली बढ़ जाय तो वह बढ़ा हुआ मूल्य

विक्रयप्रतिक्रोष्टा शुल्कं दद्यात् ।

१. अस्वामिप्रतिक्रोशे चतुर्विंशतिपणो दण्डः । सप्तरात्रादूर्ध्वमनभिसरतः प्रतिक्रोष्टो विक्रीणीत । प्रतिक्रोष्टातिक्रमे वास्तुनि द्विशतो दण्डः, अन्यत्र चतुर्विंशतिपणो दण्डः । इति वास्तुविक्रयः ।
२. सीमविवादं ग्रामयोरुभयोः सामन्ता पञ्चग्रामी दशग्रामी वा सेतुभिः स्थावरैः कृत्रिमैर्वा कुर्यात् ।
३. कर्षकगोपालवृद्धकाः पूर्वभुक्तिका वा, अबाह्याः सेतूनामभिज्ञा बहव एको वा निर्दिश्य सीमसेतून् विपरीतवेषाः सीमानं नयेयुः । उद्दिष्टानां सेतूनामदर्शने सहस्रदण्डः । तदेव नीतं सीमापहारिणां सेतुच्छिदां च कुर्यात् ।

शुल्क सहित सरकारी खजाने में जमा किया जाय । बेचने वाले से वह शुल्क वसूल किया जाय ।

१. मकान मालिक की अनुपस्थिति में उसके मकान का नीलाम करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय । सूचना देने पर भी सात दिन के भीतर यदि मकान मालिक उपस्थित न हो तो उसकी अनुपस्थिति में ही नीलाम करने वाला मकान बेच दे । बोली बोल देने के बाद यदि कोई व्यक्ति मकान लेने से मुकर जाय तो उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । मकान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में चौबीस पण दण्ड किया जाय । यहां तक मकान बेचने के सम्बन्ध में कहा गया ।
२. सीमा-विवाद—दो गाँवों के झगड़ों को उन गाँवों के मुखिया या आस-पास के पाँच-पाँच, दस-दस गाँवों के मुखिया आपस में मिलकर निबटारें; दो गाँवों के बीच वे स्थायी या अस्थायी हदबन्दी कायम कर दें ।
३. गाँव के किसान; ग्वाले, वृद्ध तथा बाहर के अन्य अनुभवी, एक या अनेक, पुरुष, जो शरहद की टयेबन्दी से परिचित न हों, अपना वेश बदल कर वे सीमा के चिन्हों का पता लगाएँ और तब सीमाएं निर्धारित करें । निर्णय किए हुए या बताये गए सीमा चिन्हों के न देखे जाने पर अपराधी पर एक हजार पण दण्ड किया जाय । जो सीमा की भूमि का अपहरण करे या उसके चिन्हों को काटे, उसे भी यही दण्ड दिया जाय ।

१. प्रनष्टसेतुभोगं वा सीमानं राजा यथोपकारं विभजेत् ।
२. क्षेत्रविवादं सामन्तग्रामवृद्धाः कुर्युः । तेषां द्वैधीभावे यतो बहवः शुचयोऽनुमता वा ततो नियच्छेयुः । मध्यं वा गृह्णीयुः । तदुभयं परोक्तं वास्तु राजा हरेत् प्रनष्टस्वामिकं च । यथोपकारं वा विभजेत् ।
३. प्रसह्यादाने वास्तुनि स्तेयदण्डः । कारणादाने प्रयासमाजीवं च परिसङ्ख्याय बन्धं दद्यात् । मर्यादापहरणे पूर्वः साहसदण्डः । मर्यादाभेदे चतुर्विंशतिपणः ।
४. तेन तपोवनविवीतमहापथश्मशानदेवकुलयजनपुण्यस्थानविवादा व्याख्याताः । इति मर्यादास्थापनम् ।

१. जहाँ पर कि सीमा के चिन्ह सर्वथा मिट गए हों और निर्णय के लिए कोई आधार नजर न आये, वहाँ पर राजा स्वयं इस प्रकार का सीमा-विभाग करे, जिससे कि किसी भी ग्रामवासी को कोई हानि न उठानी पड़े ।
२. खेतों की सीमाएँ—खेतों के झगड़े का निबटारा गाँव के मुखिया तथा वृद्ध पुरुष करें । यदि उनका आपस में मतभेद हो जाय तो वे धार्मिक पुरुष उसका निर्णय करें, जिनको प्रजा स्वीकार करती हो या किसी दूसरे को मध्यस्थ बना कर निर्णय किया जाय । यदि इन दोनों अवस्थाओं में भी कुछ निर्णय न हो सके तो उन विवादग्रस्त खेतों को राजा अपने कब्जे में ले ले, और उस सम्पत्ति को भी राजा ले ले, जिसका कोई वारिस न हो । या जनता की लाभ की दृष्टि से उनका यथोचित विभाग कर दे ।
३. जो व्यक्ति मकान, भूमि आदि अचल सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करे उसे चोरी का दण्ड दिया जाय । किन्तु, यदि ऋण आदि के बदले कब्जा करे तो कब्जेदार को चाहिए कि वह, सम्पत्ति के मालिक के शारीरिक श्रम का फल और कर्जे की अपेक्षा सम्पत्ति का जो अधिक मूल्य बैठे. उसका हिसाब मालिक को अंदा कर दे । सीमाबन्दी को सरकाने पर प्रथम साहस दण्ड और सीमा-चिन्हों को मिटाने पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।
४. इसी प्रकार तपोवन, चारागाह, बड़ी झरकें, श्मशान, देवालय, यज्ञस्थान और दूसरे पुण्यस्थानों के विवादास्पद विषयों का भी निर्णय करना चाहिए । यहाँ तक सीमाविषयक विवाद पर निर्णय का विधान वर्णन किया गया ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ६५, अध्याय ६

१. सर्व एव विवादाः सामन्तप्रत्ययाः । विवीतस्थलकेदारषण्ड-
खलवेशमवाहनकोष्ठानां पूर्वं पूर्वमाबाधं सहेत ।
२. ब्रह्मसोमारण्यदेवयजनपुण्यस्थानवर्जाः स्थलप्रदेशाः ।
३. आधारपरिवाहकेदारोपभोगैः परक्षेत्रकृष्टबीजहिंसायां यथोप-
घातं मूल्यं दद्युः । केदारारामसेतुबन्धानां परस्परहिंसायां
हिंसाद्विगुणो दण्डः ।
४. पश्चान्निविष्टमधरतटाकं नोपरितटाकस्य केदारमुदकेनाप्लाव-
येत् । उपरि निविष्टं नाधरतटाकस्य पूरास्रावं वारयेद् अन्यत्र
त्रिवर्षोपरतकर्मणः । तस्यातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डस्तटाक-
वामनं च ।
५. पञ्चवर्षोपरतकर्मणः सेतुबन्धस्य स्वाम्यं लुप्येतान्यत्रापद्भ्यः ।

१. मिश्रित विवाद—सब तरह के विवादों का निर्णय मुखिया (सामान्त)
लोगों को करना चाहिए । चरागाह, खेती योग्य जमीन, खलिहान, मकान
और घुड़साल, इनके सम्बन्ध में विवाद उपस्थित होने पर क्रमशः पहिले
को प्रधानता देते हुए निर्णय किया जाय ।
२. ब्रह्मारण्य, सोमारण्य, देवस्थान, यज्ञस्थान और अन्य पुण्यस्थानों को
छोड़कर आवश्यकता होने पर सभी जगह खेती कराई जा सकती है ।
३. जलाशय, क्यारी तथा नाली बनाते समय यदि किसी के बीज घोये खेत
का नुकसान हो जाय तो हानि के अनुसार उसका मूल्य चुका देना चाहिए ।
यदि कोई व्यक्ति खेत, वाग-बगीचा और सीमाबन्ध भादि को एक-दूसरे के
बदले में नुकसान पहुँचाये तो उन्हें नुकसान का दुगुना दण्ड देना चाहिए ।
४. बाढ़ में बने हुए नीचे के तालाब से सींचे जाने वाले खेत को ऊपर के तालाब
के पानी से न सींचा जाय । नीचे के तालाब में भाते हुए ऊपर के तालाब
का पानी तब तक न रोका जाय, यदि नीचे का तालाब तीनवर्ष तक
बेकार न पड़ा हो । इस नियम का उल्लंघन करने वाले को प्रथम साहस
दण्ड दिया जाय; और उसके तालाब का पानी निकलवा दिया जाय ।
५. पाँच वर्ष तक यदि जल भादि का कोई सीमाबन्ध बेकार रहे उस दशा
में उस पर उसके स्वामी का हक नहीं रहता है; किन्तु विपत्तियों के कारण
यदि उसको उपयोग में न लाया गया हो तो कोई बात नहीं ।

१. तटाकसेतुबन्धानां नवप्रवर्तने पाञ्चवर्षिकः परिहारः । भग्नो-
त्सृष्टानां चातुर्वर्षिकः । समुपारूढानां त्रैवर्षिकः । स्थलस्य
द्वैवर्षिकः । स्वात्माधाने विक्रये च ।
२. खातप्रावृत्तिमनदीनिबन्धायतनतटाककेदारारामषण्डवापानां स-
स्यवर्णभागोत्तरिकम् , अन्येभ्यो वा यथोपकारं दद्युः ।
३. प्रक्रयावक्रयाधिभागभोगनिसृष्टोपभोक्तारश्चैषां प्रतिकुर्युः । अप्र-
तीकारे हीनद्विगुणो दण्डः ।
४. सेतुभ्यो मुञ्चतस्तोयमवारे षट्पणो दमः ।
वारे वा तोयमन्येषां प्रमादेनोपरुन्धतः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे वास्तुके वास्तुविक्रयो नाम नवमोऽध्यायः;

आदितः षट्षष्टितमः ।



१. कर की छूट—नये शिरे से तालाब और सीमाबन्ध बनवाने वाले व्यक्ति पर पाँच वर्ष तक सरकारी टैक्स न लगाया जाय । यदि वह जीर्णोद्धार कराये तो चार वर्ष तक; यदि उनको बढ़ाये तो तीन वर्ष तक सरकारी टैक्स न लिया जाय । इसी प्रकार भूमि को गिरवी रखने और बेचने पर दो वर्ष तक सरकारी टैक्स न लिया जाय ।
२. जिन तालाबों में नदी का पानी न आता हो और किसानरहट आदि लगाकर अपने खेतों, बगीचों तथा फुलवाड़ियों में जिनसे पानी देते हों उनकी उपज पर सरकार उतना ही कर लगाए जितने से उन लोगों को कोई कष्ट न हो ।
३. जिन किसानों के तालाब नहीं हैं वे भी कीमत देकर, कुछ बंधी हुई रकम देकर, अपनी उपज का कुछ हिस्सा देकर अथवा मालिक की आज्ञा से दूसरे तालाबों से पानी ले सकते हैं । किन्तु उनके लिए यह आवश्यक है कि वे तालाब, रहट आदि की बराबर मरम्मत करते रहें । मरम्मत न करने पर जो नुकसान होगा उसका दुगुना जुर्म उन्हें भुगतना पड़ेगा ।
४. अपनी बारी न होने पर जो पानी ले उसको छह पण का दण्ड दिया जाय, और उसको भी यही दण्ड दिया जाय जो प्रमाद से, अपनी बारी पर पानी लेते हुए दूसरे का पानी रोक दे ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में नौवाँ अध्याय समाप्त ।



प्रकरण ६६

अध्याय १०

वास्तुके विनीतक्षेत्रपथहिंसा समय-गानपाकर्म च

१. कर्मोदकमार्गमुचितं रुन्धतः कुर्वतोऽनुचितं वा पूर्वः साहसदण्डः ।
२. सेतुकूपपुण्यस्थानचैत्यदेवायतनानि च परभूमौ निवेशयतः पूर्वानुवृत्तं धर्मसेतुमाधानं विक्रयं वा नयतो नाययतो वा मध्यमः साहसदण्डः श्रोतृणामुत्तमः अन्यत्र भग्नोत्सृष्टात् ।
३. स्वाम्यभावे ग्रामाः पुण्यशीला वा प्रतिकुर्युः ।
४. पथिप्रमाणं दुर्गनिवेशे व्याख्यातम् । क्षुद्रपशुमनुष्यपथं रुन्धतो

वास्तुक

रास्तों का रोकना; गावों का बन्दोबस्त; चरागाहों का प्रबन्ध;
सामूहिक कार्यों में सामिल न होने का मुआबजा

१. जो लोग खेती की सिंचाई के लिए पानी के उचित रास्तों को रोकें और अनुचित रास्तों से जल को ले जाये उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।
२. जो लोग दूसरे की जमीन में सीमा, पुण्यस्थान, चैत्य और देवालय बनवायें अथवा पहिले से धर्मार्थ बने हुए स्थानों को गिरवी रखे, बेंचे या विकवायें उन्हें मध्यम साहस दण्ड दिया जाय । जो लोग इन कार्यों में सहायक या साक्षी वनें उन्हे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय; किन्तु, यदि मकान टूट-फूट गया हो और उसको मालिक ने छोड़ दिया हो तो उसको बेचने, गिरवी रखने में कोई हानि नहीं है ।
३. मकान मालिक के न होने पर ग्रामवासी तथा अन्य धार्मिक लोग उस टूटे-फूटे धर्मार्थ मकान की मरम्मत कर सकते हैं ।
४. रास्तों का रोकना—आने-जाने के लिए रास्ता कितना चौड़ा होना चाहिए, इसका निरूपण 'दुर्ग-निवेश' प्रकरण में कर दिया गया है । जो भी व्यक्ति छोटे-छोटे जानकरों और मनुष्यों के रास्ते को रोके उस पर

द्वादशपणो दण्डः । महापशुपथं चतुर्विंशतिपणः । हस्तिक्षेत्रपथं चतुष्पञ्चाशत्पणः । सेतुवनपथं षट्छतः । श्मशानग्रामपथं द्विशतः । द्रोणमुखपथं पञ्चशतः । स्थानीयराष्ट्रविवीतपथं साहस्रः । अतिकर्षणे चैषां दण्डचतुर्था दण्डाः । कर्षणे पूर्वोक्ताः ।

१. क्षेत्रिकस्याक्षिपतः क्षेत्रमुपवासस्य वा त्यजतो बीजकाले द्वादशपणो दण्डः । अन्यत्र दोषोपनिपाताविषह्येभ्यः ।
२. करदाः करदेष्वधानं विक्रयं वा कुर्युः । ब्रह्मदेयिका ब्रह्मदेयिकेषु, अन्यथा पूर्वः साहसदण्डः; करदस्य वाऽकरदग्रामं प्रविशतः ।

बारह पण दण्ड किया जाय । बड़े-बड़े पशुओं का मार्ग रोकने पर चौबीस पण; हाथी का तथा खेतों का रास्ता रोकने पर चौवन पण; सेतु एवं जङ्गल का रास्ता रोकने पर छह-सौ पण; श्मशान तथा गाँव का रास्ता रोकने पर दो सौ पण; द्रोणमुख का रास्ता रोकने पर पाँच-सौ पण और स्थानीय, राष्ट्र तथा चरागाह का रास्ता रोकने पर एक हजार का दण्ड दिया जाय । यदि कोई व्यक्ति इन रास्तों को खोदने या जोतने के अलावा कोई हानि पहुँचाए तो उस पर ऊपर बताए गए दण्डों का चौथाई दण्ड दिया जाय । खोदने या जोतने पर पूर्वोक्त सभी दण्ड दिए जाने चाहिए ।

- १ गाँव में रहने वाला किसान यदि बीज बोने के समय बीज न बोये या खेत को ही छोड़ दे, तो उसे बारह पण दण्ड दिया जाय; किन्तु खेत के किसी दोष के कारण या किसी आकस्मिक आपत्ति के कारण अथवा असमर्थ होने के कारण यदि वह ऐसा करता है तो वह अदण्ड्य है ।
२. गाँवों का वन्दोवस्त—लगान देने वाले किसान, लगान देने वालों के यहाँ ही अपनी जमीन गिरवी रख सकते हैं अथवा बेच सकते हैं । जिनको बिना लगान की धर्मार्थ भूमि दी गई है, वे अपने समान लोगों के ही हाथ अपनी जमीन गिरवी रख सकते हैं या बेच सकते हैं । इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । यही दण्ड उस व्यक्ति को भी दिया जाय, जो लगान देने वाले गाँव के निवास को छोड़कर लगान न देने वाले गाँव में बस जाने की इच्छा से प्रवेश करे ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ६६, अध्याय १०

१. करदं तु प्रविशतः सर्वद्रव्येषु प्राकाम्यं स्यादन्यत्रागारात् ।
तदप्यस्मै दद्यात् ।
२. अनादेयमकृषतोऽन्यः पंचवर्षाण्युपभुज्य प्रयासनिष्क्रयेण
दद्यात् ।
३. अकरदाः परत्र वसन्तो भोगमुपजीवयंत्युः ।
४. ग्रामार्थेन ग्रामिकं व्रजन्तमुपवासाः पर्यायेणानुभञ्छेयुः ।
अननुगच्छन्तः पणार्धपणिकं योजनं दद्युः ।
५. ग्रामिकस्य ग्रामादस्तेनपारदारिकं निरस्यतश्चतुर्विंशतिपणो
दण्डः । ग्रामस्योत्तमः ।
६. निरस्तस्य प्रवेशो ह्यधिगमेन व्याख्यातः ।

१. यदि वह पुनः लगान देने वाले गाँव में ही बसने लगे, तो उसे मकान के अलावा सभी बातों की छूट दी जाय । अथवा उचित हो तो मकान भी उसको दे दिया जाय ।
२. जो किसान अपनी जमीन को नहीं जोते उसको दूसरा किसान बिना लगान दिए ही जोत सकता है और वह पाँच वर्ष तक उसका उपयोग कर उस जमीन को उसके मालिक को सौंप दे; किन्तु उस जमीन को ठीक करने में उसका जो खर्चा और मेहनत लगी हो, उसका भूतय वह मालिक से वसूल कर ले ।
३. जिनके पास बिना लगान की धर्मार्थ जमीन है, दूसरी जगह रहते हुए भी, वे अपनी उस जमीन के पूरे अधिकारी हैं ।
४. जब गाँव का मुखिया गाँव के किसी कार्य से बाहर जाये तो अपनी पारी के अनुसार गाँव वाले उसके साथ रहे । जो अपनी पारी पर न जायें उन पर योजन के हिसाब से डेढ़ पण जुर्माना किया जाय ।
५. यदि गाँव का मुखिया, चोर या व्यभिचारी के अतिरिक्त किसी दूसरे को गाँव से निकाल दे तो उस मुखिया पर चौबीस पण दण्ड किया जाय । यदि सारा गाँव मिल कर ऐसे निरपराधी व्यक्ति को गाँव से निकाले तो सारे गाँव पर उत्तम साहस दण्ड किया जाय ।
६. इसी प्रकार यदि गाँव से बाहर गया हुआ कोई व्यक्ति पुनः गाँव में बसना

१. स्तम्भैः समन्ततो ग्रामाद्दनुःशतापकृष्टमुपसालं कारयेत् ।
२. पशुप्रचारार्थं त्रिवीतमालवनेनोपजीवयेयुः ।
३. त्रिवीतं भक्षयित्वापसृतानामुष्ट्रमहिषाणां पादिकं रूपं गृह्णीयुः ।
गवाश्चखराणां चार्धपादिकम् । क्षुद्रपशूनां षोडशभागिकम् ।
४. भक्षयित्वा निषण्णानामेत एव द्विगुणा दण्डाः । परिवसतां
चतुर्गुणाः । ग्रामदेववृषा वा अनिर्दशाहा वा धेनुरुक्षाणो
गोवृषाश्चादण्ड्याः ।
५. सस्यभक्षणे सस्योपघातं निष्पत्तितः परिसंख्याय द्विगुणं
दापयेत् ।

चाहे और मुखिया तथा गांव वाले उसको न बसने दें तो मुखिया पर चौबीस पण दण्ड और गांववालों पर उत्तम साहस दण्ड किया जाय ।

१. गाँव से चार-सौ हाथ की दूरी पर पशुओं के भारामदेह के लिए चारों ओर खम्भों से घिरा हुआ एक बाड़ा बनवाया जाय ।
२. चरागाहों का प्रबन्ध—पशुओं के घूमने और चरने-फिरने के लिए जंगल में चरागाह बनवाये जाय ।
३. ऊँट और भैंस आदि बड़े पशुओं को यदि उनके मालिक चरागाह में चराकर अपने घर बांधने के लिए ले जाय, तो उनसे चराई का ३ पण कर लिया जाय । गाय, घोड़े और गधे आदि मध्यम श्रेणी के पशुओं की चराई २ पण; इसी प्रकार भेड़, बकरी आदि छोटे पशुओं की चराई १ पण कर रूप में उनके मालिकों से वसूल कर लिया जाय ।
४. जो जानवर चरकर चरागाह में ही रहें उनके मालिकों से पूर्वोक्त राशि से दुगुना कर लिया जाय । जो बराबर चरागाह में ही रहें उनके मालिकों से चौगुना कर लिया जाय । ग्रामदेवता के नाम से छोड़े गए साड़ों, दस दिन की व्याई हुई गायों और गायों के साथ रहने वाले बछड़ों पर कोई कर न लिया जाय ।
५. यदि किसी का जानवर किसी की खड़ी खेती को चर जाय तो अन्न के नुकसान का दुगुना दाम खेत के मालिक को दिलाया जाय ।

१. स्वामिनश्चानिवेद्य चारयतो द्वादशपणो दण्डः । प्रमुञ्चतश्च-
तुर्विंशतिपणः । पालिनामर्धदण्डः । तदेव षण्डभक्षणे कुर्यात् ।
वाटभेदे द्विगुणः । वेश्मखलवलयगतानां च धान्यानां भक्षणे ।
हिंसाप्रतीकारं कुर्यात् ।
२. अभयवनमृगाः परिगृहीता वा भक्षयन्तः स्वामिनो निवेद्य
यथाऽवध्यास्तथा प्रतिषेद्धव्याः ।
३. पशवो रश्मिप्रतोदाभ्यां वारयितव्याः । तेषामन्यथा हिंसायां
दण्डपारुष्यदण्डाः । प्रार्थयमाना दृष्टापराधा वा सर्वोपायै-
र्नियन्तव्याः । इति क्षेत्रपथहिंसा ।
४. कर्षकस्य ग्राममभ्युपेत्याकुर्वतो ग्राम एवात्ययं हरेत् । कर्मा-

१. लुका-छिपा कर यदि कोई अपने पशु से दूसरे का खेत चरवाये उसको
बारह पण दण्ड दिया जाय । जो अपने पशु को किसी के खेत में चरने के
लिए छोड़ दे उसे चौबीस पण दण्ड दिया जाय । इस प्रकार खेतों का
नुकसान होने पर खेतों के रखवालों को पूर्वोक्त दण्डों का आधा दण्ड
दिया जाय । यदि खेत को कोई साँड़ चर जाय तब भी रखवाले पर
इतना ही जुर्माना किया जाय । खेत की वाड़ टूट जाने पर रखवाले पर
दुगुना दण्ड किया जाय । घर, खलिदान और बाड़ी हुई जगहों का भन्न
यदि पशु खा जाय तो हानि के बराबर मूल्य देना चाहिये ।
२. यदि आश्रमों के मृग खेतों को चरते हुए पकड़े जाय तो रखवाला इसकी
खबर अपने मालिक को कर दे और उन मृगों को इस प्रकार खेतों से
बाहर करे, जिससे उन पर कोई चोट न लगे या वे मरने न पावें ।
३. पशुओं को रस्सी या कोड़े से हटाना चाहिये । यदि उनको कोई अनुचित
ढङ्ग से मारे या हटाये तो उसे 'दण्डपारुष्य' प्रकरण के अनुमार यथोचित
दण्ड दिया जाना चाहिये । किन्तु जो हटाने वालों का मुकाबला करें या
पहिले कभी किसी को मारते हुए देखे गये हों उनको अनुचित ढङ्ग से
भी मारा या हटाया जा सकता है । यहाँ तक खेतों और रास्तों के नुकसान
के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।
४. सामूहिक कार्यों में सामिल न होने का मुआवजा—यदि कोई
किसान गाँव में आकर पञ्चायती या खेती भादि का कार्य न करे

करणे कर्मवेतनाद् द्विगुणं, हिरण्यादाने प्रत्यंशद्विगुणं, भक्ष्य-
पेयादाने च प्रवहणेषु द्विगुणमंशं दद्यात् ।

१. प्रेक्षायामनंशदः सस्वजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छन्नश्रवणेषु च
सर्वहिते च कर्मणि निग्रहेण द्विगुणमंशं दद्यात् ।
२. सर्वहितमेकस्य ब्रुवतः कुर्युराज्ञाम् । अकरणे द्वादशपणो
दण्डः । तं चेत्सम्भूय वा हन्युः पृथगेषामपराधद्विगुणो
दण्डः । उपहन्तृषु विशिष्टः ।
३. ब्राह्मणतश्चैषां ज्यैष्ठ्यं नियम्येत । प्रवहणेषु चैषां ब्राह्मणे-
नाकामाः कुर्युः । अंशं च लभेरन् ।

तो गाँव उससे यथोचित जुर्माना वसूल कर ले । यदि कोई व्यक्ति कार्य न करे तो कार्य के वेतन से दुगुना; पञ्चायती कार्यों में चन्दा न दे तो चन्दे का दुगुना; और सामूहिक खान-पान के अवसर पर शरीक न हो तो उसका दुगुना; दण्ड उससे वसूल किया जाय ।

१. यदि कोई ग्रामवासी गाँव के सार्वजनिक मनोरंजन के कार्यों में अपने हिस्से का चन्दा न दे तो सपरिवार उसको उत्सव में प्रवेश न करने दिया जाय । यदि वे छिपकर, तमाशा देखें या सुनें; और जो गाँव के सार्वजनिक हितकारी कार्यों में भाग न ले उससे दुगुना हिस्सा वसूल किया जाय ।
२. जो व्यक्ति सार्वजनिक कल्याण का सुझाव दे उसकी बात को सभी ग्रामवासी मानें । उसका तिरस्कार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बारह पण दण्ड किया जाय । यदि गाँव के लोग मिलकर उस व्यक्ति को मारें-पीटें तो प्रत्येक ग्रामीण पर अपराध से दुगुना दण्ड वसूल किया जाय । जो लोग घातक प्रहार करें उन पर विशेष दण्ड किया जाय ।
३. उन मारने वालों में यदि ब्राह्मण या उससे भी प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति हो तो उसे सबसे अधिक दण्डित किया जाय । यदि किसी सार्वजनिक कार्य में ब्राह्मण सामिल न हो सके तो गाँव के लोग ही उसके अभाव को पूरा कर दें; किन्तु अनुपस्थित रहने का जो सुभावजा ब्राह्मण की ओर निकले, उसे गाँव वाले अवश्य वसूल कर लें ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ६६, अध्याय १०

१. तेन देशजातिकुलसंघानां समयस्यानपाकर्म व्याख्यातम् ।
२. राजा देशहितान् सेतून् कुर्वतां पथि संक्रमान् ।
ग्रामशोभाश्च रक्षाश्च तेषां प्रियहितं चरेत् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे वास्तुके प्रकरणे दशमोऽध्यायः
आदितः सप्तषष्ठितमः ।



-
१. इसी प्रकार देश, जाति, कुल और दूसरे समुदायों की व्यवस्था को समझ लेना चाहिये ।
 २. जो लोग मिलकर जनता के आराम के लिए रास्तों पर मकान बनाते हैं, जो व्यक्ति गांवों को सजाने-सुधारने और उनकी रक्षा करने के लिए यत्नशील रहते हैं उनके सहयोग और कल्याण की ओर राजा का ध्यान रहना चाहिये ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दसवाँ अध्याय समाप्त ।



शुक्ररणा ६७

अध्याय ११

ऋणादानम्

१. सपादपणा धर्म्या मासवृद्धिः पणशतस्य । पञ्चपणा व्यावहारिकी । दशपणा कान्तारगाणाम् । विंशतिपणा सामुद्राणाम् ।
२. ततः परं कर्तुः कारयितुश्च पूर्वः साहसदण्डः । श्रोतृणामेकैकं प्रत्यर्धदण्डः ।
३. राजन्ययोगक्षेमवहे तु धनिकधारणिकयोश्चरित्रमवेक्षेत ।
४. धान्यवृद्धिः सस्यनिष्पत्तावुपाधा, परं मूल्यकृता वर्धेत । प्रक्षेपवृद्धिरुदयादर्धम् । सन्निधानसन्ना वार्षिकी देया ।

ऋण लेना

१. व्याज के नियम—सामान्यतया सौ-पण पर सत्रा-पण व्याज प्रतिमास लिया जाना चाहिए । इसी सौ-पण पर व्यापारी लोगों से पांच पण, जंगल में रहने या वहां व्यापार करने वालों से दस पण और समुद्र के व्यापारियों से बीस पण व्याज लेना चाहिए ।
२. इससे अधिक व्याज लेने वाला को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । उसमें जिन्होंने गवाही भरी हो उन्हें आधा दण्ड दिया जाय ।
३. यदि ऋण देने वाले (धनिक) और ऋण लेने वाले (धारणि) के आपसी सौदे पर राज्य की भलाई होती हो तो सरकार को उनके चरित्र पर निगरानी रखनी चाहिए ।
४. यदि अन्नसम्बन्धी व्याज फसल के समय पर चुकता करना हो तो वह मूलधन की आधा रकम से अधिक न होना चाहिए । गोदाम के इकट्ठे बचे हुए माल पर उसके लाभ का आधा व्याज होना चाहिए । इस प्रकार के लेन-देन का हिसाब-किताब वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ६७, अध्याय ११

१. चिरप्रवासः संस्तम्भप्रविष्टो वा मूल्यद्विगुणं दद्यात् । अकृत्वा वृद्धिं साधयतो वर्धयतो वा मूल्यं वा वृद्धिमारोप्य श्रावयतो बन्धचतुर्गुणो दण्डः । तुच्छश्रावणायामभूतचतुर्गुणः । तस्य त्रिभागमादाता दद्यात् , शेषं प्रदाता ।
२. दीर्घसत्रव्याधिगुरुकुलोपरुद्धं बालमसारं वा नर्णमनु वर्धेत । मुच्यमानमृणमप्रतिगृह्यतो द्वादशपणो दण्डः । कारणापदेशेन निवृत्तवृद्धिकमन्यत्र तिष्ठेत् ।
३. दशवर्षोपेक्षितमृणमप्रतिग्राह्यमन्यत्र बालवृद्धव्याधितव्यसनिप्रो-
षितदेशत्यागराज्यविभ्रमेभ्यः ।

१. यदि विदेश में चले जाने के कारण या जान-बूझकर खरीददार अपने माल को नहीं निकालता तो वह माल के मूलधन का दुगुना मूल्य बेचने वाले को अदा करे । अवधि से पहिले ही जो व्याज मांगे, अथवा व्याज को मूलधन के साथ जोड़कर उतना रुपया मांगे, उसे मांगे हुए धन का, चौगुना दण्ड देना चाहिए । थोड़ा धन को अधिक कहा जाय और जश्न गवाहियां ली जाय, उस समय गवाह जितना धन बताये, उसका चौगुना दण्ड अधमर्ण और उत्तमर्ण दोनों को दिया जाना चाहिए । उसमें से तीन भाग अधमर्ण (ऋण लेने वाला) और बाकी उत्तमर्ण (ऋण देने वाला) अदा करे ।
२. लम्बी अवधि तक यज्ञकार्य में लगे हुए, व्याधिग्रस्त, गुरुकुल में अध्ययन करने वाले, बालक और अशक्त आदि व्यक्तियों के ऋण पर व्याज नहीं जोड़ा जाना चाहिए । यदि कर्जदार अपने कर्जे की अन्तिम रकम को अदा करें और धनिक उसको न ले तो, धनिक पर बारह पण का दण्ड दिया जाना चाहिए । यदि न लेने का कोई विशेष कारण हो तो वह रकम बिना सूद के कहीं और जमा कर दी जानी चाहिए ।
३. यदि कोई उत्तमर्ण दस वर्ष के अन्दर अपना कर्जा वसूल नहीं कर पाता तो उस धन पर उसका फिर कोई अधिकार नहीं रहता है । यदि वह कर्जे का धन बाल, बूढ़े, वीमार, आपद्ग्रस्त, प्रवासी, देशत्यागी या राजकाज से बाहर गए किसी व्यक्ति का हो तो वह दस वर्ष बाद भी उस धन का अधिकारी माना जायगा ।

१. प्रेतस्य पुत्राः कुसीदं दद्युः । दायादा वा रिक्थहराः सहग्राहिणः प्रतिभुवो वा । न प्रातिभाव्यमन्यत् । असारं बालप्रातिभाव्यम् । असंख्यातदेशकालं तु पुत्राः पौत्रा दायादा वा रिक्थं हरमाणा दद्युः ।
२. जीवितविवाहभूमिप्रातिभाव्यमसंख्यातदेशकालं तु पुत्राः पौत्रा वा वहेयुः ।
३. नानर्णसमवाये तु नैकं द्वौ युगपदभिवदेयाताम् अन्यत्र प्रतिष्ठमानात् । तत्रापि गृहीतानुपूर्व्या राजश्रोत्रियद्रव्यं वा पूर्वं प्रतिपादयेत् ।
४. दम्पत्योः पितापुत्रयोर्भ्रातृणां चाविभक्तानां परस्परकृतमृणमसाध्यम् ।

१. यदि ऋण लेने वाला (अधमर्ण) मर जाय तो उसका पुत्र ऋण को चुकता करे । अथवा उसके वारिस या उसके साथ काम करने वाले जामिन हिस्सेदार उसके ऋण को अदा करे । इनके अतिरिक्त ऐसे मृतक अधमर्ण के ऋण का जामिन दूसरा न माना जाय; बालक जामिन होने का अधिकारी नहीं है । जिस ऋण का स्थान तथा समय निश्चित नहीं है, उसको कर्जदार के पुत्र, पौत्र या दूसरे दाथभागी अदा करें ।
२. जो कर्जा आजीविका, विवाह और जमीन के लिए लिया गया हो उसको तथा जामिन के द्वारा चुकता किए जाने योग्य ऋण को केवल उनके पुत्र, पौत्र ही अदा करें ।
३. एक व्यक्ति पर अनेक व्यक्तियों का कर्जा : यदि एक व्यक्ति पर अनेक व्यक्तियों का कर्जा हो तो उस पर एक साथ अनेक कर्जा देने वाले मुकदमा नहीं चला सकते हैं; किन्तु, यदि वह कर्जदार कहीं विदेश को जा रहा हो तो उस पर एक साथ अनेक मुकदमे चलाये जा सकते हैं । मुकदमों का फैसला हो जाने के बाद ऋण का भुगतान उसी क्रम से होना चाहिये, जिस क्रम से उसको लिया गया है । यदि उसमें राजा या ब्राह्मण का कर्जा निकले तो उसका भुगतान सबसे पहिले होना चाहिए ।
४. भार्या, पति, पिता, पुत्र और एक साथ रहने वाले भाई परस्पर कर्जा लें-दें तो

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ६७, अध्याय ११

१. अग्राह्याः कर्मकालेषु कर्षका राजपुरुषाश्च । स्त्री वाऽप्रति-
श्राविणी पतिकृतमृणमन्यत्र गोपालकार्धसीतिकेभ्यः ।
२. पतिस्तु ग्राह्यः स्त्रीकृतमृणमप्रतिविधाय प्रोषित इति । सम्प्रति-
पत्तावुत्तमः । असम्प्रतिपत्तौ तु साक्षिणः प्रमाणं ग्रात्य-
यिकाः शुचयोऽनुमता वा त्रयोऽवराध्याः । पक्षानुमतौ
वा द्वौ ऋणं प्रति, न त्वेवैकः ।
३. प्रतिषिद्धाः स्यालसहायान्वथिंधनिकधारणिकवैरिन्यङ्गधृत-
दण्डाः । पूर्वं चाव्यवहार्याः राजश्रात्रियग्रामभृतककुष्ठव्रणिनः

उनके कर्जे का मुकदमा अदालत में नहीं चलाया जा सकता है ।

१. कर्जा लेने वाले किसान और राज-कर्मचारी यदि काम पर लगे हों तो ऋण के सम्बन्ध में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है । पति के कर्ज लिए हुए ऋण को यदि उसकी स्त्री चुकाना मंजूर नहीं करती तो उस पर किसी प्रकार का जोर-दवाव नहीं डाला जा सकता है; किन्तु गवाहा आदि कार्यों की कमाई पर निर्भर रहने वाले लोगों की स्त्रियाँ अपने पति की अनुपस्थिति में अपने पति का कर्जा चुकता करने की जिम्मेदार हैं ।
२. साक्षियों की गवाह : यदि पत्नी कर्जा ले तो उसको अदा करने के लिए उसके पति को विवश किया जा सकता है । स्त्री के ऋण को न चुकाने की नौबत से बच कर या बहाना करके यदि कोई पुरुष विदेश चला जाय, और उसकी यह बात साबित हो जाय तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । यदि कारण सिद्ध न हो सके तो साक्षियों की गवाही के अनुसार निर्णय किया जाय । दोनों पक्षों से अनुमत कम से-कम तीन गवाह होने चाहियें, जो विश्वास योग्य और चरित्रवान् हों । अथवा दोनों पक्षों की राय से दो गवाह भी हो सकते हैं । किन्तु कर्जे के मामले में एक गवाह कदापि न होना चाहिये ।
३. साला, सहायक, क्रीतदास (अन्वर्थी), ऋण देने वाला (धनिक), कर्जादार (धारणिक), दुश्मन, अंगहीन और राज्य से सजा पाये पुरुष गवाह नहीं हो सकते हैं । विष्णामी, चरित्रवान् और दोनों पक्षों से अनुमत व्यक्ति भी यदि व्यवहारकुशल न हों तो वे भी गवाह होने के योग्य नहीं हैं । राजा,

पतितचण्डालकुत्सितकर्माणोऽन्धवधिरमूकाहंवादिनः स्त्रीराज-
पुरुषाश्च । अन्यत्र स्ववर्ग्येभ्यः ।

१. पारुष्यस्तेयसंग्रहणेषु तु वैरिस्थालसहायवर्जाः । रहस्यव्यवहारे-
ष्वेका स्त्री पुरुष उपश्रोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्याद्राजता
पसवर्जम् ।
२. स्वामिनो भृत्यानामृत्विगाचार्याः शिष्याणां मातापितरौ
पुत्राणां चानिग्रहेण साक्ष्यं कुर्युः । तेषामितरे वा । परस्पराभि-
योगे चैषामुत्तमाः परोक्ता दशबन्धं द्युरवराः पञ्चबन्धम् ।
इति साक्ष्यधिकारः ।
३. ब्राह्मणोदकुम्भाग्निसकाशे साक्षिणः परिगृह्णीयात् । तत्र
ब्राह्मणं ब्रूयात्—सत्यं ब्रूहीति । राजन्यं वैश्यं वा—मा

वेदपाठी ब्राह्मण, गाँव का मुखिया, कोढ़ी, दागयुक्त शरीर वाला, पतित,
चाण्डाल, नीच कार्य करने वाला, अंधा, बहरा, गूंगा, घमण्डी, स्त्री और
राजकर्मचारी ये सब अपने-अपने वर्गों को छोड़कर अन्यत्र गवाह नहीं
हो सकते हैं ।

१. परन्तु पारुष्य, चोरी और व्यभिचार के मामलों में शत्रु, शाला और सहायक
को छोड़कर पूर्वोक्त बाकी सभी लोग गवाह हो सकते हैं । गुप्त मामलों में
स्त्री, राजा और तपस्वी को छोड़कर सुनने-देखने वाला अकेला व्यक्ति भी
गवाह हो सकता है ।
२. नौकरों के मालिक, शिष्यों के आचार्य, पुत्रों के माता-पिता और मालिकों के
नौकर आदि परस्पर खुले तौर पर गवाह हो सकते हैं । आपसी मुकदमों में
यदि मालिक, आचार्य तथा माता-पिता पराजित हो जायं तो नौकर, शिष्य
आदि को वे पराजय का दसवां भाग दें; यदि नौकर आदि हार जायं तो
अपने स्वामी आदि को वे हारे हुए धन का पाचवाँ हिस्सा दण्ड रूप में दे ।
यहाँ तक साक्षी के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।
३. शपथ : पानी से भरे घड़े के पास या भाग के पास ब्राह्मण को शपथ के
लिए ले जाया जाय, यदि ब्राह्मण गवाह हो तो उसे 'सच बोलो' इतनी
भर शपथ दिखाई जाय । यदि गवाही देने वाला क्षत्रिय और वैश्य हो तो

तवेश्वापूरुतफलं, कपालहस्तः शत्रुकुलं मिक्षार्थी गच्छेरिति ।
शूद्रं—जन्ममरणान्तरे यद् वः पुण्यफलं तद् राजानं गच्छेत् ।
राज्ञश्च किल्बिषं युष्मानन्यथावादे । दण्डश्चानुबन्धः । पश्चादपि
ज्ञायेत यथादृष्टश्रुतम् । एकमन्त्राः सत्यमवहरतेति ।

१. अनवहरतां सप्तरात्रादूर्ध्वं द्वादशपणो दण्डः त्रिपक्षादूर्ध्वम-
भियागं दद्यात् ।
२. साक्षिभेदे यतो बहवः शुचयोऽनुमता वा ततो नियच्छेद्युः ।
मध्यं वा गृह्णीयुः । तद्वा द्रव्यं राजा हरेत् । साक्षि-
णत्तेदभियोगादून ब्रूयुरतिरिक्तस्याभियोक्ता बन्धं दद्यात् ।
अतिरिक्तं वा ब्रूयुस्तदतिरिक्तं राजा हरेत् । वालिश्यादभि-

उससे 'तुमको यज्ञ आदि दृष्ट का और कुआँ, धर्मशाला आदि परोपकार का फल न मिले; तुम अपनी शत्रु-सेना को जीतकर भी हाथ खप्पर लेकर भीख मांगते फिरो, यदि झूठ बोलो तो' इस प्रकार शपथ दिलाई जाय । यदि गवाह शूद्र हो तो उसके सम्मुख कहा जाय 'देखो यदि सच न बोलो तो जन्म-जन्मान्तर का तुम्हारा सारा पुण्य राजा को प्राप्त हो; यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें निश्चित ही दण्ड मिलेगा; बाद में भी सुनकर-देखकर मामले की जाँच-परताल की जायगी; इसलिए तुम सब लोगों को मिलकर सही-सही कहना चाहिए' इस प्रकार कहा जाय ।

१. इतना कहने पर भी सात दिन तक यदि व सही-सही वारदात न बतायें तो उनमें प्रत्येक को वारह-वारह पण दण्ड दिया जाय । यदि वे षेड़ मास तक भी कुछ भेद न खोलें तो उनके विरुद्ध मुकदमे का फैसला दिया जाय ।
२. यदि किसी मुकदमे में गवाहों का आपसी मतभेद हो जाय तो उनमें जिस बात को बहुसंख्यक, परित्रवान्, विश्वासी तथा अनुमत गवाह कहें, उसी के आधार पर फैसला कर दिया जाय; अथवा किसी को मध्यस्थ बनाकर फैसला किया जाय । यदि किसी भी युक्ति से फैसला न हो सके तो उस विवादग्रस्त संपत्ति को राजा ले ले । कर्जे की जो रकम कर्जा देने वाले ने बताई है, गवाह यदि उसमें कम रकम बताये तो अभियोक्ता उस

योक्तुर्वा दुःश्रुतं दुर्लिखितं प्रेताभिनिवेशं वा समीक्ष्य साक्षि-
प्रत्ययमेव स्थातु ।

१. साक्षिबालिश्येष्वेव पृथगनुयोगे देशकालकार्याणां पूर्वमध्यमो-
त्तमा दण्डा इत्यौशनसाः ।
२. कूटसाक्षिणो यमर्थमभूतं वा कुर्युर्भूतं वा नाशयेयुस्तद्दशगुणं
दण्डं दद्युरिति मानवाः ।
३. बालिश्याद्वा विसंवादयतां चित्रो घात इति बार्हस्पत्याः ।
४. नेति कौटिल्यः । ध्रुवा हि साक्षिणः श्रोतव्याः । अभृण्वतां
चतुर्विंशतिपणो दण्डः, ततोऽर्धमध्रुवाणाम् ।

अधिक बताई रकम का पांचवां हिस्सा राजा को दे दे । यदि गवाह अधिक बताये तो उस अधिक रकम को राजा ले ले । अभियोक्ता यदि मूर्ख हो, ठीक तरह न सुन पाये, ठीक न लिख सके, अथवा पागल हो, तो गवाहों के आधार पर ही ऐसे मामलों का फैसला दिया जाय ।

१. आचार्य उशाना (शुक्राचार्य) के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि 'देश, काल और कार्यों के ठीक-ठीक न बताये जाने के कारण अदालत में यदि गवाहों की मूर्खता सिद्ध हो जाय तो उनको उनके अपराध के अनुसार यथोचित प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।'
२. अचार्य मनु के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि 'अकारण ही जो छली, प्रपञ्ची गवाह मुकदमा खड़ा करवाके धन का नाश कराये, उन्हें उस नष्ट हुए धन का दसगुना दण्ड दिया जाय ।'
३. आचार्य बृहस्पति के मतानुयायी विद्वानों का अभिमत है कि 'अपनी मूर्खता से परस्पर विरुद्ध बोलने वाले गवाहों का, यातना देकर, वध किया जाय ।'
४. किन्तु आचार्य कौटिल्य ऐसा कराना उचित नहीं मानते हैं । उनका कथन है कि 'साक्षियों की सुनी हुई बात सभी ठीक होती है । जो साक्षी किसी घात को ठीक तरह से हृदयंगम करके गवाही देने को स्वदे हो जाते हैं उनको चौबीस पण दण्ड दिया जाय । इसका आधा दण्ड उन्हें दिया जाय जो गवाह मामले को ठीक-ठीक नहीं बता पाते ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ६७, अव्याय ११

१. देशकालाविदूरस्थान् साक्षिणः प्रतिपादयेत् ।
दूरस्थानप्रसारान् वा स्वामिवाक्येन साधयेत् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे ऋणग्रहणं नाम एकादशोऽध्यायः
आदितोऽष्टषष्ठितमः ।



१. अभियोक्ता को चाहिये कि देश-काल के अनुसार अधिक-पास रहने वाले व्यक्ति को ही गवाह बनाये । अथवा न्यायाधीश की आज्ञा प्राप्त कर वह सुगमता से न आ सकने वाले दूर-देशस्थ गवाहों को भी अदालत में हाजिर करे ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।



प्रवहण ६८

अध्याय १२

उपनिधिकम्

१. उपनिधिः ऋणेन व्याख्यातः ।
२. परचक्राटविकाभ्यां दुर्गराष्ट्रविलोपे वा, प्रतिरोधकैर्वा ग्राम-
सार्थव्रजविलोपे, चक्रयुक्ते नाशे वा, ग्राममध्याग्न्युदकाबाधे
वा, किञ्चिदमोक्षयमाणे कुप्यमनिर्हार्यवर्जमेकदेशमुक्तद्रव्ये वा,
ज्वालावेगोपरुद्धे वा, नावि निमग्नायां मुषितायां वा स्वय-
मुपरुद्धो नोपनिधिमभ्याभवेत् ।
३. उपनिधिभोक्ता देशकालानुरूपं भोगवेतनं दद्यात् । द्वादशपणं

धरोहर सम्बन्धी नियम

१. ऋण सम्बन्धी नियमों के अनुसार ही उपनिधि सम्बन्धी नियमों को भी समझना चाहिए ।
२. धरोहर : शत्रु के षडयंत्र और जंगलवासियों के आक्रमण से दुर्ग तथा राष्ट्र का नाश हो जाने पर; या डाकू-चोरों के द्वारा गाँव, व्यापारिक कम्पनियों तथा पशुओं का नाश हो जाने पर; या भीतरी षडयन्त्रों के कारण नाश हो जाने पर; गाँव में आग लग जाने या बाढ़ के कारण नष्ट हो जाने पर; अग्नि या बाढ़ से नष्ट होने वाले ताँबा, लोहा आदि कुप्य वस्तुओं के शेष रह जाने पर; अग्नि से विर जाने पर; नाव के डूब जाने पर; या नाव के माल की चोरी हो जाने पर; अपना बचाव हो जाने पर भी उपनिधि (धरोहर) पाने के लिए कोई व्यक्ति किसी पर मुकदमा नहीं चला सकता है ।
३. जो व्यक्ति उपनिधि को अपने उपयोग में लाये, देश-काल के अनुसार वह उपयोग का बदला (भोगवेतन) चुका दे और दण्डरूप में बारह पण

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ६८, अध्याय १२

च दण्डम् । उपभोगनिमित्तं नष्टं विनष्टं वाभ्यावहेत्, चतुर्विंशतिपणश्च दण्डः । अन्यथा वा निष्पतने । प्रेतं व्यसनगतं वा नोपनिधिमभ्यावहेत् ।

१. आधानविक्रयापव्ययनेषु चास्य चतुर्गुणपञ्चबन्धो दण्डः । परिवर्तने निष्पातने वा मूल्यसमः ।
२. तेन आधिप्रणाशोपभोगविक्रयाधानापहारा व्याख्याताः ।
३. नाधिः सोपकारः सीदेत् । न चास्य मूल्यं वर्धेत । निरुपकारः सीदेन्मूल्यं चास्य वर्धेतान्यत्र निसर्गात् ।
४. उपस्थितस्याधिमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः । प्रयोजकास-

अदा करे । उपभोग के कारण उपनिधि को नष्ट कर देने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाय, और चौबीस पण दण्ड किया जाय । किसी भी प्रकार से उपनिधि के नष्ट हो जाने पर यही नियम लागू किया जाय । यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को लेकर भाग जाय या विपत्ति में फंस जाय तो उस पर न तो अभियोग चलाया जा सकता है और न ही दण्ड किया जा सकता है ।

१. यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को कहीं गिरवी रख दे, बेच दे या अन्य किसी तरह से उसका अपव्यय कर दे, उस पर उपनिधि का चौगुना पञ्चबन्ध दण्ड किया जाय । यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को बदले या किसी भी प्रकार से नष्ट करे उससे उपनिधि की कीमत वसूल कर ली जाय ।
२. गिरवी : उपनिधि के समान ही आधि (गिरवी रखी हुई वस्तु) के नाश हो जाने, उपयोग में लाने, बेचने, गिरवी रखने और बदलने आदि के सम्बन्ध में भी नियम समक्षना चाहिए ।
३. यदि गिरवी रखी हुई वस्तु सोने चांदी के आभूषण (सोपकार) हों तो वे नष्ट नहीं होते और उन पर व्याज नहीं लिया जाता है । इनके अतिरिक्त आधि के नष्ट हो जाने का भी भय रहता है और उस पर व्याज भी लगता है ।
४. यदि गिरवी रखने वाला व्यक्ति अपनी वस्तु को लेना चाहे और व्याज आदि के लोभ से उत्तमर्ण उसको देना न चाहे तो उस पर चारह पण

निधाने वा ग्रामवृद्धेषु स्थापयित्वा निष्क्रयमाधि प्रतिपद्येत ।
निवृत्तवृद्धिको वाधिस्तत्कालकृतमूल्यस्तत्रैवावतिष्ठेत, अनाश-
विनाशकरणाधिष्ठितो वा । धारणकसन्निधाने वा विनाशभया-
दुद्धतार्थं धर्मस्थानुज्ञातो विक्रीणीत । आधिपालप्रत्ययो वा ।

१. स्थावरस्तु प्रयासभोग्यः फलभोग्यो वा । प्रक्षेपवृद्धिमूल्यशुद्ध-
माजीवममूल्यक्षयेणोपनयेत् ।
२. अनिसृष्टोपभोक्ता मूल्यशुद्धमाजीवं बन्धं च दद्यात् । शेषमुप-
निधिना व्याख्यातम् ।
३. ऐतेनादेशोऽन्वाधिश्च व्याख्यातौ । सार्थेनान्वाधिहस्तो वा

दण्ड किया जाय । यदि अधमर्ण को उत्तमर्ण उसके स्थान पर न मिले,
तो वह आधि के बदले में लिए धन को उस गांव के वृद्ध पुरुषों के पास
रखकर अपनी गिरवी रखी हुई वस्तु को वापिस ले सकता है । यदि
अधमर्ण अपनी आधि को बेचकर अपना कर्जा चुकाना चाहे तो उसी
समय उसकी लागत निश्चित करके उस वस्तु को उत्तमर्ण के पास रहने
दिया जाय; उसके बाद उत्तमर्ण उस आधि पर व्याज नहीं ले सकता है ।
आधि के रखने में उत्तमर्ण का लाभ हो रहा या हानि हो रही है; किन्तु
निकट भविष्य में यदि उसके नष्ट हो जाने की आशंका हो; अथवा उसकी
लागत से कर्जा की संख्या अधिक हो रही हो, ऐसी अवस्था में, अधमर्ण
की अनुपस्थिति में भी, न्यायाधीश (धर्मस्थ) की आज्ञा लेकर उत्तमर्ण
उस आधि को बेच दे । न्यायाधीश की अनुपस्थिति में आधिपाल (न्याय-
विभाग का अधिकारी) से आज्ञा ली जा सकती है ।

१. जो स्थायी संपत्ति परिश्रम या बिना ही परिश्रम फल देती हो अथवा
उपभोग करने योग्य हो, उसे बेचा नहीं जा सकता है; जिस आधि को
उत्तमर्ण व्यापार में लगाये उसका लाभ अधमर्ण को दिया जाना चाहिए ।
२. जो व्यक्ति बिना आज्ञा या शर्त के आधि का उपभोग करे उससे आधि के
अच्छी हालत का मूल्य वसूल किया जाय और अलग से उस पर जुर्माना
किया जाय । आधि के सम्बन्ध में शेष नियम उपनिधि के समान हैं ।
३. आदेश और अन्वाधि : आदेश (आज्ञा) और अन्वाधि (गिरवी रखी
हुई वस्तु को वापिस मंगाना) के सम्बन्ध में भी उपर्युक्त नियम समझने

प्रदिष्टां भूमिमप्राप्तश्चोरैर्भग्नोत्सृष्टो वा नान्वाधिमभ्यावहेत् ।
अन्तरे वा मृतस्य दायादोऽपि नाभ्यावहेत् । शेषमुपनिधिना
व्याख्यातम् ।

१. याचितकमवक्रीतकं वा यथाविधं गृह्णीयुस्तथाविधमेव अर्पयेयुः ।
श्रेषोपनिपाताभ्यां देशकालोपरोधि दत्तं नष्टं विनष्टं वा नाभ्या-
भवेयुः । शेषमुपनिधिना व्याख्यातम् ।
२. वैयापृत्यविक्रयस्तु—वैयापृत्यकरा यथादेशकालं विक्रीणानाः
पण्यं यथाजातं मूल्यमुदयं च दद्युः । शेषमुपनिधिना
व्याख्यातम् ।
३. देशकालातिपातने वा परिहीणं संप्रदानकालिकेन अर्धेण मूल्य-

चाहियें । व्यापारी यदि किसी को गिरबी रखी वस्तु को किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं दूसरी जगह भेजे और बीच ही में उस वस्तु की चोरी हो जाय तो उसे ले जाने वाले पर आधि विषयक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है । यदि किसी कारण वह बीच रास्ते में ही मर जाय तो उसके उत्तराधिकारियों पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है । बाकी सब नियम उपनिधि के समान है ।

१. उधार ली गई वस्तु को लौटाना : उधार या किराये पर ली गई वस्तु जिस दाम में लाई जाय ठीक उसी दशा में वापिस करनी चाहिये । यदि देश, काल, दोष या आकस्मिक आपत्ति के कारण उस वस्तु में कोई खराबी आ जाय वा सर्वथा ही वह नष्ट हो जाय, तो उस वस्तु के सम्बन्ध में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है । शेष नियम उपनिधि के समान समझने चाहियें ।
२. फुटकर वस्तुओं को बेचने का नियम : फुटकर वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारियों को चाहिये कि वे देश, काल के अनुसार अपनी वस्तुओं को बेचते हुए थोक व्यापारियों को यथोचित मूल्य और व्याज दें । शेष नियम उपनिधि के समान हैं ।
३. यदि देश, काल के अनुसार पहिले खरीद कर रखी हुए वस्तुओं का मूल्य

मुदयं च दद्युः ।

१. यथासम्भाषितं वा विक्रीणाना नोभयमधिगच्छेयुः । मूल्यमेव दद्युः । अर्घपतने वा परिहीणं यथापरिहीणं मूल्यमूनं दद्युः ।
२. सांख्यवहारिकेषु वा प्रात्ययिकेष्वराजवाच्येषु श्रेषोपनिपाताभ्यां नष्टं विनष्टं वा मूल्यमपि न दद्युः । देशकालान्तरितानां तु पण्यानां क्षयव्ययविशुद्ध मूल्यमुदयं च दद्युः । पण्यसमवायानां च प्रत्यंशम् । शेषमुपनिधिना व्याख्यातम् । एतेन वैयापृत्यविक्रयो व्याख्यातः ।
३. निक्षेपश्चोपनिधिना । तमन्येन निक्षिप्तमन्यस्वार्पयतो हीयेत । निक्षेपापहारे पूर्वापदानं निक्षेप्तारश्च प्रमाणम् ।

गिर जाय तो वर्तमान में दिए जाने वाले मूल्य के अनुसार ही उसका मूल्य और व्याज थोक व्यापारियों को दिया जाय ।

१. यदि थोक व्यापारियों का बड़े व्यापारियों के साथ यह तय हो चुका हो कि वे किसी नियत मूल्य पर ही माल बेचेंगे तो उसी मूल्य पर बेचते हुये छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारियों को केवल मूल्य दें, व्याज नहीं । यदि भाव गिर जाय तो उसी के अनुसार मूल्य दिया जाय ।
२. बिना कानूनी कार्यवाही के व्यावहारिक विश्वास पर होने वाले सौदे में यदि किसी प्रकार के दोष या आपत्ति के कारण खराबी आ जाय माल सर्वथा ही नष्ट हो जाय तो थोक व्यापारी उसका मूल्य न दें । किन्तु दूसरे स्थान और दूसरे समय में बेचे जाने वाले माल का छीजन (खय) और खर्च (व्यय) के हिसाब से उचित मूल्य और व्याज दिया जाय । स्टेशनरी (पण्यसमवाय) में कुछ अंश छीजन का निकाल लिया जाय । इसके शेष नियम उपनिधि के ममान समझने चाहिएँ । ये ही नियम फुटकर विक्री के भी हैं ।
३. निक्षेप धन : निक्षेप, अर्थात् दिखाकर या गिनकर रखी जाने वाली धरोहर वस्तु के नियम उपनिधि के समान हैं । किसी के निक्षेप को यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दे दे, तो देने वाले को यथोचित दण्ड दिया जाय । निक्षेप रखने वाला व्यक्ति यदि उसे दवा दे या नष्ट कर दे तो पूर्वस्थिति की जांच

१. अशुचयो हि कारवः, नैषां करणपूर्वो निक्षेपधर्मः । करणहीनं निक्षेपमपव्ययमानं गूढभित्तिन्यस्तान् साक्षिणो निक्षेप्ता रहस्य-प्रणिपातेन प्रज्ञापयेत्, वनान्ते वा मद्यप्रहवणविश्वासेन ।
२. रहसि वृद्धो व्याधितो वा वैदेहकः कश्चित् कृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छेत् । तस्य प्रतिदेशेन पुत्रो भ्राता वाभि-गम्य निक्षेपं याचेत् । दाने शुद्धिः । अन्यथा निक्षेपं स्तेय-दण्डं च दद्यात् ।
३. प्रब्रज्याभिमुखो वा श्रद्धेयः कश्चित् कृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्य प्रतिष्ठेत् । ततः कालान्तरागतो याचेत् । दाने शुचि-रन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।
४. कृतलक्षणेन वा द्रव्येण प्रत्यानयेदेनम् । बालिशजातीयो वा रात्रौ राजदायिकांक्षणभीतः सारमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छेत् ।

करके, इस सम्बन्ध में धरोहर रखने वाला (निक्षेप) जैसी गवाही दे तदनुसार ही मामले का फैसला किया जाय ।

१. शिल्पी लोग प्रायः ईमानदार नहीं होते हैं । उनके यहाँ जो निक्षेप रखा जाता है, उसका वे लोग कोई लिखित प्रमाण (कारणपूर्व) नहीं देते हैं । यदि वे लोग ऐसे अलिखित निक्षेप का अपव्यय करें तो निक्षेप को चाहिये कि वह छिपे तौर पर दीवारों की ओर से साक्षियों को उनके (शिल्पियों के) गुप्त भेद बता दे । अथवा जंगल में नाव में या एकान्त में विश्वास से साक्षियों को बता दे ।
२. कोई, बीमार या वैदेहक किसी चिन्हित वस्तु को शिल्पी के हाथ में देकर चला जाय । बाद में निक्षेप के कहने पर उसका लड़का या भाई शिल्पी के पास आकर उस चिन्हित निक्षेप को मांगे । यदि वह दे दे तो उसको ईमानदार समझा जाय और न दे तो उससे निक्षेप वसूल कर उसे चोरी की सजा दी जाय ।
३. अथवा कोई विश्वासी व्यक्ति सन्यासी का वेप बनाकर किसी चिन्हित वस्तु को शिल्पी के हाथ में सौंप कर चला जाय । फिर कुछ समय बाद वह उस वस्तु को मांगे । उस वस्तु को वापिस कर देने पर शिल्पी को ईमानदार समझा जाय और न दे तो निक्षेप वसूल कर उसे चोरी की सजा दी जाय ।
४. अथवा चिन्हित वस्तु के द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जाय । अथवा

स एनं बन्धनागारगतो याचेत । दाने शुचिः अन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।

१. अभिज्ञानेन चास्य गृहे जनशुभयं याचेत । अन्यतरादाने यथोक्तं पुरस्तात् ।
२. द्रव्यभोगानामागमं चास्यानुयुञ्जीत । तस्य चार्थस्य व्यवहारोपलिङ्गनमभियोक्तुश्चार्थसामर्थ्यम् ।
३. एतेन मिथस्समवायो व्याख्यातः ।
४. तस्मात्साक्षिमदच्छन्नं कुर्यात्सम्यग्विभाषितम् ।
स्वे परे वा जने कार्यं देशकालाग्रवर्णतः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे औपनिधिकं नाम द्वादशोऽध्यायः;

आदितः एकोनसप्ततितमः ।



कोई व्यक्ति रात में पुलिस से डरा-सा, मूर्ख की शकल बनाकर शिल्पी के हाथ में द्रव्य को सौंप कर चलता बने। वह फिर जेल में जाकर शिल्पी से अपना धन मांगे। दे दे तो ईमानदार, अन्यथा धन वसूल कर उसको चोरी का दण्ड दिया जाय।

१. शिल्पी के घर में माल की शिनाख्त करने के बाद घर के दो आदमियों से अलग-अलग उस माल को मांगा जाय। यदि दोनों ही देने से इन्कार करें तो पूर्वोक्त नियम का उपयोग किया जाय।
२. अदालत में शिल्पी से पूछा जाय कि 'यह जो तुम धन के कारण मौज उड़ा रहे हो, यह तुम्हे कहां से मिला है?' इसके अतिरिक्त उस धन के व्यवहार एवं चिह्नों के सम्बन्ध में भी उससे तथा अभियोक्ता की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में भी जाँच-पड़ताल की जाय।
३. इसी के अनुसार परस्पर व्यवहार करने वाले सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में समझना चाहिए।
४. इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने तथा पराये के व्यवहार में गवाह के सामने ही लेन-देन के सभी कार्यों की कहा-सुनी तथा लिखा-पढ़ी करे और साथ ही स्थान एवं समय का विशेष रूप से उल्लेख कर दे।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में बारहवाँ अध्याय समाप्त।



प्रकरण ६९

अध्याय १३

दासकर्मकरकल्पम्

१. उदरदासवर्जमार्यप्राणमप्राप्तव्यवहारं शूद्रं विक्रयाधानं नयतः स्वजनस्य द्वादशपणो दण्डः । वैश्यं द्विगुणः । क्षत्रियं त्रिगुणः । ब्राह्मणं चतुर्गुणः । परजनस्य पूर्वमध्यमोत्तमवधा दण्डाः क्रेतृश्रोतृणां च ।
२. म्लेच्छानामदोषः प्रजां विक्रेतुमाधातुं वा । न त्वेवार्यस्य दासभावः ।
३. अथवार्यमाधाय कुलबन्धन आर्याणामापदि निष्क्रयं चाधिगम्य बालं साहाय्यदातारं वा पूर्वं निष्क्रीणीरन् ।

दास और श्रमिक सम्बन्धी नियम

१. उदरदास को छोड़कर आर्यों के प्राणभूत नावालिग शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को यदि उनके ही परिवार का कोई व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उनपर क्रमशः बारह पण, चौबीस पण, छत्तीस पण, और अड़तालीस पण का दण्ड किया जाय । यदि इन्हीं नावालिग शूद्र आदि को यदि कोई दूसरा व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उक्त क्रम से उनको प्रथम, मध्यम, उत्तम साहस और प्राणवध का दण्ड दिया जाय । यहाँ दण्ड खरीददारों और इस मामले में गवाही देनेवालों को भी दिया जाय ।
२. म्लेच्छ लोग अपनी सन्तान को बेच और गिरवी रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है; परन्तु आर्यजाति किसी हालत में भी गुलाम नहीं बनाई जा सकती है ।
३. यदि सारा परिवार गिरफ्तार हो गया हो या बहुत सारे आर्यों पर विपत्ति आ पड़ी हो तो उस दशा में आर्य को गिरवी रखा जा सकता है; और जब छुड़ाने योग्य धन प्राप्त हो जाय तो पहिले चालक को या सहायक को मुक्त करना चाहिए ।

१. सकृदात्माधाता निष्पतितः सीदेत् । द्विरन्येनाहितकः । सकृदुमौ परविषयाभिमुखौ ।
२. वित्तापहारिणो वा दासस्यार्यभावमपहरतोऽर्धदण्डः । निष्पतितप्रेतव्यसनिनामाधाता मूल्यं भजेत ।
३. प्रेतविष्मूत्रोच्छिष्टग्राहणमाहितस्य नग्नस्नापनं दण्डप्रेषणमतिक्रमणं च स्त्रीणां मूल्यनाशकरम् । धात्रीपरिचारिकार्धसीतिकोपचारिकाणां च मोक्षकरम् । सिद्धमुपचारकस्याभिप्रजातस्य अपक्रमणम् ।
४. धात्रीमाहितिकां वाकामां स्ववशामधिगच्छतः पूर्वः साहस-

१. जो व्यक्ति अपने आपको गिरवी रख चुका हो, यदि एकबार भी वह वहाँ से भाग निकले तो उसे आजीवन गुलाम बनाकर रखा जाय । जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा गिरवी रखा गया हो, यदि वह दो बार भाग जाय तो उसे सदा के लिए दास बनाकर रखा जाय । ये दोनों दास यदि किसी दूसरे देश में चले जाने का इरादा करें तब भी उन्हें जीवन पर्यन्त के लिए दास बनाया जाय ।
२. धन का अपहरण करनेवाले तथा किसी आर्य को दास बनाने वाले व्यक्ति को आधा दण्ड दिया जाय । गिरवी रखे हुए व्यक्ति यदि भाग जाय, मर जाय या बीमार हो जाय तो गिरवी रखनेवाला ही उनका मूल्य दे ।
३. जो स्वामी अपने पुरुष गुलामों से मुर्दा, मल-मूत्र या जूठन उठवावे; और महिला गुलामों को अनुचित दण्ड दे, उनके सतीत्व को नष्ट करे, नगनावस्था में उसके पास जाय या नङ्गा कराके उनको अपने पास बुलावे तो उसका धन जप्त कर लिया जाय । यदि यही व्यवहार दाई, परिचारिका, अर्द्धसीतिका (जिस जाति में पुरुषों का जीवन-निर्वाह स्त्रियों पर निर्भर रहता है) और भीतरी दासी (उपचारिका) आदि के साथ किया जाय तो उन्हें दास-कार्य से मुक्त कराया जाय । यदि उच्चकुलोत्पन्न दास से उक्त कार्य कराये जाय तो वह दास कर्म को छोड़कर जा सकता है ।
४. अपनी दासी या गिरवी रखी हुई किसी स्त्री को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश में करने वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय; किन्तु उनको यदि दूसरे व्यक्ति के वश में हो जाने की कोशिश करे तो उसे

दण्डः, परवशां मध्यमः । कन्यामाहितिकां वा स्वयमन्येन
वा दूषयतः मूल्यनाशः शुल्कं तद्द्विगुणश्च दण्डः ।

१. आत्मविक्रयिणः प्रजामार्यां विद्यात् । आत्माधिगतं स्वामिकर्मा-
विरुद्धं लभेत, पित्र्यं च दायम् । मूल्येन चार्यत्वं गच्छेत् ।
तेनोदरदासाहितकौ व्याख्यातौ ।
२. प्रक्षेपानुरूपश्चास्य निष्क्रयः ।
३. दण्डप्रणीतः कर्मणा दण्डमुपनयेत् ।
४. आर्यप्राणो ध्वजाहतः कर्मकालानुरूपेण मूल्यार्धेन वा
विमुच्येत ।
५. गृहजातदायागतलब्धक्रीतानामन्यतमं दासमूनाष्टवर्षं विवन्धु-

मध्यम साहस दण्ड दिया जाय । गिरवी में भाई कन्या को यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा दूषित करे तो उसका बदले में दिया धन जब्त कर लिया जाय; जुर्माने के तौर पर कुछ धन वह कन्या को दे; और उससे दुगुना दण्ड सरकार को भदा करे ।

१. अपने आपको बेच देने वाले आर्य पुरुष की सन्तान भी आर्य ही समझी जाय । वह अपने मालिक की आज्ञानुसार कमाये हुए धन को अपने पास रख सकता है और पिता की सम्पत्ति का भी उत्तराधिकारी हो सकता है । बाद में अपनी कीमत को चुकता कर वह आर्यश्रेणी में आ सकता है । इसी प्रकार उदरदास (आजीवन दास) और आहितक दास (गिरवी रखा हुआ दास) के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए ।
२. गिरवी रखने के अनुसार ही उनके छुड़ाने का मूल्य भी होना चाहिए ।
३. जिस व्यक्ति को दण्ड का धन भुगतान न करने के कारण दास बनना पड़ा हो, वह किसी तरह का कार्य कर उस धन का भुगतान करके स्वतन्त्र हो सकता है ।
४. आर्यजाति का कोई व्यक्ति यदि युद्ध में पराजित होने पर दास बनाया गया हो तो वह अपने कार्य के बल पर या समय के अनुसार या अपने पकड़े जाने का आधा मूल्य देकर छुटकारा पा सकता है ।
५. अपने (स्वामि के) घर में पैदा हुए, दाय-भाग के समय अपने हिस्से में

मकामं नीचे कर्मणि विदेशे दासीं वा सगर्भामप्रतिविहितगर्भ-
भर्मण्यां विक्रयाधानं नयतः पूर्वः साहसदण्डः, क्रेतृश्रोतृणां च ।

१. दासमनुरूपेण निष्क्रयेणार्यमकुर्वतो द्वादशपणो दण्डः ।
संरोधश्चाकारणात् । दासद्रव्यस्य ज्ञातयो दायदाः । तेषाम्
अभावे स्वामी ।
२. स्वामिनः स्वस्यां दास्यां जातं समातृकमदासं विद्यात् ।
गृह्या चेत् कुटुम्बार्थचिन्तनी, माता भ्राता भगिनी चास्या
अदासाः स्युः ।
३. दासं दासीं वा निष्क्रीय पुनर्विक्रयाधानं नयतो द्वादशपणो
दण्डः, अन्यत्र स्वयंवादिभ्यः । इति दासकल्पः ।

भाये या स्वयं खरीदे हुए, बन्धु-बान्धवों से रहित, आठ वर्ष से कम उम्र के दास को उसकी इच्छा के विरुद्ध, यदि कोई व्यक्ति नीच कार्य के लिए किसी विदेशी के हाथ बेचे या गिरवी रखे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय; इसी प्रकार यदि कोई स्वामी गर्भिणी दासी को, उसके गर्भ की रक्षा का कोई प्रबन्ध न करके, दूसरे के हाथ बेचे या गिरवी रखे तो उसको भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । इनके अतिरिक्त उनके खरीदने वालों और गवाहों को भी यही दण्ड दिया जाय ।

१. जो व्यक्ति उचित मूल्य पाने पर भी किसी को दासता से मुक्त नहीं करता, उस पर बाहर पण दण्ड किया जाय । यदि मुक्त न करने का कोई कारण न हो तो उसको कारवास का दण्ड दिया जाय । दास की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उसके बन्धु-बांधव एवं कुटुम्बी लोग होते हैं । उनके न होने पर दास का स्वामी ही उसकी सम्पत्ति का अधिकारी है ।
२. यदि स्वामी द्वारा अपनी दासी में सन्तान पैदा हो जाय तो वह सन्तान और उसकी माता, दोनों को दासता से मुक्त कर दिया जाय । यदि वह स्त्री सद्गृहिणी बनकर स्वामी के घर में ही उसकी पत्नी बनकर रहना चाहे तो उसकी मां, बहिन और भाइयों को दासता से मुक्त कर दिया जाय ।
३. एक बार मुक्त हुए दास-दासी को यदि फिर कोई व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उस पर बाहर पण दण्ड किया जाय । किन्तु दास-दासी ही यदि

१. कर्मकरस्य कर्मसम्बन्धमासना विद्युः । यथासम्भाषितं वेतनं लभेत । कर्मकालानुरूपमसम्भाषितवेतनम् । कर्षकः सस्यानां, गोपालकः सर्पिषां, वैदेहकः पण्यानामात्मना व्यवहृतानां दश-भागमसम्भाषितवेतनो लभेत । सम्भाषितवेतनस्तु यथा-सम्भाषितम् ।
२. कारुशिल्पकुशीलवचिकित्सकवाग्जीवनपरिचारकादिराशाकारिकवर्गस्तु यथान्यस्तद्विधः कुर्यात् । यथा वा कुशलाः कल्प-येयुः तथा वेतनं लभेत । साक्षिप्रत्ययमेव स्यात् । साक्षिणाम-भावे यतः कर्म ततोऽनुयुञ्जीत ।
३. वेतनादाने दशबन्धो दण्डः, षट्पणो वा । अपव्ययमाने द्वादश-पणो दण्डः, पंचबन्धो वा ।

स्वयं बिकने और गिरवी रखे जाने को कहें तो किसी को दोष न दिया जाय । यहां तक दास-दासियों के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।

१. नौकरों का वेतन : पास-पड़ोस के रहने वालों की जानकारी में ही नौकर की नियुक्ति की जाय । जिसका वेतन तय हो गया हो वह उसी पर कार्य करे; किन्तु जिसका वेतन पहिले तय न हुआ हो वह अपने कार्य और समय के अनुसार अपना वेतन ले । किसान का नौकर अनाज का, ग्वाले का नौकर घी का और बनिये का नौकर अपने द्वारा व्यवहार की हुई वस्तुओं का दसवाँ हिस्सा ले; वशतें कि उसका वेतन तय न हुआ हो । यदि वेतन पहिले से तय है तो उसी पर नौकरी करे ।
२. कारीगर, नट, नर्तक, चिकित्सक, वकील (वाग्जीवन) और नौकर-चाकर आदि मेहनताने की आशा से कार्य करने वाले (आशाकारिक) व्यक्तियों को वैसा ही वेतन दिया जाय, जैसा अन्यत्र दिया जाता हो; अथवा जो भी वेतन कुशल पुरुष नियत कर दे तदनुसार दिया जाय । इस विषय पर विवाद होने पर साक्षियों के अनुसार ही निर्णय दिया जाय । यदि साक्षी न हों तो जैसा कार्य किया हो, उसी के अनुसार फैसला दिया जाय ।
३. उनका वेतन न देने वाले पर वेतन का दसवाँ हिस्सा या छह गण दण्ड किया जाय । अपव्यय करने पर उसका पाँचवाँ हिस्सा या बारह पण दण्ड किया जाय ।

१. नदीवेगज्वालास्तेनव्यालोपरुद्धः सर्वस्वपुत्रदारात्मदानेनार्त-
स्त्रातारमाहूय निस्तीर्णः कुशलप्रदिष्टं वेतनं दद्यात् । तेन
सर्वत्रार्तदानानुशया व्याख्याताः ।

२. लभेत पुंश्वली भोगं सङ्गमस्योपलिङ्गनात् ।
अतियाञ्जा तु जीयेत दौर्मत्याविनयेन वा ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे स्वाम्यधिकारो नाम त्रयोदशोऽध्यायः;

आतिदितः सप्ततितमः ।



१. नदी के प्रवाह में बहता हुआ या अग्नि, चोर, सांप और हिंसक पशुओं से
घिरा हुआ कोई व्यक्ति यदि जान बचाने की गरज से किसी को अपना
सर्वस्व, स्त्री, पुत्र धन आदि, देने का वायदा कर आपत्ति से बच जाय तो
उस पर तत्कालीन चतुर व्यक्ति जो भी निर्णय दे दें उसी के अनुसार रक्षक
को दिया जाय । इसी प्रकार आपद्ग्रस्त लोगों के दूसरे प्रणों के सम्बन्ध में
भी जान लेना चाहिए ।

२. वेश्या को चाहिए कि वह संभोग शुरूक को पहिले ही ले ले । यदि वह
बुरी नियत से या ढरा-धमका कर अनुचित तरीके से अधिक धन लेना चाहे
तो उसे वह कदापि न दिया जाय ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।



अध्याय १४

कर्मकरकल्पः, सम्भूयसमुत्थानम्

१. गृहीत्वा वेतनं कर्म अकुर्वतो भृतकस्य द्वादशपणो दण्डः ।
संरोधश्चाकारणात् ।
२. अशक्तः कुत्सिते कर्मणि व्याधौ व्यसने वा अनुशयं लभेत,
परेण वा कारयितुम् । तस्य व्ययकर्मणा लभेत, भर्ता वा
कारयितुम् ।
३. नान्यस्त्वया कारयितव्यो मया वा नान्यस्य कर्तव्यमित्यव-
रोधे भर्तुरकारयतो भृतकस्याकुर्वतो वा द्वादशपणो दण्डः ।
कर्मनिष्ठापने भर्तुरन्यत्र गृहीतवेतनो नासकामः कुर्यात् ।

मजदूरी के नियम और साक्षीदारी का हिस्सा

१. वेतन लेकर जो नौकर कार्य न करे उसपर बारह पण दण्ड किया जाय ।
यदि अकारण ही वह कार्य न करे तो उसे कारावास में बन्द कर दिया जाय ।
२. किसी अशक्त, कुत्सित कार्य के भा जाने पर, बीमारी में या किसी आपत्ति में
फँस जाने के कारण नौकर आकस्मिक छुट्टी (अनुशय) ले सकता है;
अथवा अपनी पृज में किसी दूसरे व्यक्ति को रखकर छुट्टी ले सकता है ।
स्थानापन्न नौकर की मजदूरी उसके कार्य से ही पूरी की जाय; अथवा
मालिक ही किसी दूसरे से कार्य ले ।
३. 'न तो आप किसी से कार्य करवायेंगे और न मैं ही किसी का कार्य करूंगा'
इस प्रकार के आपसी समझौते को यदि मालिक भंग करे तो बारह पण
दण्ड और यदि नौकर भंग करे तो भी बारह पण दण्ड दिया जाय । यदि
किसी मजदूर ने दूसरी जगहों से अग्रिम वेतन ले लिया हो, तो पहिले
मालिक का कार्य पूरा करने दूसरी जगह जा सकता है ।

१. उपस्थितमकारयतः कृतमेव विद्यादित्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः । कृतस्य वेतनं, नाकृतस्यास्ति । स चेदल्प-
मपि कारयित्वा न कारयेत्, कृतमेवास्य विद्यात् । देशकाला-
तिपातनेन कर्मणामन्यथाकरणे वा नासकामः कृतमनुमन्येत ।
सम्भाषितादधिकक्रियायां प्रयासं न मोघं कुर्यात् ।
३. तेन संघभृता व्याख्याताः । तेषामाधिः सप्तरात्रमासीत ।
ततोऽन्यमुपस्थापयेत्; कर्मनिष्पाकं च । न चानिवेद्य भर्तुः
संघः कंचित्परिहरेदुपनयेद्वा । तस्यातिक्रमे चतुर्विंशतिपणो
दण्डः । संघेन परिहृतस्यार्धदण्डः । इति भृतकाधिकारः ।

१. कुछ आचार्यों का अभिमत है कि हाजिर हुआ मजदूर यदि कुछ कार्य न भी करे तो हाजिरी मात्र से ही उसका कार्य समझ लिया जाय ।
२. परन्तु आचार्य कौटिल्य ऐसा नहीं मानते हैं । उनका कथन है कि वेतन कार्य करने का दिया जाता है, खाली बैठने का नहीं । यदि मालिक थोड़ा ही काम कराके फिर न कराए तो नौकर का पूरा काम किया हुआ समझा जाय । मालिक के आज्ञानुसार ठीक स्थान और समय पर काम न करने से या कार्यों को उलटा कर देने से नौकर का काम किया हुआ न समझा जाय । मालिक जितना काम बताए नौकर यदि उससे अधिक कार्य कर डाले तो वह अतिरिक्त मेहनत व्यर्थ समझनी चाहिए ।
३. मिल, कारखाना और कंपनियों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए भी यही नियम समझना चाहिए । ठीक तरह से कार्य न करने वाले मजदूरों की सात दिन की मजदूरी दवाए रखनी चाहिये, इतने पर भी यदि वे ठीक तरह से कार्य न करें तो वह कार्य दूसरे को दे देना चाहिए; और उस कार्य को ठीक कराकर दूसरे को उचित मजदूरी दे देनी चाहिए । मजदूरों को चाहिए कि मालिक को बिना सूचित किए वे न तो किसी वस्तु को नष्ट करें और न ले जाँय । इस नियम का उल्लंघन करने पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय यदि सभी मजदूर मिलकर ऐसा करें तो उनको आधा दण्ड दिया जाय । यहाँ तक मजदूरों (भृतकों) के सम्बन्ध में निरूपण किया गया ।

१. सधंभृताः सम्भूयसमुत्थातारो वा यथासम्भाषितं वेतनं समं वा विभजेरन् ।
२. कर्षकवैदेहका वा सस्यपण्यारम्भपर्यवसानान्तरे सन्नस्य यथा-कृतस्य कर्मणः प्रत्यंशं दद्युः । पुरुषोपस्थाने समग्रमंशं दद्युः । संसिद्धे तूद्धृतपण्ये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यंशं दद्युः । सामान्या हि पथि सिद्धिश्चासिद्धिश्च ।
३. प्रक्रान्ते तु कर्मणि स्वस्थस्यापक्रामतो द्वादशपणो दण्डः । न च प्राकाम्यमपक्रमणे ।
४. चोरं त्वभयपूर्वं कर्मणः प्रत्यंशेन ग्राहयेद्, दद्यात्प्रत्यंशमभयं च । पुनस्स्तेये प्रवासनमन्यत्र गमने च । महापरार्धे तु दूष्यवदाचरेत् ।

१. संघ से एक मुष्ट मजदूरी पाने वाले या मिलकर ठेके आदि पर काम करने वाले मजदूर पहले से तय की हुई मजदूरी आपस में बराबर-बराबर बांट लें ।
२. किसान को चाहिए कि वह फसल के आरम्भ से अन्त तक; और खरीदफरोक्त करने वाले व्यापारी को चाहिए कि माल खरीदने से लेकर बेचने तक वे अपने साक्षीदार को उसके कार्य के अनुसार हिस्सा दें । यदि कोई साक्षीदार अपनी एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को नियत कर दे तब भी उसका पूरा हिस्सा दिया जाय, माल बिक जाने पर दुकान उठने से पहिले ही साक्षीदार को उसका हिस्सा भी दिया जाय; क्योंकि आगे कार्य करने में सफलता और असफलता सम्मन है ।
३. कार्य चालू रहते हुए यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति कार्य को छोड़कर चला जाय तो उसे बारह पण दण्ड दिया जाय; क्योंकि इस प्रकार काम छोड़कर चले जाना किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होता ।
४. यदि कोई साक्षीदार चोरी कर ले तो उसको समाकर उससे सब-सच बात बतला देने एवं उसका पूरा हिस्सा देने के लिए कहा जाय; और यदि वह सब-सच बतला दे तो उसको पूरा हिस्सा देकर माफ किया जाय । यदि वह फिर भी चोरी करे और यदि दूसरे देश में जाकर के चोरी करे तो

१. याजकाः स्वप्रचारद्रव्यवर्जं यथासम्भाषितं वेतनं समं विभजेरन् ।
२. अग्निष्टोमादिषु च क्रतुषु दीक्षणादूर्ध्वं याजकः सन्नः पंचममंशं लभेत । सोमविक्रयादूर्ध्वं चतुर्थमंशम् । मध्यमोपसदः प्रवर्ग्योद्वासनादूर्ध्वं तृतीयमंशम् । माध्यादूर्ध्वमर्धमंशम् । सुत्ये प्रातस्सवनादूर्ध्वं पादोनमंशम् । माध्यन्दिनात् सवनादूर्ध्वं समग्रमंशं लभेत । नीता हि दक्षिणा भवन्ति । बृहस्पतिसवनवर्जं प्रतिसवनं हि दक्षिणा दीयन्ते । तेनाहर्गणदक्षिणा व्याख्याताः ।
३. सन्नानामा दशाहोरात्राच्छेषभृताः कर्म कुर्युः । अन्ये वा स्वप्रत्ययाः ।

उसे साक्षीदारी से अलग कर देना चाहिये, यदि वह कोई बड़ा अपराध करे तो उसके साथ राजकीय अपराधी जैसा व्यवहार किया जाय ।

१. याज्ञिकों का बँटवारा : यज्ञ करने वाले निजी उपयोग में आने वाली वस्तुओं को छोड़कर बाकी सारे वेतन को पूर्व निश्चय के अनुसार या बराबर-बराबर बाँट लें ।
२. अग्निष्टोम आदि यज्ञों में दीक्षा के बाद ही यदि अकस्मात् याचक बीमार पड़ जाय तो उसे पूर्व निश्चित सामग्री वेतन आदि का पाँचवाँ हिस्सा दिया जाय । यदि याजक सोम-विक्रय के बाद बीमार पड़े तो चौथा हिस्सा; मध्यमोपसद सम्बन्धी प्रवर्ग्योद्वासन (सोम तैयार करने सम्बन्धी क्रिया) के बाद बीमार पड़े तो दूसरा हिस्सा; मध्यमोपसद के बाद बीमार पड़े तो आधा हिस्सा; साम के अभिषव काल में प्रातः सवन के बाद बीमार पड़े तो तीन हिस्से; और माध्यन्दिन सवन के बाद बीमार पड़े तो सम्पूर्ण दक्षिणा ले ले, क्योंकि यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा पूरी हो जाती है । बृहस्पति सवन को छोड़कर शेष सभी सवनों में दक्षिणा दी जाती है । इसी प्रकार अहर्गण आदि में दी जाने वाली दक्षिणाओं के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये ।
३. बीमार हुए याजकों की जगह दक्षिणा लेकर कार्य करने वाले याजक दस दिन तक इस कार्य को पूरा करें अथवा दूसरे याजक अपनी स्वतंत्र दक्षिणा लेकर उस अधूरे कार्य को पूरा करें ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ७०, अध्याय १४

१. कर्मण्यसमाप्ते तु यजमानः सीदेत् , ऋत्विजः कर्म समापय्य दक्षिणां हरेयुः ।
२. असमाप्ते तु कर्मणि याज्यं याजक वा त्यजतः पूर्वः साहसदण्डः ।
३. अनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः ।
सुरापो वृषलीभर्ता ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥
असत्प्रतिग्रहे युक्तः स्तेनः कुत्सितयाजकः ।
अदोषस्त्यक्तुमन्योन्यं कर्मसंकरनिश्चयात् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे कर्मकरविधिः सम्भूयसमुत्थानं नाम चतुर्दशोऽ-
ध्यायः; आदितः एकसप्ततितमः ।



१. यज्ञ कार्य समाप्त होने से पहिले हां यदि यजमान बीमार पड़ जाय तो ऋत्विजों को चाहिए कि वे यज्ञ पूरा होने के बाद ही दक्षिणा लें ।
२. यज्ञ की समाप्ति के पूर्व ही यजमान यदि याजक को छोड़ दे अथवा याजक ही यजमान को छोड़ दें तो छोड़ने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।
३. सौ गायों को रखते हुए भी अग्न्याधान न करने वाला, हजार गायों को रखते हुए भी यजन न करने वाला, शरावी, शूद्रा को घर में रखने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, कुत्सित दान लेने वाला, चोरों तथा कुकर्मियों के यहाँ यज्ञ करने वाला; याजक अथवा यजमान, यज्ञकर्म की पवित्रता बनाये रखने के लिए, यज्ञ समाप्ति के पूर्व ही, एक-दूसरे को छोड़ सकता है ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।



विक्रीतक्रीतानुशयः

१. विक्रीय पण्यमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः, अन्यत्र दोषोप-
निपाताविषह्येभ्यः ।
२. पण्यदोषो दोषः । राजचोराग्न्युदकबाध उपनिपातः । बहुगुण-
हीनमार्तकृतं वाऽविषह्यम् ।
३. वैदेहकानामेकरात्रमनुशयः । ऋषकाणां त्रिरात्रम् । गोरक्ष-
काणां पंचरात्रम् । व्यामिश्राणामुत्तमानां च वर्णानां षृत्ति-
विक्रये सप्तरात्रम् ।
४. आतिपातिकानां पण्यानामन्यत्राविक्रेयमित्यविरोधेनानुशयो

क्रय विक्रय का बयाना

१. सौदा बेचने के बाद जो सौदागर देने से मुकर जाय उस पर बारह पण दण्ड किया जाय; सौदागर यदि किसी दोष, उपनिपात अथवा अविषह्य के कारण बेची हुई वस्तु को नहीं देता तो वह निर्दोष है ।
२. बेची हुई वस्तु में किसी प्रकार की खराबी आ जाना दोष कहलाता है । बेची हुई वस्तु में राजा, चोर, अग्नि तथा जल आदि के द्वारा हुई बाधा उपनिपात है । बेची हुई वस्तु का अत्यधिक गुणहीन या दुःखदाई होना अविषह्य कहलाता है ।
३. क्रय-विक्रय करनेवाले व्यापारियों द्वारा खरीदे गये माल का बयाना एक दिन तक लौटाया जा सकता है । इसी प्रकार किसानों का विक्रय तीन दिन तक; ग्वालों का विक्रय पाँच दिन तक; और सङ्कर जाति तथा उत्तम वर्णों के जीवन-निर्वाह के आधारभूत भूमि आदि का विक्रय सात दिन तक वापिस किया जा सकता है ।
४. अल्पायु (आतिपातिक) वस्तुओं का बयाना (अनुशय) इस शर्त पर दिया

- देयः । तस्यातिक्रमे चतुर्विंशतिपणो दण्डः, पण्यदशभागो वा ।
१. क्रीत्वा पण्यमप्रतिगृह्यतो द्वादशपणो दण्डः, अन्यत्र दोषोप-
निपाताविषयेभ्यः । समानश्चानुशयो विक्रेतुरनुशयेन ।
 २. विवाहानां तु त्रयाणां पूर्वेषां वर्णानां पाणिग्रहणासिद्धमुपा-
वर्तनम् । शूद्राणां च प्रकर्मणः । वृत्तपाणिग्रहणयोरपि दोष-
मौपशायिकं दृष्ट्वा सिद्धमुपावर्तनम् । न त्वेवाभिप्रजातयोः ।
 ३. कन्यादोषमौपशायिकमनाख्याय प्रयच्छतः षण्णवतिर्दण्डः ।
शुल्कस्त्रीधनप्रतिदानं च ।
 ४. वरयितुर्वा वरदोषमनाख्याय विन्दतो द्विगुणः । शुल्कस्त्री-
धननाशश्च ।

जाय कि वह उसको किसी दूसरे के हाथ न बेचेगा । इस नियम का उल्लङ्घन करने वाले को चौबीस पण या बिकी हुई वस्तु का दसवां हिस्सा दण्ड दिया जाय ।

१. किसी वस्तु को खरीद कर उसको लेने से यदि खरीददार सुकर जाय तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । यदि दोष, उपनिपात और अविपह्य भादि कारणों से ऐसा किया गया हो तो खरीददार निर्दोष है । खरीदने वाले के लिए भी बयाना देने का वही नियम है, जो बेचने वाले के लिए बनाया गया है ।
२. विवाह सम्बन्धी शर्त : ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जातियों में विवाह के बाद स्त्री पुरुष के किसी प्रकार का उलट-फेर नहीं हो सकता है । शूद्रों में प्रथम संयोग हो जाने पर स्त्री-पुरुष एक दूसरे को छोड़ सकते हैं । ब्राह्मण भादि तीन वर्णों में विवाह के बाद सुहागरात के समय यदि पति-पत्नी को एक-दूसरे में कोई योनिलिङ्गज दोष जान पड़े तो सम्बन्ध-विच्छेद हो सकता है । सन्तान हो जाने पर किसी भी तरह सम्बन्ध-विच्छेद सम्भव नहीं है ।
३. कन्या के किसी गुप्त दोष को छिपाकर उसका विवाह करने वाले व्यक्ति पर छियानत्रे पण दण्ड किया जाय और उसे जो शुल्क तथा स्त्री धन दिया है वह वापिस लिया जाय ।
४. इसी प्रकार जो वर के दोषों को छिपा कर विवाह करता है, उसपर दुगुना

१. द्विपदचतुष्पदानां तु कुष्ठव्याधिताशुचीनामुत्साहस्वास्थ्यशुची-
नामाख्याने द्वादशपणो दण्डः ।
२. आ त्रिपक्षादिति चतुष्पदानामुपावर्तनम् । आ संवत्सरादिति
मनुष्याणाम् । तावता हि कालेन शक्यं शौचाशौचे ज्ञातुमिति ।
३. दाता प्रतिग्रहीता च स्यातां नोपहतौ यथा ।
दाने क्रये वानुशयं तथा कुर्युः सभासदः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे विक्रीतक्रीतानुशयो नाम पंचदशोऽध्यायः;
आदितः द्विसप्ततितमः ।



अर्थात् १९२ पण दण्ड किया जाय और उसको दिया हुआ शुष्क तथा स्त्री
धन भी जब्त कर लिया जाय ।

१. पशुओं की विक्री : कोढ़ी, बीमार तथा व्याधिमग्नस्त मनुष्यों और पशुओं
को स्वस्थ-सुंदर बताने वाले व्यक्ति पर बारह पण जुर्माना किया जाय ।
२. चौपाये पशु षेड मास तक और मनुष्य साल भर तक लौटाये जा सकते हैं;
क्योंकि इस अवधि में इनकी अच्छाई-बुराई का भली भाँति अन्दाजा लगाया
जा सकता है ।
३. धर्मस्थ (सभासद) लोगों को चाहिए कि वे लेन-देन और क्रय-विक्रय के
अनुशय में ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को कोई नुकसान न उठाना उड़े ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।



दत्तस्यानपाकर्म, अस्वामिविक्रयः, स्वस्वामिसम्बन्धश्च

१. दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्यातम् ।
२. दत्तमव्यवहार्यमेकत्रानुशये वर्तेत । सर्वस्वं पुत्रदारमात्मानं प्रदायानुशयिनः प्रयच्छेत् । धर्मदानमसाधुषु, कर्मसु चौपघातिकेषु वा । अर्थदानमनुपकारिषु अपकारिषु वा । कामदानमनर्हेषु च । यथा च दाता प्रतिग्रहीता च नोपहतां स्यातां तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुः ।
३. दण्डभयादाक्रोशभयादनर्थभयाद्वा भयदानं प्रतिगृह्यतः स्तेय-

दान किये हुये धन को न देना; अस्वामि-विक्रय; स्व-स्वामि संबंध

१. दान किये हुये धन को न देना, कर्जा न देने के समान ही समझना चाहिए ।
२. दान किया हुआ धन यदि उपयोग में लाने के योग्य न हो तो उसे अमानत (अनुशय) के तौर पर सुरक्षित रखा जाय । दाता को चाहिए कि वह अपनी सारी संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कलत्र आदि, यहां तक कि अपने भाप को भी गिरवी रखकर दान पानेवाले (अनुशयी) का धन चुकता करे । धर्मबुद्धि से अनजाने में असाधुओं को दान में दिया हुआ धन; या सद्बुद्धि से अच्छे कार्य के लिए बुरे व्यक्तियों को दान में दिया हुआ धन; अनुपकारी तथा अपकारी को दान में दिया हुआ धन; और काम-वृत्ति के लिए वेश्या आदि को दिया हुआ धन अमानत (अनुशय) के तौर पर सुरक्षित रखा जाय । कुशल धर्मस्थ व्यक्तियों को चाहिए कि वे अनुशय का इस प्रकार निर्णय करें, जिससे दाता और प्रतिगृहीता, दोनों को किसी प्रकार की हानि न हो ।
३. जो भी व्यक्ति दण्ड, निंदा और रोग आदि के भय से दान दे तथा दान लें, उन सब को चोरी का दण्ड दिया जाय । दूसरे को मारने की नीयत से

दण्डः । प्रयच्छतश्च । रोषदानं परहिंसायाम् । राज्ञामुपरि
दर्पदानं च । तत्रोत्तमो दण्डः ।

१. प्रातिभाष्यं दण्डशुल्कशेषमाक्षिकं सौरिकं कामदानं च नाकामः
पुत्रो दायादो वा रिक्थहरो दद्यात् । इति दत्तस्यानपाकर्म ।
२. अस्वामिविक्रयस्तु । नष्टापहतमासाद्य स्वामी धर्मस्थेन ग्राहयेत्;
देशकालातिपत्तौ वा स्वयं गृहीत्वोपहरेत् । धर्मस्थश्च स्वामिन-
मनुयुञ्जीत—कुतस्ते लब्धमिति । स चेदाचारक्रमं दर्शयेत्, न
विक्रेतारं, तस्य द्रव्यस्यातिसर्गेण मुच्येत । विक्रेता चेद्दृश्येत,

दान देने और दान लेने वाले व्यक्तियों को भी यही दण्ड दिया जाय । यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में अभिमानवश राजा से अधिक दान दे तो उसे उमत्त साहस दण्ड दिया जाय ।

१. व्यर्थ का ऋण, दण्डशेष (जुरमाना), शुल्कशेष (दहेज का धन), जुए में हारा धन, शराबखोरी में लिया हुआ ऋण और वेश्या को दिया जाने वाला धन आदि को; मृत पुरुष का कोई भी वारिस यदि न देना चाहे तो कानूनन उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है । यहाँ तक प्रतिज्ञात वस्तु को न दिए जाने के संबंध में कहा गया ।
२. अस्वामि-विक्रय : किसी वस्तु का स्वामी न होते हुए भी जो व्यक्ति उस वस्तु को बेच दे उसका दण्ड-विधान इस प्रकार है : अपनी खोई हुई या चोरी गई वस्तु को उसका मालिक जिस व्यक्ति के पास देखे उसको धर्मस्थ के द्वारा गिरफ्तार करा दे । यदि देश या काल उसमें बाधक हो तो स्वयं ही पकड़ कर उस व्यक्ति को धर्मस्थ के हवाले कर दे । धर्मस्थ उससे पूछे कि 'तुम्हें यह वस्तु कहां मिली ?' यदि वह प्राप्त वस्तु के संबंध में पूरा विवरण बताकर कहे कि उसको वह वस्तु कहीं पड़ी हुई मिली है और उस वस्तु को उसके असली मालिक को लौटा दे, तो उसे बरी कर दिया जाय । यदि वह उस वस्तु के बेचने वाले व्यक्ति का नाम बताये, तो उस विक्रेता से उस वस्तु का मूल्य खरीदने वाले को दिलाया जाय और वह वस्तु उसके असली मालिक को सौंप दी जाय; और बेचने वाले को चोरी का दण्ड दिया जाय । यदि वह भी किसी दूसरे विक्रेता का नाम ले; वह भी

मूल्यं स्तेयदण्डं च । स चेदपसारमधिगच्छेदपसरेदापसारक्ष-
क्षयादिति । क्षये मूल्यं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।

१. नाष्टिकं च स्वकरणं कृत्वा नष्टप्रत्याहृतं लभेत । स्वकरणाभावे पञ्चबन्धो दण्डः । तच्च द्रव्यं राजधर्म्यं स्यात् ।
२. नष्टापहतमनिवेद्योत्कर्षतः स्वामिनः पूर्वः साहसदण्डः ।
३. शुल्कस्थाने नष्टापहतोत्पन्नं तिष्ठेत् । त्रिपक्षादूर्ध्वमनभिसारं राजा हरेत्, स्वामी वा स्वकरणेन ।
४. पञ्चपणिकं द्विपदरूपस्य निष्क्रयं दद्यात् ; चतुष्पणिकमेक-
खुरस्य; द्विपणिकं गोमहिषस्य; पादिकं क्षुद्रपशूनाम् । रत्न-
सारफल्गुकुप्यानां पञ्चकं शतं दद्यात् ।

किसी दूसरे को बताये, इस प्रकार जो भी उसका पहिला विक्रेता सिद्ध हो
वही उस वस्तु का मूल्य और चोरी का जुर्माना भदा करे ।

१. खोई हुई वस्तु को उसका मालिक प्रमाणरूप में लेख तथा साक्षी दिखाकर
ही प्राप्त कर सकता है । यदि वह पुरुष उस वस्तु को अपनी सिद्ध न कर
सके तो उसके मूल्य का पाँचवां हिस्सा जुर्माना भरे; और वह वस्तु धर्मा-
नुसार राजा के अधिकार में दे दी जाय ।
२. अपनी खोई हुई वस्तु को किसी के पास देखकर बिना धर्मस्थ को सूचित
किए ही, यदि उसका मालिक स्वयं ही छीनने लगे तो उसको प्रथम साहस
दण्ड दिया जाय ।
३. किसी का खोया हुआ या चोरी गया माल मिल जाय तो वह चुंगीघर में
जमा कर दिया जाय । डेढ़ महीने तक यदि उसका मालिक उसको न ले तो
उसको सरकारी माल में जमाकर दिया जाय; अथवा साक्षी आदि के द्वारा
मालिक अपना स्वरव सिद्ध करके उस माल को ले ले ।
४. नष्ट या अपहत दाम-दासी को छुड़ाने के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से
पाँच पण, छुड़ाने वाला, जमा करे । इसी प्रकार घोड़े, गधे आदि को छुड़ाने
के लिए चार पण, गाय, भैंस आदि को छुड़ाने के लिए दो पण, छोटे-छोटे
पशुओं को छुड़ाने के लिए १ पण; रत्न आदि बहुमूल्य, टिकाऊ वस्तुओं,
रसहीन (फल्गु) वस्तुओं, और ताँबा आदि धातुओं को छुड़ाने के लिए
पाँच पण सरकारी टैक्स (निष्क्रय) छुड़ाने वाला जमा करे ।

१. परचक्राटवीहतं तु प्रत्यानीय राजा यथास्वं प्रयच्छेत् । चोर-
हतमविद्यमानं स्वद्रव्येभ्यः प्रयच्छेत्, प्रत्यानेतुमशक्तो वा ।
स्वयंग्राहेणाहतं प्रत्यानीय तन्निष्क्रयं वा प्रयच्छेत् ।
२. परविषयाद्वा विक्रमेणानीतं यथाप्रदिष्टं राज्ञा भुञ्जीतान्यत्रार्य-
प्राणद्रव्येभ्यो देवब्राह्मणतपस्विद्रव्येभ्यश्च । इत्यस्वामिविक्रयः ।
३. स्वस्वामिसम्बन्धस्तु भोगानुवृत्तिरुच्छिन्नदेशानां यथास्वं
द्रव्याणाम् ।
४. यत्स्वं द्रव्यमन्यैर्भुज्यमानं दशवर्षाण्युपेक्षेत, हीयेतास्य अन्यत्र
बालवृद्धव्याधितव्यसनिप्रोषितदेशत्यागराज्यविभ्रमेभ्यः ।

१. दूसरे राजा के द्वारा या जंगलियों द्वारा अपहरण किए हुए दास, दासी या चौपाय आदि को राजा स्वयं लेकर उनके स्वामियों को दे । चोरों द्वारा चुराई गई वस्तु यदि नष्ट हो जाय या राजा भी उसको लौटा कर न ला सके तो, राजा को चाहिए कि अपने द्रव्यों में से उस वस्तु को उसके स्वामी को दे । चोरों को पकड़ने के लिए नियुक्त हुए राजपुरुषों द्वारा लाई गई वस्तु उसके मालिक को दे दी जाय; यदि ऐसा संभव न हो तो उस खोई हुई वस्तु का मूल्य उसके स्वामी को दे दिया जाय ।
२. दूसरे देश से जीत कर लाए हुए धन का उपभोग, राजा की आज्ञा प्राप्त कर किया जाय; किन्तु वह धन यदि आर्यों, देवताओं, ब्राह्मणों और तपस्वियों का हो तो उसका उपभोग न कर, प्रत्युत उसको लौटा दिया जाय । यहाँ तक अस्वामि-विक्रय के संबन्ध में कहा गया ।
३. स्वस्वामि-सम्बन्ध : जिस संपत्ति को कोई व्यक्ति लगातार भोगता आ रहा हो उसके संबन्ध में कोई साक्षी न मिलने पर भी, उस संपत्ति पर भोग करने वाले का ही अधिकार माना जाय ।
४. जो व्यक्ति, दस वर्ष तक दूसरों के उपभोग में गई, अपनी संपत्ति की खोज-खबर नहीं करता, उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रह जाता है । किन्तु वह संपत्ति यदि ऐसे व्यक्तियों की हो, जो बाल, वृद्ध, बीमार, आपद्ग्रस्त, परदेश गये, देश त्यागी और राजकीय कार्य के लिए बाहर गए हों, तो दस वर्ष बाद भी अपनी संपत्ति पर उनका अधिकार बना रहता है ।

१. विंशतिवर्षोपेक्षितमनुवसितं वास्तु नानुयुञ्जीत ।
२. ज्ञातयः श्रोत्रियाः पाषण्डा वा राज्ञामसन्निधौ परवास्तुषु विवसन्तो न भोगन हरेयुः; उपनिधिमाधि निधि निक्षेपं त्रियं सीमानं राजश्रोत्रियद्रव्याणि च ।
३. आश्रमिणः पाषण्डा वा महत्यवकाशे परस्परमबाधमाना वसेयुः । अल्पां बाधां सहेरन् । पूर्वागतो वा वासपर्यायं दद्यात् । अप्रदाता निरस्येत ।
४. वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणामाचार्यशिष्यधर्मभ्रातसमानतीर्थ्यारि-
कथभाजः क्रमेण ।
५. विवादपदेषु चैषां यावन्तः पणा दण्डाः तावती रात्रीः क्षपणा-
भिषेकाग्निकार्यमहाकृच्छ्रवर्धनानि गज्ञश्वरेयुः । अहिरण्यसुवर्णाः

१. यदि कोई किरायादार मालिक मकान की रजामंदी से बीस वर्ष तक उसके मकान पर रहे तो उस मकान पर किरायेदार का अधिकार हो जाता है ।
२. बंधु-बांधव, श्रोत्रिय और पाखंडी आदि व्यक्ति राजा से दूर दूसरों के मकानों में रहते हुए भी उनके मालिक नहीं हो सकते हैं । इसी प्रकार उपनिधि, भाधि, निधि, निक्षेप, स्त्री, सीमा, राजा और श्रोत्रिय की वस्तुओं पर कोई भी व्यक्ति अधिकार नहीं कर सकता है ।
३. आश्रमवासी और पाखंड (अवैदिक एवं व्रत-उपवास करने वाले) एक-दूसरे को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाते हुए निवास करें । यदि एक-दूसरे को वे थोड़ी सी हानि पहुँचायें तो सहन कर ले । पहिले से रहने वाला व्यक्ति, वाद में भात्रे व्यक्ति को स्थान दे दे; यदि स्थान न दे तो उसे बाहर कर दिया जाय ।
४. वानप्रस्थी, संन्यासी और ब्रह्मचारियों की संपत्ति वे उत्तराधिकारी क्रमशः उनके आचार्य, शिष्य और धर्म भाई या सहपाठी होते हैं ।
५. इन लोगों में परस्पर झगड़ा हो जाने के कारण अपराधी को जितना पण, दण्ड किया जाय, उतनी ही रात्रि वह राजा के कल्याण के लिए उपवास, स्नान, अग्नि-होत्र और कठिन चांद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करे । हिरण्य-सुवर्ण आदि रखने वाले धर्मशील पाखंडी भी दण्डित होने पर राजा की

पाषण्डाः साधवः । ते यथास्वमुपवासव्रतैराराधयेयुः । अन्यत्र
पारुष्यस्तेयसाहससंग्रहणेभ्यः । तेषु यथोक्ता दण्डाः कार्याः ।

१. प्रव्रज्यासु वृथाचारान् राजा दण्डेन वारयेत् ।
धर्मो ह्यधर्मोपहतः शास्तारं हन्त्युपेक्षितः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे दत्तस्यानपाकर्म-अस्वामिविक्रय-स्वस्वामिसम्बन्धा
नाम षोडशोऽध्यायः; आदितस्त्रिसप्ततितमः ।



कल्याण-कामना के लिए यथोचित व्रत-आदि करें। यदि वे मार-पीट, चोरी, ढाका और व्यभिचार करें तो उन्हें सहज ही में न छोड़ा जाय; बल्कि अपराध के अनुसार उनको पूर्वोक्त सभी प्रकार के दण्ड दिए जायें।

१. संन्यासियों के बीच होने वाले मिथ्या आचार-विचारों को राजा दण्ड के द्वारा ही दूर करे; क्योंकि अधर्म से दबाया और उपेक्षा किया हुआ धर्म शासन करने वाले राजा को नष्ट कर देता है।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।



अपहरण ७४

अध्याय १७

साहसम्

१. साहसमन्वयवत्प्रसभकर्म । निरन्वये स्तेयमपव्ययने च ।
२. रत्नसारफल्गुकुप्यानां साहसे मूल्यसमो दण्डः, इति मानवाः ।
मूल्यद्विगुण इत्यौशनसाः । यथापराध इति कौटिल्यः ।
३. पुष्पफलशाकमूलकन्दपकान्नचर्मवेणुमृद्गाण्डादीनां क्षुद्रकद्र-
व्याणां द्वादशपणावरश्चतुर्विंशतिपणपरो दण्डः ।
४. कालायसकाष्ठरज्जुद्रव्यक्षुद्रपशुपटादीनां स्थूलकद्रव्याणां
चतुर्विंशतिपणावरोऽष्टचत्वारिंशत्पणपरो दण्डः । ताम्रवृत्तकंस-

साहस

१. खुलेआम बलात्कार करना, डाके ढालना तथा मारधाड़ करना साहस कहलाता है । छिपकर किसी वस्तु का अपहरण करना या किसी वस्तु को लेकर देने से मुकर जाना चोरी कहलाता है ।
२. मनु के मतानुयायी विद्वानों का कथन है कि 'रत्न, बहुमूल्य टिकाऊ वस्तुओं, रसहीन वस्तुओं तथा तौबा आदि धातुओं पर डाका ढालने वाले व्यक्ति को, उनकी कीमत के बराबर दण्ड दिया जाय' । औशनस संप्रदाय के विद्वानों की राय है कि मूल्य के बराबर नहीं 'मूल्य से दुगुना दण्ड दिया जाय ।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि उन्हें 'अपराध के अनुसार ही दण्ड दिया जाय ।'
३. फूल, फल, शाक, मूल, कंद, पका अन्न, चमड़ा, बॉस और मिट्टी के बर्तन आदि छोटी-छोटी वस्तुओं का अपहरण करने वाले पर बारह पण से लेकर चौबीस पण तक का दण्ड किया जाय ।
४. इसी प्रकार लोहा, लकड़ी रस्सी, छोटे पशु और वस्त्र आदि वस्तुओं के अपहरण में चौबीस से अठतालीस पण तक का दण्ड किया जाय । तौबा,

काचदन्तभाण्डादीनां स्थूलकद्रव्याणामष्टचत्वारिंशत्पणावरः
पणवतिपरः पूर्वः साहसदण्डः । महापशुमनुष्यक्षेत्रगृहहिरण्य-
सुवर्णसूक्ष्मवस्त्रादीनां स्थूलकद्रव्याणां द्विशतावरः पंचशतपरः
मध्यमः साहसदण्डः ।

१. स्त्रियं पुरुषं वाभिपद्य बन्धतो बन्धयतो बन्धं वा मोक्षयतः
पंचशतावरः सहस्रपर उत्तमः साहसदण्ड इत्याचार्याः ।
२. यः साहसं प्रतिपत्तेति कारयति स द्विगुणं दद्यात् । यावद्वि-
रण्यमुपयोक्ष्यते तावदास्यामीति स चतुर्गुणं दण्डं दद्यात् ।
य एतावद्विरण्यं दास्यामीति प्रमाणमुद्दिश्य कारयति स यथोक्तं
हिरण्यं दण्डं च दद्याद्, इति वार्हस्पत्याः ।

पीतल, काँसा, काँच और हाथीदाँत आदि की बनी हुई वस्तुओं पर ढाका डालने वाले पर अठतालीस से छियानवे पण तक का जुर्माना किया जाय; इसी को प्रथम साहस दण्ड कहते हैं । बड़े पशु, मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य, सोना और बड़ी कीमत के वस्त्र आदि द्रव्यों पर ढाका डालने वाले को दो-सौ पण से पाँच सौ पण तक का दण्ड दिया जाय; इसी का नाम मध्यम साहस दण्ड है ।

१. स्त्री-पुरुष को जवर्दस्ती, बाँधने, बँधवाने वाले और राजाज्ञा से बँधे हुए स्त्री-पुरुष को छोड़ने, छुड़वाने वाले व्यक्ति को पाँच-सौ पण से लेकर हजार पण तक का दण्ड दिया जाय; प्राचीन आचार्यों के मतानुसार यही उत्तम साहस दण्ड कहलाता है ।
२. जो व्यक्ति जान-बूझ कर या सूचना देकर ढाका (साहस) डालता है, उसे दुगुना दण्ड दिया जाय । जो व्यक्ति किसी को ढाका डालने के लिए यह कह कर प्रेरित करे कि 'तुम्हारे छुड़ाने पर जितना खर्च होगा, उतना मैं लाऊँगा' उसे चौगुना दण्ड दिया जाय । जो व्यक्ति 'तुम्हें इतना सुवर्ण दूँगा' इस प्रकार धन की तादात का प्रलोभन देकर ढाका डलवाये, उससे उतना ही सुवर्ण वसूल किया जाय और इसके अतिरिक्त उसे यथोचित दण्ड दिया जाय; आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वानों का ऐसा निर्देश है ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ७४, अध्याय १७

१. स चेत्कोपं मदं मोहं वापदिशेद्यत्, यथोक्तदण्डमेनं कुर्यात्, इति कौटिल्यः ।
२. दण्डकर्मणु सर्वेषु रूपमष्टपणां शतम् ।
शतावरेषु व्याजीं च विद्यात्पञ्चपणं शतम् ॥
३. प्रजानां दोषबाहुल्याद्राज्ञां वा भावदोषतः ।
रूपव्याजावधमिष्टे धर्म्या तु प्रकृतिः स्मृता ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे साहसं नाम सप्तदशोऽध्यायः;

आदितश्चतुसप्ततितमः ।



~

१. किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'इस प्रकार साहस कार्य कराने वाले व्यक्ति को यदि वह इसका कारण क्रोध, उन्माद या अज्ञानता बताये तो वही दण्ड दिया जाय, जो साहस आदि कर्म करने वालों के लिए बताया गया है ।'
२. सब दण्डों में प्रति सैकड़ा आठ पणरूप (सरकारी टैक्स) और दण्ड की रकम सौ से कम होने पर प्रति सैकड़ा पाँच पण व्याजी (सरकारी टैक्स) समझना चाहिए ।
३. प्रजा के दोषों अपराधों की अधिकता होने पर या राजा के मन में बेईमानी की नियत भा जाने से रूप तथा व्याजी नामक सरकारी टैक्स धर्मानुकूल नहीं माने जाते हैं । इसलिए शास्त्रों में विधान किए गए दण्ड ही धर्मानुकूल माने गये हैं ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।



वाक्पारुष्यम्

१. वाक्पारुष्यमुपवादः कुत्सनमभिभर्त्सनमिति ।
२. शरीरप्रकृतिश्रुतवृत्तिजनपदानां शरीरोपवादेन काणखञ्जादिभिः सत्ये त्रिपणो दण्डः । मिथ्योपवादे षट्पणो दण्डः ।
३. शोभनाक्षिदन्त इति काणखंजादीनां स्तुतिानन्दायां द्वादश-पणो दण्डः ।
४. कुष्ठोन्मादक्लैब्यादिभिः कुत्सायां च सत्यमिथ्यास्तुतिनिन्दासु द्वादशपणोत्तरा दण्डास्तुल्येषु । विशिष्टेषु द्विगुणः । हीनेष्वर्ध-दण्डः । परस्त्रीषु द्विगुणः । प्रमादमदमोहादिभिरर्धदण्डाः ।

वाक्पारुष्य

१. गाली-गलौज, निन्दा और धमकाना आदि वाक्पारुष्य नामक अपराध के अन्तर्गत हैं । वाक्पारुष्य के पांच भेद हैं : (१) शरीर, (२) प्रकृति, (३) श्रुत, (४) वृत्ति और (५) देश ।
२. शरीरः इनमें शरीर को लक्ष्य करके यदि कोई व्यक्ति काणे, गंजे, लंगड़े-लूले को काणा, गंजा, लंगड़ा, लूला कहकर पुकारे तो उसपर तीन पण दण्ड किया जाय । यदि झूठी निन्दा करे तो छह पण दण्ड किया जाय ।
३. यदि कोई व्यक्ति किसी काणे-लंगड़े आदि की व्याजस्तुति के भाव से यह कहे कि 'वाह तुम्हारी आंखें आदि कितनी सुन्दर हैं' तो उसपर बारह पण दण्ड किया जाय ।
४. किसी व्यक्ति की कोढ़ी, पागल या नपुंसक आदि कहकर निन्दा करनेवाले पर भी बारह पण दण्ड किया जाय । यदि कोई व्यक्ति अपने बराबर वालों की सच्ची, झूठी तथा व्याजस्तुति से निन्दा करे तो उसपर क्रमशः बारह, चौबीस और छत्तीस पण दण्ड किया जाय । यदि अपने से बड़ों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो उसपर दुगुना दण्ड किया जाय । अपने से छोटों के साथ ऐसा करने पर आधा दण्ड किया जाय । दूसरों की स्त्रियों के

तीसरा आधिकरण : प्रकरण ७५, अध्याय १८

१. कुष्ठोन्मादयोश्चिकित्सकाः । संनिकृष्टाः पुमांसश्च प्रमाणम् ।
क्लीबभावे स्त्रियः सूत्रफेनः अप्सु विष्टानिमज्जनं च ।
२. प्रकृत्युपवादे ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रान्तावसायिनामपरेण पूर्वस्य
त्रिपणोत्तरा दण्डाः । पूर्वेणापरस्य द्विपणाधराः । कुब्राह्मणादि-
भिश्च कुत्सायाम् ।
३. तेन श्रुतोपवादो वाग्जीवनानां, कारुकुशीलवानां वृत्त्युपवादः,
प्राग्धूणकगान्धारादीनां च जनपदोपवादा व्याख्याताः ।
४. यः परम् 'एवं त्वां करिष्यामि' इति करणेनाभिभर्त्सयेदकरणे,
यस्तस्य करणे दण्डस्ततोऽर्धदण्डं दद्यात् ।

साथ ऐसा करनेवाले पर भी दुगुना दण्ड किया जाय । यदि ऐसी निन्दा पागलपन, मद या किसी मोह के कारण की गई हो तो उसपर भी आधा दण्ड किया जाय ।

१. किसी को कोढ़ी या पागल सिद्ध करने के लिए उनके चिकित्सक या साथ रहनेवाले ही प्रमाण माने जाय । पेशाब में झग न उठना और पानी में विष्टा का डूब जाना नपुंसक स्त्री का प्रमाण समझना चाहिए ।
२. प्रकृति : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज जातियों (प्रकृतियों) में यदि पूर्व-पूर्व वे एक दूसरे की निन्दा करें तो अन्त्यज को तीन पण, छह पण, नौ पण और बारह पण दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार ब्राह्मण निन्दा करे तो दो पण, चार पण, छह पण और आठ पण उसको दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार कुब्राह्मण, महाब्राह्मण आदि निन्दित वाक्य कहनेवाले को भी यही दण्ड दिया जाय ।
३. श्रुति : पढ़ाई, विद्वता, योग्यता आदि विषयों को लेकर वाग्जीवी, व्यक्ति यदि एक दूसरे की निन्दा करें तो उन्हें भी यही दण्ड दिया जाय ।
वृत्ति : शिल्पी, कुशीलव (नट, नर्तक, गायक) आदि यदि एक दूसरे की आजीविका की निन्दा करे तो उन्हें भी यही दण्ड दिया जाय ।
देश : भिन्न-भिन्न देशों के रहनेवाले यदि एक दूसरे के देश की निन्दा करें तो उन्हें भी उक्त दण्ड दिया जाय ।
४. यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहकर कि 'मैं तुम्हें पीटूंगा या तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करूंगा' धमकाये, पर मारे-पीटे नहीं उसे पूर्वोक्त

१. अशक्तः कोपं मदं मोहं वाऽपदिशेत् द्वादशपणं दद्यात् ।
२. जातवैराशयः शक्तश्चापकर्तुं यावज्जीविकावस्थं दद्यात् ।
३. स्वदेशग्रामयोः पूर्वं मध्यमं जातिसंघयोः ।
आक्रोशाद्देवचैत्यानामुत्तमं दण्डमर्हति ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे वाक्पारुष्यं नाम अष्टादशोऽध्यायः,
भादितः पञ्चसप्ततितमः ।



दण्ड से आधा दण्ड दिया जाय; • किन्तु जो धमकाने के साथ-साथ मारे-पीटे—
भी उसको आगे 'दण्डपारुष्य' प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार दण्ड
दिया जाय ।

१. यदि कोई निर्बल व्यक्ति, किसी को डराये-धमकाये, क्रोध, उन्माद या पागलपन प्रकट करे तो उसपर वारह पण दण्ड किया जाय ।
२. यदि यह बात साबित हो जाय कि किसी ने शत्रुताबश किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी है और वह ऐसा करने में समर्थ भी है, तो उसे उसकी आमदनी तथा हैसियत के अनुसार यथोचित दण्ड दिया जाय ।
३. यदि कोई व्यक्ति अपने देश या गाँव की निन्दा करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड; अपनी जाति तथा समाज की निन्दा करे तो उसे मध्यम साहस दण्ड और देवाल्यों की निन्दा करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में अठारहवाँ अध्याय समाप्त ।



प्रवृत्तरणा ७६

अध्याय १९

दण्डपारुष्यम्

१. दण्डपारुष्यं स्पर्शनमवगूर्णं प्रहतमिति ।
२. नाभेरधःकायं हस्तपङ्कभस्मपांसुभिरिति स्पृशतस्त्रिपणो दण्डः ।
३. तैरेवामेध्यैः पादष्ठीविकाभ्यां च षट्पणः । छर्दिमूत्रपुरीषादि-
भिर्द्वादशपणः नाभेरुपरि द्विगुणाः । शिरसि चतुर्गुणाः समेषु ।
४. विशिष्टेषु द्विगुणाः । हीनेषु अर्धदण्डाः । परस्त्रीषु द्विगुणाः ।
प्रमादमदमोहादिभिरर्धदण्डाः ।
५. पादवस्त्रहस्तकेशावलम्बनेषु षट्पणोत्तरा दण्डाः ।

दण्डपारुष्य

१. किसी को छूना, पीटना या हाथ उठाना और चोट पहुँचाना दण्डपारुष्य है ।
२. नाभि से नीचे के हिस्से पर हाथ, कीचड़, राख और धूल डालनेवाले व्यक्ति को तीन पण दण्ड दिया जाय ।
३. यदि किसी को अपवित्र हाथ से छू दिया जाय, पैर से छू दिया जाय तो उस पर छह पण का दण्ड करना चाहिए । यही हरकतें यदि नाभि के ऊपर के हिस्से से की जाय तो उसे दुगुना दण्ड दिया जाय । यदि शिर पर की जाय तो चौगुना दण्ड दिया जाय ।
४. यदि अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय तो उसे दुगुना दण्ड दिया जाय । अपने से छोटों के साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाय तो आधा दण्ड दिया जाय । दूसरों की स्त्रियों के साथ ऐसी हरकतें करने पर भी दुगुना दण्ड दिया जाय । यदि कोई व्यक्ति प्रमाद, उन्माद या अज्ञानतावश ऐसा करे तो उसे आधा दण्ड दिया जाय ।
५. पैर, वस्त्र, हाथ और वालों को पकड़ने वाले व्यक्ति पर क्रमशः छह, चारह, अठारह और चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।

१. पीडनावेष्टनाञ्जनप्रकर्षणाध्यासनेषु पूर्वः साहसदण्डः । पात-
यित्वाऽपक्रमतोऽर्धदण्डः ।
२. शूद्रो येनाङ्गेन ब्राह्मणमभिहन्यात् तदस्य छेदयेत् । अवगूर्णो
निष्क्रयः स्पर्शोऽर्धदण्डः । तेन चण्डालाशुचयो व्याख्याताः ।
३. हस्तेनावगूर्णो त्रिपणावरौ द्वादशपणपरो दण्डः । पादेन
द्विगुणः । दुःखोत्पादनेन द्रव्येण पूर्वः साहसदण्डः । प्राणा-
वधिकेन मध्यमः ।
४. काष्ठलोष्टपाषाणलोहदंडरज्जुद्रव्याणामन्यतमेन दुःखमशोणित-
मुत्पादयतश्चतुर्विंशतिपणो दण्डः । शोणितोत्पादने द्विगुणः ।
अन्यत्र दुष्टशोणितात् ।

१. किसी को पकड़ने पर, बांधने पर, कालिख पोतने पर, घसीटने पर और नीचे पटक उसके ऊपर चढ़ बैठने पर प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । किसी को जमीन पर पटककर भाग जाने वाले को प्रथम साहस का आधा दण्ड दिया जाय ।
२. शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण पर प्रहार करे उसका वह अंग काट देना चाहिए । शूद्र यदि ब्राह्मण का हाथ या पैर झटक दे तो उस पर यथोचित दण्ड किया जाय और केवल छू दे तो उक्त दण्ड का आधा दण्ड किया जाय । इसी प्रकार चाण्डाल आदि नीच जातियों के संबन्ध में दण्ड-व्यवस्था समझनी चाहिए ।
३. हाथ से ढकेलने या झटकने पर तीन पण से बारह पण तक का दण्ड होना चाहिए । पैर से प्रहार करने पर दुगुना दण्ड दिया जाय । कांटा, सूई आलपीन आदि चुभा देने पर प्रथम साहस दण्ड, और प्राणघातक वस्तु द्वारा चोट पहुँचाने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ।
४. लकड़ी, ढेला, पत्थर, लोहे की छड़ तथा रस्सी आदि किसी एक वस्तु से मारने पर यदि खून न निकले तो चौबीस पण, और खून निकले तो अठनाल्लिस पण दण्ड दिया जाय । यदि वह खून कोढ़, फोड़ा, फुँसी आदि के कारण निकला हो तो दुगुना दण्ड न दिया जाय ।

१. मृतकल्पमशोणितं घ्नतो हस्तपादपारश्विकं वा कुर्वतः पूर्वः साहसदण्डः । पाणिपाददन्तभङ्गे कर्णनासाच्छेदने त्रणविदारणे च अन्यत्र दुष्टत्रणेभ्यः ।
२. सक्थिग्रीवाभञ्जने नेत्रभेदने वा वाक्यचेष्टाभोजनोपरोधेषु च मध्यमः साहसदण्डः । समुत्थानव्ययश्च । विपत्तौ कण्टकशोधनाय नीयेत ।
३. महाजनस्यैकं घ्नतः प्रत्येकं द्विगुणो दण्डः ।
४. पर्युषितः कलहोऽनुप्रवेशो वा नाभियोज्य इत्याचार्याः । नास्त्यपकारिणो मोक्ष इति कौटल्यः ।

१. यदि बिना खून निकाले ही मारते-मारते किसी को अधमरा कर दिया जाय या उसके हाथ-पैरों के जोड़ तोड़ दिये जाय तो मारने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । हाथ, पैर, तथा दांत तोड़ देने पर कान तथा नाक काट देने पर और घावों को फाड़ देने पर भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । किन्तु वे घाव यदि फोड़े, फुंसी आदि के कारण न हुए हों, उसी दशा में प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।
२. गोड़ या गर्दन तोड़ने पर आँख फोड़ने पर, जीभ, हाथ, पैर और मुह आदि को काट देने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाय, और अपराधी को चाहिए कि तब तक वह उस अपंग व्यक्ति का दवा-दार, खाने-पीने तथा आवश्यक व्यय का इंतजाम करे जब तक वह पूर्ण स्वस्थ न हो जाय । यदि अपराधी को इस प्रकार का दंड देने में देश-काल बाधक सिद्ध हो तो उसे कंटक शोधन अधिकरण में बताये गए नियमों के अनुसार दंड दिया जाय ।
३. यदि बहुत-से आदमी मिलकर एक आदमी को मारें तो उनमें से प्रत्येक आदमी को उससे दुगुना दंड दिया जाय, जितना दंड एक आदमी द्वारा मारने पर दिया जाता है ।
४. पुरातन आचार्यों का कहना है कि 'बहुत पुराने सगहों तथा चोरियों पर मुकदमा दायर न किया जाय ।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का मत है कि अपकारी व्यक्ति को कभी भी न छोड़ा जाय ।'

१. कलहे पूर्वागतो जयति, अक्षममाणो हि प्रधावति ।
इत्याचार्याः ।
२. नेति कौटल्यः । पूर्वं पश्चाद्वागतस्य साक्षिणः प्रमाणम् ।
असाक्षिके घातः कलहोपलिङ्गनं वा ।
३. घाताभियोगमप्रतिब्रुवतः तदहरेव पश्चात्कारः ।
४. कलहे द्रव्यमपहरतो दशपणो दण्डः ।
५. क्षुद्रकद्रव्यहिंसायां तच्च तावच्च दण्डः ।
६. स्थूलकद्रव्यहिंसायां तच्च द्विगुणश्च दण्डः ।
७. वस्त्राभरणहिरण्यसुवर्णभाण्डहिंसायां तच्च पूर्वश्च साहसदण्डः ।

१. पुरातन आचार्यों का अभिमत है कि 'फौजदारी के मामले में जो व्यक्ति पहिले अदालत में दरखास्त दे उसी की जीत समझी जाय; क्योंकि दूसरे से सताये जाने के कारण, दुःख को बरदास्त न करके, ही वह पहिले अदालत की शरण में आता है ।'
२. किन्तु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'यह उचित नहीं है; अदालत में कोई आगे आये या पीछे, साक्षियों के कथनानुसार ही मुकदमे का फैसला दिया जाय । यदि साक्षी न हों तो चोट आदि से और चोट भी यदि भीतरी हो तो अन्य लक्षणों से झगड़े की असलियत जानकर फैसला करना चाहिये ।'
३. फौजदारी के मामलों में यदि प्रतिवादी उसी दिन जवाब न दे तो उसकी हार समझी जाय ।
४. दो आदमियों को झगड़े में फंसा हुआ जानकर उनकी वस्तुओं को यदि कोई तीसरा ही व्यक्ति उड़ाकर ले जाय तो उसे दस पण दण्ड दिया जाय ।
५. यदि झगड़े में कोई किसी की छोटी-छोटी वस्तुओं को नष्ट कर दे तो वह उसका मूल्य मालिक को दे और उतना ही दण्ड राजकोष में जमा करे ।
६. यदि इसी प्रकार झगड़े में बड़ी-बड़ी वस्तुएँ नष्ट हो जाये तो उनकी कीमत मालिक को और मूल्य का दुगुना दण्ड सरकार को दिया जाय ।
७. यदि कोई वस्त्रों आभूषणों और हिरण्य तथा सुवर्ण के बने बतनों को नष्ट करे तो वह मालिक को उनकी पूरी कीमत चुकाये और सरकार की ओर से उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ७३, अध्याय १६

१. परकुडचमभिघातेन क्षोभयतस्त्रिपणो दण्डः । छेदनभेदने षट्पणः । पातनभञ्जने द्वादशपणः प्रतीकारश्च ।
२. दुःखोत्पादनं द्रव्यमन्यवेश्मनि प्रक्षिपतो द्वादशपणो दण्डः । प्राणावाधिकं पूर्वः साहसदण्डः ।
३. क्षुद्रपशूनां काष्ठादिभिर्दुःखोत्पादने पणो द्विपणो वा दण्डः । शोणितोत्पादने द्विगुणः ।
४. महापशूनामेतेष्वेव स्थानेषु द्विगुणो दण्डः, समुत्थानव्ययश्च ।
५. पुरोपवनवनस्पतीनां पुष्पफलच्छायावतां प्ररोहच्छेदने षट्पणः । क्षुद्रशाखाच्छेदने द्वादशपणः । पीनशाखाच्छेदने चतुर्विंशतिपणः । स्कन्धवधे पूर्वः साहसदण्डः । समुच्छित्तौ मध्यमः ।
६. पुष्पफलच्छायावद्गुल्मलतास्वर्धदण्डः । पुण्यस्थानतपोवन-श्मशानद्रुमेषु च ।

१. दूसरे की दीवार को धक्का देकर या चोट मारकर हिलाने वाले व्यक्ति को तीन पण दण्ड दिया जाय; दीवार को तोड़ने-फोड़ने पर छह पण तथा गिराने पर बारह पण दण्ड और नुकसान का मुभावजा लिया जाय ।
२. यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में कोई घातक वस्तु फेंके तो उसे बारह पण दण्ड दिया जाय; यदि प्राण-घातक वस्तु फेंके तो प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।
३. छोटे-छोटे जानवरों को लकड़ी, घाँस आदि से मारने पर एक या दो पण दण्ड दिया जाय । यदि मारने पर जानवर के खून निकल जाय तो दुगुना दण्ड किया जाय ।
४. गाय, भैंस आदि बड़े पशुओं को इसी प्रकार की चोट पहुँचाने पर दुगुना दण्ड किया जाय, और अपराधी से दवा-दारु के लिए भी खर्च लिया जाय ।
५. नगर के बाग-बगीचों में लगे हुए फल-फूल तथा छायादार पेड़ों के पत्ते आदि तोड़ने पर छह पण; छोटी-छोटी शाखाओं की टहनियाँ तोड़ने पर बारह पण; मोटी-मोटी शाखाओं को काटने पर चौबीस पण; तने के ऊपरों स्कन्ध को काटने पर प्रथम साहस दण्ड; और पेड़ को जड़ से काटने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ।
६. फली फूली छायादार झाड़ियों तथा लताओं को काटने पर ऊपर कहे गए

१. सीसवृक्षेषु चैत्येषु द्रुमेष्वालक्षितेषु च ।
त एव द्विगुणा दण्डाः कार्या राजवनेषु च ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे दण्डपारुष्यं नाम एकोनविंशोऽध्यायः

आदितः षट्सप्ततितमः ।



दण्ड का आधा दण्ड दिया जाय । तीर्थस्थानों, तपोवनों और श्मशानों के वृक्षों को काटने वाले पर भी आधा दण्ड किया जाय ।

१. सीमा के पेड़ों, मंदिरों के पेड़ों, राजा की ओर से सुहर लगे पेड़ों और सरकारी जंगलों के पेड़ों को काटने पर दुगुना जुर्माना किया जाय ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।



अध्याय २०

द्यूतरामाह्वयम्, प्रकीर्णकानि

१. द्यूताध्यक्षो द्यूतमेकमुखं कारयेत् । अन्यत्र दीव्यतो द्वादशपणो दण्डः गूढाजीविज्ञापनार्थम् ।
२. द्यूताभियोगे जेतुः पूर्वः साहसदण्डः । पराजितस्य मध्यमः । बालिशजातीयो ह्येष जेतुकामः पराजयं न क्षमत इत्याचार्याः । नेति कौटिल्यः पराजितश्चेद्द्विगुणदण्डः क्रियेत न कश्चन राजानमभिसरिष्यति । प्रायशो हि कितवाः कूटदेविनः ।
३. तेषामध्यक्षाः शुद्धाः काकणीरक्षांश्च स्थापयेयुः ।

द्यूत समाह्वय और प्रकीर्णक

१. द्यूत समाह्वय : द्यूताध्यक्ष का चाहिए कि वह किसी एक नियत स्थान में जुआ खेलने का प्रबन्ध करे । उस नियत स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जुआ खेलने वाले पर बारह पण दण्ड किया जाय; ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे ठगी, धोखेवाज लोगों का पता लग सके ।
२. 'जुए के मुकदमों में जीतने वाले को प्रथम साहस दण्ड; और हारने वाले को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय; क्योंकि हारने वाला मूर्ख जीतने की इच्छा से जुआ खेलता है और हार जाने पर अपनी हार को सहन न कर जीतने वाले से झगड़ा कर बैठता है ।' ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है । परन्तु आचार्य कौटिल्य इस बात को नहीं मानते हैं । उनका कहना है कि 'यदि हारने वाले को जीतने वाले से दुगुना दण्ड दिया जायगा तो फिर कोई भी हारने वाला जुआरी अदालत की शरण में न जा सकेगा; और उसका नतीजा यह होगा कि धूर्त लोग कपट से जुआ खेलते रहेंगे ।'
३. द्यूताध्यक्षों को चाहिए कि वे जुआघर में साफ कौड़ी और पैसे रखवा दें ।

१. काकण्यक्षाणामन्योपधाने द्वादशपणो दण्डः । कूटकर्मणि पूर्वः साहसदण्डः, जितप्रत्यादानम् । उपधौ स्तेयदण्डश्च ।
२. जितद्रव्यादध्यक्षः पञ्चकं शतमाददीत, काकण्यक्षारलाशलाकावक्रयमुदकभूमिकर्मक्रयं च । द्रव्याणामाधानं विक्रयं च कुर्यात् । अक्षभूमिहस्तदोषाणां चाप्रतिपेधने द्विगुणो दण्डः ।
३. तेन समाह्वयो व्याख्यातः अन्यत्र विद्याशिल्पसमाह्वयादिति ।
४. प्रकीर्णकं तु । याचितकायक्रीतकाहितकनिक्षेपकाणां यथादेशकालमदाने, यामच्छायासमुपवेशसंस्थितीनां वा देशकालाति-

१. यदि कोई जुआरी उन कौड़ियों और पाँसों को बदले तो उसपर बारह पण दण्ड दिया जाय । यदि कोई छल-कपट से जुआ खेले तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय और उसके जीते हुए धन को छीन लिया जाय तथा रखवाये गए पाँसों में कुछ तब्दीली करके दूसरे को धोखा देने के अभियोग में चोरी का दण्ड दिया जाय ।
२. जीतने वाले जुआरी से द्यूताध्यक्ष पाँच प्रतिशत सरकारी कर ले और कौड़ी, पाँसे, अरल (पाँसे फेंके जाने के लिए चमड़े की चौकी), शलाका, जल तथा जमीन का किराया भी वसूल करे । जुआरियों को चीजें बेचने और गिरवी रखने को इजाजत भी दे दे । यदि अध्यक्ष, जुआरियों को पाँसे, जमीन, हाथ का सफाई आदि से न रोके तो जितना धन वह जुआरियों से वसूल करे, उससे दुगुना जुरमाना उस पर किया जाय ।
३. यही नियम उन लोगों के सम्बन्ध में भी समझने चाहिएँ, जो मुर्गा, तीतर, भेड़ आदि की लड़ाई में बाजी लगाते हैं; किन्तु विद्या और शिल्प की बाजी लगाने वाले जुआरियों के लिए ये नियम नहीं हैं ।
४. प्रकीर्णक : इस प्रसंग में जिन विषयों के सम्बन्ध में कहना श्रेष्ठ रह गया है उन विषयों को प्रकीर्णक कहते हैं । यदि कोई पुरुष उधार ली हुई (याचितक), किराये पर ली हुई (अवक्रीतक) और धरोहर के तौर पर रक्की हुई (आहितक) वस्तु एवं जेवर बनाने के लिए सुवर्ण आदि को ठीक स्थान तथा ठीक समय पर वापिस न करे; निश्चित समय एवं स्थान का वायदा कर फिर न मिले; ब्रेड़ा आदि के द्वारा पार कराके ब्राह्मण से किराया

पातने, गुल्मतरदेयं ब्राह्मणं साधयतः प्रतिवेशानुवेशयोरुपरि
निमन्त्रणे च द्वादशपणो दण्डः ।

१. सन्दिष्टमर्थमप्रयच्छतो, भ्रातृभार्या हस्तेन लङ्घयतो, रूपाजीवा-
मन्योपरुद्धां गच्छतः, परवक्तव्यं पण्यं क्रीणानस्य, समुद्रं
गृहमुद्भिन्दतः, सामन्तचत्वारिंशत्कुल्यात्राधामाचरतश्चाष्ट-
चत्वारिंशत्पणो दण्डः ।
२. कुलनीवीग्राहकस्यापव्ययने, विधवां छन्दवासिनीं प्रसह्याधि-
चरतः, चण्डालस्यार्या स्पृशतः, प्रत्यासन्नमापद्यनभिधावतो,
निष्कारणमभिधावनं कुर्वतः, शाक्यजीवकादीन् वृषलप्रव्रजितान्
देवपितृकार्येषु भोजयतः शत्यो दण्डः ।
३. शपथवाक्यानुयोगमनिसृष्टं कुर्वतो, युक्तकर्म चायुक्तस्य,

मँगो; पड़ोसी श्रोत्रिय को छोड़कर बाहरी श्रोत्रिय को निमन्त्रण दे; तो उस
पर बारह पण दण्ड किया जाय ।

१. वायदा किए धन को न देने वाले; भौजाई का हाथ पकड़कर झटका देने वाले;
दूसरे की रखेल वेश्या के यहाँ जाने वाले; दूसरे के हाथ विके पदार्थ को
खरीदने वाले; सरकारी चिह्नों से युक्त मकान को गिराने वाले; और सामन्तों
के चालीस कुलों तक बाधा पहुँचाने वाले; व्यक्ति पर अड़तालीस पण
दण्ड किया जाय ।
२. जो व्यक्ति वंशानुक्रम से भोगी जाने वाली सर्वसाधारण संपत्ति का अप-
व्यय करे; स्वतन्त्र रहनेवाली विधवा के साथ बलात्कार करे; चाण्डाल होकर
आर्या स्त्री को छूये; पड़ोसी की आपत्ति पर सहायता न करे; बिना कारण
पड़ोसी के यहाँ जाये भाये; और वौद्ध भिक्षुओं तथा शूद्रा संन्यासिनों को
यज्ञादि देवकर्मों तथा श्राद्धादि पितृकर्मों में भोजन कराये; उसपर सौ पण
दण्ड दिया जाय ।
३. न्यायाधीश (धर्मस्थ) की आज्ञा के विना ही साक्षी के तौर पर शपथ खाने
वाले; अनधिकारी को अधिकार देने वाले; छोटे-छोटे पशुओं को बधिया

क्षुद्रपशुवृषाणां पुंस्त्वोपघातिनो, दास्या गर्भमौषधेन पातयतश्च
पूर्वः साहसदण्डः ।

१. पितापुत्रयोर्दम्पत्योर्भ्रातृभगिन्योर्मातुलभागिनेययोः शिष्या-
चार्ययोर्वा परस्परमपतितं त्यजतः सार्थाभिप्रयातं ग्राममध्ये
वा त्यजतः पूर्वः साहसदण्डः । कान्तारे मध्यमः । तन्निमित्तं
श्रेष्यत उत्तमः । सहप्रस्थायिष्वन्येष्वर्धदण्डः ।
२. पुरुषमबन्धनीयं बध्नतो बन्धयतो बन्धं वा मोक्षयतो बाल-
मप्राप्तव्यवहारं बध्नतो बन्धयतो वा सहस्रदण्डाः । पुरुषा-
पराधविशेषेण दण्डविशेषः कार्यः ।
३. तीर्थकरस्तपस्वी व्याधितः क्षुत्पिपासाध्वक्लान्तस्तिरोजनपदो
दण्डखेदी निष्किञ्चनश्चानुग्राह्याः ।

वना देने वाले; और दवा देकर दासी के गर्भ को गिरा देने वाले; व्यक्ति को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

१. पिता-पुत्र, भाई-बहिन, मामा-भांजा और गुरु-शिष्य आदि में से कोई भी किसी को बिना पतित हुए त्याग दे; या किसी व्यापारी काफिले का सुखिया अपने साथ के किसी बीमार व्यक्ति को रास्ते-के किसी गांव में ही छोड़ दे; उनको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । यदि किसी बीहड़ वन में छोड़ दे तो मध्यम साहस दण्ड दिया जाय; और यदि मार डाले तो उस व्यापारी को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय तथा उसके साथ जितने लोग हों, उन पर इसी अपराध में आधा दण्ड किया जाय ।
२. जो व्यक्ति किसी बेगुनाह व्यक्ति को बाँधे या बँधवाये, अथवा किसी कैदी को छोड़ दे या किसी नाबालिग बच्चे को बाँधे, बँधवाये उसपर हजार पण दण्ड किया जाय । निष्कर्ष यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के अनुसार ही दण्ड दिया जाना चाहिए ।
३. दानी, तपस्वी, बीमार, भूखा, प्यासा, रास्ते का थका, परदेशी, अनेक बार दण्ड पाने से दुःखी और निर्वल-निर्धन व्यक्तियों पर सदा अनुग्रह रखना चाहिए ।

तीसरा अधिकरण : प्रकरण ७४-७५ अध्याय २०

१. देवब्राह्मणतपस्विस्त्रीबालवृद्धव्याधितानामनाथानामनभिसरतां
धर्मस्थाः कार्याणि कुर्युः । न च देशकालभोगच्छलेनातिहरेयुः ।
२. पूज्या विद्याबुद्धिपौरुषाभिजनकर्मातिशयतश्च पुरुषाः ।
३. एवं कार्याणि धर्मस्थाः कुर्युरच्छलदर्शिनः ।
समाः सर्वेषु भावेषु विश्वास्या लोकसम्प्रियाः ॥


इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे धून-समाह्वय-प्रकीर्णकं नाम विंशोऽध्यायः
आदितः सप्तसप्ततितमः ।

समाप्तमिदं धर्मस्थीयं तृतीयमधिकरणम् ।



१. धर्मस्थ अधिकारियों को चाहिए कि वे देव, ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री, बालक, वृद्ध, बीमार और अपने दुःखों को कहने के लिए न जाने वाले भनार्थों का कार्य खुद ही कर दिया करे । स्थान तथा समय का वहाना लगाकर उनके धन का अपहरण न किया जाय; अथवा देश, काल के वहाने उनको तंग न किया जाय ।
२. जो व्यक्ति विद्या, बुद्धि, पौरुष, कुल और सरकार्यों के कारण आदरयोग्य हों, उनकी सदा प्रतिष्ठा की जाय ।
३. इस प्रकार धर्मस्थ अधिकारियों को चाहिए कि छल-कपट से विलग होकर वे अपने कार्यों को संपन्न करें; और सबको एक समान निगाह में रखकर एवं जनता के विश्वासपात्र बनकर लोकप्रियता प्राप्त करें ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ।



**कण्टकशोधन
चौथा अधिकरण**

अध्याय १

घृत्करण ७६

कारुकरक्षराम्

१. प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयोऽमात्याः कण्टकशोधनं कुर्युः ।
२. अर्थ्यप्रकाराः कारुशासितारः सन्निक्षेप्तारः स्ववित्तकारवः
श्रेणीप्रमाणा निक्षेपं गृह्णीयुः । विपत्तौ श्रेणी निक्षेपं भजेत ।
निर्दिष्टदेशकालकार्यं च कर्म कुर्युः । अनिर्दिष्टदेशकालकार्या-
पदेशम् ।
३. कालातिपातने पादहीनं वेतनं तद्द्विगुणश्च दण्डः । अन्यत्र

शिल्पियों से प्रजा की रक्षा

१. सामान्य कारीगर : तीन कमिश्नर (प्रदेष्टा) या तीन मंत्री प्रजा-पीडक व्यक्तियों से प्रजा की रक्षा (कंटक शोधन) करें ।
२. अच्छे स्वभाववाले शिल्पियों के मुखिया; सबके सामने लेन-देन का कार्य करनेवाले; अपने ही धन से गहने आदि बनाने वाले; और साक्षीदारों में विश्वसनीय; शिल्पी लोग ही किसी के धन को गिरवी (निक्षेप) रख सकते हैं । गिरवी रखनेवाला यदि मर जाय या विदेश चला जाय तो उसके साक्षीदार मिल-जुल कर उस गिरवी रखे हुए धन को भदा करें । कारीगर लोग स्थान, समय और कार्य आदि का निश्चय करके ही किसी कार्य को आरंभ करें । कोई वहाना बनाकर समय और कार्य आदि का निश्चय न करके किसी कार्य को आरंभ न करें ।
३. जो शिल्पी ठीक समय पर काम पर हाजिर न हों उनका चौथाई वेतन काट लिया जाय और उनपर उससे दुगुना जुर्माना किया जाय । किन्तु किसी हिंसक प्राणी द्वारा बाधा उत्पन्न हो जाने या किसी आकस्मिक आपत्ति के आ जाने के कारण यदि वह ठीक समय से काम पर हाजिर न हो सका हो तो उसे अपराधी न समझा जाय । यदि कारीगर से कोई कार्य चिगड़ जाय

श्रेषोपनिपाताभ्यां नष्टं विनष्टं वाभ्यावहेयुः । कार्यस्यान्यथा-
करणे वेतननाशस्तद्विगुणश्च दण्डः ।

१. तन्तुवाया दशैकादशिकं सूत्रं वर्धयेयुः । तद्विच्छेदे छेदद्वि-
गुणो दण्डः ।
२. सूत्रमूल्यं वानवेतनम् । क्षौमकौशेयानामध्यर्धगुणम् । पत्रो-
र्णाकम्बलदुकूलानां द्विगुणम् ।
३. मानहीने हीनावहीनं वेतनं तद्विगुणश्च दण्डः । तुलाहीने
हीनचतुर्गुणो दण्डः । सूत्रपरिवर्तने मूल्यद्विगुणः । तेन
द्विपटवानं व्याख्यातम् ।
४. ऊर्णातुलायाः पञ्चपलिको विहननच्छेदो रोमच्छेदश्च ।

तो वह उसके नुकसान को भरे; किन्तु किसी विपत्ति के कारण यदि ऐसा हुआ ही तो उसको अपराधी न समझा जाय । यदि कारीगर काम बिगाड़ दें तो उनको मजदूरी न दी जाय; बल्कि उन पर वेतन का दुगुना जुर्माना किया जाय ।

१. जुलाहा : जुलाहा (तंतुवाच) को चाहिए कि वह प्रति दस पल पर एक पल अधिक सूत, कपड़ा बुनने के लिए ले । यदि वह इस से अधिक छीजन निकाले तो उस पर छीजन का दुगुना जुर्माना किया जाय ।
२. जितने कीमत का सूत हो उतनी ही उसकी बुनाई भी देनी चाहिए; जूट और रेशमी कपड़ों को बुनाई सूत से ब्योढ़ी दी जाय । धुले हुए रेशमी कपड़ों (पत्रोर्ण), ऊनी कंबलों और दुशालों की बुनाई सूती कपड़े से दुगुनी देनी चाहिए ।
३. जितने नाप का कपड़ा बुनने को दिया गया हो यदि बुनकर उतना न निकले तो उसी हिसाब से जुलाहे की मजदूरी काटी जाय और उस पर उस कम बुनाई का दुगुना जुर्माना किया जाय । यदि सूत तौलकर दिया गया हो तो बुने हुए कपड़े में जितनी कमी निकले उसका चौगुना दण्ड जुलाहे को दिया जाय । यदि वह सूत को ही बदल दे तो उसपर मूल्य से दुगुना दण्ड किया जाय । इसी आधार पर दुसूती कपड़ों की बुनाई भी समझ लेनी चाहिए ।
४. सौ पल वजनी ऊन में से पाँच पल ऊन पिंजाई-धुनाई में कम हो जाता है

चौथा अधिकरण : प्रकरण ७६ अध्याय १

१. रजकाः काष्ठफलकश्लक्ष्णशिलासु वस्त्राणि नेनिज्युः । अन्यत्र नेनिजतो वस्त्रोपघातं षट्पणं च दण्डं दद्युः ।
२. मुद्गराङ्गादन्यद् वासः परिदधानास्त्रिपणं दण्डं दद्युः । परवस्त्र-विक्रयावक्रयाधानेषु च द्वादशपणो दण्डः । परिवर्तने मूल्यद्वि-गुणो वस्त्रदानं च ।
३. मुकुलावदातं शिलापट्टशुद्धं धौतसूत्रवर्णं प्रमृष्टश्वेतं चैकरात्रो-त्तरं दद्युः ।
४. पञ्चरात्रिकं तनुरागं, षड्रात्रिकं नीलं, पुष्पलाक्षामञ्जिष्ठारक्तं, गुरुपरिकर्म यत्नोपचार्यं जात्यं वासः सप्तरात्रिकम् । ततः परं वेतनहानिं प्राप्नुयुः ।

और पाँच पल ऊन बुनाई के समय रूजों के रूप में उड़ जाती है; अर्थात् धुनाई-बुनाई के समय प्रति सैकड़ा दस पल ऊन कम हो जाती है, इससे अधिक नहीं ।

१. धोबी और दर्जी : धोबियों (रजकों) को चाहिए कि वे लकड़ी के फटे पर या साफ पत्थर पर ही कपड़ों को साफ करें । दूसरी जगह धोने पर यदि कपड़ा फट जाय तो वे उसका नुकसान भरें और दण्ड रूप में छह पण भी अदा करें ।
२. धोबियों के अपने पहिने के कपड़ों पर मुद्गर का निशान होना चाहिए; जिस धोबी के कपड़ों पर यह निशान न रहे उस पर तीन पण दण्ड किया जाय । जो धोबी धुलाई के कपड़ों को बेचे, किराये पर दे या गिरवी रखे उस पर चारह पण दण्ड किया जाय । कपड़ा बदल जाने पर वह कपड़े के मूल्य का द्वादशगुना दण्ड और कपड़ा भी वापस दे ।
३. धोबी को चाहिए कि वह अधखिली पुष्पकली के समान स्वच्छ-श्वेत कपड़े को धोकर एक दिन में ही वापस करे, शिलापट्ट के समान स्वच्छ कपड़े को दो दिन में, धुले हुए सूत की तरह श्वेत कपड़े को तीन दिन में और अत्यंत श्वेत कपड़े को चार दिन में धोकर वापस करे ।
४. इसी प्रकार हलके रंग वाले कपड़े को पाँच दिन में, नीले, गाढ़े रंग के, हरसिंगार, लाख तथा मजोठ आदि में रंगे कपड़े को छह दिन में, रेशम, पशम, बेल-घूटेदार जैसे कठिनाई से धुले जाने योग्य उत्तम कपड़ों को सात

१. श्रद्धेया रागविवादैषु वेतनं कुशलाः कल्पयेयुः ।
२. परार्थानां पणो वेतनं मध्यमानामर्धपणः, प्रत्यवराणां पादः ।
३. स्थूलकानां माषद्विमाषकं द्विगुणं रक्तकानाम् । प्रथमनेजने चतुर्भागः क्षयः । द्वितीये पञ्चभागः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
४. रजकैस्तुन्नवाया व्याख्याताः ।
५. सुवर्णकाराणामशुचिहस्ताद्रूप्यं सुवर्णमनाख्याय सरूपं क्रीणतां द्वादशपणो दण्डः, विरूपं चतुर्विंशतिपणः, चोरहस्तादष्टचत्वारिंशत्पणः । प्रच्छन्नविरूपमूल्यहीनक्रयेषु स्तेयदण्डः । कृत-भाण्डोपधौ च ।

दिन में, धोकर वापस करे । इसके बाद वापस करने पर उसकी धुलाई न दी जाय ।

१. यदि रंगीन कपड़ों की धुलाई देने में झगड़ा हो जाय तो उसका फैसला रंगों को ठीक-ठीक समझने वाले कुशल व्यक्ति करें ।
२. बढ़िया रंगीन कपड़ों की धुलाई एक पण, मध्यम दर्जे के रंगीन कपड़ों की धुलाई आधा पण और मामूली रंगीन कपड़ों की धुलाई चौथाई पण दी जानी चाहिए ।
३. इसी प्रकार मोटे कपड़ों की धुलाई एक या दो माष और रंगे हुए कपड़ों की धुलाई इससे दुगुनी देनी चाहिए । कपड़े की पहिली धुलाई में उसकी चौथाई कीमत कम हो जाती है । दूसरी धुलाई में शेष मूल्य का पाँचवाँ हिस्सा कम हो जाता है; और तीसरी धुलाई में उस शेष मूल्य का छठा हिस्सा कम हो जाता है ।
४. धोवियों के समान दर्जियों (तुन्नवाय) के नियम भी समझ लेना चाहिए ।
५. सुनार : यदि सुनार निम्नकोटि के नौकर-चाकरों (अशुचिहस्त) के हाथ से, सोने-चाँदी के बने हुए जेवर (सरूप); सुवर्णाध्यक्ष को सूचित किए बिना ही खरीद ले तो उस पर वारह पण दण्ड किया जाय; यदि बिना गहने की सोना-चाँदी खरीदे तो चौबीस पण; चोर के हाथ से खरीदे तो अठतालीस पण; और दूसरों से छिपाकर गहने आदि को तोड़-मरोड़ कर थोड़ी कीमत में खरीदे तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय । बनाये हुए माल को बदल देने वाले सुनार को भी चोरी का दण्ड दिया जाय ।

१. सुवर्णान्माषकमपहरतो द्विशतो दण्डः । रूप्यधरणान्माषक-
मपहरतो द्वादशपणः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
२. वर्णोत्कर्षमसाराणां योगं वा साधयतः पञ्चशतो दण्डः ।
तयोरपचरणे रागस्यापहारं विद्यात् ।
३. माषको वेतनं रूप्यधरणस्य । सुवर्णस्याष्टभागः । शिक्षा-
विशेषेण द्विगुणा वेतनवृद्धिः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
४. ताम्रवृत्तकंसवैकृन्तकारकूटानां पञ्चकं शतं वेतनम् । ताम्रपिण्डो
दशभागक्षयः । पलहीने हीनद्विगुणो दण्डः । तेनोत्तरं
व्याख्यातम् ।
५. सीसत्रपुपिण्डो विंशतिभागक्षयः । काकणी चास्य पल-
वेतनम् ।

१. यदि सुनार सोने में से एक माष सोना चुरा ले तो उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । यदि एक धरण चाँदी में से एक माष चाँदी चुरा ले तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । इसी प्रकार अधिकाधिक चोरी के अनुसार अधिकाधिक दण्ड की व्यवस्था समझ लेनी चाहिए ।
२. यदि कोई सुनार खोटे सोने-चाँदी पर नकली रंग चढ़ा दे या शुद्ध सोना-चाँदी में नकली धातु मिला दे तो उसपर पाँच सौ पण दण्ड किया जाय । सोने-चाँदी के खरे-खोटे की जाँच भाग में तपाकर करनी चाहिए ।
३. एक धरण मान चाँदी के गहने आदि की बनवाई एक मापक दी जानी चाहिए । जितने तौल की सोने की चीज बनवाई जाय उसका आठवाँ हिस्सा बनवाई देनी चाहिए । विशेष कारीगरी के लिए दुगुनी बनवाई देनी चाहिए । इसी के अनुसार अधिक कार्य करवाने की मजदूरी समझनी चाहिए ।
४. ताँबा, सीसा, काँसा, लोहा, राँगा और पीतल इनकी बनवाई पाँच प्रति सैकड़ा दी जानी चाहिए । ताँबे का दसवाँ हिस्सा, यनाते समय छीजन के लिए छोड़ देना चाहिए । इससे एक पल भी कम हो जाने पर नुकसान का दण्ड देना चाहिए । इसी प्रकार अधिक हानि के अनुपात से दण्ड का विधान समझना चाहिए ।
५. सीसे और राँगे की चीजों में बीसवाँ हिस्सा छीजन में निकल जाता है । इनके एक पल की बनवाई का एक कांकड़ी वेतन देना चाहिए ।

१. कालायसपिण्डः पञ्चभागक्षयः । काकणीद्वयं चास्य पल-
वेतनम् । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
२. रूपदर्शकस्य स्थितां पणयात्रामकोप्यां कोपयतः कोप्याम-
कोपयतो द्वादशपणो दण्डः ।
३. व्याजीपरिशुद्धा पणयात्रा । पणान्माषकमुपजीवतो द्वादशपणो
दण्डः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
४. कूटरूपं कारयतः प्रतिगृह्यतो निर्यापयतो वा सहस्रं दण्डः ।
कोशे प्रक्षिपतो वधः ।
५. सरकपांसुधावकाः सारत्रिभागं लभेरन् । द्वौ राजा रत्नं च ।
रत्नापहार उत्तमो दण्डः ।

१. कालायस (काला लोहा) की चीजों में पांचवां हिस्सा छीजन में निकल
जाता है । उसकी बनवाई को कांकणी वेतन देना चाहिए । इसी अनुपात
से बनवाई देनी चाहिए ।
२. यदि सिक्कों का पारखी (रूपदर्शक) चलते हुए खरे पण को खोटा और
खोटे पण को खरा बताये तो उसपर बारह पण जुर्माना किया जाय ।
३. पाँच प्रतिशत सैकड़ा टैक्स (व्याजी) सरकार को देकर पण चलाया जा
सकता है । एक पण के चलाने के लिए माषक रिश्वत लेने वाले लक्षणाध्यक्ष
को बारह पण दंड किया जाय । इसी क्रम से इसका दण्ड-विधान
समझना चाहिए ।
४. यदि छिपकर कोई जाली सिक्के बनवाये या जाली सिक्कों को स्वीकार करे
अथवा उनका निर्यात करे, उसपर एक हजार पण दण्ड किया जाय ।
खजाने में अच्छे सिक्कों की जगह जाली सिक्के रखनेवाले को मृत्यु दण्ड
दिया जाय ।
५. खान से निकले हुए रत्नों को साफ करनेवाले कर्मचारी, टूटे-फूटे सारभूत
माल का तीसरा हिस्सा ले लें । बाकी दो हिस्से तथा रत्नों को राज-
कोष के लिए रखा जाय । रत्न चुराने वाले कर्मचारी को उत्तम साहस दंड
दिया जाय ।

१. खनिरत्ननिधिनिवेदनेषु षष्ठमंशं निवेत्ता लभेत । द्वादशमंशं भृतकः ।
२. शतसहस्रादूर्ध्वं राजगामी निधिः । ऊने षष्ठमंशं दद्यात् ।
३. पूर्वपौरुषिकं निधिं जानपदः शुचिः स्वकरणेन समग्रं लभेत । स्वकरणाभावे पंचशतो दण्डः । प्रच्छन्नादाने सहस्रम् ।
४. भिषजः प्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ पूर्वः साहसदण्डः । कर्मापराधेन विपत्तौ मध्यमः । मर्मवेधवैगुण्यकरणे दण्डपारुष्यं विद्यात् ।
५. कुशीलवा वर्षारत्रिमेकस्था वसेयुः । कामदानमतिमात्रमेक-

१. जो व्यक्ति राजा को रत्नों की खान तथा गढ़े हुए खजाने का पता दे उस व्यक्ति को उसमें से छठा हिस्सा दिया जाय । यदि वह इसी कार्य के लिए राजा की ओर से नियुक्त हो तब उसे बारहवाँ हिस्सा दिया जाय ।
२. गढ़ा हुआ खजाना यदि एक लाख पण से अधिक निकले तब उसका स्वामी राजा होता है । अन्यथा वह पता देने वाले व्यक्ति को ही दिया जाय; किन्तु उनमें से छठा हिस्सा वह राजा को अवश्य दे ।
३. साक्षी और लेख आदि के प्रमाण से यदि यह साबित हो जाय कि खजाना पाने वाले व्यक्ति के पूर्वजों का है; यदि वह व्यक्ति सदाचारी है तो उस खजाने का स्वामी वही समझा जाय । यदि वह साक्षी और लेख आदि के बिना ही उस खजाने पर अधिकार जमाने लगे तो उसपर पांच-सौ पण दण्ड किया जाय । यदि कोई छिपकर चुपचाप ही अपना कब्जा कर ले तो उस पर एक हजार पण दण्ड किया जाय ।
४. वैद्यः राजा को विना सूचित किये यदि कोई वैद्य किसी ऐले रोगी का इलाज करे, जिसके मरने की संभावना है, और दवा देने के दौरान में ही उसकी मृत्यु हो जाय तो उस वैद्य को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । यदि इलाज में भूल हो जाने के कारण मृत्यु हुई हो तो मध्यम साहस दण्ड दिया जाय । शरीर के किसी विशेष अङ्ग का गलत ऑपरेशन होने के कारण यदि रोगी का वह अंग जाता रहे, या दूमरी तरह की हानि हो जाय तो वैद्य को दण्ड-पारुष्य प्रकरण के अनुसार यथोचित दण्ड दिया जाय ।
५. नट-नर्त्तकः वर्षा ऋतु में नट नर्त्तक आदि एक ही स्थान पर निवास करें ।

स्यातिवादं च वर्जयेयुः । तस्यातिक्रमे द्वादशपणो दण्डः ।
कासं देशजातिगोत्रचरणमैथुनापहाने नर्मयेयुः ।

१. कुशीलवैश्वारणा भिक्षुकाश्च व्याख्याताः । तेषामयश्शूलेन
यावतः पणानभिवदेयुः, तावन्तः शिफाप्रहारा दण्डाः ।
२. शेषाणां कर्मणां निष्पत्तिवेतनं शिल्पिनां कल्पयेत् ।
३. एवं चोरानचोराख्यान् वणिकारुकुशीलवान् ।
भिक्षुकान् कुहकांश्चान्यान् वारयेद्देशपीडनात् ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाऽधिकरणे कारुकरक्षणं नाम प्रथमोऽध्यायः;

आदितोऽष्टसप्ततितमः ।



उनकी कला से प्रसन्न होकर यदि कोई व्यक्ति उन्हें उचित मात्रा से अधिक पुरस्कार दे तो वे उसे स्वीकार न करें, अपनी अधिक तारीफ को भी वे पसन्द न करें। इस नियम का उल्लंघन करने पर बारह पण दंड दिया जाय। किसी खास देश, जाति, गोत्र या चरण के मजाक या निन्दा को छोड़कर तथा मैथुन संबन्धी कर्तव्यों को छोड़कर नट लोग जो चाहें अपने इच्छानुसार खेल दिखाकर दर्शकों को खुश कर सकते हैं।

१. नटों के ही अनुसार नाचने-गाने वालों और भिक्षुकों के नियम समझने चाहिए। दूसरों के मर्म को पीड़ा पहुँचाने पर इन लोगों को अपराध के अनुसार जितना पण दंड दिया जाय, यदि वे उसको अदा न कर सकें तो उनपर उतने ही कौड़े लगवाये जाँय।
२. जो कार्य पहिले बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त कार्यों की मजदूरी, अन्दाज से लगा लेनी चाहिए।
३. इस प्रकार वनावटी साधु, बनिये, कारीगर, नट, भिखारी और ऐंद्रजालिक आदि चोरों को तथा इसी प्रकार के अन्य पुरुषों को देश में पीड़ा, पहुँचाने से रोका जाय।

कंटकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



अध्याय २

वैदेहकरक्षराम्

१. संस्थाध्यक्षः पण्यसंस्थायां पुराणभाण्डानां स्वकरणविशुद्धानामाधानं विक्रयं वा स्थापयेत् । तुलामानभाण्डानि चावेक्षेत, पौतवापचारात् ।
२. परिमाणीद्रोणयोरर्धपलहीनातिरिक्तमदोषः । पलहीनातिरिक्ते द्वादशपणो दण्डः । तेन पलोत्तरा दण्डवृद्धिव्याख्याता ।
३. तुलायाः कर्षहीनातिरिक्तमदोषः । द्विकर्षहीनातिरिक्ते षट्पणो दण्डः । तेन कर्षोत्तरा दण्डवृद्धिव्याख्याता ।
४. आढकस्यार्धकर्षहीनातिरिक्तमदोषः । कर्षहीनातिरिक्ते त्रिपणो दण्डः । तेन कर्षोत्तरा दण्डवृद्धिव्याख्याता ।

व्यापारियों से प्रजा की रक्षा

१. बाजार के अध्यक्ष (संस्थाध्यक्ष) को चाहिए कि वह, पुराने भस्त्र आदि के तथा दूकानदारों के स्वाधिकृत (स्वकरण विशुद्ध) माल के आयात-निर्यात का यथोचित प्रबन्ध करे ! उसका यह भी कर्तव्य है कि तराजू, वाट और माप के वर्तनों का भी वह अच्छी तरह निरीक्षण करे, जिससे माप-तौल में कोई गड़बड़ी न होने पावे ।
२. परिमाणी और द्रोण में यदि आधा पल कम-ज्यादा हो जाय तो कोई बात नहीं; किन्तु एक पल कम-ज्यादा होने पर बारह पण दण्ड दिया जाय । पल की कमी-ज्यादा के अनुसार ही दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
३. तराजू में यदि एक कर्ष कम-ज्यादा हो तो कोई हर्ज नहीं । यदि दो कर्ष कम-ज्यादा निकले तो छह पण दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार कर्ष के अनुपात से दण्ड-वृद्धि समझनी चाहिए ।
४. आढक में यदि आधे कर्ष की कमी-वेशी हो तो कोई बात नहीं । यदि कमी-

१. तुलामानविशेषाणामतोऽन्येषामनुमानं कुर्यात् ।
२. तुलामानाभ्यामतिरिक्ताभ्यां क्रीत्वा हीनाभ्यां विक्रीणानस्य त एव द्विगुणा दण्डाः ।
३. गण्यपण्येष्वष्टभागं पण्यमूल्येष्वपहरतः षण्णवतिर्दण्डः ।
४. काष्ठलोहमणिमयं रज्जुचर्ममृन्मयं सूत्रवल्करोममयं वा जात्य-मित्यजात्यं विक्रयाधानं नयतो मूल्याष्टगुणो दण्डः ।
५. सारभाण्डमित्यसारभाण्डं, तज्जातमित्यतज्जातं, राढायुक्त-मुपधियुक्तं समुद्रपरिवर्तिमं वा विक्रयाधानं नयतो हीनमूल्यं चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः, पणमूल्यं द्विगुणः, द्विपणमूल्यं द्विशतः । तेनार्धवृद्धौ दण्डवृद्धिर्व्याख्याता ।

वेशी एक कर्ष की हो तो तीन पण दण्ड दिया जाय । इसी अनुपात से दण्ड बढ़ाया जाय ।

१. जिस तुला तथा माप की कमी-वेशी के संबन्ध में नहीं कहा गया है उनकी भी यही दण्ड-व्यवस्था समझनी चाहिए ।
२. जो बनिया अधिक वजन के तराजू-बाट से माल-खरीद कर हल्के तौल से उसे बेचे उसको दुगुना २४ पण दण्ड दिया जाय ।
३. गिनकर बेची जाने वाली चीजों में बनिया यदि आठवाँ हिस्सा चुरा ले तो उस पर छियानवे पण जुर्माना किया जाय ।
४. जो बनिया लकड़ी, लोहा, मणि, रस्सी, चमड़ा, मिट्टी, सूत, छाल और ऊन से बने हुए घटिया माल को बढिया कह कर रखता या बेचता हो उस पर वस्तु की कीमत का आठगुना जुर्माना किया जाय ।
५. बनावटी करतूर, कपूर आदि वस्तुओं को असली कह कर; दूसरे देश में पैदा हुई कमसल वस्तु को असली देश की बताकर; चमकदार बनावटी मोती को; मिलावटी वस्तु को; अच्छे माल की पेटो को दिखाकर रही माल की पेटो को देने पर; व्यापारी को चौवन पण दण्ड दिया जाय । यदि वह माल एक पण मूल्य का हो तो पहिले से दुगुना दण्ड और दो पण कीमत का हो तो दो-सौ पण दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार अधिक मूल्य के माल पर अधिक दण्ड किया जाय ।

चौथा अधिकरण : प्रकरण ७७, अध्याय २

१. कारुशिलिपनां कर्मगुणापकर्षमाजीवं विक्रयक्रयोपघातं वा सम्भूय समुत्थापयतां सहस्रं दण्डः ।
२. वैदेहकानां वा सम्भूय पण्यमवरुन्धतामनर्घेण विक्रीणतां क्रीणतां वा सहस्रं दण्डः ।
३. तुलामानान्तरमर्घवर्णान्तरं वा । धरकस्य मायकस्य वा पण-मूल्यादष्टभागं हस्तदोषेणाचरतो द्विशतो दण्डः । तेन द्विशतो-त्तरा दण्डवृद्धिव्याख्याता ।
४. धान्यस्नेहक्षारलवणगन्धभैषज्यद्रव्याणां समवर्णोपधाने द्वादश-पणो दण्डः ।
५. यन्निसृष्टमुपजीवेयुः, तदेषां दिवससञ्जातं सङ्ख्याय वणिक्-स्थापयेत् । क्रेतृविक्रेत्रोरन्तरपतितमदायादन्यं भवति । तेन

१. जो लुहार, बढई आदि कारीगर आर्डर के अनुसार कार्य न करें, एक पण की जगह दो पण मजदूरी लें, किसी वस्तु को बेचते समय अधिक दाम और खरीदते समय कम दाम कहकर खरीद-फरोस्त में विघ्न डालें, उनमें से प्रत्येक को एक-एक हजार पण दण्ड दिया जाय ।
२. जो व्यापारी आपस में मिलकर किसी वस्तु को बेचने से रोक दें और फिर उसी वस्तु को अनुचित मूल्य पर बेचें या खरीदें उनमें प्रत्येक को एक-एक हजार पण जुर्माना किया जाय ।
३. तुला, बाट और मूल्य में अन्तर हो जाने के कारण जो लाभ हो उसे वही खाते में दर्ज कर लिया जाय । तोलने वाला या मापने वाला अपने हाथ की सफाई से यदि एक पण मूल्य की वस्तु में आठवाँ हिस्सा कम कर दे तो उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । इसी प्रकार अधिक हिस्सा कम कर देने पर अधिक दण्ड की व्यवस्था की जाय ।
४. अनाज, तेल, खार, नमक, गंध और दवाइयों में कम कीमत की वस्तुओं को मिलाकर बेचने वाले पर चारह पण दण्ड किया जाय ।
५. दूकानदारों को प्रतिदिन जितना लाभ हो उसे बाजार का चौधरी (संस्था-ध्यक्ष) अपनी बही में गिनकर दर्ज कर ले । जिस वस्तु की खरीद-फरोस्त की व्यवस्था संस्थाध्यक्ष स्वयं करता है उसका लाभ राजकोष में जमा किया

धान्यपण्यनिचयांश्चानुज्ञाताः कुर्युः । अन्यथानिचितमेषां पण्याध्यक्षो गृह्णीयात् । तेन धान्यपण्यविक्रये व्यवहरेतानुग्रहेण प्रजानाम् ।

१. अनुज्ञातक्रयादुपरि चैषां स्वदेशीयानां पण्यानां पञ्चकं शत-माजीवं स्थापयेत् । परदेशीयानां दशकम् । ततः परमर्घ्यवर्धयतां क्रये विक्रये वा भावयतां पणशते पञ्चपणाद् द्विशतो दण्डः । तेनार्घ्यवृद्धौ दण्डवृद्धिर्व्याख्याता ।
२. सम्भूयक्रये चैषामविक्रीते नान्यं सम्भूयक्रयं दद्यात् । पण्योपघाते चैषामनुग्रहं कुर्यात् पण्यवाहुल्यात् ।
३. पण्याध्यक्षः सर्वपण्यान्येकमुखानि विक्रीणीत । तेष्वविक्रीतेषु नान्ये विक्रीणीरन् । तानि दिवसवेतनेन विक्रीणीरन् अनुग्रहेण प्रजानाम् ।

जाय । इस दृष्टि से व्यापारियों को उचित है कि वे संस्थाध्यक्ष की आज्ञा से ही धान्य आदि विक्रेय वस्तुओं का संचय करें । अनुमति न लेने पर संस्थाध्यक्ष को अधिकार है कि वह अनधिकृत वस्तुओं को अपने कब्जे में कर ले । संस्थाध्यक्ष को चाहिए कि वह संगृहीत वस्तुओं के विक्रय की ऐसी सुव्यवस्था करे, जिससे प्रजा का उपकार होता रहे ।

१. संस्थाध्यक्ष जिन वस्तुओं को बेचने की अनुमति दे, यदि वे वस्तुएँ स्वदेशी हों तो, उन पर व्यापारी नियत मूल्य से प्रति सैकड़ा पाँच पण लाभ ले सकता है । यदि वे विदेशी हों तो प्रति सैकड़ा दस पण लाभ ले । इससे अधिक मूल्य बढ़ाने तथा अधिक लाभ लेने पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । इसी प्रकार अधिकाधिक लाभ पर अधिकाधिक दण्ड दिया जाय ।
२. यदि संस्थाध्यक्ष से थोक भाव कर खरीदा हुआ माल न बिके तो दूसरे व्यापारियों को थोकभाव पर माल न दिया जाय । यदि आकस्मिक आपात के कारण किसी व्यापारी का माल नष्ट हो जाय तो संस्थाध्यक्ष दूसरा माल देकर उसकी सहायता करे ।
३. संस्थाध्यक्ष को चाहिए कि वह सारी विक्रेय वस्तुओं को किसी एक व्यापारी द्वारा विक्रवाये । यदि एक व्यापारी के द्वारा वह न बिक सके तो अन्य

चौथा अधिकरण : प्रकरण ७७, अध्याय २

१. देशकालान्तरितानां तु पण्यानां—

प्रक्षेपं पण्यनिष्पत्तिं शुल्कं वृद्धिमवक्रयम् ।
व्ययानन्यांश्च संख्याय स्थापयेदर्धमर्धवित् ॥

इति. कण्टकशोधने चतुर्थाधिकरणे वैदेहकरत्तणं नाम द्वितीयोऽध्यायः
आदितः एकोनाशीतितमः ।



व्यापारी उस तरह का माल न बेचे। उन वस्तुओं को दैनिक मजदूरी देकर इस ढंग से बिकवाया जाय, जिससे प्रजा का हित हो ।

संस्थाध्यक्ष को चाहिए कि वह दूसरे देश तथा दूसरे समय में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का मूल्य, वनवाई का समय, वेतन, व्याज, भाड़ा, और इसी प्रकार के ऊपरी खर्चों को जोड़ कर ऐसा भाव तय करे, जिससे वे बिक जाय ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ३

उपनिपातप्रतीकारः

१. दैवान्यष्टौ महाभयानि—अग्निरुदकं व्याधिर्दुर्भिक्षं मूषिका
व्यालाः सर्पा रक्षांसीति । तेभ्यो जनपदं रक्षेत् ।
२. ग्रीष्मे बहिरधिश्रयणं ग्रामाः कुर्युः । दशकुलीसंग्रहेणाधि-
ष्ठिता वा ।
३. नागरिकप्रणिधावग्निप्रतिषेधो व्याख्यातः । निशान्तप्रणिधौ
राजपरिग्रहे च ।
४. बलिहोमस्वस्तिवाचनैः पर्वसु चाग्निपूजाः कारयेत् ।
५. वर्षारात्रमनूपग्रामाः पूरवेलासुत्सृज्य वसेयुः । काष्ठवेणुनाव-
श्चावगृह्णीयुः ।

दैवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा के उपाय

१. दैवयोग से होने वाली आठ महा विपत्तियों के नाम हैं: (१) अग्नि, (२) जल
(३) बीमारी, (४) दुर्भिक्ष, (५) चूहे, (६) ध्याघ्न, (७) साँप और (८) राक्षस ।
राजा को चाहिए कि इन महा विपदाओं से वह प्रजा की रक्षा करे ।
२. आग से रक्षा: ग्रामवासियों को चाहिए कि गरमी की ऋतु में वे भोजन
आदि की व्यवस्था घर से बाहर करें । अथवा दशकुली का रक्षक गोप नामक
अधिकारी जिस स्थान को उपयुक्त बताये वहीं पर भोजन आदि की
व्यवस्था करें ।
३. आग से बचने के उपाय नागरिक प्रणिधि नामक प्रकरण में बताये गये
हैं । राजपरिग्रह के अन्तर्गत निशांत प्राणिधि नामक प्रकरण में भी अग्नि-
रक्षा के उपाय बताये गए हैं ।
४. अग्नि-रक्षा के लिए पूर्णमासी आदि पर्व तिथियों पर बलि, होम और स्वस्ति-
वाचन द्वारा अग्नि की पूजा कराई जाय ।
५. पानी से रक्षा: नदी के किनारे बसे हुए ग्रामवासियों को चाहिए कि वर्षा

चौथा अधिकरण : प्रकरण ७८, अध्याय ३.

१. उद्यमानमलाबूदतिप्लवगण्डिकावेणिकाभिस्तारयेयुः । अनभिसरतां द्वादशपणो दण्डः । अन्यत्र प्लवहीनेभ्यः ।
२. पर्वसु च नदीपूजाः कारयेत् ।
३. मायायोगविदो वेदविदो वर्षमभिचरेयुः ।
४. वर्षावग्रहे शचीनाथगङ्गापर्वतमहाकच्छपूजाः कारयेत् ।
५. व्याधिभयमौपनिषदिकैः प्रतीकारैः प्रतिकुर्युः । औषधैश्चिकित्सकाः शान्तिप्रायश्चित्तैर्वा सिद्धतापसाः ।
६. तेन मरको व्याख्यातः । तीर्थाभिषेचनं महाकच्छवर्धनं गवां श्मशानावदोहनं कबन्धदहनं देवरात्रिं च कारयेत् ।

ऋतु की रातों में वे घरों को छोड़कर दूर जा बसें । लकड़ी, बाँस के बेड़े और नाव आदि साधन हर समय वे संग्रह करके रखें ।

१. नदी के प्रवाह में बहते या डूबते हुए भादमी को तूम्बी (अलावु), मशक (हति), तमेड़ (प्लव), लकड़ या लकड़ी के बेड़े से बचाया जाय । जो व्यक्ति डूबते हुए भादमी को बचाने का यत्न न करे उसे बारह पण दण्ड दिया जाय; किन्तु उसके पास यदि तैरने के उक्त साधन न हों तो उसको अपराधी न समझा जाय ।
२. पूर्णमासी आदि पर्व तिथियों में नदियों की पूजा कराई जाय ।
३. मंत्रविद् एवं अथर्व वेद के ज्ञाताओं से भतिवृष्टि की शान्ति के लिए जप, होम, यज्ञ आदि अनुष्ठान कराये जाँय ।
४. वर्षा के शांत हो जाने पर इन्द्र, गंगा, पर्वत और समुद्र की पूजा कराई जाय ।
५. बीमारी से रक्षा: औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा कृत्रिम बीमारियों को रोका जाय । अकृत्रिम बीमारियों को वैद्य लोग चिकित्सा द्वारा और सिद्ध एवं तपस्वी लोग शान्तिकर्म, व्रत, उपवास आदि अनुष्ठानों से दूर करें ।
६. हैजा, प्लेग, चचक आदि संक्रामक व्याधियों को दूर करने के लिए भी इसी प्रकार के उपाय किए जायें । इसके अलावा गंगास्नान, समुद्रपूजन, श्मशान में गायों का दोहन, चावल तथा ससू से बने सिर रहित पुतले का श्मशान

१. पशुव्याधिमरके स्थानान्यर्थनीराजनं स्वदैवतपूजनं च कारयेत् ।
२. दुर्भिक्षे राजा बीजभक्तोपग्रहं कृत्वाऽनुग्रहं कुर्यात् । दुर्गसेतु-
कर्म वा भक्तानुग्रहेण । भक्तसंविभागं वा । देशनिक्षेपं वा ।
मित्राणि वा व्यपाश्रयेत् । कर्शनं वमनं वा कुर्यात् ।
३. निष्पन्नसस्यमन्यविषयं वा सजनपदो यायात् । समुद्रसरस्त-
टाक्रानि वा संश्रयेत् । धान्यशाकमूलफलावापान् सेतुषु
कुर्यात् । मृगपशुपक्षिव्यालमत्स्यारम्भान् वा ।
४. मूषिकभये मार्जारनकुलोत्सर्गः । तेषां ग्रहणहिंसाया द्वादश-
पणो दण्डः । शुनामनिग्रहे च अन्यत्रारण्यचरेभ्यः ।

में दाह और रात्रि जागरण करके ग्राम देवता की पूजा आदि का उपाय किए जाँय ।

१. यदि पशुओं में बीमारी या महामारी फैल जाय तो गाँव-गाँव में रोगशांति के लिये शांतिकर्म करवाये जायें; और पशुओं के अधिष्ठाता देवता, जैसे हाथी के सुब्रह्मण्य, घोड़ा के अश्विनी, गौ के पशुपति, भैंस के वरुण तथा बकरी के अग्नि आदि देवताओं की पूजा कराई जाय ।
२. दुर्भिक्ष से रक्षा : राज्य में दुर्भिक्ष पड़ जाने पर राजा की ओर से बीज और अन्न वितरण करके जनता पर अनुग्रह किया जाय । अथवा दुर्भिक्ष-पीड़ितों को उचित वेतन देकर उनसे दुर्ग या सेतु आदि का निर्माण कराया जाय । काम करने में असमर्थ लोगों को केवल अन्न दिया जाय; अथवा उनका, समीप के दूसरे दुर्भिक्ष रहित देश तक पहुँचाने का प्रबन्ध कर दिया जाय । अथवा मित्र राजा से सहायता ली जाय । अपने देश के धनवान व्यक्तियों पर विगेष कर लगाकर तथा उनसे एकमुश्त रकम लेकर आपत्ति का प्रतीकार किया जाय ।
३. या तो जो देश धन-धान्य संपन्न दीखे वहीं प्रजा सहित चला जाय । अथवा समुद्र के किनारे या बड़े-बड़े तालावों के पास जाकर बसा जाय, जहाँ पर कि धान्य, शाक, मूल, फल आदि की खेती की जा सके । अथवा मृग, पशु, पक्षी, व्याघ्र और मछली आदि का शिकार कर प्राण-रक्षा की जाय ।
४. चूहों से रक्षा : चूहों का उत्पात बढ़ जाने पर जगह-जगह बिल्ली और नेवला छोड़ दिए जायें । जो उनको पकड़े या मारे उस पर बारह पण दण्ड

१. स्नुहीक्षीरलिप्तानि धान्यानि विसृजेत् । उपनिषद्योगयुक्तानि वा । मूषिककरं वा प्रयुञ्जीत । शान्तिं वा सिद्धतापसाः कुर्युः । पर्वसु च मूषिकपूजाः कारयेत् ।
२. तेन शलभपक्षिकृमिभयप्रतीकारा व्याख्याताः ।
३. व्यालभये मदनरसयुक्तानि पशुशवानि प्रसृजेत् । मदनको-द्रवपूर्णान्यौदर्याणि वा ।
४. लुब्धकाः श्वगणिनो वा कूटपञ्जरावपातैश्वरेयुः । आवर-णिनः शस्त्रपाणयो व्यालानभिहन्युः । अनभिसर्तुर्द्वादशपणो दण्डः । स एव लाभो व्यालघातिनः ।

किया जाय । उन लोगों पर भी बारह पण दण्ड किया जाय, जो दूसरों का नुकसान करने वाले पालतू कुत्तों को रोक कर न रखें । जंगली कुत्तों को न पकड़ने पर कोई अपराध न माना जाय ।

१. चूहों के प्रतीकार के लिए सेंहुड़ के दूध में साने हुए अनाज को या औपनिषदिक अधिकरण में निर्दिष्ट औषधियों से मिले हुए अनाज को इधर-उधर बखेर दिया जाय । अथवा चूहादानी द्वारा चूहों को पकड़ने का प्रबन्ध किया जाए । अथवा सिद्ध या तपस्वियों द्वारा चूहों को नष्ट करने के लिए शान्तिकर्म करवाये जाय । पर्व तिथियों पर मूषक-पूजा कराई जाय ।
२. इसी के अनुसार कीट, पतङ्ग, पत्ती आदि द्वारा उत्पन्न उत्पातों का प्रतीकार कराया जाय ।
३. व्याघ्र से रक्षा : व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं का भय बढ़ जाय तो औपनिषदिक अधिकरण में निर्दिष्ट मदनरसयुक्त मृत-पशुओं की लाशों जङ्गल में छुड़वा दी जायें । अथवा धूर्तरा और जङ्गली कोदो (कोहव) को मिलाकर पशुओं की लाशों में भर कर उन्हें जङ्गल में रखवा दिया जाय ।
४. व्याघ्र-विपत्ति को दूर करने के लिए शिकारी और बहेलिये गढ़ों में छिपकर उनको मारें । कवच पहिन कर हथियारों से याघ को मारा जाय । वाघ आदि हिंसक पशुओं से घिरे हुए आदमी की जो सहायता न करे उसको बारह पण दण्ड किया जाय । जो व्याघ्र आदि का शिकार करे उसे बारह पण इनाम दिया जाय ।

१. पर्वसु च पर्वतपूजाः कारयेत् । तेन मृगपक्षिसङ्घग्राहप्रतीकारा व्याख्याताः ।
२. सर्पभये मन्त्रैरोषधिभिश्च जाङ्गलीविदश्चरेयुः । सम्भूय त्र्योप-सर्पान् हन्युः । अथर्ववेदविदो वाभिचरेयुः । पर्वसु च नागपूजाः कारयेत् । तेनोदकग्राणिभयप्रतीकारा व्याख्याताः ।
३. रक्षोभये रक्षोघ्नान्यथर्ववेदविदो मायायोगविदो वा कर्माणि कुर्युः । पर्वसु च वितर्दिच्छत्रोल्लोपिकाहस्तपताकाच्छागोपहारैश्चैत्यपूजाः कारयेत् । चरुं वश्वराम इत्येवं सर्वभयेष्वहो-रात्रं चरेयुः ।
४. सर्वत्र चोपहतान् पितेवानुगृहीयात् ।

१. व्याघ्र आदि से रक्षा के लिए पर्व तिथियों पर पर्वतों की पूजा कराई जाय । अन्य जङ्गली पशु-पक्षियों के प्रतीकार के लिए भी यही नियम समझने चाहिए ।
२. साँप से रक्षा : मन्त्र तथा जड़ी-बूटियों को जानने वाले विषवैद्यों को चाहिए कि वे सर्प-भय का प्रतीकार करें । अथवा नगरवासी जहाँ भी साँप-देखें, उसको मार डालें । अथवा अथर्व वेद के ज्ञाता अभिचार क्रियाओं द्वारा साँपों को मार डालें । सर्प-भय से बचने के लिए पर्व तिथियों पर उनकी पूजा की जाय । इसी प्रकार जलचर जीवों द्वारा होने वाले भयों का प्रतीकार समझना चाहिए ।
३. राक्षसों से रक्षा : राक्षसों का भय पैदा हो जाने पर तन्त्र और अथर्व वेद के ज्ञाता अभिचारक तथा मायायोग क्रियाओं द्वारा उसका प्रतीकार करें । कृष्ण चतुर्दशी तथा अष्टमी आदि पर्व तिथियों पर वेदी, छाता, खाद्य सामग्री, छोटी झंडी और बलि के लिए बकरा लेकर श्मशान भूमि में राक्षसों की पूजा कराई जाय । प्रत्येक भय पर 'हम तुम्हारे लिए हवि पकाते हैं' (चरुं वश्वरामः), इस प्रकार कहते हुए दिन-रात घूमें ।
४. इस प्रकार के भयों के उपस्थित होने पर सब तरह से राजा, प्रजा की रक्षा अपनी सन्तान की तरह करे ।

चौथा अधिकरण : प्रकरण ७८, अध्याय ३

१. मायायोगविदस्तस्माद्विषये सिद्धतापसाः ।
वसेयुः पूजिता राज्ञा दैवापत्प्रतिकारिणः ॥

इति कंटकशोधने चतुर्थाधिकरणे उपनिपातप्रतीकारो नाम तृतीयोऽध्यायः
आदितोऽशीतितमः ।



१. इसलिए राजा को चाहिये कि वह दैवी विपदाओं का प्रतीकार करने वाले
अथर्व वेद के ज्ञाता तान्त्रिकों, सिद्धों और तपस्वियों को अपने देश में
सम्मानपूर्वक रखें ।

कंटकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।



गूढजीविनां रक्षा

- समाहर्तृप्रणिधौ जनपदरक्षणमुक्तम् । तस्य कण्टकशोधनं वक्ष्यामः ।
१. समाहर्ता जनपदे सिद्धतापसप्रव्रजितचक्रचरचारणकुहकप्रच्छन्दककार्तान्तिकनैमित्तिकमौहूर्तिकचिकित्सकोन्मत्तमूकबधिरजडान्धवैदेहककारुशिलिपकुशीलववेशशौण्डिकापूपिकपाकमांसिकौदनिकव्यञ्जनान् प्रणिदध्यात् । ते ग्रामाणामध्यक्षाणां च शौचाशौचं विद्युः । यं चात्र गूढजीविनं शङ्केत, सत्रिसवर्णेनापसर्पयेत् । धर्मस्थं प्रदेष्टारं वा विश्वासोपागतं सत्री ब्रूयात्- 'असौ मे बन्धुरभियुक्तः, तस्यायमनर्थः प्रतिक्रियताम् । अयं

गुप्त षड्यंत्रकारियों से प्रजा की रक्षा के उपाय

1. जनपद की रक्षा के उपाय समाहर्त्री प्रचार नामक प्रकरण में बताए जा चुके हैं। अब जनपद में गुप्त कण्टकों के प्रतीकार का उपाय बताया जा रहा है।
१. समाहर्ता को चाहिए कि वह गुप्त षड्यंत्र कार्यों को जानने के लिए सारे देश में सिद्ध, तपस्वी, संन्यासी, परिव्राजक, भाट, जादूगर, स्वेच्छाचारी, यमपट को दिखाकर जीविका चलाने वाले, शकुन बताने वाले, ज्योतिषी, वैद्य, उन्मत्त, गूंगे वहरे, मूर्ख, व्यापारी, कारीगर, नट, भाँड़, कलवार, हलवाई, पक्का माँश बेचने वाले और रसोइया आदि के वेष में गुप्तचरों को नियुक्त करे। उन गुप्तचरों को चाहिए कि वे ग्रामीणों तथा ग्राम-प्रधानों की ईमानदारी और बेईमानी का पता लगाएँ। जिन्हें वे गूढजीवी समझें उन्हें सत्री नामक गुप्तचर के साथ न्यायाधीश (धर्मस्थ) के पास भेज दें। विश्वस्त धर्मस्थ से सत्री यों कहे 'यह मेरा भाई है इसने ऐसा अपराध

चार्थः प्रतिगृह्यताम्' इति । स चेत् तथा कुर्यात्, उपग्राहक इति प्रवास्येत ।

१. तेन प्रदेष्टारो व्याख्याताः ।

२. ग्रामकूटमध्यक्षं वा सत्री ब्रूयात्—'असौ जालमः प्रभूतद्रव्यः, तस्यायमनर्थः । तेनैनमाहारयस्व' इति । स चेत्तथा कुर्यादुत्कोचक इति प्रवास्येत ।

३. कृतकाभियुक्तो वा कूटसाक्षिणोऽभिज्ञातानर्थवैपुल्येन आरभेत । ते चेत्तथा कुर्युः, कूटसाक्षिण इति प्रवास्येरन् ।

४. तेन कूटश्रावणकारका व्याख्याताः ।

५. यं वा मन्त्रयोगमूलकर्मभिः श्माशानिकैर्वा संवननकारकं

किया है । इसके इस अपराध को माफ कर दीजिए और इसके बदले में इतना धन ले लीजिए' । यदि न्यायाधीश उस धन को लेकर अपराधी को छोड़ दे तो उस पर घूसखोरी का जुर्म लगाकर उसे बर्खास्त किया जाय ।

१. यही नियम प्रदेष्टा (कंटकशोधन का कमिश्नर) के संबंध में भी समझने चाहिए ।

२. गाँव के लोगों से या गाँव के मुखिया से सत्री कहे कि 'यह पापी बड़ा सम्पत्तिशाली है; इस समय इस पर ऐसी आपत्ति आई है इसलिए चलो आपत्ति के बहाने इसकी सारी सम्पत्ति लूट लें ।' यदि गाँव के लोग या मुखिया वैसा ही करें तो उन्हें उत्कोचक (जनता को कष्ट देकर अपहरण करने वाला) समझकर प्रवासित कर दिया जाय ।

३. वनावटी तौर पर अभियुक्त बना हुआ सत्री संदिग्ध गवाहों को बहुत-सा धन देने का लोभ देकर अपनी ओर से उन्हें झूठी गवाही देने के लिए फुमलाए । यदि वे लोभ में आ जाँय तो उन्हें झूठा सात्री समझकर प्रवासित किया जाय ।

४. यही नियम झूठे दस्तावेज आदि बनाने वालों के सम्बन्ध में भी समझने चाहिए ।

५. जिसको यह समझ लिया जाय कि यह व्यक्ति मन्त्रों, क्षौद्रधियों या

मन्येत, तं सत्री ब्रूयात्—‘अमुष्य भार्या स्नुषां दुहितरं वा कामये । सा मां प्रतिकामयताम्, अयं चार्थः प्रतिगृह्यताम्’ इति । स चेत्तथा कुर्यात्, संवननकारक इति प्रवास्येत ।

१. तेन कृत्याभिचारशीलौ व्याख्यातौ ।

२. यं वा रसस्य वक्तारं क्रेतारं विक्रेतारं भैषज्याहारव्यवहारिणं वा रसदं मन्येत, तं सत्री ब्रूयात्—‘असौ मे शत्रुस्तस्योपघातः क्रियताम्, अयं चार्थः प्रतिगृह्यताम्’ इति । स चेत्तथा कुर्याद्, रसद इति प्रवास्येत ।

३. तेन मदनयोगव्यवहारी व्याख्यातः ।

४. यं वा नानालोहक्षारणामङ्गारभस्त्रासन्दंशमुष्टिकाधिकरणीविम्ब-

श्मशान की क्रियाओं द्वारा वशीकरण का कार्य करता है, उससे सत्री इस प्रकार कहे कि ‘मैं अमुक व्यक्ति की स्त्री’ पुत्रवधू या लड़की से प्रेम करता हूँ; इसलिए ऐसा उपाय बताओ कि जिससे वह मेरे वश में हो जाय; बदले में इतना धन ले लो ।’ यदि वह लोभवश वैसा करने को तैयार हो जाय तो उसे वशीकरण करने वाला समझकर प्रवासित कर दिया जाय ।

१. यही नियम उन लोगों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए जो अपने ऊपर देवी-देवता, भूत-प्रेत-पिशाच आदि को बुलाकर प्रजा को कष्ट देते हैं और तन्त्र-मन्त्र आदि प्रयोगों द्वारा लोगों को मारते हैं ।

२. विष के बनाने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले तथा औषधियों एवं भोज्य सामग्री का व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति पर यदि किसी को विष देने का सन्देह हो जाय तो सत्री उससे कहे कि ‘अमुक पुरुष मेरा शत्रु है उसे आप विष देकर मार डालिए और बदले में इतना धन ले लीजिए’ । यदि वह पुरुष ऐसा ही करे तो उसे विष देने के अभियोग में प्रवासित कर दिया जाय ।

३. यही नियम उन व्यापारियों के संबन्ध में भी समझने चाहिए जो बेहोश करने वाली दवाइयों को बेचते हैं ।

४. जो व्यक्ति अनेक प्रकार का लोहा, खाद, कोयला, धौंकनी, सनसी, हथौड़ी, निहाई (अधिकरणी), तस्वीर, छेनी और मूषा आदि पदार्थों को अधिक

टङ्कमूषाणामभीक्षणं क्रेतारं मषीभस्मधूमदिग्धहस्तवस्त्रलिङ्गं
कर्मारोपकरणसंवर्गं कूटरूपकारकं मन्येत, तं सत्री शिष्यत्वेन
संव्यवहारेण चानुप्रविश्य प्रज्ञापयेत् । प्रज्ञातः कूटरूपकारक
इति प्रवास्येत ।

१. तेन रागस्यापहर्ता कूटसुवर्णव्यवहारी च व्याख्यातः ।

२. आरब्धारस्तु हिंसायां गूढाजीवास्त्रयोदश ।
प्रवास्या निष्क्रयार्थं वा दद्युर्दोषविशेषतः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाधिकरणे गूढाजीविनां रक्षा नाम
चतुर्थोऽध्यायः, आदित एकाशीतितमः ।



संख्या में खरीदे, जिसके हाथ या कपड़ों पर स्याही, राख तथा धूँ के चिह्न हों; जो लोहार तथा सोनार के सभी औजार रखता हो; ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि छिपकर जाली सिक्का बनाने का सन्देह पैदा हो जाय तो सत्री उसका शिष्य बनकर एवं उससे अच्छी तरह मेल-जोल बढ़ाकर उसके रहस्यों की पूरी जानकारी राजा को दे । इस बात का निश्चय हो जाने पर कि वह छिपकर जाली सिक्का बनाता है, उसे प्रवासित कर दिया जाय ।

१. सोने आदि का रंग उड़ा देने वाले तथा बनावटी सोने के संबन्ध में भी यही नियम समझने चाहिएँ ।

२. धर्मस्थ, प्रदेष्टा, गाँव का मुखिया, गाँव का अध्यक्ष, कूट साक्षी, कूट श्रावक, वशीकरण कर्ता, क्रियाशील अभिचारशील, विप देने वाला, मदनयोग व्यापारी, कूटरूप कर्ता, और कूट सुवर्ण व्यापारी; ये तेरह प्रकार के लोक के उपद्रव करने वाले गूढ़जीवी ऊपर बताए गये हैं । इन्हें देशनिकाला दिया जाय या अपराध के अनुसार दण्डित किया जाय ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



सिद्धव्यञ्जनैर्माराणप्रकाशनम्

१. सन्निप्रयोगादूर्ध्वं सिद्धव्यञ्जना माणवा माणवविद्याभिः प्रलोभ-
येयुः । प्रस्वापनान्तर्धानद्वारापोहमन्त्रेण प्रतिरोधकान्, संवन-
नमन्त्रेण पारतल्पिकान् ।
२. तेषां कृतोत्साहानां महासंघमादाय रात्रावन्यं ग्राममुद्दिश्यान्
ग्रामं कृतकस्त्रीपुरुषं गत्वा ब्रूयुः—‘इहैव विद्याप्रभावो दृश्य-
ताम् । कृच्छ्रः परग्रामो गन्तुम्’ इति । ततो द्वारापोहमन्त्रेण
द्वाराण्यपोह्य ‘प्रविश्यताम्’ इति ब्रूयुः । अन्तर्धानमन्त्रेण जाग्र-
तामारक्षिणां मध्येन माणवानतिक्रामयेयुः । प्रस्वापनमन्त्रेण

सिद्धवेशधारी गुप्तचरों द्वारा दुष्टों का दमन

१. गुप्तचरों के प्रयोग के बाद सिद्धों के वेश में रहने वाले गूढ़ पुरुष चोरों,
व्यभिचारियों के समूहों में रहकर सम्मोहनी विद्याओं के द्वारा प्रजा को
कष्ट देने वाले दुष्टों को प्रलोभन दें; छिपाने, संकेत से दरवाजा खोलने आदि
के मायिक प्रयोगों से चोरों को और वशीकरण संबन्धी मंत्रों के प्रयोगों से
व्यभिचारियों को अपने काबू में करें ।
२. चोरों और व्यभिचारियों के बड़े भारी समूह को उत्साहित कर, पहिले से
रात में जिस गाँव को जाने का प्रोग्राम बनाया हो, उससे दूसरे ही गाँव में
जहाँ लोगों को पहिले से समझा-बुझा दिया है, चोरों, व्यभिचारियों को ले
जाकर सिद्धवेशधारी गुप्त पुरुष उनसे कहें ‘आप लोग यहीं पर आज हमारी
विद्या का प्रभाव देखें; आज दूसरे गाँव जाना तो संभव न हो सकेगा ।’
इसके बाद द्वारापोह मंत्र से दरवाजों को खोलकर उन चोरों को भीतर
घुस जाने को कहें; अन्तर्धान मंत्र के द्वारा जागते पहरेदारों के बीच से
चोरों को निकाल दें; प्रस्वापन मंत्र पढने का अभिनय कर पहरेदारों को

- प्रस्वापयित्वा रक्षिणः शय्याभिर्माणवैः संचारयेयुः । संवनन-
मन्त्रेण भार्याव्यञ्जनाः परेषां भाणवैः संमोदयेयुः ।
१. उपलब्धविद्याप्रभावाणां पुरश्चरणाद्यादिशेयुरभिज्ञानार्थम् ।
 २. कृतलक्षणद्रव्येषु वा वेदमसु कर्म कारयेयुः । अनुप्रविष्टान्
वैकत्र ग्राहयेयुः ।
 ३. कृतलक्षणद्रव्यक्रयविक्रयाधानेषु योगसुरामत्तान् वा ग्राहयेयुः ।
गृहीतान् पूर्वपदानसहायाननुयुञ्जीत ।
 ४. पुराणचोरव्यञ्जना वा चोराननुप्रविष्टास्तथैव कर्म कारये-
युर्ग्राहयेयुश्च ।
 ५. गृहीतान्समाहर्ता पौरजानपदानां दर्शयेत्—‘चोरग्रहणीं विद्या-
मयीते राजा; तस्योपदेशादिमे चोरा गृहीताः; भूयश्च ग्रही-
ष्यामि । वारयितव्यो वः स्वजनः पापाचार’ इति ।

सुलाकर उनकी चारपाइयों के पास से ही चोरों को ले जाँय; और अन्त में वशीकरण मंत्र का दिखावा कर दूसरों की बनावटी स्त्रियों के साथ उनको संभोग सुख दिलावें ।

१. जब उन चोरों-व्यभिचारियों को सिद्ध पुरुषों की मंत्रविद्या पर पूरा भरोसा हो जाय तब उन्हें मंत्रों के पुरश्चरण (प्रयोग) के लिए प्रेरित करें ।
२. फिर जिन घरों में पहिले ही से चिह्न लगी वस्तुएँ रखी गई हों वहाँ उनको चोरी करने के लिए भेजें । अन्त में किसी एक घर में घुसे हुए उन सबको एक साथ गिरफ्तार करवा लें ।
३. अथवा चिह्नित वस्तुओं को बेचते खरीदते, गिरवी रखते समय या मद्यपान की बेसुध दशा में उन्हें गिरफ्तार करा लें । तब उनके द्वारा पहिले की चोरियों तथा चोरी करने में सहायता देनेवाले लोगों के संबंध में पता लगाया जाय ।
४. अथवा पुराने खिसे हुए चोरों का बेश बनाकर गुप्तचर उनकी मंडली में मिल जायें, और उनसे चोरी कराकर उन्हें धोखे में गिरफ्तार करा दें ।
५. समाहर्ता को चाहिए कि वह उन गिरफ्तार किए गए चोरों को नगर-वासियों के सामने खड़ा कर उनसे कहे ‘राजा, चोरों को पकड़ने की विद्या में बहुत निपुण थे । उसी की आज्ञा से इन चोरों को पकड़ा गया है । जो भी

१. यं चात्रापसर्पोपदेशेन शम्याप्रतोदादीनामपहर्तारं जानीयात-
मेषां प्रत्यादिशेद्-एष राज्ञः प्रभाव, इति ।

२. पुराणचोरगोपालकव्याधश्वगणिनश्च, वनचोराटविकाननु-
प्रविष्टाः प्रभूतकूटहिरण्यकुप्यभाण्डेषु सार्थत्रजग्रामेष्वेनानभियो-
जयेयुः । अभियोगे गूढवलैर्घातयेयुः, मदनरसयुक्तेन वा
पथ्यादनेन । अनुगृहीतलोप्त्रभारानायतगतपरिश्रान्तान् प्रस्व-
पतः प्रहवणेषु योगसुरामत्तान् वा ग्राहयेयुः ।

३. पूर्ववच्च गृहीत्वैनान् समाहर्ता प्ररूपयेत् ।
सर्वज्ञख्यापनं राज्ञः कारयन् राष्ट्रवामिषु ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाधिकरणे सिद्धव्यञ्जनैर्माणवप्रकाशनम् नाम
पञ्चमोऽध्यायः; आदितो द्वयशीतितमः ।




ऐसा कार्य करेंगे उनको मैं इसी तरह गिरफ्तार करूँगा । इसलिए तुम लोग अपने अपने स्वजनों को ताकीद कर दो कि वे ऐसा आचरण कदापि न करें ।’

१. गुप्तचरों की करामात से गिरफ्तार किए खुरपी, रस्सी, सैल आदि कृषि योग्य छोटी-छोटी वस्तुओं को चुराने वालों से जनता के सामने कहा जाय ‘देखो, राजा का ही यह प्रभाव है कि इतनी छोटी-छोटी वस्तुओं की चोरी भी उससे छिपी नहीं रह सकती है ।’

२. पुराने चोर, शिकारी, बहेलिये एवं चरवाहे के वेश में गुप्तचर, जंगली चोरों और कोलभीलों के समूह में घुल-मिल जायें; तब उन्हें ऐसे गाँव में ढाका डालने का सुझाव दें जहाँ पर जाली सोना, चाँदी तथा ताँबा आदि का सामान तैयार करने वाले व्यापारी रहते हैं । जब ये लोग चोरी के लिए घुसँ कि तत्काल ही पहिले से छिपी हुई सेना इनका काम तमाम कर दे । या रात में विषाक्त भोजन देकर इन्हें मार डाला जाय; या चोरी का माल ढोने के कारण थक कर सोये हुए, अथवा भोजन के साथ बढ़िया मदिरा पीने के कारण बेहोश हुए; इनको गिरफ्तार किया जाय ।

३. जब इनको गिरफ्तार किया जाय तब समाहर्ता को चाहिए कि वह पहिले की तरह उन्हें जनता के सामने खड़ा कर राजा की सर्वज्ञता की घोषणा करे ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।



शङ्कारूपकर्मभिग्रहः

१. सिद्धप्रयोगादूर्ध्वं शङ्कारूपकर्मभिग्रहः ।
२. क्षीणदायकुटुम्बमल्पनिर्वेशं विपरीतदेशजातिगोत्रनामकर्मापदेशं प्रच्छन्नवृत्तिकर्माणं मांससुराभक्ष्यभोजनगन्धमाल्यवस्त्रविभूषणेषु प्रसक्तमतिव्ययकर्तारं पुंश्वलीघृतशौण्डिकेषु प्रसक्तमभीक्षण प्रवासिनमविज्ञातस्थानगमनमेकान्तारण्यनिष्कुटविकालचारिणं प्रच्छन्ने सामिषे वा देशे बहुमन्त्रसन्निपातं सद्यः क्षतव्रणानां गूढप्रतिकारयितारमन्तर्गृहनित्यमभ्यधिगन्तारं कान्तापरं परपरिग्रहाणां परस्त्रीद्रव्यवेशमनामभीक्षणप्रष्टारं कुत्सितकर्मशस्त्रोपकरणसंसर्गं विरात्रे छन्नकुड्यच्छायासंचारिणं विरूपद्रव्याणा-

शंकित पुरुषों की पहिचान; चोरी के माल की पहिचान;
और चोर की पहिचान

१. सिद्धवेश गुहचरों के कार्यों के बाद भव शंका, रूप और कर्म के द्वारा चोरों को पकड़ने की युक्तियों का विधान किया जाता है ।
२. शंकित पुरुषों की पहिचान : उन व्यक्तियों पर चोर, डाकू, हत्यारा तथा प्रजा-पीढक होने की शंका की जा सकती है : जिनकी बाप-दादों की सम्पत्ति, खेती-बारी आदि धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही हो; जिनको खाने और खर्च के लिए पर्याप्त वेतन न मिलता हो; जो लोग अपना देश, जाति, गोत्र, नाम और अपने अध्यवसाय का ठीक-ठीक पता न देते हों; जो लोग जीविका के लिए छिपे तौर पर कार्य करते हों; जिन्हें मद्य, मांस, इत्र, फुलेल, बढ़िया वस्त्र और बनाव-शृंगार का शौक हो; अति खर्चाले, घेरयाओं, जुआरियों और शराबियों के बीच रहने वाले; बार-बार

मदेशकालविक्रेतारं जातवैराशयं हीनकर्मजातिं विगूह्यमानरूपं
लिङ्गेनालिङ्गिनं लिङ्गिनं वा भिन्नाचारं पूर्वकृतापदानं स्वकर्म-
भिरपदिष्टं नागरिकमहामात्रदर्शने गूहमानमपसरन्तमनुच्छ्वा-
सोपवेशिनमाविग्नं शुष्कभिन्नस्वरमुखवर्णं शस्त्रहस्तमनुष्यसम्पात-
त्रासिनं हिंस्रस्तेननिधिनिक्षेपापहारवरप्रयोगगूढाजीविनामन्य-
तमं शङ्कतेति शङ्काभिग्रहः ।

१. रूपाभिग्रहस्तु । नष्टापहतमविद्यमानं तज्जातव्यवहारिषु निवेद-

विदेश जाने वाले किन्तु जिनके गतव्य स्थान का कुछ पता न हो; जो
एकांत जंगलों या सघन वगीचों में कुसमय जाते हों; जो धनवानों के
घरों के आस-पास छिपे तौर पर चक्कर लगाते हों; जो अपने शरीर के
घावों की मरहम पट्टी छिपकर कराते हों; जो सदा ही घर में घुसे रहते हों;
जो किसी पुरुष को सामने आते देखकर अचानक ही लौट पड़ते हों;
जो स्त्रियों में अति आसक्त हों; दूसरे के घर का हालचाल, स्त्री, द्रव्य
आदि के सम्बन्ध में बार-बार पूछने वाले; चोरी, कुकर्मों, शस्त्र-अस्त्रों तथा
इस प्रकार के दूसरे साधनों को जानने वाले; जो आधीरात में छिप कर
दीवारों की छाया में चुपके-चुपके चलते हों; जो गहने आदि की शकल को
विगाड़ कर उनकी अनुचित विक्री करते हों;—शत्रुता रखने वाले; नीचकर्म
करने वाले; नीच जाति में उत्पन्न; अपनी असली सूरत को छिपा कर
रखने वाले; जो ब्रह्मचारी आदि न होकर भी ब्रह्मचारियों के वेश में रहते
हुए भी नियमों का ठीक-ठीक पालन न करते हों; जिनपर पहिले चोरी का
अभियोग लग चुका हो, जो अपने बुरे कर्मों के लिए प्रसिद्ध हों; जो नगर के
पहरेदारों तथा अन्य राजकीय कर्मचारियों से छिपें तथा भाग जाँय; जो
छिपकर एकांत में बैठते हों; भयभीत, सूखे मुंह, सुरभ्राये चेहरे, और
भर्राई आवाज वाले; हाथ में हथियार लेकर चलने वाले पुरुष से डर जाने
वाले; इत्यादि पुरुषों पर यह शंका की जा सकती है, या तो वह हत्यारा है,
या चोर है, या डाकू है, या क्रोधावेश में उसने किसी के ऊपर हाथियार
चलाया है अथवा वह प्रजा को कष्ट देने वाला प्रजाकण्टक है । यह
शंकित पुरुषों की पहिचान का निरूपण किया गया ।

१. चोरी के माल की पहिचान : यदि असावधानी के कारण कोई चीज खो

येत् । तच्चैन्निवेदितमासाद्य प्रच्छादयेयुः, साचिव्यकरदोष-
माप्नुयुः । अजानन्तोऽस्य द्रव्यस्यातिसर्गेण मुच्येरन् । न
चानिवेद्य संस्थाध्यक्षस्य पुराणभाण्डानामाधानं विक्रयं
वा कुर्युः ।

१. तच्चैन्निवेदितमासाद्येत, रूपाभिगृहीतमागमं पृच्छेत्—कुतस्ते
लब्धमिति । स चेद् ब्रूयात्—दायाद्यादवाप्तममुष्माल्लब्धं, क्रीतं
कारितमाधिप्रच्छन्नम्, अयमस्य देशः कालश्चोपसंप्राप्तः, अय-
मस्यार्घः प्रमाणं लक्षणं मूल्यं चेति । तस्यागमसमाधौ मुच्येत ।
२. नाष्टिकश्चेत्तदेव प्रतिसंदध्यात्, यस्य पूर्वो दीर्घश्च परिभोगः

जाय या चोरी चली जाय और खोजने पर जल्दी न मिले तो उस चीज की पूरी हुलिया लिखकर उसी चीज के व्यापारी के यहाँ भेज दी जाय कि इस प्रकार की चीज उसके यहां विकने को आवे तो वह ध्यान रखे । यदि ऐसी वस्तुओं के आजाने पर भी व्यापारी उसकी सूचना हुलिया देने वाले को न पहुँचाये तो उन्हें वही दण्ड दिया जाय, जो चोरी में सहायता देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है । यदि उन्हें इस बात का पता न हो तो उस वस्तु के वापिस कर देने पर उन्हें अपराध से बरी किया जाय । संस्थाध्यक्ष को सूचित किए बिना कोई भी माल न तो गिरवी रखा जाय और न बेचा जाय ।

१. यदि कोई खोई हुई वस्तु किसी व्यापारी के यहाँ आजाय तो उस वस्तु के लाने वाले व्यक्ति से पूछा जाय 'तुम्हें यह वस्तु कहाँ से मिली है?' यदि वह कहे कि 'मुझे यह बपौती से मिली है या मैंने इसको अमुक व्यक्ति से लिया है अथवा मैंने इसको खरीदा या बनवाया है या अभी तक गिरवी रखने के कारण यह वस्तु छिपी रही; यह वस्तु मैंने अमुक स्थान पर अमुक समय में खरीदी है; इसका असली मूल्य यह है; इसके यह लक्षण हैं; यह प्रमाण है; आजकल इसकी इतनी कीमत है' इस प्रकार उसका ठीक-ठीक वृत्तान्त बता देने पर उसको अपराधी न समझा जाय ।
२. यदि खोई गई या चोरी गई वस्तु का मालिक उक्त वस्तु को अपनी बताये तो उन दोनों में से उस वस्तु का असली मालिक उसी व्यक्ति को

शुचिर्वा देशस्तस्य द्रव्यमिति विद्यात् । चतुष्पदानामपि हि रूपलिङ्गसामान्यं भवति, किमङ्गपुनरेकयोनिद्रव्यकर्तृप्रसूतानां कुप्याभरणभाण्डानाम् इति ।

१. स चेद् ब्रूयात्—याचितकमवक्रीतकमःहितकं निक्षेपमुपनिधिं वैयापृत्यभर्म वाऽमुष्येति, तस्यापसारप्रतिसन्धानेन मुच्येत ।
२. नैवमित्यपसारो वा ब्रूयात्, रूपाभिगृहीतः परस्य दानकारण-मात्मनः प्रतिग्रहकारणमुपलिङ्गनं वा दायकदापकनिवन्धक-प्रतिग्राहकोपदेष्टृभिरुपश्रोतृभिर्वा प्रतिसमानयेत् ।
३. उज्झितप्रनष्टनिष्पतितोपलब्धस्य देशकाललाभोपलिङ्गनेन

माना जाय, जो उस वस्तु का अधिक दिनों से उपभोग करता आ रहा हो और जिसके साक्षी विश्वस्त एवं सच्चे हों । क्योंकि बहुधा यह देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न योनियों में पैदा हुए चौपायों तक में अविकल साम्य होता है, ऐसी स्थिति में कोई असम्भव नहीं कि एक ही कारीगर द्वारा एक ही द्रव्य से बनी हुई वस्तुओं में परस्पर साम्य न हो ।

१. यदि उस वस्तु को लाने वाला व्यक्ति ऐसा कहे कि 'यह वस्तु मैं अमुक व्यक्ति से माँग कर लाया हूँ; या किराये पर लाया हूँ; या मेरे पास इसको गिरवी रखा गया है; या कुछ वस्तु बनाने के लिए मेरे पास रखा गया है; या मेरे पास सुरक्षा के लिए दे गया है; या अमुक व्यक्ति से वेतन रूप में मैंने इसको पाया है; तो उस असली व्यक्ति को बुलाया जाय । यदि वह कहे कि 'जो कुछ इसने कहा है वह ठीक है' तो उस वस्तु को लाने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया जाय ।
२. यदि वह कह दे 'इसने ठीक नहीं कहा है' तो वस्तु के लाने वाले व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाय और वहाँ वह इस बात को सिद्ध करे कि 'यह वस्तु मैंने इसी से ली है ।' साथ ही वह उस वस्तु के देने वाले, दिलाने वाले, लिखने वाले, लेने वाले, लिखाने वाले तथा साक्षियों को अदालत में पेश करे ।
३. यदि अभियोक्ता अपनी भूली हुई, खोई हुई या चोरी गई वस्तु के मिल जाने पर उसके देश, काल तथा अपने हक को साबित कर दे तो वह वस्तु

शुद्धिः । अशुद्धस्तच्च तावच्च दण्डं दद्यात् । अन्यथा स्तेयदण्डं भजेत इति रूपाभिग्रहः ।

१. कर्माभिग्रहस्तु मुषितवेश्मनः प्रवेशनिष्कसनमद्वारेण, द्वारस्य सन्धिना बीजेन वा वेधम्, उत्तमागारस्य जालवातायननीत्र-वेधम्, आरोहणावतरणे च कुड्यस्य वेधम्, उपखननं वा गूढद्रव्यनिक्षेपग्रहणोपायमुपदेशोपलभ्यम्, अभ्यन्तरच्छेदोत्करपरिमर्दोपकरणमभ्यन्तरकृतं विद्यात् । विपर्यये बाह्यकृतम् । उभयत उभयकृतम् ।
२. अभ्यन्तरकृते पुरुषमासन्नं व्यसनिनं क्रूरसहायं तस्करोपकरण-संसर्गं स्त्रियं वा दरिद्रकुलामन्यप्रसक्तां वा परिचारकजनं वा तद्विधाचारमतिस्वप्नं निद्राक्लान्तमाधिक्लान्तमाविग्नं शुष्कभिन्न-

उसी की समझी जाय । यदि साबित न कर सके तो उतनी ही कीमत की वैसी ही दूसरी वस्तु उससे ली जाय और उतना ही उसको दण्ड दिया जाय । या तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय । यहाँ तक चोरी गये माल के सम्बन्ध में कहा गया ।

१. चोर की पहिचान : यदि चोरी हुंए घर में चोर पीछे के दरवाजे से घुसे हों; या दरवाजे के जोड़ों से अथवा नीचे से तोड़ कर घुसे हों; या दीवार में चढ़ने के लिए हूँटे निकाल कर अथवा खोद कर जगह बनाई गई हो; या खिड़की तथा रोशनदान तोड़े गए हों; या जहाँ पर धन रखा गया है ठीक उसी जगह दीवार तथा जमीन खोदी गई हो और मकान के भीतर खोदी गई मिट्टी को लापता कर दिया गया हो: तो समझना चाहिए कि इस चोरी में किसी अन्दरूनी व्यक्ति का हाथ है । यदि इससे विपरीत लक्षण दीखें तो बाहरी व्यक्ति की करामात समझनी चाहिए; और दोनों तरह के लक्षण मिलें तो दोनों तरह की चोरी समझनी चाहिए ।
२. यदि चोरी में किसी अन्दरूनी व्यक्ति का हाथ होने का संदेह हो तो घर के भीतर या पास-पास के व्यक्तियों को पूछ कर उसकी जाँच-परताल इस प्रकार की जाय; जो जुआरी, शराबी, कुमार्गी हो; क्रूर व्यक्तियों तथा चोरों की संगत करने वाला हो; दरिद्र हो; पराये प्रेम में फसी हुई स्त्री हों;

स्वरमुखवर्णमनवस्थितमतिप्रलापिनमुच्चारोहणसंरब्धगात्रं विलू-
ननिघृष्टभिन्नपाटितशरीरवस्त्रं जातकिणसंरब्धहस्तपादं पांसु-
पूर्णकेशनखं विलूनभुग्नकेशनखं वा सम्यक्स्नातानुलिप्तं तैल-
प्रमृष्टगात्रं सद्योद्यौतहस्तपादं वा पांसुपिच्छिलेषु तुल्यपादपद-
निक्षेपं प्रवेशनिष्कसनयोर्वा तुल्यमाल्यमद्यगन्धवस्त्रच्छेदविलेप-
नस्वेदं परीक्षेत । चोरं पारदारिकं वा विद्यात् ।

१. सगोपस्थानिको बाह्यं प्रदेष्टा चोरमार्गणम् ।
कुर्यान्नागरिकश्चान्तर्दुर्गे निर्दिष्टहेतुभिः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाधिकरणे शंकारूपकर्माभिग्रहो नाम
षष्ठोऽध्यायः; आदितस्त्रयशीतितमः ।



दूसरों की स्त्रियों पर भासक्त नौकर-चाकर हों; बहुत सोने वाला हो;
आलसी लगे, मानसिक कष्टों से दुःखी हो; डरा या घबड़ाया हुआ हो;
जिसकी आवाज भराई हुई हो; चंचल, बकवादी हो; ऊपर चढ़ने के लिए
दूसरे की सहायता ले; जिसके शरीर एवं वस्त्रों में रगड़न के निशान हों;
जिसके हाथ-पैरों में ठेक पड़ी हो; जिसके बाल तथा नाखून बड़े हुए हों;
स्नान करके जिसने चंदन का या सुगंधित तेल का शरीर पर लेप कर
दिया हो; मालिश करके जिसने तत्काल ही हाथ-पैर धो दिए हों; धूल या
कीचड़ में जिसके पैरों के निशान मिल जायें; जिस पर चोरी गये माल की
जैसी गंध आती हो; जिसके कपड़े फटे हों; चंदन लगाने से भी जिस पर
पसीना चूरहा हो; इस तरह के पुरुषों से पूछ लेने के बाद ही चोर या
व्यभिचारी का पता लगाया जाय ।

१. यदि चोर बाहरी हों तो गोप और स्थानिक की सहायता से प्रदेष्टा उनका
पता लगाये । नागरिक भी अपने तरीकों से चोर का पता लगायें ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त ।



आशुमृतकपरीक्षा

१. तैलाभ्यक्तमाशुमृतकं परीक्षेत ।
२. निष्कीर्णमूत्रपुरीषं वातपूर्णकोष्ठत्वक्कं शूनपादपाणिमुन्मोलि-
ताक्षं सव्यजनकण्ठं पीडननिरुद्धोच्छ्वासहतं विद्यात् ।
३. तमेव संकुचितबाहुसक्थिमुद्धन्धहतं विद्यात् ।
४. शूनपाणिपादोदरमपगताक्षमुद्बृत्तनाभिमवरोपितं विद्यात् ।
५. निस्तब्धगुदाक्षं सन्दष्टजिह्वमाध्मातोदरमुदकहतं विद्यात् ।
६. शोणितानुसिक्तं भग्नभिन्नगात्रं काष्ठै रश्मिभिर्वा हतं विद्यात् ।

आशुमृतक की परीक्षा

१. आशुमृतक (बिना किसी बीमारी या घाव के अचानक ही जिसकी मृत्यु हो जाय) को तेल में डालकर उसकी परीक्षा की जाय ।
२. जिसका पेशाब तथा पाखाना निकल गया हो, पेट या खाल में हवा भर गई हो, हाथ-पैर सूज गये हों, आँखें खुली हों और गले में निशान पड़ गये हों, तो समझना चाहिए कि उसको गला घोट कर मारा गया है ।
३. यदि उसकी वाँहें और टाँगें सिकुड़ी हुई हों तो समझना चाहिए कि उसको फाँसी पर लटका कर मारा गया है ।
४. यदि उसके हाथ, पैर, पेट फूल गये हों, आँखें धँस गई हों और नाभी ऊपर उठ आई हो तो समझना चाहिए कि उसको शूली पर चढ़ा कर मारा गया है ।
५. यदि उसकी आँखें तथा गुदा बाहर निकले हों, जीभ कट गई हो, पेट फूल गया हो तो समझना चाहिए कि उसको पानी में डुबा कर मारा गया है ।
६. जो खून से लथपथ हो, जिसका शरीर जगह-जगह टूट गया हो तो समझना चाहिए कि उसको लाटियों या कोदों से मारा गया है ।

१. सम्भग्नस्फुटितगात्रमवक्षिप्तं विद्यात् ।
२. श्यावपाणिपाददन्तनखं शिथिलमांसरोमचर्माणं फेनोपदिग्धमुखं विषहतं विद्यात् ।
३. तमेव सशोणितदंशं सर्पकीटहतं विद्यात् ।
४. विक्षिप्तवस्त्रगात्रमतिवान्तिविरिक्तं मदनयोगहतं विद्यात् ।
५. अतोऽन्यतमेन कारणेन हतं हत्वा वा दण्डभयादुद्धन्धनिकृत्त-कण्ठं विद्यात् ।
६. विषहतस्य भोजनशेषं पयोभिः परीक्षेत । हृदयादुद्धृत्याग्नौ प्रक्षिप्तं चिटचिटापदिन्द्रधनुर्वर्णं वा विषयुक्तं विद्यात् । दग्धस्य हृदयमदग्धं दृष्ट्वा वा ।

१. जिसका शरीर जगह-जगह फट गया हो उसको समझना चाहिए कि मकान से गिरा कर मारा गया है ।
२. जिसके हाथ, पैर, नाखून काले पड़ गये हों, मांस, रोयें तथा खाल ढीले पड़ गये हों और मुख से झाग निकलता हो तो समझना चाहिए कि उसको जहर दे कर मारा गया है ।
३. यदि यही हालत हो और किसी कटे हुए स्थान से खून निकल रहा हो तो समझना चाहिए कि उसे साँप से या किसी जहरीले कीड़े से कटवा कर मारा गया है ।
४. जिसका शरीर एवं जिसके वस्त्र अस्तव्यस्त हों और जिसको कै दस्त हुए हों तो समझना चाहिए कि उसे धतूरा या ऐसी ही उन्मादक वस्तुओं को खिलाकर मारा गया है ।
५. इन उक्त कारणों में से किसी एक कारण से मरे हुए व्यक्ति की परीक्षा की जाय; अथवा कोई व्यक्ति किसी हत्या या फाँसी के भय से स्वयं ही फाँसी लगाकर या आत्महत्या करके मर सकता है, इसकी भी परीक्षा की जाय ।
६. विष से मरे हुए व्यक्ति के पेट से अन्न निकाल कर उसकी रसायनिक क्रिया से परीक्षा की जाय । यदि पेट में अन्न न हो तो उसके हृदय का एक अंश काटकर भाग में छोड़ा जाय; यदि उसमें 'चिट-चिट' की आवाज निकले या इंद्र धनुष के समान लाल-पीला धुआँ निकले तो उसे विष

१. तस्य परिचारकजनं वा वाग्दण्डपारुष्यातिलब्धं मार्गेत ।
दुःखोपहतमन्यप्रसक्तं वा स्त्रीजनं, दायनिवृत्तिस्त्रीजनाभि-
मन्तारं वा बन्धुम् । तदेव हतोद्भद्रस्य च परीक्षेत ।
२. स्वयमुद्भद्रस्य वा विप्रकारमयुक्तं मार्गेत ।
३. सर्वेषां वा स्त्रीदायाद्यदोषः कर्मस्पर्धा प्रतिपक्षद्वेषः पण्यसंस्था
समवायो वा विवादपदानामन्यतमं वा रोषस्थानम् । रोष-
निमित्तो घातः ।
४. स्वयमादिष्टपुरुषैर्वा चोरैरर्थनिमित्तं सादृश्यादन्यवैरिभिर्वा
हतस्य घातमासन्नेभ्यः परीक्षेत । येनाहृतः सहस्थितः प्रस्थितो
हतभूमिमानीतो वा तमनुयुञ्जीत । ये चास्य हतभूमावासन्न-

द्वारा मारा गया समझना चाहिए । अथवा जलाये हुए व्यक्ति के अङ्गुल, हृदय को देख कर परीक्षा करनी चाहिए ।

१. अथवा मृतक व्यक्ति के उन नौकर-चाकरों से विष देने वाले का पता लगाया जाय, जिन्हें वाक्पारुष्य और दण्डपारुष्य से तङ्ग किया गया हो । दुःखित तथा पर पुरुष गामिनी स्त्री से; मृतक की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने वाले व्यक्तियों से; और जो व्यक्ति मृतक की विधवा स्त्री को अपनी स्त्री बनाने की इच्छा रखते हों, उनसे मृतक व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की जाये । इसी प्रकार किसी की हत्या करने के वाद भात्महत्या कर देने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी पूछ-ताछ की जाय ।
२. स्वयं ही फौसी लगाकर भात्महत्या कर देने वाले व्यक्ति के कष्टों और भात्महत्या के कारणों का पता लगाया जाय ।
३. सामान्यतया हत्या और भात्महत्या का कारण क्रोध है; और क्रोध के भी स्त्री, दायभाग, राजकुलों में हुक्मत के लिए संघर्ष, शत्रुता, व्यापार में पारस्परिक हानि की इच्छा और संघ सम्बन्धी विवाद, आदि अनेक कारण हैं । क्रोध के बढ़ जाने पर ही हत्याएँ और भात्महत्याएँ होती हैं ।
४. जिसने भात्मघात किया हो या जिसको नौकरों से मरवाया गया हो, या जिसको लुटेरों ने धन के लोभ से मारा हो, या किसी व्यक्ति ने रूप-रङ्ग की एकता जानकर अपना शत्रु होने के बोरे में मारा हो; इस प्रकार की

चरास्तानेकैकशः पृच्छेत्-केनायमिदानीतो हतो वा, कः
सशस्त्रः सङ्ग्रहमान उद्विग्नो वा युष्माभिर्दृष्ट इति । ते यथा
ब्रूयुस्तथानुयुञ्जीत ।

१. अनाथस्य शरीरस्थमुपभोगं परिच्छदम् ।
वस्त्रं वेषं विभूषां वा दृष्ट्वा तद्व्यवहारिणः ॥
अनुयुञ्जीत संयोगं निवासं वासकारणम् ।
कर्म च व्यवहारं च ततो मार्गणमाचरेत् ॥
२. रज्जुशस्त्रविषैर्वापि कामक्रोधवशेन यः ।
घातयेत्स्वयमात्मानं स्त्री वा पापेन मोहिता ॥
रज्जुना राजमार्गं तां चण्डालेनापकर्षयेत् ।
न श्मशानविधिस्तेषां न सम्बन्धिक्रियास्तथा ॥

हत्याओं के सम्बन्ध में मृतक के पड़ोसियों से पूछ-ताछ की जाय । जिसने उसको बुलाया हो, जिसके साथ ठहरा हो, जिसके साथ वह वधस्थान तक गया हो और जो मृत्युस्थान पर इधर-उधर घूमते हों, उन सबसे भी पूछ-ताछ की जाय । उनमें से एक-एक को पूछा जाय 'इस व्यक्ति को यहाँ कौन लाया है ? किसने इसको मारा है ? तुम लोगों ने किसी हथियार बंद आदमी को लुक-छिप कर, भयभीत, इधर-उधर जाते-आते हुए तो नहीं देखा है ?' इस पर वे जैसा कहें तदनुसार मामले को आगे बढ़ाया जाय ।

१. मृतक के कपड़े, छाता, जूता, माला, वेश (गृहस्थ या संन्यासी) और आभूषण आदि को भलीभाँति देखकर उन वस्तुओं के व्यापारियों से यह पता लगाया जाय कि 'उस व्यक्ति का मेल-जोल किस-किस से था; किसके साथ वह कारोबार करता था; उसका वर्तन-व्यवहार कैसा था इत्यादि; इन सब बातों का ठीक-ठीक पता लग जाने के बाद हत्यारे की खोजकी जाय ।
२. जो व्यक्ति काम या क्रोध के वशीभूत होकर, फाँसी लगाकर या भस्म द्वारा आत्महत्या करे और इसी प्रकार जो स्त्री दुराचार के कारण आत्महत्या करे; चाँडाल उनकी लाशें रस्सी से बाँधकर बाजार में घसीटता हुआ ले जाय । ऐसे व्यक्तियों के लिए दाहादि संस्कार एवं तिलांजलि आदि संस्कार वर्जित हैं ।

चौथा अधिकरण : प्रकरण ८२, अध्याय ७

१. बन्धुस्तेषां तु यः कुर्यात्प्रेतकार्यक्रियाविधिम् ।
तद्गतिं स चरेत्पश्चात्स्वजनाद्वा प्रमुच्यते ॥
२. संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन् ।
याजनाध्यापनाद्यौनात्तैश्चान्योऽपि समाचरन् ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाऽधिकरणे आशुमृतकपरीक्षा नाम सप्तमोऽध्यायः
आदितश्चतुरशीतितमः ।



-
१. ऐसे व्यक्तियों का जो कोई भी भाई-बन्धु उनका दाहादि संस्कार करता है, मरने के बाद उसको भी वही गति प्राप्त होती है और जीवितावस्था में उसे जातिच्युत कर दिया जाता है ।
 २. पतित पुरुषों के साथ जो भी व्यक्ति भजन, अध्ययन और विवाह आदि करता है वह भी एक वर्ष के भीतर पतित हो जाता है; और फिर उसके साथ व्यवहार करने वाले लोग भी एक वर्ष में पतित हो जाते हैं ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त ।



वाक्यकर्मानुयोगः

१. मुषितसन्निधौ बाह्यानामाभ्यन्तराणां च साक्षिणमभिश्स्तस्य देशजातिगोत्रनामकर्मसारसहायनिवासाननुयुञ्जीत । तांश्चाप-देशैः प्रतिसमानयेत् । ततः पूर्वस्याहः प्रचारं रात्रौ निवासं च आग्रहणादिति अनुयुञ्जीत । तस्यापचारप्रतिसन्धाने शुद्धः स्यात् । अन्यथा कर्मप्राप्तः ।
२. त्रिरात्रादूर्ध्वमग्राह्यः शङ्कितकः पृच्छाभावादन्यत्रोपकरण-दर्शनात् ।
३. अचोरं 'चोर' इत्यभिव्याहरतश्चोरसमो दण्डः, चोरं प्रच्छाद-यतश्च ।

जाँच और यातना के द्वारा चोरी को अंगीकार कराना

१. जिसकी चोरी हुई हो उसके सामने और बाहर-भीतर के दूसरे लोगों के सामने गवाह से, चोरी के संदेह में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का देश, जाति, गोत्र, नाम, काम, संपत्ति, मित्र और निवासस्थान के संबंध में पूछा जाय । तदनन्तर जिरह (उपदेश) में उसके बयानों की आलोचना की जाय । गवाह के बयानों की आलोचना हो जाने के बाद गिरफ्तार हुए व्यक्तियों से उनका पिछला कार्य, रात का निवास और जिस समय वह पकड़ा गया है उस समय तक के सब कार्यों के संबंध में पूछ-ताछ की जाय । यदि वह निर्दोष साबित हो जाय तो उसको बरी कर दिया जाय, अन्यथा उसको सजा दी जाय ।
२. चोरी के तीन दिन बाद संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाय; क्योंकि इतने दिन बीत जाने के कारण उससे सही बातें मालूम नहीं हो सकती हैं । किन्तु किसी के पास यदि चोरी के सबूत मिल जाँय तो उसे तीन दिन के बाद भी गिरफ्तार किया जाय ।
३. जो व्यक्ति साधु पुरुष को (चोर) बताये उसे चोरी का दण्ड दिया

१. चोरेणाभिश्स्तो वैरद्वेषाभ्यामपदिष्टकः शुद्धः स्यात् । शुद्धं परिवासयतः पूर्वः साहसदण्डः ।
२. शङ्कानिष्पन्नमुपकरणमन्त्रिसहायरूपवैयापृत्यकरान् निष्पादयेत् । कर्मणश्च प्रवेशद्रव्यादानांशविभागैः प्रतिसमानयेत् ।
३. एतेषां कारणानामनभिसन्धाने विप्रलपन्तमचोरं विद्यात् । दृश्यते ह्यचोरोऽपि चोरमार्गे यदृच्छया सन्निपाते चोरवेषशस्त्रभाण्ड-सामान्येन गृह्यमाणो दृष्टश्चोरभाण्डस्योपवासेन वा यथा हि माण्डव्यः कर्मक्लेशभयादचोरः 'चोरोऽस्मि' इति ब्रुवाणः । तस्मात्समाप्तकरणं नियमयेत् ।

जाय; और यही दण्ड उसे भी दिया जाय जो चोर को छिपाने का यत्न करे ।

१. यदि चोर व्यक्ति दुश्मनाई के कारण किसी सज्जन पुरुष को पकड़वाये और यह बात सिद्ध हो जाय तो उसे अपराधी न समझा जाय । जो अधिकारी (प्रदेश) निरपराध को दण्ड दे उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।
२. संदेह में गिरफ्तार हुए व्यक्ति से चोरी करने के उपाय, उसके सलाहकार, सहायक वस्तुएँ, चोरी का माल और उसकी मजदूरी के संबंध में विस्तार से पूछ-ताछ की जाय । उससे यह भी पूछा जाय कि चोरी करते समय मकान के भीतर कौन-कौन गया था, क्या-क्या माल हाथ लगा और किस-किस को कितना-कितना हिस्सा मिला ?
३. जो व्यक्ति चोरी सिद्ध करने वाले उक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में तो कुछ न कहे; बल्कि डर के मारे अट-संट बके तो, उसको चोर न समझा जाय । क्योंकि व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि चोर न होते हुए भी, चोरों के रास्ते से जाता हुआ, चोर के समान शकल, हथियार और माल लिए हुए राहगीर को भी चोर समझ कर गिरफ्तार कर लिया जाता है; इसी प्रकार चोरी के माल के पास खड़ा निर्दोष व्यक्ति भी गिरफ्तार होते लोक में देखा गया है । उदाहरण के लिए माण्डव्य चोर न होते हुए भी मार के भय से 'मैं चोर हूँ' यह कहते हुए पकड़ा गया था । इसलिये

१. मन्दापराधं बालं वृद्धं व्याधितं मत्तमुन्मत्तं क्षुत्पिपासाध्व-
कलान्तमत्याशितमामकाशितं दुर्बलं वा न कर्म कारयेत् ।
२. तुल्यशीलपुंश्वलीप्रावादिककथावकाशभोजनदातृभिरपसर्पयेत् ।
एवमतिसन्दध्यात् । यथा वा निक्षेपापहारे व्याख्यातम् ।
३. आप्तदोषं कर्म कारयेत् । न त्वेव स्त्रियं गर्भिणीं सूतिकां वा
मासावरप्रजाताम् । स्त्रियास्त्वर्धकर्म । वाक्यानुयोगो वा ।
४. ब्राह्मणस्य सत्रिपरिग्रहः श्रुतवतस्तपस्विनश्च । तस्यातिक्रम-
उत्तमो दण्डः कर्तुः कारयितुश्च कर्मणा व्यापादनेन च ।
५. व्यावहारिकं कर्मचतुष्कम्— षड् दण्डाः, सप्त कशाः, द्वावु-
परि निबन्धौ, उदकनालिका च ।

इस प्रकार के मामलों में खूब सोच-विचार करके ही अपराधी को दण्ड देना चाहिए ।

१. छोटे अपराधी, बालक, बूढ़ा, बीमार, पागल, उन्मादी, भूखा, प्यासा, थका, अति भोजन किए, अजीर्ण, रोगी और निर्बल आदि व्यक्तियों को कोड़े आदि मारकर शारीरिक दण्ड न दिया जाय ।
२. समान स्वभाव वाली वेश्याओं, दूतियों, कस्थकों, सरायों और होटलों आदि के द्वारा छिपे तौर पर बुरा कर्म करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाय । पहिले कही गई युक्तियों से उन्हें धोखा दिया जाय; अथवा निक्षेप चुराने के संबन्ध में जो उपाय बताये गये हैं उन्हीं को काम में लाया जाय ।
३. जिसका अपराध साबित हो उसी को दण्ड दिया जाय; किन्तु गर्भिणी और एक महीने से कम प्रसूता स्त्री को हर्गिज दण्ड न दिया जाय । पूर्वोक्त अपराधों में जो दण्ड पुरुषों के लिए कहे गए हैं उनका आधा दण्ड स्त्रियों को दिये जाँय; अथवा उनको केवल वारदण्ड (वाणी से ताडना) ही दिया जाय ।
४. ब्राह्मण, वेदज्ञ और तपस्वी को इतना मात्र दण्ड दिया जाय कि सिपाही उनको इधर-उधर दौड़ा-फिरा दे । जो लोग इन नियमों का उल्लङ्घन करें या कराये तथा अपराधी से काम करायें या उसको मारें, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।
५. लोक व्यवहार में चार प्रकार के दंड प्रसिद्ध हैं: (१) छह डंडे मारना,

चौथा अधिकरण : प्रकरण ८३, अध्याय ८

१. परं पापकर्मणां नववेत्रलताद्वादशकं, द्वावूरुवेष्यौ, विंशतिर्नक्तमाललताः, द्वात्रिंशत्तलाः, द्वौ वृश्चिकबन्धौ, उल्लम्बने च द्वे, सूचीहस्तस्य, यवागूपीतस्याप्रस्रावः, एकपर्वदहनमंगुल्याः, स्नेहपीतस्य प्रतापनमेकमहः, शिशिररात्रौ बल्वजाग्रशय्या चेत्यष्टादशकं कर्म ।
२. तस्योपकरणं प्रमाणं प्रहरणं प्रधारणमवधारणं च खरपट्टादागमयेत् ।
३. दिवसान्तरमेकैकं कर्म कारयेत् ।
४. पूर्वकृतापदानं, प्रतिज्ञायापहरन्तम्, एकदेशदण्डद्रव्यम्,

(२) सात कोड़े मारना, (३) हाथ-पैर बाँधकर उलटा लटका देना और (४) नाक में नमक का पानी डालना ।

१. इनके अतिरिक्त पापाचारी पुरुषों के लिए इतने दण्ड और हैं : नौ हाथ लम्बी बेंत से बारह बेंत लगाना; दोनों टाँगों को बाँधकर करज की छड़ी से बीस छड़ी मारना; बत्तीस थप्पड़ मारना; बायें हाथ को पीछे दायें पैर से और दायें हाथ को पीछे दायें पैर से बाँधना; दोनों हाथ आपस में बाँधकर लटका देना; दोनों पैर आपस में बाँधकर लटका देना; हाथ के नाखून में सूई चुभाना; लस्सी पिलाकर पेशाव न करने देना; अंगुली की एक पोर जला देना; घी पिलाकर पूरे दिन अग्नि या धूप में बैठाना; जाड़ों की रात में भीगी हुई खाट पर सुलाना; इस प्रकार कुल मिलाकर ये जठारह प्रकार के (४ + १४) दण्ड हुए ।
२. इस प्रकार के दण्डकर्म के लिए रस्सी, डंढे, कोड़े आदि की लम्बाई, दण्डनीय व्यक्ति को खड़ा आदि करने का तरीका, और शरीर आदि के अनुकूल दण्ड-व्यवस्था आदि के संबंध में आचार्य खरपट्ट के दण्डशास्त्र-विषयक ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिए ।
३. कठिन शारीरिक श्रम के कार्यों को एक-एक दिन का अन्तर देकर कराया जाय ।
४. जो लोग सूचना देकर चोरी करें, प्रण करें, किसी की वस्तु को छीनें, चोरी हुई वस्तु के टुकड़े-टुकड़े करके उसे काम में लाये, चोरी करते या

कर्मणा रूपेण वा गृहीतम्, राजकोशमवस्तृणन्तम्, कर्मवध्यं
वा राजवचनात्समस्तं व्यस्तमभ्यस्तं वा कर्म कारयेत् ।

१. सर्वापराधेष्वपीडनीयो ब्राह्मणः । तस्याभिशस्ताङ्को ललाटे
स्याद्व्यवहारपतनाय । स्तेये श्वा, मनुष्यवधे कबन्धः, गुरुतल्पे
भगम्, सुरापाने मद्यध्वजः ।

२. ब्राह्मणं पापकर्माणमुद्घुष्याङ्ककृतव्रणम् ।
कुर्यान्निर्विषयं राजा वासयेदाकरेषु वा ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाऽधिकरणे वाक्यकर्मानुयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः

आदितः पञ्चाशीतितमः ।




माल ले जाते पकड़े जाँय, खजाना उड़ा कर ले जाँय, और जो हत्या आदि
महा अपराध करे, उन सबको राजा के आज्ञानुसार एक साथ, भलग-भलग
या बारी-बारी आजीवन कठिन श्रम का दण्ड दिया जाय ।

१. ब्राह्मण को किसी अपराध में मृत्युदण्ड था ताडनदण्ड न दिया जाय, बल्कि
जैसे-जैसे वह अपराध करे वैसे-वैसे निशान उसके मस्तक पर दाग दिए
जाँय, जिससे कि वह पतितों की कोटि में रखा जा सके । चोरी करे तो
कुत्ते का निशान; मनुष्यों की हत्या करे तो मनुष्य के धड़ का निशान;
गुरु पत्नी के साथ संभोग करे तो योनि का चिह्न; शराब पीये तो प्याले
का चिह्न; उस ब्राह्मण के मस्तक पर कर दिया जाय ।

२. पापी ब्राह्मण के माथे पर ये चिह्न दाग कर समग्र जनता में इस बात की
घोषणा की जाय; राजा उसे देश-निर्वासित कर दे; या तो उसे खानों में
रहने की आज्ञा दी जाय ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त ।



सर्वाधिकाररक्षराम्

१. समाहर्तृप्रदेशारः पूर्वमध्यक्षाणामध्यक्षपुरुषाणां च नियमनं कुर्युः ।
२. खनिसारकर्मान्तेभ्यः सारं रत्नं वापहस्तः शुद्धवधः ।
३. फल्गुद्रव्यकर्मान्तेभ्यः फल्गुद्रव्यमुपस्करं वा पूर्वः साहसदण्डः ।
४. पण्यभूमिभ्यो राजपण्यं माषमूल्यादूर्ध्वमा पादमूल्यादित्यपहरतो द्वादशपणो दण्डः । आ द्विपादमूल्यादिति चतुर्विंशतिपणः । आ त्रिपादमूल्यादिति षट्त्रिंशत्पणः । आ पणमूल्यादित्यष्ट-चत्वारिंशत्पणः । आ द्विपणमूल्यादिति पूर्वः साहसदण्डः । आ चतुष्पणमूल्यादिति मध्यमः । आ अष्टपणमूल्यादित्युत्तमः । आ दशपणमूल्यादिति वधः ।

सरकारी विभागों और छोटे-बड़े कर्मचारियों की निगरानी

१. समाहर्ता और प्रदेशा अधिकारियों को चाहिए कि पहिले वे विभागीय अभ्यर्त्तों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर निगरानी रखें ।
२. जो व्यक्ति खानों या कारखानों से हीरे-जवाहरात आदि बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करें उन्हें प्राणदण्ड दिया जाय ।
३. जो व्यक्ति सूत या लकड़ी के कारखानों से सारहीन वस्तुओं की चोरी करें उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।
४. जो व्यक्ति राजकीय खेतों से एक माप से चार माप कीमत की जीरा, भजवायन आदि वस्तुओं को चुराये, उस पर बारह पण दण्ड किया जाय, और जो आठ माप कीमत तक की वस्तुओं को चुराये उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय । इसी प्रकार बारह माप तक की वस्तु चुराने पर छत्तीस पण और सोलह माप तक की चुराने पर अठतालीस पण दण्ड किया जाय । यदि दो पण मूल्य तक की चुराये तो प्रथम साहस; चार पण मूल्य तक की

१. कोष्ठपण्यकुप्यायुधागारेभ्यः कुप्यभाण्डोपस्करापहारेष्वर्धमूल्ये-
ष्वेत एव दण्डाः ।
२. कोशभाण्डागाराक्षशालाभ्यश्चतुर्भागमूल्येष्वेत एव द्विगुणा
दण्डाः ।
३. चोराणामभिप्रधर्षणे चित्रो घातः । इति राजपरिग्रहेषु
व्याख्यातम् ।
४. बाह्येषु तु प्रच्छन्नमहनि क्षेत्रखलवेशमापणेभ्यः कुप्यभाण्डमुप-
स्करं वा माषमूल्यादूर्ध्वमापादमूल्यादित्यपहरतस्त्रिपणो दण्डः ।
गोमयप्रदेहेन वा प्रलिप्यावघोषणम् । आ द्विपादमूल्यादिति
षट्पणः, गोमयभस्मना वा प्रलिप्यावघोषणम् । आ त्रिपाद-

चुराये तो मध्यम साहसः आठ पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और दस पण मूल्य तक की चुराये तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय ।

१. जो व्यक्ति गोदाम से, दूकान से, कारखाने से या शस्त्रागार से आध माष कीमत से लेकर दो माष कीमत तक की धातुओं, उनसे बनी वस्तुओं और छीजन आदि की चोरी करे उस पर भी बारह पण दण्ड किया जाय ।
२. जो व्यक्ति कोष, भांडागार और अक्षशाला से एक काकणी से लेकर एक माष मूल्य तक की वस्तुओं को चुराये उस पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।
३. जो कर्मचारी स्वयं चोरी कर चोरों का बहाना बताये उन्हें कष्टकर प्राण-दण्ड दिया जाय । इस दण्ड के सम्बन्ध में आगे राजपरिग्रह नामक प्रकरण में विस्तार से कहा जायगा ।
४. राजकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति यदि खेतों, खलिहानों, घरों और दूकानों से एक माष से चार माष मूल्य तक की वस्तुओं की दिन में चोरी करे तो उस पर तीन पण दण्ड किया जाय या उसकी देह पर गोबर लीपकर उसे सारे शहर में घुमाया जाय । आठ माष कीमत तक की वस्तुओं को चुराने पर छह पण दण्ड दिया जाय, अथवा गोबर की राख से उसका शरीर काला करके उसे शहर भर में घुमाया जाय । बारह माष मूल्य की वस्तुओं की चोरी करने पर नौ पण दण्ड किया जाय; या उपले की राख से उसका शरीर काला करके उसे शहर में घुमाया जाय, अथवा सकोरों की माला

मूल्यादिति नवपणः, गोमयभस्मना वा प्रलिप्यावधोपणं, शरावमेखलया वा । आ पणमूल्यादिति द्वादशपणः, मुण्डनं प्रत्राजनं वा । आ द्विपणमूल्यादिति चतुर्विंशतिपणः, मुण्डस्येष्ट-काशकलेन प्रत्राजनं वा । आचतुष्पणमूल्यादिति षट्त्रिंश-त्पणः । आ पञ्चपणमूल्यादिति अष्टचत्वारिंशत्पणः । आ दश-पणमूल्यादिति पूर्वः साहसदण्डः । आ विंशतिपणमूल्यादिति द्विशतः । आत्रिंशत्पणमूल्यादिति पञ्चशतः । आ चत्वारिंश-त्पणमूल्यादिति साहस्रः । आ पञ्चाशत्पणमूल्यादिति वधः ।

१. प्रसह्य दिवा रात्रौ वान्तर्यामिकमपहरतोऽर्धमूल्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डाः । प्रसह्य दिवा रात्रौ वा सशस्त्रस्यापहरतश्चतुर्भा-गमूल्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डाः ।

उसकी कमर या गले में डाल कर उसे शहर में घुमाया जाय । सोलह माप मूल्य की वस्तु की चोरी करने पर चौर को बारह पण दण्ड दिया जाय; या उसका शिर मुड़वा कर उसे देश-निकाला दिया जाय । बत्तीस माप की वस्तु चुराने वाले को चौबीस पण दण्ड दिया जाय; अथवा शिर मुड़ाकर पथर मारते हुए उसको देश से बाहर खदेड़ा जाय । दो पण (३२ माप) कीमती वस्तु चुराने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय, अथवा पहिले की तरह उसको देश से बाहर खदेड़ा जाय । चार पण कीमती वस्तु को चुराने वाले पर छत्तीस पण दण्ड किया जाय । पाँच पण कीमती वस्तु के लिए अठतालीस पण दण्ड; दस पण कीमती वस्तु के लिए प्रथम साहस दण्ड; बीस पण कीमती वस्तुके लिये दो सौ पण दण्ड; तीस पण तक की वस्तु के लिए पाँच सौ पण दण्ड; चालीस पण तक की वस्तु के लिए एक हजार पण दण्ड; और पचास पण मूल्य की वस्तु चुराने वाले को प्राणदण्ड की सजा दी जाय ।

१. किसी रक्षित वस्तु पर दिन या रात में जबरदस्ती डाका डालने पर-आधा माप से दो माप तक की वस्तु के लिए छह पण दण्ड दिया जाय । यदि चौर हाथियारबन्द हो तो ३ माप मूल्य की वस्तु पर ही छह पण दण्ड किया जाय ।

१. कुटुम्बिकाध्यक्षमुख्यस्वामिनां कूटशासनमुद्राकर्मसु पूर्वमध्य-
मोत्तमवधा दण्डाः, यथापराधं वा ।
२. धर्मस्थश्चेद्विदमानं पुरुषं तर्जयति, भर्त्सयत्यपसारयति, अभि-
ग्रसते वा, पूर्वमस्मै साहसदण्डं कुर्यात् । वाक्पारुष्ये द्विगुणम् ।
३. पृच्छयं न पृच्छति, अपृच्छयं पृच्छति, पृष्ट्वा वा विसृजति, शिक्ष-
यति, स्मारयति पूर्वं ददाति वेति, मध्यममस्मै साहसदण्डं
दुर्यात् । देयं देशं न पृच्छति, अदेयं देशं पृच्छांतं, कार्यम-
देशेनातिवाहयति, छलेनातिहरति, कालहरणेन भ्रान्तमपवाह-
यति, मार्गापन्नं वाक्यमुत्क्रमयति, मतिसाहाय्यं साक्षिभ्यो

१. यदि जन-साधारण जाली दस्तावेज या जाली नोट अथवा जाली मुद्रापुं बनार्ये तो उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय; यदि सुवर्णाध्यक्ष आदि ऐसा कार्य करें तो उन्हें मध्यम साहस दण्ड; यदि गाँव का मुखिया करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड और यदि समाहर्ता ही कर बैठे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय; अथवा अपराध के अनुसार यथोचित दण्ड निर्धारित किया जाय ।
२. यदि न्यायाधीश (धर्मस्थ) अदालत में किसी अभियोक्ता या अभियुक्त को डराये, धमकाये या घुड़के या बाहर निकाल दे, या उससे रिश्वत ले तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । यदि न्यायाधीश गाली दे तो इससे दुगुना दण्ड दिया जाय ।
३. यदि न्यायाधीश, साक्षी से पूछने योग्य बातों को न पूछकर न पूछो जाने योग्य बातों को पूछे, या बिना ही उत्तर पाये बात को छोड़ दे, या गवाह को सिखाये, या याद दिलाये, या उसकी अधूरी बात को स्वयं ही पूरी कर दे; तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय । यदि किसी विचारणीय वस्तु के संबंध में उपयोगी बातों को न पूछ कर अनुपयोगी बातें पूछे, यदि बिना गवाह के किसी मामले का निर्णय दे दे, यदि सब्जे साक्षी को कपट की बातों में डालकर झूठा बना दे, यदि व्यर्थ की बातों में साक्षी को उलझाये रखने के बाद छोड़ दे, यदि साक्षी के कथन के क्रम को उलट-पुलट कर लिखे, यदि बीच-बीच में साक्षियों की सहायता करे, यदि निर्णीत मामले को

- ददाति, तारितानुशिष्टं कार्यं पुनरपि गृह्णाति, उत्तममस्मै साहसदण्डं कुर्यात् । पुनरपराधे द्विगुणं, स्थानाद्वचरोपणं च ।
१. लेखकश्चेदुक्तं न लिखति अनुक्तं लिखति, दुरुक्तमुपलिखति, सूक्तमुल्लिखति, अर्थोत्पत्तिं वा विकल्पयतीति पूर्वमस्मै साहसदण्डं कुर्यात् । यथापराधं वा ।
 २. धर्मस्थः प्रदेष्टा वा हैरण्यमदण्ड्यं क्षिपति, क्षेपद्विगुणमस्मै दण्डं दद्यात् । हीनातिरिक्ताष्टगुणं वा । शारीरदण्डं क्षिपति, शारीरमेव दण्डं भजेत । निष्क्रयद्विगुणं वा । यं वा भूतमर्थं नाशयत्यभूतमर्थं करोति, तदष्टगुणं दण्डं दद्यात् ।
 ३. धर्मस्थीयाच्चारकान्निःसारयतो बन्धनागाराच्छय्यासनभोजनोच्चारसञ्चारं रोधबन्धनेषु त्रिपणोत्तरा दण्डाः कर्तुः कारयितुश्च ।

फिर से जिरह में रखे; ऐसे न्यायाधीश को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । दुबारा भी वह यही अपराध करे तो इससे दुगुना दण्ड दिया जाय और उसको पदच्युत किया जाय ।

१. मुहरिर (लेखक) यदि बयानों को सही-सही न लिखे, न कही हुई बात को लिखे, झुरी बात को अच्छी तथा अच्छी बात को झुरी तरह लिखे, या बात के अभिप्राय को ही बदल कर लिखे; उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय या अपराध के अनुसार उसको यथोचित दण्ड दिया जाय ।
२. धर्मस्थ या प्रदेष्टा यदि किसी निरपराधी को सुवर्ण दण्ड दें तो उन पर उससे दुगुना दण्ड किया जाय । यदि वे दण्ड में कमी-वेशी करें तो उनसे उसका आठ गुना दण्ड वसूल किया जाय । यदि वे किसी निरपराधी को शारीरिक दण्ड दें तो उनको उससे दुगुना शारीरिक दण्ड दिया जाय । यदि वे शारीरिक दण्ड की जगह अर्धदण्ड करें तो उनसे उसका दुगुना अर्धदण्ड वसूल किया जाय । न्यायोचित धन को नष्ट करने और अन्यायपूर्ण धन का संग्रह करने वाले धर्मस्थ या प्रदेष्टा को उस धनराशि का आठगुना दण्ड दिया जाय ।
३. न्यायाधीश द्वारा हवालात में बंद कैदी को यदि कोई जेल का कर्मचारी घूस लेकर घूमने, फिरने, पानी पीने, सोने, बैठने, खाने-पीने और मह-मूत्र

१. चारकादभियुक्तं मुञ्चतो निष्पातयतो वा मध्यमः साहसदण्डः, अभियोगदानं च । बन्धनागारात्सर्वस्वं बधश्च ।
२. बन्धनागाराध्यक्षस्य संरुद्धकमनाख्याय चारयतश्चतुर्विंशति-पणो दण्डः । कर्मकारयतो द्विगुणः । स्थानान्यत्वं गमयतोऽ-न्नपानं वा रुन्धतः षण्णवतिदण्डः । परिक्लेशयत उत्कोचयतो वा मध्यमः साहसदण्डः । धनतः साहस्रः ।
३. परिगृहीतां दासीमाहितिकां वा संरुद्धिकामधिचरतः पूर्वः साहसदण्डः । चोरडामरिकभार्या मध्यमः । संरुद्धिकामार्या-मुत्तमः । संरुद्धस्य वा तत्रैव घातः । तदेवाध्यक्षेण गृहीता-यामार्यायां विद्यात् । दास्यां पूर्वः साहसदण्डः ।

त्यागने की स्वतंत्रता दे या दिलावे तो उसपर उत्तरोत्तर तीन पण अधिक दण्ड किया जाय ।

१. यदि कोई राजपुरुष किसी अपराधी को हवालात से छोड़ दे या उसको प्रेरित करे, उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय और साथ ही अपराधी को जितना देना था उसका भुगतान भी उसी राजपुरुष से किया जाय । यदि कोई प्रदेष्टा ऐसा करे तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जाय और उसको प्राणदण्ड दिया जाय ।
२. जेलर की आज्ञा के बिना यदि कैदी बाहर घूमे तो उस पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय और ऐसा कराने वाले व्यक्ति पर अठतालीस पण दण्ड किया जाय । यदि कोई जेल का कर्मचारी कैदी की जगह बदले, उसके खाने-पीने में बाधा डाले, उस पर छियानवे पण दण्ड; जो किसी कैदी को कोड़े मारे या रिश्वत दिलावे, उसको मध्यम साहस दण्ड; और जो कोई कैदी का बध कर डाले उस पर एक हजार पण दण्ड किया जाय ।
३. खरीदी हुई या गिरवी रखी दासी यदि किसी कारण हवालात में बंद कर दी जाय और तब यदि कोई राजपुरुष उसके साथ व्यवहार करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । चोर और अकस्मात् विनष्ट पुरुष (डामरिक) की पत्नी के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करने वाले राजपुरुष को मध्यम साहस दण्ड, और कैद में बंद किसी आर्या स्त्री के साथ ऐसा करने पर उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । यदि कोई कैदी ही ऐसा करे तो

चौथा अधिकरण : प्रकरण ८४, अध्याय ६

१. चारकमभित्त्वा निष्पातयतो मध्यमः । भित्त्वा वधः । बन्धना-
गारात्सर्वस्वं वधश्च ।

२. एवमर्थचरान् पूर्वं राजा दण्डेन शोधयेत् ।
शोधयेयुश्च शुद्धास्ते पौरजानपदान् दमैः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाऽधिकरणे सर्वाधिकरणरक्षणं नाम नवमोऽध्यायः
आदितः षडशीतितमः ।



उसे प्राणदण्ड दिया जाय । सुवर्णाध्यक्ष यदि किसी कुलीन स्त्री के साथ
दुराचार करे तो उसे भी प्राणदण्ड दिया जाय । दासी के साथ ऐसा करने
पर प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।

१. यदि जेलखाने को बिना तोड़े ही कोई कैदी को बाहर निकाल दे तो उसे
मध्यम साहस दण्ड; यदि तोड़कर निकाले तो प्राणदण्ड दिया जाय । यदि
प्रदेष्टा ऐसा करे तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर उसे प्राणदण्ड की
सजा दी जाय ।

२. इस प्रकार राजा को चाहिए कि पहिले वह अपने कर्मचारियों को दण्ड
से शुद्ध करे । फिर वे विशुद्ध हुए राजकर्मचारी दण्ड-व्यवस्था के द्वारा नगर
तथा प्रदेश की जनता को सही रास्ते पर लायें ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में नवौं अध्याय समाप्त ।



एकान्वयानिष्क्रयः

१. तीर्थघातग्रन्थिभेदोर्ध्वकराणां प्रथमेऽपराधे सन्दंशच्छेदनं चतुष्पञ्चाशत्पणो वा दण्डः । द्वितीये छेदनं पणस्य शत्यो वा दण्डः । तृतीये दक्षिणहस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः । चतुर्थे यथाकामी वधः ।
२. पञ्चविंशतिपणावरेषु कुक्कुटनकुलमार्जारश्वसूकरस्तेयेषु हिंसायां वा चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः, नासाग्रच्छेदनं वा । चण्डाला-रण्यचरणामर्धदण्डाः ।
३. पाशजालकूटात्रपातेषु बद्धानां मृगपशुपक्षिव्यालमत्स्यानामादाने तच्च तावच्च दण्डः ।

पकांग वध अथवा उसकी जगह द्रव्य दण्ड

१. तीर्थस्थानों में रहने वाले उठाईगीर (तीर्थघात), गिरहकट (ग्रन्थिभेद) और छत फोड़ने वाले (ऊर्ध्वकर) व्यक्तियों का अंगूठा तथा कनिष्ठिका उंगली कटवा दी जाँय; अथवा उन पर चौवन पण दण्ड किया जाय । दूसरी बार अपराध करने पर उनकी सब उंगलियाँ कटवा दी जाँय अथवा उन पर सौ-पण जुर्माना किया जाय । तीसरी बार यदि वे अपराध करें तो उनका दाहिना हाथ कटवा दिया जाय या उन पर चार-सौ पण दण्ड किया जाय । चौथी बार भी वे अपराध कर बैठें तो उन्हें प्राणदण्ड दिया जाय ।
२. यदि कोई व्यक्ति पच्चीस पण से कम कीमत के मुर्गे, नेवले, बिल्ली, कुत्ते और सुअर की चोरी करे या उन्हें मार डाले तो उस पर चौवन पण दण्ड किया जाय या उसकी नाक का अगला हिस्सा काट दिया जाय । यदि वे मुर्गे आदि किसी चाण्डाल के अथवा जगली हों तो उक्त दण्ड से आधा दण्ड दिया जाय ।
३. जो व्यक्ति फाँस कर, जाल बिछाकर, और घास-फूस से ढके गढों द्वारा संर-

चौथा अधिकरण : प्रकरण ८५, अध्याय १०

१. मृगद्रव्यवनान्मृगद्रव्यापहारे शतयो दण्डः । त्रिभ्रविहारमृग-
पक्षिस्तंये हिंसायां वा द्विगुणो दण्डः ।
२. कारुशिल्पिकुशीलवतपस्विनां क्षुद्रकद्रव्यापहारे शतयो दण्डः ।
स्थूलकद्रव्यापहारे द्विशतः । कृषिद्रव्यापहारे च ।
३. दुर्गमकृतप्रवेशस्य प्रविशतः प्राकारछिद्राद्वा निक्षेपं गृहीत्वाऽप-
सरतः कन्धरावधो द्विशतो वा दण्डः ।
४. चक्रयुक्तां नावं क्षुद्रपशुं वापहरत एकपादवधः त्रिशतो वा दण्डः ।
५. कूटकाकण्यक्षारलाशलाकाहस्तविषमकारिण एकहस्तवधः, चतुः
शतो वा दण्डः ।

क्षित राजकीय मृग तथा अन्य पशु, पक्षी, हिंसक जीव और मछली आदि पकड़े, उससे उनकी कीमत वसूली जाय और उतना ही उस पर जुरमाना किया जाय ।

१. जो व्यक्ति सुरक्षित जंगल के जानवरों तथा लकड़ी आदि की चोरी कर उस पर सौ पण जुरमाना किया जाय । रंग-विरंगी सुंदर चिड़ियाओं, पालतू हरिणों तथा तोतों को पकड़ने वाले या मारने वाले व्यक्ति पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय ।
२. जो व्यक्ति बड़हयों, छोटे कारीगरों, कत्थकों और तपस्वियों की छोटी-छोटी चीजों की चोरी करे उस पर सौ पण दण्ड किया जाय; और बड़ी-बड़ी चीजों की चोरी करे तो दो-सौ पण दण्ड किया जाय । खेती के साधन हल आदि चुराने वाले पर भी दो-सौ पण दण्ड किया जाय ।
३. यदि अनधिकारी व्यक्ति किले में प्रवेश करे अथवा परकोटे की दीवार तोड़ कर माल उड़ा ले जाय तो उसके पैर के पीछे की दो मुख्य नसें कटवा दी जाँय, या उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय ।
४. चक्रयुक्त (धन, शस्त्र या यंत्र युक्त) नाव को अथवा छोटे-छोटे पशुओं की चोरी करने वाले का एक पैर कटवा दिया जाय या उस पर तीन-सौ पण दण्ड दिया जाय ।
५. जो व्यक्ति जाली कौड़ी, पासे, अरला और शलाका आदि जुआ संबंधी सामान बनाये; तथा जो व्यक्ति इसी प्रकार की अन्य कूट-कपट की चीजें बनाये,

१. स्तेनपारदारिकयोः साचिव्यकर्मणि स्त्रियाःसंगृहीतायाश्च कर्ण-
नासालेदनं पञ्चशतो वा दण्डः । पुंसो द्विगुणः ।
२. महापशुमेकं दासं दासीं वापहरतः प्रेतभाण्डं वा विक्रीणानस्य
द्विपादवधः, षट्छतो वा दण्डः ।
३. वर्णोत्तमानां गुरूणां च हस्तपादलंघने राजयानवाहनाधारोहणे
चैकहस्तपादवधः सप्तशतो वा दण्डः ।
४. शूद्रस्य ब्राह्मणवादिनो देवद्रव्यमवस्तृणतो राजद्विष्टमादिशतो
द्विनेत्रभेदिनश्च योगाञ्जनेनान्धत्वमष्टशतो वा दण्डः ।
५. चोरं पारदारिकं वा मोक्षयतो राजशासनमूनमातेरिक्तं वा
लिखतः कन्यां दासीं वा सहिरण्यमपहरतः कूटव्यवहारिणो

उसका एक हाथ काट दिया जाय; या तो उस पर चार-सौ पण जु्रमाना किया जाय ।

१. चोरों और व्यभिचारियों की दूतियों के नाक, कान काट लिए जाँय या उन पर पाँच-सौ पण दण्ड दिया जाय । यदि पुरुष ऐसा दूतकर्म करें तो उन पर दुगुना (एक हजार पण) दण्ड दिया जाय ।
२. गाय, भैंस आदि पशुओं, एक दास, एक दासी को चुराने वाले अथवा मुर्दे के कपड़े बेचने वाले पुरुष के दोनों पैर काट लिए जाँय; या तो उस पर छह-सौ पण दण्ड दिया जाय ।
३. जो व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुषों या गुरुजनों को हाथ-पैर से मारे; या राजा की सवारी एवं घोड़े पर चढ़े उसका या तो एक हाथ और एक पैर काट दिया जाय; अथवा उस पर सात-सौ पण दण्ड दिया जाय ।
४. जो शूद्र अपने को ब्राह्मण बताये और देव-निमित्त द्रव्य का अपहरण करे; तथा ज्योतिषी बनकर जो राजा के भावी अनिष्ट को बताये; अथवा बगावत करे; या किसी की दोनों आँखें फोड़ दे; ऐसे व्यक्ति को औषधियों का सुरमा लगा कर अंधा कर दिया जाय; अथवा उस पर आठ-सौ पण जु्रमाना दिया जाय ।
५. चोर या व्यभिचारी को छोड़ देने वाले, राजा की आज्ञा को घटा-बढ़ा कर लिखने वाले, आभूषणों सहित कन्या या दासी को उड़ा देने वाले, छल-कपट

चौथा अधिकरण : प्रकरण ८५, अध्याय १०

विमांसविक्रयिणश्च वामहस्तद्विपादवधो नवशतो वा दण्डः ।
मानुषमांसविक्रये वधः ।

१. देवपशुप्रतिमामनुष्यक्षेत्रगृहहिरण्यसुवर्णरत्नसस्यापहारिण उत्तमो
दण्डः शुद्धवधो वा ।

२. पुरुषं चापराधं च कारणं गुहलाघवम् ।
अनुबन्धं तदात्वं च देशकालौ समीक्ष्य च ॥
उत्तमावरमध्यत्वं प्रदेष्टा दण्डकर्मणि ।
राज्ञश्च प्रकृतीनां च कल्पयेदन्तरा स्थितः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाऽधिकरणे एकाङ्गवधनिष्क्रयो नाम
दशमोऽध्यायः आदितः सप्ताशीतितमः ।



का व्यवहार करने वाले, अभक्ष्य पशुओं का मांस बेचने वाले, पुरुष का बायाँ हाथ और दोनों पैर काट दिये जाँय; या उस पर नौ-सौ पण दण्ड किया जाय । आदमी का मांस बेचने वाले को प्राण दण्ड की सजा दी जाय ।

१. देवता के निमित्त पशु, प्रतिमा, मनुष्य, खेत, घर, हिरण्य, सोना, रत्न और भस्म; इन नौ चीजों की जो भी व्यक्ति चोरी करे उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय, या उसको पीढारहित प्राणदण्ड की सजा दी जाय ।

२. राजा और आमात्यों को साथ लेकर प्रदेष्टा को चाहिए कि वह दण्ड देते समय अपराध को, अपराध के कारणों को, अपराधी की हैसियत को, वर्तमान तथा भावी परिणामों को, और देश-काल की स्थिति को भली भाँति सोच-समझ ले; तदनन्तर न्याय के अनुसार प्रथम, मध्यम तथा उत्तम आदि दण्डों की सजा सुनाये ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में दशवाँ अध्याय समाप्त ।



शुद्धीश्चित्रश्च दण्डकल्पः

१. कलहे घ्नतः पुरुषं चित्रो घातः । सप्तरात्रस्यान्तः मृते शुद्धवधः
पक्षस्यान्तरुत्तमः । मासस्यान्तः पञ्चशतः समुत्थानव्ययश्च ।
२. शस्त्रेण प्रहरत उत्तमो दण्डः । मदेन हस्तवधः । मोहेन द्विशतः ।
वधे वधः ।
३. प्रहारेण गर्भं पातयत उत्तमो दण्डः । भैषज्येन मध्यमः ।
परिक्लेशेन पूर्वः साहसदण्डः ।
४. प्रसभंस्त्रीपुरुषघातकाभिसारकनिग्राहकावधोषकावस्कन्दकोपवेध-

शुद्धदण्ड और चित्रदण्ड

१. कोई व्यक्ति यदि लड़ाई-झगड़े में किसी व्यक्ति को जान से मार डाले तो उसको कष्टपूर्वक प्राणदण्ड (चित्रघात) की सजा दी जाय । झगड़ा होने के बाद चोट खाया व्यक्ति यदि सात दिन बाद मरे तो मारने वाले को शुद्ध प्राणदण्ड (कष्टरहित वध) दिया जाय । यदि पंद्रह दिन बाद मरे तो उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । एक महीने के बाद मरे तो पाँच-सौ पण जुरमाना और साथ ही मृतक की दवाई-दारू का सारा व्यय भी मरने वाले से वसूल किया जाय ।
२. किसी शस्त्र द्वारा चोट पहुँचाने पर उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । यदि बल के घमंड से चोट पहुँचाये तो उसका हाथ काट दिया जाय । यदि क्रोधावेश में प्रहार करे तो उस पर दो सौ पण दण्ड दिया जाय । यदि जान से मार डाले तो उसको प्राणदण्ड की सजा दी जाय ।
३. जो व्यक्ति प्रहार द्वारा गर्भ गिराये उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । औषध द्वारा गर्भ गिराने वाले को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय । कठोर काम कराकर गर्भ गिराने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।
४. यदि कोई व्यक्ति बलात्कार से किसी स्त्री या पुरुष की हत्या कर डाले; बलात्कार से किसी स्त्री को उड़ा ले जाय; बलात्कार से किसी स्त्री की नाक-कान

कान् पथि वेश्मप्रतिरोधकान् राजहस्त्यश्वरथानां हिंसकान् स्तेनान् वा शूलानारोहयेयुः ।

१. यश्चैनान् दहेदपनयेद्वा स तमेव दण्डं लभेत्, साहसमुत्तमं वा ।
२. हिंस्रस्तेनानां भक्तवासोपकरणग्निमंत्रदानवैयापृत्यकर्मसूत्तमो दण्डः । परिभाषणमविज्ञाने । हिंस्रस्तेनानां पुत्रदारमसमंत्रं विसृजेत्, समंत्रमाददीत ।
३. राज्यकामुकमन्तःपुरप्रधर्षकमटव्यमित्रोत्साहकं दुर्गराष्ट्रदण्ड-कोपकं वा शिरोहस्तप्रादीपिकं घातयेत् ।
४. ब्राह्मणं तमः प्रवेशयेत् ।

काट ले; धमकी देकर हत्या, चोरी की घोषणा करने वाला; बलात्कार से नगर तथा गाँवों का धन ले जाने वाला; भीत तोड़कर सेंध लगाने वाला; रास्ते की धर्मशालाओं तथा प्याउओं की चोरी करने वाला; और राजा के हाथी, घोड़े तथा रथों को नष्ट करने, मारने या चुराने वाला; इन सभी प्रकार के अपराधियों को शूली पर लटका दिया जाय ।

१. इन लोगों का जो दाह-संस्कार या क्रिया-कर्म करे या उनको उठा कर गंगा-प्रवाह आदि के लिए ले जाय उसको भी शूली पर चढ़ाया जाय या उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।
२. जो लोग हत्यारों को खाना, रहना, वस्त्र, आग और सलाह दे तथा उनके यहाँ नौकरी करें उन्हें भी उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । जिन्हें यह पता नहीं है कि वे हत्यारे या चोर हैं, उन्हें वाक् ताड़ना दी जाय । हत्यारों और चोरों के स्त्री-पुत्र यदि हत्या-चोरी में शामिल न हों तो उन्हें छोड़ दिया जाय; यदि उन्होंने भी किसी प्रकार की सहायता की हो तो उन्हें गिरफ्तार कर यथोचित दण्ड दिया जाय ।
३. राजसिंहासन को हथियाने की इच्छा रखने वाले; अंतःपुर में व्यर्थ का झमेला खड़ा कर देने वाले; आटवी एवं पुलिंद आदि शत्रु राजाओं को उभाड़ने वाले; किले की सेना तथा बाहर की सेना में बगावत फैला देने वाले; पुरुषों के सिर और हाथ में भाग लगाकर उनको कत्ल किया जाय ।
४. यदि ऐसा दुष्कर्म करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसे आजोवन के लिए काल-कोठरी में बंद कर दिया जाय ।

१. मातृपितृपुत्रभ्रात्राचार्यतपस्विघातकं वात्वकिञ्चरःप्रादीपिकं घातयेत् । तेषामाक्रोशे जिह्वाच्छेदः । अङ्गाभिरदने तदङ्गान्मोच्यः ।
२. यदृच्छाघाते पुंसः, पशुयूथस्तेये च शुद्धवधः । दशावरं च यूथं विद्यात् ।
३. उदकधारणं सेतुं भिन्दतस्तत्रैवाप्सु निमज्जनम् । अचुदकमुत्तमः साहसदण्डः । भग्नोत्सृष्टकं मध्यमः ।
४. विषदायकं पुरुषं स्त्रियं च पुरुषधनीमपः प्रवेशयेद्गर्भिणीम् । गर्भिणीं मासावरप्रजाताम् ।
५. पतिगुरुप्रजाघातिकामग्निविषदां सन्धिच्छेदिकां वा गोभिः पादयेत् ।

१. जो व्यक्ति माता, पिता, पुत्र, भाई, आचार्य और तपस्वी की हत्या कर डाले उसके शिर की खाल उतरवा कर उसमें आग लगाई जाय और तब उसको कत्ल कराया जाय । माता-पिता को गाली देने वाले की जीभ कटवा दी जाय । माता-पिता के किसी अंग को कोई जिस अंग से नोचे-खसोटे उसका वही अंग कटवा दिया जाय ।
२. जो व्यक्ति किसी दूसरे को अचानक ही मार डाले या पशुओं के झुंड की तथा घोड़ों की चोरी करे उसको शुद्ध प्राणदण्ड दिया जाय । कम-से-कम दस पशुओं का एक झुंड समझना चाहिये ।
३. जो व्यक्ति पानी के बाँध को तोड़े, उसको वहीं जल में डुबा कर मार दिया जाय । यदि जल-बाँध में पानी न हो तो तोड़ने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । यदि वह पहिले ही से टूटा-फूटा हो और तब उसे तोड़ा जाय तो मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ।
४. विष देकर किसी की हत्या करने वाले स्त्री-पुरुष को जल में डुबाकर खत्म कर दिया जाय, बशर्ते कि वह स्त्री गर्भिणी न हो । यदि गर्भिणी हो तो बच्चा पैदा होने के एक मास बाद उसका ऐसा ही प्राणाल किया जाय ।
५. अपने पति, गुरु और बच्चे की हत्या करने वाली; आग लगाने वाली; विष

चौथा अधिकरण : प्रकरण ८६, अध्याय ११

१. विवीतक्षेत्रखलवेशमद्रव्यहस्तिवनादीपिकमग्निना दाहयेत् ।
२. राजाक्रोशकमन्त्रभेदकयोरनिष्टप्रवृत्तिकस्य ब्राह्मणमहानसावले-
हिनश्च जिह्वामुत्पाटयेत् ।
३. ग्रहरणावरणस्तेनमनायुधीयमिषुभिर्घातयेत् । आयुधीयस्योत्तमः ।
४. मेढ्रफलोपघातिनस्तदेव छेदयेत् ।
५. जिह्वानासोपघाते सन्दंशवधः ।
६. एते शास्त्रेष्वनुगताः क्लेशदण्डा महात्मनाम् ।
अक्लिष्टानां तु पापानां धर्म्यः शुद्धवधः स्मृतः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाऽधिकरणे शुद्धचित्रदण्डकल्पो नाम
एकादशोऽध्यायः; आदितोऽष्टाशीतितमः ।



- देने वाली; सेंध लगाकर चोरी करने वाली; स्त्री को गायों के पैरों के नीचे कुचलवा कर मारा जाय ।
१. जो व्यक्ति चरागाह, खेत, खलिहान, घर और लकड़ियों तथा हथियारों से सुरक्षित जंगल में भाग लगा दे उसको भाग में ही जला दिया जाय ।
२. जो व्यक्ति राजा को गाली दे, गुप्त रहस्य को खोल दे, राजा के अनिष्ट को फैलाये और ब्राह्मण की भोजनशाला से जबर्दस्ती अन्न लेकर खाने लगे उसकी जिह्वा कटवा दी जाय ।
३. जो आयुधजीवी न होकर भी हथियार और कवच आदि चुराये उसे सामने खड़ा करके वाणों से मरवा दिया जाय । यदि वह आयुधजीवी हो तो उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।
४. यदि कोई व्यक्ति किसी का लिंग और अण्डकोश काट डाले उसका भी लिंग और अण्डकोश कटवा दिया जाय ।
५. किसी की नीभ और नाक काट देने वाले व्यक्ति की कनिष्ठिका और अंगूठा कटवा दिया जाय ।
६. इस प्रकार के कठोर मृत्युदण्ड मनु आदि महात्मनों के धर्मशास्त्र विषयक ग्रंथों में प्रतिपादित हैं । इनसे हलके पापकों के लिए शुद्ध प्राणदण्ड ही धर्मानुकूल समझना चाहिये ।

कण्टकशोधक नामक चतुर्थ अधिकरण में ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।



कन्याप्रकर्म

१. सवर्णसंप्राप्तफलां कन्यां प्रकुर्वतो हस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः ।
मृतायां वधः ।
२. प्राप्तफलां प्रकुर्वतो मध्यमाप्रदेशिनीवधो द्विशतो वा दण्डः ।
पितुश्चावहीनं दद्यात् ।
३. न व प्राकाम्यमकामायां लभेत । सकामायां चतुष्पञ्चाशत्प-
णो दण्डः । स्त्रियास्त्वर्धदण्डः ।
४. परशुल्कावरुद्धायां हस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः शुल्कदानं च ।

कुंवारी कन्या से संभोग करने का दण्ड

१. जो व्यक्ति अपनी जाति की रजोधर्म रहित (अरजस्का) कन्या को दूषित करे उसका हाथ कटवा दिया जाय; अथवा उस पर चार-सौ पण दण्ड किया जाय । यदि वह वलात्कार के कारण मर जाय तो अपराधी को प्राण-दण्ड की सजा दी जाय ।
२. यदि कोई व्यक्ति रजस्वला हो चुकी कन्या को दूषित करे तो अपराधी की तर्जनी और मध्यमा उगलियाँ कटवा दी जाँय; अथवा उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय और लड़की के पिता को वह हर्जाना (अवहीन) दे ।
३. संभोग के लिए इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करने पर इच्छा-पूर्ति नहीं होती है । संभोग की इच्छा करने वाली स्त्री से गमन करने पर पुरुष को चौवन पण और स्त्री को सत्ताईस पण दण्ड किया जाय ।
४. जिस लड़की की सगाई हो चुकी हो उसके साथ संभोग करने वाले का हाथ काट दिया जाय; या उस पर चार-सौ पण दण्ड किया जाय और सगाई का सारा खर्च उससे वसूल किया जाय ।

चौथा अधिकरण : प्रकरण ८७, अध्याय १२

१. सप्तार्तवप्रजातां वरणादूर्ध्वमलभमानां प्रकृत्य प्राकामी स्यात्, न च पितुरवहीनं दद्यात् । ऋतुप्रतिरोधिभिः स्वाम्यादपक्रामति ।
२. त्रिवर्षप्रजातार्तवायास्तुल्यो गन्तुमदोषः । ततः परमतुल्योऽप्यनलङ्कृतायाः । पितृद्रव्यादाने स्तेयं भजेत् ।
३. परमुद्दिश्यान्यस्य विन्दतो द्विशतो दण्डः । न च प्राकाम्यमक्रामायां लभेत ।
४. कन्यामन्यां दर्शयित्वाऽन्यां प्रयच्छतः शत्यो दण्डस्तुल्यायां, हीनायां द्विगुणः ।

-
१. सगाई के बाद सात मासिक धर्म होने तक भी यदि लड़की का विवाह न किया जाय तो उसका होने वाला पति लड़की को यथेच्छा भोग सकता है, और लड़की के पिता को वह हर्जाना भी न दे । क्योंकि मासिकधर्म हो जाने के बाद लड़की पर पिता का कोई अधिकार नहीं रह जाता है ।
 २. यदि मासिक धर्म होने पर भी कन्या का तीन वर्ष तक विवाह न किया जाय तो उसकी जाति का कोई भी पुरुष उसके साथ संभोग कर सकता है । यदि मासिक धर्म होते हुए तीन वर्ष से अधिक गुजर जाँय तो किसी भी जाति का पुरुष उसको अपनी परनी बना सकता है इसमें कोई दोष नहीं; किन्तु वह पुरुष लड़की के पिता के बनवाये आभूषण आदि नहीं ले जा सकता है । यदि वह पुरुष लड़की के पिता के आभूषण आदि वापिस न करे तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय ।
 ३. दूसरे के लिए कही हुई स्त्री को 'वह पुरुष मैं ही हूँ' ऐसा कहकर जो अन्य पुरुष उपभोग करे उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । स्त्री की इच्छा न होने पर कोई भी पुरुष उससे संभोग न करे ।
 ४. विवाह से पहिले जिस कन्या को दिखाया गया हो, विवाह में यदि उसी जाति की दूसरी कन्या दी जाय तो उस व्यक्ति पर सौ-पण दण्ड किया जाय । यदि उसकी जगह कोई नीच जाति की कन्या दी जाय तो दो-सौ पण दण्ड किया जाय ।

१. प्रकर्मण्यकुमार्याश्चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः । शुल्कव्ययकर्मणी च प्रतिदद्यादवस्थाय तज्जातं पश्चात्कृता द्विगुणं दद्यात् ।
२. अन्यशोणितोपधाने द्विशतो दण्डः । मिथ्याभिशंसिनश्च पुंसः । शुल्कव्ययकर्मणी च जीयेत । न च प्राकाम्यमकामायां लभेत ।
३. स्त्री प्रकृता सकामा समाना द्वादशपणं दण्डं दद्यात्, प्रकर्त्री द्विगुणम् । अकामायाः शत्यो दण्डः, आत्मरागार्थं शुल्कदानं च । स्वयं प्रकृता राजदास्यं गच्छेत् ।
४. बहिर्ग्रामस्य प्रकृतायां मिथ्याभिशंसने च द्विगुणो दण्डः ।

१. जो पुरुष क्षत्रयोनि स्त्री को भक्षतयोनि कहकर दुबारा उसका विवाह कराये उस पर चौवन पण दण्ड किया जाय; और उससे शुल्क तथा अन्य स्वर्चा भी वसूल किया जाय । यदि वह ऐसा ही कह कर तीसरी बार विवाह कराये तो उस पर दुगुना जुर्माना (१०८ पण) किया जाय ।
२. जो स्त्री अपनी योनि-क्षीणता दिखाने के लिए दूसरे का खून अपने कपड़ों पर लगाये उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । इसी प्रकार जो पुरुष भक्षतयोनि स्त्री को क्षत्रयोनि बताये उस पर भी दो-सौ पण दण्ड किया जाय, तथा शुल्क एवं विवाह-व्यय भी उससे वसूल किया जाय । स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे कोई भी संभोग नहीं कर सकता है ।
३. संभोग की इच्छा से कोई स्त्री यदि अपने समान जाति वाले पुरुष से योनि-क्षत्र कराये तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । यदि वह स्वयं ही अपनी योनि को क्षत्र करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय । पुरुष की इच्छा न रखती हुई भी जो स्त्री क्षत्रिक भानन्द के लिए किसी पुरुष से अपनी योनि क्षीण कराती है उस पर सौ पण दण्ड किया जाय और उस पुरुष को वह संभोग शुक्ल दे । जो स्त्री अपनी इच्छा से संभोग कराये, उसको चाहिए कि वह राजदासी बन जाय ।
४. गाँव के बाहर निर्जन स्थान में संभोग कराने वाली स्त्री पर चौबीस पण जुर्माना किया जाय और यदि पुरुष संभोग करके मुकर जाय तो उस पर अठतालीस पण दण्ड किया जाय ।

१. प्रसह्य कन्यामपहरतो द्विशतः, ससुवर्णामुत्तमः । बहूनां कन्या-
पहारिणां पृथग्यथोक्ता दण्डाः ।
२. गणिकादुहितरं प्रकुर्वतश्चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः । शुल्कं मातु-
र्भोगः षोडशगुणः ।
३. दासस्य दास्या वा दुहितरमदासीं प्रकुर्वतश्चतुर्विंशतिपणो
दण्डः, शुल्काबन्ध्यदानं च । निष्क्रयानुरूपां दासीं प्रकुर्वतो
द्वादशपणो दण्डः, वस्त्राबन्ध्यदानं च ।
४. साचिव्यावकाशदाने कर्तृसमो दण्डः ।
५. प्रोषितपतिकामपचरन्तीं पतिबन्धुस्तत्पुरुषो वा संगृहीयात् ।
संगृहीता पतिमाकांक्षेत । पतिश्चेत् क्षमेत, विसृज्येतोभयम् ।

१. किसी कन्या का बलात् अपहरण करने वाले पुरुष पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । आभूषणों से युक्त कन्या का बलात् अपहरण करने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । अपहरण में यदि अनेक व्यक्तियों का हाथ हो तो प्रत्येक को यही दण्ड दिया जाय ।
२. वेश्या की लड़की के साथ बलात्कार करने वाले पुरुष पर चौवन पण दण्ड किया जाय । और दण्ड से सोलह गुनी फीस (८६४ पण) वह लड़की की माता को भदा करे ।
३. किसी भी दास या दासी की लड़की के साथ संभोग करने वाले पुरुष पर चौबीस पण दण्ड किया जाय और उससे शुल्क तथा आभूषण आदि भी वसूल किये जाँय । दासता से छुड़ाने के बराबर धन देकर जो व्यक्ति किसी दासी से संभोग करे उस पर बारह पण जुर्माना किया जाय और उससे दासी स्त्री के लिए वस्त्र तथा जेवरात भी वसूल कर लिए जाँय ।
४. कन्या को दूषित करने में जो भी सहायता करे अथवा मौका या जगह दे, उसे भी अपराधी के ही समान दण्ड दिया जाय ।
५. जिस स्त्री का पति विदेश में हो; यदि वह ह्यभिचार कराये तो उसका देवर या नौकर उसको नियंत्रण में रखे । उनके नियन्त्रण में रहकर वह स्त्री अपने पति की भाने की प्रतीक्षा करे । यदि पति उसके अपराध को क्षमा कर दे तो, जार सहित उसको दण्ड से बरी किया जाय; यदि क्षमा न करे

- अक्षमायां स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनम् । वधं जारश्च प्राप्नुयात् ।
१. जारं चोर इत्यभिहरतः पञ्चशतो दण्डः । हिरण्येन मुञ्चतस्त-
दष्टगुणः ।
 २. केशाकेशिकं संग्रहणम् । उपलिङ्गनाद्वा शरीरोपभोगानां तज्जा-
तेभ्यः स्त्रीवचनाद्वा ।
 ३. परचक्राटवीहृतामोघप्रव्यूढामरण्येषु दुर्भिक्षे वा त्यक्तां प्रेत-
भावोत्सृष्टां वा परस्त्रियं निस्तारयित्वा यथासम्भाषितं समुप-
भुञ्जीत । जातिविशिष्टामकामामपत्यवतीं निष्क्रयेण दद्यात् ।
 ४. चोरहस्तान्नदीवेगाद् दुर्भिक्षाद्देशविभ्रमात् ।
निस्तारयित्वा कान्तारान्नष्टां त्यक्तां मृतेति वा ॥

तो स्त्री के नाक-कान काट दिये जाँय और उसके जार को प्राणदंड की सजा दी जाय ।

१. व्यभिचार छिपाने के लिए यदि कोई रक्षक पुरुष जार को चोर बताये तो उस पर पांच सौ पण जुरमाना किया जाय । रक्षक पुरुष यदि हिरण्य की रिश्वत लेकर जार को छोड़ दे तो उस पर रिश्वत का आठगुना जुरमाना किया जाय ।
२. यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ फँसी हो तो उसका पता उसकी इन चेष्टाओं से किया जाय : यदि वह रास्ते में चलती हुई दूसरी स्त्री की चुटिया पकड़े; यदि उसके शरीरपर संभोग चिह्न लक्षित हों; यदि कामोत्तेजना के लिए अपने शरीर पर उसने चदन आदि का लेप किया हो; यदि वह पुरुषों से इशारों से बात करे; यदि वह बात-चीत से स्वयं ही प्रकट कर दे ।
३. जो पुरुष शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से रोग या मूर्च्छा से त्यागी हुई पराई स्त्रियों का उद्धार करे, वह उस स्त्री की रजामण्डी से उसके साथ वृत्त होकर संभोग कर सकता है । यदि वह स्त्री कुलीन हो; समान जाति की होने पर भी वह उद्धारकर्ता से संभोग की इच्छा न करे और बाल-बच्चों वाली हो तो उद्धार करने वाला उसको उसके पति के पास सौंप कर उससे यथोचित पुरस्कार प्राप्त करे ।
४. शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से, परिस्थित्ता,

चौथा अधिकरण : प्रकरण ८७, अध्याय १२


भुञ्जीत स्त्रियमन्येषां यथासम्भाषितं नरः ।
न तु राजप्रतापेन प्रमुक्तां स्वजनेन वा ॥
न चोत्तमां न चाकामां पूर्वापत्यवतीं न च ।
ईदृशीं त्वनुरूपेण निष्क्रयेणापवाहयेत् ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाऽधिकरणे कन्याप्रकर्म नाम द्वादशोऽध्यायः,
आदितः एकोनवतितमः ।



रोग या मूर्छा से त्यागी हुई पराई स्त्रियों को, उद्धार करने वाला व्यक्ति, भोग सकता है; किन्तु राजाज्ञा या स्वजनों से त्यक्त, कुलीन, कामनारहित और बाल-बच्चों वाली स्त्रियों का, आपत्ति से बचाने पर भी; उपभोग नहीं किया जा सकता है; प्रत्युत उचित पुरस्कार प्राप्त कर ऐसी स्त्रियों को उनके घर पहुँचा दिया जाय ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में बारहवाँ अध्याय समाप्त ।



अतिचारदण्डः

१. ब्राह्मणमपेयमभक्ष्यं वा संग्रासयत उत्तमो दण्डः । क्षत्रियं मध्यमः, वैश्यं पूर्वः साहसदण्डः, शूद्रं चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।
२. स्वयंग्रसितारो निर्विषयाः कार्याः ।
३. परगृहाभिगमने दिवा पूर्वः साहसदण्डः । रात्रौ मध्यमः । दिवारात्रौ वा सशस्त्रस्य प्रविशत उत्तमो दण्डः ।
४. भिक्षुकवैदेहकौ मत्तोन्मत्तौ बलादापदि चातिसन्निकृष्टाः प्रवृत्तप्रवेशाश्चादण्ड्याः । अन्यत्र प्रतिषेधात् ।

अतिचार का दण्ड

१. जो व्यक्ति, किसी ब्राह्मण को अभक्ष्य या अपेय वस्तु खिलाये-पिलाये उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । यदि क्षत्रिय को खिलाये-पिलाये तो मध्यम साहस दण्ड, यदि वैश्य को खिलाये-पिलाये तो प्रथम साहस दण्ड, और शूद्र को खिलाये-पिलाये तो चौवन पण दण्ड किया जाय ।
२. यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अभक्ष्य-अपेय आदि वस्तुओं का सेवन करें तो उन्हें देश-निर्वासन का दण्ड दिया जाय ।
३. जो पुरुष दिन में किसी के घर में घुसे उसे प्रथम साहस दण्ड, रात्रि में घुसे तो मध्यम साहस दण्ड, और हथियार लेकर रात या दिन में प्रवेश करे तो उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।
४. भित्तारी, फेरी वाले, शराबी उन्मादी, व्यभिचारी, बंधु-बांधव और मित्र आदि एक दूसरे के घर में प्रवेश करें तो दण्डनीय नहीं हैं, वशर्ते कि उनको किसी पारिवारिक व्यक्ति ने रोका न हो ।

१. स्ववेश्मनो विरात्रादूर्ध्वं परिवार्यमारोहतः पूर्वः साहसदण्डः ।
परवेश्मनो मध्यमः । ग्रामारामवाटभेदिनश्च ।
२. ग्रामेष्वन्तः सार्थिका ज्ञातसारा वसेयुः । मुषितं प्रवासितं
चैषामनिर्गतं रात्रौ ग्रामस्वामी दद्यात् । ग्रामान्तेषु वा मुषितं
प्रवासितं विवीताध्यक्षो दद्यात् । अविवीतानां चोररज्जुकः ।
तथाप्यगुप्तानां सीमावरोधविचयं दद्युः । असीमावरोधे पञ्च-
ग्रामी दशग्रामी वा ।
३. दुर्बलं वेश्म शकटमनुत्तब्धमूर्ध्वस्तम्भं शस्त्रमनपाश्रयमप्रतिच्छन्नं
श्वभ्रं कूपं कूटावपातं वा कृत्वा हिंसायां दण्डपारुष्यं विद्यात् ।

१. यदि कोई व्यक्ति एक प्रहर रात बीत जाने पर बाहर से अपने ही घर की दीवार पर चढ़े तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । यदि इसी हालत में वह दूसरे के घर की दीवार पर चढ़े, और गाँव तथा बगीचों की बाड़ को तोड़े तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ।
२. यात्रा करते समय यदि कोई व्यापारी किसी गाँव में ठहरे तो अपने पूरे सामान की सूचना गाँव के मुखिया को दे । रात में उसकी यदि कोई चोरी हो जाय या गाँव में उसकी कोई वस्तु छूट जाय तो उस वस्तु को गाँव का मुखिया दे । यदि कोई वस्तु गाँव के बाहर छूट गई या चोरी गई हो तो उसकी पूर्ति चरागाह का अध्यक्ष (विवीताध्यक्ष) करे । यदि वहाँ पर चरागाहों की व्यवस्था न हो तो उस वस्तु को चोर पकड़ने वाले राजपुरुष (चोर-रज्जुक) भदा करें । यदि फिर भी वस्तु सुरक्षित न रह सके तो जिसकी सीमा में उसकी चोरी हुई हो वही सीमाध्यक्ष उसको दे । यदि फिर भी कोई प्रबंध न हो सके तो भास-पास के पाँच-दस गाँवों की पंचायतें उस वस्तु को ढूँढ़ कर व्यापारी को दें ।
३. मकान की कच्ची दीवार के कारण, गाड़ी की पटरी की कमजोरी के कारण, हथियार को ठीक तरह से न रखने के कारण, गड्ढे न पूरे जाने के कारण और बिना जंगले के कुपों के कारण यदि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु का कारण बन जाय तो उसे दण्डपारुष्य प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार दण्ड दिया जाय ।

१. वृक्षच्छेदने दम्यरश्मिहरणे चतुष्पदानामदान्तसेवने वाहने काष्ठलौष्ठपाषाणदण्डबाणबाहुविद्येपणेषु याने हस्तिना च सङ्घट्टने 'अपेहि' इति प्रक्रोशन्नदण्ड्यः ।
२. हस्तिना रोषितेन हतो द्रोणान्नं कुम्भं माल्यानुलेपनं दन्त-प्रमार्जनं च पटं दद्यात् । अश्वमेधावभृथस्नानेन तुल्यो हस्तिना वध इति पादप्रक्षालनम् । उदासीनवधे यातुरुत्तमो दण्डः ।
३. शृङ्गिणा दंष्ट्रिणा वा हिंस्यमानममोक्षयतः स्वामिनः पूर्वः साहसदण्डः । प्रतिक्रुष्टस्य द्विगुणः ।
४. शृङ्गिदंष्ट्रिभ्यामन्योन्यं घातयतस्तच्च तावच्च दण्डः ।

१. पेड़ काटते समय, मारु जानवरों को खोलते समय, जानवरों को पहिले-पहिले सवारी में जोतते समय, अथवा दो दलों में लकड़ी, डेला, पत्थर, बाण आदि चलते समय, हाथी की सवारी करते समय और बीच में आने से वारित करते समय यदि किसी का हाथ-पाँव टूट जाय तो किसी को दण्ड न दिया जाय ।
२. यदि कोई व्यक्ति क्रुद्ध हाथी के चपेट में आकर मर जाय तो उसके परिवार-जनों को यह आवश्यक है कि वे एक द्रोण अन्न, एक घड़ा शराब, माला, चंदन और दाँत साफ करने का वस्त्र उस हाथी को भेंट करें । क्योंकि जितना पुण्य अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर पवित्र स्नान करने से होता है उतना ही पुण्य हाथी के द्वारा मारे जाने पर होता है; इसीलिए उक्त वस्तुओं द्वारा हाथी के पूजन का विधान बताया गया है । किन्तु, यदि कोई व्यक्ति महावत की लापरवाही के कारण मारा जाय तो महावत को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ।
३. यदि कोई स्वामी अपने सींग, खुर, या दाँत वाले पशुओं द्वारा किसी व्यक्ति को मारते हुए देखकर न छुड़ाये तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । उस व्यक्ति के चिल्लाने पर भी यदि न छुड़ाये तो स्वामी को दुगुना दण्ड दिया जाय ।
४. यदि सींग-दाँत वाले जानवर आपस में लड़कर एक-दूसरे को मार दें तो मारने वाले जानवर का मालिक मरे हुए जानवर की कीमत और उतना ही दण्ड भरे ।

१. देवपशुमृषभमुक्षणं गोकुमारीं वा वाहयतः पञ्चशतो दण्डः । प्रवासयत उत्तमः । लोमदोहवाहनप्रजननोपकारिणां क्षुद्रपशूनामादाने तच्च तावच्च दण्डः । प्रवासने च, अन्यत्र देवपितृकार्येभ्यः ।
२. छिन्ननस्यं मग्नयुगं तिर्यक्प्रतिमुखागतं च प्रत्यासरद्वा चक्रयुक्तं यानपशुमनुष्यसम्प्राधे वा हिंसायामदण्ड्यः । अन्यथा यथोक्तं मानुषप्राणिहिंसायां दण्डमभ्यावहेत् । अमानुषप्राणिवधे प्राणिदानं च ।
३. वाले यातरि यानस्थः स्वामी दण्ड्यः । अस्वामिनि यानस्थः प्राप्तव्यवहारो वा याता । वालाधिष्ठितमपुरुषं वा यानं राजा हरेत् ।

१. जो कोई व्यक्ति देव निमित्त किसी पशु को, साँड़ को, बैल को या बछड़ी को हल या गाड़ी में जोते तो उस पर पाँच-सौ पण दण्ड किया जाय । यदि इन्हें कोई घर से निकाले या दूर छोड़ आवे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । किन्तु उन्हें यदि किसी देवकार्य या पितृकार्य के लिए दूर छोड़ना पड़े तो कोई दोष नहीं है ।
२. यदि बैल की नाथ टूट जाय, या जुआ टूट जाय अथवा जुता हुआ बैल ही तिरछा हो जाय, या सामने की ओर उल्टा हो जाय, या गाड़ियों, मनुष्यों एवं पशुओं की भारी भीड़ हो, ऐसे समय यदि किसी पशु को चोट पहुँच जाय तो गाड़ीवान को दोषी न समझा जाय । ऐसी स्थिति न हो और मनुष्य या पशु को कोई चोट पहुँचे तो, चोट पहुँचाने वाले को पूर्वोक्त यथोचित दण्ड दिया जाय । यदि कोई छोटा पशु दयकर मर जाय तो वही पशु लिया जाय ।
३. यदि गाड़ीवान नावालिग हो तो उसका मालिक इन सब दण्डों को भुगते । यदि मालिक उपस्थित न हो तो सवारी अथवा दूसरा वालिग गाड़ीवान दण्डों को भुगते । यदि गाड़ी में बालक के अतिरिक्त कोई न हो तो राजपुरष उसे जप्त कर लें ।

१. कृत्याभिचाराभ्यां यत्परमापादयेत्, तदापादयितव्यः ।
२. कामं भार्यायामनिच्छन्त्यां कन्यायां वा दारार्थिनां भर्तरि भार्या-
यां वा संवननकरणम् । अन्यथा हिंसायां मध्यमः साहसदण्डः ।
३. मातापित्रोर्भगिनीं मातुलानीमाचार्याणीं स्तुषां दुहितरं भगिनीं
वाधिचरतस्त्रिलिङ्गच्छेदनं वधश्च । सकामा तदेव लभेत ।
दासपरिचारकाहितकभुक्ता च ।
४. ब्राह्मण्यामगुप्तायां क्षत्रियस्योत्तमः, सर्वस्वं वैश्यस्य । शूद्रः
कटाग्निना दह्येत । सर्वत्र राजभार्यागमने कुम्भीपाकः ।
५. श्वपाकीगमने कृतकवन्धाङ्कः परविषयं गच्छेत् । श्वपाकत्वं
वा शूद्रः ।

१. जो व्यक्ति किसी को कृत्रिम उपायों (कृत्या) या तान्त्रिक प्रयोगों (अभिचार) द्वारा तंग करे उसे गिरफ्तार कर लिया जाय ।

२. पति को न चाहने वाली स्त्री पर उसका पति, कन्या को पत्नी बनाने की इच्छा रखने वाला पुरुष और अपने पति पर उसकी पत्नी, यदि वशीकरण आदि प्रयोग करें तो अपराध न माना जाय । इनके अतिरिक्त तान्त्रिक प्रयोग करने वालों को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ।

३. जो पुरुष अपनी मासी, बूआ, मामी, गुरुपत्नी, पुत्रवधू, लड़की और बहिन के साथ व्यभिचार करे उसका लिंग और अंडकोश काटकर उसको प्राणदण्ड की सजा दी जाय । यदि मासी, बूआ आदि स्वयं ऐसा करायें तो उनके दोनों स्तन काटकर और उनका भग-छेदन कर उन्हें भी प्राणदण्ड की सजा दी जाय । दास और परिचारक यदि व्यभिचार करें तो उन्हें भी यही दण्ड दिया जाय ।

४. लोक-लाज से रहने वाली ब्राह्मणी के साथ यदि क्षत्रिय व्यभिचार करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय; यदि वैश्य करे तो उसकी सारी सम्पत्ति हड़प ली जाय, यदि शूद्र करे तो उसको तिनकों की आग में जला दिया जाय । राजा की स्त्री के साथ जो कोई भी व्यभिचार करे उसे तपे भाड़ में भून दिया जाय ।

५. चांडालिनी के साथ व्यभिचार करने वाले पुरुष के माथे पर योनि का निशान

१. श्वपाकस्यार्यागमने वधः । स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनम् ।
२. प्रव्रजितागमने चतुर्विंशतिपणो दण्डः । सकामा तदेव लभेत ।
३. रूपाजीवायाः प्रसह्योपभोगे द्वादशपणो दण्डः ।
४. वहूनामेकामधिचरतां पृथक् पृथक् चतुर्विंशतिपणो दण्डः ।
५. स्त्रियमयो नौ गच्छतः पूर्वः साहसदण्डः । पुरुषमधिमेहतश्च ।
६. मैथुने द्वादशपणः तिर्यग्योनिष्वनात्मनः ।
देवतप्रतिमानां च गमने द्विगुणः स्मृतः ॥
७. अदण्ड्यदण्डने राज्ञो दण्डस्त्रिंशद्गुणोऽम्भसि ।
वरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेभ्यस्ततः परम् ॥

दाग कर उसे देश-निर्वासन का दण्ड दिया जाय, यदि ऐसा शूद्र करे तो उसे चाण्डाल बना दिया जाय ।

१. चाण्डाल यदि किसी भयार्थ स्त्री के साथ संभोग करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय और उस स्त्री के नाक-कान काट दिए जाय ।
२. संन्यासिनी के साथ संभोग करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय, यदि संन्यासिनी कामातुर होकर ऐसा कराये तो उस पर भी चौबीस पण दण्ड किया जाय ।
३. वेश्या के साथ बालात् व्यभिचार करने पर बारह पण दण्ड दिया जाय ।
४. यदि अनेक व्यक्ति एक स्त्री के साथ बारी-बारी से संभोग करें तो एक-एक को चौबीस-चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।
५. यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के गुदा या मुख में संभोग करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । लौहेवाजी करने पर भी यही दण्ड किया जाय ।
६. गो आदि पशुओं से समागम करने वाले पातकी पर बारह पण और देव-प्रतिमाओं के साथ गमन करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय ।
७. जो राजा अदण्डनीय व्यक्ति को दण्ड दे, प्रजा को चाहिए कि वह उस दण्ड का तीस गुना दण्ड राजा से वसूल करे । वह अर्थ दण्ड पहिले वरुण देवता के निमित्त पानी में छोड़ दिया जाय और बाद में ब्राह्मणों को बाँट दिया जाय ।

१. तेन तत्पूयते पापं राज्ञो दण्डापचारजम् ।
शास्ता हि वरुणो राज्ञां मिथ्या व्याचरतां नृषु ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थाऽधिकरणे भतिचारदण्डो नाम त्रयोदशोऽध्यायः,
आदितः नवतितमः ।



१. इस प्रकार अनुचित दण्ड के वसूलने से राजा को जो पाप लगा है वह छूट जाता है, क्योंकि मनुष्यों के ऊपर अनुचित व्यवहार करने वाले राजा पर वरुणदेव ही शासन करता है ।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।



योगवृत्त
पाँचवाँ अधिकरण

दाण्डकर्मिकम्

१. दुर्गराष्ट्रयोः कण्टकशोधनमुक्तम् । राजराज्ययोर्वक्ष्यामः ।
२. राजानमवगृह्योपजीविनः शत्रुसाधारणा वा ये मुख्यास्तेषु गूढ-
पूरूपप्रणिधिः कृत्यपक्षोपग्रहो वा सिद्धिः । यथोक्तंपुरस्तादुप-
जापोऽपसर्पो वा यथा च पारग्रामिके वक्ष्यामः ।
३. राज्योपघातिनस्तु बल्लभाः संहता वा ये मुख्याः प्रकाशम-
शक्याः प्रतिषेद्धुं दूष्याः, तेषु धर्मरुचिरुपांशुदण्डं प्रयुञ्जीत ।
४. दूष्यमहामात्रभ्रातरं सत्कृतं सत्री प्रोत्साह्य राजानं दर्शयेत् ।

राजद्रोही उच्चाधिकारियों के संबन्ध में दण्ड व्यवस्था

१. दुर्ग और राष्ट्र के अनिष्टकारियों (कंटकों) के दमन (शोधन) के उपाय चौथे अधिकरण में बताये जा चुके हैं । यही बात अब राजा और राज्य के सम्बन्ध में कही जायगी ।
२. राजा से वेतन-भोजन पाकर भी उसको नीचा दिखाने वाले अथवा राजा के शत्रुओं से मिले हुए जो मन्त्री, पुरोहित आदि प्रधान राजकर्मचारी हों, उन पर सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पीछे राजा सुयोग्य गुप्त पुरुषों को तैनात कर दे; राजभर में जितने लोग राजा के शत्रुओं से खार खाये बैठे हैं उन्हें भी वह अपनी ओर मिला ले; ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति का ढंग पहिले बताया जा चुका है और उसी के सम्बन्ध में कुछ नई बातें आगे पारग्रामिक प्रकरण में बताई जायेंगी ।
३. धर्मप्राण राजा को चाहिए कि वह ऐसे मुख्य राज्यकर्मचारियों तथा संघ के मुखियों को चुपके से मरवा दे (उपांशुवध), जो राजा के खिलाफ बगावत फैलाते हों और जिन दुष्टों को खुले तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है ।
४. दूषित महामात्र (हस्यध्यक्ष) आदि के भाई को, जिनको कि दायभाग न

तं राजा दूष्यद्रव्योपभोगातिसर्गेण दूष्ये विक्रमयेत् । शस्त्रेण
रसेन वा विक्रान्तं तत्रैव घातयेत् । भ्रातृघातकोऽयम् इति ।

१. तेन पारशवः परिचारिकापुत्रश्च व्याख्यातौ ।

२. दूष्यं महामात्रं वा सत्रिप्रोत्साहितो भ्राता दायं याचेत । तं
दूष्यगृहप्रतिद्वारि रात्रायुपशयानमन्यत्र वा वसन्तं तीक्ष्णो
हत्वा ब्रूयात्—हतोऽयं दायकामुकः इति । ततो हतपक्षं
परिगृह्येतरं निगृह्णीयात् ।

३. दूष्यसमीपस्थां वा सत्रिणो भ्रातरं दायं याचमानं घातेन परि-
भर्त्सयेयुः । तं रात्राविति समानम् ।

मिला हो, संमानपूर्वक उभाड़ कर सत्री नामक गुप्तचर उसे राजा के पास
लाये । राजा उसको दूषणीय का निग्रह करने के लिए हथियार आदि देकर
दोनो भाइयों के बीच झगड़ा करवा दे । जब वह शस्त्र या विष आदि से
अपने भाई की हत्या कर डाले तो उसपर भ्रातृ-घात का अपराध लगा कर
राजा उसको भी मरवा दे ।

१. यही व्यवहार पारशव (महामात्र द्वारा नीच वर्ण की स्त्री से पैदा हुआ पुत्र)
और परिचारिका पुत्र (दासी पुत्र) के साथ किया जाय ।

२. या तो सत्री द्वारा उभारा हुआ भाई दूषणीय महामात्र से अपने दायभाग
की माँग करे फिर तीक्ष्ण नामक गुप्तचर दूषणीय के घर के दरवाजे के
बाहर सोते या अन्यत्र निवास करते हुए रात में उसको मार कर जनता में
यह प्रचार करे कि 'यह अपना दायभाग माँगता था इसलिए इसके महामात्र
भाई ने इसको मरवा डाला' । इसके बाद राजा उस मृतक के बन्धु-बांधव,
लड़के, मामा आदि को बुलवा कर उनका उकसाये कि यह महामात्र ही
भाई का घातक है । ऐसी युक्ति से राजा उसको मरवा डाले ।

३. अथवा राजद्रोही महामात्र के भासपास रहने वाले लोग दायभाग मांगने
वाले उसके भाई को 'हम तुझे मार डालेंगे' कहकर धमकाये । फिर पूर्वोक्त
रीति से तीक्ष्ण द्वारा उसको मरवा कर यह प्रचारित करवा कर उसको
भी मरवा दे कि 'यह महामात्र भाई का हत्यारा है ।'

१. दूष्यमहामात्रयोर्वा यः पुत्रः पितुः पिता वा पुत्रस्य दारानाध-
चरति भ्राता वा भ्रातुस्तयोः कापटिकमुखः कलहः पूर्वेण
ख्याख्यातः ।
२. दूष्यमहामात्रपुत्रमात्मसम्भावितं वा सत्री—‘राजपुत्रस्त्वं शत्रु-
भयादिह न्यस्तोऽसि ।’ इत्युपचरेत् । प्रतिपन्नं राजा रहसि
पूजयेत्—‘प्राप्तयौवराज्यकालं त्वां महामात्रभयान्नाभिषि-
ञ्चामि’ इति । तं सत्री महामात्रवधे योजयेत् । विक्रान्तं
तत्रैव घातयेत्—‘पितृघातकोऽयम्’ इति ।
३. भिक्षुकी वा दूष्यभार्या सांवननिकीभिरोषधिभिः संवास्य
रसेनातिसन्दध्यात् । इत्याप्यप्रयोगः ।

१. यदि दूष्य और महामात्र का पुत्र अपने पिता की स्त्रियों के साथ; पिता, पुत्रों की स्त्रियों के साथ; और भाई, भाई की स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो कापटिक गुप्तचर द्वारा उनका आपस में झगड़ा करा दिया जाय; और तदनन्तर पूर्वोक्त विधि से उनका काम-तमाम करा दिया जाय ।
२. अपने आप को बहादुर तथा उदार समझने वाले महामात्र के पुत्र के पास जाकर सत्री कहें कि ‘तुम तो युवराज हो सकते हो: व्यर्थ ही शत्रु के भय से यहाँ पड़े हो’ । सत्री के बचनों पर विश्वास करके जब वह राजा के पास आवे तो एकान्त में लेजाकर राजा उसका अच्छा सत्कार करे और तदनन्तर कहे ‘तुम्हें युवराज पद मिलने का समय आ गया है । महामात्र के भय से मैं तुम्हारा अभिषेक नहीं कर पा रहा हूँ ।’ फिर सत्री उस लड़के को उसके पिता महामात्र की हत्या करने के लिए तैयार करें । जब वह महामात्र की हत्या कर डाले तो पितृघातक का लांछन लगाकर राजा उसको भी मरवा दे ।
३. अथवा भिक्षुकी नामक गुप्तचर स्त्री दूष्य आदि की स्त्री में कहे कि ‘मैं वशीकरण की औषधि को जानती हूँ । तुम इस औषधि को अपने पति को खिलाना’ । इस प्रकार औषधि की जगह विष देकर राजद्रोहियों को मारा जाय । इस कार्य को आप्य-प्रयोग कहते हैं ।

१. दूष्यमहामात्रमटवीं परग्रामं वा हन्तुं कान्तरव्यवहिते वा देशे राष्ट्रपालामन्तपालं वा स्थापयितुं नागरस्थानं वा कुपितमवग्रहीतुं सार्थातिवाह्यं प्रत्यन्ते वा सप्रत्यादेयमादातुं फल्गु बलं तीक्ष्णयुक्तं प्रेषयेत् । रात्रौ दिवा वा युद्धे प्रवृत्ते तीक्ष्णाः प्रतिरोधकव्यञ्जना वा हन्युः—‘अभियोगे हतः’ इति ।
२. यात्राविहारगतो वा दूष्यमहामात्रान् दर्शनायाह्वयेत् । ते गूढशस्त्रैस्तीक्ष्णैः सह प्रविष्टा मध्यमकक्षयायामात्मविचयमन्तः-प्रवेशार्थं दद्युः । ततो दौवारिकाभिगृहीतास्तीक्ष्णा ‘दूष्य-प्रयुक्ताः स्म’ इति ब्रूयुः । ते तदभिविख्याप्य दूष्यान् हन्युः । तीक्ष्णस्थाने चान्ये वध्याः ।

१. राजा को चाहिए कि वह दूष्य महामात्र, जङ्गल के निरीक्षक और बगावती गाँव को मारने के लिए तीक्ष्ण-पुरुषों के साथ थोड़ी सी सेना इस उद्देश्य या वहाने से भेज दे कि अमुक-अमुक्त स्थान-नगरों में अन्तपाल या राष्ट्रपाल की स्थापना करनी है; या अमुक नगर की प्रजा विरुद्ध हो गई है उसको वश में करना है; अथवा सेना भेजने का यह बहाना बताये कि अमुक राज्य की सीमा पर दूसरे राज्य के कृषकों ने हमारी भूमि अपने कब्जे में करली है । तदनन्तर रात या दिन में लड़ाई लगाकर चोर या डाकुओं के वेष में तीक्ष्ण पुरुष अभीष्ट लोगों को मार डालें; और मारने के बाद यह प्रचारित करें लड़ाई में मारा गया है ।

२. तीर्थयात्रा या विहार के लिए प्रस्तुत राजा दूष्य महामात्रों को देखने के लिए अपने पास बुलाये । शस्त्र छिपाये तीक्ष्ण पुरुष भी उन महामात्रों के साथ-साथ राजा के पास भीतर जाय । राजभवन की दूसरी डगोड़ी पर तलाशी लेकर द्वारपाल उन शस्त्रधारी तीक्ष्ण पुरुषों को गिरफ्तार कर लें । वयान में वे कहें कि इन दूष्य लोगों ने राजा को मारने के लिए हमें हथियार लाने को कहा है । तदनन्तर नगर भर में यह बात फैला दी जाय कि वे महामात्र राजा को मारना चाहते थे । इस अपराध में उन्हें प्राण दण्ड दिया गया । उन गिरफ्तार तीक्ष्ण पुरुषों के स्थान पर दूसरों को ही मरवा दिया जाय ।

पाँचवाँ अधिकरण : प्रकरण ८६, अध्याय १

१. वहिर्विहारगतो वा दूष्यानासन्नावासान् पूजयेत् । तेषां देवी-
व्यञ्जना वा दुःस्त्री रात्रावावासेषु गृह्येतेति समानं पूर्वेण ।
२. दूष्यमहामात्रं वा 'सूदो भक्षकारो वा ते शोभनः' इति स्तवेन
भक्ष्यभोज्यं याचेत् । बहिर्वा कचिदध्वगतः पानीयं तद्गुभ्यं
रसेन योजयित्वा प्रतिस्वादने तावेवोपयोजयेत् । तदभिन्वि-
ख्याप्य 'रसदाविति' घातयेत् ।
३. अभिचारशीलं वा सिद्धव्यञ्जनो गोधाकूर्मकर्कटकूटानां लक्ष-
ण्यानामन्यतमप्राशनेन मनोरथानवाप्स्यसीति ग्राहयेत् ।
प्रतिपन्नं कर्मणि रसेन लोहमुसलैर्वा घातयेत् 'कर्मव्यापदा
हत' इति ।

१. अथवा प्रवास के लिए गया हुआ राजा अपने पास ठहरे हुए उन दूष्य लोगों
का खूब आदर-सत्कार करे । फिर किसी व्यभिचारिणी स्त्री को महारानी के
वेप में उनके पास भेज दे; फिर सिपाहियों से वहीं पर उन्हें गिरफ्तार करवा
ले; और इसी अपराध से उनका बंध करवा डाले ।
२. अथवा राजा, दूष्य महामात्र से यह तारीफ करके कि 'तुम्हारे रसोद्भये और
पकवान बनाने वाले बड़े ही निपुण हैं' कुछ खाने को मांगे । या इसी प्रकार
का वहाना बनाकर पीने के लिए पानी माँगे; तदनंतर उनमें विष मिलाके
'लीजिए, पहिले आपही ग्रहण कीजिए' ऐसा कहकर उनको मरवा दे; और
तदनन्तर रसोद्भयों पर विष देने का अपराध लगाकर उन्हें प्राणदण्ड की
सजा दी जाय ।
३. अथवा सिद्ध पुरुष के वेप में गुप्तचर महामात्र से कहे 'अच्छी नसल के गोह,
कछुआ, कंकड़ा और टूटे हुए सींग वाले हिरण आदि में से किसी एक को
यदि अभिचारिक विधि से श्मशान में पकाकर खाया जाय तो सारे मनोरथ
सिद्ध हो जाते हैं । जब महामात्र इसके लिए राजी हो जाय तो उसे जहर
मिलाकर या लोहे के मूसल से कूटकर मार दिया जाय; और यह प्रघार
कराया जाय कि साधना में व्यतिपात हो जाने के कारण उमकी मृत्यु
हो गई ।

१. चिकित्सकव्यञ्जनो वा दौरात्मिकमसाध्यं वा व्याधिं दूष्यस्य स्थापयित्वा भैषज्याहारयोगेषु रसेनातिसन्दध्यात् ।
२. सूदारालिकव्यञ्जना वा प्रणिहिता दूष्यं रसेनातिसन्दध्युः । इत्युपनिषत्प्रतिषेधः ।
३. उभयदूष्यप्रतिषेधस्तु । यत्र दूष्यः प्रतिषेद्धव्यस्तत्र दूष्यमेव फल्गुबलतीक्ष्णयुक्तं प्रेषयेत्—‘गच्छामुष्मिन्दुर्गे राष्ट्रे वा सैन्य-मुत्थापय हिरण्यं वा, बल्लभाद्वा हिरण्यमाहारय, बल्लभकन्यां वा प्रसह्यानय । दुर्गसेतुवणिकपथशून्यनिवेशखनिद्रव्यहस्तिवन-कर्मणामन्यतमं वा कारय, राष्ट्रपाल्यमन्तपाल्यं वा । यश्च त्वा प्रतिषेधयेन्न वा ते साहाय्यं दद्यात्, स बन्धव्यः स्यादिति । तथैवेतरेषां प्रेषयेत्—‘अमुष्याविनयः प्रतिषेद्धव्यः’ इति । तमे-

१. अथवा चिकित्सक के वेष में गुप्तचर महामात्र के पास जाकर कहे कि उसको दुराचार से उत्पन्न या असाध्य रोग हो गया है और चिकित्सा करते समय औषधि या भोजन में विष मिलाकर उसको मार डाले ।
२. अथवा रसोइया तथा हलवाई आदि पकी चीजों में विष मिलाकर उस महामात्र को मार डालें । यहाँ तक गुप्त रूप से दूष्यों के निग्रह के ढंग बताये गये ।
३. दो दूष्य पुरुषों को किस प्रकार एक ही साथ विनष्ट किया जा सकता है, अब इसका उपाय बताया जाता है। जहाँ एक दूष्य को काबू में करना हो, वहाँ दूसरे दूष्य के साथ थोड़ी-सी सेना और कुछ तीक्ष्ण पुरुष भेजे । उस दूष्य से यह कहा जाय कि अमुक किले या प्रांत में जाकर वह सेना के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती करे । अथवा उसको आज्ञा दी जाय कि वह सुवर्ण या धन जमा करे; या अमुक अध्यक्ष का धन चुराये; या अमुक अध्यक्ष की कन्या को बलात् चुरा ले; या अमुक स्थान पर मकान तथा दुर्ग बनाये; व्यापारियों के मार्ग को ठीक करे; या जंगल में मकान बनाये; अथवा अमुक खानों या लकड़ी-हाथी के जंगलों में ऐसा कार्य करे; या राष्ट्रपाल अथवा अंत-पाल के कार्यों को करे । उसे यह भी समझा दिया जाय कि यदि उसके इन कार्यों में कोई रुकावट डाले या सहयोग न दे तो उसे गिरफ्तार किया

तेषु कलहस्थानेषु कर्मप्रतिघातेषु वा विवदमानं तीक्ष्णाः शस्त्रं पातयित्वा प्रच्छन्नं हन्युः । तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः ।

१. पुराणां ग्रामाणां कुलानां वा दूष्याणां सीमाक्षेत्रखलवेदमर्यादासु द्रव्योपकरणसस्यवाहनहिंसासु प्रेक्षाकृत्योत्सवेषु वा समुत्पन्ने कलहे तीक्ष्णैरुत्पादिते वा तीक्ष्णाः शस्त्रं पातयित्वा ब्रूयुः—‘एवं क्रियन्ते येऽमुना कलहायन्ते’ इति । तेन दोषेणे-तरे नियन्तव्याः ।

२. येषां वा दूष्याणां जातमूलाः कलहाः तेषां क्षेत्रखलवेदमान्यादीपयित्वा बन्धुसम्बन्धिषु वाहनेषु वा तीक्ष्णाः शस्त्रं पातयित्वा तथैव ब्रूयुः—‘अमुना प्रयुक्ताः स्मः’ इति । तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः ।

जाय । इसी प्रकार दूसरे दूष्यों को मौखिक सूचना भेजी जाय कि वे भ्रमुक व्यक्ति की उदण्डता को रोकें । इस प्रकार उनमें परस्पर विवाद पैदा होने पर झगड़ले दूष्य को तीक्ष्ण या गुप्त रूप से मार डालें । तदनंतर राजा के पुरुष उस हत्या का दोष दूसरे दूष्य पर आरोपित करके उसे भी मरवा दें ।

१. राजद्रोही नगरों, गावों, कुलों की सीमाओं, खेत, खलिहान, मकानों की सीमा, सुवर्ण, वस्त्र, भद्र तथा सवारी आदि का नाश कर देने से, तमाशों-उत्सवों में झगड़ा होने पर, दूष्य नगरों में झगड़ा होने पर, तीक्ष्ण गुप्तचर ही दूष्यों को मार डाले और उस हत्या का आरोप दूसरे दूष्यों पर थोप दें । जो भी लड़ाई-झगड़ा करेंगे, उन्हें इसी प्रकार मरवा दिया जायगा, ऐसा कहकर दूसरे दूष्यों को भी मरवा दिया जाय ।

२. तीक्ष्ण गुप्तचरों को चाहिए कि वे ‘आपस में पुरानी दुश्मनी को लेकर आने वाले दूष्य पुरुषों के खेत, खलिहान, मकान आदि को जलाकर, उनके बंधु-बांधवों, साथियों और पशुओं की हथियार से मार करके यह प्रचारित करें कि ‘भ्रमुक व्यक्ति ने हमें ऐसा कार्य करने के लिए कहा था ।’ उसके बाद वे बताये गए लोग गिरफ्तार कर शूली पर चढ़ाये जाय ।

१. दुर्गराष्ट्रदूष्यान् वा सत्रिणः परस्परस्यावेशनिकान् कारयेयुः ।
तत्र रसदा रसं दद्युः । तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः ।
२. भिक्षुकी वा दूष्यराष्ट्रमुख्यं दूष्यराष्ट्रमुख्यस्य भार्या स्नुषा
दुहिता वा कामयत इत्युपजपेत् । प्रतिपन्नस्याभरणमादाय
स्वामिने दर्शयेत्—असौ ते मुख्यो यौवनोत्सिक्तो भार्या
स्नुषां दुहितरं वाभिमन्यते इति । तयोः कलहो रात्रौ
इति समानम् ।
३. दूष्यदण्डोपनतेषु तु युवराजः सेनापतिर्वा किञ्चिदुपकृत्याप-
क्रान्तो विक्रमेत् । ततो राजा दूष्यदण्डोपनतानेव प्रेषयेत् ।
फलगुबलतीक्ष्णयुक्तानिति समानाः सर्व एव योगाः ।
४. तेषां च पुत्रेष्वनुक्षिपत्सु यो निर्विकारः स पितृदायं लभेत् ।
एवमस्य पुत्रपौत्राननुवर्तते राज्यमपास्तपुरुषदोषमिति ।

१. सभी गुप्तचर आपसी दुश्मनी रखने वाले दूष्यों को परस्पर मिलाकर एक-दूसरे के घर में उन्हें निमंत्रण दिलवाये और तीक्ष्ण गुप्तचर भोजन में विष डालकर उनमें से एक को मार दें, दूसरे को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर फाँसी दी जाय ।
२. अथवा गुप्तचर भिक्षुकी राष्ट्र के किसी उच्चपदस्थ दूष्य से कहे कि 'अमुक दूष्य की पत्नी, पुत्रवधू या लड़की उस पर अनुरक्त है ।' यदि वह विश्वास कर ले तो उससे कोई आभूषण आदि लेकर दूसरे दूष्य को दिखलाये और 'वह अमुक महाधिकारी जवानी में मतवाला हो कर तुम्हारी पत्नी, पुत्रवधू आदि को चाहता है ।' इस प्रकार उनका आपस में झगडा हो जाने के बाद रात में तीक्ष्ण या चर एक को मार डाले और फैलादे कि उसको अमुक दूष्य ने मारा है, इसी अपराध में उस दूसरे दूष्य को भी गिरफ्तार किया जाय ।
३. दण्डोपनन्तर [सेना द्वारा या में किये गये] दूष्यों के साथ युवराज या सेना-पति पहिले कुछ उपकार करे और बाद में उनसे अलग होकर उनसे झगडा करता रहे । तदनंतर राजा कुछ सेना के साथ उन्हें दूसरे द्रोहियों को शांत करने के लिए भेजे । तदनंतर उनके साथ पूर्ववत् व्यवहार किया जाय ।
४. बध किये गये द्रोही महामात्रों में वही पुत्र उत्तराधिकारी हो सकता है जो

पाँचवाँ अधिकरण : प्रकरण ८६ अध्याय १

१. स्वपक्षे परपक्षे वा तूष्णीं दण्डं प्रयोजयेत् ।
आयत्यां च तदात्वे च क्षमावानविशङ्कितः ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमाऽधिकरणे दण्डकार्मिकं नाम प्रथमोऽध्यायः;
आदित एकनवतितमः ।



राजा की निन्दा न करे और जो राजा से पिता की हत्या का बदला लेने का खयाल न करे । यदि कोई पुरुष राजा के विरुद्ध कोई संकल्प मन में न करे तो उसके पुत्र-पौत्र आदि बेटे-बेटके अपनी पैतृक संपत्ति को भोग सकते हैं ।

१. इस प्रकार क्षमाशील राजा को चाहिए कि वह वर्तमान और भविष्य में बिना किसी शंका के उचित रूप से अपने तथा दूसरे के पक्ष में इस गूढ़ दण्ड का प्रयोग करे ।

योगवृत्त नामक पञ्चम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



कोशामिसंहरणम्

१. कोशमकोशः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्छ्रः संगृहीयात् ।
२. जनपदं महान्तमल्पप्रमाणं वा देवमातृकं प्रभूतधान्यं धान्य-
स्यांशं तृतीयं चतुर्थं वा याचेत् । यथासारं मध्यमवरं वा ।
३. दुर्गसेतुकर्मवणिकपथशून्यनिवेशखनिद्रव्यहस्तिवनकर्मोपकारिणं
प्रत्यन्तमल्पप्रमाणं वा न याचेत् ।
४. धान्यपशुहिरण्यादिनिविशमानाय दद्यात् । चतुर्थमंशं धान्या-
नां बीजभक्तशुद्धं च हिरण्येन क्रीणीयात् ।

कोष का अधिकाधिक संग्रह

१. खजाने के कम हो जाने या अकस्मात् ही अर्थसङ्कट उपस्थित हो जाने पर राजा को कोष-सञ्चय करना चाहिए ।
२. बड़े या छोटे ऐसे जनपदों से अन्न का तीसरा या चौथा हिस्सा राज्यकर प्रजा की अनुमति से वसूल किया जाय, जहाँ का जीवन वृष्टि पर निर्भर हो और जहाँ काफी अनाज पैदा होता हो । इसी प्रकार मध्य श्रेणी के या छोटे जनपदों से भी अन्न-संग्रह किया जाय ।
३. किन्तु जो जनपद मिले, मकानों व्यापारी मार्गों, खाली मैदानों, खानों और लकड़ी-हाथी के जंगलों द्वारा राजा तथा प्रजा का उपकार करते हों; जो प्रदेश राज्य की सीमा पर हों और जिनके पास अन्न आदि बहुत थोड़ा हो; उनसे यह राज्यकर न लिया जाय ।
४. नये बसने वाले किसानों को अन्न, बैल, पशु और धन सरकार की ओर से सहायतार्थ दिया जाय । इस तरह के किसानों से राजा उनकी पैदाइश का चौथा हिस्सा खरीद ले, और फिर बीज तथा उनके गुजारे लायक छोड़कर बाकी भी खरीद ले ।

१. अरण्यजातं श्रोत्रियस्वं च परिहरेत् । तदप्यनुग्रहणे क्रीणीयात् ।
२. तस्याकरणे वा समाहर्तृपुरुषा ग्रीष्मे कर्षकाणामुद्धारणं कारयेयुः । प्रमादावस्कन्नस्यात्ययं द्विगुणमुदाहरन्तो बीजकाले बीजलेख्यं कुर्युः । निष्पन्ने हरितपक्वादानं वारयेयुः । अन्यत्र शाककटभङ्गमुष्टिभ्यां देवपितृपूजादानार्थं गवार्थं वा भिक्षुकग्रामभृतकार्थं च राशिमूलं परिहरेयुः ।
३. स्वसस्यापहारिणः प्रतिपातोऽष्टगुणः । परसस्यापहारिणः पञ्चाशद्गुणः सीतात्ययः स्ववर्गस्य बाह्यस्य तु वधः ।
४. चतुर्थमंशं धान्यानां षष्ठं वन्यानां तूललाक्षाक्षौमवल्ककार्पासरौमकौशेयक्रौपधगन्धपुष्पफलशाकपण्यानां काष्ठवेणुमांसवल्लू-

१. जंगल में पैदा हुए तथा श्रोत्रिय द्वारा पैदा किए अन्न में राजा हिस्सा न ले बीज और खाने योग्य अन्न को छोड़कर उसमें से भी राजा खरीद सकता है ।
२. यदि श्रोत्रिय खेती न करे तो समाहर्ता आदि अधिकारियों को चाहिए कि उस जमीन को वे गरमी की जुताई-बुआई के लिये दूसरे किसानों को दे दें । यदि किसान की लापरवाही से बीज नष्ट हो जाय तो समाहर्ता उसपर दुगुना जुर्माना करे और दूसरी फसल पर उस सारी कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कर दे । फसल की तैयारी होने पर किसानों को कच्चा-पक्का अन्न लाने के लिए रोक दिया जाय । किन्तु वे देवपूजा, पितृपूजा या गाय के लिये मुट्ठी भर अनाज या मुट्ठी भर पुआल ला सकते हैं । किसानों को चाहिए कि वे भिखारी तथा गाँव के, नाई, धोबी, कुम्हार आदि के लिए खलिहान में अन्न-राशि के नीचे का हिस्सा छोड़ दे ।
३. सरकार को पैदावार की कमी दिखाने के लिए यदि किसान अपने ही खेत में चोरी करे तो उससे, चोरी किए हुए अन्न का, अठगुना दण्ड वसूल किया जाय । यदि कोई व्यक्ति अपने ही गाँव में खड़ी फसल की चोरी करे तो उसे चोरी के माल का पचास गुना दण्ड दिया जाय । यदि वह दूसरे गाँव का हो तो उसे प्राण दण्ड की सजा दी जाय ।
४. धान्यों का चौथा हिस्सा और वन में होने वाले अन्न का तथा रुई, टाग, जूट, छाल, कपास, ऊन, रेशम, औषधि, गन्ध, पुष्प, फल, शाक, लकड़ी,

राणां च गृह्णीयुः । दन्ताजिनस्यार्धम् । अनिसृष्टं विक्रीणानस्य
पूर्वः साहसदण्डः ।

१. इति कर्षकेषु प्रणयः ।

२. सुवर्णरजतवज्रमणिमुक्ताप्रवालाश्वहस्तिपण्याः पञ्चाशत्कराः ।
सूत्रवस्त्रताम्रवृत्तकंसगन्धभैषज्यशीघ्रुपण्याश्चत्वारिंशत्कराः । धा-
न्यरसलोहपण्याः शकटव्यवहारिणश्च त्रिंशत्कराः । काचव्यवहा-
रिणो महाकारवश्च विंशतिकराः । लुद्रकारवो बन्धकीपोपकाश्च
दशकराः । काष्ठवेणुपाषाणमृद्भाण्डपक्वानहरितपण्याः पञ्चकराः ।

३. कुशीलवा रूपाजीवाश्च वेतनार्धं दद्युः ।

४. हिरण्यकरमकर्मण्यानाहारयेयुः । न चैषां कश्चिदपरार्धं परि-
हरेयुः ते ह्यपरगृहीतमभिनीय विक्रीणीरन् ।

वाँस, सूखा मांस, आदि का छठा हिस्सा राजकर के रूप में लिया जाय ।
हाथी दाँत और गाय आदि के चमड़े का आधा हिस्सा राजकर में लिया
जाय । जो व्यक्ति इन वस्तुओं को छिपाकर बेचे, उन्हें प्रथम साहस
दण्ड दिया जाय ।

१. यहाँ तक किसानों के प्रति राजा की ओर से कर की याचना के सम्बन्ध में
विधान किया गया ।

२. राजकर : सोना, चाँदी, हीरा, मणि, मोती, मूँगा, घोड़े और हाथी आदि
व्यापारिक वस्तुओं पर उनकी लागत का पचासवाँ हिस्सा टैक्स लिया
जाय । इसी प्रकार सूत, कपड़ा, ताँबा, पीतल, काँसा, गन्ध, जड़ी-बूटी और
शराब पर चालीसवाँ हिस्सा; गोहूँ, धान आदि भन्न, तेल, घी, लोहा और
वैलगाड़ियों पर तीसवाँ हिस्सा; काँच के व्यापारी तथा बड़े-बड़े कारीगरों पर
बीसवाँ हिस्सा; छोटे-छोटे कारीगरों तथा कुलटा स्त्रियों को घर में रखने
वालों से दसवाँ हिस्सा; और लकड़ी, वाँस, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, पकवान
तथा हरे शाक आदि पर पाँचवाँ हिस्सा सरकारी टैक्स लिया जाय ।

३. नट, नर्तक, गायक तथा वेश्यायें अपनी कमाई का आधा हिस्सा राजकर दें ।

४. व्यापारियों से प्रति पुरुष के हिसाब से कुछ नकदी कर रूप में ली जाय
और इस भय से व्यापार छोड़ देने पर भी उनका कर वसूला जाय । क्योंकि

१. इति व्यवहारिषु प्रणयः ।
२. कुक्कुटसूकरमर्धं दद्यात् । क्षुद्रपशवः षड्भागम् । गोमहिषाश्व-
तरखरोष्ट्राश्च दशभागम् । बन्धकीपोपका राजप्रेष्याभिः परम-
रूपयौवनाभिः कोशं संहरेयुः ।
३. इति योनिपोषकेषु प्रणयः ।
४. सकृदेव न द्विः प्रयोज्यः । तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यमप-
दिश्य पौरजानपदान् भिक्षेत । योगपुरुषाश्चात्र पूर्वमतिमात्रं
दद्युः । एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान् भिक्षेत । काप-
टिकाश्चैनानल्पं प्रयच्छतः कुत्सयेयुः । सारतो वा हिरण्यमा-
ढयान् याचेत ।
५. यथोपकारं वा स्ववशा वा यदुपहरेयुः । स्थानच्छत्रवेष्टनविभू-

ऐसे लोगों से यह भी सम्भव हो सकता है कि वे अपनी वस्तु को दूसरे की कहकर बेचें; जिससे कि टैक्स से बच जाय ।

१. यहाँ तक व्यापारियों से राज्यकर लेने के सम्बन्ध में कहा गया ।
२. सुर्गों और सूअर पालने वाले, उनकी आमद का आधा हिस्सा टैक्स दें । इसी प्रकार भेड़-वकरी पालने वाले छठा हिस्सा; गाय, भैंसे, खच्चर, गधा तथा ऊँट पालने वाले दसवाँ हिस्सा राजकर दें । वेश्याओं के जमादारों को चाहिए कि वे राज-अनुमत रूपवती वेश्याओं द्वारा राजकोष के लिए धन जमा करें ।
३. यहाँ तक जानवर पालने वालों से राज्यकर लेने के सम्बन्ध में कहा गया ।
४. राज्यकर एक बार ही लेना चाहिए, दुबारा नहीं । यदि एक बार कर लेने में खजाने को न बढ़ाया जा सके तो समाहर्ता को चाहिए कि किसी कार्य का बहाना बनाकर वह नगरवासियों और प्रदेशवासियों से धन की याचना करे । इस योजना में मिले हुए लोग जनता को दिताने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा धन दें । इसी बहाने से राजा अपनी प्रजा से धन की याचना करे । यदि कोई थोड़ा धन दे तो राजा के गुप्तचर उसकी निंदा समाज में फैलायें । धनी व्यक्तियों से उनकी हैसियत के अनुसार धन लिया जाय ।
५. राज्य की ओर से उपकृत लोगों पर उपकार के अनुपात में या प्रितना

षाश्वैषां हिरण्येन प्रयच्छेत् । पाषण्डसंघद्रव्यमश्रोत्रियभोग्यं
देवद्रव्यं वा कृत्यकराः प्रेतस्य दग्धगृहस्य वा हस्ते न्यस्त-
मित्युपहरेयुः ।

१. देवताध्यक्षो दुर्गराष्ट्रदेवतानां यथास्वमेकस्थं कोशं कुर्यात् ।
तथैव चाहरेत् । दैवतचैत्यं, सिद्धपुण्यस्थानभौमवादिकं वा
रात्रावुत्थाप्य यात्रासमाजाभ्यामाजीवेत् । चैत्योपवनवृक्षेण
वा देवताभिगमनमनार्तवपुष्पफलयुक्तेन ख्यापयेत् । मनुष्य-
करं वा वृक्षे रक्षोभयं रूपयित्वा सिद्धव्यञ्जनाः पौरजानपदानां
हिरण्येन प्रतिकुर्युः । सुरुङ्गायुक्ते वा कूपे नागमनियतशिरस्कं

धन मिले हुए लोग दें, उतनी ही रकम देने को धनवानों से आग्रह किया जाय । और इस प्रकार उन सहायता देने वाले घनी पुरुषों को अधिकार, उच्चासन, छत्र, वेष्टन (पगड़ी) तथा आभूषण आदि देकर संमानित किया जाय । किसी पाखंडी या पाखंड-समूह की सम्पत्ति को, तथा उस मन्दिर की सम्पत्ति को जिसका कोई भी अंश ओत्रिय के पास नहीं जाता है, तथा मरे हुए एवं घर जले हुए की सम्पत्ति को, उनका कर्म कराने के बहाने, राजकोष में जमा कर लिया जाय ।

१. देवताध्यक्ष (देव मन्दिरों का अधिकारी) को चाहिए कि वह दुर्ग तथा राष्ट्र के देवमन्दिरों की आमदनी को एक स्थान पर जमा करके रखे । उसको फिर राजा को दे दे । किसी प्रसिद्ध पवित्र स्थान में 'भूमि को फाड़ कर देवता प्रकट हुआ है' ऐसी अफवाह फैलाकर रात में वहाँ देवता की एक वेदी बनवा दी जाय और मेला लगवा कर यात्रियों तथा दर्शकों से वहाँ खूब भेंट चढ़वाई जाय; उसको राजा ले ले । विना मौसम किसी मन्दिर या उपवन में किसी पेड़ पर फल या फूल पैदा कराके यह प्रसिद्धि करवा दी जाय कि वह तो देव-महिमा है । अथवा सिद्धों के वेष में घूमने वाले गुप्तचर रात में किसी पेड़ पर बैठ कर 'मुझे प्रतिदिन एक-एक मनुष्य चाहिए; नहीं तो सबको एक ही साथ खाजाऊँगी' ऐसा राक्षस का बानिक बनाया जाय; उसके प्रतीकार के लिए जनता से धन-संग्रह किया जाय; और वह धन राजकोष में रखा जाय । अथवा किसी सुरङ्ग वाले कुएँ में

हिरण्योपहारेण दर्शयेद् नागप्रतिमायामन्तश्छिद्रायाम् चैत्य-
च्छिद्रे वल्मीकच्छिद्रे वा सर्पदर्शन आहारेण प्रतिबद्धसंज्ञं
कृत्वा श्रद्धानानादर्शयेत् । अश्रद्धानानामाचमनप्रोक्षणेषु
रसमवपाय्य देवताभिर्शपं ब्रूयात् । अभित्यक्तं वा दंशयित्वा
योगदर्शनप्रतीकारेण वा कोशाभिसंहरणं कुर्यात् ।

१. वैदेहकव्यञ्जनो वा प्रभूतपण्यान्तेवासी व्यवहरेत् । स यदा
पण्यमूल्ये निक्षेपप्रयोगैरुपचितः स्यात् तदैतं रात्रौ मोषयेत् ।
एतेन रूपदर्शकः सुवर्णकारश्च व्याख्यातौ ।
२. वैदेहकव्यञ्जनो वा प्रख्यातव्यवहारः प्रवहणनिमित्तं याचित-

तीन या पाँच शिर वाले बनावटी नाग को दिखाया जाय और उसको
दिखाने के बदले में दर्शकों से धन लिया जाय; फिर उस धन को राजकोप
में जमाकर दिया जाय । या किसी मन्दिर तथा वल्मीक में साँप को
अज्ञानक दिखा कर उसे मन्त्र या औषधि से वश में कर लिया जाय,
और तब यह कहते हुए श्रद्धालु भक्तों को उसके दर्शन कराये जाँय कि
'देखो, देवता की कैसी महिमा है ?' । जो व्यक्ति इस पर विश्वास न
करें उन्हें चरणामृत के साथ इतना विष दिया जाय, जिससे वे बेहोश
हो जायँ; और फिर यह प्रसिद्धि की जाय कि 'यह नाग देवता का शाप है ।'
जो व्यक्ति देवता की निन्दा करें उन्हें साँप से कटवा दिया जाय और
उसको भी देवता का ही शाप कहा जाय । फिर बाद में औपनिषदिक
प्रकरण में निर्दिष्ट रीति से चिकित्सा कर उसके विष को दूर कर दिया
जाय । इक प्रकार धन संचय करके राजा अपने खजाने को बढ़ाये ।

१. अथवा व्यापारी के वेप में वैदेहक नामक गुप्तचर प्रचुर वस्तुओं और
अनेक सहायकों को लेकर व्यापार करना आरम्भ कर दें । लोगों के बीच
जब उसकी साख बन जाय, और अमानत के रूप में तथा व्याज आदि के
लिए लोग उसके पास जब काफी पूजी जमा कर दें, तब अज्ञानक ही बट
चोरी हो जाने का ढिंढोरा कर सारा माल राजा के लिए हथप ले ।
२. इसी प्रकार सरकार द्वारा नियुक्त सिक्कों का पारपी और सुतार भी
छल-कपट से राजकोप के लिए धन एकत्र करें । अथवा व्यापारी के वेप में

कमवक्रीतकं वा रूप्यसुवर्णभाण्डमनेकं गृह्णीयात् । समाजे वा सर्वदूष्यसन्दोहेन प्रभूतं हिरण्यसुवर्णमृणं गृह्णीयात् । प्रतिभाण्डमूल्यं च । तदृभयं रात्रौ मोपयेत् ।

३. साध्वीव्यज्रनाभिः स्त्रीभिर्दूष्यानुन्मादयित्वा तासामेव वेश्म-
स्त्रभिर्गृह्य सर्वस्वान्याहरेयुः ।
४. दूष्यकुल्यानां वा विवादे प्रत्युत्पन्ने रमदाः प्रणिहिता रसं
दद्युः । तेन दोषणेतरे पर्यादातव्याः ।
५. दूष्यमभित्यक्तो वा श्रद्धेयापदेशं पण्यं हिरण्यनिक्षेपमृणप्रयोगं
दायं वा याचेत । दासशब्देन वा दूष्यमालम्बेत । भार्यामस्य
स्नुषां दुहितरं वा दासीशब्देन भार्याशब्देन वा । तं दूष्यगृह-

राजा के गुप्तचर जब लेन-देन में खूब प्रसिद्ध हो जायें तो एक दिन वे सहभोज के बहाने पास-पड़ोस के लोगों से माँगकर या भाड़े पर सोने-चाँदी आदि के बर्तन ले आवें या अपना माल रखकर उसके बदले में अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में किसी से रुपया या सोना ऋण ले आवें, और दूसरे दिन जिनसे अपनी वस्तुएँ बेचनी है उनसे प्रतिवस्तु का दाम ले आवें । इन दोनों प्रकार के लाए हुए मालों की वह रात्रि में चोरी करवा दे; इस प्रकार राजकोष को भरने का यत्न करे ।

३. कुलीन वेष में रहने वाली गुप्तचर स्त्रियों के द्वारा दूष्य पुरुषों को उत्साहां बनाकर उन स्त्रियों के घरों में ही उनको गिरफ्तार किया जाय और तब उनका सर्वस्व छीन लिया जाय ।
४. दूष्य पुरुषों के आपसी झगड़े के समय गुप्तचरों को चाहिए कि उनके पास रहते हुए किसी एक को वे विष देकर मार दें । दूसरे दूष्य का धन अपराध में अपहरण किया जाय ।
५. कोई पदच्युत या जातिच्युत व्यक्ति माल, सोने की अमानत, ऋण अथवा दायभाग आदि को दूष्य से इस प्रकार माँगे जिससे कि लोगों को विश्वास हो जाय कि इनका आपस में घनिष्ठ संबन्ध है । अथवा वह दूष्य को दास कह कर तथा उसकी स्त्री, पुत्री आदि को दासी या पत्नी

प्रतिद्वारि रात्रावुपशयानमन्यत्र वा वसन्तं तीक्ष्णो हत्वा
ब्रूयात्—‘हतोऽयमित्थं कामुक’ इति । तेन दोषेणेतरे पर्या-
दातव्याः ।

१. सिद्धव्यञ्जनो वा दूष्यं जम्भकविद्याभिः प्रलोभयित्वा ब्रूयात्—
‘अक्षयं हिरण्यं राजद्वारिकं स्त्रीहृदयमरिव्याधिकरमायुष्यं पुत्रीयं
वा कर्म जानामि’ इति । प्रतिपन्नं चैत्यस्थाने रात्रौ प्रभूत-
सुरामांसगन्धमुपहारं कारयेत् । एकरूपं चात्र हिरण्यं पूर्व-
निखातम् । प्रेताङ्गं प्रेतशिशुर्वा यत्र निहितः स्यात् । ततो
हिरण्यस्य दर्शयेदत्यल्पमिति च ब्रूयात्—‘प्रभूतहिरण्यहेतोः
पुनरुपहारः कर्तव्यः’ इति । स्वयमेवैतेन हिरण्येन श्वोभूते
प्रभूतमौपहारिकं क्रीणीहि’ इति । तेन हिरण्येनौपहारिकक्रये
गृह्येत ।

आदि कह कर गाली दे । उस रात वह उसके ही द्वार पर या अन्यत्र
कहीं सो जाय; फिर तीक्ष्ण पुरुष जाकर उसको मार दें और यह भफवाह
फैला दें कि ‘यह कामी पुरुष दूष्य के साथ इस प्रकार झगड़ा करते हुए
मारा गया ।’ इसी अपराध में राजा, दूष्य का सर्वस्व हर ले ।

१. अथवा सिद्ध के वेष में गुप्तचर दूष्य को ऐसा कह कर प्रलोभन दे कि
‘मैं अपार हिरण्य के खजाने को देखना, राजा को वश में करना, स्त्री को
वश में करना, दुश्मन को बीमार करना, आयु को बढ़ाना और सन्तान को
पैदा करना आदि चमत्कार जानता हूँ ।’ जब दूष्य राजी हो जाय तो रात में
किसी देवस्थान के पास लेजाकर गुप्तचर उसको खूब मदिरा, मांस, गन्ध
आदि देवता को चढ़ाने के लिए कहे; तदनन्तर जहाँ मुर्दे का कोई भङ्ग या
मरा हुआ बच्चा गड़ा हो वहाँ से, पहिले गाढ़ा हुआ, पुराना सिक्का निकाल
कर उससे कहे कि ‘यह बहुत कम है, क्योंकि तुमने कम भेंट चढ़ाई थी ।
यदि तुम अधिक भेंट चढ़ाना चाहते हो तो यह सोना लो और कल अधिक
सामग्री लाकर देवता को अधिक से अधिक भेंट चढ़ाना । जब दूसरे दिन
दूष्य उस सुवर्ण का सामान खरीदने लगे तभी उसको गिरफ्तार करके
उसका सर्वस्व अपहरण किया जाय ।

१. मातृव्यञ्जनया वा 'पुत्रो मे त्वया हतः' इत्यवरूपितः स्यात् । संसिद्धमेवास्य रात्रियागे वनयागे वनक्रीडायां वा प्रवृत्तायां तीक्ष्णा विशस्याभित्यक्तमतिनयेयुः ।
२. दूष्यस्य वा भृतकव्यञ्जनो वेतनहिरण्ये कूटरूपं प्रक्षिप्य प्ररूपयेत् ।
३. कर्मकारव्यञ्जनो वा गृहे कर्म कुर्वाणः स्तेनकूटरूपकारकोपकरणमपनिद्ध्यात् । चिकित्सकव्यञ्जनो वा गरमगरापदेशेन ।
४. प्रत्यासन्नो वा दूष्यस्य सत्री प्रणिहितमभिषेकभाण्डममित्र-शासनं च । कापटिकमुखेन आचक्षीत, कारणं च ब्रूयात् ।
५. एवं दूष्येष्वधार्मिकेषु च वर्तेत । नेतरेषु ।

१. अथवा माता-पिता के शेष में कोई गुप्तचर स्त्री दूष्य पर यह दोषारोपण करे कि 'तूने मेरा लड़का मारा है' । जब दूष्य पुरुष रात्रिहवन, वनयज्ञ और वनक्रीड़ा को प्रस्थान करे तो तीक्ष्ण लोग किसी नियुक्त किए पुरुष को मारकर दूष्य के रात्रि-हवन आदि के पास उसको गाड़ दें; और इसी अपराध में दूष्य को गिरफ्तार कर उसका सर्वस्व अपहरण किया जाय ।
२. अथवा दूष्य के पास नौकर के रूप में रहने वाला कोई खुफिया वेतन में जाली सिक्का मिलाकर उसकी सूचना राजा को कर दे ।
३. अथवा चारक के वेष में दूष्य के घर कार्य करता हुआ कोई खुफिया छिपे तौर पर जाली सिक्का बनाने के सब साधन वहाँ रख दे । अथवा कोई खुफिया वैद्य दूष्य को औषधि की जगह विष दे दे ।
४. अथवा दूष्य के पास रहता हुआ सत्री नामक गुप्तचर दूष्य के घर में रखे राज्याभिषेक तथा शत्रु के लेख की सूचना कापटिक गुप्तचर के द्वारा राजा तक पहुँचा दे । उसका कारण यह सिद्ध किया जाय कि वह दूष्य राजा को मारकर उसकी जगह अपना अभिषेक कराना चाहता है । इसी अपराध में उसका सब कुछ ले लिया जाय ।
५. अपने कोप की वृद्धि के लिए राजा इस प्रकार के उपायों का प्रयोग दूष्यों और अधार्मिक व्यक्ति पर ही करे, दूमरों पर नहीं ।

पाँचवा अधिकरण : प्रकरण ६०, अध्याय २

१. पक्वं पक्वमिवारामात् फलं राज्यादवाप्नुयात् ।
आत्मच्छेदभयादामं वर्जयेत् कोपकारकम् ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमाऽधिकरणे कोशाभिसंहरणं नाम द्वितीयोऽध्यायः;
आदितो द्विनवतितमः ।



१. राजा को चाहिए कि वह दुष्ट पुरुषों का धन उसी प्रकार ले ले जिस प्रकार बाटिका से पके हुए फल को लिया जाता है; किन्तु धर्मात्मा पुरुषों का धन वह उसी प्रकार छोड़ दे जैसे कच्चे फल को छोड़ दिया जाता है। कच्चे फल के समान धर्मात्मा पुरुषों से वसूला गया धन प्रजा के कोप का कारण बन जाता है।

योगवृत्त नामक पंचम अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



मृत्यभरणीयम्

१. दुर्गजनपदशक्त्या मृत्यकर्म समुद्रयपादेन स्थापयेत् । कार्य-साधनसहेन वा मृत्यलाभेन शरीरमवेक्षेत, न धर्मार्थौ पीडयेत् ।
२. ऋत्विगाचार्यमन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजराजमातृराजमहिष्योऽष्टचत्वारिंशत्साहस्राः । एतावता भरणे नानास्वाद्यत्वम-कोपकं चैषां भवति ।
३. दौवारिकान्तर्वशिकप्रशास्त्वसमाहर्तृसन्निधातारश्चतुर्विंशतिसाह-स्राः । एतावता कर्मण्या भवन्ति ।

मृत्यों का भरण पोषण

१. दुर्ग और जनपद की शक्ति के अनुसार नौकरों को रखा जाय और राज्य की आय का चौथा भाग उनके भरण-पोषण पर व्यय किया जाय । अथवा कार्य-कुशल मृत्य जितने भी वेतन पर मिलें; उन्हें नियुक्त किया जाय; किन्तु आमदनी के स्तर पर अवश्य ध्यान रखा जाय । कहीं ऐसा न हो कि आम-दनी कम और खर्चा अधिक हो जाय । ऐसा कोई भी कार्य न किया जाय जिससे धर्म और अर्थ की व्यर्थ क्षति हो ।
२. ऋत्विक्, आचार्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता और पटरानी, इन्हें प्रतिवर्ष अठतालीस हजार पण वेतन (मृत्ति) दिया जाय । इनके भरण-पोषण के लिए इतना यथेष्ट है और ऐसी स्थिति में राजा के लिए भारस्वरूप वचन कर उसके कोष का कारण भी नहीं हो सकते हैं ।
३. द्वारपाल (दौवारिक), अंतः पुर रक्षक (अन्तर्वशिक), आयुधाध्यक्ष (प्रशास्ता), कर वसूल करने वाला अधिकारी (समाहर्ता) और भांडागाराध्यक्ष (सन्निधाता), इनको प्रति वर्ष चौबीस हजार पण वेतन दिया जाय । इतना वेतन देने में ये अपने कार्यों को भली भाँति करते रहेंगे ।

पाँचवाँ अधिकरण : प्रकरण ६१, अध्याय ३

१. कुमारकुमारमातृनायकपौरव्यावहारिककार्मान्तिकमन्त्रिपरिष-
द्राष्ट्रपालान्तपालाश्च द्वादशसाहस्राः । स्वामिपरिवन्धबलसहाया
हेतावता भवन्ति ।
२. श्रेणीमुख्या हस्त्यश्वरथमुख्याः प्रदेष्टारश्च अष्टसाहस्राः । स्व-
वर्गानुकर्षिणो हेतावता भवन्ति ।
३. पर्यश्वरथहस्त्यध्यक्षाः द्रव्यहस्तिवनपालाश्च चतुःसाहस्राः ।
४. रथिकानीकस्थचिकित्सकाश्चदमकवर्धकयो योनिपोषकाश्च
द्विसाहस्राः ।
५. कार्तान्तिकनैमित्तिकमौहूर्तिकपौराणिकसूतमागधाः पुरोहित-
पुरुषाः सर्वाध्यक्षाश्च साहस्राः ।

-
१. युवराज के भाई (कुमार), उन भाइयों की मातायें या धाय (कुमारमाता), सूबेदार मेजर (नायक), शहर कोतवाल (पौर), व्यापार का अध्यक्ष (व्यावहारिक) कृषि आदि का अध्यक्ष (कर्मान्तिक), मन्त्रिपरिषद् के पूर्वोक्त वारह सदस्य, पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट (राष्ट्रपाल) और सीमा-निरीक्षक (अन्तपाल), इनको वारह हजार पण वेतन प्रति वर्ष दिया जाय । इतना वेतन देने से ये लोग सदा राजा के अनुकूल बने रहेंगे और उसकी सहायता के लिए हर समय तैयार रहेंगे ।
 २. इंजीनियर (श्रेणीमुख्य), हाथी-घोड़े-रथों के अध्यक्ष और कंटक शोधन अधिकारी (प्रदेष्टा), इनको आठ सौ पण वार्षिक वेतन दिया जाय । इतना वेतन दिये जाने पर ये अपने वर्ग (डिपार्टमेंट) के कर्मचारियों के सदा अनुकूल बने रहेंगे ।
 ३. पैदल सेना का अध्यक्ष, अश्वसेना, रथसेना तथा गजसेना के अध्यक्ष और लकड़ी-हाथियों के जंगल के अध्यक्षों को चार हजार पण प्रतिवर्ष वेतन दिया जाय ।
 ४. रथ-शिक्षक, गज-शिक्षक; चिकित्सक, अश्व-शिक्षक और सुर्गा, सूभर आदि के पालने वालों का अध्यक्ष, इन सब को दो हजार पण वार्षिक दिया जाय ।
 ५. सामुद्रिक (कार्तान्तिक), सकुन बताने वाले (नैमित्तिक) ज्योतिषी, कथा-वाचक, स्तुति-वाचक (मागध), पुरोहित के नौकर और सुरा आदि के अध्यक्ष, इनको एक हजार वेतन प्रतिवर्ष दिया जाय ।

१. शिल्पवन्तः पादाताः संख्यायकलेखकादिवर्गाः पञ्चशताः ।
२. कुशीलवास्त्वर्धतृतीयशताः । द्विगुणवेतनाश्चैषां तूर्यकराः ।
३. कारुशिल्पिनो विंशतिशतिकाः ।
४. चतुष्पदद्विपदपरिचारकपारिकर्मिकौपस्थायिकपालकविष्टिवन्धकाः षष्टिवेतनाः ।
५. आर्ययुक्तारोहकमाणवकशैलखनकाः सर्वोपस्थायिन आचार्या विद्यावन्तश्च पूजावेतनानि यथाहं लभेरन् पञ्चशतावरं सहस्रपरम् ।
६. दशपणिको योजने दूतो मध्यमः । दशोत्तरे द्विगुणवेतन आयोजनशतादिति ।
७. समानविद्येभ्यस्त्रिगुणवेतनो राजा राजसूयादिषु क्रतुषु राज्ञः सारथिः साहस्रः ।

१. चित्रकार, पादाता (खिलाड़ी), गणक (संख्यायक) और लेखक वर्ग के कर्मचारियों को पाँच सौ पण प्रति वर्ष दिया जाय ।
२. कुशीलव (नट, नर्तक, गायक) आदि को ढाई सौ पण और उनमें जो अच्छा बजा बजाता है, उन्हें पाँच सौ पण वेतन प्रतिवर्ष दिया जाय ।
३. दूसरे साधारण कारीगरों को एक सौ बीस पण वेतन दिया जाय ।
४. वेतनरी डाक्टर, डाक्टर या सिविल सर्जनों, परिचारक, गोरक्षक (ग्वाल्लों) और वेगारियों (विष्टिवन्धक) आदि को ६० पण वार्षिक वेतन दिया जाय ।
५. आर्य (सत्पुरुष), युक्तरोहक (बिगड़ैल घोड़े का सवार), माणवक (वेदाध्यायी विद्यार्थी) शैलखनक (पत्थर आदि पर नक्काशी करने वाला), सर्वोपस्थायिन आचार्य (निपुण गायनाचार्य) और विद्वान्, इन लोगों को योग्यतानुसार पाँच सौ से हजार पण तक वेतन प्रति वर्ष दिया जाय ।
६. मध्यगति से एक योजन तक जाने-आने वाले दूत को दस पण वेतन दिया जाय । दस योजन से सौ योजन तक चलने वाले को बीस पण वेतन दिया जाय ।
७. राजा को चाहिए कि वह राजसूय आदि यज्ञों पर मंत्री, पुरोहित आदि को

१. कापटिकोदास्थितगृहपतिकवैदेहकतापसव्यञ्जनाः साहस्राः ।
२. ग्रामभृतकसत्रितीक्ष्णरसदभिक्षुक्यः पञ्चशताः ।
३. चारसञ्चारिणोऽर्धतृतीयशताः । प्रयासवृद्धवेतना वा ।
४. शतवर्गसहस्रवर्गाणामध्यक्षा भक्तवेतनलाभमादेशं विक्षेपं च कुर्युः । अविक्षेपे राजपरिग्रहदुर्गराष्ट्ररक्षावेक्षणेषु च नित्यमुख्याः स्युरनेकमुख्याश्च ।
५. कर्मसु भृतानां पुत्रदारा भक्तवेतनं लभेरन् । बालवृद्धव्याधिताश्चैषामनुग्राह्याः । प्रेतव्याधितसूतिकाकृत्येषु चैषामर्थमानकर्म कुर्यात् ।

उनके निर्धारित वेतन से तिगुना वेतन दे; इसी प्रकार राजा को यज्ञ स्थान में लाने वाले सारथि को एक हजार पण वेतन दिया जाय ।

१. कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, और तापस आदि के वेश में कार्य करने वाले गुप्तचरों को प्रतिवर्ष हजार पण वेतन दिया जाय ।
२. धोबी, नाई आदि गाँव के नौकर, गाँव के मुखिया, खत्री, तीक्ष्ण तथा भिक्षुकी आदि के वेष में काम करने वाले गुप्तचरों को पाँच सौ पण वेतन दिया जाय ।
३. गुप्तचरों को इधर-उधर भेजने वाले कर्मचारियों को ढाई सौ पण वेतन दिया जाय । अथवा मेहनत के अनुसार सबको अधिक वेतन दिया जाय ।
४. शतवर्ग के या सहस्रवर्ग के अध्यक्षों को चाहिए कि वे नौकरों को यथोचित वेतन दिलाएँ; उनसे राजाज्ञा का पालन करायें; और आवश्यकतानुसार उनकी नियुक्ति तथा उनका स्थानान्तरण (विक्षेप) करायें । विभागीय अध्यक्षों को चाहिए कि वे, जिस विभाग में ठीक तरह से कार्य न होता हो, वहाँ के लिए अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करें; और प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने अध्यक्ष के अनुशासन में रह कर ठीक तरह से कार्यों को करे । अध्यक्ष भी अनेक होने चाहिए ।
५. यदि कार्य करते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाय तो उसका वेतन उसके पुत्र-पत्नी ले लें । अपने मृत कर्मचारियों के बालकों, वृद्धों और बीमार परिजनों पर राजा कृपा-दृष्टि बनाये रखे । उनके घरों पर मृत्यु,

१. अल्पकोशः कुप्यपशुक्षेत्राणि दद्यात् । अल्पं च हिरण्यम् । शून्यं वा निवेशयितुमभ्युत्थितो हिरण्यमेव दद्यात् , न ग्रामं ग्रामसञ्जातव्यवहारस्थापनार्थम् ।
२. एतेन भृतानामभृतानां च विद्याकर्मभ्यां भक्तवेतनविशेषं च कुर्यात् । षष्टिवेतनस्याढकं कृत्वा हिरण्यानुरूपं भक्तं कुर्यात् ।
३. पच्यश्वरथद्विपाः सूर्योदये बहिः सन्धिदिवसवर्जं शिल्पयोग्याः कुर्युः । तेषु राजा नित्ययुक्तः स्यात् । अभीक्षणं चैषां शिल्पदर्शनं कुर्यात् । कृतनरेन्द्राङ्कं शस्त्रावरणमायुधागारं प्रवेशयेत् । अशस्त्राश्वरेयुरन्यत्र मुद्रानुज्ञातात् । नष्टं विनष्टं वा द्विगुणं दद्यात् । विश्वस्तगणनां च कुर्यात् ।

बीमारी, या बच्चा हो जाने पर उनकी आर्थिक तथा मौखिक सहायता करता रहे ।

१. यदि खजाने में कमी हो तो आर्थिक सहायता की जगह राजा कुप्य, पशु तथा जमीन आदि से अपने कृपार्थियों की सहायता करे । ऐसी अवस्था में वह सुवर्ण आदि बहुत थोड़ी मात्रा में दे; किन्तु राजा यदि निर्जन मैदानों को आबाद करना चाहे तो सुवर्ण ही अधिक दे, जमीन आदि न दे; जिससे बसे हुए गाँव के मूल्य आदि का निर्णय, व्यवहार की स्थापना के लिए ठीक तौर पर किया जा सके ।
२. इसी प्रकार स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों की योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार कम या ज्यादा वेतन भत्ता दिया जाय । सामान्यतया साठ पण वेतन पाने वालों को एक आढक भर अन्न दिया जाय । इसी क्रम से भक्त भत्ता न्यून या अधिक दिया जाय ।
३. अमावस्या-पूर्णमासी आदि संधिदिनों को छोड़कर सूर्योदय के बाद पैदल, अश्वारोही, रथारोही और गजरोही सेनाओं को कवायद (शिल्पदर्शन) सिखाई जाय । राजा को चाहिए कि वह सेनाओं पर बराबर ध्यान रखे और उनकी कवायद का भी निरीक्षण करता रहे । उसके बाद हथियारों और कवचों को राजमुद्रा से चिह्नित करके ही आयुधागार में प्रविष्ट किया जाय । लाइसेंस (मुद्रानुज्ञात) मुद्रा हथियारबंदों के अलावा कोई भी सिपाही हथियार लिए इधर-उधर न घूमें । जिससे जो हथियार खो जाय या टूट जाय

१. सार्थिकानां शस्त्रावरणमन्तपाला गृह्णीयुः, समुद्रमवचारयेयुर्वा ।
यात्रामभ्युत्थितो वा सेनामुद्योजयेत् । ततो वैदेहकव्यञ्जनाः
सर्वपण्यान्यायुधीयेभ्यो यात्राकाले द्विगुणप्रत्यादेयानि दद्युः ।
एवं राजपण्यविक्रयो वेतनप्रत्यादानं च भवति ।

२. एवमवेक्षितायव्ययः कोशदण्डव्यसनं नावाप्नोति ।

३. इति भक्तवेतनविकल्पः ।

४. सत्रिणश्चायुधीयाना वेश्याः कारुकुशीलवाः ।

दण्डवृद्धाश्च जानीयुः शौचाशौचमत्न्द्रिताः ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमाऽधिकरणे भृत्यभरणीयं नाम तृतीयोऽध्यायः;

आदितः त्रिनवतितमः ।



उससे उसका दुगुना मूल्य वसूल किया जाय । आयुधागार में टूटे एवं नष्ट हुए हथियारों का पूरा रिफार्ड रहना चाहिए ।

१. विदेश से आने वाले व्यापारियों के हथियार सीमा-निरीक्षक अंतपाल ले ले । जिनके पास लाइसेंस हों उन्हें हथियार साथ रखकर प्रविष्ट होने दे । चढ़ाई करने वाले राजा को चाहिए कि अपनी सेना को वह संगठित कर ले । युद्ध के समय व्यापारियों के वेष में फौजियों को दुगुने दाम पर रसद दी जाय । इस प्रकार सरकारी वस्तुएँ भी बिक जायेंगी और सिपाहियों को दिये गए वेतन में से कुछ धन खजाने में वापिस मिल जायगा ।

२. इस प्रकार आय-व्यय पर ध्यान रखने वाले राजा पर कभी भी आर्थिक या सैनिक आपत्तियाँ नहीं आ पातीं ।

३. यहाँ तक भत्ता व वेतन के संबंध में बारीकी से विचार किया गया ।

४ सत्री, वेश्या, कारीगर और वृद्ध सिपाहियों को चाहिए कि वे पूरी सावधानी के साथ सैनिकों के अच्छे-बुरे कार्यों का सदा निरीक्षण करते रहें ।

योगवृत्त नामक पंचम अधिकरण में तासरा अध्याय समाप्त ।

अनुजीवितम्

१. लोकयात्राविद् राजानमात्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नं प्रियहितद्वारेणाश्रयेत् । यं वा मन्येत—यथाहमाश्रयेप्सुरेवमसौ विनयेप्पुराभिगामिकगुणयुक्त इति, द्रव्यप्रकृतिहीनमप्येनमाश्रयेत् ।
२. न त्वेवानात्मसम्पन्नम् । अनात्मवान् हि नीतिशास्त्रद्वेषादनर्थ्यमयोगाद्वा प्राप्यापि महदैश्वर्यं न भवति ।
३. आत्मवति लब्धावकाशः शास्त्रानुयोगं दद्यात् । अविसंवादाद्धि स्थानस्थैर्यमवाप्नोति । मतिकर्मसु पृष्टः तदात्वे च आयत्यां

राजकर्मचारियों का राजा के प्रति व्यवहार

१. जो व्यक्ति सांसारिक व्यवहारों में कुशल हों उनको चाहिये कि वे राजा के प्रिय एवं हितैषी व्यक्तियों के द्वारा, सरकुलीन, बुद्धिमान एवं योग्य अमात्यों से सम्पन्न राजा का आश्रय प्राप्त करें । यदि ऐसा राजा न मिले तो योग्य व्यक्तियों की तलाश करने वाले आत्मसम्पन्न राजा का आश्रय ग्रहण करें ।
२. भले ही आत्म सम्पन्न राजा के सुयोग्य अमात्य न हों, तब भी उसी का आश्रय लेना चाहिए; किन्तु सुयोग्य अमात्य आदि से सम्पन्न आत्मसंपत्ति-रहित राजा का आश्रय कदापि न लेना चाहिए । क्योंकि आत्म-संपत्ति-शून्य राजा नीतिशास्त्र को न जानने के कारण अथवा अनर्थकारी मृगमाद्यूत आदि का व्यवसनी होने के कारण, या इस प्रकार के लोगों की संगति करने के कारण पितृ-पितामह के उपलब्ध महान् ऐश्वर्य को भी नष्ट-भ्रष्ट कर देता है ।
३. यदि राजा आत्मसम्पन्न हो तो अवसर आने पर उसको शास्त्रानुकूल संमति दी जाय । शास्त्र के साथ संमति का मिलान जानकर उसको यह विश्वास हो जाता है कि असुक व्यक्ति नीतिज्ञ है, और तब उसकी नियुक्ति किसी

च धर्मार्थसंयुक्तं समर्थं अवीणवदपरिषङ्गीरुः कथयेत् । ईप्सितः पणेत—धर्मार्थानुयोगम् अविशिष्टेषु बलवत्संयुक्तेषु दण्डधारणं मत्संयोगे तदात्वे च दण्डधारणमिति न कुर्याः । पक्षं वृत्तिं गुह्यं च मे नोपहर्त्याः । संज्ञया च त्वां कामक्रोधदण्डनेषु वारयेयम् इति ।

१. आयुक्तप्रदिष्टायां भूमावनुज्ञातः प्रविशेत् । उपविशेच्च पार्श्वतः सन्निकृष्टविप्रकृष्टः । वरासनं विगृह्यकथनमसभ्यमप्रत्यक्षमश्रद्धेयमनृतं च वाक्यमुच्चैरनर्मणि हासं वातष्ठीवने च शब्दवती न कुर्यात् । मिथः कथनमन्येन, जनवादे द्वन्द्वकथनं, राज्ञो वेष-

अधिकार पद पर कर दी जाती है । अति आवश्यक विषयों के सम्बन्ध में राजा जब उससे कुछ प्रश्न पूछे तो उस समय या किसी भी समय वह धर्मार्थविद् अति निपुण लोगों की भांति निर्भीकतापूर्वक भरी सभा में उत्तर दे । यदि राजा उसको अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहे तो राजा के सामने वह इस प्रकार की शर्तें रखे : जो लोग साधारण बुद्धि के हों और धर्म तथा अर्थ के तर्कों को न समझते हों, जिज्ञासा के तौर पर भी उनसे कभी भी इस विषय में कुछ न पूछा जाय; बलवान या बलवान सहायकों वाले शत्रु पर आक्रमण न किया जाय; मेरे सम्बन्ध में भी सहसा दण्ड-प्रयोग न किया जाय; मेरे पक्ष को, मेरे व्यवहार या मेरी जीविका के रहस्यों को कदापि भी न खोला जाय न तो नष्ट ही किया जाय; काम-क्रोध के वशीभूत अनुचित दण्ड देने को प्रस्तुत आपको जब मैं इशारों से चारित करूंगा, तो बुरा न मानते हुए इसका ध्यान रखा जाय । मेरी इन शर्तों को पूरा करना होगा ।

जिस अधिकार पद पर राजा उसे नियुक्त करे उसी पर वह कार्य करे और राजा के समीप भगल-वगल में, न तो अधिक दूर और न अधिक नजदीक ही यथोचित आसन पर बैठकर वह कार्य करे । आक्षेप लगाकर, असभ्य, परोक्ष-विषयक, अविश्वसनीय और झूठी बात वह कदापि न बोले । बेमौके ऊची आवाज से न बोले । बोलते हुए खकार या डकार कभी न करे । इसके अतिरिक्त राजा की उपस्थिति में किसी दूसरे से बातचीत करना, किसी अफवाह को निश्चित रूप से हँस या ना कहना; राजा का या

मुद्रतकुहकानां च, रत्नातिशयप्रकाशाभ्यर्थनम्, एकाक्ष्योष्ठ-
निर्भोगं, श्रुकुटीकर्म, वाक्यावक्षेपणं च ब्रुवति । बलवत्संयुक्त-
विरोधं स्त्रीभिः स्त्रीदर्शिभिः सामन्तदूतैर्द्वेष्यापक्षावक्षिप्तानर्थैश्च
प्रतिसंसर्गमेकार्थचर्यां सङ्घातं च वर्जयेत् ।

१. अहीनकालं राजार्थं स्वार्थं प्रियहितैः सह ।
परार्थं देशकाले च ब्रूयाद् धर्मार्थसंहितम् ॥
२. पृष्टः प्रियहितं ब्रूयान्न ब्रूयादहितं प्रियम् ।
अप्रियं वा हितं ब्रूयाच्छृण्वतोऽनुमतो मिथः ॥
३. तूष्णीं वा प्रतिवाक्ये स्याद् द्वेष्यादींश्च न वर्णयेत् ।
अप्रिया अपि दक्षाः स्युस्तद्भावाद् ये बहिष्कृताः ॥

पाखण्डियों का वेष धारण करना; राजा के धारण करने योग्य रत्नों के लिए खुले तौर पर प्रार्थना करना; एक भाँख या एक ओठ टेढ़ा करके खोलना; भौं चढ़ाना; राजा की बात को बीच में ही काट देना; बलवान के सम्बन्धी से झगड़ा करना; स्त्रियों के साथ, स्त्रियों को चाहने वालों के साथ, विदेशी दूतों के साथ एवम् राजा के दुश्मनों या अनर्थकारी व्यक्तियों के साथ सम्पर्क रखना; एक ही बात को करते रहना; और गुटबाजी बनाकर रहना; इत्यादि सभी कार्यों का परित्याग कर दे ।

१. राजा के मतलब की बात तत्काल ही राजा से कह देनी चाहिये; अपने मतलब की बात राजा के प्रिय तथा हितकारी व्यक्तियों से कहनी चाहिए; दूसरे के मतलब की बात उचित समय एवं स्थान देखकर करनी चाहिए; और जो कुछ भी कहे वह धर्म-अर्थ से समन्वित होना चाहिए ।
२. राजा के पूछने पर उसकी अनुमति से प्रिय एवं हितकारी बात को कह देनी चाहिए; प्रिय होती हुई भी अहितकारी बात को न कहना चाहिए; किन्तु हितकारी बात अप्रिय भी हो तब भी कह देनी चाहिये ।
३. उत्तर देते स समय यदि अप्रिय बात सुनाने में डर मालूम हो तो चुप हो जाना चाहिए; राजा के द्वेष्य पुरुषों से सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहिए; क्योंकि राजा की इच्छा पर न चलने वाले निपुण लोग भी राजा के अप्रिय बन जाते हैं । इसके विपरीत राजा के इच्छानुसार चलने वाले

पाँचवाँ अधिकरण : प्रकरण ६२, अध्याय ४

- अनर्ध्याश्च प्रिया दृष्टाश्चित्तज्ञानानुवर्तिनः ।
अभिहास्येष्वभिहसेद् घोरहासांश्च वर्जयेत् ॥
१. परात् संक्रामयेद् घोरं न च घोरं स्वयं वदेत् ।
तितिक्षेतात्मनश्चैव क्षमावान् पृथिवीसमः ॥
२. आत्मरक्षा हि सततं पूर्व कार्या विजानता ।
अग्नाविव हि सम्प्रोक्ता वृत्ती राजोपजीविनाम् ॥
एकदेशं दहेदग्निः शरीरं वा परंगतः ।
सपुत्रदारं राजा तु घातयेद् वर्धयेत् वा ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमाऽधिकरणे अनुजीविवृत्तं नाम चतुर्थोऽध्यायः
आदितः चतुर्नवतितमः ।



अनर्थकारी लोग भी राजा के प्रिय होते देखे गये हैं । राजा क हँसने पर, काठ की तरह खड़ा न रहकर, हसना चाहिये; किन्तु अट्टहास पर सदा नियन्त्रण रखना चाहिये ।

१. किसी भयावह संदेश को स्वयं न कहकर किसी के द्वारा राजा को कहलावे । यदि अपने ही ऊपर ऐसी किसी बात का दायित्व आ जाय तो पृथ्वी के समान क्षमाशील बनकर उसके परिणाम को सहन करे ।
२. इसलिये समझदार राजकर्मचारी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपनी रक्षा की सोचे, क्योंकि राज्याश्रित व्यक्तियों की स्थिति आग में खेल करने से बढ़कर खतरनाक कही गई है । क्योंकि अग्नि तो शरीर के एक अङ्ग या पूरे शरीर को ही जलाती है; किन्तु राजा समस्त परिवार को भस्म कर सकता है; और यदि अनुकूल हो गया तो सर्व सम्पन्न भी कर देता है ।

योगवृत्त नामक पञ्चम अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



समयाचारिकम्

१. नियुक्तः कर्मसु व्ययविशुद्धमुदयं दर्शयेत् ।
२. आभ्यन्तरं वाह्यं गुह्यं प्रकाश्यमात्ययिकमुपेक्षितव्यं वा कार्यम् 'इदमेवम्' इति विशेषयेच्च ।
३. मृगयाद्यतमद्यस्त्रीषु प्रसक्तं चानुवर्तेत प्रशंसाभिः । आसन्नश्वास्य व्यसनोपघाते प्रयतेत । परोपजापातिसन्धानोपधिभ्यश्च रक्षेत् ।
४. इङ्गिताकारौ चास्य लक्षयेत् । कामद्वेषहर्षदैन्यव्यवसायभय-
द्वन्द्वविपर्यासमिङ्गिताकाराभ्यां हि . मंत्रसंवरणार्थमाचरन्ति
प्रज्ञाः ।

व्यवस्था का यथोचित पालन

१. अपने-अपने कार्यों पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को चाहिये कि वे स्वर्चं को घटाकर शुद्ध भामदनी (उदय) राजा को दिखाएं ।
२. कर्मचारियों को चाहिए कि दुर्ग में होने वाले तथा वाहर होने वाले कार्यों का, खुले रूप में तथा छिपकर होने वाले कार्यों का, विघ्नयुक्त एवं उपेक्षा-युक्त कार्यों का विवरण स्पष्टरूप में राजा के सामने पेश करें और उन सभी बातों का लेखा रजिस्टर में दर्ज कर दें ।
३. यदि राजा शिकार, जुआ या स्त्रियों में आसक्त हो तो उसका अनुगामी बन कर, उसकी खुशामद या प्रशंसा करके उसको दुर्व्यसनों से विमुक्त करने का यत्न करना चाहिये । इसी प्रकार शत्रु के भेदियों, ठगों और विष देने वाले लोगों से भी राजा की रक्षा की जानी चाहिए ।
४. राजा की चेष्टाओं और आकार-प्रकारों को बड़ी कुशलता से हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग अपने रहस्य को छिपाए रखने के लिए काम, द्वेष, हर्ष, दैन्य, व्यवसाय, भय और सुख-दुःख को चेष्टाओं द्वारा तथा विशेष आकृतियों से ही प्रकट किया करते हैं ।

१. दर्शने प्रसोदति । वाक्यं प्रतिगृह्णाति । आसनं ददाति । विविक्ते दर्शयते । शंकास्थाने नातिशंकते । कथायां रमते । परज्ञाप्येष्वपेक्षते । पथ्यमुक्तं सहते । स्मयमानो नियुङ्क्ते । हस्तेन स्पृशति । श्लाघ्ये नोपहसति । परोक्षे गुणं ब्रवीति । भक्ष्येषु स्मरति । सह विहारं याति । व्यसनेऽभ्यवपद्यते । तद्भक्तीन् पूजयति । गुह्यमाचष्टे । मानं वर्धयति । अर्थं करोति । अनर्थं प्रतिहन्ति । इति तुष्टज्ञानम् ।
२. एतदेव विपरीतमतुष्टस्य । भूयश्च वक्ष्यामः—सन्दर्शने कोपः, वाक्यस्याश्रवणप्रतिषेधौ, आसनचक्षुषोरदानं, वर्णस्वरभेदः, एकाभिभ्रुकुटयोष्ठनिर्भोगः, स्वेदश्च, श्वासस्मितानामस्थानोत्पत्तिः,

१. राजा की प्रसन्नता को इन बातों से भाँपना चाहिए : वह देखने पर हाँ प्रसन्न हो जाता है; बात को बड़े ध्यान एवं आदर से सुनता है; बैठने के लिये उचित आसन देता है; एकान्त में या अंतःपुर में ले जाकर मिलता है; विश्वास के कारण शंकित नहीं होता है; वार्तालाप में रुचि लेता है; समझी हुई बात में भी सलाह करने की इच्छा रखता है; मुस्कराता हुआ कार्य पर नियुक्त करता है; हितकर कठोर बात को भी सहन करता है; बात करने में हाथ से छू लेता है; प्रशंसायोग्य कार्यों पर प्रसन्न होता है; गुणों की प्रशंसा परोक्ष में करता है; भोजन के समय स्मरण करता है; यात्रा, विहार में साथ रहता है; दुःख दूर करने में पूरी सहायता देता है; अनुराग रखने वालों का संमान करता है; अपने गुप्त रहस्यों को बता देता है; मान-सत्कार बढ़ाता है; इच्छित आर्थिक सहायता देता है और अनर्थ का निवारण करता है ।

२ यदि उक्त सभी बातें राजा में उल्टी पाई जाँय तो समझना चाहिए कि वह क्रुद्ध है । इसके अतिरिक्त राजा की अप्रसन्नता को इन बातों से भाँपना चाहिए: वह देखते ही क्रुपित हो उठता है; कही गई बात को नहीं सुनता या बीच ही में रोक देता है; बैठने के लिए स्थान नहीं देता; उसकी ओर आँख नहीं उठाता; मुख चढ़ाकर एवं आवाज बदल कर बोलता है; आँख-भौं चढ़ाकर या आँख सिकोड़ कर बोलता है; उसे पसीना आ जाता है; सौँस

परिमन्त्रणम् , अकस्माद् व्रजनम् , वर्धनम् अन्यस्य, भूमिगा-
त्रविलेखनम् , अन्यस्योपतोदनम् , विद्यावर्णदेशकुत्सा, सम-
निन्दा, प्रतिदोषनिन्दा, प्रतिलोमस्तवः, सुकृतानवेषणम् ,
दुष्कृतानुकीर्तनम् , पृष्ठावधानम् , अतित्यागः, मिथ्याभिभाष-
णम् । राजदर्शिनां च तद्वृत्तान्यत्वम् ।

१. वृत्तिविकारं चावेक्षेताप्यमानुपाणाम् ।
२. अयमुच्चैः सिचतीति कात्यायनः प्रवव्राज ।
३. क्रौंचोऽपसव्यम् इति कणिको भारद्वाजः ।
४. तृणमिति दीर्घश्चारायणः ।
५. शीता शाटीति घोटमुखः ।

फूलने लगती है; अकस्मात् ही मुस्कराने लगता है; दूसरे के साथ बात करने लगता है; बीच ही में उठकर चला जाता है; दूसरा ही प्रसंग छोड़ देता है; भूमि एवं शरीर को नाखून से कुरेदने लगता है; किसी को मारने लगता है; विद्या, वर्ण तथा देश की निन्दा करने लगता है; दूसरे समान व्यक्ति के दोष की निन्दा करने लगता है; ध्याज-स्तुति करने लगता है; अच्छी तरह किए गए कार्य की भी परवाह नहीं करता है; बिगड़े हुए कार्य को सर्वत्र कह डालता है; लौटते समय उसको पीछे घड़े ध्यान से देखता है; पास आये तो दूर हटा देता है; उसके साथ व्यर्थ की बातें करता है और अन्य राजकर्मचारियों और उसके व्यवहार में भेद डालता है ।

१. मनुष्यों के अतिरिक्त पशु-पक्षियों के भी मानसिक विकारों एवं चेष्टाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए ।
२. 'यह जल सींचने वाला आज ऊपर से जल सींच रहा है'—यह देखकर मंत्री कात्यायन अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।
३. 'क्रौंचपक्षी आज बाईं ओर से उड़ गया'—यह देखकर भारद्वाजगोप्रीय कणिक नाम का मंत्री अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।
४. तृण को देखकर आचार्य दीर्घ चारायण, राजा को छोड़कर चला गया था ।
५. 'कपड़ा ठंढा है'—यह सुनकर आचार्य घोटमुख अपने राजा को छोड़ कर चला गया था ।

पाँचवाँ अधिकरण : प्रकरण १३, अध्याय ५

१. हस्ती प्रत्यौक्षीदिति किंजल्कः ।
२. रथाश्वं प्राशंसीदिति पिशुनः ।
३. प्रतिरवणे शुनः पिशुनपुत्रः इति ।
४. अर्थमानावक्षेपे च परित्यागः । स्वामिशीलमात्मनश्च क्लिष-
मुपलभ्य वा प्रतिकुर्वीत । मित्रमुपकृष्टं वास्य गच्छेत् ।
५. तत्रस्थो दोषनिर्घातं मित्रैर्भर्तरि चाचरेत् ।
ततो भर्तरि जीवेद् वा मृते वा पुनराव्रजेत् ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमाऽधिकरणे समयाचारिकं नाम पञ्चमोऽध्यायः,

आदितः एकोननवतितमः ।



-
१. हाथी को ऊपर पानी डालता देख कर किंजल्क नामक आचार्य अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।
 २. रथ के घोड़े की तारीफ सुनकर आचार्य पिशुन अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।
 ३. कुत्ते के भूँकने पर आचार्य पिशुन का पुत्र अपने राजा को छोड़कर चला गया था ।
 ४. संपत्ति और सत्कार को नष्ट कर देने वाले राजा को भी त्याग देना चाहिए । अथवा राजा के स्वभाव और अपने अपराध पर विचार करके राजा को न छोड़ने की इच्छा होने पर, राजा का प्रतीकार करना चाहिए । या राजा के निकटवर्ती सम्बन्धी अथवा मित्र का आश्रय लेकर राजा को प्रसन्न करना चाहिए ।
 ५. राजा के पास रहते हुए ही उसके मित्रों द्वारा अपने अपराध की सफाई करानी चाहिए, और तब राजा के प्रसन्न हो जाने पर उसके आश्रय में बना रहना चाहिए या जब उसकी मृत्यु हो जाय तब वापिस आना चाहिए ।

योगवृत्त नामक चतुर्थ अधिकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त ।



अध्याय ६

राज्यप्रतिसन्धानमेकैश्वर्यं च

१. राजव्यसन्नमेवममात्यः प्रतिकुर्वीत । प्रागेव मरणाबाधभयाद्राज्ञः प्रियहितोपग्रहेण मासद्विमासान्तरं दर्शनं स्थापयेद् । 'देशपीडापहममित्रापहमायुष्यं पुत्रीयं वा कर्म राजा साधयति' इत्यपदेशेन राजव्यंजनमनुरूपवैलायां प्रकृतीनां दर्शयेत् । मित्रामित्रदूतानां च । तैश्च यथोचितां सम्भाषाम् अमात्यमुखो गच्छेत् । दौवारिकान्तर्वृशिकमुखश्च यथोक्तं राजप्रणिधिमनुवर्तयेत् । अपकारिषु च हेडं प्रसादं वा प्रकृतिकान्तं दर्शयेत् । प्रसादमेवोपकारिषु ।

विपत्तिकाल में राजपुत्र का अभिषेक और

एकछत्र राज्य की प्रतिष्ठा

१. अमात्य को चाहिए कि वह राजा पर आई हुई आपत्तियों का प्रतीकार इन तरीकों से करे:—राजा की आसन्न मृत्यु समझ कर राजा के मित्रों एवं हितैषियों की सलाह लेकर महीने-दो महीने बाद राजा के दर्शन की तिथि निश्चित कर दे और यह बहाना बनाये कि आजकल राजा देश की पीड़ा दूर करने वाले, शत्रुनाशक, आयुवर्द्धक और पुत्र देने वाले कर्म का अनुष्ठान कर रहा है । राजा के दर्शन की निश्चित तिथि पर राजा के वेष में किसी दूसरे पुरुष को प्रजा के सामने खड़ा कर दे । मित्रों, शत्रुओं और दूतों को भी उस बनावटी राजा के दर्शन करा दे । उन लोगों के साथ वह राजा अमात्य के माध्यम से ही उचित वार्त्तालाप करे । पूर्व प्रकाशित राजकार्यों के संबंध में द्वारपाल तथा अंतःपुर रक्षकों के द्वारा ही कहलाये । अपकार करने वाले लोगों पर अमात्य की राय से ही कोप या प्रसन्नता प्रकट करे । उपकार करने वाले लोगों पर सदा प्रसन्न ही बना रहे ।

१. आसपुरुषाधिष्ठितौ दुर्गप्रत्यन्तस्थौ वा कोशदण्डावेकस्थौ कारयेत् । कुल्यकुमारमुख्यांश्चान्यापदेशेन ।
२. यश्च मुख्यः पक्षवान् दुर्गाटवीस्थो वा वैगुण्यं भजेत तमुपग्राहयेत् । बह्वाबाधां वा यात्रां प्रेषयेत् मित्रकुलं वा ।
३. यस्माच्च सामन्तादाबाधं पश्येत्, तमुत्सवविवाहहस्तिबन्धनाश्वपण्यभूमिप्रदानापदेशेन अवग्राहयेत् । स्वमित्रेण वा । ततः सन्धिमदूष्यं कारयेत् ।
४. आटविकामित्रैर्वा वैरं ग्राहयेत् । तत्कुलीनमवरुद्धं वा भूम्येकदेशेनोपग्राहयेत् ।
५. कुल्यकुमारमुख्योपग्रहं कृत्वा वा कुमारमभिषिक्तमेव दर्शयेत् । दाण्डकर्मिकवद् वा राज्यकण्टकानुद्धृत्य राज्यं कारयेत् ।

१. दुर्ग तथा सीमांत प्रदेशों की सेना और कोष को किसी बहाने किसी विश्वस्त व्यक्ति की देख-रेख में इकट्ठा करा दिया जाय । किसी दूसरे ही बहाने से राज के सगे-संबंधियों, राजकुमार और अन्य राजप्रमुखों को एकत्र कराया जाय ।
२. दुर्ग या अटवी में स्थित कोई प्रधान राजकर्मचारी यदि किसी की सहायता लेकर राजा के विरुद्ध हो जाय तो उसे किसी उपाय से अपने अनुकूल बनाया जाय । अथवा उस समय उसे किसी बाधाबहुल युद्ध में भेज दिया जाय । अथवा सहायता माँगने के बहाने किसी मित्र राजा के पास भेज दिया जाय ।
३. यदि किसी समीप के सामंत राजा से बाधा का भय हो तो उसे उत्सव, विवाह, हाथी, घोड़ा, अन्य माल या भूमि देने के बहाने अपने पास बुलाकर अपने अनुकूल बना लिया जाय । अथवा अपने मित्र के द्वारा ही उसको अनुकूल बनाया जाय और तब उसके साथ निर्वैर (अदूष्य) संधि कर ले ।
४. अथवा उस सामंत को आटविक तथा अपने शत्रु के साथ लड़ा दे । अथवा उस सामंत-परिवार के किसी व्यक्ति को भूमि देकर अपने वश में कर ले और फिर उसके द्वारा सामंत का दमन कराये ।
५. राजा के मर जाने के बाद अमात्य को चाहिए कि वह राज-परिवार के कुमारा और राज्य के प्रमुख कर्मचारियों की अनुकूल स्थिति को देखकर अभिषिक्त

१. यदि वा कश्चिन्मुख्यः सामन्तादीनामन्यतमः कोपं भजेत्, तम् 'एहि राजानं त्वा करिष्यामि' इत्यावाहयित्वा घातयेत् । आपत्प्रतीकारेण वा साधयेत् ।
२. युवराजे वा क्रमेण राज्यभारमारोप्य राजव्यसनं ख्यापयेत् ।
३. परभूमौ राजव्यसने मित्रेणामित्रव्यञ्जनेन शत्रोः सन्धिमवस्थाप्यापगच्छेत् । सामन्तादीनामन्यतमं वास्य दुर्गे स्थापयित्वापगच्छेत् । कुमारमभिपिच्य वा प्रतिव्यूहेत् । परेणाभियुक्तो वा यथोक्तमापत्प्रतीकारं कुर्यात् ।
४. एवमेकैश्वर्यममात्यः कारयेदिति कौटिल्यः ।
५. नैवमिति भारद्वाजः । प्रस्त्रियमाणे वा राजन्यमात्यः कुल्य-

राजकुमार को ही प्रजा के सामने खड़ा करे, वह दाण्डकर्मिक प्रकरण में निर्दिष्ट रीति से राज्य के विरोधियों का निर्मूल कर निष्कण्टक राज्य करे ।

१. यदि सामंतमुख्यों में से कोई एक इस बात से कुपित हो जाय तो उससे 'यह बालक तो राज्य के लिए सर्वथा अयोग्य है; आप यहाँ आवें, आपको ही मैं राजा बना दूँगा' ऐसा कह कर अपने यहाँ बुलाया जाय और फिर उसका वध करा दिया जाय । यदि वह आवे नहीं तो आपत्प्रतीकार प्रकरण में निर्दिष्ट तरीकों से उसको सीधा किया जाय ।
२. युवराज पर धीरे-धीरे राज्य का भार सौंप कर फिर राजा की विपत्ति को सबके सामने प्रकट करे ।
३. यदि राजा की कहीं दूसरे देश में मृत्यु हो जाय तो अमात्य को चाहिए कि वह बनावटी दुश्मन बने हुए मित्र के साथ शत्रु की संधि कराकर अपने देश में चला आवे । अथवा सामंत आदि में से किसी एक को उसके दुर्ग में नियुक्त करके चला आवे और राजकुमार का राज्याभिषेक करके फिर शत्रु के साथ अभियास्यत्कर्म प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा बाहरी-भीतरी आपत्तियों से बचने के लिए प्रतीकार करे ।
४. इस प्रकार अमात्य एकैश्वर्य राज्य का पालन कराये—यह आचार्य कौटिल्य का मत है ।
५. किन्तु आचार्य भारद्वाज का मत है कि अमात्य इस प्रकार राजपुत्र को

कुमारमुख्यान् परस्परं मुखेषु वा विक्रामयेत् । विक्रान्तं प्रकृतिकोपेन घातयेत् । कुल्यकुमारमुख्यानुपांशुदण्डेन वा साधयित्वा स्वयं राज्यं गृह्णीयात् । राज्यकारणाद्धि पिता पुत्रान् पुत्राश्च पितरमभिद्रुह्यन्ति; किमङ्ग पुनरमात्यप्रकृतिर्ह्येक-प्रग्रहो राज्यस्य । तत् स्वयमुपस्थितं नावमन्येत । स्वयमारूढा हि स्त्री त्यज्यमानाभिशपतीति लोकप्रवादः ।

१. कालश्च सकृदभ्येति यं नरं कालकांक्षिणम् ।
दुर्लभः स पुनस्तस्य कालः कर्म चिकीर्षतः ॥

२. प्रकृतिकोपकमधर्मिष्ठमनैकान्तिकं चैतदिति कौटिल्यः । राजपुत्र-मात्मसम्पन्नं राज्ये स्थापयेत् । सम्पन्नाभावे व्यसनिनं

एकछत्र राज्य न कराये; बलिक उचित तो यह है कि राजा की आसन्न मृत्यु समझ कर अमात्य, राजा के वंशज, राजकुमार और मुख्य व्यक्तियों को परस्पर या दूसरे मुख्यों के साथ भिड़ा दे और फिर प्रजा या राजप्रकृति के कुपित होने के कारण इनको मरवा डाले । अथवा उन राज-वंशज, राजकुमार और मुख्य व्यक्तियों को चुपचाप (उपांशुदण्ड) मरवा दे, और स्वयं ही संपूर्ण राज्य का स्वामी बन जाय । क्योंकि राज्य के लिए पिता-पुत्र परस्पर अभिद्रोह करते हुए देखे गए हैं । फिर वह अमात्य यदि ऐसा करे, जो सारे राज्य की वागडोर है, तो कुछ भी अनुचित नहीं है । इसलिए स्वयं हाथ में आए हुए राज्य का तिरस्कार न करे; क्योंकि लोक-प्रसिद्धि है कि संभोग की इच्छा लेकर स्वयं ही आई हुई स्त्री को यदि छोड़ दिया जाय तो वह शाप दे देती है ।

१. चिर-प्रतीक्षित मौका एक बार ही हाथ आता है । उसको चूक जाने पर फिर वैसा अवसर हाथ नहीं आता है । साँप के निकल जाने पर लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं होता ।

२. किन्तु भरद्वाज के उक्त मत से कौटिल्य सहमत नहीं है । उसका कथन है कि इस प्रकार की कार्यवाही प्रजा के लिए कष्टकर, अधर्मयुक्त और अनित्य है । इसलिए आत्मसंपन्न राजकुमार को ही अभिषिक्त करना चाहिए । यदि आत्मसंपन्न राजकुमार न मिले तो व्यसनी राजकुमार को, राजकन्या को

कुमारं राजकन्यां गर्भिणीं देवीं वा पुरस्कृत्य महामात्रान् सन्निपात्य ब्रूयात्—‘अयं वो निक्षेपः, पितरमस्यावेक्षध्वं सत्त्वाभिजनमात्मनश्च, ध्वजमात्रोऽयं, भवन्त एव स्वामिनः, कथं वा क्रियताम्’ इति ।

१. तथा ब्रुवाणं योगपुरुषा ब्रूयुः—‘कोऽन्यो भवत्प्रगोपादस्माद् राजश्चातुर्वर्ण्यमर्हति पालयितुम् इति’ । तथेत्यमात्यः कुमारं राजकन्यां गर्भिणीं देवीं वाधिकुर्वीत, बन्धुसम्बन्धिनां मित्रामित्रदूतानां च दर्शयेत् ।
२. भक्तवेतनविशेषममात्यानामायुधोयानां च कारयेत् । भूयश्चायं वृद्धः करिष्यतीति ब्रूयात् । एवं दुर्गराष्ट्रमुख्यानाभापेत, यथाहं च मित्रामित्रपक्षम् । विनयकर्मणि च कुमारस्य प्रयतेत ।

या गर्भिणी महारानी को भागे करके राष्ट्र के सभी महान् व्यक्तियों के सामने कहा जाय कि ‘यह आप लोगों की ही धरोहर है; इसकी रक्षा का भार आप लोगों पर ही है; इस राजकुमार की वंशपरंपरा और अपने दायित्वों की ओर गौर करें। यह राजकुमार तो एक पताका के समान है, जो सबसे ऊँचा रहता हुआ फहराता है; किन्तु जिसके राज्य का सारा प्रबन्ध आप ही लोगों पर निर्भर है। अब बतलाइये इस संबंध में क्या करना चाहिए?’

१. अमात्य के इस प्रकार कहने पर राष्ट्र के वे संमानित व्यक्ति कहें ‘आपके नेतृत्व के अतिरिक्त इस राजकुमार का दूसरा भवलंब कौन है, जो इस चातुर्वर्ण्य प्रजा का पालन कर सकने में समर्थ हो?’ ‘जो आज्ञा’ ऐसा कहकर अमात्य उस राजकुमार, या राजकन्या अथवा गर्भिणी महारानी को सिंहासन पर अभिषिक्त कर दे। उसके बाद उसके भाई, बंधु, संबंधी, मित्र, शत्रु तथा दूतों को यह सूचित कर दे कि आज से वही राजा है।
२. राजा को चाहिए कि वह अमात्यों तथा सैनिकों के भत्ते और वेतन में वृद्धि कर दे। उस समय अमात्य यह कहे कि ‘बड़ा होकर यह और भी वेतन-वृद्धि करेगा’। यही आश्वासन वह दुर्ग तथा राज्य के अन्य कर्मचारियों को भी दे; और मित्र तथा शत्रुपक्ष के लोगों से भी यथोचित वातालाप करे। राजकुमार की विद्या, विनय और दूसरी प्रकार की शिक्षाओं का भी वह

पाँचवाँ अधिकरण : प्रकरण ६४-६५, अध्याय ६

कन्यायां समानजातीयादपत्यमुत्पाद्य वाभिषिचेत् । मातुश्चि-
त्तक्षोभभयात् कुल्यमल्पसर्व्वं छात्रं च लक्षण्यमुपनिदध्यात् ।
ऋतौ चैनां रक्षेत् । न चात्मार्थं कश्चिदुत्कृष्टमुपभोगं कारयेत् ।
राजार्थं तु यानवाहनाभरणवस्त्रस्त्रीवेशमपरिवापान् कारयेत् ।

१. यौवनस्थं च याचेत विश्रमं चित्रकारणात् ।
परित्यजेददुष्यन्तं तुष्यन्तं चानुपालयेत् ॥
२. निवेद्य पुत्ररक्षार्थं गूढसारपरिग्रहान् ।
अरण्यं दीर्घसत्रं वा सेवेतारुच्यतां गतः ॥

यथोचित प्रबंध करे । अथवा किसी समानजातीय पुरुष से राजकन्या में पुत्र उत्पन्न कराके उसे राज्यसिंहासन पर बैठाये । यदि वह महारानी हो तो उसका चित्त खिन्न न हो, इस अर्थ उसके पास कुलीन, अल्पवयस्क, सौम्य वेदाध्यायी व्यक्ति को नियुक्त कर दे, जिससे कि वह धर्मशास्त्र तथा पुराणों की बातों को सुनाकर उसके (महारानी के) चित्त को शान्त बनाये रखे । ऋतुकाल (मासिक धर्म) में उसकी पूरी रक्षा की जाय । अमात्य को चाहिए कि वह अपने लिए किसी प्रकार की उत्तम सामग्री संचित न करे । राजा के लिए रथ, घोड़े, आभूषण, वस्त्र, स्त्री, मकान और बढ़िया शयनागार का प्रबन्ध करे ।

१. जब राजकुमार युवा हो जाय और राज्यभार संभाल सके तब उसके मनो-भावों को जानने के लिए अमात्य उससे अपना मंत्रिपद छोड़ने के लिए कहे । यदि वह स्वीकार कर ले तो अमात्य को वहाँ से चला जाना चाहिए । यदि वह न जाने को कहे तो फिर उसी के पास रहकर पूर्ववत् राजकाज की व्यवस्था करता रहे ।
२. अमात्य पद पर कार्य करने की इच्छा न होने पर अथवा राजा की ओर से कुछ मन-मुटाव हो जाने पर अमात्य को चाहिए कि वह राजा के पूर्वजों द्वारा स्थापित गुप्तचरों और खजाना आदि राजकुमार को बताकर तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाय; अथवा दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञकर्मों का अनुष्ठान करे ।

१. मुख्यैरवगृहीतं वा राजानं तत्प्रियाश्रितः ।
इतिहासपुराणाभ्यां बोधयेदर्थशास्त्रवित् ॥
२. सिद्धव्यञ्जनरूपोऽवा योगमास्थाय पार्थिवम् ।
लभेत लब्ध्वा दूष्येषु दाण्डकर्मिकमाचरेत् ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमाऽधिकरणे राजप्रतिसन्धानमेकैश्वर्यं नाम षष्ठोऽध्यायः;


आदितः षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥

समाप्तमिदं योगवृत्तं नाम पञ्चममधिकरणम् ।



१. अथवा मामा, फूफा आदि मुख्य संबंधियों के वश में हुए राजकुमार को उसके हितेषु पुरुषों के आश्रित रहता हुआ ही, तत्त्वविद् अमात्य इतिहास और पुराणों के द्वारा धर्म-अर्थ के तत्त्वों को समझाता रहे ।
२. यदि इस प्रकार भी राजा धर्म-अर्थ के तत्त्वों को ग्रहण न कर सके तो सिद्ध पुरुष का वेष बनाकर वह राजा को अपने वश में करे; और तदनंतर मामा आदि दूष्य पुरुषों पर दाण्डकर्मिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से उनको दण्डित करे ।

योगवृत्त नामक पंचम अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त ।



**मण्डलयोनि
द्वितीय अधिकरण**



प्रकरण ९६

अध्याय १

प्रकृतिसम्पदः

१. स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः ।
२. तत्र स्वामिसम्पत्-महाकुलीनो दैवबुद्धिसत्त्वसम्पन्नो वृद्धदर्शी धार्मिकः सत्यवागविसंवादकः कृतज्ञः स्थूललक्षो महोत्साहोऽदीर्घसूत्रः शक्यसामन्तो दृढबुद्धिरक्षुद्रपरिषत्को विनयकाम इत्याभिगामिका गुणाः ।
३. शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिवेशाः प्रज्ञागुणाः ।
४. शौर्यममर्षः शीघ्रता दाक्ष्यं चोत्साहगुणाः ।

प्रकृतियों के गुण

१. प्रकृतियाँ : (१) स्वामी, (२) अमात्य, (३) जनपद, (४) दुर्ग, (५) कोष, (६) दण्ड, (७) सेना और (८) मित्र, ये सात प्रकृतियाँ हैं ।
२. स्वामि के गुण : महाकुलीन, दैवबुद्धि, धैर्यसम्पन्न, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, सत्यप्रतिज्ञ, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी, बड़ा उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाला (अदीर्घ सूत्र), समन्तों को वश में करने वाला, दृढबुद्धि गुणसंपन्न परिवार वाला और शास्त्र बुद्धि, राजा के ये गुण अभिगामिक गुण कहलाते हैं ।
३. शास्त्रचर्चा, शास्त्रज्ञान, प्रत्येक बात को ग्रहण कर लेना, ग्रहण की हुई बात को याद रखना, ग्रहण की हुई बात का विशेष ज्ञान रखना, तर्क-वितर्क द्वारा किसी बात की तह को पकड़ना, बुरे पक्ष को त्यागना, और गुणियों के पक्ष को ग्रहण करना, आदि राजा के प्रज्ञागुण कहलाते हैं ।
४. शौर्य, अमर्ष, क्षिप्रकारिता और दक्षता, ये चार गुण उसके उत्साहगुण कहलाते हैं ।

१. वाग्मी प्रगल्भः स्मृतिमतिबलवानुदग्रः स्वग्रहः कृतशिल्पो व्यसने दण्डनाय्युपकारापकारयोर्दृष्टप्रतिकारी हीमानापत्प्र-कृत्योर्विनियोक्ता दीर्घदूरदर्शी देशकालपुरुषकारकार्यप्रधानः सन्धिविक्रमत्यागसंयमपणपरच्छिद्रविभागी संवृतादीनामिहा-स्यजिह्मभ्रुकुटीक्षणः कामक्रोधलोभस्तम्भचापलोपतापपैशुन्य-हीनः शक्यः स्मितोदग्राभिभाषी वृद्धोपदेशाचार इत्यात्म-सम्पत् ।

२. अमात्यसम्पदुक्ता पुरस्तात् ।

३. मध्ये चान्ते च स्थानवानात्मधारणः परधारणश्चापदि स्वारक्षः स्वाजीवः शत्रुद्वेषी शक्यसामन्तः पंकपाषाणोपरविषमकण्टक-

१. वाग्मी, प्रगल्भ, स्मरणशील, बलवान्, उन्नतमन, संयमी, निपुण सवार, विपत्तिग्रस्त शत्रु पर आक्रमण करने वाला, विपत्ति के समय सेना की रक्षा करने वाला, किसी के उपकार या अपकार का यथोचित प्रतीकार करने वाला, लज्जावान्, दुर्मित्त-सुभिद् के समय अन्न आदि का उचित विनियोग करने वाला, दीर्घदर्शी, दूरदर्शी, अपनी सेना के युद्धोचित देश-काल-उत्साह एवं कार्य को स्वयं देखने वाला, संधि के प्रयोगों को समझने वाला, युद्ध में चतुर, सुपात्र को दान देने वाला, प्रजा को कष्ट दिए बिना ही क्रोध को बझाने वाला, शत्रु के व्यसनों से लाभ उठाने वाला, अपने मन्त्र को गुप्त रखने वाला, दूसरे की हंसी न उठाने वाला, टेढ़ी भौंहें करके न देखने वाला, काम-क्रोध-लोभ-मोह-चपलता-उपताप एवं चुगलखोरी (पैशुन्य) से सदा अलग रहने वाला, प्रियभाषी, हसमुख, उदारभाषी, और वृद्धजनों के उपदेशों एवं आचारों को मानने वाला इन गुणों से युक्त राजा आत्मसंपन्न कहा जाता है ।

२. अमात्य के गुण : अमात्य संपत् के सम्बन्ध में वैनयिक नामक अधिकरण में पहिले कहा जा चुका है ।

३. जनपद के गुण : जनपद की स्थापना ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बीच में तथा सीमान्तों में किले बने हों; जिसमें यज्ञेष्ट अन्न पैदा होता हो; जिसमें विपत्ति के समय वनपर्वतों के द्वारा आत्मरक्षा की जा सके; जिसमें

छठा अधिकरण : प्रकरण ६६, अध्याय १

श्रेणीव्यालमृगाटवीहीनः कान्तः सीताखनिद्रव्यहस्तिवनवान्
गव्यः पौरुषेयो गुप्तगोचरः पशुमान् अदेवमातृको वारिस्थल-
पथाभ्यामुपेतः सारचित्रबहुपण्यो दण्डकरसहः कर्मशीलकर्ष-
कोऽत्रालिशस्वाम्यवरवर्णप्रायो भक्तशुचिमनुष्य इति जनपद-
सम्पत् ।

१. दुर्गसम्पदुक्ता पुरस्तात् ।

२. धर्माधिगतः पूर्वैः स्वयं वा हेमरूप्यप्रायश्चित्रस्थूलरत्नहिरण्यो
दीर्घामप्यापदमनायति सहेतेति कोशसम्पत् ।

३. पितृपैतामहो नित्यो वश्यस्तुष्टभृतपुत्रदारः प्रवासेष्वविसम्पा-

थोड़े श्रम से ही अधिक धान्य पैदा हो सके; जिसमें शत्रुराजा के विरोधियों की संख्या अधिक हो; जिसके पास-पड़ोस के राजा दुर्बल हों; जो कीचड़, कंकड़, पत्थर, असर, चोर-जुबारी (विषम कंटक), छोट-छोटे शत्रु, हिंसक जानवर एवं घने जङ्गलों से रहित हो; जो नदी तालाबों से सज्जित हो; जिसमें खेती, खान, लकड़ियों तथा हाथियों के जङ्गल हों; जो गायों के लिए हितकर हो; जिसका जल-वायु अच्छा हो; जो लुब्धकों से रहित हो; जिसमें गाय, भैंस, नदी, नहर, जल, थल आदि सभी उपयोगी वस्तुएँ हों; जिसमें बहुमूल्य वस्तुओं का विक्रय हो; जो दण्ड तथा कर को सहन कर सके; जहाँ के किसान बड़े मेहनती हों; जहाँ के मालिक समझदार हों; जहाँ नीचवर्ण की आबादी अधिक हो; और जहाँ प्रेमी एवं शुद्ध स्वभाव वाले लोग बसते हों; इन गुणों से युक्त देश जनपद संपन्न कहा जाता है ।

१. दुर्ग के गुण : दुर्ग विधान नामक प्रकरण में दुर्ग-गुणों पर प्रकाश डाला जा चुका है ।

२. कोष के गुण : राजकोष ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वजों की तथा अपनी धर्म की कमाई संचित हो; इस प्रकार धान्य; सुवर्ण, चाँदी, नानाप्रकार के बहुमूल्य रत्न तथा हिरण्य से भरा-पूरा हो, जो दुर्भिक्ष एवं आपत्ति के समय सारी प्रजा की रक्षा कर सके । इन गुणों से युक्त खजाना कोष संपन्न कहलाता है ।

३. दण्ड (सेना) के गुण : सेना ऐसी होनी चाहिए जिसमें वंशानुगत, स्थायी एवं वश में रहने वाले सैनिक भर्ती हों, जिनके स्त्री-पुत्र राजवृत्ति

दितः सर्वत्राप्रतिहतो दुःखसहो बहुयुद्धः सर्वयुद्धप्रहर-
णविद्याविशारदः सहवृद्धिक्षयिकत्वादद्वैध्यः क्षत्रप्राय इति
दण्डसम्पत् ।

१. पितृपैतामहं नित्यं वश्यमद्वैध्यं महल्लघुसमुत्थमिति मित्रसम्पत् ।
२. अराजवीजी लुब्धः क्षुद्रपरिपत्को विरक्तप्रकृतिरन्यायवृत्तिरयुक्तो
व्यसनी निरुत्साहो दैवप्रमाणो यत्किञ्चनकार्यगतिरननुबन्धः
क्लीबो नित्यापकारी चेत्यमित्रसम्पत् । एवम्भूतो हि शत्रुः
सुखः समुच्छेत्तुं भवति ।
३. अरिवर्जाः प्रकृतयः सप्तैताः स्वगुणोदयाः ।
उक्ताः प्रत्यङ्गभूतास्ताः प्रकृता राजसम्पदः ॥

को पाकर पूरी तरह सन्तुष्ट हों, युद्ध के समय जिसको आवश्यक सामग्री से
लैस किया जा सके; जो कहीं भी हार न खाता हो, दुःख को सहनेवाला हो,
युद्धकौशलो से परिचित हो, हर तरह के युद्ध में निपुण हो, राजा के
लाभ तथा हानि में हिस्सेदार हो, और जिसमें सत्रियों की अधिकता हो ।
इन गुणों से युक्त सेना दण्डसंपन्न कही जाती है ।

१. मित्र के गुण : मित्र ऐसे होने चाहिए, जो वंशपरम्परागत हों, स्थायी हों,
अपने वश में रह सकें, जिनसे विरोध की संभावना न हो, प्रभुमन्त्र-
उत्साह आदि शक्तियों से युक्त जो समय आने पर सहायता कर सकें ।
मित्रों में इन गुणों का होना मित्रसंपन्न कहा जाता है ।
२. शत्रु के गुण : जो शुद्ध राजवंश का न हो, लोभी हो, दुष्ट परिवार
वाला हो, अमात्य आदि प्रकृतियाँ जिसके अनुकूल न हों, शास्त्र के प्रतिकूल
आचारण करने वाला हो, अयोग्य हो, व्यसनी हो, जिसमें उत्साह न हो, जो
भाग्यवादी हो, विना विचारे कार्य करने वाला हो, सहाय्य रहित हो,
नपुंसक हो, सदा अपकार करने वाला हो । शत्रु में इन गुणों का होना
शत्रुसंपन्न कहा जाता है । इस प्रकार का शत्रु भासानी से उखाड़ा जा
सकता है ।
३. आत्मसंपन्न राजा : शत्रु को छोड़कर (क्योंकि वह राजा होने से स्वामि-
प्रकृति है) शेष सात प्रकृतियाँ अपने-अपने गुणों से युक्त बता दी गई हैं ।

छठा अधिकरण : प्रकरण ६६, अध्याय १

१. सम्पादयत्यसम्पन्नाः प्रकृतीरात्मवान्नृपः ।
विवृद्धाश्चानुरक्ताश्च प्रकृतीर्हन्त्यनात्मवान् ॥
२. ततः स दुष्टप्रकृतिश्चातुरन्तोऽप्यनात्मवान् ।
हन्यते वा प्रकृतिभिर्याति वा द्विषतां वशम् ॥
३. आत्मवाँस्त्वल्पदेशोऽपि युक्तः प्रकृतिसम्पदा ।
नयज्ञः पृथिवीं कृत्स्नां जयत्येव न हीयते ॥

इति मण्डलयोनौ षष्ठाऽधिकरणे प्रकृतिसम्पदं नाम प्रथमोऽध्यायः;

आदितः सप्तमवतितमः ।



परस्पर सहायक ये अंगभूत प्रकृतियाँ अपने-अपने कार्यों में लगी हुई राजसम्पत्ति नाम से कही जाती हैं ।

१. आत्मसम्पन्न राजा गुणहीन प्रकृतियों को भी गुणी बना लेता है; और आत्मसम्पन्नहीन राजा गुणसमृद्ध तथा अनुरक्त प्रकृतियों को भी नष्ट कर देता है ।
२. यही कारण है कि दुष्ट प्रकृति राजा चारों समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का अधिपति होता हुआ भी या तो अपनी प्रकृतियों द्वारा ही विनष्ट हो जाता है या शत्रु के कब्जे में चला जाता है ।
३. किन्तु आत्मसंपन्न नीतिज्ञ राजा थोड़ी भूमि का स्वामी होता हुआ भी आत्मप्रकृति के द्वारा सारी पृथ्वी का अधिपत्य प्राप्त कर लेता है और कभी भी क्षीण नहीं होता है ।

मण्डलयोनि नामक षष्ठ अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



अध्याय २

शमव्यायामिकम्

१. शमव्यायामौ योगक्षेमयोर्योनिः ।
२. कर्मरम्भाणां योगाराधनो व्यायामः । कर्मफलोपभोगानां
क्षेमाराधनः शमः ।
३. शमव्यायामयोर्योनिः षाड्गुण्यम् ।
४. क्षयस्थानं वृद्धिरित्युदयास्तस्य ।
५. मानुषं नयापनयौ दैवमयानयौ ।
६. दैवमानुषं हि कर्म लोकं यापयति । अदृष्टकारितं दैवम् । तस्मि-
न्निष्टेन फलेन योगोऽयः । अनिष्टेनानयः ।

शांति और उद्योग

१. क्षेम का कारण शांति और योग का कारण व्यायाम है ।
२. दुर्ग संबन्धी तथा संधि आदि कार्यों में कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करना ही व्यायाम कहलाता है । दुर्ग तथा सन्धि आदि कर्मफलों के उपयोग में विघ्नों के नाश का साधन ही शुभ (शांति) है ।
३. शम और व्यायाम के कारण हैं—संधि, विग्रह, यान, भासन, संश्रय और द्वैधीभाव आदि छह गुण ।
४. उन्नति (वृद्धि), अवनति (क्षय) और समानगति (स्थान), ये तीन, उक्त छह गुणों के फल हैं ।
५. इन तीन फलों को प्राप्त करने वाले दो प्रकार के कर्म हैं : मानुष और दैव । नय तथा अपनय मानुषकर्म हैं और अय तथा अनय दैवकर्म हैं ।
६. ये दैव और मानुष कर्म ही लोक-जीवन को चलाने वाले दो पहिये हैं । अदृष्ट द्वारा कराया हुआ धर्म तथा अधर्म रूप कर्म दैव कहाता है । उससे दृष्ट फल का संबंध जुड़ जाने की स्थिति को अय कहते हैं । यदि प्रतिकूल फल के साथ सम्बन्ध हुआ तो वही अनय की स्थिति है ।

१. दृष्टकारितं मानुषम् । तस्मिन् योगक्षेमनिष्पत्तिर्नयः । विपत्ति-
रपनयः । तच्चिन्त्यम् । अचिन्त्यं दैवमिति ।
२. राजा आत्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीषुः ।
तस्य समन्ततो मण्डलीभूता भूम्यनन्तरा अरिप्रकृतिः । तथैव
भूम्येकान्तरा मित्रप्रकृतिः ।
३. अरिसम्पद्युक्तः सामन्तः शत्रुः । व्यसनी यातव्यः । अनपा-
श्रयो दुर्बलाश्रयो वोच्छेदनीयः । विपर्यये पीडनीयः कर्शनीयो
वा । इत्यरिविशेषाः ।
४. तस्मान्मित्रमरिमित्रं मित्रमित्रम् अरिमित्रमित्रं चानन्तर्येण

१. प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति या उरसाहशक्ति आदि के कारण, संधि, विग्रह आदि
गुणों के प्रयोग द्वारा जो कार्य कराया जाय वही मानुषकर्म कहलाता है ।
उसके होने पर यदि योग, क्षेम की सिद्धि हो जाय तो नय है; और
विपत्ति आ जाय तो अपनय कहा जाता है । योग-क्षेम की सिद्धि और
विपत्ति के प्रतीकार का साधनभूत मानुषकर्म के संबंध में ही यहाँ विचार
किया जायगा । अचिन्त्य दैवकर्म के संबंध में कुछ कहना सर्वथा असंभव है ।
२. जो राजा आत्मसंपन्न, अमात्य आदि द्रव्यप्रकृतिसंपन्न और नीति का
आश्रय लेने वाला हो उसको विजिगीषु कहते हैं । विजिगीषु राजा के
चारों ओर के राजा अरिप्रकृति कहलाते हैं । अरिप्रकृति राजाओं की
सीमाओं से लगे हुये राजा मित्रप्रकृति कहलाते हैं ।
३. शत्रु के गुणों से युक्त अराजबजी सामन्त शत्रु कहलाता है । व्यसनी
शत्रु राजा पर आक्रमण कर देना चाहिए । आश्रयहीन अथवा दुर्बल
शत्रु राजा पर भी आक्रमण कर देना चाहिए । आश्रययुक्त और सबल
शत्रु राजा किसी अपकारक द्वारा तंग किया जाना चाहिए अथवा अन्य
उपायों से उसकी सेना और उसके धन की क्षति करनी चाहिये । शत्रु
राजा के ये चार भेद हैं ।
४. विजिगीषु राजा की विजय-यात्रा में आगे क्रमशः शत्रु, मित्र, अरिमित्र,
मित्रमित्र और अरिमित्र-मित्र ये पाँच राजा आते हैं । इसी प्रकार उसके

भूमीनां प्रसज्यते पुरस्तात् । पश्चात्पार्ष्णिग्राह आक्रन्दः पार्ष्णि-
ग्राहासार आक्रन्दासार इति ।

१. भूम्यनन्तरः प्रकृत्यमित्रः तुल्याभिजनः सहजः । विरुद्धो
विरोधयिता वा कृत्रिमः ।
२. भूम्येकान्तरं प्रकृतिमित्रं मातृपितृसम्बन्धं सहजं धनजीवित-
हेतोराश्रितं कृत्रिममिति ।
३. अरिविजिगीष्वोर्भूम्यनन्तरः संहतासंहतयोरनुग्रहसमर्थो निग्रहे
चासंहतयोर्मध्यमः ।
४. अरिविजिगीषुमध्यानां बहिः प्रकृतिभ्यो बलवत्तरः संहतासंह-
तानामरिविजिगीषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहता-
नामुदासीनः । इति प्रकृतयः ।

(4) पीछे क्रमशः पार्ष्णिग्राह, आक्रन्द, पार्ष्णिग्राहासार और आक्रन्दासार ये
चार राजा होते हैं । विजिगीषु राजा के सहित आगे-पीछे के राजाओं को
मिलाकर एक राजमंडल कहलाता है ।

१. विजिगीषु राजा सीमा से लगा हुआ स्वाभाविक शत्रु और विजिगीषु के
वंश में उत्पन्न दायभागी, ये दोनों सहजशत्रु कहलाते हैं । स्वयं
विरुद्ध होने वाला अथवा किसी दूसरे को विरोधी बना देने वाला कृत्रिम
शत्रु कहलाता है ।
२. विजिगीषु के राज्य से एक राज्य को छोड़ कर उसके बाद का स्वभावतः
मित्र राजा और विजिगीषु का ममेरा या फुफेरा भाई, ये सहजमित्र हैं ।
धन या जीवन-जीविका के लिए आश्रय लेने वाला कृत्रिममित्र कहलाता है ।
३. अरि और विजिगीषु राजाओं की संधि में संधि का समर्थक और विग्रह में
विग्रह का समर्थक राजा मध्यम कहलाता है ।
४. अरि विजिगीषु और मध्यम की प्रकृतियों के अतिरिक्त, शक्तिशाली मध्यम
राजा से भी बलवान; अरि, विजिगीषु और मध्यम की संधि में संधि का
समर्थक और उनके विग्रह में विग्रह का समर्थक राजा उदासीन कहलाता
है । इस प्रकार बारह राजप्रकृतियों का निरूपण किया गया ।

१. विजिगीषुमित्रं मित्रमित्रं वास्य प्रकृतयस्तिस्रः । ताः पञ्चभि-
रमात्यजनपददुर्गकोशदण्डप्रकृतिभिरेकैकशः संयुक्ता मण्डल-
मष्टादशकं भवति । अनेन मण्डलपृथक्त्वं व्याख्यातमरिम-
ध्यमोदासीनानाम् ।
२. एवं चतुमण्डलसंक्षेपः । द्वादश राजप्रकृतयः, षष्टिर्द्रव्यप्रकृ-
तयः, संक्षेपेण द्विसप्ततिः ।
३. तासां यथास्वं सम्पदः ।
४. शक्तिः सिद्धिश्च । बलं शक्तिः । सुखं सिद्धिः ।
५. शक्तिस्त्रिविधा-ज्ञानबलं मन्त्रशक्तिः, कोशदण्डबलं प्रभुशक्तिः,
विक्रमबलमुत्साहशक्तिः ।
६. एवं सिद्धिस्त्रिविधैव मन्त्रिशक्तिसाध्या मन्त्रसिद्धिः, प्रभुशक्ति-

१. विजिगीषु, मित्र और मित्रमित्र ये तीन प्रकृति हैं । इन तीनों की अलग-
अलग अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दण्ड, ये पाँच प्रकृतियाँ, एक साथ
मिलकर अठारह प्रकृतियों का एक मंडल होता है । अरि, मध्यम और
उदासीन आदि के मंडलों का यही क्रम समझना चाहिये ।
२. इस प्रकार चार मंडलों का संक्षेप में निरूपण किया गया । बारह राज-
प्रकृतियाँ और साठ अमात्य आदि द्रव्य प्रकृतियाँ मिलकर बहत्तर प्रकृतियाँ
कही जाती हैं । उनकी संपत्तियों का विवेचन पहिले किया जा चुका है ।
३. इसी प्रकार शक्ति और सिद्धि के संबंध में भी समझना चाहिये । शक्ति
को बल और सिद्धि को सुख कहा जाता है ।
४. शक्ति अर्थात् बल के तीन भेद हैं : ज्ञानबल, कोषबल और विक्रमबल ।
ज्ञानबल ही मन्त्रशक्ति है, कोष-सेना बल ही प्रभुशक्ति है और विक्रमबल
ही उत्साहशक्ति है ।
५. इसी प्रकार सिद्धि के भी तीन भेद हैं : मित्रसिद्धि, प्रभुसिद्धि और उत्साह-
सिद्धि । मन्त्रशक्ति से होने वाली सिद्धि मन्त्रसिद्धि, प्रभुशक्ति से होने वाली
सिद्धि प्रभुसिद्धि और उत्साहशक्ति से होने वाली सिद्धि उत्साहसिद्धि
कहलाती है ।
६. इन शक्तियों से संपन्न राजा श्रेष्ठ; उनसे रहित अधम; और समान शक्ति

साध्या प्रभुसिद्धिः, उत्साहशक्तिसाध्या उत्साहसिद्धिरिति ।
ताभिरभ्युच्चितो ज्यायान् भवति । अपचितो हीनः । तुल्य-
शक्तिः समः । तस्माच्छक्तिं सिद्धिं च घटेतात्मन्यावेशयितुम् ।
साधारणो वा द्रव्यप्रकृतिष्वानन्तर्येण शौचवशेन वा दूष्यामि-
त्राभ्यां वाऽपक्रष्टुं यतेत ।

१. यदि वा पश्येत्—‘अमित्रो मे शक्तियुक्तो वाग्दण्डपारुष्यार्थ-
दूषणैः प्रकृतीरुपहनिष्यति, सिद्धियुक्तो वा मृगयाघृतमद्य-
स्त्रीभिः प्रमादं गमिष्यति, स विरक्तप्रकृतिरुपक्षीणः प्रमत्तो वा
साध्यो मे भविष्यति, विग्रहाभियुक्तो वा सर्वसन्दोहेनैकस्थो
दुगस्थो वा स्थास्यति, स संहतसैन्यो मित्रदुर्गवियुक्तः साध्यो
मे भविष्यति, बलवान् वा राजा परतः शत्रुमुच्छेत्तुकामस्तमु-
च्छिद्यमानमुच्छिन्द्यात्’ इति । ‘बलवता प्रार्थितस्य मे विपन्न-

वाला मध्यम कहा जाता है । इसलिये राजा को चाहिये कि वह अपनी शक्ति तथा सिद्धि को बढ़ाने के लिये निरन्तर यत्नशील रहे । जो राजा स्वयं अपनी शक्ति-सिद्धि को बढ़ाने में असमर्थ हो वह इस कार्य को अपनी अमात्य आदि द्रव्य प्रकृतियों के द्वारा या अपनी सुविधा के अनुसार संपन्न करे; और दूष्य तथा शत्रु की शक्ति-सिद्धि को नष्ट करने का यत्न करे ।

१. यदि वह राजा ऐसा देखे कि : मेरा शक्तिशाली शत्रुराजा वाक्पारुष्य, दण्ड-
पारुष्य और अर्थदोष से अपनी अमात्य आदि द्रव्यप्रकृतियों से रुष्ट कर देगा;
अथवा वह मृगया, घृत और स्त्रियों में आसक्त होकर प्रमादी बन जायगा;
तब निश्चित ही वह प्रकृतियों से विरक्त और प्रमादी शत्रुराजा को ‘मैं
आसानी से जीत सकूँगा; अथवा जब मैं अपनी सपूर्ण सैन्यशक्ति को लेकर
उससे युद्ध करने जाऊँगा तो वह अपनी शक्ति पर गर्वित हो कर किसी
स्थान या दुर्ग में अकेला मेरे मुकाबले की प्रतीक्षा में रहेगा’—ऐसी स्थिति
में वह मेरी सेना से विर जायगा तथा उसको मित्र एवं दुर्ग से कोई
सहायता न मिल पावेगी और तब उसे मैं आसानी से जीत सकूँगा; अथवा
वह बलवान शत्रुराजा अपने दूसरे शत्रु का उच्छेद करके ही रुक जायगा;
अथवा किसी दूसरे बलवान के साथ युद्ध करने पर मुझे क्षीण शक्ति देख

पाँचवाँ अधिकरण : प्रकरण ६४-६५, अध्याय ६

कर्मारम्भस्य वा साहाय्यं दास्यति, मध्यमलिप्सायां च' इति ।
एवमादिषु कारणेष्वप्यमित्रस्यापि शक्तिं सिद्धिं चेच्छेत् ।

१. नेमिमेकान्तरान् राज्ञः कृत्वा चानन्तरानरान् ।
नाभिमात्मानमायच्छेन्नेता प्रकृतिमण्डले ॥
२. मध्ये ह्युपहितः शत्रुर्नेतुर्मित्रस्य चोभयोः ।
उच्छेद्यः पीडनीयो वा बलवानपि जायते ॥

इति मण्डलयोनौ षष्ठाधिकरणे शमभ्यायामिकं नाम द्वितीयोऽध्यायः;
आदितोऽष्टनवतितमः ।

समाप्तमिदं मण्डलयोनिर्नाम षष्ठमधिकरणम्



कर, मुझे मध्यम राजा बनाने की अभिलाषा से, वह मेरी सहायता करेगा';
इस प्रकार की विशेष स्थितियों में वह शत्रु की शक्ति-सिद्धि की भी
सम्भावना करे ।

१. नेता विजिगीषु को चाहिये कि वह राजमंडल रूपी चक्र में अपने मित्र
राजाओं को नेमि, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभि स्थान
में समझे ।
२. जो बलवान शत्रु विजिगीषु और मित्र के बीच में आ जाय वह जीत लिया
जाता है या बहुत तंग किया जाता है ।

मण्डलयोनि नामक षष्ठ अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



षाड्गुण्य
सातर्षाँ अधिकरणा

/

,

-

!

,

प्रकरण ९८-९९

अध्याय १

षाड्गुण्यसमुद्देशः, क्षयरथान- वृद्धिनिश्चयश्च

१. षाड्गुणस्य प्रकृतिमण्डलं योनिः ।
२. सन्धिविग्रहासनयानद्वैधीभावाः षाड्गुण्यमित्याचार्याः ।
३. द्वैगुण्यमिति वातव्याधिः, सन्धिविग्रहाभ्यां हि षाड्गुण्यं सम्पद्यत इति ।
४. षाड्गुण्यमेवैतदवस्थाभेदादिति कौटिल्यः ।
५. तत्र पणवन्धः सन्धिः, अपकारो विग्रहः, उपेक्षणमासनम्, अभ्युच्चयो यानं, परार्पणं संश्रयः, सन्धिविग्रहोपादानं द्वैधीभाव इति षड्गुणाः ।

छह गुणों का उद्देश्य, और क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय

१. सात प्रकृतियाँ और बारह राजमंडल ही छह गुणों के आधार हैं ।
२. पुरातन आचार्यों ने (१) संधि, (२) विग्रह, (३) यान, (४) आसन, (५) संश्रय और (६) द्वैधीभाव ये छह गुण बताये हैं ।
३. आचार्य वातव्याधि का कहना है कि गुण तो दो ही हैं : संधि और विग्रह, बाकी तो उन्हीं के अवांतर भेद हैं ।
४. किन्तु आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि गुण तो छह ही हैं; संधि और विग्रह से बाकी चार गुण सर्वथा भिन्न हैं; इसलिए इन दोनों में उनका अन्तर्भाव कैसे संभव है ?
५. उनमें दो राजाओं का कुछ शतों पर मेल हो जाना संधि; शत्रु का कोई अपकार करना विग्रह; उपेक्षा करना आसन; चढ़ाई करना यान; आत्म समर्पण करना संश्रय; और संधि-विग्रह दोनों से काम लेना द्वैधीभाव कहलाता है—यही छह गुण हैं ।

१. परस्माद्धीयमानः सन्दधीत । अभ्युच्चीयमानो विगृह्णीयात् ।
न मां परो नाहं परमुपहन्तुं शक्त इत्यासीत् । गुणातिशययुक्तो
यायात् । शक्तिहीनः संश्रयेत् । सहायसाध्ये कार्ये द्वैधीभावं
गच्छेत् ।
२. इति गुणावस्थापनम् ।
३. तेषां यस्मिन् वा गुणे स्थितः पश्येत् 'इहस्थः शक्ष्यामि दुर्गसे-
तुकर्मवणिकपथशून्यनिवेशखनिद्रव्यहस्तिवनकर्माण्यात्मनः प्रव-
र्तयितुं परस्य चैतानि कर्माण्युपहन्तुम्' इति तमातिष्ठेत्, सा
वृद्धिः ।
४. 'आशुतरा मे वृद्धिर्भूयस्तरा वृद्ध्युदयतरा वा भविष्यति
विपरीता परस्य' इति ज्ञात्वा परवृद्धिमुपेक्षेत् । तुल्यकालफलो-
दयायां वृद्धौ सन्धिमुपेयात् ।

१. शत्रु की तुलना में अपने को निर्वल समझने पर संधि कर लेनी चाहिये ।
यदि शत्रु की तुलना में स्वयं को बलवान समझा जाय तो विग्रह कर देना
चाहिए । यदि शत्रुबल और आत्मबल में कोई अन्तर न समझे तो आसन
को अपना लेना चाहिए । यदि स्वयं को सर्वसंपन्न एवं शक्तिसंपन्न समझे
तो चढाई (यान) कर देनी चाहिए । अपने को निराशक्त समझने पर
संश्रय से काम लेना चाहिए । यदि सहायता की अपेक्षा समझे तो द्वैधीभाव
को अपनाना चाहिए ।
२. यहाँ तक छह गुणों का निरूपण किया गया ।
३. उक्त गुणों में जिस गुण का आश्रय प्राप्त करने पर वह समझे कि; 'मैं इस
को अपना कर अपने दुर्ग, सेतुकर्म, व्यापार, नई वस्ती बसाना, खान,
लकड़ी के जंगल, हाथियों के जंगल आदि कार्यों को कर सकूँगा और शत्रु के
इन कार्यों को नष्ट कर सकूँगा उसका ही आश्रय ले'—इस प्रकार के गुण का
आलंबन ही वृद्धि है ।
४. यदि वह समझे कि 'मेरी वृद्धि शीघ्र होगी और शत्रु की देर से; मेरी वृद्धि
अधिक होगी और शत्रु की कम; हम दोनों की एक ही समय में बराबर
वृद्धि होने पर भी शत्रु की वृद्धि हासोन्मुख होगी और मेरी उदयोन्मुख';

१. यस्मिन् वा गुणे स्थितः स्वकर्मणामुपघातं पश्येन्नेतरस्य तस्मिन् तिष्ठेत् । एष क्षयः ।
२. 'चिरतरेणाल्पतरं वृद्ध्युदयतरं वा क्षेप्ये, विपरीतं पर.' इति ज्ञात्वा क्षयमुपेक्षेत ।
३. तुल्यकालफलोदये वा क्षये सन्धिमुपेयात् ।
४. यस्मिन् वा गुणे स्थितः स्वकर्मवृद्धिं क्षयं वा नाधिपश्येत्, एतत्स्थानम् ।
५. 'ह्रस्वतरं वृद्ध्युदयतरं वा स्थास्यामि विपरीतं पर' इति ज्ञात्वा स्थानमुपेक्षेत ।
६. तुल्यकालफलोदये वा स्थाने सन्धिमुपेयादित्याचार्याः ।

ऐसी अवस्था में शत्रु की वृद्धि की कोई चिन्ता न करे । यदि वह देखे कि शत्रुकी वृद्धि भी समानरूप से उदय की ओर अग्रसर हो तो उसके साथ सन्धि कर ले ।

१. जिस गुण को अपनाने से अपने कार्यों का नाश और शत्रुकार्यों की कोई क्षति न हो, उसको कदापि न अपनाना चाहिए । इस प्रकार के गुण का अवलंबन ही क्षय है ।
२. यदि वह ऐसा समझे कि 'मेरा क्षय बहुत दिनों बाद होगा और शत्रुका जल्दी; मेरा क्षय थोड़ा होगा और शत्रु का अधिक मेरा क्षय उदयोन्मुख होगा और शत्रु का क्षीणोन्मुख;' तो अपने क्षय की कोई परवाह न करे ।
३. यदि शत्रु का क्षय अपने ही समान उदयोन्मुख समझे तो उससे सन्धि कर ले ।
४. अथवा जिस गुण का आश्रय लेने पर अपनी वृद्धि और अपना क्षय कुछ भी न देखे; ऐसा समान स्थिति को स्थान कहते हैं ।
५. यहि वह समझे कि 'मेरी ऐसी दशा थोड़े समय तक रहेगी और शत्रु की बहुत दिनों तक; मेरी यह दशा उदयोन्मुख होगी और शत्रु की क्षयोन्मुख,' ऐसी स्थिति में अपनी उस दशा की कोई चिन्ता न करे !
६. पुरातन आचार्यों का सुझाव है कि 'यदि शत्रु राजा का भी स्थान समकालीन और उदयोन्मुखी हो तो उसके साथ सन्धि कर लेनी चाहिए ।'

१. नैतद्विभाषितमिति कौटिल्यः ।'

२. यदि वा पश्येत्—'सन्धौ' स्थितो महाफलैः स्वकर्मभिः परकर्माण्युपहनिष्यामि, महाफलानि वा स्वकर्माण्युपभोक्ष्ये, परकर्माणि वा, सन्धिविश्वासेन वा योगोपनिषत्प्रणिधिभिः परकर्माण्युपहनिष्यामि, सुखं वा सानुग्रहपरिहारसौकर्यं फललाभभूयस्त्वेन स्वकर्मणा परकर्मयोगावहं जनमास्त्रावयिष्यामि, बलिनातिमात्रेण वा संहितः परः स्वकर्मोपघातं प्राप्स्यति, येन वा विगृहीतो मया सन्धत्ते, तेन अस्य विग्रहं दीर्घं करिष्यामि, मया वा संहितस्य मद्द्वेषिणो जनपदं पीडयिष्यति, परोपहतो वास्य जनपदो मामागमिष्यति ततः कर्मसु वृद्धिं प्राप्स्यामि, विपन्नकर्मारम्भो वा विषयस्थः परः कर्मसु न मे विक्रमेत,

१. किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'पूर्वाचार्यो का यह सुझाव बहुत ही अनुपयुक्त है ।'

२. किसी विशेष स्थिति में यदि विजिगीषु राजा यह देखे कि 'सन्धि कर लेने पर अपने शक्तिशाली कर्मों' से मैं शत्रु के कर्मों' का उन्मूलन कर दूँगा; या अपने ही महान फलदायक कर्मों की भांति शत्रु के कर्मों का उपभोग भी सन्धि-विश्वास से कर सकूँगा; अथवा सन्धि के बहाने गुप्तचरों तथा विष प्रयोगों द्वारा शत्रु के कर्मों' को नष्ट कर सकूँगा; या सन्धि के बहाने शत्रु के कार्यकुशल व्यक्तियों को उत्तम फल तथा पर्याप्त लाभ का प्रलोभन देकर अपने देश में खींच लाऊँगा, जिससे मेरे कृष्य आदि कार्य अधिक लाभदायी होंगे; अथवा अधिक बलवान शत्रु के साथ सन्धि करने पर शत्रु को बहुत धन देना पड़ेगा और कोष को क्षीण करने पर वह अपने कर्मों' को क्षीण कर लेगा; अथवा शत्रु का जिसके साथ विग्रह हो उसके साथ सन्धि करके मैं अपने शत्रु के साथ होने वाले विग्रह को अधिक दिनों तक बनाये रखूँगा; अथवा इसके साथ सन्धि करके यह मेरे शत्रु राष्ट्र को पीड़ा पहुँचायेगा; या दूसरे से सताया हुआ दूसरा राष्ट्र, इसके साथ सन्धि कर लेने पर मेरे चगुल में आ जायगा, जिससे मैं अपने कर्मों' को अधिक बढ़ा सकूँगा; या दुर्ग आदि के नष्ट हो जाने पर आपत्ति में पड़ा मेरा शत्रु

परतः प्रवृत्तकर्मारम्भो वा ताभ्यां संहितः कर्मसु वृद्धिं प्राप्स्यामि, शत्रुप्रतिबद्धं वा शत्रुणा सन्धि विधाय मण्डलं भेत्स्यामि, भिन्नमवाप्स्यामि, दण्डानुग्रहेण वा शत्रुमुपगृह्य मण्डललिप्सायां विद्वेषं ग्राहयिष्यामि, विद्विष्टं तेनैव घातयिष्यामि' इति सन्धिना वृद्धिमातिष्ठेत् ।

१. यदि वा पश्येत्—'आयुधीयप्रायः श्रेणीप्रायो वा मे जनपदः शैलवननदीदुर्गैर्ऋद्वारारक्षो वा शक्ष्यति पराभियोगं प्रातेहन्तुमिति, विषयान्ते दुर्गमविषह्यमपाकृतो वा शक्ष्यामि परकर्माण्युपहन्तुमिति, व्यसनपीडोपहतोत्साहो वा परः संप्राप्तकर्माण्युपघातकाल इति, विगृहीतस्यान्यतो वा शक्ष्यामि जनपदमपवाहयितुमिति विग्रहे स्थितो वृद्धिमातिष्ठेत् ।

मुझपर आक्रमण न कर सकेगा; या कदाचित् दूसरे शत्रु की सहायता से उसने अपने कार्यों का पुनरुद्धार करना आरंभ कर दिया; तब भी दोनों के साथ संधि करके मैं अपने कार्यों को उन्नत बनाये रख सकूँगा; या शत्रु के साथ मिले हुए मंडल को, शत्रु के साथ संधि करके, उन दोनों में फूट डाल दूँगा; तथा मंडल से भिन्न हुए राजा को अपने वश में कर सकूँगा; अथवा सैनिक सहायता से वश में करके मैं, मंडल के साथ मिल जाने की उसकी इच्छा को उलट दूँगा; वाद में द्वेष हो जाने पर मंडल के द्वारा ही उसको मरवा दूँगा'—इस प्रकार की स्थितियों में संधि करके अपना उन्नति करनी चाहिए ।

१. इसके विपरीत, विजिगीषु राजा यदि समझे कि 'मेरे देश में आयुधजीवी क्षत्रिय और कृपक अधिक हैं; मेरे देश में पहाड़, जंगल, नदी तथा किले बहुत हैं; मेरे राज्य में जाने-आने के लिए भी एक ही मार्ग है; शत्रु के किसी भी आक्रमण का प्रतीकार मेरा देश हर तरह से करने में समर्थ है; या राज्य की सीमा पर अति दुर्भेद्य दुर्ग का आश्रय लेकर शत्रु के कार्यों का विनाशकाल अब समीप आ पहुँचा है; अथवा विग्रह करते हुए शत्रु के जनपद को मैं किसी दूसरे रास्ते से पार कर लूँगा,—यदि ऐसा समझे तो विग्रह कर दे । ऐसी अवस्थाओं में विग्रह करके ही वह अपनी उन्नति करे ।

१. यदि वा मन्येत—‘न मे शक्तः परः कर्माण्युपहन्तुम्, नाहं तस्य कर्मोपघाती वा, व्यसनमस्य श्ववराहयोरिव कलहे वा स्वकर्मानुष्ठानपरो वा वर्धिष्ये’ इत्यासनेन वृद्धिमातिष्ठेत् ।
२. यदि वा मन्येत—‘यानसाध्यः कर्मोपघातः शत्रोः प्रतिविहित-स्वकर्मारक्षश्चास्मि’ । इति यानेन वृद्धिमातिष्ठेत् ।
३. यदि वा मन्येत—‘नास्मि शक्तः परकर्माण्युपहन्तुं स्वकर्मोपघातं वा त्रातुम्’ इति बलवन्तमाश्रितः स्वकर्मानुष्ठानेन क्षयात्स्थानं स्थानाद् वृद्धिं चाकांक्षेत् ।
४. यदि वा मन्येत—‘सन्धिनैकतः स्वकर्माणि प्रवर्तयिष्यामि, विग्रहेणैकतः परकर्माण्युपहनिष्यामि’ इति द्वैधीभावेन वृद्धिमातिष्ठेत् ।

१. अथवा विजिगीषु समझे कि ‘शत्रु मेरे कार्यों को नष्ट नहीं कर सकता है और मैं भी उसके कर््यों का नाश नहीं कर सकता हूँ; अथवा समान शक्ति वाले कुत्तों तथा सूअरों के समान हमारा विग्रह हो जाने पर भी अपने कर्मों के अनुष्ठान में निरत रह कर मैं अपनी उन्नति कर सकूँगा; तो आसन का आश्रय लेकर वह अपनी उन्नति करे ।

२. अथवा यदि समझे कि ‘शत्रु के कर्मों का नाश यान से हो सकेगा और मैंने अपने कर्मों की रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया है’ तो यान का आश्रय लेकर अपनी उन्नति करें ।

३. अथवा यदि वह समझे कि मैं शत्रु के कर््यों को नाश कर सकूँगा और अपने कर््यों को उसके आक्रमणों से बचा न पाऊँगा’ तो बलवान का आश्रय लेकर अपने कार्यों का अनुष्ठान करता हुआ वह क्षय से स्थान और स्थान से वृद्धि की आकांक्षा करे ।

४. और, अथवा ऐसा समझे कि ‘मैं एक शत्रु के साथ सन्धि करके अपने कर््यों को पूर्ववत् करता रहूँगा और दूसरे के साथ विग्रह करके उसके कर्मों का नाश कर सकूँगा’ तो द्वैधीभाव का आश्रय लेकर अपनी उन्नति का यत्न करे ।

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण ६८-६९, अध्याय १

१. एवं षड्भिर्गुणैरेतैः स्थितः प्रकृतिमण्डले ।
पर्येषेत क्षयात् स्थानं स्थानाद् वृद्धिं च कर्मसु ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे षाड्गुण्यसमुद्देशत्तयस्थानवृद्धिनिश्चयो
नाम प्रथमोऽध्यायः; आदितो नवनवतितमः ।



१. इस प्रकार अमात्य आदि प्रकृतिमंडल में स्थित राजा को चाहिए कि वह सन्धि, विग्रह आदि छह गुणों का आश्रय लेकर क्षयावस्था को पार करके स्थान की ओर और स्थनावस्था को पार करके वृद्धि की आकांक्षा करे ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



अध्याय २

संश्रयवृत्तिः

१. सन्धिविग्रहयोस्तुल्यायां वृद्धौ सन्धिमुपेयात् । विग्रहे हि क्षय-
व्ययप्रवासप्रत्यवाया भवन्ति ।
२. तेनासनयानयोरासनं व्याख्यातम् ।
३. द्वैधीभावसंश्रययोर्द्वैधीभावं गच्छेत् । द्वैधीभूतो हि स्वकर्म-
प्रधान आत्मन एवोपकरोति । संश्रितस्तु परस्योपकरोति,
नात्मनः ।
४. यद्वलः सामन्तः तद्विशिष्टबलमाश्रयेत् । तद्विशिष्टबलाभावे

बलवान का आश्रय

१. विजिगीषु राजा संधि और विग्रह में जब एक समान लाभ होता देखे तो अपनी उन्नति के लिए संधि का ही अवलंबन करे; क्योंकि विग्रह करने पर प्रजा का नाश, धान्य आदि की क्षति, प्रवास और प्रत्यवाय आदि अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं ।
२. इसी प्रकार आसन और यान के द्वारा समान लाभ की स्थिति में आसन को ही अपनाना चाहिए ।
३. द्वैधीभाव और सश्रय से समान लाभ होने पर द्वैधीभाव को ही ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करने पर राजा अपने कार्यों को करता हुआ अपनी उन्नति करता है । इसके विपरीत सश्रय का सहारा लेने वाला राजा अपने आश्रयदाता का ही अधिक उपकार करता है, अपना नहीं ।
४. आश्रय उसका लिया जाना चाहिए, जो अपने शत्रु राजा (सामंत) से बलवान हो । यदि ऐसा बलवान राजा कोई न मिले तो अपने शत्रु राजा का ही आश्रय लेना चाहिये; और दूर से ही वह धन, सेना, भूमि आदि

तमेवाश्रितः कोशदण्डभृमीनामन्यतमेनास्योपकर्तुमृष्टः प्रयतेत ।
महादोषो हि विशिष्टसमागमो राज्ञामन्यन्नारिविगृहीतात् ।

१. अशक्ये दण्डोपनतवद् वर्तेत ।

२. यदा चास्य प्राणहरं व्याधिमन्तःकोपं शत्रुवृद्धिं मित्रव्यसनमुप-
स्थितं वा तन्निमित्तामात्मनश्च वृद्धिं पश्येत् , तदा सम्भाव्य-
व्याधिधर्मकार्यापदेशेनापयायात् । स्वविषयस्थो वा नोपग-
च्छेत् । आसन्नो वास्य छिद्रेषु प्रहरेत् ।

३. बलीयसोर्वा मध्यगतस्त्राणसमर्थभाश्रयेत् । यस्य वानन्तधिः
स्यात् । उभौ वा । कपालसंश्रयस्तिष्ठेत् । मूलहरमितरस्येतर-

को देकर उसका उपकार करे, उसके पास न भाये । क्योंकि बलवान राजा का साथ कभी-कभी महान् अनर्थकारी सिद्ध होता है । लेकिन उस बलवान राजा ने यदि किसी शत्रु से-दुश्मनी ठानी हो तो उसके साथ रहने में कोई हानि नहीं है ।

१. यदि बलवान राजा के निकट गए बिना उसको प्रसन्न करना असंभव जान पड़े तो अपनी सेना देकर उससे मिल-जुल कर नज़रतापूर्वक उसी के पास रहे ।

२. और जब देखे कि वह बलवान राजा किसी प्राणांतक व्याधि से ग्रस्त है, अथवा उसका पुरोहित आदि प्रकृतियां उससे असंतुष्ट हैं, या उसके शत्रु बहुत बढ़ गये हैं, या अपने मित्र के ऊपर 'कोई बड़ी विपत्ति आई है; और इन्हीं कारणों से अपनी उन्नति का मार्ग देखे, तो किसी व्याधि या धर्मकार्य का बहाना कर वहां से अपने देश को कूच कर दे । यदि ये सभी व्याधियां-विपत्तियां स्वयं उसके देश में पैदा हो गई हों तो किसी व्याधि या धर्मकार्य के निमित्त जुलाये जाने पर भी वह अपने देश को न छोड़े । अथवा बलवान राजा के पास रहकर ही वह उसके छिद्रों पर बराबर आघात करता रहे ।

३. अथवा दो बलवान राजाओं के बीच में रहता हुआ वह अपनी रक्षा करने में समर्थ राजा के आश्रय में रहे । अथवा अपने समीपस्थ राजा का आश्रय ले । यदि दोनों ही समीप हों तो कपाल संधि के द्वारा दोनों का अनुग्रह-

मपदिशन् भेदमुभयोर्वा परस्परापदेशं प्रयुञ्जीत । भिन्नयोरु-
पांशुदण्डम् ।

१. पार्श्वस्थो वा बलस्थयोरसन्नभयात् प्रतिकुर्वीत । दुर्गापाश्रयो
वा द्वैधीभूतस्तिष्ठेत् । सन्धिविग्रहक्रमहेतुभिर्वा चेष्टेत् । दूष्या-
मित्राटविकानुभयोरुपगृह्णीयात् । एतयोरन्यतरं गच्छंस्तैरेवान्य-
तरस्य व्यसने प्रहरेत् । द्वाभ्यामुपहितो वा मण्डलापाश्रयस्ति-
ष्ठेत् । मध्यममुदासीनं वा संश्रयेत् । तेन सहैकमुपगृह्येतरमुच्छि-
न्द्यादुभौ वा ।
२. द्वाभ्यामुच्छिन्नो वा मध्यमोदासीनयोस्तत्पक्षीयाणां वा राज्ञां
न्यायवृत्तिमाश्रयेत् । तुल्यानां वा यस्य प्रकृतयः मुख्येयुरेन,

प्राप्त करे । दोनों को वह एक-दूसरे का अपकार करने वाला बताता रहे ।
एक दूसरे के द्रव्य का नाश करने वाला बताकर उन दोनों में वह फूट
डाल दे । इस प्रकार फूट डाल कर वह गुप्त उपायों द्वारा चुपचाप उन्हें
मरवा दे ।

१. अथवा उन दोनों बलवान राजाओं में जिसकी ओर से शीघ्र ही भय की
आशंका देखे उसके पास रहता हुआ अपनी भावी आपत्ति का प्रतीकार
करे । अथवा दुर्ग का आश्रय लेकर द्वैधीभाव द्वारा एक के साथ संधि-
कर दूसरे से विग्रह कर दे । अथवा संधि-विग्रह के निमित्तों को लेकर वह
अपनी उन्नति का उपाय सोचे । अथवा उन दोनों ही प्रतिद्वंद्वी राजाओं
के दूष्य, शत्रु और भाटविक आदि को उच्च दान-सम्मान देकर अपने वश
में कर ले । तदनंतर किसी एक का मुकाबला करता हुआ उसके जिस
पक्ष को वह कमजोर समझे दूष्य आदि के द्वारा उस पर प्रहार कर दे ।
यदि दोनों ही उसके लिये पीड़ाकर हों तो वह मंडल की शरण में चला
जाय । अथवा मध्यम या उदासीन राजा का आश्रय ले ले । किसी एक के
साथ रहता हुआ वह दान-सम्मान देकर उसको अपने वश में कर ले और
दूसरे का उच्छेद करा दे; यदि हो सके तो दोनों का ही उच्छेद कर दे ।
२. अथवा दोनों से पीड़ित हुआ वह मध्यम, उदासीन या उनके पक्ष के
किसी न्यायपरायण राजा का आश्रय ले ले । यदि उनमें से अनेक

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण १००, अध्याय २

यत्रस्थो वा शक्नुयादात्मानमुद्धर्तुं, यत्र पूर्वपुरुषोचिता
गतिरासन्नः सम्बन्धो वा मित्राणि भूयांसीति शक्तिमन्ति
वा भवेयुः ।

१. प्रियो यस्य भवेद् यो वाप्रियोऽस्य कतरस्तयोः ।
प्रियो यस्य स तं गच्छेदित्याश्रयगतिः परा ॥


इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे संश्रयवृत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः,
आदितः शततमः ।



राजा न्यायपरायण हों तो जिसकी अमात्य आदि प्रकृतियाँ अपने अनुकूल
हों उसी का आश्रय ले । अथवा जिसके साथ रहता हुआ वह अपना
उद्धार कर सके; अथवा जिसके साथ परंपरा से विवाहादि अंतरंग संबंध
रहे हों; अथवा जहाँ बहुत-से शक्तिशाली मित्र हों; उसका आश्रय लें ।

१. जो जिसका प्रिय है, वे दोनों एक-दूसरे के अवश्य प्रिय होते हैं । इसलिए
जो जिसका प्रिय हो, वह उसी का आश्रय ले । यही सर्वश्रेष्ठ आश्रयस्थान
बताया गया है ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ३

समहीनज्यायसां गुणाम्निवेशो
हीनसन्धयश्च

१. विजिगीषुः शक्त्यपेक्षः षाड्गुण्यमुपयुञ्जीत । समज्यायोभ्यां सन्धीयेत । हीनेन विगृह्णीयात् । विगृहीतो हि ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धमिवाभ्युपैति । समेन चामं पात्रमामेनाहतमिवोभयतः क्षयं करोति । कुम्भेनेवाश्मा हीनेनैकान्तसिद्धिमवाप्नोति ।
२. ज्यायांश्चेत् सन्धिमिच्छेत्, दण्डोपनतवृत्तमावलीयसं वा योगमातिष्ठेत् ।

सम, हीन तथा बलवान राजाओं के चरित्र; और हीन राजा के साथ सन्धि

१. विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार संधि आदि छह गुणों में जिसको उचित समझे उसी को व्यवहार में लाये । उसके लिए उचित यही है कि बराबर तथा बड़ी शक्ति वाले राजा के साथ वह सन्धि कर ले; और शक्तिहीन के साथ विग्रह कर दे । क्योंकि अधिक शक्ति वाले के साथ विग्रह करने पर हीन शक्ति राजा की वही दुर्दशा होती है, जो कि मजारोही सैनिकों के साथ युद्ध में पैदल लड़ने वाली सेना की होती है । और समान बल-विक्रम वाले के साथ विग्रह करने पर वे दोनों ही उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दो कच्चे घड़े आपस में भिड़ जाने से दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । और हीन शक्ति के साथ विग्रह करने का वही सुपग्नियाम होता है जो पत्थर से घड़े पर चोट मारने से होता है ।
२. यदि अधिक शक्तिशाली राजा सन्धि करने के लिए तैयार न हो तो दण्डोपनतवृत्त और आवलीयस अधिकरणों में निर्दिष्ट उपायों का प्रयोग करना चाहिए ।

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण १०१-१०२, अध्याय ३

१. समश्चेन्न सन्धिमिच्छेत्, यावन्मात्रमपकुर्यात् तावन्मात्रमस्य प्रत्यपकुर्यात् । तेजो हि सन्धानकारणं, नातप्तं लोहं लोहेन सन्धत्त इति ।
२. हीनश्चेत् सर्वत्रानुप्रणतस्तिष्ठेत्, सन्धिमुपेयात् । आरण्योऽग्निरिव हि दुःखामर्षजं तेजो विक्रमयति । मण्डलस्य चानुग्राह्यो भवति ।
३. संहितश्चेत् 'परप्रकृतयो लुब्धक्षीणापचकिताः प्रत्यादानभयाद्वा नोपगच्छन्ति' इति पश्येद्वीनोऽपि विगृह्णीयात् ।
४. विगृहीतश्चेत् 'प्रकृतयो लुब्धक्षीणापचरिताः विग्रहोद्विग्ना वा मां नोपगच्छन्ति' इति पश्येत् । ज्यायानपि सन्धीयेत, विग्रहांद्वेगं वा शमयेत् । 'व्यसनयौगपद्ये गुरुव्यसनोऽस्मि,

१. यदि समान शक्ति वाला राजा सन्धि न करना चाहे तो वह जितना नुकसान पहुँचाये उतना ही नुकसान उसका भी करना चाहिए; क्योंकि तेज ही सन्धि का कारण सिद्ध होता है । बिना तपा लोहा दूसरे लोहे के साथ कभी नहीं मिल पाता है ।
२. यदि हीन शक्ति राजा प्रत्येक विषय में नम्र ही बना रहे तो उससे सन्धि कर लेनी चाहिए । क्योंकि दुःख और अमर्ष से पैदा हुआ तेज जंगल में लगी हुई भाग के समान है; बहुत संभव है कि विजिगीषु के सन्धि न करने पर हीन शक्ति राजा का तेज उसको विक्रमशाली बना दे, और उस दशा में वह मंडल का कृपापात्र बन जाय ।
३. यदि हीनशक्ति राजा सन्धि कर देने पर भी यह देखे कि 'शत्रु के अमात्य आदि प्रकृतिजन अपनी नीचता या असन्तोष के कारण या बदला लिए जाने के भय से मुझे नहीं अपना रहे हैं' तो विग्रह कर दे ।
४. अधिक बलसंपन्न विजिगीषु, हीनशक्ति राजा के साथ विग्रह करने पर यदि देखे कि 'अमात्य आदि प्रकृतिजन लोभी, क्षीण तथा चरित्रहीन होने के कारण अथवा विग्रह से उद्विग्न होने के कारण मुझ से अनुराग नहीं रखते' तो सन्धि कर ले । या विग्रह से पैदा हुई उद्विग्नता को वह शान्त करे ।

लघुव्यसनः परः सुखेन प्रतिकृत्य व्यसनमात्मनोऽभियुंज्यात्
इति पश्येत् । ज्यायानपि सन्धीयेत ।

१. सन्धिविग्रहयोश्चेत् परकर्शनमात्मोपचयं वा नाभिपश्येत्,
ज्यायानप्यासीत् ।
२. परव्यसनमप्रतिकार्यं चेत् पश्येत्, हीनोऽप्यभियायात् ।
३. अप्रतिकार्यासन्नव्यसनो वा ज्यायानपि संश्रयेत् । सन्धिनैकतो
विग्रहेणैकतश्चेत् कार्यसिद्धिं पश्येत्, ज्यायानपि द्वैधीभूत-
स्तिष्ठेदिति ।
४. एवं समस्य षाड्गुण्योपयोगः । तत्र तु प्रतिविशेषः—

अथवा जब देखे कि 'मेरे ऊपर भी आपत्ति है और शत्रु के ऊपर भी; मेरी आपत्ति बहुत बढ़ी है और शत्रु की बहुत थोड़ी; वह सुगमता से अपनी आपत्ति का प्रतीकार करके मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जायगा' तो शक्तिहीन के साथ भी सन्धि कर ले ।

१. यदि अधिक शक्तिशाली विजिगीषु भी यह समझे कि 'संधि या विग्रह करने पर शत्रु का हास और मेरी वृद्धि संभव न होगी' तो आसन का आश्रय ले ।
२. यदि हीनशक्ति विजिगीषु भी यह देखे कि 'शत्रु अपनी आपत्ति का प्रतीकार करने में असमर्थ है' तो तत्काल ही उस पर चढ़ाई कर दे ।
३. प्रतीकार से 'शांति न होनेवाली आपत्ति को समीप आया देखकर अधिक शक्तिसंपन्न विजिगीषु को भी चाहिये कि वह संशयवृत्ति का अवलंबन करे । यदि एक के साथ संधि द्वारा और दूसरे के साथ विग्रह द्वारा अपनी कार्यसिद्धि समझे तो अधिक शक्तिशाली विजिगीषु द्वैधीभाव का अवलंबन करे ।
४. इस प्रकार सम, हीन और अधिक शक्ति के विजिगीषु राजाओं में पारस्परिक संधि आदि छह गुणों के उपयोग का निरूपण किया गया । अब उनमें से हीन शक्ति वाले के प्रति कुछ विशेष बातों का निर्देश किया जाता है :

१. प्रवृत्तचक्रेणाक्रान्तो राज्ञा बलवतावलः ।
सन्धिनोपनमेत्तूर्णं कोशदण्डात्मभूमिभिः ॥
२. स्वयं संख्यातदण्डेन दण्डस्य विभवेन वा ।
उपस्थातव्यमित्येष सन्धिरात्तामिषो मतः ॥
३. सेनापतिकुमाराभ्यामुपस्थातव्यमित्ययम् ।
पुरुषान्तरसन्धिः स्यान्नात्मनेत्यात्मरक्षणः ॥
४. एकेनान्यत्र यातव्यं स्वयं दण्डेन वेत्ययम् ।
अदृष्टपुरुषः सन्धिर्दण्डमुख्यात्मरक्षणः ॥
५. मुख्यस्त्रीबन्धनं कुर्यात् पूर्वयोः पश्चिमे त्वरिम् ।
साधयेद् गूढमित्येते दण्डोपनतसन्धयः ॥

१. सेना आदि के द्वारा बलवान राजा से दवाये हुये निर्बल राजा को चाहिए कि तत्काल वह धन, सेना और भूमि आदि के सहित आत्मसमर्पण करके बलवान राजा के सामने झुक जाय ।
२. जब विजित राजा, विजयी राजा के कथनानुसार अपनी शक्तिभर सेना तथा धन लेकर उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे तो उस संधि को अमिषसंधि कहते हैं ।
३. सेनापति और राजकुमार को शत्रुराजा की सेवा में पेश करके जो संधि की जाती है उसको पुरुषांतर संधि कहते हैं । इसी को आत्मरक्षण संधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें राजा शत्रुके दरबार में न जाने से आत्मरक्षा कर लेता है ।
४. शत्रु के कार्य की सिद्धि के लिए जब 'मैं स्वयं भकेला ही जाऊँगा या मेरी सेना ही जायगी' ऐसा कहकर संधि की जाती है तब उसे अदृष्टपुरुषसंधि कहते हैं । इस संधि को दण्डमुख्यात्मरक्षण संधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य सैनिकों और राजा की रक्षा हो जाती है ।
५. उक्त तीनों संधियों में से पहिली दो संधियों में विश्वास के लिए शक्तिशाली राजा प्रमुख राजपुरुषों की कन्याओं से विवाह करे और तीसरी संधि में शत्रु को विष आदि गूढ प्रयोगों के द्वारा वश में करे । इन तीनों संधियों का एक नाम दण्डोपनतसंधि है ।

१. कोशदानेन शेषाणां प्रकृतीनां विमोक्षणम् ।
परिक्रयो भवेत् सन्धिः स एव च यथासुखम् ॥
२. स्कन्धोपनेयो बहुधा ज्ञेयः सन्धिरुपग्रहः ।
निरुद्धो देशकालाभ्यामत्ययः स्यादुपग्रहः ॥
विषह्यदानादायत्यां क्षमः स्त्रीवन्धनादपि ।
सुवर्णसन्धिर्विश्वासादेकीभावगतो भवेत् ॥
३. विपरीतः कपालः स्यादत्यादानादभाषितः ।
पूर्वयोः प्रणयेत् कुप्यं हस्त्यश्वं वा गरान्वितम् ॥
४. तृतीये प्रणयेदर्धं कथयन् कर्मणां क्षयम् ।

१. जिस सन्धि में बलवान शत्रु द्वारा युद्ध में गिरफ्तार किए गए भमात्य आदि प्रकृतिजनों को धन देकर छुड़ाया जाय उसे परिक्रयसंधि कहते हैं । और यही संधि जब सुविधानुसार किस्तवार धन अदा करने की शर्त पर की जाय तो उपग्रहसंधि कहाती है । जब किस्तवार देय धन के लिए समय और स्थान निश्चित किए जाते हैं तब इसी उपग्रहसंधि को प्रत्ययसंधि कहते हैं ।

२. सुविधानुसार नियत समय में नियमित धन राशि दे देने के कारण यह संधि कन्यादानसंधि के नाम से भी कहीं कहीं प्रसिद्ध है, क्योंकि यह संधि भविष्य में अच्छा फल देनेवाली एवं तपे हुए सुवर्ण को आपस में मिला देने के समान शत्रु और विजिगीषु को मिलाने का साधन सिद्ध होती है । इसलिए इसका एक नाम सुवर्णसंधि भी दिया गया है ।

३. जिस संधि में संपूर्ण धनराशि तत्काल ही अदा कर देने की शर्त होती है उसको कपालसंधि कहते हैं । शास्त्रों में इस दुरभिसंधि को कोई स्थान नहीं दिया गया है । उक्त चार संधियों में से पहिली दो संधियों में कपड़ा, कवच, लोहा, तौबा आदि वस्तुएँ शत्रु राजा को दे, या उसके इच्छानुसार बड़े हाथी-घोड़े पेश करे, किन्तु उनको ऐसा विष दिया गया हो, जिससे दो-तीन दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाय ।

४. तीसरी संधि में देय धन का कुछ हिस्सा देकर कह दे कि 'भाजकल मेरे कार्य बहुत विगड़ गये हैं, इतने ही पर सन्तोष कीजिए' । चौथी कपालिक

तिष्ठेच्चतुर्थ इत्येते कोशोपनतसन्धयः ॥

१. भूम्येकदेशत्यागेन देशप्रकृतिरक्षणम् ।
आदिष्टसन्धिस्तत्रेष्टो गूढस्तेनोपघातिनः ॥
२. भूमीनामात्तसाराणां मूलवर्जं प्रणामनम् ।
उच्छिन्नसन्धिस्तत्रैव परव्यसनकांक्षिणः ॥
३. फलदानेन भूमीनां मोक्षणं स्यादवक्रयः ।
फलातिभुक्तो भूमिभ्यः सन्धिः स परदूषणः ॥
४. कुर्यादवेक्षणं पूर्वी पश्चिमौ त्वबलीयसम् ।
आदाय फलमित्येते देशोपनतसन्धयः ॥

सन्धि में मध्यम या उदासीन राजा का आश्रय लेकर 'देता हूँ' देता हूँ' कहता हुआ समय को टाल दे। इन चारों सन्धियों का एक नाम कोशोपनत-संधि भी कहा जाता है

१. राष्ट्र और प्रकृति की रक्षा के लिए भूमि का कुछ भाग देकर जो संधि की जाती है उसे आदिष्ट-संधि कहते हैं। जो विजिगीषु उस दी हुई भूमि में गूढ पुरुषों और चोरों के द्वारा उपद्रव कराने में समर्थ हो उसके लिए यह संधि बड़े मौके की है।
२. राजधानी और दुर्गों को छोड़ कर सारहीन भूमि शत्रु को देकर जो संधि की जाती है उसको उच्छिन्नसंधि कहते हैं। यह संधि उस राजा के लिए बड़ी हितकर है जो इस इन्तजारी में हो कि कब शत्रु पर विपत्ति पड़े और कब मैं अपनी भूमि को वापिस ले लूँ।
३. जिम संधि में भूमि की पैदावार को देकर भूमि को छोड़ा लिया जाय उसका नाम अपक्रयसंधि है, किन्तु जिस संधि में पैदावार के भलावा कुछ और भी देना पड़े उसको परदूषणसंधि कहते हैं।
४. इन चारों प्रकार की संधियों में पहिली आदिष्ट और उच्छिन्न, दो संधियों के समय शत्रु की विपत्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए; और पिछली दो सन्धियों में भूमि की पैदावार को लेकर अबलीयस प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से शत्रु

१. स्वकार्याणां वशेनैते देशे काले च भाषिताः ।
आवलीयसिक्ताः कार्यास्त्रिविधा हीनसन्धयः ॥


इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे समहोनज्यायसां गुणाभिनिवेशो
हीनसन्धयश्चेति तृतीयोऽध्यायः;
आदित एकशततमः ।



का प्रतीकार करना चाहिए । भूमि देने के कारण इन चारों सन्धियों को भूम्युपनतसंधि या देशोपनत संधि इन नामों से भी कहा जाता है ।

१. इस प्रकार निर्बल राजा को उचित है कि वह उक्त दण्डोपनत, कोषोपनत और देशोपनत, इन तीन प्रकार की हीन सन्धियों को अपने कार्य, देश तथा समय के अनुसार उपयोग में लाये ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ४

विग्रहासनं, सन्ध्यासनं, विग्रह-
यानं, सन्धाययानं, सम्भूयप्रयाणं च

१. सन्धिविग्रहयोरासनं यानं च व्याख्यातम् । स्थानमासनमुपेक्षणं
चेत्यासनपर्यायाः ।
२. विशेषस्तु गुणैकदेशे स्थानम् । स्ववृद्धिप्राप्त्यर्थमासनम् । उपा-
यानामप्रयोग उपेक्षणमिति ।
३. सन्धानकामयोररिविजिगीष्वोरुपहन्तुमशक्तयोर्विग्रहासनं स-
न्धाय वा ।

विग्रह करके आसन और यान का अवलंबन

१. पूर्वाचार्यों ने यान तथा आसन को सन्धि और विग्रह के अन्तर्गत ही माना
है । स्थान, आसन और उपेक्षण, ये तीन शब्द आसन के पर्यायवाची हैं ।
२. भास्वरूप गुण की अल्पावस्था में स्थान शब्द का प्रयोग रूढ़ है । आशय
यह है कि आसन को ग्रहण करने पर भी यदि शत्रु के अपकार का बदला
न चुकाया जा सके ऐसी अवस्था में आसन शब्द के लिए विशेष रूप से
स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है । अपनी वृद्धि के लिए जब इस गुण
का अवलम्बन किया जाय तो उसे आसन कहते हैं । लड़ते हुए उपायों
का प्रयोग न करना अथवा थोड़ा प्रयोग करना उपेक्षण कहलाता है ।
३. विग्रह करके आसन का अवलम्बन : एक-दूसरे को हानि पहुचाने में असमर्थ
सन्धि की इच्छा रखने वाले विजिगीषु और शत्रु राजा को चाहिये कि वे
विग्रह करके आसन का अवलम्बन करें या सन्धि करके आसन का
अवलम्बन करें ।

१. यदा वा पश्येत्—‘स्वदण्डैर्मित्राटवीदण्डैर्वा समं ज्यायांसं वा कर्षयितुमुत्सहे’ इति, तदा कृतवाद्याभ्यन्तरकृत्यो विगृह्यासीत्।
२. यदा वा पश्येत्—‘उत्साहयुक्ता मे प्रकृतयः संहता विवृद्धाः स्वकर्माण्यव्याहताश्चरिष्यन्ति, परस्य वा कर्माण्युपहनिष्यन्ति’ इति, तदा विगृह्यासीत्।
३. यदा वा पश्येत्—‘परस्यापचरिताः क्षाणा लुब्धाः स्वचक्रस्तेनाटवीव्यथिता वा प्रकृतयः स्वयमुपजापेन वा मामेष्यन्तीति, सम्पन्ना मे वार्ता विपन्ना परस्य तस्य प्रकृतयो दुर्भिक्षोपहता मामेष्यन्ति, विपन्ना मे वार्ता सम्पन्ना परस्य तं मे प्रकृतयो न गमिष्यन्ति विगृह्य चास्य धान्यपशुहिरण्यान्याहरिष्यामि, स्वपण्योपघातीति वा परपण्यानि निवर्तयिष्यामि, परवणिक्पथाद्वा सारवन्ति मामेष्यन्ति विगृहीते

१. अथवा जब विजिगीषु देखे कि ‘अपनी तथा मित्र की या आटविक राजा की सेना के द्वारा मैं, वरावर के या अधिक शक्तिवाले शत्रु राजा की सेना को पराजित कर सकूँगा’ तो भीतर और बाहर की सब व्यवस्था ठीक करके विग्रह करके चुप होकर बैठ जाय।
२. अथवा जब देखे कि ‘मेरी अमात्य आदि प्रकृतियाँ पूरे उत्साह पर तथा पूरे सङ्गठन पर हैं; वे अपने कर्मों की रक्षा और शत्रु के कर्मों को ध्वस्त कर सकेंगी’ तो युद्ध की घोषणा कर चुप बैठ जाय।
३. अथवा जब देखे कि ‘शत्रु का प्रकृति मण्डल तिरस्कृत, क्षीण, लोभी, पारस्परिक कलह से पीडित होने से भेद उपायों द्वारा या स्वयमेव मेरे वश में हो जायगा। मेरा कृषि, वाणिज्य सुधार पर तथा शत्रु के विगाड़ पर हैं; उसका सारा प्रकृति-मण्डल दुर्भिक्ष से पीडित होकर मेरे पक्ष में हो जायगा। अथवा शत्रु की वार्ता समृद्ध और मेरी क्षीणावस्था में है। फिर भी मेरा प्रकृति-मण्डल शत्रु के पक्ष में न जायगा; बल्कि विग्रह करके मैं शत्रु के धन-धान्य, पशु, हिरण्य आदि नष्ट कर सकूँगा। अथवा विग्रह करके मैं अपने पण्य (व्यापार) को हानि पहुँचाने वाले शत्रु के पण्य को अपने देश में आने से रोक दूँगा। या विग्रह करके शत्रु के व्यापारी मार्गों से हाथी, घोड़े आदि

नेतरं, दूष्यामित्राटवीनिग्रहं वा विगृहीतो न करिष्यति, तैरेव वा विग्रहं प्राप्स्यति, मित्रं मे मित्रभाव्यभिप्रयातो बह्वल्पकालं तनुक्षयव्ययमर्थं प्राप्स्यति, गुणवतीमादेयां वा भूमिं सर्वसन्दोहेन वा मामनादृत्य प्रयातुकामः कथं न यायात्' इति परवृद्धिप्रतिघातार्थं प्रतापार्थं च विगृह्यासीत् ।

१. तमेव हि प्रत्यावृत्तो ग्रसत इत्याचार्याः ।

२. नेति कौटिल्यः । कर्शनमात्रमस्य कुर्यादव्यसनिनः । परवृद्ध्या तु वृद्धः समुच्छेदनम् ।

सारवान वस्तुएँ मेरे पास चली आवेगी और मेरी वे वस्तुएँ शत्रु के पास न जा सकेंगी । या विग्रह करके शत्रु अपने दूष्य, शत्रु और आटविकों को वश में न कर सकेगा । या उनके साथ भी इसका विग्रह हो जायगा । अथवा विग्रह के द्वारा शत्रु के कार्यों में रुकावट डालकर मैं अपने मित्र राजा का थोड़े ही समय में इतना अधिक उपकार कर सकूँगा कि वह धन-धान्य से सम्पन्न हो जायगा । अथवा इस प्रकार मेरे द्वारा अनादृत यह शत्रु राजा अत्यन्त उपजाऊ एवं उपयोगी भूमि को लेने के लिए कहीं अपनी सम्पूर्ण सेना को लेकर आक्रमण न कर दे'—इत्यादि अवस्थाओं में विजिगीषु को चाहिए कि वह अपनी अभ्युन्नति और शत्रु की हानि के लिए विग्रह करके आसन का अवलम्बन करे ।

१. पूर्वाचार्यों का इस संबंध में यह सुझाव है कि 'विजिगीषु द्वारा आक्रमणकारी शत्रु के मार्ग में बाधा पड़ जाने के कारण कहीं ऐसा न हो कि वह कुपित होकर विजिगीषु के ऊपर ही टूट पड़े और उसका उन्मूलन कर दे । इससे तो भारी अनर्थ की सम्भावना है । इसलिए ऐसी अवस्था में उचित यह है कि विग्रह करके चुप न बैठ जाय ।'

२. किन्तु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'कुपित हुआ शत्रु राजा व्यसनरहित विजिगीषु को उखाड़ नहीं सकता है, थोड़ा-बहुत अनिष्ट अवश्य कर दे । परंतु विजिगीषु यदि उसके आक्रमण में बाधा न डाले तो अपने शत्रुराजा को निर्विघ्न जीतकर वह विजिगीषु को उखाड़ फेंकने में समर्थ हो सकता है ।'

१. एवं परस्य यातव्योऽस्मै साहाय्यमविनष्टः प्रयच्छेत् । तस्मात् सर्वसन्दोहप्रकृतं विगृह्यासीत् ।
२. विगृह्यासनहेतुप्रातिलोभ्ये सन्धायासीत् ।
विगृह्यासनहेतुभिरभ्युचितः सर्वसन्दोहवर्जं विगृह्य यायात् ।
यदा वा पश्येत्—‘व्यसनी परः, प्रकृतिव्यसनं वास्य शेषप्रकृतिभिरप्रकृतिकार्यं, स्वचक्रपीडिता विरक्ता वास्य प्रकृतयः कर्शिता निरुत्साहाः परस्पराद्भिन्नाः शक्या लोभयितुम्, अग्न्युदकव्याधिमरकदुर्भिक्षनिमित्तक्षीणयुग्यपुरुषनिचयरक्षाविधानः परः’ इति, तदा विगृह्य यायात् ।
३. यदा वा पश्येत्—‘मित्रमाक्रन्दश्च मे शूरवृद्धानुरक्तप्रकृतिर्विपरीतप्रकृतिः परः पार्ष्णिग्राहश्चासारश्च, शक्ष्यामि मित्रेणासार-

१. इस प्रकार विग्रह करके चुप बैठ जाने का परिणाम यह होगा कि यातव्य (जिस पर आक्रमण किया जाय) राजा अपनी सुरक्षा के लिए विजिगीषु को अवश्य सहायता पहुँचायेगा । इसलिए पूरी ताकत के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत राजा के साथ विग्रह करके ही आसन का अवलम्बन किया जाय ।

२. विग्रह करके यान का अवलम्बन : अथवा जब देखे कि ‘शत्रु व्यसनों में फँसा है; उसका प्रकृति-मण्डल भी व्यसनों में उलझा है; अपनी सेनाओं से पीड़ित उसकी प्रजा उससे विरक्त हो गई; राजा स्वयं उत्साहहीन है; प्रकृति-मण्डल में परस्पर कलह है; उसको लोभ देकर फोड़ा जा सकता है; शत्रु, अग्नि, जल, व्याधि, संक्रामक रोग के कारण वह अपने वाहन, कर्मचारी और कोष की रक्षा न कर सकने के कारण क्षीण हो चुका है’ तो, ऐसी दशाओं में विग्रह करके चढ़ाई (यान) कर दे ।

३. अथवा जब देखे कि ‘मरे भागे-पीछे के मित्रराजा सूर, अनुभवी एवं अनुरक्त प्रकृति-मण्डल से सम्पन्न हैं और शत्रु के मित्र राजा सर्वथा विपन्नावस्था में हैं; यही स्थिति पार्ष्णिग्राह और आसार राजाओं की भी है; ऐसी

माक्रन्देन पार्ष्णिग्राहं वा विगृह्य यातुम्' इति, तदा विगृह्य-
यायात् ।

१. यदा वा फलमेकहार्यमल्पकालं पश्येत् , तदा पार्ष्णिग्राहासा-
राभ्यां विगृह्य यायात् । वपर्यये सन्धाय यायात् ।
२. यदा वा पश्येत्— 'न शक्यमेकेन यातुमवश्यं च यातव्यम्'
इति, तदा समहीनज्यायोभिः सामवायिकैः सम्भूय यायात् ।
एकत्र निर्दिष्टेनांशेनानेकत्रानिर्दिष्टेनांशेन । तेषामसमवाये दण्ड-
मन्यतरस्मिन् निविष्टांशेन सम्भूयाभिगमनेन वा निविश्येत ।
ध्रुवे लाभे निर्दिष्टेनांशेनाध्रुवे लाभांशेन ।

दशा में मैं मित्र के साथ आसार को और आक्रंद के साथ पार्ष्णिग्राह को
भिडाकर शत्रु को जीत सकूँगा' तो विग्रह करके चढ़ाई कर दे ।

१. अथवा देखे कि 'अकेले ही चढ़ाई करके मैं अभीष्ट फल को प्राप्त कर लूँगा' तो
पार्ष्णिग्राह और आसार के साथ भी विग्रह करके अपने शत्रु पर चढ़ाई कर
दे । और यदि देखे कि 'अकेले ही चढ़ाई करके मैं अभीष्ट फल को प्राप्त न
कर सकूँगा' तो संधि करके चढ़ाई कर दे ।
२. अथवा जब देखे कि 'मैं अकेले ही चढ़ाई करने में असमर्थ हूँ; किन्तु चढ़ाई
करनी आवश्यक है' तो ऐसी दशा में सम, हीन तथा अधिक शक्ति वाले
राजाओं के साथ गठबन्धन करके चढ़ाई करे । यदि एक ही देश पर चढ़ाई
करनी हो तो सहायक राजाओं का हिस्सा निश्चित करके; और अनेक देशों
पर चढ़ाई करनी हो तो हिस्से का निश्चय किये बिना ही चढ़ाई कर दे ।
यदि उक्त राजाओं में कोई भी राजा साथ चलने को तैयार न हो तो उनका
कुछ हिस्सा निश्चित करके उनसे सेना मांगे । अथवा यह कहे कि इस समय
साथ चलकर यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो भवसर आने पर मैं भी
तुम्हारा साथ दूँगा ।' यदि आक्रमण करने पर भूमि मिले तो उसमें से पूर्व
निश्चित हिस्सा दे दे और दूसरा सामान मिले तो लाभ के अनुसार
हिस्सा दे ।

१. अंशो दण्डसमः पूर्वः प्रयाससम उत्तमः ।
विलोपो वा यथालाभं प्रक्षेपसम एव वा ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे विगृह्यासनं सन्धाययासनं, विगृह्यायानं
सन्धाययानं सम्भूयप्रयाणं नाम चतुर्थोऽध्यायः
आदितो द्विशततमः ।



१. सैन्य-सहायता के अनुसार ही सहायक राजाओं को हिस्सा दिया जाय, यह प्रथम पक्ष है । मेहनत के अनुसार धन दिया जाय, यह उत्तम तरीका है । लूट-पाट में जो जिसके पल्ले पड़ जाय, वह उसी को दिया जाय, यह भी एक पक्ष है । अथवा लड़ाई के समय जिसका जितना खर्च हुआ है उसी के अनुसार उसको हिस्सा दिया जाना चाहिये ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ५

यातव्यामित्रयोरभिग्रहचिन्ता, क्षय-
लोभविरागहेतवः, प्रकृतीनां
सामवायिकनिपरिमर्शश्च

१. तुल्यसामन्तव्यसने यातव्यममित्रं वेत्यमित्रमभियायात् , तत्सिद्धौ यातव्यम् । अमित्रसिद्धौ स यातव्यः साहाय्यं दद्यान्नामित्रो यातव्यसिद्धौ ।
२. गुरुव्यसनं यातव्यं, लघुव्यसनममित्रं वेति गुरुव्यसनं सौकर्यतो यायादित्याचार्याः । नेति कौटिल्यः—लघुव्यसनममित्रं

यानसंबन्धी विचार; प्रकृतिमंडल के क्षय, लोभ तथा विराग के हेतु; और सहयोगी सामवायिकों का हिस्सा

१. विजिगीषु राजा को चाहिये कि यदि यातव्य और शत्रु के ऊपर सामन्त आदि से उत्पन्न समान व्यसन भा पड़ा हो तो, ऐसी स्थिति में, पहिले शत्रु पर चढ़ाई की जाय । उसको जीत लेने के बाद फिर यातव्य पर आक्रमण किया जाय । क्योंकि शत्रु को जीत लेने पर यातव्य, विजिगीषु का सहायक हो सकता है; किन्तु यातव्य को जीत लेने पर शत्रु कभी भी सहायक नहीं हो सकता; उसका कारण यह है कि शत्रु हमेशा ही अपकार करने वाला होता है ।
२. यानसंबन्धी विचार : यदि विजिगीषु के समक्ष 'अधिक व्यसन में फसे हुए यातव्य पर पहिले चढ़ाई की जाय या थोड़े व्यसन में फसे हुये शत्रु पर पहिले चढ़ाई की जाय' ऐसी विकल्प की स्थिति आये तो उसको उचित है कि अधिक व्यसनी यातव्य पर ही पहिले वह चढ़ाई करे; क्योंकि उसको जीत लेना अधिक सुगम होता है—ऐसा पूर्वाचार्यों का अभिमत है । किन्तु आचार्य कौटिल्य इस अभिमत से सहमत नहीं हैं । इनका कहना है कि 'पहिले शत्रु पर ही चढ़ाई करनी चाहिये, भले ही उस पर थोड़ी विपत्ति क्यों

- यायात् । लघ्वपि हि व्यसनमभियुक्तस्य कृच्छ्रं भवति । सत्यं
गुर्वपि गुरुतरं भवति । अनभियुक्तस्तु लघुव्यसनः सुखेन
व्यसनं प्रतिकृत्यामित्रो यातव्यमभिसरेत् । पार्ष्णिं गृह्णीयात् ।
१. यातव्ययौगपद्ये गुरुव्यसनं न्यायवृत्तिं लघुव्यसनमन्यायवृत्तिं
विरक्तप्रकृतिं वेति, विरक्तप्रकृतिं यायात् । गुरुव्यसनं न्याय-
वृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयोऽनुगृह्णन्ति । लघुव्यसनमन्यायवृत्ति-
मुपेक्षन्ते । विरक्ता बलवन्तमप्युच्छिन्दन्ति । तस्माद्विरक्त-
प्रकृतिमेव यायात् ।
२. क्षीणलुब्धप्रकृतिमपचरितप्रकृतिं वेति—क्षीणलुब्धप्रकृतिं या-

न हो; क्योंकि आक्रमण की स्थिति में छोटे व्यसन का प्रतीकार करना भी कठिन हो जाता है । यद्यपि यातव्य का गुरु व्यसन चढ़ाई कर देने पर अधिक गुरुतर हो जायगा, और उसको जीत लेना अत्यन्त ही सरल हो जायगा; तथापि पहिले लघु व्यसन शत्रु पर ही चढ़ाई करनी चाहिये, क्योंकि उस पर यदि चढ़ाई न की जायगी तो अपने छोटे से व्यसन का शीघ्र ही सरलता से प्रतीकार कर वह यातव्य की सहायता के लिए तैयार हो जायगा; अथवा पार्ष्णिग्राह (पीछे से आक्रमण करने वाला) बन जायगा ।

- १ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला भारी विपत्ति से ग्रस्त यातव्य, अन्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला थोड़ी विपत्ति से ग्रस्त यातव्य, और जिसका प्रकृति-मण्डल विरक्त हो गया हो, ऐसा यातव्य; इस प्रकार के तीन यातव्य यदि एक साथ प्राप्त हों तो उनमें सर्वप्रथम विरक्त-प्रकृति यातव्य पर ही चढ़ाई करनी चाहिये । क्योंकि यदि न्यायपरायण गुरु-व्यसनी यातव्य पर पहिले आक्रमण किया जायगा तो उसका प्रकृतिमण्डल प्राण प्रण से उसकी सहायता करेगा; इसी प्रकार अन्यायवृत्ति लघु व्यसनी यातव्य पर पहिले आक्रमण किया जायगा तो उसका प्रकृति-मण्डल न तो उसकी सहायता करेगा और न विरोध ही । इनके विपरीत विमुख हुआ प्रकृति-मण्डल बलवान राजा को भी उखाड़ फेंकता है । इसलिये विरक्त प्रकृति यातव्य पर ही पहिले आक्रमण करना चाहिये ।

२. 'द्रुभिश्च आदि विपत्तियों से पीड़ित और लोभी प्रकृति-मण्डल से युक्त यातव्य

यात् । क्षीणलुब्धा हि प्रकृतयः सुखेनोपजापं पीडां वोपगच्छन्ति, नापचरिताः प्रधानावग्रहसाध्या इत्याचार्याः । नन्ति कौटिल्यः— क्षीणलुब्धा हि प्रकृतयो भर्तरि स्निग्धा भर्तृहिते तिष्ठन्ति । उपजापं वा विसंवादयन्ति, अनुरागे सार्वगुण्यमिति । तस्मादपचरितप्रकृतिमेव यायात् ।

१. बलवन्तमन्यायवृत्तिं दुर्बलं वा न्यायवृत्तिमिति, बलवन्तमन्यायवृत्तिं यायात् । बलवन्तमन्यायवृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयो नानुगृह्णन्ति, निष्पातयन्त्यमित्रं वास्य भजन्ते । दुर्बलं तु न्यायवृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयः परिगृह्णन्ति, अनुनिष्पतन्ति वा ।

पर पहिले चढाई करनी चाहिये या तिरस्कृत प्रकृति-मण्डल वाले यातव्य पर पहिले चढाई करनी चाहिये, ऐसी अवस्था में 'विपत्तिग्रस्त लोभी प्रकृति-मण्डल से घिरे हुए यातव्य पर ही पहिले चढाई करनी चाहिये; क्योंकि पीडित एवं लोभी प्रकृति-मण्डल मरलता से काचू में क्रिया जा सकती है । किन्तु तिरस्कृत प्रकृति-मण्डल को घहकाना या सताना कठिन है; क्योंकि वे किसी की बात मानने के लिए तभी राजी होते हैं, जब उनका प्रधान उस बात को स्वीकार करे ।' पूर्वाचार्य ऐसा कहते हैं । किन्तु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'पीडित एवं लोभी प्रकृतिजन अपने मालिक में बड़ा अनुराग रखते हैं और उसके हितार्थ वे हर समय तैयार रहते हैं; और यह भी सम्भव है कि वे किसी के बहकावों में ही न आवें । वे इस बात को भी भली भाँति जानते हैं कि अपने राजा में अनुराग रखना ही सब गुणों का मूल है । इसलिये अपने प्रकृतिजनों का अनादर करने वाले यातव्य पर ही पहिले आक्रमण करना श्रेयस्कर है ।'

३. 'अन्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले बलवान यातव्य पर पहिले आक्रमण करना चाहिये; या अन्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले दुर्बल यातव्य पर' ? ऐसी स्थिति में अन्यायवृत्ति राजा पर ही पहिले आक्रमण करना चाहिये; क्योंकि ऐसे यातव्य पर आक्रमण करने पर उसके अमात्य आदि प्रकृतिजन उसकी सहायता करने के बदले उसको दुर्ग से निकाल देते हैं या शत्रु के साथ जाकर मिल जाते हैं । परन्तु न्यायवृत्ति दुर्बल यातव्य पर

१.

अवक्षेपेण हि सतामसतां प्रग्रहेण च ।
 अभूतानां च हिंसानामधर्म्याणां प्रवर्तनैः ॥
 उचितानां चरित्राणां धर्मिष्ठानां निवर्तनैः ।
 अधर्मस्य प्रसङ्गेन धर्मस्यावग्रहेण च ॥
 अकार्याणां च करणैः कार्याणां च प्रणशनेः ।
 अप्रदानैश्च देयानामदेयानां च साधनैः ॥
 अदण्डनैश्च दण्डयानामदण्डयानां चण्डदण्डनैः ।
 अग्राह्याणामुपग्राह्यैर्ग्राह्याणां चानभिग्रहैः ॥
 अनर्थ्यानां च करणैरर्थ्यानां च विघातनैः ।
 अरक्षणैश्च चोरेभ्यः स्वयं च परिमोषणैः ॥
 पातैः पुरुषकाराणां कर्मणां गुणदूषणेः ।
 उपघातैः प्रधानानां मान्यानां चावमाननैः ॥

आक्रमण करने से उसका प्रकृतिमण्डल प्राण-प्रण से उसकी सहायता करता है और उसके दुर्ग छोड़ देने पर भी बराबर उसकी कल्याण-कामना में ही निरत रहते हैं ।

- १ प्रकृतिमंडल के हेतु : सज्जनों का अनादर करने से; दुर्जनों पर अनुग्रह करने से; अनुचित, अधार्मिक एवं हिंसात्मक कार्यों को करने से; धार्मिक व्यक्तियों द्वारा सदाचरण का त्याग किए जाने से, अनुचित कार्यों को करने से; उचित कार्यों को विगाड़ देने से; सुपात्रों को दान न देने से; कुपात्रों की सहायता करने से; अपराधियों को दण्ड न देने से; निरपराधों को कठोर दण्ड देने से; त्याज्य व्यक्तियों को पास रखने से; कुलीन एवं सौम्य व्यक्तियों को दूर हटाने से; अनर्थकारी कार्यों को करने से; अर्थकारी कार्यों को न करने से; चोरों से प्रजा की रक्षा न करने से; चोरी कराने; पुरुषार्थी व्यक्तियों की उपेक्षा करने से; उचित ढंग से संपादित सन्धि-विग्रह आदि कार्यों की निन्दा करने से; अध्यक्ष आदि प्रधान कर्मचारियों पर दोषारोपण करके उन्हें नीच कार्यों में नियुक्त करने से; आचार्य, पुरोहित आदि माननीय व्यक्तियों का तिरस्कार करने से; विषम या मिथ्या बातें कह कर वृद्ध पुरुषों में परस्पर विरोध कराने से; किसी के उपकार को न मानने से; नित्यकर्मों को

विरोधनैश्च वृद्धानां वैषम्येणानृतेन च ।
 कृतस्याप्रतिकारेण स्थितस्याकरणेन च ॥
 राज्ञः प्रमादालस्याभ्यां योगक्षेमवधेन च ।
 प्रकृतीनां क्षयो लोभो वैराग्यं चोपजायते ॥
 क्षीणाः प्रकृतयो लोभं लुब्धा यान्ति विरागताम् ।
 विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं ध्नन्ति वा स्वयम् ॥

१. तस्मात् प्रकृतीनां क्षयलोभविरागकारणानि नोत्पादयेत् ।
 उत्पन्नानि वा सद्यः प्रतिकुर्वीत ।
२. क्षीणा लुब्धा विरक्ता वा प्रकृतय इति । क्षीणाः पीडनोच्छेद-
 नभयात् सद्यः सन्धि युद्धं निष्पतनं वा रोचयन्ते । लुब्धा
 लोभेनासन्तुष्टाः परोपजापं लिप्सन्ते । विरक्ताः पराभियोग-
 मभ्युत्तिष्ठन्ते ।

न करने से; राजा के प्रमाद एवं आलस्य से; और योग (किसी वस्तु की प्राप्ति) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तु की रक्षा) का नाश होने से अमात्य आदि प्रकृतिजनों का क्षय हो जाता है । वे लोभी हो जाते हैं एवं उनमें राजा के प्रति वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है । क्षय हुए प्रकृतिजन लोभ हो जाते हैं, लोभी होकर वे राजा की ओर से उदासीन हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वे शत्रु से जा मिलते हैं; अथवा स्वयं ही अपने राजा का बध कर ढालते हैं ।

१. इसलिए नीतिनिपुण राजा को चाहिए क वह अपने प्रकृतिजनों में क्षय, लोभ और विराग के कारणों को पैदा ही न होने दे । यदि किसी कारण वे पैदा हो भी जाँय तो उनका तत्काल प्रतीकार कर दे ।
२. क्षीण, लुब्ध और विरक्त, इन तीन प्रकार की प्रकृतियों को उत्तरोत्तर गुरु समझना चाहिए । पीड़ा और उच्छेद के डर से क्षीण हुआ प्रकृति-मंडल शीघ्र ही सन्धि, युद्ध या दुर्ग को छोड़ कर पलायन कर देता है । लोभी प्रकृतिमंडल असन्तोष के कारण शत्रु के वश में चला जाता है । विरक्त प्रकृतमंडल शत्रु के साथ मिलकर विजिगीषु पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है ।

१. तासां हिरण्यधान्यक्षयः सर्वोपघाती कृच्छ्रप्रतीकारश्च । यग्य-
पुरुषक्षयो हिरण्यधान्यसाध्यः ।
२. लोभ एकदेशिको मुख्यायत्तः परार्थेषु शक्यः प्रतिहन्तु-
मादातुं वा ।
३. विरागः प्रधानावग्रहसाध्यः । निष्प्रधाना हि प्रकृतयो भोग्या
भवन्त्यनुपजाप्याश्चान्येषामनापत्सहास्तु । प्रकृतिमुख्यप्रग्रहैस्तु
बहुधा भिन्ना गुप्ता भवन्त्यापत्सहाश्च ।
४. सामवायिकानामपि सन्धिनिग्रहकारणान्यवेक्ष्य शक्तिशौच-
युक्तेन सम्भूय यायात् । शक्तिमान् हि पार्ष्णिग्रहणे यात्रासा-
हाय्यदाने वा शक्तः, शुचिः सिद्धौ चासिद्धौ च यथास्थित-
कारीति ।

१. इन प्रकृतियों के हिरण्य और धान्य का क्षय हो जाना सर्वस्व नष्ट कर देने
वाला होता है । इसलिये इसका प्रतीकार करना भी अत्यन्त कठिन हो जाता
है । किन्तु हाथी-घोड़ों और पुरुषों के क्षय का प्रतीकार हिरण्य तथा धान्य
आदि के द्वारा सुगमता से हो सकता है ।
२. अमात्य आदि प्रकृतिजनों में किसी एक मुखिया को ही लोभ होता है ।
शत्रु या यातव्य की सम्पत्ति द्वारा उसका प्रतीकार किया जा सकता है;
अथवा मुख्य व्यक्तियों के द्वारा वह वापिस भी लिया जा सकता है ।
३. परन्तु विराग का प्रतीकार केवल मुख्य पुरुष को वश में करने से ही
नहीं हो सकता है । मुखिया रहित प्रकृतिजन शत्रु के वश में हो जाते हैं ।
वे दूसरे के वश में भी जा सकते हैं; किन्तु वे आपत्तियों को सहन नहीं कर
सकते हैं, आपत्ति के समय वे विजिगीषु को छोड़कर चले जाते हैं, मुखिया
के आधीन रहने पर वे शत्रु से नहीं फोड़े जा सकते हैं और आक्रमण के
समय भी वे विपत्ति को सहन कर लेते हैं ।
४. विजिगीषु को चाहिए कि वह सन्धि-विग्रह के कारणों को भली भाँति सोच-
समझ कर अपने सहयोगी राजाओं की शक्ति एवं पवित्रता को परख कर
उनके साथ ही शत्रु पर चढ़ाई कर दे । क्योंकि बलवान राजा पार्ष्णिग्राह
राजा के रोकने में सहायता करता है और विश्वासपात्र राजा युद्ध में सेना

१. तेषां ज्यायसैकेन द्वाभ्यां समाभ्यां वा सम्भूय यातव्यमिति ।
द्वाभ्यां समाभ्यां श्रेयः । ज्यायसा ह्यवगृहीतश्चरति समाभ्या-
मतिसन्धानाधिक्ये वा तौ हि सुखौ भेदयितुम् । दुष्टश्चैको
द्वाभ्यां नियन्तुं भेदोपग्रहं चोपगन्तुमिति ।
२. समेनैकेन द्वाभ्यां हीनाभ्यां वेति । द्वाभ्यां हीनाभ्यां श्रेयः ।
तौ हि द्विकार्यसाधकौ वश्यौ च भवतः । कार्यसिद्धौ तु—
३. कृतार्थाज्ज्यायसो गूढः सापदेशमपस्रवेत् ।
अशुचेः शुचिवृत्तात् प्रतीक्षेताविसर्जनात् ॥

आदि देकर उसके कार्यों में सहायता करता है; और निष्कपट राजा कार्य-
सिद्धि होने या न होने पर न्यायमार्ग का अनुसरण करता है ।

१. उनमें भी अधिक शक्तिशाली एक राजा के साथ गठबंधन करके चढ़ाई करनी चाहिए या समान शक्ति वाले दो राजाओं के साथ सुलह करके आक्रमण करना चाहिए ? ऐसी दशा में समान शक्ति राजा को साथ लेकर युद्ध करना ही श्रेयस्कर है । क्योंकि अधिक शक्तिशाली राजा के साथ विजिगीषु को दखकर ही चलना पड़ता है, जब कि समान शक्तिवाले के संबन्ध में यह बात नहीं होती है । और फिर एक सुविधा यह भी है कि दो बराबर शक्ति वाले राजाओं को आपस में सुगमता से फोड़ा जा सकता है । उनमें से किसी एक ने यदि दुष्टता भी की तो दूष्य आदि के द्वारा उसका दमन भी किया जा सकता है ।
२. समशक्ति एक राजा या हीनशक्ति दो राजाओं में से किस के साथ गठबंधन करके युद्ध किया जाना चाहिए ? हीनशक्ति दो राजाओं को साथ लेकर चढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों दो कार्यों को एक साथ कर सकते हैं और विजिगीषु के वश में भी रह सकते हैं ।
३. सहयोगी सामवायिकों का हिस्सा : सिद्ध हो जाने पर कृतार्थ हुए अधिक शक्ति राजा के मन में यदि बेईमानी आ जाय तो मित्र राजा को चाहिए कि वह वहां से चुपचाप चल दे । उसकी ईमानदारी और निष्कपटता को दृष्टि में रखकर तब तक मित्र राजा उसके साथ रहे, जब तक वह न छोड़े ।

१. सत्रादपसरेद् यत्तः कलत्रमपनीय वाः।
समादपि हि लब्धार्थाद्विश्वस्तस्य भयं भवेत् ॥
२. ज्यायस्त्वे चापि लब्धार्थः समो विपरिकल्पते ।
अभ्युच्चितश्चाविश्वास्यो वृद्धिश्चित्तविकारिणी ॥
३. विशिष्टादल्पमप्यंशं लब्ध्वा तुष्टमुखो व्रजेत् ।
अनंशो वा ततोऽस्याङ्के ग्रहृत्य द्विगुणं हरेत् ॥
४. कृतार्थस्तु स्वयं नेता विसृजेत् सामवायिकान् ।
अपि जीयेत न जयेन्मण्डलेष्टस्तथा भवेत् ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे यातव्यामित्रयोरभिग्रह-
चिन्तादि नाम पञ्चमोऽध्यायः;

आदितः त्रिंशत्तमः ।



१. कार्यसिद्ध होने पर मित्र राजा को चाहिए कि दुर्ग आदि संकटमय स्थान से अपने परिवार को साथ लेकर वह दूसरी जगह चला जाय । सफल हुए समशक्ति राजा से मित्र राजा को भय बना रहता है ।
२. वास्तविकता यह है कि चाहे अधिकशक्ति राजा हो या समशक्ति राजा हो, कार्यसिद्ध हो जाने पर उसके दिल में फर्क अवश्य आ जाता है । वृद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिये क्योंकि वह चित्त को विरत कर देता है ।
३. अधिक शक्तिशाली विजयी राजा से मित्र राजा को थोड़ा भी हिस्सा मिले या कुछ भी न मिले तो प्रसन्न होकर वह ले और वाद में उसकी किसी निर्बलता पर प्रहार करके दुगुना धन वसूल करे ।
४. विजयी विजिगीषु को चाहिए कि सफल हो जाने पर वह अपने सहायक मित्र राजाओं को सम्मानपूर्वक विदा करे, भले ही विजय का उसको थोड़ा ही हिस्सा उपलब्ध क्यों न हो । ऐसा व्यवहार करने से वह राज-मंडल का प्रियपात्र हो जाता है ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।



संहितप्रयाणिकं परिपणितापरि- पणितापरमृतसन्धयश्च

१. विजिगीषुर्द्वितीयां प्रकृतिमेवातिसन्दध्यात् । सामन्तं संहित-
प्रयाणे योजयेत्—‘त्वमितो याहि, अहमितो यास्यामि,
समानो लाभ’ इति ।
२. लाभसाम्ये सन्धिः । वैषम्ये विक्रमः ।
३. सन्धिः परिपणितश्चापरिपणितश्च ।
४. ‘त्वमेतं देशं याह्यहमिमं देशं यास्यामी’ति परिपणितदेशः ।

सामूहिक प्रयाण और देश, काल तथा कार्य के अनुसार संधियाँ

१. विजिगीषु राजा को चाहिये कि अपने पड़ोसी दुश्मन राजा (द्वितीय प्रकृति) को नीचा दिखाने के लिए सहप्रयाण में वह उससे कहे कि ‘आप इधर से आक्रमण करें और मैं इधर से । दोनों ओर से जो भी लाभ होगा हम दोनों का उसमें बराबर हिस्सा होगा ।’
२. यदि दोनों ओर से समान लाभ हो तो विजिगीषु को चाहिये कि वह दूसरे समशक्ति सहयोगी से संधि कर ले । यदि विजिगीषु को अधिक लाभ हो तो उससे लड़ाई कर दे ।
३. संधि दो प्रकार की होती है : परिपणित (जो देश, काल या कार्य की शर्त लगाकर की जाती है) और अपरिपणित (जिसमें देश, काल या कार्य की अपेक्षा नहीं रहती है) ।
४. ‘तुम इस देश पर चढ़ाई करो और मैं उस देश पर’ इस प्रकार निश्चित देश का निर्देश कर जो सन्धि की जाती है उसको परिपणित संधि कहते हैं । इसका एक नाम परिपणित देश सन्धि भी है ।

१. 'त्वमेतावन्तं कालं चेष्टस्व, अहमेतावन्तं कालं चेष्टिष्य' इति ।
परिपणितकालः ।
२. 'त्वमेतावत्कार्यं साधय, अहमेतावत्कार्यं साधयिष्यामीति'
परिपणितार्थः ।
३. यदि वा मन्येत—'शैलवननदीदुर्गमटवीव्यवहितं छिन्नं धान्य-
पुरुषवीवधासारमयवसेन्धनोदकमविज्ञातं प्रकृष्टमन्यभावदेशीयं
वा सैन्यव्यायामानामलब्धभौमं वा देशं परो यास्यति विपरी-
तमहम्' इत्येतस्मिन् विशेषे परिपणिततेशं सन्धिमुपेयात् ।
४. यदि वा मन्येत—'प्रवषोष्णशीतमतिव्याधिप्रायमुपक्षीणाहारोप-
भोगं सैन्यव्यायामानां चौपरोधिकं कार्यसाधनानामूनमति-

१. 'तुम इतने समय तक कार्य करते रहो और मैं इतने समय तक' इस प्रकार निश्चित समय का निर्देश करके जो सन्धि की जाती है; उसको परिपणित काल सन्धि कहते हैं ।
२. 'तुम इतना कार्य करो और मैं इतना कार्य करूँगा' इस प्रकार निश्चित कार्य का निर्देश करके जो सन्धि की जाती है उसको परिपणित कार्य सन्धि कहते हैं ।
३. विजिगीषु राजा यदि समझे कि 'जिस देश में पहाड़ों, जंगलों और नदियों के किनारे पर बड़े-बड़े किले हों; जहाँ तक पहुँचने में भयानक जंगलों को पार करना पड़े; जहाँ दूसरे देश से धान्य, पुरुष आदि सामान तथा अपनी मित्र सेना को न लाया जा सके; जहाँ घास, लकड़ी एवं पानी न मिले; जिसका भौगोलिक ज्ञान पूर्णतया प्राप्त न हो; बहुत दूर हो; जहाँ की प्रजा राजभक्त न हो; इत्यादि कारणों से कठिनाई से वश में आने वाले देश पर दूसरा सामंत राजा आक्रमण करेगा और मैं सुगमता से वश में आ जानेवाले देश पर आक्रमण करूँगा' ऐसी स्थिति होने पर परिपणित देश संधि कर ले ।
४. अथवा यदि वह समझे कि 'वर्षा गर्मी तथा सर्दी के मौसम में; जिन दिनों बीमारी का भय रहता है; जब खाने-पीने के लिए ठीक तरह से सामान न मिलता हो; जहाँ सेना की कवायद ठीक तरह से न हो सकती हो; विजय प्राप्त करने में सामंत को काफी समय लगाना पड़ेगा; लेकिन मुझे काल

रिक्तं वा कालं परश्चेष्टिष्यते, विपरोतमहम्' इति, तस्मिन्वि-
शेषे परिपणितकालं सन्धिमुपेयात् ।

१. यदि वा मन्येत—'प्रत्यादेयं प्रकृतिकोपकं दीर्घकालं महाक्षय-
व्ययमल्पमनर्थानुबन्धमकलयमधर्म्यं मध्यमोदासीनविरुद्धं मि-
त्रोपघातकं वा कार्यं परः साधयिष्यति, विपरीतमहम्' इति
तस्मिन् विशेषेपरिपणितार्थं सन्धिमुपेयात् ।
२. एवं देशकालयोः कालकार्ययोर्देशकार्ययोर्देशकालकार्याणां
चावस्थापनात्सप्तविधः परिपणितः । तस्मिन् प्रागेवारभ्य
प्रतिष्ठाप्य च स्वकर्मणि परकर्मसु विक्रमेत ।
३. व्यसनत्वरावमानालस्ययुक्तमज्ञं वा शत्रुमतिसन्धातुकामो देश-
कालकार्याणामनवस्थापनात् । 'संहितो स्वः' इति सन्धिविश्वा-
सेन परच्छिद्रमासाद्य प्रहरेत् । इत्यपरिपणितः ।

संबंधी बाधाये न झेलनी पड़ेगी'—ऐसे विशेष कारणों के उपस्थित होने में परिपणित काल सधि कर ले ।

१. अथवा यदि देखे कि 'शत्रु प्रकृति को कुपित कर देने वाले—विलंब से सिद्ध होने वाले पुरुषों का नाश करने वाले—धन का अपव्यय करने वाले—थोड़े किन्तु भविष्य में अनर्थकारी—कष्ट से संपादित होने वाले—अधर्म से युक्त-मध्यम तथा उदासीन राजाओं के विरुद्ध-मित्रों के लिए कष्टकर; इत्यादि जितने कार्य हैं उनको दूसरा सांमत पूरा करेगा और मैं इनसे विपरीत कार्य करूंगा' तो इस विशेष स्थिति में परिपणितार्थं संधि कर ले ।
२. इसी प्रकार देशकाल, कालकार्य, देशकार्य और देशकालकार्य इन चार सन्धियों को उक्त तीन सन्धियों से मिला देने पर परिपणित सन्धि के सात भेद हुए । विजिगीषु को उचित है कि वह परिपणित सन्धि कर लेने पर पहिले अपने कार्यों को प्रारम्भ करे और उन्हें पूरा कर दे; उसके बाद शत्रु के दुर्ग आदि कार्यों पर चढ़ाई करे ।
३. विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिये कि वह, मद्य, द्यूत, आदि व्यसनों से, जल्दी से, निरस्कार में और आलस्य से युक्त अविचारशील शत्रु राजा के साथ देश, काल तथा कार्य का कुछ भी निश्चय न करके 'हम दोनों

१. तत्रैतद्भवति—

सामन्तेनैव सामन्तं विद्वानायोज्य विग्रहे ।

ततोऽन्यस्य हरेद्भूमिं छित्त्वा पक्षं समन्ततः ॥

२. सन्धेरकृतचिकीर्षा कृतश्लेषणं कृतविदूषणमवशीर्णक्रिया च ।
विक्रमस्य प्रकाशयुद्धं, कूटयुद्धं, तूष्णींयुद्धम् । इति सन्धि-
विक्रमौ ।
३. अपूर्वस्य सन्धेः सानुबन्धैः सामादिभिः पर्येषणं समहीनज्या-
यसां च यथाबलमवस्थापनमकृतचिकीर्षा ।
४. कृतस्य प्रियहिताभ्यामुभयतः परिपालनं यथासम्भाषितस्य
च निबन्धनस्यानुवर्तिनं रक्षणं च । 'कथं परस्मान्न भिद्येत'
इति कृतश्लेषणम् ।

आपस में सन्धि करते हैं' ऐसा कहकर संधि के बहाने उस पर अपना विश्वास जमाकर तथा उसके दोषों का पता लगाकर फिर आक्रमण कर दे—इसको अपरिपणित सन्धि कहते हैं ।

१. विचारशील एवं विद्वान् विजिगीषु को चाहिये कि सन्धि कर लेने के बाद वह एक सामंत के साथ दूसरे सामन्त को लडा दे, और यातव्य की मित्रप्रकृति को नष्ट करके यातव्य की भूमि को अपने कब्जे में कर ले ।
२. संधि के चार धर्म हैं : (१) अकृतचिकीर्षा, (२) कृतश्लेषण (३) कृतविदूषण तथा (४) अवशीर्णक्रिया । इसी प्रकार विग्रह के भी तीन धर्म हैं : (१) प्रकाशयुद्ध (२) कूटयुद्ध और (३) तूष्णीयुद्ध ।
३. साम, दाम आदि उपायों से नई सन्धि करना और उसके अनुसार ही छोटे, बड़े तथा समान राजाओं के अधिकारों का पूरा ध्यान रखना अकृतचिकीर्षा नामक संधिधर्म है ।
४. जो सन्धि की जाय उसको अच्छे तथा हितकर आचरणों द्वारा बनाये रखना और पूर्व समझौते के अनुसार सब शर्तों को पूरी तरह रक्षा करते रहना ही कृतश्लेषण नामक संधिधर्म है ।

१. परस्यापसन्धेयतां दूष्यातिसन्धानेन स्थापयित्वा व्यतिक्रमः कृतविदूषणम् ।
२. भृत्येन मित्रेण वा दोषापसृतेन प्रतिसन्धानमवशीर्णक्रिया ।
३. तस्यां गतागतश्चतुर्विधः—कारणाद्गतागतः, विपरीतः, कारणाद्गतोऽकारणादागतः, विपरीतश्चेति ।
४. स्वामिनो दोषेण गतो गुणेनागतः परस्य गुणेन गतो दोषेणागत इति कारणाद्गतागतः सन्धेयः ।
५. स्वदोषेण गतागतो गुणभुभयोः परित्यज्य अकारणाद्गतागतश्चलबुद्धिरसन्धेयः ।
६. स्वामिनो दोषेणगतः, परस्मात्स्वदोषेणागत इति कारणा-

१. राजद्रोही दूष्य के साथ संधि करके विजिगीषु के साथ हुई संधि को तोड़ देना कृतविदूषण नामक सन्धिधर्म है ।
२. किसी दोष के कारण बहिष्कृत भृत्य या मित्र के साथ विजिगीषु का फिर से सन्धि कर लेना अवशीर्ण नामक संधिधर्म है ।
३. यह गतागत (अवशीर्णक्रिया) चार प्रकार का होता है : (१) किसी कारण-विशेष से अलग होना और फिर किसी कारणविशेष से मिल जाना, (२) बिना ही कारण के अलग होना और बिना ही कारण फिर आकर मिल जाना, (३) किसी कारण विशेष से अलग होना और अकारण ही फिर मिल जाना, (४) अकारण ही अलग होना और किसी कारण विशेष से फिर मिल जाना ।
४. अपने मालिक के दोष से अलग होना और मालिक के ही गुण से फिर मिल जाना; शत्रु के गुणों के कारण मालिक को छोड़ देना और शत्रु के दोषों के कारण फिर मालिक से मिल जाना । यह जाना-भाना कुछ कारणों से होता है; इसलिये पुनः संधि करने के योग्य है ।
५. स्वामी और शत्रु के गुणों को न समझकर अपने ही दोष के कारण स्वामी को छोड़कर चले जाने वाले और अपने ही दोष के कारण शत्रु को छोड़कर फिर स्वामी से मिल जाने वाले चञ्चल बुद्धि व्यक्ति संधि करने योग्य नहीं हैं ।
६. स्वामी के दोष से शत्रु के आश्रय में गये हुए तथा अपने दोष से स्वामी के

द्रुतोऽकारणादागतस्तर्कयितव्यः—‘परप्रयुक्तः स्वेन वा दोषेणापकर्तुकामः, परस्योच्छेत्तारममित्रं मे ज्ञात्वा प्रतिघातमयादागतः’ परं वा मामुच्छेत्तुकामं परित्यज्यानुशंस्यादागतः’ इति ज्ञात्वा कल्याणबुद्धिं पूजयेदन्यथाबुद्धिमपकृष्टं वासयेत् ।

१. स्वदोषेण गतः परदोषेणागतः इत्यकारणाद्गतः कारणादागतस्तर्कयितव्यः—‘छिद्रं मे पूरयिष्यति, उचितोऽयमस्य वासः, परत्रास्य जनो न रमते, मित्रैर्मे संहितः, शत्रुभिर्विगृहीतः, लुब्धक्रूरादाविग्नः, शत्रुसंहिताद्वा परस्माद्’इति । ज्ञात्वा यथाबुद्धयवस्थापयितव्यः ।

२. कृतप्रणाशः शक्तिहानिर्विद्यापण्यत्वमाशानिर्वेदो देशलौल्यम-

पास लौटे हुए—कारण से गत और अकारण ही आगत—व्यक्ति की जाँच इस प्रकार करनी चाहिए : क्या यह शत्रु की प्रेरणा से मेरा अपकार करने के लिए तो नहीं आया है ? या मेरे द्वारा किए गये अपकार का बदला लेने के लिए तो नहीं आया ? या अपने वध के भय से तो यहाँ नहीं चला आया है ? या मेरे स्नेह के कारण फिर मेरे पास तो नहीं चला आया है ? यदि वह कल्याणकामना से आया हो तो उसका सत्कार करे अन्यथा उससे दूर ही रहे ।

१. अपने दोष से स्वामी को छोड़कर गये हुए और शत्रु के दोष से पुनः वापिस आये हुये—अकारण गत और सकारण आगत—व्यक्ति की जाँच इस प्रकार करनी चाहिये; यहाँ आकर वहाँ मेरे दोषों को तो नहीं फैलायेगा ? या इस देश का निवास अनुकूल जानकर तो नहीं आया है ? अथवा अपने स्त्री-पुत्रों की अनिच्छा से तो वह परदेश छोड़कर नहीं आया है ? या मेरे मित्रों के साथ तो इसने सन्धि नहीं कर ली है ? या शत्रुओं ने तो इसका कुछ अपकार नहीं किया है ? अथवा यह लोभी एवं क्रूर शत्रु संघ से नहीं घबडा गया है । इन बातों को जानकर यदि कल्याण बुद्धि समझे तो रग्व ले अन्यथा उसको दूर भगा दे ।

२. पूर्वाचार्यों का मत है कि ‘जो कृतज्ञ न हो; जिसकी शक्ति गल गई हो; जिसके राज्य में वस्तुओं की तरह विद्या का विक्रय होता हो; जो आशान्वित होकर

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण १११, अध्याय ६

विश्वासो बलवद्विग्रहो वा परित्यागस्थानमित्याचार्याः । भयम-
वृत्तिरमर्ष इति कौटिल्यः ।

१. इहापकारी त्याज्यः । परापकारी सन्धेयः । उभयापकारी
तर्कयितव्य इति समानम् ।

२. असन्धेयेन त्ववश्यं सन्धातव्ये यतः प्रभावः ततः प्रति-
विदध्यात् ।

३. सोपकारं व्यवहितं गुप्तमायुःक्षयादिति ।
वासयेदरिपक्षीयमवशीर्णक्रियाविधौ ॥

निराश हो गया हो; जिसके देश में उपद्रव होते हों; जो नौकरों पर विश्वास
न करता हो; अथवा बलवान राजा से जो विरोध किये हो; ऐसे राजा का
परित्याग करना चाहिये । किन्तु कौटिल्य का कथन है कि 'परित्याग उसी
राजा का करना चाहिये, जो डरपोक, किसी कार्य को आरम्भ न करने वाला
और क्रोधी स्वभाव का हो ।'

१. गतागत पुरुष के सम्बन्ध में इतना ध्यान और रखना चाहिये कि जो अपना
(राजा का) अपकार करके जाये और शत्रु का विना अपकार किये ही
वापिस चला आये, उसको पुनः आश्रय न दिया जाय; और जो शत्रु का
अपकार करके आया हो उसे ग्रहण कर लिया जाय । जो दोनों का ही
अपकार करने वाला हो उसकी अच्छी तरह जाँच करके उसको रखा जाय
या दूर कर दिया जाय ।

२. जो व्यक्ति संधि करने के योग्य नहीं है, यदि विशेष परिस्थितिवश उससे
संधि करनी पड़े तो शत्रु के जिन कारणों से वह व्यक्ति प्रभावित हो, पहिले
उनका प्रतीकार किया जाय ।

३. यदि शत्रुपक्ष का कोई व्यक्ति अपने आश्रय में रहकर किसी कारण शत्रु के
आश्रय में चला जाय और वहाँ से पुनः वापिस चला आये तो ऐसे गतागत
को कुछ विशेष सन्धि-नियमों पर ही पुनः प्रश्रय दिया जाना चाहिए । ऐसे
व्यक्ति को किसी विश्वस्त भृत्य की देख-रेख में आयुपर्यन्त आश्रय
दिया जाय ।

१. विक्रामयेद्भर्तारि वा सिद्धं वा दण्डचारिणम् ।
कुर्यादमित्राटवीषु प्रत्यन्ते वान्यतः क्षिपेत् ॥
२. पण्यं कुर्यादसिद्धं वा सिद्धं वा तेन संवृतम् ।
तस्यैव दोषेणादूष्य परसन्धेयकारणात् ॥
३. अथवा शमयेदेनमायत्यर्थमुपांशुना ।
आयत्यां च वधप्रेप्सु दृष्ट्वा हन्याद्गतागतम् ॥
४. अरितोभ्यागतो दोषः शत्रुसंवासकारितः ।
सर्पसंवासधर्मित्वान्नित्योद्वेगंन दूषितः ॥
५. जायते प्लक्ष्मीजाशात्कपोतादिव शाल्मलेः ।
उद्वेगजननो नित्यं पश्चादपि भयावहः ॥
६. प्रकाशयुद्धं निर्दिष्टो देशे काले च विक्रमः ।

१. यदि वह निष्कपट सावित हो जाय तो उसे स्वामी की परिचार्या में नियुक्त किया जाय । वहाँ भी निष्कपट जंचे तो उसे सेना-विभाग में नियुक्त किया जाय; या आटविकों के मुकाबले में अथवा कहीं दूर प्रदेश में नियुक्त किया जाय ।
२. यदि नियुक्त स्थान पर वह कपटपूर्ण व्यवहार करे तो व्यापार का बहाना करके उसे शत्रुदेश में भेज दिया जाय और इस बहाने से शत्रु के साथ सन्धि करके उसी के दोष से उसको मरवा दिया जाय ।
३. यदि भविष्य में किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका न हो तो उसको चुपचाप मरवा दिया जाय । भविष्य में वध करने की इच्छा रखनेवाले गतागत को तो देखते ही मरवा देना चाहिए ।
४. शत्रु के आश्रय से आया हुआ व्यक्ति, शत्रु-सहवास के कारण बड़ा जहरीला है, क्योंकि शत्रु-सहवास साँप के सहवास के समान है । इसलिए ऐसा व्यक्ति निर्दित कहा गया है ।
५. जैसे प्लक्ष (पाखर या वरगद) का बीज खाने वाला कवूतर सेमल के पेड़ पर जाकर उद्विग्न होता है उसी प्रकार शत्रु पक्ष का व्यक्ति भी विजिगीषु के लिए भयप्रद और वाद में उद्वेगजनक होता है ।
६. किसी देश या समय को निश्चित करके जो युद्ध-घोषणा की जाती है उसे

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण १११, अध्याय ६

विभीषणमवस्कन्दः प्रमादव्यसनार्दनम् ॥
एकत्र त्यागघातौ च कूटयुद्धस्य मातृका ।
योगगूढोपजापार्थं तूष्णीयुद्धस्य लक्षणम् ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे संहितप्रयाणिकं परिपणितापरिपणितापसृतादि-
सन्धिर्नाम षष्ठोऽध्यायः; आदितश्चतुश्शततमः ।



प्रकाशयुद्ध कहते हैं । थोड़ी सी सेना को बहुत दिखाकर भय पैदा कर देना; किलों को जलाना एवं लूट-पाट कर देना; प्रमाद तथा व्यसन के समय शत्रु को पीड़ित करना एक स्थान का युद्ध छोड़कर दूसरी ओर से धावा बोल देना—यह कूटयुद्ध है । विष और औषधि आदि के प्रयोगों तथा गुप्तचरों के उपजाप (धोखा-बहकाना) आदि के प्रयोगों से शत्रु का विनाश करना तूष्णीयुद्ध कहलाता है ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ७

द्वैधीभाविकाः सन्धिविक्रमाश्च

१. विजिगीषुद्वितीयां प्रकृतिमेवमुपगृहीयात् । सामन्तं सामन्तेन सम्भूय यायात् । यदि वा मन्येत—‘पार्ष्णि मे न ग्रहीष्यति, पार्ष्णिग्राहं वारयिष्यति, यातव्यं नाभिसरिष्यति, बलद्वैगुण्यं मे भविष्यति, वीवधासारौ मे प्रवर्तयिष्यति, परस्य वारयिष्यति, बह्वावाधे मे पथि कण्टकान् मर्दयिष्यति, दुर्गाटव्यपसारेषु दण्डेन चरिष्यति, यातव्यमविषह्ये दोषे सन्धौ वा स्थापयिष्यति, लब्धलाभांशो वा शत्रूनन्यान्मे विश्वासयिष्यती’ति ।

द्वैधीभाव संबंधी संधि और विक्रम

१. विजिगीषु राजा को चाहिये कि अपने पड़ोस के शत्रु राजा को वह अपनी सहायता के लिए इन तरीकों से तैयार करे : किसी एक सामंत से मिलकर वह यातव्य सामंत पर चढ़ाई करे । अथवा यदि ऐसा समझे कि ‘अपने साथ मिलाया हुआ सामंत, मेरी अनुपस्थिति में, मेरे देश पर आक्रमण तो नहीं करेगा; दूसरे पार्ष्णिग्राह (पीछे से आक्रमण करने वाले शत्रु) को रोकेगा; मेरे यातव्य की ओर जाकर न मिलेगा; इसको साथ लेकर मेरी शक्ति दुगुनी हो जायगी; अपने देश में उत्पन्न धान्य तथा मेरे मित्र राजा की सेना को मेरी सहायता के लिये आने देगा, उसे न रोकेगा; शत्रुदेश में जाने से इन दोनों को रोकेगा; युद्धकाल में मेरे मार्ग की कठिनाइयों को दूर करेगा; दुर्ग तथा धाटवियों पर प्रयाण करने के समय सेना द्वारा सुक्ष्मे मदद पहुँचाता रहेगा; किसी असह्य अनर्थ या आपत्ति के आ जाने पर यातव्य के साथ मेरी संधि करा देगा; अथवा प्रतिज्ञात अपने लाभांश को मुझसे प्राप्त कर मेरे दूसरे शत्रुओं पर भी मेरा विश्वास जमा देगा’ इत्यादि ।

१. द्वैधीभूतो वा कोशेन दण्डं दण्डेन कोशं सामन्तानामन्यत-
माह्लिप्सेत ।
२. तेषां ज्यायसोऽधिकेनांशेन समात्समेन हीनाद्वीनेनेति सम-
सन्धिः । विपर्यये । विषमसन्धिः । तयोर्विशेषलाभादतिसन्धिः ।
३. व्यसनिनमपायस्थाने सक्तमनर्थिनं वा ज्यायांसं हीनो बल-
समेन लाभेन पणेत् । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत् ।
अन्यथा सन्दध्यात् ।
४. एवंभूतो हीनशक्तिप्रतापपूरणार्थं संभाव्यार्थाभिसारी मूल-

१. यदि सामंत को अपने साथ मिलाने में विजिगीषु को विश्वास न हो तो द्वैधीभाव प्रयोग के द्वारा वह पीछे या वगल में रहनेवाले किसी एक सामंत को धन देकर, यदि सेना कम हो तो, सेना ल और यदि धन कम हो तो सेना देकर धन प्राप्त करने का यत्न करे ।
२. विषमसंधि के तीन प्रकार हैं : (१) अधिक शक्तिशाली सामंत को अधिक लाभांश देकर उससे संधि करना, (२) समान शक्तिशाली सामंत को समभाग लाभांश देकर उससे संधि करना और (३) कम शक्ति वाले सामंत को थोड़ा हिस्सा लाभांश देकर उससे संधि करना । इसके विपरीत विषमसंधि के छह प्रकार हैं : (१) अधिक शक्तिशाली सामंत को बराबर हिस्सा देकर या (२) कम हिस्सा देकर (३) समान शक्तिशाली सामंत को कम हिस्सा देकर या (४) अधिक हिस्सा देकर तथा (५) हीनशक्ति सामंत को बराबर हिस्सा देकर या (६) अधिक हिस्सा देकर । ये दोनों प्रकार की संधियों के द्वारा जब प्रतिज्ञात धन से अधिक धन का लाभ हो जाय तो वे अतिसंधि कहलाती हैं; अर्थात् इस अतिसंधि भेद से वे (३ सम + ६ विषम) नौ संधियाँ अठारह प्रकार की हो जाती हैं ।
३. हीनशक्ति विजिगीषु को चाहिए कि वह व्यसनी, शारीरिक नाश करने में निरत और अनर्थकारी, अधिक शक्ति सामंत के साथ, सेना के समान हिस्सा लेकर ही संधि करे । इस प्रकार संधि करने पर यदि अधिक शक्ति सामंत, अपना तिरस्कार करने वाले विजिगीषु का अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा शान्त रहे ।
४. समसंधि : इस प्रकार व्यसनपीडित हीनशक्ति विजिगीषु को चाहिए कि

पार्ष्णित्राणार्थं वा ज्यायांसं हीनो बलसमाद्विशिष्टेन लाभेन पणेत । पणितः कल्याणबुद्धिमनुशृङ्खीयादन्यथा विक्रमेत ।

१. जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमुपस्थितानर्थं वा ज्यायांसं हीनो दुर्ग-
मित्रप्रतिस्तब्धो वा हस्त्रमध्वानं यातुकामः शत्रुमयुद्धमेकान्त-
सिद्धिं लाभमादातुकामो बलसमाद्वीनेन लाभेन पणेत । पणि-
तस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत । अन्यथा सन्दध्यात् ।
२. अरन्ध्रव्यसनो वा ज्यायान् दुरारब्धकर्माणं भूयः क्षयव्य-
याभ्यां योक्तुकामो दूष्यदण्डं प्रवासयितुकामो दूष्यदण्डमावा-
हयितुकामो वा पीडनीयमुच्छेदनीयं वा हीनेन व्यथयितुकामः

अपने विनष्ट प्रताप एवं शक्ति को पूरा करने के लिए और अपने सम्भावित अर्थ को पूरा करने के लिए, अथवा अपने दुर्ग तथा पार्ष्णि की रक्षा करने के लिए सेना की अपेक्षा अधिक हिस्सा देकर अधिक शक्ति संपन्न सामन्त के साथ, वह सन्धि कर ले । संधि कर लेने पर यदि हीनशक्ति विजिगीषु ईमानदारी से रहे तो अधिक शक्ति सामन्त सदा उस पर अनुग्रह बनाये रखे । अन्यथा उस पर आक्रमण कर दे ।

१. शिकार आदि व्यसनों में आसक्त, कुपित, लोभी तथा भीरु अमात्य अमात्य-
प्रकृतिवाले अनर्थकारी अधिकशक्ति सामन्त के साथ, हीनशक्ति विजिगीषु,
अपने मजबूत किलों एवं सहायक मित्रों के कारण गर्वित, अथवा अपने नजदीक
के किसी शत्रु पर आक्रमण करने वाला बिना लाभ के ही विजय की इच्छा
रखने वाला; सेना की अपेक्षा थोड़ा हिस्सा देकर ही संधि कर ले ! यदि
अधिक शक्ति सामन्त, अपना तिरस्कार करने वाले हीन शक्ति राजा का इस
प्रकार की संधि कर लेने पर अपकार करने में समर्थ हो तो उसपर आक्रमण
कर दे । अन्यथा संधि बनाये रखे ।
२. प्रकृतिकोप एवं मृगयादि व्यसनों से पृथक् हुए अपने विरोधों शत्रु को अधिक
क्षय-व्यय से ग्रस्त रखने की इच्छा करने वाला, अपनी दूषित सेना को
निकालने तथा शत्रु की दूषित सेना को अपने यहां बुलाने की इच्छा करने
वाला; या पीडित एवं विनष्ट करने योग्य शत्रु का हीन शक्ति राजा से पीडन
तथा उच्छेदन कराने की इच्छा रखने वाला, अथवा संधि गुण को प्रमुख

सन्धिप्रधानो वा कल्याणबुद्धिः हीनं लाभं प्रतिगृह्णीयात् ।
कल्याणबुद्धिना सम्भूयार्थं लिप्सेत । अन्यथा विक्रमेत ।

१. एवं समः सममतिसंदध्यादनुगृह्णीयाद्वा ।
२. परानीकस्य प्रत्यनीकं मित्राटवीनां वा शत्रोर्विभूमीनां देशिकं
सूलपार्ष्णित्राणार्थं वा समः समबलेन लाभेन पणेत । पणितः
कल्याणबुद्धिमनुगृह्णीयादन्यथा विक्रमेत ।
३. जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमनेकधिरुद्धमन्यतो लभमानो वा समः
समबलाद्धीनेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो
विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात् ।
४. एवंभूतो वा समः सामन्तायत्तकार्यः कर्तव्यबलो वा बलसमा-

समझने वाला कल्याणबुद्धि अधिक शक्ति सामंत होने सामंत के कारण थोड़े दिये हुए लाभ को भी स्वीकार कर ले । कल्याणबुद्धि हीन के साथ मिलकर बराबर उसकी सहायता करता रहे । यदि वह हीन दुष्टबुद्धि हो तो उस पर आक्रमण कर दे ।

१. इसी प्रकार समशक्ति सामंत, दूसरे समशक्ति सामंत के साथ दुष्टबुद्धि और कल्याणबुद्धि देखकर ही निग्रह तथा अनुग्रह करे ।
२. शत्रु की सेना के साथ, तथा शत्रु के मित्र एवं आठविकों के साथ युद्ध करने में समर्थ, शत्रु के पर्वतीय प्रांतों का नक्शा भलीभांति समझने वाला, अथवा अपने दुर्ग तथा पार्ष्णि की रक्षा करने के लिए सम सामंत की सेना बराबर विजय-लाभांश देकर संधि कर ले । संधि करने पर यदि समशक्ति सामंत कल्याणबुद्धि बना रहे तो उस पर अनुग्रह बनाये रखे; अन्यथा उसपर आक्रमण कर दे ।
३. भृगया आदि व्यसनों तथा प्राकृतिककोपों से पीड़ित और दूसरे अनेक सामंतों का विरोधी अथवा सहायता बिना ही अन्य उपायों से दुर्द्व कार्यसिद्धि, समशक्ति सामंत के साथ सेना की अपेक्षा थोड़ा ही लाभांश देकर संधि कर ले ! संधि करने के बाद यदि वह उसका उपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे अन्यथा चुपचाप संधि कर ले !
४. भृगयादि व्यसनों और प्रकृति-कोपों से पीड़ित, दूसरे सामंत की सहायता

द्विशिष्टेन लाभेन पणेत । पणितः कल्याणबुद्धिमनुष्टीया-
दन्यथा विक्रमेत ।

१. जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमभिहन्तुकामः स्वारब्धमेकान्तसिद्धिं
वास्य कर्मोपहन्तुकामो मूले यात्रायां वा प्रहर्तुकामो यातव्याद्
भूयो लभमानो वा ज्यायांसं हीनं समं वा भूयो याचेत ।
भूयो वा याचितः स्वबलरक्षार्थं दुर्धर्मन्यदुर्गमासारमटवीं वा
परदण्डेन मर्दितुकामः प्रकृष्टेऽध्वनि काले वा परदण्डं क्षय-
व्ययाभ्यां योक्तुकामः परदण्डेन वा विवृद्धस्तमेवोच्छेत्तुकामः
परदण्डमादातुकामो वा भूयो दद्यात् ।

करने पर ही अपने कार्यों की सफलता देखने वाला, अथवा नई सेना भर्ती
करने वाला, समशक्ति सामंत, दूसरे समशक्ति सामंत के साथ सेना की अपेक्षा
अधिक लाभ देकर संधि कर ले । संधि करने पर यदि वह कल्याणबुद्धि बना
रहे तो उसपर सदा अनुग्रह बनाये रखे; अन्यथा आक्रमण कर दे ।

१. मृगयादि व्यसनों एवं प्रकृति-प्रकोपों से प्रीकृत अधिक शक्ति संपन्न (ज्याय),
हीन शक्ति अथवा समशक्ति सामंत को नष्ट करने की इच्छा करने वाला,
या उचित देश काल के अनुसार आरंभित उसके अवश्यभावी कार्यों को
नष्ट करने की इच्छा रखने वाला, अथवा विजिगीषु की यात्रा के बाद उसके
पीछे से उसके किले आदि पर चढ़ाई करने की कामना वाला, अथवा
विजिगीषु की अपेक्षा यातव्य से अधिक धन पा जाने वाला हीन, ज्याय
या सम शक्ति सामंत, उक्त ज्याय, हीन या सम शक्ति सामंत से अधिक
लाभ की मांग करे । इस प्रकार मांग करने पर अपनी सेना की रक्षा के
लिए, तथा दूसरे के दुर्गम दुर्ग, मित्रबल, आटविकों आदि को दूसरे सामंत
की सेना से कुचल डालने की इच्छा रखने वाला, दूर देश में अधिक समय
तक दूसरे सामंत की सेना को काम पर लगा क्षय-व्यय से युक्त करने की
इच्छा रखने वाला, या यातव्य की सेना के द्वारा अपनी सेना को बढ़ाकर
फिर उस अधिक मांगने वाले का उच्छेदन करने की कामना वाला, अथवा
यातव्य की सेना को उस अधिक मांगने वाले सामंत की सहायता से लेने
की इच्छा रखने वाला, अवश्यमेव उतना अधिक लाभ दे, जितने की दूसरे
सामंत मांग करें ।

१. ज्यायान् वा हीनं यातव्यापदेशेन हस्ते कर्तुकामः परमुच्छिद्य वा तमेवोच्छेत्तुकामः त्यागं वा कृत्वा प्रत्यादातुकामो बल-समाद्विशिष्टेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्र-मेत, अन्यथा सन्दध्यात् । यातव्यसंहितो वा तिष्ठेत् । दूष्याभिवाटवीदण्डं वास्मै दद्यात् ।
२. जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रो वा ज्यायान् हीनं बलसमेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्द-ध्यात् ।
३. एवंभूतं वा हीनं ज्यायान् बलसमाद्धीनेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात् ।

-
१. यातव्य के बहाने अपने वश में करने की इच्छा रखने वाला, शत्रु का उच्छेद कर फिर उसी का उच्छेद करने की कामना वाला, या देकर फिर लौटा लाने की इच्छा रखने वाला अधिक शक्ति सामंत हीन शक्ति सामंत के साथ, अवश्यमेव सेना की अपेक्षा अधिक लाभ देकर, संधि कर ले । संधि हो जाने पर यदि वह उसका अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा चुपचाप संधि बनाये रखे । अथवा यातव्य के साथ संधि करके पूर्ववत् बना रहे । अथवा अपनी शत्रु सेना तथा आटविक सेना को संधि करने वाले अधिक शक्ति सामंत को दे दे ।
 २. व्यसन पीडित एवं आपत्तिग्रस्त अधिक शक्ति सामंत के साथ, सेना के बराबर लाभ देकर, संधि कर ले ! संधि करने के बाद यदि वह उसका अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा संधि को पूर्ववत् बनाये रखे ।
 ३. अधिक शक्ति सामंत को चाहिए कि व्यसनी एवं विपत्तिग्रस्त हीनशक्ति सामंत के साथ वह सेना की अपेक्षा कम लाभ देकर संधि कर ले । यदि वह अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा पूर्ववत् संधि बनाये रखे ।

१. आतो बुद्धयेत पणितः पणमानश्च कारणम् ।
ततो वित्कर्योभयतो यतः श्रेयस्ततो व्रजेत् ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे द्वैधीभावसन्धिविक्रमोनाम सप्तमोऽध्यायः

आदितः पञ्चशततमः ।



१. विजयेच्छु पणित (जिससे संधि की जाय) और पणमान (संधि करने वाला) दोनों को चाहिए कि वे ऊपर बताई गई संधियों के कारणों को भलीभांति समझ लें। उसके बाद संधि तथा विग्रह करने पर लाभ तथा हानि के परिणामों को समझ-वृक्ष कर जिसमें अपना कल्याण समझें उस मार्ग को अपनाये ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त ।



प्राकरण ११३=११४

अध्याय ८

यातव्यवृत्तिः, अनुग्रहामित्रनिशेषाश्च

१. यातव्योऽभियास्यमानः सन्धिकारणमादातुकामो विहस्तुकामो वा सामवायिकानामन्यतमं लाभद्वैगुण्येन पणेत । प्रपणिता क्षयव्ययप्रवासप्रत्यवायपरोपकारशरीरावाधांश्चास्य वर्णयेत् । प्रतिपन्नमर्थेन योजयेत् । वैरं वापरैर्ग्राहयित्वा विसंवादयेत् ।
२. दुशरब्धकर्माणं भूयः क्षयव्ययाभ्यां योक्तुकामः स्वारब्धायां वा यात्रायां सिद्धिं विघातयितुकामो भूले यात्रायां वा प्रतिहर्तु-

यातव्य सम्बन्धी व्यवहार और अनुग्रह करने वाले मित्रों के प्रति कर्तव्य

१. यातव्य विजिगीषु को चाहिए कि आक्रमण करने से पहिले ही वह, सन्धि के कारणों को मानने वाले या उसकी अपेक्षा न रखने वाले सहायक (सामवायिक) के रूप में किसी एक सामन्त के साथ, पूर्व निश्चित लाभ से, दुगुना लाभ देकर सन्धि कर ले ! तदनन्तर उस साथी सामन्त के समक्ष वह : सेनाक्षय, धनव्यय, दूर प्रवास, मार्ग के विघ्न, शत्रुपक्ष में घुसकर उसका उपकार करना, और शरीर पीड़ा; आदि दोषों या बाधाओं को खोलकर रख दे । यदि वह इन सब बाधाओं को झेलना स्वीकार कर ले तो उसे प्रतिज्ञात धन दे दे । इसके विपरीत यदि वह सन्धि के कारणों को स्वीकार न करे तो दूसरे सामन्त से उसका विरोध करा कर, उससे अपनी सन्धि तोड़ दे ।
२. अनुचित देश-काल में युद्ध-यात्रा का आरम्भ कर सामन्त को क्षय-व्यय-ग्रस्त करने की इच्छा रखने वाला; या उचित देश-काल में युद्ध यात्रा करके अवश्यम्भावी सिद्धि का विधान करने की इच्छा वाला; या यात्रा करने पर

कामो यातव्यसंहितः पुनर्याचितुकामः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्छ्रस्त-
स्मिन्नविश्वस्तो वा तदात्वे लाभमल्पमिच्छेदायत्यां प्रभूतम् ।

१. मित्रोषकारममित्रोपघातमर्थानुबन्धमवेक्षमाणः पूर्वोपकारकं
कारयितुकामो भूयस्तदात्वे महान्तं लाभमुत्सृज्यायत्यामल्प-
मिच्छेत् ।
२. दूष्यामित्राभ्यां मूलहरेण वा ज्यायसा विगृहीतं त्रातुकामस्त-
थाविधमुपकारं कारयितुकामः सम्बन्धापेक्षी वा तदात्वे च
आयत्यां लाभं न प्रतिगृह्णीयात् ।
३. कृतसन्धिरतिक्रमितुकामः परस्य प्रकृतिकर्शनं मित्रामित्रसन्धि-
विश्लेषणं वा कर्तुकामः पराभियोगाच्छङ्कमानो लाभमप्राप्तम-

दुर्ग आदि के ऊपर आक्रमण करने की इच्छा वाला; या यातव्य से पहिले थोड़ा ही लेकर सन्धि करके फिर अधिक मांग की इच्छा रखने वाला; या आकस्मिक अर्थ-कष्ट से प्रसित; या यातव्य में अविश्वास करने वाला; उस समय थोड़ा ही लाभ लेकर सन्धि कर ले और फिर भविष्य में अधिक धन लेने की इच्छा करे !

१. यदि उसे यह सम्भावना हो कि आगे चलकर मित्र से उसको लाभ होगा; शत्रुओं को वह हानि कर पायेगा; पुराने सहायक पुनः सहायता करेंगे; ऐसी स्थिति में उस समय अधिक लाभ को छोड़ कर भविष्य में भी वह थोड़े ही लाभ की कामना करे ।
२. यदि वह चाहता हो कि दूष्य, शत्रु एवं अधिक शक्ति सामन्त से उसके साथी सामन्त की रक्षा हो जाय अथवा अपने प्रति भी इसी प्रकार के उपकारों को चाहे; और यह चाहे कि यातव्य के साथ उसका सम्बन्ध जुड़ जाय; तो उस समय और भविष्य में भी अपने साथी से कुछ भी लाभ न ले !
३. यदि वह पहिले की गई सन्धि को तोड़ना चाहे, या शत्रु प्रकृतिको नष्ट करना चाहे, या मित्र तथा शत्रु की सन्धि को तोड़ना चाहे, या उसे शत्रु के आश्रमण की आशंका हो, या अप्राप्त पूर्व निश्चित लाभ से अधिक लाभांश की मांग करे; ऐसी दशा में दूसरे सामन्त को चाहिए, जिससे लाभ की

धिकं याचेत । तमितरस्तदात्वे च आयत्यां च क्रममवेक्षेत ।
तेन पूर्वे व्याख्याताः ।

१. अरिविजिगीष्वोस्तु स्वं स्वं मित्रमनुगृह्यतोः शक्यकल्यभव्यारम्भिस्थिरकर्मानुरक्तप्रकृतिभ्यो विशेषः । शक्यारम्भी विषह्यं कर्मारभेत् । कल्यारम्भी निर्दोषम् । भव्यारम्भी कल्याणोदयम् । स्थिरकर्मा नासमाप्य कर्मोपरमते । अनुरक्तप्रकृतिः सुसहायत्वादल्पेनाप्यनुग्रहेण कार्यं साधयति । त एते कृतार्थाः सुखेन प्रभूतं चोपकुर्वन्ति । अतः प्रतिलोमेनानुग्राह्याः ।
२. तयोरेकपुरुषानुग्रहे यो मित्रं मित्रतरं वानुगृह्णाति सोऽति-

मांग की गई है, कि वह इस प्रकार की मांग के सम्बन्ध में उस समय और भविष्य में होने वाले लाभ तथा हानि का भलीभांति विचार करे ! इसी प्रकार पूर्वोक्त तीन पक्षों में भी हानि-लाभ का विचार समझना चाहिए ।

१. अपने-अपने मित्रों पर बड़ा अनुग्रह रखने वाले शत्रु और विजिगीषु, दोनों को चाहिए कि वे (१) शक्यारम्भी (२) कल्याणारम्भी (३) भव्यारम्भी (४) स्थिरकर्मा और (५) अनुरक्त प्रकृति, इन पाँच प्रकार के मित्रों पर विशेष अनुग्रह रखें । अपनी शक्ति के अनुसार कर सकने योग्य कार्य को ही आरम्भ करने वाला शक्यारम्भी कहलाता है । दोष रहित कार्य को आरम्भ करने वाला कल्याणारम्भी कहलाता है । भविष्य में कल्याणप्रद फल को देने वाले कार्य को जो आरम्भ करे उसे भव्यारम्भी कहते हैं । आरम्भ किए हुए कार्य को जो समाप्त किए बिना न छोड़े उसे स्थिरकर्मा कहते हैं । अच्छे सहायक मिल जाने के कारण थोड़ी-सी सेना आदि से कार्य को पूरा कर देने वाला अनुरक्तप्रकृति कहलाता है । यदि इन पाँच प्रकार के मित्रों को सहायता देकर कृतार्थ किया जाय तो उनसे विजिगीषु को बहुत सहायता मिलती है । इनसे विपरीत अशक्यारम्भी आदि पर कदापि भी अनुग्रह न किया जाय ।

२. यदि शत्रु और विजिगीषु दोनों एक ही व्यक्ति पर अनुग्रह करना चाहते हों तो जो मित्र या अतिमित्र हो उस पर ही अनुग्रह किया जाय, क्योंकि वह

सन्धत्ते । मित्रादात्मवृद्धिं हि प्राप्नोति । क्षयव्ययप्रवासपरोप-
कारान् इतरः । कृतार्थश्च शत्रुर्वैगुण्यमेति ।

१. मध्यमं त्वनुगृह्यतोर्यो मध्यमं मित्रं मित्रतरं वानुगृह्णाति
सोऽतिसन्धत्ते । मित्रादात्मवृद्धिं हि प्राप्नोति । क्षयव्ययप्रवास-
परोपकारानितरः । मध्यमश्चेदनुगृहीतो विगुणः स्यादमित्रोऽ-
तिसन्धत्ते । कृतप्रयासं हि मध्यमामित्रमपसृतमेकार्थोपगतं
प्राप्नोति ।

२. तेनोदासीनानुग्रहो व्याख्यातः ।

३. मध्यमोदासीनयोर्वलांशदाने यः शूरं कृतास्त्रं दुःखसहमनुरक्तं
वा दण्डं ददाति, सोऽतिसन्धीयते । विपरीतोऽतिसन्धत्ते ।

अत्यन्त लाभ पहुँचाता है । मित्र से तो सर्वदा ही आत्मवृद्धि होती है; यदि उस पर अनुग्रह भी किया जाय तब तो कहना ही क्या है ! जो भी मित्र की जगह शत्रु पर अनुग्रह करता है उसके पुरुष एवं धन का नाश होता है तथा दूर-दूर जाकर उसको शत्रु का उपकार करना पड़ता है; और कार्य सध जाने के बाद फिर शत्रु उससे बिगाड़ कर लेता है ।

१. यदि शत्रु और विजिगीषु मध्यम राजा पर अनुग्रह करना चाहें तब भी मित्र अथवा अतिमित्र पर ही अनुग्रह करना ठीक होता है; क्योंकि मित्र से सदा ही अपनी संबृद्धि होती है और शत्रु पर अनुग्रह करने वाले को सदा ही क्षय, व्यय, प्रवास सहना पड़ता है तथा शत्रु का उपकार करना पड़ता है अनुगृहीत मध्यम राजा के बिगाड़ जाने पर अपने शत्रु को ही विशेष लाभ होता है, क्योंकि मित्र बनकर बिगाड़ जाने के बाद शत्रु बना मध्यम समान कार्य करने वाले विजिगीषु के शत्रु को अपना मित्र बना लेता है ।

२. इसी प्रकार उदासीन राजा पर अनुग्रह करने का सुफल कुफल समझ लेना चाहिए ।

३. मध्यम और उदासीन राजाओं को सेना की सहायता में जो अपने शस्त्र-सञ्चालन में कुशल, दुःखसहिष्णु एवं अनुरक्त सैनिक को दे डालते हैं वे धोखा खाते हैं; और जो ऐसा नहीं करता वह लाभ में रहता है ।

१. यत्र तु दण्डः प्रतिहतस्तं वा चार्थमन्यांश्च साधयति, तत्र मौलभृतश्रेणीमित्राटवीवलानामन्यतममुपलब्धदेशकालं दण्डं दद्यात् । अमित्राटवीवलं वा व्यवहितदेशकालम् ।
२. यं तु मन्येत—'कृतार्थो मे दण्डं गृह्णीयादमित्राटव्यभूम्यनृतुषु वा वासयेदफलं वा कुर्यादि'ति दण्डव्यासङ्गापदेशेन नैनमनु-गृह्णीयात् । एवमवश्यं त्वनुग्रहीतव्ये तत्कालसहस्रस्यै दण्डं दद्यात् । आ समाप्तेश्चैनं वासयेद्योधयेच्च, बलव्यसनेभ्यश्च रक्षेत् । कृतार्थाच्च सापदेशमवसावयेत् । दूष्यामित्राटवीदण्डं वास्मै दद्यात् । यातव्येन वा सन्धायै नमत्तिसन्दध्यात् ।

१. जिस कार्य को संपन्न करने के लिए एक बार भेजी हुई सेना नष्ट हो गई हो उसकी पूर्ति के लिए तथा दूसरे कार्यों की सफलता के लिए ऐसे अवसर पर मौलबल, भृतबल, श्रेणीबल, मित्रबल और आटवीबल, इन पाँचों में से किसी एक सेना को उचित देश काल के अनुसार भेज देना चाहिए । अथवा दूर देश और अधिक समय के लिए अमित्रबल या आटवीबल को ही भेजना चाहिए ।

२. जिस उदासीन या मध्यम को यह समझा जाय कि : वह अपना कार्य निकाल लेने के बाद मेरी सेना को अपने वश में कर लेगा; या उसको शत्रु के पास, आटविक के पास, अयुक्त स्थानों तथा ऋतुओं में रखेगा; अथवा मेरी सेना को जीत का कोई हिस्सा न देगा' उसको कुछ बहाना बना कर सेना न दी जाय । यदि इस प्रकार के राजा की सहायता करनी परमावश्यक हो तो उतने समय तक के लिए उसको समर्थ सैनिक दिए जायें, जब तक कार्य समाप्त न हो और सुविधाजनक भूमि में सेना रहे तथा अवसर आने पर ही वह युद्ध करे; साथ ही सैनिक आपत्तियों या निरस्त हो जाने की स्थितिसे उन्हें सुरक्षित रखे । कार्य हो जाने के बाद कुछ बहाना बनाकर सेना वापिस बुला ली जाय । फिर जरूरत पड़ने पर अपनी दूष्य-सेना, शत्रु सेना या आटविक सेना को ही देना चाहिए; अथवा यातव्य के साथ मिलकर मध्यम या उदासीन राजा से खूब धन वसूल करे ।

१.

समे हि लाभे सन्धिः स्याद्विषमे विक्रमो मतः ।

समहीनविशिष्टानामित्युक्ताः सन्धिविक्रमाः ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे यातम्यवृत्तिरनुब्राह्मिन्निविशेषो नाम
अष्टमोऽध्यायः आदितः षट्छततमः ।



१. वरावर लाभ देने पर सन्धि और लाभांग में ज्यादा-कमी करने पर विग्रह कर देना चाहिए । इस अध्याय में सम, हीन और विशिष्ट राजाओं की सन्धि तथा विक्रम का निरूपण किया गया ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त ।



मित्रहिरण्यभूमिकर्मसन्धयः

१. संहितप्रयाणे मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरो लाभः श्रेयान् । मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाद्भवतः, मित्रं हिरण्यलाभात् । यो वा लाभः सिद्धः शेषयोरन्यतरं सावयति ।
२. 'त्वं चाहं च मित्रं लभावहे' इत्येवमादिः समसन्धिः । 'त्वं मित्रम्' इत्येवमादिर्विषमसन्धिः । तयोर्विशेषलाभादतिसन्धिः ।
३. समसन्धौ तु यः सम्पन्नं मित्रं मित्रकृच्छ्रे वा मित्रमवाप्नोति, सोऽतिसन्धत्ते । आपद्धि सौहृदस्थैर्यमुत्पादयति ।

मित्रसंधि और हिरण्यसंधि

(संधि-विचार १)

१. संयुक्त युद्ध-यात्रा में मित्र, हिरण्य और भूमि, इन लाभों में उत्तरोत्तर लाभ श्रेष्ठ है । क्योंकि भूमिलाभ से शेष दोनों लाभ प्राप्त हो सकते हैं और हिरण्य लाभ से मित्रलाभ सुलभ किया जा सकता है । अथवा जिस प्राप्त हुए लाभ से शेष दोनों या उनमें से कोई एक लाभ सिद्ध हो सके, वही श्रेष्ठ समझना चाहिये ।
२. 'तुम और हम, दोनों मिलकर मित्र को लाभ पहुँचायें' इस प्रकार की गई संधि को समसंधि कहते हैं । 'तुम मित्र-लाभ प्राप्त करो और मैं हिरण्य का अथवा तुम हिरण्य का लाभ प्राप्त करो और मैं भूमि का' इस प्रकार की गई संधि को विषमसंधि कहते हैं । इन दोनों संधियों में पूर्व लिखित लाभ से अधिक लाभ प्राप्त हो तो वह अतिसंधि कहलाती है ।
३. समसंधि में जो संपन्न मित्र को या विपत्तिग्रस्त मित्र को प्राप्त करता है, वह अतिसंधि के विशेष लाभ को प्राप्त करता है । क्योंकि आपत्ति में मित्रता और भी दृढ़ हो जाती है ।

१. मित्रकृच्छ्रेऽपि नित्यमवश्यमनित्यं वश्यं वेति । 'नित्यमवश्यं श्रेयः, तद्व्यनुपकुर्वदपि नापकरोति' इत्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः—वश्यमनित्यं श्रेयः, यावदुपकरोति तावन्मित्रं भवति । उपकारलक्षणं मित्रमिति ।
३. वश्ययोरपि महाभोगमनित्यमल्पभोगं वा नित्यमिति । 'महाभोगमनित्यं श्रेयः, महाभोगमनित्यमल्पकालेन महदुपकुर्वन्महान्ति व्ययस्थानानि प्रतिकरोति' इत्याचार्याः ।
४. नेति कौटिल्यः । नित्यमल्पभोगं श्रेयः, महाभोगमनित्यमुपकारभयादपक्रामति, उपकृत्य वा प्रत्यादातुमीहते । नित्यमल्पभोगं सातत्यादल्पमुपकुर्वन्महता कालेन महदुपकरोति ।

१. मित्र के विपत्तिकाल में, अपने वश में न रहने वाले नित्य मित्र का मिलना उत्तम है या अपने वश में रहने वाले अनित्य मित्र का मिलना अच्छा है ? इस संबंध में पुरातन आचार्यों का कहना है कि नित्य मित्र का प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उपकार न करे किन्तु अपकार कभी भी नहीं करता है।
२. परन्तु कौटिल्य का कहना है कि अपने वश में रहने वाला अनित्य मित्र का प्राप्त होना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक वह उपकार करता रहता है तभी तक मित्र बना रहता है; मित्र का लक्षण ही अपने साथी की भलाई करना है।
३. 'अपने वश में रहने वाले दो मित्रों में से थोड़े समय के लिए अधिक कर देनेवाला मित्र अच्छा है कि हमेशा थोड़ा-थोड़ा कर देने वाला मित्र अच्छा है ?' पूर्वाचार्यों का कहना है कि थोड़े दिन तक अधिक कर देने वाला मित्र श्रेष्ठ है, क्योंकि वह थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा धनादि देकर विजिगीषु का महान् उपकार कर देता है, तथा अपनी सहायता से राजकीय व्यय-छिद्रों का भी प्रतीकार कर देता है।
४. किन्तु आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि सदा के लिए थोड़ा-थोड़ा देने वाला मित्र श्रेष्ठ है; क्योंकि एक साथ अधिक देने के भय से मित्रता भी टूट जाती है। और फिर वह अपने दिए गए धन को वापिस करने के लिए यत्न करता है। इसके विपरीत थोड़ा-थोड़ा धन देने वाला मित्र विजिगीषु का बड़ा उपकार करता है।

१. गुरुसमुत्थं महन्मित्रं लघुसमुत्थमल्पं वेति । 'गुरुसमुत्थं महन्मित्रं प्रतापकरं भवति, यदा चोत्तिष्ठते, तदा कार्यं साधयति' इत्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः—लघुसमुत्थमल्पं श्रेयः, लघुसमुत्थमल्पं मित्रं कार्यकालं नातिपातयति दौर्बल्याच्च यथेष्टभोग्यं भवति, नेतरत् प्रकृष्टभौमम् ।
३. विक्षिप्तसैन्यमवश्यसैन्यं वेति ? 'विक्षिप्तं सैन्यं शक्यं प्रतिसंहर्तुं वश्यत्वात्' इत्याचार्याः ।
४. नेति कौटिल्यः । अवश्यसैन्यं श्रेयः । अवश्यं हि शक्यं सामादिभिर्वश्यं कर्तुं, नेतरत्कार्यव्यासक्तं प्रतिसंहर्तुम् ।

१. 'बड़ी कठिनाई और घरे यत्न करने पर शत्रु से युद्ध करने के लिए तैयार होने वाला प्रबल मित्र अच्छा है कि सरलता से शीघ्र ही तैयार हो जाने वाला निर्बल मित्र श्रेष्ठ है ?' इस पर पूर्वाचार्यों का कहना है कि कठिनता से तैयार होने वाला प्रबल मित्र ही अच्छा है, क्योंकि एक तो वह शत्रुओं का दमन कर सकेगा और दूसरे में कार्य को भी पूरा कर देगा ।
२. किन्तु कौटिल्य इस तर्क से सहमत नहीं है । उसका कहना है कि सरलता से शीघ्र तैयार हो जाने वाला निर्बल मित्र ही उत्तम है, क्योंकि ऐसा मित्र हरेक आवश्यकता पर काम आता है और इच्छानुसार उसको किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है । इसके विपरीत ये सभी बातें दूसरे मित्र में नहीं होतीं, विशेषतया जब कि वह दूर देश में रहता है ।
३. 'कार्य सिद्धि के लिए अनेक स्थानों में विघटित राजा की वश्य सेना अच्छी है या जिसकी सेना तो अपने वश में न हो लेकिन सब अपने पास हो, ऐसा मित्र अच्छा है ?' पूर्वाचार्यों का इस संबंध में यह सुझाव है कि विघटित सेना वाला राजा ही अच्छा है, क्योंकि अपने वश में होने के कारण वह सेना शीघ्र ही एकत्र की जा सकती है ।
४. किन्तु आचार्य कौटिल्य का मत है कि अपने पास ही एकत्र अवश्य सेना वाला राजा ही मित्र के लायक है; क्योंकि साम, दाम आदि उपायों से उस सेना को अपने वश में किया जा सकता है और शीघ्र ही इच्छित कार्यों में

१. पुरुषभोगं हिरण्यभोगं वा मित्रमिति । 'पुरुषभोगं मित्रं श्रेयः, पुरुषभोगं मित्रं प्रतापकरं भवति । यदा चोत्तिष्ठते तदा कार्यं साधयति' इत्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः । हिरण्यभोगं मित्रं श्रेयः, नित्यो हिरण्येन योगः कदाचित् दण्डेन दण्डश्च हिरण्येनान्ये च कामाः प्राप्यन्त इति ।
३. हिरण्यभोगं भूमिभोगं वा मित्रमिति । 'हिरण्यभोगं गति-मत्वात्सर्वव्ययप्रतीकारकरम्' इत्याचार्याः ।
४. नेति कौटिल्यः—'मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाद्भवतः' इत्युक्तं पुरस्तात् । तस्माद्भूमिभोगं मित्रं श्रेय इति ।

उसको लगाया जा सकता है । इसके विपरीत दूसरे कार्यों में व्यस्त विखरी हुई सेना को तत्काल एकत्र कर अपने कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है ।

१. 'आदमियों की सहायता देने वाला मित्र अच्छा है ? कि हिरण्य की सहायता देने वाला मित्र अच्छा है' इन दोनों में आदमियों की सहायता देने वाला मित्र ही अच्छा है, क्योंकि वह स्वयं ही शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें दबा सकता है, और जब कभी भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो उस कार्य को पूरा भी कर डालता है—ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है ।
२. किन्तु कौटिल्य इस बात को नहीं मानता है । उसके मत से हिरण्य आदि की सहायता देनेवाला मित्र ही श्रेष्ठ है; क्योंकि धन की आवश्यकता सदा ही बनी रहती है, जब कि सेना की आवश्यकता कभी-कभी ही होती है । और फिर धन के द्वारा सेना-संग्रह भी किया जा सकता है तथा दूसरे अभीष्ट कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है ।
३. 'हिरण्य देने वाला मित्र श्रेष्ठ है या भूमि देने वाला मित्र श्रेष्ठ है ?' इस पर पूर्वाचार्यों का कहना है कि हिरण्य देने वाला मित्र ही श्रेष्ठ है; क्योंकि धन को जहां चाहो, इच्छानुसार लगाया जा सकता है और हर तरह का व्यय उससे पूरा किया जा सकता है ।
४. किन्तु कौटिल्य का कहना है कि 'मित्र और हिरण्य दोनों ही भूमि से प्राप्त

१. तुल्ये पुरुषभोगे विक्रमः क्लेशसदृत्वमनुरागः सर्ववललाभी वा मित्रकुलाद्विशेषः ।
२. तुल्ये हिरण्यभोगे प्रार्थितार्थता प्राभूत्यमल्पप्रयासता सातत्यं च विशेषः ।
३. तत्रैतद्भवति—
 नित्यं वश्यं लघूत्थानं पितृपैतामहं महत् ।
 अद्वैध्यं चेति सम्पन्नं मित्रं षड्गुणमुच्यते ॥
४. ऋते यदर्थं प्रणयाद्रक्ष्यते यच्च रक्षति ।
 पूर्वोपचितसम्बन्धं तन्मित्रं नित्यमुच्यते ॥
५. सर्वचित्रमहाभोगं त्रिविधं वश्यमुच्यते ।

क्रिए जा सकते हैं' इस बात को पहिले ही बताया जा चुका है । इसलिए भूमि की सहायता देने वाला मित्र ही श्रेष्ठ है ।

१. यदि दो मित्र समान रूप से पुरुषों की सहायता पहुँचाने वाले हों तो उनमें जो पराक्रमी, क्लेशसह, अनुरागी और मौलमृत आदि सभी प्रकार की सेनाएँ देनेवाला हो वही श्रेष्ठ है ।
२. इसी प्रकार समानरूप से हिरण्य आदि धन की सहायता पहुँचाने वाले दो मित्रों में वही मित्र श्रेष्ठ है, जो थोड़ा ही कहने पर बहुत धन दे और निरंतर ही ऐसा देता रहे ।
३. मित्र और उनके गुण गुण भेद से मित्र छह प्रकार के होते हैं; नित्य, वष्य लघूत्थान, पितृ-पैतामह, महत् और अद्वैध्य ।
४. निस्वार्थ भाव से पुराने संबंधों के कारण स्नेहवश विजिगीषु जिसकी रक्षा करता है और जो विजिगीषु की रक्षा करता है उसको नित्यमित्र कहते हैं ।
५. वश्यमित्र तीन प्रकार का होता है : सर्वभोग, चित्रभोग और महाभोग । जो सेना, धन, भूमि आदि सभी तरह से विजिगीषु की सहायता करता है वह सर्वभोग वश्यमित्र, जो केवल सेना एवं धन से विजिगीषु का महान् उपकार करे वह महाभोग वश्यमित्र; और जो रत्न, ताँबा, लोहा, लकड़ी के जंगल आदि से विजिगीषु की सहायता करता है वह चित्रभोग वश्यमित्र

- एकतोभोग्युभयतः सर्वतोभोगि चापरम् ॥
१. आदातृ वा दात्रपि वा जीवत्यरिषु हिंसया ।
मित्रं नित्यमवश्यं तद् दुर्गादव्यपसारि च ॥
२. अन्यतो विगृहीतं यल्लघुव्यसनमेव वा ।
सन्धत्ते चोपकाराय तन्मित्रं वश्यमश्रुवम् ॥
३. एकार्थानर्थसम्बन्धमुपकार्यविकारि च ।
मित्रभावि भवत्येतन्मित्रमद्वैध्यमापदि ॥
४. मित्रभावाद्घ्रुवं मित्रं शत्रुसाधारणाच्चलम् ।
न कस्यचिदुदासीनं द्वयोरुभयभावि तत् ॥

कहलाता है। अनर्थ-निवारण की दृष्टि से वश्यमित्र के तीन भेद और हैं; एक-तोभोगी, उभयतोभोगी सर्वतोभोगी। जो केवल शत्रु का प्रतीकार करे वह एकतोभोगी; जो शत्रु तथा शत्रुमित्र दोनों का प्रतीकार करे वह उभयतो-भोगी; और जो शत्रु, शत्रुमित्र तथा आटविक आदि सब का प्रतीकार करे वह सर्वतोभोगी वश्यमित्र कहलाता है।

१. जो विजिगीषु का उपकार न करने पर भी शत्रुओं की लूट-मार करके अपना निर्वाह करता हो और जो दुर्ग एवं भट्टी में सुरक्षित हो वह वश्यमित्रता हीन नित्यमित्र कहलाता है।
२. किन्तु जिस-जिस पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो, जिस पर थोड़ी विपत्ति आ पड़ी हो, इसलिए जो सहायतार्थ विजिगीषु से संधि करना चाहता है वह नित्यमित्रताहीन वश्यमित्र कहलाता है। उपकारक होने से वश्य और अपने उन्नतिकाल तक ही मित्रता रखने के कारण वह अनित्य है।
३. जो दुःख-सुख को समान रूप से अनुभव करे, सदा उपकार करने वाला हो, कभी भी विमुख न हो और जो आपत्तिकाल में साथ न छोड़े वह अद्वैध्य मित्र है। उसके साथ मित्रता का नित्य संबंध होने के कारण उसको मित्रभावि भी कहते हैं।
४. तो शत्रु और विजिगीषु, दोनों का उपकार न करे, जो दोनों का समान उपकार करे, जो दुर्बलतावश दोनों का सेवक बना रहे, वह उभयभावि मित्र कहलाता है।

१. विजिगीषोरमित्रं यन्मित्रमन्तर्धितां सतम् ।
उपकारे निविष्टं वाशक्तं वानुपकारि तत् ॥
२. प्रियं परस्य वा रक्ष्यं पूज्यसम्बन्धमेव वा ।
अनुगृह्णाति यन्मित्रं शत्रुसाधारणं हि तत् ॥
३. प्रकृष्टभौमं सन्तुष्टं बलवच्चालसं च यत् ।
उदासीनं भवत्येतद्व्यसनादवमानितम् ॥
४. अरनेतुश्च यद्वृद्धिं दौर्बल्यादनुवर्तते ।
उभयस्याप्यविद्विष्टं विद्यादुभयभावि तत् ॥
५. कारणाकरणध्वस्तं कारणाकरणागतम् ।
यो मित्रं समपेक्षेत स मृत्युमुपगूहति ॥
६. क्षिप्रमल्पो लाभधिरान्महानिति वा । 'क्षिप्रमल्पो लाभः
कार्यदेशकालसंवादकः श्रेयान्' इत्याचार्याः ।

१. जो विजिगीषु राजा अमित्र तथा शत्रु-विजिगीषु के बीच होने के कारण मित्र हो तथा इच्छा होने पर भी जो दोनों का उपकार न कर सके वह भी उभयभावि मित्र है ।
२. जो विजिगीषु का मित्र हो तथा शत्रु का भी प्रिय एवं रक्ष्य (रक्षा किए जाने योग्य) हो और शत्रु के साथ जिसका कोई पूज्य संबंध हो, वह भी उभयभावि मित्र कहलाता है ।
३. दूसरे देश में रहने वाला, संतोषी, बलवान और आलस्य एवं व्यसनों के कारण तिरस्कृत मित्र उपकार करने के समय उदासीन हो जाया करता है ।
४. जो मित्र दुर्बल होने के कारण शत्रु और विजिगीषु दोनों का अनुगामी होता है । किसी से भी द्वेष न करके दोनों की आज्ञा को मानता है वह भी उभयभावि मित्र कहलाता है ।
५. अकारण गत और अकारण आगत मित्र को जो आश्रय देता है वह निश्चय ही अपनी मौत को स्वयं बुलाता है ।
६. 'शीघ्र होने वाला थोड़ा लाभ अच्छा है या देर में होने वाला बड़ा लाभ अच्छा है ?' इस पर पूर्वाचार्यों का कथन है कि शीघ्र हो जाने वाला थोड़ा लाभ

१. नेति कौटिल्यः । चिरादविनिपाती वीजसधर्मा महान् लाभः
श्रेयान्, विपर्यये पूर्वः ।

२. एवं दृष्ट्वा ध्रुवे लाभे लाभांशे च गुणोदयम् ।
स्वार्थसिद्धिपरो यायात् संहितः सामवायिकैः ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे मित्रहिरण्यभूमिकर्मसन्धिर्नाम नवमोऽध्यायः

आदितः सप्तशततमः ।



श्रेयस्कर है; क्योंकि उससे देश, काल और कार्य के लाभ को जाना जा सकता है ।

१. किन्तु कौटिल्य इससे सहमत नहीं है । उसका कहना है कि देर में होने वाला विघ्नरहित बीज आदि का महान लाभ ही उत्तम है । यदि महान लाभ में निधन होने की संभावना हो तो शीघ्र-मिलनेवाला थोड़ा ही लाभ श्रेष्ठ है ।

२. विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने निश्चित लाभ या लाभांश के परिणाम को ठीक तरह से जानकर दूसरे राजाओं के साथ संधि करके अपनी कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहे ।

इति षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में नौवाँ अध्याय समाप्त ।



भाष्यकरण ११६

अध्याय १०

भूमिसन्धिः

१. 'त्वं चाहं च भूमिं लभावहे' इति भूमिसन्धिः ।
२. तयोर्यः प्रत्युपस्थितार्थः सम्पन्नां भूमिमवाप्नोति सोऽतिसन्धत्ते ।
३. तुल्ये सम्पन्नालाभे यो बलवन्तमाक्रम्य भूमिमवाप्नोति, सोऽतिसन्धत्ते । भूमिलाभं शत्रुकर्शनं प्रतापं च हि प्राप्नोति । दुर्बलाद्भूमिलाभे सत्यं सौकर्यं भवति । दुर्बल एव च भूमिलाभः, तत्सामन्तश्च मित्रममित्रभावं गच्छति ।

भूमिसन्धि

(सन्धि-विचार २)

१. 'तुम और हम मिलकर भूमि को प्राप्त करें' इस प्रकार की गई भूमि-विषयक सन्धि को भूमिसन्धि कहते हैं ।
२. शत्रु और विजिगीषु, दोनों में जो भी धन और गुणी भृत्यों को शीघ्र उपस्थित कर सम्पन्न भूमि को प्राप्त करता है, वह विशेष लाभ में रहता है ।
३. दोनों को समान रूप से सम्पन्न भूमि के प्राप्त हो जाने पर भी जो बलवान शत्रु पर आक्रमण करके भूमि को प्राप्त करता है वही विशेष लाभ में रहता है; क्योंकि एक तो उसे भूमि का लाभ होता है और दूसरे अपने बलवान शत्रु का नाश कर वह अपने प्रताप का भी विस्तार करता है । यद्यपि दुर्बल से भूमि प्राप्त करना निःसन्देह सुगम है, तथापि इस प्रकार का भूमि लाभ निकृष्ट कोटि का होता है; क्योंकि यह लाभ दुर्बल की हिंसा करके प्राप्त होता है और दूसरे में दुर्बल के पड़ोसी सामंत तथा विजिगीषु के मित्र भी उसके आचरण से सुबध होकर उसके शत्रु बन जाते हैं । इसलिये दुर्बल से भूमि लेना श्रेयस्कर नहीं है ।

१. तुल्ये बलीयस्त्वे यः स्थिरं शत्रुमुत्पाद्य भूमिमवाप्नोति, सोऽ-
तिसन्धत्ते । दुर्गावासिर्हि स्वभूमिरक्षणमभिन्नाटवीप्रतिषेधं च
करोति ।
२. चलामित्राद्भूमिलाभे शक्यसामन्ततो विशेषः । दुर्बलसामन्ता
हि क्षिप्राप्यायनयोगक्षेमा भवति । विपरीता बलवत्सामन्ता
कोशदण्डावच्छेदनी च भूमिर्भवति ।
३. सम्पन्ना नित्यामित्रा मन्दगुणा वा भूमिरनित्यामित्रेति । 'स-
म्पन्ना नित्यामित्रा श्रेयसी भूमिः । सम्पन्ना हि कोशदण्डौ
सम्पादयति । तौ चामित्रप्रतिघातकौ' इत्याचार्याः ।
४. नेति कौटिल्यः—नित्यामित्रालाभे भूयाञ्छत्रुलाभो भवति ।

१. दो समान बलशाली शत्रुओं के होने पर, जो विजिगीषु स्थायी शत्रु का
नाश कर भूमि प्राप्त करता है, वही विशेष लाभ में है; क्योंकि शत्रु के दुर्ग
आदि अपने हाथों में आ जाने पर विजिगीषु की भूमि की रक्षा हो जाती
है और आटविकों का प्रतीकार करना भी उसके लिए सरल हो जाता है ।
२. चलायमान शत्रु से भूमि लाभ करने पर उसी दशा में विशेष लाभ होता है
जब उस चलायमान शत्रु का पड़ोसी दुर्बल हो; क्योंकि ऐसी भूमि विजिगीषु
को शीघ्र ही योग-क्षेम की देने वाली होती है । इसके विपरीत जिस
विजित भूमि का सामन्त बलवान हो वह सर्वदा अनिष्टकर होती है;
विजिगीषु के कोश और बल को क्षीण करने वाली होती है ।
३. 'विजिगीषु के लिए सम्पन्न एवं नित्य शत्रु की भूमि लेनी श्रेयस्कर है या
अस्थिर सम्पन्न एवं अनित्य शत्रु की भूमि लेनी श्रेयस्कर है ?' इस सम्बन्ध
में पुराचार्यों का मन्तव्य है कि सम्पन्न एवं नित्य शत्रु की भूमि लेना ही
उत्तम है; क्योंकि सम्पन्न भूमि के द्वारा कोश तथा सेना, दोनों को बढ़ाया
जा सकता है, जिससे कि शत्रुओं का उच्छेद किया जा सकता है ।
४. किन्तु कौटिल्य इस मन्तव्य को स्वीकार नहीं करता है । उसका कहना
है कि नित्य शत्रु की भूमि लेने से शत्रुता बहुत बढ़ जाती है; क्योंकि जो
नित्य शत्रु है उसका उपकार किया जाय या अपकार; वह रहता शत्रु ही है ।

नित्यश्च शत्रुरूपकृते चापकृते च शत्रुरेव भवति । अनित्यस्तु शत्रुरूपकारादनपकाराद्वा शाम्यति ।

१. यस्या हि भूमेर्वहुदुर्गाश्चोरगणैस्लेच्छाटवीभिर्वा नित्याविरहताः प्रत्यन्ताः, सा नित्यामित्रा । विपर्यये त्वनित्यामित्रेति ।
२. अल्पा प्रत्यासन्ना महती व्यवहिता वा भूमिरिति । अल्पा प्रत्यासन्ना श्रेयसी । सुखा हि प्राप्तुं पालयितुमभिसारयितुं च भवति । विपरीता व्यवहिता ।
३. व्यवहिताव्यवहितयोरपि दण्डधारणात्मधारणा वा भूमिरिति । आत्मधारणा श्रेयसी । सा हि स्वसमुत्थाभ्यां कोशदण्डाभ्यां धार्यते । विपरीता दण्डधारणा दण्डस्थानमिति ।
४. बालिशात् प्राज्ञाद् वा भूमिलाभ इति । बालिशाद्भूमिलाभः

किन्तु अनित्य शत्रु का उपकार या अपकार करने पर वह शान्त हो जाता है ।

१. जिस भूमि के सीमा प्रान्तों के बहुत से दुर्ग चोरों, म्लेच्छों तथा भाटविका से सदा घिरे रहते हैं वह भूमि नित्यमित्रा कहाती है; और इसके विपरीत भूमि अनित्यमित्रा कहलाती है ।
२. 'प्राप्त होने वाली भूमियों में निकटवर्ती थोड़ी भूमि ठीक है या दूर की बहुत सी भूमि' ऐसी स्थिति में समीप की थोड़ी भूमि ही श्रेयस्कर है; क्योंकि सरलता से उसकी प्राप्ति और रक्षा की जा सकती है और विपत्ति काल में उसका आश्रय लिया जा सकता है । परन्तु बहुत दूर की अधिक भूमि इसके सर्वथा विपरीत होती है ।
३. 'दूर और पास की भूमि में पर-रक्षित भूमि लेना ही ठीक है या स्वयं रक्षित भूमि ?' इन दोनों में स्वयं रक्षित भूमि लेना ही उत्तम है; क्योंकि स्वयं स्थापित कोष और सेना द्वारा उसकी रक्षा की जा सकती है । किन्तु पर-रक्षित भूमि इसके सर्वथा विपरीत होती है; क्योंकि दूसरे के स्थापित कोष और सेना द्वारा उसकी रक्षा की जाती है ।
४. 'मूर्ख शत्रु और बुद्धिमान शत्रु दोनों में किससे भूमि प्राप्त करना श्रेयस्कर

श्रेयान् । सुप्राप्यानुपाल्या हि भवत्यप्रत्यादेया च । विपरीता प्राज्ञादनुरक्तेति ।

१. पीडनीयोच्छेदनीययोरुच्छेदनीयाद् भूमिलाभः श्रेयान् । उच्छेदनीयो ह्यनपाश्रयो दुर्बलापाश्रयो वाभियुक्तः कोशदण्डावादायापसर्तुकामः प्रकृतिभिस्त्यज्यते । न पीडनीयो दुर्गमित्रप्रतिस्तब्ध इति ।
२. दुर्गप्रतिस्तब्धयोरपि स्थलनदीदुर्गीयाभ्यां स्थलदुर्गीयाद् भूमिलाभः श्रेयान् । स्थलीयं हि सुरोधामर्दावस्कन्दमनिःस्राविशत्रु च । नदीदुर्गं तु द्विगुणक्लेशकरमुदकं च पातव्यं वृत्तिकरं चामित्रस्य ।

है ?' मूर्खशत्रु राजा से भूमि लेना श्रेयस्कर है; क्योंकि वह बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है और एक तो उसकी रक्षा सुगमता से की जा सकती है तथा दूसरे वह लौटानी भी नहीं पड़ती है । परन्तु बुद्धिमान शत्रु राजा से प्राप्त भूमि इसके सर्वथा विपरीत होती है; उसके प्रकृतिजन तथा प्रजाजन उसमें सदा ही अनुराग रखने वाले होते हैं ।

१. पीडनीय और उच्छेदनीय, इन दोनों शत्रु राजाओं में उच्छेदनीय शत्रु की भूमि लेना श्रेयस्कर है; क्योंकि निराश्रय तथा दुर्बल भाश्रय का होने के कारण, जब उस पर चढ़ाई की जाती है तो, वह सेना तथा कोष सहित भाग निकलता है । ऐसी दशा में प्रकृति जन उसकी सहायता नहीं करते । परन्तु पीडनीय शत्रु दुर्ग और मित्रों की सहायता प्राप्त करके अपने ही स्थान पर जमा रहता है । उसके प्रकृति जन भी उससे अनुराग रखते हैं ।

२. 'दुर्गों से सुरक्षित शत्रुओं में स्थल दुर्ग में रहने वाले शत्रु की भूमि प्राप्त करना ठीक है या नदी दुर्ग में रहने वाले शत्रु की ?' स्थल दुर्ग में रहने वाले शत्रु की भूमि लेना ही ठीक है; क्योंकि स्थल-दुर्ग को सरलता से घेरा जा सकता है, उच्छिन्न किया जा सकता है और शत्रु को भी उससे भाग निकलने का सुयोग नहीं मिल पाता है । इसलिये शीघ्र ही वह आक्रमणकारी की आधीनता स्वीकार कर लेता है । परन्तु नदी-दुर्ग को इससे दुगुना कष्ट उठा कर भी काबू में नहीं किया जा सकता है । वहाँ

१. नदीपर्वतदुर्गीयाभ्यां नदीदुर्गीयाद् भूमिलाभः श्रेयान् । नदीदुर्गं हि हस्तिस्तम्भसङ्क्रमसेतुवन्धनौभिः साध्यमनित्यगाम्भीर्यमवस्राव्युदकं च, पार्वतं तु स्वारक्षं दुरुपरोधि कृच्छारोहणं भग्ने चैकस्मिन् न सर्ववधः, शिलावृक्षप्रमोक्षश्च महापकारिणाम् ।
२. निम्नस्थलयोधिभ्यो निम्नयोधिभ्यो भूलाभः श्रेयान् । निम्नयोधिनो ह्युपरुद्धदेशकालाः, स्थलयोधिनस्तु सर्वदेशकालयोधिनः ।
३. खनकाकाशयोधिभ्यः खनकेभ्यो भूमिलाभः श्रेयान् । खनका

पर जल और जलाधीन भन्न, फल आदि के होने से शत्रु के निर्वाह में कोई बाधा नहीं पड़ती । इसलिए उसका उच्छेद करना कठिन होता है ।

१. नदी दुर्ग और पर्वत दुर्ग दोनों में से नदी दुर्ग में रहने वाले राजा से ही भूमि लाभ होना श्रेष्ठ है; क्योंकि हाथी, लकड़ी, पुल, बांध और नौकाओं द्वारा पार करके उसको हस्तगत किया जा सकता है । किनारों को तोड़ कर उसके जल को भी निकाला जा सकता है । परन्तु पर्वतीय दुर्ग पत्थर आदि से सुदृढ़ बना होने के कारण न तो उसको सरलता से घेरा जा सकता है और न ही उस पर चढ़ा जा सकता है । भय्रों से एक को ही नष्ट किया जा सकता है बाकी सुरक्षित बने रहते हैं । बड़े शक्तिशाली आक्रमणकारी का भी, ऊपर से पत्थर, पेड़ आदि गिरा कर प्रतीकार किया जा सकता है ।
२. निम्नयोधी (नौका में बैठ कर युद्ध करने वाले) और स्थलयोधी शत्रुओं में निम्नयोधी शत्रु से ही भूमि लाभ श्रेष्ठ है; क्योंकि उसके युद्ध का निश्चित समय एवं निश्चित स्थान होता है । इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं है । परन्तु स्थलयोधी सभी परिस्थितियों में युद्ध करता है । इसलिए उसको शीघ्र ही नहीं जीता जा सकता है ।
३. खनकयोधी (खाई-युद्ध करने वाले) और आकाशयोधी शत्रुओं में खनकयोधी शत्रु से ही भूमिलाभ श्रेष्ठ है; क्योंकि उनके लिए खाई तथा अस्त्र दोनों की आवश्यकता होती है । कभी-कभी खाई के लिए उचित स्थान न

हि खातेन शस्त्रेण चोभयथा युध्यन्ते, शस्त्रेणैवाकाशयोधिनः ।

१. एयंविधेभ्यः पृथिवीं लभमानोऽर्थशास्त्रवित् ।
संहितेभ्यः परेभ्यश्च विशेषमधिगच्छति ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे भूमिसन्धिर्नाम दशमोऽध्यायः
आदितोऽष्टशततमः ।



मिलने के कारण वे युद्ध नहीं करने पाते हैं । इसलिए उनको सरलता से वश में किया जा सकता है । परन्तु आकाशयोधी शत्रु केवल शस्त्र द्वारा ही युद्ध करता है । इसलिए उसको जीतना कठिन है ।

१. इस प्रकार अर्थशास्त्रज्ञ विजिगीषु राजा, ऊपर बताये गए संहित एवं दूसरे राजाओं से, पृथ्वी को प्राप्त करता हुआ अपनी उन्नति करता जाय ।

इति षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में दसवाँ अध्याय समाप्त ।



शुद्धकरण ११६

अध्याय ११

अनवसितसन्धिः

१. 'त्वं चाहं च शून्यं निवेशयावह' इत्यनवसितसन्धिः ।
२. तयोर्यः प्रत्युपस्थितार्थो यथोक्तगुणां भूमिं निवेशयति सोऽ-
तिसन्धत्ते ।
३. तत्रापि स्थलमौदकं वेति । महतः स्थलादल्पमौदकं श्रेयः,
सातत्यादवस्थितत्वाच्च फलानाम् ।
४. स्थलयोरपि प्रभूतपूर्वापरसस्यमल्पवर्षपाकमसत्कारम्भं श्रेयः ।
५. औदकयोरपि धान्यवापमधान्यवापाच्छ्रेयः । तयोरल्पबहुत्वे

अनवसित संधि

(संधि-विचार ३)

१. 'आओ, तुम और हम मिलकर शून्य भूमि में उपनिवेश बसायें !' इस प्रकार से जो संधि की जाय उसको अनवसित (अनिश्चित) संधि कहते हैं ।
२. उन दोनों में से जो, पूर्ण साधनों को साथ लेकर पूर्वोक्त गुणसंपन्न भूमि में उपनिवेश बसाता है वही विशेष लाभ में रहता है ।
३. सर्वगुणसंपन्न स्थलभूमि और जलभूमि, दोनों में जलभूमि को बसाना ही श्रेष्ठ है । अधिक स्थलभूमि की अपेक्षा थोड़ी ही जलभूमि अच्छी है; क्योंकि सदा ही वह फल-फूल आदि से गुलजार बनी रहती है ।
४. दो स्थल भूमियों में भी वही स्थलभूमि अच्छी होती है, जहां वसंत और शरद की फसलें एक समान अच्छी होती हैं तथा जहां थोड़ी ही वृष्टि से फसलें पक कर तैयार हो जाती हैं और जिनको सरलता से जोसा-बोया जा सकता है ।
५. दो जलमय भूमियों में वही भूमि उत्तम है, जहां सभी धान्य बोये जा सकें और जहां धान्य न हों वह भूमि अच्छी नहीं है । उनमें भी कम-ज्यादा को

(६१७)

धान्यकान्तादल्पान्महदधान्यकान्तं श्रेयः । महत्यवकाशे हि स्थाल्याश्चानूप्याश्चौषधयो भवन्ति । दुर्गादीनि च कर्माणि प्राभूत्येन क्रियन्ते । कृत्रिमा हि भूमिगुणाः ।

१. खनिधान्यभोगयोः खनिभोगः कोशकरः, धान्यभोगः कोश-कोष्ठागारकरः । धान्यमूला हि दुर्गादीनां कर्मणामारम्भाः । महाविषयविक्रयो वा खनिभोगः श्रेयान् ।
२. 'द्रव्यहस्तिवनभोगयोर्द्रव्यवनभोगः सर्वकर्मणां योनिः प्रभूत-निधानक्षमश्च । विपरीतो हस्तिवनभोगः' इत्याचार्याः ।
३. नेति कौटिल्यः । शक्यं द्रव्यवनमनेकमनेकस्यां भूमौ वापयितुं न हस्तिवनं, हस्तिप्रधानो हि परानीकवध इति ।

दृष्टि में रखकर उपजाऊ कम भूमि से अनुपजाऊ अधिक भूमि ही श्रेष्ठ है; क्योंकि अधिक विस्तार होने से उसके जल स्थल युक्त विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के भन्न उपजाये जा सकते हैं । क्योंकि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाना अपने हाथ में निर्भर है; इसीलिए अधिक भूमि को लेना ही श्रेष्ठ है ।

१. खानयुक्त तथा धान्ययुक्त भूमियों में खानयुक्त भूमि केवल कोष की वृद्धि करती है; किन्तु धान्ययुक्त भूमि कोष और कोष्ठागार दो को संपन्न करती है । क्योंकि दुर्ग आदि कर्मों की उन्नति भी धान्यमूलक ही है; अतः धान्य-युक्त भूमि ही श्रेयस्कर होती है । अथवा खानयुक्त भूमि भी उत्तम है, क्योंकि वहां से उत्पन्न वस्तुओं का बड़ा भारी व्यापार किया जा सकता है ।
२. 'लकड़ी के जंगल और हाथी के जंगल, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ?' इस संबंध में पूर्वाचार्यों का कहना है कि लकड़ियों का जंगल ही श्रेष्ठ है; क्योंकि एक तो दुर्ग आदि कर्मों में लकड़ी की बड़ी आवश्यकता होती है और दूसरे उसका अधिक-से-अधिक संचय सरलता से किया जा सकता है । किन्तु हाथी के जंगलों में यह उपयोगिता नहीं होती है ।
३. आचार्य कौटिल्य इस बात को नहीं मानता है । उसका कथन है कि 'लकड़ी के जंगल अपनी इच्छानुसार बनाये जा सकते हैं; किन्तु हाथियों के जंगल स्वयं नहीं बनाये जा सकते हैं । शत्रु की सेना को नाश करने वाले साधनों में हाथी प्रमुख साधन है । इसलिए हाथियों के जंगल ही श्रेष्ठ हैं ।'

१. वारिस्थलपथभोगयोरनित्यो वारिपथभोगः, नित्यः स्थलपथ-भोग इति ।
२. भिन्नमनुष्या श्रेणीमनुष्या वा भूमिरिति । भिन्नमनुष्या श्रेयसी । भिन्नमनुष्याभोग्या भवत्यनुपजाप्या चान्येषाम् । अनापत्सहा तु । विपरीता श्रेणीमनुष्या क्रोपे महादोषा ।
३. तस्यां चातुर्वर्ण्याभिनिवेशे सर्वभोगसहत्वादवरवर्णप्राया श्रेयसी । बाहुल्याद्भ्रुवत्वाच्च कृष्याः कर्षणवती । कृष्याश्चान्येषां चारम्भाणां प्रयोजकत्वाद् गोरक्षकवती । पण्यनिचयर्णानुग्रहादाढ्यवणिग्वती ।

१. जलमार्ग और स्थलमार्ग में दोनों ही अनित्य (अस्थायी) हों तो उनमें जलमार्ग ही उत्तम है । यदि दोनों ही नित्य (स्थायी) हों तो स्थलमार्ग ही उत्तम समझना चाहिए ।
२. 'भिन्न प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि अच्छी है या समान प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि श्रेष्ठ है ?' इन दोनों में भिन्न प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि ही श्रेष्ठ समझनी चाहिए; क्योंकि ऐसी भूमि को विजिगीषु शीघ्र ही अपने कब्जे में कर लेता है, और क्योंकि भिन्न प्रकृति के कारण दूसरे शत्रु भी उन्हें बहका नहीं सकते हैं । ऐसे लोग आपत्तिसह भी नहीं होते हैं । किन्तु समान प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि को शत्रु बहका सकते हैं । एकता के कारण वहां की प्रजा हर तरह की आपत्तियों को सहन करने के लिए तैयार रहती है और कुपित होने पर राजा का भी उच्छेद कर देती है ।
३. उस भूमि में चारों वर्णों के लोगों की स्थिति के संबंध में यह विचार कर लेना चाहिए कि सब तरह के दुःख-सुख सहन करने वाले शूद्र, ग्वाले आदि नीची जाति के मनुष्यों वाली भूमि ही श्रेष्ठ होती है । क्योंकि खेती की अधिकता और निश्चित फलवती होने के कारण ऐसी भूमि श्रेयस्कर होती है । कृषि संबंधी व्यापार तथा अन्य अनेक कार्य गाय एवं गोपालकों पर ही निर्भर हैं । इसलिए गाय और ग्वालों से युक्त भूमि ही श्रेष्ठ है । व्यापार के लिए धान्य आदि का संचय तथा व्याज पर ऋण आदि देकर उपकार करने के कारण व्यापारी और धनवान् व्यक्तियों से युक्त भूमि भी श्रेष्ठ होती है ।

१. भूमिगुणानामपाश्रयः श्रेयान् ।
२. दुर्गापाश्रया पुरुषापाश्रया वा भूमिरिति । पुरुषापाश्रया श्रेयसी । पुरुषवद्वि राज्यम् । अपुरुषा गौर्वन्ध्येव किं दुहीत ।
३. महाक्षयव्ययनिवेशां तु भूमिमवाप्तुकामः पूर्वमेव क्रेतारं पणेत । दुर्बलमराजवीजिनं निरुत्साहमपक्षमन्यायवृत्तिं व्यसनिनं दैव-प्रमाणं यत्किञ्चनकारिणं वा ।
४. महाक्षयव्ययनिवेशायां हि भूमौ दुर्बलो राजवीजी निविष्टः सगन्धाभिः प्रकृतिभिः सह क्षयव्ययेनावसीदति ।
५. बलवानराजवीजी क्षयव्ययभयादसगन्धाभिः प्रकृतिभिस्त्यज्यते ।
६. निरुत्साहस्तु दण्डवानपि दण्डस्याप्रणेता सदण्डः क्षयव्यये-नावभज्यते ।

-
१. भूमि के उक्त सभी गुणों में से आश्रय या रक्षा, उसके सर्वोच्च गुण हैं ।
 २. 'दुर्गों का आश्रय देने वाली भूमि अच्छी होती है या मनुष्यों का ?' इन दोनों में मनुष्यों का सहारा देने वाली भूमि श्रेष्ठ है, क्योंकि राज्य कहते ही उसको है, जहाँ बहुत-से पुरुष निवास करते हों; 'पुरुषवद्वि राज्यम्' । पुरुषहीन भूमि तो बन्धा गो के समान है ।
 ३. जन-धन का अत्यधिक व्यय करके बसाई जाने वाली भूमि को यदि विजिगीषु प्राप्त करना चाहे तो पहिले वह उस भूमिका ऐसा खरीददार राजा तैयार कर ले, जो दुर्बल, अराजजीवी (जो किसी राजवंश का न हो), उरसाहहीन, अपक्ष (बेसहारा), अन्यायवृत्ति, व्यसनी, भाग्यवादी और यत्किञ्चनकारी (जो मन में आया, कर दिया) हो ।
 ४. जन-धन आदि का अत्यधिक व्यय करके बसाई जाने योग्य भूमि में जब शक्तिहीन राजवंश में पैदा हुआ राजा उपनिवेश बसाता है तो अत्यधिक पुरुषों का क्षय और धन का व्यय होने के कारण अपने सहायकों, सजातीयों और अमात्य आदि प्रकृतियों के साथ वह क्षीण हो जाता है ।
 ५. राजवंश में पैदा न हुए बलवान राजा को क्षय-व्यय के भय से उसके विजातीय अमात्य आदि सहायक उसको छोड़ देते हैं ।
 ६. सेना के होते हुए भी उरसाहहीन राजा उसका यथोचित उपयोग नहीं कर

१. कोशवानप्यपक्षः क्षयव्ययानुग्रहहीनत्वान्न कुतश्चिःप्राप्नोति ।
२. अन्यायवृत्तिनिविष्टमभ्युत्थापयेत् , स कथमनिविष्टं निवेशयेत् ।
३. तेन व्यसनी व्याख्यातः ।
४. दैवप्रमाणो मानुषहीनो निरारम्भो विपन्नकर्मारम्भो वावसीदति ।
५. यत्किञ्चनकारी न किञ्चिदासादयति । स चैषां पापिष्ठतमो भवति ।
६. 'यत्किञ्चिदारभमाणो हि विजिगीषोः कदाचिच्छिद्रमासादयेत्' इत्याचार्याः ।

पाता है । इसलिये धन-जन का व्यय-क्षय हो जाने के कारण सेना के सहित ही वह नष्ट हो जाता है ।

१. कोषसंपन्न मित्रहीन राजा क्षय-व्यय में उचित सहायता न मिलने के कारण नष्ट हो जाता है ।
२. प्रजा पर अन्याय करने वाले स्थायी रूप से बसे हुए राजा को जब प्रजा उखाड़ फेंकती है तब नये उपनिवेशों को बसाना उसके लिए कैसे संभव हो सकता है ?
३. यही हाल व्यसनी राजा का भी होता है ।
४. भाग्य पर भरोसा करने वाला पौरुषहीन राजा किसी नये कार्य को आरंभ नहीं करता है; यदि आरंभ करता भी है तो विघ्न के भय से उसे अधूरा ही छोड़ देता है; और इस प्रकार जन-धन की व्यर्थ हानि करने के बाद वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है ।
५. बिना विचारे कार्य करने वाला राजा कभी भी फूलता-फलता नहीं है; किन्तु ऊपर कहे गए सभी राजाओं की अपेक्षा विजिगीषु के लिए वह बहुत खतरनाक सिद्ध होता है ।
६. पूर्वाचार्यों का कहना है कि किसी कार्य को प्रारंभ करता हुआ शत्रु यदि विजिगीषु के किसी दोष का पता लगा ले तो वह यत्किञ्चनकारी राजा के द्वारा विजिगीषु को हानि पहुँचा सकता है; क्योंकि विजिगीषु उसे मूर्ख समझ कर उससे पीठ फेंके रहता है ।

१. 'यथा छिद्रं तथा विनाशमप्यासादयेत्' इति कौटिल्यः ।
२. तेषामलाभे यथा पार्ष्णिग्राहोपग्रहे वक्ष्यामस्तथा भूमिमवस्थापयेत् । इत्यभिहितसन्धिः ।
३. गुणवतीभादेयां वा भूमिं बलवता क्रयेण याचितः सन्धिमवस्थाप्य दद्यात् । इत्यनिभृतसन्धिः ।
४. समेन वा याचितः कारणमवेक्ष्य दद्यात् । 'प्रत्यादेया मे भूमिर्वश्या वा, अनया प्रतिवद्धः परो मे वश्यो भविष्यति, भूमिविक्रयाद्वा मित्रहिरण्यलाभः कार्यसामर्थ्यकरो मे भविष्यति' इति ।

१. परन्तु आचार्य कौटिल्य का मत है कि वह यत्किंचनकारी विजिगीषु के दोषों को जानने की तरह स्वयं को भी नष्ट कर सकता है; क्योंकि विजिगीषु तो उसके अनेक दोषों से परिचित रहता है ।
२. यदि इन उपर्युक्त राजाओं में से कोई उस व्यय-क्षयी भूमि को खरीदने के लिए तैयार न हो तो जो तरीका आगे पार्ष्णिग्राह के साथ संधि के लिए बताया जायगा उसी के अनुसार उस भूमि को बसाने की व्यवस्था करे । इसीका नाम अभिहितसंधि है । अभिहितसंधि, अर्थात् लेन-देन से विचलित न होकर बराबर बनी रहना ।
३. गुणवती और अदेय भूमि को यदि बलवान सामंत खरीदना चाहे तो उससे 'अवसर आने पर आप मेरी सहायता करेंगे' ऐसी सामान्य संधि करके वह भूमि उसके हाथ बेच देनी चाहिए; क्योंकि प्रबल सामंत दुर्बल से अविश्वास करके अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ भी सकता है । इसको अनिभृतसंधि कहते हैं ।
४. यदि समानशक्ति राजा उस भूमि को खरीदना चाहे तो नीचे लिखे कारणों पर अच्छी तरह विचार करके वह भूमि उसके हाथ बेच देनी चाहिए । वे कारण हैं : बेच देने पर यह भूमि कालान्तर में मेरे पास आ सकेगी; अथवा बेच देने पर भी मैं इससे लाभ उठाता रहूँगा; अथवा इस भूमि के साथ संबंध बना रहने के कारण दूसरा शत्रु मेरे वश में हो जायगा; अथवा इसको बेच देने पर मैं मित्र तथा धन-संपत्ति से संपन्न हो जाऊँगा ।'

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण ११६, अध्याय ११

१. तेन हीनः क्रेता व्याख्यातः ।

२. एवं मित्रं हिरण्यं च सजनामजनां च गाम् ।
लभमानोऽतिसन्धत्ते शास्त्रवित्सामवायिकान् ॥

इति पाद्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणेऽनवसितसन्धिर्नाम एकादशोऽध्यायः,
आदितो नवोत्तरशततमः ।



-
१. इसी प्रकार अपने से हीनशक्ति खरीददार के संबंध में भी समझना चाहिए ।
 २. अर्थशास्त्रज्ञ राजा इस प्रकार मित्र, धन, संपत्ति, आवाद और बंजर भूमि को प्राप्त करता हुआ दूसरे राजाओं की अपेक्षा सदा ही विशेष लाभ प्राप्त करता है ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।



प्राचुरण ११६.

अध्याय १२

कर्मसन्धिः

१. 'त्वं चाहं च दुर्गं कारयावहे' इति कर्मसन्धिः ।
२. तयोर्यो दैवकृतमविपक्षमल्पव्ययारम्भं दुर्गं कारयति, सोऽ-
तिसन्धते ।
३. तत्रापि स्थलनदीपर्वतदुर्गाणामुत्तरोत्तरं श्रेयः ।
४. सेतुबन्धयोरप्याहार्योदकात्सहोदकः श्रेयान् । सहोदकयोरपि
प्रभूतवापस्थानः श्रेयान् ।
५. द्रव्यवनयोरपि यो महत् सारवद्द्रव्याटवीकं विषयान्ते नदीमातृकं

कर्मसंधि

(संधि-विचार ४)

१. 'आप और मैं मिलकर दुर्गं बनवायें' इस प्रकार किसी कार्य संवन्धी वस्तु का नाम लेकर जो संधि की जाती है उसको कर्मसंधि कहते हैं ।
२. इस प्रकार की संधि करने वाले विजिगीषु और उसका साथी राजा, दोनों में से वही विशेष लाभ में रहता है जो शत्रुओं से दुर्भेद्य दुर्गम स्थान में अल्प व्यय करके दुर्गं बनवाता है ।
३. ऐसे दुर्गों में भी स्थल में बने दुर्ग की अपेक्षा जल में बना दुर्ग श्रेष्ठ है और उससे भी पर्वतीय प्रदेश में बना हुआ दुर्ग श्रेष्ठ होता है ।
४. सेतुबंधों में वर्षा जल से भरने वाले की अपेक्षा स्वाभाविक अर्थात् नहर आदि के जल से भरने वाला सेतुबंध उत्तम है । उनमें भी वह सेतुबंध श्रेष्ठ है जो खेती योग्य पर्याप्त भूमि के निकट हो ।
५. जो राजा अनेक पदार्थों को पैदा करने वाले जंगलों में नदियों से सींचे जाने योग्य फल-फूलों को पैदा करने वाले अपने सीमाप्रांत के जंगलों को ठीक करता है । वही विशेष लाभ में रहता है । क्योंकि नदियों से सींचे

द्रव्यवनं छेदयति, सोऽतिसन्धत्ते । नदीसातृकं हि स्वाजीवम-
पाश्रयश्चापदि भवति ।

१. हस्तिवनयोरपि यो बहुशूरमृगं दुर्वलप्रतिवेशमनन्तावकलेशि
विपयान्ते हस्तिवनं वध्नाति, सोऽतिसन्धत्ते ।
२. तत्रापि 'बहुकुण्ठाल्पशूरयोरल्पशूरं श्रेयः । शूरेषु हि युद्धम् ।
अल्पाः शूरा बहूनशूरान् भङ्गन्ति, ते भग्नाः स्वसैन्यावघातिनां
भवन्ति' इत्याचार्याः ।
३. नेति कौटिल्यः । कुण्ठा बहवः श्रेयांसः, स्कन्धविनियोगा-
दनेकं कर्म कुर्वाणाः स्वेषामपाश्रया युद्धे, परेषां दुर्धर्षा विभी-
षणाश्च ।
४. बहुषु हि कुण्ठेषु विनयकर्मणा शक्यं शौर्यमाधातुं, न त्वेवाल्पेषु
शूरेषु बहुत्वमिति ।

जाने वाले स्थान आजीविका के साधन होने के साथ-साथ विपत्ति काल में
आश्रय देने वाले भी होते हैं ।

१. हाथी और मृग के जंगलों में भी जो राजा शक्तिशाली जंगली जानवरों से
युक्त, दुर्वलों के लिए भी सुखकर और अनेक जाने-आने के मार्गों से युक्त
हस्तिवनों को अपने प्रदेश में स्थापित करता है वह विशेष लाभ में रहता है ।
२. उन हाथी के जंगलों में भी अशक्त अधिक संख्यावाले हस्तिवन की अपेक्षा
शक्तिशाली थोड़े हाथियों वाले जंगल ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि बलवान् हाथियों
के भरोसे ही युद्ध होता है । इसके विपरीत पुरातन आचार्यों का कहना
है कि अल्पसंख्यक शूर हाथी बहुसंख्यक कायर हाथियों को भगा देते
हैं और वे तितर-बितर हो कर अपनी ही सेना को कुचल डालते हैं ।
३. किन्तु कौटिल्य इस तर्क से सहमत नहीं हैं । उनका कथन है कि शक्ति-
हीन बहुत हाथियों का होना ही श्रेयस्कर है; क्योंकि सेना के अनेक
विभागों में उनसे अनेक कार्य लिए जा सकते हैं । इसलिए युद्ध में वे
अच्छे सहायक, शत्रुओं को घबड़ा देने वाले (अधिक होने के कारण)
और शत्रु के वश में न आने वाले होते हैं ।
४. संख्या में अधिक हाथी यदि सामर्थ्यहीन भी हों तो कोई हानि नहीं है;

१. खन्योरपि यः प्रभूतसारामदुर्गमार्गामल्पव्ययारम्भां खनिं खानयति, सोऽतिसन्धत्ते ।
२. तत्रापि 'महासारमल्पसारं वा प्रभूतमिति । महासारमल्पं श्रेयः । वज्रमणिमुक्ताप्रवालहेमरूप्यधातुर्हि प्रभूतमल्पसार-मत्यर्घेण ग्रसते' इत्याचार्याः ।
३. नेति कौटिल्यः । चिरादल्पो महासारस्य क्रेता विद्यते । प्रभूतः सातत्यादल्पसारस्य ।
४. एतेन वणिकपथो व्याख्यातः ।
५. तत्रापि 'वारिस्थलपथयोर्वारिपथः श्रेयान्, अल्पव्ययव्यायामः प्रभूतपण्योदयश्च' इत्याचार्याः ।

क्योंकि युद्ध संबंधी शिक्षाओं के द्वारा उन्हें समर्थ बनाया जा सकता है; किन्तु शक्तिशाली थोड़े हाथियों की संख्या सहसा बढ़ाई नहीं जा सकती है ।

१. खानों में भी, जो राजा उत्तम वस्तुएँ देने वाली, दुर्गम मार्गों से युक्त और अल्प व्ययकर खानों को खुदवाता है वह विशेष लाभ प्राप्त करता है ।
२. उन खानों में भी मणि-माणिक्य आदि बहुमूल्य वस्तुओं को थोड़े परिमाण में उत्पन्न करने वाली खान श्रेष्ठ है; अथवा अधिक परिमाण वाली अल्पमूल्य की वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली खान श्रेष्ठ है ? इस संबन्ध में पूर्वाचार्यों का कथन है कि 'बहुमूल्य थोड़ी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली खान अच्छी है; क्योंकि हीरा, मणि, मोती मूंगा, सोना, चाँदी आदि बहु-मूल्य थोड़ी वस्तुएँ, अल्प मूल्य की अधिक वस्तुओं को भी दबा लेती हैं ।'
३. किन्तु कौटिल्य इस मंतव्य से सहमत नहीं है । वह कहता है कि 'मूल्यवान् वस्तु का खरीददार बहुत समय बाद कोई बिरला ही मिलता है; किन्तु अल्पमूल्य वस्तुओं के खरीददारों की कमी नहीं रहती है ।'
४. इसी प्रकार व्यापारिक मार्गों के संबंध में भी समझना चाहिए ।
५. स्थलमार्ग और जलमार्ग में से जलमार्ग द्वारा व्यापार करना श्रेयस्कर है; क्योंकि उसमें श्रम तथा व्यय अधिक नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा माल आसानी से लाया-ले-जाया जा सकता है—ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है ।

१. नेति कौटिल्यः । संरुद्धगतिरसार्वकालिकः प्रकृष्टभययोनिनि-
घ्नप्रतिकारश्च वारिपथः । विपरीतः स्थलपथः ।
२. वारिपथे तु कूलसंयानपथयोः कूलपथः पण्यपट्टणवाहुल्याच्छ्रे-
यान् । नदीपथो वा सातत्याद्विपद्यावाधत्वाच्च ।
३. स्थलपथेऽपि । 'हैमवतो दक्षिणापथाच्छ्रेयान् हस्त्यश्वगन्ध-
दन्ताजिनरूप्यसुवर्णपण्याः सारवत्तराः' इत्याचार्याः ।
४. नेति कौटिल्यः । कम्बलाजिनाश्चपण्यवज्याः शंखवज्रमणि-
मुक्तासुवर्णपण्याश्च प्रभूततरा दक्षिणापथे ।
५. दक्षिणापथेऽपि बहुखनिः सारपण्यः प्रसिद्धगतिरल्पव्यायामो

१. इसके विपरीत आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'विपत्तिकाल में जलमार्ग सब ओर से रोका जा सकता है । सभी ऋतुओं में उससे जाना-भाना भी नहीं हो सकता है । स्थल मार्ग की अपेक्षा वह भयजनक और अप्रतीकारक भी है । किन्तु स्थल मार्ग में ये सभी दिक्कतें नहीं होती हैं । इसलिए स्थलमार्ग ही श्रेष्ठ है ।'
२. जलमार्ग दो प्रकार का होता है : एक तो किनारे-किनारे का मार्ग (कूलपथ) और दूसरा जल के बीच का मार्ग (संयानपथ) इन दोनों में मूलपथ ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस पर अनेक व्यापारिक नगर बसे होते हैं, जिससे बड़ा लाभ उठाया जा सकता है । अथवा संयानपथ भी उत्तम समझना चाहिए; क्योंकि नदी में निरंतर पानी भरा रहता है, जिससे मार्ग में कोई उत्कट बाधा उपस्थित नहीं हो पाती है ।
३. 'स्थलमार्ग में भी दक्षिणापथ की अपेक्षा उत्तरापथ श्रेष्ठ है; क्योंकि उस ओर हाथी, घोड़े, कस्तूरी, दाँत, चाप, चाँदी और सुवर्ण आदि बहुमूल्य विक्रीय वस्तुयें अधिकता से मिल जाती है ।' यह प्राचीन आचार्यों का मत है ।
४. परन्तु कौटिल्य का कहना है कि 'कंबल, चमड़ा और घोड़े इन वस्तुओं को छोड़ कर हाथी आदि तथा शंख, हीरा, मणि, मोती, सुवर्ण आदि अन्य अनेक विक्रीय वस्तुयें उत्तर की अपेक्षा दक्षिण की ओर अधिक होती हैं । इसलिए दक्षिणापथ ही श्रेष्ठ है ।'
५. दक्षिणापथ में भी वह मार्ग उत्तम समझना चाहिए, जो खान तथा विक्रीय

वा वणिकपथः श्रेयान् । प्रभूतविषयो वा फल्गुपथः ।

१. तेन पूर्वः पश्चिमश्च वणिकपथो व्याख्यातः ।
२. तत्रापि चक्रपादपथयोश्चक्रपथो विपुलारम्भत्वाच्छ्रेयान् ।
देशकालसम्भावना वा खरोट्टपथः ।
३. आश्यामंसपथो व्याख्यातः ।
४. परकर्मोदयो नेतुः क्षयो वृद्धिर्विपर्यये ।
तुल्ये कर्मपथे स्थानं ज्ञेयं स्वं विजिगीषुणा ॥
५. अल्पागसातिव्ययता क्षयो वृद्धिर्विपर्यये ।
समायव्ययता स्थानं कर्मसु ज्ञेयमात्मनः ॥

वस्तुओं से युक्त, आने-जाने में सुगम और थोड़े से परिश्रम से सिद्ध होने वाला हो। अथवा वह मार्ग श्रेष्ठ समझना चाहिए जहाँ थोड़े कीमत की वस्तुयें बहुतायत से मिल सकें या जहाँ बहुमूल्य वस्तुओं के अधिक खरीददार हों।

१. इसी प्रकार पूरव और पश्चिम के व्यापारिक मार्गों के संबंध में भी समझना चाहिए।
२. इन व्यापारिक मार्गों में भी पैदल मार्ग की अपेक्षा सवारी योग्य मार्ग को उत्तम समझना चाहिए। क्योंकि ऐसे मार्गों से बहुत व्यापार किया जा सकता है। विक्रीय वस्तुएँ अधिक तादाद में लाई-लेजाई जा सकती हैं। देश-काल के अनुसार गर्मों और ऊंटों का मार्ग भी श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि उनसे भी अधिक व्यापार किया जा सकता है।
३. इसी प्रकार कंधों के द्वारा भार ढोने वाले बैल आदि के व्यापारिक मार्गों के संबंध में भी समझना चाहिए।
४. शत्रु का अपने कार्यों से लाभ होना ही विजिगीषु का सत्य समझना चाहिए और अपने कार्यों की सिद्धि में ही सफलता समझनी चाहिए। यदि कार्य-फल दोनों को बराबर मिले तो विजिगीषु को पूर्ववत् एक जैसा समझना चाहिए। उसने न तो उन्नति की न तो अवनति।
५. थोड़ी आय तथा अधिक खर्च हो तो सत्य, इसके विपरीत वृद्धि समझनी चाहिए। इसी प्रकार बराबर आय व्यय में समान अवस्था समझनी चाहिए।

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण ११६, अध्याय १२

१. तस्मादल्पव्ययारम्भं दुर्गादिषु महोदयम् ।
कर्म लब्ध्वा विशिष्टः स्यादित्युक्ताः कर्मसन्धयः ॥

इति पाद्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे कर्मसन्धिर्नाम द्वादशोऽध्यायः
आदितः दशोत्तरशततमः ।



१. इसलिये विजिगीषु को चाहिए कि वह दुर्ग आदि के कार्यों में थोड़ा खर्च करके ही महान फल प्राप्त करने की चेष्टा करे । महान् फल देने वाले कार्य को प्राप्त करके ही विजिगीषु अपने शत्रु से बच सकता है । यही कर्म-संधि है ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में बारहवाँ अध्याय समाप्त ।



पार्ष्णिग्राहचिन्ता

१. संहत्यारिविजिगीष्वोरमित्रयोः परामियोगिनोः पार्ष्णि गृह्णतोर्यः शक्तिसम्पन्नस्य पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽतिसन्धत्ते । शक्तिसम्पन्नो ह्यमित्रमुच्छिद्य पार्ष्णिग्राहमुच्छिन्द्यात्, न हीनशक्तिरलब्ध-लाभ इति ।
२. शक्तिसाम्ये यो विपुलारम्भस्य पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽति-सन्धत्ते । विपुलारम्भो ह्यमित्रमुच्छिद्य पार्ष्णिग्राहमुच्छिन्द्यात्, नाल्पारम्भः सक्तचक्र इति ।

पार्ष्णिग्राह-चिन्ता

१. विजिगीषु और शत्रु जब पृष्ठवर्ती (पार्ष्णि) होकर किसी राजा पर चढ़ाई करें तो उनमें से वही विशेष लाभ प्राप्त करता है, जो कि दूसरे के साथ युद्ध में फँसे हुए अपने शत्रुभूत दो राजाओं में से अधिक शक्तिशाली राजा की पार्ष्णि को ग्रहण करता है क्योंकि शक्तिशाली राजा अपने शत्रु का उच्छेद कर बाद में अपने पार्ष्णिग्राह का भी उच्छेद कर देता है । हीन-शक्ति शत्रुराजा तो अपने शत्रु का उच्छेद करने पर भी वैसे ही निर्वल घना रहता है; उसकी ओर से आक्रमण की कोई आशंका नहीं हो सकती है । इसलिए उसका पार्ष्णिग्राह बनने में कोई लाभ नहीं है ।
२. यदि दोनों युद्ध-निरत शत्रु समानशक्ति हों तो उसी का पार्ष्णिग्राह बनना लाभप्रद है, जो कि सभी साधनों से सम्पन्न हो । क्योंकि सर्वसाधन-सम्पन्न शत्रु राजा अपने शत्रु का उच्छेद करके पार्ष्णिग्राह का भी उच्छेद कर सकता है । जो कि साधनहीन और अपनी बिखरी सेना को बटोरने में ही लगा हो, ऐसा शत्रु न तो अपने शत्रु को जीत ही सकता है और न ही वह विजिगीषु के लिए भय का कारण है । इसलिए ऐसे शत्रु का पार्ष्णि-ग्राह बनने में कोई लाभ नहीं है ।

१. आरम्भसाम्ये यः सर्वसन्दोहेन प्रयातस्य पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽतिसन्धत्ते । शून्यमूलो ह्यस्य सुकरो भवति, नैकदेशबल-प्रयातः कृतपार्ष्णिप्रतिविधान इति ।
२. बलोपादानसाम्ये यश्चलामित्रं प्रयातस्य पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽतिसन्धत्ते । चलामित्रं प्रयातो हि सुखेनाव्राप्तसिद्धिः पार्ष्णिग्राहमुच्छिन्धात्, न स्थितामित्रं प्रयातः । असौ हि दुर्गप्रतिहतः । पार्ष्णिग्राहे च प्रतिनिवृत्तस्थितेनामित्रेणाव-गृह्यते ।
३. तेन पूर्वे व्याख्याताः ।
४. शत्रुसाम्ये यो धार्मिकाभियोगिनः पार्ष्णि गृह्णाति सोऽति-

१. यदि दोनों ही सर्वसाधनसम्पन्न हों तो ऐसे राजा का पार्ष्णिग्राह बनने में विशेष लाभ है, जो अपने संपूर्ण सैन्य को लेकर युद्ध के लिये कूच कर गया हो । क्योंकि जिसका मुख्य भाग (राज्य या राजधानी) असुरक्षित हो उस पर शीघ्र ही विजय प्राप्त की जा सकती है । किन्तु जिसने अपनी पार्ष्णि की रक्षा के लिए प्रबंध कर थोड़ी सेना को साथ ले युद्ध के लिए प्रस्थान किया हो उसको जीतना सरल नहीं है । वह अपने पार्ष्णिग्राह का अच्छी तरह प्रतीकार कर सकता है ।
२. बराबर सेनाओं को साथ ले जाने वाले राजाओं में से उसी का पार्ष्णिग्राह बनना ठीक है, जिसने अपने दुर्गरहित शत्रु पर आक्रमण किया हो । क्योंकि सहज ही में अपने दुर्गरहित शत्रु को वश में करके बाद में वह अपने पार्ष्णि-ग्राह का भी उच्छेदन कर सकता है । परंतु दुर्गसंपन्न राजा के साथ युद्ध में लगे शत्रु पर चढ़ाई करने में कोई लाभ नहीं है; प्रत्युत हानि की संभावना अधिक है । क्योंकि युद्ध से खिसिया कर जब वह वापिस लौटता है तो पार्ष्णिग्राह के साथ ही युद्ध में जुट जाता है, जिससे पार्ष्णिग्राह की हानि ही होती है, लाभ नहीं ।
३. इसी प्रकार हीनशक्ति पार्ष्णिग्राही, अल्पारंभ पार्ष्णिग्राही और कुछ सेना ले जाने वाले पार्ष्णिग्राही राजाओं के संबन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।
४. सर्वथा समानशक्ति शत्रुओं में उसी का पार्ष्णिग्राह बनने में विशेष लाभ

सन्धत्ते । धार्मिकामियोगी हि स्वेषां च द्वेष्यो भवति ।
अधार्मिकामियोगी सम्प्रियः ।

१. तेन मूलहरतादात्विककदर्याभियोगिनां पार्ष्णिग्रहणं व्याख्यातम् ।
२. मित्राभियोगिनोः पार्ष्णिग्रहणे त एव हेतवः ।
३. मित्रममित्रं चाभियुञ्जानयोर्यो मित्राभियोगिनः पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽतिसन्धत्ते । मित्राभियोगी हि सुखेनावाप्तसिद्धिः पार्ष्णि-ग्राहमुञ्छिन्द्यात् । सुकरो हि मित्रेण सन्धिर्नामित्रेणेति ।

है, जिसने अपने किसी धर्मात्मा शत्रु पर आक्रमण किया हो । क्योंकि ऐसा करने पर अपने और पराये सभी उससे द्वेष करने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में पार्ष्णिग्राह सरलता से ही उसको अपने वश में कर सकता है । परन्तु अधर्मी शत्रु पर आक्रमण करनेवाला राजा सभी का प्रिय हो जाता है, और वह निश्चित ही अपने शत्रु को जीत लेता है इसलिए ऐसे राजा का पार्ष्णिग्राह बनने में कोई लाभ नहीं है ।

१. इसी प्रकार मूलहर, तादात्विक और कदर्य राजाओं पर आक्रमण करने वाले पार्ष्णिग्राह के लाभालाभ के संबन्ध में भी समझना चाहिए—मूलहर और तादात्विक में से मूलहर पर और तादात्विक तथा कदर्य में से कदर्य पर आक्रमण करने में विशेष लाभ है ।
२. मित्रराजाओं का पार्ष्णिग्रहण बनने के भी वे ही नियम समझने चाहिए, जो कि अतिसंधि में निर्देश किए गये हैं ।
३. मित्र और शत्रु पर आक्रमण करने वाले राजाओं में से, जो मित्र पर आक्रमण करने वाले राजा का पार्ष्णिग्राह बनता है वही विशेष लाभ में रहता है । क्योंकि मित्र पर आक्रमण करने वाला राजा सहज ही में सिद्धि प्राप्त कर लेता है और बलवान् होकर वह पार्ष्णिग्राह का भी उच्छेद कर सकता है । इसके विपरीत, क्योंकि मित्र के साथ संधि हो जाना सुकर होता है, शत्रु के साथ कठिनता से ही संधि हो सकती है । अतः शत्रु पर आक्रमण करने वाला राजा न तो सिद्धिलाभ कर सकता है और न तो पार्ष्णिग्राह की कुछ हानि कर सकता है ।

१. मित्रममित्रं चोद्धरतोयोंऽमित्रोद्धारिणः पार्ष्णि गृह्णाति, सोऽति-
सन्धत्ते । वृद्धमित्रो ह्यमित्रोद्दारी पार्ष्णिग्राहमुच्छिन्द्यात्, नेतरः
स्वपक्षोपघाती ।
२. तयोरलब्धलाभापगमने यस्यामित्रो महतो लाभाद्वियुक्तः
क्षयव्ययाधिको वा, स पार्ष्णिग्राहोऽतिसन्धत्ते । लब्धलाभाप-
गमने यस्यामित्रो लाभेन शक्त्या हीनः, स पार्ष्णिग्राहोऽ-
तिसन्धत्ते । यस्य वा यातव्यः शत्रोर्विग्रहापकारसमर्थः स्यात् ।
३. पार्ष्णिग्राहयोरपि यः शक्यारम्भत्रलोपादानाधिकः .स्थित-
शत्रुः पार्श्वस्थायी वा सोऽतिसन्धत्ते । पार्श्वस्थायी हि यात-

१. मित्र और शत्रु का उन्मूलन (उद्धार) करने वाले राजाओं में से जो शत्रु का उद्धार करने वाले राजा का पार्ष्णिग्राह बनता है वही विशेष लाभ में रहता है । क्योंकि शत्रु का उद्धार करने वाला राजा स्वपक्ष और मित्रपक्ष से सपन्न होकर पार्ष्णिग्राह का भी उच्छेद कर सकता है । परंतु दूसरा, जो मित्र का ही उन्मूलन करना चाहता है, अपने ही पक्ष का घातक होने के कारण, कभी भी पार्ष्णिग्राह का उच्छेद नहीं कर सकता है ।
२. मित्र और शत्रु का उन्मूलन करने वाले राजाओं के कोई विशेष लाभ प्राप्त किए बगैर ही लौट आने पर, उनमें से ऐसे शत्रु पर आक्रमण करने में लाभ है, जिमने कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया और जिसका अधिक क्षय—व्यय हुआ हो । क्योंकि वह शत्रु को क्षीण कर पार्ष्णिग्राह को भी हानि पहुँचा सकता है । किन्तु विशेष लाभ प्राप्त करके लौट आने पर जिसका शत्रु लाभ तथा शक्ति से हीन हो, ऐसे आक्रमणकारी राजा का पार्ष्णिग्राह बनने में लाभ रहता है । क्योंकि लाभ और शक्ति से संपन्न शत्रु को वश में न कर सकने के कारण वह पार्ष्णिग्राह का कुछ नहीं विगाड़ पाता है । अथवा जो यातव्य और विजिगीषु के साथ युद्ध करके अपकार करने में असमर्थ हो उसकी पार्ष्णि को दबाने वाला राजा भी विशेष लाभ में रहता है ।
३. दो समान गुण वाले पार्ष्णिग्राह राजाओं में वही पार्ष्णिग्राह विशेष लाभ में रहता है, जिसके पास कार्यसिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा अधिक सेना हो और जो दुर्ग आदि से संपन्न हो; अथवा जो यातव्य का पड़ोसी हो । क्योंकि

व्याभिसारो मूलबाधकश्च भवति । मूलाबाधक एव पश्चात्स्थायी ।

१. पार्णिग्राहास्त्रयो ज्ञेयाः शत्रोश्चेष्टानिरोधकाः ।
सामन्ताः पृष्ठतोवर्गः प्रतिवेशौ च पार्श्वयोः ॥
२. अरेर्नेतुश्च मध्यस्थो दुर्वलोऽन्तर्धिरुच्यते ।
प्रतिघाते बलवतो दुर्गाटव्यपसारवान् ॥
३. मध्यमं त्वरिविजिगीष्वोर्लिप्समानयोर्मध्यमस्य पार्णिं गृह्णतो
लब्धलाभापगमने यो मध्यमं मित्राद्वियोजयति, अमित्रं च
मित्रमाप्नोति, सोऽतिसन्धत्ते । सन्धेयश्च शत्रुरूपकुर्वाणो, न
मित्रं मित्रभावादुत्क्रान्तम् ।
४. तेनोदासीनलिप्सा व्याख्याता ।
५. 'पार्णिग्रहणाभियानयोस्तु मन्त्रयुद्धादभ्युच्चयः । व्यायामयुद्धे

निकटवर्ती को यदि विशेष लाभ होता है तो वह यातव्य के साथ मिलकर विजिगीषु के मूलस्थान को भी बाधा पहुँचा सकता है । परंतु दूर रहनेवाले से बाधा की भाशंका नहीं रहती है ।

१. शत्रु के कार्य व्यापार को रोकने वाले पार्णिग्राह तीन प्रकार के होते हैं :
(१) आक्रमण करने वाले राजा के समीपवर्ती (२) पीछे रहने वाले और (३)
इधर-उधर के, पार्श्ववर्ती ।
२. आक्रमणकारी विजिगीषु और उसके शत्रु के बीच का दुर्बल राजा अंतर्धि
कहलाता है । केवल बलवान् का मुकाबला होने पर वह दुर्ग तथा घने जंगल
(अटवी) में छिप जाता है । इसीलिए उसका ऐसा अन्वर्थ नाम पड़ा ।
३. मध्यम राजा को वश में करने की इच्छा रखने वाले शत्रु और विजिगीषु,
दोनों में वही विशेष लाभ में रहता है, जो उसका पार्णिग्राह बनता है;
और वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त कर मध्यम राजा को अपने मित्र से अलग
कर देता है तथा जो स्वयं अपने शत्रु तक को अपना मित्र बना लेता है ।
उपकार करनेवाले शत्रु के साथ भी संधि कर लेनी चाहिए और मित्रभाव से
शून्य अपकार करने वाले मित्र को भी छोड़ देना चाहिए ।
४. इसी प्रकार उदासीन राजा को वश में कर लेना चाहिए ।
५. पार्णिग्राह और आक्रमणकारी, इन दोनों राजाओं में वही अधिक उन्नत हो

हि क्षयव्ययाभ्यामुभयोरवृद्धिः । जित्वापि हि क्षीणदण्डकोशः
पराजितो भवति' इत्याचार्याः ।

१. नेति कौटिल्यः । सुमहतापि क्षयव्ययेन शत्रुविनाशोऽभ्युप-
गन्तव्यः ।
२. तुल्ये क्षयव्यये यः पुरस्ताद् दूष्यबलं घातयित्वा निश्शल्यः
पश्चाद्दूष्यबलो युद्धयेत, सोऽतिसन्धत्ते ।
३. द्वयोरपि पुरस्ताद्दूष्यबलघातिनोर्यो बहुलतरं शक्तिमत्तर-
मत्यन्तदूष्यं च घातयेत्, सोऽतिसन्धत्ते ।
४. तेनामित्राटवीबलघातो व्याख्यातः ।

सकता है, जो मंत्रयुद्ध से शत्रु का नाश करता है । साधारणतया युद्ध दो प्रकार का होता है (१) व्यायाम युद्ध और (२) मंत्रयुद्ध । युद्धभूमि में उतर कर शस्त्रास्त्र आदि के उपायों द्वारा शत्रु को विच्छिन्न कर देना व्यायामयुद्ध कहलाता है; और विना युद्धभूमि में गए ही सभी तीक्ष्ण आदि गुणधरों द्वारा शत्रु का नाश कराना मंत्रयुद्ध कहलाता है । इन दोनों में मंत्रयुद्ध ही उन्नति का कारण है; क्योंकि व्यायाम युद्ध में क्षय-व्यय होता है । तथैव युद्ध में जीत जाने पर भी सेना और कोष के क्षीण हो जाने के कारण वह राजा प्रायः पराजित-सा ही हो जाता है । यह प्राचीन आचार्यों की राय है ।

१. इसके विपरीत कौटिल्य का कहना है कि चाहे कितना ही क्षय-व्यय क्यों न हो, हर हालत में शत्रु का नाश करना ही उद्देश्य होना चाहिए ।
२. मनुष्य तथा धन की बराबर हानि होने पर जो राजा पहिले अपने दूष्यबल-को समाप्त कर फिर निष्कण्टक हो अपनी नियमित सेना को साथ लेकर युद्ध करता है वही विशेष लाभ में रहता है ।
३. यदि दोनों राजा पहिले अपने दूष्यबल को ही समाप्त कर डालते हैं तो उनमें से वही अधिक लाभ में रहता है, जो पहिले बहुसंख्यक शक्तिशाली दूष्यबल को समाप्त करवा डालता है ।
४. दूष्यबल की ही भाँति शत्रुबल और अटवीबल के संबंध में भी समझ लेना चाहिए ।


१. पार्ष्णिग्राहोऽभियोक्ता वा यातव्यो वा यदा भवेत् ।
विजिगीषुस्तदा तत्र नैत्रमेतत्समाचरेत् ॥
२. पार्ष्णिग्राहो भवेन्नेता शत्रोर्मित्राभियोगिनः ।
विग्राह्य पूर्वमाक्रन्दं पार्ष्णिग्राहाभिसारिणा ॥
३. आक्रन्देनाभियुञ्जानः पार्ष्णिग्राहं निवारयेत् ।
तथाक्रन्दाभिसारेण पार्ष्णिग्राहाभिसारिणम् ॥
४. अरिमित्रेण मित्रं च पुरस्तादवघट्टयेत् ।
मित्रमित्रमरेश्चापि मित्रमित्रेण वारयेत् ॥
५. मित्रेण ग्राहयेत्पार्ष्णिमभियुक्तोऽभियोगिनः ।
मित्रमित्रेण चाक्रन्दं पार्ष्णिग्राहान्निवारयेत् ॥
६. एवं मण्डलमात्मार्थं विजिगीषुर्निवेशयेत् ।

१. विजिगीषु जब पार्ष्णिग्राह, अभियोक्ता अथवा यातव्य हो, उस समय उसे नीचे बताये तरीकों से नेतृत्व करना चाहिए ।
२. विजिगीषु को यही उचित है कि वह अपने मित्र पर आक्रमण करनेवाले शत्रु के पृष्ठवर्ती मित्र (आक्रन्द) को पहिले अपने मित्र की सेना के साथ भिड़ाकर फिर स्वयं उसकी पार्ष्णि को ग्रहण करे ।
३. यदि विजिगीषु स्वयं ही आक्रमणकारी हो तो वह अपने पार्ष्णिग्राह को अपने मित्र राजा द्वारा वारित करे और पार्ष्णिग्राह की सेना का मुकाबला अपने मित्र की सेना के द्वारा करे ।
४. इस प्रकार अपने पीछे का प्रबन्ध कर सामने से कोई शत्रु मुकाबले में आवे तो उससे अपने मित्र को भिड़ा दे । मदद के लिए यदि शत्रु के मित्र का मित्र आवे तो उसका मुकाबला अपने मित्र के मित्र से करे ।
५. यदि विजिगीषु के ऊपर ही चढ़ाई की गई हो तो अपने मित्र को अपने उस आक्रमणकारी का पार्ष्णिग्राह बना दे । यदि आक्रमणकारी का कोई मित्र उस पार्ष्णिग्राह का मुकाबला करने के लिए आवे तो उस अपने मित्र पार्ष्णिग्राह के मित्र द्वारा उसका निवारण करे ।
६. इस प्रकार विजिगीषु, मित्ररूप प्रकृति की पूर्वोक्त गुणसमृद्धि से युक्त राज-

पृष्ठतश्च पुरस्ताच्च मित्रप्रकृतिसम्पदा ॥

१. कृत्स्ने च मण्डले नित्यं दूतान् गूढाँश्च वासयेत् ।
मित्रभूतः सपत्नानां हत्वा इत्वा च संवृतः ॥
२. असंवृतस्य कार्याणि प्राप्तान्यपि विशेषतः ।
निस्संशयं विपद्यन्ते भिन्नप्लव ह्वोदधौ ॥

इति पाद्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे पाणिग्राहचिन्ता नाम त्रयोदशोऽध्यायः
आदितः एकादशोत्तरशततमः ।



मंडल को अपनी सहायता के लिए आगे और पीछे ठीक तरह से स्थापित करे ।

१. अपनी सहायता के लिए स्थापित किए हुए उस संपूर्ण राजमंडल में गुप्तचरों और दूतों का सदा उत्तम प्रबंध रखे ; और शत्रुओं के साथ ऊपर से मित्रता के भाव रखकर एक-एक करके उन्हें मार दे तथा ऊपर से उदासीन एव निष्पक्ष बना रहे ।
२. जो राजा अपने गुप्त विचारों या गुप्त मन्त्रणाओं को छिपा कर नहीं रख सकता है वह उन्नतावस्था में पहुँचकर भी नीचे गिर जाता है । समुद्र में नाव के फट जाने से जो दशा सवार की होती है, ठीक वही दशा मंत्र के फूट जाने पर राजा की होती है ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।



हीनशक्तिपूरणम्

१. सामवायिकैरेवमभियुक्तो विजिगीषुर्यस्तेषां प्रधानस्तं ब्रूयात्—
'त्वया मे सन्धिः, इदं हिरण्यमहं च मित्रम्, द्विगुणा ते वृद्धिः, नार्हस्यात्मक्षयेण मित्रमुखानमित्रान् वर्धयितुम्, एते हि वृद्धास्त्वामेव परिभविष्यन्ति' ।
२. भेदं वा ब्रूयात्—'अनपकारो यथाऽहमेतैः सम्भूयाभियुक्तः तथा त्वामप्येते संहितबलाः स्वस्था व्यसने वाऽभियोक्ष्यन्ते । बलं हि चित्तं विकरोति, तदेषां विघातय' इति ।
३. भिन्नेषु प्रधानमुपगृह्य हीनेषु विक्रमयेत् । हीनाननुग्राह्य वा

दुर्बल विजिगीषु के लिए शक्ति-संचय के साधन

१. यदि अनेक राजा मिलकर विजिगीषु पर एक साथ आक्रमण करें तो विजिगीषु उन राजाओं के सुखिया से इस प्रकार कहे : 'मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ; यह रहा हिरण्य । अब से मैं आपका मित्र हूँ । आपका भी दुगुना लाभ हो गया है । इसलिए अपने जन-धन का नुकसान कर इन ऊपरी मित्रों को बढ़ावा देना अब आपको उपयुक्त नहीं है । बाद में ये आप पर ही टूट पड़ेंगे । इसलिए आपको इनका साथ नहीं देना चाहिए ।'
२. यदि ऐसा संभव न हो तो उनकी आपस में फूट करा दे । फूट डालने के लिए वह कहे कि 'जैसे सुहृन्निपराध पर इन सबने आक्रमण किया है, वैसे स्वयं उन्नत होने पर या आपके विपत्तिकाल में ये आप पर भी अवश्य आक्रमण करेंगे क्योंकि एकत्र बल अवश्य ही चित्त को विकृत कर देता है । इसलिए आपके लिए उचित यही है कि अभी से आप इनके संगठित बल को छिन्न-भिन्न कर दे ।'
३. इस प्रकार जब उनमें फूट हो जाय तब उनमें से किसी प्रधान को अग्रसर

प्रधाने । यथा वा श्रेयोऽभिमन्येत, तथा । वैरं वा परैर्ग्राहयित्वा विसंवादयेत् ।

१. फलभूयस्त्वेन वा प्रधानमुपजाप्य सन्धि कारयेत् । अथोभय-वेतनाः फलभूयस्त्वं दर्शयन्तः सामवायिकान् 'अतिसंहिताः स्थ' इत्युद्दूषयेयुः । दुष्टेषु सन्धि दूषयेत् । अथोभयवेतना भूयो भेदमेपां कुर्युः—'एवं तद्यदस्माभिर्दर्शितम्' इति । भिन्नेष्वन्यतमोपग्रहेण वा चेष्टेत ।
२. प्रधानाभावे सामवायिकानामुत्साहयितारं स्थिरकर्माणमनु-रक्तप्रकृतिं लोभाद्भयाद्वा सङ्घातमुपगतं विजिगीषोर्भीतं राज्य-प्रतिसम्बन्धं मित्रं चलामित्रं वा पूर्वानुत्तराभावे साधयेत् ।

करके हीनबल वाले शत्रु पर आक्रमण कर दे । अथवा हीनबल वाले राजाओं को अपनी ओर मिलाकर समवायिकों के प्रधान पर ही चढ़ाई कर दे । अथवा जिस तरह अपना काम बन सके, वैसा करे । अथवा उनमें से प्रत्येक के हृदय में परस्पर घृणाभाव पैदा कर उन्हें विघटित कर दे ।

१. अथवा बहुत-सा धन लेकर उस मुखिया को फोड़ डे और खुद जाकर दूसरे राजाओं से चुपचाप सन्धि कर ले । उसके बाद विजिगीषु के उभय वेतन भोगी गुप्तचर उन संगठित राजाओं से, मुखिया को मिली भारी रकम की बात सुनाते हुए उनसे 'तुम सबको उसने ठग लिया है' ऐसा कह कर भड़काये । जब संगठित राजा मुखिया के विरुद्ध हो जाँय तो मुखिया के साथ की गई संधि को तोड़ दे । उसके बाद उभयवेतनभोगी गुप्तचर कहे 'देखो, मैंने पहिले ही कहा था कि मुखिया राजा ने भारी रकम मारी है । तभी तो गड़बड़ हो जाने के कारण इसने विजिगीषु के साथ संधि को तोड़ दिया है । हम इस बात को पहले ही कह चुके थे ।' जब वे आपस में फूट जाँय तो दोनों पक्षों में से किसी एक का सहारा लेकर दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई आरंभ कर दे ।

२. यदि उन संगठित राजाओं में कोई प्रधान न हो तो उनको उत्साहित करने वाला, स्थिरकर्मा, अनुरक्तप्रकृति, लोभ या भय से संधि में शामिल न होने वाला, विजिगीषु से भयभीत, अपने राज्य से संबन्धित, अपना ही

१. उत्साहयितारमात्मनिसर्गेण, स्थिरकर्माणं सान्त्वप्रणिपातेन, अनुरक्तप्रकृति कन्यादानयापनाभ्यां, लुब्धमंशद्वैगुण्येन, भीतमेभ्यः कौशदण्डानुग्रहेण, स्वतो भीतं विश्वासयेत्प्रतिभूपदानेन, राज्यप्रतिसम्बन्धमेकीभावोपगमनेन, मित्रमुभयतः प्रियाहिताभ्यामुपकारत्यागेन वा, चलामित्रमवधृतमनपकारोपकाराभ्याम् ।
२. यो वा यथायोगं भजेत, तं तथा साधयेत् । सामदानभेददण्डैर्वा यथापत्सु व्याख्यास्यामः ।

मित्र और खल शत्रु हो तो इन्हें ही वश में करना चाहिए । इनमें अगले-अगले राजा को वश में करने का यत्न करे ।

१. उत्साही राजा से विजिगीषु यों कहे 'मैं अपनी सारी प्रकृति और पुत्रादि-सहित आपके अधीन हूँ । अपनी इच्छानुसार जिस कार्य पर चाहें मुझे लगा सकते हैं; किन्तु मेरा उच्छेद न कीजिए ।' इस प्रकार आत्मसमर्पण करके उसको वश में करे । स्थिरकर्मा को 'आपने मुझे जीत लिया है' कह कर वश में करे । अनुरक्तप्रकृति राजा को अपनी कन्या देकर वश में करे । लोभी राजा को दुगुना हिस्सा देकर; अपने आप से डरे हुए राजा को विश्वास दिला कर वश में करे । इसी प्रकार अपने राज्य से संबंध रखने वाले राजा को—'मैं और आप एक ही हूँ । मेरी पराजय में आपकी भी पराजय है । दूसरों के साथ मिल कर मुझ पर आक्रमण करना आपको शोभा नहीं देता है ।' ऐसी आत्मीयता का भाव जताकर अपने वश में करे । मित्र राजा को प्रिय और हितकर वचनों तथा उससे लिय गया कर उसे वापिस दे, अपने वश में करे । अस्थिर शत्रु राजा को, उसका उपकार करने तथा अपकार न करने की प्रतिज्ञा से, वश में करे ।

२. अथवा इन संगठित राजाओं में जो जिस तरीके से वश में किया जा सके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे; अथवा साम, दाम आदि उपायों से उनको वश में करे; जैसा कि आपत्प्रकरण में आगे बताया जायगा ।

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण ११८, अध्याय १४

१. व्यसनोपघातत्वरितो वा कोशदण्डाभ्यां देशे काले कार्ये वावृत्तं सन्धिमुपेयात् । कृतसन्धिहीनमात्मानं प्रतिकुर्वीत ।
२. पक्षे हीनो चन्धुमित्रपक्ष कुर्वीत, दुर्गमविपक्षं वा । दुर्गमित्र-प्रतिस्तब्धो हि स्वेषां परेषां च पूज्यो भवति ।
३. मन्त्रशक्तिहीनः प्राज्ञपुरुषोपचयं विद्यावृद्धसंयोगं वा कुर्वीत । तथाहि सद्यः श्रेयः प्राप्नोति ।
४. प्रभावहीनः प्रकृतियोगक्षेमसिद्धौ यतेत । जनपदः सर्वकर्मणां योनिः, ततः प्रभावः ।
५. तस्य स्थानमात्मनश्च आपदि दुर्गम् ।
६. सेतुबन्धः सस्यानां योनिः । नित्यानुपक्तो हि वर्षगुणलाभः सेतुवापेषु ।

-
१. अथवा विजिगीषु राजा आसन्न विपत्ति को शीघ्र ही दूर करने की इच्छा रखकर संगठित राजाओं से, सेना और कोष के द्वारा सहायता देने की शर्त पर, संधि कर ले; और अपनी कमजोरियों को दूर करने का यत्न करे ।
 २. मित्र-रहित विजिगीषु को चाहिए कि वह अधिकाधिक राजाओं को अपना मित्र बनाये । या अभेद्य दुर्गों को बनवाये, क्योंकि मित्रसंपन्न और दुर्गसंपन्न विजिगीषु के विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है ।
 ३. बुद्धिवल (मन्त्रशक्ति) से हीन राजा को चाहिए कि वह बुद्धिमान पुरुषों का संग्रह कर विद्यावृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों की संगति करे । ऐसा करने से राजा शीघ्र ही अपना कल्याण करता है ।
 ४. प्रभुशक्ति (प्रभाव) से हीन राजा को चाहिए कि वह अपनी अमात्य प्रकृति तथा प्रजाजनों के योग-क्षेम के लिए महान् यत्न करे । क्योंकि जन-पद ही सभी कार्यों की सिद्धि का मूल है । उसीसे कोष तथा सेना का संग्रह और दुर्गों का निर्माण किया जाता है । तभी प्रभावशाली बना जा सकता है ।
 ५. उस प्रभाव का मूल दुर्ग ही है और उसी दुर्ग से विपत्तिकाल में अपनी भी रक्षा होती है ।
 ६. अन्न आदि की उपपत्ति के प्रमुख कारण बाँध हैं । क्योंकि जो अन्न हमें

१. वणिक्पथः परातिसन्धानस्य योनिः, वणिक्पथेन हि दण्ड-
गूढपुरुषातिनयनं शस्त्रावरणयानवाहनक्रयश्च क्रियते । प्रवेशो
निर्नयनं च ।
२. खनिः संग्रामोपकरणानां योनिः ।
३. द्रव्यवनं दुर्गकर्मणां, यानरथयोश्च ।
४. हस्तिवनं हस्तिनाम् ।
५. गजाश्चखरोष्ट्राणां च व्रजः ।
६. तेषामलाभे बन्धुमित्रकुलेभ्यः समार्जनम् ।
७. उत्साहहीनः श्रेणीप्रवीरपुरुषाणां चोरगणाटविकम्लेच्छजातीनां
परापकारिणां गूढपुरुषाणां च यथालाभमुपचयं कुर्वीत ।

केवल वृष्टि के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, बाँधों एवं जलाशयों के द्वारा उन अन्नो को हम सदा ही प्राप्त कर सकते हैं ।

१. व्यापारिक मार्ग शत्रुओं को धोखा देने के प्रधान कारण हैं, क्योंकि इन्होंने मार्गों द्वारा शत्रुदेश में सेना, तीक्ष्ण, रसद आदि पुरुषों को तथा अस्त्र शस्त्र को भेजा जा सकता है और घोड़े आदि के क्रय-विक्रय का कार्य शत्रु देश में किया जा सकता है । इन्हीं मार्गों के द्वारा दूसरे देशों के साथ वस्तु-विनिमय और यातायात होता है ।
२. युद्ध के सभी उपकरणों का मूल स्थान खान है ।
३. दुर्गों और राजप्रासादों के मूल कारण लकड़ियों के जंगल हैं । इसी प्रकार रथ तथा अन्य सवारियों के कारण भी जंगलात ही हैं ।
४. हाथियों की उत्पत्ति के मूल कारण हस्तिवन हैं ।
५. हाथी, घोड़े, गधे और ऊँट आदि पशुओं की उत्पत्ति का कारण व्रज (गोष्ठ) है ।
६. यदि उपर्युक्त साधन अपने राज्य में उपलब्ध या उत्पन्न न हों तो उन्हें अपने मित्रों तथा बंधुओं के कुलों से प्राप्त करना चाहिए ।
७. उत्साहहीन राजा को चाहिए कि वह श्रेणीपुरुषों, शूरवीरों, शत्रुओं का अप-
कार करने वाले, चोरों आटविकों म्लेच्छों और गुप्तचरों का अपने लाभ के लिए संग्रह करे ।

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण ११८, अध्याय १४

१. परमिश्रः प्रतीकारमावलीयसं वा परेषु प्रयुञ्जीत ।

२. एवं पक्षेण मन्त्रेण द्रव्येण च बलेन च ।
सम्पन्नः प्रतिनिर्गच्छेत् परावग्रहमात्मनः ॥


इति पाद्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे हीनशक्तिपूरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः;
आदितो द्वादशोत्तरशततमः ।



१. शत्रुओं का बनावटी मित्र बनकर उनका प्रतीकार करता रहे, अथवा पीछे बताये गये आवलीयस अधिकरण के उपायों द्वारा शत्रुओं का प्रतीकार करता रहे ।

२. इस प्रकार बंधु, मित्र, विद्यावृद्ध पुरुषों की संगति से तथा दुर्ग, सेतुबंध से उत्पन्न द्रव्य द्वारा और श्रेणी आदि बल से अपनी शक्ति को पूर्ण करता हुआ विजिगीषु सदैव अपने शत्रु का प्रतीकार करता रहे ।

पाद्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में चौदहवाँ अध्याय समाप्त ॥



संस्करण ११९-१२०

अध्याय १५

बलवता विगृह्योपरोधहेतवः

दण्डोपनृतनृतं च

१. दुर्बलो राजा बलवताऽभियुक्तस्तद्विशिष्टबलमाश्रयेत्, यमितरो मन्त्रशक्त्या नातिसन्दध्यात् ।
२. तुल्यबलमन्त्रशक्तीनामायत्तसम्पदो वृद्धसंयोगाद्वा विशेषः ।
३. विशिष्टबलाभावं समबलैस्तुल्यबलसङ्घैर्वा बलवतः सम्भूय तिष्ठेत्, यावन्न मन्त्रप्रभावशक्तिभ्यामतिसन्दध्यात् ।

बलवान् शत्रु और विजित शत्रु के साथ व्यवहार

१. यदि कोई बलवान् राजा किसी दुर्बल राजा पर आक्रमण करे तो उस दुर्बल राजा को चाहिए कि वह अपने आक्रमणकारी राजा से भी बलवान् किसी ऐसे राजा का आश्रय प्राप्त करे, जिसको कि वह आक्रमणकारी राजा भी मन्त्रशक्ति आदि से फोड़ न सके ।
२. यदि अनेक समान सैन्यशक्ति और मन्त्रशक्ति के राजा हों तो उनमें उसी का आश्रय प्राप्त किया जाय, जिसका प्रकृतिमण्डल बुद्धिमान् हो । यदि इस तरह के भी बहुत-से राजा हों तो उनमें भी उसी का आश्रय लेना चाहिए, जो अत्यन्त अनुभवी विद्वानों से युक्त हो ।
३. यदि आक्रमणकारी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा आश्रय के लिये न मिले तो विजिगीषु को चाहिए कि वह समान शक्ति वाले या समान सैन्य बल वाले अनेक राजाओं के साथ मिलकर अपने शक्तिशाली आक्रमणकारी का तब तक मुकाबला करता रहे, जब तक कि वह शत्रु उन सब मिले हुए राजाओं को मन्त्रशक्ति तथा प्रभावशक्ति के द्वारा अलग-अलग न कर दे ।

१. तुल्यमन्त्रप्रभावशक्तीनां विपुलारम्भतो विशेषः ।
२. समबलाभावे हीनबलैः शुचिभिरुत्साहिभिः प्रत्यनीकभूतैर्बलवतः सम्भूय तिष्ठेत्, यावन्न मन्त्रप्रभावोत्साहशक्तिभिरतिसन्दध्यात् । तुल्योत्साहशक्तीनां स्वयुद्धभूमिलाभाद्विशेषः । तुल्यभूमीनां स्वयुद्धकाललाभाद्विशेषः । तुल्यदेशकालानां युग्यशस्त्रावरणतो विशेषः ।
३. सहायाभावे दुर्गमाश्रयेत, यत्रामित्रः प्रभूतसैन्योऽपि भक्तयवसेन्धनोदकोपरोधं न कुर्यात्, स्वयं च क्षयव्ययाभ्यां युज्येत ।
४. तुल्यदुर्गाणां निचयापसारतो विशेषः । निचयापसारसम्पन्नं हि मनुष्यदुर्गमिच्छेदिति कौटिल्यः ।

१. यदि आश्रय लेने योग्य इस प्रकार के अनेक राजा हों तो उनमें से विपुलारंभ राजा का ही आश्रय प्राप्त किया जाय ।
२. यदि समशक्ति राजा भी आश्रय के लिए न मिले तो आक्रमणकारी के प्रबल विरोधी उत्साही, पवित्रहृदय, बलवान् और बहुत से हीनशक्ति राजाओं के साथ मिलकर तबतक अपने शत्रु का मुकाबला करता रहे, जब तक कि अपनी सहायता करने वाले इन राजाओं में मंत्रशक्ति तथा प्रभावशक्ति से भेद डालकर वह (शत्रु) अपने से अलग न कर ले । यदि इस प्रकार के भी बहुत से राजा आश्रय के लिए मिलें तो उनमें से वही श्रेष्ठ है जिसके पास युद्ध के योग्य अपनी भूमि हो । यदि इस प्रकार युद्धयोग्य भूमि भी अनेक राजाओं के पास मिले तो उनमें उसी का आश्रय लेना चाहिए, जिससे अपने अनुकूल, युद्ध के योग्य समय भी मिल सके । यदि देश और काल भी अनेक के पास हों तो उनमें से उसी का आश्रय लेना चाहिए, जिसके पास विपुल युद्ध-सामग्री हो ।
३. यदि सहायता करने वाला कोई भी राजा आश्रय के लिए न मिले तो ऐसे दुर्ग का सहारा लेना चाहिए जहाँ पर अधिक सैन्यसंपन्न शत्रु भी अपने तथा अपने पशुओं के भोजन योग्य अपेक्षित पदार्थों और ईंधन, जल आदि के लिए किसी प्रकार की रुकावट न करे । उल्टे शत्रु ही का क्षय-व्यय होता रहे ।
४. यदि इस प्रकार के अनेक दुर्ग आश्रय के योग्य मिलें तो उनमें से वही दुर्ग

१. तदेभिः कारणैराश्रयेत—

२. 'पार्ष्णिग्राहमासारं मध्यममुदासीनं वा प्रतिपादयिष्यामि । सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धानामन्यतमेनास्य राज्यं हारयिष्यामि घातयिष्यामि वा । कृत्यपक्षोपग्रहेण वास्य दुर्गे राष्ट्रे स्कन्धावारे वा कोपं समुत्थापयिष्यामि । शस्त्राग्निरसप्रणिधानैरौपनिषदिकैर्वा यथेष्टमासन्नं हनिष्यामि । स्वयमधिष्ठितेन वा योगप्रणिधानेन क्षयव्ययमेनमुपनेष्यामि । क्षयव्ययप्रवासोपतप्ते वास्य मित्रवर्गे सैन्ये वा क्रमेणोपजापं प्राप्स्यामि ।

श्रेष्ठ है, जहाँ तेल, नमक आदि नित्य वस्तुओं का अच्छा संचय हो और अवज्रर आने पर जहाँ से निकल जाने की भी आशा हो । क्योंकि आचार्य कौटिल्य का भी यही कहना है कि 'ऐसे ही दुर्ग का आश्रय लिया जाय, जिसमें तेल, नमक आदि नित्य सामग्री हो और जिससे भाग निकलने की संभावना हो ।'

१. नीचे गिनाये कारणों में यदि कोई भी कारण उपस्थित हो तो दुर्ग का आश्रय लेना चाहिए । कारण इस प्रकार हैं :

२. (१) यदि विजिगीषु यह समझे कि मैं पार्ष्णिग्राह, मित्रबल, मध्यम अथवा उदासीन राजा को अपने शत्रु के मुकाबले में युद्ध करने के लिए सहा कर सकूंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (२) अथवा यदि समझे कि सामन्त, आटविक या आक्रमणकारी के विरोधी उसी के किसी वंशज द्वारा उसका राज्य हरण करा लेंगा या उसको मरवा डालेंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (३) अथवा यदि समझे कि आक्रमणकारी के कर्मचारियों को वश में करके उसके दुर्ग, राष्ट्र तथा उसकी छावनी में विप्लव करा दूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (४) अथवा यदि समझे कि हथियार, अग्नि, विष आदि का प्रयोग करने वाले गुप्तचरों द्वारा या औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट प्रयोगों द्वारा पास आये आक्रमणकारी को मरवा डालेंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (५) अथवा यदि समझे कि स्वयं अधिष्ठित या योगप्रणिधान द्वारा शत्रु का अच्छी तरह क्षय-व्यय कर सकूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (६) अथवा यदि समझे कि क्षय, व्यय और प्रवास से संतप्त शत्रु के मित्रवर्ग तथा सेना में धीरे-धीरे भेद डाल दूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (७) अथवा यदि समझे कि शत्रु

वीवधासारप्रसारवधेन वास्य स्कन्धावारावग्रहं करिष्यामि ।
दण्डोपनयेन वास्य रन्ध्रमुत्थाप्य सर्वसन्दोहेन प्रहरिष्यामि ।
प्रतिहतोत्साहेन वा यथेष्टं सन्धिमवाप्स्यामि । मयि प्रति-
बन्धस्य वा सर्वतः कोपाः समुत्थास्यन्ति । निरासारं वास्य
मूलं मित्राटवीदण्डैरुद्धातयिष्यामि । महतो वा देशस्य योग-
क्षेममिहस्थः पालयिष्यामि । स्वविक्षिप्तं मित्रविक्षिप्तं वा मे
सैन्यमिहस्थस्यैकस्थमविषह्यं भविष्यति । निम्नखातरात्रियुद्ध-
विशारदं वा मे सैन्यं पथ्यावाधमुक्तमासन्ने कर्मणि करि-
ष्यति । विरुद्धदेशकालमिहागतो वा स्वयमेव क्षयव्ययाभ्यां

देश से आने वाले खाद्यपदार्थ, मित्रबल तथा घास, भूमा और हूँधन आदि को बीच में ही नष्ट करके शत्रु की छावनी को पीड़ित कर सकूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (८) अथवा यदि समझे कि अपनी कुछ सेना को शत्रु की छावनी में छिपे तौर से ले जाकर उसकी निर्वलताओं का पता लगाऊँगा और तब पूरे सैन्यबल के साथ उस पर हमला बोल दूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (९) अथवा यदि समझे कि किसी तरह शत्रु के उत्साह को दबा करके उसके साथ संधि कर लूँगा, या मुझ पर आक्रमण करने वाले शत्रु पर सारा राज-मंडल कुपित हो उठेगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (१०) अथवा यदि समझे कि मित्र द्वारा प्राप्त उसकी सैनिक सहायता को रोक कर उसकी राजधानी को अपने मित्रबल और आटविकों द्वारा रौंदा दूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (११) अथवा यह समझे कि यहीं रहकर मैं अपने महान् देश का योग-क्षेम करता रहूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (१२) अथवा यदि समझे कि यहीं पर रहकर मेरे अथवा मित्र के कार्य से अन्यत्र भेजी हुई सेना यहाँ आकर मेरे साथ मिली रहेगी और शत्रु के वश में न हो सकेगी तो दुर्ग का आश्रय ले । (१३) अथवा यदि समझे कि जमीन के नीचे खाई खोदकर और रात में युद्ध करने में चतुर मेरी सेना रास्ते की थकावट को दूर करके भवसर आने पर अच्छी तरह कार्य कर सकेगी तो दुर्ग का आश्रय ले । (१४) अथवा यदि समझे कि प्रतिकूल देश-काल में आये हुए आक्रमणकारी को अपने आप क्षय-व्यय भुगतना पड़ेगा तो दुर्ग का आश्रय ले । (१५) अथवा यदि समझे कि इस देश पर अति क्षय-व्यय सहन करने वाला

न भविष्यति । अहाक्षयव्ययाभिगम्योऽयं देशो दुर्गाटव्य-
पसारबाहुल्यात्, परेषां व्याधिप्रायः सैन्यन्यायामानामलब्ध-
भौमश्च, तमापद्रतः प्रवेश्यति । प्रविष्टो वा न निर्गमिष्यति'
इति ।

१. कारणाभावे बलसमुच्छ्रये वा परस्य दुर्गमुन्मुच्यापग-
च्छेत् । अग्निपतङ्गवदमित्रे वा प्रविशेत् । अन्यतरसिद्धिर्हि
त्यक्तात्मनो भवतीत्याचार्याः ।
२. नेत्रि कौटिल्यः । सन्धेयतामात्मनः परस्य चोपलभ्य सन्द-
धीत । विपर्यये विक्रमेण सिद्धिमपसार वा लिप्सेत ।
३. सन्धेयस्य वा दूतं प्रेषयेत् । तेन वा प्रेषितमर्थमानाभ्यां

राजा ही चढ़ाई कर पायेगा, क्योंकि यहाँ दुर्ग, जंगल और वहिर्गामी भागों की अधिकता है तो दुर्ग का आश्रय ले । (१६) और यदि समझे कि विदेश से आने वाले लोगों के लिये यह स्थान कष्टकर है । सेनाओं की कवायद के लिए भी यहाँ उचित भूमि नहीं है । इसलिये प्रत्येक आक्रमणकारी यहाँ आपद्ग्रस्त होगा । यदि किसी तरह वह यहाँ आ भी गया तो फिर उसका बाहर सकुशल निकलना कठिन है तो अवश्य ही दुर्ग का आश्रय ले ।

१. यदि उक्त परिस्थितियाँ न हों और शत्रु की सेना बहुत बलवान् एवं बहुसंख्यक हो तो पूर्वाचार्यों का कहना है कि या तो दुर्ग छोड़ कर चले जाना चाहिए अथवा अग्नि में पतंगे के समान शत्रु-सैन्य पर पिल पड़ना चाहिए । क्योंकि आत्ममोह छोड़ कर इस प्रकार लड़ाई में कूद पड़ने पर कभी-कभी जीत भी हो जाती है ।
२. इसके विपरीत कौटिल्य का कहना है कि पहिले तो शत्रु की और अपनी योग्यता को देख कर संधि कर लेनी चाहिए । यदि संधि होनी किसी तरह भी संभव न हो तो पराक्रम के द्वारा ही सिद्धिलाभ करना चाहिए । अथवा यदि समझे कि संधि होनी सर्वथा ही असंभव है तो स्थान को ही छोड़ दे ।
३. अथवा उक्त स्थिति में किसी धर्मविजेता शक्तिशाली राजा के पास अपना

सत्कृत्य ब्रूयात्—इदं राज्ञः पण्यागारम्, इदं देवीकुमाराणां देवीकुमारवचनाद्, इदं राज्यमहं च त्वदर्पणः इति ।

१. लब्धसंश्रयः समयाचारिकवद्भर्तारि वर्तेत । दुर्गादीनि च कर्माण्यावाहविवाहपुत्राभिषेकाश्वपण्यहस्तिग्रहणसत्रयात्राविहार-गमनानि चानुज्ञातः कुर्वीत । स्वभूम्यवस्थितप्रकृतिसन्धिमुप-घातमपसृतेषु वा सर्वमनुज्ञातः कुर्वीत । दुष्टपौरजानपदो वा न्यायवृत्तिरन्यां भूमिं याचेत । दूष्यवदुपांशुदण्डेन वा प्रति-कुर्वीत । उचितां वा मित्राद् भूमिं दीयमानां न प्रतिगृह्णीयात् । मन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजानामन्यतममदृश्यमाने भर्तारि पश्येत् ।

दूत भेजे । अथवा उसके भेजे हुए दूत को धन-मान से संतुष्ट कर उससे कहे, यह मेरी नृत्यवान् भेंट विजेता के लिए और यह महारानी तथा राजकुमारों की भेंट विजेता की महारानी एवं राजकुमारों के लिए लेते जाये । उनको मेरा यह संदेश भी पहुँचा दीजिए कि मेरे तथा इस राज्य के मालिक भी वे ही हैं ।

१. इस युक्ति से यदि विजेता का आश्रय मिल जाय तो समय को देखते हुए उसके साथ विजिगीषु सेवक की तरह व्यवहार करे और दुर्ग आदि कार्यों के निर्माण, विवाह, पुत्र का राज्याभिषेक, घोड़े खरीदने, हाथियों को पकड़ने, यज्ञ करने, तीर्थाटन करने और मनोविनोद के लिए बाहर जाने-आने आदि सब कार्यों को वह विजेता की अनुमति से करे । अपने राज्य के प्रकृतिमण्डल के साथ संधि आदि या उपघात अथवा दूसरे राज्य में भाग जाने वालों के लिए किसी भी प्रकार की दण्ड व्यवस्था, विजेता राजा की अनुमति से ही करे । यदि ऐसा राजा अन्यायी हो जाय या पौर जनपद उससे विरुद्ध हो जाय तो ऐसी स्थिति में वह अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर अपने निवास के लिए दूसरी भूमि की याचना करे; अथवा दूष्य द्वारा उपांशुदण्ड से उसका प्रतीकार किया जाय । यदि विजेता राजा अपने किसी पराजित मित्र राजा की भूमि छीन कर उसको दे तो उसे वह स्वीकर न करे । विजयी राजा की सेवा करते हुए पराजित राजा को चाहिए कि वह अपने मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि किसी को भी सेवक की

१. यथाशक्ति चोपकुर्यात् । दैवतस्वस्तिवाचनेषु तत्परा आशिषो
वाचयेत् । सर्वत्रात्मनिसर्गं गुणं ब्रूयात् ।
२. संयुक्तबलवत्सेवी विरुद्धः शङ्कितादिभिः ।
वर्तेत दण्डोपनतो भर्तार्येवमवस्थितः ॥

इति पाङ्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे बलवता विगृह्योपरोधहेतवः दण्डोपनतवृत्तं नाम
पञ्चदशोऽध्यायः; आदितस्त्रयोदशोत्तरशततमः ।



अवस्था में न देखे; अर्थात् उसके सेवक जब उसे देखें तो अपने स्वामी के ही रूप में देखें; किसी के सेवक के रूप में नहीं ।

१. पराजित राजा को चाहिए कि समय-समय पर वह अपने मालिक को उपहार देता रहे । देवाराधन और सांगलिक कृत्यों के अवसर पर अपने मालिक के लिए दुआयें मांगे । सबके सामने स्वयं को स्वामी का समर्पण बताये तथा उसके गुणों का कीर्तन करे ।
२. इस प्रकार अपने विजेता राजा की सेवा-करते हुए विजित राजा को चाहिए कि वह उसके शक्तिशाली अमात्य आदि के साथ सदा अनुकूल बर्ताव करे और जो विजेता के विरोधी हों या जिन पर उसका शक हो, उनके सदा वह विरुद्ध रहे ।

पाङ्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में पन्द्रहवें अध्याय समाप्त ।



प्रकरण १२१

अध्याय १६

दण्डोपनायिवृत्तम्

१. अनुज्ञातस्तद्विरण्योद्वेगकरं बलवान् विजिगीषमाणो, यतः स्वभूमिः स्वर्तुवृत्तिश्च स्वसैन्यानामदुर्गापसारः शत्रुरपार्णिणरनासारश्च, ततो यायात् । विपर्यये कृतप्रतीकारो यायात् ।
२. सामदानाभ्यां दुर्बलानुपनमयेद्, भेददण्डाभ्यां बलवतः ।
३. नियोगविकल्पसमुच्चयैश्चोपायानामनन्तरैकान्तराः प्रकृतीः साधयेत् ।
४. ग्रामारण्योपजीवित्रजवणिकपथानुपालनमुज्झितापसृतापकारिणां

अधीनस्थ राजाओं के प्रति विजेता विजिगीषु का व्यवहार

१. यदि पराजित राजा द्वारा प्रतिज्ञात हिरण्यसंधि का उल्लंघन विजेता राजा को उद्विग्न करे तो बलवान् विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रु के उस प्रदेश पर चढ़ाई कर दे, जहाँ के रास्ते उसके अपने अधिकार में हों; अपनी सेना के लिए अनुकूल समय एवं उसके खाने-पीने की पूरी सुविधा हो; जहाँ न तो शत्रु के दुर्ग हों तथा निकल भागने के लिए भी मार्ग न हो; जहाँ पर शत्रु राजा विजिगीषु से पार्णिग्राह को न भिड़ा दे; और जहाँ उसके मित्रबल का अभाव हो । यदि ऐसी कोई भी सुविधा न हो तो इन सबका प्रतीकार करके ही वह आक्रमण करे ।
२. दुर्बल राजाओं को शांति या धन देकर अपने वश में करना चाहिए और बलवान् राजा को भेद तथा दण्ड के द्वारा ।
३. नियोग, विकल्प और समुच्चय आदि उपायों से शत्रु-प्रकृति और मित्र-प्रकृति को वश में करना चाहिए ।
४. गाँव या जंगल में रहने वाली गाय, भैंसों की एवं जल, स्थल के व्यापारी मार्गों की रक्षा करना; दूसरे राजा के भय से या स्वयं अपकार करके भागे

चार्पणमिति सान्त्वमाचरेत् । भूमिद्रव्यकन्यादानमभयस्य
चेति दानमाचरेत् ।

१. सामन्ताटविकतकुलीनावरुद्धानामन्यतमोपग्रहेण कोशदण्ड-
भूमिदाययाचनमिति भेदमाचरेत् । प्रकाशकूटतूष्णीयुद्धदुर्ग-
लम्भोपायैरमित्रप्रग्रहणमिति दण्डमाचरेत् ।
२. एवमुत्साहवतो दण्डोपकारिणः स्थापयेत्, स्वप्रभाववतः
कोशोपकारिणः, प्रज्ञावतो भूम्युपकारिणः ।
३. तेषां पण्यपत्तनग्रामखनिसञ्जातेन रत्नसारफल्गुकुप्येन द्रव्य-

हुए दूष्य, अमात्य आदि प्रकृतियों को खोज-खोज कर के देना; आदि उपकार
कार्यों से शत्रु राजा के साथ सामरूप उपाय का प्रयोग करना चाहिए।
इसी प्रकार भूमिदान, द्रव्यदान, कन्यादान, अभयदान आदि उपकारों से
दुर्बल राजा के साथ दानरूप उपाय का प्रयोग करना चाहिए ।

१. विजिगीषु को चाहिए कि वह सामंत, आटविक, शत्रु राजा का संबंधी,
नजरबंद शत्रु राजा का पुत्र आदि; इनमें से किसी एक को अपने वश में
करके उसके द्वारा कोष, सेना, भूमि और दायभाग की याचना करवा कर
बलवान् राजा एवं उसके सामंत आदि के बीच भेद डाल देना चाहिए; अर्थात्
इन योजनाओं द्वारा भेदरूप उपाय का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार
प्रकाशयुद्ध (देश-काल की सूचना देकर किया जाने वाला युद्ध), कूटयुद्ध
(देश-काल की सूचना दिए बिना या गलत सूचना देकर किया जाने वाला
युद्ध) और तूष्णीयुद्ध (छिपे तौर पर गूढ़पुरुषों द्वारा शत्रु को मरवा देना),
इन तीन प्रकार के युद्धों द्वारा; तथा दुर्गलम्भोपाय प्रकरण में निर्दिष्ट
उपायों द्वारा शत्रु को वश में करना चाहिए—यही दण्डरूप उपाय के प्रयोग
का तरीका है ।
२. इस प्रकार के उपायों द्वारा अपने अधीन हुए उत्साही एवं सेना का उपकार
करने वाले राजाओं को सैनिक कार्यों पर नियुक्त किया जाय । इसी प्रकार
कोषसंपन्न व्यक्तियों को कोष संबंधी कार्यों पर और सुयोग्य मंत्रशक्ति संपन्न
व्यक्तियों को भूमि संबंधी कार्यों पर नियुक्त किया जाय, जो कि उनकी
यथोचित व्यवस्था कर सकें ।
३. अधीनस्थ मित्र राजाओं में से जो राजा बाजारों, नगरों, गांवों, खदानों से

हस्तिवनव्रजसमुत्थेन यानवाहनेन वा यद्बहुश उपकरोति तच्चित्रभोगं, यद्दण्डेन कोशेन वा महदुपकरोति तन्महाभोगं, यद्दण्डकोशभूमीरुपकरोति तत्सर्वभोगम् !

१. यदमित्रमेकतः प्रतिकरोति तदेकतोभोगि । यदमित्रमासारं चापकरोति तदुभयतोभोगि । यदमित्रासारप्रतिवेशाटविकान् सर्वतः प्रतिकरोति तत्सर्वतोभोगि ।

२. पार्ष्णिग्राहश्चाटविकः शत्रुमुख्यः शत्रुर्वा भूमिदानसाध्यः कश्चिदासाद्येत, निर्गुणया भूम्यै नमुपग्राहयेत्, अप्रतिसम्बद्धया दुर्गस्थम्, निरुपजीव्ययाटविकम्, प्रत्यादेयया तत्कुलीनम्,

उत्पादित रत्न एवं चंदन आदि पदार्थ, शंख आदि फल्गु पदार्थ तथा वस्त्र आदि द्रव्यों को देकर; अथवा लकड़ियों-हाथियों के जंगल, गाय, रथ, हाथी आदि को देकर विजिगीषु राजा का अत्यन्त उपकार करता है वह मित्र, चित्रभोग कहा जाता है। जो मित्र राजा सेना और कोष के द्वारा विजिगीषु का महान् उपकार करता है वह महाभोग कहलाता है। जो मित्र राजा सेना, कोष और भूमि आदि के द्वारा विजिगीषु का सर्वांगीण उपकार करता है उसको सर्वभोग कहते हैं।

३. अनर्थ का निवारण करके उपकार करने वाले मित्र-राजाओं में से जो राजा एक ही शत्रु का प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह एकतो-भोगी; जो मित्र राजा शत्रु और शत्रुमित्र (आसार), इन दोनों का प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह उभयतोभोगी; और जो मित्रराजा शत्रु, शत्रु-मित्र, पड़ोसी शत्रुराजा (प्रतिवेशी) तथा आटविक आदि सबका प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह सर्वतो-भोगी कहा जाता है।

४. यदि पार्ष्णिग्राह, आटविक, शत्रु की अमात्य प्रकृति अथवा स्वयं शत्रु राजा ही भूमि देने पर अधीनता स्वीकार कर ले तो गुणरहित (ऊसर) भूमि देकर ही उसे अपने अधीन किया जाय। यदि पार्ष्णिग्राह आदि दुर्ग में रहते हों तो उन्हें ऐसी भूमि दी जाय, जिसका दुर्ग से कोई संबंध न हो। आटविक को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें कृषि आदि न हो सके। शत्रुकुल के व्यक्तियों को

शत्रोरुपच्छिन्नया शत्रोरुपरुद्धम्, नित्यामित्रया श्रेणीबलम्, बलवत्सामन्तया संहतबलम्, उभाभ्यां युद्धे प्रतिलोमम्, अलब्धव्यायामयोत्साहिनम्, शून्ययारिपक्षीयम्, ककशित-यापवाहितम्, महाक्षयव्ययनिवेशया गतप्रत्यागतम्, अनुपा-श्रयया प्रत्यपसृतम्, परेणानधिवास्यया स्वयमेव भर्तार-मुपग्राहयेत् ।

१. तेषां महोपकारं निर्विकारं चानुवर्तयेत् । प्रतिलोममुपांशुना साधयेत् । उपकारिणमुपकारशक्त्या तोषयेत् । प्रयासतश्चार्थ-

ऐसी भूमि दी जाय, जिसका किसी समय अपहरण किया जा सके । नजरबंद शत्रु के पुत्र आदि को ऐसी भूमि दी जाय, जिसको शत्रु से छीना गया हो । श्रेणीबल (नेतारहित सेना) को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें नित्य ही उपद्रव होते हों । संहतबल (नेतासहित सेना) को ऐसी भूमि दी जाय, जिसका सामंत अत्यधिक बलवान् हो । कूट युद्ध करने वाले शत्रु को ऐसी भूमि दी जाय, जहां सदा ही उपद्रव होते हैं, तथा जिसका सामंत भी अधिक बलवान् हो । उरसाही शत्रु को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें सेना का कवायद के लिए स्थान न हो । शत्रुपक्ष के किसी भी व्यक्ति को ऐसी भूमि दी जाय, जो कि किसी काम की न (शून्य) हो । संधि करके फिर तोड़ देने वाले राजा को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें सदैव शत्रु सेना एवं आठविक के उपद्रव होते हों । एक बार शत्रु से मिलकर जो फिर अपने से मिलना चाहे उसको ऐसी भूमि दी जाय, जिसको बसने योग्य बनाने के लिए अत्यधिक पुरुषों का खर्च एवं धन का व्यय करना पड़े । शत्रु के डर से अपने देश में शरण पाये पुरुष को ऐसी भूमि देकर वश में करना चाहिए, जो कि दुर्ग आदि से रहित हो । और जिस भूमि में उसके असली मालिक की सेवा में कोई नहीं टिक सकता उस भूमि को उसके असली मालिक को लौटाकर उसे वश में किया जाय ।

१. अपने अधीनस्थ राजाओं में से जो राजा विजेता का महान् उपकार करता हो तथा उसकी ओर से अपने मन में कोई कलुष न रखता हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार रखा जाय जिससे उसको किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे । किन्तु जो विरुद्ध आचरण करे उसे उपांशुदंड से सीधा किया जाय,

मानौ कुर्यात् । व्यसनेषु चानुग्रहम् । स्वयमागतानां यथेष्ट-
दर्शनं प्रतिविधानं च कुर्यात् । परिभवोपघातकुत्सातिवादांश्चैषु न
प्रयुञ्जीत । दत्त्वा चाभयं पितेवानुगृहीयात् । यश्चास्यापकुर्यात्त-
दोपमभिविख्याप्य प्रकाशमेनं घातयेत् । परोद्वेगकारणाद्वा
दाण्डकर्मिकवच्चेष्टेत । न च हतस्य भूमिद्रव्यपुत्रदारानभि-
मन्येत । कुल्यानप्यस्य स्वेषु पात्रेषु स्थापयेत् । कर्मणि
मृतस्य पुत्रं राज्ये स्थापयेत् ।

१. एवमस्य दण्डोपनताः पुत्रपौत्राननुवर्तन्ते ।

क्योंकि प्रकट दण्ड से अन्य वशीभूत राजाओं में उद्वेग फैलने की संभावना
रहती है । अपना उपकार करने वाले प्रत्येक राजा को सदैव संतुष्ट रखा
जाय; और श्रम-सहयोग के अनुसार उसको यथोचित धन-सत्कार दिया
जाय । उसके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आ पड़े तो सान्त्वना, सहानुभूति
से सदैव उस पर अनुग्रह रखा जाय । यदि ऐसे शुभचिन्तक राजा बिना
बुलाये ही अपने राज्य में आ जाँय तो उनके साथ अच्छी तरह प्रेमपूर्वक
मिला जाय । किन्तु उनकी ओर से किसी भी प्रकार की बुराई की आशंका
हो तो उनसे अपनी रक्षा करने के लिए हर समय सतर्क रहा जाय ।
इस प्रकार के अधीनस्थ राजाओं के संबंध में तिरस्कार, कटुवाक्य,
निंदा या अति स्तुति आदि का प्रयोग कभी न किया जाय । अभयदान
देकर उन पर पिता के समान अनुग्रह करता जाय । किन्तु उनमें जो भी
विजेता का अपकार करे, उसके उस अपराध को सर्वत्र प्रचारित कराके
प्रकट रूप में उसका वध करवा दिया जाय । यदि इस बात का भय हो
कि प्रकट-दण्ड देने से दूसरे अधीनस्थ राजा भड़क उठेंगे तो दाण्डकर्मिक
प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से उसका प्रतीकार किया जाय । अर्थात् उसको
उपांशु दंड दिया जाय । किन्तु इस प्रकार से दण्डित राजा की भूमि, द्रव्य,
पुत्र, स्त्री आदि का अपहरण न किया जाय । बल्कि उन सबको तथा उनके
दूसरे संबंधियों को भी यथोचित नौकरियों पर नियुक्त किया जाय । यदि
किसी राजा को वश में करते समय युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाय तो उसके
पुत्र को राजा बनाया जाय ।

१. विजगीपु राजा के इस प्रकार के सदाचरण से न केवल दण्डोपनत राजा

१. यस्तूपनतान् हत्वा बद्ध्वा वा भूमिद्रव्यपुत्रदारानभिमन्येत,
तस्योद्विग्नं मण्डलमभावायोत्तिष्ठते । ये चास्यामात्याः स्वभू-
मिष्वायत्तास्ते चास्योद्विग्ना मण्डलमाश्रयन्ते । स्वयं वा राज्यं,
प्राणान् वास्याभिमन्यन्ते ।

२. स्वभूमिषु च राजानस्तस्मात्सास्नानुपालिताः ।
भवन्त्यनुगुणा राज्ञः पुत्रपौत्रानुवर्तिनः ॥


इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे दण्डोपनायिवृत्तं नाम षोडशोऽध्यायः
आदितश्चतुर्दशोत्तरशततमः ।



उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं; बल्कि उसके पुत्र और पौत्र आदि के भी अनुगामी बन जाते हैं ।

१. इसके विपरीत जो विजिगीषु राजा दण्डोपनत राजाओं को मार कर या उनको कैद में डाल कर उनके द्रव्य, स्त्री, पुत्र भूमि आदि का अपहरण करता है उससे कुपित हुआ सारा राज-मंडल उसका विध्वंस करने के लिए तैयार हो जाता है । ऐसे विजिगीषु के अमास्य आदि उच्चाधिकारी उससे कुपित होकर बदला लेने की भावना से राज-मंडल में जा मिलते हैं; अथवा स्वयं ही उसके राज्य या प्राणों पर अधिकार कर लेते हैं ।
२. इसलिए जो राजा अपनी-अपनी भूमि में रहकर राज्य का उपभोग करते रहते हैं; और जो विजिगीषु साम उपाय के द्वारा ही उनकी रक्षा करता है, वे उसके अनुकूल बने रहते हैं और उसके पुत्र-पौत्र आदि के भी अनुगामी बने रहते हैं ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।



प्राक्करण १२२=१२३

अध्याय १७

सन्धिकर्म सन्धिमोक्षश्च

१. शमः सन्धिः समाधिरित्येकोऽर्थः । राज्ञां विश्वासोपगमः शमः सन्धिः समाधिरिति ।
२. सत्यं शपथो वा चलः सन्धिः । प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा स्थावरः । इत्याचार्याः ।
३. नेति कौटिल्यः । सत्यं शपथो वा परत्रेह च स्थावरः सन्धिः, इहार्थ एव प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा वलापेक्षः ।

सन्धिकर्म और सन्धिमोक्ष

१. 'शम', 'संधि' और 'समाधि' ये तीनों शब्द समानार्थक हैं । समानार्थक इसलिए कि इन तीनों के कारण ही राजाओं में परस्पर दृढ़ विश्वास की स्थापना होती है ।
२. पूर्वाचार्यों का मत है कि 'जो संधि सत्य की शपथ लेकर की जाती है वह स्थायी नहीं होती है और जो संधि जामिन (प्रतिभू) रखकर अथवा राजपुत्र को बंधक (प्रतिग्रह) रखकर की जाती है वह भी स्थायी नहीं होती है ।'
३. परन्तु कौटिल्य इस मंतव्य को नहीं मानता है । उसका कहना है कि 'जो संधि सत्यनिष्ठ होकर और शपथपूर्वक की जाती है वह परम विश्वसनीय तथा स्थायी होती है; क्योंकि ऐसी संधि तोड़ने वालों को यह भय बना रहता है कि परलोक में नरक तथा इस लोक में बदनामी होगी । इसके विपरीत जो संधि जामिन (प्रतिभू) और बंधक (प्रतिग्रह) रखकर की जाती है उसको तोड़ने पर इसी लोक में थोड़ा-बहुत अनर्थ होता है, परलोक का नहीं । इसलिए उसको तोड़ने का भय बना रहता है । इसके अतिरिक्त यह संधि तभी निभायी जा सकती है, जब प्रतिभू बलवान् तथा प्रतिग्रह अपने दाता का प्रेमपात्र हो ।

१. 'संहिताः स्मः' इति सत्यसन्धाः पूर्वे राजानः सत्येन सन्दधिरे ।
२. तस्यातिक्रमे शपथेन अग्न्युदकसीताप्राकारलोष्टहस्तिस्कन्धाश्व-
पृष्ठरथोपस्थशस्त्ररत्नवीजगन्धरससुवर्णहिरण्यान्यालेभिरे—ह-
न्युरेतानि त्यजेयुश्चैनं यः शपथमतिक्रामेदिति ।
३. शपथातिक्रमे महतां तपस्विनां मुख्यानां वा प्रातिभाव्यबन्धः
प्रतिभूः । तस्मिन् यः परावग्रहसमर्थान् प्रतिभूवो गृह्णाति,
सोऽतिसन्धत्ते । विपरीतोऽतिसन्धीयते ।
४. बन्धुमुख्यप्रग्रहः प्रतिग्रहः । तस्मिन् यो दूष्यामात्यं दूष्यापत्यं
वा ददाति सोऽतिसन्धत्ते । विपरीतोऽतिसन्धीयते । प्रति-
ग्रहग्रहणविश्वस्तस्य हि परश्छिद्रेषु निरपेक्षः प्रहरति ।

१. प्राचीन सत्यवादी राजा लोग 'हम संधि करते हैं' मौखिक रूप से इतनी मात्र बात कहकर दृढ़ संधि किया करते थे ।
२. सच्चाई का अतिक्रमण करने पर वे लोग अग्नि, जल, भूमि, मकान, हाथी का कंधा, घोड़े की पीठ, रथ में बैठने की जगह, हथियार, रत्न, धान्य के बीज, चन्दन, घी, सुवर्ण और हिरण्य आदि वस्तुओं को स्पर्श करते हुए 'ये चीजें उस व्यक्ति को नष्ट कर दें, जो इस प्रतिज्ञा का अतिक्रमण करेगा' इस प्रकार शपथ लेकर संधि कर लेते थे ।
३. शपथ का अतिक्रमण कर देने पर बड़े-बड़े तपस्वियों या ग्राममुख्यों को प्रतिभू बनाकर संधि करनी चाहिये, क्योंकि किसी भी संधि को बनाए रखने का दायित्व इन्हीं लोगों पर निर्भर होता है । प्रतिभू बना कर संधि करने वाले राजाओं में वही राजा विशेष लाभ में रहता है, जो प्रतिज्ञा या संधि तोड़ने वाले शत्रुओं को दमन करने में समर्थ व्यक्तियों को अपना प्रतिभू बनाता है । और दूसरा राजा अपने शत्रु से निश्चित ही धोखा खाता है ।
४. किसी दूसरे से, मौखिक प्रतिज्ञा को बनाये रखने के लिए, उस व्यक्ति के भाई, बंधु या मुख्य पुरुष को लेना प्रतिग्रह कहलाता है । इस प्रकार प्रतिग्रह के द्वारा संधि करने वाले राजाओं में वही राजा विशेष लाभ में रहता है, जो अपने राजद्रोही अमात्य या राजद्रोही पुत्र को संधि में देता है और दूसरा राजा ऐसी दशा में निश्चित ही धोखा खाता है । क्योंकि लेने वाला तो

१. अपत्यसमाधौ तु । कन्यापुत्रदाने ददत्तु कन्यामतिसन्धत्ते ।
कन्या ददायादा परेषामेवार्थाय क्लेशाय च । विपरीतः पुत्रः ।
२. पुत्रयोरपि जात्यं प्राज्ञं शूरं कृतास्त्रमेकपुत्रं वा ददाति,
सोऽतिसन्धीयते । विपरीतोऽतिसन्धत्ते । जात्यादजात्यो हि
लुप्तदायादसन्तानत्वादाघातुं श्रयान् । प्राज्ञादप्राज्ञो मन्त्रशक्ति-
लोपात् । शूरादशूर उत्साहशक्तिलोपात् । कृतास्त्रादकृतास्त्रः
प्रहर्तव्यसम्प्लोपात् । एकपुत्रादनेकपुत्रो निरपेक्षत्वात् ।

यह समझता है कि मेरे पास इसके अमात्य आदि हैं । वह मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता । किन्तु देने वाला, लेने वाले की दुर्बलताओं को पकड़ते ही अपने प्रतिग्रहों की अपेक्षा न करता हुआ तत्काल हमला बोल देता है ।

१. पुत्र आदि को देकर संधि करने वाले राजाओं में वही राजा लाभ में रहता है, जो कि पुत्र और कन्या को दिए जाने के विकल्प में कन्या को भेज देता है; क्योंकि कन्या दाय की अधिकारिणी नहीं होती तथा दूसरों के उपभोग्य होती है; पिता के लिए क्लेश का ही कारण होती है; किन्तु पुत्र दायभागी होता है और पिता के क्लेशों को दूर करने वाला भी ।
२. पुत्रों को देकर संधि करने वाले राजाओं में वह राजा अवश्य ही धोखा खाता है, जो कि अपने कुलीन, बुद्धिमान्, शूर, अस्त्र-शस्त्रज्ञ अथवा इकलौते पुत्र को देता है । इसके विपरीत गुण वाले पुत्र को देने वाला राजा लाभ में रहता है । इसलिए समान जातीय पुत्र की अपेक्षा असमानजातीय पुत्र को देना ही अच्छा है, क्योंकि उसकी संतति दायभाग की अधिकारिणी होती है । बुद्धिमान् पुत्र की अपेक्षा बुद्धिहीन पुत्र देना इसलिए अच्छा होता है कि उसमें विवेक-विचार का मादा नहीं होता है । इसलिए शत्रु को वह कोई उपयोगी सुझाव नहीं दे पाता है । शूर पुत्र की अपेक्षा भीरु पुत्र को देना इसलिए श्रेयस्कर है कि उसमें उत्साह नहीं होता है । वह न तो अपना लाभ कर सकता है और न शत्रु की हानि ही । शस्त्रज्ञ चतुर पुत्र की अपेक्षा इससे विपरीत पुत्र को देना इसलिए उचित है कि वह आक्रमण नहीं कर पाता है । इकलौते पुत्र की जगह अनेक पुत्रों में से एक को दे देना इसलिए ठीक है कि उसके बिना भी कार्य चल जाता है ।

१. जात्यप्राज्ञयोर्जात्यमप्राज्ञमैश्वर्यप्रकृतिरनुवर्तते । प्राज्ञमजात्यं मन्त्राधिकारः । मन्त्राधिकारेऽपि वृद्धसंयोगाज्जात्यकः प्राज्ञ-मतिसन्धत्ते ।
२. प्राज्ञशूरयोः प्राज्ञमशूरं मतिकर्मणां योगोऽनुवर्तते । शूरमप्राज्ञं विक्रमाधिकारः । विक्रमाधिकारेऽपि हस्तिनमिव लुब्धकः प्राज्ञः शूरमतिसन्धत्ते ।
३. शूरकृतास्त्रयोः शूरमकृतास्त्रं विक्रमव्यवसायोऽनुवर्तते । कृता-स्त्रमशूरं लक्षलम्भाधिकारः । लक्षलम्भाधिकारेऽपि स्थैर्यप्रति-पत्न्यसम्भोषैः शूरः कृतास्त्रमतिसन्धत्ते ।

१. कुलीन (जात्य) और बुद्धिमान पुत्रों में से जो पुत्र जात्य, किन्तु बुद्धिहीन होता है, राजसंपत्ति स्वभावतः उसका अनुगमन करती है । और जो पुत्र असमानजातीय किन्तु, बुद्धिमान् होता है, मंत्रशक्ति स्वभावतः उसका अनुगमन करती है । इन दोनों पुत्रों में से मंत्रशक्ति संपन्न होने पर भी अकुलीन प्राज्ञ की अपेक्षा कुलीन अप्राज्ञ ही श्रेष्ठ है; क्योंकि राज्याधिकारी होने पर वह अपने वृद्ध, अनुभवी, एवं बुद्धिमान् पुरुषों की नियुक्ति कर अपनी कमी को पूरी कर लेता है ।
२. इसी प्रकार बुद्धिमान् और शूर पुत्रों में से बुद्धिमान्, किन्तु शूरतारहित पुत्र का, बुद्धिमत्तापूर्वक किए गए कार्य अनुगमन करते हैं । बुद्धिहीन, किन्तु शूर पुत्र पराक्रम के कार्यों को कर सकता है । इन दोनों पुत्रों में से शूर, किन्तु बुद्धिहीन पुत्र के पराक्रमी होने पर भी, उसकी अपेक्षा, पराक्रमहीन बुद्धिमान् पुत्र ही श्रेष्ठ है । जैसे एक बुद्धिमान् शिकारी शक्तिशाली हाथी को अपने वश में कर लेता है वैसे ही बुद्धिमान् पुत्र अपने बुद्धिबल से शूर को भी अपने वश में कर सकता है ।
३. शूर और कृतास्त्र (शस्त्रास्त्रनिपुण) पुत्रों में शस्त्रास्त्र शून्य, किन्तु शूरपुत्र केवल पराक्रम के कार्यों को ही कर सकता है । शूरतारहित, किन्तु शस्त्रास्त्र-निपुण पुत्र अपने लक्ष्य को अच्छी तरह भेदन करने की क्षमता रखता है । इन दोनों में से लक्ष्य को ठीक भेदन करने वाले पराक्रमहीन पुत्र की अपेक्षा पराक्रमी पुत्र ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपनी सतर्कबुद्धि से वह कृतास्त्र को भी अपने वश में कर लेता है ।

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण १२२-१२३, अध्याय १७

१. ब्रह्मेकपुत्रयोर्वहुपुत्र एकं दत्त्वा शेषवृत्तिस्तब्धः सन्धिमतिक्रामति नेतरः ।
२. पुत्रसर्वस्वदानं सन्धिश्चेत्पुत्रफलतो विशेषः । समफलयोः शक्तप्रजननतो विशेषः । शक्तप्रजननयोरप्युपस्थितप्रजननतो विशेषः ।
३. शक्तिमत्येकपुत्रे तु लुप्तपुत्रोत्पत्तिरात्मानमादध्यात्, न चैकपुत्रमिति ।
४. अभ्युच्चीयमानः समाधिमोक्षं कारयेत् ।
५. कुमारासन्नाः सत्रिणः कारुशिलिपव्यञ्जनाः कर्माणि कुर्वाणाः

१. एक पुत्र और अनेक पुत्रों में से अनेक पुत्रों का होना अच्छा है, क्योंकि एक पुत्र को संधि में दिए जाने पर भी घाकी पुत्रों के द्वारा राजा यथावसर संधि को भी तोड़ सकता है; किन्तु जिसका एक ही पुत्र है वह ऐसा नहीं कर सकता है ।

२. यदि संधि करने वाले दोनों राजाओं का एक-एक ही पुत्र हो और उनके देने पर ही संधि टूट होती हो तो; उन दोनों में से वही अधिक लाभ में रहता है, जिसके पुत्र का भी पुत्र हो गया हो; क्योंकि पुत्र के अभाव में पौत्र भी सिंहासन पर बैठ सकता है । यदि संधि करने वाले दोनों राजाओं के पुत्र-पौत्र हों तो उनमें से वही अधिक लाभ में है, जिसका पुत्र अभी युवा है । यदि दोनों के पुत्र युवा हों, तो उनमें से उसी को ही अधिक लाभ है, जिसका पुत्र निकट भविष्य में बच्चा पैदा करने की स्थिति में है । निष्कर्ष यह है यथाशक्ति पुत्र न देने का यत्न करना चाहिए ।

३. त्र पैदा करने की अथवा राज्यभार को संभालने की शक्ति रखने वाले यदि एक ही पुत्र का पुत्र हो और उसकी पुत्रोत्पादन की शक्ति जाती रही हो तो अपने ही आप को राजा, संधि पर चढ़ा दे; किन्तु इकलौते पुत्र को कदापि न दे । यहाँ तक संधि को टूट करने के उपायों का निरूपण किया गया ।

४. संधि हो जाने के बाद यदि अपनी शक्ति बढ़ जाय तो दूसरे राजा के यहाँ बंधक में रखे हुए पुत्र को मुक्त करा देना चाहिए ।

५. बन्धक में रखे गए शत्रुपुत्र को छुड़ाने के लिए इन उपायों को काम में लाया

सुरुद्धया रात्रावुपखानयित्वा कुमारमपहरेयुः । नटनर्तकगाय-
नवादकवाग्जीवनकुशीलवप्लवकसौभिका वा पूर्वप्रणिहिताः
परमुपतिष्ठेरन् । ते कुमारं परम्परयोपतिष्ठेरन् । तेषामनियत-
कालप्रवेशस्थाननिर्गमनानि स्थापयेत् । ततस्तद्व्यञ्जनो वा
रात्रौ प्रतिष्ठेत ।

१. तेन रूपाजीवा भार्याव्यञ्जनाश्च व्याख्याताः ।
२. तेषां वा तूर्यभाण्डफेलां गृहीत्वा निर्गच्छेत् ।
३. सुदारालिकस्नापकसंवाहकास्तरककल्पकप्रसाधकोदकपरिचारकै-
र्वा द्रव्यवस्त्रभाण्डफेलाशयनासनसम्भोगैर्निर्हिंयेत ।

जाय : राजपुत्र के निकट गुप्त वेश में रहने वाले बदर्ई, लुहार, सुनार या मिस्त्री तथा अन्य लोग, अपने जिम्मे के कार्यों को करते हुए राजपुत्र के निवास के पास ही एक सुरंग खोदकर रात्रि में वहां से उसको लेकर वे भाग जायें । अथवा नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवक (कथावाचक); कुशीलव, प्लवक (तलवार आदि का खेल दिखाने वाला), सौत्रिक (आकाश में उड़ने वाला), विजिगीषु के ये आठ प्रकार के गुप्तचर पहिले शत्रु राजा के पास आवें और फिर धीरे-धीरे उसी के यहां रहते हुए गिरफ्तार राजकुमार तक पहुँचे । राजकुमार, राजा की अनुमति प्राप्त कर, स्वेच्छया उक्त गुप्तचरों को अपने यहां टिकाने तथा आने-जाने की पूरी व्यवस्था करा ले । फिर उन्हीं में से किसी का वेष बनाकर रात्रि के समय बाहर निकल आवे और उन्हीं के साथ अपने देश को पलायन कर दे ।

१. इसी प्रकार वेश्या या पत्नी के रूप में गई गुप्तचर स्त्रियां राजकुमार को वहां से छुड़ा ले आवें ।
२. अथवा नट, नर्तक आदि के साज-बाजों या आभूषणों की पेटी को उठा कर बाहर निकल आवे ।
३. अथवा सूद (रसोइया), आरालिक (हलवाई), स्नापक (स्नान कराने वाला), संवाहक (मालिश करने वाला), आस्तरक (विस्तर बिछाने वाला), कल्पक (नाई), प्रसाधक (वस्त्र पहनाने वाला) और उदक-परिचारक (जल देनेवाला); इन लोगों के द्वारा जब कोई भोज्यपदार्थ, पेटी या विस्तर

१. परिचारकच्छदना वा किञ्चिद्रूपवेलायामादाय निर्गच्छेत् ।
सुरङ्गामुखेन वा निशोपहारेण । तोयाशये वा वारुणं योग-
मातिष्ठेत् ।
२. वैदेहकव्यञ्जना वा पक्वान्नफलव्यवहारेणारक्षिषु रसमव-
चारयेयुः ।
३. दैवतोपहारश्राद्धप्रहवणनिमित्तमारक्षिषु मदनयोगयुक्तमन्नपा-
नरसं वा प्रयुज्यापगच्छेत् । आरक्षकप्रोत्साहनेन वा ।
४. नागरककुशीलवचिकित्सकापूपिकव्यञ्जना वा रात्रौ समृद्ध-
गृहाण्यादीपयेयुः । (आरक्षिणां ?) वैदेहकव्यञ्जना वा पण्यसं-
स्थामादीपयेयुः ।

भादि उपयोगी वस्तुयें बाहर ले जाई जाँय तो भवसर पाकर उनके साथ राजकुमार भी बाहर निकल जाय ।

१. अथवा राजकुमार ही नौकर के बहाने से अन्धकार के समय किसी चीज को लेकर बाहर निकल जाय । अथवा भूतबलि भादि का बहाना कर सुरग द्वारा बाहर निकल जाय । अथवा नदी, तालाब भादि किसी बड़े जलाशय में वारुणयोग के प्रयोग द्वारा बाहर निकल जाय ।
२. अथवा व्यापारी के वेप में रहने वाले गुप्तचर किसी पके अन्न में विप मिला कर पहरेदारों को दे दें और जब वे बेहोश हो जाँय तो राजकुमार को लेकर वे बाहर निकल जाँय ।
३. अथवा देवकार्य, पितृकार्य या सहभोज के निमित्त से अन्न या पेय पदार्थों में विप मिला कर पहरेदारों पर प्रयोग कर उन्हें बेहोश बना देने के बाद राजकुमार रात के समय बाहर निकल आवे । अथवा गुप्तचर, राजकुमार को शत्रु के रूप में अर्थात् में रख कर बाहर निकल आवे । अथवा किसी मुर्दे के पीछे स्त्री का वेप घनाकर राजकुमार बाहर निकल जाय । अथवा अपनी देख-रेख में तैनात पहरेदारों को बहुत-सा धन देने की प्रतिज्ञा से उन्हें संतुष्ट कर राजकुमार बाहर निकल आवे ।
४. अथवा नगर-रक्षक, नट, चिकित्सक और आपूपिक (खोमचा लगाने वाला) के वेप में रात्रि के समय दूधर-उधर घूमने वाले गुप्तचर लोग रात में धनी लोगों के घर में आग लगा दें । पहरेदारों तथा व्यापारियों के वेप में दूसरे

१. अन्यद्वा शरीरं निक्षिप्य स्वगृहमादीपयेदनुपातभयात् । ततः सन्धिच्छेदखातसुरङ्गाभिरपगच्छेत् ।
२. काचकुम्भभाण्डभारव्यञ्जनो वा रात्रौ प्रतिष्ठेत । मुण्डजटिलानां प्रवासनान्यनुप्रविष्टो वा रात्रौ तद्व्यञ्जनः प्रतिष्ठेत । विरूपव्याधिकरणारण्यचरच्छब्दानामन्यतमेन वा । प्रेतव्यञ्जनो वा गूढैर्निर्हिंयेत । प्रेतं वा स्त्रीवेषेणानुगच्छेत् ।
३. वनचरव्यञ्जनाश्चैनमन्यतो यान्तमन्यतोऽपदिशेयुः । ततोऽन्यतो गच्छेत् । चक्रचराणां वा शकटवाटैरपगच्छेत् ।
४. आसन्ने चानुपाते सत्रं वा गृह्णीयात् । सत्राभावे हिरण्यं

गुप्तचर भी बाजार तथा दूकानों में आग लगा दें । आग लगने के कारण जब कोलाहल या गड़बड़ हो जाय तो अवसर पाकर राजकुमार बाहर निकल जाय ।

१. अथवा राजकुमार अपने निवास में आग लगा दे, और वहाँ किसी दूसरे की लाश डलवा दे, जिससे कि शत्रु लोग उस शव को देख कर यह समझ लें कि राजकुमार जल कर मर गया है; अथवा राजकुमार स्वयं ही किसी सन्धिच्छेद या सुरंग के द्वारा बाहर निकल जाय ।
२. अथवा लकड़हारों (काचभार), कहारों (कुंभभार) या साईसों (भाण्डभार) के वेश में राजकुमार रात को बाहर हो जाय । अथवा विजिगीषु राजा अपने मुंड तथा जटिलों को जब बाहर भेजे तो राजकुमार भी छिप कर उनमें जा मिले और रात में उन्हीं जैसा वेष बनाकर उनके साथ ही बाहर निकल आये । या औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा अपनी शकल-सूरत को बदल कर या रोगी का वेष बना कर या जंगली भील-कोलों का वेष बनाकर तब निश्चिन्त होकर राजकुमार अपने देश को जा सकेगा ।
३. राजकुमार के बाहर निकल जाने पर जब विजिगीषु राजा के कर्मचारी उसकी खोज में इधर-उधर दौड़ते फिरें तो जंगल में रहने वाले राजकुमार के पक्ष के लोग उन्हें दूसरा ही रास्ता बता दे । अथवा गाड़ीवानों या गाड़ियों के झुंड के साथ साथ अपने देश की ओर चला जाय ।
४. यदि खोजने वाले लोग बहुत ही नजदीक आ पहुँचें तो वह किसी घने

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण १२२-१२३, अध्याय १७

रसविद्धं वा भक्षजातमुभयतः पन्थानमुत्सृजेत् । ततोऽन्य-
तोऽपगच्छेत् ।

१. गृहीतो वा सामादिभिरनुपातमतिसन्दध्यात् । रसविद्धेन वा
पथ्यदानेन ।

२. वारुणयोगाग्निदाहेषु वा शरीरमन्यदाधाय शत्रुमभियुञ्जीत—
पुत्रो मे त्वया हत इति ।

३. उपात्तच्छन्नशस्त्रो वा रात्रौ विक्रम्य रक्षिषु ।

शीघ्रपातैरपसरेद् गूढप्रणिहितैः सह ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे सन्धिकर्म सन्धिमोक्षो नाम सप्तदशोऽध्यायः;
आदितः पञ्चदशोत्तरशततमः ।



जंगल में छिप जाय । यदि छिपने लायक घना जंगल पास न हो तो हिरण्य अथवा विषयुक्त खाद्य वस्तु रास्ते के दोनों ओर डाल दे; और उस रास्ते को छोड़ कर किसी दूसरे रास्ते से निकल जाय ।

१. अथवा यदि वह पकड़ ही लिया जाय तो साम, दाम आदि उपायों से धोखा देकर वह उनसे भाग निकले । अथवा उन्हें विषयुक्त खाना देकर मार दे, या मूर्च्छित कर दे और स्वयं भाग जाय ।

२ पकड़े जाने के डर से छिपे हुए राजकुमार को भगा ले जाने के लिए पूर्वोक्त वारुणयोग तथा अग्निदाहों के अवसरों पर किसी के शव को वहाँ डाल कर विजिगीषु राजा, शत्रु राजा के ऊपर यह अभियोग लगाये कि उसने मेरे पुत्र को मार डाला है । इससे शत्रु राजा भागे हुए राजकुमार को खोजना बंद कर देगा और राजकुमार बाहर निकल आवे ।

३. यदि पूर्वोक्त कोई भी उपाय न किया जा सके तो राजकुमार को चाहिए कि वह रात में पहरेदारों पर सशस्त्र हमला कर दे और उन्हें घायल कर या मार कर द्रुतगामी घोड़ों पर सवार अपने गुप्तचरों के साथ वहाँ से निकल भागे ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।



सातवाँ अधिकरण : प्रकरण १२२-१२३, अध्याय १७

रसविद्धं वा भक्षजातमुभयतः पन्थानमुत्सृजेत् । ततोऽन्य-
तोऽपगच्छेत् ।

१. गृहीतो वा सामादिभिरनुपातमतिसन्दध्यात् । रसविद्धेन वा
पथ्यदानेन ।

२. वारुणयोगाग्निदाहेषु वा शरीरमन्यदाधाय शत्रुमभियुञ्जीत—
पुत्रो मे त्वया हत इति ।

३. उपात्तच्छन्नशस्त्रो वा रात्रौ विक्रम्य रक्षिषु ।

शीघ्रपातैरपसरेद् गूढप्रणिहितैः सह ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाऽधिकरणे सन्धिकर्मं सन्धिभोक्तो नाम सप्तदशोऽध्यायः;
आदितः पञ्चदशोत्तरशततमः ।



जंगल में छिप जाय । यदि छिपने लायक घना जंगल पास न हो तो
हिरण्य अथवा विषयुक्त खाद्य वस्तु रास्ते के दोनों ओर डाल दे; और उस
रास्ते को छोड़ कर किसी दूसरे रास्ते से निकल जाय ।

१. अथवा यदि वह पकड़ ही लिया जाय तो साम, दाम आदि उपायों से धोखा
देकर वह उनसे भाग निकले । अथवा उन्हें विषयुक्त खाना देकर मार दे,
या मूर्च्छित कर दे और स्वयं भाग जाय ।

२. पकड़े जाने के डर से छिपे हुए राजकुमार को भगा ले जाने के लिए पूर्वोक्त
वारुणयोग तथा अग्निदाहों के अवसरों पर किसी के शव को वहाँ डाल कर
विजिगीषु राजा, शत्रु राजा के ऊपर यह अभियोग लगाये कि उसने मेरे
पुत्र को मार डाला है । इससे शत्रु राजा भागे हुए राजकुमार को खोजना
बंद कर देगा और राजकुमार बाहर निकल आवे ।

३. यदि पूर्वोक्त कोई भी उपाय न किया जा सके तो राजकुमार को चाहिए
कि वह रात में पहरेदारों पर सशस्त्र हमला कर दे और उन्हें घायल कर या
मार कर द्रुतगामी घोड़ों पर सवार अपने गुप्तचरों के साथ वहाँ से
निकल भागे ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।



अध्याय १८

मध्यमचरितोदासीनचरितमण्डल-
चरितानि

- . मध्यमस्यात्मा तृतीया पञ्चमी च प्रकृती प्रकृतयः । द्वितीया च चतुर्थी षष्ठी च विकृतयः । तच्चेदुभयं मध्यमोऽनुगृह्णीयात् , विजिगीषुर्मध्यमानुलोमः स्यात् । न चेदनुगृह्णीयात्प्रकृत्यनुलोमः स्यात् ।
- . मध्यमश्चेद्विजिगीषोर्मित्रं मित्रभावि लिप्सेत्, मित्रस्यात्मनश्च मित्राण्युत्थाप्य मध्यमाच्च मित्राणि भेदयित्वा मित्रं त्रायेत् । मण्डलं वा प्रोत्साहयेत्—‘अतिप्रवृद्धोऽयं मध्यमः सर्वेषां नो

मध्यम चरित, उदासीन चरित और मण्डल चरित

मध्यम, स्वयं और तीसरी तथा पाँचवीं प्रकृति (अर्थात् स्वयं, मित्र और मित्र-मित्र) ये तीनों मध्यम की प्रकृति कहलाती हैं । इसी प्रकार शत्रु, शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र, ये तीनों मध्यम की विकृति कही जाती हैं । मध्यम को चाहिये कि वह इन दोनों प्रकार के राजाओं पर समान अनुग्रह बनाये रखे; और विजिगीषु को चाहिए कि वह सदा मध्यम राजा के अनुकूल बना रहे । यदि मध्यम राजा दोनों प्रकार की प्रकृतियों पर अनुग्रह न कर सके तो आत्मप्रकृति को वह अवश्य ही अपने अनुकूल बनाये रखे ।

. यदि मध्यम राजा विजिगीषु राजा के मित्रभावी-मित्र को अपने अधीन करना चाहे तो उस समय विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने मित्र-राजाओं के मित्रों और अपने मित्र-राजाओं की सहायता करके तथा मध्यम के मित्रों को उनसे फोड़कर अपने मित्र की रक्षा करे । अथवा राजमंडल को वह मध्यम के विरुद्ध यह कहकर उत्तेजित करे; ‘देखो, अति उन्नत हुआ यह मध्यम राजा हम सब को नष्ट करने पर तुला हुआ है । हमको चाहिए कि

विनाशाय अभ्युत्थितः सम्भूयास्य यात्रां विहनाम' इति । तच्चेन्मण्डलमनुगृह्णीयात् मध्यमावग्रहेणात्मानमुपबृंहयेत् । न चेदनुगृह्णीयात् , कोशदण्डाभ्यां मित्रमनुगृह्य ये मध्यमद्वेषिणो राजानः परस्परानुगृहीता वा बहवस्तिष्ठेयुरेकसिद्धा वा बहवः सिद्धेयुः परस्पराद्वा शङ्किता नोत्तिष्ठेरन् , तेषां प्रधानमेकमासन्नं वा सामदानाभ्यां लभेत । द्विगुणो द्वितीयं त्रिगुणस्त्वृतीयम् । एवमभ्युच्चितो मध्यममवगृह्णीयात् । देशकालातिपत्तौ वा सन्धाय मध्यमेन मित्रस्य साचिव्यं कुर्यात् । दूष्येषु वा कर्मसन्धिम् ।

१. कर्शनीयं वाऽस्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत, प्रतिस्तम्भयेदेनम्—
'अहं त्वा त्रायेय' इत्याकर्शनात् । कर्शितमेनं त्रायेत ।

एक होकर हम इसके आक्रमण को रोकें !' इस प्रकार उकसाया हुआ राजमंडल यदि विजिगीषु की सहायता करने के लिए तैयार हो जाय तो उसके सहयोग से मध्यम का निग्रह करके स्वयं को उन्नत बनाये । यदि राज्यमंडल विजिगीषु को सहायता देना स्वीकार न करे तो वह धन तथा सेना के द्वारा अपने मित्र की सहायता करे । जो बहुत से राजा मध्यम के साथ द्वेष रखते हों; अथवा जो आपस में एक-दूसरे की सहायता करके मध्यम का अनिष्ट करना चाहते हों; या जो मध्यम के शत्रु विजिगीषु के अनुकूल हो जाने पर सब अनुकूल हो जाँय; अथवा जो परस्पर सम्मिलित विजय-लाभ की इच्छा रखते हुए भी एक-दूसरे के भय से आक्रमण करने के लिए तैयार न हों; या मध्यम के शत्रु-राजाओं में से प्रमुख राजा, या अपने देश के सभी राजाओं को साम, दाम आदि के द्वारा अपने अनुकूल बनाये—इस प्रकार दूसरे राजा की सहायता मिलने से विजिगीषु का बल दुगुना, तीसरे राजा की सहायता मिलने पर तिगुना हो जाता है । इन तरीकों से अपनी शक्ति को बढ़ाकर विजिगीषु, मध्यम को वश में करे ।

१. अथवा देश तथा काल के अनुसार विजिगीषु सीधे मध्यम के साथ ही संधि करले और फिर अपने मित्रभावी मित्र के साथ उसकी संधि करा दे । यदि

१. उच्छेदनीयं वाऽस्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत, कर्शितमेतं त्रायेत मध्यमवृद्धिभयात् ।
२. उच्छिन्नं वा भूम्यनुग्रहेण हस्ते कुर्यादन्यत्रापसारभयात् ।
३. कर्शनीयोच्छेदनीययोश्चेन्मित्राणि मध्यमस्य साचिव्यकराणि स्युः, पुरुषान्तरेण सन्धीयेत । विजिगीषोर्वा तयोर्मित्राण्यवग्रहसमर्थानि स्युः, सन्धिमुपेयात् ।
४. अमित्रं वास्य मध्यमो लिप्सेत, सन्धिमुपेयात् । एवं स्वार्थश्च कृतो भवति, मध्यमस्य प्रियं च ।

ऐसा संभव न हो-तो मध्यम के दूष्य पुरुषों के साथ मिलकर भाग लगवा कर या कोई उपद्रव कराके कर्मसंधि करे ।

१. विजिगीषु को दुर्बल बनाने वाले (कर्शनीय) मित्र को यदि मध्यम अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने उस मित्र को सुरक्षा का आश्वासन देकर मध्यम से अभय कर दे । परन्तु यह अभय वचन उसी समय तक रहे जब तक कि मध्यम के द्वारा उसे दुर्बल न बना दे । दुर्बल हो जाने पर विजिगीषु उसकी रक्षा करे ।
२. यदि विजिगीषु के नष्ट करने योग्य मित्र को मध्यम अपने अधीन करना चाहे, तो विजिगीषु अपने उस मित्र की तब रक्षा करे जब वह मध्यम द्वारा अच्छी तरह सता दिया गया हो । उसकी रक्षा इसलिए आवश्यक है कि मध्यम राजा शक्ति प्राप्त कर विजिगीषु को ही न सताने लगे ।
३. अथवा विनष्ट हुए अपने उस मित्र को भूमि देकर वह अपने वश में कर ले, अन्यथा यह संभव हो सकता है कि वह शत्रुपक्ष में जाकर मिल जाय ।
४. यदि कर्शनीय और उच्छेदनीय राजाओं के दूसरे मित्र भी मध्यम की ही सहायता करते हों तो विजिगीषु को चाहिए कि वह भी अपने अमात्य या राजकुमार को विश्वास के लिए बंधक में रखकर मध्यम से संधि कर ले । यदि विजिगीषु, के कर्शनीय और उच्छेदनीय राजाओं के मित्र मध्यम का मुकाबला करने के लिए तैयार हों तो वह भी मध्यम के साथ संधि कर ले ।
[यहाँ तक अपने मित्रों पर अभियोग करने वाले मध्यम के साथ विजिगीषु का क्या व्यवहार होना चाहिए, इसका निरूपण किया गया । विजिगीषु के

१. मध्यमश्चेत्स्वमित्रं मित्रभावि लिप्सेत, पुरुषान्तरेण सन्दध्यात् । सापेक्षं वा 'नार्हसि मित्रमुच्छेत्तुम्' इति वारयेत् । उपेक्षेत वा— मण्डलमस्य कुप्यतु स्वपक्षवधादिति ।
२. अमित्रमात्मनो वा मध्यमो लिप्सेत, कोशदण्डाभ्यामेनम- दृश्यमानोऽनुगृह्णीयात् ।
३. उदासीनां वा मध्यमो लिप्सेत—'उदासीनाद्भिद्यताम्' इति मध्यमोदासीनयोर्यो मण्डलस्याभिप्रेतस्तमाश्रयेत् ।
४. मध्यमचरितेनोदासीनचरितं व्याख्यातम् । उदासीनश्चेन्मध्यमं लिप्सेत, यतः शत्रुमत्तिसन्दध्यान्मित्रस्योपकारं कुर्यात्, मध्यममुदासीनं वा दण्डोपकारिणं लभेत, ततः परिणमेत् ।

शत्रुओं पर अभियोग करने वाले मध्यम के साथ विजिगीषु का क्या व्यवहार होना चाहिए, अब इसका निरूपण किया जाता है ।]

१. यदि विजिगीषु के किसी शत्रु राजा को मध्यम अपने वश में करना चाहता है तो विजिगीषु को चाहिए कि वह मध्यम के साथ संधि कर ले ; क्योंकि ऐसा करने से एक तो अपने शत्रु का नाश हो जाने से अपनी कार्यसिद्धि हो जाती है और दूसरे में वह मध्यम का भी प्रिय हो जाता है ।
२. यदि मध्यम अपने ही किसी मित्रभावी मित्र को वश में करना चाहे तो उस समय विजिगीषु अपने सेनापति आदि को भेज कर मध्यम की सहायता करे । यदि उससे अपनी कार्यसिद्धि होती देखे तो मध्यम को आक्रमण करने से रोके । ऐसा करने से विजिगीषु दूसरे राजाओं का भी विश्वासपात्र हो जाता है । अथवा यह सोचकर उधर से आँखें फेर ले कि अपने मित्र पर आक्रमण करने वाले मध्यम से सारा राजमंडल ही कुपित हो जायगा ।
३. यदि मध्यम किसी उदासीन राजा को वश में करना चाहे तो दोनों की फूट को उचित मानकर वह उन दोनों में जो राजमण्डल का अधिक प्रिय हो उसी से संधि करे और उसी की सहायता करे ।
४. मध्यम के ही चरित के समान उदासीन का भी चरित समझ लेना चाहिए । यदि उदासीन राजा किसी मध्यम राजा को अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिए कि इन दोनों में से वह उसके साथ जा मिले, जिसकी

१. एवमुपगृह्यात्मानमरिप्रकृतिं कर्शयेत् । मित्रप्रकृतिं चोपगृह्णीयात् ।
२. सत्यप्यमित्रभावे तस्यानात्मवान् नित्यापकारी शत्रुः शत्रु-
सहितः पार्ष्णिग्राहो वा व्यसनी यातव्यो व्यसने वा नेतुर-
भियोक्तेत्यरिभाविनः ।
३. एकार्थाभिप्रयातः पृथगर्थाभिप्रयातः सम्भूययात्रिकः संहितप्रया-
णिकः स्वार्थाभिप्रयानः सामुत्थायिकः कोशदण्डयोरन्यतरस्य
क्रेता विक्रेता द्वैधीभाविक इति मित्रभाविनः ।
४. सामन्तो बलवतः प्रतिघातोऽन्तर्धिः प्रतिवेशो वा बलवतः
पार्ष्णिग्राहो वा स्वयमुपनतः प्रतापोपनतो वा दण्डोपनत इति
भृत्यभाविनः सामन्ताः ।

सहायता से शत्रु का उच्छेद और मित्र का उपकार हो सके; या इन दोनों को अपनी सैनिक सहायता देकर अपने वश में कर ले ।

१. इस प्रकार विजिगीषु राजा अपनी वृद्धि करके शत्रु-प्रकृति का नाश और मित्र-प्रकृति का उपकार करे ।
२. 'शत्रु' शब्द से कहे जाने वाले सामन्त तीन प्रकार के हैं : (१) अमित्रभाव रखने वाला सामन्त शत्रुभावि, (२) मित्रभाव रखने वाला सामन्त मित्रभावि और (३) भृत्यभाव रखने वाला सामन्त भृत्यभावि । अजितेन्द्रिय, सदा अपकार करने वाला, शत्रुभाव रखने वाला, विजिगीषु के शत्रु की सहायता करने वाला, पार्ष्णिग्राह, बन्धु आदि की मृत्यु से दुःखी, यातव्य और विजिगीषु को विपत्ति में फँसा हुआ जानकर उस पर आक्रमण करने वाला सामन्त 'शत्रुभावि' कहलाता है ।
३. एक ही अर्थसिद्धि के लिए विजिगीषु के साथ चढ़ाई करने वाला, अथवा एक ही भूमि पर दो प्रयोजनों के लिए दोनों का चढ़ाई करना; विजिगीषु की सहमति प्राप्त करके युद्ध करने वाला; विजिगीषु के निमित्त ही चढ़ाई करने वाला; शून्य स्थानों को बसाने के लिए धन और सेना, दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के बदले में खरीदने या बेचने वाला सामन्त 'मित्रभावि' कहलाता है ।
४. सामन्त, बलवान् राजा का मुकाबला करने वाला, अंतर्धि, (मध्यम), प्रतिवेश (पड़ोस), बलवान् राजा पर पीछे से आक्रमण करने वाला

१. तैर्भूम्येकान्तरा व्याख्याताः ।
२. तेषां शत्रुविरोधे यन्मित्रमेकार्थतां व्रजेत् ।
शक्त्या तदनुगृह्णीयाद्विषहेत यया परम् ॥
३. प्रसाध्य शत्रुं यन्मित्रं वृद्धं गच्छेदवश्यताम् ।
सामन्तैकान्तराभ्यां तत्प्रकृतिभ्यां विरोधयेत् ॥
४. तत्कुलीनावरुद्धाभ्यां भूमिं वा तस्य हारयेत् ।
यथा वानुग्रहापेक्षं वश्यं तिष्ठेत्तथाचरेत् ॥
५. नोपकुर्यादमित्रं वा गच्छेद्यदतिकशितम् ।
तदहीनमवृद्धं च स्थापयेन्मित्रमर्थवित् ॥
६. अर्थयुक्त्या चलं मित्रं सन्धिं यदुपगच्छति ।

(पार्ष्णिग्राह), स्वयं आश्रित (स्वयं उपनत), बल द्वारा आश्रित (प्रतापोनत) और सेना द्वारा अधिकसामन्त 'भृत्यभावि' कहलाता है ।

१. उक्त तीन प्रकार के सामन्तों के समान ही भूम्येकान्तर (एक देश के व्यवधान से राज्य करने वाले) मित्रराजाओं के भी (१) शत्रुभावि (२) मित्रभावि और (३) भृत्यभावि, ये तीन भेद समझ लेने चाहिए ।
२. उन भूम्येकांतर मित्रों में से किसी पर यदि शत्रु आक्रमण करे तो उस मित्र के साथ संधि करने वाले राजा को इतनी सेना और सहायता पहुंचानी चाहिए, जिससे वह आक्रमणकारी शत्रु का दमन कर सके ।
३. अपने शत्रु को जीतकर उन्नत हुआ जो मित्र, विजिगीषु के वश में नहीं रहता, किसी भी तरह उसका विरोध, उसके सामन्त और भूम्येकांतर मित्रों एवं उनकी अमात्य-प्रकृति से करा देना चाहिए ।
४. अथवा उसके बंधु-वांधवों द्वारा या नजरबंद किए उसके पुत्र आदि के द्वारा उसकी भूमि का अपहरण करा देना चाहिए । अथवा अपनी सहायता चाहता हुआ वह जिस तरह भी वश में रह सके, उसी तरह उसके साथ व्यवहार किया जाय ।
५. क्षीण हुआ जो मित्र विजिगीषु की कोई सहायता न कर सके या शत्रु के साथ मिल जाय, तो विजिगीषु को चाहिए कि उसको ऐसी दशा में रखे, जिससे न तो वह उन्नत हो सके और न ही मिटने पावे ।
६. जो चंचल प्रकृति का मित्र लोभवश संधि करे, उससे संधि बनाये रखने के

- तस्यापगमने हेतुं विहन्यान्न चलेद्यथा ॥
१. अरिसाधारणं यद्वा तिष्ठेत्तदरितः शठम् ।
भेदयेद् भिन्नमुच्छिन्द्यात्ततः शत्रुमनन्तरम् ॥
 २. उदासीनं च यत्तिष्ठेत्सामन्तैस्तद्विरोधयेत् ।
ततो विग्रहसन्तप्तमुपकारे निवेशयेत् ॥
 ३. अमित्रं विजिगीषुं च यत्संचरति दुर्बलम् ।
तद्वलेनानुगृह्णीयाद्यथा स्थान्न पराङ्मुखम् ॥
अपनीय ततोऽन्यस्यां भूमौ वा सन्निवेशयेत् ।
निवेश्य पूर्वं तत्रान्यं दण्डानुग्रहहेतुना ॥
 ४. अपकुर्यात्समर्थं वा नोपकुर्याद्यदापदि ।
उच्छिन्द्यादेव तन्मित्र विश्वस्याङ्गमुपस्थितम् ॥

- लिए विजिगीषु को चाहिए कि, संधि नष्ट कर देने वाली उसकी अर्थलिप्सा को, स्वयं ही कुछ धन देकर पूरी कर दे, जिससे वह संधि न तोड़ सके ।
१. जो धूर्त मित्र विजिगीषु के शत्रु के साथ मिलकर रहता हो, पहिले तो उसके और शत्रु के बीच फूट डालनी चाहिए और फिर उसका उन्मूलन करके शत्रु का भी उन्मूलन कर देना चाहिए ।
 २. विजिगीषु को चाहिए कि वह उदासीन मित्रों का विरोध सामंत से करा दे । जब वह लड़ाई में फँस जाय और लड़ाई से बहुत तंग आ जाय तब उसका उपकार कर दे ।
 ३. जो दुर्बल मित्र अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शत्रु और विजिगीषु, दोनों का आश्रय लेना चाहे, विजिगीषु को चाहिए कि ऐसे दुर्बल मित्र को वह सेना आदि की सहायता देकर उपकृत करता रहे, जिससे वह शत्रु पक्ष में न जा मिले । अथवा उसको उसकी भूमि से उठाकर दूसरी भूमि में बसा दे; अथवा जहाँ शत्रु की सहायता का कोई अंदेशा न हो ऐसी अपनी ही भूमि में बसा दे; और उसकी भूमि में, उसके जाने से पूर्व, सेना द्वारा सहायता पहुँचाने के लिए किसी समर्थ व्यक्ति को नियुक्त कर दे ।
 ४. जो मित्र विजिगीषु का अपकार करे, या विजिगीषु के ऊपर कोई विपत्ति आने पर समर्थ होकर भी सहायता न करे; विजिगीषु को चाहिए कि ऐसे

सातवों अधिकरण : प्रकरण १२४-१२६, अध्याय १८

१. मित्रव्यसनतो वाऽरिरुत्तिष्ठेद्योऽनग्रहः ।
मित्रेणैव भवेत्साध्यश्लादितव्यसनेन सः ॥
२. अमित्रव्यसनान्मित्रमुत्थितं यद्विरज्यति ।
अरिव्यसनसिद्ध्या तच्छत्रुणैव प्रसिद्धयति ॥
३. वृद्धिं क्षयं च स्थानं च कर्शनोच्छेदनं तथा ।
सर्वोपायान्समादध्यादेतान् यश्चार्थशास्त्रवित् ॥
४. एवमन्योन्यसंचारं षाड्गुण्यं योऽनुपश्यति ।
स बुद्धिनिगलैर्बद्धैरिष्टं क्रीडति पार्थिवैः ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमाधिकरणे मध्यमचरितोदासीनचरितमण्डलचरि-
तानि नाम अष्टादशोऽध्यायः, आदितः षोडशोत्तरशततमः ॥

समाप्तममिदं षाड्गुण्यं सप्तममधिकरणम् ।



मित्र को पहिले खूब विश्वास दिलाये और बाद में उसका उच्छेद कर दे ।

१. यदि विजिगीषु का शत्रु विजिगीषु के मित्र को आपद्ग्रस्त जानकर बिना किसी अवरोध-आक्रमण के उन्नति कर जाय तो अपने मित्र की आपत्ति दूर हो जाने पर उस मित्र के द्वारा ही विजिगीषु शत्रु को वश में करने का यत्न करे ।
२. जो मित्र अपने शत्रु पर आपत्ति आ जाने से उन्नत होकर विजिगीषु के अनुकूल नहीं रहता उसे, उसके शत्रु की आपत्ति दूर हो जाने पर, उसी के द्वारा वश में किया जाय ।
३. अर्थशास्त्रज्ञ राजा को उचित है कि वह वृद्धि, क्षय, स्थान, कर्शन, और उच्छेदन तथा साम, दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग खूब सोच-विचार कर करे ।
४. जो राजा इन छह गुणों का विचारपूर्वक प्रयोग करता है, वह निश्चित ही अपनी बुद्धिरूपी श्रंखला से बाँधे हुए अन्य राजाओं के साथ इच्छानुसार क्रीडा कर सकता है ।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में अट्टारहवाँ अध्याय समाप्त ।



तीसरा खण्ड

व्यसनाधिकारिक
आठनाँ अधिकररा

अध्याय १

प्राक्करण १२७

प्रकृतिव्यसनवर्गः

१. व्यसनयौगपद्ये सौकर्यतो यातव्यं रक्षितव्यं वेति व्यसन-
चिन्ता ।
२. दैवं मानुषं वा प्रकृतिव्यसनमनयापनयाभ्यां सम्भवति ।
३. गुणप्रातिलोम्यमभावः प्रदोषः प्रसङ्गः पीडा वा व्यसनम् ।
व्यस्यत्येनं श्रेयस इति व्यसनम् ।

प्रकृतियों का व्यसन और उनका प्रतीकार

१. जब शत्रु और विजिगीषु, दोनों पर एक जैसी विपत्ति आ पडी हो और शत्रु पर आक्रमण करने तथा अपनी रक्षा करने, दोनों में समानता दीखती हो, ऐसी दशा में चढ़ाई करनी चाहिए या आत्मरक्षा करनी चाहिए ? यह विचार सामने आता है । इस हेतु इस अध्याय में पहिले व्यसनों का चिंतन किया जाता है ।
२. व्यसन दो प्रकार का है : एक दैव और दूसरा मानुष । अमात्य आदि प्रकृति वर्ग के ये दोनों व्यसन अनय और अपनय के कारण पैदा होते हैं । संधि आदि की उचित व्यवस्था न करना अनय और शत्रुओं से पीडित होते रहना अपनय कहलाता है ।
३. गुणों की प्रतिकूलता या अभाव, उनका अनुचित उपयोग, प्रकृतिवर्ग में दोषों की अधिकता, विषयों में अति आसक्ति और शत्रुओं द्वारा पीडित होना, ये पाँच प्रकार के व्यसन हैं । 'व्यसन' का शब्दार्थ ही यह है जो कल्याण मार्ग से भ्रष्ट कर दे । अर्थात् जो कार्य राजा को नीचे गिरा दे वही उसके लिए व्यसन है ।

१. स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्रव्यसनानां पूर्वं पूर्वं गरीय इत्याचार्याः ।
२. नेति भारद्वाजः । स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीय इति । मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः कार्यानुष्ठानमायव्ययकर्म दण्ड-ग्रणयनममित्राटवीप्रतिषेधो राज्यरक्षणं व्यसनप्रतीकारः कुमार-रक्षणमभिषेकश्च कुमाराणामायत्तममात्येषु । तेषामभावे तद-भावः । छिन्नपक्षस्येव राज्ञश्चेष्टानाशः । व्यसनेषु चासन्नाः परोपजापाः । वैगुण्ये च प्राणत्राधः प्राणान्तिकचरत्वाद्राज्ञ इति ।
३. नेति कौटिल्यः । मन्त्रिपुरोहितादिभृत्यवर्गमध्यक्षप्रचारं पुरुष-द्रव्यप्रकृतिव्यसनप्रतीकारमेधनं च राजैव करोति । व्यसनिषु

१. कुछ आचार्यों का मत है कि 'स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, इनमें पूर्व-पूर्व की विपत्ति अत्यंत कष्टकर है ।'

२. परन्तु आचार्य भरद्वाज का कहना है कि 'यदि स्वामी और अमात्य पर एक साथ व्यसन आ पड़े तो अमात्य का व्यसन ही अधिक भयावह है; क्योंकि प्रत्येक कार्य का विचार, उसके फलाफल की प्राप्ति की चिन्ता, आवश्यक कार्यों को करना, आय-व्यय की व्यवस्था, सैन्यसंग्रह, शत्रु तथा आटविकों का प्रतीकार, राज्य की सुरक्षा, विपत्तियों का दमन, राजकुमारों की रक्षा और उनका अभिषेक आदि कार्यों को संपन्न करना अमात्यों पर ही निर्भर है । इसलिए राजा की अपेक्षा अमात्य का व्यसन अधिक भयप्रद है । अमात्यों के अभाव में सारे राजकार्य नष्ट हो जाते हैं और परकटे पत्नी के समान राजा के सारे कार्यक्रम ही चौपट हो जाते हैं तथा व्यसनों को पकड़ कर शत्रु के षडयंत्रों का जाल बिछ जाता है । अमात्यों के व्यसनी या विपरीत हो जाने पर राजाओं के प्राण खतरे में पड़ जाते हैं; क्योंकि अमात्य, राजाओं के प्राण के समान होते हैं ।'

३. इस मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'मन्त्री, पुरोहित आदि भृत्यवर्ग को, संपूर्ण त्रिभागीय अध्यक्षाओं के कार्य को, अमात्य तथा सेना आदि प्रकृतिवर्ग की विपत्ति को, और जनपद दुर्ग, कोष आदि द्रव्य

वामात्येषु अन्यानव्यसनिनः करोति । पूज्यपूजने दूष्यावग्रहे च नित्ययुक्तस्तिष्ठति । स्वामी च सम्पन्नः स्वसम्पद्भिः प्रकृतीः सम्पादयति । स्वयं यच्छीलस्तच्छीलाः प्रकृतयो भवन्ति । उत्थाने प्रमादे च तदायत्तत्वात् । तत्कूटस्थानीयो हि स्वामीति ।

१. अमात्यजनपदव्यसनयोजनपदव्यसनं गरीय इति विशालाक्षः । कोशो दण्डः कुप्यं विष्टिर्वाहनं निचयाञ्च जनपदादुत्तिष्ठन्ते । तेषामभावो जनपदाभावे । स्वाम्यमात्ययोश्चानन्तर इति ।
२. नेति कौटिल्यः । अमात्यमूलाः सर्वारम्भाः । जनपदस्य कर्म-

प्रकृति की विपत्ति को दूर कर उनकी उन्नति के कार्यों को राजा स्वयं संपन्न कर सकता है । अमात्य यदि व्यसनी हो गये हों तो उनके स्थान पर राजा अव्यसनी अमात्यों को नियुक्त कर सकता है । राजा ही पूज्य व्यक्तियों का संमान और दुष्ट व्यक्तियों का निग्रह कर सकता है । वही अपने राजयोग्य गुणों से अपनी अमात्य प्रकृति को गुणसंपन्न बना सकता है; क्योंकि राजा स्वयं जिस स्वभाव का होता है उसकी प्रकृतियों भी वैसे ही स्वभाव की हो जाती हैं । राजा पर ही उसकी प्रकृतियों का अभ्युदय एवं पतन निर्भर होता है । क्योंकि सातों प्रकार की प्रकृतियों में राजा ही प्रधान होता है, इसलिए मूल प्रकृति राजा का जैसा स्वभाव हो उसकी विकृतियों का भी वैसे ही स्वभाव होता है ।'

१. आचार्य विशालाक्ष का अभिमत है कि 'अमात्य के व्यसन की अपेक्षा जनपद पर आया हुआ व्यसन अधिक भयावह होता है; क्योंकि कोष, सेना वस्त्र, लोहा लौहा, भृत्यवर्ग, घोड़े, ऊँट, अन्न, घृत आदि जितना भी सामान है, सभी कुछ जनपद से प्राप्त होता है । जनपद विपत्तिग्रस्त होने के कारण उक्त सभी वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं और उसके बाद अमात्य एवं राजा आदि का भी विनाश हो जाता है ।'
२. परन्तु कौटिल्य, विशालाक्ष के उक्त मत को नहीं मानता है । वह कहता है कि 'सभी कार्य अमात्यों पर निर्भर होते हैं । दुर्ग तथा कृषि आदि कार्यों

सिद्धयः स्वतः परतश्च योगक्षेमसाधनं व्यसनप्रतीकारः शून्य-
निवेशोपचयौ दण्डकरानुग्रहश्चेति ।

१. जनपददुर्गव्यसनयोर्दुर्गव्यसनमिति पाराशराः । दुर्गे हि कोश-
दण्डोत्पत्तिरापदि स्थानं च जनपदस्य । शक्तिमत्तराश्च पौरा
जानपदेभ्यो नित्याश्चापदि सहाया राज्ञः । जानपदास्त्वमित्र-
साधारणा इति ।
२. नेति कौटिल्यः । जनपदमूला दुर्गकोशदण्डसेतुवार्तारम्भाः ।
शौर्यं स्थैर्यं दाक्ष्यं ब्राह्म्यं च जानपदेषु । पर्वतान्तद्वीपाश्च

की सफलता, राजवंश, अंतपाल और आटविकों की ओर से योग-क्षेम का साधन, आपत्तियों का प्रतिकार, उपनिवेशों की स्थापना एवं उनकी उन्नति, अपराधियों को दण्ड और राजकर का निग्रह आदि जनपद के सभी कार्य अमात्यों द्वारा ही संपन्न होते हैं । इसलिए जनपद की विपत्ति की अपेक्षा अमात्यों की विपत्ति चिंतनीय है ।

३. आचार्य पराशर के मतावलंबी विद्वानों का कथन है कि 'जनपद और दुर्ग, इन दोनों के एक साथ विपत्तिग्रस्त हो जाने पर जनपद की अपेक्षा दुर्ग की विपत्ति अधिक भयावह है; क्योंकि कोष और सेना का दुर्ग में ही रखा जाता है । यदि जनपद पर कोई विपत्ति आ जाय तो दुर्ग ही उस समय आश्रय का एकमात्र स्थान होता है । नगर तथा नागरिकों की अपेक्षा दुर्ग अधिक अजेय तथा स्थायी होते हैं और किसी भी विपत्ति में वह सहायक होते हैं । दुर्गों की तुलना में जनपदवासियों को तो शत्रु से समान समझना चाहिए; क्योंकि शत्रु को भी कर आदि देकर वे उसकी सहायता करते हैं । इसलिए जनपद की विपत्ति की अपेक्षा दुर्गों की विपत्ति अधिक चिन्तनीय समझनी चाहिए ।'
२. इस मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'दुर्ग, कोष, सेना, सेतुबंध और कृषि आदि कार्य जनपद पर ही निर्भर हैं और शूरता, स्थिरता, चतुरता एवं अधिकता आदि बातें जानपदों (जनपद के पुरुषों) में ही हो सकती हैं । यदि जनपद पर ही आपत्ति आ जाय तो नदी और पर्वतों में बने बड़े-बड़े अजेय दुर्ग भी सूने पड़ जाते हैं । इसलिए दुर्ग-व्यसन की

दुर्गा नाध्युष्यन्ते जनपदाभावात् । कर्पकप्राये तु दुर्गव्यसन-
मायुधीयप्राये तु जनपदे जनपदव्यसनमिति ।

१. दुर्गकोशव्यसनयोः कोशव्यसनमिति पिशुनः । कोशमूलो हि
दुर्गसंस्कारो दुर्गरक्षणं च । दुर्गः कोशादुपजाप्यः परेषाम् ।
जनपदमित्रामित्रनिग्रहो देशान्तरितानामुत्साहनं दण्डवल-
व्यवहारः । कोशमादाय च व्यसने शक्यमपयातुं न
दुर्गमिति ।

२. नेति कौटिल्यः । दुर्गापर्णः कोशो दण्डस्तूष्णीयुद्धं स्वपक्ष-
निग्रहो दण्डवलव्यवहारः आसारप्रतिग्रहः परचक्राटवीप्रति-

अपेक्षा जनपद-व्यसन ही अधिक चिन्ताकर समझना चाहिए । किन्तु इतनी
विशेषता जरूर है कि जैसे जनपदरहित दुर्ग सूने हो जाते हैं वैसे ही दुर्ग-
रहित जनपदों में रहना भी दुष्कर हो जाता है । इसलिए इतना समझ लेना
चाहिए कि कृषिप्रधान जनपदों के दुर्गों पर विपत्ति का आना अधिक
खतरनाक है । इसी प्रकार आयुधप्रधान देशों पर विपत्ति का आना अधिक
भयावह है ।

१. आचार्य पिशुन (नारद) का मत है कि 'दुर्ग और कोष, इन दोनों पर
एक साथ ही आई विपत्ति अधिक भयावह है; क्योंकि दुर्ग की मरम्मत एवं
उसकी रक्षा कोष पर ही निर्भर है । कोष के बल पर दुर्ग का भी उच्छेद
किया जा सकता है । कोष के ही द्वारा जनपद, शत्रु और मित्र आदि सब का
निग्रह किया जा सकता है । दूरदेशस्थ राजाओं को भी कोष के ही
बल पर सहायता के लिए प्रेरित किया जा सकता है । सैनिक-शक्ति का
उपयोग भी कोष पर ही निर्भर है । यदि आकस्मिक आपत्ति टूट पड़े तो
भागते समय कोष को भी साथ ले जाया जा सकता है; किन्तु ऐसी दशा में
दुर्ग को साथ नहीं ले जाया जा सकता है ।'

२. पिशुन के मत का विरोध करते हुए कौटिल्य का कहना है कि 'कोष और
सेना दोनों की रक्षा दुर्ग के द्वारा की जा सकती है । तूष्णीयुद्ध, अपने पक्ष
के राजद्रोहियों का निग्रह, सैनिक शक्ति का आश्रय और शत्रु-सेना तथा
आटविकों का प्रतीकार सभी कार्य दुर्ग के द्वारा किए जा सकते हैं । दुर्ग के

पेधश्च । दुर्गाभावे च कोशः परेषाम् । दृश्यते हि दुर्गवता-
मनुच्छित्तिरिति ।

१. कोशदण्डव्यसनयोर्दण्डव्यसनम् इति कौणपदन्तः । दण्डमूलो
हि मित्रामित्रनिग्रहः परदण्डोत्साहनं स्वदण्डप्रतिग्रहश्च । दण्डा-
भावे च ध्रुवः कोशविनाशः । कोशाभावे च शक्यः कुप्येन
भूम्या परभूमिस्वयंग्रहणेन वा दण्डः पिण्डयितुम् । दण्डवता
च कोशः । स्वामिनश्चासन्नवृत्तित्वाद्मात्यसधर्मा दण्ड इति ।
२. नेति कौटिल्यः । कोशमूलो हि दण्डः । कोशाभावे दण्डः परं

नष्ट हो जाने पर बहुत संभव है कि कोष को भी शत्रु छीन ले; क्योंकि तब उसकी रक्षा का कोई साधन नहीं रह जाता है । ऐसा भी देखा गया है कि जिनके पास पर्याप्त कोष नहीं; किन्तु दुर्जेय दुर्ग है, उनका उच्छेद सहसा नहीं किया जा सकता है । इसलिए कोष की अपेक्षा दुर्ग-व्यसन ही अधिक कष्टकर समझना चाहिए ।'

१. आचार्य कौणपदन्त (भीष्म) का कहना है कि कोष और सेना, दोनों के व्यसनों में सेना-व्यसन ही अधिक कष्टकर है; क्योंकि शत्रु तथा मित्र का निग्रह सेना द्वारा ही होता है; दूसरे की सेना को अपनी सेना द्वारा ही कार्य पर नियुक्त किया जा सकता है । अपनी सेना का अधिक संग्रह भी सेना के ही द्वारा किया जा सकता है । अपनी सैनिक शक्ति क्षीण हो जाने पर ही विजिगीषु, शत्रु की अपेक्षा में अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ा पाता है । यदि सेना पर विपत्ति पड जाय तो निश्चित ही कोष भी नष्ट हो जाता है; क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता है । कोष के अभाव में भी वस्त्राभरण के द्वारा, भूमि के द्वारा, बलात् अपहृत शत्रुद्रव्य के द्वारा सेना का संगठन किया जा सकता है; और तब कोष को भी जमा किया जा सकता है । सदा राजा के समीप रहने के कारण सेना को भी अमात्यो के ही समान उपकारक समझना चाहिए । इसलिए कोष की अपेक्षा सेना-व्यसन अधिक भययुक्त है ।'
२. किन्तु आचार्य कौटिल्य, कौणपदन्त की उक्त दलील को स्वीकार नहीं करते हैं । उनका कहना है कि 'सेना का सारा दारोमदार कोष पर ही निर्भर है ।

गच्छति, स्वामिनं वा हन्ति । सर्वाभियोगकरश्च । कोशो धर्म-
हेतुः । देशकालकार्यवशेन तु कोशदण्डयोरन्यतरः । प्रमाणी-
भवति । लम्भपालनो हि दण्डः कोशस्य । कोशः कोशस्य दण्डस्य
च भवति । सर्वद्रव्यप्रयोजकत्वात्कोशव्यसनं गरीय इति ।

१. दण्डमित्रव्यसनयोर्मित्रव्यसनमिति वातव्याधिः । मित्रमभृतं
व्यवहितं च कर्म करोति, पार्ष्णिग्राहमासारममित्रमाटविकं
च प्रतिकरोति, कोशदण्डभूमिभिश्चोपकरोति व्यसनावस्था-
योगमिति ।

२. नेति कौटिल्यः । दण्डवतो मित्रं मित्रभावे तिष्ठत्यमित्रो

उसके अभाव में या तो सेना शत्रु के अधीन हो जाती है या अपने ही
स्वामी का वध कर डालती है । सब सामंतों के साथ सेना ही राजा का
विरोध करा सकती है; क्योंकि धन देने पर सभी को वश में किया जा
सकता है । लोक में धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के साधन का मूल
कारण कोप ही है; किन्तु इस संबंध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है
कि देश, काल तथा कार्य को दृष्टि में रखकर कोप और सेना, दोनों को प्रधान
माना जा सकता है, जिनके द्वारा कि विजिगीषु का कार्य सध सके । सेना
केवल कोप की रक्षा कर सकती है; किन्तु कोप से दुर्ग और सेना, दोनों की
रक्षा हो जाती है । इसलिए सभी दुर्ग आदि द्रव्य प्रकृतियों की प्रयो-
जनसिद्धि होने के कारण कोप के ऊपर आई हुई विपत्ति को ही गरीयसी
समझना चाहिए ।'

१. आचार्य वातव्याधि (उद्धव) का मत है कि 'अपनी सेना और अपने मित्र
पर एक साथ पड़ी विपत्ति में मित्र पर पड़ी विपत्ति अधिक कष्टकर है;
क्योंकि दूर रहता हुआ भी मित्र बिना कुछ लिए विजिगीषु का कार्य करता
है और पार्ष्णिग्राह का, पार्ष्णिग्राह के मित्रवल का, शत्रु का तथा आटविक
का सदैव प्रतीकार करने के लिए तैयार रहता है । कोप, सेना और भूमि
के द्वारा वह बराबर विजिगीषु की मदद करता रहता है । विपत्ति में साथ
नहीं छोड़ता है ।'

२. किन्तु कौटिल्य, वातव्याधि के उक्त सिद्धांत से सहमत नहीं है । उसका

वामित्रभावे । दण्डमित्रयोस्तु साधारणे कार्ये सारतः स्वयुद्ध-
देशकाललाभाद्विशेषः । शीघ्राभियाने त्वमित्राटविकाभ्यन्तर-
कोपे च न मित्रं विद्यते । व्यसनयौगपद्ये परवृद्धौ च मित्र-
मर्थयुक्तौ तिष्ठति ।

१. प्रकृतिव्यसनसम्प्रधारणमुक्तमिति ।
२. प्रकृत्यवयवानां तु व्यसनस्य विशेषतः ।
बहुभावोऽनुरागो वा सारो वा कार्यसाधकः ॥
३. द्वयोस्तु व्यसने तुल्ये विशेषो गुणतः क्षयात् ।
शेषप्रकृतिसाद्गुण्यं यदि स्यान्नाभिधेयकम् ॥

कहना है कि 'जिसके पास अच्छा सैन्यबल होता है, उसके मित्र तो मित्र ही बने रहते हैं, किन्तु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं । सेना और मित्र, इनके साधारण कार्य में लाभ के अनुसार अपने युद्ध, देश और काल की अपेक्षा विशेषता समझनी चाहिए । तात्कालिक आक्रमण पर अथवा शत्रु और आटविकों के द्वारा आभ्यन्तर कोप उत्पन्न करा देने पर मित्र लोग उसका कोई प्रतीकार नहीं करा सकते हैं; बल्कि सेना ही ऐसे अवसरों पर काम आती है । एक साथ विपत्ति आने पर अथवा शत्रु के बढ़ जाने के कारण मित्र ही अर्थ-सिद्धि में सहायक होता है ।'

१. यहाँ तक प्रकृति-व्यसन का निरूपण किया गया ।
२. यदि प्रकृति के कुछ अंगों पर विपत्ति आ पड़ी हो तो जिस प्रकृति पर व्यसन पड़ा है उसकी अधिक संख्या, स्वामिभक्ति और विशेष गुणों के अनुसार ही उस विपत्ति को दूर करना चाहिए ।
३. यदि शत्रु और विजिगीषु दोनों पर एक साथ ही व्यसन आ पड़ा हो तो एक के गुणशाली और दूसरे के गुणहीन होने पर ही विशेषता समझनी चाहिए; किन्तु जिस प्रकृति पर व्यसन है उसके अतिरिक्त शेष सभी प्रकृति यदि अपनी-अपनी अवस्था में शक्तिशाली बनी रहें तो पूर्वोक्त विशेषता नहीं समझनी चाहिए ।

आठवाँ अधिकरण : प्रकरण १२७, अध्याय १


१. शेषप्रकृतिनाशस्तु यत्रैकव्यसनाद्भवेत् ।
व्यसनं तद्गरीयः स्यात्प्रधानस्येतरस्य वा ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमाधिकरणे प्रकृतिव्यसनवर्गो नाम प्रथमोऽध्यायः,
आदितः सप्तदशशततमः ।



१. यदि एक प्रकृति-व्यसन के कारण शेष प्रकृतियों का भी नाश होता हो, तो वह व्यसन भले ही प्रधान-अप्रधान किसी भी प्रकृति से संबद्ध क्यों न हो, पहिले उसी व्यसन का प्रतीकार करना चाहिए ।

व्यसनाधिकारिक नामक अष्टम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



अध्याय २

प्रकरण १२८

राजराज्ययोर्व्यसनचिन्ता

१. राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेपः ।
२. राज्ञ आभ्यन्तरो बाह्यो वा कोप इति । अहिभयादाभ्यन्तरः कोपो बाह्यकोपात्पापीयान् । अन्तरमात्यकोपश्चान्तःकोपात् । तस्मात्कोशदण्डशक्तिमात्मसंस्थां कुर्वीत ।
३. द्वैराज्यवैराज्ययोर्द्वैराज्यमन्योन्यपक्षद्वेषानुरागाभ्यां परस्पर संघर्षेण वा विनश्यति । वैराज्यं तु प्रकृतिचित्तग्रहणापेक्षि यथा-स्थितमन्यैर्भुज्यत इत्याचार्याः ।

राजा और राज्य के व्यसनो पर विचार

१. प्रकृति का संक्षिप्त स्वरूप राजा और राज्य है ।
२. राजा के प्रति राज्य का दो प्रकार से कोप होता है : आभ्यन्तर और बाह्य । घर में रहने वाले साँप की तरह आभ्यन्तर कोप, बाह्य कोप की अपेक्षा बहुत ही अनर्थकारी होता है । यह आभ्यन्तर कोप भी दो प्रकार का है : एक अन्तर अमात्य-कोप और दूसरा बाह्य अमात्य-कोप । इन दोनों में अन्तर अमात्य-कोप बहुत ही खतरनाक होता है । इसलिए विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह कोष और सेना की सम्पूर्ण शक्ति को अपने ही हाथ में रखे ।
३. पूर्वाचार्यों का मत है कि 'द्वैराज्य (जिस राज्य के दो राजा हों) और वैराज्य (जिस राज्य में किसी विजित राजा का शासन हो), इन दोनों में दो राजाओं के पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य एवं स्पर्धा के कारण वैराज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है; किन्तु प्रजा के विचारों के अनुसार चलाये जाने वाला वैराज्य हमेशा अपनी स्थिति को बनाये रखता है ।'

आठवाँ अधिकरण : प्रकरण १२८, अध्याय २

१. नेति कौटिल्यः । पितापुत्रयोर्भ्रात्रोर्वा द्वैराज्यं तुल्ययोगक्षेम-
ममात्यावग्रहं वर्तयेतेति । वैराज्यं तु जीवतः परस्याच्छिद्य
'नैतन्मम' इति मन्यमानः कर्षयत्यपत्राहयति, पण्यं वा
करोति, विरक्तं वा परित्यज्यापगच्छतीति ।
२. अन्धश्चलितशास्त्रो वा राजेति । अशास्त्रचक्षुरन्धो यत्किञ्चन-
कारी दृढाभिनिवेशी परप्रणेयो वा राज्यमन्यायेनोपहन्ति ।
चलितशास्त्रस्तु यत्र शास्त्राच्चलितमतिर्भवति, शक्यानुनयो
भवतीत्याचार्याः ।
३. नेति कौटिल्यः—अन्धो राजा शक्यते सहायसम्पदा यत्र तत्र

१. किन्तु कौटिल्य का कहना है 'क्योंकि पिता, पुत्र तथा दो भाईयों में दायभाग सम्बन्धी विरोध के कारण ही द्वैराज्य की स्थापना होती है, जिस में दोनों शासकों का योग-क्षेम समान होता है; उनके अमात्यों द्वारा दोनों राजाओं का पारस्परिक वैमनस्य शान्त हो सकता है । इस दृष्टि से द्वैराज्य में कोई बड़ा दोष नहीं है । परन्तु वैराज्य में जीवित शत्रु को उच्छिन्न कर, बलपूर्वक उससे राज्य छीन कर, विजिगीषु उसको 'यह मेरा नहीं है' ऐसा मानता हुआ जुमाना, टैक्स आदि के द्वारा कष्ट पहुँचाता है; अथवा अच्छी रकम लेकर उसे दूसरे के हाथ बेच देता है; या वहाँ की प्रजा को विमुख जानकर सर्वस्व अपहरण कर के वहाँ से चला जाता है ।'

२. अन्धशास्त्र (जिम राजा ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है) और चलित शास्त्र (शास्त्रों का अध्ययन कर के भी तदनुसार आचरण न करने वाला), इन दोनों राजाओं में से कौन सा राजा प्रजा के लिए अधिक कल्याण-प्रद है ? इस सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों का कहना है कि 'शास्त्ररूपी चञ्चलों से हीन अन्धा राजा बिना विचारे ही कार्य करने वाला, हठबुद्धि, दुष्कर्मरत, या परबुद्धि हो कर अन्याय से राज्य को नष्ट कर डालता है । उसकी अपेक्षा चलितशास्त्र राजा को, शास्त्रविरुद्ध आचरण करने पर अनुनय, विनय के द्वारा रोका जा सकता है । इसलिए अन्धशास्त्र से चलितशास्त्र राजा उत्तम है ।'

३. किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'अन्धे राजा को अमात्य आदि की

वा पर्यवस्थापयितुमिति । चलितशास्त्रस्तु शास्त्रादन्यथाभिनि-
विष्टबुद्धिरन्यायेन राज्यमात्मानं चोपहन्तीति ।

१. व्याधितो नवो वा राजेति ? व्याधितो राजा राज्योपघातम-
भात्यमूलं प्राणावाधं वा राज्यमूलमवाप्नोति । नवस्तु राजा
स्वधर्मानुग्रहपरिहारदानमानकर्मभिः प्रकृतिरञ्जनोपकारैश्वरती-
त्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः । व्याधितो राजा यथाप्रवृत्तं राजप्रणिधिमनु-
वर्तयति । नवस्तु राजा 'बलावर्जितं समेदं राज्यम्' इति
यथेष्टमनवग्रहश्चरति । सामुत्थायिकैरवगृहीतो वा राज्योपघातं
मर्षयति । प्रकृतिष्वरूढः सुखः समुच्छेचुं भवति । व्याधिते
विशेषः—पापरोग्यपापरोगी च ।

हितकर बुद्धि से स्वेच्छया अच्छे मार्ग पर लाया जा सकता है; किन्तु
चलितशास्त्र राजा तो शास्त्र-विरुद्ध कार्य करने में अपनी हठ-बाढ़िता के
कारण अन्याय से स्वयं को और अपने राज्य को नष्ट कर डालता है ।'

१. बीमार राजा और नये राजा, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय करते
हुए प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'व्याधिग्रस्त राजा अपने अमात्यों के
षड्यन्त्र से राज्य को गँवा बैठता है या राज्य के सहित प्राण भी दे बैठता है;
किन्तु नया राजा अपने धर्म, अनुग्रह, परिहार और मान आदि कार्यों से
लोकप्रियता प्राप्त कर राज्य का संचालन कर सकता है ।'
२. किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है 'क्योंकि व्याधिग्रस्त राजा पूर्ववत् ही
राज्य के व्यापारों को बराबर चलाता रहता है; किन्तु नया राजा तो बल के
अभिमान से चूर हो कर 'यह मेरा राज्य है' ऐसा समझता हुआ स्वेच्छा-
चारी बन कर अनमाना शासन करता है । अथवा जब कभी उन्नतिशील
साथी राजाओं से घिर जाता है तो राज्य के नाश को चुपचाप देखता
रहता है । प्रजा का अनुराग न होने से अनायास ही शत्रुओं के द्वारा उखाड़
दिया जाता है । इसलिए नये राजा की अपेक्षा व्याधिग्रस्त राजा ही श्रेष्ठ है ।
परन्तु इस सम्बन्ध में एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य यह है कि व्याधि-
ग्रस्त राजा भी दो तरह के हो सकते हैं : एक तो पापरोग (कोड़)

१. नवेऽप्यभिजातोऽनभिजात इति । दुर्बलोऽभिजातो बलवान-
नभिजातो राजेति । दुर्बलस्याभिजातस्योपजापं दौर्बल्यापेक्षाः
प्रकृतयः कृच्छ्रेणोपगच्छन्ति । बलवतश्चानभिजातस्य बला-
पेक्षाः सुखेन इत्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः । दुर्बलमभिजातं प्रकृतयः स्वयमुपनमन्ति,
जात्यमैश्वर्यप्रकृतिरनुवर्तत इति । बलवतश्चानभिजातस्योपजापं
विसंवादयन्ति—अनुरागं सार्वगुण्यमिति ।
३. प्रयासवधात्सस्यवधो मुष्टिवधात्पापीयान् ।
४. निराजीवत्वादवृष्टिरतिवृष्टित इति ।

आदि से प्रस्त और दूसरे अपाप रोग (साधारण रोग) से प्रस्त । इन में अपापरोगी राजा के सम्बन्ध में ही उक्त कथन को समझना चाहिए ।’

१. नये राजाओं में भी उच्च कुलीन राजा उत्तम होता है या नीच कुलीन ?
उन में भी उच्च कुल का दुर्बल राजा उत्तम होता है या नीच कुल का
बलवान् राजा ? इस सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों का कहना है कि ‘कुलीन
दुर्बल राजा के अमास्य आदि प्रकृतिजन तथा प्रजाजन बड़ी कठिनाई से
उसके वश में रहते हैं । किन्तु नीच कुलोत्पन्न, राजा के रोषदाव के कारण
सम्पूर्ण प्रजा तथा अमास्य आदि उसके वश में हो जाते हैं । इसलिए दुर्बल
अभिजात राजा ही श्रेष्ठ है ।’
२. किन्तु आचार्य कौटिल्य का उक्त मत के विरुद्ध यह कहना है कि ‘जो राजा
उच्च कुलोत्पन्न होता है, वह चाहे दुर्बल भी हो, प्रकृतिजन अपने-आप ही
उसके सामने झुक जाते हैं; क्योंकि ऐश्वर्य की योग्यता उच्च कुलोत्पन्न
राजा का ही अनुगमन करती है । किन्तु बलवान् होने पर भी नीचकुलोत्पन्न
राजा के प्रकृतिजन विराग के कारण उसका विरोध करने लगते हैं; क्योंकि
अनुराग ही गुणों का आश्रय है ।’
३. खेत में बीज न बोने के कारण अन्नाभाव से जो कष्ट होता है उसकी अपेक्षा
बीज बोने के बाद तैयार हुए अनाज का नष्ट हो जाना अधिक पीड़ाकर
होता है । क्योंकि सारा परिश्रम ही व्यर्थ चला जाता है ।
- ४ इसी प्रकार अधिक वृष्टि होने की अपेक्षा वृष्टि का सर्वथा न होना अधिक
हानिकर है; क्योंकि जीवन की रक्षा जल पर ही निर्भय होती है ।


१. द्वयोर्द्वयोर्व्यसनयोः प्रकृतीनां बलाबलात् ।
पारम्पर्यक्रमेणोक्तं याने स्थाने च कारणम् ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमाधिकरणे राजराज्ययोर्व्यसनचिन्ता नाम
द्वितीयोऽध्याय आदितोऽष्टादशशततमः ।



१. इस प्रकार दो भिन्न-भिन्न व्यसनों में प्रकृतियों के बलाबल का निरूपण किया जा चुका है। इसका स्पष्टीकरण इस तरह है : विजिगीषु और शत्रु पर व्यसन होने के कारण, यदि शत्रु की अपेक्षा विजिगीषु पर लघु व्यसन हो तो विजिगीषु को चढ़ाई कर देनी चाहिए; और यदि अवस्था इसके विपरीत हो तो विजिगीषु को चुपचाप हो कर बैठ जाना चाहिए।

व्यसनाधिकारिक नामक अष्टम अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ३

सूक्तकरण १२९

पुरुषव्यसनवर्गः

१. अविद्याविनयः पुरुषव्यसनहेतुः । अविनीतो हि व्यसनदोषान्न पश्यति ।
२. तानुपदेक्ष्यामः—कोपजस्त्रिवर्गः, कामजश्चतुर्वर्गः ।
३. तयोः कोपो गरीयान् । सर्वत्र हि कोपश्चरति, प्रायशश्च कोप-वशा राजानः प्रकृतिकोपैर्हताः श्रूयन्ते, कामवशाः क्षयव्यय-निमित्तमरिव्याधिभिरिति ।
४. नेति भारद्वाजः । सत्पुरुषाचारः कोपः । वैरयातनमवज्ञावधो

सामान्य पुरुषों के व्यसन

१. अशिष्टित व्यक्ति व्यसनी हो जाते हैं; क्योंकि अशिष्टित व्यक्ति व्यसनों से पैदा होने वाले दोषों को नहीं समझ पाता है ।
२. इस प्रकरण में ऐसे ही व्यसनों तथा व्यसनों से पैदा होने वाले दोषों का निरूपण किया जाता है । कोप से उत्पन्न होने वाले तीन दोष होते हैं, इसीलिए उन्हें त्रिवर्ग कहा गया है । इसी प्रकार काम से उत्पन्न होने वाले चार दोष हैं, इसीलिए उन्हें चतुर्वर्ग कहा गया है ।
३. दोषों को उत्पन्न करने वाले काम और क्रोध दोनों में से क्रोध ही अधिक भयावह होता है; क्योंकि क्रोध का सर्वत्र प्रवेश है । प्रायः ऐसा सुना गया है कि कोप से वशीभूत हुए राजा अपनी प्रकृतियों के कोप-से ही मारे गए । इसी प्रकार काम के वशीभूत हुए राजा, सेना तथा कोष के नष्ट हो जाने या शारीरिक शक्ति के नष्ट हो जाने के कारण शत्रुओं तथा व्याधियों के द्वारा नारे गए सुने गए हैं ।
४. इस सिद्धान्त के विपरीत आचार्य भारद्वाज का कथन है 'क्योंकि कोप

भीतमनुष्यता च, नित्यश्च कोपसम्बन्धः पापप्रतिषेधार्थः ।
कामः सिद्धिलाभः । सान्त्वं त्यागशीलता सम्प्रियभावश्च ।
नित्यश्च कामेन सम्बन्धः कृतकर्मणः फलोपभोगार्थ इति ।

१. नेति कौटिल्यः । द्वेष्यता शत्रुवेदनं दुःखासङ्गश्च कोपः । परि-
भवो द्रव्यनाशः पाटच्चरघूतकारलुब्धकगायनवादकैश्चानर्थैः
संयोगः कामः ।

२. तयोः परिभवाद् द्वेष्यता गरीयसी । परिभूतः स्वैः परैश्चाव-
गृह्यते, द्वेष्यः समुच्छिद्यत इति । द्रव्यनाशाच्छत्रुवेदनं गरीयः,
द्रव्यनाशः कोशाबाधकः, शत्रुवेदनं प्राणाबाधकमिति । अनर्थ्य-

करना श्रेष्ठ लोगों का आचारधर्म है । कोप से ही शत्रु का प्रतीकार और दूसरे के तिरस्कार का बदला लिया जाता है । क्रोधी पुरुष की बुराई करने से सभी लोग डरते हैं । क्रोध छोड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसी के द्वारा पापियों का निग्रह होता है । इसी प्रकार काम भी सुख को देनेवाला है और उसी के कारण व्यक्ति में सूच्चाई, मधुरता, त्याग और सौम्यता जैसे गुण आ बसते हैं । इसके अतिरिक्त अपने कर्मों का फल भोगने के लिए प्रत्येक पुरुष के लिए काम का अवलंबन आवश्यक भी है ।

१. किन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त मत को स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि 'कोप और काम कदापि गुणों की कोटि में नहीं रखे जा सकते हैं; वे तो अनेक महान् अनर्थों को पैदा करने वाले हैं; कोप के कारण मनुष्य सबका द्वेषी बन जाता है; उसके अनेक शत्रु बग जाते हैं; दुःख उसके शिर पर मँढराथा करते हैं, कामी पुरुष का सर्वत्र तिरस्कार होता है; वह धन-नाश करता है; चोर, जुआरी, शराबी आदि अनर्थकारी व्यक्तियों से उसका साथ होता है ।'

२. काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों में से, कामजन्य परिभव (दोष) की अपेक्षा क्रोधजन्य द्वेष्यता अधिक हानिकर होती है । तिरस्कृत व्यक्ति अपने या पराये लोगों के द्वारा कभी न कभी अनुगामी बनाया जा सकता है; किन्तु जिससे सभी लोग द्वेष करते हैं वह तो नष्ट ही हो जाता है । इसीलिए तिरस्कृत होने की अपेक्षा द्वेष्य होना अधिक कष्टकर है । द्रव्यनाश

संयोगाद् दुःखसंयोगो गरीयान् । अनर्थसंयोगो मुहूर्तप्रीतिकरः,
दीर्घक्लेशकरो दुःखानामासङ्ग इति । तस्मात्क्रोपो गरीयान् ।

१. वाक्पारुष्यमर्थदूषणं दण्डपारुष्यमिति । वाक्पारुष्याथदूषण-
योर्वाक्पारुष्यं गरीयः इति विशालाक्षः । परुषमुक्तो हि तेजस्वी
तेजसा प्रत्यारोहति, दुरुक्तशल्यं हृदि निखातं तेजःसन्दीपन-
मिन्द्रियोपतापि च इति ।
२. नेति कौटिल्यः । अर्थपूजा वाक्छल्यमपहन्ति, वृत्तिविलोप-
स्त्वर्थदूषणम् । अदानमादानं विनाशः परित्यागो वा अर्थस्ये-
त्यर्थदूषणम् ।

हो जाने की अपेक्षा अधिक शत्रुओं का पैदा हो जाना अधिक हानिकर है । द्रव्यनाश होने पर केवल कोष को बाधा पहुँचती है, प्राण सुर-
क्षित रहते हैं; किन्तु शत्रुओं के बढ़ जाने से प्राण खतरे में पड़ जाते हैं ।
अनर्थकारी व्यक्तियों से संपर्क होने की अपेक्षा दुःखों का संयोग अधिक
कष्टकर है । चोर, जुआरी आदि अनर्थकारी व्यक्तियों के संबन्ध परिणाम
ये दुःखदायी होने के बावजूद भी थोड़े समय के लिए प्रसन्न कर देनेवाले
होते हैं; किन्तु दुःखों का संबन्ध लगातार कष्टदायक होता है । इसलिए
कामजन्य दोषों की अपेक्षा क्रोधजन्य दोषों को ही अधिक हानिकर सम-
झना चाहिए ।

१. कोपजन्य त्रिवर्गः : वाक्पारुष्य, अर्थदूषण और दण्डपारुष्य, ये कोपज त्रिवर्ग
हैं । आचार्य विशालाक्ष के मत से 'वाक्पारुष्य ही अधिक बलवान् है । क्योंकि
अपने तिरस्कार को सहन न करने वाले पुरुष के साथ कठोर वाक्यों का
व्यवहार करने पर वह निश्चित ही कठोरभाषी व्यक्ति पर अपने तेज के
द्वारा आक्रमण करता है । हृदय में गड़ा हुआ दुर्वचन भीतरी तेज को
उभाड़ने वाला और इन्द्रियों को संतप्त करने वाला होता है । इसलिए
अर्थदूषण की अपेक्षा वाक्पारुष्य को ही अधिक हानिकर समझना चाहिए ।'
२. किन्तु, विशालाक्ष के मत के विरुद्ध कौटिल्य का कहना है कि 'अर्थ द्वारा
की गई पूजा दुर्वचनरूपी शल्य को नष्ट कर देती है; किन्तु वाणी द्वारा
की गई पूजा अर्थदूषण को नहीं हटा सकती है ; किसी की जीविका

१. अर्थदूषणदण्डपारुष्ययोरर्थदूषणं गरीयः इति पाराशराः । अर्थ-
मूलौ धर्मकामौ, अर्थप्रतिबन्धश्च लोको वर्तते, तस्योपघातो
गरीयान् इति ।
२. नेति कौटिल्यः । सुमहताऽप्यर्थेन न कश्चन शरीरविनाश-
मिच्छेत् । दण्डपारुष्याच्च तमेव दोषमन्येभ्यः प्राप्नोति । इति
कोपजस्त्रिवर्गः ।
३. कामजस्तु—मृगया घृतं स्त्रियः पानमिति चतुर्वर्गः । तस्य मृग-
याघृतयोर्भृगया गरीयसी इति पिशुनः । स्तेनामित्रव्यालदाव-

मारना ही अर्थदूषण है । प्रिय वचन जीविका के विघात को पूरा नहीं कर सकते हैं । अर्थदूषण चार प्रकार का होता है । (१) अदान (कार्य करने पर भी वेतन न देना, (२) आदान (दण्ड आदि के द्वारा धन खींच लेना, (३) विनाश (देश को पीडा पहुँचाना) और (४) अर्थत्याग (रक्षा योग्य अर्थ की रक्षा न करना) ।'

१. आचार्य पराशर के अनुयायियों का कहना है कि 'अर्थदूषण और दण्डपारुष्य में अर्थदूषण ही बलवान् होता है; क्योंकि धर्म, काम और लोकनिर्वाह सभी अर्थ पर निर्भर होते हैं । इसलिए अर्थ का उपघात (दूषण) होना अत्यंत ही आपत्तिजनक है । इसलिए दण्डपारुष्य की अपेक्षा अर्थदूषण को ही बड़ा समझना चाहिए ।'
२. किन्तु कौटिल्य उक्त मत को युक्तिसंगत नहीं मानता है । उसका कहना है कि 'अत्यधिक धन-प्राप्ति के बदले में कोई भी अपने को नष्ट नहीं करना चाहता है; पुनः दण्डपारुष्य से आत्मरक्षा के लिए वह उतनी ही धन-राशि खर्च करने के लिए तैयार रहता है । इसलिए अर्थदूषण की अपेक्षा दण्डपारुष्य को ही अधिक कष्टकर समझना चाहिए ।' यहाँ तक कोपजन्य त्रिवर्ग का निरूपण किया गया ।
३. कामजन्य चतुर्वर्ग : मृगया, घृत, स्त्री और मदिरापान, ये कामज चार दोष हैं । 'इस कामजन्य चतुर्वर्ग में मृगया और घृत, इन दोनों में से मृगया दोष अधिक हानिकर होता है'—ऐसा आचार्य नारद (पिशुन) का कहना है । 'क्योंकि मृगया दोष में सर्वथा चोर, शत्रु, साँप, दावाग्नि और गिरने का

प्रस्खलनभयदिश्रोहाः क्षुत्पिपासे च प्राणाबाधस्तस्याम् । द्यूते
तु जितमेवाक्षविदुषा यथा जयत्सेनदुर्योधनाभ्यामिति ।

१. नेति नौटिल्यः । तयोरप्यन्यतरपराजयोऽस्तीति नलयुधिष्ठि-
राभ्यां व्याख्यातं, तदेव विजितद्रव्यमामिपं, वैरबन्धश्च,
सतोऽर्थस्य विप्रतिपत्तिरसतश्चार्जनमप्रतिभुक्तनाशो मूत्रपुरीषधा-
रणबुभुक्षादिभिश्च व्याधिलाभ इति द्यूतदोषः । मृगयायां तु व्या-
यामः श्लेष्मपित्तमेदःस्वेदनाशश्चले स्थिरे च काये लक्षपरिचयः
कोपभयस्थानेहितेषु च मृगाणां चित्तज्ञानमनित्ययानं चेति ।
२. द्यूतस्त्रीव्यसनयोः कैतवव्यसनम् इति कौणपदन्तः । सातत्येन

अस्य बना रहता है; दिशाओं के भूल जाने से तथा भूख-प्यास से कभी-
कभी प्राणांतक कष्ट भी उपस्थित हो जाता है । परंतु बढ़िया खिलाड़ी जुए
में अवश्य ही विजयी होता है, जैसे जयत्सेन और दुर्योधन ने नल और
युधिष्ठिर को जुए में जीत लिया था । इसलिए जुए की अपेक्षा शिकार में
अधिक कष्ट है ।'

१. किन्तु उक्त सिद्धांत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'मृगया
की भाँति जुए में भी अनेक दोष हैं । जुआ खेलने वालों में एक की अवश्य
ही हार होती है, जैसे नल और युधिष्ठिर जुए में हार गए थे । जुए में
जीता हुआ धन पराये मांस की तरह है और हारने वाला जुआरी जीते
हुए जुआरी से वैर भी ठान लेता है । धर्मपूर्वक कमाये हुए धन का दुरुप-
योग होता है और अधर्मपूर्वक जुए से धन का संग्रह होता है । संग्रह किया
हुआ धन फिर जुए में ही गवाँ दिया जाता है । जुआ खेलते समय पेशाब,
पाखाना और भूख रोकने से अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं । जुए की अपेक्षा
मृगया में व्यायाम, कफ-पित्त का नाश, मेदा का न बढ़ना, पसीना निक-
लने से देह का हल्का होना, चलते हुए या बैठे हुए शरीर पर निशाना
बाँधने का अभ्यास होना; क्रोध तथा भय से उत्पन्न होने वाले जंगली
जानवरों के चित की भिन्न-भिन्न चेष्टाओं का ज्ञान होना और किसी खास
अवसर पर ही मृगया का समय निश्चित होना—ये सब गुण ऐसे हैं, जो
द्यूत में असंभव है ।'

२. आचार्य कौणपदन्त का मत है कि 'द्यूत-व्यसन और स्त्री-व्यसन, दोनों में

हि निशि प्रदीपे मातरि च मृतायां दीव्यत्येव कितवः, कृच्छ्रे च प्रतिपृष्टः कुप्यति । स्त्रीव्यसनेषु तु स्नानप्रतिकर्मभोजनभूमिषु भवत्येव धर्मार्थपरिग्रहः । शक्या च स्त्री राजहिते नियोक्तुम् । उपांशुदण्डेन व्याधिना वा व्यावर्तयितुमवसावयितुं वा इति ।

१. नेति कौटिल्यः । सप्रत्यादेयं द्यूतम्, निष्प्रत्यादेयं स्त्रीव्यसनम् । अदर्शनं, कार्यनिर्वेदः, कालातिपातनादनर्थधर्मलोपश्च, तन्त्रदौर्बल्यं, पानानुबन्धश्चेति ।

द्यूत-व्यसन अधिक हानिकर है; क्योंकि जुबारी रात में भी दीपक जला कर जुआ खेलता है, माता के मर जाने पर उसकी दाहक्रिया आदि की कुछ भी परवाह न करके जुए में जुटा हुआ रहता है और किसी संकट कालीन स्थिति में उससे जब कोई कुछ कहना चाहता है तो वह कुपित हो जाता है । इसके विपरीत स्त्री-व्यसनी राजा से स्नान के समय वस्त्र पहनते हुए या भोजन आदि के समय धर्म-अर्थ के संबंध में पूछा तथा बतलाया जा सकता है; जिस स्त्री पर राजा आसक्त हो उसको भी अमात्यों के द्वारा राजा के ध्येय कार्यों की ओर मोड़ा जा सकता है । यदि वह स्त्री अमात्यों का कहना न माने तो उसका उपांशुवध भी कराया जा सकता है । यदि ऐसा भी संभव न हो तो विषयुक्त औषधियों से उसमें व्याधि उपजा कर इलाज के वहाने उसको दूसरा जगह भेजा जा सकता है । इसलिए स्त्री-व्यसन की अपेक्षा द्यूत-व्यसन ही अधिक हानिकर है ।

१. किन्तु उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'जुए में जो चीज हार दी जाय उसको फिर जुए में ही जीता जा सकता है; किन्तु स्त्री व्यसन में तो जो चीज हाथ से निकल गई उसका वापिस मिलना संभव नहीं होता है । स्त्री-व्यसन में आसक्त राजा अपने मन्त्रियों तक से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मन्त्रिवर्ग भी राजकार्य की ओर उदासीन हो जाता है और इस प्रकार कुछ समय बाद राजा के अर्थ-धर्म, दोनों ही विलुप्त हो जाते हैं । इतना ही नहीं, उसका राज्यतन्त्र भी दुर्बल हो जाता है । स्त्री-व्यसन के सहकारी व्यसन मद्यपान, जुआ आदि भी उसके

१. स्त्रीपानव्यसनयोः स्त्रीव्यसनम् इति वातव्याधिः । स्त्रीषु हि त्रालिश्यमनेकविधं निशान्तप्रणिधौ व्याख्यातम् । पाने तु शब्दादीनामिन्द्रियार्थानामुपभोगः प्रीतिदानं परिजनपूजनं कर्मश्रमवधश्चेति ।
२. नेति कौटिल्यः । स्त्रीव्यसने भवत्यपत्योत्पत्तिरात्मरक्षणं चान्तर्दारेषु, विपर्ययो वा बाह्येषु, अगम्येषु सर्वोच्छित्तिः । तदुभयं पानव्यसने । पानसम्पत्—संज्ञानाशः अनुन्मत्तस्योन्मत्तत्वमप्रेतस्य प्रेतत्वं कौपीनदर्शनं श्रुतप्रज्ञाप्राणवित्तमित्र-

पीछे ढग जाते हैं । इसलिपू यूत-व्यसन की अपेक्षा स्त्री-व्यसन ही अधिक 'हानिकर समझना चाहिए ।'

१. भाचार्य वातव्याधि के मत से 'स्त्री-व्यसन और मद्यपान, दोनों में से स्त्री-व्यसन ही अधिक कष्ट कर है; क्योंकि स्त्रियों में अनेक प्रकार की मूर्खताएँ होती हैं, जिनका वर्णन पीछे निशान्तप्रणिधि प्रकरण में किया गया है; यहाँ तक कि वे अपने पतियों के वध करने तक का षड्यन्त्र रच देती हैं । मद्यपान में तो इन्द्रियों के विषयभूत शब्द आदि का ही उपयोग किया जाता है । उससे प्रेम का विस्तार, तथा परिजनों का सत्कार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और अधिक कार्य करने से उत्पन्न थकावट दूर हो जाती है । इसलिपू मद्यपान की अपेक्षा स्त्री-व्यसन अधिक दुःखदायी है ।'
२. किन्तु उक्त मत के विरुद्ध भाचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'यदि स्त्री-व्यसन अपनी पत्नियों तक ही सीमित है तब तो पुत्रों को पैदा कर उनके द्वारा आत्मरक्षा होना, यह तो लाभ की ही बात है । यदि वह व्यसन गणिका आदि स्त्रियों में हो तो उससे उक्त लाभ नहीं होता और यदि वह अन्य कुलीन स्त्रियों तक असीमित हो जाय तो उससे राजा का सर्वनाश हो जाता है; इसलिपू बाह्य स्त्रियों और कुलीन स्त्रियों में आसक्ति होने के कारण ही स्त्री-व्यसन को सदोष माना गया है । किन्तु मद्यपान-व्यसन में न तो पुत्र आदि के पैदा होने की कोई संभावना है और उसमें सर्वनाश का ही अधिक खतरा रहता है । इसके अतिरिक्त मद्यपान करने से नीचे लिखे अनेक दोष पैदा हो जाते हैं : विवेक-बुद्धि नष्ट हो जाती है; अच्छा-

हानिः सद्भिर्वियोगोऽनर्थसंयोगस्तन्त्रीगीतनैपुण्येषु चार्थघनेषु प्रसङ्ग इति ।

१. द्यूतमद्ययोर्द्यूतमेक्रेषाम् । पणनिमित्तो जयः पराजयो वा, प्राणिषु निश्चेतनेषु वा पक्षद्वैधेन प्रकृतिकोपं करोति, विशेषतश्च सद्भगानां सद्बन्धर्मिणां च राजकुलानां द्यूतनिमित्तो भेदः, तन्निमित्तो विनाश इति । असत्प्रग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्त्रदौर्बल्यादिति ।
२. असतां प्रग्रहः कामः कोपश्चावग्रहः सताम् ।
व्यसनं दोषबाहुल्यादत्यन्तमुभयं मतम् ॥

व्यक्ति भी उन्मत्त के समान हो जाता है; जीता हुआ भी मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो जाता है; उसके ग़सपापों का पता लग जाता है; उसका शास्त्रज्ञान तथा उसकी संस्कृत बुद्धि, बल, धन और मित्र आदि सभी वस्तुओं का विनाश हो जाता है; सज्जनों की संगति से वह दूर हो जाता है; सर्वदा अनर्थकारी व्यक्तियों से उसका संसर्ग हो जाता है; धन को नष्ट करने वाले गीत, वाद्य आदि में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है ।'

१. कुछ आचार्यों का कहना है कि 'द्यूत और मद्य, इन दोनों व्यसनों में से द्यूत ही अधिक कष्टकर है; क्योंकि दाव लगाने पर जय तथा पराजय और प्राणी तथा अप्राणी विषयक द्यूतों में परस्पर विरुद्ध दो पक्षों का वैर हो जाने के कारण प्रकृतियों में कोप को पैदा कर देते हैं और विशेषतः एक साथ रहने वाले एक विचार-बुद्धि के राजकुलों में भी द्यूत के कारण परस्पर मतभेद हो जाता है, जिससे कि उनका विनाश हो जाता है । यह असत्प्रग्रह (जिस व्यसन में दुर्जनों का सत्कार किया जाता है) अर्थात् मद्यपान व्यसन अन्य सभी व्यसनो में अत्यन्त पापिष्ठ है; क्योंकि उससे सारी राज्य-व्यवस्था दुर्बल हो जाती है ।
२. काम और क्रोध, ये दोनों ही गाने-बजाने का व्यवसाय करने वाले दुर्जनों के सत्कार के हेतु तथा सज्जनों के तिरस्कार के हेतु होते हैं । दोषों की अधिकता के कारण काम-क्रोध को महान व्यसन माना गया है ।

आठवाँ अधिऒरण : प्रऒरण १२६, अध्याय ३

१. तस्मात्कोपं च कामं च व्यसनारम्भमात्मवान् ।
परित्यजेन्मूलहरं वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमाधिकरणे पुरुषव्यसनवर्गे नाम तृतीयोऽध्यायः
आदित एकोनविंशतिशततमः ।

॥३०१॥

१. इसलिए धैर्यशाली, वृद्धसेवी और जितेन्द्रिय राजा को चाहिए कि वह, प्राणों तक का नाश करने वाले तथा दुःखोत्पादक काम और क्रोध का सर्वथा परित्याग कर दे ।

व्यसनाधिकारिक नामक आठवें अधिऒरण में तीसरा अध्याय समाप्त ॥

—०००००—

प्रकृष्टरणा १३०-१३२

अध्याय ४

पीडनवर्गः स्तम्भनवर्गः

कोशसङ्गवर्गश्च

१. दैवपीडनमग्निरुदकं व्याधिर्दुर्भिक्षं मरक इति ।
२. अग्न्युदकयोरग्निपीडनमप्रतिकार्यं सर्वदाहि च, शक्रयोपगमनं तार्याबाधमुदकपीडनमित्याचार्याः ।
३. नेति कौटिल्यः । अग्निर्ग्राममर्धग्रामं वा दहति, उदकवेगस्तु ग्रामशतप्रवाहीति ।
४. व्याधिदुर्भिक्षयोर्व्याधिः प्रेतव्याधितोपसृष्टपरिचारकव्याया-

पीडनवर्ग, स्तम्भवर्ग और कोषसंगवर्ग

१. पीडनवर्ग : राष्ट्र पर आने वाली दैवी विपत्तियाँ पाँच प्रकार की होती हैं : (१) अग्नि (२) जल (३) व्याधि (४) दुर्भिक्ष और (५) महामारी ।
२. प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'अग्नि और जल से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों में से अग्निजन्य आपत्ति ही अधिक कष्टकर होती है; क्योंकि आग लग जाने पर उसका सरलता से कोई प्रतीकार नहीं किया जा सकता है और आग सब वस्तुओं को जला कर भस्म कर देती है। किन्तु जल में यह बात नहीं है; क्योंकि शीतल होने से उसका स्पर्श सब्य होता है और नौका आदि साधनों के द्वारा उससे अपना काम भी लिया जा सकता है।'
३. उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है 'अग्नि किसी एक ही गाँव या आधे ही गाँव को जला सकती है किन्तु जल का प्रवाह एक साथ ही सैकड़ों गाँवों को बहा ले जाता है।'
४. पूर्वाचार्यों का कहना है कि 'व्याधि और दुर्भिक्ष इन दोनों में से व्याधि ही अधिक कष्टप्रद होती है; क्योंकि उससे लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते

मोपरोधेन कर्माण्युपहन्ति, दुर्भिक्षं पुनरकर्मोपघाति हिरण्य-
पशुकरदायि च इत्याचार्याः ।

१. नेति कौटिल्यः- एकदेशपीडनो व्याधिः शक्यप्रतीकारश्च, सर्व-
देशपीडनं दुर्भिक्षं प्राणिनामजीवनायेति ।
२. तेन मरको व्याख्यातः ।
३. क्षुद्रकमुख्यक्षययोः क्षुद्रकक्षयः कर्मणामयोगक्षेमं करोति, मुख्य-
क्षयः कर्मानुष्ठानोपरोधधर्मा इत्याचार्याः ।
४. नेति कौटिल्यः । शक्यः क्षुद्रकक्षयः प्रतिसन्धातुं बाहुल्यात्
क्षुद्रकाणां, न मुख्यक्षयः । सहस्रेषु हि मुख्यो भवत्येको
न वा सत्त्वप्रज्ञाधिक्यादाश्रयत्वात् क्षुद्रकाणामिति ।

हैं, कृषि आदि कार्य सब ठप हो जाते हैं । परन्तु दुर्भिक्ष के कारण ये सब
बाधाएँ नहीं होने पातीं । अन्न के अभाव में हिरण्य आदि के द्वारा सरकारी
कर चुकाया जा सकता है ।’

१. किन्तु कौटिल्य पूर्वाचार्यों के मत को युक्तिसंगत नहीं मानता है । वह
कहता है कि ‘व्याधि से किसी एक ही देश की हानि होती है और औषधि आदि
के द्वारा उसका प्रतीकार भी किया जा सकता है । किन्तु दुर्भिक्ष के कारण
सारा राष्ट्र पीडित हो जाता है और प्राणिमात्र का जीवन संकट में पड़
जाता है ।’
२. इसी प्रकार महामारी के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।
३. आचार्यों का विचार है कि ‘छोटे कर्मचारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं में से
छोटे कर्मचारियों का क्षय होना अधिक हानिकर है; क्योंकि कर्मचारियों के
अभाव में कार्यों का योग-क्षेम सिद्ध नहीं होता है । किन्तु प्रमुख कार्यकर्ताओं
का क्षय केवल कार्य की निगरानी में ही बाधा डाल सकता है ।
४. किन्तु कौटिल्य का कहना है कि ‘छोटे कर्मचारियों की कमी को दूसरी
नियुक्तियाँ कर के पूरा किया जा सकता है; किन्तु प्रमुख कार्यकर्ता हजारों
में से एक मिलता है या कभी-कभी वह भी नहीं मिलता; अपने बल-बुद्धि
की अधिकता के कारण छोटे कर्मचारियों का वह आश्रय होता है ।’

१. स्वचक्रपरचक्रयोः स्वचक्रमतिमात्राभ्यां दण्डकराभ्यां पीडयत्य-
शक्यं च वारयितुं, परचक्रं तु शक्यं प्रतियोद्धुमपसारेण
सन्धिना वा मोक्षयितुमित्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः । स्वचक्रपीडनं प्रकृतिपुरुषमुख्योपग्रहविधा-
ताभ्यां शक्यते वारयितुम्, एकदेशं वा पीडयति । सर्वदेशपी-
डनं तु परचक्रं विलोपघातदाहविध्वंसनापवाहनैः पीडयतीति ।
३. प्रकृतिराजविवादयोः प्रकृतिविवादः प्रकृतीनां भेदकः पराभि-
योगानावहति । राजविवादस्तु प्रकृतीनां द्विगुणभक्तवेतन-
परिहारकरो भवतीत्याचार्याः ।

१. प्राचीन आचार्यों का मत है कि स्वचक्र (अपने देश का विप्लव) और परचक्र (दूसरे देश द्वारा विप्लव), इन दोनों में से स्वचक्र ही अधिक भयङ्कर होता है; क्योंकि वह जुरमाना एवं टैक्स आदि के द्वारा प्रजा को पीड़ित करता है और अपने ही देश का होने के कारण उसका प्रतीकार भी नहीं किया जा सकता है; किन्तु परचक्र का प्रतीकार, उस देश को छोड़ देने से भी किया जा सकता है या कुछ धन देकर भी संधि की जा सकती है ।'
२. किन्तु कौटिल्य का कथन है कि 'स्वचक्र की पीड़ा का प्रतीकार अमात्य आदि मुख्य व्यक्तियों को अनुकूल बनाकर या उनका खातमा कर देने पर भी किया जा सकता है । स्वचक्र से किसी एक धन-धान्य सम्पन्न देश को ही पीड़ा पहुँचती है । किन्तु परचक्र के द्वारा तो लूटने, मारने, आग लगाने, अन्य प्रकार से पीड़ा पहुँचाने और अपने देश से निकाल देने आदि द्वारा अनेक प्रकार की पीड़ाएँ सारे राष्ट्र को उठानी पड़ती है ।'
३. आचार्यों का मत है कि 'प्रकृतिविवाद और राजविवाद, इन दोनों में से प्रकृति-विवाद ही अधिक हानिकर होता है; क्योंकि वह अमात्य आदि में परस्पर फूट डालने वाला और शत्रु के कार्यों को सहारा देने वाला होता है । परन्तु राज-विवाद के कारण प्रकृतियों का दुगुण वेतन, भक्ता बढ़ जाता है और प्रजा के सारे कर माफ कर दिए जाते हैं ।'

१. नेति कौटिल्यः । शक्यः प्रकृतिविवादः प्रकृतिमुख्योपग्रहेण कलहस्थानापनयनेन वा वारयितुं, विवदमानास्तु प्रकृतयः परस्परसंघर्षेणोपकुर्वन्ति । राजविवादस्तु पीडनोच्छेदनाय प्रकृतीनां द्विगुणव्यायामसाध्य इति ।
२. देशराजविहारयोर्देशविहारस्त्रैकाल्येन कर्मफलोपघातं करोति, राजविहारस्तु कारुशिल्पकुशीलववाग्जीवनरूपाजीवावैदेहकोपकारं करोति इत्याचार्याः ।
३. नेति कौटिल्यः । देशविहारः कर्मश्रमवधार्थमल्पं भक्षयति, भक्षयित्वा च भूयः कर्मसु योगं गच्छति । राजविहारस्तु स्वयं ब्रह्मैश्व स्वयंग्राहप्रणयपण्यागारकार्योपग्रहैः पीडयति इति ।

१. किन्तु कौटिल्य का कहना है कि 'अभास्य आदि मुख्य प्रकृतियों को अनुकूल बनाकर और कलह के कारणों को मिटा देने से प्रकृति-विवाद को शान्त किया जा सकता है । दूसरी बात यह भी है कि परस्पर विरुद्ध प्रकृति जैन स्पर्धावश राजा का उपकार ही करते हैं । किन्तु प्रजा की सारी शक्ति और सम्पूर्ण समृद्धि राज-विवाद में नष्ट हो जाती है । उसको शान्त करने के लिए दुगुना यत्न करना पड़ता है ।'

२. प्राचीन आचार्यों का कहना है कि 'देश-विहार (हँसी-खेल में फँसा हुआ देश) और राजविहार (हँसी-खेल में फँसा हुआ राजा), इन दोनों में से देश-विहार अधिक हानिकर होता है; क्योंकि प्रजाजनों के खेल-कूद में फँसे रहने के कारण कृषिकार्यों के क्रम में विघ्न हो जाता है । किन्तु राज-विहार से संबद्ध बढ़ई, सुनार, गाने वाले, भाट, वेश्या और व्यापारी आदि व्यक्तियों का बढ़ा भला होता है ।'

३. किन्तु उक्त मत के विरोध में कौटिल्य का कहना है कि 'प्रजाजनों का मनोविनोद थोड़े ही व्यय में हो जाता है और वह मनोविनोद उन्हें ताजगी देकर दुगुने उत्साह से फिर काम करने में जुटा देता है । किन्तु राजविहार में तो स्वयं राजा के द्वारा तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों के द्वारा जनपद की इच्छा के विरुद्ध धन की लूट-मार की जाती है । पण्यशाळा से तथा अतिरिक्त

१. सुभगाकुमारयोः कुमारः स्वयं बल्लभैश्च स्वयंग्राहप्रणयपण्यागार-
कार्योपग्रहैः पीडयति । सुभगा विलासोपभोगेनेत्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः । शक्यः कुमारो मंत्रिपुरोहिताभ्यां वारयितुं
न सुभगा, बालिश्यादनर्थ्यजनसंयोगाच्चेति ।
३. श्रेणीमुख्ययोः श्रेणी बाहुल्यादनवग्रहा स्तेयसाहसाभ्यां पीड-
यति, मुख्यः कार्यानुग्रहविधाताभ्यामित्याचार्याः ।
४. नेति कौटिल्यः । सुव्यावर्त्या श्रेणी समानशीलव्यसनत्वात् ,

कार्यों को पूरा करने के लिए रिश्वत आदि से धन लेकर प्रजा को पीड़ित किया जाता है ।’

१. प्राचीन आचार्यों का मत है कि ‘रानी-विहार और युवराज-विहार, इन दोनों में से युवराज-विहार अधिक कष्ट कर होता है; क्योंकि युवराज के द्वारा तथा उसके खुशामदी व्यक्तियों के द्वारा जनपद की इच्छा के विरुद्ध धन लेकर पण्यशाला तथा अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए रिश्वत लेकर प्रजा को पीड़ित किया जाता है । किन्तु विलास-प्रिय रानी केवल भोग-विलास की सामग्री द्वारा ही प्रजा को पीड़ित करती है ।’
२. किन्तु कौटिल्य उक्त मत से सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि ‘युवराज को इस प्रकार के अनर्थकारी कार्यों से अमात्य आदि रोक सकते हैं । परन्तु रानियों के सम्बन्ध में यह बात नहीं हो सकती है; क्योंकि उनमें प्रायः मूर्खता अधिक होती है और फिर अनर्थकारी नीच पुरुषों का संसर्ग होने के कारण उन्हें समझाना बहुत कठिन होता है ।’
३. प्राचीन आचार्यों के मतानुसार ‘श्रेणी (आयुधजीवी तथा कृषिजीवी व्यक्तियों का संघ) और मुख्य (प्रधान कर्मचारियों का समूह), इन दोनों में से श्रेणी पुरुष ही अधिककष्ट कर है; क्योंकि वही चोरी, डाका आदि से प्रजा को कष्ट पहुँचाते हैं और उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि उन्हें रोका भी नहीं जा सकता है । किन्तु मुख्य पुरुष केवल रिश्वत के मिलने न मिलने के कारण ही कार्यों को बनाने-बिगाड़ने के द्वारा प्रजा को तड़कते हैं ।’
४. परन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि ‘श्रेणी पुरुषों को चोरी डाका आदि से सहज ही में रोका जा सकता है; क्योंकि जहाँ वे चोरी-डाका

श्रेणीमुख्यैकदेशोपग्रहेण वा । स्तम्भयुक्तो मुख्यः परप्राण-
द्रव्योपघाताभ्यां पीडयतीति ।

१. सन्निधातृसमाहर्ताः सन्निधाता कृतविदूषणात्ययाभ्यां पीड-
यति । समाहर्ता करणाधिष्ठितः प्रदिष्टफलोपभोगी भवती-
त्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः । सन्निधाता कृतावस्थमन्यैः कोशप्रवेश्यं
प्रतिगृह्णाति । समाहर्ता तु पूर्वमर्थमात्मनः कृत्वा पश्चाद् राजार्थं
करोति प्रणाशयति वा, परस्वादाने च स्वप्रत्ययश्चरतीति ।
३. अन्तपालवैदेहकयोरन्तपालश्चोरप्रसंगदेयात्यादानाभ्यां वणि-
कपथं पीडयति । वैदेहकास्तु पण्यप्रतिपण्यानुग्रहैः प्रसाधयन्ति ।
इत्याचार्याः ।

करते हैं वे लोग भी उन्हीं के स्वभाव एवं व्यवसाय के होते हैं । उनके
मुखिया को वश में कर के भी उनको चोरी आदि से रोका जा सकता है ।
परन्तु राजकीय मुख्य पुरुष बड़े अभिमानी होते हैं और वे प्राण तथा
धन का अपहरण कर के दूसरों को बहुत कष्ट पहुँचाते हैं ।’

१. प्राचीन आचार्य, सन्निधाता और समाहर्ता, दोनों में से सन्निधाता को
अधिक कष्टकर समझते हैं; क्योंकि वह कार्य विगाड़कर और प्रजा से
अनुचित कर वसूल कर प्रजा को तंग करता है । परन्तु समाहर्ता
अपने ठीक हिसाब से कार्य करता हुआ अपनी नियमित नौकरी को
भोगने वाला होता है ।
२. किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना कुछ और ही है । उनका कथन है
कि ‘सन्निधाता तो दूसरे कर्मचारियों द्वारा वसूल किए हुए धन को एकत्र
कर कोष में जमा कर देता है । किन्तु समाहर्ता पहिले अपनी रिश्वत
लेकर फिर राजकर को वसूल करता है । अथवा उसमें से भी कुछ चुरा
लेता है और स्वेच्छया सब कुछ करता है ।’
३. प्राचीन आचार्यों के मत से ‘अन्तपाल और वैदेहक, इन दोनों में से अन्तपाल
ही अधिक कष्टप्रद है; क्योंकि वह चोरों द्वारा राहगीरों को लुटवाता है;
रास्ते का टैक्स मनमाना वसूल करता है; और व्यापारिक मार्गों पर

१. नेति कौटिल्यः । अन्तपालः पण्यसम्पातानुग्रहेण वर्तयति ।
वैदेहकास्तु सम्भूय पण्यानामुत्कर्षापकर्षं कुर्वाणाः पणे पणशतं
कुम्भे कुम्भशतमित्याजीवन्ति ।
२. अभिजातोपरुद्धा भूमिः पशुत्रजोपरुद्धा वेति । अभिजातोपरुद्धा
भूमिः महाफलाप्यायुधीयोपकारिणी न क्षमा मोक्षयितुं, व्यस-
नाबाधभयात् । पशुत्रजोपरुद्धा तु कृषियोग्या क्षमा मोक्षयितुं,
विगीतं हि क्षेत्रेण बाध्यते । इत्याचार्याः ।
३. नेति कौटिल्यः । अभिजातोपरुद्धा भूमिरत्यन्तमहोपकारापि
क्षमा मोक्षयितुं व्यसनाबाधभयात् । पशुत्रजोपरुद्धा तु कोश-

चलने वाले पथिकों को अधिक कष्ट पहुँचाता है । परन्तु वैदेहक क्रय-
विक्रय पर अधिक लाभ पहुँचा कर देश के व्यापारिक भागों को उन्नत
बनाता है ।’

१. इसके विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कथन है कि ‘अन्तपाल एक साथ लाए
विक्रेय पदार्थों पर उचित वर्तनी (व्यापारी मार्गों का टैक्स) लेकर
व्यापारिक मार्गों को उन्नत एवं लाभप्रद बनाता है । किन्तु वैदेहक
तो आपस में सलाह करके व्यापारी माल के मूल्य को घटा-बढ़ाकर एक
पण के सौ पण और एक कुम्भ के सौ कुम्भ लाभ उठाते हैं ।’
२. ‘विजिगीषु के पारिवारिक पुरुषों से घिरी हुई भूमि को छोड़ना उचित
है या गो आदि पशुओं से घिरी हुई भूमि को छोड़ना ठीक है ?’ इस
संबंध में प्राचीन आचार्यों का मत है कि ‘यदि विजिगीषु की भूमि
अत्यन्त उपजाऊ; लाभदायक और सैनिकों को देकर उपकार करनेवाली
हो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए; क्योंकि आक्रमण के समय सैनिक
पुरुषों के अभाव में ऐसी भूमि कष्टकर होती है । पशुओं से घिरी भूमि
यदि कृषियोग्य हो तो छोड़ी जा सकती है; क्योंकि चारागाह की अपेक्षा
खेती से अधिक लाभ हो सकता है ।’
३. किन्तु उक्त मत के विरुद्ध कौटिल्य का कहना है कि ‘विजिगीषु के पारि-
वारिक पुरुषों की भूमि सैन्य दृष्टि से उपकारक होने पर भी छोड़ी जा
सकती है; क्योंकि उससे सदा ही भय बना रहता है । किन्तु पशुओं

वाहनोपकारिणी न क्षमा मोक्षयितुमन्यत्र सस्यत्रापोपरो-
धादिति ।

१. प्रतिरोधकाटविकयोः प्रतिरोधका रात्रिसत्रचराः शरीराक्रमिणो
नित्याः शतसहस्रापहारिणः प्रधानकोपकाश्च । व्यवहिताः
प्रत्यन्तारण्यचराश्चाटविकाः प्रकाशा दृश्याश्चरन्त्येकदेशघातकाश्च
इत्याचार्याः ।
२. नेति कौटिल्यः । प्रतिरोधकाः प्रमत्तस्यापहरन्ति, अल्पाः
कुण्ठाः सुखा ज्ञातुं ग्रहीतुं च । स्वदेशस्थाः प्रभूता विक्रा-
न्ताश्चाटविकाः । प्रकाशयोधिनोऽपहर्तारो हन्तारश्च देशानां
राजसधर्माण इति ।

की भूमि कोप-संग्रह योग्य घृत तथा वैल आदि को देकर अत्यंत
उपकार करने वाली होती है । इसलिए छोड़ने योग्य नहीं है । किन्तु उसके
पास यदि अनाज के खेत हों और चारागाह के कारण उनका नुकसान
होता हो तो उसे भी छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं ।’

१. प्राचीन आचार्यों की दृष्टि से ‘प्रतिरोधक (लुटेरे) और आटविक (जंगली),
इन दोनों में से प्रतिरोधक पुरुष ही प्रजा के लिए अधिक कष्टप्रद है; क्योंकि
प्रतिरोधक रात्रि में तथा घने जंगलों में घूमने वाले, राहगीर पर आक्रमण
करने वाले, सदा ही पास रहने वाले, सैकड़ों-हजारों का धन अपहरण
करने वाले और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को लूट के द्वारा कंपित कर देने
वाले होते हैं । इसके विपरीत आटविक दूर रहने वाले, सीमा के जंगलों
में घूमने वाले, प्रकट रूप में रहने वाले होते हैं । उनसे देश के किसी
एक ही भाग को नुकसान पहुँचता है और पता चल जाने पर लोग उनसे
अपनी रक्षा भी कर सकते हैं ।’
२. किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि ‘प्रतिरोधक पुरुष असावधान
व्यक्ति के यहाँ से ही चोरी करते हैं । ये लोग अल्प संख्या में होने के
कारण सरलता से पहिचाने जा सकते हैं । किन्तु आटविकों के अपने देश
होते हैं और संख्या में भी वे अधिक होते हैं । बहादुर होने के कारण वे
बड़ी कठिनाई से कब्जे में आते हैं । वे प्रकट रूप में युद्ध करते हैं, प्राणों

१. मृगहस्तिवनयोर्मृगाः प्रभूताः प्रभूतमांसचर्मोपकारिणा मन्द-
ग्रासावक्लेशिनः सुनियम्याश्च । विपरीता हस्तिनो गृह्यमाणा
दुष्टाश्च देशविनाशायेति ।
२. स्वपरस्थानीयोपकारयोः स्वस्थानीयोपकारो धान्यपशुहिरण्य-
कुप्योपकारो जानपदानामापद्यात्मधारणः । विपरीतः परस्था-
नीयोपकारः । इति पीडनानि ।
३. आभ्यन्तरो मुख्यस्तम्भो बाह्यो मित्राटवीस्तम्भः । इति
स्तम्भवर्गः ।
४. ताभ्यां पीडनैर्यथोक्तैश्च पीडितः सक्तो मुख्येषु परिहारोपहतः

का अपहरण करने वाले होते हैं और निरंकुश होने के कारण उनकी स्थिति राजाओं के समान होती है ।’

१. मृगवन और हस्तिवन इन दोनों में से मृगवन उत्तम होता है क्योंकि मृगों में मांस और चाम अधिक मात्रा में मिलता है । वे थोड़ा खाने वाले, भागते समय जल्दी थक जाने वाले और पकड़े जाने पर जल्दी ही वश में आने वाले होते हैं । उनके विपरीत हाथी संख्या में कम होते हैं; उन पर बहुत कम चमड़ा और मांस निकलता है; वे अधिक खाते हैं; थकते भी नहीं हैं; मुश्किल से पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर मार भी डालते हैं ।
२. अपने नगर का उपकार करना और पराये नगर का अपकार करना, इन दोनों में से अपने नगर का उपकार करना; अर्थात् धान्य, पशु, हिरण्य और कुप्य आदि पदार्थों का क्रय-विक्रय करना; जनपदवासियों के विपत्तिकाल में उनकी आरम्भना करना—श्रेष्ठ है । किन्तु दूसरे नगर में क्रय-विक्रय का व्यवहार करके उसे लाभ पहुँचाने से विपरीत ही परिणाम होता है । यहाँ तक पीडनवर्ग का निरूपण किया गया ।
३. स्तंभवर्ग : स्तंभ दो प्रकार का होता है : आभ्यन्तर और बाह्य । अपने ही मुख्य सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अर्थ का रोका जाना आभ्यन्तर स्तम्भ और मित्र तथा आटविक पुरुषों द्वारा अर्थ का रोका जाना बाह्य स्तंभ कहलाता है । इस प्रकार स्तंभवर्ग का निरूपण हुआ ।
४. कोशसंग : उक्त दोनों प्रकार के स्तम्भों तथा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा

आठवाँ अधिकरण : प्रकरण १३०-१३२, अध्याय ४

प्रकीर्णो मिथ्यासंहतः सामन्ताटवीहत इति कोशसङ्गाः ।

१. पीडनानामनुत्पत्तावुत्पन्नानां च वारणे ।

यतेत देशवृद्धयर्थं नाशे च स्तम्भसंगयोः ॥ १ ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमाऽधिकरणे पीडनवर्ग-स्तम्भनवर्ग-कोशसंगवर्गो-
नाम चतुर्थोऽध्यायः; आदितो विंशतिशततमः ।



उचित आमदनी की मात्रा से घटाया हुआ; छोटे कर्मचारियों से कर-
वसूली लेकर मुख्य कर्मचारियों द्वारा गवन किया हुआ; राजाशा से माफी
के कारण कम हुआ; इधर-उधर बिखरा हुआ; उचित परिमाण से कम-
ज्यादा रूप में इकट्ठा किया हुआ; और सामंत तथा आटविक पुरुषों के द्वारा
अपहरण किया हुआ धन खजाने में न पहुँच कर बीच ही में नष्ट हो
जाता है। उसीका नाम कोशसंग है। इस प्रकार कोशसंग वर्ग का निरूपण
किया गया।

१. देश की सुख-समृद्धि के लिए राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में
पीडनवर्ग को उत्पन्न न होने दे, अथवा उत्पन्न होने पर उनका निवारण
करे। स्तम्भवर्ग और कोषसंग को नष्ट करने के लिए भी राजा को सतत
यत्नवान रहना चाहिए।

इति व्यसनाधिकारिक नामक आठवें अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



प्रकरण १३३-१३४

अध्याय ५

बलव्यसनवर्गः मित्रव्यसनवर्गश्च

१. बलव्यसनानि । अमानितं विमानितम् अभृतं व्याधितं नवागतं दूरायातं परिश्रान्तं परिक्षीणं प्रतिहतं हताग्रवेगम् अनृतुप्राप्तम् अभूमिप्राप्तम् आशानिर्वेदि परिसृप्तं कलत्रगर्हि अन्तःशल्यं कुपितमूलं भिन्नगर्भम् अपसृतम् अतिक्षिप्तम् उपनिविष्टं समाप्तम् उपरुद्धम् परिक्षिप्तं छिन्नधान्यपुरुषवीवधं स्वविक्षिप्तं मित्रविक्षिप्तं दूष्ययुक्तं दुष्टपार्ष्णिग्राहं शून्यमूलम् अस्वामिसंहतं भिन्नकूटम् अन्धमिति ।
२. तेषाममानितविमानितयोरमानितं कृतार्थमानं युध्येत, न विमानितमन्तःकोपम् ।

सेना-व्यसन और मित्र-व्यसन

१. सेना के व्यसन : अमानित, विमानित, अभृत, व्याधित, नवागत, दूरायात, परिश्रान्त, परीक्षीण, प्रतिहत, हताग्रवेग, अनृतुप्राप्त, अभूमिप्राप्त, आशानिर्वेदी, परिसृप्त, कलत्रगर्हि, अन्तःशल्य; कुपितमूल, भिन्नगर्भ, अपसृत, अतिक्षिप्त, उपनिविष्ट, समाप्त, उपरुद्ध, परिक्षिप्त, छिन्नधान्य; छिन्नपुरुषवीवध, स्वविक्षिप्त, मित्रविक्षिप्त, दूष्ययुक्त, दुष्टपार्ष्णिग्राह, शून्यमूल, अस्वामिसंहत, भिन्नकूट और अंध;—ये चौतीस सेना के व्यसन हैं ।
२. उक्त सैन्य-व्यसनों में अमानित (असत्कृत) और निमानित (तिरस्कृत), इन दो सेनाओं में अमानित सेना सत्कार पाने के बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाती है; किन्तु निमानित सेना नहीं; क्योंकि तिरस्कार के कारण वह अंदर-ही-अन्दर कुपित रहती है ।

१. अभृतव्याधितयोरभृतं तदात्वकृतवेतनं युध्येत, न व्याधित-
मकर्मण्यम् ।
२. नवागतदूरायातयोर्नवागतमन्यत उपलब्धदेशमनवमिश्रं युध्येत,
न दूरायातमायतगतपरिक्लेशम् ।
३. परिश्रान्तपरिक्षीणयोः परिश्रान्तं स्नानभोजनस्वप्नलब्धविश्रमं
युध्येत, न परिक्षीणमन्यत्राहवे क्षीणयुग्यपुरुषम् ।
४. प्रतिहतहताग्रवेगयोः प्रतिहतमग्रपातभग्नं प्रवीरपुरुषसंहतं
युध्यते, न हताग्रवेगमग्रपातहतप्रवीरम् ।
५. अनृतत्वभूमिप्राप्तयोरनृतुप्राप्तं यथर्तुयोग्ययुग्यशस्त्रावरणं युध्येत,
नाभूमिप्राप्तमवरुद्धप्रसारव्यायामम् ।

१. अभृत (जिसे वेतन न दिया गया हो) और व्याधित (रोगी) इन दोनों सेनाओं में अभृत सेना वेतन, भत्ता दिए जाने पर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है; किन्तु व्याधित सेना नहीं; क्योंकि वह बीमारों के कारण कार्य करने में असमर्थ रहती है ।
२. नवागत (नई भरती) और दूरायात (दूर से भाई हुई); इन दो सेनाओं में नवागत सेना दूसरे अनुभवी व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करके तथा पुराने आदमियों के साथ मिलकर युद्ध कर सकती है; किन्तु दूरायात सेना नहीं; क्योंकि वह लम्बी यात्रा से थकी हुई होने के कारण असमर्थ रहती है ।
३. परिश्रान्त (थकी हुई) और परिक्षीण (योग्य सैनिकों से हीन), इन दोनों सेनाओं में परिश्रान्त सेना स्नान, भोजन, निद्रा आदि विश्राम प्राप्त कर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है; किन्तु परिक्षीण सेना नहीं; क्योंकि उसके योग्य पुरुषों का नाश हो चुका होता है ।
४. प्रतिहत (पराजित) और हताग्रवेग (हतोत्साह) इन दोनों सेनाओं में प्रतिहत सेना युद्ध के लिए तैयार हो सकती है; किन्तु हताग्रवेग नहीं; क्योंकि वीर सैनिकों के खो देने से युद्ध में जाने के लिए उसका उत्साह जाता रहता है ।
५. अनृतुप्राप्त (जिसको युद्ध के योग्य समय न मिले) और अभूमिप्राप्त

१. आशानिर्वेदिपरिसृप्तयोराशानिर्वेदि लब्धाभिप्रायं युध्येत, न परिसृप्तमपसृतमुख्यम् ।
२. कलत्रगर्हान्तश्शल्ययोः कलत्रगर्हामुन्मुच्य कलत्रं युध्येत, नान्तश्शल्यमन्तरमित्रम् ।
३. कुपितमूलभिन्नगर्भयोः कुपितमूलं प्रशमितकोपं सामादिभिर् युध्येत, न भिन्नगर्भमन्योन्यस्माद् भिन्नम् ।
४. अपसृतातिक्षिप्तयोरपसृतमेकराज्यातिक्रान्तं मन्त्रव्यायामाभ्यां सत्रमित्रापाश्रयं युध्येत, नातिक्षिप्तमनेकराज्यातिक्रान्तं बह्वा-
बाधत्वात् ।

जिसको कवायद के लिए भूमि प्राप्त न हो) इन दोनों में अनृतप्राप्त सेना विपरीत समय में भी युद्धोपयोगी साधन प्राप्त कर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है; किन्तु अभूमिप्राप्त सेना नहीं; क्योंकि वह अनुपयुक्त भूमि में फँस कर चलने-फिरने तथा युद्धसंबन्धी कार्यों को करने में असमर्थ रहती है ।

१. आशानिर्वेदी (आशारहित) और परिसृप्त (नेतृत्वहीन) इन दोनों सेनाओं में आशानिर्वेदी अपना स्वार्थलाभ देखकर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है; किन्तु परिसृप्त नहीं; क्योंकि उसका मुख्य नेता नहीं होता है ।
२. कलत्रगर्ही (कलत्र आदि की निंदा करने वाला) और अंतःशल्य (अन्दर से शत्रुता रखने वाला) इन दोनों सैन्यों में कलत्रगर्ही अपने स्त्री-पुरुषों की समुचित व्यवस्था करके युद्ध के लिए तैयार हो सकता है; किन्तु अंतःशल्य सैन्य नहीं; क्योंकि वह अंदर से शत्रुता रखता है ।
३. कुपितमूल (क्रोधीली सेना) और मित्रगर्भ (आपसी वैर रखनेवाली सेना) इन दोनों में से कुपितमूल सेना को साम आदि के द्वारा शांत करके युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है; किन्तु मित्रगर्भ सेना को नहीं; क्योंकि उसकी आपस में ही अनवन रहती है ।
४. अपसृत (एक ही राज्य में दूसरी सेना द्वारा कष्ट पाई सेना) और अति-क्षिप्त (अनेक राज्यों में दूसरी अनेक सेनाओं द्वारा कष्ट पाई सेना), इन दोनों में से अपसृत सेना को, विशेष उपायों तथा कवायद आदि के

आठवाँ अधिकरण : प्रकरण १३३-१३४, अध्याय ५

१. उपनिविष्टसमाप्तयोरुपनिविष्टं पृथग्यानस्थानमतिसन्धातारं युध्येत, न समाप्तमरिणैकस्थानयानम् ।
२. उपरुद्धपरिक्षिप्तयोरुपरुद्धमन्यतो निष्क्रम्योपरोपद्वारं प्रति-युध्येत, न परिक्षिप्तं सर्वतः प्रतिरुद्धम् ।
३. छिन्नधान्यपुरुषवीवधयोः छिन्नधान्यमन्यतो धान्यमानीय जङ्गमस्थावराहारं वा युध्येत, न छिन्नपुरुषवीवधमनभिसारम् ।
४. स्वविक्षिप्तमित्रविक्षिप्तयोः स्वविक्षिप्तं स्वभूमौ विक्षिप्तं सैन्यमा-पदि शक्यमवसावयितुं, न मित्रविक्षिप्तं विप्रकृष्टदेशकालत्वात् ।

द्वारा जंगल और मित्र का सहारा देकर, युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है; किन्तु अतिविष्ट सेना को नहीं; क्योंकि उसे अनेक राज्यों के बहुत-से कष्टों का अनुभव रहता है ।

१. उपनिविष्ट (शत्रु के समीप ठहरने वाली किन्तु शत्रु-विमुख सेना) और समाप्त (शत्रु के साथ ही ठहरने तथा आक्रमण करने वाली सेना), इन दोनों में से उपनिविष्ट सेना भिन्न-भिन्न स्थानों में युद्ध करने का अनुभव प्राप्त करने से छावनी के अतिरिक्त अन्यत्र भी युद्ध कर सकती है; किन्तु समाप्त सेना नहीं; क्योंकि शत्रु के सहयोग में रहने के कारण उसके सब भेद शत्रु को मालूम होते हैं ।
२. उपरुद्ध (एक ओर से घिरी हुई) और परिक्षिप्त (चारों ओर से घिरी), इन दोनों में से उपरुद्ध सेना दूसरी ओर से निकल कर आक्रमण कर सकती है; किन्तु परिक्षिप्त सेना नहीं; क्योंकि वह चारों ओर से घिरी होती है ।
३. छिन्नधान्य (जिस सेना का अपने देश से धान्य आदि मँगाने का संबंध टूट गया हो) और विच्छिन्नपुरुषवीवध (जिस सेना का अपने देश से खाद्य पदार्थ तथा सैनिक संबन्ध टूट गया हो), इन दोनों में से छिन्नधान्य सेना अन्यत्र से अनाज, साग सब्जी तथा मांस आदि मँगाकर युद्ध कर सकती है; किन्तु विच्छिन्नपुरुषवीवध सेना नहीं; क्योंकि वह सब तरह से असहाय होती है ।
४. स्वविक्षिप्त (अपने ही देश में इधर-उधर भेजी) और मित्रविक्षिप्त (मित्र देश को भेजी हुई), इन दोनों सेनाओं में से स्वविक्षिप्त सेना आवश्यकतानुसार

१. दूष्ययुक्तदुष्टपार्ष्णिग्राहयोर्दूष्ययुक्तमाप्तपुरुषाधिष्ठितमसंहतं यु-
ध्येत, न दुष्टपार्ष्णिग्राहं पृष्ठाभिघातत्रस्तम् ।
२. शून्यमूलास्वामिसंहतयोः शून्यमूलं कृतपौरजानपदारक्षं सर्व-
सन्दोहेन युध्येत, नास्वामिसंहतं राजसेनापतिहीनम् ।
३. भिन्नकूटान्धयोर्भिन्नकूटमन्याधिष्ठितं युध्येत, नान्धमदेशि-
कमिति ।
४. दोषशुद्धिर्बलावापः सत्रस्थानातिसंहतम् ।
सन्धिश्चोत्तरपक्षस्य बलव्यसनसाधनम् ॥
५. रक्षेत् स्वदण्डं व्यसने शत्रुभ्यो नित्यमुत्थितः ।

आसानी से एकत्र की जा सकती है; किन्तु मित्रविक्षिप्त सेना नहीं; क्योंकि दूर होने के कारण वह समय पर काम नहीं आ सकती ।

१. दूष्ययुक्त (राजद्रोहियों से संबद्ध) और दुष्टपार्ष्णिग्राह (जिसके पीछे दुष्ट सेना हो) इन दोनों में से दूष्ययुक्त सेना, दूष्य पुरुषों की सेवा में विश्वस्त पुरुषों को नियुक्त कर, युद्ध के लिए तैयार हो सकती है; किन्तु दुष्टपार्ष्णिग्राह नहीं; क्योंकि उसको पीछे के आक्रमण का सदा भय बना रहता है ।
२. शून्यमूल (राजधानी की अत्यल्प सेना) और अस्वामिसंहत (राजा तथा सेनापति रहित सेना), इन दोनों में से शून्यमूल सेना नगरनिवासियों तथा जनपदनिवासियों की सहायता से युद्ध कर सकती है; किन्तु अस्वामिसंहत सेना नहीं, क्योंकि वह अपने नेता से रहित होती है ।
३. भिन्नकूट (प्रधान सेनापति से रहित) और अंध (शत्रु के व्यवहारों से सर्वथा अपरिचित), इन दोनों सेनाओं में से भिन्नकूट सेना किसी दूसरे सेनापति के शासन से युद्ध के लिए तैयार हो सकती है; किन्तु अंध सेना नहीं; क्योंकि उसमें शत्रु के व्यवहारों से सर्वथा अपरिचित सैनिक रहते हैं ।
४. सैनिक व्यसनों के परिहार का उपाय : अमानन, विमानन आदि दोषों का प्रायश्चित्त करना, दोषरहित सेना को दूसरी सेना के साथ ठहराना, जगला स्थानों में सेना की स्थिति बनाये रखना, क्रूर उपायों से शत्रुसेना का भेदन करना और अपने से बलवान् पक्ष के साथ संधि करना; ये सेनासंबन्धी व्यसनों (बल-व्यसनों) को दूर करने के उपाय हैं ।
५. विजिगीषु को चाहिए कि सदा सजग रहता हुआ वह व्यसनकाल में शत्रु

- प्रहरेद् दण्डरन्ध्रेषु शत्रूणां नित्यमुत्थितः ॥
१. अभियातं स्वयं मित्रं सम्भूयान्यवशेन वा ।
परित्यक्तमशक्त्या वा लोभेन प्रणयेन वा ॥
 २. विक्रीतमभियुञ्जाने सङ्ग्रामे वापवर्तिना ।
द्वैधीभावेन वा मित्रं यास्यता वान्यमन्यतः ॥
 ३. पृथग्वा सह्याने वा विश्वासेनातिसंहितम् ।
भयावमानालस्यैर्वा व्यसनान्न प्रमोक्षितम् ॥
 ४. अवरुद्धं स्वभूमिभ्यः समीपाद् वा भयाद् गतम् ।

सेना से अपनी सेना की रक्षा करे और बड़ी चतुरता से शत्रुसेना की निर्वलताओं का पता लगा कर उन पर सदा प्रहार करता रहे ।

१. मित्रव्यसन : जब विजिगीषु असमर्थ होने के कारण या लोभ तथा स्नेह के कारण अपने प्रयोजन से अथवा किसी वंशु आदि के प्रयोजन से शत्रु के साथ मिलकर शत्रु पर आक्रमण करने वाले अपने मित्र की सहायता नहीं करता तो वह विछुड़ा हुआ मित्र फिर बड़ी मुश्किल से उसके वश में आता है ।
२. युद्ध के दौरान में ही शत्रु से कुछ धन आदि लेकर अपनी सहायता को पूरा न करके विजिगीषु द्वारा बीच ही में छोड़ा हुआ मित्र, अथवा द्वैधी भाव द्वारा अपने यातव्य पर आक्रमण कर देने के कारण बेचा हुआ मित्र, अथवा 'तुम इस ओर आक्रमण करो और मैं इस ओर' इस प्रकार परस्पर अपने मित्र के शत्रु के साथ संधि करके किसी दूसरे ही अपने शत्रु पर आक्रमण करने वाले विजिगीषु से ठगा हुआ मित्र फिर बड़ी मुश्किल से उसके वश में आता है ।
३. पृथक् आक्रमण करने या एक साथ आक्रमण करने पर पहले विश्वास दिलाकर और बाद में छिपे तौर से मित्र के शत्रु के साथ संधि करके विजिगीषु द्वारा खोया हुआ मित्र, अथवा मित्र के संबन्ध में तिरस्कार की भावना रखने के कारण, या अपने ही आलस्य के कारण आपत्ति से न छुड़ाया गया मित्र बड़ी मुश्किल से वश में आता है ।
४. विजिगीषु के देश में जाने से रोका गया मित्र अथवा वध-बंधन के भय

१. आच्छेदनाददानाद् वा दत्त्वा वाप्यवमानितम् ॥
आत्याहारितमर्थं वा स्वयं परमुखेन वा ।
अतिभारे नियुक्तं वा भङ्क्त्वा परमवस्थितम् ॥
२. उपेक्षितमशक्त्या वा प्रार्थयित्वा विरोधितम् ।
कृच्छ्रेण साध्यते मित्रं सिद्धं चाशु विरज्यति ॥
३. कृतप्रयासं मान्यं वा मोहान्मित्रममानितम् ।
मानितं वा न सदृशं भक्तितो वा निवारितम् ॥
४. मित्रोपघातत्रस्तं वा शङ्कितं वारिसंहितात् ।
दूष्यैर्वा भेदितं मित्रं साध्यं सिद्धं च तिष्ठति ॥
५. तस्मान्नोत्पादयेदेनान् दोषान् मित्रोपघातकान् ।

से विजिगीषु के पास से गया हुआ मित्र अथवा बलपूर्वक द्रव्य का अपहरण करने से तिरस्कृत हुआ मित्र, अथवा देने योग्य वस्तु न देने के कारण या देकर फिर तिरस्कृत हुआ मित्र बड़ी कठिनाई से वश में आता है ।

१. विजिगीषु के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा धन का सर्वथा अपहरण किया गया या कराया गया मित्र, अथवा विजिगीषु के शत्रु को जीतकर आया हुआ और तत्काल ही किसी दूसरे दुःसाध्य कार्य पर लगाया हुआ मित्र धिगड़ जाने पर बड़ी मुश्किल से वश में आता है ।
२. असमर्थ होने के कारण ठुकराया गया मित्र, अथवा मित्रता के लिए प्रार्थना करके फिर विरुद्ध किया गया मित्र बड़ी कठिनाई से वश में आता है ।
३. जिस मित्र ने विजिगीषु के लिए अत्यन्त कठिन संग्राम किया हो, अथवा प्रमाद से तिरस्कृत हुआ ऐसा पूजा योग्य मित्र अथवा परिश्रम के योग्य सत्कार न किया हुआ मित्र, अथवा विजिगीषु में अनुराग होने के कारण विजिगीषु के शत्रुओं से ठुकारा गया मित्र, शीघ्र ही फिर विजिगीषु के वश में हो जाता है ।
४. विजिगीषु के द्वारा किसी दूसरे मित्र पर किए गये आघात को देखकर डरा हुआ मित्र अथवा विजिगीषु द्वारा शत्रु के साथ संधि कर लेने पर शंकित हुआ मित्र, शीघ्र ही विजिगीषु के वश में हो जाता है ।
५. इसलिए विजिगीषु को चाहिए कि वह मित्रों के साथ भेद डालने वाले उक्त

सातवाँ अधिकरण : प्रकरण १३३-१३४, अध्याय ५

उत्पन्नान् वा प्रशमयेद् गुणैर्दोषोपघातिभिः ॥
१. यतो निमित्तं व्यसनं प्रकृतीनामवाप्नुयात् ।
प्रागेव प्रतिकुर्वीत तन्निमित्तमतन्द्रितः ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमाऽधिकरणे बलव्यसन-मिन्नव्यसनवर्गो
नाम पञ्चमोऽध्यायः; आदित एकविंशतिशततमः ।

समाप्तमिदमष्टमं व्यसनाधिकारिकम्



दोषों को अपने में कभी पनपने ही न दे । यदि कोई दोष पैदा भी हो जायँ तो उन्हें दोषनाशक गुणों के द्वारा तत्काल ही शांत कर देना चाहिए ।

१. त्रिजिगीषु को चाहिए कि वह आलस्य का परित्याग कर अपने प्रकृतिवर्ग में, व्यसनों के पैदा होने से पहिले ही, उनके कारणों का प्रतिकार कर दे ।

इति व्यसनाधिकारिक नामक आठवें अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।



Handwritten marks in the top left corner, possibly initials or a signature.

अभियास्यत्कर्म
नौनाँ अधिकरण

प्रकरण १३५-१३६

अध्याय १

शक्तिदेशकालबलबलज्ञानं

यात्राकालाश्च

१. विजिगीषुरात्मनः परस्य च बलावलं शक्तिदेशकालयात्राकालबलसमुत्थानकालपश्चात्कोपक्षयव्ययलाभापर्दां ज्ञात्वा विशिष्टबलो यायात् । अन्यथासीत ।
२. उत्साहप्रभावयोरुत्साहः श्रेयान् । स्वयं हि राजा शूरो बलवानरोगः कृतास्त्रो दण्डद्वितीयोऽपि शक्तः प्रभाववन्तं राजानं जेतुम् , अलोऽपि चास्य दण्डस्तेजसा कृत्यकरो भवति । निरुत्साहस्तु प्रभाववान् राजा विक्रमाभिपन्नो नश्यति इत्याचार्याः ।

शक्ति, देश, काल, बल-अबल का ज्ञान; और आक्रमण का समय

१. विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने और शत्रु के बीच शक्ति, देश, काल, युद्धकाल, सेना की उन्नति का समय (बलसमुत्थानकाल), पश्चात्कोप (अपनी सेनारहित राजधानी में पार्लिंग्राह के आक्रमण की आशंका), स्वयं, स्वयं, लाभ और भापत्ति आदि बलाबल के संबन्ध में भलीभाँति जानकर शत्रु की अपेक्षा अधिक सेना लेकर उस पर आक्रमण करे । यदि अधिक सैन्यबल का प्रबन्ध न हो सके तो चुपचाप बैठा रहे ।
२. शक्ति : प्राचीन भाचार्यों का कहना है कि उत्साहशक्ति और प्रभावशक्ति इन दोनों में से उत्साहशक्ति श्रेष्ठ है; क्योंकि शूर, बलवान् , नीरोग, शस्त्रास्त्र चलाने में निपुण, केवल अपनी ही सेना की सहायता पर निर्भर रहनेवाला उत्साहशक्तिसम्पन्न राजा, प्रभावशक्तिसम्पन्न राजा को अच्छी तरह जीत सकता है । उसके तेज से उसकी थोड़ी सेना भी हर तरह का कार्य करने

१. नेति कौटिल्यः । प्रभाववानुत्साहवन्तं राजानं प्रभावेणाति-
सन्धत्ते । तद्विशिष्टमन्यं राजानमावाह्य हृत्वा क्रीत्वा प्रवीर-
पुरुषान् । प्रभूतप्रभावहयहस्तिरथोपकरणसम्पन्नश्चास्य दण्डः
सर्वत्राप्रतिहतश्चरति । उत्साहवतश्च प्रभाववन्तो जित्वा क्रीत्वा
च स्त्रियो बालाः पङ्गवोऽन्धाश्च पृथिवीं जिग्युः इति ।
२. प्रभावमन्त्रयोः प्रभावः श्रेयान् । मन्त्रशक्तिसम्पन्नो हि वन्द्य-
बुद्धिरप्रभावो भवति, मन्त्रकर्म चास्य निश्चितमप्रभावो गर्भ-
धान्यमवृष्टिरिवोपहन्ति इत्याचार्याः ।
३. नेति कौटिल्यः । मन्त्रशक्तिः श्रेयसी । प्रज्ञाशास्त्रचक्षुर्हि राजा

के लिए तैयार रहती है । प्रभावसंपन्न, किन्तु उत्साहहीन राजा पराक्रम के समय अपनी रक्षा नहीं कर पाता है ।

१. पूर्वाचार्यों के उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'प्रभावशाली राजा उत्साही राजा को अपने प्रभाव से पराभूत कर लेता है । अपने प्रभाव से वह अधिक उत्साही किसी दूसरे राजा को अपने पक्ष में कर सकता है । बहादुर आदमियों को भत्ता, वेतन, धन आदि देकर वह अपने वश में कर सकता है । घोड़ा, हाथी, रथ तथा शस्त्रास्त्र आदि साधनों से युक्त उसकी सेना निःशंक होकर विचरण कर सकती है । इति-हास हमें बताता है कि स्त्री, बालक, लँगड़े और अंधे प्रभावशक्तिसंपन्न राजाओं ने अपने प्रभाव के कारण उत्साहशक्तिसंपन्न राजाओं को जीतकर अथवा अपने वश में करके पृथिवी पर विजय प्राप्त की थी ।'
२. प्राचीन आचार्यों का अभिमत है कि 'प्रभावशक्तिसंपन्न और मंत्रशक्तिसंपन्न इन दोनों राजाओं में से प्रभावशक्तिसंपन्न राजा अधिक श्रेष्ठ है; क्योंकि मंत्रशक्तिसंपन्न होकर भी राजा यदि प्रभावशक्ति रहित हुआ तो उसका मंत्र सफल नहीं होता । उसके सुविचारित कार्य उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वृष्टि की अपेक्षा रखता हुआ गर्भस्थ धान्य वर्षा न होने के कारण नष्ट हो जाता है ।'
३. उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'प्रभावशक्ति की अपेक्षा मंत्रशक्ति ही श्रेष्ठ है; क्योंकि जिस राजा के पास बुद्धि तथा शास्त्र-

अल्पेनापि प्रयत्नेन मन्त्रमाधातुं शक्तः, परानुत्साहप्रभाववत्तश्च सामादिभिर्योगोपनिषद्गथां चातिसन्धातुम् । एवमुत्साहप्रभाव-मन्त्रशक्तीनामुत्तरोत्तराधिकोऽतिसन्धत्ते ।

१. देशः पृथिवी । तस्यां हिमवत्समुद्रान्तरमुदीचीनं योजनसहस्र-परिमाणं तिर्यक् चक्रवर्तिक्षेत्रम् । तत्रारण्यो ग्राम्यः पार्वत-औदको भौमः समो विषम इति विशेषाः । तेषु यथास्वबल-वृद्धिकरं कर्म प्रयुञ्जीत । यत्रात्मनः सैन्यव्यायामानां भूमिर-भूमिः परस्य, स उत्तमो देशः । विपरीतोऽधमः । साधारणो मध्यमः ।

२. कालः शीतोष्णवर्षात्मा । तस्य रात्रिरहः पक्षो मास ऋतुरयनं

रूपी नेत्र हैं वह थोड़ा प्रयत्न करने पर ही मन्त्र का अच्छी तरह अनुष्ठान कर सकता है और उत्साह, प्रभाव, साम तथा औपनिषदिक उपायों द्वारा शत्रुओं को वश में कर सकता है । इसी प्रकार उत्साह, प्रभाव और मंत्र, तीनों शक्तियाँ उत्तरोत्तर बलवान हैं । अर्थात् उत्तरोत्तर शक्ति से संपन्न राजा पूर्व-पूर्व शक्ति से संपन्न राजा को वश में कर सकता है ।'

१. देश : देश कहते हैं पृथ्वी को । हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र पर्यंत, पूर्व-पश्चिम दिशाओं में एक हजार योजन तक फैला हुआ और पूर्व-पश्चिम की सीमाओं के बीच का भू-भाग चक्रवर्ती क्षेत्र कहलाता है; अर्थात् इसनी पृथ्वी पर राज्य करनेवाला राजा चक्रवर्ती होता है । उस चक्रवर्ती क्षेत्र में जंगल, आवादी, पहाड़ी इलाका, जल, स्थल, समतल और ऊबड़-खाबड़ आदि विशेष भाग होते हैं । इन भू-भागों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय जिससे अपनी बल-वृद्धि में निरन्तर विकास होता रहे । जिस प्रदेश में अपनी सेना की कवायद के लिए सुविधा तथा शत्रुसेना की कवायद के लिए असुविधा हो वह उत्तम देश; जो इसके सर्वथा विपरीत हो वह अधम देश और जो अपने तथा शत्रु के लिए एक समान सुविधा-असुविधा वाला हो वह मध्यम देश कहलाता है ।

२. काल : काल के तीन विभाग हैं : सर्दी, गर्मी और वर्षा । काल का यह प्रत्येक भाग रात, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग आदि

संवत्सरो युगमिति विशेषाः । तेषु यथास्वबलवृद्धिकरं कर्म प्रयुञ्जीत । यत्रात्मनः सैन्यव्यायामानामृतुरनृतुः परस्य स उत्तमः कालः । विपरीतोऽधमः । साधारणो मध्यमः ।

१. शक्तिदेशकालानां तु शक्तिः श्रेयसीत्याचार्याः । शक्तिमान् हि निम्नस्थलगतो देशस्य शीतोष्णवर्षवतश्च कालस्य शक्तः प्रतीकारे भवति ।
२. देशः श्रेयानित्येके, स्थलगतो हि श्वा नक्रं विकर्षति, निम्नगतो नक्रः श्वानमिति ।
३. कालः श्रेयानित्येके । दिवा काकः कौशिकं हन्ति, रात्रौ कौशिकः काकम् इति ।
४. नेति कौटिल्यः । परस्परसाधका हि शक्तिदेशकालाः ।

विशेषताओं में विभक्त है । समय के इन विशेष भागों में अपनी शक्ति को बढ़ाने योग्य कार्य करने चाहिए । जो ऋतु अपनी सेना के ध्यायाम के लिए अनुकूल हो 'वह उत्तम ऋतु; जो इसके विपरीत हो वह अधम ऋतु; और जो सामान्य हो वह मध्यम ऋतु कहलाती है ।

१. प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'शक्ति, देश और काल, इन तीनों में शक्ति ही सर्वोच्च है; क्योंकि शक्तिसम्पन्न राजा ऊबड़-खाबड़ प्रदेश और वर्षा, गर्मी आदि प्रतिकूल समय में भी विपरीत परिस्थितियों का प्रतीकार करने में समर्थ होता है ।'
२. कुछ पूर्वाचार्यों का यह कहना है कि 'इन तीनों में देश ही श्रेष्ठ है; क्योंकि जमीन पर तो कुत्ता घड़ियाल को खींच लेता है और पानी में वही घड़ियाल कुत्ते को खींच लेता है ।'
३. इसके विपरीत कुछ आचार्य समय को ही श्रेष्ठ बताते हैं । उनका कहना है 'क्योंकि यह समय का ही प्रभाव है कि दिन में कौवा उल्लू को मार लेता है, रात में उल्लू कौए को ।'
४. किन्तु आचार्य कौटिल्य इस प्रकार के भेद को नहीं मानता है । उसका कहना है कि 'शक्ति, देश, काल, ये तीनों ही प्रबल और एक-दूसरे के पूरक हैं ।'

१. तैरभ्युच्चितः तृतीयं चतुर्थं वा दण्डस्यांशं मूले पाष्ण्यां प्रत्यन्ताटवीषु च रक्षां विधाय कार्यसाधनसहं कोशदण्डं चादाय क्षीणपुराणभक्तमगृहीतनवभक्तमसंस्कृतदुर्गममित्रं, वार्षिकं चास्य सस्यं हेमनं च मुष्टिमुपहन्तुं मार्गशीर्षीं यात्रां यायात् । क्षीणतृणकाष्ठोदकमसंस्कृतदुर्गममित्रं वासन्तिकं चास्य सस्यं वार्षिकीं वा मुष्टिमुपहन्तुं ज्येष्ठामूलीयां यात्रां यायात् ।
२. अत्युष्णमल्पयवसेन्धनोदकं वा देशं हेमन्ते यायात् ।

१. यात्राकाल : विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह शक्ति, देश, काल से संपन्न होकर आवश्यकतानुसार सेना के तिहाई या चौथाई भाग को अपनी राजधानी, अपने पार्ष्णि और अपने सरहदी इलाकों की रक्षा के लिए नियुक्त कर यथेष्ट कोष तथा सेना को साथ लेकर शत्रु पर विजय करने के लिए अगहन मास में युद्ध के लिए प्रस्थान करे; क्योंकि इस समय शत्रु का पुराना अन्न-संचय समाप्ति पर होता है, नई फसल के अन्न को संग्रह करने का समय वही होता है और वर्षा के बाद किलों की मरम्मत नहीं हुई रहती है। यही समय है जब कि वर्षा ऋतु से उत्पन्न फसल को और आगे हेमंत ऋतु में पैदा होनेवाली फसल दोनों को नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार हेमंत ऋतु की पैदावार को और आगे वसंतऋतु में होनेवाली पैदावार को नष्ट करने के लिए उपयुक्त युद्ध प्रयाण-काल चैत्रमास में है। यात्रा का यह दूसरा समय है। इसी प्रकार वसंत की पैदावार को और आगे की होने वाली वर्षाकाल की फसल को नष्ट करने का उपयुक्त समय ज्येष्ठ मास में है। क्योंकि इस समय घास, फूस, लकड़ी, जल आदि सभी क्षीण हुए रहते हैं और इसलिए शत्रु अपने दुर्ग की मरम्मत नहीं कर पाता है। यात्राकाल का यह तीसरा अवसर है। ये तीनों यात्राकाल शत्रु को हानि पहुँचाने के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं।

२. जो देश अत्यन्त गरम हो, जहाँ यवस (पशुओं की खाद्य सामग्री), ईंधन तथा जल की कमी हो वहाँ हेमंत ऋतु में युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए।

१. तुषारदुर्दिनमगाधनिम्नप्रायं गहनतृणवृक्षं वा देशं ग्रीष्मे यायात् ।
२. स्वसैन्यव्यायामयोग्यं परस्यायोग्यं वर्षति यायात् ।
३. मार्गशीर्षं तैषं चान्तरेण दीर्घकालां यात्रां यायात् । चैत्रं वैशाखं चान्तरेण मध्यमकालां, ज्येष्ठामूलीयमाषाढं चान्तरेण ह्रस्वकालामुपोषिष्यन् । व्यसने चतुर्थीम् । व्यसनाभियानं विगृह्ययाने व्याख्यातम् ।
४. प्रायश्चाचार्याः परव्यसने यातव्यमित्युपदिशन्ति ।
५. शक्त्युदये यातव्यमनैकान्तिकत्वाद्द्वयसनानाम् इति कौटिल्यः ।
६. यदा वा प्रयातः कर्शयितुमुच्छेत्तुं वा शक्नुयादमित्रं, तदा यायात् ।

१. जिस देश में लगातार बरफ पड़ती या बारिश होती हो, जहाँ बड़े-बड़े तालाब एवं घने जंगल हों वहाँ ग्रीष्म ऋतु में युद्ध के लिए जाना चाहिए ।
२. जो अपनी सेना के कवायद करने के लिए उपयुक्त और शत्रुसेना के लिए अनुपयुक्त हो ऐसे देश पर वर्षाऋतु में आक्रमण करना चाहिए ;
३. जब किसी दूर देश के आक्रमण में अधिक समय लग जाने की संभावना हो तो वहाँ मार्गशीर्ष और पौष इन दो महीनों में यात्रा करनी चाहिए । मध्यमकालीन यात्रा चैत्र-वैशाख के बीच करनी चाहिए । जहाँ अल्पकालिक यात्रा हो वहाँ ज्येष्ठ-आषाढ़ में प्रस्थान किया जाना चाहिए । जब कभी शत्रु पर व्यसन आया दिखाई दे तब समय की बिना उपेक्षा किए चढ़ाई कर देनी चाहिए । यह चौथी यात्रा है । व्यसन पीड़ित शत्रु पर आक्रमण करने के संबन्ध में विगृह्ययान नामक प्रकरण में निर्देश किया जा चुका है ।
४. प्राचीन आचार्यों का प्रायः कहना यही है कि 'जब भी शत्रु पर आपत्ति आई जान पड़े तभी आक्रमण कर देना चाहिए ।'
५. इसके ठीक विपरीत आचार्य कौटिल्य का कहना है कि विजिगीषु जब भी अधिक शक्तिसंपन्नावस्था में हो तभी आक्रमण करना चाहिए ।
६. अथवा जिस समय भी शत्रु को निर्बल पाया जा सके या शत्रु को विनष्ट किया जा सके तभी चढ़ाई कर देनी चाहिए ।

१. अत्युष्णोपक्षीणे कालेऽहस्तिबलप्रायो यायात् । हस्तिनो ह्यन्तःस्वेदाः कुष्ठिनो भवन्ति । अनवगाहमानास्तोयमपिबन्तश्चान्तरवक्षाराश्चान्धीभवन्ति । तस्मात्प्रभूतोदके देशे, वर्षति च हस्तिबलप्रायो यायात् । विपर्यये खरोष्त्राश्वबलप्रायः । देशमल्पवर्षपङ्कम् वर्षति मरुप्रायं चतुरङ्गबलो यायात् ।
२. समविषमनिम्नस्थलह्रस्वदीर्घवशेन वाध्वनो यात्रां विभजेत् ।
३. सर्वा वा ह्रस्वकालाः स्युर्यातव्याः कार्यलाघवात् । दीर्घाः कार्यगुरुत्वाद्वा वर्षावासः परत्र च ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमाऽधिकरणे शक्तिदेशकालबलाबलज्ञानं यात्रा-
कालाः नाम प्रथमोऽध्यायः; आदितो द्वाविंशत्युत्तरशततमः ।



१. अत्यन्त गर्मी के मौसम में हाथियों को छोड़ कर ऊँट आदि की सेना लेकर आक्रमण करना चाहिए; क्योंकि पानी के अभाव में अत्यधिक उष्ण प्रदेशों में हाथी कोठी हो जाया करते हैं, स्नान के अभाव से और पीने के लिए पर्याप्त पानी न मिलने के कारण अन्दर का दाह बढ़कर हाथी अंधे हो जाते हैं । इसलिए जिस देश में पर्याप्त जल हो वहीं हाथियों की सेना लेकर आक्रमण करना चाहिए । जहाँ जल का स्थायी प्रबन्ध न हो और वर्षा भी न होती हो ऐसे देशों में गधा, ऊँट तथा घोड़ों की सेना लेकर आक्रमण करना चाहिए । जिस देश में वर्षा होने पर भी कीचड़ कम होता हो, ऐसे रेगिस्तानी देशों में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इस चतुरंग सेना को लेकर भी आक्रमण किया जा सकता है ।
२. अथवा समतल, ऊबड़-खाबड़, जलमय, स्थलमय, अल्पकालीन और दीर्घकालीन आदि परिस्थितियों को देखकर यात्राकाल को विभक्त किया जा सकता है ।
३. थोड़े कार्यों की सिद्धि के लिए समय की भी कम आवश्यकता होती है । इसी प्रकार बड़े कार्यों को संपन्न करने के लिए यात्रा भी दीर्घकालीन होती है । कभी-कभी वर्षा ऋतु में भी कार्याधिक्य के कारण दूसरे देश में रहना पड़ता है । इसलिए कार्यों के छोटे-बड़े होने के हिसाब से यात्राएँ भी छोटी-बड़ी समझनी चाहिए ।

अभियास्यत्कर्म नामक नवम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



सूक्तकरण १३७-१३९

अध्याय २

जलोपादानकालाः सन्नाहगुराः

प्रतिजलकर्म च

१. मौलभृतकश्रेणीमित्रामित्राटवीवलानां समुदानकालाः ।
२. मूलरक्षणादतिरिक्तं मौलबलम्, अत्यावापयुक्ता वा मौला मूले विकुर्वीरन्निति, बहुलानुरक्तमौलबलः सारबलो वा प्रति-योद्धा व्यायामेन योद्धव्यमिति, प्रकृष्टेऽध्वनि काले वा क्षयव्ययसहत्वान्मौलानामिति, बहुलानुरक्तसम्पाते च यात-

सैन्य-संग्रह का समय; सैन्य-संगठन; और शत्रुसेना से मुकाबला

१. इस अध्याय में—मौलबल (राजधानी की रक्षा करने वाली सेना), भृतक बल (सवैतनिक सेना), श्रेणीबल (विभिन्न कार्यों में नियुक्त शस्त्रास्त्र में निपुण सेना), मित्रबल (मित्र राजा की सेना) अभिन्नबल (शत्रु राजा की सेना) और अटवीबल (आटविक सेना), इन विभिन्न सेनाओं को किस-किस अवसर पर युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए—इसका निरूपण किया जायगा ।
२. मौलबल : मूलस्थान अर्थात् राजधानी की रक्षा के लिए जितनी सेना की अपेक्षा हो, उसके अतिरिक्त सेना को युद्ध में ले जाना चाहिए; अथवा मौलबल के बगावत कर देने की संभावना हो तो उसको युद्ध आदि कार्यों में साथ ले जाना चाहिए; या मुकाबले में आगे हुए शत्रु पर मौलबल के अनुराग की संभावना जान पड़े तो उसको साथ ले जाना चाहिए; अथवा शत्रु किसी शक्तिशाली सैन्य को लेकर युद्ध करने के लिए आया है, तब भी मौलबल को साथ लेजाना चाहिए; अथवा दूर देश, दीर्घकालीन युद्ध, क्षय-व्यय की अवस्था में भी मौलबल को साथ रखना चाहिए; अथवा

व्यस्योपजापभयादन्यसैन्यानां भृतादीनामविश्वासे, बलक्षये वा सर्वसैन्यानामिति मौलबलकालः ।

१. प्रभूतं मे भृतबलमल्पं च मौलबलमिति, परस्याल्पं विरक्तं वा मौलबलं फल्गुप्रायमसारं वा भृतसैन्यमिति, मन्त्रेण योद्धव्यमल्पव्यायामेनेति, ह्रस्वो देशः कालो वा तनुक्षयव्ययः इति, अल्पसम्पातं शान्तोपजापं विश्वस्तं वा मे सैन्यमिति, परस्याल्पः प्रसारो हन्तव्यः इति, भृतबलकालः ।

२. प्रभूतं मे श्रेणीबलं शक्यं मूले यात्रायां चाधातुमिति, ह्रस्व-

स्वामिभक्त शत्रु के दूत मेरी सेना में भेद डालने का यत्न करेंगे तथा दूसरी सेनाओं पर पूरा विश्वास न होने की स्थिति में भी मौलबल को लेकर युद्ध में जाना चाहिए, क्योंकि मौलबल अत्यन्त स्वामिभक्त होने के कारण फोड़ा नहीं जा सकता है; अथवा अन्य सेनाओं के प्रधान पुरुषों का नाश हो जाने पर यदि विजिगीषु को सेना के खेत छोड़ कर भाग जाने का भय हो तो मौलबल को युद्धक्षेत्र में साथ ले जाना चाहिए ।

१. भृतकबल : यदि विजिगीषु राजा यह समझे कि 'मौलबल की अपेक्षा मेरा भृतकबल अधिक है; अथवा शत्रु का मौलबल थोड़ा तथा अविश्वासी है; अथवा शत्रु का भृतकबल कमजोर या न होने के बराबर है; अथवा इस समय शत्रु के साथ तूष्णी युद्ध करना पड़ेगा; अथवा थोड़े ही श्रम से कार्य संपन्न हो जायगा; अथवा युद्ध का गंतव्य देश बहुत दूर नहीं है, समय भी थोड़ा ही लगेगा और अधिक क्षय-व्यय की भी संभावना नहीं है; अथवा शत्रु के गुप्तचर मेरी सेना में बहुत कम प्रवेश कर सकेंगे और वे भी भेद न डाल सकेंगे, यदि उन्होंने भेद डाल भी दिया तो अपनी विश्वस्त सेना को मैं अपने काबू में कर सकूँगा; अथवा शत्रु के थोड़े ही कार्यों की क्षति करनी है'—तो ऐसी स्थितियों में एवं ऐसे अवसरों पर भृतकबल को साथ लेकर उसको युद्ध में जाना चाहिए ।

२. श्रेणीबल : यदि विजिगीषु को यह विश्वास हो कि 'मेरे पास श्रेणीबल इतना पोखता है कि उसको राजधानी की रक्षा में भी लगाया जा सकता है और शत्रु के साथ युद्ध करने के समय भी उसको साथ लिया जा सकता है;

प्रवासः, श्रेणीबलप्रायः प्रतियोद्धा, मन्त्रव्यायामाभ्यां प्रति-
योद्धुकामो दण्डबलव्यवहारः, इति श्रेणीबलकालः ।

१. प्रभूतं मे मित्रबलं शक्यं मूले यात्रायां चाधातुम्, अल्पः
प्रवासो मन्त्रयुद्धाच्च भूयो व्यायामयुद्धम् इति, मित्रबलेन वा
पूर्वमटवीं नगरीस्थानमासारं वा योधयित्वा पश्चात्स्वबलेन
योधयिष्यामि, मित्रसाधारणं वा मे कार्यं, मित्रायत्ता वा मे
कार्यसिद्धिः, आसन्नमनुग्राह्यं वा मे मित्रम्, अत्यावापं वास्य
साधयिष्यामि इति मित्रबलकालः ।

२. प्रभूतं मे शत्रुबलं शत्रुबलेन योधयिष्यामि नगरस्थानम्,

अथवा सफर कम है, मुकाबले की सेना भी प्रायः श्रेणीबल के साथ युद्ध करने लायक है; अथवा शत्रु तूष्णी युद्ध (मन्त्र) अथवा प्रकाश युद्ध (व्यायाम) से मुकाबला करना चाहता है; अथवा दण्ड से डरा हुआ होने के कारण शत्रु अपनी सेना को किसी दूसरे राजा के अधीन कर के युद्ध करने की सोच रहा है—ऐसी स्थितियों एवं ऐसे अवसरों पर श्रेणीबल को साथ लेकर युद्ध करना चाहिए ।

१. मित्रबल : यदि विजिगीषु राजा यह समझे कि 'उसका मित्रबल इतना पोखता है कि वह राजधानी की रक्षा करने में और शत्रु पर चढ़ाई करने में भी समर्थ है; अथवा सफर भी कम है, तूष्णी युद्ध की अपेक्षा वहाँ प्रकाश युद्ध ही अधिक होगा; जिससे क्षय-व्यय की कम संभावना है; अथवा शत्रुसेना या शत्रु के देश में सभी आटविक सेना या मित्रसेना को पहिले अपनी मित्र-सेना से भिड़ा कर फिर अपनी सेना से लड़ाऊँगा; अथवा इस युद्धादि कार्य में मित्र का तथा अपना समान प्रयोजन है; इस कार्य की सिद्धि मित्र के हाथ में है; अथवा अपने समीपस्थ अन्तरंग मित्र का अवश्य ही उपकार करना है; अथवा अपने मित्र से द्रोह रखने वाली सेना (दूष्य सेना) को शत्रु सेना के साथ भिड़ा कर मरवा डालूँगा'—ऐसे अवसरों या ऐसी स्थितियों में मित्र सेना को युद्ध में साथ ले जाना चाहिए ।

२. अमित्रबल : यदि विजिगीषु यह समझे कि उसकी शत्रुसेना अत्यधिक है, जो कि उसके नगर में ही ठहरी हुई है और जिसको वह अपने दूसरे शत्रु के

अटवीं वा । तत्र मे श्वराहयोः कलहे चण्डालस्येवान्यतर-
सिद्धिर्भविष्यति; आसाराणामटवीनां वा कण्टकमर्दनमेतत्करि-
ष्यामि; अत्युपचितं वा कोपभयान्नित्यमासन्नमरिबलं वास-
येदन्यत्राभ्यन्तरकोपशङ्कायाः, शत्रुयुद्धावरयुद्धकालश्च । इत्य-
मित्रबलकालः ।

१. तेनाटवीबलकालो व्याख्यातः ।

२. मार्गदेशिकं परभूमियोग्यमरियुद्धप्रतिलोममटवीबलप्रायः शत्रुर्वा
बिल्वं बिल्वेन हन्यताम् अल्पः प्रसारो हन्तव्यः इत्यट-
वीबलकालः ।

साथ भिड़ा सकता है; अथवा उसको आटविक सेना के साथ भिड़ा सकता है; इस प्रकार दोनों शत्रु सेनाओं के लड़ जाने पर उसका अभीष्ट सिद्ध हो जायगा वैसे ही जैसे कि कुत्ते और सुअर की लड़ाई में किसी भी एक के मर जाने पर चाण्डाल का लाभ होता है; अथवा अपने मित्र तथा आटविक की सेना के कंटकों का इस रीति से उन्मूलन हो सकेगा; अथवा बहुत बड़ी हुई शत्रु सेना को विजिगीषु कुपित हो जाने के भय से सदा ही अपने पास रखे, किन्तु उसको पास रखने में यदि अमात्य, पुरोहित आदि के कुपित हो जाने का भय हो तो उसे अपने पास न रखे; अथवा यदि विजिगीषु का शत्रु अपने किसी दूसरे शत्रु के साथ युद्ध कर रहा हो तो उस युद्ध के समाप्त हो जाने पर दूसरे युद्ध के अवसर पर शत्रुसेना को ही दूसरे शत्रु के मुकाबले में भिड़ा दे'—
ऐसी स्थितियों एवं ऐसे अवसरों पर शत्रुसेना को ही युद्ध में भेजना चाहिये ।

१. अटवीबल : उक्त विवेचन के अनुसार ही आटविक सेना को युद्ध में भेजने के संबंध में भी समझ लेना चाहिए ।

२. यदि विजिगीषु यह समझे कि 'गंतव्य स्थान को बताने के लिए पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता होगी; अथवा आटविक सेना शत्रु की युद्धभूमि में लड़ने योग्य आयुधों की शिखा में निपुण है; अथवा विजिगीषु की बिना आज्ञा से ही आटविक सेना शत्रुसेना के साथ युद्ध में प्रवृत्त हो सकेगी; जैसे एक बिल्वफल को दूसरे बिल्वफल के साथ टकरा कर फोड़ा जाता है वैसे ही शत्रु-सेना से आटविक सेना ही मुठभेड़ करने में समर्थ है; अथवा शत्रु भी आट-

१. सैन्यमनेकमनेकजातीयस्थमुक्तमनुक्तं वा विलोपार्थं यदुत्तिष्ठति, तदौत्साहिकम् । भक्तवेतनविलोपविष्टिप्रतापकरं भेद्यं परेषाम्, अभेद्यं तुल्यदेशजातिशिल्पप्रायं संहतं महत् । इति बलोपादानकालाः ।
२. तेषां कुप्यभृतममित्राटवीबलं विलोपभृतं वा कुर्यात् ।
३. अमित्रस्य वा बलकाले प्रत्युत्पन्ने शत्रुमवगृहीयात् । अन्यत्र

विक सेना को लेकर ही युद्धभूमि में उतर रहा है; अथवा शत्रु के अल्प अनिष्ट के लिए आटविक सेना ही उपयुक्त होगी—ऐसी स्थितियों एवं ऐसे अवसरों पर आटविक सेना को लेकर युद्ध में जाना चाहिए ।

१. औत्साहिकबल : उक्त छह सेनाओं के अतिरिक्त औत्साहिक नामक एक सातवीं सेना भी होती है । जो सेना नेतृत्वहीन, भिन्न-भिन्न देशों में रहने वाली, राजा की स्वीकृति या अस्वीकृति से ही दूसरे देशों पर लूट-मार करने वाली सेना को ही औत्साहिक कहते हैं । उसके दो भेद हैं; भेद्य और अभेद्य । दैनिक भत्ता या मासिक वेतन लेकर शत्रु के देश में लूट-पाट करने वाली, दुर्गों में काम करने वाली, और राजा की सामयिक आज्ञाओं को पालन करने वाली औत्साहिक सेना भेद्य कहलाती है । भेद्य अर्थात् अधिक भत्ता देकर भेद (फोड़ने) किए जाने योग्य । किन्तु जो औत्साहिक सेना प्रायः एक ही देश की, एक ही जाति की और एक ही व्यवसाय की होती है वह अभेद्य कहलाती है । उसको वेतन आदि का प्रलोभन देकर फोड़ा नहीं जा सकता है । उसे अपने देश का अधिक ध्यान रहता है । वह बड़ी संगठित होती है । इसलिए इस सेना को उपयुक्त समय के लिए संग्रह कर के रखना चाहिए ।
२. उक्त सात प्रकार की सेनाओं में से शत्रु सेना तथा आटविक सेना को नियमित मासिक वेतन न देकर उसके ओढ़ने, बिछाने तथा पहनने के लिए शत्रु देश से जीता हुआ या लूटा हुआ माल ही वेतन के रूप में देना चाहिए ।
३. सेना के सम्बन्ध में जो स्थितियाँ और जैसे अवसर विजिगीषु के लिए ऊपर बताये गए हैं; यदि वही स्थितियाँ और वैसे ही अवसर शत्रु के लिए भी

नौवाँ अधिकरण : प्रकरण १३७-१३९, अध्याय २

वा प्रेषयेत् । अफलं वा कुर्यात् । विक्षिप्तं वा वासयेत् । काले
वातिक्रान्ते विसृजेत् । परस्य चैतद्वलसमुद्धानं विघातयेद्,
आत्मनः सम्पादयेत् ।

१. पूर्वपूर्वं चैषां श्रेयः सन्नाहयितुम् ।

२. तद्भावभावित्वान्नित्यसत्कारानुगमाच्च मौलबलं भृतबला-
च्छ्रेयः ।

३. नित्यानन्तरं क्षिप्रोत्थायि वश्यं च भृतबलं श्रेणीबलाच्छ्रेयः ।

अपेक्ष्य हों तो उस समय विजिगीषु को चाहिए कि जो शत्रु सेना उसके पास सहायता के लिए आई है उसको वह अपने अधीन रखे या किसी कार्य का बहाना बना कर उसको वह अन्यत्र भेज दे। यदि ऐसे अवसरों पर शत्रु की सेना को छोड़ना ही पड़ जाय तो, कार्य करने के बदले में उसको जो सहायता देने की पहिले प्रतिज्ञा की गई थी उसको न देकर ही छोड़ दे; अथवा उसको छोटे-छोटे फिरकों में बाँट कर अलग-अलग छावनियों में रख दे; अथवा जब शत्रु की सहायता का समय बीत जाये तब उस सेना को छोड़ दे; अथवा जब-जब शत्रु अपने सेना-संग्रह का आयोजन करे तभी-तभी विजिगीषु उसके मार्ग में बाधाएँ खड़ी कर दे और शत्रु द्वारा खड़ी की गई बाधाओं का प्रतीकार करते हुए वह अपनी सेना का संगठन करता रहे ।

१. उक्त सात प्रकार की सेना में उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व की सेना का संग्रह करना अधिक लाभप्रद है ।

२. सदैव अपने स्वामी के साथ बने रहने के कारण तथा सदा ही सेना के सम्बन्ध में स्वामी की सत्कार बुद्धि होने के कारण और सदा ही स्वामी के सम्बन्ध में सेना का अनुराग होने के कारण भृतकबल की अपेक्षा मौलबल ही श्रेष्ठ होता है ।

३. इसी प्रकार श्रेणीबल की अपेक्षा भृतकबल अधिक श्रेष्ठ होता है; क्योंकि वह सदैव राजा के समीप रहता है, अविलम्ब ही युद्ध के लिए तैयार हो सकता है और राजा के अधीन रहता है; किन्तु श्रेणीबल में ये बातें नहीं होती हैं ।

१. जानपदमेकार्थोपगतं तुल्यसंघर्षामर्षसिद्धिलाभं च श्रेणीबलं मित्रबलाच्छ्रेयः ।
२. अपरिमितदेशकालमेकार्थोपगमाच्च मित्रबलममित्रबलाच्छ्रेयः ।
३. आर्याधिष्ठितममित्रबलमटवीबलाच्छ्रेयः । तदुभयं विलोपार्थम् । अविलोपे व्यसने च ताभ्यामहिभयं स्यात् ।
४. ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रसैन्यानां तेजःप्राधान्यात्पूर्वपूर्वं श्रेयः सन्नाहयितुमित्याचार्याः ।
५. नेति कौटिल्यः । प्रणिपातेन ब्राह्मणबलं परोऽभिहारयेत् ।

१. मित्रबल की अपेक्षा श्रेणीबल अधिक उत्तम होता है; क्योंकि वह अपने राजा के देश का होता है; एक ही प्रयोजन के लिए उसका संग्रह किया जाता है; मालिक का जिसके साथ संघर्ष तथा क्रोध होता है श्रेणीबल की भी उसके साथ संघर्ष तथा वैर होता है; वह अपने मालिक की अभीष्ट सिद्धि में ही अपनी अभीष्टसिद्धि समझता है । परन्तु मित्रबल में ये बातें नहीं होती हैं ।
२. अमित्रबल की अपेक्षा मित्रबल अधिक श्रेयस्कर होता है; क्योंकि मित्रबल हर समय हर स्थिति में सहायक होता है; विजिगीषु के प्रयोजन के अनुसार ही मित्रबल का भी प्रयोजन होता है । इसके विपरीत अमित्रबल में ये बातें नहीं होती हैं ।
३. अटवीबल की अपेक्षा अमित्रबल अधिक श्रेष्ठ होता है; क्योंकि वह भायंगुणों से संपन्न एवं विश्वस्त पुरुषों के नेतृत्व में रहता है; किन्तु अटवीबल के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है । ये दोनों सेनार्ये शत्रु देश को लूटने के लिए बड़ी उपयुक्त हैं । क्योंकि यदि उन्हें युद्ध में लगाया जाय या विपत्ति में सहायतायं नियुक्त किया जाय, तो आस्तीन के साँप की तरह सदा ही उनसे भय बना रहता है ।
४. प्राचीन आचार्यों का मत है कि तेज की अतिशयता होने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की सेनाओं में उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व की सेना अधिक श्रेष्ठ है ।
५. इसके विपरीत आचार्य कौटिल्य का मत है कि 'शत्रुपक्ष ब्राह्मणसेना के समक्ष नमस्कार कर या शिर झुका कर उसको अपने वश में कर लेता है ।

मौर्खा अधिकरण : प्रकरण १३७-१३६, अध्याय २

प्रहरणविद्याविनीतं तु क्षत्रियबलं श्रेयः, बहुलसारं वा वैश्य-
शूद्रबलमिति ।

१. तस्माद् 'एवंबलः परः, तस्यैतत्प्रतिबलम्' इति बलसम्बन्धानं कुर्यात् ।
२. हस्तियन्त्रशकटगर्भकुन्तप्रासहाटकवेणुशल्यवद्वस्तिबलस्य प्रतिबलम् ।
३. तदेव पाषाणलगुडावरणाङ्कुशकचग्रहणीप्रायं रथबलस्य प्रतिबलम् ।
४. तदेवाश्वानां प्रतिबलम् ।
५. वर्मिणो वा हस्तिनोऽश्वा वा वर्मिणः कवचिनो रथा आवर-

इसलिए युद्धविद्या में निपुण क्षत्रिय सेना को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए; अथवा वैश्य सेना तथा शूद्रसेना को भी श्रेष्ठ समझना चाहिए, यदि उनमें वीर पुरुषों की अधिकता हो ।

१. सेनाओं के संबन्ध में पूर्वोक्त पारस्परिक श्रेष्ठता को समझने के बाद शत्रुसेना के संबन्ध में भी विचार कर लेना चाहिए और अमुक शत्रुसेना के साथ अमुक सेना उपयुक्त होगी, इन सभी बातों का विचार कर उपयुक्त सेनाओं का संग्रह करना चाहिए ।
२. हस्तिसेना के मुकाबले के लिए हाथी, जामदन्य यन्त्र, शकटगर्भ (शकट के समान मध्यभाग वाला अस्त्र), भाला (कुन्त), बरछा (प्रास), त्रिशूल (हाटक), लाठी (वेणु), बल्लम (शल्य) आदि साधनों से युक्त सेना की आवश्यकता होती है ।
३. उक्त हस्तिसेना यदि पाषाण, गदा (लगुड), कवच (आवरण), अङ्कुश और कचग्राही (लंबी लोहे की छड़, जिसके अग्रभाग में बाल पकड़ने का हुक लगा रहता है) आदि साधनों से युक्त हो तो वह रथ-सवार सेना का मुकाबला (प्रतिबल) करनेवाली समझना चाहिए ।
४. इसी सेना को घुड़सवार (अश्वबल) सेना का भी प्रतिबल समझना चाहिए ।
५. कवचधारी हाथी या कवचधारी घोड़े, मजबूत लोहे की पतों से मड़े हुए रथ

गिनः पत्तयश्चतुरङ्गबलस्य प्रतिबलम् ।

१. एवं बलसमुद्धानं परसैन्यनिवारणम् ।
विभवेन स्वसैन्यानां कुर्यादङ्गविकल्पशः ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमाधिकरणे बलोपादानकालाः सन्नाहगुणाः प्रतिबलकर्म
नाम द्वितीयोऽध्यायः; आदितस्त्रयोविंशत्युत्तरशततमः ।



और कवचधारी पैदल सेना, इन चारों को क्रमशः, हस्तिबल, अश्वारोही, रथारोही और पदाति, इस चतुरंग सेना का प्रतिबल समझना चाहिए ।

१. इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से सेनाओं की पारस्परिक श्रेष्ठता, गुरुता, लघुता का विचार करके ही उपयुक्त सेनाओं का संग्रह करना चाहिए । इसी प्रकार मौलभृत आदि अपनी सेनाओं की शक्ति के अनुसार एवं सेनाओं के अंग-भूत साधन हाथी, घोड़े, शस्त्र आदि की अधिकता-अल्पता को दृष्टि में रख कर अलग-अलग विभागों के अनुसार ही सेना का संग्रह तथा शत्रु का प्रतिकार करना चाहिए ।

अभियास्यत्कर्म नामक नवम अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



प्रकरण १४०-१४१

अध्याय ३

पश्चात्कोपचिन्ता, बाह्यान्तर- प्रकृतिकोपप्रतीकारश्च

१. अल्पः पश्चात्कोपो महान् पुरस्ताल्लाभ इति । अल्पः पश्चात्कोपो गरीयान् । अल्पं पश्चात्कोपं प्रयातस्य दूष्यामित्राटविका हि सर्वतः समेधयन्ति, प्रकृतिकोपो वा । लब्धमपि च महान्तं पुरस्ताल्लाभमेवंभूते भृत्यमित्रक्षयव्यया ग्रसन्ते । तस्मात्सहस्रैकीयः पुरस्ताल्लाभस्यायोगः शतैकीयो वा पश्चात्कोप इति न यायात् । सूचीमुखा ह्यनर्था इति लोकप्रवादः ।

पश्चात्कोपचिन्ता और बाह्यआप्रभ्यन्तर कृति के कोप का प्रतीकार

१. यदि थोड़ा पश्चात्कोप और अधिक भावी लाभ हो तो दोनों में से थोड़ा पश्चात्कोप ही गुरुतर है; क्योंकि विजिगीषु के युद्ध में घले जाने के कारण थोड़े पश्चात्कोप को भी राजद्रोही और आटविक बहुत बढ़ा देते हैं; अथवा विजिगीषु की अनुपस्थिति में उसका कुपित प्रकृतिवर्ग थोड़े भी पश्चात्कोप को अधिक बढ़ा देता है । यदि पश्चात्कोप की लापरवाही करके आक्रमण से होने वाले बड़े लाभ को प्राप्त कर लिया जाय तो उस बड़े हुए पश्चात्कोप के प्रतीकार के लिए जो भृत्य तथा मित्रसंबन्धी क्षय-व्यय करना पड़ता है, उसमें वह महान लाभ सब बराबर हो जाता है । इसलिए जब भावी लाभ की सफलता प्रति सहस्र एक अंश मात्र होनेवाली हो तो उसकी अपेक्षा पश्चात्कोप से होने वाला अनर्थ प्रतिशत एक अंश समझना चाहिए; अर्थात् पश्चात्कोपजन्य अनर्थ की अपेक्षा भावी लाभ में दसगुनी असरता होती है । लोकप्रसिद्धि है कि अनर्थ सदा सूचीमुख हुआ करते हैं; अर्थात् पहिले तो

१. पश्चात्कोपे सामदानभेददण्डान्प्रयुञ्जीत । पुरस्ताल्लाभे सेनापतिं कुमारं वा दण्डचारिणं कुर्वीत ।
२. बलवान् वा राजा पश्चात्कोपावग्रहसमर्थः पुरस्ताल्लाभमादातुं यायात् । अभ्यन्तरकोपशङ्कायां शङ्कितानादाय यायात् ।
३. बाह्यकोपशङ्कायां वा पुत्रदारमेषामभ्यन्तरावग्रहं कृत्वा शून्यपालमनेकबलवर्गमनेकमुख्यं च स्थापयित्वा यायात् । न वा यायात् । 'अभ्यन्तरकोपो बाह्यकोपात्पापीयान्' इत्युक्तं पुरस्तात् ।

उनका रूप सुई के मुँह जितना सूक्ष्म होता है; किन्तु बाद में वे भयावह रूप धारण कर लेते हैं ।

१. यदि पश्चात्कोप की अधिक संभावना हो तो साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपायों से किसी भी प्रकार उसका प्रतीकार करना चाहिए । यदि भावी लाभ को भी न छोड़ना हो तो सेनापति या युवराज के संरक्षण में सेना को विजययात्रा के लिए भेजना चाहिए ।
२. अथवा जो शक्तिसंपन्न राजा पश्चात्कोप का प्रतीकार करने में समर्थ हो और उस का यह विश्वास हो कि वह पश्चात्कोप को पूरी तरह शांत कर सकेगा, तो थोड़ी-सी सेना पीछे छोड़कर विजिगीषु स्वयं भी यात्रा में जा सकता है । यदि ऐसी स्थिति में भीतरी कोप की ही आशंका हो तो उन आशंकित व्यक्तियों को साथ लेकर विजिगीषु को युद्ध में जाना चाहिए ।
३. अथवा यदि बाह्यकोप की आशंका हो तो विजिगीषु के लिए उचित है कि वह उन बाह्यकोपकारी अंतपाल आदि के पुत्र तथा स्त्रियों को अपने अमात्यों के अधीन करके युद्ध में जाय । यदि बाह्य और अभ्यन्तर दोनों की ओर से उपद्रव की आशंका हो तो पीछे वतार्ह गई मौलभृत आदि सात प्रकार की सेनाओं तथा अनेक मुख्य सेनापतियों से युक्त शून्यपाल को राजधानी की रक्षा के लिए नियुक्त करके विजययात्रा करनी चाहिए । इतने इन्तजाम में भी यदि अभ्यन्तर विद्रोह की आशंका बनी रहे तो विजिगीषु कदापि न जाय क्योंकि अभ्यन्तर कोप, बाह्यकोप की अपेक्षा अत्यंत हानिकर होता है, इस बात को पहिले ही कहा जा चुका है ।

१. मन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजानामन्यतमकोपोऽभ्यन्तरकोपः ।
तमात्मदोषत्यागेन परशक्त्यपराधवशेन वा साधयेत् ।
२. महापराधेऽपि पुरोहिते संरोधनमवस्त्रावणं वा सिद्धिः, युवराजे
संरोधनं निग्रहो वा गुणवत्यन्यस्मिन्सति पुत्रे ।
३. ताम्यां मन्त्रिसेनापती व्याख्यातौ ।
४. पुत्रं भ्रातरमन्यं वा कुल्यं राज्यग्राहिणमृत्साहेन साधयेत् ।
उत्साहाभावे गृहीतानुवर्तनसन्धिकर्मभ्यामरिसन्धानमयात् ।
अन्येभ्यस्तद्विधेभ्यो वा भूमिदानैर्विश्वासयेदेनम् । तद्विशिष्टं

१. मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज इन चारों में से किसी एक के द्वारा किए जाने वाले उपद्रव को आभ्यन्तरकोप कहते हैं। यह आभ्यन्तरकोप यदि विजिगीषु के किसी दोष के कारण पैदा हुआ हो तो उस दोष का परिश्रम कर आभ्यन्तर कोप को शांत करना चाहिए। यदि वह मंत्री, पुरोहित आदि के कारण उत्पन्न हुआ हो तो उनको अपराध के अनुसार प्राणदण्ड, बंधन तथा अर्थदण्ड आदि के द्वारा सीधा करना चाहिए।
२. यदि पुरोहित से ऐसा कोई महान् अपराध हो जाय तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का वध निषिद्ध है। इसलिए उसको या तो कैद में डाल दिया जाय अथवा देश-निर्वासन का दण्ड दिया जाय। यदि युवराज इस तरह का महान अपराध कर डाले तो उसे या तो आजन्म कैद में डाल दिया जाय या तो प्राणदण्ड दिया जाय; किन्तु यह प्राणदण्ड उसी दशा में दिया जाय जब कि दूसरा कोई गुणवान् पुत्र विद्यमान हो।
३. पुरोहित और युवराज के समान ही मंत्री और सेनापति का भी उनके अपराध के अनुसार वध या बंधन का दण्ड समझना चाहिए।
४. विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने पुत्र, भाई या किसी खानदानी व्यक्ति को, जो राज्य लेने की इच्छा करे, उसको उसके योग्य उच्च अधिकार-पदों पर नियुक्त कर के अपने वश में करे। क्योंकि यदि उन्हें वश में न किया गया तो यह आशंका नित्य ही बनी रहती है कि कहीं वे शत्रु राजा के साथ आकर न मिल जाँय। अथवा इसी तरह के दूसरे खानदानी व्यक्तियों को जमीन आदि देकर अपने अधीन कर लेना चाहिए। अथवा ऐसे

स्वयंग्राहं दण्डं वा प्रेषयेत्, सामन्ताटविकान् वा । तैर्विगृहीत-
मतिसन्दध्यात् । अवरुद्धादानं पारग्रामिकं वा योगमातिष्ठेत् ।

१. एतेन मन्त्रिसेनापती व्याख्यातौ ।

२. मन्त्र्यादिवर्जानामन्तरमात्यानामन्यतमकोपोऽन्तरमात्यकोपः ।
तत्रापि यथार्हमुपायान् प्रयुञ्जीत ।

३. राष्ट्रमुख्यान्तपालाटविकदण्डोपनतानामन्यतमकोपो बाह्यकोपः ।
तमन्योन्येनावग्राहयेत् । अतिदुर्गप्रतिस्तब्धं वा सामन्ताटविक-
तत्कुलीनावरुद्धानामन्यतमेनावग्राहयेत् । मित्रेणोपग्राहयेद्वा,
यथा नामित्रं गच्छेत् ।

व्यक्तियों को स्वयं ग्राह सेना का सेनापति बनाकर कहीं बाहर युद्ध के लिए भेज देना चाहिए । अथवा उन्हें सामंत तथा आटविकों की सेना का अध्यक्ष नियुक्त कर के बाहर भेज देना चाहिए और फिर उस स्वयं ग्राह सेना तथा उन सामन्त आटविकों के साथ झगड़ा कराके उसको कैद में डाल देना चाहिए । स्वयं ग्राह सेना द्वारा गिरफ्तार उस व्यक्ति को राजा स्वयं ले ले अथवा दुर्गलम्भोपाय प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा उसे वश में करे ।

१. इसी प्रकार मन्त्री और सेनापति के द्वारा पैदा किए गए उपद्रव तथा उसके प्रतीकार का भी व्याख्यान समझ लेना चाहिए ।

२. मन्त्री, पुरोहित, युवराज और सेनापति के अतिरिक्त अन्य अन्तर मात्य अर्थात् द्वारपाल या रनवास के कर्मचारी आदि में से किसी एक द्वारा उठाये गये कोप को अन्तरमात्यकोप कहते हैं । ऐसे कोप को शान्त करने के लिए उपर्युक्त उपायों को ही काम में लाना चाहिए ।

३. राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति, अन्तपाल, आटविक और बलपूर्वक अधीन किए गए व्यक्ति (दण्डोपनत) आदि में से किसी एक के द्वारा उठाये गये उपद्रव को बाह्यकोप कहते हैं । ऐसे कोप को शान्त करने का यही तरीका है कि उन कोपकारों को एक-दूसरे के साथ लड़ा कर शान्त किया जाय । बाह्यकोप को उठाने वाले राष्ट्रमुख या अन्तपाल आदि को सामन्त, आटविक या उनके कुल के किसी गिरफ्तार राजकुमार द्वारा पकड़ा दिया

नौवाँ अधिकरण : प्रकरण १४०-१४१, अध्याय ३

१. अमित्राद्वा सत्री भेदयेदेनम्—‘अयं त्वा योगपुरुषं मन्यमानो भर्तार्येव विक्रमयिष्यति, अवाप्तार्थो दण्डचारिणममित्राटविकेषु कृच्छ्रे वा प्रवासे योक्ष्यति, विपुत्रदारमन्ते वा वासयिष्यति, प्रतिहतविक्रमं त्वां भर्तारि पण्यं करिष्यति, त्वया वा सन्धि कृत्वा भर्तारमेव प्रसादयिष्यति, मित्रमुपकृष्टं वास्य गच्छेद्’ इति ।
२. प्रतिपन्नमिष्टाभिप्रायैः पूजयेत् ।
३. अप्रतिपन्नस्य संश्रयं भेदयेद्—‘असौ ते योगपुरुषः प्रणिहितः’ इति ।

जाय; अथवा अपने मित्र के साथ उसकी मित्रता जोड़ दी जाय, जिससे कि वह शत्रुपक्ष में न मिल जाय ।

१. सत्री नामक गुप्तचर को चाहिए कि वह बाह्य कोपकारी राष्ट्रमुख आदि व्यक्तियों को यह कह कर मित्र बनाये रखे कि ‘तुम जिसके साथ मिलना चाहते हो वह तुमको विजिगीषु का गुप्तचर समझ कर तुमको तुम्हारे मित्र से लड़ने को कहेगा और उस आक्रमण के परिणाम को देख कर तुमको अपनी सेना का नायक बनाकर अपने शत्रु या आटविक के मुकाबले में किसी दुष्कर आक्रमण के लिए नियुक्त करेगा; अथवा तुमको तुम्हारे स्त्री-पुत्रों से वियुक्त कर अपने किसी सरहद्दी इलाके में नियुक्त कर देगा; अथवा अपने ही मालिक के मुकाबले में यदि तुम हार गए तो तुम्हारे मालिक से धन लेकर वह उसी के हाथ तुम्हें बेच देगा; अथवा तुम्हारे स्वामी के हाथ तुम्हें ही शर्तनामा के रूप में गिरवी रख कर संधि कर लेगा; अथवा तुम्हें शर्त में रखकर अपने किसी मित्र के साथ तुम्हारे स्वामी की संधि करा देगा ।’
२. यदि सत्री के इस भेद भरे उपदेश को वह बाह्यकोपकारी स्वीकार कर ले तो उसको उसकी मनचाही वस्तुएँ देकर संमानित किया जाय ।
३. यदि स्वीकार न करे तो संश्रयनीति के द्वारा उसे यह कहकर भिन्न कर दिया जाय कि ‘जो व्यक्ति तुम्हारे आश्रय में है वह दूसरे का गुप्तचर है; उससे तुम्हें संभल कर रहना चाहिए ।’

१. सत्री चैनमभित्यक्तशासनैर्घातयेद् गूढपुरुषैर्वा । सहप्रस्थायिनो वास्य प्रवीरपुरुषान् यथामिप्रायकरणेनावहयेत् । तेन प्रणिहितान् सत्री ब्रूयात् । इति सिद्धिः । परस्य चैनान्कोपानुत्थापयेत् । आत्मनश्च शमयेत् ।
२. यः कोपं कर्तुं शमयितुं वा शक्तः, तत्रोपजापः कार्यः । यः सत्यसन्धः शक्तः कर्मणि फलावाप्तौ चानुग्रहीतुं विनिपाते च त्रातुं, तत्र प्रतिजापः कार्यः । तर्कयितव्यश्च—कल्याणबुद्धिरुताहो शठ इति ।

१. अथवा सत्री को चाहिए कि वह वध के लिए नियुक्त व्यक्ति (अभित्यक्त) के हाथ जाली पत्र भेजवा कर—जिसमें शत्रु को छिपकर मार डालने का निर्देश हो—शत्रु के मन में संदेह पैदा कर उसी के द्वारा उस बाह्यकोपकारी का वध करा दे; अथवा गुप्तचरों के द्वारा ही उसका वध करा दिया जाय । अथवा शत्रु का आश्रय लेने के लिए उन बाह्यकोपकारी राष्ट्रमुख, अन्तपाल आदि के साथ जो वीर पुरुष जाने को तैयार हों, उनकी मनचाही मुराद पूरी कर के उन्हें अपनी ओर मिला ले । यदि वे वीर पुरुष मिलने के लिए तैयार न हों तो उनके सम्बन्ध में शत्रु राजा के यहाँ जाकर सत्री इस प्रकार कहे 'ये सभी वीर पुरुष विजिगीषु ने तुम्हारे वध के लिए भेजे हैं; ये सभी गुप्तचर हैं' और इस प्रकार शत्रु को समझा कर उसी के द्वारा उनको मरवा डाले । शत्रु के पक्ष में अन्तर-बाह्यकोप पैदा करे और अपने पक्ष के कोपों का प्रतीकार करे ।
२. जो व्यक्ति कोप को उत्पन्न करने और शांत करने में समर्थ हो उसी पर उपजाप का प्रयोग कर दूसरे के साथ उसकी फूट डाल देनी चाहिए । जो पुरुष सत्यप्रतिज्ञ हो, कार्य तथा फलसिद्धि के समय अनुग्रह करने वाला हो और आपत्ति के समय रक्षा कर सके उसके साथ प्रतिजाप (उपजाप को स्वीकार कर लेना प्रतिजाप है) का प्रयोग करना चाहिए । यदि उपजाप करने वाले व्यक्ति के प्रति उपजाप को स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति को यह आशंका हो कि कहीं वह ठगने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहा है तो उसकी कल्याण बुद्धि या शठबुद्धि की परीक्षा लेकर भली भाँति विचार-विनिमय कर ले ।

१. शठो हि बाह्योऽभ्यन्तरमेवमुपजपति—भर्तारं चेद्वत्वा मां प्रतिपादयिष्यति शत्रुवधो भूमिलाभश्च मे द्विविधो लाभो भविष्यति, अथवा शत्रुरेनमाहनिष्यति इतबन्धुपक्षस्तुल्य-दोषदण्डेन वा उद्विग्नश्च, मे भूयान् कृत्यपक्षो भविष्यति तद्विधे वान्यस्मिन्नपि शङ्कितो भविष्यति अन्यमन्यं चास्य मुख्यमभित्यक्तशासनेन घातयिष्यामि इति ।

२. अभ्यन्तरो वा शठो बाह्यमेवमुपजपति—कोशमस्य हरिष्यामि, दण्डं वास्य हनिष्यामि, दुष्टं वा भर्तारमनेन घातयिष्यामि, प्रतिपन्नं बाह्यममित्राटविकेषु विक्रमयिष्यामि चक्रमस्य सज्यतां वैरमस्य प्रसज्यतां ततः स्वाधीनो मे

१. जो बाह्य शठबुद्धि होते हैं वे अभ्यन्तर के प्रति यह सोचकर उपजाप करते हैं कि मेरे द्वारा वहकाया गया मंत्री यदि अपने राजा को मारकर उसके स्थान पर मुझे राजा बना देगा तो शत्रु का नाश और भूमि का लाभ, ये दोनों फायदे मुझे एक साथ हो जायेंगे; अथवा यदि शत्रु ही मंत्री को मार डालेगा तो मंत्री का बन्धुवर्ग तथा दूसरे क्रुद्ध या लुब्ध लोग राजा के शत्रु बन जायेंगे और तब बड़ी सरलता से उन्हें मैं अपने वश में कर सकूँगा; इस प्रकार दूसरे कर्मचारियों पर से भी राजा का विश्वास उठ जायगा और उस दशा में मैं, एक-एक करके सभी प्रमुख कर्मचारियों के नाम अभित्यक्त व्यक्तियों के हाथ जाली पत्र भेजकर, उनको भी मरवा डालूँगा ।'

२. इसी प्रकार जो अभ्यन्तर शठ होते हैं वे बाह्य के प्रति यह सोचकर उपजाप करते हैं कि; 'इस बाह्य के कोष का मैं अपहरण कर सकूँगा अथवा इसकी सेना को मार डालूँगा; या अपने दुष्ट राजा को इसके द्वारा मरवा डालूँगा; या जब यह मेरे राजा को मारना स्वीकार कर लेगा तो उस समय इसे शत्रुओं तथा आटविकों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दूँगा; तब इसकी सारी सेना वहीं युद्ध में फँसी रहेगी; उनका आपस में वैर बढ़ता रहेगा; उस अवस्था में यह मेरे अधीन हो जायगा और ऐसा कार्य करके मैं अपने मालिक को प्रसन्न कर लूँगा; अथवा बाह्य को वश में करके

भविष्यति, ततो भर्तारमेव प्रसादयिष्यामि, स्वयं वा राज्यं ग्रहीष्यामि, बद्ध्वा वा बाह्यभूमिं भर्तृभूमिं चोभयमवाप्स्यामि, विरुद्धं वावाहयित्वा बाह्यं विश्वस्तं घातयिष्यामि शून्यं वास्य मूलं हरिष्यामि इति ।

१. कल्याणबुद्धिस्तु सहजीव्यर्थमुपजपति । कल्याणबुद्धिना सन्दधीत । शठं 'तथा' इति प्रतिगृह्णातिसन्दध्यात् । इति ॥

२. एवमुपलभ्य,

३. परे परेभ्यः स्वे स्वेभ्यः स्वे परेभ्यः स्वतः परे ।

रक्षयाः स्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्यमात्मा विपश्चिता ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे पश्चात्कोपचेन्ता बाह्याभ्यन्तरप्रकृति-
कोपप्रतीकारश्चेति तृतीयोऽध्यायः; भादितश्चतुर्विंशत्युत्तरशततमः ।



उसका राज्य मैं स्वयं हड़प लूँगा; अथवा उसको कैद में डालकर उसकी भूमि को और अपने मालिक की भूमि को अपने अधिकार में कर लूँगा; अथवा बाह्य के किसी विरोधी से मिलकर उसके द्वारा इस बाह्य को मरवा डालूँगा; अथवा जब यह युद्ध में फँसा हो तब इसकी सूनी राजधानी को लूँगा ।

१. जो कल्याणबुद्धि होता है वह अपनी आजीविका को सुरक्षित रखते हुए साथी बनकर ही उपजाप किया करता है । इसलिए विजिगीषु को चाहिए कि वह कल्याणबुद्धि के साथ संधि कर ले और शठबुद्धि की बात को मानकर पीछे अवसर आने पर धोखा दे दे ।

२. इस प्रकार कल्याणबुद्धि और शठबुद्धि का निश्चय करके;

३. कार्यतत्त्व को जानने वाले विद्वान विजिगीषु को चाहिए कि वह जिन दूसरों को शठ समझता है उनकी बात को दूसरों पर प्रकट न होने दे । और जो अपने शठ हैं उनकी बात अपनों पर भी प्रकट न होने दे इसी प्रकार दोनों प्रकार के शठों पर एक दूसरे की बात को प्रकट न होने दे, अपने शठों की वह परायों से रक्षा करे और उनके अनुकूल या प्रतिकूल अभिप्राय को वह अपनी ओर से प्रकट न करे ।

अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ४

क्षयव्ययलाभनिपरिमर्शः

१. युग्यपुरुषापचयः क्षयः । हिरण्यधान्यापचयो व्ययः ।
२. ताभ्यां बहुगुणविशिष्टे लाभे यायात् ।
३. आदेयः, प्रत्यादेयः, प्रसादकः प्रकोपको, ह्रस्वकालः, तनु-
क्षयः, अल्पव्ययो, महान्, वृद्ध्युदयः, कल्यो, धर्म्यः, पुरो-
गश्चेति लाभसम्पत् ।
४. सुप्राप्यानुपाल्यः परेषामप्रत्यादेय इत्यादेयः ।
५. विपर्यये प्रत्यादेयः । तमाददानस्तत्रस्थो वा विनाशं प्राप्नोति ।

क्षय, व्यय और लाभ का विचार

१. हाथी-घोड़े आदि सवारियों और राज-कर्मचारियों के नाश को क्षय कहते हैं । हिरण्य और धान्य आदि के नाश को व्यय कहते हैं ।
२. विजिगीषु को चाहिए कि क्षय और व्यय का ध्यान रखकर जिस समय वह बहुगुणविशिष्ट लाभ की संभावना समझे उस समय युद्ध के लिए प्रस्थान कर दे ।
३. लाभ के विशिष्ट बारह गुणों के नाम हैं : (१) आदेय (२) प्रत्यादेय (३) प्रसादक (४) प्रकोपक (५) ह्रस्वकाल (६) तनुक्षय (७) अल्पव्यय (८) महान् (९) वृद्ध्युदय (१०) कल्य (११) धर्म्य और (१२) पुरोग ।
४. जो बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सके, प्राप्ति के बाद सरलता से जिसकी रक्षा की जा सके और कालांतर में भी जिसको शत्रु छीन न सके, ऐसे लाभ को आदेय कहते हैं ।
५. आदेय से विपरीत लाभ को प्रत्यादेय कहते हैं । जो इस प्रकार के लाभ को प्राप्त करता है भयवा उसी पर जीवन-निर्वाह करता है वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होता है ।

१. यदि वा पश्येत्—‘प्रत्यादेयमादाय कोशदण्डनिचयरक्षाविधानान्यवस्त्रावयिष्यामि, खनिद्रव्यहस्तिवनसेतुबन्धवणिकपथानुद्धृतसारान्करिष्यामि; प्रकृतीरस्य कर्शयिष्यामि; आवाहयिष्यामि, आयोगेनाराधयिष्यामि वा, ताः परः प्रतियोगेन कोपयिष्यति; प्रतिपक्षे वास्य पण्यमेनं करिष्यामि; मित्रमवरुद्धं वास्य प्रतिपादयिष्यामि; मित्रस्य स्वस्य वा देशस्य पीडामत्रस्थस्तस्करेभ्यः परेभ्यश्च प्रतिकरिष्यामि; मित्रमाश्रयं वास्य वैगुण्यं ग्राहयिष्यामि, तदमित्रविरक्तं तत्कुलीनं प्रतिपत्स्यते; सत्कृत्य वास्मै भूमिं दास्यामि, इति, संहितसमुत्थितं मित्रं मे चिराय भविष्यति’ इति प्रत्यादेयमपि लाभमाददीत । इत्यादेयप्रत्यादेयौ व्याख्यातौ ।

१. यदि विजिगीषु यह समझे कि : ‘प्रत्यादेय लाभ को प्राप्त कर मैं अपने शत्रु के कोष, सेना, अन्न-संचय और दुर्ग आदि के संरक्षण साधनों को नष्ट कर सकूँगा; अथवा शत्रु के खान, द्रव्यवन, हस्तिवन, सेतुबंध और व्यापारी मार्ग आदि का शोषण कर उन्हें सारहीन बना दूँगा; या शत्रु के प्रकृतिमंडल को कष्ट पहुँचा कर निर्बल बना दूँगा; या शत्रु की भूमि को प्राप्त करके उसके उपभोग के लिए शत्रु की प्रजा को लाकर बसा दूँगा; अथवा इच्छानुसार सुख-साधनों की सुविधा देकर उन्हें अपने वश में कर लूँगा; या मेरे द्वारा प्राप्त भूमि के पुनः छिन जाने पर अपने प्रतिकूल अचारण से शत्रु वहाँ की प्रजा को कुपित कर देगा; या उस प्राप्त भूमि को शत्रु के हाथ बेच दूँगा; अथवा विशेष लाभ रहित उस भूमि में अपने मित्र या अपने पुत्र को स्थापित कर दूँगा; अथवा स्वयं ही उस भूमि का शासन करता हुआ मैं चोरों और शत्रुओं से अपने मित्र देश की रक्षा करूँगा; अथवा इस शत्रु के मित्र तथा आश्रय को इसके विरुद्ध उभाड़ दूँगा; अथवा उस भूमि का शासन कर मैं ठीक-ठीक कर लेकर शत्रु की अयोग्यता और प्रजा की पीड़ा के संबंध में आश्रयभूत राजा से बहुत कुछ कहूँगा, जिससे किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को वहाँ का राज्यमिहासन मिलेगा; अथवा उस प्राप्त भूमि को मैं ही संमानपूर्वक शत्रु को वापिस कर दूँगा; इस संधि के कारण वह मेरा पक्का मित्र बन

१. अधार्मिकाद्दार्मिकस्य लाभो लभ्यमानः स्वेषां परेषां च प्रसादको भवति । विपरीतः प्रकोपक इति । मन्त्रिणामुपदेशाल्लाभोऽलभ्यमानः कोपको भवति, 'अयमस्माभिः क्षयव्ययौ ग्राहितः' इति । दूष्यमन्त्रिणामनादराल्लाभो लभ्यमानः कोपको भवति, 'सिद्धार्थोऽयमस्मान् विनाशयिष्यति' इति । विपरीतः प्रसादकः । इति प्रसादककोपकौ व्याख्यातौ ।
२. गमनमात्रसाध्यत्वाद्ब्रह्मकालः ।
३. मन्त्रसाध्यत्वात्तनुक्षयः ।
४. भक्तमात्रव्ययत्वादल्पव्ययः ।
५. तदात्ववैपुल्यान्महान् ।

आयगा;—ऐसी अवस्थाओं में विजिगीषु को चाहिए कि वह प्रत्यादेय लाभ को भी ले ले । यहाँ तक आदेय और प्रत्यादेय लाभ के संबंध में निरूपण किया गया ।

१. जो लाभ अधार्मिक राजा से धार्मिक राजा को प्राप्त हो तथा जो अपने तथा पराये लोगों की प्रसन्नता का कारण हो उसे प्रसादक कहते हैं । इससे विपरीत लाभ को प्रकोपक कहते हैं । प्रकोपक लाभ भी दो प्रकार का होता है :—मंत्रियों के कथनानुसार कार्य करने पर भी लाभ का न होना कोपक कहलाता है और जिस कार्य में व्यर्थ का क्षय-व्यय करके मंत्रियों को पश्चात्ताप करना पड़े वह लाभ ग्राहित कहलाता है । राजद्रोही मंत्रियों के अनादर से जो लाभ प्राप्त हो वह भी कोपक है; क्योंकि मंत्रियों के मन में यह शंका हो जाती है कि सिद्धि-लाभ करके अवश्य ही राजा उनको नष्ट कर देगा । कोपक लाभ से विपरीत गुणसंपन्न लाभ प्रसादक है । यहाँ तक प्रसादक और प्रकोपक के संबंध में निरूपण किया गया ।
२. अल्पश्रम और अल्पकालीन आक्रमण से प्राप्त लाभ ह्रस्वकाल कहा जाता है ।
३. जो लाभ केवल उपजाप आदि से ही प्राप्त हो उसे तनुक्षय कहते हैं ।
४. जो लाभ केवल भोजन-भत्ता व्यय करके ही प्राप्त हो उसे अल्पव्यय कहते हैं ।
५. जो लाभ अत्यधिक मात्रा में तत्काल ही प्राप्त हो उसे महान् कहते हैं ।

१. अर्थानुबन्धकत्वाद् वृद्धयुदयः ।
२. निराबाधकत्वात्कल्यः ।
३. प्रशस्तोपादानाद्धर्म्यः ।
४. सामवायिकानामनिर्वन्धगामित्वात्पुरोग इति ।
५. तुल्ये लाभे, देशकालौ शक्त्युपायौ प्रियाप्रियौ जवाजवौ सामीप्यविप्रकर्षौ तदात्वानुबन्धौ सारत्वसातत्ये बाहुल्यबाहुगुण्ये च विमृश्य बहुगुणयुक्तं लाभमाददीत ।
६. लाभविघ्नाः—कामः क्रोधः साध्वसं कारुण्यं हीः अनार्यभावो मानः सानुक्रोशता परलोकापेक्षा दाम्भिकत्वम् अत्याशित्वं दैन्यम् असूया हस्तगतावमानो दौरात्मिकमविश्वामो भयमनि-

१. जो लाभ भविष्य में भी अत्यधिक अर्थ-प्राप्ति कराने वाला हो उसे वृद्धयुदय कहते हैं ।
२. जिस लाभ में आगे किसी तरह की बाधा उपस्थित न हो उसे कल्य कहते हैं ।
३. जो लाभ प्रकाश युद्ध आदि उपादानों से धर्मपूर्वक प्राप्त किया गया हो उसे धर्म्य कहते हैं ।
४. जो लाभ मित्रराजाओं ने निर्बाध रूप से बिना किसी शर्त के प्राप्त किया हो उसे पुरोग कहते हैं ।
५. यदि दोनों पक्षों में बराबर लाभ दिखाई दे तो ऐसा बहुगुणविशिष्ट लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसमें देश, काल, शक्ति, उपाय, प्रियाप्रिय, जयाजय, समीप-दूर, तात्कालिक, भविष्य में लगातार होना, बहुमूल्य, उपयोगी, अधिक और अत्युत्तम आदि गुण विद्यमान हों ।
६. लाभ-विघ्न : लाभ में इस प्रकार के विघ्न उपस्थित हो सकते हैं : काम, क्रोध, अप्रगल्भता (साध्वस), करुणा, लज्जा (ही), विश्वासघात (अनार्य-भाव) अहंकार, दयाभाव (सानुक्रोशता), परलोकभय (परलोकापेक्षा), दंभभाव, अन्याय से अधिक लाभ प्राप्त करना (अत्याशित्व), दीनता असूया, हाथ में आई चीज का तिरस्कार करना (हस्तगतावमान), दुर्ब्यवहार (दौरात्मिक), अविश्वास, भय, शत्रु का तिरस्कार न करना

नौवाँ अधिकरण : प्रकरण १४२, अध्याय ४

कारः शीतोष्णवर्षाणामाक्षम्यं मङ्गलतिथिनक्षत्रेष्टित्वमिति ।

१. नक्षत्रमतिपृच्छन्तं बालमर्थोऽतिवर्तते ।
अर्थो ह्यर्थस्य नक्षत्रं किं करिष्यन्ति तारकाः ॥
२. नाधनाः प्राप्नुवन्त्यर्थान्नरा यत्नशतैरपि ।
अर्थैरर्थाः प्रबध्यन्ते गजाः प्रतिगजैरिव ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे क्षयव्ययलाभविपरिमर्शो नाम
चतुर्थोऽध्यायः; आदितः पञ्चविंशत्युत्तरशततमः ।



(अनिकार), सर्दी, गर्मी तथा वर्षा आदि का सहन न करना और मंगल कार्यों के आरंभ में तिथि, नक्षत्र आदि को देखना,—ये सभी बात लाभ के लिए बाधास्वरूप हैं ।

१. कार्य को आरंभ करने में जो राजा नक्षत्र, तिथि, लग्न, मुहूर्त आदि आदि को अनुकूलता को अधिक पूछता है वह प्रमादी राजा कभी भी अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता है । प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त धन और आवश्यक साधनों को ही नक्षत्र समझना चाहिए; इस नक्षत्र-गणना से कुछ भी घनता-विगड़ता नहीं है ।
२. धन और आवश्यक उपायों से रहित व्यक्ति सैकड़ों यत्न करने पर भी अपने अभीष्ट फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं । अर्थों का ही अर्थों के साथ संबंध होता है; जैसे एक हाथी के द्वारा दूसरे हाथी को वश में किया जाता है ।

अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



प्राक्करण १४३

अध्याय ५

बाह्याभ्यन्तराश्चापदः

१. सन्ध्यादीनामयथोद्देशावस्थापनमपनयः । तस्मादापदः सम्भवन्ति ।
२. बाह्योत्पत्तिरभ्यन्तरप्रतिजापा । अभ्यन्तरोत्पत्तिर्बाह्यप्रतिजापा । बाह्योत्पत्तिर्बाह्यप्रतिजापा । अभ्यन्तरोत्पत्तिरभ्यन्तरप्रतिजापा । इत्यापदः ।
३. यत्र बाह्या अभ्यन्तरानुपजपन्ति, अभ्यन्तरा वा बाह्यान् तत्रोभययोगे प्रतिजपतः सिद्धिर्विशेषवती । सुव्याजा हि प्रतिजपि-

बाह्य और आभ्यन्तर आपत्तियाँ

१. संधि, विग्रह आदि छः गुणों का, उनके उचित स्थानों पर उपयोग न करना ही अपनय है । इस अपनय के कारण ही सारी विपत्तियाँ पैदा होती हैं ।
२. बाह्य और आभ्यन्तर आपत्तियाँ चार तरह से पैदा होती हैं : (१) राष्ट्रमुख्य तथा अंतपाल आदि बाह्य लोगों के द्वारा उत्पन्न और मंत्री, पुरोहित आदि आभ्यन्तर लोगों के द्वारा प्रोत्साहित पहिली आपत्ति है; (२) आभ्यन्तर लोगों के द्वारा उत्पन्न और बाह्य लोगों के द्वारा प्रोत्साहित दूसरी आपत्ति है; (३) बाह्य लोगों के द्वारा उत्पन्न और उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित तीसरी आपत्ति है; इसी प्रकार (४) आभ्यन्तर लोगों के द्वारा उत्पन्न और उन्हीं से प्रोत्साहित चौथी आपत्ति है ।
३. जहाँ अपने देश के लोग विदेशियों से या विदेशी लोग अपने देश के लोगों से मिलकर षड्यंत्र रचते हैं, उनमें से जो लोग षड्यंत्र करने के लिए बहकाये गये (प्रतिजापिता) हैं उनको साम, दाम आदि उपायों से अपने वश में कर लेना अधिक लाभप्रद है; क्योंकि ऐसे लोगों का उद्देश्य धन लेना

तारो भवन्ति, नोपजपितारः । तेषु प्रशान्तेषु नान्याञ्चकनुयु-
रुपजपितुमुपजपितारः । कृच्छ्रोपजापा हि बाह्यानामभ्यन्तरा-
स्तेषामितरे वा । महतश्च प्रयत्नस्य वधः, परेषामर्थानुबन्ध-
श्चात्मनोऽन्य इति ।

१. अभ्यन्तरेषु प्रतिजपत्सु सामदाने प्रयुञ्जीत । स्थानमानकर्म
सान्त्वम् । अनुग्रहपरिहारौ कर्मस्वायोगो वा दानम् ।
२. बाह्येषु प्रतिजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । सत्रिणो मित्रव्यञ्जना
वा बाह्यानां चारमेषां ब्रूयुः—‘अयं वो राजा दूष्यव्यञ्जनैरतिस-

होता है । किन्तु षड्यंत्र के लिए बहकाने वाले (उपजपिता) लोगों को सहज ही में वश में नहीं किया जा सकता है; क्योंकि उनके उद्देश्य का पता लगाना बड़ा कठिन होता है । इस प्रकार प्रतिजापित लोगों को यदि एक बार शांत कर दिया जाय तो उपजपिता फिर दूसरे लोगों को, भेद फूट जाने के भय से, उनकी जगह तैयार करने का साहस नहीं कर पाते हैं । ऐसी स्थिति में बाह्य लोगों का आभ्यंतर लोगों से और आभ्यंतर लोगों का बाह्य लोगों से उपजाप करना बड़ा कठिन हो जाता है । उपजाप को स्वीकार करके यदि फिर वह फूट जाय तो उपजापिता का बड़ा भारी अनिष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके एक महान् प्रयत्न की हत्या हो जाती है । इस तरह षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो जाने पर उपजाप्य व्यक्ति तो अपने स्वामी की प्रसन्नता से अभीष्ट लाभ को प्राप्त करता है और उपजापिता व्यक्ति अपने स्वामी की अप्रसन्नता से अनर्थ का भागी होता है ।

१. यदि मंत्री, पुरोहित आदि आभ्यंतर व्यक्ति ही षड्यंत्रकारियों को प्रोत्साहित करने वाले हों तो उन्हें साम और दान उपायों से शांत कर देना चाहिए । विशेषाधिकार स्थानों पर नियुक्त करना तथा विशेष सम्मान देना साम कहलाता है; और धन देना, फर्जा तथा कर आदि से मुक्त कर देना एवं विशेष कार्यों में प्राप्त संपूर्ण फल को दे देना दान कहलाता है ।
२. यदि षड्यंत्र को प्रोत्साहित करनेवाले लोग बाहरी हों तो उन्हें शांत करने के लिए भेद और दण्ड का प्रयोग करना चाहिए । मित्र के छद्मवेश में रहनेवाले गुप्तचर सभी उन बाहरी लोगों से राजा के गुप्त भेद का यह कह

न्धातुकामो, बुध्यध्वम्' इति । दूष्येषु वा दूष्यव्यञ्जनाः प्रणि-
हिता दूष्यान् बाह्यैर्भेदयेयुः, बाह्यान् वा दूष्यैः । दूष्याननुप्र-
विष्टा वा तीक्ष्णाः शस्त्ररसाभ्यां हन्युः । आहूय वा बाह्यान्
घातयेयुरिति ।

१. यत्र बाह्या बाह्यानुपजपन्ति, अभ्यन्तरानभ्यन्तरा वा, तत्रै-
कान्तयोग उपजपितुः सिद्धिर्विशेषवती । दोषशुद्धौ हि दूष्या न
विद्यन्ते । दूष्यशुद्धौ हि दोषः पुनरन्यान् दूषयति ।
२. तस्माद्बाह्येषूपजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । सत्रिणो मित्रव्यञ्जना
वा ब्रूयुः—'अयं वो राजा स्वयमादातुकामः, विगृहीताः स्थ

कर उद्घाटन करें कि 'आपका यह राजा राजद्रोहियों के द्वारा आपको मध्यस्थ बनाकर धोखा देना चाहता है । इस रहस्य पर ध्यान देते हुए आप कभी भी इस कार्य में कदम न रखें ।' अथवा राजद्रोहियों के गुप्त वेष में रहकर विजिगीषु के गुप्तचर भीतरी राजद्रोहियों से बाहरी लोगों का और बाहरी लोगों से भीतरी राजद्रोहियों का भेद डाल दें । अथवा तीक्ष्ण गुप्त-चर राजद्रोहियों के बीच में घुसकर शस्त्र या विष के द्वारा उनका वध कर डालें; अथवा किसी बहाने से बाह्य को अलग ले जा कर चुपचाप उसका वध कर दिया जाय ।

१. यदि बाहरी, बाहरी लोगों के साथ और आभ्यन्तर, आभ्यन्तर लोगों के साथ षड्यंत्र रचें और वहाँ यदि समानजातीय षड्यंत्रकारी हों तो उनमें जो उपजपिता हो उसे अपने पक्ष में कर लेना लाभप्रद होता है; क्योंकि उसके न रहने पर षड्यंत्र आगे नहीं बढ़ पाता है । दूष्य व्यक्तियों को यदि शांत किया जाय तो उनके दोष दूसरे अनेक लोगों को राजद्रोही बनाने में सहायक होते हैं । इसलिए षड्यंत्रकारी बाह्य लोगों को भेद और दण्ड के द्वारा दबाना चाहिए । विद्रोहियों के मित्रवेष में रहने वाले गुप्तचर उनसे कहें 'आपको समझ लेना चाहिए कि यह राजा आप लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा गिरफ्तार कराना चाहता है ।
२. इसलिए आप लोगों को उचित है कि इस राजा से विग्रह कर दें ।' अथवा षड्यंत्रकारी के पास किसी बहाने से जाकर छद्मवेष गुप्तचर शस्त्र वा

अनेन राज्ञा, बुध्यध्वम्' इति । प्रतिजपितुर्वा ततो दूतदण्डाननुप्रविष्टास्तीक्ष्णाः शस्त्ररसादिभिरेषां छिद्रेषु प्रहरेयुः । ततः सत्रिणः प्रतिजपितारमभिशंसेयुः ।

१. अभ्यन्तरानभ्यन्तरेषूपजपत्सु यथार्हमुपायं प्रयुञ्जीत । तुष्टलिङ्गमतुष्टं विपरीतं वा साम प्रयुञ्जीत ।
२. शौचसामर्थ्यापदेशेन व्यसनाभ्युदयापेक्षणेन वा प्रतिपूजनमिति दानम् ।
३. मित्रव्यञ्जनो वा ब्रूयादेतान्—'चित्तज्ञानार्थमुपधास्यति वो राजा, तदस्याख्यातव्यम्' इति । परस्पराद्वा भेदयेदेनान्—असौ चासौ च वो राजन्येवमुपजपति । इति भेदः ।

विष आदि के द्वारा उसको मार डालें । उसके बाद गुप्तचर इस बात का प्रचार करे कि उपजापिताओं को प्रतिजापिताओं ने मारा है, जिससे कि उनमें परस्पर अविश्वास पैदा हो जाय ।

१. इसी प्रकार भीतरी लोगों के साथ षड्यंत्र रचनेवाले भीतरी लोगों में भी आवश्यकतानुसार साम आदि उपायों का प्रयोग किया जाय । अवस्था को देखते हुए उन पर संतोष के सूचक, पर वस्तुतः असंतोषप्रद साम का अथवा असंतोष के सूचक, पर वस्तुतः संतोषजनक साम का प्रयोग किया जाय ।

२. शौच या सामर्थ्य के बहाने, तथा बंधु-वियोग आदि के दुःस्वप्न अवसर पर या पुत्रोत्सव आदि के सुखमय अवसर पर वस्त्र तथा आभरण के द्वारा किया गया सत्कार ही दान के प्रयोग का तरीका कहलाता है ।

३. अथवा बनावटी मित्र बने हुए खुफिया लोग उन आभ्यन्तर षड्यंत्रकारियों से कहें 'तुम्हारे हृदयस्थ भावों को जानने के लिए धन देकर राजा तुम्हारी परीक्षा लेगा । इसलिए तुम्हें अपने मन की बात सच-सच कह देनी चाहिए ।' इस प्रकार कह देने से वे डर जायेंगे । अथवा उनकी आपस में यह कहकर कि 'अमुक-अमुक व्यक्ति राजा से तुम्हारी शिकायत कर रहा था, फूट बलवा दे ।

१. दाण्डकर्मिकवच्च दण्डः ।

२. एतासां चतसृणामापदामभ्यन्तरामेव पूर्वं साधयेत् । 'अहिभ-
यादभ्यन्तरकोपो बाह्यकोपात्पापीयान्' इत्युक्तं पुरस्तात् ।


३. पूर्वा पूर्वा विजानीयाल्लघ्वीमापदमापदाम् ।
उत्थितां बलवद्भयो वा गुर्वीं लघ्वीं विपर्यये ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे बाह्याभ्यन्तराश्चापदो नाम पञ्चमोऽध्यायः;
आदितः षड्विंशत्युत्तरशततमः ।



१. ऐसे सङ्गों में दाण्डकर्मिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपांशुदण्ड का प्रयोग करना चाहिए ।
२. उक्त चारों प्रकार की आपत्तियों में सर्वप्रथम आभ्यन्तर आपत्ति का प्रतीकार करना चाहिए; क्योंकि वह अधिक अनर्थकारी होती है । पहले भी इस बात का संकेत किया जा चुका है कि बाह्यकोप की अपेक्षा आभ्यन्तरकोप घर के साँप की तरह अधिक भयानक होता है ।
३. पूर्वोक्त आपत्तियों में क्रमशः पूर्व-पूर्व की आपत्ति अपेक्षया लघु होती है; फिर भी जिस आपत्ति के पीछे बलवान् का हाथ हो उसका प्रतीकार पहिले करना चाहिए और इसी प्रकार निर्बल शत्रु के द्वारा पैदा की गई सबसे बड़ी आपत्ति को भी लघु ही समझना चाहिए ।

अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में पाचवां अध्याय समाप्त ।



दूष्यशत्रुसंयुक्ताः

१. दूष्येभ्यः शत्रुभ्यश्च द्विविधाः शुद्धाः ।
२. दूष्यशुद्धायां पौरेषु जानपदेषु वा दण्डवर्जानुपायान् प्रयुञ्जीत ।
दण्डो महाजने क्षेप्तुमशक्यः, क्षिप्तो वा तं चार्थं न कुर्यात् ।
अन्यं चानर्थमुत्पादयेत् । मुख्येषु त्वेषां दण्डकर्मिकवच्चे-
ष्टेतेति ।
३. शत्रुशुद्धायां यतः शत्रुः प्रधानः कार्यो वा, ततः सामादिभिः
सिद्धिं लिप्सेत ।

राजद्रोही और शत्रुजन्य आपत्तियाँ

१. राजद्रोहियों और शत्रुओं द्वारा उत्पन्न दो प्रकार की आपत्तियाँ हैं एक दूष्यशुद्धा और दूसरी शत्रुशुद्धा ।
२. दूष्यशुद्धा आपत्तियों के प्रतीकार के लिए नगरनिवासियों को तथा जनपद निवासियों को, राजद्रोहियों पर, दण्ड को छोड़ कर बाकी सभी साम, दान, भेद आदि उपायों का प्रयोग करना चाहिए; क्योंकि बड़े आवृत्तियों पर सहसा दण्ड का प्रयोग कर देना असंभव हुआ करता है । यदि उन पर दण्ड का प्रयोग किया भी जाय तो उससे अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो पाती, वरन्, उससे कुछ दूसरा ही अनर्थ हो जाता है । इस प्रकार यदि साम आदि उपायों द्वारा उन प्रमुख राजद्रोहियों को शांत न किया जा सके तो उनपर दण्डकर्मिक प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उपांशु दण्ड का प्रयोग किया जाय ।
३. शत्रुशुद्धा अर्थात् शत्रुद्वारा उत्पन्न की गई किसी भी प्रकारकी आपत्ति को दूर करने के लिए उन सामंतों पर साम आदि उपायों का प्रयोग किया जाय, शत्रुमंत्री या अमात्य आदि जिनके अधीन हों ।

१. स्वामिन्यायत्ता प्रधानसिद्धिः, मन्त्रिष्वायत्तायत्तसिद्धिः, उभयायत्ता प्रधानायत्तसिद्धिः ।
२. दूष्यादूष्याणामामिश्रितत्वादामिश्रा । आमिश्रायामदूष्यतः सिद्धिः । आलम्बनाभावे ह्यालम्बिता न विद्यते । मित्रामित्राणामेकीभावात्परमिश्रा । परमिश्रायां मित्रतः सिद्धिः । सुकरो हि मित्रेण सन्धिर्नामित्रेणेति ।
३. मित्रं चेन्न सन्धिमिच्छेदभीक्षणमुपजपेत् , ततः सत्रिभिरमित्राद्भेदयित्वा मित्रं लभेत । मित्रामित्रसङ्घस्य वा योऽन्तस्थायी तं लभेत । अन्तस्थायिनि लब्धे मध्यस्थायिनो भिद्यन्ते ।

१. मंत्री द्वारा उत्पन्न की गई आपत्ति का प्रतीकार स्वयं राजा को ही करना चाहिए । आयत्तसिद्धि अर्थात् कार्य शब्द से कहे गये अमात्य आदि की आपत्ति का प्रतीकार मंत्रियों द्वारा की जानी चाहिए । इसी प्रकार मंत्री और अमात्य, दोनों के द्वारा की गई आपत्ति का प्रतीकार राजा और मंत्री को करना चाहिए ।
२. दूष्य और अदूष्य, दोनों के द्वारा उत्पन्न की गई आपत्ति को आमिश्र या मिश्रित कहते हैं । आमिश्र आपत्ति का प्रतीकार करने के लिए अदूष्य को ही साम आदि उपायों के द्वारा अनुकूल बनाना चाहिए; क्योंकि अदूष्यों (राजभक्तों) का सहारा लेकर ही दूष्य (राजद्रोही) आपत्तिजनक होता है । उनका सहारा न पाकर दूष्य अपने आप शांत हो जाता है । मित्र और शत्रु, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न की गई आपत्ति को परमिश्र या शत्रुमिश्र कहते हैं । परमिश्र आपत्ति में शत्रु के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है; क्योंकि मित्र के साथ संधि हो जाना सरल होता है और शत्रु के साथ इस तरह संधि होना कठिन रहता है ।
३. मित्र यदि संधि करने के लिए राजी न हो तो बार-बार उसे शत्रु से भिन्न करने का उपाय करना चाहिए । सत्री आदि गुप्तचरों के द्वारा भेद डलवाकर मित्र को अपनी ओर करना चाहिए । मित्र और शत्रु संधि के अंत में रहने वाले सामंत को अपनी ओर मिलाना चाहिए; क्योंकि शांत में रहने वाले सामंत के वश में हो जाने पर मध्यस्थ राजा अपने आप फूट जाते हैं । अथवा

मध्यस्थायिनं वा लभेत । मध्यस्थायिनि वा लब्धे नान्तस्थायिनः संहन्यन्ते । यथा चैषामाश्रयभेदस्तानुपायान्प्रयुञ्जीत ।

१. धार्मिकं जातिकुलश्रुतवृत्तस्तवेन सम्वन्धेन पूर्वेषां त्रैकाल्योपकारानपकाराभ्यां वा सान्त्वयेत् ।
२. निवृत्तोत्साहं विग्रहश्रान्तं प्रतिहतोपायं क्षयव्ययाभ्यां प्रवासेन चोपतप्तं शौचेनान्यं लिप्समानमन्यस्माद्वा शङ्कमानं मैत्रीप्रधानं वा कल्याणबुद्धिं साम्ना साधयेत् ।
३. लुब्धं क्षीणं वा तपस्विमुख्यावस्थापनापूर्वं दानेन साधयेत् ।
४. तत् पञ्चविधम्—देयविसर्गो, गृहीतानुवर्तनम्, आत्तप्रतिदानम्, स्वद्रव्यदानमपूर्वम्, परस्वेषु स्वयंग्राहदानं चेति दानकर्म ।

मध्यस्थ सामंत को ही अपने वश में कर लेना चाहिए; क्योंकि उसको वश में कर लेने पर अंत में रहने वाले राजा आपस में नहीं मिल पाते हैं । अथवा जिस उपाय से भी शत्रु और मित्र अपने शक्तिशाली आश्रयदाता से भिन्न रह सकें वैसा उपाय करना चाहिए ।

१. जाति, कुल, श्रुत (शास्त्र-ज्ञान) और वृत्त (सदाचार) आदि के स्तुति वचनों से तथा उनके कुल वृद्धों का सदा उपकार या अनपकार के द्वारा धार्मिक राजा को शांत करना चाहिए ।
२. उत्साहहीन, युद्धविमुख, निष्फल उपाय, क्षय, व्यय और प्रवास से संतप्त, ईमानदारी से किसी दूसरे राजा को अपना मित्र बनाने को इच्छुक, दूसरे पर विश्वास न करनेवाले और सबके साथ मित्र-भाव का व्यवहार करनेवाले कल्याण बुद्धि राजा को साम उपाय के द्वारा ही शांत करना चाहिए ।
३. लोभी अथवा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जामिन बनाकर दान के द्वारा वश में करना चाहिए ।
४. वह दान पाँच प्रकार का होता है (१) देयविसर्ग (ग्रहण की हुई भूमि में ब्राह्मण आदि के लिए छोड़ा गया कुछ भाग) (२) गृहीतानुवर्तन (पूर्वजों द्वारा गृहीत भूमियोग के लिए प्रतिषेध न करना) (३) आत्त प्रतिदान (गृहीत

१. परस्परद्वेषवैरभूमिहरणशङ्कितमतोऽन्यतमेन भेदयेत् । भीरुं वा प्रतिघातेन, 'कृतसन्धिरेष त्वयि कर्म करिष्यति, मित्रमस्य निसृष्टं; सन्धौ वा नाभ्यन्तर' इति ।
२. यस्य वा स्वदेशादन्यदेशाद्वा पण्यानि पण्यागारतयागच्छेयुः, तान्यस्य 'यातव्याल्लब्धानि' इति सत्रिणश्चारयेयुः । बहुलीभूते शासनमभिव्यक्तेन प्रेषयेत्—'एतत्ते पण्यं, पण्यागारं वा मया ते प्रेषितं, सामवायिकेषु विक्रमस्व, अपगच्छ वा, ततः पणशेषमवाप्स्यसि' इति । ततः सत्रिणः परेषु ग्राहयेयुरेतदरिप्रदत्तमिति ।

भूमि को फिर वापस दे देना) (४) नये सिरे से स्वयं ही देना और (५) शत्रुदेश से लूटे हुए धन को लूटने वालों को ही दे देना ।

१. जो राजा आपसी द्वेष, वैर रखता हो तथा जिसके प्रति भूमिका अपहरण करने की आशंका हो उसे इन्हीं द्वेष आदि किसी एक के द्वारा भिन्न कर देना चाहिए । भीरु राजा को प्राणवात का भय देकर भिन्न कर देना चाहिए; अथवा यह कह कर उसको अलग कर देना चाहिए कि इस समय तो बलवान राजा तुमसे संधि कर लेगा पर बाद में तुम्हीं पर आक्रमण कर देगा । क्योंकि संधि करने के लिए विजिगीषु के पास भी उसने अपना आदमी भेज दिया है । अथवा यह कह कर अलग कर दे कि शत्रु तथा मित्र के साथ संधि करते समय उसने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया था ।'
२. अपने देश या शत्रु के देश से बाजार में बिकने के लिए यदि कोई चीज आये तो सत्री गुप्तचर उसके संबंध में यह अफवाह उड़ा दें कि यह सामान छिपे तौर पर संधि करने की इच्छा रखने वाले यातव्य से आया है । जब यह अफवाह सर्वत्र फैल जाय तब वध के लिए निश्चित पुरुष (अभिव्यक्त) के हाथ एक जाली पत्र लिखकर भेजना चाहिए । उस पत्र का आशय हो 'यह थोड़ा-बहुत सामान जो मैंने आपके लिए भेजा है और साथ ही बाजार में बिकने योग्य बड़ा सामान भी भेज रहा हूँ । मेरे शत्रु की सहायता करने वाले राजाओं पर तुम आक्रमण करो अथवा उन्हें छोड़कर मेरी सहायता के लिए तैयार बने रहो । शर्तनामे का बाकी धन तुम्हें 'चढ़ाई कर देने के बाद

१. शत्रुप्रख्यातं वा पण्यमविज्ञातं विजिगीषुं गच्छेत् । तदस्य वैदेहकव्यञ्जनाः शत्रुमुख्येषु विक्रीणीरन् । ततः सत्रिणः परेषु ग्राहयेयुः—‘एतत्पण्यमरिप्रदत्तम्’ इति ।
२. महापराधानर्थमानाभ्यामुपगृह्य वा शस्त्ररसाग्निभिरमित्रे प्रणि-
दध्यात् । अथैकममात्यं निष्पातयेत् । तस्य पुत्रदारमुपगृह्य
रात्रौ हतमिति ख्यापयेत् । अथामात्यः शत्रोस्तानेकैकशः
प्ररूपयेत् । ते चेद्यथोक्तं कुर्युर्न चैनान्ग्राहयेत् । अशक्तिमतो

मिलेगा ।’ उसके बाद सत्री गुप्तचर अन्य सामवायिक राजाओं को यह विश्वास दिला दें कि यह पत्र उनके शत्रु द्वारा ही भेजा गया है ।

१. अथवा सामवायिक राजाओं से किसी एक के साथ संबंध जोड़कर, रत्न आदि वाजारू सामान विना किसी के जाने हुए किसी तरह विजिगीषु के पास पहुँचा दिया जाय । उसके बाद व्यापारियों के वेष में रहने वाले गुप्तचर सामवायिक राजाओं में से किसी एक के हाथ उसको बेच दे; उसके बाद सत्री गुप्तचर दूसरे सामवायिक राजाओं के यहाँ जाकर पुलिस द्वारा उस सामान को वरामद करा दे और तब यह सिद्ध करे कि ‘यह सामान आपके शत्रु द्वारा यहाँ अमुक-अमुक व्यक्तियों के पास बेचने के लिए भेजा गया है ।’ इसका परिणाम यह होगा कि सामवायिक राजाओं को यह विश्वास हो जायगा कि हम में से कोई राजा विजिगीषु के साथ मिला हुआ है । इस प्रकार उनमें परस्पर फूट पड़ जायगी ।

२. विजिगीषु को चाहिए कि अपने महापराधी अमात्य आदि को भूमि, हिरण्य आदि धन तथा मान-संमान देकर अपने वश में करे और फिर उन्हें शत्रु पर शस्त्र, रस आदि के द्वारा आक्रमण करने के लिए नियुक्त कर दे । पहिले इस प्रकार के महापराधी एक ही अमात्य को शत्रु के यहाँ भेजे । उसके चले जाने के बाद उसके स्त्री-पुत्रों को किसी एकांत स्थान में छिपा कर यह अफवाह फैला दे कि राजा ने उनको रात में मरवा डाला है । जब उस अमात्य पर शत्रु का पूरा विश्वास जम जाय तो वह, विजिगीषु के यहाँ से आये हुए अन्य अमात्यों का एक-एक करके राजा से यह परिचय करा दे कि ये लोग विजिगीषु के द्वेष के कारण निकल भागे हैं और आपकी सेवा में रहने योग्य हैं । यदि वे अमात्य आदि विजिगीषु की आज्ञानुसार शस्त्र, विप

वा ग्राहयेत् । आसभावोपगतो मुख्यादस्यात्मानं रक्षणीयं कथयेत् ; अथामित्रशासनं मुख्यायोपघाताय प्रेषितमुभयवेतनो ग्राहयेत् ।

१. उत्साहशक्तिमतो वा प्रेषयेत्—‘अमुष्य राज्यं गृहाण यथा-स्थितो न सन्धिः’ इति । ततः सत्रिणः परेषु ग्राहयेयुः ।
२. एकस्य स्कन्धावारं विवधमासारं वा घातयेयुः, इतरेषु मैत्रीं ब्रुवाणाः । तं सत्रिणः ‘त्वमेतेषां घातयितव्यः’ इत्युपजपेयुः ।

आदि का ठीक-ठीक प्रयोग कर दें तो उनका भेद गुप्त बना रहने दे और यदि वे शत्रु को मारने में अपनी असमर्थता प्रकट करें तो उनका भेद खोलकर शत्रु द्वारा ही उन्हें गिरफ्तार करा दे । विजिगीषु द्वारा निकाला हुआ वह अमात्य सामवायिक राजाओं के प्रमुख से, यह कह कर भेद डाले कि ‘आपको सामवायिक राजाओं के प्रमुखों से अपनी रक्षा करनी चाहिए; क्योंकि वे लोग विश्वास योग्य नहीं हैं ।’ उसके बाद साधारण सामवायिक राजाओं के उच्छेद के लिए शत्रु द्वारा भेजी हुई पूर्व लिखित कूट आज्ञा को उभयवेतन भोगी व्यक्तियों द्वारा प्रमुख सामवायिक राजाओं के पास पहुँचा दे ।

१. अथवा किसी उत्साही, शक्ति-संपन्न एक ही सामवायिक के पास उस कूट आज्ञा को भिजवाये । उस आज्ञापत्र का मसविदा इस प्रकार होना चाहिए ‘आप उस मुख्य सामवायिक राजा के राज्य को ले लें, पूर्व निश्चित संधि अब स्वीकार नहीं की जा सकती है ।’ इसके बाद सत्री गुप्तचर दूसरे सामवायिकों को यह सूचित कर दे कि अमुक मुख्य सामवायिक के पास इस आशय का एक पत्र आया है ।
२. अथवा सत्री गुप्तचर किसी एक सामवायिक राजा की छावनी (स्कंधावार), आयात-निर्यात के मार्ग तथा उसके मित्रबल को नष्ट कर दें । दूसरे सामवायिक राजाओं से वे अपनी मित्रता बनाये रखें, जिससे कि उनको गुप्त रहस्य का पता न लगे । उसके बाद वह सत्री गुप्तचर उस सामवायिक राजा की दूसरे सामवायिक राजाओं से यह कह कर फूट डाल दे कि ‘ये सामवायिक राजा उसे मारना चाहते हैं । ऐसी अवस्था में उनके साथ तुम्हारी संधि कैसे संभव है ?’

१. यस्य वा प्रवीरपुरुषो हस्ती हयो वा म्रियेत, गूढपुरुषैर्हन्येत हियेत वा, तं सत्रिणः परस्परोपहतं ब्रूयुः । ततः शासनमभिस्तस्य प्रेषयेत्—‘भूयः कुरु ततः पणशेषमवाप्स्यसि’ इति । तदुभयवेतना ग्राहयेयुः ।
२. भिन्नेष्वन्यतमं लभेत ।
३. तेन सेनापतिकुमारदण्डचारिणो व्याख्याताः ।
४. साङ्घिकं च भेदं प्रयुञ्जीत । इति भेदकर्म ।
५. तीक्ष्णमुत्साहिनं व्यसनिनं स्थितशत्रुं वा गूढपुरुषाः शस्त्राग्निरसादिभिः साधयेयुः । सौकर्यतो वा तेषामन्यतमः । तीक्ष्णो

१. अथवा सामवायिक राजाओं में किसी राजा का कोई वीर सैनिक, हाथी या घोड़ा मर जाय या गुप्तचरों द्वारा मार दिया जाय अथवा अपहरण कर लिया जाय, तो सत्री गुप्तचर उसको किसी दूसरे सामवायिक द्वारा मारा गया बतायें । मारनेवालों में जिस सामवायिक राजा का नाम लिया जाय उसके पास एक बनावटी पत्र भेजा जाय, जिसका मजमून इस प्रकार हो ‘इसी प्रकार तुम दूसरे सामवायिक राजाओं का नुकसान करते रहो । उसके बाद तुम्हें बाकी धन दे दिया जायगा ।’ उस पत्र को उभय वेतनभोगी गुप्तचर सामवायिक राजाओं तक पहुँचा दें । इस प्रकार सामवायिक राजाओं के बीच फूट डालने का यत्न किया जाय ।
२. इस प्रकार जब सामवायिक राजाओं में फूट पड़ जाय तो उनमें से किसी एक राजा को अपने वश में कर लेना चाहिए ।
३. भेद डालने के लिए जो उपाय सामवायिक राजाओं के संबंध में ऊपर बताये गये हैं वही उपाय सेनापति, युवराज तथा अन्य सैनिक अधिकारियों के लिए भी उपयोग में लाने चाहिए ।
४. संघवृत्त प्रकरण में निरूपित उपायों का आवश्यकतानुसार, यहाँ भी प्रयोग किया जा सकता है । यहाँ तक भेद-कार्यों का निरूपण किया गया ।
५. असहनशील, उत्साही, व्यसनी तथा दुर्ग-संपन्न शक्तिशाली शत्रु को गुप्तचर मिलकर शस्त्र, अग्नि तथा विष आदि के प्रयोगों द्वारा मार डालें । अथवा उनमें से कोई एक ही समर्थ गुप्तचर ऐसे शत्रुओं को मार डाले; क्योंकि

लोकः शस्त्ररसाग्निभिः साधयेत् । अयं सर्वसन्दोहकर्म विशिष्टं
वा करोति । इत्युपायचतुर्वर्गः ।

१. पूर्वः पूर्वश्चास्य लघिष्ठः । सान्त्वमेकगुणम् । दानं द्विगुणं
सान्त्वपूर्वम् । भेदस्त्रिगुणः सान्त्वदानपूर्वः । दण्डश्चतुर्गुणः
सान्त्वदानभेदपूर्वः ।
२. इत्यभियुञ्जानेषूक्तम् । स्वभूमिष्ठेषु तु त एवोपायाः । विशेषस्तु ।
स्वभूमिष्ठानामन्यतमस्य पण्यागारैरभिज्ञातान्दूतमुख्यानभीक्षणं
प्रेषयेत् , त एनं सन्धौ परहिंसायां वा योजयेयुः, अप्रति-
पद्यमानं कृतो नः सन्धिः इत्यावेदयेयुः । तमितरमेषामुभय-

एक ही गुप्तचर पूर्वोक्त अनेक प्रकार के उपायों द्वारा सब प्रकार के शत्रुओं को अकेले ही मार सकता है । इस प्रकार का एक गुप्तचर वह कार्य कर सकता है, जो अनेक गुप्तचर मिलकर भी नहीं कर पाते हैं । यहां तक साम, दान, भेद और दण्ड, इस चतुर्वर्ग का निरूपण किया गया ।

१. उक्त चारों उपायों में पूर्व-पूर्व उपाय लघु होते हैं । साम में एक ही गुण होता है; दान में दो गुण होते हैं क्योंकि 'सान्त्वना' और 'देना', इसके दो अवयव हैं । भेद में तीन गुण होते हैं; क्योंकि 'साम', 'दान' और 'भेद', उसके तीन अंग हैं । इसी प्रकार दण्ड के चार अवयव होते हैं; तीन पहिले के और एक वह स्वयं ।
२. आक्रमणकारी शत्रु तथा मित्र आदि सामवायिकों को भी इन्हीं उपायों के द्वारा शांत किया जा सकता है । इनपर तभी उक्त उपायों का प्रयोग किया जाय, जबतक कि आक्रमण के लिए प्रस्थान न करके अपनी ही भूमि में स्थित हों । उनके संबंध में विशेष बात यह है कि आक्रमण करने से पूर्व जब वे अपनी ही भूमि में वर्तमान हों उस समय अच्छी जानकारी रखनेवाले दूत-मुख्य उनमें से किसी एक के पास मणि-मुक्ता लेकर जायँ और उसको अपने साथ सन्धि करने या दूसरे को मारने के लिए राजी करें । यदि वह सन्धि करना स्वीकार न भी करे तब भी दूतमुख्य यह अफवाह फैला दे कि भमुक राजा ने हमारे साथ सन्धि कर ली है । उस अफवाह को उभय वेतन

वेतनाः सङ्क्रामयेयुः—अयं वो राजा दुष्टः इति ।


१. यस्य वा यस्माद्भयं वैरं द्वेषो वा, तं तस्माद्भेदयेयुः—‘अयं ते शत्रुणा सन्धत्ते, पुरा त्वामतिसन्धत्ते, क्षिप्रतरं सन्धीयस्व, निग्रहे चास्य प्रयतस्व’ इति ।
२. आवाहविवाहाभ्यां वा कृत्वा संयोगमसंयुक्तान्भेदयेत् ।
३. सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धैश्चैषां राज्यं निघातयेत् । सार्धत्र-जाटवीर्वा । दण्डं वाभिसृतम् । परस्परापाश्रयाश्चैषां जाति-सङ्घाश्छिद्रेषु प्रहरेयुः । गूढाश्चाग्निरसशस्त्रेण ।

भोगी व्यक्ति दूसरे मित्र राजाओं अथवा शत्रु-राजाओं तक पहुँचा दें; और कहें; कि ‘अमुक राजा बड़ा दुष्ट है। उसने आप से कुछ न कह कर विजिगीषु राजा से चुपचाप सन्धि कर ली है।’

१. इस प्रकार गुप्तचर जिस राजा से शत्रुता, द्वेष या भय की आशंका रखते हों उसको अन्य राजाओं से मित्र कर दे; बल्कि उनसे यह कहे कि ‘देखो, यह राजा आपके शत्रु से संधि करता है। बाद में यह तुम्हें भी दबा लेगा। इसलिए आप जल्दी से अपने शत्रु विजिगीषु से संधि कर लें और इस अपने धोखेवाज मित्र को काबू में करने का प्रबंध करें।’
२. अवाह (कन्या स्वीकार करना) अथवा विवाह (कन्यादान करना) आदि के द्वारा संबंध जोड़कर ऐसे संबन्धरहित दूसरे राजाओं में फूट उत्पन्न करनी चाहिए ।
३. विजिगीषु को चाहिए कि वह सामंत, आटविक या उनके मित्रों अथवा उनके शत्रुओं के कुल में पैदा हुए अवरुद्ध राजकुमारों के द्वारा उनके राज्य को हानि पहुँचाने का यत्न सोचे। अथवा उनके व्यापार-भार को ढोनेवाले पशुओं, दूधरे गाय-भैंसों तथा द्रव्यवनों या हस्तिवनों को नष्ट-भ्रष्ट करवा दे; अथवा रक्षा करनेवाली सेना को ही नष्ट करवा दे; और परस्पर अलग किए गए जातिसंघ इन मित्र या शत्रु के प्रमादस्थानों पर बराबर प्रहार करते रहें। इसी प्रकार अन्य तीक्ष्ण, रसद आदि गुप्तचर भी अग्नि, विष आदि के द्वारा प्रहार करते रहें ।

१. वितंसगिलवच्चारीन् योगैराचरितैः शठः ।
घातयेत्परमिश्रायां विश्वासेनामिषेण च ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे दूप्यशत्रुसंयुक्ताः नाम षष्ठोऽध्यायः;
आदितः सप्तविंशत्युत्तरशततमः ।



१. परमिश्र (मित्र और शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई आपत्ति में), शठ, विजिगीषु, वितंस (पक्षियों के ठगने के लिए चित्र-विचित्र रंगोंवाला शरीर को ढकने वाला वस्त्र), और गिल (खाने योग्य मांस) आदि के समान प्रयुक्त किए गए कपट उपायों के द्वारा, अपने ऊपर विश्वास पैदा कराके तथा कुछ सार-वस्तु देकर, अपने शत्रुओं को वश में करना चाहिए ।

इति अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त ।



संस्करण १४५-१४६

अध्याय ७

अर्थानर्थसंशययुक्ताः तासामुपाय- निकल्पजाः सिद्धयश्च

१. कामादिरुत्सेकः स्वाः प्रकृतीः कोपयति, अपनयो बाह्याः । तदुभयमासुरी वृत्तिः । स्वजनविकारः कोपः परवृद्धिहेतुष्वापद-
र्थोऽनर्थः संशय इति ।
२. योऽर्थः शत्रुवृद्धिमप्राप्तः करोति, प्राप्तः प्रत्यादेयः परेषां भवति,
प्राप्यमाणो वा क्षयव्ययोदयो भवति, स भवत्यापदर्थः ।
यथा-सामन्तानामापिभूतः; सामन्तव्यसनजो लाभः;

अर्थ, अनर्थ तथा संशय संबंधी आपत्तियाँ और उनके प्रतीकार के
उपायों से प्राप्त होनेवाली सिद्धियाँ

- १, काम, क्रोधादि दोषों के बढ़ जाने पर राजा की अपनी ही प्रकृतियाँ कुपित हो जाया करती हैं । अपनय अर्थात् नीतिम्रष्ट हो जाने से परराष्ट्र संबंधी बाह्य प्रकृतियाँ कुपित हो जाती हैं । इसीलिए कामक्रोधादि दोषों और अपनय, इन दोनों को आसुरी वृत्ति कहा गया है । अपनी प्रकृतियों का कोप शत्रु की उन्नति के अवसर पर आपत्ति का रूप धारण कर लेता है, जो कि अर्थ, अनर्थ और संशय, इन तीन रूपों में प्रकट होता है ।
२. जो अर्थ अपनी लापरवाही से गँवाया हुआ शत्रु की वृद्धि करता है; जो अर्थ अपने हाथ में आ जाने पर भी दूसरों को लौटाया जाता है; और इसी प्रकार जो अर्थ प्राप्त होने पर भी क्षय-व्यय करने वाला होता है, उसे आपदर्थ, अर्थात्, अर्थरूप आपत्ति कहते हैं । जैसे : अनेक सामंतों द्वारा भोगी जाने योग्य वस्तु एक ही सामंत को मिल जाय, तो वह अन्य सामंतों के द्वारा मिलकर लौटाये जाने के कारण आपत्तिजनक हो जाती है; इसी

शत्रुप्रार्थितो वा स्वभावाधिगम्यो लाभः; पश्चात्कोपेन पार्ष्णि-
ग्राहेण वा विगृहीतः पुरस्ताल्लामः; मित्रोच्छेदेन सन्धिव्यति-
क्रमेण वा मण्डलविरुद्धो लाभ इत्यापदर्थः ।

१. स्वतः परतो वा भयोत्पत्तिरित्यनर्थः ।

२. तयोः 'अर्थो न वा' इति, 'अनर्थो न वा' इति, 'अनर्थोऽनर्थः'
इति, 'अनर्थः अर्थः' इति संशयः ।

३. शत्रुमित्रमुत्साहयितुमर्थो न वेति संशयः । शत्रुवलमर्थमाना-
भ्यामावाहयितुमनर्थो न वेति संशयः । बलवत्सामन्तां भूमि-
मादातुमर्थोऽनर्थः इति संशयः । ज्यायसा सम्भूययान-
मनर्थोऽर्थः इति संशयः ।

४. तेषामर्थसंशयमुपगच्छेत् ।

प्रकार व्यसन-पीडित सामंत से छीना हुआ लाभ; स्वभावतः प्राप्त होने योग्य, शत्रु से माँगा हुआ लाभ; पश्चात्कोप तथा पार्ष्णिग्राह के द्वारा बाधा पहुँचाये जाने पर यातव्य राजा से प्राप्त हुआ लाभ, मित्र का उच्छेदन करने तथा सधि को उल्लंघन करने के कारण, राजमण्डल की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुआ लाभ,—ये सब ही आपदर्थ हैं ।

१. स्वयं या दूसरे किसी से प्राप्त हुए अर्थ के कारण जो भय की उत्पत्ति होती है, उसको अनर्थरूप आपत्ति कहते हैं ।

२. (१) यह अर्थ है या नहीं ? (२) यह अनर्थ है या नहीं ? (३) यह अर्थ है या अनर्थ ? और (४) यह अनर्थ है या अर्थ ? इस प्रकार अर्थ और अनर्थ को लेकर चार प्रकार से उत्पन्न संशयरूप आपत्ति कहलाती है ।

३. शत्रु के मित्र को शत्रु के साथ ही लड़ाने के लिए तैयार करते समय पहिला संशय होता है । शत्रु की सेना को धन तथा सत्कार के द्वारा बुलाने पर दूसरा संशय होता है । बलवान् सामंत की भूमि को लेने में तीसरा संशय होता है । बलवान् सामन्त के साथ मिलकर यातव्य पर आक्रमण करने में चौथा संशय होता है ।

४. इस दृष्टि से विजिगीषु को चाहिए कि उक्त चारों प्रकार के संशयों में जो

नौवाँ अधिकरण : प्रकरण १४५-१४६, अध्याय ७

१. अर्थोऽर्थानुबन्धः, अर्थो निरनुबन्धः अर्थोऽनर्थानुबन्धः, अनर्थोऽर्थानुबन्धः, अनर्थो निरनुबन्धः, अनर्थोऽनर्थानुबन्ध इत्यनुबन्धषड्वर्गः ।
२. शत्रुमुत्पाद्य पार्ष्णिग्राहादानमर्थोऽर्थानुबन्धः ।
३. उदासीनस्य दण्डानुग्रहः फलेन अर्थो निरनुबन्धः ।
४. परस्यान्तरुच्छेदनमर्थोऽनर्थानुबन्धः ।
५. शत्रुप्रतिवेशस्यानुग्रहः कोशदण्डाभ्यामनर्थोऽर्थानुबन्धः ।
६. हीनशक्तिमुत्साह्य निवृत्तिरनर्थो निरनुबन्धः ।
७. ज्यायांसमुत्थाप्य निवृत्तिरनर्थोऽनर्थानुबन्धः ।

संशय अर्थ-विषयक हो और अनर्थ के साथ जिसका कत्तई संबन्ध न हो, ऐसे संशय के विषय में उद्योग करे ।

१. प्रत्येक अर्थ और अनर्थ के साथ अनुबन्ध का योग करने तथा न करने से उसके छह भेद होते हैं, जिन्हे अनुबन्धषड्वर्ग कहते हैं । उसके भेद इस प्रकार हैं; (१) अर्थानुबन्ध अर्थ, (२) निरनुबन्ध अर्थ, (३) अनर्थानुबन्ध अर्थ, [ये तीन अर्थ के भेद हैं]; और (४) अर्थानुबन्ध अनर्थ (५) निरनुबन्ध अनर्थ तथा (६) अनर्थानुबन्ध अनर्थ [ये तीन अनर्थ के भेद हैं] ।
२. शत्रु का उच्छेद कर पार्ष्णिग्राह को भी अपने वश में कर लेना अर्थानुबन्ध अर्थ कहलाता है ।
३. उदासीन राजा से धन आदि लेकर उसको सेना की सहायता देना निरनुबन्ध अर्थ कहलाता है ।
४. शत्रु के अन्तर्द्धि राजा का उच्छेद कर देना अनर्थानुबन्ध अर्थ है ।
५. कोष और सेना के द्वारा शत्रु के पड़ोसी की सहायता करना अर्थानुबन्ध अनर्थ कहलाता है ।
६. हीनशक्ति राजा को सहायता का वचन देकर उसे लड़ने के लिए तैयार कर फिर उसकी मदद न करना निरनुबन्ध अनर्थ कहलाता है ।
७. अधिक शक्तिशाली राजा को सहायता का वचन देकर फिर उसकी मदद न करना अनर्थानुबन्ध अनर्थ कहलाता है ।

१. तस्य पूर्वः पूर्वः श्रेयानुपसम्प्राप्तुम् । इति कार्यावस्थापनम् ।
२. समन्ततो युगपदर्थोत्पत्तिः समन्ततोऽर्थापद्भवति ।
३. सैव पार्ष्णिग्राहविगृहीता समन्ततोऽर्थसंशयापद्भवति ।
४. तयोर्मित्राक्रन्दोपग्रहात्सिद्धिः ।
५. समन्ततः शत्रुभ्यो भयोत्पत्तिः समन्ततोऽनर्थापद्भवति ।
६. सैव मित्रविगृहीता समन्ततोऽनर्थसंशयापद्भवति ।
७. तयोश्चलामित्राक्रन्दोपग्रहात्सिद्धिः । परमिश्राप्रतीकारो वा ।
८. इतो लाभ इतरतो लाभ इत्युभयतोऽर्थापद्भवति । तस्यां समन्ततोऽर्थायां च लाभगुणयुक्तमर्थमादातुं यायात् । तुल्ये लाभ-

१. उक्त अनुबंध पड्वर्ग में पूर्व-पूर्व का अर्थ अधिक श्रेयस्कर है । यहाँ तक अर्थ-अनर्थ रूप कार्यों का प्रतिपादन किया गया ।
२. एक साथ चारों ओर से अर्थों की उत्पत्ति होने लगे तो उसको समन्ततः अर्थापत् कहते हैं ।
३. यदि उस समन्ततः अर्थापत् में पार्ष्णिग्राह द्वारा विरोध किया जाय तो उसको समन्ततः अर्थसंशयापत् कहते हैं ।
४. उक्त दोनों प्रकार की आपत्तियों का प्रतीकार मित्र और आक्रंद की सहायता से किया जा सकता है ।
५. चारों ओर से शत्रुओं द्वारा भय उत्पन्न होना समन्ततः अनर्थापत् कहलाता है ।
६. यदि उक्त भय में मित्र विघ्न उपस्थित करे तो उसको समन्ततः अनर्थ संशयापत् कहते हैं ।
७. इन दोनों भयों का प्रतीकार चलशत्रु और आक्रंद को अनुकूल बनाकर किया जा सकता है । अथवा नवम अधिकरण में परमिश्रा आपत्ति का जो प्रतीकार बताया गया है उसको भी यहाँ प्रयोग में लाया जाय ।
८. जहाँ पर दोनों से अर्थविषयक आपत्ति प्राप्त हो उसे उभयतः अर्थापद् कहते हैं । उभयतः अर्थापद् और समन्ततः अर्थापद् में से किसी एक में यदि आदेय, प्रत्यादेय आदि लाभ-गुणों से युक्त अर्थ के प्राप्त होने की संभावना हो तो उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए अवश्य जाना चाहिए ।

गुणे प्रधानमासन्नमनतिपातिनम् , ऊनो वा येन भवेत्तमा दातुं यायात् ।

१. इतोऽनर्थ इतरतोऽनर्थ इत्युभयतोऽनर्थापत् । तस्यां समन्त-तोऽनर्थायां च मित्रेभ्यः सिद्धिं लिप्सेत ।
२. मित्राभावे प्रकृतीनां लघीयस्यैकतोऽनर्था साधयेत् । उभ-यतोऽनर्था ज्यायस्या । समन्ततोऽनर्था मूलेन प्रतिकुर्यान् । अशक्ये सर्वमुत्सृज्यापगच्छेत् । दृष्टा हि जीवता पुनरापत्तिः, यथा सुयात्रोदयनाभ्याम् ।
३. इतो लाभ इतरतो राज्याभिमर्श इत्युभयतोऽर्थानर्थापद्भवति । तस्यामनर्थसाधको योऽर्थस्तमादातुं यायात् , अन्यथा हि राज्याभिमर्शं वारयेत् ।

यदि दोनों ओर लाभगुण समान ही हों तो उनमें जो श्रेष्ठ फल देनेवाला हो; या अपने देश के नजदीक हो, या थोड़े ही समय में प्राप्त किया जाने योग्य हो, या जिसके प्राप्त न करने पर अपनी हानि हो, उस अर्थ को लेने के लिए अवश्य जाना चाहिए ।

१. यदि दोनों ओर से अनर्थ की ही उत्पत्ति हो तो उसे उभयतः अनर्थापद् कहते हैं । उभयतः अनर्थापद् और समन्ततः अनर्थापद् दोनों में मित्रों द्वारा सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए ।
२. ऐसी स्थिति में यदि मित्रों से सहायता प्राप्त न हो तो अपनी लघु प्रकृतियों (साधारण राजकर्मचारी) द्वारा ही एकतः अनर्थापद् का प्रतीकार किया जा सकता है । इसी प्रकार उभयतः अनर्थापद् का प्रतीकार ज्येष्ठ प्रकृति द्वारा और समन्ततः अनर्थापद् का प्रतीकार राजधानी को छोड़कर किया जा सकता है । यदि इतने पर भी इन आपदाओं को शान्त न किया जा सके तो अपना सर्वस्व त्याग कर चला जाना चाहिए । जीवित रहने पर अपने छोड़े हुए स्थान को पुनः प्राप्त किया जा सकता है; जैसा कि राजा नल और वत्सराज उदयन के जीवनचरित से स्पष्ट है ।
३. एक ओर से लाभ और दूसरी ओर से अपने राज्य पर आक्रमण किये जाने वाली अर्थ और अनर्थ युक्त स्थिति को उभयतः अर्थ-अनर्थापद् कहते

१. एतया समन्ततोऽर्थानर्थपद्व्याख्याता ।
२. इतोऽनर्थ इतरतोऽर्थसंशय इत्युभयतोऽनर्थार्थसंशया । तस्यां पूर्वमनर्थं साधयेत्, तत्सिद्धावर्थसंशयम् ।
३. एतया समन्ततोऽनर्थार्थसंशया व्याख्याता ।
४. इतोऽर्थ इतरतोऽनर्थसंशय इत्युभयतोऽर्थानर्थसंशयापत् ।
५. एतया समन्ततोऽर्थानर्थसंशया व्याख्याता ।
६. तस्यां पूर्वा पूर्वा प्रकृतीनामनर्थसंशयान्मोक्षयितुं यतेत । श्रेयो हि मित्रमनर्थसंशये तिष्ठन्न दण्डः, दण्डो वा न कोश इति ।

हैं। इन दोनों स्थितियों में यदि अर्थ से अनर्थ का भी प्रतीकार किया जा सके तो अर्थ-प्राप्ति के लिए ही यत्न करना चाहिए; अन्यथा अर्थ को छोड़कर अनर्थ का ही प्रतीकार करना चाहिए।

१. इसी प्रकार समन्ततः अर्थानर्थपद के संबंध में भी समझना चाहिए।
२. एक ओर से अनर्थ का होना और दूसरी ओर से अर्थ में संशय का होना उभयतः अनर्थार्थसंशयापद् कहलाता है। इस आपत्ति में पहले अनर्थ का और बाद में अर्थसंशय का प्रतीकार करना चाहिए।
३. इसी प्रकार समन्ततः अनर्थार्थसंशयापद् के संबंध में भी समझना चाहिए।
४. एक ओर से अर्थ और दूसरी ओर से अनर्थ का संशय होने पर उभयतः अर्थानर्थसंशयापद् कहलाता है।
५. इसी के समान समन्ततः अर्थानर्थ-संशयापद् भी समझना चाहिए।
६. इन विपत्तियों में पहले अनर्थसंशय को हटाकर फिर अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए; स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्गा, कोष, दण्ड और मित्र, इन प्रकृतियों में उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व प्रकृति के अनर्थ का प्रतीकार करना चाहिए। मित्र की ओर से यदि अनर्थसंशय हो तो वह सेना की ओर से होने वाले अनर्थसंशय की अपेक्षा सुकर है; क्योंकि मित्र सेना की अपेक्षा अधिक कष्टकर नहीं होता है। इसी प्रकार सेना की ओर से होने वाला अनर्थसंशय, कोष से होनेवाले अनर्थसंशय की अपेक्षा अधिक कष्टकर नहीं है। इसलिए कोष से होने वाले अर्थसंशय का ही पहिले प्रतीकार करना चाहिए।

१. समग्रमोक्षणाभावे प्रकृतीनामवयवान्मोक्षयितुं यत्तेत । तत्र पुरुषप्रकृतीनां च बहुलमनुरक्त वा तीक्ष्णलुब्धवर्जम् । द्रव्य-प्रकृतीनां सारं महोपकारं वा । सन्धिनाऽऽसनेन द्वैधीभावेन वा लघूनि विपर्ययैर्गुरुणि ।
२. क्षयस्थानवृद्धीनां चोत्तरोत्तरं लिप्सेत । प्रातिलोम्येन वा क्षया-दीनाम् । आयत्यां विशेषं पश्येत् ।
३. इति देशावस्थापनम् ।
४. एतेन यात्रादिमध्यान्तेष्वर्थानर्थसंशयानामुपसंप्राप्तिर्व्याख्याता ।
५. निरन्तरयोगित्वाच्चार्थानर्थसंशयानां यात्रादावर्थः श्रेयानुपसं-

१. यदि समग्र प्रकृतियों का अनर्थसंशय एक बार ही दूर न किया जा सके तो उनमें से कुछ का ही अनर्थसंशय दूर किया जाय । ऐसी स्थिति में पुरुष प्रकृतियों में से तीक्ष्ण और लोभी पुरुषों को छोड़कर पहिले उनके ही अनर्थसंशय का प्रतीकार किया जाय जो बहुसंख्यक होने के साथ-साथ अनुराग भी रखते हैं । द्रव्य प्रकृतियों में से अधिक मूल्यवान् एवं अत्यंत उपकारक द्रव्यों को ही अनर्थसंशय से मुक्त करना चाहिए । संधि, आसन तथा द्वैधीभाव के द्वारा लघुद्रव्यों को छुड़ाने का और विग्रह, तथा संश्रय के द्वारा गुरु द्रव्यों को छुड़ाने का यत्न करना चाहिए ।
२. क्षय (शक्ति और सिद्धि की क्षीणता), स्थान (शक्ति और सिद्धि की एकावस्था) और वृद्धि (शक्ति और सिद्धि का उपचय), इनमें से उत्तरोत्तर को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए । अथवा यदि भविष्य में किसी वृद्धि की अतिशय संभावना हो तो वृद्धि से स्थान और स्थान से क्षय, इस प्रतिलोम गति से ही उसे प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए ।
३. यहां तक देश-निमित्तक आपत्तियों का निरूपण किया गया ।
४. देशनिमित्तक आपत्तियों के स्वरूप और प्रतीकार के समान ही युद्धयात्रा के आदि, अंत तथा मध्य में होने वाले अर्थ, अनर्थ और संशयों की प्राप्ति तथा प्रतीकार का भी निरूपण समझना चाहिए ।
५. यदि युद्ध-यात्रा के आदि में अर्थ, अनर्थ और संशय एक साथ ही उत्पन्न हो जायें तो उनमें से पहिले अर्थग्रहण करना ही श्रेयस्कर होता है । पार्ष्णि-

प्राप्तुं पाष्णिग्राहासारप्रतिघाते क्षयव्ययप्रवासप्रत्यादेयमूल-
रक्षणेषु च भवति । तथानर्थः संशयो वा स्वभूमिष्ठस्य विष-
ह्यो भवति ।

१. एतेन यात्रामध्येऽर्थानर्थसंशयानामुपसम्प्राप्तिर्व्याख्याता ।
२. यात्रान्ते तु कर्शनीयमुच्छेदनोयं वा कर्शयित्वोच्छिद्य वार्थः
श्रेयानुपसम्प्राप्तुं नानर्थः संशयो वा पराबाधभयात् ।
३. सामवायिकानामपुरोगस्य तु यात्रामध्यान्तगोऽनर्थः संशयो
वा श्रेयानुपसंप्राप्तुमनिबन्धगामित्वात् ।
४. अर्थो धर्मः काम इत्यर्थत्रिवर्गः । तस्य पूर्वः पूर्वः श्रेयानुप-
सम्प्राप्तुम् ।

ग्राह तथा आसार के प्रतिघात के लिए और क्षय, व्यय, प्रवास, प्रत्यादेय तथा मूल स्थान, इन सबकी रक्षा के लिए अर्थ ही मूल कारण होता है । यदि युद्ध यात्रा के आरंभ में अर्थ के समान ही अनर्थ और संशय भी उपस्थितहों तो अपनी भूमि में स्थित राजा उनका प्रतीकार सरलता से कर सकता है ।

१. इसी प्रकार युद्धयात्रा के मध्य में उत्पन्न अर्थ, अनर्थ और संशय की प्राप्ति तथा प्रतीकार का व्याख्यान भी समझ लेना चाहिए ।
२. यात्रा के अन्त में, परभूमि में स्थित विजिगीषु के लिए निर्बल एवं उच्छेदनीय शत्रु का ही अर्थग्रहण करना श्रेष्ठ है । ऐसी स्थिति में अनर्थ या संशय का ग्रहण करना उचित नहीं है; क्योंकि ऐसे समय शत्रु की ओर से बाधा पहुँचने की पूरी संभावना बनी रहती है ।
३. यदि राजमंडल के किसी अप्रधान राजा पर आक्रमण किया जाय तो उस समय यात्रा के मध्य में और अन्त में होनेवाले अनर्थ तथा संशय का प्रतीकार करना ही श्रेयस्कर होता है; क्योंकि प्रधान राजा उस समय नेतृत्व में ही फँसे रहते हैं और अप्रधान राजा प्रतिबन्धरहित होने के कारण कहीं भी जा सकता है ।
४. अर्थ, धर्म और काम, इनको अर्थत्रिवर्ग कहा जाता है । इस अर्थत्रिवर्ग में पूर्व-पूर्व का ग्रहण करना अधिक श्रेयस्कर है ।

१. अनर्थोऽधर्मः शोक इत्यनर्थत्रिवर्गः । तस्य पूर्वः पूर्वः श्रेयान् प्रतिकर्तुम् ।
२. अर्थोऽनर्थ इति, धर्मोऽधर्म इति, कामः शोक इति संशय-त्रिवर्गः । तस्योत्तरपक्षसिद्धौ पूर्वपक्षः श्रेयानुपसंप्राप्तुम् ।
३. इति कालावस्थापनम् । इत्यापदः ।
४. तासां सिद्धिः पुत्रभ्रातृबन्धुषु सामदानाभ्यां सिद्धिरनुरूपा, पौरजानपददण्डमुख्येषु दानभेदाभ्यां, सामन्ताटविकेषु भेद-दण्डाभ्याम् ।
५. एषाऽनुलोमा विपर्यये प्रतिलोमा । मित्रामित्रेषु व्यामिश्रा सिद्धिः । परस्परसाधका ह्युपायाः ।

१. अनर्थ, अधर्म और शोक, इनको अनर्थत्रिवर्ग कहा जाता है । इस अनर्थ-त्रिवर्ग में पूर्व-पूर्व का प्रतीकार करना अधिक कल्याणप्रद है ।
२. अर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म और काम-शोक इनमें परस्पर संशय का होना संशयत्रिवर्ग कहा जाता है । इस संशयत्रिवर्ग में अनर्थ, अधर्म और शोक का प्रतीकार होने पर अर्थ, धर्म और काम का ग्रहण करना अधिक श्रेयस्कर है ।
३. यहां तक यात्राकाल के आदि, मध्य तथा अन्त आदि के अर्थों एवं अनर्थ की व्याख्या और अर्थ, अनर्थ तथा संशययुक्त सभी प्रकार की विपत्तियों का निरूपण किया गया ।
४. पुत्र, भाई और बन्धु-बांधवों के संबन्ध में साम तथा दान के अनुरूप प्रतीकार करना ही उचित समझा गया है । इसी प्रकार नागरिकों, जन-पदवासियों, सैनिकों और राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों के विषय में दान तथा भेद उपायों का प्रयोग करना ही उचित है । सामन्त और आटविकों के संबन्ध में भेद तथा दण्ड के उपायों का प्रयोग करना उचित है ।
५. इस रीति से किया गया प्रतीकार अनुलोम कहलाता है और इसके विपरीत होने पर वह प्रतिलोम कहा जाता है । मित्र तथा शत्रुओं के विषय में आवश्यकतानुसार मिले-जुले (व्यामिश्र) उपायों द्वारा प्रतीकार

१. शत्रोः शङ्कितामात्येषु सान्त्वं प्रयुक्तं शेषप्रयोगं निवर्तयति ।
दूष्यामात्येषु दानम् । संघातेषु भेदः । शक्तिमत्सु दण्ड इति ।
२. गुरुलाघवयोगाच्चापदां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति ।
३. 'अनेनैवोपायेन नान्येन' इति नियोगः ।
४. 'अनेन वाऽन्येन वा' इति विकल्पः ।
५. 'अनेनान्येन च' इति समुच्चयः ।
६. तेषामेकयोगाश्चत्वारस्त्रियोगाश्च, द्वियोगाः षट्, एकश्चतुर्योग
इति पञ्चदशोपायाः । तावन्तः प्रतिलोमाः ।

करना चाहिए; क्योंकि सभी उपाय परस्पर एक-दूसरे के सहायक ही होते हैं ।

१. अपने जिन अमात्यों पर शत्रु संदेह करता है उनपर किया गया साम प्रयोग अन्य सभी उपायों का निवारण कर देता है । इसी प्रकार शत्रु के दूष्य अमात्यों में दान, आपस में मिले हुए अमात्यों में भेद और शक्तिमान-अमात्यों में दण्ड का प्रयोग, शेष सभी उपायों को निवृत्त कर देता है ।
२. छोटी-बड़ी आपत्तियों के अनुसार ही उपायों के नियोग, विकल्प और समुच्चय हुआ करते हैं ।
३. केवल इसी उपाय से कार्यसिद्धि हो सकेगी, दूसरे से नहीं, इसी का नाम नियोग है ।
४. इस उपाय से कार्यसिद्धि होगी या दूसरे उपाय से इसका नाम विकल्प है ।
५. इस उपाय को तथा दूसरे उपाय को मिलाकर कार्यसिद्धि होगी, इसका नाम समुच्चय है ।
६. साम आदि चारों उपायों को अलग-अलग, दो-दो, तीन-तीन या चार-चार एक साथ मिलाकर पंद्रह तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है । जैसे:— सामदानभेद, सामदानदण्ड, सामभेददण्ड और दानभेददण्ड ये चार; केवल साम, केवल दान, केवल भेद और केवल दण्ड—ये चार; सामदान, सामभेद, सामदण्ड, दानभेद, दानदण्ड और भेददण्ड—ये छः और सामदानदण्डभेद,

नौवाँ अधिकरण : प्रकरण १४५-१४६, अध्याय ७

१. तेषामेकेनोपायेन सिद्धिरेकसिद्धिः, द्वाभ्यां द्विसिद्धिः, त्रिभि-
स्त्रिसिद्धिः, चतुर्भिश्चतुःसिद्धिरिति ।
२. धर्ममूलत्वात्कामफलत्वाच्चार्थस्य धर्मार्थकामानुबन्धा याऽर्थ-
स्य सिद्धिः सा सर्वार्थसिद्धिः ।
३. इति सिद्धयः ।
४. दैवादग्निरुदकं व्याधिः प्रमारो विद्रवो दुर्भिक्षमासुरी सृष्टिः
इत्यापदः ।
५. तासां दैवतब्राह्मणप्रणिपाततः सिद्धिः ।

इन चारों को मिलाकर एक; इस प्रकार (४ + ४ + ६ + १) पंद्रह प्रयोग होते हैं। पंद्रह प्रकार के प्रतिलोम उपाय भी होते हैं; जैसे—दण्ड, भेद, दान, साम—ये चार; दण्डभेददान, दण्डभेदसाम, भेददानसाम, दण्डदान-साम—ये चार; दण्डभेद, दण्डदान, दण्डसाम, भेददान, भेदसाम, दान-साम—ये छह और दण्ड आदि चारों एक साथ मिलाकर पंद्रह प्रतिलोम उपाय होते हैं।

१. उक्त उपायों में से एक ही उपाय के द्वारा जो कार्यसिद्धि होती है उसे एकसिद्धि कहते हैं। इसी प्रकार दो उपायों से हुई सिद्धि को द्विसिद्धि तीन उपायों से हुई सिद्धि को त्रिसिद्धि और चार उपायों से हुई सिद्धि को चतुःसिद्धि कहते हैं।
२. इन सिद्धियों से प्रतीकारस्वरूप होने वाले अनेक लाभों में से धर्म, काम और अर्थ का साधक होने के कारण अर्थ-लाभ ही सर्वश्रेष्ठ होता है; उसीको सर्वार्थसिद्धि के नाम से कहा जाता है।
३. यहां तक मानुषी आपत्तियों को लेकर सिद्धियों का निरूपण किया गया।
४. अग्नि, जल, व्याधि, महामारी, राष्ट्रविप्लव, दुर्भिक्ष और आसुरी सृष्टि ये सब दैवी आपत्तियां हैं।
५. इन दैवी आपत्तियों का प्रतीकार देवता और ब्राह्मणों को अभिवादन करने से किया जा सकता है।

१. अतिवृष्टिरतिवृष्टिर्वा सृष्टिर्वा याऽऽसुरी भवेत् ।
तस्यामाथर्वणं कर्म सिद्धारम्भाश्च सिद्धयः ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे अर्थानर्थसंशययुक्तास्तासामुपायविकल्पजाः
सिद्धयश्चेति सप्तमोऽध्यायः; भादितोऽष्टाविंशत्युत्तरशततमः ।

समाप्तमिदमभियास्यत्कर्म नाम नवममधिकरणम् ।




१. अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा आसुरी सृष्टि आदि के कारण जो आपत्तियां उत्पन्न हों उनके प्रतीकारार्थ अथर्ववेद में निरूपित शांतिकर्मों के अनुष्ठान द्वारा किया जाना चाहिए । सिद्ध, तपस्वी, महात्मा पुरुषों द्वारा आरंभ किए गए शांति कर्मों द्वारा भी इन आपत्तियों का प्रतीकार समझना चाहिए ।

इति अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त ।



**साङ्ग्रामिक
दसनाँ अधिक्करसा**



-

-

-

-

प्रकरण १४७

अध्याय १

स्कंधावारनिवेशः

१. वास्तुकप्रशस्ते वास्तुनि नायकवर्धकिमौहूर्तिकाः स्कंधावारं वृत्तं दीर्घं चतुरस्रं वा, भूमिवशेन वा, चतुर्द्वारं षट्पथं नव-संस्थान मापयेयुः । खातवप्रसालद्वाराद्वालकसम्पन्नं भये स्थाने च ।
२. मध्यमस्योत्तरे नवभागे राजवास्तुकं धनुःशतायाममर्धविस्तारं पश्चिमार्धे तस्यान्तःपुरम् । अन्तर्वशिकसैन्यं चान्ते निविशेत । पुरस्तादुपस्थानं, दक्षिणतः कोशशासनकार्यकरणानि, वामतो

छावनी का निर्माण

१. भवन-निर्माण-कला के विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसित क्षेत्र में सेनापति (नायक), कारीगर (वर्धकि) और ज्योतिषी (मौहूर्तिक) ये तीनों पारस्परिक परामर्श से गोलाकार, लंबा; चौकोर या जैसी भूमि हो उसी के अनुसार चारों दिशाओं में चार दरवाजों, छह मार्गों और नौ संस्थानों (डिविजन्स=वर्गों) से युक्त सैनिक छावनी (स्कंधावार) का निर्माण करायें। खाई, सफ़ील, परकोटा, एक प्रधान द्वार और अट्टालिकाओं से युक्त स्कंधावार उसी अवस्था में बनवाया जाय, जब कि आक्रमण का भय तथा अधिक समय तक वहां टिके रहने की संभावना हो।
२. स्कंधावार के बीच में उत्तर की ओर नौवें हिस्से में सौ धनुष लंबा तथा पचास धनुष चौड़ा राजा का निवास-स्थान बनवाया जाय। उसके आधे हिस्से में पश्चिम की ओर अंतःपुर का निर्माण कराया जाय और अन्तःपुर के समीप ही अन्तःपुररत्नकों के लिए भी स्थान बनवाये जाय। राजगृह के सामने राजा का विश्रामस्थान (उपस्थान) होना चाहिए। राजगृह की

राजौपवाह्यानां हस्त्यश्वरथानां स्थानम् । अतो धनुःशतान्तराश्वत्वारः शकटमेथीप्रततिस्तम्भसालपरिक्षेपाः । प्रथमे पुरस्तान्मन्त्रिपुरोहितौ, दक्षिणतः कोष्ठागारं महानसं च, वामतः कुप्यायुधागारम्, द्वितीये मौलभृतानां स्थानम्, अश्वरथानां, सेनापतेश्च । तृतीये हस्तिनः श्रेण्यः प्रशास्ता च । चतुर्थे विष्टिर्नायको मित्रामित्राटवीबलं स्वपुरुषाधिष्ठितम् । वणिजो रूपाजीवाश्चानुमहापथम् । बाह्यतो लुब्धकश्चगणिनः सतूर्याग्नयो गूढाश्चारक्षाः ।

दाहिनी ओर खजाना, सेक्रेटिएट (शासनकरण) और कार्य-निरीक्षकों (कार्यकरण) के स्थान बनवाये जाय । राजगृह के बाईं ओर हाथी, घोड़ा, रथ आदि वाहनों के लिए स्थान होना चाहिए । राजगृह के कुछ दूर चारों ओर रक्षार्थ चार बाड़ बनवाई जायँ, जिनमें पहली बाड़ गाड़ियों की, दूसरी बाड़ कांटेदार लताओं की, तीसरी बाड़ मजबूत लकड़ी के खंभों की और चौथी बाड़ मजबूत चहार-दीवारी के ढंग की होनी चाहिए । प्रत्येक बाड़ का फासला सौ-सौ धनुष का होना चाहिए । पहिली बाड़ के बीच में सामने की ओर मंत्रियों और पुरोहितों के स्थान बनवाने चाहिए । दाहिनी ओर भोजन-भंडार और रसोईघर होने चाहिए । बाईं ओर लोहा, तांबा, लकड़ी आदि रखने की जगह और आयुधागार होना चाहिए । दूसरी बाड़ के बीच में मौलभृत आदि सेनाओं के स्थान और घोड़ों तथा सेनापति के स्थान होने चाहिए । इसी प्रकार बाड़ के तीसरे-घेरे में हाथियों, श्रेणी-बल तथा प्रशास्ता (कंटकशोधन का अध्यक्ष) के स्थान होने चाहिए । बाड़ के चौथे घेरे में कर्मचारीदरग (विष्टि), नायक (दस सेनापतियों का प्रधान) और अपने विश्वस्त अधिकारी से संरक्षित मित्रसेना, शत्रुसेना तथा आटविकसेना के स्थान बनवाये जाय । ब्यापारी और वेश्याओं के स्थान, बड़े बाजार (महापथ) में बनवाये जाय । बहेलिये, शिकारी, बाजे तथा अग्नि आदि के इशारे से शत्रु के आगमन की सूचना देने वाले और ग्वाले आदि के वेष में रहनेवाले रक्षकों को सबसे बाहर की ओर बसाया जाय ।

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १४७, अध्याय १

१. शत्रूणामापाते कूपकूटावपातकण्टकिनीश्च स्थापयेत् । अष्टा-
दशवर्गणामारक्षविपर्यासं कारयेत् । दिवायामं च कारयेद-
पसर्पज्ञानार्थम् ।
२. विवादसौरिकसमाजघ्नूतवारणं च कारयेत् । मुद्रारक्षणं च ।
सेनानिवृत्तमायुधीयमशासनं शून्यपालोऽनुबध्नीयात् ।
३. पुरस्तादध्वनः सम्यक्प्रशास्ता रक्षणानि च ।
यायाद्वर्धकिविष्टिभ्यामुदकानि च कारयेत् ॥

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे स्कन्धावारनिवेशो नाम प्रथमोऽध्यायः;

आदित एकोनत्रिंशदुत्तरशततमः ।



१. जिस मार्ग से शत्रु के आने की संभावना हो वहां कुएँ, गढे आदि खोदकर और लोहे की कीलों या कांटों से युक्त तख्तों को बिछाकर शत्रु को रोकने का प्रबंध किया जाय । हर समय पहरों के लिए अठारह वर्गों को बारी-बारी से नियुक्त किया जाय । शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाने के लिए दिन-रात अपने आदमियों को घूमने के लिए नियुक्त करना चाहिए ।
२. आपसी झगड़ों, मदिरापान और जुआ आदि खेलने से सैनिकों को सर्वथा रोक लिया जाय । छावनी के भीतर-बाहर जाने-आने के लिए राजकीय मुहर का पास बनाया जाय । राजा की लिखित आज्ञापत्र के बिना युद्धभूमि से लौटने वाले सैनिकों को, शून्यपाल (राजधानी का रक्षण-अधिकारी) गिरफ्तार कर ले ।
३. प्रशास्ता (कंटकशोधन-अधिकारी) को चाहिए कि वह सेना और राजा के प्रस्थान करने से पहिले कारीगरों, मजदूरों तथा अध्यक्षां को साथ लेकर चला जाय और मार्गरक्षा का तथा आवश्यकतानुसार जल आदि का अच्छी तरह प्रबंध करे ।

इति सांग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



प्रकरण १४८-१४९

अध्याय २

रक्तान्धारपूयारां जलव्यसनान्- रक्तकालरक्षणं च

१. ग्रामारण्यानामध्वनि निवेशान् यवसेन्धनोदकवशेन परिसंख्याय स्थानासनगमनकालं च यात्रां यायात् । तत्प्रतीकारद्विगुणं अक्तोपकरणं वाहयेत् । अशक्तो वा सैन्येष्वायोजयेत् । अन्तरेषु वा निचिनुयात् ।
२. पुरस्तान्नायकः । मध्ये कलत्रं स्वामी च । पार्श्वयोरश्वा बाहूत्सारः । चक्रान्तेषु हस्तिनः । प्रसारवृद्धिर्वा सर्वतः ।

छावनी का प्रयाण और आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की रक्षा

१. गावों, जंगलों तथा मार्गों में ठहरने योग्य स्थानों का घास, लकड़ी तथा जल आदि के अनुसार निर्णय कर और वहां पर पहुँचने, ठहरने, वहां से जाने आदि का पहिले ही से समय का निश्चय करके फिर विजिगीषु को यात्रा के लिए घर से निकलना चाहिए । उस यात्रा में खाने-पीने और पहनने ओढ़ने के लिए जितने सामान की आवश्यकता हो, उससे दुगुना सामान साथ रखना चाहिए । यदि इतना सब सामान सवारियों पर ही न जा सके तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा सैनिकों को दिया जाय । अथवा पड़ाव के लिए नियुक्त स्थानों से आवश्यक सामान को संग्रह करके साथ ले जाना चाहिए ।
२. सेना के सबसे आगे दस सेनापतियों के प्रमुख नायक को चलना चाहिए, बीच में अंतःपुर तथा राजा चले; अगल-बगल में भुजाओं से ही शत्रु के आघात को रोकने वाला घुड़सवार सेना चले; पिछले भाग में हाथी चले; और

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १४८-१४९, अध्याय २

वनाजीवः प्रसारः । स्वदेशादन्वायतिर्वीवधः । मित्रबल-
मासारः । कलत्रस्थानमपसारः । पश्चात्सेनापतिः पर्याया-
न्निविशेत ।

१. पुरस्तादभ्याघाते मकरेण यायात्, पश्चाच्छकटेन, पार्श्वयोर्व-
ज्रेण, समन्ततः सर्वतोभद्रेण, एकायने सूच्या ।
२. पथि द्वैधीभावे स्वभूमितो यायात् । अभूमिष्ठानां हि
स्वभूमिष्ठा युद्धे प्रतिलोमा भवन्ति । योजनमधमा, अध्यर्ध
मध्यमा, द्वियोजनमुत्तमा, संभाव्या वा गतिः ।

अन्न, घास, भूसा आदि सब सामान चारों ओर से ले जाया जाय । जंगल
में पैदा होने वाले अन्न, घास आदि आजीविका-योग्य वस्तुओं को प्रसार
कहते हैं । अपने ही देश से अनाज आदि द्रव्यों के आयात को वीवध कहते
हैं । मित्र की सेना को आसार कहा जाता है । रानियों के ठहरने के
स्थान को अपसार कहते हैं । यात्राकाल में अपनी-अपनी सेना के सबसे
पीछे सेनापति रहे ।

१. यदि सामने की ओर से शत्रु के आक्रमण की आशंका हो तो 'मकराकार ध्यूह'
की रचना करके शत्रु की ओर बढ़ना चाहिए; यदि आक्रमण की पीछे से
संभावना हो तो 'शकटध्यूह' बनाकर आगे बढ़ना चाहिए; यदि भगल-भगल से
आक्रमण की संभावना हो तो 'चक्रध्यूह' बनाकर आगे बढ़ना चाहिए; और
यदि चारों ओर से आक्रमण की संभावना हो तो 'सर्वतोभद्रध्यूह' बनाकर;
यदि मार्ग इतना तंग हो कि उससे एक साथ न जाया जाय तो 'सूचीध्यूह'
बनाकर आगे बढ़ना चाहिए ।
२. यदि मार्ग में किसी प्रकार की द्विविधा हो तो उसी मार्ग से प्रस्थान
करना चाहिए जिससे चतुरंगिनी सेना आसानी से जा सके; क्योंकि अनुकूल
मार्ग से चलने वाले राजा पर प्रतिकूल मार्ग से चलने वाला राजा आक्रमण
नहीं कर सकता है । प्रतिदिन एक योजन (चार कोस) चलना अधम
गति है, डेढ़ योजन चलना मध्यम गति और दो योजन चलना उत्तम
गति कहलाती है । अथवा सुविधानुसार प्रतिदिन जितना चला जा सके,
उतना चलना चाहिए ।

१. आश्रयकारी, सम्पन्नघाती, पार्ष्णिग्रासारो मध्यम उदासीनो वा प्रतिकर्तव्यः, संकटो मार्गः शोधयितव्यः, कोशो दण्डो मित्रामित्राटवीवलं विष्टिर्कृतुर्वा प्रतीक्षयाः । कृतदुर्गकर्मनिच-यरक्षाक्षयः क्रीतबलनिर्वेदो मित्रबलनिर्वेदश्चागमिष्यति, उपज-पितारो वा नातित्वरयन्ति, शत्रुरभिप्रायं वा पूरयिष्यति इति शनैर्यायात् । विपर्यये शीघ्रम् ।
२. हस्तिस्तम्भसंक्रमसेतुबन्धनौकाषुवेणुसंघातैः अलावुचर्मकरण्ड-द्वितिप्लवगण्डिकावेणिकाभिश्चोदकानि तारयेत् ।
३. तीर्थाभिग्रहे हस्त्यश्वैरन्यतो रात्रावुत्तार्य सत्रं गृह्णीयात् ।

१. विजिगीषु जब यह सोचे कि 'अपनी उन्नति के लिए मुझे किसी राजा को अपना आश्रय बनाना चाहिए; अथवा धनधान्य-संपन्न किसी शत्रुदल को नष्ट करना है; या पार्ष्णिग्राह, आसार, मध्यम और उदासीन राजा का प्रतीकार करना है; तो धीरे से यात्रा करे । ऊबड़-खाबड़ मार्ग को साफ करने के लिए भी धीरे से ही यात्रा करे । अथवा जब कोष, अपनी सेना, मित्रसेना, शत्रुसेना, आटविक सेना, कारीगर और अपनी सेना के अनुकूल ऋतु की प्रतीक्षा करनी हो तो तब भी धीरे-धीरे यात्रा करे' अथवा जब यह संभावना हो कि 'शत्रु का दुर्ग बेमरम्मत है, उसका संगृहीत धान्य भी समाप्त प्राय है, उसके रक्षा-साधन भी विनष्ट हैं, धन लेकर अपने वश में की हुई सेना भी उससे खिन्न है और मित्रसेना भी उससे विरक्त है, तो भी धीरे-धीरे यात्रा करे ।' अथवा जब समझे कि शत्रुद्रोही लोग अभी जल्दी में नहीं है; अथवा युद्ध के बिना ही शत्रु मेरे अभिप्राय को पूरा कर देगा' तब धीरे-धीरे यात्रा करे । इसके विपरीत अवस्थाओं में शीघ्रता से ही यात्रा करनी चाहिए ।
२. यात्राकाल में हाथियों, लकड़ी के खंभों, झूलों, पुलों, नौकाओं, लकड़ी तथा बांस के बेदों, तूबियों, चर्मकाण्डों, चमड़े की तूबियों, मोमजामा के तकियों, काग की लकड़ी के बेदों और मजबूत रस्सियों से सेनाओं को नदी पार उतारा जाय ।
३. नदी के घाट यदि शत्रु के कब्जे में हों तो हाथी और घोड़ों के द्वारा रात में

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १४८-१४९, अध्याय २

१. अनुदके चक्रिचतुष्पदं चाध्वप्रमाणेन शक्त्योदकं वाहयेत् ।
२. दीर्घकान्तारमनुदकं यवसेन्धनोदकहीनं वा कृच्छ्राध्वानमभियोगप्रस्कन्नं क्षुत्पिपासाध्वक्लान्तं पङ्क्तोयगभीराणां वा नदीदरीशैलानामुद्यानापयाने व्यासक्तम् । एकायनमार्गे शैलविषमे सङ्कटे वा बहुलीभूतं निवेशे प्रस्थिते विसन्नाहं भोजनव्यासक्तम् । आयतगतपरिश्रान्तमवसुप्तं व्याधिमरकदुर्भिक्षपीडितं व्याधितपच्यश्चद्विषमभूमिष्ठं वा बलव्यसनेषु वा स्वसैन्यं रक्षेत् । परसैन्यं चाभिहन्यात् ।
३. एकायनमार्गप्रयातस्य सेनानिश्वारग्रासाहारशय्याप्रस्ताराग्नि-

दूसरी ओर से बिना घाट के ही अपनी सेनाओं को पार उतार कर शत्रु के स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहिए ।

१. जिस प्रदेश में जल न हो वहां गाड़ी, बैल आदि चौपायों द्वारा पास में पर्याप्त जल रखकर मार्ग तय किया जाय ।
२. विजिगीषु को चाहिए कि वह लंबा रास्ता तय करने वाली तथा जंगलों से होकर सफर करने वाली अपनी सेना की भरसक रक्षा करे । मार्ग में जल न पाने वाली; धान, भूसा, ईंधन, लकड़ी आदि से हीन; कठिन मार्ग में चलनेवाली; लंबे समय युद्ध में रहने के कारण खिन्न, भूख, प्यास तथा सफर के कारण बेचैन, भारी दलदल, गहरे पानी, नदी, गुफा तथा पर्वत आदि के पार करने एवं चढ़ने-उतरने में संलग्न; तंग रास्ते में, विषम स्थान में या पहाड़ी किलों में एकत्र; लंबा सफर करने से थकी; नींद लेती हुई; ज्वर, महामारी तथा दुर्भिक्ष से पीडित; बीमार, पैदल-हाथी घोड़ों से युक्त; प्रतिकूल भूमि में ठहरी; सैनिक आपतियों से परत; आदि जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनमें विजिगीषु को अपनी सेना की रक्षा करनी चाहिए । साथ ही विजिगीषु को चाहिए कि उक्त अवस्थाओं को प्राप्त हुई शत्रु की सेना को नष्ट-भ्रष्ट कर डाले ।
३. जब शत्रु एक ही जाने योग्य तंग रास्ते से जा रहा हो उस समय एक-एक करके जाते हुए सैनिकों की, उनकी सवारियों की, भोजन आदि सामग्री की,

निधानध्वजायुधसंख्यानेन परबलज्ञानम् । तदात्मनो गूहयेत् ।

१. पार्वतं वनदुर्गं वा सापसारप्रतिग्रहम् ।
स्वभूमौ पृष्ठतः कृत्वा युध्येत निविशेत् च ॥

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे स्कन्धाचारप्रयाणं बलव्यसनावस्कन्दकालरक्षणं
चेति द्वितीयोऽध्यायः; आदितस्त्रिंशदुत्तरशततमः ।



सोने के स्थान की, भोजन पकाने के चूल्हों की और अस्त्र-शस्त्रों की गिनती कर शत्रु-सेना की ह्यत्ता का पता लगा लेना चाहिए । अपनी सेना की ह्यत्ता का पता देने वाले साधनों को छिपा देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए ।

१. विजिगीषु को चाहिए कि वह अपसार (भागे हुए या पराजित के छिपने की जगह) और प्रतिग्रह (आक्रमण करती हुई शत्रु सेना को गिरफ्तार करने की जगह) के युक्त पहाड़ी तथा जंगली दुर्ग अच्छी तरह तैयार करके और सर्वथा अनुकूल भूमि में ठहर कर युद्ध करे अथवा निश्चिन्त होकर निवास करे ।

इति साङ्ग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



प्रकाश १५०-१५२

अध्याय ३

कूटयुद्धनिकल्पाः, स्वसैन्योत्साहनं, स्वजनान्यजनव्यायोगश्च

१. बलविशिष्टः कृतोपजापः प्रतिविहितर्तुः स्वभूम्यां प्रकाशयुद्ध-
मुपेयात् । विपर्यये कूटयुद्धम्
२. बलव्यसनावस्कन्दकालेषु परमभिहन्यात् । अभूमिष्ठं वा
स्वभूमिष्ठः । प्रकृतिप्रग्रहो वा स्वभूमिष्ठं दूष्यामित्राटवीबलैर्वा
भङ्गं दत्त्वा विभूमिप्राप्तं हन्यात् । संहतानीकं हस्तिभिर्भेदयेत् ।

कूटयुद्ध के भेद; अपनी सेना का प्रोत्साहन और अपनी
तथा पराई सेना का प्रयोग

१. बलवान् एवं बृहद् सेना से युक्त, शत्रुपक्ष को फोड़ने में समर्थ और युद्ध
योग्य समय को अपने अनुकूल बनाने वाले विजिगीषु को चाहिए कि वह
अपनी अनुकूल भूमि में ही प्रकाश-युद्ध करना स्वीकार करे । यदि इसके
विपरीत अवस्था हो तो कूटयुद्ध ही करना चाहिए ।
२. व्यसनापन्न सेना पर या लंबे सफर, जंगल के सफर अथवा जलाभाव की
अवस्था में शत्रु के ऊपर आक्रमण किया जाय । अथवा शत्रु की विरुद्ध स्थिति
और अपनी अनुकूल स्थिति होने पर आक्रमण करे । अथवा शत्रु की असारथ्य
आदि प्रकृतियों को वश में करके तब आक्रमण किया जाय, अथवा राज-
द्रोहियों, शत्रुओं और जांगलिकों को अपनी पराजय का विश्वास दिलाकर जब
वे अपना स्थान छोड़ दें तब उन पर आक्रमण किया जाय । अनुकूल भूमि
में एक स्थान पर ठहरी हुई शत्रु-सेना को हाथियों द्वारा छिन्न-भिन्न
किया जाय ।

१. पूर्वं भङ्गप्रदानेनानुप्रलीनं भिन्नमभिन्नं प्रतिनिवृत्त्य हन्यात् ।
पुरस्तादभिहत्य प्रचलं विमुखं वा पृष्ठतो हस्त्यश्वेनाभिहन्यात् ।
पृष्ठतोऽभिहत्य प्रचलं विमुखं वा पुरस्तात्सारवलेनाभिहन्यात् ।
२. ताभ्यां पार्श्वीभिघातौ व्याख्यातौ । यतो वा दूष्यफल्गुवलं
ततोऽभिहन्यात् ।
३. पुरस्ताद्विषमायां पृष्ठतोऽभिहन्यात् । पृष्ठतो विषमायां पुरस्ता-
दभिहन्यात् । पार्श्वतो विषमायामितरतोऽभिहन्यात् ।
४. दूष्यामित्राटवीवलैर्वा पूर्वं योधयित्वा श्रान्तमश्रान्तः परम-
भिहन्यात् । दूष्यवलेन वा स्वयं भङ्गं दत्त्वा 'जितम्' इति
विश्वस्तमविश्वस्तः सत्रापाश्रयोऽभिहन्यात् । सार्थव्रजस्कन्धा-

१. पूर्वं पराजय के कारण तितर-वितर हुई शत्रु की सेना को विजिगीषु की एकत्र सेना लौट कर फिर मारे । सामने की ओर से आक्रमण करने के कारण तितर-वितर अथवा भागी हुई शत्रु सेना को पीछे की ओर से घुड़-सवारों और हाथियों के द्वारा नष्ट करा दिया जाय । पीछे की ओर से आक्रमण करने के कारण छिन्न-भिन्न या उलटी भागी हुई शत्रु सेना को सामने की ओर से बहादुर सैनिकों के द्वारा नष्ट-भ्रष्ट करा दिया जाय ।
२. आगे-पीछे से किए गए आक्रमणों के अनुसार ही अगल-बगल से किए जाने वाले आक्रमणों के संबंध में भी जान लेना चाहिए । अथवा जिस ओर शत्रु की राजद्रोही या निर्बल सेना हो उसी ओर से आक्रमण करना चाहिए ।
३. यदि सामने की ओर से आक्रमण करना अपने अनुकूल न हो तो पीछे की ओर से आक्रमण करना चाहिए और पीछे की ओर से असुविधा हो तो आगे की ओर से आक्रमण करना चाहिए । अगल-बगल के आक्रमण में जिस ओर से सुविधा हो, उसी ओर से आक्रमण किया जाय ।
४. अथवा अपनी दूष्यसेना, शत्रुसेना, तथा आटविक सेना के साथ शत्रु को लड़ाकर फिर विजिगीषु स्वयं ही उस पर आक्रमण करे । अथवा अपनी दूष्य सेना को लड़ाकर स्वयं को विजिगीषु पराजित करार दे और तब शत्रु का आश्रय लेकर उस पर धावा बोल दे जब शत्रु व्यापारी वर्ग, गायों के समूह तथा छावनियों की रक्षा में और उनको लुटता देख प्रमादी बना हुआ हो,

वारसंवाहविलोपप्रमत्तमप्रमत्तोऽभिहन्यात् । फल्गुबलावच्छन्नः सारबलो वा परवीराननुप्रविश्य हन्यात् । गोग्रहणेन श्वाप-दवधेन वा परवीरानाकृष्य सत्रच्छन्नोऽभिहन्यात् ।

१. रात्राववस्कन्देन जागरयित्वाऽनिद्राक्लान्तानवसुप्तान् वा दिवा हन्यात् । सपादचर्मकोशैर्वा हस्तिभिः सौप्तिकं दद्यात् । अहः सन्नाहपरिश्रान्तानपराह्णेऽभिहन्यात् ।
२. शुष्कचर्मवृत्तशर्कराकोशकैर्गोमहिषोष्ट्रयूथैर्वा त्रस्तुभिरकृतहस्त्य-श्वं भिन्नमभिन्नः प्रतिनिवृत्तं हन्यात् । प्रतिसूर्यवातं वा सर्व-मभिहन्यात् ।
३. धान्वनवनसङ्कटपङ्कशैलनिम्नविषमनावो गावः शकटव्यूहो नीहारो रात्रिरिति सत्राणि ।

तब उस पर आक्रमण किया जाय । अथवा बाहर की ओर अपनी निर्बल सेना को बांध कर और बीच में बहादुर सैनिकों को रख कर शत्रु की सेना को नष्ट-भ्रष्ट किया जाय । अथवा शत्रु-देश से गाय, भादि का अपहरण करने और व्याघ्र, वराह आदि का शिकार करने के बहाने शत्रु के वीर पुरुषों को प्रलोभन देकर सत्र में छिप कर मार डाला जाय ।

१. रात में लूट-मार, डाका-चोरी आदि के भय से शत्रु के सैनिकों को जगाकर और फिर जब वे दिन में सोयें तो उन्हें मार डाला जाय । पैरों पर चमड़े का खोल पहनाये हुए हाथियों द्वारा सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया जाय । कवायद करने के बाद थके हुए सैनिकों को दोपहर के बाद मरवा दिया जाय ।
२. सूखे चमड़े से बंधे हुए मिट्टी के छोटे-छोटे ढेलों से या घबड़ा जाने वाले गाय, भैंसों और ऊँटों के झुंडों के द्वारा हाथी-घोड़े रहित शत्रु की छिन्न-भिन्न हुई सेना को अपनी एकत्र सेना के द्वारा मरवा दिया जाय । सूर्य और हवा के सामने आई हुई सभी तरह की सेना को नष्ट कर डालना चाहिए ।
३. मरुस्थल का दुर्ग (धान्वन), जंगल का दुर्ग, कंटकाकीर्ण झाड़ियों वाले स्थान (संकट), दलदल भूमि, पहाड़ी इलाके, तराई के क्षेत्र, ऊबड़-खाबड़

१. पूर्वे च प्रहरणकालाः कूटयुद्धहेतवः ।
२. संग्रामस्तु निर्दिष्टदेशकालो धर्मिष्ठः ।
३. संहत्य दण्डं ब्रूयात्—'तुल्यवेतनोऽस्मि, भवद्भिः सह भोग्य-
मिदं राज्यं, मयामिहितः परोऽभिहन्तव्यः' इति । वेदेष्वप्य-
नुश्रूयते समाप्तदक्षिणानां यज्ञानामवभृथेषु—'सा ते गतिर्या
शूराणाम्' इति । अपीह श्लोकौ भवतः—
४. यान् यज्ञसंघैस्तपसा च विप्राः स्वर्गैषिणः यात्रचयैश्च यान्ति ।
क्षणेन तामप्यतियान्ति शूराः प्राणान्सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥
५. नवं शरावं सलिलस्य पूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम् ।
तत्तस्य माभून्नरकं च गच्छेद्यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युष्येत् ॥

भूमि, नौकाएँ, गायों के झुंड, शकटव्यूह, कुहरा और रात्रि इन सब को सत्र कहा जाता है । इन स्थानों में छिप कर युद्ध करना चाहिए ।

१. पूर्व प्रहार करने के समय और सत्र स्थान कूट युद्धों के कारण हुआ करते हैं ।
२. यहाँ तक कूट युद्ध के विभिन्न प्रकारों का निरूपण किया गया ।
३. विजिगीषु को चाहिए कि वह अपनी संगठित सेना से कहे कि 'मैं भी आपके ही समान वेतनभोगी नौकर हूँ । आप लोगों के साथ ही मैं इस राज्य का उपयोग कर सकता हूँ । इसलिए जिसका मैं शत्रु बताऊँ वह आप लोगों के हार्थों अवश्य मारा जाना चाहिए ।' इस प्रकार से सेना को उत्साहित करना चाहिए । तदनंतर मंत्रियों और पुरोहितों द्वारा सेना को यह कह कर उत्साहित कराये कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि यज्ञ, अनुष्ठान समाप्त हो जाने के बाद और दक्षिणा दिये जाने के बाद यजमान को जो फल मिलता है वही फल युद्धक्षेत्र में वीरगति पाये हुए सैनिक को मिलता है । इसी संबंध में पूर्वाचार्यों के दो श्लोक हैं कि—
४. अनेक यज्ञों को करके, कठिन तप करके और अनेक सुपात्रों को दान देकर ब्राह्मण लोग जिस उच्च गति को प्राप्त करते हैं, शूरवीर क्षत्रिय धर्मयुद्ध में प्राणोत्सर्ग करके उससे भी उच्च-गति को प्राप्त करते हैं ।
५. 'मंत्रों से संस्कृत, जल से भरा हुआ और दर्भ से आच्छादित नई शराब का

१. इति मन्त्रिपुरोहिताभ्यामुत्साहयेद्योधान् ।

२. व्यूहसम्पदा कार्तान्तिकादिश्वास्य वर्गः सर्वज्ञदैवसंयोगख्या-
पनाभ्यां स्वपक्षमुद्धर्षयेत् । परपक्षे चोद्वेजयेत् । 'श्वो युद्धम्'
इति कृतोपवासः शस्त्रवाहनं चानुशयीत । अथर्वभिश्च जुहुयात् ।
विजययुक्ताः स्वर्गीयाश्चाशिषो वाचयेत् । ब्राह्मणेभ्यश्चात्मान-
मतिसृजेत् ।

३. शौर्यशिल्पाभिजनानुरागयुक्तमर्थमानाभ्यामविसंवादितमनीक-
गर्भं कुर्वीत । पितृपुत्रभ्रातृकाणामायुधीयानामध्वजं मुण्डानीकं

छलछलाता शकोरा उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता और वह नरक में जाता है, जो अपने स्वामी के लिए प्राणों की बाजी नहीं लगाता ।'

१. इस प्रकार मंत्री और पुरोहितों के द्वारा सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाय ।

२. विजिगीषु राजा के ज्योतिर्विद् एवं शकुनशास्त्री व्यक्तियों को चाहिए कि वे अलग-अलग ब्यूहों की विशेष रचना द्वारा अपनी सर्वज्ञता को और दैव-साक्षात्कार होने की प्रसिद्धि को फैलाकर अपने पक्ष के सैनिकों को उत्साहित करते रहें तथा शत्रु के सैनिकों को बेचैन बनाये रखें । 'कल युद्ध है' ऐसा निश्चय हो जाने पर विजिगीषु को चाहिए कि उस दिन उपवास करता हुआ वह अपने रथ, हाथी, घोड़े आदि सवारियों के पास ही शयन करे; और अथर्ववेद में बताये गये शत्रु-ध्वंसक मन्त्रों का जप तथा अनुष्ठान करता रहे । शत्रु के हार जाने पर अपनी विजय के अनुकूल और अपने ही सैनिकों की वीरगति प्राप्त होने पर ब्राह्मणों से स्वर्गीय आशीर्वादों का वाचन कराये । अपनी रक्षा के लिए स्वयं को वह ब्राह्मणों को अर्पण कर दे ।

३. बहादुर, कारीगर, खानदानी तथा अनुरक्त और धन, मान आदि से सदा अनुकूल बनाई गई सेना को अपनी बड़ी सेना में रक्षा के निमित्त नियुक्त किया जाना चाहिए । राजा के पिता, पुत्र, भाई आदि अंतरंग संबंधियों के निवास स्थान को और राजा के अङ्गरक्षक तथा प्रच्छन्न वेष धारण किये प्रधान सेना के निवास-स्थान को राजा के निवास स्थान के समीप ही टिकाया जाय । राजा हाथी या रथ पर सवार होकर चले और उसकी रक्षा

राजस्थानम् । हस्ती रथो वा राजवाहनमश्वानुबन्धे । यत्प्रायः सैन्यो, यत्र वा विनीतः स्यात्, तदधिरोहयेत् । राजव्यञ्जनो व्यूहाधिष्ठानमायोज्यः ।

१. सूतमागधाः शूराणां स्वर्गमस्वर्गं भीरूणां जातिसङ्घकुलकर्मवृत्तस्तवं च योधानां वर्णयेयुः । पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं ब्रूयुः । सन्निकवर्धकिमौहूर्तिकाः स्वकर्मसिद्धिमसिद्धिं परेषाम् ।
२. सेनापतिरर्थमानाभ्यामभिसंस्कृतमनीकमाभाषेत—‘शतसाहस्रो राजवधः । पञ्चाशत्साहस्रः सेनापतिकुमारवधः । दशसाहस्रः प्रवीरमुख्यवधः । पञ्चसाहस्रो हस्तिरथवधः । साहस्रो-

के लिए साथ में अशवारोही सैनिक हों । अथवा जिन सवारियों पर प्रायः सेना चल रही हो उसी प्रकार की सवारी में या जिस सवारी में चढ़ने का राजा का अच्छा अभ्यास हो, उसमें चढ़कर चले । व्यूह-रचना का अधिष्ठाता किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाय, जो राजा से अविकल रूप में मिलता-जुलता हो ।

१. सूतों (ऐतिहासिक गाथाओं के गायकों) और मागधों (स्तुतिवाचकों) को चाहिए कि वे—शूर-वीर सैनिकों को स्वर्ग, कायरों को नरक और अन्य जाति संघों (वटालियनों) को उनके कुल, कर्म, शील, स्वभाव तथा व्यवहार के अनुसार—भोजोमयी उत्साहवर्धक वाणी सुनाकर स्तुतिगान करें । पुरोहितों को चाहिए कि वे अथर्ववेद में निर्दिष्ट शत्रुनाशक कृत्याभिचार का अनुष्ठान करें । सत्री, बढई और ज्योतिषियों को चाहिए कि वे सदा ही अपने कार्यों की सिद्धि और शत्रुकार्यों की असफलता के संबन्ध में प्रचार करते रहें ।
२. युद्ध के लिए तैयार, धन-सत्कार से संवर्द्धित सेना को ललकार कर सेनापतियों कहे; ‘आप लोगों में से जो भी सैनिक शत्रुराजा को मार डालेगा उसे एक लाख स्वर्णमुद्राएँ पुरस्कार में दी जायेंगी । जो सैनिक शत्रु के सेनापति या राजकुमार को मार डालेगा, उसे पचास हजार स्वर्णमुद्रायें इनाम में दी जायेंगी । इसी प्रकार शत्रु के वीर सैनिकों में से मुख्य सैनिकों को मारने वाले को दस हजार; हाथी तथा रथों को नष्ट करने वाले को पाँच हजार, घुड़सवारों को नष्ट करने वाले को एक हजार; पैदल सेना के मुख्य सैनिकों

ऽश्ववधः । शत्यः पत्तिमुख्यवधः । शिरो विंशतिकम् । भोग-
द्वैगुण्यं स्वयंग्राहश्चेति । तदेषां दशवर्गाधिपतयो विद्युः ।

१. चिकित्सकाः शस्त्रयन्त्रागदस्नेहवस्त्रहस्ताः, स्त्रियश्चान्नपानर-
क्षिण्यः पुरुषाणामुद्धर्षणीयाः पृष्ठतस्तिष्ठेयुः ।
२. अदक्षिणामुखं पृष्ठतः सूर्यमनुलोमवातमनीकं स्वभूमौ व्यूहेत ।
परभूमिव्यूहे चाश्वांश्चारयेयुः ।
३. यत्र स्थानं प्रजवश्चाभूमि व्यूहस्य, तत्र स्थितः प्रजवितश्चोभयथा
जीयेत । विपर्यये जयति । उभयथा स्थाने प्रजवे च ।

को नष्ट करने वाले को एक सौ और साधारण सिपाही का शिर काट कर लाने वाले को बीस स्वर्ण मुद्राएँ इनाम में दी जायेंगी । इसके अतिरिक्त युद्ध में भाग लेने वाले प्रत्येक सैनिक का वेतन, भत्ता दुगुना कर दिया जायगा और शत्रु के यहाँ से लूट-पाट में मिला हुआ सारा माल भी उन्हें ही दिया जायगा ।' इस प्रकार बताये गये राजवध का समाचार केवल पदिक सेनापति और नायक ही जान पायें ।

१. सैनिकों के स्वास्थ्य-संरक्षण और मनोविनोद के लिए चिकित्सक, काटने के औजार, चिमटी, दवाई, घी, तेल, मरहम पट्टी; सहचिकित्सक, खाने-पीने की सामग्री और सैनिकों को प्रसन्न करने वाली स्त्रियाँ, इन सबको युद्धभूमि के लिये प्रस्थान करते समय सेना के पिछले हिस्से में रखा जाय ।
२. विजिगीषु को चाहिए कि युद्धकाल में अमंगल-सूचक दक्षिण दिशा की ओर सैनिकों का मुँह करके खड़ा न करे । इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाय कि सूर्य की किरणें सेना के पीठ पीछे और वायु का रुख अनुकूल हो; इस प्रकार व्यूह-रचना करके सैनिकों को खड़ा किया जाय । यदि युद्ध भूमि शत्रु के अनुकूल हो और वहीं पर विजिगीषु को भी व्यूह-रचना करनी पड़े, तो विजिगीषु को चाहिए कि वह छोड़े दौड़ा कर शत्रु के मोर्चे को विघटित कर दे ।
३. जिस स्थान पर ठहर कर विजिगीषु बहुत दिनों तक कार्य करता ही रह जाय या समयभाव में जल्दी ही कार्य को समाप्त कर डाले वहाँ पर अवश्य ही वह शत्रु द्वारा मारा जाता है ।

१. समा विषमा व्यामिश्रा वा भूमिरिति, पुरस्तात्पार्श्वार्थ्यां पश्चाच्च ज्ञेया । समायां दण्डमण्डलव्यूहाः, विषमायां भोग-संहतव्यूहाः । व्यामिश्रायां विषमव्यूहाः ।
२. विशिष्टवृत्तं भङ्क्त्वा सन्धि याचेत । समवलेन याचितः सन्धि-धीत । हीनमनुहन्त्यात् । न त्वेव स्वभूमिप्राप्तं त्यक्त्वात्मानं वा ।
३. पुनरावर्तमानस्य निराशस्य च जीविते ।
अधार्यो जायते वेगस्तस्माद्भग्नं न पीडयेत् ॥

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे कूटयुद्धविकल्पाः स्वसैन्योत्साहनं स्ववलान्य-
चलव्यायोगश्चेति तृतीयोऽध्यायः; आदित एकत्रिंशदुत्तरशततमः ।

१. व्यूहभूमि तीन प्रकार की होती है; (१) सम (२) विषम और (३) व्यामिश्र । व्यूह-रचना के आगे, पीछे या बगल में, कहीं भी सम भूमि का होना आवश्यक है । इसी प्रकार विषम भूमि के संबंध में भी समझना चाहिए । तीनों प्रकार की उक्त समभूमि में दण्डाकार सेना की स्थापना (दण्ड व्यूह) और गोलाकार सेना की स्थापना (मंडल व्यूह) की जाय । इसी प्रकार तीनों तरह की विषम भूमि में भोगव्यूह और संहत व्यूह की रचना की जाय । तीनों प्रकार की व्यामिश्र भूमि में विषमव्यूहों की रचना की जाय ।
२. विजिगीषु को चाहिए कि पहले वह अधिक शक्तिशाली शत्रु की सेना को नष्ट-भ्रष्ट कर फिर स्वयं ही उससे संधि के लिए प्रार्थना करे । यदि शत्रु समान शक्ति का हो तो उसकी प्रार्थना करने पर ही विजिगीषु संधि के लिए तैयार हो । अपने से हीन शक्ति राजा को तो ऐसा तहस-नहस कर देना चाहिए कि फिर कभी भी वह उठ न सके । किन्तु यदि हीनशक्ति राजा-अनुकूल स्थान पर हो या जीवन से निराश हो चुका हो तो उसको न मारा जाय ।
३. जीवन से निराश हुआ शत्रु यदि युद्धक्षेत्र से बचकर वापिस आता है तो उसका युद्धावेश ठंडा पड़ जाता है । इसलिए पहिले ही से निराश एवं कम-जोर शत्रु को पीड़ा पहुँचा कर कुपित नहीं करना चाहिए ।

सांग्रामिक नामक दशवें अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।



प्रकाशरण १५३-१५४

अध्याय ४

युद्धभूमयः, पत्त्यश्वरथ- हरितकर्माणा च

१. स्वभूमिः पत्त्यश्वरथद्विपानामिष्टा युद्धे निवेशे च ।
२. धान्वनवननिम्नस्थलयोधिनां खनकाकाशदिवारात्रियोधिनां च पुरुषाणां नादेयपार्वतानूपसारसानां च हस्तिनामश्वानां च यथास्वमिष्टा युद्धभूमयः कालाश्च ।
३. समा स्थिराभिकाशा निरुत्खातिन्यचक्रखुराऽनक्षग्राहिणी अवृक्षगुल्मप्रततिस्तम्भकेदारश्वभ्रवल्मीकसिकतापङ्कभङ्गुरा दर-
णहीना च रथभूमिः ।

युद्धयोग्य भूमिः और पदाति, अश्व-रथ तथा हाथी
आदि सेनाओं के कार्य

१. पैदल, घुड़सवार, अश्वारोही तथा हस्त्यारोही सैनिकों को युद्ध के लिए और ठहरने के लिए उपयुक्त भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है ।
२. धान्वनदुर्ग, वनदुर्ग, जल, स्थल, खाई, आकाश, दिन-रात, नदी, पहाड़, जलमय प्रदेश तथा तालाब आदि में युद्ध करने वाले हस्त्यारोही और अश्वारोही सैनिकों के लिए अनुकूल युद्धयोग्य भूमि तथा उपयुक्त ऋतु आदि का होना अत्यन्त आवश्यक है ।
३. समतल, दलदल रहित एकदम ठोस, साफ-सुथरी, चिकनी, घनी बेलों से आच्छादित, खाई-खंधक से रहित, झुरमुट, टूठ, क्यारियाँ, बांबा, गढे, रेत, कीचड़ और टेढ़ेपन आदि से रहित जमीन एवं दरों से रहित (दरणहीना) भूमि रथसेना के युद्धार्थ उपयुक्त समझनी चाहिए ।

१. हस्त्यश्वयोर्मनुष्याणां च समे विषमे हिता युद्धे निवेशे च ।
२. अण्वश्मवृक्षा ह्रस्वलङ्घनीयश्वा मन्ददरणदोषाचाश्व भूमिः ।
स्थूलस्थाण्वश्मवृक्षप्रततिवल्मीकगुल्मा पदातिभूमिः । गम्य-
शैलनिम्नविषमा मर्दनीयवृक्षा छेदनीयप्रततिः पङ्कभङ्गुर-
दरणहीना च हस्तिभूमिः ।
३. अकण्टकिन्यबहुविषमा प्रत्यासारवतीति पदातीनामतिशयः ।
४. द्विगुणप्रत्यासारा कर्दमोदकखञ्जनहीना निःशर्करेति वाजि-
नामतिशयः ।
५. पांसुकर्दमोदकनलशराधानवती श्वदंष्ट्राहीना महावृक्षशाखा-
घातवियुक्तेति हस्तिनामतिशयः ।

१. उपर्युक्त रथयोग्य भूमि ही अश्वारोही, हस्त्यारोही और पदाति सेनाओं के लिए भी सम, विषम देश में युद्ध के लिए उपयुक्त समझनी चाहिए ।
२. छोटे-छोटे कंकड़ तथा वृक्षों से युक्त, छोटे-छोटे लाँघने योग्य गडों से युक्त और इधर-उधर छोटे-छोटे दरों से युक्त भूमि अश्वारोही सेना के ठहरने-युद्ध के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है । मोटे-मोटे पेड़ों के टूँठ, छोटे-छोटे पत्थर वा कंकड़, वृक्ष, लता, बाँबी तथा झुरमुट आदि से युक्त भूमि पैदल सैनिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है । हाथियों के चढ़ सकने योग्य पहाड़, ऊँची-नीची जमीन, हाथियों के खुजलाने योग्य वृक्षों से युक्त, काटने योग्य लताओं से पूर्ण और गडों एवं दरारों से रहित भूमि हाथियों के लिए अधिक उपयुक्त है ।
३. कंटकरहित, न अधिक ऊँची न अधिक नीची और भवसर आने पर लौट आने की सुविधा वाली भूमि पैदल सेना के पड़ाव-युद्ध के लिए अत्यन्त उत्तम है ।
४. जिस भूमि में आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे लौटने में अधिक सुविधा रहती है और जिसमें कीचड़, जल, दलदल तथा कंकरीली मिट्टी का सर्वथा अभाव हो वह भूमि अश्वारोही सेना के लिए अतीव उत्तम है ।
५. धूल, कीचड़, जल, नरसल, मूँज और नरसल-मूँज की जड़ से युक्त तथा

१. तोयाशयाश्रयवती निरुत्खातिनी केदारहीना व्यावर्तनसमर्थेति रथानामतिशयः । उक्ता सर्वेषां भूमिः ।
२. एतया सर्वबलनिवेशा युद्धानि च व्याख्यातानि भवन्ति ।
३. भूमिवासवनविचयो विषमतोयतीर्थवातरश्मिग्रहणं वीवधासारयोर्घातो रक्षा वा, विशुद्धिः स्थापना च बलस्य, प्रसार-वृद्धिर्बाहूत्सारः, पूर्वप्रहारो व्यावेशनं, व्यावेधनभाश्वासो, ग्रहणं,

गोखुरुओं से रहित एवं बड़े-बड़े घने वृक्षों से रहित भूमि हस्त्यारोही सेना के लिए अति उत्तम है ।

१. स्नान योग्य जलाशयों, विश्राम करने योग्य स्थानों से युक्त, ऊबड़-खाबड़ रहित, क्यारियों से रहित, भवसर के समय में लौटने की सुविधाओं वाली भूमि रथसेना के लिए अधिक उपयोगी है । यहाँ तक उपयुक्त युद्धभूमि के संबंध में निरूपण किया गया ।
२. इसी प्रकार सेनाओं के ठहरने और युद्धादि कार्यों के संबंध में भी विचार कर लेना चाहिए ।
३. भूमि, निवास तथा वन की सफाई घोड़ों के द्वारा की जानी चाहिए । (छिपे हुए शत्रु को हटाना भूमिनिचय; सेना के पड़ाव में उपद्रव को दूर करना घासनिचय; और जंगली मार्गों में चोरों को साफ करना वननिचय कहलाता है) । विषम (जहाँ पर शत्रु आक्रमण न कर सके), तोय (जहाँ पर जल से भरे तालाब हों), तीर्थ (नदी के घाट), वात (जहाँ पर शुद्ध वायु आ-जा सके) और रश्मि (जहाँ सूर्य का पूर्ण प्रकाश हो); आदि सुविधा-जनक स्थानों को पहिले ही से अपने कब्जे में कर लेना चाहिए; शत्रुदेश से आने वाले जीविकोपार्जन योग्य पदार्थों तथा शत्रु के मित्र की सेना का नाश और अपने पदार्थों एवं सेना की रक्षा; छिप कर प्रविष्ट हुई शत्रुसेना की सफाई और अपनी सेना की दृढ़ स्थिति; धान्य तथा घास आदि का संग्रह; शत्रु सेना को तितर-बितर करना; भुजाओं के समान शत्रुसेना को हटाना; शत्रुसेना पर पहिले चढ़ाई करना; शत्रुसेना में घुसकर उसको चौंका देना, शत्रुसेना को तरह-तरह की तकलीफ देना, अपनी सेना को धैर्य देना; शत्रुसेना को घेरना; शत्रुद्वारा गिरफ्तार अपने सैनिकों को

मोक्षणं, मार्गानुसारविनिमयः, कोशकुमाराभिहरणं, जघनको-
त्थ्यभिघातो, हीनानुसारणमनुयानं, समाजकर्मैत्यश्वकर्माणि ।

१. पुरोयानमकृतमार्गवासतीर्थकर्म बाहूत्सारस्तोयतरणावतरणे
स्थानगमनावतरणं विषमसम्बाधप्रवेशोऽग्निदानशमनमेकाङ्ग-
विजयः, भिन्नसन्धानमभिन्नभेदनं व्यसने त्राणमभिघातो
विभीषिका त्रासनमौदार्यं ग्रहणं मोक्षणं सालद्वारादृालकभञ्जनं
कोशवाहनापवाहनमिति हस्तिकर्माणि ।

छुड़ाना; अपनी सेना के मार्ग पर शत्रुओं के अधिकार करने पर शत्रुसेना
के मार्ग को अपने अधीन कर लेना; शत्रु के कोष तथा राजकुमार का
अपहरण करना; पीछे तथा सामने की ओर आक्रमण करना; जिनके घोड़े
मर गये हों, ऐसे सैनिकों का पीछा करना; भागी हुई शत्रुसेना का पीछा
करना और बिखरी हुई अपनी सेना को संगठित करना—ये सभी कार्य
घोड़ों के द्वारा आसानी से कराये जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें अश्वकर्म
कहते हैं ।

१. अपनी सेना के आगे-आगे चलना; पहिले से तैयार न हुए मार्ग, निवास
घाट आदि का बनाना; भुजाओं के समान शत्रुसेना को तितर-वितर
करना; नदी की गहराई बताने के लिए उसके भीतर प्रवेश करना; पंक्ति
में खड़ा होकर शत्रु के आक्रमण को रोकना; इसी प्रकार मार्ग में चलना;
इसी प्रकार नीचे उतरना; घने जंगलों तथा शत्रु की सेना में घुसना;
शत्रु के पड़ाव में आग लगाना और अपने पड़ाव में लगी हुई आग को
बुझाना; अकेले ही शत्रु पर विजय प्राप्त करना; अपनी बिखरी हुई सेना
को संगठित करना; शत्रु की संगठित सेना को तितर-वितर करना; आपत्ति
के समय अपनी सेना की रक्षा करना और शत्रु की सेना को कुचलना,
अपने को दिखाने मात्र से ही शत्रु को घबड़ा देना; मदविह्वल होकर
शत्रु को विचलित कर देना; अपने अस्तित्व से अपनी सेना के महत्त्व
को प्रकट करना; शत्रु के योद्धाओं को पकड़ना; शत्रु के परकोटे, प्रधान
द्वार तथा भटारी आदि को ध्वस्त करना; शत्रु के कोष तथा सवारी
आदि को भगा ले जाना; ये सभी कार्य हाथियों के द्वारा संपादित होने के
कारण हस्तिकर्म के नाम से कहे जाते हैं ।

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १५३-१५४, अध्याय ४

१. स्वबलरक्षा चतुरङ्गबलप्रतिषेधः संग्रामे ग्रहणं मोक्षणं भिन्नसन्धानमभिन्नभेदनं त्रासनमौदार्यं भीमघोषश्चेति रथ-कर्माणि ।
२. सर्वदेशकालशस्त्रवहनं व्यायामश्चेति पदातिकर्माणि ।
३. शिविरमार्गसेतुकूपतीर्थशोधनकर्म यन्त्रायुधावरणोपकरण-ग्रासवहनमायोधनाच्च प्रहरणावरणप्रतिविद्रापनयनमिति विष्टि-कर्माणि ।

४. कुर्याद्गवाश्वव्यायोगं रथेष्वल्पहयो नृपः ।

-
१. अपनी सेना की रक्षा करना; आक्रमण के समय शत्रुसेना को रोकना; शत्रु के बलवान् सैनिकों को पकड़ना; अपने गिरफ्तार सैनिकों को छुड़ाना; अपनी सेना को संगठित करना तथा शत्रु सेना को तितर-बितर करना; भयभीत करके शत्रु की सेना को घबड़ाना; अपनी सेना का महत्त्व प्रकट करना और भयंकर आघाज करना; ये सभी कार्य रथकर्म अर्थात् रथसेना के द्वारा संपादित होते हैं ।
 २. सम-विषम आदि सभी स्थानों और वर्षा-शरद् आदि सभी ऋतुओं में युद्ध के लिए तैयार हो जाना; नियम पूर्वक कवायद करना और अवसर आने पर युद्ध करना ये सब कार्य पदाति सेना के हैं ।
 ३. अस्त्र-शस्त्र न रखकर फौज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को विष्टि कहा जाता है । सैनिक शिविर बनाना, सैनिक मार्ग, नदी के पुल, बाँध, कुएँ, घाट आदि तैयार करना; घास आदि उखाड़ कर मैदान साफ करना, युद्ध की मशीनें, अस्त्र-शस्त्र, कवच आदि युद्धोपयोगी सामान तथा हाथी, घोड़ों के लिए घास ढोना; उनकी रक्षा का प्रबंध करना; युद्धभूमि में कवच, हथियार तथा घायल आदि सैनिकों को दूसरी जगह ले जाना; ये सभी कार्य विष्टि नामक कर्मचारियों के हैं ।
 ४. जिस राजा के पास घोड़ों की तादाद कम हो उसको चाहिए कि वह घोड़ों के साथ रथों में बैलों को भी जोड़ कर काम ले । इसी प्रकार जिस राजा के

खरोष्ट्रशकटानां वा गर्भमल्पगजस्तथा ॥

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे युद्धभूमयः पश्यश्वरथहस्तिकर्माणि नाम
चतुर्थोऽध्यायः; आदितो द्वात्रिंशदुत्तरशततमः ।



पास हाथियों का अभाव हो वह अपनी सेना को गर्धों या ऊँटों द्वारा
चलाई जाने वाली गाड़ियों के बीच में सुरक्षित रखे ।

सांग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ५

पक्षकक्षोर-यानां बलाग्रतो व्यूह-
विभागः सारफल्गुबलविभागः,
पत्यश्चरथहरितयुद्धानि च

१. पञ्चधनुःशतावकृष्टदुर्गमवस्थाप्य युद्धमुपेयाद्, भूमिवशेन वा । विभक्तमुख्यामचक्षुर्विषये मोक्षयित्वा सेनां सेनापतिनायकौ व्यूहेयाताम् ।
२. शमान्तरं पत्तिं स्थापयेत् । त्रिशमान्तरमश्वम् । पञ्चशमान्तरं रथं, हस्तिनं वा । द्विगुणान्तरं त्रिगुणान्तरं वा व्यूहेत । एवं यथासुखमसम्बाधं युष्येत ।

पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहों का सेना के परिणाम के अनुसार व्यूहविभाग; सार तथा फल्गु बलों का विभाग; और चतुरंग सेना का युद्ध

१. युद्ध भूमि से पाँच-सौ धनुष के फासले पर छावनी डालनी चाहिए; अथवा भूमि के अनुसार भी छावनी की दूरी इससे ज्यादा या कम की जा सकती है । मुख्य सैनिकों को अलग-अलग करके उन्हें इस प्रकार छिपाया जाय, जिससे शत्रुओं को कुछ भी पता न लगने पावे । उसके बाद सेनापति और नायक, दोनों उस सेना की व्यूह-रचना को यथोचित ढंग से संपन्न करें ।
२. पैदल (पत्ति) सेना के प्रत्येक सिपाही को एक-एक शम (चौदह अंगुल) के फासले पर खड़ा किया जाय । इसी प्रकार घुड़सवार सिपाहियों को तीन-तीन शम के फासले पर; और रथारोहियों तथा हस्त्यारोहियों को पाँच-पाँच शम के अन्तर पर खड़ा किया जाय; अथवा भूमि की सुविधा-

१. पञ्चारत्नि धनुः, तस्मिन् घन्विनं स्थापयेत् । त्रिधनुष्यश्वम् पञ्चधनुषि रथं हस्तिनं वा । पञ्चधनुरनीकसन्धिः पक्षकक्षोर-स्यानाम् ।
२. अश्वस्य त्रयः पुरुषाः प्रतियोद्धारः, पञ्चदश रथस्य, हस्तिनो वा, पञ्च चाश्वाः । तावन्तः पादगोपाः वाजिरथद्विपानां विधेयाः ।
३. त्रीणि त्रिकाण्यनीकं रथानामुरस्यं स्थापयेत् । तावत् कक्षं पक्षं चोभयतः । पञ्चचत्वारिंशदेवं रथा व्यूहे भवन्ति ।

नुसार ही उनका फासला कम या ज्यादा किया जाय । ऐसी व्यूह-रचना करके निर्भीक होकर सुखपूर्वक युद्ध किया जाय ।

१. पाँच अरत्नि (हाथ) का एक धनुष होता है । धनुर्धारी योद्धाओं को पाँच हाथ के फासले पर खड़ा किया जाय । तीन धनुष (पंद्रह हाथ) के फासले पर अश्वारोहियों को और पाँच धनुष (पच्चीस हाथ) के फासले पर रथारोहियों को तथा हस्त्यारोहियों को खड़ा किया जाय । पक्ष (आगे घगल में खड़े होकर लड़ने वाली), कक्ष (आगे अवांतर भाग में खड़े होकर लड़ने वाली) और उरस्य (बीच में खड़े होकर लड़ने वाली) पाँचों सेनाओं को पाँच-पाँच धनुष के फासले पर खड़ा किया जाय ।
२. घुड़सवार सैनिक के आगे आगे सहायतार्थ तीन प्रतियोद्धाओं को नियुक्त किया जाय । इसी प्रकार रथारोहियों या हस्त्यारोहियों के आगे पंद्रह-पंद्रह प्रतियोद्धाओं अथवा पाँच-पाँच घुड़सवार सैनिकों को खड़ा किया जाय । हस्ति तथा अश्व के सैनिकों के उतने ही (पाँच) खिदमतगार (पादगोप) नियुक्त किए जाय । इसी प्रकार एक-एक रथ के आगे पाँच घोड़े, और एक-एक घोड़े के आगे तीन-तीन आदमी मिलाकर कुल पंद्रह प्रतियोद्धा आगे चलने वाले और पाँच सड़स; उसी तरह, हाथी के साथ भी समझने चाहिए ।
३. व्यूहरचना के मध्यभाग (उरस्य) में इस प्रकार के नौ रथों ($3 \times 3 = 9$) की नियुक्ति करनी चाहिए; अर्थात् तीन-तीन रथों की एक-एक पंक्ति बनाकर, तीन पंक्तियों में नौ रथों को खड़ा किया जाय । इसी प्रकार कक्ष

१. द्वे शते पञ्चविंशतिश्चाश्वाः, षट्शतानि पञ्चसप्ततिश्च पुरुषाः प्रतियोद्धारः । तावन्तः पादगोपा वाजिरथद्विपानाम् ।
२. एष समव्यूहः । तस्य द्विरथोत्तरा वृद्धिरा एकविंशतिरथादित्येवमोजा दश समव्यूहप्रकृतयो भवन्ति ।
३. पक्षकक्षोरस्यानामतो विषमसंख्याने विषमव्यूहः । तस्यापि द्विरथोत्तरा वृद्धिरा एकविंशतिरथादित्येवमोजा दशविषमव्यूह-प्रकृतयो भवन्ति ।
४. अतः सैन्यानां व्यूहशेषमावापः कार्यः । रथानां द्वौ त्रिभागा-चङ्गेष्वावापयेत् । शेषमुरस्यं स्थापयेत् । एवं त्रिभागोना

और पञ्च स्थानों में दोनों ओर नौ-नौ रथों को खड़ा किया जाय । इस तरह एक व्यूह-रचना में (९ उरस्य, १८ कक्ष और १८ पक्ष = ४५) पैंतालीस रथ हो जाते हैं ।

१. प्रत्येक रथ के आगे पाँच-पाँच घोड़े होने के कारण पैंतालिस रथों के आगे दोसौ-पच्चीस घोड़े होने चाहिए । इसी प्रकार प्रत्येक रथ के आगे पंद्रह सैनिक होने के कारण पैंतालीस रथों के आगे छः सौ पचहत्तर सैनिक एक-दूसरे की सहायतार्थ युक्त होने चाहिए । घोड़े, रथ और हाथियों के उतने ही साईंस भी होने चाहिए ।
२. इस ढंग से तैयार किए गए व्यूह को समव्यूह कहते हैं । ऐसे व्यूह में दो-दो रथ बढ़ाकर इक्कीस रथों तक की वृद्धि की जा सकती है । इस प्रकार के अयुग्म में तीन रथों से लेकर इक्कीस रथों तक दस तरह की समव्यूह रचना की जा सकती है ।
३. आगे पीछे और बीच के स्थानों में यदि रथों की विषम संख्या हो जाय तो उसको विषमव्यूह कहते हैं । ऐसे व्यूह में भी उक्त रीति से दो-दो रथ बढ़ाकर इक्कीस रथों तक की वृद्धि कर अयुग्म रूप से दस विषमव्यूहों की रचना की जा सकती है ।
४. इस प्रकार की व्यूह-रचना करने के बाद जो सेना बची रह जाय उसको भी व्यूह के भीतर इधर-उधर नियुक्त कर देना चाहिए । उस बची हुई सेना का दो-तिहाई भाग तो आगे-पीछे और बाकी एक हिस्सा बीच में ,

- रथानामावापः कार्यः । तेन हस्तिनामश्वानामावापो व्याख्यातः ।
१. यावदश्वरथद्विपानां युद्धसम्बाधं न कुर्यात्, तावदावापः कार्यः ।
 २. दण्डबाहुल्यमावापः । पत्तिबाहुल्यं प्रत्यावापः । एकाङ्गबाहुल्यमन्वावापः । दूष्यबाहुल्यमत्यावापः ।
 ३. परावापात् प्रत्यावापादाचतुर्गुणादाष्टगुणादिति वा विभवतः सैन्यानामावापः कार्यः ।
 ४. रथव्यूहेन हस्तिव्यूहो व्याख्यातः । व्यामिश्रो वा हस्तिरथाश्वानाम् । चक्रान्तयोर्हस्तिनः, पार्श्वयोरश्वमुख्याः, रथा

देना चाहिए । रथसैन्य में यदि कुछ बचे हुए रथ याद में मिलाने पड़ जायँ तो उनकी संख्या, व्यूह की सेना से एक-तिहाई कम होनी चाहिए । इसी तरह बचे हुए हाथी और घोड़ों को मिलाने के संबंध में भी समझ लेना चाहिए ।

१. जब तक युद्धकाल में घोड़े, रथ और हाथियों की पर्याप्त भीड़ न हो जाय तब तक उनमें बची हुई सेना को मिलाने रहना चाहिए ।
२. व्यूह-रचना के बाद बची हुई सेना को फिर से व्यूह में मिला लेने को अवाप कहते हैं । इस प्रकार केवल पैदल सेना ही मिलाई जाय तो उसे प्रत्यावाप कहते हैं । घोड़े, रथ या हाथी, इन तीनों में से किसी एक बचे हुए अंग को व्यूहरचना के बाद उसमें मिला देने को अन्वावाप कहते हैं । इसी प्रकार राजद्रोही सैनिकों के द्वारा व्यूहसेना बढ़ाये जाने का नाम अत्यावाप है ।
३. विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रुसेना की अपेक्षा चौगुने से लेकर अठगुने तक अपनी सेना में सैनिकों का अवाप करे; अथवा अपनी शक्ति के अनुसार अवाप द्वारा ही सेना को बढ़ाये ।
४. रथों की उक्त व्यूह-रचना के अनुसार ही हाथियों की व्यूहरचना भी समझ लेनी चाहिए । अथवा हाथी, रथ और घोड़ों को मिलाकर इस प्रकार की व्यूह-रचना की जानी चाहिए : सेना के सामने दोनों ओर हाथियों को खड़ा कर दिया जाय; पीछे के दोनों हिस्सों में बकिया घोड़ों को खड़ा किया जाय;

उरस्ये । हस्तिनामुरस्यं रथानां कक्षावश्वानां पक्षाविति मध्य-
भेदी । विपरीतोऽन्तर्भेदी ।

१. हस्तिनामेव तु शुद्धः । सान्नाहानामुरस्यम्, औपवाहानां
जघनं, व्यालानां कोट्याविति ।
२. अश्वव्यूहो वर्मिणामुरस्यं शुद्धानां कक्षपक्षाविति ।
३. पत्तिव्यूहः पुरस्तादावरणिन पृष्ठतो धन्विन इति । शुद्धाः ।
४. पत्तयः पक्षयोरश्वाः पार्श्वयोः, हस्तिनः पृष्ठतो रथाः पुरस्तात्,
परव्यूहवशेन वा विपर्यास इति । द्व्यङ्गबलविभागः । तेन
त्र्यङ्गबलविभागो व्याख्यातः ।

और बीच में रथों को खड़ा किया जाय । इसी व्यूह-रचना का एक दूसरा
रंग यह भी है कि मध्य में हाथी, पीछे की ओर रथ और आगे की ओर
घोड़े खड़े किए जाय । इस व्यूह रचना में हाथियों को मध्य भाग में रखने
के कारण मध्यभेदी कहते हैं । इसके विपरीत—पीछे हाथी, बीच में घोड़े
और आगे रथों की व्यूह-रचना को अंतर्भेदी कहते हैं ।

१. केवल हाथियों द्वारा की गई व्यूह-रचना को शुद्ध कहते हैं । ऐसे व्यूह
में युद्ध योग्य हाथियों को बीच में रखा जाय और जो उन्मत्त एवं दुष्ट
स्वभाव के हों उन्हें आगे के दोनों भागों में नियुक्त किया जाय ।
२. घोड़ों के शुद्ध व्यूह में कवचधारी घोड़ों को बीच में और कवचरहित घोड़ों
को आगे-पीछे रखना चाहिए ।
३. इसी प्रकार पैदल सेना के शुद्ध व्यूह में कवचधारी सैनिकों को आगे के
दोनों भागों में और धनुधारी सैनिकों को पीछे के दोनों भागों में खड़ा
किया जाय ।
४. मिश्र व्यूहों में सेना के दो दो अंगों को मिलाकर पैदल सिपाहियों को आगे
के दोनों भागों में और घोड़ों को पीछे के दोनों भागों में रखा जाय; अथवा
हाथियों को पीछे की ओर और रथों को आगे की ओर नियुक्त किया जाय;
या शत्रु की व्यूह-रचना के विपरीत्य में जैसा भी उचित हो वैसा किया
जाय । इस प्रकार सेना के दो अंगों द्वारा तीन प्रकार की व्यूह-रचना की
जा सकती है और इसी प्रकार सेना के तीन अंगों को लेकर व्यूह-रचना
का विभाग किया जा सकता है ।

१. दण्डसम्पत् सारबलं पुंसाम् ।

२. हस्त्यश्वयोर्विशेषः । कुलं जातिः सत्त्वं वयःस्थिता प्राणो वर्ष्म
जवस्तेजः शिल्पं स्थैर्यमुदग्रता विधेयत्वं सुव्यञ्जनाचारतेति ।

३. पत्न्यश्वरथद्विपानां सारत्रिभागमुरस्यं स्थापयेद्, द्वौ त्रिभागौ
कक्षं पक्षं चोभयतः । अनुलोममनुसारम् । प्रतिलोमं तृतीय-
सारम् । फल्गु प्रतिलोमम् । एवं सर्वमुपयोगं गमयेत् ।

४. फल्गुबलमन्तेष्ववधाय वेगोऽभिहतो भवति । सारबलमग्रतः
कृत्वा कोटीष्वनुसारं कुर्यात् । जघने तृतीयसारं, मध्ये फल्गु-
बलमेतत् सहिष्णु भवति ।

१. जो पैदल सेना वंश परंपरा से नियमित रूप से चली आ रही हो, जो नित्य
तथा वश में रहने वाली हो उसे सारबल कहते हैं ।

२. कुल, जाति, धैर्य, कार्यक्षमता, आयु, शारीरिक बल, ऊँचाई, चौड़ाई, वेग,
पराक्रम, युद्धनैपुण्य, स्थिरता, उन्नतशिर (उदग्रता), आज्ञाकारी, अनेक
शुभ लक्षणों और शुभ चेष्टाओं आदि विशेष गुणों से युक्त हाथी और घोड़ों
की सेना को सारबल कहते हैं ।

३. पैदल, घोड़े, रथ, हाथी के सारभूत बल के एक-तिहाई भाग को बीच में
और बाकी दो तिहाई भाग को आगे-पीछे स्थापित किया जाय । यह
सर्वोत्तम सेना के खड़े होने का प्रकार है । उत्तम सेना की अपेक्षा जो सेना
न्यूनशक्ति हो, उसे अनुसार कहा जाता है; ऐसी सेना के सारबल को पीछे
की ओर खड़ा करना चाहिए । इससे भी कुछ न्यूनशक्ति वाली तृतीय-
सार नामक सेना के सारबल को आगे की ओर खड़ा करना चाहिए ।
उससे भी निर्बल या वंश परंपरा से चले आते फल्गुबल को तृतीयसार
सेना के आगे खड़ा करना चाहिए । इस प्रकार सभी तरह की सेनाओं को
उपयोग में लाना चाहिए ।

४. फल्गुबल को आगे की ओर खड़ा करने से शत्रु के आक्रमण का सारा वेग
उसी के ऊपर शांत हो जाता है । सारबल को आगे, अनुसारबल को बगल
(कोटि), तृतीयसार को पीछे और फल्गुबल को बीच में करके भी व्यूह

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १५५-१५७, अध्याय ५

१. व्यूहं तु स्थापयित्वा पक्षकक्षोरस्यानामेकेन द्वाभ्यां वा प्रहरेत् । शेषैः प्रतिगृह्णीयात् ।
२. यत्परस्य दुर्बलं वीतहस्त्यश्वं दूष्यामात्यकं कृतोपजापं वा, तत्प्रभूतसारेणाभिहन्यात् । यद्वा परस्य सारिष्ठं तद्द्विगुणसारेणाभिहन्यात् । यदङ्गमल्पसारमात्मनस्तद्बहुनोपचिनुयात् । यतः परस्यापचयस्ततोऽभ्याशे व्यूहेत, यतो वा भयं स्यात् ।
३. अभिसृतं परिसृतमतिसृतमपसृतमुन्मथ्यावधानं वलयो गोमूत्रिका मण्डलं प्रकीर्णिका व्यावृत्तपृष्ठमनुवंशमग्रतः पार्श्वार्भ्यां

की रचना की जा सकती है; यह व्यूह भी शत्रु के आक्रमण को सहन करने वाला होता है ।

१. आगे, पीछे तथा बीच में व्यूह की यथोचित रचना करके तदनंतर सेना के एक अंग द्वारा या दो अंगों के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए और सेना के बाकी अंगों से शत्रु के आक्रमण को रोकना चाहिए ।
२. शत्रु की दुर्बल, हाथी-घोड़ों से रहित, राजद्रोही अमात्यों से युक्त भेद डाली हुई सेना को सारभूत सेना के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए, और शत्रु की सारभूत सेना को अपनी दुगुनी सारभूत सेना के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए । अपनी सेना के निर्वल अंग की सहायता के लिए अधिक सेना की नियुक्ति की जानी चाहिए । शत्रु सेना का जो निर्वल छोर हो उसी ओर से आक्रमण करना चाहिए; या जिस ओर से अपने ऊपर आक्रमण का भय हो उधर से ही व्यूह-रचना करनी चाहिए ।
३. अभिसृत (अपनी सेना से शत्रु की सेना की ओर जाना), परिसृत (शत्रु की सेना के चारों ओर घूम कर प्रहार करना), अतिसृत (शत्रु की सेना के बीच से सुई की तरह वेध कर निकल जाना), अपसृत (उभी मार्ग से दुबारा निकलना), बहुत से घोड़ों के द्वारा शत्रु सेना का मंथन करके फिर एकत्र हो जाना, दो तरफ से सुई के समान मार्ग बनाकर जाना, गोमूत्र के समान टेढ़ी गति से जाना (गोमूत्रिका), मंडल (शत्रु सेना के

पृष्ठतो भग्नरक्षा भग्नानुपातः इत्यश्वयुद्धानि ।

१. प्रकीर्णिकावर्जान्येतान्येव, चतुर्णामङ्गानां व्यस्तसमस्तानां वा घातः । पक्षकक्षोरस्यानां च प्रभञ्जनमवस्कन्दः सौप्तिकं चेति हस्तियुद्धानि ।
२. उन्मथ्यावधानवर्जान्येतान्येव स्वभूमावभियानापयानस्थित-युद्धानीति रथयुद्धानि ।
३. सर्वदेशकालप्रहरणमुपांशुदण्डश्चेति पत्तियुद्धानि ।
४. एतेन विधिना व्यूहानोजान् युग्मांश्च कारयेत् ।
विभवो यावदङ्गानां चतुर्णां सदृशो भवेत् ॥

बीच से निकल कर उसे घेर लेना), प्रकीर्णिका (सभी तरह की चारों का प्रयोग करना), अनुवंश (शत्रुसेना के सामने गई हुई अपनी सेना का अनुगमन करना) और भग्नानुपात (छिन्न-भिन्न हुई शत्रुसेना का पीछा करना), ये तेरह प्रकार के अश्वयुद्ध होते हैं ।

१. घोड़ों की प्रकीर्णिका गति को छोड़ कर शेष सभी युद्ध, बिखरे हुए या इकट्ठा हुए सेना के चारों अंगों का हनन करना, आगे, पीछे तथा मध्य में खड़ी हुई सेना को नष्ट करना, शत्रुसेना की निर्बलता पर प्रहार करना और सोती शत्रुसेना को मार डालना, ये सब हस्तियुद्ध हैं ।
२. उन्मथ्यावधान (अनेक हथियों के द्वारा शत्रुसेना को उन्मथित करके फिर उनका एकत्र हो जाना) को छोड़ कर बाकी सभी तरह के हस्तियुद्ध, अनुकूल भूमि में रह कर शत्रु पर आक्रमण करना, शत्रु सेना को पराजित कर भाग जाना, सुरक्षित शत्रुसेना के चारों ओर घेरा डाल कर उससे युद्ध करना, ये सब रथ युद्ध हैं ।
३. हर समय तथा हर स्थान में हथियारों को धारण करना और चुपचाप शत्रु सेना को नष्ट करना, ये सब पदाति (पैदल) युद्ध हैं ।
४. इस प्रकार विजिगीषु राजा को अयुग्म तथा युग्म व्यूहों की रचना करनी चाहिए । अपने हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल अंगों के अनुसार ही अपने व्यूहों की रचना करनी चाहिये ।

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १५५-१५७, अध्याय ५

१. द्वे शते धनुषां गत्वा राजा तिष्ठेत् प्रतिग्रहे ।
भिन्नसङ्घातनं तस्मान्न युध्येताप्रतिग्रहः ॥

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे पञ्चकक्षोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहविभागः
सारफल्गुबलविभागः पश्यश्वरथहस्तियुद्धानि चेति
पञ्चमोऽध्यायः; आदितस्त्रयत्रिंशदुत्तरशततमः ।



१. राजा को चाहिए कि युद्ध आरंभ हो जाने पर वह युद्धभूमि से दो-सौ धनुष की दूरी पर ठहरे । ऐसी स्थिति में वह शत्रु द्वारा छिन्न-भिन्न अपनी सेना को फिर एकत्र कर सकता है । इसलिए सेना के पृष्ठ भाग का आश्रय लिए बिना राजा को कदापि युद्ध न करना चाहिए ।

सांग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।



शुक्ररणा १५८-१५९

अध्याय ६

दण्डभोगमण्डलासंहतव्यूहव्यूहनं तस्य प्रतिव्यूहस्थापनं च

१. पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इत्यौशनसो व्यूहविभागः । पक्षौ कक्षा-
वुरस्यं प्रतिग्रहः इति वार्हस्पत्यः ।
२. प्रपक्षकक्षोरस्या उभयोर्दण्डभोगमण्डलासंहताः प्रकृतिव्यूहाः ।
तत्र तिर्यग्वृत्तिर्दण्डः । समस्तानामन्वावृत्तिर्भोगः । सर
सर्वतोवृत्तिर्मण्डलः । स्थितानां पृथगनीकवृत्तिरसंहतः ।

प्रकृतिव्यूह; विकृतिव्यूह और प्रतिव्यूह की रचना

१. आगे के दो हिस्से, बीच का एक हिस्सा और पीछे का एक हिस्सा—व्यूह
के चार विभाग शुक्राचार्य (उशना) ने किये हैं । आगे का एक हिस्सा,
पीछे दोनों ओर के दो-दो हिस्से, बीच का एक हिस्सा और पीछे का एक
हिस्सा व्यूह के ये छः विभाग आचार्य बृहस्पति ने किये हैं ।
२. शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों आचार्यों के मत से आगे, पीछे तथा बीच
में अलग-अलग खड़ी होने वाली सेनाओं के दण्ड, भोग, मण्डल और
असंहत नामों से चार प्रकार के व्यूह हुआ करते हैं । ये व्यूह प्रकृतिव्यूह
के नाम से कहे जाते हैं । उनमें से सेना को तिरछे में खड़ा करके जो व्यूह
बनाया जाता है उसे दण्डव्यूह कहते हैं । दोनों आचार्यों के उक्त चार
और छः विभागों द्वारा लगातार कई बार घुमाव डाल कर जो व्यूह बनाया
जाता है उसे भोगव्यूह कहते हैं । शत्रु की ओर जाती हुई सेनाओं का
चारों ओर से घिर कर आक्रमण करना मण्डलव्यूह कहलाता है । आक्र-
मण के लिए छोटी-छोटी सेनाओं को अलग-अलग टुकड़ियों में खड़ा करना
असंहतव्यूह कहलाता है ।

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १५८-१५९, अध्याय ६

१. पक्षकक्षोरस्यैः समं वर्तमानो दण्डः । स कक्षाभिक्रान्तः
प्रदरः; स एव पक्षाभ्यां प्रतिक्रान्तो दृढकः; स एवा-
तिक्रान्तः पक्षाभ्यामसह्यः; पक्षाववस्थाप्योरस्याभिक्रान्तः
श्येनः; विपर्यये चापं चापकुक्षिः प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठश्च ।
चापपक्षः सञ्जयः; स एवोरस्यातिक्रान्तो विजयः; स्थूल-
कर्णपक्षः स्थूलकर्णः; द्विगुणपक्षस्थूलो विशालविजयः;
त्र्यभिक्रान्तपक्षश्चमूसुखः; विपर्यये श्वास्यः । ऊर्ध्वराजि-
र्दण्डः सूची; द्वौ दण्डौ वलयः ; चत्वारो दुर्जयः । इति
दण्डव्यूहाः ।

१. आगे, पीछे तथा बीच में समानरूप से नियुक्त सेनाओं के व्यूह को दण्ड-
व्यूह कहते हैं। जब आगे के दोनों भागों से शत्रु पर आक्रमण किया
जाता है तो उस दण्डव्यूह को प्रदर व्यूह कहते हैं। जब पीछे की
सेना मुड़ कर शत्रु पर चार करे तो दण्डव्यूह की वह स्थिति दृढकव्यूह
के नाम से कही जाती है। पीछे की सेना जब बड़े वेग से शत्रु-सेना के
बीच में घुस जाय तब उस दृढकव्यूह को असह्यव्यूह कहते हैं। आगे-
पीछे के उपयुक्त भागों पर सेना को रखकर जब मध्यभाग के द्वारा सेना
पर आक्रमण किया जाता है तब उस व्यूह को श्येनव्यूह कहते हैं।
इन चार व्यूहों के सर्वथा विपरीत व्यूहों का नाम है क्रमशः चाप, चाप-
कुक्षि, प्रतिष्ठ और सुप्रतिष्ठ। जिस व्यूह के पिछले भाग चाप (धनुष)
के समान हों वह संजयव्यूह कहलाता है। जब बीच से शत्रु पर आक्र-
मण करके उसके बीच प्रवेश कर दिया जाता है, दण्डव्यूह की वह स्थिति
विजयव्यूह कहलाती है। विजयव्यूह की अपेक्षा जिसके पिछले हिस्से
दुगुने बड़े हों वह विशाल विजयव्यूह कहलाता है। जिस व्यूह के अगला,
दो पिछले और मध्यभाग, तीनों बराबर हों वह चमूसुखव्यूह कहलाता
है। इसके विपरीत होने पर वही चमूसुखव्यूह श्वास्य व्यूह कहलाता
है। जिस व्यूह की सेना ऊँची होकर शत्रु सेना पर आक्रमण करती है
उस दण्डव्यूह को सूचीव्यूह कहते हैं। जब आगे, पीछे और मध्य, तीनों
स्थानों में दो दण्डव्यूहों को तिरछा खड़ा किया जाय तब उसको वलय

१. पक्षकक्षोरस्यैर्विषमं वर्तमानो भोगः । स सर्पसारी गोमूत्रिका वा । स युग्मोरस्यो दण्डपक्षः शकटः; विपर्यये मकरः; हस्त्य-
श्वरथैर्व्यतिकीर्णः शकटः पारिपतन्तकः । इति भोगव्यूहाः ।
२. पक्षकक्षोरस्यानामेकीभावे मण्डलः । स सर्वतोमुखः सर्वतो-
भद्रः; अष्टानीको दुर्जयः । इति मण्डलव्यूहाः ।
३. पक्षकक्षोरस्यानाम् असंहतादसंहतः । स पञ्चानीकानामाकृति-
स्थापनाद्वज्रो गोधा वा । चतुर्णामुद्यानकः काकपदी वा ।
त्रयाणामर्धचन्द्रिकः कर्कटकशृङ्गी वा । इत्यसंहतव्यूहाः ।

व्यूह कहते हैं । यदि इसी प्रकार चार दण्डव्यूहों को खड़ा कर दिया जाय तो उसको दुर्जयव्यूह कहते हैं ।

१. आगे-पीछे आदि स्थानों के द्वारा विषम संख्या में रचा हुआ व्यूह भोग व्यूह कहलाता है । भोगव्यूह दो प्रकार का होता है । एक सर्पहारी और दूसरा गोमूत्रिका । जब उसका मध्य भाग दो भागों में बँटकर दण्डाकार दोनों ओर स्थित हो जाता है उस स्थिति में उसको शकटव्यूह कहा जाता है । इसकी विपरीतावस्था में वही व्यूह मकरव्यूह कहलाता है । हाथी, घोड़े और रथों से युक्त शकटव्यूह को पारिपतन्तकव्यूह कहते हैं ।
२. जिस व्यूह में आगे-पीछे और बीच के सभी विभाग एक साथ मिल जायँ उसको मंडलव्यूह कहते हैं । जब चारों ओर से शत्रु पर आक्रमण किया जाय तब वही मण्डलव्यूह की स्थिति सर्वतोभद्रव्यूह कहलाती है और जब उस व्यूह में आठ सेनायें मिलकर शत्रु पर आक्रमण करें तो वही व्यूह दुर्जयव्यूह कहलाता है ।
३. आगे-पीछे आदि की सेनाओं का तितर-वितर कर जो युद्ध किया जाता है उसे असंहतव्यूह कहते हैं । उसके दो प्रकार हैं : एक वज्र और दूसरा गोधा । जब आगे-पीछे की सभी सेनाओं को वज्र के आकार में खड़ा कर दिया जाता है तब उसे वज्रव्यूह और जब उन्हें गोध के आकार में खड़ा कर दिया जाता है तब उसे गोधाव्यूह कहते हैं । जब कि आगे के दोनों हिस्से, बीच का एक हिस्सा और अंत का एक हिस्सा इन चार स्थानों में उक्त प्रकार से सेना को खड़ा कर दिया जाता है तब उस

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १५८-१५९, अध्याय ६

१. रथोरस्यो हस्तिकक्षोऽश्वपृष्ठोऽरिष्टः ।
२. पत्तयोऽश्वा रथा हस्तिनश्चानुपृष्ठमचलः ।
३. हस्तिनोऽश्वा रथाः पत्तयश्चानुपृष्ठमप्रतिहतः ।
४. तेषां प्रदरं दृढकेन घातयेत् ; दृढकमसह्येन, श्येनं चापेन, प्रतिष्ठं सुप्रतिष्ठेन, सञ्जयं विजयेन, स्थूलकर्णं विशालविजयेन, पारिपतन्तकं सर्वतोभद्रेण । दुर्जयेन सर्वान् प्रतिव्यूहेत ।
५. पत्त्यश्वरथद्विपानां पूर्वं पूर्वमुत्तरेण घातयेत् । हीनाङ्गमधिकाङ्गेन चेति ।
६. अङ्गदशकस्यैकः पतिः पदिकः, पदिकदशकस्यैकः सेनापतिः,

असंहत व्यूह को उद्यानकव्यूह या काकपक्षीव्यूह कहते हैं । जब आगे के दोनों हिस्सों और बीच के एक हिस्से में सेना को खड़ा कर दिया जाता है तब उस व्यूह को अर्धचंद्रिक या कर्कटकशृङ्गीव्यूह कहते हैं । असंहत व्यूह के यही प्रमुख भेद हैं ।

१. व्यूहों के तीन भेद और हैं : अरिष्ट, अचल और अप्रतिहत । जिस व्यूह के मध्य में रथ, अंत में घोड़े और आदि में हाथी हों उसको अरिष्टव्यूह कहते हैं ।
२. जिस व्यूह में पैदल, हाथी, घोड़े और रथ एक-दूसरे के पीछे हों, उसे अचलव्यूह कहते हैं ।
३. जिस व्यूह में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल एक-दूसरे के पीछे हों, उसे अप्रतिहतव्यूह कहते हैं ।
४. उक्त व्यूहों में से प्रदर को दृढक से, दृढक को असह्य से, श्येन को चाप से, प्रतिष्ठ को सुप्रतिष्ठ से, संजय को विजय से, स्थूलकर्ण को विशालविजय से और पारिपतन्तक को सर्वतोभद्र से तोड़ा जाना चाहिए । दुर्जयव्यूह के द्वारा सभी व्यूहों को तोड़ा जाना चाहिए ।
५. पैदल, घोड़ा, रथ तथा हाथी इनको उत्तरोत्तर अंग से नष्ट करना चाहिए और हीन अंग को अधिक बलवान् अङ्ग से नष्ट करना चाहिए ।
६. दस रथ और दस हाथियों के अधिकारी को पदिक; दस पदिकों के अधिकारी को सेनापति; और दस सेनापतियों के अधिकारी को नायक

१. पक्षकक्षोरस्यैर्विषमं वर्तमानो भोगः । स सर्पसारी गोमूत्रिका वा । स युग्मोरस्यो दण्डपक्षः शकटः; विपर्यये मकरः; हस्त्य-श्वरथैर्व्यतिकीर्णः शकटः पारिपतन्तकः । इति भोगव्यूहाः ।
२. पक्षकक्षोरस्यानामेकीभावे मण्डलः । स सर्वतोमुखः सर्वतो-भद्रः; अष्टानीको दुर्जयः । इति मण्डलव्यूहाः ।
३. पक्षकक्षोरस्यानाम् असंहतादसंहतः । स पञ्चानीकानामाकृति-स्थापनाद्वज्रो गोधा वा । चतुर्णामुद्यानकः काकपदी वा । त्रयाणामर्धचन्द्रिकः कर्कटकशृङ्गी वा । इत्यसंहतव्यूहाः ।

व्यूह कहते हैं । यदि इसी प्रकार चार दण्डव्यूहों को खड़ा कर दिया जाय तो उसको दुर्जयव्यूह कहते हैं ।

१. आगे-पीछे आदि स्थानों के द्वारा विषम संख्या में रचा हुआ व्यूह भोग व्यूह कहलाता है । भोगव्यूह दो प्रकार का होता है । एक सर्पहारी और दूसरा गोमूत्रिका । जब उसका मध्य भाग दो भागों में बँटकर दण्डाकार दोनों ओर स्थित हो जाता है उस स्थिति में उसको शकटव्यूह कहा जाता है । इसकी विपरीतावस्था में वही व्यूह मकरव्यूह कहलाता है । हाथी-घोड़े और रथों से युक्त शकटव्यूह को पारिपतन्तकव्यूह कहते हैं ।
२. जिस व्यूह में आगे-पीछे और बीच के सभी विभाग एक साथ मिल जायँ उसको मण्डलव्यूह कहते हैं । जब चारों ओर से शत्रु पर आक्रमण किया जाय तब वही मण्डलव्यूह की स्थिति सर्वतोभद्रव्यूह कहलाती है और जब उस व्यूह में आठ सेनायें मिलकर शत्रु पर आक्रमण करें तो वही व्यूह दुर्जयव्यूह कहलाता है ।
३. आगे-पीछे आदि की सेनाओं का तितर-बितर कर जो युद्ध किया जाता है उसे असंहतव्यूह कहते हैं । उसके दो प्रकार हैं : एक वज्र और दूसरा गोधा । जब आगे-पीछे की सभी सेनाओं को वज्र के आकार में खड़ा कर दिया जाता है तब उसे वज्रव्यूह और जब उन्हें गोह के आकार में खड़ा कर दिया जाता है तब उसे गोधाव्यूह कहते हैं । जब कि आगे के दोनों हिस्से, बीच का एक हिस्सा और अंत का एक हिस्सा इन चार स्थानों में उक्त प्रकार से सेना को खड़ा कर दिया जाता है तब उस

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १५८-१५९, अध्याय ६

१. रथोरस्यो हस्तिकक्षोऽश्वपृष्ठोऽरिष्टः ।
२. पत्तयोऽश्वा रथा हस्तिनश्चानुपृष्ठमचलः ।
३. हस्तिनोऽश्वा रथाः पत्तयश्चानुपृष्ठमप्रतिहतः ।
४. तेषां प्रदरं दृढकेन घातयेत् ; दृढकमसह्येन, श्येनं चापेन, प्रतिष्ठं सुप्रतिष्ठेन, संजयं विजयेन, स्थूलकर्णं विशालविजयेन, पारिपतन्तकं सर्वतोभद्रेण । दुर्जयेन सर्वान् प्रतिव्यूहेत ।
५. पत्त्यश्वरथद्विपानां पूर्वं पूर्वमुत्तरेण घातयेत् । हीनाङ्गमधिकाङ्गेन चेति ।
६. अङ्गदशकस्यैकः पतिः पदिकः, पदिकदशकस्यैकः सेनापतिः,

असंहत व्यूह को उद्यानकव्यूह या काकपक्षीव्यूह कहते हैं । जब आगे के दोनों हिस्सों और बीच के एक हिस्से में सेना को खड़ा कर दिया जाता है तब उस व्यूह को अर्धचंद्रिक या कर्कटकशृङ्गीव्यूह कहते हैं । असंहत व्यूह के यही प्रमुख भेद हैं ।

१. व्यूहों के तीन भेद और हैं : अरिष्ट, अचल और अप्रतिहत । जिस व्यूह के मध्य में रथ, अंत में घोड़े और आदि में हाथी हों उसको अरिष्टव्यूह कहते हैं ।
२. जिस व्यूह में पैदल, हाथी, घोड़े और रथ एक-दूसरे के पीछे हों, उसे अचलव्यूह कहते हैं ।
३. जिस व्यूह में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल एक-दूसरे के पीछे हों, उसे अप्रतिहतव्यूह कहते हैं ।
४. उक्त व्यूहों में से प्रदर को दृढक से, दृढक को असह्य से, श्येन को चाप से, प्रतिष्ठ को सुप्रतिष्ठ से, संजय को विजय से, स्थूलकर्ण को विशालविजय से और पारिपतन्तक को सर्वतोभद्र से तोड़ा जाना चाहिए । दुर्जयव्यूह के द्वारा सभी व्यूहों को तोड़ा जाना चाहिए ।
५. पैदल, घोड़ा, रथ तथा हाथी इनको उत्तरोत्तर अंग से नष्ट करना चाहिए और हीन अंग को अधिक बलवान् अङ्ग से नष्ट करना चाहिए ।
६. दस रथ और दस हाथियों के अधिकारी को पदिक; दस पदिकों के अधिकारी को सेनापति; और दस सेनापतियों के अधिकारी को नायक

तद्दशकस्यैको नायक इति । स तूर्यघोषध्वजपताकाभिर्व्यू-
हाङ्गानां संज्ञाः स्थापयेद् अङ्गविभागे सङ्घाते स्थाने गमने
व्यावर्तने प्रहरणे च ।

१. समे व्यूहे देशकालसारयोगात् सिद्धिः ।
२. यन्त्रैरुपनिषद्योगैस्तीक्ष्णैर्व्यासक्तघातिभिः ।
मायाभिर्देवसंयोगैः शकटैर्हस्तिभूषणैः ॥
३. दूष्यप्रकोपैर्गोयूथैः स्कन्धावारप्रदीपनैः ।
कोटीजघनघातैर्वा दूतव्यञ्जनभेदनैः ॥
४. दुर्गं दग्धं हतं वा ते कोपः कुल्यः समुत्थितः ।
शत्रुराटविको वेति परस्योद्वेगमाचरेत् ॥


कहा जाता है । उस सर्वोच्चसत्ताधारी नायक को चाहिए कि वह विशेष वाद्य शब्दों द्वारा अथवा पताका-ध्वजाओं द्वारा व्यूह में खड़ी सेना के लिए सांकेतिक इशारों की व्यवस्था करे । युद्ध में खड़ी सेना को बिखराने के लिए, बिखरी हुई सेना को एकत्र करने के लिए, चलती हुई सेना को रोकने के लिए, रुकी हुई सेना को चलाने के लिए तथा आक्रमण करती हुई सेना को लौट आने के लिए यथावसर उक्त संकेतों का प्रयोग किया जाय ।

१. शत्रु सेना और अपनी सेना में बराबर की व्यूह रचना होने पर देश, काल और योग के अनुसार विजय प्राप्त की जानी चाहिए ।
२. जामदग्न्य आदि यंत्र, औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपाय, तीक्ष्ण आदि गुप्तचरों, छल, कपट, ज्योतिष और हाथी के योग्य वेधों से ठके हुए रथ, आदि के द्वारा शत्रु सेना को उद्विग्न करना चाहिए ।
३. शत्रु के दूष्यों में कोप पैदा कर के, आगे गायों का झुंड खड़ा करके, छावनी में आग लगा के सेना के आगे-पीछे छापा मारकर, गुप्तचरों को शत्रु सेना में घुसाकर शत्रु सेना को बेचैन करना चाहिए ।
४. 'तेरे दुर्ग को आग लगा दी गई है, तेरे दुर्ग को जीत लिया गया है, तेरे कुल का ही कोई व्यक्ति तेरे विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, तेरा सामंत युद्ध के

दसवाँ अधिकरण : प्रकरण १५८-१५९, अध्याय ६

१. एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुः क्षिप्तो धनुष्मता ।
प्राज्ञेन तु मतिः क्षिप्ता हन्याद् गर्भगतानपि ॥

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे दण्डभोगमण्डलासंहतव्यूहव्यूहनं तस्य
प्रतिव्यूहस्थापनं चेति षष्ठोऽध्यायः; आदितश्चतुस्त्रिंशदधिकशततमः ।
समाप्तमिदं सांग्रामिकं दशममधिकरणम् ।



लिए तैयार हो गया है, तेरा भाटविक तेरे विरुद्ध उठ आया है, आदि
अफवाहों को उड़ाकर भी विजिगीषु शत्रु सेना को उद्विग्न कर सकता है ।

१. धनुर्धारी के धनुष से छोड़ा गया बाण, संभव है किसी एक व्यक्ति को ही
मार डाले या न भी मारे; किन्तु बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किया गया
बुद्धि का प्रयोग गर्भस्थ प्राणियों को भी नष्ट कर देता है । इसलिए युद्ध की
अपेक्षा बुद्धि को ही अधिक शक्ति-संपन्न समझना चाहिए ।

सांग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त ।



**संघवृत्त
ग्यारहवाँ अधिाकरण**

संस्करण १६०-१६१

अध्याय १

भेदोपादानानि, उपांशुदण्डश्च

१. सङ्घलाभो दण्डमित्रलाभानामुत्तमः । सङ्घा हि संहतत्वादधृष्याः परेषाम् । ताननुगुणान् भुञ्जीत सामदानाभ्याम् । विगुणान् भेद-दण्डाभ्याम् ।
२. काम्बोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजीविनः । लिच्छिविकव्रजिकमल्लकमद्रककुक्कुरपाञ्चालादयो राजशब्दोपजीविनः ।
३. सर्वेषामासन्नाः मत्रिणः सङ्घानां परस्परन्यङ्गद्वेषवैरकलहस्थानान्युपलभ्य क्रमाभिनीतं भेदमुपचारयेयुः—‘असौ त्वा विज-

भेदक प्रयोग और उपांशुदण्ड

१. भेदक प्रयोग : संघलाभ, सेनालाभ और मित्रलाभ, इन तीनों में संघलाभ उत्तम है; क्योंकि संगठित होने से संघों को शत्रु दबा नहीं पाता है । इन संघों के अनुकूल होने पर विजिगीषु को साम और दान के द्वारा उनका उपभोग करना चाहिए और प्रतिकूलावस्था में भेद तथा दण्ड के द्वारा उनका उपभोग करना चाहिए ।
२. काम्बोज और सौराष्ट्र देशों के क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्गों के संघ कृषि, व्यापार और शास्त्र के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं । लिच्छिविक, व्रजिक मल्लक, मद्रक, कुक्कुर, कुरु और पांचाल देशों के राजाओं के केवल नाममात्र के संघ होते हैं ।
३. विजिगीषु को चाहिए कि उक्त सभी प्रकार के संघों में अपने सत्रो नामक गुप्तचरों को नियुक्त करे और वे सत्री उन संघों के पारस्परिक दोष, द्वेष, वैर और कलह के कारणों को पकड़ कर धीरे-धीरे उन्हें प्रकाश में लाकर उन संघों में इस तरीके से कि ‘भसुक संघ आप की ऐसी निंदा

ल्पति' इति । एवमुभयतः । बद्धरोषाणां विद्याशिल्पघृतवैहारि-
केष्व्वाचार्यव्यञ्जना बालकलहानुत्पादयेयुः । वेशशौण्डिकेषु वा
प्रतिलोमप्रशंसाभिः सङ्घमुख्यमनुष्याणां तीक्ष्णाः कलहानुत्पा-
दयेयुः । कृत्यपक्षोपग्रहेण वा ।

१. कुमारकान् विशिष्टच्छन्दिकया हीनच्छन्दिकानुत्साहयेयुः ।
२. विशिष्टानां चैकपात्रं विवाहं हीनेभ्यो वारयेयुः । हीनान् वा
विशिष्टैरेकपात्रे विवाहे वा योजयेयुः । अवहीनान् वा तुल्य-
भावोपगमने कुलतः पौरुषतः स्थानविपर्यासतो वा । व्यवहार-
मवस्थितं वा प्रतिलोमस्थापनेन निशामयेयुः । विवादपदेषु
वा द्रव्यपशुमनुष्याभिघातेन रात्रौ तीक्ष्णाः कलहानुत्पादयेयुः ।

करता है' भेद डाल दे । इसी प्रकार दूसरे को भी पहिले के विरुद्ध भड़काने
का यत्न करे । परस्पर द्वेष रखने वाले संघों के राजकुमारों के कपटी
भाचार्य बनकर गुप्तचर विद्या, शिल्प, घृत और प्रश्नोत्तर आदि के विषय में
कलह उत्पन्न करा दे । अथवा वेश्या तथा सुरापान आदि में आसक्त संघ के
मुख्य व्यक्तियों की उल्टी प्रशंसा कराकर तीक्ष्ण गुप्तचर उनमें कलह
उत्पन्न करा दें । अथवा संघमुख्यों के प्रति जो कुछ, लुब्ध या भीत आदि
भृत्य व्यक्ति हों उनको अपने वश में करके फिर संघों के साथ उनका
कलह करा दे ।

१. संघ के राजकुमारों में जो अधिक साधनसंपन्न होकर सुखपूर्वक रहते हों
उनके मुकाबले में असंपन्न राजकुमारों को भड़का दे ।
२. गुप्तचरों को चाहिए कि वे संघ के विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी अपेक्षा
हीन व्यक्तियों के साथ एक पंक्ति में बैठ कर भोजन करने तथा विवाहादि
संबंध करने से वर्जित करें । अथवा हीन व्यक्तियों को विशिष्ट व्यक्तियों
के साथ एक पंक्ति में भोजन करने तथा विवाहादि संबंध करने के लिए
प्रेरित करें । अथवा छोटी हैसियत के व्यक्तियों को बड़ी हैसियत के
व्यक्तियों के बराबर खानदानी या बहादुरी या स्थानांतर के लिए उत्साहित
करें । अथवा संघ द्वारा किसी विवादास्पद विषय का निर्णय किए जाने
पर जो निर्णय हुआ हो उसके विपरीत ही वादी को जाकर सुनायें । अथवा

ग्यारहवाँ अधिकरण : प्रकरण १६८-१६९, अध्याय १

सर्वेषु च कलहस्थानेषु हीनपक्षं राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृह्य
प्रतिपक्षवधे योजयेत् , भिन्नानपवाहयेद्वा । एकदेशे समस्तान्
वा निवेश्य भूमौ चेषां पञ्चकुलीं दशकुलीं वा कृष्यां निवेश-
येत् । एकस्था हि शस्त्रग्रहणसमर्थाः स्युः । समवाये चैषा-
मत्ययं स्थापयेत् ।

१. राजशब्दिभिरवरुद्धमवक्षिप्तं वा कुल्यमभिजातं राजपुत्रत्वे स्था-
पयेत् । कार्तान्तिकादिश्चास्य वर्गो राजलक्षण्यतां सङ्घेषु प्रकाश-
येत् । सङ्घमुख्यांश्च धर्मिष्ठानुपजपेत्—‘स्वधर्मममुष्य राज्ञः

रात में तीव्र गुप्तचर स्वयं ही किसी संघ के द्रव्य, पशु तथा मनुष्यों को
नष्ट कर उसको दूसरे संघ वालों का कार्य बताकर प्रचार करे और इस
प्रकार के विवादास्पद विषयों को उठाकर उनको आपस में लड़ा दे । जब
इस प्रकार के कलह संघों में उत्पन्न हों, तो विजिगीषु को चाहिए कि वह
किसी पक्षपात रहित संघ के व्यक्ति को कोप तथा दण्ड के द्वारा अपने
वश में कर उससे अपने शत्रु का वध करा डाले । अथवा संघ के विरुद्ध
हुए उन व्यक्तियों को संघ से अलग करा दे । अथवा उनको किसी एक
प्रदेश में इकट्ठा कर पाँच-पाँच, दस-दस समूहों के छोटे छोटे गाँवों में
बसा दे । क्योंकि यदि उन्हें एक साथ ही बसा दिया जायगा तो संभव है
वे लोग फिर कभी अवसर आने पर विजिगीषु के विरुद्ध हथियार उठाने में
समर्थ हो सकें, इसलिए उनकी आबादी के बीच में थोड़ी थोड़ी सेना
नियुक्त कर दे ।

१. विजिगीषु को चाहिए कि वह नाममात्र को राजा कहलाने वाले लिच्छिवी
आदि क्षत्रिय-संघों से अवरुद्ध या तिरस्कृत, उच्चकुलोत्पन्न गुणी व्यक्ति को
राजपुत्र के रूप में नियुक्त करे और संबंधित ज्योतिषी तथा सामुद्रिक
लिच्छिवी-संघों में जाकर उस राजपुत्र को राज-लक्षणों से युक्त प्रकाशित
करें । उन संघों के जो मुख्य धार्मिक व्यक्ति हैं उनको इस प्रकार बहकाया
जाय कि ‘अमुक राजपुत्र या राजमाता को संघ के लोग कैद में डाल कर
बहुत कष्ट दे रहे हैं; आप ही इस बीच धर्मात्मा व्यक्ति हैं, इसलिए आप ही
उस निर्दोष राजपुत्र की रक्षा करें ।’ जब संघ के मुख्य लोग इस बात को

पुत्रे भ्रातरि वा प्रतिपद्यध्वम्' इति । प्रतिपन्नेषु कृत्यपक्षोप-
ग्रहार्थमर्थं दण्डं च प्रेषयेत् ।

१. विक्रमकाले शौण्डिकव्यञ्जनाः । पुत्रदारप्रेतापदेशेन 'नैषेच-
निकम्' इति मदनरसयुक्तान् मद्यकुम्भान् शतशः प्रयच्छेयुः ।
२. चैत्यदैवतद्वाररक्षास्थानेषु च सत्रिणः समयकर्मनिक्षेपं सहिर-
ण्याभिज्ञानमुद्राणि हिरण्यभाजनानि च प्ररूपयेयुः, दृश्यमानेषु
च सङ्घेषु 'राजकीयाः' इत्यावेदयेयुः । अथावस्कन्दं दद्यात् ।
३. सङ्घानां वा वाहनहिरण्ये कालिके गृहीत्वा संघमुख्याय प्रख्यातं
द्रव्यं प्रयच्छेत् । तदेषां याचिते 'दत्तममुष्मै मुख्याय' इति
ब्रूयात् ।

स्वीकार कर लें तब क्रुद्ध, लुब्ध एवं भीत कृत्य व्यक्तियों को अपने अनुकूल
बनाने के लिए संघ के मुख्य व्यक्तियों के पास सहायतार्थ धन तथा सेना
भेजी जाय ।

१. जब युद्ध की तैयारी हो जाय तब शराव बेचने वाले छद्मवेष गुप्तचर अपने
स्त्री पुत्रों के मर जाने का बहाना बनाकर 'यह नैषेचनिक मद्य है, अपने
दिवंगत स्त्री-पुत्रों के निमित्त इसको हम आप लोगों के लिए भेंट करते हैं'
ऐसा कह कर विपरस से भरे हुए सैकड़ों घड़े लाकर उन्हें थमा दें ।
२. देवालय तथा अन्य पवित्र स्थानों के दरवाजों पर और रक्षास्थानों में सभी
गुप्तचर संघ के मुखिया के साथ शर्त के तौर पर अमानत के रूप में दिया
जाने वाला धन, अभिज्ञात सुवर्ण मुद्रा सहित तथा अन्य सुवर्ण के पात्र
आदि वस्तुओं को संघ के अन्य व्यक्तियों के समक्ष इस प्रकार प्रकट करें
कि वे इस बात को जान लें । बात के खुल जाने पर जय संघ के लोग यह
पूछें कि 'यह सुवर्ण का सामान किसका है ?' तब उनको उत्तर दिया
जाय कि 'यह राजा का है ।' इस प्रकार संघों में पारस्परिक फूट पड़ जाने के
बाद विजिगीषु फौरन उन पर धावा बोल दे ।
३. अथवा सभी गुप्तचर किसी बहाने से संघ के लोगों से घोड़े, सवारी तथा
हिरण्य आदि को नियत समय पर वापिस कर देने के वायदे पर ले ले,
और समय आने पर सब लोगों के सामने उस सामान को संघ के मुखिया को

ग्यारहवाँ अधिकरण : प्रकरण १६०-१६१, अध्याय १

१. एतेन स्कन्धावाराटवीभेदो व्याख्यातः ।
२. सङ्घमुख्यपुत्रमात्मसंभावितं वा सत्री ग्राहयेत्—'अमुष्य राज्ञः पुत्रस्त्वं शत्रुभयादिह न्यस्तोऽसि' इति । प्रतिपन्नं राजा कोश-दण्डाभ्यामुपगृह्य सङ्घेषु विक्रमयेत् ; अवाप्तार्थस्तमपि प्रवासयेत् ।
३. वन्धक्रीपोषकाः प्लवकनटनर्तकसौभिका वा प्रणिहिताः स्त्रीभिः परमरूपयौवनाभिः संघमुख्यानुन्मादयेयुः । जातकामानामन्यतमस्य प्रत्ययं कृत्वाऽन्यत्र गमनेन प्रसभहरणेन वा कलहानुत्पादयेयुः । कलहे तीक्ष्णाः कर्म कुर्युः—हतोऽयमित्थं कामुकः' इति ।

वापिस कर दे । जब वे लोग उससे अपना सामान माँगे तो कह दे कि 'वह सामान मुखिया को वापिस कर दिया गया है ।' इस रीति से सभी गुप्तचर, संघ के लोगों और मुखिया के बीच भेद डाल दें ।

- १ अपनी छावनी में प्रविष्ट आटविक लोगों को परस्पर फोड़ने के लिए भी उक्त उपायों को ही उपयोग में लाना चाहिए ।
२. उपांशु वध : संघ मुख्य के अभिमानी पुत्र को सभी गुप्तचर यह कह कर बहकायें कि 'तू अमुक राजा का पुत्र है, शत्रु भय से यहाँ रख दिया गया है' । यदि संघ मुख्य का पुत्र इस बात को मान जाय तो उसको कोष और सेना की सहायता देना संघों के ऊपर आक्रमण के लिए भेज दिया जाय । उसके द्वारा जब अपने कार्य की सिद्धि हो जाय तो बाद में उसको भी प्रवासित कर दिया जाय या मार दिया जाय ।
- ३ कुलटा स्त्रियों का पालन-पोषण करने वाले या प्लवक, नट, नर्तक और सौभिक वेप में रहने वाले गुप्तचर अत्यंत सुन्दरी यौवन-संपन्न स्त्रियों के द्वारा संघमुख्यों को प्रमादी बनायें । जब स्त्रियों में बहुत से संघमुख्यों की आसक्ति हो जाय तो उनमें से किसी एक को किसी सांकेतिक स्थान पर स्त्री से मिलने का वायदा कर, ठीक समय पर उस स्त्री को वहाँ से किसी दूसरे संघमुख्य के द्वारा अन्यत्र भिजवा दें या उसके द्वारा अपहरण करा दें और बाद में इसी निमित्त उन संघ मुख्यों का परस्पर झगड़ा करा

१. विसंवादितं वा मर्षयमाणमभिसृत्य स्त्री ब्रूयात्—असौ मां मुख्यस्त्वयि जातकामां वाधते, तस्मिन् जीवति नेह स्थास्यामि' इति घातमस्य प्रयोजयेत् ।
२. प्रसह्यापहृता वा वनान्ते क्रीडागृहे वापहर्तारं रात्रौ तीक्ष्णेन घातयेत् । स्वयं वा रसेन । ततः प्रकाशयेद्—'अमुना मे प्रियो हतः' इति ।
३. जातकामं वा सिद्धव्यञ्जनः सांवननिकीभिरोषधीभिः संवास्य रसेनातिसन्धायापगच्छेत् । तस्मिन्नपक्रान्ते सत्रिणः परप्रयोगमभिशंसेयुः ।

दें। झगड़ा होने पर तीक्ष्ण गुप्तचर उनमें से किसी एक संघ मुख्य को मार डालें और बाद में यह भफवाह उड़ा दें कि एक कामी पुरुष ने दूसरे कामी पुरुष का वध कर डाला है ।

१. यदि उन संघमुख्यों में एक व्यक्ति स्त्री के लिए झगड़ा न करना चाहे तो उसके पास जाकर वह स्त्री कहे 'आपके प्रति मेरी दिली खाहिश होने पर भी अमुक संघमुख्य मुझे आपके पास आने से रोकता है । उसके जीवित रहते मैं आपके पास न आ सकूँगी' ; इस प्रकार दूसरे संघमुख्य के वध का आयोजन किया जाय ।
२. अथवा बलात् अपहृत स्त्री तीक्ष्ण गुप्तचर द्वारा अपने अपहरण करने वाले व्यक्ति को मरवा डाले; अथवा स्वयं ही उसे विष देकर मार डाले । तदनंतर यह भफवाह फैलाये कि 'अमुक संघमुख्य कामुक व्यक्ति ने मेरे प्रियतम को मार डाला है ।'
३. अथवा संघमुख्य जब उस स्त्री पर आसक्त हो जाय तो सिद्ध के वेष में रहने वाला गुप्तचर उस स्त्री पर वशीकरण मंत्र प्रयोग करने के बहाने संघमुख्य व्यक्ति को विषमिश्रित औषधियाँ देकर मार डाले और स्वयं वहाँ से भाग जाय । उसके भाग जाने पर सभी गुप्तचर इस भफवाह को उड़ाये कि 'प्रतिद्वंद्वी किसी कामी पुरुष की प्रेरणा से ही सिद्ध-पुरुष के द्वारा इसको विष देकर मारा है ।'

ग्यारहवाँ अधिकरण : प्रकरण १६०-१६१, अध्याय १

१. आढथविधवा गूढाजीवा योगस्त्रियो वा दायनिक्षेपार्थं विवद-
मानाः संघमुख्यानुन्मादयेयुः इति । अदितिकौशिकस्त्रियो
नर्तकीगायना वा प्रतिपन्नान् गूढवेश्मसु रात्रिसमागमप्रविष्टां-
स्तीक्ष्णा हन्युर्बद्ध्वा हरेयुर्वा ।
२. सत्री वा स्त्रीलोलुपं सङ्घमुख्यं प्ररूपयेत्—‘अमुष्मिन् ग्रामे दरि-
द्रकुलमपसृतं, तस्य स्त्री राजार्हा, गृहाणैनाम्’ इति । गृहीता-
यामर्धभासान्तरं सिद्धव्यञ्जनो दूष्यः सङ्घमुख्यमध्ये प्रक्रो-
शेत्—‘असौ मे मुख्यां भार्यां स्नुषां भगिनीं दुहितरं वाधि-
चरति’ इति । तं चेत्सङ्घो निगृह्णीयात्, राजैनमुपगृह्य

१. कोई धनी विधवा, गूढाजीवा (गरीबी के कारण व्यभिचार करने वाली सधवा), या स्त्री का कपटवेष धारण करने वाले पुरुष दायभाग या भमानत आदि का विवाद लेकर निर्णय के बहाने संघमुख्यों के पास जाकर उन्हें अपने वश में कर ले । अथवा अदिति (तरह-नरह के देवताओं के चित्र दिखाकर जीविका कमाने वाली) स्त्रियाँ, या कौशिक स्त्रियाँ (सपेरों की स्त्रियाँ) या नाचने-गाने वाली स्त्रियाँ ही संघमुख्यों को अपने वश में करें । जब संघमुख्य उन स्त्रियों के जाल में फँस जायँ और उनसे सम्भोग करने के लिए किसी निश्चित स्थान का संकेत कर दें, तब एकांत में उन स्थानों पर रात में संभोग करते हुए संघमुख्यों को तीक्ष्ण गुप्तचर मार डाले या बाँध कर उनका अपहरण कर लें ।

२. अथवा स्त्रीलोलुप संघमुख्य को सभी गुप्तचर यह कह कर बहकायें कि ‘अमुक गाँव का एक गरीब व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए विदेश चला गया है । उसकी रूपवती स्त्री राजा के योग्य है । आप उसको ले लें ।’ यदि वह संघमुख्य उस स्त्री को ग्रहण कर ले तो पन्द्रह दिन के बाद सिद्ध-वेषधारी दूष्य पुरुष संघमुख्यों के पास आकर शोर मचाता हुआ इस प्रकार कहे ‘यह संघमुख्य मेरी पत्नी या पुत्रवधू या बहिन या लड़की को बलात् उपभोग करता है ।’ इस बात को सुनकर संघ के लोग यदि उस संघ-मुख्य को गिरफ्तार कर लें तो विजिगीषु राजा उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी ओर मिलाकर, विरोधी संघों के साथ उसको युद्ध करने के लिए

विगुणेषु विक्रमयेत् । अनिगृहीते सिद्धव्यञ्जनं हि रात्रौ तीक्ष्णाः प्रवासयेयुः । ततस्तद्व्यञ्जनाः प्रक्रोशेयुः—असौ ब्रह्महा ब्राह्मणीजारश्च' इति ।

१. कार्तान्तिकव्यञ्जनो वा कन्यामन्येन वृतामन्यस्य प्ररूपयेत्— 'अमुष्य कन्या राजपत्नी राजप्रसविनी च भविष्यति, सर्वस्वेन प्रसह्य वैनां लभस्व' इति । अलभ्यमानायां परपक्षमुद्धर्षयेत् । लब्धायां सिद्धः कलहः ।
२. भिक्षुको वा पियभार्यं मुख्यं त्रूयात्— 'असौ ते मुख्यो यौवनो-त्सिक्तो भार्यायां मां प्राहिणोत् ; तस्याहं भयाल्लेख्यमाभ-

खड़ा कर दे । यदि उसको गिरफ्तार न किया जाय तो सिद्ध के वेप में आये हुए उस दूप्य पुरुष को तीक्ष्ण गुप्तचर रात में मार डालें । उसके बाद वही तीक्ष्ण गुप्तचर सिद्ध का वेप धारण कर यह शोर मचाये कि 'अमुक संघमुख्य ब्रह्म-हत्यारा है । यह ब्राह्मणी का बलात् उपभोग करता है और इसी ने ब्राह्मण को भी मार डाला है ।'

१. ज्योतिषी के वेप में रहने वाले सभी गुप्तचर किसी दूसरे संघमुख्य द्वारा वरण की हुई कन्या को किसी दूसरे ही संघमुख्य के लिए बतलाकर उससे कहे कि 'अमुक व्यक्ति की कन्या से जो व्याह करेगा वह राजा होगा और उससे जो पुत्र होगा वह भी राजा बनेगा । इसलिए अपना सर्वस्व लगाकर अथवा बलात्कार द्वारा ही उसको अवश्य प्राप्त करो ।' इसके बाद यत्न करने पर भी यदि वह संघमुख्य उस कन्या को प्राप्त न कर सके तो जिस घर में उस कन्या का विवाह हुआ है उन लोगों को इसके विरुद्ध उभाड़े । यदि वह कन्या को प्राप्त कर ले तब दोनों संघमुख्यों में झगड़ा होना निश्चित है ।
२. अथवा भिक्षुकी के वेप में रहने वाली गुप्तचर पर किसी ऐसे संघमुख्य के पास, जो कि अपनी स्त्री पर बुरी तरह आसक्त है, जाकर यह कहे 'अपने यौवन के अभिमान में अमुक संघमुख्य ने आपकी स्त्री के साथ समागम करने की इच्छा से दूती बनाकर मुझे भेजा है, भय से विवश होकर यह प्रेमपत्र और यह आभूषण आदि उपहार लेकर मुझे यहाँ आना पड़ा है । आपकी पत्नी सर्वथा निर्दोष है । इसलिए आप चुपचाप ही उस संघमुख्य

ग्यारहवाँ अधिकरण : प्रकरण १६०-१६१, अध्याय १

रणं गृहीत्वाऽऽगतास्मि, निर्दोषा ते भार्या; गूढमस्मिन् प्रति-
कर्तव्यम् । अहमपि तावत्प्रतिपत्स्यामि' इति । एवमादिषु कल-
हस्थानेषु स्वयमुत्पन्ने वा कलहे तीक्ष्णैरुत्पादिते वा हीनपक्षं
राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृह्य विगुणेषु विक्रमयेदपवाहयेद् वा ।

१. सङ्घेष्वेवमेकराजो वर्तेत । सङ्घाश्चाप्येवमेकराजादेतेभ्योऽतिस-
न्धानेभ्यो रक्षयेद्युः ।

२. सङ्घमुख्यश्च सङ्घेषु न्यायवृत्तिहितः प्रियः ।
दान्तो युक्तजनस्तिष्ठेत्सर्वचित्तानुवर्तकः ॥

इति संघवृत्ते एकादशेऽधिकरणे भेदोपादानानि उपांशुदण्डश्चेति प्रथमोऽध्यायः;
आदितः पञ्चत्रिंशदधिकशततमः ।

समाप्तमिदं संघवृत्तं नाम एकादशमधिकरणम् ।



का बध कर डालें । जब तक उसकी हत्या नहीं की जायगी तब तक डर के
मारे मैं भी यहाँ से नहीं जा सकती हूँ ।' इस प्रकार कलह के कारणों के
उत्पन्न होने पर अथवा तीचग आदि गुप्तचरों द्वारा उत्पन्न किये जाने पर
कमजोर संघमुख्य को विजिगीषु कोप तथा सेना की यथोचित सहायता दे
कर अपने बश में कर ले और अवसर आने पर उसे विरोधी संघमुख्यों के
मुकाबले में युद्ध के लिए तैयार कर दे । यदि वह युद्ध करने में असमर्थ हो
तो उसे अपने देश से बाहर कर दे ।

१. इस प्रकार विजिगीषु उन संघमुख्यों पर अपना आधिपत्य जमाये रखे और
संघों को भी उचित है कि वे इस प्रकार की चेष्टा करने वालों तथा उनके
द्वारा फैलाये गये षड्यंत्रों से अपनी रक्षा करते रहें ।

२. अतः संघमुख्य को चाहिए कि वह संघों के बीच में न्यायपूर्ण हितकारी
और प्रिय व्यवहार करे । कभी भी उद्धत होकर बर्ताव न करे और अपने
अनुकूल व्यक्तियों को सदा अपने समीप रखे तथा सब संघों के व्यक्तियों की
राय से राज-व्यवहार चलाये ।

संघवृत्त नामक ग्यारहवें अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।





आबलीयस
नारहनाँ अधिकरसा

प्राक्करण १६२

अध्याय १

दूतकर्माणि

१. वलीयसाऽभियुक्तो दुर्बलः सर्वत्रानुप्रणतो वेतसधर्मा तिष्ठेत् ।
'इन्द्रस्य हि स प्रणमति यो वलीयसो नमति' इति भारद्वाजः ।
२. 'सर्वसन्दोहेन वलानां युध्येत, पराक्रमो हि व्यसनमपहन्ति ।
स्वधर्मश्चैष क्षत्रियस्य, युद्धे जयः पराजयो वा' इति विशालाक्षः ।
३. नेति कौटिल्यः । सर्वत्रानुप्रणतः कुलैडक इव निराशो जीविते
वसति । युध्यमानश्चाल्पसैन्यः समुद्रमिवाप्लवोऽवगाहमानः

दूतकर्म

१. 'जब किसी दुर्बल राजा पर कोई बलवान् राजा आक्रमण करे तो उसे चाहिए कि वह हर प्रकार का अपमान सहन करता हुआ उसके सामने वेत की तरह झुक जाय । जो अपने से बलवान् राजा के सामने झुकता है, वह दंड के सामने झुकता है'-यह आचार्य भारद्वाज का मत है ।
२. किन्तु इसके विरुद्ध आचार्य विशालाक्ष की राय है कि 'दुर्बल राजा को चाहिए कि वह अपनी सारी सैन्य-शक्ति को लगाकर बलवान राजा के साथ युद्ध करे; क्योंकि पराक्रम ही आपत्तियों को नष्ट करता है और पराक्रम तो क्षत्रिय का धर्म है । युद्ध में विजय हो या पराजय, क्षत्रिय को अपने क्षात्रधर्म का पालन करना चाहिए; शत्रु के आगे कदापि न झुकना चाहिए ।'
३. किन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त दोनों मतों से सहमत नहीं है । उसका कहना है कि 'जो दुर्बल राजा हर तरह का अपमान होने पर भी नम्र ही बना रहता है उसका जीवन वैसा ही दूभर हो जाता है, जैसा कि अपने समूह से अलग हुए मेंढे का । इसी प्रकार थोड़ी सेना को लेकर जो युद्ध में जाता है उसकी वही स्थिति होती है, जो तैरने के साधनों को साथ लिए बिना ही समुद्र में कूद पड़ता है । इसलिए दुर्बल राजा को चाहिए कि वह अपने

सीदति । तद्विशिष्टं तु राजानमाश्रितो दुर्गमविषह्यं वा चेष्टेत ।

१. त्रयोऽभियोक्तारो धर्मलोभासुरविजयिन इति । तेषामभ्यव-
पत्त्या धर्मविजयी तुष्यति; तमभ्यवपद्येत परेषामपि
भयात् । भूमिद्रव्यहरणेन लोभविजयी तुष्यति; तमर्थेनाभ्यव-
पद्येत । भूमिद्रव्यपुत्रदारप्राणहरणेन असुरविजयी, तं भूमिद्रव्या-
भ्यामुपगृह्याग्राह्यः प्रतिकुर्वीत ।

२. तेषामुत्तिष्ठमानं सन्धिना मंत्रयुद्धेन कूटयुद्धेन वा प्रतिव्यू-
हेत । शत्रुपक्षमस्य सामदानाभ्यां, स्वपक्षं भेददण्डाभ्याम् ।
दुर्गं राष्ट्रं स्कन्धावारं वस्य गूढाः शस्त्रसाग्निभिः साधयेयुः ।

प्रतिद्वंद्वी राजा के सामने या उससे भी अधिक शक्तिशाली किसी दूसरे
राजा का आश्रय प्राप्त करे । अथवा ऐसे दुर्ग में जाकर शत्रु का मुकाबला
करे, जो कि अभेद्य हो ।

१. दुर्बल राजा पर आक्रमण करने वाला बलवान् राजा तीन प्रकार का होता
है: (१) धर्मविजयी (२) लोभविजयी और (३) असुरविजयी । उनमें धर्म-
विजयी तो आत्मसमर्पण करने से संतुष्ट हो जाता है । उस धर्मविजयी राजा
की शाखा में जाने से दुर्बल राजा अपने वर्तमान संकट को तो दूर कर ही
लेता है, वरन्, दूसरे बलवान् राजाओं से भी वह अपनी रक्षा कर लेता है
लोभविजयी राजा भूमि और धन देने से संतुष्ट हो जाता है । इसलिए
दुर्बल राजा धनादि देकर उसको संतुष्ट करे । किन्तु असुरविजयी राजा तो
भूमि, द्रव्य, स्त्री, पुत्र और प्राणों तक ले लेने के बाद ही सूझता है । इसलिए
उससे दूर रहकर ही उसको भूमि आदि देकर अपने अनुकूल बनाना चाहिए
या संधि आदि के द्वारा उसका प्रतीकार करना चाहिए ।

२. यदि उक्त राजाओं में से कोई राजा दुर्बल राजा पर आक्रमण करे तो संधि,
मंत्र-युद्ध अथवा कूट-युद्ध के द्वारा उसका मुकाबला करना चाहिए । उस
बलवान् अभियोक्ता के शत्रुपक्ष को साम तथा दाम द्वारा अपने अनुकूल
बनाना चाहिए और अपने प्रकृतिवर्ग को भेद तथा दण्ड द्वारा अपने वश में
रखना चाहिए । उस प्रबल राजा के दुर्ग, राष्ट्र तथा छावनियों को अपने
गुप्तपुरुषों द्वारा शस्त्र, विष तथा अग्नि आदि से नष्ट कर देना चाहिए ।

१. सर्वतः पार्श्विमस्य ग्राहयेत् , अटवीभिर्वा राज्यं घातयेत् , तत्कुलीनावरूढाभ्यां वा हारयेत् ।
२. अपकारान्तेषु चास्य दूतं प्रेषयेत् । अनपकृत्य वा सन्धानम् । तथाप्यभिप्रयान्तं कोशदण्डयोः पादोत्तरमहोरात्रोत्तरं वा सन्धि याचेत ।
३. स चेद्दण्डसन्धि याचेत, कुण्ठमस्मै हस्त्यश्वं दद्यात् । उत्साहितं वा गरयुक्तम् ।
४. पुरुषसन्धि याचेत, दूष्याभिन्नाटवीबलमस्मै दद्याद्योगपुरुषाधिष्ठितम् । तथा कुर्याद्यथोभयविनाशः स्यात् । तीक्ष्णबलं वाऽस्मै दद्यात् , यदवमानितं विकुर्वीत । मौलमनुरक्तं वा, यदस्य व्यसनेऽपकुर्यात् ।

१. यथावसर उसके भागे-पीछे, भगल-बगल से छापा मारना चाहिये; अथवा आटविक पुरुषों द्वारा उसके दुर्ग, जनपद को नष्ट करवा देना चाहिये; अथवा उसके द्वारा अवरूढ़ उसके किसी बंधु-वांधव द्वारा ही उसके राज्य का अपहरण करवा देना चाहिए ।
२. इस प्रकार उसका अनिष्ट कर देने के बाद संधि के लिए उसके पास अपना दूत भेजना चाहिए । अथवा यदि उसका अनिष्ट न किया जा सके तो उससे संधि की याचना करनी चाहिए । यदि वह हतने पर भी रजामंद न हो और चढ़ाई करने पर ही आमादा हो तो पूर्वप्रतिज्ञात धन में अपने कोप तथा सेना का चौथाई भाग अधिक बढ़ा कर उससे संधि के लिए याचना करनी चाहिए ।
३. यदि वह बलवान् अभियोक्ता संधि की शर्तों में केवल सेना को ही लेना चाहे तो सर्वथा अशक्त हाथी, घोड़े अथवा विष खिलाकर सशक्त हाथी, घोड़े दे कर संधि कर लेनी चाहिए ।
४. यदि वह संधि की शर्तों में पैदल सेना की माँग करे तो अपने गुप्तचरों को साथ मिलाकर दूष्य बल, शत्रुबल तथा आटविक बल शर्तनामा में देने चाहिए और इस प्रकार का प्रबंध करे कि अपनी वे दूष्य भादि सेनायें तथा शत्रु की सेनायें नष्ट हो जायें । अथवा ऐसे तीक्ष्ण बल को देना

१. क्रोशसन्धि याचेत, सारमस्मै दद्यात् । यस्य क्रेतारं नाधि-
गच्छेत् ; कुप्यमयुद्धयोग्यं वा ।
२. भूमिसन्धि याचेत, प्रत्यादेयां नित्यामित्रामनपाश्रयां महाक्षय-
व्ययनिवेशां वास्मै भूमिं दद्यात् ।
३. सर्वस्वेन वा राजधानीवर्जेन सन्धि याचेत बलीयसः ।
४. यत्प्रसह्य हरेदन्यस्तत्प्रयच्छेदुपायतः ।
रक्षेत्स्वदेहं न धनं का ह्यनित्ये धने दया ॥

इति आबलीयसनाग्नि द्वादशोऽधिकरणे दूतकर्मणि सन्धियाचनं नाम
प्रथमोऽध्यायः; आदितः षट्त्रिंशदधिकशततमः ।



चाहिए जो थोड़ी सी बात पर बिगड़ उठे और शत्रु का अपकार करने के लिए तैयार हो जाय। अथवा वंशपरंपरा से चली आती अनुरक्त तथा विश्वासी सेना को संधि में देना चाहिए, जो आपत्ति के समय शत्रु का अपकार कर सके।

१. यदि अभियोक्ता संधि के बदले में धन लेना पसंद करे तो उसे ऐसे बहुमूल्य रत्न आदि दिए जायँ, जिन्हें कोई न खरीद सके अथवा ऐसा सामान दिया जाय जो युद्ध में काम न आ सके।
२. यदि अभियोक्ता भूमिसंधि की माँग करे तो उसको ऐसी भूमि दी जाय, जिसको भासानी से वापिस लिया जा सके अथवा जिसके स्थायी शत्रु हों या जिसमें कोई दुर्ग न हो और जिसमें अधिक क्षय-व्यय की आशंका हो।
३. अथवा जो अत्यंत बलवान अभियोक्ता हो उसको राजधानी के भलावा अपना सर्वस्व देकर, उससे संधि कर लेनी चाहिए।
४. यदि कोई बलवान अभियोक्ता किसी दुर्बल राजा से बलात् धन आदि का अपहरण करे तो वह धन संधि आदि के बहाने उसी को दे देना चाहिए। धन की अपेक्षा अपने प्राणों की अधिक रक्षा करनी चाहिए; क्योंकि अनित्य धन पर अधिक मोह करना ठीक नहीं है। यदि जीवन रहेगा तो नष्ट हुआ धन फिर से पैदा किया जा सकता है।

आबलीयस नामक बारहवें अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।



घातहरण १६३

अध्याय २

मन्त्रयुद्धम्

१. स चेत्सन्धौ नावतिष्ठेत, ब्रूयादेनम् — 'इमे षड्वर्गवशात् राजानो विनष्टाः, तेषामनात्मवतां नार्हसि मार्गमनुगन्तुम्, धर्ममर्थं चावेक्षस्व, मित्रमुखा ह्यमित्रास्ते ये त्वां साहसधर्ममर्थातिक्रमं व ग्राहयन्ति, शूरैस्त्यक्तात्मभिः सह योद्धुं साहसं जनक्षय-मुभयतः कर्तुमधर्मः; दृष्टमर्थं मित्रमदुष्टं च त्यक्तुमर्थातिक्रमः । मित्रवांश्च स राजा भूयश्चैतेन अर्थेन मित्राण्युद्योजयिष्यति, यानि त्वा सर्वतोऽभियास्यन्ति । न च मध्यमोदासीनयोर्मण्ड-

मन्त्रयुद्ध

१. यदि प्रबल अभियोक्ता संधि के लिए राजी न हो तो उससे कहा जाय कि 'देखिए, काम, क्रोधादि अरि षड्वर्ग के चंगुल में फँस कर इन विनष्ट हुए राजाओं का उदाहरण आपके सामने प्रत्यक्ष है; आपको ऐसे नीच-राजाओं का अनुसरण करना शोभा नहीं देता है; अपने धर्म और अर्थ की ओर तो देखिए । आपके ये ऊपरी मित्र वस्तुतः आपके भीतरी शत्रु हैं, जो आपको युद्ध, अधर्म और अपव्यय की ओर प्रेरित कर रहे हैं, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर दूसरे बलवान् राजा के साथ युद्ध करना ही तो साहस है; उसमें दोनों ओर के आक्रमियों का नाश होता है, यही तो अधर्म है; विद्यमान धन और अत्यन्त सज्जन मित्र को छोड़ने के लिए आपको जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, वही तो धन का अपव्यय है; उस राजा के और भी मित्र हैं; इसी धन से वह अपने उन मित्रों को साथ लेकर आप पर ही आक्रमण कर देगा; मध्यम और उदासीन राजा भी उसकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं; लेकिन आपको तो उन्होंने त्याग दिया है; युद्ध के लिए तैयार आपको घे लोग चुपचाप देख रहे हैं कि आपके प्रभूत

लस्य वा परित्यक्तः, भवांस्तु परित्यक्तो ये त्वां समुद्युक्तमुप-
प्रेक्षन्ते—‘भूयः क्षयव्ययाभ्यां युज्यतां, मित्राच्च भिद्यताम्,
अथैनं परित्यक्तमूलं सुखेनोच्छेत्स्याम’ इति । स भवान् नार्ह-
ति मित्रमुखानाममित्राणां श्रोतुं मित्राण्युद्वेजयितुम्, अमित्रांश्च
श्रेयसा योक्तुम्, प्राणसंशयमनर्थं चोपगन्तुम्’ इति । यच्छेत् ।

१. तथापि प्रतिष्ठमानस्य प्रकृतिकोपमस्य कारयेद् यथा संघवृत्ते व्या-
ख्यातं, योगवामने च । तीक्ष्णरसदप्रयोगं च । यदुक्तमा-
त्मरक्षितके रक्ष्यं, तत्र तीक्ष्णान् रसदांश्च प्रयुञ्जीत ।
२. बन्धकीपोषकाः परमरूपयौवनाभिः स्त्रीभिः सेनामुख्यानुन्मा-

जन-धन का नाश हो जाय और आपका अपने मित्र के साथ मतभेद हो जाय; इस प्रकार जब आपकी सारी शक्ति चीण हो जायगी और जब आप अपनी राजधानी को छोड़कर युद्ध में चले जायँगे तो वे बड़ी सर-
लता से आपका उच्छेद कर देंगे; इसलिए आपके लिए यही उचित है कि ऊपर से मित्र बने उन भीतरी शत्रुओं का आप विश्वास न करें; अपने मित्रों को खिन्न कर शत्रुओं के कल्याण-साधन मत बनायँ; अपने प्राणों को विपत्ति में डालकर अपने धन का इस प्रकार अपव्यय न कीजिए ।’ इस प्रकार समझाये गये राजा को जिस शर्त पर संधि के लिए तैयार किया जाय, उस शर्त को पूरा कर के संधि को पक्की बनाने के लिए यत्न किया जाना चाहिए ।

१. यदि इस प्रकार समझाने-बुझाने पर भी वह राजी न हो और युद्ध के लिए तैयार हो तो संघवृत्त तथा योगवृत्त अधिकरणों में निर्दिष्ट उपायों के द्वारा उसके प्रकृतिमंडल को कुपित कर देना चाहिए । उस आक्रमणकारी को मारने के लिए तीक्ष्ण तथा रसद गुप्तचर नियुक्त किये जायँ । आत्मरक्षित प्रकरण में जिन रक्षायोग्य स्थानों का निरूपण किया गया है वहाँ पर तीक्ष्ण तथा रसद आदि गुप्तचरों को नियुक्त कर उस राजा का काम तमाम कर देना चाहिए ।
२. कुलटा स्त्रियों का पालन-पोषण करने वाले गुप्तचरों को चाहिए कि वे सुंदर रूपवती युवती स्त्रियों के द्वारा सेना के प्रमुख व्यक्तियों को प्रमादी बनवा

दयेयुः । बहूनामेकस्यां द्वयोर्वा मुख्ययोः कामे जाते तीक्ष्णाः कलहानुत्पादयेयुः । कलहे पराजितपक्षं परत्रापगमने यात्रा-साहाय्यदाने वा भर्तुर्योजयेयुः ।

१. कामवशान् वा सिद्धव्यञ्जनाः सांवननिकीभिरोषधिभिरतिसन्धानाय मुख्येषु रसं दापयेयुः ।
२. वैदेहकव्यञ्जनो वा राजमहिष्याः सुभगायाः प्रेष्यामासन्नां कामनिमित्तमर्थेनाभिवृष्य परित्यजेत् । तस्यैव परिचारकव्यञ्जनोपदिष्टः सिद्धव्यञ्जनः सांवननिकीमोषधिं दद्याद् , वैदेहकशरीरेऽवधातव्येति । सिद्धं सुभगाया अप्येनं योगमुपदिशेद्—राजशरीरेऽवधातव्या इति । ततो रसेनातिसन्दध्यात् ।

दें, जब बहुत सारे अथवा दो सेनामुख्यों को एक ही स्त्री में कामासक्ति हो जाय तब तीक्ष्ण गुप्तचर उनमें परस्पर कलह पैदा कर दें । आपसी झगड़े में जो हार जाय उसको विजिगीषु के पक्ष में भेज दिया जाय और जब विजिगीषु आक्रमण करने लगे तब सहायतार्थ उसको नियुक्त किया जाय ।

१. अथवा जो सेना मुख्य कामासक्त हो उन्हें, सिद्ध के वेष में रहने वाले गुप्तचर वशीकरण द्वारा उस सुंदरी युवती को वश में करने के उपायों का बहाना करके विषमिश्रित औषधि खिला कर मार डालें ।
२. व्यापारी के वेष में रहने वाला गुप्तचर अति सुंदरी पटरानी की अंतरंग सेविका को प्रचुर धन दे कर अपने उपभोग के लिए उसे फुसलाये और एक बार उसका भोग कर दुबारा उसके पास न जाये । फिर उसी गुप्तचर से प्रेरित होकर दूसरा सिद्ध वेषधारी उस पटरानी की सेविका को वशीकरण औषधि देकर उससे कहे कि 'इस औषधि को अपने व्यापारी प्रेमी के शरीर पर छिड़क देना, वह तुम्हारे वश में हो जायगा ।' जब दिखावा मात्र के लिए वह व्यापारी वेषधारी गुप्तचर उस सेविका के वश में हो जाय तब उस सुंदरी पटरानी को भी वशीकरण के प्रयोग का उपदेश दिया जाय । उससे कहा जाय कि 'इस औषधि को राजा के शरीर पर छिड़क देने से

१. कार्तान्तिकव्यञ्जनो वा महामात्रं राजलक्षणसम्पन्नं क्रमाभिनीतं ब्रूयात् । भार्यामस्य भिक्षुकी—‘राजपत्नी राजप्रसविनी वा भविष्यसि’ इति ।
२. भार्याव्यञ्जना वा महामात्रं ब्रूयात्—‘राजा किल मामवरोधयिष्यति, तवान्तिकाय पत्रलेख्यमाभरणं चेदं परिव्राजिकयाऽऽहतम्’ इति ।
३. सूदारालिकव्यञ्जनो वा रसप्रयोगार्थं राजवचनामर्थं चास्य लोभनीयमभिनयेत् । तदस्य वैदेहकव्यञ्जनः प्रतिसन्दध्यात् ,

वह तुम्हारे काबू में हो जायगा ।’ उस वशीकरण योग में विष मिलाकर इस प्रकार राजा का वध कर दिया जाय ।

१. अथवा ज्योतिषी (कार्तान्तिक) के वेष में रहने वाला गुप्तचर, विश्वासी राजलक्षण-संपन्न महामात्र को यह कह कर फुसलाये कि ‘तुम अवश्य ही राजा बनोगे ।’ और भिक्षुकी गुप्तचर स्त्री द्वारा उस महामात्र की पत्नी को कहला दिया जाय कि ‘तुम पटरानी बनोगी और तुम राजा होने योग्य पुत्र को पैदा करोगी !’ इस प्रकार राजा बनने की इच्छा रखने वाले महामात्र का राजा से विरोध हो जायगा ।
२. अथवा महामात्र की स्त्री बन कर रहने वाली छद्मवेष स्त्री उससे कहे कि ‘राजा मुझे अवश्य ही अपने अंतःपुर में रोक लेगा । दूती द्वारा लाये गये तुम्हारे नाम के इस पत्र और इन आभरणों से यह साफ जाहिर होता है ।’ ऐसा करने से भी महामात्र का राजा के साथ विरोध हो जायगा ।
३. अथवा रसोद्भया (सूद) और मांस बनाने वालों (आरालिक) के वेष में रहने वाले गुप्तचर विष का प्रयोग करने के लिए राजा के गुप्त कथन को तथा इस लोभ में डालने के लिए दिए हुए राजा के धन को कि, महामात्र को मारना है, महामात्र के सामने प्रकट कर दें । ठीक उसी समय व्यापारी के वेष में रहने वाला गुप्तचर महामात्र के पास आकर साक्षी रूप में कहे कि ‘राजा के कहने से मैंने तुम्हारे सूद और आरालिक को विष दिया था, मैं नहीं जानता कि वे किस उद्देश्य के लिए ले गये थे ।’ और यह भी बता दे कि ‘इस विष से तत्काल ही मृत्यु हो सकती है ।’ इस प्रकार

कार्यसिद्धिं च ब्रूयात् । एवमेकेन द्वाभ्यां त्रिभिरित्युपायैरेकै-
कमस्य महामात्रं विक्रमायापगमनाय वा योजयेदिति ।

१. दुर्गेषु चास्य शून्यपालासन्नाः सत्रिणः पौरजानपदेषु मैत्रीनि-
मित्तमावेदयेयुः—‘शून्यपालेनोक्ता योधाश्च अधिकरणस्थाश्च—
‘कृच्छ्रगतो राजा जीवन्नागमिष्यति न वा; प्रसह्य वित्तमार्जय-
ध्वममित्रांश्च हत’ इति । बहुलीभूते तीक्ष्णाः पौरान् निशास्वा-
हारयेयुः, मुख्यांश्चाभिहन्युः—‘एवं क्रियन्ते, ये शून्यपालस्य
न शुश्रूषन्ते’ इति । शून्यपालस्थानेषु च सशोणितानि ‘शस्त्र-
वित्तवन्धनान्युत्सृजेयुः । ततः सत्रिणः—‘शून्यपालो घात-
यति विलोपयति च’ इत्यावेदयेयुः ।

२. एवं जानपदान्समाहर्तुर्भेदप्रेयुः ।

विजिगीषु के गुप्तचर एक, दो या तीनों प्रयोगों से महामात्र को राजा के
विरुद्ध बनाकर दोनों को युद्ध के लिए उभाड़ दें ।


१. शत्रु के स्थानीय दुर्गों में रहने वाले शून्यपाल की ओर सभी गुप्तचर
नगरवासियों तथा जनपदवासियों से कहे ‘शून्यपाल ने सेनाओं और राज-
कर्मचारियों से कहा है कि राजा महान् विपत्ति में फँस गया है । कहां नहीं
जा सकता कि वह जीवित लौट भी सकेगा या नहीं ! इसलिए बलपूर्वक
भाप यथेच्छया जनता से धन लूटें और जो बाधा डाले उसको मार डालें ।’
जब शून्यपाल की यह आज्ञा सर्वत्र फैल जाय तब तीक्ष्ण गुप्तचर अपने
भादसियों को रात में नगर की लूट-पाट करने के लिए प्रेरित करें और
नगर के प्रमुख व्यक्तियों को मरवा डालें । सब जगह इस बात को फैला दें
कि ‘जो शून्यपाल का कहना न मानेंगे उनकी यही हालत की जायगी ।’
इसी बीच वे रक्त से भीगे भस्त्र-शस्त्र तथा रस्सी आदि को शून्यपाल के
स्थान में रखवा दें । तदनंतर सभी गुप्तचर इस बात का प्रचार करें कि
‘यह शून्यपाल ही सब लोगों को मरवाता तथा लुटवाता है’ इस तरीके से
शून्यपाल तथा प्रजा में लड़ाई करा दी जाय ।

२. इसी प्रकार समाहर्ता (टैक्स कलक्टर) और जनपदवासियों के बीच फूट
डाली जाय ।

१. समाहर्तृपुरुषांस्तु ग्राममध्येषु रात्रौ तीक्ष्णा हत्वा ब्रूयुः—‘एवं क्रियन्ते, ये जनपदमधर्मेण बाधन्ते’ इति ।
२. समुत्पन्ने दोषे शून्यपालं समाहर्तारं वा प्रकृतिकोपेन घातयेयुः । तत्कुलीनमवरुद्धं वा प्रतिपादयेयुः ।
३. अन्तःपुरपुरद्वारद्रव्यधान्यपरिग्रहान् ।
दहेयुस्तांश्च हन्युर्वा ब्रूयुरस्यार्तवादिनः ॥

इति आवलीयसे द्वादशोऽधिकरणे मन्त्रयुद्धं नाम द्वितीयोऽध्यायः;

आदितः सप्तत्रिंशदधिकशततमः ।



१. समाहर्ता के आदेशियों को रात के समय गाँव के मध्य में मारकर तीक्ष्ण गुप्तचर यह प्रचार करें कि ‘जो लोग अधर्मपूर्वक प्रजावर्ग को पीड़ित करते हैं उनकी यही दशा होती है ।’
२. जब शून्यपाल और समाहर्ता, दोनों के ऐसे कुकर्म सर्वत्र फैल जायँ और उनसे प्रजाजन पूरी तरह कुपित हो जायँ, तब सभी गुप्तचर उनका भी-वध कर डालें और उस शत्रु राजा के किसी वधु-बांधव को या नजरबंद राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दें ।
३. उसके बाद तीक्ष्ण गुप्तचर अंतःपुर, पुरद्वार (नगर का प्रधान द्वार), द्रव्य परिग्रह (लकड़ी-वृक्ष के गोदाम) और धान्य परिग्रह (भन्न भंडार) आदि को जला दें तथा उन स्थानों के रक्षकों को मार डालें । तदनन्तर स्वयं इस दुर्घटना के लिए हार्दिक दुःख प्रकट करते हुए, इस कार्य को नगर या गाँव के लोगों का किया हुआ बतायें ।

आवलीयस नामक चारहवें अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



संस्करण १६४-१६५

अध्याय ३

सेनामुख्यवधः मण्डलप्रोत्साहनं च

१. राज्ञो राजवल्लभानां चासन्नाः सत्रिणः पत्न्यश्वरथद्विपमुख्यानां 'राजा क्रुद्धः' इति सुहृद्विश्वासेन मित्रस्थानीयेषु कथयेयुः । बहुलीभूते तीक्ष्णाः कृतरात्रिचारप्रतीकाराः गृहेषु 'स्वामिवचनेन आगम्यताम्' इति ब्रूयुः; तान्निर्गच्छत एवाभिहन्युः । 'स्वामिसन्देशः' इति चासन्नान् ब्रूयुः । ये च प्रवासितास्तान् सत्रिणो ब्रूयुः—'एतच्छब्दं यदस्माभिः कथितं जीवितुकामेन अपक्रान्तव्यम्' इति ।

सेनापतियों का वध और राजमंडल की सहायता

१. राजा तथा राजा के प्रियजनों के निकट मित्र बनकर रहने वाले सभी गुप्तचर : पैदल, घुड़सवार, रथसवार तथा हाथीसवार सेनाओं के अध्यक्षों और महामात्रों के मित्रों के यहाँ जाकर अत्यन्त विश्वासी मित्रों की तरह उनसे कहें कि 'सेनाध्यक्ष आदि पर राजा कुपित हो गया है।' जब यह प्रवाद सर्वत्र फैल जाय तब, रात्रिभ्रमण की निपेधाज्ञा में भ्रमण करने की अनुमति प्राप्त कर सभी गुप्तचर घर-घर में जाकर सेनाध्यक्ष आदि से कहें कि 'स्वामी की आज्ञा से आप लोगों को तत्काल स्वामी के पास जाना चाहिए।' और जब वे बाहर निकलें तो उन्हें मरवा डालें । तदनन्तर मित्र के वेष में रहने वाले तीक्ष्ण गुप्तचर सभी गुप्तचरों से कहें कि हमने यह सब कार्य स्वामी की आज्ञा से किया है । जो सेनापति आदि पहिले ही राजा को छोड़ कर चले गये हैं उनसे सभी गुप्तचर कहें 'देखिए, जो हमने कहा था वही हुआ न, कि जो भी अपनी जान बचाना चाहे वह यहाँ से भाग जाय ।'

१. येभ्यश्च राजा याचितो न ददाति तान् सत्रिणो ब्रूयुः—‘उक्तः शून्यपालो राज्ञा—अयाच्यमर्थमसौ चासौ मा याचते, मया प्रत्याख्याताः शत्रुसंहिताः, तेषामुद्धरणे प्रयतस्व’ इति । ततः पूर्ववदाचरेत् ।
२. येभ्यश्च राजा याचितो ददाति, तान् सत्रिणो ब्रूयुः—‘उक्तः शून्यपालो राज्ञा—अयाच्यमर्थमसौ चासौ च मा याचते, तेभ्यो मया सोऽर्थो विश्वासार्थं दत्तः, शत्रुसंहिताः । तेषामुद्धरणे प्रयतस्व’ इति । ततः पूर्ववदाचरेत् ।
३. ये चैनं याच्यमर्थं न याचन्ते, तान् सत्रिणो ब्रूयुः—‘उक्तः शून्यपालो राज्ञा—याच्यमर्थमसौ चासौ च मा न याचते;

१. किसी के द्वारा कोई वस्तु माँगी जाने पर राजा जब उस वस्तु को न दे तो उस माँगने वाले से सभी गुप्तचर यों कहें ‘राजा ने शून्यपाल से कह दिया है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने मुझ से न माँगी जाने योग्य वस्तुएँ माँगी हैं । मैंने देने से इनकार कर दिया । इसलिए कि वे लोग शत्रु से मिल गये हैं । अतः उनको नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।’ ऐसा कहने के बाद पूर्ववत् सब कार्य किया जाय; अर्थात् तीक्ष्ण गुप्तचर रात में कुछ आदमियों को मार दें; जिनको न मारें उनको वध का भय दिखाकर राजा से फोड़ दें ।

२. माँगने पर जिन्हें राजा कोई वस्तु दे दे उनसे सभी गुप्तचर कहें कि ‘राजा ने शून्यपाल से कहा है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने मुझसे न माँगने योग्य वस्तु माँगी है, मैंने उनको वह वस्तु इसलिए दे दी है कि उनका मुझ पर विश्वास बना रहे; किन्तु वे व्यक्ति शत्रु से मिले हैं, अतः उनका वध करने के लिए तुम्हें यत्नशील रहना चाहिए’ ऐसा कहने के बाद पूर्ववत् सब कार्य किया जाय ।

३. जो महामात्र आदि माँगने योग्य वस्तु भी राजा से नहीं माँगते उनसे सभी गुप्तचर कहें ‘राजा ने शून्यपाल को कह दिया है कि अमुक-अमुक व्यक्ति मुझसे माँगने योग्य वस्तुओं को भी नहीं माँगते । इसका कारण इसके सिवा दूसरा क्या हो सकता है कि वे अपने दोषों के कारण मुझसे

किमन्यत् स्वदोषशङ्कितत्वात् , तेषामुद्वरणे प्रयतस्व' इति ।
ततः पूर्ववदाचरेत् ।

१. एतेन सर्वः कृत्यपक्षो व्याख्यातः ।
२. प्रत्यासन्नो वा राजानं सत्री ग्राहयेत् 'असौ चासौ च ते महामात्रः शत्रुपुरुषैः सम्भाषते' इति । प्रतिपन्ने दूष्यानस्य शासनहरान् दर्शयेत्—'एतत्तत्' इति ।
३. सेनामुख्यप्रकृतिपुरुषान् वा भूम्या हिरण्येन वा लोभयित्वा स्वेषु विक्रमयेदपवाहयेद्वा । योऽस्य पुत्रः समीपे दुर्गे वा प्रतिवसति, तं सत्रिणोपजापयेत्—'आत्मसम्पन्नतरस्त्वं पुत्रः तथाप्यन्तर्हितः, तत् किमुपेक्षसे । विक्रम्य गृहाण, पुरा त्वा युवराजो विनाशयति' इति ।

शंकित रहते हैं और इसलिए मेरे पास नहीं आते हैं । तुम उनका वध करने के लिए यत्नशील रहो ।' ऐसा कहने के बाद पूर्ववत् सब कार्य किया जाय ।

१. इसी प्रकार क्रुद्ध, लुब्ध, भीत आदि कृत्यपक्ष के संबन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।
२. अथवा राजा के पास कपटपूर्वक रहने वाले सभी गुप्तचर राजा से कहें कि 'अमुक-अमुक महामात्र तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिले हुए हैं ।' जब राजा को इस बात पर विश्वास हो जाय तो सभी राजद्रोहियों द्वारा महामात्र का संदेश ले जाते हुए दिखा दे और कहे 'देखिए, वही बात हुई, जो मैंने आपसे कही थी ।'
३. अथवा सेना के अध्यक्षों, अमात्य आदि प्रकृतियों और अन्य राजकर्मचारियों को सभी गुप्तचर धन तथा भूमि आदि के लोभ में फँसाकर उनके अपने ही आदमियों पर उनके द्वारा चढ़ाई करा दे; या उनको राजा के यहाँ से कहीं दूसरी जगह भगा दे । तदनन्तर सभी गुप्तचर राजधानी में या अंत-पाल के पास दुर्ग में रहने वाले राजकुमार को इस प्रकार फुसलाएँ 'राजा ने जिस पुत्र को युवराज बनाया है, तुम्हारी योग्यता उससे किसी कदर कम नहीं है; फिर भी राजा ने तुम्हें नियंत्रित कर रखा है । अब तुम इस

१. तत्कुलीनमवरुद्धं वा हिरण्येन प्रतिलोभ्य ब्रूयात्—‘अन्तर्वलं प्रत्यन्तस्कन्धमन्यं वास्य प्रमृद्नीहि’ इति ।
२. आटविकानर्थमानाभ्यामुपगृह्य राज्यमस्य वातयेत् ।
३. पार्ष्णिग्राहं वास्य ब्रूयाद्—‘एष खलु राजा मामुच्छिद्य त्वामुच्छेत्स्यति; पार्ष्णिमस्य गृहाण; त्वयि निवृत्तस्याहं पार्ष्णिं ग्रहीष्यामि’ इति । मित्राणि वास्य ब्रूयात्—‘अहं वः सेतुः; मयि विभिन्ने सर्वानेष वो राजाप्लावयिष्यति’ इति । ‘सम्भूय वास्य यात्रां विहनाम’ इति । तत्संहतानामसंहतानां च प्रेषयेत्—‘एष खलु राजा मामुत्पाद्य भवत्सु कर्म करिष्यति । बुध्यध्वम् , अहं वः श्रेयानभ्यवपत्तुम्’ इति ।

वात की लापरवाही न करके राजा पर धावा बोल दो और राज्य को अपने अधीन कर लो । अन्यथा बहुत संभव है कि युवराज तुम्हें ही मार डाले ।’

१. अथवा शत्रु के किसी बंधु-वांधव को या नजरबंद राजकुमार को धन का प्रलोभन देकर सभी गुप्तचर इस प्रकार फुसलाएँ ‘तुम राजा के मौलबल को या सीमा पर नियुक्त सेना को अथवा दूसरी किसी सेना को नष्ट कर डालो और आटविकों को धन तथा सत्कार से वश में करके उन्हीं के द्वारा शत्रु के राज्य पर चढ़ाई करा दो ।’
२. यहाँ तक सेनामुख्यों को वश में करने की युक्तियों का निरूपण किया गया है ।
३. विजिगीषु राजा शत्रु राजा के पार्ष्णिग्राह से कहे ‘देखो, यह राजा मेरा उच्छेद करके फिर तुम्हारा भी अवश्यमेव उच्छेद करेगा अतः तुम इसके पार्ष्णि वनकर पीछे से इस पर आक्रमण करो । जब वह तुम पर आक्रमण करेगा तब मैं उसकी पार्ष्णि ग्रहण कर उस पर आक्रमण कर दूँगा ।’ अथवा विजिगीषु शत्रु के मित्रों से कहे ‘मैं ही तुम्हारा पुल हूँ । मेरे नष्ट हो जाने पर यह राजा तुमको भी नष्ट कर डालेगा । इसलिए हम सब मिलकर इसके आक्रमण का मुकाबला करें ।’ तदनंतर विजिगीषु राजा अपने शत्रु के मित्रों तथा शत्रुओं को यह संदेश भेजे कि ‘निश्चित ही यह राजा मेरा उच्छेद कर

वारहवाँ अधिकरण : प्रकरण १६४-१६५, अध्याय ३

१. मध्यमस्य प्रहिणुयादुदासीनस्य वा पुनः ।
यथासन्नस्य मोक्षार्थं सर्वस्वेन तदर्पणम् ॥

इति आवलीयसे द्वादशेऽधिकरणे सेनामुख्यवधः मण्डलप्रोत्साहनं चेति
तृतीयोऽध्यायः; आदितोऽष्टात्रिंशदुत्तरशततमः ।



के तुम्हारा भी उच्छेद कर डालेगा । अतः आप लोग विचार करें और समझें कि इस आपत्ति में आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए या नहीं ।’

१. दुर्बल राजा को चाहिए कि बलवान् शत्रु से अपनी रक्षा के लिए वह मध्यम, उदासीन और अपने समीपस्थ सभी राजाओं को यह संदेश भेजे कि ‘सर्वस्व देकर मैं आप लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर चुका हूँ । मैं आप लोगों के आश्रय से अलग नहीं हो सकता हूँ । अतः यथाशक्ति आप लोगों को मेरी रक्षा करनी चाहिए ।’

आवलीयस नामक वारहवें अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।

अध्याय ४

शस्त्राग्निरसप्रणिधयः, नीनिधासार-
प्रसारनधश्च

१. ये चास्य दुर्गेषु वैदेहकव्यञ्जनाः, ग्रामेषु गृहपतिकव्यञ्जनाः, जनपदसन्धिषु गोरक्षकतापसव्यञ्जनाः, ते सामन्ताटविकत-त्कुलीनाश्चरुद्धानां पण्यागारपूर्वं प्रेषयेयुः—‘अयं देशो हार्य’ इति । आगतांश्चैषां दुर्गे गूढपुरुषानर्थमानाभ्याम् अभिसत्कृत्य प्रकृतिच्छिद्राणि प्रदर्शयेयुः । तेषु तैः सह प्रहरेयुः ।
२. स्कन्धावारे वास्य शौण्डिककव्यञ्जनः पुत्रमभित्यक्तं स्थापयित्वा

शस्त्र, अग्नि तथा रसों का गूढ प्रयोग; और वीवध, आसार तथा प्रसार का नाश

१. शत्रु राजा के दुर्गों में जो वैदेहक, गाँवों में जो गृहपतिक, सरहद्दी इलाकों में जो ग्वाले और तापस आदि विजिगीषु के गुप्तचर नियुक्त हों, उन्हें चाहिए कि वे शत्रु के साथ स्वभावतः ही बैर रखने वाले सामंत, आटविक, शत्रु के बंधु-बांधव और नजरबंद राजकुमार आदि हों, कुछ भेंटसामग्री रख कर, उनके पास यह संदेश भेजें कि ‘शत्रु के अमुक दुर्बल प्रदेश का आप लोग सहज ही में अपहरण कर सकते हैं ।’ इस बात के लिए उद्यत होकर जब उन सामंत आदि के गुप्तचर आ जायँ तो उनका धन-मान से सत्कार करके तब उनके सामने शत्रु राजा के प्रकृतिवर्ग के समस्त दोषों को खोल कर रखा जाय । जब शत्रु के सभी दोष उनको ज्ञात हो जायँ तो उनकी सहायता प्राप्त कर शत्रु पर आक्रमण किया जाय ।
२. अथवा शत्रु की छावनी में शराव बेचने वाले सभी गुप्तचर किसी वध्य पुरुष को अपना पुत्र बताकर रात्रि के अंतिम प्रहर में विष देकर उसकी

अवस्कन्दकाले रसेन प्रवासयित्वा 'नैषेचनिकम्' इति मदनर-
सयुक्तान् मद्यकुम्भाञ्छतशः प्रयच्छेत् । शुद्धं वा मद्यं पाद्यं वा
मद्यं दद्यादेकमहः, उत्तरं रससिद्धं प्रयच्छेत् । शुद्धं वा मद्यं
दण्डमुख्येभ्यः प्रदाय मदकाले रससिद्धं प्रयच्छेत् ।

१. दण्डमुख्यव्यञ्जनो वा 'पुत्रमभित्यक्तम्' इति—समानम् ।
२. पक्वमांसिकौदनिकशौण्डिकापूपिकव्यञ्जना वा पण्यविशेषमव-
घोषयित्वा परस्परसङ्घर्षेण कालिकं समर्घतरमिति वा पराना-
हूय रसेन स्वपण्यान्यपचारयेयुः ।
३. सुराक्षीरदधिसर्पिस्तैलानि वा तद्व्यवहर्तृहस्तेषु गृहीत्वा स्त्रियो
वालाश्च रसयुक्तेषु स्वभाजनेषु परिकिरेयुः, 'अनेनार्घेण विशिष्टं
वा भूयो दीयताम्' इति तत्रैवावकिरेयुः ।

हत्या कर डालें, और तब अपने मृतक पुत्र के निमित्त 'यह नैषेचनिक
द्रव्य है' ऐसा कह कर विषमिश्रित शराब के सैंकड़ों घड़े फौजियों को
पिला दे; अथवा विश्वास के लिए पहिले दिन विषरहित ही शराब दे;
अथवा पहिले दिन चौथाई हिस्सा विषमिश्रित शराब दे और बाद में
पर्याप्त विषमिश्रित शराब पिलाये; अथवा सेना के अध्यक्षों को पहिले
विषरहित शराब दे और बाद में जब वे बेहोश हो जायें तब उन्हें विष-
मिश्रित शराब दे ।

१. अथवा सेनामुख्य के वेष में सभी गुप्तचर किसी वध्य पुरुष को अपना
पुत्र बताकर बाकी कार्य उपर्युक्त विधि से संपन्न करे ।
२. अथवा पका मांस, पका अन्न, शराब तथा विविध व्यंजन और मालपुआ या
पकौड़े आदि बेचने के वेष में सभी गुप्तचर एक-दूसरे से होड़ लगाकर
अपनी-अपनी दूकानों की खूब तारीफ कर कम-ज्यादे मूल्य पर अथवा
उधार ही शत्रु के आदमियों को विष मिले पदार्थ खिला दें ।
३. स्त्री तथा बालक शराब, दूध, घी, दही तथा तेल आदि का व्यवहार करने
वाले लोगों के हाथ से लेकर इन वस्तुओं को अपने जहरीले वर्तनों में
डलवा दें और बाद में उनके साथ यह झगड़ा करें कि 'अमुक वस्तु हमें
इतने मूल्य पर दो, नहीं तो हम खरीदा हुआ सामान भी लौटा देंगे ।'

१. एतान्येव वैदेहकव्यञ्जनाः पण्यविक्रयेणाहर्तारो वा हस्त्यश्वानां विधायवसेषु रसमासन्ना दद्युः ।
२. कर्मकरव्यञ्जना वा रसाक्तं यवसमुदकं वा विक्रीणीरन् । चिर-संसृष्टा वा गोवाणिजका गवामजावीनां वा यूथान्यवस्कन्द-कालेषु परेषां मोहस्थानेषु प्रमुञ्चेयुः । अश्वखरोष्ट्रमहिपादीनां दुष्टांश्च तद्व्यञ्जना वा चुचुन्दरीशोणिताक्ताक्षान् , लुब्धकव्यञ्जना वा व्यालमृगान् पञ्जरेभ्यः प्रमुञ्चेयुः; सर्पग्राहा वा सर्पानुग्र-विषान् , हस्तिजीविनो वा हस्तिनः ।
३. अग्निजीविनो वा अग्निमवसृजेयुः ।
४. गूढपुरुषा वा विमुखान्-पत्न्यश्वरथद्विपमुख्यानभिहन्युः, आदी-

जब दूकानदार इस बात पर राजी न हों तो उन शराब, दूध आदि वस्तुओं को उन्हीं दूकानदारों के वर्तनों में उलट दें, ऐसा करने से सभी चीजें जहरीली हो जायेंगी ।

१. फिर छावनी के साथ व्यापारी वेष में रहने वाले गुप्तचर या शराब बेचने के वहाने दूसरे लोग इन्हीं सब जहरीली वस्तुओं को हाथी घोड़ों के रासन में मिलाकर उन्हें खिला दें ।
२. अथवा मजदूर के वेष में रहने वाले गुप्तचर विषमिश्रित घास अथवा जल बेचें; अथवा बहुत समय से मित्र बनकर रहने वाले गुप्तचर अपने गाय, बकरी के समूहों को मध्य रात्रि में मोहग्रस्त (निद्राग्रस्त) शत्रुओं को व्याकुल करने के लिए छोड़ दें । इसी प्रकार व्यापारी वेष में रहने वाले गुप्तचर अपने घोड़ा, गधा, ऊँट तथा गाय, भैंस आदि चौंकने वाले जानवरों की आँखों में छल्लूँदर के खून का अञ्जन लगाकर छोड़ दें; इसी प्रकार शिकारी के वेष में रहने वाले गुप्तचर अपने हिंसक जानवरों को छोड़ दें; संपेरों के वेष में रहने वाले गुप्तचर अपने जहरीले साँपों को; और हाथियों के व्यापारी गुप्तचर अपने हाथियों को छोड़ दें ।
३. इसी प्रकार रसोद्भये, लुहार आदि, जो गुप्तचर आग से अपनी जीविका चलाते हैं, वे शत्रु की छावनी में आग लगा दें ।
४. गुप्तचरों को चाहिए कि वे युद्ध से विमुख हुए पैदल, घुड़सवार, रथसवार

पयेयुर्वा मुख्यावासान् । दूष्यामित्राटविकव्यञ्जनाः प्रणिहिताः
पृष्ठाभिघातमवस्कन्दप्रतिग्रहं वा कुर्युः । वनगूढा वा प्रत्य-
न्तस्कन्धमुपनिष्कृष्याभिहन्युः ।

१. एकायने वीवधासारप्रसारान् वा । ससङ्केतं वा रात्रियुद्धे भूरितूर्य-
माहत्य ब्रूयुः—‘अनुप्रविष्टाः स्मो, लब्धं राज्यम्’ इति । राजा-
वासमनुप्रविष्टा वा सङ्कुलेषु राजानं हन्युः ।
२. सर्वतो वा प्रयातमेनं म्लेच्छाटविकदण्डचारिणः सत्रापाश्रयाः
स्तम्भवाटापाश्रया वा हन्युः । लुब्धकव्यञ्जना वावस्कन्दसङ्कुलेषु
गूढयुद्धहेतुभिरभिहन्युः ।
३. एकायने वा शैलस्तम्भवाटखञ्जनान्तरुदके वा स्वभूमिवलेना-

तथा हाथीसवार सेनाओं के अध्यक्षों को मार डालें; अथवा उनके घरों में
आग लगा दें; अथवा दूष्य, शत्रु या आटविक के वेप में रहने वाले गुप्तचर
युद्ध से लौटी हुई सेना के पीछे से धावा बोल दें; अथवा सोते समय
उसको नष्ट कर दें; अथवा उसका मुकाबला करें; अथवा वन में छिप कर
रहने वाले गुप्तचर सरहदी इलाकों की सुरक्षा के लिए नियुक्त सेना को
किसी वहाने अपनी ओर खींच कर मार डालें ।

१. जिस समय वीवध (धान्य), आसार (मित्रसेना) और प्रसार (लकड़ी
घास) आदि को किसी तंग रास्ते से ले जाया जा रहा हो उस समय
उसे नष्ट कर दिया जाय; अथवा रात्रि युद्ध में विशेष संकेतों के साथ
वाजों को खूब जोर से बजाते हुए इस प्रकार की घोषणा की जाय कि
'हम लोग शत्रु दल को चीर कर भीतर प्रविष्ट हो गये हैं; हमने राज्य को
प्राप्त कर लिया है' इत्यादि । अथवा राजा के घर में प्रविष्ट होकर
उसको मार दिया जाय ।
२. जिस ओर से भी राजा भागे वहीं से, सत्र तथा स्तम्भवाट को लेकर
सैनिक के वेप में घूमने वाले म्लेच्छ और आटविक उसको मार डालें, अथवा
शिकारी के वेप में रहने वाले गुप्तचर रात में इकट्ठा सोते समय कूटयुद्ध
प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से शत्रुओं को मार डालें ।
३. अथवा पहाड़ी रास्ते से या ऊबड़-खाबड़, दलदल तथा जल से गुजरती हुई

मिहन्युः । नदीसरस्तटाकसेतुबन्धभेदवेगेन वाप्लावयेयुः ।

धान्वनवननिम्नदुर्गस्थं वा योगाग्निधूमाभ्यां नाशयेयुः ।

१. सङ्कटगतमग्निना, धान्वनगतं धूमेन, निधानगतं रसेन, तो-
यावगाढं दुष्टग्रहैरुदकचरणैर्वा तीक्ष्णाः साधयेयुः ।

२. आदीप्तावासात् निष्पतन्तं वा—

योगवामनयोगाभ्यां योगेनान्यतमेन वा ।

अभिन्नमतिसन्दध्यात् सक्तमुक्तासु भूमिषु ॥

इति आबलीयसे द्वादशेऽधिकरणे शस्त्राग्निरसप्रणिधयो वीवधासारप्रसार-
वधश्चेति चतुर्थोऽध्यायः; आदित एकोनचत्वारिंशदधिकशततमः ।



शत्रुसेना को नष्ट किया जाय; अथवा यथावसर नदी, झील तथा बड़े-बड़े
तालाबों के बाँधों को तोड़ कर शत्रुसेना को उसमें बहा दिया जाय; अथवा
धान्वनदुर्ग, वनदुर्ग तथा निम्नदुर्ग में ठहरे हुए शत्रुदल को योगाग्नि
(विशेष द्रव्यों के योग से उत्पन्न कपट अग्नि) और योगधूम (विषैली
गैस) के द्वारा नष्ट किया जाय ।

१. कंटकाकीर्ण तथा दुर्गम प्रदेश में प्रविष्ट हुई शत्रुसेना को अग्नि के द्वारा,
धान्वन दुर्ग में ठहरे शत्रुदल को विशेष गैस द्वारा; गुप्तप्रदेश में छिपे हुए
शत्रुओं को विष के द्वारा; जल के भीतर छिपे हुए शत्रु को भयंकर मगर-
मच्छ आदि जल-जंतुओं के द्वारा, अथवा जल में जाने योग्य अन्य साधनों
के द्वारा तीक्ष्ण गुप्तचर उनको कैद कर लें या नष्ट कर दें ।

२. अथवा आग लगे हुए घर से भागते हुए राजा को तथा अपना रक्षा के लिए
धान्वन आदि स्थानों में ठहरे हुए शत्रु को योगवामन और योग के द्वारा
अथवा केवल योग के द्वारा वश में किया जाय ।

आबलीयस नामक बरहवें अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



प्रकृरणा १६८=१७०

अध्याय ५

योगातिसन्धानं, दण्डातिसन्धानम्, एकविजयश्च

१. दैवतेज्यायां यात्रायाममित्रस्य बहूनि पूज्यागमस्थानानि भक्तितः । तत्रास्य योगमुब्जयेत् ।
२. देवतागृहप्रविष्टस्योपरि यन्त्रमोक्षणेन गूढभित्तिं शिलां वा पातयेत् । शिलाशस्त्रवर्षमुत्तमागारात्कपाटमवपातितं वा भित्तिप्रणिहितमेकदेशबन्धं वा परिधं मोक्षयेत् । देवतादेहस्थप्रहरणानि वास्योपरिष्ठात्पातयेत् । स्थानासनगमनभूमिषु वास्यं गोमयप्रदेहेन, गन्धोदकावसेकेन वा रसमतिचारयेत् पुष्पचू-

कपट उपायों या दण्ड प्रयोगों द्वारा और आक्रमण के द्वारा
विजयोपलब्धि

१. देवपूजन अथवा देवयात्रा के ऐसे अनेक सत्रसर आते हैं, जब कि शत्रु राजा अपनी भक्ति के अनुसार पूजा के लिए वहां आता-जाता है; ऐसे ही अवसरों पर कूट उपायों द्वारा उसके विनाश का यत्न करना चाहिए ।
२. जब शत्रुराजा देवगृह के अन्दर प्रविष्ट हो तब उसके ऊपर यन्त्र को छोड़ कर गूढभित्ति और शिला को गिरा दिया जाय; अथवा मकान की छत से उसके ऊपर पत्थरों तथा हथियारों की वर्षा की जाय; या किवाड़ों को उखाड़ कर उस पर फेंक दिया जाय; अथवा दीवार से छिपे हुए तथा एक ओर से बंधे हुए अर्गला को ही उस पर गिराया जाय; या देवता की देह पर बंधे हुए हथियार उस पर गिरा दिए जाय; अथवा उसके ठहरने, उठने तथा बैठने के स्थानों में विषमिश्रित गोबर का लेप किया जाय; या देवता के प्रसाद के रूप में उसे विष मिली फूलों की बुकनी दी जाय; अथवा

गोपहारेण वा । गन्धप्रतिच्छन्नं वास्य तीक्ष्णं धूममतिनयेत् । शूलकूपमवपातनं वा शयनासनस्याधस्ताद् यन्त्रबद्धतलमेनं कीलमोक्षणेन प्रवेशयेत् । प्रत्यासन्ने वामित्रे जनपदाज्जनमवरोधक्षममतिनयेत् । दुर्गाच्चानवरोधक्षममपनयेत् । प्रत्यादेयमरिविषयं वा प्रेषयेत् । जनपदं चैकस्थं शैलवननदीदुर्गेष्वटवीव्यवहितेषु वा पुत्रभ्रातृपरिगृहीतं स्थापयेत् ।

१. उपरोधहेतवो दण्डोपनतवृत्ते व्याख्याताः ।

२. तृणकाष्ठम् आ योजनाद् दाहयेत् । उदकानि च दूषयेद् ; अत्रास्रावयेच्च । कूटकूपावपातकण्टकिनीश्च बहिरुञ्जयेत् ।

विष की गंध को मारने वाली तीव्र गैस उसको सुंधाई जाय; अथवा उसके सोने या बैठने के स्थान के नीचे एक छिपे हुए गढे में तेज शलाकायें गाड़कर उसके ऊपर शत्रु राजा की चारपाई या कुर्सी आदि को यंत्र के द्वारा अधर पर बाँध दिया जाय और जब वह उस पर सोये या बैठे तब उस यंत्रकाल को खींच कर चारपाई या कुर्सी समेत उसको गढे में डाल दिया जाय; अथवा यदि शत्रु अपने निकटस्थ देश का हो तो अपने कार्य में बाधा डालने वाले उसके जनपदवासियों को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया जाय; और बाधा पहुँचाने में असमर्थ शत्रु की जेल में बंद हुए व्यक्तियों को छुड़ा दिया जाय । शत्रुदेश के ऐसे व्यक्ति को, जिसे अवश्यमेव लौटाना पड़े, स्वयं ही शत्रु देश को भेज दिया जाय । जिन जनपदों पर शत्रु राजा का एकच्छत्र राज्य हो वहाँ के पर्वत दुर्गों, नदीदुर्गों और वनदुर्गों को तथा घने जंगलों से घिरे दूसरे प्रदेशों को शत्रु राजा के पुत्र या वंधुओं के अधिकार में करा देना चाहिए ।

१. उपरोध (घेरा डालना) के उपायों का निरूपण दण्डोपनत नामक प्रकरण में यथास्थान किया जा चुका है ।

२. शत्रु के सैनिक पड़ाव के चारों ओर चार कोस तक की सब घास, लकड़ी आदि जला देनी चाहिए और पानी को विष मिला कर दूषित कर देना चाहिए । उस स्थान के आस-पास के जितने तालाव या बाँध हैं उनको तोड़कर सब पानी बाहर बहा देना चाहिए और शत्रु सेना के मार्ग में

१. सुरुङ्गाममित्रस्थाने बहुमुखीं कृत्वा विचयमुख्यानभिहारयेद् ,
अमित्रं वा । परप्रयुक्तायां वा सुरुङ्गायां परिखामुदकान्तिकीं
खानयेत् , कूपशालामनुसालं वा । अतोयकुम्भान् कांस्यभाण्डा-
नि वा शङ्कास्थानेषु स्थापयेत् खाताभिज्ञानार्थम् । ज्ञाते सुरुङ्गा-
पथे प्रतिसुरुङ्गां कारयेत् । मध्ये भित्त्वा धूममुदकं वा प्रयच्छेत् ।
२. प्रतिविहितदुर्गो वा मूले दायादं कृत्वा प्रतिलोमामस्य दिशं
गच्छेत्—यतो वा मित्रैर्वन्धुभिराटविकैर्वा संसृज्येत, परस्या-
मित्रैर्दूष्यैर्वा महद्भिः ; यतो वा गतोऽस्य मित्रैर्वियोगं कुर्यात् ,

अंधेरे कुए, घास-फूस से ढके गड्ढे तथा जगह-जगह कांटेदार लोहे के जाल बिछा देने चाहिए ।

१. शत्रु के सैन्य शिविर में एक बहुमुखी सुरंग बनाकर शत्रु के प्रधान व्यक्तियों को उसमें फँसा देना चाहिए; अथवा अवसर आने पर शत्रु राजा को भी उसी में फँसा देना चाहिए । यदि विजिगीषु के दुर्ग में आने के लिए शत्रु सुरंग बनाये तो दुर्ग के चारों ओर इतनी गहरी खाई खुदवानी चाहिए कि नीचे का पानी निकल आवे । यदि ऐसा करने में अधिक असुविधा हो तो परकोटे के चारों ओर गहरे-गहरे कुएँ खुदवाये जायँ । अथवा जिन स्थानों में सुरंग बनाये जाने की आशंका हो वहाँ खाली घड़ों को या कांसे के छोटे-छोटे खंभों या कांसे के टुकड़ों को रख दिया जाय; जिससे कि सुरंग खोदने का पता लग जाय । शत्रु की सुरंग का पता लग जाने पर दूसरी सुरंग खुदवा देनी चाहिए अथवा उसको बीच ही में तोड़ कर उसमें विपैला धुआँ या पानी भर देना चाहिए ।

२. अथवा पूरी शक्ति लगा देने पर भी यदि दुर्ग की रक्षा असंभव जान पड़े तो दुर्बल राजा को चाहिए कि राजधानी में अपने पुत्र को नियुक्त करके वह शत्रु की ऐसी प्रतिकूल दिशा में चला जाय, जहाँ से वह शत्रु का अपकार कर सके; अथवा जिस दिशा में जाकर वह अपने मित्रों, बंधु-बांधवों और आटविकों की सहायता लेकर शत्रु की हानि कर सके; अथवा शत्रु के शत्रु और अत्यन्त बलवान् उसके दूष्य पुरुषों से मिलकर शत्रु का नुकसान कर सके; अथवा जहाँ जाकर शत्रु के मित्रों को उससे अलग करवा

पार्श्विण वा गृह्णीयात् , राज्यं वास्य हारयेत् , वीवधासारप्रसारान् वा वारयेत् ; यतो वा शत्रुयाद् आक्षिकवदपक्षेपेणास्य प्रहर्तुं ; यतो वा स्वं राज्यं त्रायेत् , मूलस्योपचयं वा कुर्यात् । यतः सन्धिमभिप्रेतं लभते, ततो वा गच्छेत् ।

१. सहप्रस्थायिनो वास्य प्रेषयेयुः—‘अयं ते शत्रुरस्माकं हस्तगतः; पण्यं विप्रकारं वापदिश्य हिरण्यमन्तस्सारबलं प्रेषयस्व, एनमर्पयेम बद्धं प्रवासितं वा’ इति । प्रतिपन्ने हिरण्यं सारबलं चाददीत ।
२. अन्तपालो वा दुर्गसम्प्रदानेन बलैकदेशमतिनीय विश्वस्तं घातयेत् ।

सके; अथवा शत्रु पर पीछे से आक्रमण कर सके; अथवा शत्रु के राज्य का अपहरण कर सके; अथवा जहाँ जाकर शत्रु के वीवध, आसार और प्रसार को शत्रु के पास तक न पहुँचने दे; अथवा जिस दिशा से वह जुआरी की तरह कपट प्रयोगों के द्वारा शत्रु पर प्रहार कर सके; अथवा जहाँ जाकर वह अपने राज्य की सुरक्षा का प्रबन्ध कर सके; अथवा अपनी राजधानी को समृद्ध बना सके; अथवा जहाँ से उसको इच्छानुसार संधि करने का अवसर मिल सके, उस दिशा में चला जाय ।

१. अथवा दुर्बल राजा के साथ-साथ जाने वाले गुप्तचर शत्रु के पास इस प्रकार का संदेशा भेजें : ‘यह तुम्हारा शत्रु इस समय हमारे कब्जे में है । इसलिए तुम किसी सौदे के वहाने धन भेजकर और किसी अपकार के वहाने अन्तसार सेना को हमारे पास भेज दो । उसके बाद कैद किए या मारे गये इस शत्रु को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे ।’ जब शत्रु राजा इस बात पर राजी होकर धन और सेना भेज दे तो दुर्बल राजा उसको अपने अधीन कर ले ।
२. अथवा अंतपाल को चाहिए कि वह अपना दुर्ग शत्रु के सुपुर्द करके उसकी सेना के कुछ भाग को ऐसी जगह ले जाय, जहाँ से उसका लौटना असंभव हो और विश्वासघात कर उसे वहीं मरवा डाले ।

बारहवाँ अधिकरण : प्रकरण १६८-१७०, अध्याय ५

१. जनपदमेकस्थं वा घातयितुमभित्रानीकमावाहयेत् ; तदवरुद्ध-
देशमतिनीय विश्वस्तं घातयेत् ।
२. मित्रव्यञ्जनो वा बाह्यस्य प्रेषयेत्—‘क्षीणमस्मिन्दुर्गे धान्यं
स्नेहाः क्षारो लवणं वा; तदमुष्मिन्देशे काले च प्रवेक्ष्यति ;
तदुपगृहाण’ इति । ततो रसविद्धं धान्यं स्नेहं क्षीरं लवणं वा
दूष्यामित्राटविकाः प्रवेशयेयुः; अन्ये वा अभित्यक्ताः ।
३. तेन सर्वभाण्डवीवधग्रहणं व्याख्यातम् ।
- ४ सन्धि वा कृत्वा हिरण्यैकदेशमस्मै दद्यात् । विलम्बमानः
शेषम् । ततो रक्षाविधानान्यवसावयेत् ; अग्निरसशस्त्रैर्वा
प्रहरेत् ; हिरण्यप्रतिग्राहिणो वास्य बल्लभाननुगृह्णीयात् ।

१. अथवा किसी एकत्र हुए उच्छृङ्खल जनपद को कावू में करने के लिए अंतपाल शत्रुसेना को बुलाये और उसके बाद उस सेना को ऐसे देश में ले जाय, जहाँ से वह वापस न लौट सके । वहाँ ले जाकर उसको मरवा डाले ।
२. अथवा मित्र के वेप में रहने वाले सभी गुप्तचर शत्रुराजा के पास इस प्रकार का संदेश भिजवायें : ‘शत्रु के इस दुर्ग में अन्न, घी, तेल, गुड तथा नमक आदि सब पदार्थ समाप्त हो चुके हैं । यह सब सामान अमुक स्थान से अमुक समय में ले जाया जायगा । तुम उसको रास्ते में ही लूट लेना ।’ तदनन्तर विजिगीषु के दूष्य, शत्रु तथा आटविक विषमिश्रित उक्त सामान को उसी समय उन्हीं मार्गों से लेकर गुजरें अथवा दूसरे वध्य पुरुष उस सामान को ले जायें ।
३. इसी प्रकार दूसरे विषयुक्त खाद्यपदार्थों को शत्रु राजा तक पहुँचाने के संबंध में भी समझ लेना चाहिए ।
४. अथवा दुर्बल राजा, शत्रु राजा के साथ संधि करके प्रतिज्ञात धन का कुछ हिस्सा तत्काल ही उसे दे दे और शेष भाग को विलंब से देने का वादा कर, उसे भी ठीक समय पर अदा कर दे । इस प्रकार जब शत्रु का उस पर विश्वास हो जाय तो अपनी रक्षा के लिए चारों ओर तैनात शत्रुसेना को वह हटा ले और स्वतन्त्र होकर विष, अग्नि तथा शस्त्रों द्वारा शत्रु पर प्रहार

१. परिक्षीणो वास्मै दुर्गं दत्त्वा निर्गच्छेत्सुरुङ्गया । कुक्षिप्रदरेण वा प्राकारभेदेन निर्गच्छेत् ।
२. रात्राववस्कन्दं दत्त्वा सिद्धस्तिष्ठेत् ; असिद्धः पार्श्वेनापगच्छेत् , पाषण्डच्छद्मना मन्दपरिवारो निर्गच्छेत् ; प्रेतव्यञ्जनो वा गूढैर्निहियेत; स्त्रीवेषधारी वा प्रेतमनुगच्छेत् ।
३. दैवतोपहारश्राद्धप्रवहणेषु वा रसविद्धमन्नपानमवसृज्य कृतोपजापो दूष्यव्यञ्जनैर्निष्पत्य गूढसैन्योऽभिहन्यात् ।
४. एवं गृहीतदुर्गो वा प्राश्यप्राशं चैत्यमुपस्थाप्य दैवतप्रतिमा-

करे; अथवा काचू में आने वाले शत्रु के अवरुद्ध वंधु-वांधवों को धन देकर उन्हीं के द्वारा शत्रु को मरवा दे ।

१. अथवा यदि दुर्बल राजा शत्रु का प्रतीकार करने में सर्वथा असमर्थ हो तो अपना दुर्ग वह शत्रु को देकर सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाय; अथवा सुरंग न होने पर जहाँ से परकोटे की दीवार कच्ची हो उसको तोड़ कर बाहर निकल जाय ।
२. रात में सोते समय शत्रु के ऊपर छापा मारने में यदि कार्यसिद्धि संभव हो तो दुर्बल राजा अपने दुर्ग में डटा रहे और यदि ऐसी आशा न हो तो पास से होकर निकल भागे । बाहर निकलने के लिए उसको चाहिए कि पाषण्डी का वेष बनाकर थोड़ा सा परिवार साथ लेकर; अथवा अर्धी पर रखकर गुप्तचरों के द्वारा या स्त्री का वेष धारण कर किसी मृतक की अर्धी के पीछे—इन तरीकों से वह बाहर निकल जाय ।
३. देववलि (दैवतोपहार), श्राद्ध तथा पार्टियों (प्रवहण) आदि के अवसरों पर शत्रु को विषाक्त अन्नादि देकर; या दूष्य गुप्तचरों द्वारा शत्रुपक्ष का उपजाप करके, छिपी हुई सेना को लेकर दुर्बल राजा अपने शत्रु पर धावा बोल दे ।
४. इस प्रकार शत्रु के द्वारा अपना दुर्ग ले लिए जाने पर विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह पर्याप्त खाद्यसामग्री रखकर किसी देवालय की प्रतिमा में छेद करके उसके भीतर घुस कर बैठ जाय; अथवा किसी दीवार पर छेद

च्छिद्रं प्रविश्यासीत; गूढभित्तिं वा दैवतप्रतिमायुक्तं भूमि-
गृहम् । विस्मृते सुरुङ्गया रात्रौ राजावासमनुप्रविश्य सुप्तममित्रं
हन्यात् । यन्त्रविश्लेषणं वा विश्लेष्याधस्तादवपातयेत् । रसा-
ग्नियोगेनावलिप्तं गृहं जतुगृहं वाधिशयानममित्रमादीपयेत् ।

१. प्रमदवनविहाराणामन्यतमे वा विहारस्थाने प्रमत्तं भूमिगृह-
सुरुङ्गागूढभित्तिप्रविष्टास्तीक्ष्णा हन्युः, गूढप्रणिहिता वा रसेन ।
स्वपतो वा निरुद्धे देशे गूढाः स्त्रियः सर्परसाग्निधूमानुपरि
मुञ्चेयुः ।
२. प्रत्युत्पन्ने वा कारणे यद्यदुपपद्येत तत्तदमित्रेऽन्तःपुरगते गूढस-
ञ्चारः प्रयुञ्जीत, ततो गूढमेवापगच्छेत्, स्वजनमंज्ञां च
प्ररूपयेत् ।

करके वहाँ बैठ जाय; या किसी देवप्रतिमा से युक्त तहखाने (भूमिगृह) में
बैठ जाय । जब शत्रु राजा, विजिगीषु को सर्वथा नष्ट हुआ जानकर सर्वथा
भुला दे तब सुरंग के द्वारा रात में राजा के शयनागार में प्रविष्ट होकर
वह राजा को मार डाले; अथवा शयनागार में लगे यन्त्र को ढीला करके
उसको राजा के ऊपर गिरा दे; अथवा अग्निरक्षित घर में या लाख के
घर में सोते हुए शत्रु राजा को मार डाले ।

१. अथवा प्रमदवन और विहार में या केवल विहार में मदविह्वल शत्रु
राजा को सुरंगों या तहखानों में छिपे हुए गुप्तचर मार डालें; अथवा
छिपकर रहने वाले रसोइया तथा मांस बनाने वाले गुप्तचर विष देकर
शत्रु को मार डालें; या किसी निषिद्ध एकांत में सोते हुए राजा के ऊपर
गुप्त वेषधारी स्त्री, सर्प, विष या अग्नि का प्रयोग कर उसको मार डाले ।
२. अथवा समयानुसार जैसे कारण उपस्थित हों उन्हीं के अनुकूल उपायों
द्वारा विजिगीषु अन्तःपुर में गये हुए शत्रु राजा को छिपकर मार डाले और
छिपकर ही बाहर निकल आवे । अपने छिपे हुए व्यक्तियों को वह इशारों
से उक्त अभिप्राय को समझा दे ।

१. द्वाःस्थान् वर्षवरांश्चान्यान् निगूढोपहितान् परे ।
तूर्यसंज्ञाभिराहूय द्विपच्छेषाणि घातयेत् ॥

इति आवलीयसे द्वादशोऽधिकरणे योगातिसन्धानं दण्डातिसन्धानम्
एकविजयश्चेति पञ्चमोऽध्यायः; आदितश्चत्वारिं-
शदधिकशततमोऽध्यायः ।

समाप्तमिदमावलीयसं नाम द्वादशमधिकरणम् ।



१. द्वारपाल, नपुंसक तथा अन्तःपुर आदि के अन्य गुप्तचर वेपधारी कर्म-
चारियों को तथा शत्रु के ऊपर छिपे तौर पर नियुक्त दूसरे गुप्तचरों को
बाजे आदि के विशेष संकेतों द्वारा बुलाकर शत्रु के वाकी आदमियों को भी
मार डाला जाय ।

आवलीयस नामक बारहवें अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।



दुर्गलम्भोपाय
तेरहनाँ अधिकरण

सूक्तकरण १७१

अध्याय १

उपजापः

१. विजिगीषुः परग्राममवाप्तुकामः सर्वज्ञदैवतसंयोगख्यापनाभ्यां स्वपक्षमुद्धर्षयेत् , परपक्षं चोद्वेजयेत् ।
२. सर्वज्ञख्यापनं तु—गृहगुह्यप्रवृत्तिज्ञानेन प्रत्यादेशो मुख्यानां; कण्टकशोधनापसर्पागमेन प्रकाशनं राजद्विष्टकारिणां, विज्ञाप्यो-पायनख्यापनमदृष्टसंसर्गविद्यासंज्ञादिभिः, विदेशप्रवृत्तिज्ञानं तदहरेव गृहकपोतेन मुद्रासंयुक्तेन ।

उपजाप

१. यदि विजिगीषु राजा अपने शत्रु के गाँव या शहर पर अधिकार करने का इच्छुक हो तो उसे चाहिए कि वह स्वयं को सर्वज्ञ तथा देवता का साक्षात्कार करने वाला प्रसिद्ध करके अपने पक्ष को उत्साहित करे और शत्रुपक्ष में वेचैनी फैला दे ।
२. सर्वज्ञता की प्रसिद्धि के तरीके : अपनी सर्वज्ञता का प्रचार-प्रसार करने के लिये विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने गुप्तचरों द्वारा, प्रमुख व्यक्तियों के घरों में छिपे तौर पर होने वाले बुरे कार्यों का, पता लगाकर उन प्रमुख व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने से वर्जित करे । कण्टक शोधन अधिकरण में निदिष्ट अपसर्पोपदेश के द्वारा अपने शत्रुओं के गुप्त भेदों को जानकर उन्हें उनके सामने प्रकट करे और ऐसा करने से उन लोगों को रोके । दूसरों लोगों से अज्ञात संसर्ग विद्या (नाचना, गाना) के संकेतों द्वारा अथवा गुप्तचरों से पता लगाकर राजा के लिए भेंट स्वरूप आने वाली वस्तुओं को वह पहिले ही बतला दे । विदेश में घटित होने वाली घटना को वह मुद्रायुक्त कपोत के द्वारा अपने घर पर बैठा ही बतला दे ।

१. दैवतसंयोगख्यापनं तु—सुरुङ्गामुखेनाग्निचैत्यदैवतप्रतिमाच्छिद्रानुप्रविष्टैरग्निचैत्यदैवतव्यञ्जनैः सम्भाषणं पूजनं च, उदकादुत्थितैर्वा नागवरुणव्यञ्जनैः सम्भाषा पूजनं च, रात्रावन्तरुदके समुद्रवालुकाकोशं प्रणिधायान्निमालादर्शनम्, शिलाशिक्यावृहीते प्लवके स्थानम्, उदकवस्तिना जरायुणा वा शिरोऽवगूढनासः पृषतान्त्रकुलीरनक्रशिशुमारोद्रवसाभिर्वा शतपाक्यं तैलं नस्तः प्रयोगः तेन रात्रिगणशश्वरति इत्युदकचरणानि, तैर्वरुणनागकन्यावाक्यक्रिया सम्भाषणं च, कोपस्थानेषु मुखादग्निधूमोत्सर्गः ।

१. दैवसाक्षात्कार की प्रसिद्धि के तरीके : अपने दैव-साक्षात्कार के प्रचार-प्रसार के लिए विजिगीषु को चाहिए कि सुरंग के द्वारा आग के बीच में तथा देवताओं की पोली प्रतिमाओं के बीच में और समाधि (चैत्य) के बीच में गुप्तचरों को भेजकर राजा उनसे बातचीत करे एवं उनका पूजन करे; अथवा पानी से निकले नागदेव तथा वरुण के वेप में रहने वाले गुप्तचर से बातचीत करे और उनकी पूजा भी करे । रात में मजबूत एवं जिनके भीतर पानी प्रवेश न कर सके, ऐसी पेटियों में रेता भर कर उनको पानी में छिपा दिया जाय और फिर उसके द्वारा पानी में आग लगाकर दिखाया जाय । रस्सियों में पत्थर बांध कर उनको नाव के नीचे से पानी में लटका दिया जाय, जिससे कि तेज धारा में नाव स्थिर खड़ी रह जाय । उदकवस्ती (वाटरप्रूफ कपड़ा) अथवा जरायु (गर्भाशय के समान बनी हुई चमड़े की थैली) से शिर और नासिका ढककर, सांभर की आँत (पृषतातंत्र), केंकडा (कुलीर), मगर (नक्र), शिरस नामक मछली (शिशुमार) और हूद (उद्र) नाम की मछली की चर्बी के साथ तेल को सौ बार पका कर उसका जो घोल तैयार हो उसको नाक में डाल दिया जाय । ऐसा करने से रात में झुंड के झुंड पुरुष जल में संतरण कर सकते हैं । जल में तैरते हुए वे पुरुष वरुण या नाग की कन्याओं जैसी आवाज निकालें और राजा उनके साथ बातचीत करे । क्रोधावेश प्रकट करते समय राजा ओषधियों के द्वारा अपने मुंह से आग और धुआँ उगले ।

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७१, अध्याय १

१. तदस्य स्वविषये कार्तान्तिकनैमित्तिकमौहूर्तिकपौराणिकेक्षणिक-
गूढपुरुषाः साचिव्यकरास्तदर्शिनश्च प्रकाशयेयुः । परस्य विषये
दैवतदर्शनं दिव्यकोशदण्डोत्पत्तिं च अस्य ब्रूयुः । दैवतप्रश्न-
निमित्तवायसाङ्गविद्यास्वप्नमृगपक्षिव्याहारेषु चास्य विजयं
ब्रूयुः, विपरीतमित्रस्य सदुन्दुभिमुल्कां च परस्य नक्षत्रे
दर्शयेयुः ।
२. परस्य मुख्यान्मित्रत्वेनापदिशन्तो दूतव्यञ्जनाः स्वामिसत्कारं
ब्रूयुः । स्वपक्षवलाधानं परपक्षप्रतिघातं च तुल्ययोगक्षेममात्या-
नामायुधीयानां च कथयेयुः । येषु व्यसनाभ्युदयावेक्षणमपत्य-
पूजनं प्रयुञ्जीत ।

१. राजा की उक्त आश्चर्यमयी बातों को उसके सहायक तथा दैवज्ञ (कार्तान्तिक), शुभाशुभ फल को बताने वाले (नैमित्तिक), ज्योतिषी (मौहूर्तिक), कथा-वाचक (पौराणिक), प्रश्नवक्ता (ईक्षणिक) और गुप्तपुरुष सर्वत्र प्रचारित करें । शत्रुदेश में भी ये लोग राजा के दैव-सत्कार तथा स्वेच्छया दिव्य-कोष एवं दिव्य सेना को पैदा कर देने की सनसनीपूर्ण खबर फैला दें । दैवतप्रश्न (भाग्यप्रश्न), शकुन (निमित्त), काकविद्या (वायसविद्या), अंग को देखकर फलाफल का निर्देश (अंगविद्या), स्वप्न, पशु-पत्नी आदि सभी निमित्तों से राजा की विजय को सूचित किया जाय और उत्कापात आदि को दिखाकर यह प्रसिद्धि करें कि शत्रु का कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है ।
२. शत्रुमुख्यों के साथ मित्ररूप में रहने वाले गुप्तचर उनके सामने अपने स्वामी के द्वारा प्राप्त अपने आदर-सत्कार की खबर बड़ाई करें । शत्रु-प्रकृति तथा शत्रु-सेना के सामने वे गुप्तचर अपने पक्ष की सेना की उन्नति और शत्रुपक्ष का सेनाके हास अथवा दोनों के समान योगक्षेम की चर्चा करें । अमात्यों और सैनिकों के सामने वे कहें कि उनका राजा विपत्ति के समय अपने अनुचरों की पूरी सहायता करता है तथा अभ्युदय के समय दान, मान, संमान से सबको खुश करता है । किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी के मर जाने पर उसके पुत्रों को संकृत करता है ।

१. तेन परपक्षमुत्साहयेद्यथोक्तं पुरस्तात् । भूयश्च वक्ष्यामः—
साधारणगर्दभेन दक्षान् , लकुटशाखाहननाभ्यां दण्डचारिणः,
कुलैडकेन चोद्विग्नान् , अशनिवर्षेण विमानितान् , विदुलेना-
वकेशिना वायसपिण्डेन कैतवजमेघेन वा विहताशान् ,
दुर्भगालङ्कारेण द्वेषिणेति पूजाफलान् , व्याघ्रचर्मणा मृत्युकूटेन
चोपहितान् , पीलुविखादनेन करकयोष्ट्या गर्दभीक्षीराभिम-
न्थनेनेति ध्रुवापकारिण इति ।

२. प्रतिपन्नान् अर्थमानाभ्यां योजयेत् । द्रव्यभक्तच्छिद्रेषु चैनान्

१. उक्त सभी कारणों का बखान कर शत्रु के अधीनस्थ कर्मचारियों को उससे भिन्न कर दिया जाय । शत्रुपक्ष में भेद डालने के लिए कुछ उपायों का वर्णन पीछे कर दिया गया है और कुछ विशेष उपाय इस प्रकार हैं : कार्य-पट्ट एवं कर्मठ व्यक्तियों से यह कह दिया जाय कि राजा ने तुम को बिल्कुल गधा बना दिया है । इसी प्रकार सैनिकों से कहा जाय कि राजा ने उन्हें लठैत बना रखा है । शत्रु राजा से भयभीत कर्मचारियों को कहा जाय कि उन्हें झुंड से विछुड़े हुए या जीवन से निराश एक मेढे या वकरे की तरह बना दिया है । तिरस्कृत व्यक्तियों को कहा जाय कि किस प्रकार उन्होंने ने इतने वज्रपात के समान अपमान को चुपचाप पी लिया है । सर्वथा निराश व्यक्तियों को फलहीन वेंट, अखाद्य अन्नपिण्ड या न बरसने वाले बादल की उपमा देकर स्वामी राजा के विरोध में उकसाया जाय । ससंमान आभूषण आदि देकर पुरस्कृत व्यक्तियों से कहा जाय कि व्यभिचारिणी स्त्री को गहना पहनाने से क्या लाभ ? शत्रु द्वारा ठगे गये व्यक्तियों को मृत्यु स्थान बनावटी व्याघ्र जैसे राजा का उदाहरण दिया जाय । शत्रु के निकटवर्ती सदा ही अपकार करने वाले व्यक्तियों को कहा जाय कि उन्हें तो पीलु वृक्ष का फल खिलाकर, ओले दिखाकर ऊँटनी तथा गदही का दूध मथने का काम दिया गया है ।

२. जो लोग उकसाने में आकर शत्रु राजा का विरोध करने लगें उन्हें अच्छी तरह सत्कृत किया जाय और उन पर धन-अन्न का संकट आने पर उनकी

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७१, अध्याय १

द्रव्यभक्तदानैरनुगृहीयात् । अप्रतिगृह्णतां स्त्रीकुमारालङ्कारान-
मिहरेयुः ।

१. दुर्भिक्षस्तेनाटव्युपघातेषु च पौरजानपदानुत्साहयन्तः सत्रिणो
ब्रूयुः—‘राजानमनुग्रहं याचामहे, निरनुग्रहाः परत्र गच्छामः’ इति ।

२. तथेति प्रतिपन्नेषु द्रव्यधान्यपरिग्रहैः ।
साचिव्यं कार्यमित्येतदुपजापाद्भुतं महत् ॥

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशोऽधिकरणे उपजापो नाम प्रथमोऽध्यायः;

आदित एकचत्वारिंशदुत्तरशततमः ।



पूरी सहायता की जाय । यदि वे लोग गौरव नष्ट होने के विचार से इस प्रकार अन्न-धन की सहायता लेना मंजूर न करें तो उनके स्त्री-पुत्रों को आभूषण आदि बना कर भेज दिए जायें ।

१. दुर्भिक्ष के समय और चोर तथा आटविकों की लूट-मार की दशा में गुप्तचर शत्रु राजा के ग्रामवासियों, नगरवासियों तथा जनपदवासियों को उरसाहित करते हुए कहें कि ‘हम लोग राजा से सहायता की याचना करें । यदि राजा हमारी सहायता नहीं करता है तो हम लोगों को दूसरे राजा के आश्रय में चला जाना चाहिए ।’ इस प्रकार शत्रु देश की प्रजा को राजा से भिन्न किया जाय ।

२. जब शत्रु देश की प्रजा गुप्तचरों की बात से राजी हो जाय तो विजिगीषु राजा को धन, धान्य और निवास की सुविधा देकर उनकी सहायता करनी चाहिए । शत्रुपक्ष को शत्रु से भिन्न करने का यह अद्भुत उपाय है ।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में प्रथम अध्याय समाप्त ।



प्रकरण १७२

अध्याय २

योगनामनम्

१. मुण्डो जटिलो वा पर्वतगुहावासी चतुर्वर्षशतायुर्ब्रुवाणः प्रभूत-
जटिलान्तेवासी नगराभ्याशे तिष्ठेत् । शिष्याश्वास्य मूलफलो-
पगमनैरमात्यान् राजानं च भगवद्दर्शनाय योजयेयुः ।
समागतश्च राज्ञा पूर्वराजदेशाभिज्ञानानि कथयेत्—‘शते शते
च वर्षाणां पूर्णेऽहमग्निं प्रविश्य पुनर्बालो भवामि, तदिह
भवत्समीपे चतुर्थमग्निं प्रवेक्ष्यामि । अवश्यं मे भवान्मान-
यितव्यः, त्रीन् वरान् वृणीष्व’ इति । प्रतिपन्नं ब्रूयात्—
‘सप्तरात्रमिह सपुत्रदारेण प्रेक्षाप्रहवणपूर्वं वस्तव्यम्’ इति ।
वसन्तमवस्कन्देत् ।

कपट उपायों द्वारा राजा को लुभाना

१. मुण्डित या जटाधारी साधू के वेश में पहाड़ की गुफा में अपने अनेक
शिष्यों सहित रहने वाले गुप्तचर अपनी आयु को चार सौ वर्ष की
बताकर नगर के समीप डेरा डालें । वे शिष्य लोग राजा तथा उसके
अमात्यों को कंद, मूल, फल लेकर उस भगवत्स्वरूप सिद्ध पुरुष के दर्शन
करने के लिए उत्साहित करें । जब राजा उसके दर्शनार्थ जाये तब वह
साधुवेषधारी गुप्तचर प्राचीन राजाओं और देशों के संबंध में अनेक बातें
बताये तथा कहे ‘मैं सौ वर्ष बीत जाने पर अग्नि में प्रवेश करके फिर
बालक बन जाता हूँ । अब यहाँ पर आप के सामने चौथी बार अग्नि में
प्रवेश करूँगा । कुछ वरदान देकर मैं आपको संमानित करना चाहता हूँ ।
अपने इच्छानुसार आप मुझसे तीन वर माग सकते हैं ।’ यदि राजा इन
बातों को मान ले तो आगे कहे ‘आप अपने स्त्री-पुत्रों सहित सात रात्रितक
खेल-तमाशा देखने के लिए यहाँ मेरे आश्रम पर निवास करें ।’ जब वह

१. मृण्डो वा जटिलो वा स्थानिकव्यञ्जनः प्रभूतजटिलान्तेवासी वस्तशोणितदिग्धां वेणुशलाकां सुवर्णचूर्णेनावलिप्य वल्मीके निदध्यादुपजिह्विकानुसरणार्थं, स्वर्णनालिकां वा । ततः सत्री राज्ञः कथयेत्—‘असौ सिद्धः पुष्पितं निधिं जानाति’ इति । स राज्ञा पृष्टः ‘तथा’ इति ब्रूयात् । तच्चाभिज्ञानं दर्शयेत् । भूयो वा हिरण्यमन्तराधाय ब्रूयाच्चैनम्—‘नागरक्षितोऽयं निधिः प्रणिपातसाध्यः इति । प्रतिपन्नं ब्रूयात्—‘सप्तरात्रम्’ इति समानम् ।
२. स्थानिकव्यञ्जनं वा रात्रौ तेजनाग्नियुक्तमेकान्ते तिष्ठन्तं सत्रिणः क्रमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः—‘असौ सिद्धः

राजा सपरिवार वहां रहने लगे तो सोते समय चुपके से उसको मार दिया जाय ।

१. अथवा मुंडित या जटाधारी के वेष में अनेक शिष्यों सहित किसी स्थान में रहने वाला मठाधीश गुप्तचर बकरे के खून से सनी तथा स्वर्ण चूर्ण से लिपटी, या सुवर्ण युक्त एक बांस की नली को जंगल में जाकर पहिचान के लिए किसी बाँधी में रख दे । वह बांस की नली ऐसे स्थान पर रख दी जाय जिससे साँप भासानी से भीतर-बाहर आ-जा सके । तदनंतर सत्री गुप्तचर राजा से जाकर कहे ‘अमुक सिद्ध पुरुष जमीन में गड़े हुए खजाने को बता सकता है ।’ राजा के पूछने पर अपनी अभिज्ञता को स्वीकार कर ले और तरसंबंधी कुछ चिह्न भी बताये । अथवा वहां और भी धन गाड़ कर राजा से कहे कि ‘यह खजाना साँपों से सुरक्षित है । इसलिए इसको षड़ी तजबीज से ही प्राप्त किया जा सकता है ।’ जब राजा, सिद्ध की बातों को मान ले तब उससे कहे ‘आपको सात रात तक सपरिवार मेरे समीप रहना होगा ।’ तदनंतर सोते समय रात में उसको मार डाला जाय ।
२. अथवा रात्रि के एकांत में अपने शरीर को अग्नि के समान प्रज्वलित कर बैठे हुए उस सिद्ध महात्मा को सत्री गुप्तचर राजा को दिखायें तथा राजा से कहें कि ‘यह सिद्ध पुरुष भावी समृद्धि को बता सकता है ।’ तदनंतर राजा उस सिद्ध पुरुष से जिस समृद्धि की याचना करे उसको भविष्य में

सामेधिकः' इति । तं राजा यमर्थं याचेत, तमस्य करिष्य-
माणः 'ससरात्रम्' इति समानम् ।

१. सिद्धव्यञ्जनो वा राजानं जम्भकविद्याभिः प्रलोभयेत् । 'तं राजा' इति समानम् ।
२. सिद्धव्यञ्जनो वा देशदेवतामभ्यर्हितामाश्रित्य प्रह्वणैरभीक्ष्णं प्रकृतिमुख्यानभिसंवास्य क्रमेण राजानमतिसन्दध्यात् ।
३. जटिलव्यञ्जनमन्तरुदकवासिनं वा सर्वश्वेतं तटसुरुङ्गाभूमिगृहा-
पसरणं वरुणं नागराजं वा सत्रिणः क्रमाभिनीतं राष्ट्र-
कथयेयुः । 'तं राजा' इति समानम् ।
४. जनपदान्तेवासी सिद्धव्यञ्जनो वा राजानं शत्रुदर्शनाय योज-
येत् । प्रतिपन्नं विभ्रं कृत्वा शत्रुमावाहयित्वा निरुद्धे देशे
घातयेत् ।

पूरा कर देने का वायदा कर राजा को सात रात्रि तक सपरिवार आश्रम में रहने के लिए कहा जाय और फिर पूर्ववत् उसको मार डाला जाय ।

१. अथवा सिद्ध के वेष में रहने वाला गुप्तचर राजा को कपट विद्याओं से प्रलोभन में फंसाकर पूर्ववत् मार डाले ।
२. अथवा सिद्ध के वेष में रहने वाला गुप्तचर किसी प्रसिद्ध देवता के मंदिर में रहकर निरंतर सहभोज और उत्सव के द्वारा राजा की अमात्यप्रकृति को अपने वश में करके उस प्रकृतिवर्ग के ही द्वारा राजा को मरवा डाले ।
३. इसी प्रकार मुण्डित या जटाधारी गुप्तचर उदकचरी विद्याओं के द्वारा अपने आप को जल के भीतर छिपा कर अपने स्वरूप को स्वच्छ, श्वेत एवं दिव्य, देवता के रूप की तरह बना ले । फिर सत्री गुप्तचर उसको वरुण देवता या नागराज कहकर उसका प्रचार करे । जब राजा उस पर विश्वास कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की याचना करे तो उसे पूर्ववत् मार डाला जाय ।
४. अथवा जनपद की सीमा में रहने वाला सिद्धवेष गुप्तचर वहां के राजा को शत्रु राजा से मिला देने का प्रपंच रचे । जब राजा इस पर राजी हो जाय

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७२, अध्याय २

१. अश्वपण्योपयाता वैदेहकव्यञ्जनाः पण्योपायननिमित्तमाहूय राजानं पण्यपरीक्षायामासक्तमश्वव्यतिकीर्णं वा हन्युः, अश्वैश्च प्रहरेयुः ।
२. नगराभ्यां वा चैत्यमारुह्य रात्रौ तीक्ष्णाः कुम्भेषु नालीन् वा विदलानि धमन्तः—‘स्वामिनो मुख्यानां वा मांसानि भक्षयिष्यामः, पूजा नो वर्तताम्’ इत्यव्यक्तं ब्रूयुः । तदेषां नैमित्तिकमौहूर्तिकव्यञ्जनाः ख्यापयेयुः ।
३. मङ्गल्ये वा हृदे तटाकमध्ये वा रात्रौ तेजनतैलाभ्यक्ता नागरूपिणः शक्तिमुसलान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तथैव ब्रूयुः । ऋक्षचर्मकञ्चुकिनो वा अग्निधूमोत्सर्गयुक्ता रक्षोरूपं वहन्त-

तो पूर्व निर्धारित सांकेतिक चिह्नों के द्वारा शत्रु राजा को वहां बुलाकर फिर उस फंसाये गए राजा को एकांत में मार दिया जाय ।

१. घोड़ों के व्यापारी गुप्तचर अच्छे-अच्छे घोड़ों को लेकर शत्रु राज्य में जायें और सौदे के बहाने शत्रु राजा को अपने पास बुलायें । जब राजा घोड़ों की परीक्षा कर ले या घोड़ों से घिर जाय तब उसको मार दिया जाय और उन्हीं घोड़ों पर सवार होकर उसकी राजधानी पर हमला बोल दिया जाय ।
२. अथवा नगर के समीपस्थ किसी समाधि या शमशान में खड़े वृक्ष पर चढ़ कर सत्री गुप्तचर रात में अव्यक्त रूप से इस प्रकार बोलें ‘हम इस राजा के या इसकी मुख्य प्रकृतियों के मांस को अवश्य खायेगे; हमारी पूजा होनी चाहिए ।’ इस बात को शकुनवक्ता (नैमित्तिक) तथा ज्योतिषी (मौहूर्तिक) के वेष में रहने वाले गुप्तचर सर्वत्र प्रकाशित कर दें ।
३. अथवा किसी मांगलिक गहरे जलाशय में रात के समय वे गुप्तचर नाग का रूप बनाकर तथा शरीर में जलने वाले तेल की मालिश कर हाथ में लोहे की बनी हुई शक्ति और मूसल लेकर उन्हें परस्पर रगड़ते हुए चिल्लाये कि हम राजा और उसके मंत्रियों का मांस खायेगे; हमारी पूजा होनी चाहिए । अथवा रीछ की खाल को ओढ़ कर राक्षसों का वेष बनाये मुँह से भाग-धुआँ उगलते हुए, नगर के चारों ओर बाँई ओर से तीन

- स्त्रिरपसव्यं नगरं कुर्वाणाः श्वश्रुगालवाशितान्तरेषु तथैव
 ब्रूयुः । चैत्यदैवप्रतिमां वा तेजनतैलेनाभ्रपटलच्छन्नेनाग्निना
 वा रात्रौ प्रज्वाल्य तथैव ब्रूयुः । तदन्ये ख्यापयेयुः ।
१. दैवतप्रतिमानामभ्यर्हितानां वा शोणितेन प्रस्त्रावमतिमात्रं
 कुर्युः । तदन्ये देवरुधिरसंस्त्रावे संग्रामे पराजयं ब्रूयुः ।
 २. सन्धिरात्रिषु श्मशानप्रमुखे वा चैत्यमूर्ध्वभक्षितैर्मनुष्यैः प्ररूप-
 येयुः । ततो रक्षोरूपी मनुष्यकं याचेत् । यश्चात्र शूरवादिकोऽ-
 न्यतमो वा द्रष्टुमागच्छेत् तमन्ये लोहमुसलैर्हन्युः, यथा
 रक्षोभिर्हत इति ज्ञायेत् । तदद्भुतं राज्ञस्तद्दर्शिनः सत्रिणश्च
 कथयेयुः । ततो नैमित्तिकमौहूर्तिकव्यञ्जनाः शान्तिं प्रायश्चित्तं

परिक्रमा करते हुए वे गुप्तचर कुत्तों तथा सियारों की भाषा में ऊपर की
 तरह आवाज लगायें । अथवा जलने वाले तेल (तेजनतैल) में अभ्रक
 मिलाकर उसके बीच में श्मशान के देवता की ढकी हुई मूर्ति को रात में
 जलाकर वे गुप्त पुरुष राजा तथा उसके मंत्रियों को खा जाने की बात कहें ।
 दूसरे सभी गुप्तचर इन बातों को नगर भर में फैला दें ।

१. अथवा गुप्तचर देवप्रतिमाओं के भीतर से बकरे आदि के खून को इस प्रकार
 बहाये कि देखने वालों को ऐसा प्रतीत हो कि देवप्रतिमायें स्वयं ही खून
 उगल रही हैं । तदनंतर गुप्तचर इस अपशकुन को नगर भर में यह कह
 कर प्रचारित करे कि संग्राम में अवश्य ही राजा की पराजय होगी ।
२. अथवा पूर्णिमा या अमावस की रातों में ऊपर के भाग जिनके खाये गये हैं ऐसे
 मनुष्यों द्वारा चिता के चिह्नों को दिखाया जाय । तदनंतर राक्षस बना हुआ कोई
 गुप्तचर वही प्रकट होकर अपने भोजन के लिए एक पुरुष को माँगे । अपने आप
 को बहादुर रहने वाला जो—कोई भी व्यक्ति वहाँ देखने के लिए आया हो
 उसको दूसरे सभी गुप्तचर लोहे के सूसलों से मार डालें, जिससे सब लोगों को
 यही मालूम हो कि अमुक व्यक्ति को राक्षसों ने मार डाला है । इस अद्भुत
 घटना को देखने वाले लोग तथा गुप्तचर इस बात को राजा तक पहुँचायें ।
 तदनंतर गुप्तचरों के वेष में रहने वाले नैमित्तिक तथा मौहूर्तिक लोग राजा
 से शान्ति और प्रायश्चित्त के लिए कहें कि यदि ऐसा न किया गया तो

ब्रूयुः—‘अन्यथा महदकुशलं राज्ञो देशस्य च’ इति ।
प्रतिपन्नम्—‘एतेषु सप्तरात्रमेकैकमन्त्रबलिहोम स्वयं राज्ञा
कर्तव्यम्’ इति ब्रूयुः । ततः समानम् ।

१. एतान् वा योगानात्मनि दर्शयित्वा प्रतिकुर्वीत, परेषामुप-
देशार्थम् । ततः प्रयोजयेद्योगान् । योगदर्शनप्रतीकारेण वा
कोशाभिसंहरणं कुर्यात् ।
२. हस्तिकामं वा नागवनपाला हस्तित्ना लक्षण्येन प्रलोभयेद्युः,
प्रतिपन्नं गहनमेकायनं वाऽतिनीय घातयेद्युः, बहुध्वा
त्रापहरेद्युः ।
३. तेन मृगयाकामो व्याख्यातः ।
४. द्रव्यस्त्रीलोलुपमाढ्यविधवाभिर्वा परमरूपयौवनाभिः स्त्रीभिर्दा-

राजा-प्रजा का वधा अनिष्ट होगा । जब राजा इस बात को स्वीकार कर ले
तो उस दुर्निमित्त शांति के लिए राजा को सात रात्रि तक बलि, मंत्र तथा
होम करने को राजी कर पूर्ववत् उसका वध किया जाय ।

१. विजिगीषु राजा को चाहिए कि उक्त सभी योगों को वह स्वयं तथा अपने
गुप्तचरों, अपने सहायकों को सिखलाये और तब अपने ऊपर किए जाने वाले
इस प्रकार के योगों का प्रतीकार कराये । यथावसर उन प्रयोगों द्वारा
शत्रु को अपने वश में करे । अथवा इन्हीं प्रयोगों के द्वारा अपना कोष बढ़ाये ।
२. अथवा विजिगीषु के हस्तिकानों के रक्तक पुष्प अच्छे हाथियों को दिखाकर,
हाथी की इच्छा रखने वाले शत्रु राजा को, प्रलोभन दें । जब वह इस बात
पर राजी हो जाय तो घने जंगल में ले जाकर उसको मार दिया जाय; अथवा
गिरफ्तार कर अपने राजा के पास ले आवें ।
३. इसी प्रकार शिकार की इच्छा रखने वाले शत्रुराजा के संबंध में भी समझना
चाहिए ।
४. अथवा जो राजा धन तथा स्त्रियों की कामना करता हो उसको सत्री
गुप्तचर धनसंपन्न विधवा स्त्रियों के द्वारा या दायभाग तथा अमानत के

यादनिक्षेपार्थमुपनीताभिः सत्रिणः प्रलोभयेयुः । प्रतिपन्नं
रात्रौ सत्रिच्छन्नाः समागमे शस्त्रसाभ्यां घातयेयुः ।

१. सिद्धप्रव्रजितचैत्यस्तूपदैवतप्रतिमानामभीक्ष्णाभिगमनेषु वा भू-
मिगृहसुरुङ्गागूढभित्तिप्रविष्टास्तीक्ष्णाः परमभिहन्युः ।
२. येषु देशेषु याः प्रेक्षाः प्रेक्षते पार्थिवः स्वयम् ।
यात्राविहारे रमते यत्र क्रीडति वाम्भसि ॥
चाटूक्त्यादिषु कृत्येषु यज्ञप्रहवणेषु वा ।
सूतिकाप्रेतरोगेषु प्रीतिशोकभयेषु वा ॥
प्रमादं याति यस्मिन्वा विंश्वासात्स्वजनोत्सवे ।
यत्रास्यारक्षिसञ्चारो दुर्दिने सङ्कुलेषु वा ॥
विप्रस्थाने प्रदीप्ते वा प्रविष्टे निर्जनेऽपि वा ।

मुकदमों के धहाने वहाँ लाई गई अत्यंत रूपवती जवान स्त्रियों के जाल में फँसा दिया जाय । जब राजा उनके कावू में हो जाय तब संयोग के लिए किसी एकांत स्थान को नियुक्त कर, वहाँ रात के समय शस्त्र या विष के द्वारा उस राजा को मार दिया जाय ।

१. अथवा ऐसे अवसरों पर जब कि राजा किसी सिद्ध पुरुष, किसी उच्च भिक्षु, या श्मशान के स्तूप, या देवताओं के दर्शनार्थ बार-बार जाये-भाये उस समय सुरंग, भूमिगृह तथा गूढभित्तियों में छिपे हुए गुप्तचर उसको मार डालें ।
२. शत्रुराजा जिन देशों में नाच, गाना, या तमाशा आदि को देखने जाता हो तथा उत्सवों में शामिल होता हो अथवा जहाँ जलक्रीडा करता हो; अथवा जहाँ पर धिक्कार के योग्य कार्य करता हो, या यज्ञ, उत्सव, सूतिका, मृत्यु, रोग, प्रीति, शोक, भय आदि में प्रसन्न, दुःखी और भयभीत होता हो; अथवा जब किसी सगे-संबंधी के यहाँ उत्सव में संमिलित होकर प्रमत्त हो जाता हो, अथवा जहाँ रक्षित पुरुषों के बिना ही जाता-आता हो; अथवा किसी दुर्दिन या भीड़-भिड़के के अवसरों पर; अथवा निर्जन स्थान में, अथवा नगर में आग लग जाने पर, या नीरव घने जंगल में शत्रु के प्रविष्ट हो जाने पर—ऐसी स्थितियों में पहिले ही से छिपे हुए गुप्तचर, ज्यों ही इशारे

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७२, अध्याय २

वस्त्राभरणमाल्यानां फेलाभिः शयनासनैः ॥

मद्यभोजनफेलाभिस्तूर्यैर्वाभिहतैः सह ।

प्रहरेयुररींस्तीक्ष्णाः पूर्वप्रणिहितैः सह ॥

१. यथैव प्रविशेयुश्च द्विषतः सत्रहेतुभिः ।

तथैव चापगच्छेयुरित्युक्तं योगवामनम् ॥

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशोऽधिकरणे योगवामनं नाम द्वितीयोऽध्यायः;
आदितो द्विचत्वारिंशदुत्तरशततमः ।



के लिए वस्त्र, आभरण, माला, शयन, आसन, मद्य, भोजन आदि अवसरों पर तूर्यघोष हो, वैसे ही वे धावा बोल दें ।

१ जिस प्रकार सत्री आदि गुप्तचर शत्रुओं के बीच में प्रविष्ट हुए हों, उसी छल से वे बाहर निकल आवें; अन्यथा उनके पकड़े जाने की संभावना हो सकती है । यहाँ तक योगवामन (कपट उपायों द्वारा राजा को लुभाना) का निरूपण किया गया ।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ।



ब्राह्मण १७३

अध्याय ३

अपरार्पप्रसाधिः

१. श्रेणीमुख्यमाप्तं निष्पातयेत् । स परमाश्रित्य पक्षापदेशेन स्वविषयात् साचिव्यकरणसहायोपादानं कुर्वीत । कृताप-सर्पोपचयो वा परमनुमान्य स्वामिनो दूष्यग्रामं वीतहस्त्यश्वं दूष्यामात्यं दण्डमाक्रन्दं वा हत्वा परस्य प्रेषयेत् । जनपदै-कदेशं श्रेणीमटवीं वा सहायोपादानार्थं संश्रयेत् । विश्वास-मुपगतः स्वामिनः प्रेषयेत् । ततः स्वामी हस्तिवन्धनमटवी-घातं वापदिश्य गूढमेव प्रहरेत् ।

गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास

१. विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने किसी अत्यंत विश्वस्त श्रेणीमुख्य को बनावटी शत्रुतावश अपने राज्य से निकाल दे । वह शत्रु राजा की शरण में जाकर उसका विश्वास प्राप्त करे और उसके कार्य का बहाना बनाकर छिपे तौर से अपने देश की युद्धोपयोगी सहायक वस्तुओं का संग्रह करे । सहायतार्थ जब उसके पास पर्याप्त गुप्तचर एकत्र हो जायें तब वह शत्रु राजा की अनुमति से अपने राजा के किसी दूष्यवर्ग या मित्र पर आक्रमण कर वहां से विजित हाथी, घोड़े, राजद्रोही अमात्य, सैनिक और मित्र आदि को गिरफ्तार कर शत्रु राजा के पास भेज दे । विजिगीषु के उस विश्वस्त व्यक्ति को चाहिए कि वह जनपद के किसी एक देश, संघ या आटविक पुरुषों को अपने उस बनावटी स्वामी की सहायता के लिए तैयार करके फिर उनके साथ गुप्त-मंत्रणा करे । जब गुप्त-मंत्रणा द्वारा वे लोग वस्तुस्थिति को जानकर पूरी तरह सहमत हो जायें तो उन्हें अपने असली स्वामी के सहायतार्थ उसके पास भेज दे । तदनंतर हाथियों को

१. एतेनामाट्याटविका व्याख्याताः ।

२. शत्रुणा मैत्रीं कृत्वा अमात्यानवक्षिपंत । ते तच्छत्रोः प्रेषयेयुः
—‘भर्तारं नः प्रसादय’ इति । स र्यदूतं प्रेषयेत् ।
तमुपालभेत—‘भर्ता ते माममात्यैर्भेदयति, न च
पुनरिहागन्तव्यम्’ इति । अथैकममात्यं निष्पातयेत् । स
परमाश्रित्य योगापसर्पापरक्तदूष्यानशक्तिमतः स्तेनाटविकानु-
भयोपघातकान् वा परस्योपहरेत् । आप्तभावोपगतः प्रवीरपुरु-
षोपघातमस्योपहरेत् । अन्तपालमाटविकं दण्डचारिणं वा—

पकड़ने या जंगल को नष्ट करने का बहाना बनाकर विजिगीषु राजा अपने
असावधान शत्रु पर आक्रमण कर दे ।

१. इसी प्रकार अमात्य तथा आटविक को गुप्तचर बनाकर शत्रु देश में भेज
 देने की रीति को भी समझ लेना चाहिए ।
२. विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने शत्रु राजा के साथ बनावटी
 मित्रता करके अपने अमात्यों का तिरस्कार कर दे, वे अमात्य उस शत्रु
 राजा के पास अपने दूत को इस प्रकार का संदेश लेकर भेजें कि ‘आप
 हमारे स्वामी को प्रसन्न करा दीजिए ।’ उसके बाद जब शत्रु राजा अपने
 जिस दूत को विजिगीषु राजा के पास भेजे उसको विजिगीषु राजा यह
 कह कर धमका दे कि ‘तुम्हारा राजा, हमारे अमात्यों को हमसे अलग
 करना चाहता है । खबरदार ! ऐसा संदेश लेकर मेरे पास फिर कभी न
 आना’ इसके बाद विजिगीषु राजा उन अमात्यों में से एक अमात्य को
 अपने यहाँ से निकाल दे । वह अमात्य शत्रु राजा की शरण में जाकर
 अपने राजा के गुप्तचर, गूढ़-पुरुष, दूष्य-पुरुष, चोर तथा ‘आटविक आदि
 को साथ ले जाकर शत्रु राजा के पास जाए और उससे कहे कि, ‘मैंने
 आपके लिए इतने सहायक तैयार कर दिए हैं’ जब शत्रु राजा उस अमात्य
 पर पूरा विश्वास करने लगे तो वह अमात्य शत्रु राजा के शक्तिशाली पुरुषों
 को मरवा डाले । वह अमात्य शत्रु राजा से कहे कि ‘आपके ये आटविक
 और सैनिक लोग बड़े दुष्ट हो गए हैं । मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ
 कि अमुक आटविक या अमुक सैनिक आपके शत्रु राजा के साथ संधि कर

‘दृढमसौ चासौ च ते शत्रुणा सन्धत्ते’ इति । अथ पश्चादमित्यक्तशासनैरेनान्घातयेत् ।

१. दण्डबलव्यवहारेण वा शत्रुमुद्योज्य घातयेत् ।
२. कृत्यपक्षोपग्रहेण वा परस्थामित्रं राजानमात्मन्यपकारयित्वाभियुञ्जीत । ततः परस्य प्रेषयेत् । असौ ते वैरी ममापकरोति, तमेहि सम्भूय हनिष्यावः । भूमौ हिरण्ये वा ते परिग्रहः’ इति । प्रतिपन्नमभिसत्कृत्यागतमवस्कन्देन प्रकाशयुद्धेन वा शत्रुणा घातयेत् । अभिविश्वासनार्थं भूमिदानपुत्राभिषेकरक्षापदेशेन वा ग्राहयेत् । अविषह्यमुपांशुदण्डेन वा घात

रहे हैं ।’ तदन्तर वह अमात्य वध्य पुरुषों के पास आटविक और विजिगीषु की पारस्परिक मित्रता को प्रकट करने वाले कपट लेखों को उस शत्रु राजा को दिखाकर उन अंतःपाल आदि को मरवा डाले ।

१. अथवा वह अमात्य शत्रु को सैनिक सहायता देने का वायदा कर उसको उसके शत्रु से भिड़ा दे और बाद में उसकी सहायता न कर उसके शत्रु द्वारा ही उसको मरवा डाले ।
२. अथवा विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रु के क्रुद्ध, लुब्ध तथा भीत आदि प्रतिपक्ष को अपने अनुकूल बनाकर शत्रु के शत्रु राजा द्वारा अपना कुछ अपकार कराये और फिर उसपर चढ़ाई करदे । उसके बाद विजिगीषु शत्रु राजा के पास अपने दूत द्वारा यह संदेश भेजे कि ‘यह तुम्हारा शत्रु राजा बराबर मेरा अपकार कर रहा है; आओ, हम दोनों मिलकर उस पर चढ़ाई कर दें । इस विजय में जो भूमि और हिरण्य प्राप्त होगा उसमें तुम्हें भी हिस्सा दिया जायगा । जब शत्रु राजा इस बात को स्वीकार कर विजिगीषु राजा के पास आ जाय तो पहले उसका अच्छा स्वागत सत्कार किया जाय और बाद में सोते समय छिपकर उसका वध कर दिया जाय; अथवा प्रकाश युद्ध के समय शत्रु के द्वारा ही उसको मरवा दिया जाय । यदि विजिगीषु की विजय हो जाय तो अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार जीते हुए हिरण्य तथा भूमि देने या पुत्र के राज्याभिषेक करने अथवा अपनी रक्षा करने के बहाने उस सहयोगी शत्रु राजा को बुलाकर उसे

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७३, अध्याय ३

येत् । स चेद्दण्डं दद्यात् न स्वयमागच्छेत्' तमस्य वैरिणा
घातयेत् । दण्डेन वा प्रयातुमिच्छेत् न विजिगीषुणा' तथाप्ये-
नमुभयतः संपीडनेन घातयेत् ।

१. अविश्वस्तो वा प्रत्येकशो यातुमिच्छेत्, राज्यैकदेशं वा
यातव्यस्य आदातुकामः, तथाप्येनं वैरिणा सर्वसन्दोहेन वा
घातयेत् । वैरिणा वा सक्तस्य दण्डोपनयेन मूलमन्यतो
हारयेत् ।
२. शत्रुभूम्या वा मित्रं पणेत. मित्रभूम्या वा शत्रुम् । ततः
शत्रुभूमिलिप्सायां मित्रेणात्मन्यपकारयित्वाभियुञ्जीत । इति
समानाः पूर्वैण सर्व एव योगाः ।

कैद करले । यदि शत्रु इस प्रकार भी काबू में न आवे तो उपांशु दंड द्वारा
उसका वध करा दिया जाय । यदि विजिगीषु की सहायता के लिए शत्रु राजा
स्वयं न आकर अपनी सेना को ही भेज दे तो उस सेना को मुकाबले में
लड़ाकर मरवा दिया जाय । यदि विजिगीषु के सहायतार्थ आया हुआ शत्रु
राजा अपनी सेना के साथ ही युद्ध भूमि में जाना चाहे तब भी दोनों ओर
से घेरा डालकर उसको मरवा दिया जाय ।

१. यदि विजिगीषु के अविश्वास के कारण सहायतार्थ आया हुआ वह शत्रु
राजा इस नीयत से युद्ध में जाये कि अमुक हिस्से को जीत कर मैं अपने वश
में कर लूँगा तब भी विजिगीषु उस शत्रु राजा को उसके शत्रु राजा
द्वारा या अपनी सम्पूर्ण सैनिक शक्ति के द्वारा अवश्यमेव मरवा डाले; अथवा
लड़ाई में व्यस्त उस शत्रु राजा की राजधानी में सेना भेजकर विजिगीषु
उसका अपहरण करवा डाले ।
२. अथवा विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने मित्र के साथ छिपे तौर
पर यह कह कर संधि करले कि 'यदि हम दोनों ने मिलकर शत्रु पर विजय
प्राप्त करली तो उसकी भूमि को हम आपस में आधा-आधा बाँट लेंगे ।'
इसी प्रकार विजिगीषु शत्रु राजा के साथ भी छिपे तौर पर यह संधि करले
कि 'हम दोनों मिलकर तुम्हारे अमुक शत्रु पर विजय प्राप्त करके उसकी भूमि
को आपस में बराबर बाँट लेंगे' इसी प्रकार विजिगीषु राजा जब शत्रु को

१. शत्रुं वा मित्रभूमिलिप्सायां प्रतिपन्नं दण्डेनानुष्टहीयात्, ततो मित्रगतमतिसन्दध्यात् । कृतप्रतिविधानो वा व्यसनमात्मनो दर्शयित्वा मित्रेणामित्रमुत्साहयित्वा आत्मानमभियोजयेत् । ततः संपीडनेन घातयेत्, जीवग्राहेण वा राज्यविनिमयं कारयेत् । मित्रेणाहृतश्चेच्छत्रग्राह्ये स्थातुमिच्छेत्, सामन्तादिभिर्मूलमस्य हारयेत्, दण्डेन वा त्रातुमिच्छेत्, तमस्य घातयेत् ।

२. तौ चेन्न भिद्येयातां प्रकाशमेवान्योन्यस्य भूम्या पणेत, ततः

जीतने की इच्छा करे तो मित्र के द्वारा अपना कुछ अपकार कराके इसी बहाने से उसके ऊपर आक्रमण कर दे । इसके बाद आगे का कार्य पूर्ववत् किया जाय ।

१. अथवा जब शत्रु राजा विजिगीषु के मित्र राजा पर आक्रमण करने की इच्छा करे तो विजिगीषु अपनी ओर से सैनिक सहायता देने की प्रतिज्ञा कर उसको युद्ध में भिड़ा दे । जब सेनाएं मित्र देश में युद्ध के लिए चली आयें तो वहाँ मित्र से मिलकर उस आक्रमणकारी शत्रु को ही मरवा दिया जाय । अथवा अपने ऊपर कोई बनावटी विपत्ति दिखाकर अपने मित्र के द्वारा शत्रु को उत्साहित करके विजिगीषु अपने ऊपर चढ़ाई करा दे । जब शत्रु राजा विजिगीषु राजा पर चढ़ाई कर दे तो विजिगीषु और उसका मित्र दोनों ही उस आक्रमणकारी शत्रु को बीच में घेरकर मार डालें । अथवा उसको कैद में डालकर उसकी जगह अपने आज्ञाकारी उसके पुत्र या अन्य किसी सम्बन्धी का राज्याभिषेक कर दें । यदि विजिगीषु के मित्र द्वारा बुलाया हुआ वह शत्रु अलग रहकर ही विजिगीषु पर आक्रमण करना चाहे तो जिस समय वह शत्रु राजा विजिगीषु के साथ युद्ध में फँसा हो उस समय सामंत राजा के द्वारा उसकी राजधानी को लुटवा दिया जाय । यदि सेना के द्वारा वह अपनी रक्षा करना चाहे तो उस सेना को ही मरवा दिया जाय ।

२. यदि शत्रु और उसका मित्र आपस में मिले रहें तो उन्हें प्रकट रूप में भूमि तथा राज्य देने का प्रलोभन दिया जाय तदनंतर विजिगीषु और

परस्परं मित्रव्यञ्जनोभयवेतना वा दूतान् प्रेषयेयुः—‘अयं ते राजा भूमिं लिप्सते शत्रुसंहितः’ इति । तयोरन्यतरो जाताशङ्कारोषः पूर्ववच्चेष्टेत ।

१. दुर्गराष्ट्रदण्डमुख्यान् वा कृत्यपक्षहेतुभिरभिविख्याप्य प्रव्राजयेत्, ते युद्धावस्कन्दावरोधव्यसनेषु शत्रुमतिसन्दध्युः, भेदं वास्य स्ववर्गेभ्यः कुर्युः, अभित्यक्तशासनैः प्रतिसमानयेयुः ।
२. लब्धकव्यञ्जना वा मांसविक्रयेण द्वाःस्था दौवारिकापाश्रयाश्चोराभ्यागमं परस्य द्विस्त्रिरिति निवेद्य लब्धप्रत्यया भर्तुरनीकं द्विधा निवेद्य ग्रामवधेऽवस्कन्दे च द्विषतो ब्रूयुः—‘आसन्न-

मित्र के उभयवेतनभोगी मध्यस्थ दूतों के द्वारा यह संदेश भेजा जाय कि ‘यह राजा शत्रु से मिलकर तुम्हारे राज्य को लेना चाहता है ।’ इस तरह दोनों में फूट और संदेह पैदा कर विजिगीषु राजा आक्रमणकारी शत्रु को मार डाले ।

१. अथवा विजिगीषु अपने दुर्ग, राष्ट्र और सेना के मुख्य पुरुषों को यह बहाना कर अपने यहाँ से निकाल दे कि वे लोग विजिगीषु के कृत्य पक्ष की सहायता करते हैं । निकाले हुए वे लोग शत्रु की शरण में जाकर युद्ध के समय, सोते समय अंतःपुर में रहते समय या किसी आपत्ति के समय मौका पाकर शत्रु को मार डालें । अथवा शत्रु राजा और उसके अमात्यों के बीच फूट पैदा कर दें । और वध्य पुरुषों के द्वारा लाए गए कपट लेखों के प्रमाण से शत्रु राजा तथा उसके अमात्यों की फूट को अधिक बढ़ा दें ।

२. अथवा शिकारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर मांस बेचने के बहाने दरवाजे पर ठहर कर पहरेदारों से मित्रता करके दो तीन बार चिल्लाकर कहें कि ‘शत्रु के गाँव में चोर आते हैं’ जब शत्रु राजा को उनकी बातों पर विश्वास हो जाय तो वे गुप्तचर अपने राजा की सेना को ग्रामवध और लूट मार करने (अवस्कन्द) के लिए दो भागों में बाँट कर शत्रु राजा से कहें कि ‘चोरों का समूह बिलकुल नजदीक आगया है उनकी संख्या बहुत है,

श्वोरगणः, महांश्चाक्रन्दः, प्रभूतं सैन्यमागच्छतु' इति । तदर्पयित्वा ग्रामघातदण्डस्य सैन्यमितरदादाय रात्रौ दुर्गद्वारेषु ब्रूयुः—'हतश्वोरगणः, सिद्धयात्रमिदं सैन्यमागतं, द्वारमपात्रियताम्' इति पूर्वप्रणिहिता वा द्वाराणि दधुः, तैः सह प्रहरेयुः ।

१. कारुशिलिपपाषण्डकुशीलववैदेहकव्यञ्जनानायुधीयान् वा परदुर्गे प्रणिदध्यात् । तेषां गृहपतिकव्यञ्जनाः काष्ठतृणधान्यपण्यशकटैः प्रहरणावरणान्यभिहरेयुः, देवध्वजप्रतिमाभिर्वा । ततस्तद्व्यञ्जनाः प्रमत्तवधमवस्कन्दप्रतिग्रहमभिप्रहरणं पृष्ठतः शङ्खदुन्दुभिश्चन्देन वा प्रविष्टमित्यावेदयेयुः । प्राकारद्वारादालकदानमनीकभेदं घातं वा कुर्युः ।

अतः मुकाबले के लिए आपकी बहुत सी सेना हमारे साथ जानी चाहिए । जब शत्रु राजा चोरों को दंड देने के लिए अपनी सेना भेज दे तो वे ही गुप्तचर अपने राजा की सेना के दूसरे हिस्से को लेकर रात के 'समय दुर्ग के दरवाजों पर आकर चिल्ला-चिल्ला कर कहें कि 'हमने चोरों के समूह को मार डाला है यह सेना अपने कार्य को सफल करके यहाँ पहुँच गई है इसलिए दुर्ग के दरवाजों को खोल दिया जाय' । अथवा पहिले नियुक्त हुए गुप्तचर ही इशारा पा कर दरवाजे खोल दें और उस सेना के सहित वे गुप्तचर दुर्ग पर हमला बोल दें ।

२. अथवा कारु, शिल्पी, पाखण्डी, कुशीलव और वैदेहक आदि के वेष में रहने वाले या आयुधजीवियों के वेष में रहने वाले गुप्तचरों को भेदिया बनाकर दुर्ग में बसा देना चाहिए । उनमें से गृहस्थ के वेष में रहने वाले गुप्तचर दूसरे गुप्तचरों को लकड़ी, घास, अनाज आदि की गाड़ियों में हथियार तथा ऋक्च आदि पहुँचाते रहें । अथवा देवताओं की ध्वजाओं तथा प्रतिमाओं के साथ वे हथियार वहाँ पहुँचाए जाँय । उसके बाद कारु आदि के वेष में रहनेवाले गुप्तचर प्रमादी पुरुषों के वध, बलात्कार, लूटमार और चारों ओर के आक्रमण के संबंध में शंख तथा नगाड़े आदि बजाकर पीछे की ओर से हमला हो जाने की सूचना दें । जब शत्रु उनका

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७३, अध्याय ३

१. सार्थगणवासिभिरातिवाहिकैः कन्यावाहिकैरश्वपण्यव्यवहारिभिरुपकरणहारकैर्धान्यक्रेतृविक्रेतृभिर्वा प्रव्रजितलिङ्गिभिर्दूतैश्च दण्डातिनयनं सन्धिकर्म विश्वासनार्थम् ।
२. इति राजापसर्पाः ।
३. एत एवाटवीनामपसर्पाः कण्टकशोधनोक्तश्च । व्रजमटव्यासन्नमपसर्पाः सार्थं वा चोरैर्घातयेयुः । कृतसङ्केतमन्नपानं चात्र मदनरसविद्धं वा कृत्वाऽपगच्छेयुः । गोपालकवैदेहकाश्च ततश्चोरान् गृहीतलोप्त्रभाराः मदनरसविकारकालेऽवस्कन्दयेयुः ।


प्रतीकार करने के लिए सेना लेकर पीछे की ओर से जाय तो इधर से वे गुप्तचर परकोटा प्रधान दरवाजा तथा उसके ऊपर की अटारी तोड़ने के साथ ही शत्रु की सेना को पूर्ववत् विभक्त कर यथावसर उसको नष्ट कर दें ।

१. उन्हीं गुप्तचरों को चाहिए कि दुर्गम मार्गों से पार करने वाले व्यापारियों के झुंड में रहते हुए, कन्याओं को ले जाते हुए, घोड़ों का व्यापार करते हुए, तस्संबन्धी दूसरे सौदों को बेचते हुए, सामान को इधर-उधर ढोते हुए, अनाज आदि की खरीद-फरोख्त करते हुए, और संन्यासियों के वेश में रहते हुए अपनी सेनाओं को दुर्गम रास्तों से निकालकर बाहर ले आवें तथा शत्रु के विश्वास के लिए संधि की शर्तों का पूरा-पूरा ध्यान रखें ।
२. इस प्रकार यहाँ तक राजाओं के गुप्त पुरुषों का निरूपण किया गया ।
३. कण्टकशोधन अधिकरण में और इस अध्याय में कहे गए गुप्तचर ही आटविकों के भी समझने चाहिए । अर्थात् आवश्यकता होने पर आटविकों में भी वही गुप्तचर कार्य करें । आटविकों के बीच में रहने वाले गुप्तचरों को चाहिए कि वे जंगल के पास की गोशालाओं तथा राहगीरों को आटविकों के साथ मिलकर लूट डालें या नष्ट कर डालें उसके बाद संकेत पाते ही उनके खाने पीने की वस्तुओं में विष मिलाकर वहाँ से भाग निकलें । फिर ज्वालों और व्यापारियोंके वेश में रहनेवाले गुप्तचर चोरों द्वारा पुराए गए उस माल को स्वयं लेकर विष खाने से बेहोश उन आटविकों को गिरफ्तार करलें,

सङ्कर्षणदैवतीयां वा मुण्डजटिलव्यञ्जनः प्रहवणकर्मणा मदन-
रसयोगाभ्यामतिसन्दध्यात् । अथावस्कन्दं दद्यात् । शौण्डिक-
व्यञ्जनो वा दैवतप्रेतकार्योत्सवसमाजेष्व्वाटविकान् सुराविक्रयो-
पायननिमित्तं मदनरसयोगाभ्यामतिसन्दध्यात् । अथाव-
स्कन्दं दद्यात् ।

१. ग्रामघातप्रविष्टां वा विक्षिप्य बहुधाऽटवीम् ।
घातयेदिति चोराणामपसर्पाः प्रकीर्तिताः ॥

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशोऽधिकरणे अपसर्पप्रणिधिर्नाम तृतीयोऽध्यायः;
आदितस्त्रिचत्वारिंशदुत्तरशततमः ।



अथवा संकर्षण देवता के मानने वाले (मदिराप्रियों) मुण्डित तथा जटा-
धारियों के वेष में रहने वाले गुप्तचर उत्सव या सहभोज आदि के बहाने
विष देकर या दूसरे तरीकों से उन आटविकों को अपने वश में कर लें
उसके बाद जब वे बेहोश हो जाँय तो उन्हें गिरफ्तार कर लें, अथवा शराब
विक्रेताओं के वेष में रहने वाले गुप्तचर किसी देवकार्य, प्रेतकार्य, उत्सव
तथा अन्य सामाजिक भोजों के अवसर पर अपनी विक्रयार्थ शराब में विषैले
रसों का प्रयोग कर आटविकों को अपने वश में करें और जब वे बेहोश हो
जायें तो उन्हें गिरफ्तार कर लें ।

१. गाँव को नष्ट करने की नियत से गाँव में प्रविष्ट हुए आटविकों के हृदय में
विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न कर उन्हें नष्ट कर दिया जाय । यहाँ तक
आटविकों (चोरों) के सम्बन्ध में गुप्तचरों के कार्यों का निरूपण किया गया ।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ।



प्राक्करण १७४-१७५

अध्याय ४

पर्युपासनकर्म, अनमर्दश्च

१. कर्शनपूर्वं पर्युपासनकर्म । जनपदं यथानिविष्टमभये स्थापयेत् । उत्थितमनुग्रहपरिहाराभ्यां निवेशयेदन्यत्रापसरतः, समग्रमन्यस्यां भूमौ निवेशयेदेकस्यां वा वासयेत् । न ह्यजनो जनपदो राज्यमजनपदं वा भवतीति कौटिल्यः ।
२. विषमस्थस्य मुष्टिं सस्यं वा हन्याद्वीवधप्रसारौ च ।

शत्रु के दुर्ग को घेरकर अपने अधिकार में करना

१. विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रु के कोष, सैन्य और अमात्य आदि का नाश करने के साथ ही उसके दुर्ग को चारों ओर से घेर दे । किन्तु ऐसी स्थिति में विजिगीषु को ध्यान रखना चाहिए कि जनपद को किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे, वरन्, उसकी रक्षा का सुप्रबंध करे । यदि जनपद विजिगीषु के विरुद्ध आंदोलन करे तो उसे धन देकर या कर माफ करके शांत किया जाय । किन्तु ऐसा यत्न उसी दशा में करना चाहिए जब जनपद अपने स्थान पर बना रहे; अन्यथा उसकी कुछ भी सहायता न की जाय । उस जनपद के विभिन्न भागों में अधिकाधिक आदमियों को बसाया जाय अथवा एक ही भाग में अधिक आदमियों को बसाया जाय; क्योंकि मनुष्यों से रहित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता और जनपद रहित भूमि राज्य नहीं कहला सकती । इसीलिए कौटिल्य का कहना है कि 'यदि जनपद न होगा तो राज्य किस पर किया जायगा ?'
२. विजिगीषु को चाहिए कि वह विपत्तिग्रस्त शत्रु के अन्न, फसल, वीवध और प्रसार आदि सबको नष्ट कर दे ।

१. प्रसारवीवधच्छेदान्मुष्टिसस्यवधादपि ।
वमनाद् गूढघाताच्च जायते प्रकृतिक्षयः ॥
२. 'प्रभूतगुणवद्धान्यकुप्ययन्त्रशस्त्रावरणविष्टिरश्मिसमग्रं मे सैन्य-
मृतुश्च पुरस्तात्, अपर्तुः परस्य व्याधिदुर्भिक्षनिचयरक्षाक्षयः
क्रीतबलनिर्वेदो मित्रबलनिर्वेदश्च' इति पर्युपासीत ।
३. कृत्वा स्कन्धावारस्य रक्षां वीवधासारयोः पथश्च, परिक्षिप्य
दुर्गं खातसालाभ्यां, दूषयित्वोदकमवस्राव्य परिखाः सम्पूर-
यित्वा वा, सुरुङ्गाबलकुटिकाभ्यां वप्रप्राकारौ हारयेत् ।
४. दारं च गुलेन निम्नं वा पांसुमालयाऽऽच्छादयेत् । बहुला-

१. वीवध, प्रसार आदि का उच्छेद कर देने से तथा फसल, अनाज, व्यापार आदि को नष्ट कर देने से और अमात्य आदि प्रकृतिवर्ग कहीं दूसरी जगह ले जाने से या चुपचाप उन्हें मार देने से राजा का अपने आप क्षय हो जाता है ।

२. जब विजिगीषु यह समझे कि 'प्रभूत गुणों से संपन्न धान्य, लोहा तौबा, वस्त्र, मशीन, हथियार, कवच, श्रमिक और रस्सी आदि सभी उपयोगी सामग्री से अपनी सेना युक्त है और ऋतु भी अपने अनुकूल है; किन्तु शत्रु का देश बीमारी, दुर्भिक्ष से अभिभूत, धन-धान्य तथा रक्षक पुरुषों से अभाव-ग्रस्त, उसको वेतनभोगी सेना सहायता देने से इनकार करती हो, मित्रसेना भी खिन्न हो चुकी हो और ऋतु भी उसके प्रतिकूल हो; ऐसी अवस्था में वह शत्रु के दुर्ग पर घेरा डाल दे ।

३. शत्रुदुर्ग पर घेरा डालने के लिए विजिगीषु को चाहिए कि पहिले वह अपनी छावनी, वीवध, अस्त्र और अपने मार्ग की रक्षा करे; फिर खाई तथा परकोटे के अनुसार दुर्ग को चारों ओर से घेरा डाल दे; तदनंतर शत्रु के पानी में विष मिला दे या बांध तोड़ कर उसे बहा दे; और अंत में खाइयों को मिट्टी से पाट कर या किले की दीवारों तथा अटारियों पर सुरंग बनाकर दुर्ग पर आक्रमण कर दे ।

४. दुर्ग की दरारों को कंकरीट से तथा नीची-गहरी जगहों को मिट्टी से पाट दिया जाय । दुर्ग के जिस भाग में रक्षा का अधिक प्रबंध हो उसे मशीनों

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७४-१७५, अध्याय ४

रक्षं यन्त्रैर्घातयेत् । निष्करादुपनिष्कृष्याश्चैश्च प्रहरेयुः । विक्र-
मान्तरेषु च नियोगविकल्पसमुच्चयैश्चोपायानां सिद्धिं लिप्सेत ।
दुर्गवासिनः ।

१. श्येनकाकनप्तृभासशुकशारिकोलूककपोतान् ग्राहयित्वा पुच्छे-
ष्वग्नियोगयुक्तान् परदुर्गे विसृजेयुः ।
२. अपकृष्टस्कन्धावारादुच्छ्रितध्वजधन्वारक्षा वा मानुषेणाग्निना
मरदुर्गमादीपयेत् ।
३. गूढपुरुषाश्चान्तदुर्गपालका नकुलवानरविडालशुनां पुच्छेष्वग्नि-
योगमाधाय काण्डनिचयरक्षाविधानवेश्मसु विसृजेयुः ।

द्वारा नष्ट कर दिया जाय । कपट से रत्नक पुरुषों को बाहर निकाल कर
घोड़ों तथा हाथियों द्वारा उन पर हमला बोल दिया जाय । जब युद्धक्षेत्र में
शत्रु की सेना अधिक पराक्रमशाली जान पड़े तो साम, दाम आदि उपायों
के द्वारा या अवसर के अनुसार वैसा ही उपाय का प्रयोग करे या एक
उपाय की जगह दूसरे उपाय को काम में लाकर अथवा अनेक उपायों को
एक साथ उपयोग में लाकर दुर्गवासी शत्रु पर विजय लाभ की चेष्टा
करनी चाहिए ।

१. बाज, कौवा, नसा (मुर्ग के समान), गिद्ध, तोता, मैना, उल्लू और कबूतर,
आदि पक्षियों को पकड़ कर उनकी पूँछ में भाग लगाने वाली औषधियों
को मल कर उन्हें शत्रु के दुर्ग में छोड़ दिया जाय, जिससे कि वहाँ भाग
लग जाय ।
२. शत्रु दुर्ग के बाहर नीचे की ओर खड़ी विजिगीषु की सेना को चाहिए कि
वह अपनी छावनी से शत्रु के दुर्ग पर भाग फेंकने के लिए ध्वज, धनुष-बाण
उठाये हुये सैनिक मानुष-अग्नि (मारे हुए आदमी की हड्डी को चित्तकबरे
बाँस के साथ रगड़ने से उत्पन्न हुई आग) के द्वारा शत्रुदुर्ग में भाग
लगा दें या पहरेदार ही इस कार्य को करें ।
३. किले के अंदर अंतपाल या दुर्गपाल के वेष में रहनेवाले गुप्तचरों को चाहिए
कि नेवला, बंदर, पिहली और कुत्ते की पूँछ में वे भाग लगा देनेवाली

१. शुष्कमत्स्यानामुदरेष्वग्निमाधाय वल्लूरे वा वायसोपहारेण वयोभिर्हारयेयुः ।
२. सरलदेवदारूपूतितृणगुग्गुलश्रीवेष्टकसर्जरसलाक्षागुलिकाः खरो-
ष्ट्राजावीनां लण्डं चाग्निधारणम् ।
३. प्रियालचूर्णमवलगुजमपीमधूच्छिष्टमश्वखरोष्ट्रगोलेण्डमित्येष क्षे-
प्योऽग्नियोगः ।
४. सर्वलोहचूर्णमग्निवर्णं वा कुम्भीसीसत्रपुचूर्णं वा पारिभद्रकप-
लाशपुष्पकेशमपीतैलमधूच्छिष्टकश्रीवेष्टकयुक्तोऽग्नियोगो विश्वा-
सघाती वा । तेनावलिप्तः शणत्रपुसवल्कवेष्टितो बाण इत्य-
ग्नियोगः ।

औषधियों को लगा कर उन्हें शत्रु के उन घरों में छोड़ दें, जहाँ दुर्गरचा संबंधी सामग्री रखी हो ।

१. सूखी मछली के पेट में या सूखे मांस के अंदर आग लगा देनेवाली औषधियाँ (अनियोग) रखकर उसको पत्तियों को खिलाने के बहाने या पत्तियों के द्वारा शत्रु दुर्ग में पहुँचा कर वहाँ आग लगा दी जाय ।
२. सरई (सरल), देवदारु, गुलवनफशा (पूतितृण), गुग्गुल, तारपीन (श्रीवेष्टक), कुल्लू की गोंद (सर्जरस) और लाख इन सब चीजों की गोलियाँ ; तथा गधा, ऊँट, बकरा और मेढ़ा, इनकी लीद इनके द्वारा आसानी से भाग लगाई जा सकती है ।
३. चिरौंजी (प्रियाल) का चूर्ण, वागुची (अवलगु) का दरदरा चूर्ण, शहद तथा घोड़ा, गधा, ऊँट और बैल की लीद, इन सबको मिलाकर बनाया गया अग्नियोग भाग लगाने के लिए उपयोगी है ।
४. अथवा अग्निवर्ण लोहे का चूर्ण, नीम कुम्भी, जस्ता, सीसा और राँगा का चूर्ण, नीम तथा पलाशपुष्प का चूर्ण, तेल, शहद, तारपीन आदि वस्तुओं को एक साथ मिलाकर बनाया गया अग्नियोग निश्चय ही विश्वासघाती होता है । [अर्थात् जहाँ आग लगने की कतई भी संभावना न हो, वहाँ भी इसका प्रयोग करने पर आग लग जाती है । अचूक अग्नियोग होने के

१. नत्वेव विद्यमाने पराक्रमेऽग्निमवसृजेत् । अविश्वास्यो अग्निः
दैवपीडनं च, अप्रतिसंख्यातप्राणिधान्यपशुहिरण्यकुप्यद्रव्य-
क्षयकरः । क्षीणत्विचयं चावाप्तमपि राज्यं क्षयायैव भवति ।
२. इति पर्युपासनकर्म ।
३. 'सर्वारम्भोपकरणविष्टिसम्पन्नोऽस्मि, व्याधितः पर उपधा-
विरुद्धप्रकृतिरकृतदुर्गकर्मनिचयो वा निरासारः सासारो वा
पुरा मित्रैः सन्धत्ते' इत्यत्रमर्दकालः ।
४. स्वयमग्नौ जाते समुत्थापिते वा प्रहवणे प्रेक्षानीकदर्शनसङ्ग-
सौरिककलहेषु नित्ययुद्धश्रान्तत्रले बहुलयुद्धप्रतिविद्धप्रेतपुरुषे

कारण ही इसको विश्वासघात कहा गया है ।] उक्त सभी वस्तुओं के योग से सना हुआ और सन तथा ककड़ी की बेल को छाल से लपेटा हुआ बाण भी अग्नियोग होता है; अर्थात् जहाँ मारा जाता है वहीं आग लगा देता है ।

१. युद्ध के प्रारंभ में इन अग्नियों को नहीं छोड़ना चाहिए; क्योंकि अग्नि का कोई विश्वास नहीं है और फिर उसे दैवपीडन कहा गया है । अग्निदाह से असंख्य प्राणियों, धन, धान्य, पशु एवं अनेक प्रकार के द्रव्यों का नाश हो जाता है । ऐसा नष्ट-भ्रष्ट राज्य अपने हाथ में आ जाने पर भी क्षय का ही कारण होता है ।
२. यहाँ तक शत्रु दुर्ग को घेरने के संबंध में निरूपण किया गया ।
३. जब विजिगीषु वह समझ ले कि 'वह सब प्रकार की युद्धोपयोगी सामग्री से संपन्न है; सभी तरह के कार्य करने वाले आदमी उसके पास मौजूद हैं । उधर शत्रु व्याधिग्रस्त है, उसकी प्रकृतियां धोखा देने वाली हैं, दुर्ग आदि की मरभ्रमत तथा धान्य आदि का संग्रह भी उसने नहीं किया है; मित्र की सहायता की भी संभावना नहीं है, अथवा सहायता संभव होने पर भी अभी तक वह संधि करने में ही फसा हुआ है'—ऐसे शत्रु पर फौरन चढ़ाई कर देनी चाहिए ।
४. अथवा विजिगीषु जब देखे कि 'शत्रु के दुर्ग में अपने-आप आग लग गई है, या सब लोग पार्टियों तथा उत्सवों में व्यस्त हैं या खेल तमाशों तथा चांदमारी में आसक्त हैं या शराबियों ने कोई उपद्रव खड़ा कर दिया

१. जागरणकलान्तमुप्तजने दुर्दिने नदीवेगे वा नीहारसम्प्लवे वाव-
मृद्नीयात् ।

१. स्क्रन्धावारमुत्सृज्य वा वनगूढः शत्रुः सत्रान्निष्क्रान्तं घातयेत् ।
२. मित्रासारमुख्यव्यञ्जनो वा संरुद्धेन मैत्रीं कृत्वा दूतमभित्यक्तं
प्रेषयेत्—‘इदं ते छिद्रम् , इमे दूष्याः, संरोद्धुर्वा छिद्रमयं
ते कृत्यपक्षः’ इति । तं प्रतिदूतमादाय निर्गच्छन्तं विजिगीषु-
र्गृहीत्वा दोषमभिविख्याप्य प्रवास्यापगच्छेत् ततः । मित्रा-
सारव्यञ्जनो वा संरुद्धं ब्रूयात्—‘मां त्रातुमुपनिर्गच्छ, मया
वा सह संरोद्धारं जहि’ इति । प्रतिपन्नमुभयतः संपीडनेन

है या लगातार के युद्ध में शत्रु सेना थक गई है, या लंबे युद्ध के कारण शत्रु के बहुत से आदमी जखमी हो गये हैं या मर गये हैं, या रातभर जागने तथा थक जाने के कारण लोग सोये हैं, या आकाश में दुर्दिन छाया है, या नदी में बाढ़ आ गई है, या भीषण तुषारापान हुआ है’—ऐसी अवस्था में शत्रु पर एक दम धावा बोल देना चाहिए ।

१. अथवा छावनी या पड़ाव न ढाल कर जंगल में जाकर छिपा जाय और जैसे ही शत्रुदल जंगल से निकलने लगे कि उसके ऊपर विजिगीषु की सेना एकदम बरस पड़े ।
२. मित्र के वेष में रहने वाला या मित्र की सेना में सुखिया के वेष में रहने वाले विजिगीषु के गुप्तचर को चाहिए कि वह घिरे हुए शत्रु राजा के साथ मित्रता करके अपने किसी वध्य पुरुष के द्वारा उसके लिए इस आशय का एक संदेश भेजे कि ‘तुम्हारे अंदर अमुक-अमुक दोष हैं, अमुक-अमुक व्यक्ति तुम्हारे द्रोही हैं ; घेरा डालने वाले विजिगीषु की अमुक-अमुक कमजोरियाँ हैं; और विजिगीषु के लुब्ध, क्रुद्ध, भीत आदि अमुक-अमुक लोग तुम्हारे मित्र हैं ।’ जब वह दूत शत्रु राजा का उत्तर लेकर लौट रहा हो तो विजिगीषु उसको रास्ते में ही पकड़ कर उस पर अपकारी होने का दोष लगावे और इसी अपराध में उसको मार कर वहाँ से (उस उत्तर लेखपत्र को साथ लेकर) चला जाय । अथवा मित्र के वेष में या मित्र सेना के प्रमुख के वेष में रहने वाला वह गुप्तचर उस घिरे हुए राजा से कहे कि

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७४-१७५, अध्याय ४

घातयेत् , जीवग्राहेण वा राज्यविनिमयं कारयेत् , नगरं वास्य प्रमृद्नीयात् , सारवलं वास्य वमयित्वाऽभिहन्यात् ।

१. तेन दण्डोपनताटविका व्याख्याताः ।

२. दण्डोपनताटविकयोरन्यतरो वा संरुद्धस्य प्रेषयेत्—‘अयं संरोद्धा व्याधितः, पार्ष्णिग्राहेणाऽभियुक्तः, छिद्रमन्यदुत्थितम् , अन्यस्यां भूमावपयातुकामः’ इति । प्रतिपन्ने संरोद्धा स्कन्धा-वारमादीप्यापयायात् । ततः पूर्ववदाचरेत् ।

३. पण्यसम्पातं वा कृत्वा पण्येनैनं रसविद्वेनातिसन्दध्यात् ।

४. आसारव्यञ्जनो वा संरुद्धस्य दूतं प्रेषयेत्—‘मया बाह्यम-

‘मेरी रक्षा के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, अथवा हम दोनों मिल कर तुमको रोकने वाले विजिगीषु को मार डालें।’ जब वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो दोनों ओर से घेर कर उसको मार दिया जाय अथवा उसको गिरफ्तार कर उसको जगह उसके किसी पुत्र बांधव को अभिषिक्त किया जाय या उसकी राजधानी को बरबाद कर दिया जाय । अथवा उसके सारवल को दुर्ग से बाहर निकाल कर उसको मार दिया जाय ।

१. इसी प्रकार दण्डोपनत और आटविकों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए ।

२. अथवा उन दण्डोपनत (बल पूर्वक वश में किए गए राजा) और आटविक (जंगली राजा) दोनों में से किसी एक द्वारा उस घिरे हुए शत्रु राजा के पास यह संदेश भेजा जाय कि ‘यह घेरा डालने वाला विजिगीषु आजकल व्याधिग्रस्त है; पार्ष्णिग्राह ने भी उस पर हमला कर दिया है; ऐसी स्थिति में वह यहां से अन्यत्र भाग जाने को तैयार है।’ जब घिरा हुआ शत्रुराजा इन बातों से सहमत हो जाय तब विजिगीषु अपनी छावनी में आग लगाकर वहाँ से चला जाय । उसके बाद पूर्ववत् शत्रुराजा को बीच में घेर कर समाप्त कर दिया जाय ।

३. अथवा व्यापारियों के संघ द्वारा उपहारस्वरूप भेजे गये द्रव्यों में विष मिला कर उन्हें किले में पहुँचा दिया जाय ।

४. अथवा मित्र की सेना में प्रमुख अधिकारी के वेष में रहने वाला गुप्तचर घिरे हुए शत्रु राजा के पास इस प्रकार का संदेश लेकर दूत को भेजे कि

- भिहतमुपनिर्गच्छाभिहन्तुम्' इति । प्रतिपन्नं पूर्ववदाचरेत् ।
१. मित्रं बन्धुं वापदिश्य योगपुरुषाः शासनमुद्राहस्ताः प्रविश्य दुर्गं ग्राहयेयुः ।
 २. आसारव्यञ्जनो वा संरुद्धस्य प्रेषयेत्—'अमुष्मिन् देशे काले च स्कन्धावारमभिहनिष्यामि, युष्माभिरपि योद्धव्यम्' इति । प्रतिपन्नं यथोक्तमभ्याघातसंकुलं दर्शयित्वा रात्रौ दुर्गान्निष्क्रान्तं घातयेत् ।
 ३. यद्वा मित्रमावाहयेदाटविकं वा, तमुत्साहयेत्—'विक्रम्य संरुद्धे भूमिमस्य प्रतिपद्यस्व' इति । विक्रान्तं प्रकृतिभिर्दूष्यमुख्याव-

‘मैंने तुम्हारे इस बाह्य शत्रु को एकदम शक्तिहीन बना दिया है । अब इसको सर्वथा नष्ट करने के लिए तुम दुर्ग से बाहर निकल आओ ।’ जब शत्रु इस विश्वास पर बाहर निकल आवे तो उसे दोनों ओर से घेर कर पूर्व-वत् मार दिया जाय ।

१. अथवा अपने-आपको मित्र का बन्धु बताकर मुहर लगे बनावटी लेखपत्र को हाथ में लेकर गुप्तचर दुर्ग के भीतर प्रवेश कर दें और वहाँ किसी उपाय से फाटक आदि खोलकर उस दुर्ग को विजिगीषु के अधिकार में कर दें ।
२. अथवा मित्र सेना के प्रमुख अधिकारी के वेष में रहने वाला गुप्तचर उस घिरे हुए शत्रुराजा के पास यह संदेश भेजे कि ‘मैं अमुक समय और अमुक स्थानमें शत्रु की छावनी पर हमला करूँगा । तुमको उस समय मेरी सहायता करनी होगी ।’ शत्रु जब इस बात को स्वीकार कर ले तो ठीक उसी समय और उसी स्थान पर विजिगीषु की छावनी में घमासान युद्ध छेड़ दिया जाय । उसे देखकर जब शत्रु रात में बाहर निकल आवे तो उसे बीच ही में घेर कर मार दिया जाय ।
३. अथवा विजिगीषु अपने मित्र या आटविक को वहाँ बुलाकर उसको इस प्रकार उसकाए कि ‘देखो, अच्छा मौका है; तुम इस घिरे हुए शत्रु पर आक्रमण करके उसके राज्य को हथिया लो !’ जब वह ऐसा करने के

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७४-१७५, अध्याय ४

ग्रहेण वा घातयेत्, स्वयं वा रसेन । 'मित्रघातकोऽयम्'
इत्यवाप्तार्थः ।

१. विक्रमितुकामं वा मित्रव्यञ्जनः परस्याभिशांसेत् । आप्तभा-
वोपगतः प्रवीरपुरुषानस्योपघातयेत् ।
२. सन्धि वा कृत्वा जनपदमेनं निवेशयेत्, निविष्टमन्यजनपदम-
विज्ञातो हन्यात् ।
३. अपकारयित्वा दूष्याटविक्रेषु वा बलैकदेशमतिनीय दुर्गमवस्क-
न्देन हारयेत् ।
४. दूष्यामित्राटविक्रेष्यप्रत्यपसृताश्च कृतार्थमानसंज्ञाचिह्नाः पर-
दुर्गमवस्कन्देयुः ।

लिए राजी हो जाय तो युद्ध में उसके प्रकृतिवर्ग को या दूष्य वर्ग को अपने अधीन कर उसको मरवा दिया जाय; या स्वयं ही विष आदि देकर उसको मार डाले । बाद में 'इस शत्रु ने मेरे मित्र या भाटविक को मार डाला है', ऐसी भफवाह फैलाकर अपनी कार्यसिद्धि करे ।

१. अथवा मित्र के वेष में रहने वाला गुप्तचर शत्रु राजा से जा कर कहे कि 'तुम्हारे ऊपर विजिगीषु आक्रमण करने वाला है' । ऐसी बातें बताकर जब वह शत्रु राजा को अपने प्रति निश्चित कर दे तब उसके प्रमुख बहादुर सैनिकों को मरवा डाले ।
२. अथवा शत्रु के साथ संधि करके उसे उसी जनपद में रहने दिया जाय; या उसके द्वारा दूसरे जनपद को आबाद कराया जाय और बाद में उस आबाद हुए जनपद को विजिगीषु छिपकर बरबाद कर दे ।
३. अथवा अपने दूष्य या भाटविकों द्वारा अपना कुछ अपकार करा कर उन पर आक्रमण करने के बहाने शत्रु की सेना के कुछ भाग को बहुत दूर ले जाया जाय और फिर अल्प सैन्ययुक्त शत्रु के दुर्ग पर हमला कर जबरदस्ती उसको छीन लिया जाय ।
४. शत्रु के दुर्ग का अपहरण करते समय शत्रु के राजद्रोही, शत्रु, भाटविक, शत्रु के पास से एक बार जाकर फिर वापिस आने वाले, विजिगीषु द्वारा

१. परदुर्गमवस्कन्ध स्कन्धावारं वा पतितपराङ्मुखाभिपन्नमुक्त-
केशशस्त्रभयविरूपेभ्यश्चाभयमयुध्यमानेभ्यश्च दद्युः । परदुर्ग-
मवाप्य विशुद्धशत्रुपक्षः कृतोपांशुदण्डप्रतीकारमन्तर्वाहिश्च
प्रविशेत् ।
२. एवं विजिगीषुरमित्रभूमिं लब्ध्वा मध्यमं लिप्सेत् । तत्सिद्धावु-
दासीनम् । एष प्रथमो मार्गः पृथिवीं जेतुम् ।
३. मध्यमोदासीनयोरभावे गुणातिशयेनारिप्रकृतीः साधयेत् ।
तत उत्तराः प्रकृतीः । एष द्वितीयो मार्गः ।
४. मण्डलस्याभावे शत्रुणा मित्रं मित्रेण वा शत्रुमुभयतः सम्पी-

धन-मान से सम्मानित और आक्रमण के समय स्थान से परिचित आदि बड़े सहायक होते हैं ।


१. विजिगीषु को चाहिए कि जब वह शत्रु की छावनी पर अधिकार कर ले तो ऐसे सैनिकों को अभयदान दे दे, जो युद्धक्षेत्र में जखमी पड़े हों, जो युद्ध से भाग गए हों, जो अधिक विपद्ग्रस्त हों, जिनके बाल-शस्त्र अस्त-व्यस्त हों, जिनके मुख भय से विकृत हो गये हों और जो युद्ध में शामिल न हुए हों । शत्रु के दुर्ग को प्राप्त करके और वहां से शत्रु पक्ष के सभी व्यक्तियों की सफाई करने के बाद विजिगीषु को चाहिए कि वह अपना विरोध करने वाले व्यक्तियों का उपांशु वध करके दुर्ग के बाहर और भीतर प्रवेश करे ।
२. इस प्रकार शत्रु के राज्य को स्वायत्त करने के बाद विजिगीषु, मध्यम राजा को जीतने की कोशिश करे और उसको स्वायत्त कर लेने के बाद वह उदासीन राजा पर विजय प्राप्त करे । पृथिवी का साम्राज्य प्राप्त करने का यह पहिला मार्ग है ।
३. मध्यम और उदासीन राजाओं के न होने पर विजिगीषु अपने गुण-बाहुल्य के द्वारा शत्रु के प्रकृतिवर्ग को अपने अनुकूल बनाये और उसके बाद शत्रु की सेना तथा कोष को अपने अधिकार में करे । पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त करने का यह दूसरा मार्ग है ।
४. यदि राजमण्डल का अभाव हो तो शत्रु के द्वारा मित्र को और मित्र के द्वारा

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७४-१७५, अध्याय ४

उनेन साधयेत् । एष तृतीयो मार्गः ।

१. शक्यमेकं वा सामन्तं साधयेत् , तेन द्विगुणो द्वितीयं, त्रिगुणस्तृतीयम् । एष चतुर्थो मार्गः पृथिवीं जेतुम् ।
२. जित्वा च पृथिवीं विभक्तवर्णाश्रमां स्वधर्मेण भुञ्जीत ।
३. उपजापोऽपसर्पो वा वामनं पर्युपासनम् ।
अवमर्दश्च पञ्चैते दुर्गलम्भस्य हेतवः ॥

इति दुर्गलम्भे पाये त्रयोदशोऽधिकरणे पर्युपासनकर्म अवमर्दश्चेति चतुर्थोऽध्यायः;
आदितश्चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमः ।



शत्रु को दोनों ओर से घेर कर या दबा कर उन्हें विजिगीषु अपने वश में करे । पृथिवी को विजय करने का यह तीसरा मार्ग है ।

१. अथवा जीतने योग्य समीपस्थ सामंत को ही पहिले अपने अनुकूल बनाया जाय । उसको मिलाकर जब अपनी शक्ति दुगुनी हो जाय तब दूसरे सामंत को अपने अनुकूल बनाने का यत्न किया जाय । उसको भी मिलाकर जब अपनी शक्ति त्रिगुनी हो जाय तब विजिगीषु तीसरे सामन्त को अपने वश में करने का यत्न करे । पृथ्वी को विजय करने का यह चौथा मार्ग है ।
२. इस प्रकार सारी पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त कर उस शक्तिशाली सम्राट् को चाहिए कि वह अपने साम्राज्य में वर्णों और आश्रमों की यथोचित व्यवस्था कर धर्मपूर्वक पृथिवी के राज्य का उपभोग करे ।
३. उपजाप (बहकाना), अपसर्प (गुप्तचरों द्वारा शत्रुनाश), वामन (विष प्रयोग), पर्युपासन (घेरा डालना) और अवमर्द (विध्वंस), ये पांच उपाय हैं, जिनके द्वारा शत्रु के दुर्ग को जीता जा सकता है ।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



प्रकरण १७६

अध्याय ५

लब्धप्रशमनम्

१. द्विविधं विजिगीषोः समुत्थानम्, अटव्यादिकमेकग्रामादिकं च ।
२. त्रिविधश्चास्य लम्भः—नवो, भूतपूर्वः, पित्र्य इति ।
३. नवमवाप्य लम्भं परदोषान् स्वगुणैश्छादयेत् गुणान् गुणद्वैगुण्येन । स्वधर्मकर्मानुग्रहपरिहारदानमानकर्मभिश्च प्रकृतिप्रियहितान्यनुवर्तेत । यथासम्भाषितं च कृत्यपक्षमुपग्राहयेत् । भूयश्च कृतप्रयासम् । अविश्वास्यो हि विसंवादकः स्वेषां

विजित देश में शांति की स्थापना

१. विजिगीषु का उद्योग (समुत्थान) दो रूपों में फलित होता है : एक जंगल आदि के रूप में और दूसरा गाँव आदि के रूप में ।
२. विजिगीषु का लाभ तीन प्रकार का होता है : (१) नव (२) भूतपूर्व और (३) पित्र्य ।
३. नवलाभ : विजिगीषु को चाहिए कि नए राज्य को प्राप्त कर वह शत्रु के दोषों को अपने गुणों से ढक दे और शत्रु के गुणों को अपने दुगुने गुणों से पराभूत कर दे । विजिगीषु सदा अपने धर्म, कर्म, अनुग्रह, परिहार (करमाफी), दान और संमान आदि श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा प्रजा के अनुकूल कल्याणकारी कार्यों के करने में लगा रहे । अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने कृत्यपत्र को धन आदि देकर वह सदा प्रसन्न बनाये रखे और जिस प्रजाजन या मित्र ने उसके अभ्युदय में अधिक परिश्रम किया हो उसे विपुल धन देकर खूब प्रसन्न कर दे क्योंकि पहिले प्रतिज्ञा कर बाद में उससे मुकर जाने वाला अपने प्रजावर्ग के विरुद्ध आचरण करने वाला राजा अपने तथा पराये

तेरहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७६, अध्याय ५

परेषां च भवति । प्रकृतिविरुद्धाचारश्च । तस्मात्समानशील-
वेषभाषाचारतामुपगच्छेत् । देशदैवतसमाजोत्सवविहारेषु च
भक्तिमनुवर्तेत ।

१. देशग्रामजातिसङ्घमुख्येषु चाभीक्षणं सत्रिणः परस्यापचारं
दर्शयेयुः । माहाभाग्यं भक्तिं च तेषु स्वामिनः स्वामिसत्कारं
च विद्यमानम् । उचितैश्चैनान् भोगपरिहाररक्षावेक्षणै-
र्भुञ्जीत । सर्वदेवताश्रमपूजनं च विद्यावाक्यधर्मशूरपुरुषाणां च
भूमिद्रव्यदानपरिहारान् कारयेत् । सर्वबन्धनमोक्षणमनुग्रहं
दीनानाथव्याधितानां च । चातुर्मास्येष्वर्धमासिकमघातं, पौर्ण-
मासीषु च चातूरात्रिकं राजदेशनक्षत्रेष्वेकरात्रिकम् । योनि-

समी का विश्वास खो बैठता है । इसलिए राजा को उचित है कि वह
अपने प्रजाजनों के समान ही शील, वेष, भाषा तथा आचरण का व्यवहार
करे और प्रजा के विश्वासों की तरह राष्ट्रदेवता, समाजोत्सव तथा विहारों
में अपनी भक्तिभावना रखे ।

१. विजिगीषु के गुप्तचरों को चाहिए कि वे देश, ग्राम, जाति, संघ और संघ-
मुख्यों के पास जाकर प्रजा के प्रति किये गए शत्रु के अपकारों को बराबर
दिखायें; और साथ ही देश आदि के प्रति किए गए नये विजिगीषु के
उदारता, प्रेम तथा सरकार आदि कार्यों को अच्छी तरह खोलकर रखें ।
विजिगीषु राजा, समुचित राज-भाग, करमाफी (परिहार) और सुख-
सुविधायें (रक्षाक्षण) देकर प्रजा की रक्षा करे । विजिगीषु को चाहिए
कि वह सभी धर्मों के देवताओं तथा आश्रमों की पूजा कराये और विद्वानों,
वक्ताओं एवं धर्मप्राण व्यक्तियों को भूमि तथा द्रव्य देकर उनसे किसी भी
प्रकार का राजकर वसूल न करे । जो दीन, अनाथ तथा व्याधिग्रस्त प्रजाजन
हैं उनकी हर तरह से सहायता करे और कारागार में बंद सभी अपराधियों
को मुक्त कर दे । चार-चार महीने में पंद्रह दिन ऐसे रखे, जिनमें किसी
को प्राणदण्ड न दिया जाय । इसी प्रकार वर्ष भर में चार पूर्णमासियाँ ऐसी
छोटी ले, जिनमें किसी का वध न किया जाय । राज्याभिषेक और राज्यविजय

बालवधं पुंस्त्वोपघातं च प्रतिषेधयेत् । यच्च कोशदण्डोपघा-
तिक्रमधर्मिष्ठं वा चरित्रं मन्येत, तदपनीय धर्म्यव्यवहारं स्था-
पयेत् । चोरप्रकृतीनां म्लेच्छजातीनां च स्थानत्रिपर्यासमने-
कस्थं कारयेद् दुर्गराष्ट्रदण्डमुख्यानां च । परोपगृहीतानां
च मन्त्रिपुरोहितादीनां परस्य प्रत्यन्तेष्वनेकस्थं वासं कारयेत् ।
अपकारसमर्थाननु क्षियतो वा भर्तृविनाशमुपांशुदण्डेन प्रशम-
येत् । स्वदेशीयान् वा परेण वावरुद्धानपवाहितस्थानेषु
स्थापयेत् ।

१. यश्च तत्कुलीनः प्रत्यादेयमादातुं शक्तः प्रत्यन्ताटवीस्थो वा
प्रवाधितुमभिजातः, तस्मै विगुणां भूमिं प्रयच्छेत् ; गुणव-

के नक्षत्रों में मी किसी का वध न किया जाय । वच्चे पैदा करने वाले मादा जानवरों तथा शिशु जानवरों के वध का सर्वथा निषेध किया जाय; और नर जानवरों को वधिया (पुंस्त्वहीन) न बनाये जाने की भी निषेधाज्ञा कर दी जाय । जिस आचरण को विजिगीषु राजा कोष और सेना के लिए हानिकर तथा धर्माचरण विरुद्ध समझे उसको दूर कर धर्मयुक्त सदाचार की स्थापना करे । चोर प्रकृति म्लेच्छ जातियों तथा दुर्ग, राष्ट्र और सेना के मुख्य अधिकारियों को परस्पर दूर-दूर स्थानों में नियुक्त करके उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय । शत्रु का उपकार करने वाले मंत्री, पुरोहित आदि को शत्रु के सीमा-प्रदेशों के भिन्न-भिन्न स्थानों में नियुक्त किया जाय, जिससे कि वे परस्पर न मिलने पायें । जो व्यक्ति विजिगीषु का अपकार करने में समर्थ हों अथवा विजिगीषु का विनाश करने की प्रवृत्ति से उसके यहाँ रहते हों उन्हें उपांशु दण्ड देकर समाप्त कर दिया जाय । अपने देश के तथा शत्रु द्वारा वन्दी बनाये गये लोगों को विजयी राजा उन अधिकार-पदों पर नियुक्त करे, जो शत्रु पक्ष के पुरुषों को पदच्युत करने से रिक्त हुए हों ।

१. शत्रु से छीने हुए राज्य को यदि कोई शत्रु वंशज वापिस लेने में समर्थ हो, अथवा सीमांत प्रदेश के सामंत या आटविक के द्वारा उस राज्य पर वाधा पहुँचाये जाने की संभावना हो तो विजिगीषु राजा उन्हें किसी गुणहीन

त्याश्चतुर्भागं वा कोशदण्डदानमवस्थाप्य, यदुपकुर्वाणः पौर-
जानपदान् कोपयेत् । कुपितैस्तरैरेनं घातयेत्, प्रकृतिभिरुप-
क्रुष्टमपनयेदौपघातिके वा देशे निवेशयेदिति ।

१. भूतपूर्वे येन दोषेणापवृत्तः, तं प्रकृतिदोषं छादयेत् । येन च
गुणेनोपावृत्तः, तं तीव्रीकुर्यादिति ।
२. पित्र्ये पितृदोषाञ्छादयेत् । गुणांश्च प्रकाशयेदिति ।
३. चरित्रमकृतं धर्म्यं कृतं चान्यैः प्रवर्तयेत् ।

(ऊसर) भूमि का कुछ हिस्सा दे दे; अथवा उन्हें गुणवती (उर्वर) भूमि
का चौथा हिस्सा इस शर्त पर दे कि वह सामंत विजिगीषु को अधिकाधिक
कोष और सेना देता रहेगा । ऐसा कराने का यह परिणाम होगा कि धन
तथा सेना को इकट्ठा करने में सामंत अपनी प्रजा को कुपित कर देगा ।
इस प्रकार प्रजाजनों के कुपित हो जाने पर बाद में उन्हीं के द्वारा उस
सामंत का वध कराया जाय । अथवा अमार्य आदि प्रकृतियों के द्वारा
निन्दा की जाने पर उस सामंत को वहाँ से हटा दिया जाय । या उसको
ऐसे प्रदेश में भेज दिया जाय, जहाँ उसके विनाश के अनेक साधन
विद्यमान हों ।


१. भूतपूर्व लाभ : अरने अपहृत भूतपूर्व राज्य को पुनः प्राप्त कर विजिगीषु
राजा को चाहिए कि अपने उस दोष का वह परित्याग कर दे, जिसके
कारण उसका राज्य उसके हाथ से निकल गया; और अपने जिन गुणों के
कारण उसने शत्रु के हाथ से अपना राज्य पुनः प्राप्त किया हो, उनको
अधिक बढ़ाये ।
२. पित्र्य लाभ : यदि पिता के दोषों के कारण राज्य शत्रु के कब्जे में गया
हो तो विजिगीषु को उचित है कि पिता के उन दोषों को वह छिपा दे,
जिनके कारण राज्य पर शत्रु ने अधिकार कर लिया था और पिता के जो
अच्छे गुण रहे हों उनको प्रकट करता रहे ।
३. विजिगीषु राजा को चाहिए कि विजित राज्य में वह उन धर्मयुक्त आचार-
व्यवहारों का प्रचलन करे, जिनका अब तक वहाँ अभाव था; तथा जो

प्रवर्तयेन्न चाधर्म्यं कृतं चान्यैर्निवर्तयेत् ॥

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशोऽधिकरणे लब्धप्रशमनं नाम पञ्चमोऽध्यायः;

आदितः पञ्चचत्वारिंशदुत्तरशततमः ।

समाप्तमिदं दुर्गलम्भोपायनामकं त्रयोदशमधिकरणम् ।



धर्मप्रवृत्त लोग रहे हों उन्हें प्रोत्साहित करे । अधर्मयुक्त आचार-व्यवहारों को वह कतई न पनपने दे तथा जो लोग अधर्मप्रवृत्त रहे हों उन्हें यत्न-पूर्वक रोके ।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।



औपनिषदिक
चौदहवाँ अधिकरण



घटकहरणा १७७

अध्याय १

परधातप्रयोगः

१. चातुर्वर्ण्यरक्षार्थमौपनिपदिकमधर्मिष्ठेषु प्रयुञ्जीत ।
२. कालकूटादिर्विषवर्गः श्रद्धेयदेशवेषशिल्पभाजनापदेशैः कुब्ज-
वामनकिरातमूकवधिरजडान्धच्छद्मभिः म्लेच्छजातीयैरभिप्रेतैः
स्त्रीभिः पुम्भिश्च परशरीरोपभोगेष्वाधातव्यः ।
३. राजक्रीडाभाण्डनिधानद्रव्योपभोगेषु गूढाः शस्त्रनिधानं कुर्युः,
सत्राजीविनश्च रात्रिचारिणोऽग्निजीविनश्चाग्निनिधानम् ।
४. चित्रभेककौण्डिन्यककुकणपञ्चकुष्ठशतपदीचूर्णमुच्चिदिङ्गकम्बलि-

शत्रुवध के प्रयोग

१. विजिगीषु राजा को चाहिए कि चारों वर्णों की रक्षा के लिए वह अधार्मिक व्यक्तियों पर औपनिपदिक प्रयोग करे ।
२. वस्सनाभ, हलाहल (कालकूट) आदि जो भयंकर विष हैं उनको, अपने विश्वसनीय देश, वेष, शिल्प और योग्यता को प्रकट करने वाले कुबड़े, बौने, ठिगने, गूंगे, बहरे, मूर्ख तथा अंधे आदि अनेक वेषों में रहने वाले म्लेच्छजाति के प्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा शत्रु के शरीर पर धारण किए जाने योग्य वस्त्रों में किसी प्रकार छिड़क दिया जाय ।
३. जहाँ शत्रु राजा का क्रीड़ा संबंधी सामान रखा जाता है वहाँ एवं गहने रखने के स्थान में या सुगंधित पदार्थों को रखने की जगह में गुप्तचर पुरुष हथियार छिपा कर रख दें । इसी प्रकार रात में इधर-उधर घूमने वाले गुप्तचर या लुहार आदि अग्निजीवी पुरुष शत्रु के स्थान में अग्नि का प्रयोग करें ।
४. भिल्लात्रा (भत्तलांतक) तथा बकुची (बह्गुक) के रस में चित्तकबरा मेंढक, कौण्डिन्यक (जिसका पेशाब तथा पाखाना विषयुक्त होता है), जंगली तीतर (बृकंकण), कूट के पाँचों अंग (पंचकुष्ठ) और कानखजूरा

शतकन्देध्मकृकलासचूर्णं गृहगौलिकान्धाहिककृकणकपूतिकीट-
गोमारिकाचूर्णं भल्लातकावलगुकारसयुक्तं सद्यःप्राणहरमेतेषां
वा धूमः ।

१. कीटो वान्यतमस्तप्तः कृष्णसर्पप्रियङ्गुभिः ।
शोषयेदेष संयोगः सद्यःप्राणहरो मतः ॥
२. धामार्गवयातुधानमूलं भल्लातकपुष्पचूर्णयुक्तमार्धमासिकः ।
३. व्याघातकमूलं भल्लातकपुष्पचूर्णयुक्तं कीटयोगो मासिकः ।
कलामात्रं पुरुषाणां द्विगुणं खराश्वानां चतुर्गुणं हस्त्युष्ट्राणाम् ।

(शतपदी) इन सब चीजों का चूर्ण; अथवा उच्चिदिंग नामक कीड़ा (विच्छू ?), कंवली कीड़ा (जो एक इंच लंबा होता है; शरीर को सिकोड़ कर चलता है तथा शरीर में गड़ जाने से जिसके रोएँ खुजली पैदा करते हैं), शतावर (शत), जिमीकंद, पलाश की लकड़ी (इध्म), गिरगिट (कृकलास), छिपकली (गृहगोधिका), अंधा या विषरहित सांप (अंधा-हिक), जंगली तीतर (कृकण), पूतिकीट नामक कीड़ा, तथा गोमारिका नामक औषधि, इन सब का चूर्ण मिलाया जाय तो उसका धुआं तत्काल ही प्राणांत कर देता है ।

१. उक्त कीड़ों में से किसी भी एक को यदि आग में तपाकर सूँघ लिया जाय तो उससे शरीर सूख जाता है । यदि काले सांप को कागुन के साथ मिलाकर उसका धुआं किया जाय तो वह भी तत्काल प्राणांत कर डालता है ।
२. यदि कड़वी तोरई और यातुधान नामक औषधि की जड़ों को भिलावा के फूलों के चूर्ण के साथ मिला लिया जाय तो वह योग पंद्रह दिन में ही प्राण ले लेता है ।
३. यदि भमलतास की जड़ को भिलावे के पुष्पचूर्ण के साथ मिलाकर उसमें पूर्वोक्त किसी तपे हुए कीड़े का योग कर दिया जाय तो उसका प्रयोग एक मास में प्राण हर लेता है । इस कीटयोग की मात्रा मनुष्य को एक कला, गधे को उससे दुगुना और हाथी-ऊटों को उसका चौगुना देना चाहिए ।

१. शतकर्दमोच्चिदिङ्गकरवीरकटुतुम्बीमत्स्यधूमो मदनकोद्रवपलालेन हस्तिकर्णपलाशपलालेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मारयति ।
२. पूतिकीटमत्स्यकटुतुम्बीशतकर्दमेध्मेन्द्रगोपचूर्णं पूतिकीपक्षुद्रारालाहेमविदारीचूर्णं वा वस्तशृङ्गखुरचूर्णयुक्तमन्धीकरो धूमः ।
३. पूतिकरञ्जपत्रहरितालमनःशिलागुञ्जारक्तकार्पासपलालान्यास्फोटकाचगोशकृद्रसपिष्टमन्धीकरो धूमः ।
४. सर्पनिर्मोकं गोश्वपुरीषमन्धाहिकशिरश्चान्धीकरो धूमः ।
५. पारावतप्लवकक्रव्यादानां हस्तिनरवराहाणां च सूत्रपुरीषं कासीसहिङ्गुयवतुषकणतण्डुलाः कार्पासकुटजकोशातकीनां च

१. शतावरी, कर्दम (अगर, तगर, केसर, कस्तूरी, कुंकुम और कपूर का पीसा हुआ लेप), उच्चिदिग (बिच्छू ?), कनेर, कड़वी तुंभी और मछली, इसका धुआँ; अथवा धतूरा, कोदो और धान के पुआल के साथ, अथवा धनिया, ढाक तथा पुआल के साथ धुआं किया जाय और उसको तेज हवा में रख दिया जाय तो जहाँ तक वह जायगा वहाँ तक के प्राणियों को मार डालेगा ।
२. पूतिकीट (पात बिच्छी), मछली, कड़वी तुंभी, शतावरी, कर्दम, ढाक की लकड़ी और इंद्रगोप (बीर बहूटी), इन सबका चूर्ण; अथवा पूतिकीट, कटेरी, राल, धतूरा और विदारी कंद इन सबका चूर्ण यदि बकरे के सींग और खुर के चूर्ण के साथ मिला दिया जाय तो उनका धुआं अंधा बना देता है ।
३. कांटेदार कंजा के पत्ते (पूतिकरंजपत्र), हड़नाल, मनसिल, लाल घुंघची (गुंजा रक्त), कपास और पुआल (पलल), इन सबको मदार (आस्फोट), फॉच तथा गोबर के रस में पीसा जाय और फिर उसका धुआं कर दिया जाय तो वह अंधा कर देता है ।
४. सर्प की केंचुल, गाय का गोबर, घोड़े की लीद और दो मुँहें सर्प का मस्तक इनका योग भी लोगों को अंधा कर देता है ।
५. कवूतर (पारावत), बत्तख (प्लवक), गीध (क्रव्य), हाथी, मनुष्य और सूअर का पेशाब तथा पाखाना; या कासीस (काशीस), हींग, जौ

बीजानि गोमूत्रिकाभाण्डीमूलं निम्बशिग्रुफणिज्जकाक्षीव-
पीलुकभङ्गः सर्पशफरीचर्म हस्तिनखशृङ्गचूर्णमित्येष धूमो
मदनकोद्रवपलालेन हस्तिकर्णपलाशपलालेन वा प्रणीतः
प्रत्येकशो यावच्चरति तावन्मारयति ।

१. कालीकुष्ठनडशतावरीमूलं सर्पप्रचलाककृकणपञ्चकुष्ठचूर्णं वा
धूमः पूर्वकल्पेनार्द्रं शुष्कपलाले वा प्रणीतः संग्रामावतर-
णावस्कन्दनसंकुलेषु कृततेजनोदकाक्षिप्रतीकारैः प्रणीतः सर्व-
प्राणिनां नेत्रध्मः ।
२. शारिकाकपोतवकवलाकालण्डमर्काक्षिपीलुकस्नुहिक्षीरपिष्टमन्धी-
करणमञ्जनमुदकदूषणं च ।

का छिलका (यवतुष), दाना (कण) और कपास, केसरैया (कुटक),
कड़वी लौकी के बीज या गोमूत्रिका (गाय के मूत्र की तरह जमीन पर
टेढ़ी-मेढ़ी फैलने वाली घास), और मंजीठ की जड़ (भांड़ी मूल); या नीम,
सैंहजन, नागफनी (फणिंज), जंभीरी नीवू (काचीव) और पीलु; इन
पाँचों पेड़ों का छिलका; या साँप और मछली की खाल; या हाथी के दाँतों
और मारतून का चूरा; इन सब चीजों का धुआं, यदि धतूरा, कोदो और
पुआल के साथ; या धनिया, पलाश और पुआल के साथ किया जाय तो
जितनी दूर तक वह धुआं फैलेगा वहाँ तक के सब प्राणी मर जाते हैं ।

१. चकोतरा (काली), कूट, नरसल और शतावरी, इन चीजों की जड़ का,
या साँप, मोर की पूंछ, जंगली तीतर और कूट नामक वृक्ष के पाँचों अंग को
पहिले ब्रताये गये योग के साथ मिला कर जो धुआं बनाया जाता है वह
अंधा कर देता है; या अधसूखे पुआल के साथ जो धुआं बनाया जाता
है, वह भी अंधा कर देता है । इसलिये युद्ध करते समय या किला घेरते
समय ऐसा धुआं करने से पूर्व पिछले प्रकरण में बताया गये अंजन जल
से अपनी आँखों को बचाने का प्रबंध किया जाय, अन्यथा वे भी अंधे
हो जायेंगे ।
२. मैना कवूतर, बगला और बगली इन पक्षियों की विष्टा को भाक, अही

चौदहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७७, अध्याय १

१. यवकशालिमूलमदनफलजातीपत्रनरमूत्रयोगाः प्लक्षविदारीमूल-
युक्तो मूकोदुम्बरमदनकोद्रवक्वाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाशक्वाथ-
युक्तो वा मदनयोगः । शृङ्गिगौतमवृक्षकण्टकारमयूरपदीयोगो
गुञ्जालाङ्गलीत्रिपमूलिकेज्जुदीयोगः करवीराक्षिपीलुकार्कमृगमार-
णीयोगो मदनकोद्रवक्वाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाशक्वाथयुक्तो
वा मदनयोगः । समस्ता वा यवसेन्धनोदकदूषणाः ।
२. कृतकण्डलकृकलासगृहगौलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधमुन्मादं च
करोति ।
३. कृकलासगृहगौलिकायोगः कुष्ठकरः ।

पीलु तथा सेंहुड़ (स्नुही) के दूध में मिला कर जो अंजन बनाया जाता है वह प्राणियों को अंधा करने वाला तथा जल को विषाक्त कर देने वाला होता है ।

१. जौ (यव), धान (शाली), इन दोनों की जड़, तथा मैनफल, चमेली, जात्रित्री और आदमी का पेशाब, इन सब चीजों को मिलाकर फिर उनमें पिलखन या लाख देने वाले पीपल तथा विदारी की जड़ों का योग कर दिया जाय, अथवा गंदे पानी में बने हुए गूलर, धतूरा और कोदों के काथ का योग कर दिया जाय; या धनियां तथा पलाश के काथ का योग कर दिया जाय तो मदनरस तैयार हो जाता है, जो कि आदमी को पागल या बेहोश बना देता है । शृंगी नामक मछली का पित्त (शृंगिगौतम), लोध, सेंमल तथा अजमोदा का योग; अथवा रत्ती, जल पीपल या नारियल, काल कूट आदि विष, तथा इंगुदी का योग; अथवा कनेर (करवीर), अक्षी (बहेड़े के जैसा पेड़), पीलु, भाक तथा मृगमारिणी औषधि का योग; धतूरा और कोदों के क्वाथ के साथ; या धनिया और पलाश के क्वाथ के साथ मिलाकर मदन योग तैयार होता है । इस प्रकार के मदन योग उन्माद पैदा करते हैं तथा घास, लकड़ी और पानी को विषयुक्त बना देते हैं ।

२. पकाई गई नस-नाडियों वाले गिरगिट, छिपकली और अंधभहिक का धुआँ अंधा तथा पागल बना देता है ।

३. गिरगिट और छिपकली का मिश्रित धुआँ कोठ पैदा कर देता है ।

१. स एव चित्रभेकान्त्रमधुयुक्तः प्रमेहमापादयति, मनुष्यलोहित-
युक्तः शोषम् ।
२. दूषीविषं मदनकोद्रवचूर्णमुपजिह्विकायोगः मातृवाहकाञ्जलि-
कारप्रचलाकभेकाक्षिपीलुकयोगो विषूचिकाकरः ।
३. पञ्चकुष्ठककौण्डिन्यकराजवृक्षपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः ।
४. भासनकुलजिह्वाग्रन्थिकायोगः खरीक्षीरपिष्टो मूकवधिरकरो
मासार्धमासिकः । कलामात्रं पुरुषाणामिति समानं पूर्वेण ।
५. भङ्गकवाथोपनयनमौषधानां चूर्णं प्राणभृताम् । सर्वेषां वा
कवाथोपनयनम्, एवं वीर्यवत्तरं भवति । इति योगसम्पत् ।

१. यदि गिरगिट और छिपकली का उक्त योग चितकबरे मेंदक तथा शहद में
मिला दिया जाय तो उससे प्रमेह पैदा हो जाता है । यदि इसी योग में मनुष्य
का खून मिला दिया जाय तो उससे क्षयरोग पैदा हो जाता है ।
२. औषधियों से शुद्ध किया हुआ विष, धतूरा और कोदो का चूर्ण दीमक
(उपजिह्विका) के साथ मिलाकर फिर मातृवाह पत्ती, अंजलिकार औषधि,
मोरपेंच (प्रचालक), मेंदक, सहिजन और पीलु के साथ तैयार किया हुआ
योग हैजा पैदा कर देता है ।
३. कूट वृक्ष के पाँचों अंग, कौण्डिन्य नामक कीड़ा, अमलतास (राज वृक्ष),
शहद और महुआ (पुष्प मधु), इन सब चीजों का योग ज्वर उत्पन्न
कर देता है ।
४. यदि गिद्ध, नेवला और मजीठ का योग गधी के दूध में पीसा जाय तो वह
योग महीने या पन्द्रह दिन के भीतर मनुष्य को गूंगा और बहिरा बना देता
है । इन सभी योगों की मात्रा मनुष्य के लिए एक कला, घोड़े, गधे के लिए
उससे दुगुनी और हाथी, ऊंट आदि के लिए उससे चौगुनी होनी चाहिए ।
५. ऊपर बताये गए सभी योगों में जो औषधियाँ हैं कूट-कूट कर उनका क्वाथ
बनाना चाहिए । प्राणियों के उपयोग के लिए उसका चूर्ण या क्वाथ बनाकर
उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से औषधि अधिक प्रभावकारी
हो जाती है । यहां तक विशेष-विशेष योगों का निरूपण किया गया ।

चौदहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७७, अध्याय १

१. शाल्मलीविदारीधान्यसिद्धो मूलवत्सनाभसंयुक्तश्चुन्दरीशोणितप्रलेपेन दिग्धो वाणो यं विध्यति, स विद्धोऽन्यान् दश पुरुषान् दशति, ते दष्टा दशान्यान् दशन्ति पुरुषान् ।
२. भल्लातकयातुधानापामार्गवाणानां पुष्पैरेलकाक्षिगुग्गुलुहालाहलानां च कषायं वस्तनरशोणितयुक्तं दंशयोगः । ततोऽर्धधरणिको योगः सक्तुपिण्याकाभ्यामुदके प्रणीतो धनुःशतायाममुदकाशयं दूषयति, मत्स्यपरम्परा ह्येतेन दष्टाऽभिमृष्टा वा विषीभवति, यश्चैतदुदकं पिबति स्पृशति वा ।
३. रक्तश्वेतसर्षपैर्गोधा त्रिपक्षमुष्टिकायां भूमौ निखातायां निहिता

१. सेमर, विदारी और धनियां की भावना देकर तथा पिप्पलीमूल एवं वत्सनाभ से युक्त और छड़ंदर के रक्त से लेप किया हुआ वाण जिसको लगता है वह व्यक्ति दूसरे दस व्यक्तियों को काट लेता है; और वे दस व्यक्ति दूसरे दस-व्यक्तियों को काट खाते हैं। इस प्रकार विष के फैल जाने से सारी शत्रु सेना नष्ट हो जाती है।
२. भिलावा, यातुधान, अपामार्ग और अर्जुन वृक्ष (वाण), इन सब चीजों के फूलों से सिद्ध किया हुआ; इलायची, अन्नी, गुगल तथा हलाहल को मिलाकर बनाया हुआ काढ़ा यदि बकरे और मनुष्य के रक्त में मिला दिया जाय तो वह दंशयोग अर्थात् काटने के लिए उपयोगमें लाया जाने वाला योग है। यह काढ़ा जिसके भी शरीर में चला जाय वह भी दूसरे अनेक व्यक्तियों को काट कर विषमय बना देता है। उस काढ़े से आधा धरणिक प्रमाण (एक तोला) सक्तू और तिलकुट को जल में मिलाकर बनाया हुआ योग सौ धनुष परिमाण लम्बे चौड़े जलाशय को विषमय बना देता है। वहां की रहने वाली मछलियाँ एक-दूसरे को स्पर्श करने या काटने से विषैली हो जाती हैं; और जो भी उस जल को पीता, स्पर्श करता या उसमें स्नान करता है वह भी विषमय बन जाता है।
३. लाल तथा सफेद सरसों के साथ एक गोह को घड़े में करके जहां ऊंट बांधे जाते हों उस जगह गदा खोदकर पैंतालीस दिन तक गाड़ा जाय—और उसके

वध्येनोद्धृता यावत्पश्यति, तावन्मारयति । कृष्णः सर्पो वा ।

१. विद्युत्प्रदग्धोऽङ्गारोऽज्वालो वा विद्युत्प्रदग्धैः काष्ठैर्गृहीत-
श्चानुवासितः कृत्तिकासु भरणीषु वा रौद्रेण कर्मणाभिहुतोऽ-
ग्निः प्रणीतश्च निष्प्रतीकारो दहति ।
२. कर्मारादग्निमाहृत्य क्षौद्रेण जुहुयात् पृथक् ।
सुरया शौण्डिकादग्नि भार्यायोग्नि घृतेन च ॥
३. माल्येन चैकपत्न्यग्नि पुंश्चल्यग्नि च सर्षपैः ।
दध्ना च सूतिकास्वग्निमाहिताग्नि च तण्डुलैः ॥
४. चण्डालाग्नि च मांसेन चिताग्नि मानुषेण च ।

बाद किसी वध्य-पुरुष से वह गढ़ा खुदवा कर उस घड़े को निकलवा दिया जाय । निकालते ही वह गोह तत्काल निकालने वाले व्यक्ति को मार देती है । उसी तरह यदि काले साँप को भी गाढ़ा जाय तो वह भी आदमी को मार डालता है

१. अथवा विद्युत् से जले हुए लपट रहित अंगारे की आग को यदि बिजली से ही जली हुई लकड़ियों के द्वारा सुलगाया जाय; और कृत्तिका अथवा भरणी नक्षत्र में रुद्र देवता के पूजनार्थ उस अग्नि में हवन किया जाय तो इस प्रकार बनाई गई अग्नि को किसी भी प्रकार बुझाया नहीं जा सकता है ।
२. कुम्हार के यहां से आग लेकर, आगे बतलाई जाने वाली आगों को छोड़ कर उस में शहद से हवन किया जाय; इसी प्रकार शराब बेचने वाले के घर से आग लेकर उस में शराब से हवन किया जाय और लुहार के यहां से आग लेकर उसमें भारंगी नामक औषधि का हवन किया जाय ।
३. पतिव्रता स्त्री के घर से लाई गई अग्नि में फूलों की माला से हवन किया जाय, व्यभिचारिणी स्त्री के घर से लाई गई अग्नि में सरसों से हवन किया जाय; सूतिका गृह से लाई गई अग्नि में दही से हवन किया जाय; अग्निहोत्री के घर से लाई गई अग्नि में चावलों से हवन किया जाय ।
४. चांडाल के यहाँ से लाई गई अग्नि में मांस से हवन किया जाय; चिता से लाई गई अग्नि में मनुष्य से हवन किया जाय; और तदनंतर इन सब

चौदहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७७, अध्याय १

समस्तान् वस्तवसया मानुषेण ध्रुवेण च ॥

जुहुयादग्निमन्त्रेण राजवृक्षकदारुभिः ।

एष निष्प्रतिकारोऽग्निद्विषतां नेत्रमोहनः ॥

१. अदिते ! नमस्ते, अनुमते ! नमस्ते, सरस्वति ! नमस्ते,
देव ! सवितर्नमस्ते ! अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भूः
स्वाहा, भुवः स्वाहा ।

इति औपनिषदिके चतुर्दशाऽधिकरणे परघातप्रयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः;

आदितः पट्चस्वारिंशदुत्तरशततमः ।



अग्नियों को एकत्र करके उनमें बकरी की चर्बी से सूखी बरगद की लकड़ी से हवन किया जाय; तदनंतर- अग्नि के स्तुतिवाचक मंत्रों द्वारा अमलतास की लकड़ियों द्वारा हवन किया जाय । इस प्रकार की अग्नि का फिर कोई प्रतीकार नहीं है । यह अग्नि केवल दुर्ग आदि को ही नहीं जलाती, बरन्, उसको देखने मात्र से ही शत्रुओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ।

१. इन मंत्रों से हवन किया जाय ! अदिते नमस्ते ! अनुमते नमस्ते ! सरस्वति नमस्ते ! सवितर्नमस्ते ! अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा ।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त



अध्याय २

प्रलम्भने अदभुतोत्पादनम्

१. शिरीषोदुम्बरशमीचूर्णं सर्पिषा संहत्यार्धमासिकक्षुद्योगः ।
२. कशेरुकोत्पलकन्देक्षुमूलत्रिसदूर्वाक्षीरघृतमण्डसिद्धो मासिकः ।
३. माषयवकुलत्थदर्भमूलचूर्णं वा क्षीरघृताभ्यां, बल्लीक्षीरघृतं वा समसिद्धं सालपृश्निपर्णीमूलकल्कं पयसा पीत्वा, पयो वा तत्सिद्धं मधुघृताभ्यामशित्वा, मासमुपवसति ।
४. श्वेतवस्तमूत्रे सप्तरात्रोषितैः सिद्धार्थकैः सिद्धं तैलं कटुका-
लावौ मासार्धमासस्थितं चतुष्पदद्विपदानां विरूपकरणम् ।

प्रलम्भन योग में अदभुत उत्पादन

१. सिरण (शिरीष), गूलर और शमी इन तीनों के चूर्ण को घी के साथ मिलाकर खाने से पंद्रह दिन तक भूख नहीं लगती है ।
२. कसेरु, कमल की जड़, गन्ने की जड़, कमल डंडी, दूब, दूध, घी और मांड, इन सबको एक साथ मिलाकर खाने से एक महीने तक भूख नहीं लगती है ।
३. उड़द, जौ, कुलथी और कुशा की जड़ इन सब को दूध-घी के साथ मिलाकर पीने से एक मास तक भूखा रहा जा सकता है; अथवा अजमोद, दूध और घी को बराबर मिलाकर पी लेने पर भी एक महीने तक भूख नहीं लगती है । इसी प्रकार शालपर्णी (सालवन) और पृश्निपर्णी (पिठवन) की जड़ों के कल्क को दूध के साथ पीने से या शालपर्णी और पृश्निपर्णी के साथ दूध को पकाकर उसे शहद के साथ खाने से भी एक मास तक भूख नहीं लगती है ।
४. यदि सफेद वकरे के पेशाब में सात रात तक रखी हुई सरसों से निकाला हुआ तेल एक मास या पंद्रह दिन तक कढ़वी तूंबी में रखा जाय तो उसके बाद जिन चौपायों या दुपायों पर वह तेल लगाया जायगा, उनका रूप

१. तक्रयवभक्षस्य सप्तरात्रादूर्ध्वं श्वेतगर्दभस्य लण्डयवैः सिद्धं गौरसर्षपतैलं विरूपकरणम् ।
२. एतयोरन्यतरस्य मूत्रलण्डरससिद्धं सिद्धार्थकतैलमर्कतूलपतङ्ग-चूर्णप्रतिवापं श्वेतीकरणम् ।
३. श्वेतकुक्कुटाजगरलण्डयोगः श्वेतीकरणम् ।
४. श्वेतवस्तमूत्रे श्वेतसर्षपाः सप्तरात्रोषितास्तक्रमर्कक्षीरमर्कतूल-कटुकमत्स्यविलङ्गाश्च । एष पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम् ।
५. समुद्रमण्डूकीशङ्खसुधाकदलीक्षारतक्रयोगः श्वेतीकरणम् ।
६. कदलयवल्गुजक्षाररसशुक्ताः सुरायुक्तास्तक्रार्कतूलस्तुहिलवणं

वदल जायगा; इसको विरूपकरण (दूसरा रूप बनाना) योग कहते हैं ।

१. इसी तरह किसी आदमी को यदि सात दिन तक मट्ठा और जौ खिलाकर सफेद गधे की लीद तथा जौ के साथ पकाये हुये सफेद सरसों के तेल को लगाने या खाने को दिया जाय तो उसकी शक्ल वदल जाती है ।
२. सफेद गधा या सफेद बकरे के पेशाब तथा लीद के रस के साथ पकाये हुए सरसों के तेल को आक, पलास, पीपल और धान के चूर्ण के साथ मिलाकर श्वेतीकरण योग बनाया जाता है, इसके लगाने या खाने से शक्ल-सूरत सफेद हो जाती है ।
३. सफेद मुर्गा और अजगर सांप, इन दोनों की विष्ठा को मिलाकर तैयार किया हुआ योग भी सफेद बना देता है ।
४. यदि सफेद बकरे के पेशाब में सात रात तक सफेद सरसों को रखा जाय और तदनंतर पंद्रह दिन तक उस सरसों को मठा, आक का दूध, आक, पारस पीपल, कड़वा परवल (पटोल), मछली तथा बायबिडंग के चूर्ण के साथ मिलाकर बनाया जाय तो वह भी आकृति को सफेद बना देता है ।
५. समुद्री मेढकी, शंख, सुधा, केला, जवाखार और मठा, इन सब चीजों का योग भी सफेद कर देता है ।
६. केला, बकुची, जवाखार, पारा, और कोई खट्टा फल, इन सबको शराब में भिगो दिया जाय; तदनंतर छाछ, आक, पारसपीपल, सेंहुड़, नमक और

धान्याम्लं च पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम् ।

१. कटुकालात्रौ ब्रह्मीगते नगरमर्धमासस्थितं गौरसर्षपपिष्टं रोम्णां श्वेतीकरणम् ।
२. अर्कतूलोऽर्जुने कीटः श्वेता च गृहगौलिका ।
एतेन पिष्टेनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शङ्खपाण्डराः ॥
३. गोमयेन तिन्दुकारिष्टकल्केन वा मर्दिताङ्गस्य भल्लातकरसानु-
लिप्तस्य मासिकः कुष्ठयोगः ।
४. कृष्णसर्षपमुखे गृहगौलिकामुखे वा सप्तरात्रोषिता गुञ्जाः
कुष्ठयोगः ।
५. शुकपित्ताण्डरसाभ्यङ्गः कुष्ठयोगः ।
६. कुष्ठस्य प्रियालकल्ककषायः प्रतीकारः ।

कंजा को उसमें मिलाकर पंद्रह दिन तक रखा रहने दिया जाय । इस तरह का योग भी सफेद बना देता है ।

१. बेल में लगी हुई कड़वी तूंबी में सोंठ भरकर उसे पंद्रह दिन तक रख दिया जाय और बाद में उसको वंगा सरसों के साथ पीस लिया जाय; यह भी श्वेतीकरण योग है ।
२. आक, पारसपीपल, अर्जुन कीट और सफेद छिपकली, इन सबको एक साथ पीस कर यदि वालों में लगाया जाय तो बाल शंख के समान श्वेत हो जाते हैं ।
३. गोबर, छोटा तेंदुआ और नीम के कल्क से शरीर पर मालिश करने के बाद, यदि भिलावा और पारा मिला कर शरीर में लगा दिया जाय तो एक महीने के अंदर कोढ़ उपज आता है ।
४. काले सांप के या छिपकली के मुंह में सात रात तक रखी हुई रस्ती को यदि देह पर रगड़ा जाय तो कोढ़ हो जाता है ।
५. तोते के पित्ते तथा अंडे के रस से शरीर पर मालिश करने से कोढ़ हो जाता है ।
६. चिरौंजी के कल्क से बनाया हुआ काढ़ा कुष्ठ रोग का प्रतीकार है ।

१. कुक्कुटीकोशातकीशतावरीमूलयुक्तमाहारयमाणो मासेन गौरो भवति ।
२. वटकषायस्नातः सहचरकल्कदिग्धः कृष्णो भवति ।
३. शकुनकङ्कुतैलयुक्ता हरितालमनःशिलाः श्यामीकरणम् ।
४. खद्योतचूर्णं सर्षपतैलयुक्तं रात्रौ ज्वलति ।
५. खद्योतगण्डूपदचूर्णं समुद्रजन्तूनां भृङ्गकपालानां खदिरकर्णिकाराणां पुष्पचूर्णं वा शकुनकङ्कुतैलयुक्तं तेजनचूर्णं पारिभद्रकत्वङ्घ्नी मण्डूकवसया युक्ता गात्रप्रज्वालनमग्निना ।
६. पारिभद्रकत्वग्ज्वरकदलीतिलकल्कप्रदिग्धं शरीरमग्निना ज्वलति ।
७. पीलुत्वङ्घ्नीमयः पिण्डो हस्ते ज्वलति । मण्डूकवसादिग्धोऽग्निना ज्वलति ।

१. सुर्गी, कड़वी तोरई, परवल और शतावरी की जड़ को एक मास तक खाने से शरीर गौरवर्ण हो जाता है ।
२. यदि बरगद के काढ़े से स्नान कर फिर पियावांस के कल्क की मालिश की जाय तो शरीर काला पड़ जाता है ।
३. गिद्ध और काँगनी के तेल में हड़ताल तथा मैनसिल मिलाकर मालिश करने से भी शरीर सॉवला हो जाता है ।
४. यदि जुगुनू का चूर्ण सरसों के तेल के साथ मिला दिया जाय तो वह रात में जलने लगता है ।
५. जुगुनू और गेंडुए का चूर्ण तथा इसी प्रकार के छोटे-छोटे समुद्री जानवरों का चूर्ण, भृंग नामक पक्षी के सिर की हड्डियों का चूर्ण, खैर तथा कनेर के फूलों का चूर्ण, गिद्ध तथा काँगनी के तेल में मिला बांस का चूर्ण और मेढ़क की चर्बी से मिली नीम की छाल की स्याही; इनमें से प्रत्येक चूर्ण को देह पर मलने से बिना किसी पीड़ा या जलन के शरीर पर आग जलने लगती है ।
६. नीम की छाल, थूहर, केला और तिल के कल्क से पोते हुए शरीर पर बिना किसी पीड़ा के अग्नि जलने लगती है ।
७. पीलु वृक्ष की छाल की स्याही का बना हुआ गोला, बिना अग्नि-संसर्ग के

१. तेन प्रदिग्धमङ्गं कुशाप्रफलतैलसिक्तं समुद्रमण्डूकीफेनकसर्ज-
रसचूर्णयुक्तं वा ज्वलति ।
२. मण्डूकवसासिद्धेन पयसा कुलीरादीनां वसया समभागं तैलं
सिद्धमभ्यङ्गो गात्राणामग्निप्रज्वालनम् । मण्डूकवसादिग्धोऽ-
ग्निना ज्वलति ।
३. वेणुमूलशैवललिप्तमङ्गं मण्डूकवसादिग्धमग्निना ज्वलति ।
४. पारिभद्रकप्रतिबलावञ्जुलवज्रकदलीमूलकल्केन मण्डूकवसा-
दिग्धेन तैलेनाभ्यक्तपादोऽङ्गारेषु गच्छति ।
५. उपोदका प्रतिबला वञ्जुलः पारिभद्रकः ।
एतेषां मूलकल्केन मण्डूकवसया सह ॥

ही, हाथ में जलने लगता है । मेढक की चर्बी से सना हुआ वही गोला आग के संसर्ग से जलने लगता है ।

१. उस गोले को अंग में लपेट कर कुशा के तेल और आम की गुठली के तेल से शरीर चुपड़ के अथवा समुद्री मेढकी, समुद्रफेन और राल, इन सब के चूर्ण को देह में लगाया जाय तो अग्नि का संसर्ग होते ही देह जलने लगती है ।
२. मेढक की चर्बी के साथ पके हुए दूध तथा केंकड़े की चर्बी में उतना ही तेल मिलाकर यदि उससे मालिश की जाय तो शरीर में अग्नि की लपटें उठने लगती हैं । मेढक की चर्बी से सना हुआ व्यक्ति अग्नि का संसर्ग पाते ही जल उठता है ।
३. बाँस की जड़ और सेंवार से लिपा हुआ अंग तथा मेढक की चर्बी से लिपा हुआ अंग अग्नि के संसर्ग से जलने लगता है ।
४. नीम (पारिभद्रक), खरेंटी (प्रतिबला), वञ्जुल (तेंदुआ, बेत, अशोक) थूहर और केला, इन सब पेड़ों की जड़ों का कल्क बनाकर तथा उसमें मेढक की चर्बी एवं तेल मिला लिया जाय और तब उस योग की पैरों में मालिश की जाय तो अंगारों के ऊपर चला जा सकता है ।
५. पोदीना (उपोदका), खरेंटी, वञ्जुल, और नीम, इनके पेड़ों की जड़ों का कल्क बनाकर उसमें मेढक की चर्बी मिला दी जाय तो उस तेल का

चौदहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७८, अध्याय २

साधयेत्तैलमेतेन पादावभ्यज्य निर्मलौ ।

अङ्गारराशौ विचरेद्यथा कुसुमसञ्चये ॥

१. हंसक्रौञ्चमयूराणामन्येषां वा महाशकुनीनामुदकप्लवानां पुच्छेषु
वद्धा नलदीपिका रात्रावुल्कादर्शनम् ।
२. वैद्युतं भस्माग्निशमनम् ।
३. स्त्रीपुष्पपायिता माया ब्रजकुलीमूलं मण्डूकवसामिश्रं चुल्यां
दीप्तायामपाचनम् । चुल्लीशोधनं प्रतीकारः ।
४. पीलुमयो मणिरग्निगर्भः सुवर्चलामूलग्रन्थिः सूत्रग्रन्थिर्वा
पिचुपरिवेष्टितो मुखादग्निधूमोत्सर्गः ।
५. कुशाग्रफलतैलसिक्तोऽग्निर्वर्षप्रवातेषु ज्वलति ।

साफ पैरों में मालिश करने से धधकते अंगारों के ढेर में वैसे ही घूमा जा सकता है, जैसे कि फूलों के ढेर में ।

१. यदि हंस, क्रौंच, मयूर और अन्य वत्सव आदि जलचर पक्षियों की पूँछों पर नलदीपिका (नरकट पर रखी हुई छोटी-सी जलती हुई बत्ती) लगाई जाय तो वह रात में दूर से भयप्रद उल्का के समान दिखाई देती है ।
२. विजली गिरने से जली हुई लकड़ी की राख अग्नि को शांत कर देती है ।
३. स्त्री के रज से मिले हुए उड़द और मेंढक की चर्बी से मिली हुई गोष्ठ (गायों की जगह) में पैदा होने वाली बड़ें कटहल की जड़, इन दोनों को आग पर चढ़ाकर कितना भी पकाया जाय; पर नहीं पकती । चूल्हे से उतार कर इनका साफ कर देना ही इनका प्रतीकार है ।
४. पीलु की लकड़ी से बना हुआ मटका अग्निगर्भ (तत्काल ही अग्नि को खींचने वाला) होता है । अलसी की जड़ की गाँठ या अलसी के सूतों की गाँठ रुई से लपेट देने पर मुंह से आग और धुआँ छोड़ने का साधन है ।
५. कुश आम और तेल के सहारे जलाई हुई आग आँधी और वर्षा में भी जलती रहती है ।

१. समुद्रफेनकस्तैलयुक्तोऽम्भसि प्लवमानो ज्वलति ।
२. प्लवङ्गमानामस्थिषु कल्माषवेणुना निर्मथितोऽग्निर्नोदकेन शाम्यति, उदकेन च ज्वलति ।
३. शस्त्रहतस्य शूलप्रौतस्य वा पुरुषस्य वामपार्श्वपर्शुकास्थिषु कल्माषवेणुना निर्मथितोऽग्निः, स्त्रियाः पुरुषस्य वास्थिषु मनुष्यपर्शुकया निर्मथितोऽग्निर्यत्र त्रिरपसव्यं गच्छति, न चात्रान्योऽग्निर्ज्वलति ।
४. चुचुन्दरी खञ्जरीटः खारकीटश्च पिष्यते ।
अश्वमूत्रेण संसृष्टा निगलानां तु भञ्जनम् ॥
५. अयस्कान्तो वा पाषाणः ।
६. कुलीराण्डदर्दुरखारकीटवसाप्रदेहेन द्विगुणो दारकगर्भः कङ्क-
भासपार्श्वोत्पलोदकपिष्टश्चतुष्पदद्विपदानां पादलेपः, उलूक-

१. पानी में तैरते हुए समुद्र झाग में यदि तेल मिला दिया जाय तो वह जलते हुए तैरता रहेगा ।
२. बंदर की हड्डियों में विचित्र वांस के मंथन से पैदा की गई अग्नि जल से नहीं बुझ सकती है; वल्कि जल के संसर्ग से वह और भी धधकने लगती है ।
३. तलवार, भाला या त्रिशूल आदि से मारे हुए पुरुष की बाईं पसली की हड्डियों में विचित्र वांस के मंथन से पैदा की गई अग्नि; या स्त्री अथवा पुरुष की हड्डियों में मनुष्यों की पसली से मंथन कर पैदा हुई अग्नि; इन दोनों अग्नियों को जहाँ पर तीन बार बाईं ओर से घुमा दिया जाय वहाँ पर कोई आग नहीं जल सकती है ।
४. छछूंदर, खंजन और खारकीट, इन तीनों को घोड़े के पेशाब के साथ अलग-अलग पीस कर फिर एक साथ मिला दिया जाय तो वह मिश्रण बेबी, हथकड़ी, आदि तोड़ने के काम में आ सकता है ।
५. अथवा अयस्कान्त नामक मणि से भी लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं ।
६. कंकड़े के अंडे, मेढक, खारकीट की चर्बी से बढ़ाये हुए सूकरगर्भ को कंक पत्नी, गिद्ध की पसलियों तथा कमल के जल से पीस कर, उस औषधि को चौपायों या दुपारों के पैरों में लेप कर दिया जाय तो बिना थकावट के

गृध्रवसाभ्यामुष्ट्रचर्मोपानहावभ्यज्य वटपत्रैः प्रतिच्छाद्य
पञ्चाशद्योजनान्यश्रान्तो गच्छति । श्येनकङ्ककाकगृध्रहंसक्रौञ्च-
वीचिरल्लानां मज्जानो रेतांसि वा योजनशताय । सिंहव्याघ्र-
द्वीपिकाकोल्हूकानां मज्जानो रेतांसि वा, सार्ववर्णिकानि
गर्भपतनान्युष्ट्रिकायामभिषूय श्मशाने प्रेतशिशून् वा तत्स-
मुत्थितं मेदो योजनशताय ।

१. अनिष्टैरद्भुतोत्पातैः परस्योद्वेगमाचरेत् ।
आराज्यायेति निर्वादः समानः कोप उच्यते ॥

इति औपनिषदिके चतुर्दशोऽधिकरणे प्रलम्भनेऽद्भुतोत्पादनं नाम द्वितीयोऽध्यायः;
आदितः सप्तचत्वारिंशदधिकशततमः ।



पचास योजन तक चला जा सकता है; उल्लू, तथा गिद्ध की चर्बी को ऊँट के चमड़े से बने जूतों पर चुपड कर और वरगद के पत्तों से ढँककर फिर उन्हीं जूतों को पहिन कर पचास योजन तक बिना थकावट के सफर किया जा सकता है; वाज, सफेद चील (कंक), कौआ, गीध, हंस, क्रौंच और वीचिरल्ल की चर्बी और वीर्य को मिलाकर पूर्वोक्त ढंग से पैरों तथा जूतों में लेप किया जाय तो विना थके-अलसाये सौ योजन सफर किया जा सकता है; शेर, बाघ, भेड़िया, कौआ और उल्लू, इन सबकी चर्बी तथा वीर्य; अथवा सभी वर्णों के गिरे हुए गर्भों को मिट्टी के किसी वर्तन में अथवा मरे हुए छोटे बच्चों को श्मशान भूमि में ही अभिषव करके उनके शरीर से निकली हुई चर्बी को पैर, जूते आदि में लेप करके विना थकावट ही सौ योजन तक जाया जा सकता है ।

१. इस प्रकार विजिगीषु राजा को चाहिए कि इन आश्चर्यजनक अद्भुत तथा अनिष्टकारक उत्पातों से वह अपने शत्रु को अच्छी तरह बेचैन करे । यद्यपि इस प्रकार का व्यापार अनिष्टकारी, और कलंकित कर देने वाला होता है; फिर भी पारस्परिक वैमनस्य बढ़ जाने के कारण, उसको उपयोग में लाना ही पड़ता है । इसलिए यहाँ पर इसका निरूपण किया गया ।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ३

प्रलम्भने मैषज्यमन्त्रप्रयोगः

१. मार्जारोष्ट्रवृकवराहश्वाविद्धागुलीनप्लुकाकोलूकानामन्येषां वा निशाचराणां सत्वानामेकस्य द्वयोर्वहूनां वा दक्षिणानि वामानि वाक्षीणि गृहीत्वा द्विधा चूर्णं कारयेत् । ततो दक्षिणं वामेन वामं दक्षिणेन समभ्यज्य रात्रौ तमसि च पश्यति ।
२. एकाम्लकं वराहाक्षि खद्योतः कालशारिवा । एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रौ रूपाणि पश्यति ॥
३. त्रिरात्रोपोषितः पुष्ये शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः

प्रलम्भन योग में औषधि तथा मंत्र का प्रयोग

१. रात में घूमनेवाले : बिल्ली, ऊंट, भेड़िया, सूअर, साही, बागुली, नत्ता, कौआ और उल्लू अथवा रात्रि में विचरण करने वाले इसी प्रकार के दूसरे प्राणी, इनमें से एक, दो या अनेकों की दोनों आंखों को निकाल कर उनका अलग-अलग चूर्ण बनाया जाय । तदनंतर दाईं आंखों से बना चूर्ण दाईं आंख पर और दाईं आंख से बना चूर्ण बाईं आंख पर अञ्जन कर देने से मनुष्य भी रात के समय घोर अन्धकार में प्रत्येक वस्तु को देख सकता है ।
२. एक बड़हल (अम्लक), सूअर की आंख, जुगुनू और काली शारिवा नामक औषधि को एक साथ मिलाकर आंख में लगाने से रात में सभी चीजें दिखाई देती हैं ।
३. तीन रात तक उपवास करने वाला व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में हथियार से मारे हुए अथवा फांसी पर चढ़ाये गये आदमी की खोपड़ी में मिट्टी भर

शिरःकपाले मृत्तिकायां यवानावास्याविक्षीरेण सेचयेत्, ततो यवविरूढमालामावध्य नष्टच्छायारूपश्चरति ।

१. त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण श्वमार्जारोलूकवागुलीनां दक्षिणानि वामानि चाक्षीणि द्विधा चूर्णं कारयेत् । ततो यथास्वमभ्यक्ताक्षो नष्टच्छायारूपश्चरति ।
२. त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण पुरुषघातिनः काण्डकस्य शलाकामञ्जनीं च कारयेत्, ततोऽन्यतमेनाक्षिचूर्णेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्छायारूपश्चरति ।
३. त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण कालायसीमाञ्जनीं शलाकां च कारयेत् ; ततो निशाचराणां सत्त्वानामन्यतमस्य शिरःकपालमञ्जनेन पूरयित्वा मृतायाः स्त्रिया योनौ प्रवेश्य दाहयेत् ;

कर उसमें जौ बो दे और उसको भेंड़ के दूध से सींचता जाय । जब वे जौ उग आते हैं तब उनकी माला पहिन कर चलने वाले व्यक्ति की न तो छाया दिखाई देती है और न रूप ही ।

१. अथवा तीन रात तक उपवास करने वाला व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में कुत्ता, बिल्ली, उल्लू और वागुली इन चारों जानवरों की दोनों आंखों का अलग-अलग चूर्ण बनाये । तदनंतर दाईं आंखों से बने चूर्ण को दाईं आंख पर और बाईं आंखों से बने चूर्ण को बाईं आंख पर लगाने वाले व्यक्ति की छाया और काया नहीं दिखाई देती है ।
२. अथवा तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में जिस बाण से कोई व्यक्ति मारा गया हो उसी बाण के लोहे की एक सलाई और सुरमादानी बनवा कर कुत्ता, बिल्ली, उल्लू और वागुली इनमें से किसी की भी दाईं-बाईं आंख का अलग-अलग चूर्ण बनाकर उसी सलाई तथा सुरमादानी के द्वारा आंखों में लगाने वाला पुरुष रूप तथा छाया से रहित हो कर विचरण कर सकता है ।
३. अथवा तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में फौलाद के लोहे की सुरमादानी-सलाई बना दी जाय और रात में घूमनेवाले किसी

तदञ्जनं पुष्येणोद्धृत्य तस्यामञ्जन्यां निदध्यात् । तेनाभ्य-
क्ताक्षो नष्टच्छायारूपश्चरति ।

१. यत्र ब्राह्मणमाहितार्ग्नि दग्धं दह्यमानं वा पश्येत्, तत्र त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण स्वयंमृतस्य वाससा प्रसेवं कृत्वा चिताभस्मना पूरयित्वा तमाबध्य नष्टच्छायारूपश्चरति ।
२. ब्राह्मणस्य प्रेतकार्ये या गौर्मार्यते, तस्या अस्थिमज्जाचूर्ण-
पूर्णाहिभस्त्रा पशूनामन्तर्धानम् ।
३. सर्पदष्टस्य भस्मना पूर्णा प्रचलाकभस्त्रा मृगाणामन्तर्धानम् ।
४. उलूकवागुलीपुच्छपुरीषजान्वस्थिचूर्णपूर्णाहिभस्त्रा पक्षिणा-
मन्तर्धानम् ।

भी जानवर की खोपड़ी को अञ्जन से भरकर उसे किसी मरी हुई स्त्री की योनि में डाल कर जला दिया जाय । तदनंतर पुष्य नक्षत्र में उस अञ्जन को उक्त लोहे की सुरमादानी में भर दिया जाय और उसी सलाई से उस अञ्जन को आंखों में लगाने से भी रूप तथा छाया से रहित होकर विचरण किया जा सकता है ।

१. अथवा जहां पर कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण जलाया गया हो या जलाया जा रहा हो, उस स्थान पर तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में अपनी मृत्यु से मरे हुए किसी व्यक्ति के वस्त्र से एक थैली बनाकर उसमें उसी मनुष्य की चिता की राख भर दी जाय और उस पोटली को अपने किसी अंग पर बांध दिया जाय; ऐसा करने से वह पुरुष छाया-रूप से रहित यथेच्छ कहीं भी विचरण कर सकता है ।
२. ब्राह्मण के श्राद्धकार्य में जो गाय मारी जाय उसकी हड्डी और मज्जा के चूर्ण से भरी हुई सांप की केंचुल को यदि किसी पशु पर बांध दिया जाय तो उसको भी कोई नहीं देख पाता है ।
३. यदि सर्प से कटे हुए किसी जानवर की राख को मोरपेंच की बनी हुई थैली में भर दिया जाय और वह थैली किसी जंगली जानवर के अङ्ग पर बांध दी जाय तो वह जानवर दृष्टि से अन्तर्धान हो जाता है ।
४. यदि उलूक तथा वागुली दोनों की पूंछ, त्रिष्ठा, टांग और हड्डियों के चूर्ण

१. इत्यष्टावन्तर्धानयोगाः ।

२. वलिं वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम् ।
 भण्डीरपाकं नरकं निकुम्भं कुम्भमेव च ॥
 देवलं नारदं वन्दे वन्दे सावर्णिगालवम् ।
 एतेषामनुयोगेन कृतं ते स्वापनं महत् ॥
 यथा स्वपन्त्यजगराः स्वपन्त्यपि चमूखलाः ।
 तथा स्वपन्तु पुरुषा ये च ग्रामे कुतूहलाः ॥
 भण्डकानां सहस्रेण रथनेमिशतेन च ।
 इमं गृहं प्रवेक्ष्यामि तूष्णीमासन्तु भाण्डकाः ॥
 नमस्कृत्वा च मनवे वद्ध्वा शुनकफेलकाः ।
 ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणाः ॥
 अध्ययनपारगाः सिद्धा ये च कैलासतापसाः ।
 एते च सर्वसिद्धेभ्यः कृतं ते स्वापनं महत् ॥
 अतिगच्छति च मय्यपगच्छन्तु संहताः ।
 अलिते वलिते मनवे स्वाहा ॥

३. एतस्य प्रयोगः—त्रिरात्रोपोषितः कृष्णचतुर्दश्यां पुष्ययो-

को सांप की केंचुल में भर दिया जाय तो वह सभी पक्षियों के अंतर्धान का योग है ।

१. यहां तक अंतर्धान होने के संबंध में आठ प्रकार के योगों का निरूपण किया गया ।

२. प्रस्वापन मंत्र : ('वलिं वैरोचनम्' आदि ये जो मंत्र दिए गए हैं इनका संबन्ध आगे बताया गये चार प्रकार के प्रस्वापन (सबको सुला देने वाले) योगों से है । अर्थ की दृष्टि से ये मंत्र सर्वथा सुबोध हैं और अर्थ की अपेक्षा उनका उपयोग उनके मूलपाठ में ही है ।

३. उक्त मंत्रों के प्रयोग का प्रकार : तीन रात तक उपवास करने के बाद कृष्ण पक्ष के पुष्य नक्षत्र में किसी चण्डाल की स्त्री के हाथ से चूहे का एक

गिन्यां श्वपाकीहस्ताद्विलखावलेखनं क्रीणीयात् । तन्मापैः
सह कण्डोलिकायां कृत्वा असङ्कीर्णं आदहने निखानयेत् ।
द्वितीयस्यां चतुर्दश्यामुद्भृत्य कुमार्यां पेपपित्वा गुलिकाः
कारयेत् । तत एकां गुलिकामभिमन्त्रयित्वा यत्रैतेन मन्त्रेण
क्षिपति, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

१. एतेनैव कल्पेन श्वाविवः शल्यकं त्रिकालं त्रिश्वेतमसङ्कीर्णं
आदहने निखानयेत् । द्वितीयस्यां चतुर्दश्यामुद्भृत्यादहन-
श्रस्मना सह यत्रैतेन मन्त्रेण क्षिपति, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

सुवर्णपुष्पीं ब्रह्मार्णीं ब्रह्माणं च कुशध्वजम् ।

सर्वाश्च देवता वन्दे वन्दे सर्वाश्च तापसान् ॥

वशं मे ब्राह्मणा यान्तु भूमिपालाश्च क्षत्रियाः ।

वशं वैश्याश्च शूद्राश्च वशतां यान्तु मे सदा ॥

स्वाहा । अमिले किमिले वसुजारे प्रयोगे फक्के वयुह्वे
विहाले दन्तकटके स्वाहा ।

दुकडा खरीद लिया जाय । उसको उड़दों के साथ एक डिब्बे में बन्द कर
किसी खुले श्मशान में गढ़ा खोदकर उसमें गाड़ दिया जाय । अगली
चतुर्दशी को उस डिब्बे को गढ़े से निकाल कर किसी कुमारा के द्वारा
उसको पिसवा दिया जाय और उस चूर्ण की गोलियां बना दी जाय । उसके
बाद एक-एक गोली को उक्त मंत्रों से अभिमन्त्रित कर जिस स्थान
पर फेक दिया जाय उस स्थान के सभी प्राणी सो जाते हैं । यह पहिला
योग है ।

१. ऊपर बताये नियम के अनुसार किसी चाण्डालिनी के हाथ से साही के
ऐसे कांटे खरीदे जाय, जो तीन जगह से सफेद और तीन जगह से काले
हों । उन कांटों को पूर्ववत् किसी खुले श्मशान में गाड़ दिया जाय ।
१५ दिन के बाद अगली चतुर्दशी को उसे उखाड़ कर श्मशान की राख के
साथ उपर्युक्त मंत्रों से अभिमन्त्रित कर के जिस स्थान पर वह कांटा

सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः ।

श्वाविधः शल्यकं चैतत्रिश्वेतं ब्रह्मनिर्मितम् ॥

प्रसुप्ताः सर्वसिद्धा हि एतत्ते स्वापनं कृतम् ।

यावद् ग्रामस्य सीमान्तः सूर्यस्योद्गमनादिति ॥ स्वाहा ।

१. एतस्य प्रयोगः—श्वाविधः शल्यकानि त्रिश्वेतानि । सप्तरात्रो-
पोषितः कृष्णचतुर्दश्यां खादिराभिः समिधाभिरग्निमेतेन
मन्त्रेणाष्टशतसम्पातं कृत्वा मधुघृताभ्यामभिजुहुयात् । तत
एकमेतेन मन्त्रेण ग्रामद्वारि गृहद्वारि वा यत्र निखन्यते,
तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

वलिं वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम् ।

निकुम्भं नरकं कुम्भं तन्तुकच्छं महासुरम् ॥

अर्मालवं प्रमीलं च मण्डोलूकं घटोवलम् ।

कृष्णकंसोपचारं च पौलोमीं च यशस्विनीम् ॥

अभिमन्त्रयित्वा गृह्णामि सिद्धार्थं शवशारिकाम् ।

जयतु जयति च नमः शलकभूतेभ्यः स्वाहा ।

सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः ।

सुखं स्वपन्तु सिद्धार्था यमर्थं मार्गयामहे ॥

फेंक दिया जाय वहाँ के सभी प्राणी सो जायेंगे । यह दूसरा योग है । तीसरे प्रस्वापन योग के लिए 'सुवर्णपुष्पी' आदि मंत्रों का विधान है—

१. प्रयोग-विधि : पूर्वोक्त विधि के अनुसार तीन स्थानों से सफेद साही के कांटों को श्मशान भूमि में गाड़ दिया जाय । तदनंतर सात रात्रि तक उपवास रखने के बाद कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को खैर आदि की समिधाओं से उक्त मंत्रों द्वारा शहद तथा घी मिलाकर उससे १०८ बार अभि में हवन किया जाय । उसके बाद श्मशान में गड़े हुए उन कांटों को उखाड़ कर उनको उक्त मंत्रों द्वारा अभिमन्त्रित कर घर, गांव या दरवाजा, जहाँ पर भी गाड़ दिया जाता है वहाँ के सब लोग निद्राग्रस्त हो जाते

यावदस्तमयादुदयो यावदर्थं फलं मम ॥ इति स्वाहा ।

१. एतस्य प्रयोगः—चतुर्भक्तोपवासी कृष्णचतुर्दश्यामसङ्कीर्ण आदहने बलिं कृत्वा एतेन मन्त्रेण शवशारिकां गृहीत्वा पोत्रीपोट्टलिकां बध्नीयात् । तन्मध्ये श्वाविधः शल्यकेन विद्ध्वा यत्रैतेन मन्त्रेण निखन्यते, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।
२. उपैमि शरणं चाग्निं दैवतानि दिशो दश ।
अपयान्तु च सर्वाणि वशतां यान्तु मे सदा ॥ स्वाहा ।
३. एतस्य प्रयोगः—त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण शर्करा एकविंशति-सम्पातं कृत्वा मधुघृताभ्यामभिजुहुयात् । ततो गन्धमाल्येन पूजयित्वा निखानयेत् । द्वितीयेन पुष्येणोद्धृत्यैकां शर्करा-मभिमन्त्रयित्वा क्वाटमाहन्यात् । अभ्यन्तरं चतसृणां शर्कराणां द्वारमपात्रियते ।

हैं । यह तीसरा योग है । चौथे प्रस्वापन योग के लिए 'बलिं वैरोचनम्' आदि मंत्रों का उपयोग किया जाय ।

१. प्रयोग-विधि : चार रात तक उपवास करने के बाद कृष्णपक्ष की चतुर्दशी में खुले हुए श्मशान के मैदान में पशुबलि देकर एक मरी हुई मैना को कपड़े की पोटली में बांध लिया जाय । उसके बीच में साही का एक कांटा छेद कर उपर्युक्त मंत्र को पढ़ते हुए उस पोटली को जिस स्थान में भी गाड़ दिया जाय वहीं के सब प्राणी सो जायेंगे । यह चौथा योग है ।
२. द्वार खोलने का मंत्र : बंद दरवाजा खोलने के लिए 'उपैमि शरणम्' आदि मंत्र का प्रयोग किया जाय ।
३. प्रयोग-विधि : तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र काल में बहुत-सी खोपड़ियों या कंकड़ियों को लेकर उनके ऊपर अग्नि में शहद और घी से इक्कीस बार आहुति डाल कर हवन किया जाय । उसके बाद गन्ध-माल्य से उनकी पूजा करके एक गढा खोद कर उसमें उन्हें गाड़ दिया जाय । दूसरे पुष्य नक्षत्र में उन्हें उखाड़ कर उनमें से एक कंकड़ी को उपर्युक्त मंत्र द्वारा अभिमन्त्रित करके बंद दरवाजे पर मार दिया जाय । उसके मारने

चौदहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७८, अध्याय ३

१. चतुर्भक्तोपवासी कृष्णचतुर्दश्यां भग्नस्य पुरुषस्यास्थना ऋषभं कारयेत् ; अभिमन्त्रयेच्चैतेन, द्विगोयुक्तं गोयानमाहृतं भवति; ततः परमाकाशे विक्रामति ।
२. सदा रविरविः सगण्डपरिघाति सर्वं भणाति । चण्डाली-कुम्भोत्तम्बकटुकसारीधः सनारीभगोऽसि स्वाहा ।
३. तालोद्धाटनं प्रस्वापनं च ।
४. त्रिरात्रापोषितः पुष्येण शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरःकपाले मृत्तिकायां तुवरीरावास्योदकेन सेचयेत् । जातानां पुष्येणैव गृहीत्वा रज्जुकां वर्तयेत् । ततः सज्यानां धनुषां यन्त्राणां च पुरस्ताच्छेदनं ज्याच्छेदनं करोति ।

से चार कंकड़ी के बराबर क्वाड में छेद हो जायगा । इसी प्रकार सारे दरवाजे पर छेद करके उसको तोड़ा या खोला जा सकता है ।

१. चार रात तक उपवास करने के बाद कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को किसी टूटे हुए पुरुष की हड्डी पर बेल की मूर्ति बनाई जाय । तदनंतर उपयुक्त विधि एवं उपयुक्त मंत्र के द्वारा होम-पूजा आदि करके उस मूर्ति को अभिमन्त्रित किया जाय । ऐसा करने से दो बेलों से जुती हुई गाड़ी वहां उपस्थित हो जाती है । उसके द्वारा वह साधक आकाश या पृथ्वी पर कहीं भी घूम सकता है ।
२. ताला तोड़ने तथा सुला देने का मंत्र : 'सदा रविरविः' आदि मंत्र के प्रयोग की वही विधि है, जो दरवाजा खोलने वाले मंत्र के प्रसंग में बताई गई है ।
३. उक्त मंत्र को विधिवत् सिद्ध करके ताला तोड़ा जा सकता है और सुलाया भी जा सकता है ।
४. धनुष की डोरी काटने का प्रयोग :
तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्यनक्षत्र काल में किसी ऐसे पुरुष की खोपड़ी में, जो हथियार से मारा गया हो या शूली पर चढ़ाया गया हो, मिट्टी भर कर उसमें तोर या अरहर बो दिया जाय और उसको जल से निरंतर सींचा जाय । जब उसमें अंकुर निकल आये तो दूसरे पुष्यनक्षत्र काल में उसको उखाड़ कर उसकी रस्सी बनवाई जाय ।

१. उदकाहिभस्त्रामुच्छ्वासमृत्तिकया स्त्रियाः पुरुषस्य वा पूरयेत् , नासिकावन्धनं मुखग्रहश्च ।
२. वराहवस्तिमुच्छ्वासमृत्तिकया पूरयित्वा मर्कटस्नायुनाववध्नीयाद् , आनाहकारणम् ।
३. कृष्णचतुर्दश्यां शस्त्रहताया गोः कपिलायाः पित्तेन राजवृक्षमयीममित्रप्रतिमामञ्जयात् , अन्धीकरणम् ।
४. चतुर्भक्तोपवासी कृष्णचतुर्दश्यां वलिं कृत्वा शूलप्रोतस्य पुरुषस्यास्थना कीलकान्कारयेत् । एतेषामेकः पुरीषे मूत्रे वा निखात आनाहं करोति; पादेऽस्यासने वा निखातः शोषेण मारयति; आपणे क्षेत्रे गृहे वा वृत्तिच्छेदं करोति ।

उस रस्सी के द्वारा धनुष, धनुष की डोरी और यंत्रों का भी छेदन किया जा सकता है ।

१. जल में रहने वाले साँप की केचुल को किसी स्त्री या पुरुष की चिता के ऊपर की मिट्टी से भर लिया जाय । यह योग जिस पर भी प्रयोग किया जाय उसका मुह और नाक बंद हो जाते हैं ।
२. इसी तरह सूअर की आँत में चिता के ऊपर की मिट्टी भर कर उसे किसी बंदर की नाडी से बांध दिया जाय तो उस योग के प्रयोग से पाखाना रुका रह जाता है ।
३. यदि कृष्ण चतुर्दशी की तिथि में हथियार से मारी गई कपिला के पित्ते को अमलतास की शलाका से शत्रु की प्रतिमा की आँखों पर अंजन की तरह लगाया जाय तो शत्रु अंधा हो जाता है ।
४. चार रात तक उपवास करने के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में विधि पूर्वक वलि देकर फाँसी से मरे हुए किसी आदमी की हड्डी से बहुत-सी कीलें बनवाई जाँय । उनमें से एक कील को जिसके भी पेशाब या पाखाने में गाड़ दिया जाता है उसका पाखाना-पेशाब बंद हो जाता है । यदि किसी के जूते या आसन में इस कील को गाड़ दिया जाय तो वह व्यक्ति सूख-सूख कर मर जाता है । जिसकी दूकान, खेत या घर में यह कील गाड़ दी जाय उसकी आजीविका नष्ट हो जाती है ।

चौदहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७८, अध्याय ३

१. एतेन कल्पेन विद्युद्ग्रथस्य वृक्षस्य कीलका व्याख्याताः ।
२. पुनर्नवमवाचीनं निम्बः काकमधुश्च यः ।
कपिरोम मनुष्यास्थि वृद्ध्वा मृतकवाससा ॥
निखन्यते गृहे यस्य पिष्ट्वा वा यं प्रपाययेत् ।
सपुत्रदारः सधनस्त्रीन्पक्षान्नातिवर्तते ॥
३. पुनर्नवमवाचीनं निम्बः काकमधुश्च यः ।
स्वयंगुप्ता मनुष्यास्थि पदे यस्य निखन्यते ॥
द्वारे गृहस्य सेनाया ग्रामस्य नगरस्य वा ।
सपुत्रदारः सधनस्त्रीन् पक्षान्नातिवर्तते ॥
४. अजमर्कटरोमाणि मार्जारनकुलस्य च ।
ब्राह्मणानां श्वपाकानां काकोलूकस्य चाहरेत् ॥
एतेन विष्टावक्षुण्णा सद्य उत्सादकारिका ।

१. इसी प्रकार वज्र पड़े पेड़ की लकड़ी से बनाई गई कीलों के संबंध में भी समझना चाहिए ।
२. दक्षिण की ओर पैदा होने वाला पुनर्नवा तथा जिसका फल कौओं के लिए स्वादुकर होता है, ऐसा काकमधु नीम, बंदर के बाल और मनुष्य की हड्डी, इन सबको मरे हुए आदमी के कपड़े में बांध कर जिसके घर में गाड़ दिया जाता है अथवा जिसको पीस कर पिला दिया जाता है वह पुरुष डेढ़ मास के भीतर ही समस्त धन-जन के रूहित विनष्ट हो जाता है ।
३. दक्षिण की ओर पैदा होने वाला पुनर्नवा, काकमधु, नीम, धमासा (स्वयंगुप्ता) और मनुष्य की हड्डी, इन सबको जिसके घर, सेना, गाँव, नगर या दरवाजे पर गाड़ दिया जाता है वह व्यक्ति डेढ़ मास के भीतर समस्त जन-धन के सहित विनष्ट हो जाता है ।
४. बकरा, बंदर, बिल्ली, नेवला, ब्राह्मण, चाण्डाल, कौआ और उल्लू, इन सब के बालों को इकट्ठा करके तथा जिसको मारना हो उसका पाखाना इन बालों के साथ मिलाकर उसका स्पर्श कराते ही उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है ।


१. प्रेतनिर्मालिका किण्वं रोमाणि नकुलस्य च ॥
वृश्चिकाल्यहिकृत्तिश्च पदे यस्य निखन्यते ।
भवत्यपुरुषः सद्यो यावत्तन्नापनीयते ॥
२. त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरः-
कपाले मृत्तिकायां गुञ्जा आवास्योदकेन च सेचयेत् । जाता-
नाममावास्यायां पौर्णमास्यां वा पुष्ययोगिन्यां गुञ्जावल्ली-
ग्राहयित्वा मण्डलिकानि कारयेत् । तेष्वन्नपानभाजनानि
न्यस्तानि न क्षीयन्ते ।
३. रात्रिप्रेक्षायां प्रवृत्तायां प्रदीपाग्निषु मृतधेनोः स्तनानुत्कृत्य
दाहयेत् । दग्धान् वृषमूत्रेण धेषयित्वा नवकुम्भमन्तर्लेपयेत् ;
तं ग्राममपसव्यं परिणीय तत्र न्यस्तं नवनीतमेषां तत्सर्वमा-
गच्छतीति ।

१. मुर्दे पर डाली गई माला, सुराबीज और नेवले के बाल इन सबको यदि
विच्छू, भौरा और साँप, इन तीनों की खाल के साथ मिलाकर किसी के
स्थान पर गाड़ दिया जाय तो वह पुरुष तब तक नपुंसक बना रहता है,
जब तक कि उसके स्थान से उन गड़ी हुई चीजों को न निकाला जाय ।
२. तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में हथियार से मारे हुए
या फाँसी लगे व्यक्ति की खोपड़ी में मिट्टी भर कर उसमें रत्ती (गुंजा)
बो दिए जाय और उन्हें निरंतर सींचा जाय । जब उसमें लताये निकल
आवें तब पुष्य नक्षत्र की अमावास्या या पूर्णमासी को उन गुंजा की बेलों
को उखाड़ कर उनका गोल घेरा बना दिया जाय । उस घेरे के बीच में
रखी हुई खाने-पीने की सामग्री कभी खतम ही नहीं होती है ।
३. रात में जिस समय कोई तमाशा हो रहा हो तब, मशाल की आग से
मरी हुई गाय के झुलसे हुए धनों को काट कर उन्हें बैल के पेशाब के
साथ पीसने के बाद एक कोरे घड़े के भीतर चारों ओर लीप दिया जाय ।
उस घड़े को वाई ओर से गाँव की परिक्रमा करा के जिस जगह पर रखा
जाय, गाँव भर का सारा मक्खन उस घड़े में खिंचा चला आता है ।

चौदहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७८, अध्याय ३

१. कृष्णचतुर्दश्यां पुष्ययोगिन्यां शुनो लग्नकस्य योनौ काला-
यसीं मुद्रिकां प्रेषयेत् ; तां स्वयं पतितां गृह्णीयात् ; तथा
वृक्षफलान्याकारितान्यागच्छन्ति ।
२. मन्त्रभैषज्यसंयुक्ता योगा मायाकृताश्च ये ।
उपहन्यादमित्रांस्तैः स्वजनं चाभिपाक्येत् ॥

इति औपनिषदिके चतुर्दशोऽधिकरणे प्रलम्भने भैषज्यमन्त्रप्रयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः;
आदितोऽष्टचत्वारिंशदधिकशततमः ।



-
- १ पुष्य नक्षत्र की कृष्ण चतुर्दशी में किसी कामासक्त कुतिया की योनि में लोहे की एक अंगूठी लगा दी जाय और जब वह अंगूठी अपने आप गिर पड़े तो उसे ले लिया जाय । उसके बाद उस अंगूठी के द्वारा जिस पेड का फल बुलाना हो फौरन अपने पास चला आता है ।
 २. मंत्र, औषधि और माया से युक्त ऊपर जिन योगों का निरूपण किया गया है, उनसे शत्रु का नाश और स्वजनों का उपकार करना चाहिए ।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।



अध्याय ४

रत्नबलोपघातप्रतीकारः

१. स्वपक्षे परप्रयुक्तानां दूषिविषगराणां प्रतीकारे श्लेष्मातककपि-
त्थदन्तिदन्तशठगोजीशिरीषपाटलीबलास्योनाकपुनर्नवाश्वेताव-
रणक्वाथयुक्तं चन्दनसालावृकीलोहितयुक्तं तेजनोदकं राजो-
पभोग्यानां गुह्यप्रक्षालनं स्त्रीणां सेनायाश्च विषप्रतीकारः ।
२. पृषतनकुलनीलकण्ठगोधापित्तयुक्तं मषीराजिचूर्णं सिन्दुवा-
रितवरणवारुणीतण्डुलीयकशतपर्वाग्रपिण्डीतकयोगो मदन-
दोषहरः ।

शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार

१. शत्रु द्वारा किए गए दूषक तथा विष आदि के घातक प्रयोगों का प्रतीकार इस प्रकार करना चाहिए : लहसोडा (श्लेष्मातक), कैथा (कपित्थ), जमालघोटा (दंती), जम्भीरी नीवू (दंतशठ), गोभी (गोजी), सिरस (शिरीष), काली पाढरी या पाटल (पाटली), खरैटी (बला), सोनापाठा (स्योनाक), पुनर्नवा, शराव और वरनावृत्त का काढा बना कर चंदन, सालावृकी (वंदरिया या सियारिन या कुतिया) के खून से सानकर बांस के पानी (तेजनोदक) से राजा के उपयोग में आने वाली स्त्रियों की योनि, स्तन आदि गुप्तांगों को साफ कराया जाय और सेना में प्रयुक्त विष का प्रतीकार किया जाय ।
२. दागीमृग (पृषतन), नेवला, मोर और गोह के पित्ते को काले संभालू (भषी) तथा राई के चूर्ण में मिलाकर बनाये गये योग से पागल बना देनेवाले विषों का प्रतीकार किया जाय । संभालू, बरना, दूव (वारुणी), चौलाई, बांस का अग्रभाग (शतपर्वाग्र) और मैनफल, इन सब चीजों का योग भी उन्मादकजन्य दोषों का उपशमन करने वाला होता है ।

चौदहवाँ अधिकरण : प्रकरण १७६, अध्याय ४

१. सृगालविन्नामदनसिन्दुवारितवरणवारणवल्लीमूलकषायाणाम-
न्यतमस्य समस्तानां वा क्षीरयुक्तं पानं मदनदोषहरम् ।
२. कैडर्यपूतितिलतैलमुन्मादहरं नस्तःकर्म ।
३. प्रियङ्गुनक्तमालयोगः कुष्ठहरः ।
४. कुष्ठलोध्रयोगः पाकशोषध्नः ।
५. कट्फलद्रवन्तीविलङ्गचूर्णं नस्तःकर्म शिरोरोगहरम् ।
६. प्रियङ्गुमञ्जिष्ठातगरलाक्षारसमधुकहरिद्राक्षौद्रयोगो रज्जूदक-
विषप्रहारपतननिःसंज्ञानां पुनःप्रत्यानयनाय ।
७. मनुष्याणामक्षमात्रं, गवाश्वानां द्विगुणं; चतुर्गुणं हस्त्युष्ट्राणाम् ।

१. शृगालविन्ना औषधि, धतूरा (मदन), संभालू (सिंधुवारित), वरना (वरण)
और गजपीपल (वारणवल्लीमूल) इन सबकी जड़ों को मिलाकर अथवा
उनका अलग-अलग काढा, दूध के साथ पीने से उन्माद पैदा करने वाले
विषयोगों को शांत कर देता है ।
२. कायफल (कैडर्य), कांटेदार कंजरुआ (पूति) और तिल इन तीनों के तेल
को नासिका में डालने से उन्माद शांत हो जाता है ।
३. मेंहदी या कांगनी (प्रियंगु) और करंज (नक्तमाल), इन दोनों का योग
कुष्ठ-रोग को दूर कर देता है ।
४. कूट और लोध से बनाया गया योग पाकरोग (बाल आदि का पकना)
और क्षयरोग को दूर कर देता है ।
५. कायफल (कट्फल), मूषकपर्णी (द्रवन्ती) और वायत्रिडंग (विलंग), इन
तीनों के चूर्ण को नासिका में डालने से शिर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं ।
६. प्रियंगु, मजीठ, तगर, लाख, महुआ, हल्दी और शहद इन सब चीजों का
चूर्णयोग रस्सी, दूषित जल, विष, चोट तथा गिर जाने से हुई बेहोशी को
दूर करने में लाभदायक है ।
७. प्रतीकार के लिए दी जाने वाली उक्त औषधियों की मात्रा मनुष्यों के लिए
एक अक्ष (सोलह माष), गाय तथा घोड़ों को उससे दुगुनी और हाथी
तथा ऊंटों को उससे चौगुनी देनी चाहिए ।

१. रुक्मगर्भश्वेषां मणिः सर्वविषहरः ।
२. जीवन्तीश्वेतामुष्ककपुष्पवन्दाकानामक्षीवे जातस्य अश्वत्थस्य मणिः सर्वविषहरः ।
३. तूर्याणां तैः प्रलिप्तानां शब्दो विषविनाशनः ।
लिप्तध्वजं पताकां वा दृष्ट्वा भवति निर्विषः ॥
४. एतैः कृत्वा प्रतीकारं स्वसैन्यानामथात्मनः ।
अमित्रेषु प्रयुञ्जीत विषधृमाम्बुदूषणान् ॥

इति औपनिषदिके चतुर्दशेऽधिकरणे स्वबलोपघातप्रतीकारो नाम चतुर्थोऽध्यायः;

आदित एकोनपञ्चाशदुत्तरगततमः ।

समाप्तमिदमौपनिषदिकं चतुर्दशमधिकरणम् ।



१. बेहोशी को दूर करने वाला जो योग ऊपर बताया गया है उसको यदि सोने के पत्तर में रखकर उसका ताबीज बना कर धारण किया जाय तो किसी भी प्रकार का विष असर नहीं करने पाता है ।
२. गिलोय (जीवन्ती), सफेद संभालू, काली पाढरी, पुष्प (औषधि) और अमरवेल (वन्दा), इन सब को मणि (ताबीज); अथवा सहिजन या नीम के पेड़ में पैदा हुए पीपल के पत्ते की ताबीज में रख कर बांध दिया जाय तो सभी प्रकार के विष शांत हो जाते हैं ।
३. गिलोय आदि औषधियों से चुपडे गये वाद्यों का शब्द विष को नष्ट करने वाला होता है । इसी प्रकार इन्हीं औषधियों से लिप्त ध्वजाओं को देखकर भी विष का प्रभाव जाता रहता है ।
४. विजिगीषु राजा को चाहिए कि उक्त सभी प्रकार की औषधियों द्वारा वह अपनी सेना की तथा अपनी रक्षा करके विपैले ध्रुपं का और विषाक्त पानी का प्रयोग सदा अपने शत्रुओं पर करता रहे ।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।



तन्त्रयुक्ति
पन्द्रहवाँ अधिकरण

अध्याय १

तन्त्रयुक्तयः

१. मनुष्याणां वृत्तिरर्थः, मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः; तस्याः पृथिव्या लाभपालनोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति ।
२. तद् द्वात्रिंशद्युक्तियुक्तम्—अधिकरणं, विधानं, योगः, पदार्थः, हेत्वर्थः, उद्देशः, निर्देशः, उपदेशः, अपदेशः, अतिदेशः, प्रदेशः, उपमानम्, अर्थापत्तिः, संशयः, प्रसङ्गः, विपर्ययः, वाक्यशेषः, अनुमतम्, व्याख्यानम्, निर्वचनं, निदर्शनम्, अपवर्गः, स्वसंज्ञा, पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, एकान्तः, अनागतावेक्षणम्, अतिक्रान्तावेक्षणम्, नियोगः, विकल्पः, समुच्चयः, ऊह्यमिति ।

अर्थशास्त्र की युक्तियाँ

१. मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है।
२. वह अर्थशास्त्र बत्तीस प्रकार की युक्तियों से समन्वित है, जिनकी नामावली इस प्रकार है : (१) अधिकरण (२) विधान (३) योग (४) पदार्थ (५) हेत्वर्थ (६) उद्देश्य (७) निर्देश (८) उपदेश (९) अपदेश (१०) अतिदेश (११) प्रदेश (१२) उपमान (१३) अर्थापत्ति (१४) संगम, (१५) प्रसंग (१६) विपर्यय (१७) वाक्यशेष (१८) अनुमत (१९) व्याख्यान (२०) निर्वचन (२१) निदर्शन (२२) अपवर्ग (२३) स्वसंज्ञा (२४) पूर्वपक्ष (२५) उत्तरपक्ष (२६) एकान्त (२७) अनागतावेक्षण (२८) अतिक्रान्तावेक्षण (२९) नियोग (३०) विकल्प (३१) समुच्चय और (३२) ऊह्य ।

१. यमर्थमधिकृत्योच्यते तदधिकरणम्—‘पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्यैकमिदमर्थशास्त्रं कृतम्’ (अधि० १. अध्या० १) इति ।
२. शास्त्रस्य प्रकरणानुपूर्वी विधानम्—‘विद्यासमुद्देशः, वृद्धसंयोगः, इन्द्रियजयः, अमात्योत्पत्तिः’ (अधि० १. अध्या० १) इत्येवमादिकमिति ।
३. वाक्ययोजना योगः—‘चतुर्वर्णाश्रमो लोकः’ (अधि० १. अध्या० ४) इति ।
४. पदावधिकः पदार्थः—‘मूलहरः’ इति पदम् । ‘यः पितृपैतामहमर्थमन्यायेन भक्षयति स मूलहरः’ (अधि० २. अध्या० ९) इत्यर्थः ।
५. हेतुरर्थसाधको हेत्वर्थः—‘अर्थमूलौ हि धर्मकामौ’ (अधि० १. अध्या० ७) इति ।

१. अधिकारपूर्वक कहे गये अर्थ का नाम अधिकरण है; ग्रन्थारंभ में जैसे संपूर्ण पृथिवी को प्राप्त करने तथा पालन करने का कथन कर संपूर्ण शास्त्र को एक अधिकरण बताया गया है । इसी प्रकार अपने-अपने अर्थों को अधिकारपूर्वक निरूपण करने वाले विनयाधिकारिक, मध्यक्षप्रचार आदि अधिकरण हैं ।
२. प्रकरण के अनुसार शास्त्र की आनुपूर्वी का कथन करना विधान कहलाता है; जैसे : विद्यासमुद्देश, वृद्धसंयोग, इन्द्रियजय और अमात्योत्पत्ति आदि ।
३. वाक्य-योजना को योग कहते हैं; जैसे: ‘चतुर्वर्णाश्रमो लोका’ चारों वर्णाश्रम के लोग ।
४. केवल पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं; जैसे : ‘मूलहर’ यह एक पद है उसका यह अर्थ कि ‘पैतृक संपत्ति को अन्याय से नष्ट कर दे या अपहरण कर दे’ उस ‘मूलहर’ पद का अर्थ है ।
५. अर्थ को सिद्ध करने वाला हेतु हेत्वर्थ कहलाता है; जैसे धर्म और काम अर्थ पर ही निर्भर है ।

१. समासवाक्यमुद्देशः—‘विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः’ (अधि० १. अध्या० ६) इति
२. व्यासवाक्यं निर्देशः—‘कर्णत्वगक्षिजिह्वाघ्राणेन्द्रियाणां शब्द-स्पर्शरूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्तिरिन्द्रियजयः’ (अधि० १. अध्या० ६) इति ।
३. एवं वर्तितव्यमित्युपदेशः—‘धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत न निःसुखः स्यात्’ (अधि० १, अध्या० ७) इति ।
४. एवमसावाहेत्युपदेशः—‘मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान् कुर्वीते-ति मानवाः, षोडशेति वारहस्पत्याः; विंशतिमित्यौशनसाः, यथासामर्थ्यमिति कौटिल्यः’ (अधि० १. अध्या० १५) ।
५. उक्तेन साधनमतिदेशः—‘दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्या-तम्’ (अधि० ३. अध्या० १६) इति ।

१. संक्षिप्त वाक्य का कथन उद्देश कहलाता है; जैसे विद्या और विनय इन्द्रियजय पर निर्भर है ।
२. विस्तृत वाक्य का कथन करना निर्देश कहलाता है; जैसे : नाक, त्वचा, आंख, जीभ, नाक को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि की ओर से बचना ही इन्द्रियजय है ।
३. ‘इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए’ ऐसा कहना उपदेश कहलाता है; जैसे : धर्म और अर्थ के अनुसार ही कार्य करना चाहिए; इसके प्रतिकूल चलने वाला सुखी नहीं रहता है ।
४. ‘अमुक व्यक्ति ने इस विषय में ऐसा कहा है’ इस प्रकार दूसरों के मत को प्रकट करना अपदेश कहलाता है, जैसे : मनु के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि मन्त्रि-परिषद् में बारह अमात्य होने चाहिए । बृहस्पति के अनुयायियों के मत से उनकी संख्या सोलह, उशना के अनुयायियों के मत से बीस और कौटिल्य के मत से सामर्थ्य के अनुसार अमात्यों की संख्या होनी चाहिए ।
५. कही हुई बात से, न कही हुई बात को सिद्ध कर देना अतिदेश कहलाता

१. वक्तव्येन साधनं प्रदेशः—‘सामदानभेददण्डैर्वा यथापत्सु व्याख्यास्यामः’ (अधि० ७. अध्या० १४) इति ।
२. दृष्टेनादृष्टस्य साधनमुपमानम्—‘निवृत्तपरिहारान् पितेवानु-
गृह्णीयात्’ (अधि० २. अध्या० १) इति ।
३. यदनुक्तमर्थादापद्यते सार्थापत्तिः—‘लोकयात्राविद् राजानमा-
त्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नं प्रियहितद्वारेणाश्रयेत्’ (अधि० ५.
अध्या० ४) । नाप्रियहितद्वारेणाश्रयेतेत्यर्थादापन्नं भवतीति ।
४. उभयतो हेतुमानर्थः संशयः—क्षीणलुब्धप्रकृतिमपचरितप्र-
कृति वा’ (अधि० ७. अध्या० ५) इति ।
५. प्रकरणान्तरेण समानोऽर्थः प्रसङ्गः—‘कृषिकर्मप्रदिष्टायां

है; जैसे: दी गई वस्तुओं को न लौटाने पर ऋणदान-विषयक नियमों को समझ लेना चाहिए ।

१. आगे कही जाने वाली बात से न कही गई बात को सिद्ध कर देना प्रदेश कहलाता है; जैसे; साम, दान, भेद और दण्ड के द्वारा वैसा ही करना चाहिए, जैसे आपत्प्रकरण अध्याय में आगे कहा जायगा ।
२. देखी हुई वस्तु से न देखी हुई वस्तु को सिद्ध करना उपमान कहलाता है; जैसे: यदि पुरवासी उस परिहार द्रव्य को चुकता कर दे तो राजा को पिता के समान उनपर अनुग्रह करना चाहिए ।
३. न कही हुई जो बात अर्थ से ही प्राप्त हो जाय उसे अर्थापत्ति कहते हैं; जैसे लोक व्यवहार में पट्टु व्यक्तियों को चाहिए कि वे आत्मद्रव्य-प्रकृतिसंपन्न राजा का आश्रय उसके प्रिय और हितैषी लोगों के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करें । अर्थात् ‘अप्रिय और अहितकर लोगों के द्वारा आश्रय न ले’, यह आशय उक्त सूत्र में अर्थापत्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है ।
- ४ एक ही बात जब दोनों विरोधी पक्षों की ओर से समान लगे तो उसे संशय कहते हैं; जैसे: क्षीण-लुब्ध-प्रकृति और अपचरित प्रकृति, इन दोनों राजाओं में से पहिले किस राजा पर आक्रमण करना चाहिए ?
५. दूसरे प्रकरण के साथ अर्थ की समानता होना प्रसंग कहलाता है; जैसे :

- भूमाविति समानं पूर्वेण' (अधि० १. अध्या० ११) इति ।
१. प्रतिलोमेन साधनं विपर्ययः—'विपरीतमतुष्टस्य' (अधि० १. अध्या० १६) इति ।
 २. येन वाक्यं समाप्यते, स वाक्यशेषः—'छिन्नपक्षस्येव राज्ञ-
श्वेतानाशश्चेति' (अधि० ८. अध्या० १) । तत्र शकुनेरिति
वाक्यशेषः ।
 ३. परवाक्यमप्रतिपिद्धमनुमतम्—'पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इत्यौश-
नसो व्यूहविभागः' (अधि० १०. अध्या० ६) इति ।
 ४. अतिशयवर्णना व्याख्यानम्—'विशेषतश्च सङ्घानां सङ्घर्मिणां
च राजकुलानां द्यूतनिमित्तो भेदः तन्निमित्तो विनाश इत्य-
सत्प्रग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्त्रदौर्बल्यात्' (अधि० ८.
अध्या० ३) इति ।

खेती के लिए निर्दिष्ट भूमिके संबंध में पूर्ववत् नियम समझना चाहिए ।

१. विपरीत घातों से किसी वस्तु का निर्देश करना विपर्यय कहलाता है; जैसे :
इससे विपरीत भाव होने पर उसको अपने से प्रसन्न समझे ।
२. जिससे वाक्य की समाप्ति हो उसे वाक्यशेष कहते हैं; जैसे : पंख कटे
पत्नी की तरह राजा की समस्त चेष्टायें नष्ट हो जाती हैं । यहां पर 'पत्नी'
(शकुनि) पद वाक्यशेष है ।
३. प्रतिषेध न किया हुआ दूसरे का वाक्य अनुमत कहलाता है; जैसे : पत्त,
उरस्य और प्रतिग्रह इस प्रकार का व्यूह-विभाग उशना आचार्य ने
किया है ।
४. सिद्ध अर्थका अनेक युक्तियों के द्वारा समर्थन करना व्याख्यान कहलाता
है; जैसे : और विशेषतः एकमत होकर एक साथ रहने वाले राजकुलों का
द्यूत के कारण मतभेद हो जाने से दोनों का नाश हो जाता है । दुर्जन लोगों
का साथ या सत्कार तथा मद्यपान अन्य सभी व्यसनो से बड़ा व्यसन है;
क्योंकि उससे राजा का सारा शासनतन्त्र दुर्बल हो जाता है ।

१. गुणतः शब्दनिष्पत्तिर्निर्वचनम्—‘व्यस्यत्येनं श्रेयस इति व्यसनम्’ (अधि० ८. अध्या० १) इति ।
२. दृष्टान्तो दृष्टान्तयुक्तो निदर्शनम्—‘विगृहीतो हि ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धमिवाभ्युपैति’ (अधि० ७. अध्या० ३) इति ।
३. अभिप्लुतव्यपकर्षणमपवर्गः—‘नित्यमासन्नमरिवलं वासयेदन्यत्राभ्यन्तरकोपशङ्कायाः’ (अधि० ९. अध्या० २) इति ।
४. परैरसमितः शब्दः स्वसंज्ञा—प्रथमा प्रकृतिस्तस्य भूम्यन्तरा द्वितीया भूम्येकान्तरा तृतीया (अधि० ६. अध्या० २) इति ।
५. प्रतिषेद्धव्यं वाक्यं पूर्वपक्षः—‘स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीयः’ (अधि० ८. अध्या० १) इति ।

१. अर्थान्वयपूर्वक किसी शब्द की सिद्धि करना निर्वचन कहलाता है; जैसे : व्यसन शब्द का अर्थ ही यह है कि जो कल्याण मार्ग से अष्ट कर दे—व्यस्यति एनं श्रेयसः इति व्यसनम् ।
२. दृष्टान्त देकर किसी बात का स्पष्टीकरण करना निदर्शन कहलाता है; जैसे : किसी शक्तिशाली से लड़ना ऐसा ही है, जैसे हाथी पर चढे हुए व्यक्ति से जमीन पर खड़े होकर युद्ध करना ।
३. किसी नियम का सामान्यतया व्यापक निरूपण करते हुए उसके विषय को संकुचित बना देना अपवर्ग कहलाता है; जैसे : अपने राज्य के सीमांत प्रदेश में शत्रु-सेना को रहने दिया जाय; किन्तु यदि राज्य-क्रांति होने की संभावना हो तो उसको कदापि न टिकने दिया जाय ।
४. दूसरों के द्वारा सकेत न किए गए शब्द-प्रयोग को स्वसंज्ञा कहते हैं; जैसे : विजिगीषु के राष्ट्र के समीप जो राष्ट्र हो उसे प्रथमा प्रकृति, उसके बाद जो राष्ट्र हो उसे द्वितीया प्रकृति और उसके बाद भी जो राष्ट्र हो उसे तृतीया प्रकृति कहते हैं ।
५. प्रतिषेध किया जाने वाला वाक्य पूर्वपक्ष कहलाता है; जैसे : स्वामी और अमात्य-संबंधी विपत्ति में अमात्य संबन्धी विपत्ति अधिक अनिष्टकर है ।

१. तस्य निर्णयनवाक्यमुत्तरपक्षः—‘तदायत्तत्वात् , तत्कूटस्थानीयो हि स्वामी’ (अधि० ८. अध्या० १) ।
२. सर्वत्रायत्तमेकान्तः—‘तस्मादुत्थानमात्मनः कुर्वीत’ (अधि० १. अध्या १९) इति ।
३. पश्चादेवं विहितमित्यनागतावेक्षणम्—‘तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वक्ष्यामः’ (अधि० २, अध्या० १३) इति ।
४. पुरस्तादेवं विहितमित्यतिक्रान्तावेक्षणम्—‘अमात्यसम्पदुक्ता पुरस्तात्’ (अधि० ६. अध्या० १) इति ।
५. एवं नान्यथेति नियोगः—‘तस्माद् धर्ममर्थं चास्योपदिशेन्नाधर्ममनर्थं च’ । (अधि० १. अध्या० १७) इति ।
६. अनेन वानेन वेति विकल्पः—‘दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु

१. पूर्वपक्ष का निर्णय करने वाला वाक्य उत्तरपक्ष कहलाता है; जैसे : अमात्य आदि प्रकृतियों का उत्थान-पतन राजा पर ही निर्भर होता है; क्योंकि सातों प्रकार की प्रकृतियों में राजा ही प्रधान (कूटस्थानी) होता है ।
२. जो अर्थ किसी भी देश-काल में न छोड़ा जा सके उसको एकांत कहते हैं; जैसे : राजा को चाहिये कि वह सदा अपने को उन्नतिशील बनाने का यत्न करता रहे ।
३. ‘पीछे से इस प्रकार का विधान किया जायगा’, इस प्रकार कहना अनागतावेक्षण कहलाता है; जैसे तौलने के तरीकों का निरूपण आगे पौतवाध्यक्ष प्रकरण में किया जायगा ।
४. ‘इस का निरूपण पहिले किया जा चुका है’ ऐसा कहना अतिक्रान्तावेक्षण कहलाता है; जैसे : अमात्यों के गुणों का निरूपण पहिले अधिकरण में किया जा चुका है ।
५. ‘अमुक्त कार्य इस ढंग से करना चाहिये, अन्यथा नहीं’ ऐसा कहना नियोग कहलाता है; जैसे : इसलिये इस सरल बुद्धि वालकों को सदा धर्म और अर्थ का ही उपदेश करना चाहिए; अधर्म और अनर्थ का कदापि नहीं ।
६. ‘अमुक्त कार्य इस तरह से किया जाना चाहिए अथवा इस तरह से ?’, ऐसा

जाताः' (अधि० ३. अध्या० ५) इति ।

१. अनेन चानेन चेति समुच्चयः—'स्वसञ्जातः पितृबन्धूनां च दायदः' (अधि० ३. अध्या० ७) इति ।
२. अनुक्तकरणमूह्यम्—'यथावद् दाता प्रतिग्रहीता च नोपहतौ स्यातां, तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुः' (अधि० ३. अध्या० १६) इति ।
३. एवं शास्त्रमिदं युक्तमेताभिस्तन्त्रयुक्तिभिः ।
अवाप्तौ पालने चोक्तं लोकस्यास्य परस्य च ॥
४. धर्ममर्थं च कामं च प्रवर्तयति पाति च ।
अधर्मानर्थविद्वेषानिदं शास्त्रं निहन्ति च ॥
५. येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भूः ।
अमर्षेणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

कहना विकल्प कहलाता है; जैसे : उस संपत्ति के अधिकारी उसके पुत्र हों अथवा वे लड़कियाँ, जो धार्मिक विवाहों से पैदा हुई हैं ?

१. 'अमुक कार्य इस तरह भी हो सकता है, और इस तरह भी' ऐसा कहना समुच्चय कहलाता है; जैसे : पिता या उसके बांधवों से उत्पन्न किया हुआ बालक उन दोनों की संपत्ति का दायभागी होता है ।
२. न कही हुई बात को कर लेना ऊह्य कहलाता है; जैसे : निपुण धर्मस्थ व्यक्तियों को उचित है कि वे अनुरूप (दान) का इस प्रकार निर्णय करे, जिससे देने और लेने वाले, दोनों को कोई हानि न पहुँचे ।
३. इस प्रकार इस शास्त्र में बत्तीस तंत्र-युक्तियों का निरूपण किया गया है । इस लोक और परलोक की प्राप्ति तथा रक्षा करने में यही शास्त्र सहायक बताया गया है ।
४. यही अर्थशास्त्र धर्म, अर्थ तथा काम में प्रवृत्त करता है, उनकी रक्षा करता है और अर्थ के विरोधी अधर्मों को नष्ट करता है ।
५. जिसने शास्त्र, शस्त्र और नंदराजा के अधीनस्थ भूमि का शीघ्र उद्धार अपने क्रोध से किया है, उसी विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थ की रचना की है ।

पन्द्रहवाँ अधिकरण : प्रकरण १८०, अध्याय १

१. दृष्ट्वा विप्रतिपत्तिं बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम् ।
स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रं च भाष्यं च ॥

इति कौटिलीये अर्थशास्त्रे तन्त्रयुक्तौ पञ्चदशमधिकरणे
तन्त्रयुक्तिर्नामप्रथमोऽध्यायः;




आदितः पञ्चाशदुत्तरशततमः ।

एतावता कौटिलीयस्यार्थशास्त्रस्य तन्त्रयुक्तिः
पञ्चदशमधिकरणं समाप्तम् ।



१. प्राचीन अर्थ-शास्त्रों में बहुधा भाष्यकारों के मतभेदों को देखकर स्वयं ही विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र के सूत्रों और उनके भाष्य का निर्माण किया है ।

तन्त्रयुक्ति नामक पन्द्रहवें अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त



समाप्तश्चाऽयं ग्रन्थः





चाराक्य प्रणीत सूत्र

सुखस्य मूलं धर्मः ॥ १ ॥ धर्मस्य मूलमर्थः ॥ २ ॥ अर्थ-
स्य मूलं राज्यम् ॥ ३ ॥ राज्यमूलमिन्द्रियजयः ॥ ४ ॥ इन्द्रि-
यजयस्य मूलं विनयः ॥ ५ ॥ विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवा ॥ ६ ॥
वृद्धसेवाया विज्ञानम् ॥ ७ ॥ विज्ञानेनात्मानं सम्पादयेत् ॥ ८ ॥
सम्पादितात्मा जितात्मा भवति ॥ ९ ॥ जितात्मा सर्वार्थैः
संयुज्येत ॥ १० ॥ अर्थसम्पत्प्रकृतिसम्पदं करोति ॥ ११ ॥
प्रकृतिसम्पदा ह्यनायकमपि राज्यं नीयते ॥ १२ ॥ प्रकृति-
कोपः सर्वकोपेभ्यो गरीयान् ॥ १३ ॥

अविनीतस्वामिलाभादस्वामिलाभः श्रेयान् ॥ १४ ॥ सम्पा-
द्यात्मानमन्विच्छेत् सहायवान् ॥ १५ ॥ नासहायस्य मन्त्रनिश्चयः

सुख का मूल धर्म है ॥ १ ॥ धर्म का मूल अर्थ है ॥ २ ॥ अर्थ का मूल
राज्य है ॥ ३ ॥ राज्य का मूल इन्द्रियजय है ॥ ४ ॥ इन्द्रिय जय का
मूल विनय (नम्रता) है ॥ ५ ॥ विनय का मूल वृद्धों की सेवा है ॥ ६ ॥
वृद्धों की सेवा का मूल विज्ञान है ॥ ७ ॥ इसलिए मनुष्य को चाहिए कि
वह अपने आप को विज्ञान से सम्पन्न बनाए (आत्मोन्नति करे) ॥ ८ ॥ जो
पुरुष विज्ञान से सम्पन्न होता है वह स्वयं को भी जीत सकता है ॥ ९ ॥
अपने ऊपर काबू पाने वाला मनुष्य समस्त अर्थों से सम्पन्न होता है ॥ १० ॥
अर्थ-संपत्ति, अमात्य आदि प्रकृति-संपत्ति को देने वाली होती है ॥ ११ ॥
प्रकृति-सम्पत्ति के द्वारा नेता-रहित राज्य का भी संचालन किया जा सकता
है ॥ १२ ॥ अमात्य आदि का कोप सब कोपों में बड़ा होता है ॥ १३ ॥

अविनीत स्वामी के प्राप्त होने की अपेक्षा, स्वामी का न मिलना श्रेय-
स्कर है ॥ १४ ॥ कितने को सर्व-सम्पन्न बना लेने के बाद ही सहायकों की
इच्छा करनी चाहिए ॥ १५ ॥ सहायकहीन व्यक्ति के विचार अनिश्चित

॥ १६ ॥ नैकं चक्रं परिभ्रमयति ॥ १७ ॥ सहायः समसुख-
दुःखः ॥ १८ ॥

मानी प्रतिमानिनमात्मनि द्वितीयं मन्त्रमुत्पादयेत् ॥ १६ ॥
अविनीतं स्नेहमात्रेण न मन्त्रे कुर्वीत ॥ २० ॥ श्रुतवन्तमुपधा-
शुद्धं मन्त्रिणं कुर्वीत ॥ २१ ॥ मन्त्रमूलाः सर्वारम्भाः ॥ २२ ॥
मन्त्ररक्षणे कार्यसिद्धिर्भवति ॥ २३ ॥ मन्त्रविस्रावी कार्यं नाश-
यति ॥ २४ ॥ प्रमादाद् द्विषता वशमुपयास्यति ॥ २५ ॥
सर्वद्वारेभ्यो मन्त्रो रक्षितव्यः ॥ २६ ॥ मन्त्रसम्पदा राज्यं वर्धते
॥ २७ ॥ श्रेष्ठतमां मन्त्रगुप्तिमाहुः ॥ २८ ॥ कार्यान्धस्य प्रदीपो
मन्त्रः ॥ २९ ॥ मन्त्रचक्षुषा परिच्छिद्राण्यवलोकयन्ति ॥ ३० ॥
मन्त्रकाले न मत्सरः कर्तव्यः ॥ ३१ ॥ त्रयाणामेकवाक्ये

होते हैं ॥ १६ ॥ एक पहिये से गाड़ी को नहीं चलाया जा सकता ॥ १७ ॥
सहायक वही है, जो अपने सुख-दुःख में सदा साथ रहे ॥ १८ ॥

मनस्वी राजा को चाहिए कि वह, अपने समान दूसरे मनस्वी व्यक्ति
को ही अपना सलाहकार नियुक्त करे ॥ १९ ॥ विनयहीन व्यक्ति को, एक-
मात्र स्नेह के कारण, कभी भी सलाह के समय सम्मिलित नहीं करना
चाहिए ॥ २० ॥ बहुश्रुत एवं सब तरह से परीक्षित व्यक्ति को ही मंत्री
नियुक्त करना चाहिए ॥ २१ ॥ समस्त कार्य-व्यापार मंत्र पर ही निर्भर
है ॥ २२ ॥ मंत्र की रक्षा करने से ही कार्य की सिद्धि होती है ॥ २३ ॥
मंत्र का भेद खोल देने वाला व्यक्ति कार्य को नष्ट कर देता है ॥ २४ ॥
प्रमाद करने से (व्यक्ति) शत्रु के वश में चला जाता है ॥ २५ ॥ इसलिए
सभी प्रकार से मंत्र की रक्षा करनी चाहिए ॥ २६ ॥ मंत्र की सुरक्षा से राज्य
की संवृद्धि होती है ॥ २७ ॥ मंत्र को गुप्त रखना बड़े महत्त्व की बात
है ॥ २८ ॥ कर्तव्या-कर्तव्य के ज्ञान से रहित राजा के लिए मंत्र दीपक के
तुल्य है ॥ २९ ॥ मंत्ररूपी आँखों से राजा अपने शत्रु के दोषों को देख
लेता है ॥ ३० ॥

मंत्र के समय ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए ॥ ३१ ॥ तीन व्यक्तियों की

षाण्णय प्रणीत सूत्र

सम्प्रत्ययः ॥ ३२ ॥ कार्याकार्यतत्त्वार्थदर्शिनो मन्त्रिणः

॥ ३३ ॥ षट्कर्णाद् भिद्यते मन्त्रः ॥ ३४ ॥

आपत्सु स्नेहसंयुक्तं मित्रम् ॥ ३५ ॥ मित्रसंग्रहणे बलं
संपद्यते ॥ ३६ ॥

बलवानलब्धलाभे प्रयतते ॥ ३७ ॥ अलब्धलाभो नाल-
सस्य ॥ ३८ ॥ अलसस्य लब्धमपि रक्षितुं न शक्यते ॥ ३९ ॥

न चालसस्य रक्षितं विवर्धते ॥ ४० ॥ न भृत्यान् प्रेषयति ॥ ४१ ॥

अलब्धलाभादिचतुष्टयं राज्यतन्त्रम् ॥ ४२ ॥ राज्यतन्त्रायत्तं
नीतिशास्त्रम् ॥ ४३ ॥ राज्यतन्त्रेष्वायत्तौ तन्त्रावापौ ॥ ४४ ॥

तन्त्रं स्वविषयकृत्येष्वायत्तम् ॥ ४५ ॥ आवापो मण्डलनिविष्टः

॥ ४६ ॥ सन्धिविग्रहयोर्निर्मण्डलः ॥ ४७ ॥ नीतिशास्त्रानुगो

एक राय होने पर किसी विषय का निश्चय किया जा सकता है ॥ ३२ ॥
कार्य और अकार्य की वास्तविकता को देखने वाले मंत्री होते हैं ॥ ३३ ॥
छह कानों में जाते ही मंत्र का भेद प्रकट हो जाता ॥ ३४ ॥

जो व्यक्ति आपत्ति के समय, स्नेह से अपने साथ बना रहे वही मित्र
है ॥ ३५ ॥ अधिक मित्रों के बना लेने से अपना बल बढ़ जाता है ॥ ३६ ॥

बलवान् व्यक्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न करता है ॥ ३७ ॥

आलसी व्यक्ति अप्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है ॥ ३८ ॥ यदि

कदाचित् उसको प्राप्त हो जाये तो वह उसकी रक्षा नहीं कर पाता ॥ ३९ ॥

उसके द्वारा रक्षित वस्तु बढ़ती नहीं है ॥ ४० ॥ न वह अपने भृत्यवर्ग को

ही वितरित करता है ॥ ४१ ॥

अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का संरक्षण, संरक्षण का संवर्द्धन और संवर्द्धन
का वितरण—ये चार ही राज्य के सर्वस्व हैं ॥ ४२ ॥ राज्यतंत्र (राज्य-

स्थिति) का आधार नीतिशास्त्र है ॥ ४३ ॥ तंत्र और आवाप राज्य तन्त्र के

अधीन होते हैं ॥ ४४ ॥ अपने देश में सामदामादि उपायों का प्रयोग ही 'आयत्त'

कहलाता है ॥ ४५ ॥ बाहरी राज्यमण्डल में प्रयुक्त सामदामादि उपायों को

ही 'आवाप' कहते हैं ॥ ४६ ॥ सन्धि और विग्रह का निर्णय मण्डल पर

निर्भर होता है ॥ ४७ ॥ राजा उसको कहते हैं, जो नीति शास्त्र के अनुसार

राजा ॥ ४८ ॥ अनन्तरप्रकृतिः शत्रुः ॥ ४९ ॥ एकान्तरितं
मित्रमिष्यते ॥ ५० ॥ हेतुतः शत्रुमित्रे भविष्यतः ॥ ५१ ॥
हीयमानः सन्धिं कुर्वीत ॥ ५२ ॥ तेजो हि सन्धानहेतुस्तदर्था-
नाम् ॥ ५३ ॥ नातप्तलोहो लोहेन संधीयते ॥ ५४ ॥

बलवान् हीनेन विगृह्णीयात् ॥ ५५ ॥ न ज्यायसा समेन
वा ॥ ५६ ॥ गजपादयुद्धमिव बलवद्विग्रहः ॥ ५७ ॥ आमपा-
त्रमामेन सह विनश्यति ॥ ५८ ॥ अरिप्रयत्नमभिसमीक्षेत
॥ ५९ ॥ सन्धायैकतो वा ॥ ६० ॥

अमित्रविरोधादात्मरक्षामावसेत् ॥ ६१ ॥

शक्तिहीनो बलवन्तमाश्रयेत् ॥ ६२ ॥ दुर्बलाश्रयो दुःख-

राज्य का संचालन करे ॥ ४८ ॥ अपने देश से जुड़ी हुई राज्य-सीमा
का राजा अपना शत्रु है ॥ ४९ ॥ एक राज्य के बाद अगला राजा अपना
मित्र है ॥ ५० ॥ किसी कारण वश ही कोई राजा शत्रु या मित्र बनता
है ॥ ५१ ॥ कमजोर को सन्धि कर लेनी चाहिए ॥ ५२ ॥ तेज से ही कार्य
सिद्धि होती है ॥ ५३ ॥ ठंडा लोहा गरम लोहे से नहीं जुड़ता ॥ ५४ ॥

बलवान् राजा को चाहिए कि वह दुर्बल राजा से झगड़ा कर ले ॥ ५५ ॥
अपने से बड़े या बराबर वाले के साथ झगड़ा न करे ॥ ५६ ॥ बलवान् के
साथ किया गया विग्रह वैसा ही होता है, जैसे गज-सैन्य से पदाति-सैन्य
का मुकाबला ॥ ५७ ॥ कच्चा वर्तन, कच्चे वर्तन के साथ भिड़कर टूट जाता
है । इसलिए बराबर वाले के साथ भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए ॥ ५८ ॥
शत्रु के प्रयत्न का सदा भली भांति निरीक्षण करते रहना चाहिए ॥ ५९ ॥
अनेक शत्रु होने पर एक शत्रु से संधि कर लेनी चाहिए ॥ ६० ॥

शत्रु के विरोध को भली प्रकार तजबीजना चाहिए; या तो अनेक शत्रु
होने पर, एक शत्रु से संधि कर लेनी चाहिए । शत्रु के द्वारा किये जाने
वाले विरोध से अपनी रक्षा करनी चाहिए ॥ ६१ ॥

शक्तिहीन राजा को चाहिये कि वह बलवान् का आश्रय ले ले ॥ ६२ ॥

मावहति ॥ ६३ ॥ अग्नित्रद्राजानमाश्रयेत् ॥ ६४ ॥ राज्ञः
प्रतिकूलं नाचरेत् ॥ ६५ ॥ उद्धतवेषधरो न भवेत् ॥ ६६ ॥
न देवचरितं चरेत् ॥ ६७ ॥

द्वयोरपीर्ष्यतोर्द्वैधीभावं कुर्वीत ॥ ६८ ॥

न व्यसनपरस्य कार्यावाप्तिः ॥ ६९ ॥ इन्द्रियवशवर्ती
चतुरङ्गवानपि विनश्यति ॥ ७० ॥ नास्ति कार्यं द्यूतप्रवृत्तस्य
॥ ७१ ॥ मृगयापरस्य धर्मार्थौ विनश्यतः ॥ ७२ ॥ अर्थेषणा
न व्यसनेषु गण्यते ॥ ७३ ॥ न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम्
॥ ७४ ॥ अग्निदाहादपि विशिष्टं वाक्पारुष्यम् ॥ ७५ ॥ दण्ड-
पारुष्यात् सर्वजनद्वेष्यो भवति ॥ ७६ ॥ अर्थतोषिणं श्रीः
परित्यजति ॥ ७७ ॥

अमित्रो दण्डनीत्यामायत्तः ॥ ७८ ॥ दण्डनीतिमधितिष्ठन्

दुर्बल का आश्रयलेने वाला राजा सदा दुःख उठाता है ॥ ६३ ॥ आश्रयी
राजा के समीप उसी प्रकार रहना चाहिए, जैसे आग के समीप रहा जाता
है ॥ ६४ ॥ राजा के प्रतिकूल कभी भी आचरण न करे ॥ ६५ ॥ उद्धत वेश
धारण न करे ॥ ६६ ॥ देवताओं के चरित्र की नकल न करे ॥ ६७ ॥

अपने से वैर रखने वाले दो राजाओं के बीच फूट डाल दे ॥ ६८ ॥

व्यसनों के चंगुल में पड़े हुए राजा की कभी भी कार्यसिद्धि नहीं
होती ॥ ६९ ॥ इन्द्रियों के वश में पड़ा हुआ राजा, चतुरंग सेना के होने
पर भी, विनष्ट हो जाता है ॥ ७० ॥ जुये में फंसे हुए राजा की कार्यसिद्धि
नहीं होती ॥ ७१ ॥ शिकार में व्यसन रखने वाले राजा के धर्म और अर्थ
दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ७२ ॥ अर्थ की अभिलाषा को व्यसन में नहीं गिना जाता
॥ ७३ ॥ कामासक्त राजा का कोई कार्य नहीं बन पाता ॥ ७४ ॥ वाणी की
कठोरता अग्निदाह से भी बढ़ कर होती है ॥ ७५ ॥ कठोर दण्ड वाला राजा
समस्त प्रजा का शत्रु हो जाता है ॥ ७६ ॥ अर्थतोषी राजा को लक्ष्मी छोड़
देती है ॥ ७७ ॥

शत्रु को वश में करना दण्डनीति पर निर्भर है ॥ ७८ ॥ दण्डनीति का

प्रजाः संरक्षति ॥ ७९ ॥ दण्डः सम्पदा योजयति ॥ ८० ॥
 दण्डाभावे मन्त्रिवर्गाभावः ॥ ८१ ॥ न दण्डादकार्याणि कुर्वन्ति
 ॥ ८२ ॥ दण्डनीत्यामायत्तमात्मरक्षणम् ॥ ८३ ॥ आत्मनि
 रक्षिते सर्वं रक्षितं भवति ॥ ८४ ॥ आत्मायत्तौ वृद्धिविनाशौ
 ॥ ८५ ॥ दण्डो हि विज्ञाने प्रणीयते ॥ ८६ ॥ दुर्बलोऽपि
 राजा नावमन्तव्यः ॥ ८७ ॥ नास्त्यग्नेर्दौर्बल्यम् ॥ ८८ ॥

दण्डे प्रतीयते वृत्तिः ॥ ८९ ॥ वृत्तिमूलमर्थलाभः ॥ ९० ॥
 अर्थमूलौ धर्मकामौ ॥ ९१ ॥ अर्थमूलं कार्यम् ॥ ९२ ॥ यदल्प-
 प्रयत्नात् कार्यसिद्धिर्भवति ॥ ९३ ॥ उपायपूर्वं न दुष्करं स्यात्
 ॥ ९४ ॥ अनुपायपूर्वं कार्यं कृतमपि नश्यति ॥ ९५ ॥ का-
 र्यार्थिनामुपाय एव सहायः ॥ ९६ ॥ कार्यं पुरुषकारेण लक्ष्यं

आश्रय लेता हुआ राजा समस्त प्रजा की रक्षा करता है ॥ ७९ ॥ दण्ड से
 संपत्ति बढ़ती है ॥ ८० ॥ दण्डशक्ति के अभाव में मंत्रिसमूह विच्छिन्न हो
 जाता है ॥ ८१ ॥ दण्डशक्ति के कारण वे लोग न करने योग्य कार्यों को
 नहीं करते हैं ॥ ८२ ॥ अपनी सुरक्षा भी दण्डनीति पर निर्भर है ॥ ८३ ॥
 अपनी सुरक्षा किये जाने के बाद ही दूसरे की रक्षा की जा सकती है ॥ ८४ ॥
 उत्थान और विनाश, दोनों अपने ही हाथों में हैं ॥ ८५ ॥ भली भांति सोच
 विचार करके दण्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए ॥ ८६ ॥ किसी राजा को
 दुर्बल समझ कर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥ ८७ ॥ अग्नि को
 कौन दुर्बल कह सकता है ॥ ८८ ॥

दण्ड के आधार पर ही व्यवहार का ज्ञान होता है ॥ ८९ ॥ अर्थ की
 प्राप्ति व्यवहारमूलक है ॥ ९० ॥ धर्म और कार्य अर्थमूलक होते
 हैं ॥ ९१ ॥ कार्य ही अर्थ का मूल है ॥ ९२ ॥ इसी से थोड़ा भी प्रयत्न
 करने पर कार्य की सिद्धि हो जाती है ॥ ९३ ॥ उपाय से किया जाने वाला
 कोई भी कार्य कठिन नहीं होता ॥ ९४ ॥ जो कार्य उपाय से नहीं किया
 जाता वह किया कराया भी नष्ट हो जाता है ॥ ९५ ॥ कार्यसिद्धि चाहने
 वाले लोगों के लिए उपाय ही परम सहायक है ॥ ९६ ॥ पुरुषार्थ से कार्य

घाणक्य प्रणीत सूत्र

सम्पद्यते ॥ ९७ ॥ पुरुषकारमनुवर्तते दैवम् ॥ ९८ ॥ दैवं
विनाऽतिप्रयत्नं करोति यत्तद् विफलम् ॥ ९९ ॥ असमाहितस्य
वृत्तिर्न विद्यते ॥ १०० ॥

पूर्वं निश्चित्य पश्चात् कार्यमारभेत ॥ १०१ ॥ कार्यान्तरे दीर्घ-
सूत्रता न कर्तव्या ॥ १०२ ॥ न चलचित्तस्य कार्यावाप्तिः ॥ १०३ ॥
हस्तगतावमाननात् कार्यव्यतिक्रमो भवति ॥ १०४ ॥
दोषवर्जितानि कार्याणि दुर्लभानि ॥ १०५ ॥ दुरनुबन्धं कार्यं नार-
भेत ॥ १०६ ॥

कालवित् कार्यं साधयेत् ॥ १०७ ॥ कालातिक्रमात् काल
एव फलं पिबति ॥ १०८ ॥ क्षणं प्रति कालविक्षेपं न कुर्यात्
सर्वकृत्येषु ॥ १०९ ॥ देशफलविभागौ ज्ञात्वा कार्यमारभेत
॥ ११० ॥ दैवहीनं कार्यं सुसाधमपि दुःसाधं भवति ॥ १११ ॥

को लक्ष्य बनाया जा सकता है ॥ ९७ ॥ भाग्य भी पुरुषार्थ का अनुगमन
करता है ॥ ९८ ॥ भाग्य के विना, बड़े प्रयत्न से किया गया कार्य भी
विफल हो जाता है ॥ ९९ ॥ असावधान व्यक्ति में व्यवहारकुशलता नहीं
होती ॥ १०० ॥

निश्चय करने के बाद ही कार्य को आरम्भ करे ॥ १०१ ॥ एक के बाद
दूसरे कार्य को करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए ॥ १०२ ॥ चंचल चित्त
वाले व्यक्ति की कार्यसिद्धि नहीं होती ॥ १०३ ॥ हाथ में आई हुई वस्तु का
तिरस्कार कर देने पर काम बिगड़ जाता है ॥ १०४ ॥ विरले ही ऐसे कार्य हैं, जो
दोषरहित हों ॥ १०५ ॥ दुःखपूर्ण तथा कष्टसाध्य कार्यों को आरम्भ ही
नहीं करना चाहिए ॥ १०६ ॥

समय की गति-विधि जानने वाला व्यक्ति कार्य को सिद्ध करे ॥ १०७ ॥
कार्य की अवधि बीत जाने पर काल ही उस कार्य के फल को पी जाता
है ॥ १०८ ॥ अतः किसी भी कार्य में क्षण भर का विलम्ब न करे ॥ १०९ ॥
देश और फल का विवेचन करके ही कार्य का आरंभ करे ॥ ११० ॥ दैव के
विपरीत होने पर सरल कार्य भी कठिन हो जाता है ॥ १११ ॥

नीतिज्ञो देशकालौ परीक्षेत ॥ ११२ ॥ परीक्ष्यकारिणि
श्रीश्विरं तिष्ठति ॥ ११३ ॥ सर्वाश्च सम्पदाः सर्वोपायेन परि-
ग्रहेत् ॥ ११४ ॥ भाग्यवन्तमपरीक्ष्यकारिणं श्रीः परित्यजति
॥ ११५ ॥ ज्ञानानुमानैश्च परीक्षा कर्तव्या ॥ ११६ ॥

यो यस्मिन् कर्मणि कुशलस्तं तस्मिन्नेव योजयेत् ॥ ११७ ॥
दुःसाधमपि सुसाधं करोत्युपायज्ञः ॥ ११८ ॥ अज्ञानिना
कृतमपि न बहु मन्तव्यम् ॥ ११९ ॥ यादृच्छिकत्वात् कृमिरपि
रूपान्तराणि करोति ॥ १२० ॥ सिद्धस्यैव कार्यस्य प्रकाशनं
कर्तव्यम् ॥ १२१ ॥

ज्ञानवतामपि दैवमानुषदोषात् कार्याणि दृष्यन्ति ॥ १२२ ॥
दैवं शान्तिकर्मणा प्रतिषेद्धव्यम् ॥ १२३ ॥ मानुषीं कार्य-

नीतिज्ञ व्यक्ति को चाहिये कि वह देश-काल का भलीभाँति विचार कर ले ॥ ११२ ॥ विचारशील व्यक्ति के पास लक्ष्मी चिरकाल तक बनी रहती है ॥ ११३ ॥ सामदामादि सब उपायों के द्वारा सभी प्रकार की सम्पत्ति का संचय करे ॥ ११४ ॥ भाग्यशाली होने पर भी अविचारशील व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ देती है ॥ ११५ ॥ प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा प्रत्येक वस्तु की परीक्षा करनी चाहिए ॥ ११६ ॥

जो जिस कार्य को करने में निपुण हो उसको उसी कार्य में नियुक्त करना चाहिए ॥ ११७ ॥ उपायों को जानने वाला व्यक्ति कठिन कार्य को भी सहज बना देता है ॥ ११८ ॥ अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा किए गये कार्य को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए ॥ ११९ ॥ कभी-कभी एक साधारण कीड़ा भी रूप बदल लेता है ॥ १२० ॥ जो कार्य संपन्न हो गया हो उसको ही प्रमाणित किया जाना चाहिए ॥ १२१ ॥

विश्व पुरुषों के भी कार्य दैवदोष तथा मानुष दोषों से दूषित (असफल) हो जाते हैं १२२ ॥ शान्ति-कर्मों के अनुष्ठान द्वारा दैव का प्रतीकार करना चाहिए ॥ १२३ ॥ मानुष-विपत्तियों का निवारण अपने कौशल से करना

चाणक्य प्रणीत सूत्र

विपत्ति कौशलेन विनिवारयेत् ॥ १२४ ॥ कार्यविपत्तौ दोषान् वर्णयन्ति बालिशाः ॥ १२५ ॥

कार्यार्थिना दाक्षिण्यं न कर्तव्यम् ॥ १२६ ॥ क्षीरार्थी वत्सो मातुरूधः प्रतिहन्ति ॥ १२७ ॥ अप्रयत्नात् कार्यविपत्तिर्भवेत् ॥ १२८ ॥ न दैवप्रमाणानां कार्यसिद्धिः ॥ १२९ ॥ कार्यब्राह्मो न पोषयत्याश्रितान् ॥ १३० ॥ यः कार्यं न पश्यति सोऽन्धः ॥ १३१ ॥ प्रत्यक्षपरोक्षानुमानैः कार्याणि परीक्षेत ॥ १३२ ॥ अपरीक्ष्यकारिणं श्रीः परित्यजति ॥ १३३ ॥ परीक्ष्य तार्या विपत्तिः ॥ १३४ ॥ स्वशक्तिं ज्ञात्वा कार्यमारभेत ॥ १३५ ॥ स्वजनं तर्पयित्वा यः शेषभोजी सोऽमृतभोजी ॥ १३६ ॥ सर्वानुष्ठानादायमुखानि वर्धन्ते ॥ १३७ ॥

चाहिए ॥ १२४ ॥ किसी कार्य में विपत्ति के आ जाने पर मूर्ख व्यक्ति उसमें दोष दिखाते हैं ॥ १२५ ॥

कार्यसिद्धि के आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वह भोला भाला न बना रहे ॥ १२६ ॥ बछड़ा भी दूध के लिए माता के अयनों (दूध) पर आघात करता है ॥ १२७ ॥ प्रयत्न न करने पर निश्चित ही कार्यों में विपत्ति आ जाती है ॥ १२८ ॥ दैव को प्रमाण मानने वाले की कभी भी कार्यसिद्धि नहीं होती ॥ १२९ ॥ कार्य से पृथक् रहने वाला व्यक्ति अपने आश्रितों का पोषण नहीं कर सकता ॥ १३० ॥ जो अपने कार्यों को नहीं देखता वह अंधा है ॥ १३१ ॥ प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान प्रमाणों से कार्यों की परीक्षा करनी चाहिए ॥ १३२ ॥ विना विचारे कार्य करने वाले पुरुष को लक्ष्मी छोड़ देती है ॥ १३३ ॥ भलीभाँति विचार करके विपत्ति को दूर करना चाहिए ॥ १३४ ॥ अपनी शक्ति का अन्दाजा लगा कर ही किसी कार्य को आरम्भ करना चाहिए ॥ १३५ ॥ स्वजनों (पारिवारिक तथा भृत्य) को भर पेट भोजन कराके जो अवशिष्ट अन्न को खाता है वह अमृत को खाता है ॥ १३६ ॥ सब तरह के कार्यों को करने से आमदनी के रास्ते खुल जाते हैं ॥ १३७ ॥

नास्ति भीरोः कार्यचिन्ता ॥ १३८ ॥

स्वामिनः शीलं ज्ञात्वा कार्यार्थी कार्यं साधयेत् ॥ १३९ ॥

धेनोः शीलज्ञः क्षीरं भुङ्क्ते ॥ १४० ॥

क्षुद्रे गुह्यप्रकाशनमात्मवान् न कुर्यात् ॥ १४१ ॥ आश्रितैर-

प्यवमन्यते मृदुस्वभावः ॥ १४२ ॥ तीक्ष्णदण्डः सर्वैरुद्वेजनीयो

भवति ॥ १४३ ॥ यथार्हदण्डकारी स्यात् ॥ १४४ ॥ अल्पसारं

श्रुतवन्तमपि न बहु मन्यते लोकः ॥ १४५ ॥ अतिभारः

पुरुषमवसादयति ॥ १४६ ॥

यः संसदि परदोषं शंसति स स्वदोषं प्रख्यापयति ॥ १४७ ॥

आत्मानमेव नाशयत्यनात्मवतां क्रोपः ॥ १४८ ॥

नास्त्यग्राप्यं सत्यवताम् ॥ १४९ ॥ साहसेन न कार्य-

कामचोर या अनुद्यमी व्यक्ति को अपने कार्यों की कोई चिन्ता नहीं होती ॥ १३८ ॥

कार्यार्थी को चाहिए कि वह अपने स्वामी के स्वभाव को जान कर ही कार्य को सफल बनाये ॥ १३९ ॥ जो व्यक्ति गाय के स्वभाव से परिचित होता है, वही उसके दूध का उपभोग करता है ॥ १४० ॥

विचारवान् व्यक्ति को चाहिए कि वह हृदयविचार के व्यक्तियों पर अपनी गुह्य बातों को प्रकट न करे ॥ १४१ ॥ सरल स्वभाव के राजा का उसके आश्रित व्यक्ति ही तिरस्कार कर देते हैं ॥ १४२ ॥ तीव्र स्वभाव के राजा से सभी व्यक्ति बेचैन रहते हैं ॥ १४३ ॥ अतः राजा ऐसा होना चाहिए, जो उचित दण्ड का निर्धारण करे ॥ १४४ ॥ शास्त्रज्ञ, किन्तु दुर्बल राजा का प्रजा अधिक सम्मान नहीं करती ॥ १४५ ॥ अधिक भार पुरुष को खिन्न कर देता है ॥ १४६ ॥

जो व्यक्ति सभास्थल पर किसी दूसरे व्यक्ति के अचगुणों का प्रख्यापन करने की चेष्टा करता है वह प्रकारान्तर से अपनी ही अयोग्यता का परिचय देता है ॥ १४७ ॥ स्वर्थ को वश में न रखने वाले क्रोधी पुरुष को उसका क्रोध ही नष्ट कर डालता है ॥ १४८ ॥

सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए दुर्लभ कुछ नहीं है ॥ १४९ ॥

चाणक्य प्रणीत सूत्र

सिद्धिर्भवति ॥ १५० ॥ व्यसनार्तो विस्मरत्यप्रवेशेन ॥ १५१ ॥
नास्त्यनन्तरायः कालविक्षेपे ॥ १५२ ॥ असंशयविनाशात् संशय-
विनाशः श्रेयान् ॥ १५३ ॥

परधनानि निक्षेप्तुः केवलं स्वार्थम् ॥ १५४ ॥

दानं धर्मः ॥ १५५ ॥ नार्यागतोऽर्थवद् विपरीतोऽनर्थभावः
॥ १५६ ॥ यो धर्मार्थौ न विवर्धयति स कामः ॥ १५७ ॥
तद्विपरीतोऽनर्थसेवी ॥ १५८ ॥

ऋजुस्वभावपरो जनेषु दुर्लभः ॥ १५९ ॥ अवमानेनागत-
मैश्वर्यमवमन्यते साधुः ॥ १६० ॥ बहूनपि गुणानेको दोषो ग्रसति
॥ १६१ ॥ महात्मना परेण साहसं न कर्तव्यम् ॥ १६२ ॥
कदाचिदपि चरित्रं न लङ्घयेत् ॥ १६३ ॥ क्षुधार्तो न तृणं

केवल साहस से कार्य सिद्ध नहीं होते ॥ १५० ॥ विपत्तियों के टल जाने पर
विपद्ग्रस्त पुरुष विपत्तियों को भूल जाता है ॥ १५१ ॥ अवसर चूक जाने
पर कार्यों में अवश्य ही बाधा उपस्थित हो जाती है ॥ १५२ ॥ अवश्यंभावी
(असंशय) विनाश की अपेक्षा संदिग्ध (संशययुक्त) विनाश अच्छा
है ॥ १५३ ॥

किसी स्वार्थवश ही दूसरे के धन को अमानत पर रखा जाता है ॥ १५४ ॥

दान करना धर्म है ॥ १५५ ॥ वैश्य वृत्ति से किया हुआ यह धर्म (दान
देना) सफल नहीं होता । मनुष्य के लिए दान धर्म का न करना सर्वथा
अनर्थकारी है ॥ १५६ ॥ जो, धर्म और अर्थ का अपकर्ष नहीं करता उसी को
'काम' कहा जाता है ॥ १५७ ॥ धर्म और अर्थ के अपकर्षक काम के आसेवन
से निश्चित ही अनर्थ है ॥ १५८ ॥

मनुष्यों में ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है, जो सर्वथा सरल स्वभाव का
हो ॥ १५९ ॥ तिरस्कार से उपलब्ध ऐश्वर्य को, सत्पुरुष, ठुकरा देते
हैं ॥ १६० ॥ अनेक गुणों को एक ही दोष ग्रसित कर लेता है ॥ १६१ ॥
श्रेष्ठ धर्मात्मा शत्रु के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए ॥ १६२ ॥ सदाचार का
उल्लंघन न करना चाहिये ॥ १६३ ॥ यद्यपि सिंह भूखा हो तब भी तिनके

चरति सिंहः ॥ १६४ ॥ प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्यः ॥ १६५ ॥
पिशुनः श्रोता पुत्रदारैरपि त्यज्यते ॥ १६६ ॥

बालादप्यर्थजातं शृणुयात् ॥ १६७ ॥ सत्यमप्यश्रद्धेयं न
वदेत् ॥ १६८ ॥ नाल्पदोषाद् बहुगुणास्त्यज्यन्ते ॥ १६९ ॥
विपश्चित्स्वपि सुलभा दोषाः ॥ १७० ॥ नास्ति रत्नमखण्डितम्
॥ १७१ ॥ मर्यादातीतं न कदाचिदपि विश्वसेत् ॥ १७२ ॥
अप्रिये कृतं प्रियमपि द्वेष्यं भवति ॥ १७३ ॥ नमन्त्यपि तुला-
कोटिः कूपोदकक्षयं करोति ॥ १७४ ॥

सतां मतं नातिक्रमेत् ॥ १७५ ॥ गुणवदाश्रयान्निर्गुणो-
ऽपि गुणी भवति ॥ १७६ ॥ क्षीराश्रितं जलं क्षीरमेव भवति
॥ १७७ ॥ मृत्पिण्डोऽपि पाटलिगन्धमुत्पादयति ॥ १७८ ॥
रजतं कनकसङ्गात् कनकं भवति ॥ १७९ ॥

नहीं खाता ॥ १६४ ॥ प्राणों की बलि देकर भी अपने विश्वास की रक्षा
करनी चाहिए ॥ १६५ ॥ चुगली करने और सुनने वाले पुरुष को उसके स्त्री-
पुत्र भी छोड़ देते हैं ॥ १६६ ॥

बालक की भी उचित बात को ग्रहण करना चाहिए ॥ १६७ ॥ ऐसी
सच्चाई नहीं बरतनी चाहिए, जिसका विश्वास ही न किया जा सके ॥ १६८ ॥
थोड़े से दोष से बहुत सारे गुणों को नहीं छोड़ा जा सकता ॥ १६९ ॥ विद्वान्
पुरुषों में भी दोष का हो जाना संभव है ॥ १७० ॥ (उसी प्रकार जैसे)
कोई भी रत्न समूचा नहीं होता ॥ १७१ ॥ मर्यादा से अधिक विश्वास कभी
न करना चाहिए ॥ १७२ ॥ शत्रु के संबंध में किया गया अच्छा कार्य, बुरा
ही समझा जाता है ॥ १७३ ॥ झुकती हुई भी ढाँकली की बल्ली कुएँ के जल
को उलीच देती है ॥ १७४ ॥

श्रेष्ठ पुरुषों के अभिमत का अतिक्रमण न करना चाहिए ॥ १७५ ॥ गुणी
पुरुष के आश्रय से गुणहीन भी गुणी हो जाता है ॥ १७६ ॥ दूध में मिला
हुआ जल भी दूध ही हो जाता है ॥ १७७ ॥ मिट्टी का ढेला भी पाटलि पुष्प
के संसर्ग से उसकी गंध को उत्पन्न करता है ॥ १७८ ॥ चाँदी भी, सोने के
साथ मिलकर सोना ही हो जाती है ॥ १७९ ॥

चाणक्य प्रणीत सूत्र

उपकर्तर्यपकर्तुमिच्छत्यबुधः ॥ १८० ॥ न पापकर्मणामा-
क्रोशभयम् ॥ १८१ ॥ उत्साहवतां शत्रवोऽपि वशीभवन्ति
॥ १८२ ॥ विक्रमधना राजानः ॥ १८३ ॥ नास्त्यलसस्यैहि-
कामुष्मिकम् ॥ १८४ ॥ निरुत्साहाद् दैवं पतति ॥ १८५ ॥
मत्स्यार्थीव जलमुपयुज्यार्थं गृहीयात् ॥ १८६ ॥ अविश्वस्तेषु
विश्वासो न कर्तव्यः ॥ १८७ ॥ विषं विषमेव सर्वकालम् ॥ १८८ ॥

अर्थसमादाने वैरिणां सङ्ग एव न कर्तव्यः ॥ १८९ ॥
अर्थसिद्धौ वैरिणं न विश्वसेत् ॥ १९० ॥ अर्थाधीन एव नियत-
सम्बन्धः ॥ १९१ ॥ शत्रोरपि सुतः सखा रक्षितव्यः ॥ १९२ ॥
यावच्छत्रोच्छिद्रं पश्यति तावद्धस्तेन वा स्कन्धेन वा
बाह्वः ॥ १९३ ॥

मूर्ख व्यक्ति उपकारक व्यक्ति का भी अपकार करना चाहता है ॥ १८० ॥
पापकर्म करने वाले को निन्दा-भय नहीं होता ॥ १८१ ॥ उत्साही पुरुषों के
शत्रु भी वश में हो जाते हैं ॥ १८२ ॥ राजाओं का मुख्य धन है विक्रम
(बल) ॥ १८३ ॥ आलसी व्यक्ति को न ऐहिक सुख प्राप्त होता है और
न पारलौकिक ॥ १८४ ॥ उत्साहहीन होने पर भाग्य भी साथ नहीं
देता ॥ १८५ ॥ उपयोग में आने योग्य अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना
चाहिए, जैसे मछियारा मछली को ॥ १८६ ॥ अविश्वस्त पुरुष पर कभी
विरवास न करना चाहिए ॥ १८७ ॥ विष तो प्रत्येक अवस्था में विष ही
रहता है ॥ १८८ ॥

अर्थ-संग्रह करते समय शत्रु को कदापि भी साथ न रखना
चाहिए ॥ १८९ ॥ अर्थसिद्ध हो जाने पर भी शत्रु का विश्वास न करना
चाहिए ॥ १९० ॥ नियत सम्बन्ध अर्थ के ही अधीन होता है ॥ १९१ ॥
यदि शत्रु का भी पुत्र अपना मित्र हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिए ॥ १९२ ॥

जब तक शत्रु के दोष या उसकी निर्वलता (छिद्र) का पता नहीं लग
जाता तब तक उसको हाथ-कंधों पर रखना चाहिए ॥ १९३ ॥

शत्रुं छिद्रे प्रहरेत् ॥ १९४ ॥ आत्मच्छिद्रं न प्रकाशयेत् ॥ १९५ ॥
छिद्रप्रहारिणः शत्रवः ॥ १९६ ॥ इस्तगतमपि शत्रुं न विश्व-
सेत् ॥ १९७ ॥ स्वजनस्य दुर्वृत्तं निवारयेत् ॥ १९८ ॥ स्वज-
नात्रमानोऽपि मनस्विनां दुःखमावहति ॥ १९९ ॥ एकाङ्ग-
दोषः पुरुषमवसादयति ॥ २०० ॥

शत्रुं जयति सुवृत्तता ॥ २०१ ॥ निकृतिप्रिया नीचाः ॥ २०२ ॥
नीचस्य मतिर्न दातव्या ॥ २०३ ॥ तेषु विश्वासो न
कर्तव्यः ॥ २०४ ॥ सुपूजितोऽपि दुर्जनः पीडयत्येव ॥ २०५ ॥
चन्दनादीनपि दावोऽग्निर्दहत्येव ॥ २०६ ॥

कदाऽपि पुरुषं नावमन्येत ॥ २०७ ॥ क्षन्तव्यमिति पुरुषं
न बाधेत ॥ २०८ ॥

जहाँ भी शत्रुकी दुर्बलता दिखायी दे वही उस पर प्रहार करना चाहिये
॥ १९४ ॥ अपने दोष या अपनी दुर्बलता को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए ॥
जो दोष या दुर्बलता पर प्रहार करते हैं उन्हें शत्रु समझना चाहिए ॥ १९६ ॥
अपनी सुट्ठी में भी आये हुए शत्रु का विश्वास न करना चाहिए ॥ १९७ ॥
स्वजनों के दुर्व्यवहार को रोकना चाहिए ॥ १९८ ॥ स्वजनों का अपमान
भी श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दुःखदायी होता है ॥ १९९ ॥ एक साधारण दोष भी
पुरुष को नष्ट कर देता है ॥ २०० ॥

सद्व्यवहार से शत्रु को भी जीता जा सकता है ॥ २०१ ॥ नीच पुरुषों
को अपमानित होना ही भला लगता है ॥ २०२ ॥ नीच पुरुष को कभी भी
सुमति न देनी चाहिए ॥ २०३ ॥ उन पर विश्वास भी न करना चाहिए ॥ २०४ ॥
सत्कार किये जाने पर भी दुर्जन पीड़ा ही पहुँचाता है ॥ २०५ ॥ जंगल में
लगी आग चन्दन आदि को भी जला ही लेती है ॥ २०६ ॥

किसी भी पुरुष का कभी भी तिरस्कार न करना चाहिए ॥ २०७ ॥
किसी भी पुरुष को कभी भी बाधित न करके क्षमा कर देना चाहिए ॥ २०८ ॥

षाण्णव्य प्रणीत सूत्र

भर्त्राधिकं रहस्युक्तं वक्तुमिच्छन्त्यबुद्धयः ॥२०९॥ अनुरा-
गस्तु फलेन सूच्यते ॥ २१० ॥ आज्ञाफलमैश्वर्यम् ॥ २११ ॥
दातव्यमपि वालिशः परिक्लेशेन दास्यति ॥ २१२ ॥ महदैश्वर्यं
प्राप्याप्यधृतिमान् विनश्यति ॥ २१३ ॥ नास्त्यधृतेरैहिका-
मुष्मिकम् ॥ २१४ ॥

न दुर्जनैः सह संसर्गः कर्तव्यः ॥२१५॥ शौण्डहस्तगतं पयो-
ऽप्यवमन्येत ॥२१६॥ कार्यसंकटेष्वर्थव्यवसायिनी बुद्धिः॥२१७॥

मितभोजनं स्वास्थ्यम् ॥ २१८ ॥ पथ्यमपथ्यं वाऽजीर्णं
नाशनीयात् ॥ २१९ ॥ जीर्णभोजनं व्याधिर्नोपसर्पति ॥२२०॥
जीर्णशरीरे वर्धमानं व्याधिं नोपेक्षेत ॥ २२१ ॥ अजीर्णं
भोजनं दुःखम् ॥२२२॥ शत्रोरपि विशिष्यते व्याधिः ॥२२३॥

दानं निधानमनुगामि ॥ २२४ ॥ पटुतरे तृष्णापरे सुलभ-

एकान्त में कही गयी अपने मालिक की बात को, मूर्ख व्यक्ति, बड़ा-चढ़ा
कर कहता है ॥२०९॥ प्रेम का परिचय उसके फल से संचित होता है ॥२१०॥
बुद्धि का ही फल ऐश्वर्य है ॥ २११ ॥ देने योग्य वस्तु को भी मूर्ख पुरुष बड़े
कष्ट से दे पाता है ॥ २१२ ॥ धैर्यहीन व्यक्ति महान् ऐश्वर्य को प्राप्त करने
पर भी नष्ट हो जाता है ॥ २१३ ॥ धैर्यहीन पुरुष को न तो ऐहिक सुख प्राप्त
होता है और न पारलौकिक ॥ २१४ ॥

बुर्जन की संगति न करनी चाहिए ॥ २१५ ॥ कलाल के हाथ में यदि
दूध भी हो तो उसकी कद्र नहीं होती ॥ २१६ ॥ कार्यों में संकट उपस्थित हो
जाने पर जो बुद्धि अर्थ का निश्चय करती है, वही वास्तविक बुद्धि है ॥ २१७ ॥

परिमित भोजन करना ही स्वास्थ्य का लक्षण है ॥ २१८ ॥ अजीर्ण
(वदहजमी) होने पर पथ्य या अपथ्य कुछ भी न खाना चाहिए ॥ २१९ ॥
एक बार का भोजन पच जाने के बाद जो भोजन करता है उसको कोई भी
व्याधि नहीं लगती ॥ २२० ॥ वृद्ध शरीर में बढ़ती हुई व्याधि की उपेक्षा
नहीं करनी चाहिए ॥ २२१ ॥ अजीर्णावस्था में भोजन करना दुःखदायी होता
है ॥ २२२ ॥ व्याधि शत्रु से भी बढ़कर कष्टकर होती है ॥ २२३ ॥

जैसा कोष हो वैसा ही दान दिया जाना चाहिए ॥ २२४ ॥ अति तृष्णा

मतिसन्धानम् ॥ २२५ ॥ तृष्णया मतिश्छाद्यते ॥ २२६ ॥
कार्यबहुत्वे बहुफलमायतिकं कुर्यात् ॥ २२७ ॥ स्वयमेवावस्कन्नं
कार्यं निरीक्षेत ॥ २२८ ॥

मूर्खेषु साहसं नियतम् ॥ २२९ ॥ मूर्खेषु विवादो न
कर्तव्यः ॥ २३० ॥ मूर्खेषु मूर्खवत्कथयेत् ॥ २३१ ॥ आय-
सैरायसं छेद्यम् ॥ २३२ ॥ नास्त्यधीमतः सखा ॥ २३३ ॥

धर्मेण धार्यते लोकः ॥ २३४ ॥ प्रेतमपि धर्माधर्मावनु-
गच्छतः ॥ २३५ ॥ दया धर्मस्य जन्मभूमिः ॥ २३६ ॥
धर्ममूले सत्यदाने ॥ २३७ ॥ धर्मेण जयति लोकान् ॥ २३८ ॥
मृत्युरपि धर्मिष्ठं रक्षति ॥ २३९ ॥ धर्माद्विपरीतं पापं यत्र
प्रसज्यते तत्र धर्मावमतिर्महती प्रसज्यते ॥ २४० ॥ उपस्थित-
विनाशानां प्रकृत्या कारेण कार्येण लक्ष्यते ॥ २४१ ॥ आत्मविनाशं

वाले व्यक्ति को वश में कर लेना आसान होता है ॥ २२५ ॥ तृष्णा, बुद्धि को
ढक लेती है ॥ २२६ ॥ अनेक कार्यों के उपस्थित हो जाने पर उसी कार्य को
पहले करना चाहिए, जो भविष्य में अधिक फल देने वाला है ॥ २२७ ॥
आक्रमण आदि के कार्य का राजा को स्वयमेव निरीक्षण करना चाहिए ॥ २२८ ॥

मूर्खों में लड़ाई-झगड़ा करने का माहा (साहस) अवश्य होता
है ॥ २२९ ॥ मूर्खों से विवाद न करना चाहिए ॥ २३० ॥ मूर्खों के साथ
मूर्ख की तरह कहना चाहिए ॥ २३१ ॥ लोहे को लोहे से ही काटा जा
सकता है ॥ २३२ ॥ बुद्धिहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता ॥ २३३ ॥

धर्म ही संसार को धारण किये हुये है ॥ २३४ ॥ धर्म और अधर्म
दोनों मृत पुरुष के साथ जाते हैं ॥ २३५ ॥ दया ही धर्म की जन्मभूमि
है ॥ २३६ ॥ राज्य और दान धर्ममूलक होते हैं ॥ २३७ ॥ धर्म के द्वारा
प्राणियों को जीता जा सकता है ॥ २३८ ॥ मृत्यु भी धर्मात्मा पुरुष की
रक्षा करती है ॥ २३९ ॥ जहाँ-जहाँ धर्म के विरुद्ध पाप का प्रसार होता
है वहाँ वहाँ धर्म का बड़ा अपकार होता है ॥ २४० ॥ स्वभाव या कार्य से
आसन्न विनाश की परिस्थिति को जाना जाता है ॥ २४१ ॥ अधर्मबुद्धि ही

चाणक्य प्रणीत सूत्र

सूचयत्यधर्मबुद्धिः ॥ २४२ ॥ पिशुनवादिनो न रहस्यम् ॥ २४३ ॥
पररहस्यं नैव श्रोतव्यम् ॥ २४४ ॥ बल्लभस्य कारकत्वमधर्म-
युक्तम् ॥ २४५ ॥

स्वजनेष्वतिक्रमो न कर्तव्यः ॥ २४६ ॥ माताऽपि दुष्टा
त्याज्या ॥ २४७ ॥ स्वहस्तोऽपि विषदिग्धश्छेद्यः ॥ २४८ ॥
परोऽपि च हितो बन्धुः ॥ २४९ ॥ कक्षादप्यौषधं गृह्यते
॥ २५० ॥ नास्ति चौरेषु विश्वासः ॥ २५१ ॥ अप्रतीका-
रेष्वनादरो न कर्तव्यः ॥ २५२ ॥ व्यसनं मनागपि
वाधते ॥ २५३ ॥

अमरवदर्थजातमर्जयेत् ॥ २५४ ॥ अर्थवान् सर्वलोकस्य
बहुमतः ॥ २५५ ॥ महेन्द्रमप्यर्थहीनं न बहु मन्यते लोकः
॥ २५६ ॥ दारिद्र्यं खलु पुरुषस्य जीवितं मरणम् ॥ २५७ ॥

अधर्मात्मा के विनाश की सूचना दे देती है ॥ २४२ ॥ चुगुलखोर व्यक्ति की
बात छिपी नहीं रहती ॥ २४३ ॥ दूसरे की गुप्त बात को न सुनना चाहिए
॥ २४४ ॥ स्वामी का कठोर होना अधर्म युक्त है ॥ २४५ ॥

स्वजनों का अतिक्रमण न करना चाहिए ॥ २४६ ॥ माता भी
यदि दुष्ट हो तो उसको छोड़ देना चाहिए ॥ २४७ ॥ विष से भरा हुआ
यदि अपना हाथ भी हो तो उसे क्राट देना चाहिए ॥ २४८ ॥ हित करने
वाला बाहरी व्यक्ति भी अपना भाई है ॥ २४९ ॥ सूखे जंगल से भी
औषधि को प्राप्त किया जा सकता है ॥ २५० ॥ चोरों पर विश्वास नहीं
करना चाहिए ॥ २५१ ॥ बाधारहित कर्म के करने में उपेक्षा न करनी
चाहिए ॥ २५२ ॥ थोड़ा भी व्यसन बढ़ा कष्टकर होता है ॥ २५३ ॥

स्वयं को अमर समझ कर अर्थों का अर्जन करना चाहिए ॥ २५४ ॥
धनवान् व्यक्ति सबका मान्य होता है ॥ २५५ ॥ अर्थहीन इन्द्र को भी
संसार बड़ा नहीं समझता ॥ २५६ ॥ पुरुष की दरिद्रता, जीवितावस्था में

विरूपोऽर्थवान् सुरूपः ॥ २५८ ॥ अदातारमप्यर्थवन्तमर्थिनो
न त्यजन्ति ॥ २५९ ॥ अकुलीनोऽपि धनी कुलीनाद्विशिष्टः
॥ २६० ॥ नास्त्यवमानभयमनार्यस्य ॥ २६१ ॥ न चेतनवतां
वृत्तिभयम् ॥ २६२ ॥ न जितेन्द्रियाणां विषयभयम् ॥ २६३ ॥
न कृतार्थानां मरणभयम् ॥ २६४ ॥

कस्यचिदर्थं स्वमिव मन्यते साधुः ॥ २६५ ॥ परविभ-
वेष्वाद्रो न कर्तव्यः ॥ २६६ ॥ परविभवेष्वाद्रोऽपि नाशमूलम्
॥ २६७ ॥ पलालमपि परद्रव्यं न हर्तव्यम् ॥ २६८ ॥ परद्र-
व्यापहरणमात्मद्रव्यनाशहेतुः ॥ २६९ ॥ न चौर्यात्परं मृत्यु-
पाशः ॥ २७० ॥ यवागूरपि प्राणधारणं करोति काले
॥ २७१ ॥ न मृतस्यौषधं प्रयोजनम् ॥ २७२ ॥ समकाले
स्वयमपि प्रभुत्वस्य प्रयोजनं भवति ॥ २७३ ॥

ही मृत्यु है ॥ २५७ ॥ कुरूप धनवान् भी रूपवान् समझा जाता
है ॥ २५८ ॥ न देने वाले धनवान् को भी याचक लोग नहीं छोड़ते
॥ २५९ ॥ निम्नकुल में पैदा हुआ भी धनी पुरुष उच्चकुलोत्पन्न पुरुष से
बड़ा समझा जाता है ॥ २६० ॥ नीच पुरुष को अपने तिरस्कार का भय
नहीं होता ॥ २६१ ॥ चतुर पुरुष को जीविका का भय नहीं होता ॥ २६२ ॥
जितेन्द्रिय पुरुष को विषयों का भय नहीं होता ॥ २६३ ॥ आत्मदर्शी पुरुष
को मृत्यु का भय नहीं होता ॥ २६४ ॥

जो सज्जन पुरुष होता है वह पराये अर्थ को अपने ही अर्थ की भांति
मानता है ॥ २६५ ॥ दूसरे के वैभव की लिप्सा न करनी चाहिए ॥ २६६ ॥
दूसरे के वैभव की लिप्सा कसना भी नाश का कारण होता है ॥ २६७ ॥
पलालमात्र भी (थोड़ा भी) दूसरे के द्रव्य का अपहरण न करना चाहिए
॥ २६८ ॥ दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना अपने ही द्रव्य का नाश करना
है ॥ २६९ ॥ चोरी से बढ़कर कोई भी दुखदायी बन्धन नहीं है ॥ २७० ॥
उचित समय पर प्राप्त लपसी (यवागू) भी प्राणरक्षक होती है ॥ २७१ ॥
मृतक व्यक्ति का औषधि से कोई प्रयोजन नहीं होता ॥ २७२ ॥ समय आने
पर ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है ॥ २७३ ॥

चाणक्य प्रणीत सूत्र

नीचस्य विद्याः पापकर्मणि योजयन्ति ॥ २७४ ॥ पयः-
पानमपि विषवर्धनं भुजंगस्य नामृतं स्यात् ॥ २७५ ॥ न हि
धान्यसमो ह्यर्थः ॥ २७६ ॥ न क्षुधासमः शत्रुः ॥ २७७ ॥
अकृतेर्नियता क्षुत् ॥ २७८ ॥ नास्त्यभक्ष्यं क्षुधितस्य ॥ २७९ ॥

इन्द्रियाणि जरावशं कुर्वन्ति ॥ २८० ॥ सानुक्रोशं भर्तार-
माजीवेत् ॥ २८१ ॥ लुब्धसेवी पावकेच्छया खद्योतं धमति
॥ २८२ ॥ विशेषज्ञं स्वामिनमाश्रयेत् ॥ २८३ ॥

पुरुषस्य मैथुनं जरा ॥ २८४ ॥ स्त्रीणाममैथुनं जरा ॥ २८५ ॥
न नीचोत्तमयोर्वैवाहः ॥ २८६ ॥ अगम्यागमनादायुर्यशः-
पुण्यानि क्षीयन्ते ॥ २८७ ॥

नास्त्यहंकारसमः शत्रुः ॥ २८८ ॥ संसदि शत्रुं न पारि-

नीच पुरुष की विद्यायें उसे पापकर्म में प्रवृत्त करती हैं ॥ २७४ ॥ सर्प को
दूध पिलाने पर उसका विष ही बढ़ता है, वह अमृत नहीं बनता ॥ २७५ ॥
अन्न से बढ़कर दूसरा धन नहीं है ॥ २७६ ॥ भूख से बढ़कर दूसरा शत्रु
नहीं है ॥ २७७ ॥ अकर्मण्य व्यक्ति को कभी-न-कभी भूख का कष्ट भोगना
ही पड़ता है ॥ २७८ ॥ भूखे मनुष्य के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं है ॥ २७९ ॥

इन्द्रियाँ मनुष्य को वृद्धावस्था में अपने वश में कर लेती हैं ॥ २८० ॥
कृपालु स्वामी की सेवा करके जीविकोपार्जन करना चाहिए ॥ २८१ ॥ कृपण
स्वामी के सेवक की वही दशा होती है जो आंग प्राप्त करने के लिए शत्रु
को पंखे से झलनेवाले की होती है ॥ २८२ ॥ विद्वान् (विशेषज्ञ) स्वामी
का आश्रय प्राप्त करना चाहिए ॥ २८३ ॥

अधिक मैथुन से पुरुष शीघ्र ही वृद्ध हो जाता है ॥ २८४ ॥ मैथुन न
करने से स्त्री शीघ्र वृद्ध हो जाती है ॥ २८५ ॥ नीच और उच्च व्यक्तियों में
परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ २८६ ॥ वेश्या आदि (अगम्य)
स्त्रियों के साथ सहवास करने से आयु, यश और पुण्य नष्ट हो जाते हैं ॥ २८७ ॥

अहंकार से बढ़कर दूसरा शत्रु नहीं है ॥ २८८ ॥ सभा में शत्रु की निन्दा

क्रोशेत् ॥ २८९ ॥ शत्रुव्यसनं श्रवणसुखम् ॥ २९० ॥ अधनस्य
 बुद्धिर्न विद्यते ॥ २९१ ॥ हितमप्यधनस्य वाक्यं न गृह्यते
 ॥ २९२ ॥ अधनः स्वभार्ययाऽप्यवमन्यते ॥ २९३ ॥ पुष्प-
 हीनं सहकारमपि नोपासते भ्रमराः ॥ २९४ ॥ विद्याधनमधना-
 नाम् ॥ २९५ ॥ विद्या चौरैरपि न ग्राह्या ॥ २९६ ॥ विद्यया
 ख्यापिता ख्यातिः ॥ २९७ ॥ यशःशरीरं न विनश्यति ॥ २९८ ॥
 यः परार्थमुपसर्पति स सत्पुरुषः ॥ २९९ ॥ इन्द्रियाणां
 प्रशमं शास्त्रम् ॥ ३०० ॥ अशास्त्रकार्यवृत्तौ शास्त्रांकुशं निवार-
 यति ॥ ३०१ ॥ नीचस्य विद्या नोपेतव्या ॥ ३०२ ॥ म्लेच्छ-
 भाषणं न शिक्षेत ॥ ३०३ ॥ म्लेच्छानामपि सुवृत्तं ग्राह्यम्
 ॥ ३०४ ॥ गुणे न मत्सरः कर्तव्यः ॥ ३०५ ॥ शत्रोरपि सुगु-
 णो ग्राह्यः ॥ ३०६ ॥ विषादप्यमृतं ग्राह्यम् ॥ ३०७ ॥

न करनी चाहिए ॥ २८९ ॥ शत्रु का दुःख सुनकर कानों को आनन्द मिलता
 है ॥ २९० ॥ निर्धन पुरुष को बुद्धि नहीं होती ॥ २९१ ॥ धनहीन व्यक्ति
 की हितकर बात को भी नहीं सुना जाता ॥ २९२ ॥ निर्धन व्यक्ति की स्त्री
 भी पति का अपमान कर बैठती है ॥ २९३ ॥ पुष्परहित आम के पास भैंरे
 नहीं जाते ॥ २९४ ॥ निर्धन के लिए विद्या ही एकमात्र धन है ॥ २९५ ॥
 विद्याधन को चोर भी नहीं चुरा सकता ॥ २९६ ॥ विद्या के द्वारा ही ख्याति
 प्राप्त होती है ॥ २९७ ॥ यशरूपी शरीर का कभी नाश नहीं होता ॥ २९८ ॥

जो मनुष्य परोपकार के लिए आगे बढ़ता है, वही सत्पुरुष है ॥ २९९ ॥
 शास्त्रज्ञान से इन्द्रियाँ शान्त होती हैं ॥ ३०० ॥ अयुक्त कार्यों में प्रवृत्त व्यक्ति
 को शास्त्र का अंकुश ही संयम में लगाता है ॥ ३०१ ॥

नीच पुरुष की विद्या की अवहेलना नहीं करनी चाहिए ॥ ३०२ ॥
 म्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ ३०३ ॥ म्लेच्छ व्यक्ति की भी
 अच्छी बात को अपना लेना चाहिए ॥ ३०४ ॥ दूसरे के अच्छे गुणों से ईर्ष्या
 नहीं करनी चाहिए ॥ ३०५ ॥ शत्रु में भी यदि अच्छे गुण दिखायी दें तो
 उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ३०६ ॥ विष में यदि अमृत हो तो उसे भी
 ले लेना चाहिए ॥ ३०७ ॥

चाणक्य प्रणीत सूत्र

अवस्थया पुरुषः सम्मान्यते ॥ ३०८ ॥ स्थान एव नराः
पूज्यन्ते ॥ ३०९ ॥ आर्यवृत्तमनुतिष्ठेत् ॥ ३१० ॥ कदापि
मर्यादां नातिक्रमेत् ॥ ३११ ॥ नास्त्यर्घ्यः पुरुषरत्नस्य ॥ ३१२ ॥
न स्त्रीरत्नसमं रत्नम् ॥ ३१३ ॥ सुदुर्लभं रत्नम् ॥ ३१४ ॥

अयशोभयं भयेषु ॥ ३१५ ॥ नास्त्यलसस्य शास्त्रागमः
॥ ३१६ ॥ न स्त्रैणस्य स्वर्गाग्निर्धर्मकृत्यं च ॥ ३१७ ॥

स्त्रियोऽपि स्त्रैणमवमन्यते ॥ ३१८ ॥ न पुष्पार्थी सिंचति
शुष्कतरुम् ॥ ३१९ ॥ अद्रव्यप्रयत्नो बालुकाक्थनादनन्यः
॥ ३२० ॥ न महाजनहासः कर्तव्यः ॥ ३२१ ॥ कार्यससम्पदं
निमित्तानि सूचयन्ति ॥ ३२२ ॥ नक्षत्रादपि निमित्तानि विशे-
षयन्ति ॥ ३२३ ॥ न त्वरितस्य नक्षत्रपरीक्षा ॥ ३२४ ॥

अवस्था के अनुसार ही पुरुष को संमान प्राप्त होता है ॥ ३०८ ॥ अपने
स्थान पर बने रहने से ही व्यक्ति को संमान मिलता है ॥ ३०९ ॥ मनुष्य
को चाहिए कि वह सदा श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुसरण करे ॥ ३१० ॥
मर्यादा का कभी भी उल्लंघन न करना चाहिए ॥ ३११ ॥ पुरुषरत्न का
कोई मूल्य ही नहीं है ॥ ३१२ ॥ स्त्रीरत्न से बढ़कर दूसरा रत्न नहीं
है ॥ ३१३ ॥ रत्न का मिलना बड़ा कठिन होता है ॥ ३१४ ॥

समस्त भयों में अपयश का भय बड़ा है ॥ ३१५ ॥ आलसी पुरुष को कभी
शास्त्र की प्राप्ति नहीं होती ॥ ३१६ ॥ स्त्री में आसक्त पुरुष को न तो स्वर्ग
मिलता है और न उसके द्वारा कोई धर्मकार्य हो पाता है ॥ ३१७ ॥

स्त्रियों भी स्त्रैण पुरुष का अपमान कर देती हैं ॥ ३१८ ॥ फूलों का
इच्छुक व्यक्ति सूखे पेड़ को नहीं सींचता ॥ ३१९ ॥ धन के बिना किसी कार्य
का उद्योग करना बालू में तेल निकालने के समान है ॥ ३२० ॥ महापुरुषों
का उपहास नहीं करना चाहिए ॥ ३२१ ॥ किसी कार्य के लक्षण ही उसकी
सिद्धि या असिद्धि की सूचना दे देते हैं ॥ ३२२ ॥ इसी प्रकार नक्षत्रों से
भी भावी सिद्धि या असिद्धि की सूचना मिल जाती है ॥ ३२३ ॥ अपने कार्य
की सिद्धि शीघ्र चाहने वाला व्यक्ति नक्षत्रगणना पर अपने भाग्य की परीक्षा
नहीं करता है ॥ ३२४ ॥

परिचये दोषा न छाद्यन्ते ॥ ३२५ ॥ स्वयमशुद्धः पराना-
शंकते ॥ ३२६ ॥ स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ ३२७ ॥

अपराधानुरूपो दण्डः ॥ ३२८ ॥ कथानुरूपं प्रतिवचनम्
॥ ३२९ ॥ विभवानुरूपमाभरणम् ॥ ३३० ॥ कुलानुरूपं वृत्तम्
॥ ३३१ ॥ कार्यानुरूपः प्रयत्नः ॥ ३३२ ॥ पात्रानुरूपं दानम्
॥ ३३३ ॥ वयोऽनुरूपो वेषः ॥ ३३४ ॥ स्वाम्यनुकूलो
भृत्यः ॥ ३३५ ॥

भर्तृवशवर्तिनी भार्या ॥ ३३६ ॥ गुरुवशानुवर्ती शिष्यः
॥ ३३७ ॥ पितृवशानुवर्ती पुत्रः ॥ ३३८ ॥ अत्युपचारः शंकि-
तव्यः ॥ ३३९ ॥ स्वामिनमेवानुवर्तेत ॥ ३४० ॥

मातृताडितो वत्सो मातरमेवानुरोदिति ॥ ३४१ ॥

परिचय हो जाने पर दोष छिपे नहीं रह सकते ॥ ३२५ ॥ अशुद्ध विचारों
का व्यक्ति दूसरों पर भी सन्देह करता है ॥ ३२६ ॥ स्वभाव को बदलना
बड़ा कठिन है ॥ ३२७ ॥

अपराध के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए ॥ ३२८ ॥ प्रश्न के अनुसार
ही उत्तर देना चाहिए ॥ ३२९ ॥ संपत्ति के अनुसार ही आभूषण धारण करने
चाहिए ॥ ३३० ॥ अपने कुल की भर्यादा के अनुसार ही कार्य करना
चाहिए ॥ ३३१ ॥ कार्य के अनुसार ही प्रयत्न करना चाहिए ॥ ३३२ ॥
पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिए ॥ ३३३ ॥ अवस्था के अनुसार ही
वेष धारण करना चाहिए ॥ ३३४ ॥ स्वामी के अनुसार ही सेवक को कार्य
करना चाहिए ॥ ३३५ ॥

पति के वश में रहने वाली पत्नी ही भार्या (भरण-पोषण की अधिका-
रिणी) होती है ॥ ३३६ ॥ शिष्य को सदा गुरु के अधीन रहना
चाहिए ॥ ३३७ ॥ पुत्र को सदा पिता के अधीन रहना चाहिए ॥ ३३८ ॥
अत्यधिक आदर शंका का कारण होता है ॥ ३३९ ॥ सेवक को सदा स्वामी की
आज्ञा का अनुगमन करना चाहिए ॥ ३४० ॥

माता के द्वारा ताडित बच्चा, माता के ही आगे रोता है ॥ ३४१ ॥

स्नेहवतः स्वल्पो हि रोषः ॥३४२॥ आत्मच्छिद्रं न पश्यति
परच्छिद्रमेव पश्यति बालिशः ॥ ३४३ ॥

सोपचारः कैतवः ॥ ३४४ ॥ काम्यैर्विशेषैरुपचरणमुपचारः
॥ ३४५ ॥ चिरपरिचितानामत्युपचारः शंकितव्यः ॥ ३४६ ॥
गौर्दुष्करा श्वसहस्रादेकाकिनी श्रेयसी ॥ ३४७ ॥ श्वो मयूरादद्य
कपोतो वरः ॥ ३४८ ॥

अतिसंगो दोषमुत्पादयति ॥ ३४९ ॥ सर्वं जयत्यक्रोधः
॥३५०॥ यद्यपकारिणि कोपः कोपे कोप एव कर्तव्यः ॥३५१॥
मतिमत्सु मूर्खमित्रगुरुवल्लभेषु विवादो न कर्तव्यः ॥ ३५२ ॥

नास्त्यपिशाचमैश्वर्यम् ॥ ३५३ ॥ नास्ति धनवतां शुभ-
कर्मसु श्रमः ॥ ३५४ ॥ नास्ति गतिश्रमो यानवताम् ॥३५५॥
अलौहमयं निगडं कलत्रम् ॥ ३५६ ॥ यो यस्मिन् कुशलः स

स्नेही व्यक्ति का कोप क्षणिक होता है ॥ ३४२ ॥ मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को
नहीं, दूसरों के ही दोषों को देखता है ॥ ३४३ ॥

उपचार के साथ छल होता है ॥ ३४४ ॥ किसी विशेष अभिलाषा की
पूर्ति के लिए की जानेवाली सेवा को 'उपचार' कहते हैं ॥ ३४५ ॥ सुपरिचित
व्यक्ति का अतिशय आदर-दर्शन संशयकारी होता है ॥ ३४६ ॥ एक साधारण
गाय भी सौ कुत्तों से बढ़कर होती है ॥ ३४७ ॥ कल मिलने वाले मोर की
अपेक्षा आज मिलने वाला कबूतर ही अच्छा है ॥ ३४८ ॥

अत्यधिक साथ से बुराई पैदा हो जाती है ॥ ३४९ ॥ क्रोध न करने वाले
व्यक्ति की सर्वत्र विजय होती है ॥ ३५० ॥ यदि अपकारी व्यक्ति पर क्रोध
करना हो तो पहले क्रोध पर ही क्रोध करना चाहिए ॥ ३५१ ॥ बुद्धि-
मान् मनुष्य, मूर्ख, मित्र, गुरु और प्रियजनों के साथ व्यर्थ का विवाद
न करें ॥ ३५२ ॥

ऐश्वर्य में पैशाचिकता होती है ॥ ३५३ ॥ धनिकों को शुभकार्य करने
में श्रम नहीं करना पड़ता ॥ ३५४ ॥ सवारी पर चलने वाले को थकावट का
अनुभव नहीं होता ॥ ३५५ ॥ स्त्री विना लोहे की बेडी है ॥ ३५६ ॥

जो मनुष्य जिस कार्य में निपुण हो, उसको उसी काम में नियुक्त

तस्मिन् योक्तव्यः ॥ ३५७ ॥ दुष्कलत्रं मनस्विनां शरीरकृश-
नम् ॥ ३५८ ॥ अप्रमत्तो दारान्निरीक्षेत ॥ ३५९ ॥ स्त्रीषु
किञ्चिदपि न विश्वसेत् ॥ ३६० ॥ न समाधिः स्त्रीषु लोकज्ञ-
ता च ॥ ३६१ ॥ गुरूणां माता गरीयसी ॥ ३६२ ॥ सर्वाव-
स्थासु माता भर्तव्या ॥ ३६३ ॥

वैदुष्यमलंकारेणाच्छाद्यते ॥ ३६४ ॥ स्त्रीणां भूषणं लज्जा
॥ ३६५ ॥ विप्राणां भूषणं वेदः ॥ ३६६ ॥ सर्वेषां भूषणं
धर्मः ॥ ३६७ ॥ भूषणानां भूषणं सविनया विद्या ॥ ३६८ ॥

अनुपद्रवं देशमावसेत् ॥ ३६९ ॥ साधुजनबहुलो देशः ॥ ३७० ॥
राज्ञो भेतव्यं सार्वकालम् ॥ ३७१ ॥ न राज्ञः परं दैवतम्
॥ ३७२ ॥ सूदूरमपि दहति राजवह्निः ॥ ३७३ ॥ रिक्तहस्तो

करना चाहिए ॥ ३५७ ॥ दुष्ट स्त्री मनस्वी पुरुष के शरीर को कृश बना देती
है ॥ ३५८ ॥ अप्रमत्त होकर सदा स्त्री का निरीक्षण करना चाहिए ॥ ३५९ ॥
स्त्रियों पर जरा भी विश्वास न करना चाहिए ॥ ३६० ॥ स्त्रियों में न विवेक
होता है और न लोकव्यवहार का ज्ञान ॥ ३६१ ॥ गुरुजनों में माता का स्थान
सर्वोच्च होता है ॥ ३६२ ॥ अतएव प्रत्येक अवस्था में माता का भरण-पोषण
करना चाहिए ॥ ३६३ ॥

अलंकार (वनावटीपन), पाण्डित्य को ढांप देता है ॥ ३६४ ॥ स्त्री का
आभूषण लज्जा है ॥ ३६५ ॥ ब्राह्मणों का आभूषण वेद (ज्ञान) है ॥ ३६६ ॥
सब लोगों का आभूषण धर्म है ॥ ३६७ ॥ समस्त आभूषणों का आभूषण
विनयसंपन्न विद्या है ॥ ३६८ ॥

जिस देश में उपद्रव न हो, वहाँ बसना चाहिए ॥ ३६९ ॥ जिस
देश में सज्जन पुरुषों का निवास हो वहीं बसना चाहिए ॥ ३७० ॥

राजा से सदा डरना चाहिए ॥ ३७१ ॥ राजा से बड़ा कोई देवता नहीं
है ॥ ३७२ ॥ राजवह्नि दूर से ही भस्म कर डालती है ॥ ३७३ ॥

चाणक्य प्रणीत सूत्र

न राजानमभिगच्छेत् ॥ ३७४ ॥ गुरुं च दैवं च ॥ ३७५ ॥
कुटुम्बिनो भेतव्यम् ॥ ३७६ ॥ गन्तव्यं च सदा राजकुलम्
॥ ३७७ ॥ राजपुरुषैः सम्बन्धं कुर्यात् ॥ ३७८ ॥ राजदासी
न सेवितव्या ॥ ३७९ ॥ न चक्षुषाऽपि राजानं निरीक्षेत् ॥ ३८० ॥

पुत्रे गुणवति कुटुम्बिनः स्वर्गः ॥ ३८१ ॥ पुत्रा विद्यानां
पारं गमयितव्याः ॥ ३८२ ॥ जनपदार्थं ग्रामं त्यजेत् ॥ ३८३ ॥
ग्रामार्थं कुटुम्बस्त्यज्यते ॥ ३८४ ॥ अतिलाभः पुत्रलाभः
॥ ३८५ ॥ दुर्गतेः पितरौ रक्षति स पुत्रः ॥ ३८६ ॥ कुलं
प्रख्यापयति पुत्रः ॥ ३८७ ॥ नानपत्यस्य स्वर्गः ॥ ३८८ ॥

या प्रसूते सा भार्या ॥ ३८९ ॥ तीर्थसमवाये पुत्रवतीम-
नुगच्छेत् ॥ ३९० ॥ सतीर्थागमनाद् ब्रह्मचर्यं नश्यति ॥ ३९१ ॥

राजा, देवता और गुरु के पास खाली हाथ न जाना चाहिए ॥ ३७४-३७५ ॥
कुटुम्ब के व्यक्ति से सदा डरना चाहिए ॥ ३७६ ॥ राजदरवार में हमेशा
जाना चाहिए ॥ ३७७ ॥ राजपुरुषों से सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए ॥ ३७८ ॥
राजदासी से किसी तरह का सम्बन्ध न रखना चाहिए ॥ ३७९ ॥ राजा की ओर
आँख उठाकर न देखना चाहिए ॥ ३८० ॥

गुणवान् पुत्र से परिवार स्वर्ग बन जाता है ॥ ३८१ ॥ पुत्र को सब
विद्याओं में पारंगत बनाना चाहिए ॥ ३८२ ॥ जनपद के हित के आगे ग्राम-
हित को त्याग देना चाहिए ॥ ३८३ ॥ ग्रामहित के लिए परिवार-हित की
उपेक्षा कर देनी चाहिए ॥ ३८४ ॥ पुत्रलाभ सर्वोच्च लाभ है ॥ ३८५ ॥
दुर्गति से माता-पिता की रक्षा करने वाला पुत्र ही होता है ॥ ३८६ ॥ सुपुत्र
से ही कुल की ख्याति होती है ॥ ३८७ ॥ पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग नहीं
मिलता ॥ ३८८ ॥

संतान को जन्म देने वाली स्त्री ही भार्या है ॥ ३८९ ॥ अनेक स्त्रियों के
एक साथ ऋतुमती होने पर उस स्त्री के पास जाना चाहिए, जो पहले पुत्र-
वती हो ॥ ३९० ॥ रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करने से ब्रह्मचर्य नष्ट
होता है ॥ ३९१ ॥

न परक्षेत्रे बीजं विनिक्षिपेत् ॥ ३९२ ॥ पुत्रार्था हि स्त्रियः
॥ ३९३ ॥ स्वदासीपरिग्रहो हि दासभावः ॥ ३९४ ॥

उपस्थितविनाशः पथ्यवाक्यं न शृणोति ॥ ३९५ ॥ नास्ति
देहिनां सुखदुःखाभावः ॥ ३९६ ॥ मातरमिव वत्साः सुखदुः-
खानि कर्तारमेवानुगच्छन्ति ॥ ३९७ ॥

तिलमात्रमप्युपकारं शैलवन्मन्यते साधुः ॥ ३९८ ॥ उप-
कारोऽनार्येष्वकर्तव्यः ॥ ३९९ ॥ प्रत्युपकारभयादनार्यः शत्रुर्भ-
वति ॥ ४०० ॥ स्वल्पमप्युपकारकृते प्रत्युपकारं कर्तुमार्यो न
स्वपिति ॥ ४०१ ॥ न कदाऽपि देवताऽवमन्तव्या ॥ ४०२ ॥

न चक्षुषः समं ज्योतिरस्ति ॥ ४०३ ॥ चक्षुर्हि शरीरिणां
नेता ॥ ४०४ ॥ अपचक्षुषः किं शरीरेण ॥ ४०५ ॥

नाप्सु मूत्रं कुर्यात् ॥ ४०६ ॥ न नग्नो जलं प्रविशेत्

परस्त्री के गर्भ में वीर्य का निक्षेप नहीं करना चाहिए ॥ ३९२ ॥
पुत्र-प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों का वरण किया जाता है ॥ ३९३ ॥ अपनी
दासी के साथ परिग्रह करना अपने को दास बना लेना है ॥ ३९४ ॥

जिसका विनाश निकट होता है, वह हित की बात को नहीं सुनता
॥ ३९५ ॥ प्रत्येक देहधारी व्यक्ति के लिए सुख और दुःख लगे रहते
हैं ॥ ३९६ ॥ जैसे बड़ड़ा माता के पास जा पहुंचता है वैसे ही सुख और
दुःख अपने कर्ता के पास जा पहुंचते हैं ॥ ३९७ ॥

सज्जन पुरुष तिलतुल्य उपकार को पहाड़ जैसा मानता है ॥ ३९८ ॥
दुष्ट पुरुष का उपकार न करना चाहिए ॥ ३९९ ॥ क्योंकि प्रत्युपकारभय से
दुष्ट पुरुष शत्रु बन जाता है ॥ ४०० ॥ सज्जन पुरुष थोड़े भी उपकार का
महान् प्रत्युपकार करने के लिए उद्यत रहता है ॥ ४०१ ॥ देवता का कभी
भी अपमान न करना चाहिए ॥ ४०२ ॥

आँख के समान दूसरी ज्योति नहीं है ॥ ४०३ ॥ नेत्र, देहधारियों का
नेता है ॥ ४०४ ॥ नेत्रहीन व्यक्ति का शरीर धारण करना व्यर्थ है ॥ ४०५ ॥
जल में मूत्रत्याग नहीं करना चाहिए ॥ ४०६ ॥ नग्न होकर पानी में

चाणक्य प्रणीत सूत्र

॥ ४०७ ॥ यथा शरीरं तथा ज्ञानम् ॥ ४०८ ॥ यथा बुद्धि-
स्तथा विभवः ॥ ४०९ ॥ अग्नावग्निं न निक्षिपेत् ॥ ४१० ॥
तपस्विनः पूजनीयाः ॥ ४११ ॥ परदारान्न गच्छेत् ॥ ४१२ ॥
अन्नदानं भ्रूणहत्यामपि मार्ष्टि ॥ ४१३ ॥ न वेदबाह्यो धर्मः
॥ ४१४ ॥ कदाचिदपि धर्मं निषेवेत् ॥ ४१५ ॥

स्वर्गं नयति सन्नृतम् ॥ ४१६ ॥ नास्ति सत्यात् परं तपः
॥ ४१७ ॥ सत्यं स्वर्गस्य साधनम् ॥ ४१८ ॥ सत्येन धार्यते
लोकः ॥ ४१९ ॥ सत्याद् देवो वर्षति ॥ ४२० ॥

नानृतात् पातकं परम् ॥ ४२१ ॥ न मीमांस्या गुरवः
॥ ४२२ ॥ खलत्वं नोपेयात् ॥ ४२३ ॥ नास्ति खलस्य
मित्रम् ॥ ४२४ ॥ लोकयात्रा दरिद्रं बाधते ॥ ४२५ ॥

न उतरना चाहिए ॥ ४०७ ॥ जैसा शरीर होता है, उसमें वैसा ही ज्ञान
रहता है ॥ ४०८ ॥ जैसी बुद्धि होती है, वैसा ही वैभव प्राप्त होता है ॥ ४०९ ॥
आग में आग न डालनी चाहिए (तेजस्वी पर क्रोध न करना चाहिए)
॥ ४१० ॥ तपस्वियों की सदा पूजा करनी चाहिए ॥ ४११ ॥ पराई स्त्री के
साथ समागम न करना चाहिए ॥ ४१२ ॥ अन्नदान से भ्रूण (गर्भस्थ शिशु)
हत्या का भी पाप मिट जाता है ॥ ४१३ ॥ वेद-स्वीकृत, धर्म ही वास्तविक धर्म
है ॥ ४१४ ॥ जिस तरह भी हो, धर्म का आचरण करना चाहिए ॥ ४१५ ॥

मीठी और सच्ची वाणी मनुष्य को स्वर्ग ले जाती है ॥ ४१६ ॥ सत्य से
बढ़कर कोई तप नहीं है ॥ ४१७ ॥ सत्य ही स्वर्ग का साधन है ॥ ४१८ ॥
सत्य पर ही संसार टिका है ॥ ४१९ ॥ सत्य से ही इन्द्र जल बरसाता
है ॥ ४२० ॥

झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है ॥ ४२१ ॥ गुरुजनों की आलोचना
नहीं करनी चाहिए ॥ ४२२ ॥ दुष्टता को अंगीकार न करना चाहिए ॥ ४२३ ॥
दुष्ट मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता ॥ ४२४ ॥ दरिद्र मनुष्य को जीवन-
निर्वाह करना कठिन होता है ॥ ४२५ ॥

अतिशूरो दानशूरः ॥ ४२६ ॥ गुरुदेवब्राह्मणेषु भक्तिभूषणम् ॥ ४२७ ॥ सर्वस्य भूषणं विनयः ॥ ४२८ ॥ अकुलीनोऽपि विनीतः कुलीनाद् विशिष्टः ॥ ४२९ ॥

आचारादायुर्वर्धते कीर्तिश्च ॥ ४३० ॥ प्रियमप्यहितं न वक्तव्यम् ॥ ४३१ ॥ बहुजनविरुद्धमेकं नानुवर्तेत ॥ ४३२ ॥ न दुर्जनेषु भागधेयः कर्तव्यः ॥ ४३३ ॥ न कृतार्थेषु नीचेषु सम्बन्धः ॥ ४३४ ॥ ऋणशत्रुव्याधिष्वशेषः कर्तव्यः ॥ ४३५ ॥ भूत्यानुवर्तनं पुरुषस्य रसायनम् ॥ ४३६ ॥

नार्थिष्ववज्ञा कार्या ॥ ४३७ ॥ दुष्करं कर्म कारयित्वा कर्तारमवमन्यते नीचः ॥ ४३८ ॥ नाकृतज्ञस्य नरकाभिवर्तनम् ॥ ४३९ ॥

जिह्वायत्तौ वृद्धिविनाशौ ॥ ४४० ॥ विषामृतयोराकरी

दानवीर ही सबसे बड़ा वीर है ॥ ४२६ ॥ गुरु, देवता [और ब्राह्मणों में भक्ति रखना मानवता का आभूषण है ॥ ४२७ ॥ विनय सबका आभूषण है ॥ ४२८ ॥ जो कुलीन न होता हुआ भी विनीत हो वह अविनीत कुलीन की अपेक्षा बड़ा है ॥ ४२९ ॥

सदाचार से आयु और यश दोनों की वृद्धि होती है ॥ ४३० ॥ प्रिय होने पर भी अहितकर वाणी को न बोलना चाहिए ॥ ४३१ ॥ अनेक लोगों के विरोधी एक व्यक्ति का अनुगमन नहीं करना चाहिए ॥ ४३२ ॥ दुर्जन व्यक्तियों के साथ अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए ॥ ४३३ ॥ कृतार्थ (सफल) नीच पुरुष से संबंध न करना चाहिए ॥ ४३४ ॥ ऋण, शत्रु और रोग को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिए ॥ ४३५ ॥ कल्याण मार्ग पर चलना ही मनुष्य के लिए उत्तम रसायन है ॥ ४३६ ॥

याचक से घृणा न करनी चाहिए ॥ ४३७ ॥ नीच मनुष्य दुष्कर्म कराके, कर्ता को अपमानित करता है ॥ ४३८ ॥ कृतज्ञ मनुष्य के लिए नरक के अतिरिक्त कोई गति नहीं है ॥ ४३९ ॥

अपनी उन्नति और अवनति अपनी वाणी के अधीन है ॥ ४४० ॥ वाणी

भाष्य प्रणीत सूत्र

जिह्वा ॥ ४४१ ॥ प्रियवादिनो न शत्रुः ॥ ४४२ ॥ स्तुता अपि
देवतास्तुष्यन्ति ॥ ४४३ ॥ अनृतमपि दुर्वचनं चिरं तिष्ठति
॥ ४४४ ॥ राजद्विष्टं न च वक्तव्यम् ॥ ४४५ ॥ श्रुतिसुखात्-
कोकिलालापात् तुष्यन्ति ॥ ४४६ ॥

स्वधर्महेतुः सत्पुरुषः ॥ ४४७ ॥ नास्त्यर्थिनो गौरवम्
॥ ४४८ ॥ स्त्रीणां भूषणं सौभाग्यम् ॥ ४४९ ॥ शत्रोरपि न
पातनीया वृत्तिः ॥ ४५० ॥ अप्रयत्नोदकं क्षेत्रम् ॥ ४५१ ॥
एरण्डमवलम्ब्य कुञ्जरं न कोपयेत् ॥ ४५२ ॥ अतिप्रवृद्धा
शाल्मली वारणस्तम्भो न भवति ॥ ४५३ ॥ अतिदीर्घोऽपि
कर्णिकारो न मुसली ॥ ४५४ ॥ अतिदीर्घोऽपि खद्योतो न
पावकः ॥ ४५५ ॥ न प्रवृद्धत्वं गुणहेतुः ॥ ४५६ ॥

ही विषय तथा अमृत की खान है ॥ ४४१ ॥ प्रिय वचन बोलने वाले का
कोई शत्रु नहीं है ॥ ४४२ ॥ स्तुति से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ४४३ ॥
असत्य दुर्वचन चिरकाल तक स्मरण होता रहता है ॥ ४४४ ॥ राजा से द्वेष
करने वाली बात न बोलनी चाहिए ॥ ४४५ ॥ काली कोयल के भी, कानों
को सुख देने वाले वचन सबको भाते हैं (कोयल के समान, कानों को सुख
देने वाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए) ॥ ४४६ ॥

स्वधर्म पर अवस्थित रहने के कारण पुरुष भी सत्यपुरुष हो जाता
है ॥ ४४७ ॥ याचक का कोई गौरव नहीं होता ॥ ४४८ ॥ सुहाग स्त्री का आभू-
षण है ॥ ४४९ ॥ शत्रु की भी जीविका को नष्ट न करना चाहिए ॥ ४५० ॥
जहां बिना प्रयत्न के जल सुलभ हो वही अपना खेत है ॥ ४५१ ॥ एरण्ड
वृक्ष के सहारे पर हाथी को कुपित करना उचित नहीं है ॥ ४५२ ॥ बहुत
बड़ा होने पर भी सेमल के वृक्ष से हाथी को नहीं बाँधा जा सकता ॥ ४५३ ॥
बहुत बड़ा हुआ भी कनेर का वृक्ष मूसल बनाने के काम में नहीं
आता ॥ ४५४ ॥ जुगुनू कितना भी अधिक चमकीला क्यों न हो, आग
का काम नहीं दे सकता ॥ ४५५ ॥ बहुत बड़ा समृद्धिशाली हो जाने पर भी कोई
गुणवान् नहीं हो पाता ॥ ४५६ ॥

सुजीर्णोऽपि पिचुमन्दो न शङ्कुलायते ॥ ४५७ ॥
 यथा बीजं तथा निष्पत्तिः ॥ ४५८ ॥ यथा श्रुतं तथा बुद्धिः
 ॥ ४५९ ॥ यथा कुलं तथाऽऽचारः ॥ ४६० ॥ संस्कृतः पिचुमन्दः
 सहकारो न भवति ॥ ४६१ ॥ न चागतं सुखं त्यजेत् ॥ ४६२ ॥
 स्वयमेव दुःखमधिगच्छति ॥ ४६३ ॥

रात्रिचारणं न कुर्यात् ॥ ४६४ ॥ न चार्थरात्रं स्वपेत्
 ॥ ४६५ ॥ तद् विद्वद्भिः परीक्षेत ॥ ४६६ ॥ परमृहमकारणतो
 न प्रविशेत् ॥ ४६७ ॥ ज्ञात्वाऽपि दोषमेव करोति लोकः ॥ ४६८ ॥
 शास्त्रप्रधाना लोकवृत्तिः ॥ ४६९ ॥ शास्त्राभावे शिष्टाचार-
 मनुगच्छेत् ॥ ४७० ॥ नाचरिताच्छास्त्रं गरीयः ॥ ४७१ ॥

दूरस्थमपि चारचक्षुः पश्यति राजा ॥ ४७२ ॥ गतानु-
 गतिको लोकः ॥ ४७३ ॥

बहुत पुराना होने पर भी नीम के वृक्ष का सरोता नहीं बन सकता ॥ ४५७ ॥
 जैसा बीज होता है वैसा ही उससे फल उत्पन्न होता है ॥ ४५८ ॥
 योग्यता के ही अनुरूप बुद्धि होती है ॥ ४५९ ॥ जैसा कुल होता है वैसा ही
 आचार होता है ॥ ४६० ॥ कितना ही संस्कार क्यों न किया जाय, नीम,
 आम नहीं बन सकता ॥ ४६१ ॥ जो सुख प्राप्त हो उसको न छोड़ना
 चाहिए ॥ ४६२ ॥ कर्मानुसार ही मनुष्य को दुःख मिलता है ॥ ४६३ ॥

रात के समय व्यर्थ न घूमना चाहिए ॥ ४६४ ॥ आधी रात को शयन
 न करना चाहिए ॥ ४६५ ॥ विद्वानों के सामने ब्रह्म की चर्चा करनी चाहिए
 ॥ ४६६ ॥ अकारण दूसरे के घर में न जाना चाहिए ॥ ४६७ ॥ जान-
 वृझकर भी लोग अपराध ही करते हैं ॥ ४६८ ॥

लोकव्यवहार शास्त्रानुकूल होना चाहिए ॥ ४६९ ॥ शास्त्रज्ञान न होने
 पर श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुगमन करना चाहिए ॥ ४७० ॥ सदाचार
 से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है ॥ ४७१ ॥

गुप्तचरों के द्वारा राजा दूर की वस्तु को देख लेता है ॥ ४७२ ॥ लोक,
 परम्परा का अनुगमन करता है ॥ ४७३ ॥

भाष्य प्रणीत सूत्र

यमनुजीवेत् तं नापवदेत् ॥ ४७४ ॥ तपःसार इन्द्रिय-
निग्रहः ॥ ४७५ ॥

दुर्लभः स्त्रीबन्धनान्मोक्षः ॥ ४७६ ॥ स्त्री नाम सर्वाशुभानां
क्षेत्रम् ॥ ४७७ ॥

न चस्त्रीणां पुरुषपरीक्षा ॥ ४७८ ॥ स्त्रीणां मनः क्षणिकम्
॥ ४७९ ॥ अशुभद्वेषिणः स्त्रीषु न प्रसक्ताः ॥ ४८० ॥

यज्ञफलज्ञास्त्रिवेदविदः ॥ ४८१ ॥ स्वर्गस्थानं न शाश्वतं
यावत् पुण्यफलम् ॥ ४८२ ॥ न च स्वर्गपतनात् परं दुःखम्
॥ ४८३ ॥ देही देहं त्यक्त्वा ऐन्द्रं पदं न वाञ्छति ॥ ४८४ ॥
दुःखानामौषधं निर्वाणम् ॥ ४८५ ॥

अनार्यसम्बन्धाद्वरमार्यशत्रुता ॥ ४८६ ॥ निहन्ति दुर्वचनं
कुलम् ॥ ४८७ ॥ न पुत्रसंस्पर्शात् परं सुखम् ॥ ४८८ ॥

जिसके द्वारा जीविकोपार्जन होता है उसकी निन्दा न करनी चाहिए
॥ ४७४ ॥ इन्द्रियनिग्रह तप का सार है ॥ ४७५ ॥

स्त्री के बंधन से छटना बड़ा दुष्कर है ॥ ४७६ ॥ स्त्री समस्त अशुभों
की जन्मदात्री है ॥ ४७७ ॥

स्त्री, पुरुष की परीक्षा नहीं कर सकती ॥ ४७८ ॥ स्त्री का मन क्षण-
क्षण बदलता रहता है ॥ ४७९ ॥ अशुभ कर्मों को न चाहने वाले लोग
स्त्रियों में आसक्त नहीं होते ॥ ४८० ॥

वेदत्रयी (ऋक्, यजु, साम) को जानने वाला ही यज्ञ के फल को जानता
है ॥ ४८१ ॥ स्वर्गप्राप्ति स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसकी अवधि तब तक
होती है, जब तक पुण्य का फल शेष रहता है ॥ ४८२ ॥ स्वर्गपतन से
बढ़कर दुःख नहीं है ॥ ४८३ ॥ शरीर-त्याग करके जीव इन्द्रासन को
नहीं चाहता ॥ ४८४ ॥ समस्त दुःखों की औषधि मोक्ष है ॥ ४८५ ॥

अनार्य व्यक्ति की मित्रता से आर्यव्यक्ति की शत्रुता अच्छी है ॥ ४८६ ॥
दुर्वाणी सारे कुल को नष्ट कर देती है ॥ ४८७ ॥ पुत्र के आर्लिगन से बढ़कर
कोई सुख नहीं है ॥ ४८८ ॥

विवादे धर्ममनुस्मरेत् ॥ ४८९ ॥ निशान्ते कार्यं चिन्तयेत्
 ॥ ४९० ॥ प्रदोषे न संयोगः कर्तव्यः ॥ ४९१ ॥ उपस्थित-
 विनाशो दुर्नयं मन्यते ॥ ४९२ ॥ क्षीरार्थिनः किं करिण्या
 ॥ ४९३ ॥ न दानसमं वश्यम् ॥ ४९४ ॥ परायत्तेषूत्कण्ठां
 न कुर्यात् ॥ ४९५ ॥ असत्समृद्धिरसद्भिरेव भुज्यते ॥ ४९६ ॥
 निम्बफलं काकैरेव भुज्यते ॥ ४९७ ॥ नाम्भोधिस्तृष्णामपोहति
 ॥ ४९८ ॥

बालुका अपि स्वगुणमाश्रयन्ते ॥ ४९९ ॥ सन्तोऽसत्सु
 न रमन्ते ॥ ५०० ॥ हंसः प्रेतवने न रमते ॥ ५०१ ॥

अर्थार्थं प्रवर्तते लोकः ॥ ५०२ ॥ आशया बध्यते लोकः
 ॥ ५०३ ॥ न चाशापरैः श्रीः सह तिष्ठति ॥ ५०४ ॥
 आशापरे न धैर्यम् ॥ ५०५ ॥

विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए ॥ ४८९ ॥ नित्य
 प्रातःकाल अपने (दिन के) कार्यों पर विचार करना चाहिए ॥ ४९० ॥
 संध्याकाल में संभोग वर्जित है ॥ ४९१ ॥ जिसका विनाशकाल निकट होता है
 वह अन्याय पर उतर आता है ॥ ४९२ ॥ दूध चाहने वाले को हथिनी
 की आवश्यकता नहीं होती ॥ ४९३ ॥ दान के समान कोई वशीकरण
 नहीं ॥ ४९४ ॥ परायी वस्तु की इच्छा न करनी चाहिए ॥ ४९५ ॥ दुर्जनों
 की समृद्धि को दुर्जन ही भोगते हैं ॥ ४९६ ॥ नीम के फल को कौवे ही
 खाते हैं ॥ ४९७ ॥ समुद्र प्यास नहीं बुझाता ॥ ४९८ ॥

बालू भी अपने गुण का अनुसरण करती है ॥ ४९९ ॥ भले लोग बुरे
 लोगों से आनन्दित नहीं होते ॥ ५०० ॥ हंस श्मशान में रहना पसन्द
 नहीं करते ॥ ५०१ ॥

सारा संसार धन के पीछे दौड़ता है ॥ ५०२ ॥ सभी सांसारिक प्राणी
 आशा के बन्धन से बँधे हैं ॥ ५०३ ॥ आशा में निमग्न पुरुष को लक्ष्मी
 नहीं मिलती ॥ ५०४ ॥ आशावान् मनुष्य धैर्यशाली नहीं होता ॥ ५०५ ॥

दैन्यान्मरणमुत्तमम् ॥ ५०६ ॥ आशा लज्जां व्यपोहति
॥ ५०७ ॥

न मात्रा सह वासः कर्तव्यः ॥ ५०८ ॥ आत्मा न
स्तोतव्यः ॥ ५०९ ॥ न दिवा स्वप्नं कुर्यात् ॥ ५१० ॥ न
चासन्नमपि पश्यत्यैश्वर्यान्धो न शृणोतीष्टं वाक्यम् ॥ ५११ ॥

स्त्रीणां न भर्तुः परं दैवतम् ॥ ५१२ ॥ तदनुवर्तनमुभय-
सुखम् ॥ ५१३ ॥ अतिथिमभ्यागतं पूजयेद् यथाविधि
॥ ५१४ ॥ नास्ति हव्यस्य व्याघातः ॥ ५१५ ॥ शत्रुर्मित्रवत्
प्रतिभाति ॥ ५१६ ॥ मृगतृष्णा जलवद् भाति ॥ ५१७ ॥
दुर्मेधसामसच्छास्त्रं मोहयति ॥ ५१८ ॥ सत्संगः स्वर्गवासः
॥ ५१९ ॥ आर्यः स्वमिव परं मन्यते ॥ ५२० ॥ रूपानुवर्ती
गुणः ॥ ५२१ ॥ यत्र सुखेन वर्तते तदेव स्थानम् ॥ ५२२ ॥

दरिद्र होकर जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है ॥ ५०६ ॥
आशा, लज्जा को मिटा देती है ॥ ५०७ ॥

एकान्त में माता के भी साथ न रहे ॥ ५०८ ॥ अपने मुख से अपनी
प्रशंसा न करनी चाहिए ॥ ५०९ ॥ दिन में सोना न चाहिए ॥ ५१० ॥
ऐश्वर्य में अन्धा मनुष्य न तो अपने समीप की वस्तु को देखता है और न
हितकारी बात को सुनता है ॥ ५११ ॥

स्त्री के लिए पति बढ़कर कोई देवता नहीं है ॥ ५१२ ॥ पति के इच्छा-
नुसार चलनेवाली स्त्री को इहलोक और परलोक, दोनों का सुख प्राप्त होता
है ॥ ५१३ ॥ अपने यहाँ आये हुए अतिथि का विधिवत् सत्कार करना
चाहिए ॥ ५१४ ॥ देवताओं के निमित्त से दिया हुआ द्रव्य कभी भी नष्ट
नहीं होता ॥ ५१५ ॥ शत्रु भी कभी मित्र के समान दिखायी देता
है ॥ ५१६ ॥ तृष्णा के कारण मृग चमकती हुई बालू को जल समझ बैठता
है ॥ ५१७ ॥ दुर्बुद्धि मनुष्य को असत् शास्त्र मोह लेते हैं ॥ ५१८ ॥ सत्संग
ही स्वर्गवास है ॥ ५१९ ॥ श्रेष्ठ व्यक्ति सबको अपने ही समान समझता
है ॥ ५२० ॥ रूप के अनुसार ही मनुष्य में गुण होता है ॥ ५२१ ॥ जहाँ
सुख से रहा जा सके, वही उत्तम स्थान है ॥ ५२२ ॥

विश्वासघातिनो न निष्कृतिः ॥ ५२३ ॥ दैवायत्तं न
शोचेत् ॥ ५२४ ॥ आश्रितदुःखमात्मन इव मन्यते साधुः
॥ ५२५ ॥ हृदयमाच्छाद्यान्यद् वदत्यनार्यः ॥ ५२६ ॥ बुद्धि-
हीनः पिशाचतुल्यः ॥ ५२७ ॥ असहायः पथि न गच्छेत्
॥ ५२८ ॥ पुत्रो न स्तोतव्यः ॥ ५२९ ॥

स्वामी स्तोतव्योऽनुजीविभिः ॥ ५३० ॥ धर्मकृत्येष्वपि
स्वामिन एव घोषयेत् ॥ ५३१ ॥ राजाज्ञां नातिलङ्घयेत्
॥ ५३२ ॥ यथा ज्ञप्तं तथा कुर्यात् ॥ ५३३ ॥

नास्ति बुद्धिमतां शत्रुः ॥ ५३४ ॥ आत्मच्छिद्रं न प्रकाश-
येत् ॥ ५३५ ॥ क्षमावानेव सर्वं साधयति ॥ ५३६ ॥ आपदर्थं
धनं रक्षेत् ॥ ५३७ ॥ साहसवतां प्रियं कर्तव्यम् ॥ ५३८ ॥

विश्वासघाती मनुष्य के उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं ॥ ५२३ ॥
जो बात दैव के अधीन है उसके सम्बन्ध में सोच-विचार न करना
चाहिए ॥ ५२४ ॥ सज्जन व्यक्ति आश्रितों के दुःख को अपना ही दुःख
समझते हैं ॥ ५२५ ॥ हृदय की बात को छिपाकर बनावटी बातें करनेवाला
अनार्य है ॥ ५२६ ॥ बुद्धिहीन मनुष्य पिशाच के समान है ॥ ५२७ ॥ विना
साथ के यात्रा न करनी चाहिए ॥ ५२८ ॥ अपने पुत्र की प्रशंसा न करनी
चाहिए ॥ ५२९ ॥

सेवक लोगों को चाहिए कि वे अपने स्वामी का गुणगान करते
रहें ॥ ५३० ॥ अपने धर्मकार्यों में वे स्वामी का गुणगान करते रहें ॥ ५३१ ॥
राजा की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न करना चाहिए ॥ ५३२ ॥ उसकी
जैसी आज्ञा हो तदनुसार करना चाहिए ॥ ५३३ ॥

बुद्धिमान मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है ॥ ५३४ ॥ अपनी गुप्त बात
किसी पर प्रकट न करनी चाहिए ॥ ५३५ ॥ क्षमाशील मनुष्य अपना सब
कार्य साध लेता है ॥ ५३६ ॥ आपत्काल के लिए धन की रक्षा करनी
चाहिए ॥ ५३७ ॥ साहसी पुरुष कर्तव्यप्रिय होता है ॥ ५३८ ॥

चाणक्य प्रणीत सूत्र

श्रः कार्यमद्य कुर्वीत ॥ ५३९ ॥ आपराह्निकं पूर्वाह्न एव कर्तव्यम् ॥ ५४० ॥

व्यवहारानुलोमो धर्मः ॥ ५४१ ॥ सर्वज्ञता लोकज्ञता ॥ ५४२ ॥ शास्त्रज्ञोऽप्यलोकज्ञो मूर्खतुल्यः ॥ ५४३ ॥ शास्त्रप्रयोजनं तत्त्वदर्शनम् ॥ ५४४ ॥ तत्त्वज्ञानं कार्यमेव प्रकाशयति ॥ ५४५ ॥

व्यवहारे पक्षपातो न कार्यः ॥ ५४६ ॥ धर्मादपि व्यवहारो गरीयान् ॥ ५४७ ॥ आत्मा हि व्यवहारस्य साक्षी ॥ ५४८ ॥ सर्वसाक्षी ह्यात्मा ॥ ५४९ ॥ न स्यात् कूटसाक्षी ॥ ५५० ॥ कूटसाक्षिणो नरके पतन्ति ॥ ५५१ ॥ प्रच्छन्नपापानां साक्षिणो महाभूतानि ॥ ५५२ ॥ आत्मनः पापमात्मैव प्रकाशयति ॥ ५५३ ॥ व्यवहारेऽन्तर्गतमाचारः सूचयति ॥ ५५४ ॥

जो कार्य कल करना है, उसको आज ही कर लेना चाहिए ॥ ५३९ ॥ जो कार्य दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए ॥ ५४० ॥

व्यवहार के अनुसार ही धर्म होता है ॥ ५४१ ॥ सांसारिक बातों का ज्ञाता ही सर्वज्ञ कहलाता है ॥ ५४२ ॥ शास्त्रज्ञ होता हुआ भी जो लोकज्ञ न हो, वह मूर्ख के समान है ॥ ५४३ ॥ यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति ही शास्त्र का प्रयोजन है ॥ ५४४ ॥ कार्य ही यथार्थ ज्ञान के प्रकाशक हैं ॥ ५४५ ॥

व्यवहार (न्याय) में पक्षपात न करना चाहिए ॥ ५४६ ॥ व्यवहार धर्म से भी बड़ा होता है ॥ ५४७ ॥ व्यवहार का साक्षी आत्मा है ॥ ५४८ ॥ समस्त प्राणियों में आत्मा साक्षीरूप में विद्यमान रहता है ॥ ५४९ ॥ कपटसाक्षी न होना चाहिए ॥ ५५० ॥ झूठे साक्षी नरक में जाते हैं ॥ ५५१ ॥ छिपकर किये गये पापों के साक्षी पंच महाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) हैं ॥ ५५२ ॥ अपने पापों को पापी स्वयमेव प्रकट करता है ॥ ५५३ ॥ व्यवहार के समय मन की बात को आकृति ही प्रकट कर देती है ॥ ५५४ ॥

आकारसंवरणं देवानामशक्यम् ॥ ५५५ ॥

चोरराजपुरुषेभ्यो वित्तं रक्षेत् ॥ ५५६ ॥ दुर्दर्शना हि

राजानः प्रजाः नाशयन्ति ॥ ५५७ ॥

सुदर्शना हि राजानः प्रजा रञ्जयन्ति ॥५५८॥ न्याययुक्तं

राजानं मातरं मन्यन्ते प्रजाः ॥ ५५९ ॥ तादृशः स राजा इह
सुखं ततः स्वर्गमाप्नोति ॥ ५६० ॥

अहिंसालक्षणो धर्मः ॥ ५६१ ॥ स्वशरीरमपि परशरीरं
मन्यते साधुः ॥ ५६२ ॥ मांसभक्षणमयुक्तं सर्वेषाम् ॥ ५६३ ॥

न संसारभयं ज्ञानवताम् ॥ ५६४ ॥ विज्ञानदीपेन संसार-
भयं निवर्तते ॥ ५६५ ॥

सर्वमनित्यं भवति ॥ ५६६ ॥ कृमिशकृन्मूत्रभाजनं शरीरं
पुण्यपापजन्महेतुं ॥ ५६७ ॥ जन्ममरणादिषु दुःखमेव ॥५६८॥

मनोगत भावों की अभिसूचक आकृति को देवता भी नहीं क्षिपा
सकते ॥ ५५५ ॥

चोरों और राजपुरुषों से अपने धन की रक्षा करनी चाहिए ॥ ५५६ ॥
जिन राजाओं के दर्शन, प्रजा को कठिनाई से प्राप्त होते हैं उनकी
प्रजा नष्ट हो जाती है ॥ ५५७ ॥

जो राजा बराबर प्रजा के सुख-दुःख को सुनते हैं उनसे प्रजा प्रसन्न
रहती है ॥ ५५८ ॥ न्यायपरायण राजा को, प्रजा माता के समान मानती है
॥५५९॥ इस प्रकार का प्रजाप्रिय राजा ऐहिक सुख और पारलौकिक स्वर्ग
को प्राप्त करता है ॥ ५६० ॥

अहिंसा ही धर्म है ॥५६१॥ सज्जन पुरुष अपने शरीर को भी पराया ही
मानते हैं ॥५६२॥ मांस-भक्षण सबके लिए अनुचित है ॥५६३॥

ज्ञानी पुरुषों को संसार का भय नहीं होता ॥५६४॥ विज्ञान (ब्रह्मज्ञान)
के दीपक से संसार-भय भाग जाता है ॥५६५॥

यह दिखायी देने वाला सब कुछ अनित्य है ॥५६६॥ कृमि-कीट तथा मल-
मूत्र का घर शरीर पुण्य-पाप का जन्मस्थल है ॥५६७॥ यह जन्म-मरण आदि
दुःख ही दुःख है ॥ ५६८ ॥

चाणक्य प्रणीत्र सूत्र

तेभ्यस्तर्तुं प्रयतेत ॥५६९॥ तपसा स्वर्गमाप्नोति ॥५७०॥
क्षमायुक्तस्य तपो विवर्धते ॥ ५७१ ॥ तस्मात् सर्वेषां कार्यसि-
द्धिर्भवति ॥ ५७२ ॥

इति चाणक्यसूत्राणि



इस जन्म-मरणादि से छुटकारा पानेका उपाय करना चाहिए ॥ ५६९ ॥
तप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ॥ ५७० ॥ क्षमाशील पुरुष का तप बढ़ता रहता
है ॥५७१॥ तपश्चर्या से सबके कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ५७२ ॥

चाणक्यसूत्र समाप्त





अर्थशास्त्र सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली

प्राचीन भारत की राजनीति और शासन के क्षेत्र में आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक विश्वकोश जितना महत्त्व रखता है। उसमें धर्म, कर्म, शिक्षा, नीति, समाज, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा और यहाँ तक कि मन्त्र-तन्त्र आदि जितने भी विषय हैं उन सभी का समावेश है। इस सर्वांगीण और सर्वतोमुखी विशिष्टता के कारण अर्थशास्त्र की शब्दावली में अनेकता के दर्शन होते हैं।

अर्थशास्त्र-विषयक पुरातन उद्देश्य को दृष्टि में रख कर यहाँ लगभग पौने आठ सौ शब्दों की एक सूची इस हेतु दी जा रही है कि शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर जो भारतीय भाषाओं और विशेषतया संस्कृत भाषा के शब्दों का नवीनीकरण हुआ है, अर्थशास्त्र के पाठकों को उसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

प्राचीन अर्थशास्त्र का महत्त्व वर्तमान शासन-संबन्धी सभी कार्यक्षेत्रों में व्याप्त है। इस दृष्टि से और आचार्य कौटिल्य की सर्वथा वैयक्तिक विचारधारा को समझने के लिए भी यह पारिभाषिक शब्दावली उपयोगी सिद्ध होगी।

यह शब्दावली सरकार के शिक्षा-विभाग से तैयार की गयी पारिभाषिक शब्द-सूचियों; श्री मोनियर विलियम्स, श्री वामन शिवराम आप्टे, श्री लक्ष्मण शास्त्री, राहुलजी तथा डा० रघुवीर के शब्दकोशों; डा० शामशास्त्री एवं महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री कृत अर्थशास्त्र के अंग्रेजी, संस्कृत अनुवादों और डा० जायसवाल की पुस्तक हिन्दू पॉलिटि पर आधारित है।

अ

अंकनी लेखनी-पेंसिल
अंकयमित मुहर लगा पत्र-स्टाण्ड
अंकेक्षित लेखा लेखा-परीक्षक द्वारा जाँच किया हुआ हिसाब-ऑडिटेड अकाउंट
अंगरक्षक शरीररक्षक-वॉडीगार्ड
अंतग्रस्त विपत्तिग्रस्त-इंवाल्व्ड
अंतपाल राज्य दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित राज्य-बफर स्टेट
अंतरंग सचिव निजी सचिव-प्राइवेट सेक्रेटरी
अंतर्वाणिज्य आभ्यंतर व्यापार-इंटरनल ट्रेड
अंतिमेत्थम् अंतिम चेतावनी-अल्टिमेटम

अंशधर हिस्सेदार-शेयर होल्डर
अकृतक्षेत्र कृषि अयोग्य भूमि
अकृषित जो भूमि जोती बोई न गई हो- अनकल्टिवेटेड
अक्ष धुरी-एक्सिस
अक्षपटल आय-व्यय के लेखे का प्रधान, विभाग या कर्मचारी
(पटल अधिदेवन)
अक्षपटलाध्यक्ष महागणक, महागणनिक-प्राउडेंट जनरल
अक्षशाला सुवर्ण आदि का शोधन करने एवं गणना करने वालों का स्थान
अग्निवारक अग्नि का प्रभाव रोकने वाला-फायरप्रूफ

- अग्निशामक अग्नि को शांत करने वाला-
फायरब्रिगेड
- अग्रदाय इम्प्रेसड
- अग्रदाय धन इम्प्रेसड मनी
- अग्रसर आगे बढ़ा हुआ-फारवर्ड
- अग्रसारित आगे बढ़ा दिया गया पत्र
आदि-फॉरवर्डेड
- अटवीचल कोल-भील लोगों की सेना
- अणुदर्शी सूक्ष्मदर्शी-माइक्रोस्कोप
- अति उत्पादन खपत या मांग से अधिक
मात्रा में पण्य वस्तुओं का उत्पादन-
ओवर प्रॉडक्शन
- अतिचरण सीमा का उलंघन-टांसग्रेशन
- अत्यय वैध अर्थदण्ड
- अद्यावधिक आज तक का-अप-टु-डेट
- अधमर्ण जिसने किसी से ऋण लिया हो-
कर्जदार-डेटर
- अधिकर अतिरिक्त कर-सुपर टैक्स
- अधिकरण आधार विषय
- अधिकर्ता निदेशक; संचालक-डाइरेक्टर
- अधिकर्मी अधिकारी-ओवरसीयर
- अधिकार कार्यभार-सर चार्ज
- अधिकारपत्र शासन द्वारा प्राप्त पत्र-
चार्टर
- अधिकारिक सेना विजित देश पर तब
तक अधिकार बनाये रखनेवाली सेना,
जब तक कि नियमित शासन व्यवस्था
कायम नहीं हो जाती-आरमी आफ
आकुपेशन
- अधिकारी पदाधिकारी-अफसर
- अधिकारी राज्य कर्मचारी नन्त्र-
ब्यूरोक्रेसी
- अधिकोष रुपया जमा करने और मागने
पर व्याज सहित लौटा देने वाली
संस्था-बैंक
- अधिग्रहण अधिकार या अभियाचन द्वारा
किसी की संपत्ति आदि को ले लेना-
रेकिजिशन
- अधिदेय भत्ता-अलाउन्स
- अधिनायक तानाशाह-डिक्टेटर
- अधिनियम पारित विधि-ऐक्ट
- अधिपत्र लिखित आदेश-वारंट
- अधिप्रभार निर्धारित परिणाम से अधिक
शुल्क-ओवरचार्ज
- अधिभार अधिक कर-सरचार्ज
- अधिमास मलमास-लीप-ईयर
- अधियुक्त नियोजित-एम्प्लॉयड
- अधिराज्य स्वतंत्र उपनिवेश-डोमीनियन
- अधिवक्ता वकील-एडवोकेट
- अधिवारन डामिसियल
- अधिविद्या प्रथम विवाहिता पत्नी
- अधिशिक्क मुख्य अधिष्ठाता-रेक्टर
- अधिशेष बचत-सरप्लस
- अधिष्ठाता नियामक अधिकारी-प्रसाइडिंग
आफिसर
- अधिसूचना अधिकृत सूचना-नोटिफिकेशन
- अधीक्षक कार्यालय या विभाग का अधि-
कारी-सुपरिंटेंडेंट
- अध्यक्ष प्रमुख-चेयरमैन
- अध्यर्धित क्लेम्ड
- अध्यर्थी दावेदार-क्लेमैंट
- अध्यादेश विशेष स्थिति में लागू किया
गया आदेश-आर्डिनेंस
- अध्यारोप इम्प्यूटेशन
- अनय दुष्टनीति
- अनर्हता अयोग्यता-डिसकालिफिकेशन
- अनारूढ पैदल-डिस्माउण्टेड
- अनावर्त्तक जो (अनुदान) एक ही बार
दिया जाय-नान रेकरिंग
- अनावर्ती फिर न लौटनेवाल-एपीरिओडिक
- अनीकस्थ निपुण हस्तिशिक्षक
- अनीकिनी सेना का सबसे बड़ा भाग,
जिसमें १०-१५ हजार सैनिक हों-
डिवाजन
- अनुग्रह राजा के द्वारा प्रजा को प्रदत्त
उपकार

अनुग्रह परिहार आर्थिक रियायतें
अनुग्रहधन सेवा का उपहार-ग्रंचुश्टी
अनुष्णद संविदा आदि का वह विशिष्ट अंश, जिसमें एक विषय और उसके प्रतिबंधों आदि का उल्लेख हो-पैराग्राफ
अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत्र-लाइसेंस
अनुज्ञाधारी लाइसेंसदार
अनुदेश हिदायत-इन्स्ट्रक्शन
अनुपूरक छूट या कमी को पूरा करने के लिए वाद में बढ़ाया हुआ-सप्लिमेंटरी
अनुबंध बंधान-कॉन्ट्रैक्ट
अनुबन्ध पत्र करारनामा-इंडेंचर
अनुबल पृष्ठरक्षक सेना-रेयरगार्ड
अनुभाजन ऐपोर्शन
अनुरक्षक एस्कोर्ट
अनुवेशपत्र परीक्षित पारपत्र-बीजा
अनुशय क्रय-विक्रय-संबंधी विवाद
अनूप जलमय प्रदेश
अनैतिक इम्मोरल
अनौपचारिक इन फारमाल
अन्तपाल सीमान्त अधिकारी
अन्तर्वशिक अन्तःपुर का प्रमुख अधिकारी
अन्तर्धि शत्रु तथा विजिगीपु के बीच का राज्य
अपचारक दूसरे की सीमा में अनधिकार प्रवेश-ट्रेसपासर
अपर न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश-एडीशनल जज
अपर सचिव अतिरिक्त सचिव-एडिशनल सेक्रेटरी
अपराधी दोषी-गिल्टी
अ-परिदेय जिसकी अदला बदली न की जा सके-नॉन-ट्रांसफरेबल
अपलाभ अनुचित लाभ-प्रोफिटियरिङ्ग
अपहार प्राप्त आय को खाते में न चढाना : निर्धारित धन का व्यय न करना और बचत धन का अपव्यय करना

अपेक्षाभूमि परती भूमि-फालोलैंड
अप्रतिभाष्य वह अपराध, जिसमें किसी के जामिन बनने या जमानत देने को तैयार होने पर भी अपराधी को अस्थायी रूप से रिहा कर देने की गुआयश न हो-नॉन-वेलेविल
अप्रत्यक्षकर जो कर विक्रेय वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत के रूप में उपभोक्ताओं से लिया जाता है-इण्डाइरेक्ट टैक्स
अप्रत्यादेय जो फिर प्राप्त या वसूल न किया जा सके-इर्रिकव्हरिविल
अप्राप्तव्यवहार नाबालिग
अभक्ति अश्रद्धा-डिस्ल्लोयल्टी
अभिकथन अप्रमाणित आरोप-एलेगेशन
अभिकरण अभिकर्ता के कार्य करने का स्थान-एजेंसी
अभिकर्ता कार्यवाहक, घटक-एजेंट
अभिग्रहण अपना कहकर स्वीकार करना-एक्कीजीशन
अभिज्ञा मान्यता-रेकॉगनिशन, आइडेण्टिटी
अभिज्ञात मान्यता प्राप्त-रेकॉगनाइड्ड
अभिज्ञान पहिचान-आइडेण्टिफिकेशन
अभिज्ञापक उद्घोषक-एनाउंसर
अभिज्ञापत्र पहचान पत्र-आइडेण्टिटी कार्ड
अभिधान कथन-एपीलेशनस
अभिनिर्णय अन्तिम निर्णय-वर्डिक्ट
अभिन्यास किसी योजना के अनुसार गृह, उद्यान आदि का निर्माण करना-ले-आउट
अभिभावक सरक्षक-गार्जियन
अभियन्ता यन्त्रविध-इंजीनियर
अभियान आक्रमण करने की क्रिया
अभियोक्ता वादी-कॉम्प्लिनेण्ट
अभियोग दोषारोपण-ऐक्क्यूजेशन
अभिवक्ता वकील-प्लीडर
अभिरक्षक सुरक्षा की दृष्टि से किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने सरक्षण में रखने वाला-कस्टोडियन

अभिरक्षा हिरासत-कस्टोडी
 अभिलेख रिकार्ड
 अभिलेख कार्यालय रिकार्ड आफिस
 अभिलेखपाल कौपर आफ रिकार्ड्स
 अभिषद् सानेट की प्रबन्ध समिति-
 मिण्डिकेट
 अभिसूचना हिदायत-इंस्ट्रक्शन
 अभिसूचना भट्टा-डिस्टलरी
 अभुक्त जिसका उपभोग या भुगतान न
 किया गया हो-अनकैश्ड
 अभ्यंश नियताश-कोटा
 अभ्यस्त अपराधी आदतन दोषी-
 हैविचुअल ऑफेण्डर
 अभ्युक्ति टीका-रिमार्क
 अभ्युद्देश रिफ्रेन्स
 अम्ल तेजाव-एसिड
 अमित्रसंपत् शत्रु के प्रमुख दोष
 अय अभीष्ट फल की प्राप्ति
 अराजक विना शासक वाली आदर्शावा-
 दियों की शासन-प्रणाली
 अर्थदूषण आर्थिक क्षति
 अर्थशास्त्र पृथिवी की प्राप्ति और पालन
 का प्रतिपादन करने वाली विद्या
 अर्थापन व्याख्या-इण्टरप्रेटेशन
 अर्हता योग्यता-कालिफिकेशन
 अवकाशग्रहण विश्राम लेना-रिटायरमेंट
 अवज्ञा अग्हेलना-डिस्-ओविडिऐंस
 अवधाता वह व्यक्ति जो असली मालिक
 की अविद्यमानता में मकान आदि को
 निगरानी करे-कैयरेटेकर
 अवधायी सरकार अवधायक सरकार
 वह सरकार, जो निर्वाचन होने के
 बाद नई सरकार के कार्यभार ग्रहण
 कर लेने तक शासन-व्यवस्था की
 निगरानी करती है-कैयरेटेकर गवर्नमेंट
 अवधान देसनाल-कैयरे
 अवधायक अधिकारी किसी कार्य या
 कार्यालय का अधिकारी-आफिस
 स्तचार्ज

अवमान अवज्ञा-कंटेंप्ट
 अवमूल्यन किसी सरकार द्वारा अन्य
 देशों की मुद्राओं की तुलना में अपने
 देश की मुद्रा का मूल्य घटा दिया
 जाना-डीवेलुएशन
 अवयस्क नाबालिग (१८ वर्ष से कम)-
 माइनर
 अवर जूनियर
 अवरागार लोकसभा-लोअर हाउस
 अवरुद्ध नजरबन्द
 अवरोधन भत्ता रूकोनी भत्ता-डिटेंशन
 अलाउस
 अवशेष वचा हुआ-बैलेंस ओपनिंग
 अवेक्षण लुक आउट
 अवैतनिक ऑनरेरी
 अवैध नियमविरुद्ध-इलीगल
 अवसर ग्रहण अवसर प्राप्त-रिटायरमेंट
 अवस्थान प्रक्रम ठहरने का स्थान-
 स्टेशन
 अवहार छूट (कर)-रिबेट
 अव्ययित शेष किसी काम के लिए
 निर्धारित या जमा किये हुए धन का
 वह अंश, जो व्यय न किये जाने के
 कारण बच गया हो-अनस्पेंड बैलेंस
 अशोधित शेष किसी ऋण आदि का
 वह वचा हुआ अंश जिसका भुगतान
 या अदायगी न हुई हो-अनरिडीम्ड
 बैलेंस
 अष्टकुल आठ सदस्यों की न्यायकारी
 काउंसिल
 असैनिक सिविल
 असैनिकीकरण किसी स्थान या क्षेत्र
 को सैन्यविहीन कर देना-डीमिलिटै-
 रिजेशन
 अस्थायी संधि आर्मिस्टिस
 आ
 आकाशी परियल

आक्रय फेरीवाला-हॉकर
 आख्यापक अनाउंसर
 आख्यापना अनाउंसमेंट
 आज्ञा दीवानी मुकदमे में न्यायालय
 द्वारा दिया गया निर्णय-डिग्री
 आतिथ्य शुल्क आयात माल पर कर
 आतंक युद्ध प्रचार आदि के द्वारा ऐसा
 आतंक उत्पन्न कर देना कि जिससे
 शत्रु का साहस और युद्ध-क्षमता शीघ्र
 पड़ जाय-वार ऑफ नर्ज
 आदेय वड़ वन, जो दूसरों से मिलना
 हो या जो अपनी संपत्ति बेच कर
 प्राप्त किया जाय-असेट्स
 आधि धरोहर-पॉन
 आधिकारिक सरकारी-ऑफिसियल
 आन्वीक्षकी आत्मविद्या
 आपत्सहायकार्य दुष्काल या वाढ़, भूकंप
 आदि के मकट-काल में, आर्त तथा
 असहाय जनता की सहायता के लिए
 आरंभ किया गया सार्वजनिक निर्माण
 कार्य-रिलीफ वर्क
 आपात आकस्मिक संकट-इमजेंसी
 आपृच्छा रेफरेंडम
 आवकारी एकसाइज
 आभारोक्ति एक्नॉलेजमेंट
 आयकर इनकम टैक्स
 आयकर अधिकारी इनकम टैक्स
 आफिसर
 आयात शुल्क इम्पोर्ट ड्यूटी
 आयात इम्पोर्ट
 आयाम माप-डाइमेंशन्स
 आयव्ययक किसी निश्चित अवधि के
 आय-व्यय का लेखा-बजट
 आयुक्त कमिश्नरी का प्रधान अधिकारी-
 कमिश्नर
 आयोग किसी विशेष कार्य को संपन्न
 करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का
 मंडल-कमीशन

आयोजना प्लानिंग
 आरक्षक आरक्षी-पुलिस
 आरक्षण रिजर्वेशन
 आरक्षित शायिका रिजर्वर्ड वर्क
 आलोचना गुण-दोष विवेचन-कॉमेन्ट
 आवक इनवाडे
 आवर्त रिवोलूशन
 आवर्त्तक आवर्ती, वाग-वार दिया जाने
 वाला (अनुदान)-रेकरिंग
 आविस्त पत्र मैनिफेस्टो
 आशुपत्र एक्सप्रेस लेटर
 आशुलिपिक स्टेनोग्राफर
 आहर्त्ता ड्रावर
 आसेध कुर्की-अटैचमेंट
 आहार्यो ड्रावी
 आह्वान पत्र समन-समस

इ

इनिवृत्त पत्रक हिस्ट्री शीट
 इतिशेष वैलेंस ड्रॉजिंग

उ

उच्च न्यायालय हाईकोर्ट
 उच्चाधिकारी हाई कमान
 उच्चायुक्त हाई कमिश्नर
 उत्कोच रिश्वत-ब्राइड
 उत्तमर्ण महाजन-क्रेडिटर
 उत्तराधिकारी हेयर
 उत्तोलक ऊपर उठाकर तौलने वाला
 यन्त्र-लीवर
 उत्थानक ऊपर-नीचे चढाने-उतारने
 वाला विजली का आमन-लिफ्ट
 उद्ग्रहण उगाहना-लेवा
 उद्योगशाला कारखाना-फैक्ट्री
 उन्मोचन बन्धनमुक्त या ऋणमुक्त-
 डिसचार्ज
 उप डिप्टी
 उप उच्चायुक्त डिप्टी हाई कमिश्नर

उपकर एक तरह का छोटा कर, जो विविध वस्तुओं पर विभिन्न स्थितियों में लगाया जाता है-सेस

उपकुलपति कुलपति के मातहत-प्रो० वाइसचांसलर

उपजीव मानना या धर्म आदिका पालन करना (राज शब्दोपजीवी = राजा की उपाधि धारण करने वाला संघ, शखो-पजीवी = -ने संघ अथवा शखों का व्यवहार करता था अथवा युद्धकाल में निपुण होता था)

उपनिदेशक डिप्टी डाइरेक्टर

उपनिवेश दूसरे देशों में अपनी बस्ती बसाना, या नई बस्ती बसाना-कॉलो-निजेशन

उपनौबलाध्यक्ष वाइस-एडमिरल

उपपंजीयक सब रजिस्ट्रार

उपपत्ति थ्योरी

उपप्रस्ताव मोशन

उपमुख्य डिप्टी चीफ

उपमुख्य लेखा-अधिकारी डिप्टी चीफ अकाउण्ट आफिसर

उपबन्ध अर्तक-काडिशन

उपयोजक एडाप्टर

उपशुल्क उपकर-रेण्ट

उपसञ्चालक डिप्टी डाइरेक्टर

उपसंहरण घटाना, कम करना-आवेद

उपस्कर मसाला-इक्युपर्मेंट

ऋ

ऋणबन्धनपत्र रक्का-प्रो-नोट

औ

औपचारिक दिखाऊ-फारमल

औरस विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र

क

कक्ष सेना के पश्चाद् भाग के दोनों पार्श्व

कण्टकशोधन ममाज-अहितकारी लोगों का दमन

कण्टिका आलपीन-पिन

कण्टिकाधार पिनकुशन

कर चुन्नी-इम्पोस्ट

करण न्यायालय में बयान लिखने वाला कर्क

करणिक कर्क

करणिक प्रधान हेडकर्क

करणिक मुख्य चीफ कर्क

करणिक सहायक असिस्टेंट कर्क

कर निर्धारक असेसर

कर्णपाल काटर मास्टर

कर्मक पर्सनल (वर्ग)

कर्मकार वर्कमैन

कर्मशाला वर्कशाप

कर्मान्त कारखाना

कल्पना दन्तकथा पुराणकथा-मेथ

कारागारिक कारापाल-जेलर

कार्तान्तिक यमपट दिखाकर जीविको-पार्जन करने वाला ज्योतिषी

कार्मिक गणना विभाग का कर्मचारी

कार्यकारी अभिकर्ता ऐक्टिव एजेण्ट

कार्यनायक चार्ज डी० एफेयर्स

कार्य-परिषद् काउन्सिल आफ ऐक्शन

कार्यपुस्तक काल बुक

कार्यभारी इञ्चार्ज

कार्यवाहक ऐक्टिव

कार्यवाहक प्रभारी इञ्चार्ज

कुटीर शिल्प छोटा उद्योग-काटेज इंडस्ट्री

कुलपति वाइस चांसलर

कुलिक पौर का न्यायाधीश, गणराज्य में निर्णय करने वाली संस्था

कूटरूप जाली सिक्का

कूटशासन कपट लेख या जाली दस्तावेज

कूटसानी झूठा गवाह

कृतिस्वामित्व सर्वाधिकार-कॉपीराइट

कृष्य जो भूमि जोती-बोई जा सके-

कृष्टिवेदविल

केन्द्र निदेशक स्टेशन डाइरेक्टर
कोशसंपत्त राजकोश के उत्कृष्ट गुण
कोष्ठागार सरकारी अन्नसंग्रह का स्थान
ति सर्वेक्षण डेमेज सर्वे

क्षय अल्प आय और अधिक व्यय
क्षेत्रीय न्यायालय राजनल कोर्ट

ख

खण्ड निरीक्षक ब्लाक इन्स्पेक्टर
ख्यापना ऐलान-अनाउंसमेंट

ग

गण संस्था, सिनेट, रूपनी
गणक, गणनिक आय-व्यय लेखक-
एकाउण्टेंट

गणना लेखा-अकाउण्ट

गणनाफलक खिडकी-काउण्टर

गणिकाध्यक्ष वेइयाओं पर अनुशासन
रखने वाला अधिकारी

गति निदेशक मूवमेंट डाइरेक्टर

गुटिकाधार बाल बेयरिंग

गुणांकन स्कोरिंग

गुरुम रक्षकदल-प्लाटून

गृहपति छात्राभिरक्षक-वार्डन

गृहरक्षक होमगार्ड

ग्रन्थागारिक पुस्तकालय का अध्यक्ष-
लाइब्रेरियन

ग्रन्थि गिल्टी-ग्लैंड

ग्रामकूट गाँव का मुखिया

ग्राम गामनिक किसी गाँव या नगर का
निर्वाचित राजा या सभापति

ग्रामणी गाँव का मुखिया

ग्रामिक ग्रामपाल

घ

घटकर नावकर-फेरी टॉल

च

चमू मण्डल-डिवीजन

चारक हवालात

चालक ड्राइवर

चिकित्सा अधिकारी मेडिकल आफिसर

चित्राधार अलवम

छ

छंद गत-वोट

छंदक समति-रेफरेन्डम (Referendum)

छंदाधिकार मताधिकार

छद्मनाम कपटनाम-प्यूडोनिक

छद्मयुद्ध कपट युद्ध-गैम फाइट

ज

जनित्र जेनेरेटर

जनन उत्पादन-रिप्रोडक्शन

जनसम्पर्काधिकार जनता से सम्पर्क

वनाये रखनेवाला सरकारी अधिकारी-

पब्लिक रिलेशन आफिसर

जल परिवहन विधि एडमिरेलिटी ला

जानपद देशसंध

जानपद सैन्य देशरक्षक सेना-मिलीशिया

जीवनरक्षक पेटी डूबने से बचने के लिए

बाँधी जाने वाली ऐसी पेटी जिसमें

हवा भरी रहती है या बड़ा सा कार्क

लटकता रहता है- लाइफ वेस्ट

ज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति सूचना

ज्ञात कुल डिस्ट्रिक्ट

ज्वलनांक फायर प्वाइंट

ज्वालक बर्नर

ट

टंकशाला टकसाल-मिंट

ड

डमर विप्लव

डिम्ब प्रजा-विप्लव

त

तर्जनी देशिनि प्रदेशिनी-इण्डैक्स फिगर

तीर्थ विभागीय अध्यक्ष

तुलनाय दर्जी

तुलनपत्र वैलेंस शीट

द

दण्डपाल	सेनाध्यक्ष
दण्डाधीश	दण्डाधिकारी-मजिस्ट्रेट
दशकुली	दस परिवारों का संघ
दशग्रामी	दस गाँवों का समुदाय
दाति	वितरण-डेलीवरी
दाय	रिक्त-इन्हेरिटेंस
दायाद	पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी
दिकसूचक	कुतुबनुमा-कम्पास
दिविर	मुशी, रजिस्ट्रार-एक्चुअरी
दुरभियोजन	किसी को हानि पहुँचाने के लिये की जानेवाली गुप्त कार्यवाही-प्लॉट
दुर्ग रक्षक सेना	दुर्गनिवेश-गारिजन
दूरमुद्रक	टेलिप्रिंटर
दूष्य	राजद्रोही
द्रावक	फलस्क
द्विनेत्री	दूरवीन-वाइनोकुलर
द्वैराज्य	दो शासकों वाला राज

ध

धनादेश	चेक
धरण	सहारा-गार्ड
धर्मस्थ	दीवानी कचहरी का न्यायाधीश
धर्मस्व	प्राप्त-इंडोमेंट
धारक	कीपर
धारणिक	कर्जदार
धारा	दफा-सेक्शन
धारिता	क्षमता-कैपेसिटी
धारुक	वियरिंग
धान्री	दायी-मिडवाइफ
ध्वजदंड	फ्लेग स्टाफ
ध्वजपति	फ्लेग अफसर
ध्वजपोत	फ्लेगशिप

न

नगरपाल	मिर्चा फादर
नगररक्षक	मिन्डिल गार्ड

नामन्	आख्य-नोंमिनेशन
नामपत्र	लेवल
नामिका	पेनल
नायक	दलनेता-कैप्टिन
नाविक	पोतारोही-डेक हैंड
निकाय	वर्ग-बॉडी
निगम	पौर सघ-कॉर्पोरेशन
निचयकर्ता	समासक, सक्षेपकर्ता-अब्रेविएटर
निजी सचीव	निजी कामों की देखभाल करने वाला सचिव-प्राइवेट सेक्रेटरी
निदेश	हिदायत-डाइरेक्शन
निदेशक	डाइरेक्टर (प्रशासन)
निबंधक	पंजीयक-रजिस्ट्रार
निबंधन	पंजीयन-रजिस्ट्रेशन
नियंत्रण अफसर	कंट्रोलिंग-आफिसर
नियामक	अवरोधक-रेगुलेटर
नियोक्ता	नियोजिता-एम्प्लायर
निरंकुश राजतंत्र	अवसोल्यूट-मोनार्की
निरसन	किसी विधि आदि को अधि-कारपूर्वक या वैधरीति से रद्द कर देना-रिपील्ड
निरीक्षक	इंस्पेक्टर
निर्देशक	डाइरेक्टर (प्रोग्राम)
निर्माता	प्रॉजक्टर
निर्वात	वेक्यूम
निलंबित	मुअत्तिल-सस्पेंडिड
निबन्धक	मुनीम
निशान्त	राजभवन
निष्कासिका	आउटलेट
निष्क्रांत	इवेक्यूई
निष्क्रिय लेखा	ड्यड अकाउंट
निष्पादक	एक्जिक्यूटिव
निस्सृष्टि	राज्य का प्रमाण पत्र
निस्तारण	काम पूरा करने की क्रिया-डिसपोजल
निस्यंदक	फिल्टर

निःस्वामिक भूमि वह परती भूमि जो किसी के अधिकार में न हो-नो मेंस लैड

नीवी आय-व्यय के वाद का वचा हुआ धन

नैगम नगर-व्यापारियों की सभा

नैमित्तिक भसाधारण-काजल

नौतरण वहन जलयान-नैविगेशन

नौबलाध्यक्ष नौसेना का प्रधान सेनापति-एडमिरल

नौभार कारणो

न्यायसभ्य जूरी

न्यायिक जुडिसियल

न्यास निगम-ट्रस्ट

न्यासधन ट्रस्टमनी

प

पंजी रजिस्टर

पंजीयन दर्ज करना-रजिस्ट्रेशन

पक्ष सेना के अग्रभाग के दोनों पार्श्व

पञ्चमामी पाँच गाँवों का कर-सग्रह करने वाला अधिकारी

पण शर्त, राज्याभिषेक के समय राजा

से इस बात की शपथ कराई जाती

थी कि वह धर्म या कानून के अनुसार

शासन करेगा

पण्य व्यवहार योग्य-कॉमोडिटी

पण्यक्षेत्र पण्यभूमि, बाजार-मार्केट

पण्यगृह गुदामघर

पण्यशाला भंडार-इम्पोरियम

पत्तनपति हार्बर मास्टर

पत्ती पार्टी

पत्रवाहक पंजी पियन बुक

पथकर मार्ग कर-टॉल

पदक्रम ग्रेड

पदक्षेप मार्क टाइम

पदाति पैदल सेना-इन्फैंट्री

परजीवी पैरासाइटिक

परराष्ट्र मंत्री फारेन मिनिस्टर

परिचर सेवक-अटेंडेंट

परिचायक डिटेक्टर

परिचालक आपरेटर

परिदर्शन इन्स्पेक्शन (चिकित्सा)

परिधि सरकल

परिपथ सरक्यूट

परिपृच्छा पूछ-ताछ-इनकाइरी

परिभाव्य धन काउशन मनी

परिरक्षक परजरवेटिव (चिकित्सा)

परिवर्तक कॉन्वर्टर

परिवहन ट्रांसपोर्ट

परिवाद शिकायत-कॉम्प्लैण्ट

परिवीक्षा परख-प्रोवेशन

परिव्यय लागत-कॉस्ट

परिषद् काउन्सिल

परिष्ठा हैसियत-स्टेटस

परिसंपत्ति असेसमेण्ट

परीक्षक टेस्टर

परीक्षण टेस्ट

परीहार करमुक्ति से सम्बद्ध राजाशा-पत्र

पर्णिका कूपन

पर्यवेक्षक सुपरवाइजर

पलायी फरार-एव्स्कोण्डर

पशु चिकित्सा निरीक्षक, वेटरनरी-इस्पेक्टर

पारणक अनुमतिपत्र-पास

पारपत्र अनुज्ञापत्र-पासपोर्ट

पारित स्वीकृत-पास्ड

पारिषद् काउन्सिलर

पार्श्व वक ग्राउण्ड

पार्श्वरक्षक सेना फ्लैंकगार्ड

पावती पत्र रसीद-एकनॉलेजमेण्ट

पीठस्थविर कुलसचिव-रजिस्ट्रार

पुनर्वास फिर से बसाना-रिहैबिलिटेशन

पुस्त बहीखाता

पूग श्रमिक संघ

पूगगामणिक	शिल्प सम्बन्धी किसी गण या संघ के सभापति	प्रत्यावर्तक	अक्टरनेटर
पूर्याधिकारी	वितरण का व्यवस्थापक-सप्लाई आफिसर	प्रत्यावर्ती	लूप (भाकाशा)
पूर्वेषण	पर्व्य	प्रदर्शक	एफिजविटर
पौर	नगर निवासियों का सभाया संस्था; राजधानी के निवासियों की सभा या सस्था-म्युनिसिपल-व्यवस्था	प्रदर्शिका	गाइडबुक
पौर मुख्य	नगर मजिस्ट्रेट	प्रदेष्टा	फौजदारी कचहरी का न्यायाधीश
प्रकाश स्तम्भ	रात में विमानों का पथ प्रदर्शन करने के लिए हवाई अड्डे पर दायें-बायें घूमने वाला प्रकाश-लाइट हाउस या सर्वलाइट	प्रधान	मुख्य-चीफ
प्रकोष्ठ	सभाकक्ष-लॉबी	प्रधान निदेशक	डाइरेक्टर जनरल
प्रणिधि	गुप्तचर-सीक्रेट एजेण्ट	प्रधान नियामक	हेड रेगुलेटर
प्रतिकर	मुआवजा-कम्पेनसेशन	प्रधान मन्त्री	प्राइम-मिनिस्टर
प्रतिजीवाणुक	पेण्टीसेप्टिक	प्रधान संकेतक	हेड सिग्नलर
प्रतिज्ञा	राज्याभिषेक के समय की शपथ	प्रधान सचिव	महासचिव-सेक्रेटरी जनरल
प्रतिनिधि	डेलिगेट	प्रधान सैनिक केंद्र	जेनरल हेडक्वार्टर्स
प्रतिपत्रक	रसीद	प्रपत्र	फार्म
प्रतिभाव्य	जमानत-वेलेविल	प्रबंधक	मैनेजर
प्रतिभू	जामिन	प्रभार	चार्ज (कार्यभार)-चार्ज (भाडा)
प्रतिभू	जमानत देने वाला-श्यूस्टी	प्रभारी	उत्तरदायी-इञ्चार्ज
प्रतिभूति	गारण्टी	प्रभुसत्ता	पूर्णसत्ता-सान्दरेनटी
प्रतिरक्षा	इमुनिटी	प्रमण्डल	संघ-कंपनी
प्रतिलोम	कन्वर्त	प्रयोजना	प्रोजेक्ट
प्रतिवर्णक	नमूना	प्रयोज्य	लागू-ऐप्लिकेबुल
प्रतिवर्त	रिफ्लैक्स	प्रलेख	डाक्यूमेंट
प्रतिवेदन	आख्या-रिपोर्ट	प्रवक्ता	अधिकार प्राप्त बोलने वाला प्रतिनिधि-स्पोक्समैन
प्रतिश्रवण	प्लेवैक	प्रवर	उच्च-सीनियर
प्रतिष्ठाता	प्रवर्तक संस्थापक-फाउण्डर	प्रवर समिति	सेलेक्ट कमेटी
प्रतीक्षालय	वेटिंग रूम	प्रवर्तक	ओरिजिनेटर
प्रत्यक्ष प्रभार	डाइरेक्ट चार्जिज	प्रवर्धक	एम्प्लिफायर
प्रत्यय	साख-क्रेडिट	प्रवाहिका	डिसेंटरी
प्रत्ययपत्र	क्रिडेंशियल्स	प्रविधि	विशेष ढग-टेकनीक
प्रत्याय	प्रनिफल-रिटर्न	प्रशास्ता	कारागार अधिकारी
प्रत्यायित	मवाददाता-एक्रिडिटेड	प्रशीतन	रेफ्रिजिरेशन
		प्रशीतित्र	रेफ्रिजिरेटर
		प्रशुल्क	आयात-निर्यात की वस्तुओं पर लगने वाला कर-टैरिफ
		प्रसंवादी	हारमोनिक
		प्रस्तुति	प्रजेंटेशन
		प्रवृत्त	लागू-इनफोर्स

प्रशासक शासन या भू-संपत्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी-पेडमिनिस्ट्रैटर
प्रशासन पेडमिनिस्ट्रेशन
प्रहरक वाचमैन
प्रांतपति राज्यपाल-गवर्नर
प्राक्कलन संभावित व्यय का अनुमान-एस्टिमेट

प्रातराश नाग्ना-त्रेकफास्ट
प्राधिकार प्रिभिलेज
प्राधिकारी अथॉर्टी
प्राप्तव्यवहार वयत्क
प्राप्ताधिकार विशेषाधिकार-प्रिभिलेज
प्राप्तानुज्ञ आज्ञापत्र-लाइसेंस
प्राप्ति और दाति रिसीप्ट एंड डेलीवरी
प्राभिकर्ता अटॉर्नी
प्राभियोग महाभियोग-इन्पीचमेंट
प्रारक्षण रिजर्व
प्रारूप मसौदा-ड्राफ्ट
प्राविधिक किसी कला, शिल्प आदि की विशेष कार्यविधि-टेकनिकल

पृतना त्रिगेड
पृतनापति त्रिगेडियर
प्रेक्षण ऑब्जर्व
प्रेषी पानेवाला-पेड्रेसी

व

वाहिनी वटालियन

भ

भंडार नियंत्रक कंट्रोल आफ स्टोर्स
भयद खतरा-डेंजरस
भलक भत्ता-अलाउंस
भांडागार गोदाम-गुडोन
भांडारिक स्काधिक विक्री के लिए बहुत सी चीजें अपनी दूकान या गोदाम में रखने वाला-स्टाकिस्ट
भाग्यदा लाटरी
भारतीय वण्ड संहिता इण्डियन पेनल कोड

भारिक पोर्टर
भूयोजन अर्थ
भृति मजदूरी-वेज
भृति भोगी रुपये के लालच से किसी की सेवा करने वाला-मर्सीनरी

म

मंडल डिवीजन
मंडल अधीक्षक डिवीजनल-सुप्रीटेंडेंट
मंडल मुख्यालय डिवीजन हेड कार्टर्स
मंत्रणा कौंसल
मंत्रणाकार सलाहकार-पेडवाइजर
मंत्रालय मिनिस्ट्री
मंत्रिपरिषद् मंत्रियों की गोपनीय सभा
मंत्रि-परिषद् राष्ट्र के कार्यों का विवेचन करनेवाली परिषद्
मंत्री अमात्य (एक साथ रहनेवाला)
मत्स्यन्याय आततायियों का उपद्रव
महागणनाध्यक्ष महालेखपाल-अकाउण्टेण्ट जनरल
महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल
महानिरीक्षक इन्स्पेक्टर जनरल
महान्यायवादी, महाप्राभिकर्ता ऐटर्नी जनरल
महापत्रपाल पोस्ट मस्टर जनरल
महापरिषद् जनरल कौंसिल
महाबलाधिकृत फील्ड मार्शल
महामहिम हिज एक्सेलेंसी
महामात्य प्रधानमन्त्री
महामान्य हिज मैजिस्टी
महालेखा परीक्षक आडिटर जनरल
मानक स्टैंडर्ड
माननीय ऑनरेबुल
मार्गपथ रोड-वे
मार्गाधिकार राइट-आफ-वे
मित्र शक्ति मित्रराष्ट्र-एलाइड पावर
मुख्यकरणिक हेड क्लर्क
मुख्य न्यायाधिपति चीफ जस्टिस
मुख्य न्यायाधीश चीफ जज

य

यंत्र मशीन
 यंत्रजात मशीनरी
 यंत्रशाला मशीनघर
 यांत्रिक मिखी-मिकेनिक
 यान पथ कैरेज-वे
 युक्त आयकारी या अफसर,
 युक्त कर्म चायुक्तस्य जो व्यक्ति अफसर
 या अधिकारी नहीं है, उसका किया
 हुआ ऐसा कार्य जो किसी अधिकारी
 या अफसर को करना चाहिए।

युक्ताहार वैलेंसड डाइट
 युग्मन संयुजन-कॉन्जुगेशन
 योजक ऑकडा-कपलर

र

रक्षित वार्ड
 रक्षी करद
 राजक सयुक्त कौंसिल
 राजतंत्र मोनाकी
 राजदया क्लेमेंसो
 राजदूत अम्बसेडर
 राजनयिक डिप्लोमेसी
 राजनयिक संवाददाता डिप्लोमेटिक
 कॉर्रेसपोण्डेंट,
 राजपत्र गज़ट
 राजपथ राजमार्ग-हाई-वे
 राजशब्दिन् संघ वह प्रजातन्त्र जिसमें
 राजन् या राजा की उपाधि धारण की
 जाती है
 राजशासन राजाशा
 राष्ट्रमुख्य जनपद के प्रमुख पुरुष
 राजस्व रेवेन्यू
 राज्ञः शासक, राजा को शासक इसलिए
 कहा गया है कि उसका कर्तव्य अच्छे
 शासन के द्वारा अपनी प्रजा का रंजन
 करना अथवा उसे प्रसन्न करना होता है
 राज्य परिषद् कौंसिल ऑफ स्टेट

राष्ट्रपति, अध्यक्षता प्रजातंत्री राष्ट्र द्वारा
 चुना हुआ प्रधान शासक-प्रेसिडेण्ट
 राष्ट्रमण्डल कॉमनवेल्थ
 राष्ट्रसंघ लीग आफ नेशन्स
 रिक्ति वेकेंसी
 रिक्थ सम्पदा-इस्टेट
 रोधक ब्रेक
 लक्षण राजकीय चिह्न
 लक्षणाध्यक्ष सिक्के ढालने वाला प्रधान
 अधिकारी

ल

लाभांश वोनस
 लेखा हिसाब-अकाउण्ट
 लेखा करणिक एकाउण्ट क्लर्क
 लेखा पुस्ती बहीखाना-एकाउण्ट बुक

व

वनरक्षक फारेस्ट रेंजर
 वन्द्यपत्र प्रतिशापत्र-वौण्ड
 वर्णन हुलिया-डिस्ट्रिप्शन
 वर्त्तिग्रह वर्नर
 वलय मार्ग रिङ्ग रोड
 वहन अभिकर्ता केरिङ्ग एजेण्ट
 वातानुकूलित एयरकण्डीशन्ड
 वाष्पित्र बॉयलर
 वाहक बेयरर (चेक)
 वाहिनी सेना-ब्रिगेड
 वाहिनीपति सेनापति-ब्रिगेडियर
 विगोपन एक्सपोजर
 विज्ञप्ति कॉम्युनिक
 वित्त विधेयक फाइनेन्स बिल
 विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज
 विधिक कानूनन-लीगल
 विधेयक बिल
 विपण्य मार्किटवेल
 वियोजन फैलाव-डिस्पेशन
 विलम्ब शुल्क डेमरेज
 विलय मर्ज

विवरण कॉमेण्ट्री
 विशाखन डिबर्सन
 विष्कम्भक इण्टरल्यूड
 विष्टि श्रमिक सघ
 विवीत गोचर
 वेदक अभियोक्ता या फरियादी
 वृत्तक हैंड आउट
 वृत्त रूपक न्यूज फीचर
 वृत्तपत्र न्यूज लेटर
 वेधक वोरर
 वैध वैलिड
 वैमानिक हवाई
 वैराज्य शासन-प्रणाली विना राजा की
 अथवा राजारहित शासन-प्रणाली
 म्यक्तिगत पर्सनल
 म्यवहार निरीक्षक कोर्ट इंसपेक्टर
 म्यवहार पटल काउटर
 म्युस्थान वगावत-रिवोल्ट

श

शलक फायर (आग)
 शलक नियन्त्रण केन्द्र फायर कण्ट्रोल
 शलककार गोलाबारी करने वाला-फायर
 शलाका मतपत्र
 शलाकाग्रहण एक प्रकार के रगे हुए
 टिकटों द्वारा मत (छद्म) एकत्र करना
 शायिका बर्थ
 शालाकी सर्जन
 शासन राज-लेख
 शिल्पज्ञ टेक्निशियन
 शिल्पविद्या टेक्नोलॉजी
 शिल्पसंघ श्रमिक निकाय-गिल्ड
 शिष्टमण्डल डेलिगेशन
 शूक पिन
 शूकधानी पिनकुशा
 शून्यपाल प्रातीय शासक
 शैक्षिक प्रशिक्षण केन्द्र टेक्निकल
 ट्रेनिंग सेंटर

श्रमसंघ श्रमिकों का सघ-लेबर यूनियन
 श्रेष्ठि प्रधान-मेयर
 श्रेणी शिल्पियों और व्यावसायिकों का
 सघ
 श्रोणि हिप

स

संकलन अधिकारी कॉम्पिलेशन अधिकारी
 संकलनकर्ता कॉम्पिलर
 संकेतक सिगनल
 संक्रमण इन्फेक्शन
 संगणित कल्कुलेटेड
 संगलक इलेक्ट्रिक फ्यूज
 संग्राहक रिसीप्टर
 संग्राही रिसीवर (आकाशी)
 संघ बहुत से लोगों की मिलकर बनाई
 समिति, सभा या सस्था-फेडरेशन
 संघ वैद्यों तथा क्षत्रियों का विशेष समुदाय
 संघनक संघारित्र संघनित्र-कॉन्डेन्सर
 संचालक ऑपररेटर, कंडक्टर, ट्राइरेक्टर
 संज्ञापन सलाह-पेड्वाइज
 संदेशहर सदेशवाहक-मेसेंजर
 संभाग पोर्टफोलियो
 संयामक गवर्नर (आकाशी)
 संवर्ग ब्लक
 संवातन वेन्टिलेशन
 संवाती वेंटिलेटर
 संवादनियंत्रक सेंसर
 संविद् करार करके बनाये हुए नियम
 संविदा समझौता-कंट्रैक्ट
 संविधान कास्टिट्यूशन
 संविधान सभा कास्टिट्यूएण्ट ऐसेम्बली
 संविधि विधान सभा द्वारा स्वीकृत वह
 लिखित विधान जो स्थायी कानून के
 रूप में हो-स्टैट्यूट
 संवेष्टिका पैकेट
 संसर्गज सासर्गिक-कॉन्टैगियस
 संहिता कोड

सदाशय वोना फाइड
 सन्न सहायक कृषि-अधिकारी
 सन्निधाता राजकोष का संग्राहक एवं
 संरक्षक
 सन्निधातृ संग्रहित, राजकोष का अध्यक्ष
 समन्त नियोक्ता एम्प्लायमेंट आफिसर
 समय सामूहिक सस्थाएँ (अर्थात् ऐसे
 नियम या निश्चय जो सब लोगों के
 समूह में स्वीकृत हुआ करते थे)
 समय सारिणी टाइम टेबुल
 समरणनिधि सुविधायक कोष-प्रॉविडेंट-
 फंड
 समवरोधक नाकाबंदी-ब्लोकेड
 समवाय कंपनी
 समादेश कमांड
 समालाप इंटरव्यू
 समाहर्ता दुर्ग-राष्ट्र की राजकीय आय को
 एकत्र करने वाला मुख्य अधिकारी
 समाहर्ता, समाहर्तृ भामदुह, राजकर का
 संग्रह करने वाला-कलेक्टर
 समुदाय मेस
 समूह सघटिन सभा या सस्था
 सर्वेक्षण सर्वे
 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट
 सहायक उच्चायुक्त असिस्टेंट हाईकमिश्नर
 सहायक निदेशक असिस्टेंट डाइरेक्टर
 सहायक लेखा परीक्षक असिस्टेंट
 ऑडिटर
 सहायक सचिव असिस्टेंट सेक्रेटरी
 सहायक सूचना अधिकारी असिस्टेंट
 इन्फारमेशन आफिसर
 सांघातिक फेटल
 साधारणीकरण जेनरल्लिसेशन
 सार्थ व्यापारियों का संघ

सार्थ सेना-कॉन्वाय
 सीमांत फ्राटियर
 सीमागुहम सीमा पर स्थित चौकी-
 वरियर
 सीमा शुल्क कस्टमड्यूटी
 सुश्रावक माइक्रोफोन
 सूचक अलार्म
 सूचना सहायक इन्फारमेशन असिस्टेंट
 सूत्र फारमूला
 सेनानायक कॉमांडेंट कॉमांडर
 सेनामुख सेक्शन
 सैनिक न्यायालय कोर्ट मार्शल
 सैन्यदल रेजिमेंट
 सैन्यनायक जनरल
 स्कंध गोदाम, दाल का भंडार-स्टाक
 स्कंधावार शिविर-कैंप
 स्कांधिक स्टाकिस्ट
 स्तंभ राज्यवन का गवन
 स्तंभ कॉलम
 स्थानिक समाहर्ता का अधीनस्थ अधि-
 कारी एवं जनपद तथा नगर के चतु-
 र्याश का शासक
 स्त्रीधन ज्वाइचर
 स्थायिवत् कासी परमानेंट
 स्थायीवत्ता कासी परमानेंसी
 स्फटिक क्रेस्टल
 स्फुरण फ्लटर
 स्वचल आटोमेटिक
 स्वयंतस्थ एक्सिसयन
 स्वामिभू जागीर-मैनर
 स्वायत्तशासन ऑटोनोमी
 ह
 हस्तक हैंडिल
 हीनमुद्रा खोटा सिक्का-कोइन वेस

शब्दानुक्रमणिका

अ						
अंग		१०२	अनागतावेक्षण	९३७	अपशब्द	१४९
अंगुल		२२१	अनाथ	७६	अपसर्प	८८३
अंसपथ		६२८	अनिभृतसन्धि	६२२	अपसारक	१६२
अकान्ति		१४९	अनीकस्थ	९४	अपसृत	७१२
अकृतचिकीर्षा		५८४	अनुजीविवृत्त	५१८	अप्रतिहत	८१५
अक्षपटल		१२४	अनुबन्धपङ्क्ति	७६९	अभाव	६५६
अक्षशाल		१७४	अनुमत	९३७	अभिजात	६९१
अग्नि		७०२	अनुरक्तप्रकृति	५९९	अभिजातोपरुद्ध	७०८
अग्निजीवी		८५०	अनुलोमा	७७५	अभिगामिकगुण	५३५
अचल		८१५	अनुशासन	७७	अभियान	६३४
अटवीवल		७३३	अनुसार	८०८	अभियोक्ता	६३६
अतिक्रम		१४६	अनृतुप्राप्त	७१२	अभिरक्षीव	८०
अतिक्रान्तावेक्षण		९३७	अन्तपाल	९४	अभिसारी	६३६
अतिक्षिप्त		७१२	१९८ ४९६	५१३	अभिहितसन्धि	६२२
अतिचार		४८४		८५६	अभूमिप्राप्त	७१२
अतिदेश		९३७	अन्तःपुर	७८१	अमृत	७१२
अतिसन्धि		६०३	अन्तःपुरभाजनीय	२१७	अभेद्य	७३४
अत्यय		५६४	अन्तःपुरभाजनी	२१६	अभ्युपपत्ति	१४६
अथर्वेद		१२	अन्तर्धानयोग	९३३	अमात्य २५ २७	३१३
अदण्डकर		९४	अन्तर्भेदी	८०७		५३५ ९४३
अदृष्टपुरुष		५६३	अन्तश्शाल्य	७१२	अमात्यकर्म	२९
अद्वैध्य		६०७	अन्ध	६८९	अमात्यसंपत्त	२८ ५३६
अधिकरण		९३७	अन्यजात	१२२	अमानित	७१२
अधिष्ठाता		२०३	अन्वावाप	८०६	अमित्र	५४२ ५७३
अध्यक्ष ८१ ९४		१९२	अपदेश	९३७	अभिन्नवल	७३६
२०१ २०५ २०८		२३५	अपनय	५५०	अन्वष्ट	३४७
५१३ ५१५		७२५	अपर	३४५	अम्बरीष	२२
अनभिजात		६९१	अपरभाग	२१३	अय	५५
अनय	५४०	६७९	अपरान्त	१०२	अयन	२२३
अनर्थत्रिवर्ग		७७५	अपरिपणित	५८१	अरण्यचर	९४
अनर्थोऽनर्थानुबन्ध		७६९	अपवर्ग	९३७	अरति	२२१
अनवसितसन्धि		६१७	अपविद्ध	३४६	अराजवीजी	५३८
					अरि	६३६

अरिप्रकृति	५४१	आ	आनुशय	३९२
अरिमित्र	५४१	आकर	आन्तर्वशिक	५१२
अरिमित्र	६३६	आकराध्यक्ष	आन्वीक्षिकी	१० ११
अरिष्ट	२४७ ८१५	आकारोद्गत	आपद्	७५२ ७७७
अर्जुन	२२	आक्रन्द	आपदर्थ	७६७
अर्थ	९३७	आक्रन्दासार	आपमित्यक	१९३
अर्थकृत	१४६	आख्यात	आपूपिक	४४० ६६३
अर्थत्रिवर्ग	७७४	आख्यान	आपूपिक व्यञ्जन	८४९
अर्थदूषण	६९५ ६९६	आख्यायिका	आभ्यन्तर	६८८ ७१०
अर्थना	१४६	आगार	आमिश्रा	७५८
अर्थशास्त्र	१ १९ ९३७	आचार्य	आम्भीय	६७
अर्थानुबन्ध	७६९	९४ १३८ ३३९ ३८८	आयति प्रदर्शन	१४९
अर्थापत्ति	९३७	४०२ ४०९ ४१० ४१३	आयमान	२१७
अर्थापधा	३२	५१२ ५१४ ५४९ ५५१	आयुधन	२०८
अर्धाकाकणी	१७०	५६९ ५७५ ५८७ ६०४	आयुधगार	११५
अर्धपण	१७०	६०५ ६०६ ६१२ ६१८	आयुधीय	५१७
अर्धहार	१५२	६२१ ६२५ ६२६ ६२७	आयुधीयप्राय	५१७
अर्हदण्ड	१६	६३५ ६४८ ६५७ ६८०	आयुधीयप्राय	५५३
अल्पव्यय	७४७ ७४९	६८६ ६८८ ६९१ ७०२	आयोगव	३४७
अवक्रय	५६५	७०३ ७०४ ७०५ ७०६	आरालिक	४० ६६२
अवच्छेदन	१८९	७०७ ७०८ ७०९ ७२३	आर्ष	३२०
अवरुद्धवृत्त	७३	७२६ ७२८	आवन्ध्य	३२१
अवशीर्णक्रिया	५८४	आजविन्दु	आशनिर्वेदी	७१२
अवाप	८०६	आज्ञा	आशुमृतक	४५३
अव्यवहार	९७	आटविक	आसन	५४९ ५५६ ५६७
अश्व	७५ ५०४	३१ ६२ ६५३	आसव	२४७
अश्वकर्म	८००	७०९ ८४६ ८७७	आसार	६२
अश्वत्य	८०	आटवी	आसार व्यञ्जन	८९१
अश्वदमक	९४ ५१३	आटवीवल	आसुर	३२०
अश्वध्यक्ष	२७४	आढक	आस्तरक	४० ६६२
अष्टादशकर्म	४६१	आतिपातिक	इ	
असंहत	८१२	आत्तप्रतिदान	इतिवृत्त	१९
असंहतव्यूह	८१४	आत्मसम्पत्	इक्षुरस	१९४
असह्य	८१३	आत्मामिष	इतिहास	१२ १९ ५३२
अमुरविजयी	८३३	आत्मोपनिधान	इन्द्र	४५ ५८ ६६ ८३३
अस्वामिसंहत	७१२	आदिष्टसन्धि	इन्द्रकोश	१०६
अहि	६५	आदेय	इन्द्रच्छन्द	१५२
		आधिवेदनिक	इन्द्रियजय	२१
		आनीकस्थ		

उ	उभयत	६०८	क
उग्र	३४७	उभयतोऽनर्थानर्थापत् ७७१	कंस २२२ ५०४
उच्छिन्नसन्धि	५६५	उभयतोऽनर्थार्थसंशया ७७२	कञ्चुक ८४
उच्छेदनीय	६१४	उभयतोभोगी ६५३	कदुमान १७९
उत्तम	२५५	उभयभावि ६०८ ६०९	कर्णिक ५२४
उत्तमसाहसदणु	४०२	उह्येस्वन १८९	कदर्थ १३९
उत्तमागार	१०८	उशनस् १०	कनिष्ठ २५५
उत्तमोदेश	७२५	उष्णीस् ८४	कन्याकुमार ८१
उत्तरपक्ष	९३७	ऊह्य ९३७	कन्यापकर्म ४७८
उत्तराभ्यक्ष	१४१		कपाल ५६४
उत्साह	७२३	ऋ	कम्बोज ८२१
उत्संग	१९२	ऋग् १२	कर १९२
उत्साहगुण	५३५	ऋतु २२३	करप्रतिकर २६६
उत्सेध	१०७	ऋत्विक् ७६ ९४ ५१२	कराल २१
उदक	७०२	ए	करुशज १०२
उदकचरण	८६४	एक ७२६	कर्कटक ६४
उदकनालिका	४६०	एकतोभोगी ६०८ ६५३	कर्मकर ९६
उदकपरिचारक ४०	६६२	एकसिद्धि ७७७	कर्मकर कल्प ३८७
उदासीन	५४२ ६००	एकांगवध ४७०	कर्मकर व्यञ्जना ८५०
उदास्थित	२५ ५१४	एकान्त ९३७	कर्मचतुष्क ४६०
उद्देश	९३७		कर्मसंवत्सर १२६
उन्मत्त	४४०	औ	कर्मसन्धि ६२४
उपकरण	२१२	औत्साहिक ७३४	कर्मान्त ९५
उपगत	३४६	औदक १०३	कर्ध २१३
उपजाप	८६३	औदनिक ४४०	कलत्र ७८४
उपदेश	९३७	औदार्य १४५	कलत्र गर्ही ७१२
उपनिधि	३७४	औद्र १६१	कला २२३
उपनिधिभोक्ता	३७४	औपवाह्य २८७	कलिंग १०२
उपनिपात ३९२	४३४	औपस्थायिक ५१४	कल्प १२
उपनिविष्ट	७१२	औपपादिक ३१	कल्पक ४० ६६२
उपप्रदान	१४९	औपायनिक १९२	कल्प्य ७४७ ७५०
उपमान	९३७	औरभ्रक ६५	कल्याण बुद्धि ७४६
उपरुद्ध	७१२	औरस ३४५	कल्यारम्भी ५९९
उपसर्ग	१४५	औशनस ५७ १२७ ३४१	काच ६६४
उपस्थान	७८१	३७२ ४०१ ८०१ ९३९	काच व्यवहारी ५०४
उपाय	१३५	९४१	कात्यायन ५२६
उपालम्भ	१४६	औषधवर्ग २०६	कानीन ३४६
उपेक्षण	५६७	औहूर्तिक ४६	

कापटिक	३२	३५	५१५	कुब्ज	४१	१२७	१३८	३४५	३७२
कामजश्रुतुर्वर्ग			६९३	कुमार	७२	८१	५१३	३८८	४०१
कापिशायन			२४८			५६३	७०६	४१०	५२८
कामोपधा			३२	कुमारमाता		५१३	५५२	५५९	५६९
काम्बुक			१७५	कुमारीपुर		१०९	५७५	५८७	६०४
कारु			१३	कुम्भ	२१८	६६४	६०६	६१२	६१८
कारुक रक्षण			४२१	कुशीलव	४१	७२	८८	६२५	६२६
कारुकर्म			१८५	९८	३४८	४२७	४४०	६४५	६४८
कारुकुशीलव			५१७	४७१	५१४	६६२	६६३	६८१	६८२
कारुरारी			१७०			८८२	६८५	६८९	६९०
कारुभि			२३६	कुशीलव कर्म		१३	६९५	६९६	६९७
कारुश			८१	कुष्ठयोग		९१४	६९९	७०२	७०३
कारुशिल्पि			७२	कुष्ठहर		९३३	७०५	७०६	७०७
कारुशिल्पी	२३६	३०१		कुहक		४४०	७०९	७२४	७२६
४४०	४७१	५१४	६६१	कूटयुद्ध	५८४	५८९		७३६	८३३
			८८२			७८९			९३९
कार्तान्तिक	४६	४४०		कूलपथ		६२७		कौणपदन्त	२६
		५१३		कृतक		३४६			६५
कार्मुक		२१०		कृतश्लेषण		५८४		कौष्ठेयक	
कार्यकरण		७८१		कृत विदूषण		५८४		क्षता	३४७
काल	२२३	७२६		कृत्याभिचार		७९४		क्षत्रिय	१२
कालमान		२२३		कृत्रिम		५४२		क्षत्रिय बल	७३७
काशिक		१६३		कृन्तक धातु		१६९		क्षत्रिय श्रेणी	८२१
काशिराज		८२		क्रण्णा		१६१		क्षय	५४०
काष्ठ		५०४		केश		५३५		क्षीण	५७७
काष्ठफलक		४२३		कोदण्ड		२१०		क्षीरघृत सञ्जात	२६६
काष्ठा		२२३		कोर्पजशत्रिवर्ग		६९३		क्षुद्रक	१७८
किंजल्क		५२५		कोशदण्डबल		५४३		क्षुद्राकारव	५०४
किरात	४१	८४		कोशगृह		११५		क्षेत्रज	३४५
किष्कु		२२२		कोश सम्पद		५३७		क्षेत्रपथ	११०
कुकुर		८२१		कोशोपनत सन्धि		५६५		क्षेपण	१७८
कुक्कुटक		३४८		कोषक्षय		१३१		क्षौम	१६३
कुडव		२१८		कोषवृद्धि		१३१		क्षयिक	१९३
कुपितमूल		७१२		कोषाध्यक्ष		१५१		क्षीत	३४६
कुप्य		२०५		कोष्ठागार	११५	१९२		क्षुद्र वर्ग	४९
कुप्यगृह		११५				७८१		क्षौन्न	८९
कुप्यवनहस्त		२२२		कौटिल्य	१०	२४	२७	क्लेश दण्ड	४७७
कुप्यवर्ग		२०५			३४	५५	६६	ख	
						६७	७७	खनि	११९

शब्दानुक्रमणिका

१००३

खरोडूपथ	६२८	घोटमुख	५२४	जनपदसम्पत्	५३७
खातपौरुष	२२२	च		जनमेजय	२१
खारी	२१८	चकोर	८१	जांगलीविद्	८७
खार्वटिक	९३	चक्रधर	४४०	जातरूप	१७४
ग		चक्रवर्तिक्षेत्र	७२५	जातद्रोणिका	२८६
गज	१०२	चतुःसिद्धि	७७७	जामदग्न्य	२२
गणिका	४८१	चतुष्पद	५१४	जाम्बूनद	१७४
गणिकाध्यक्ष	२५५	चत्वारिंशतकर	५०४	जार	४८२
गन्ध	५०४	चन्द्रोत्तरा	१६१	जालूथ	८२
गादपेटक	१८७	चमूमुख	८९३	जीवंजीवक	८१
गान्धर्व	३२०	चलयन्त्र	२०९	जीवन्ती	८०
गायन	४१ ९८ ६६२	चलित	६८९	ज्ञानबल	५४३
गार्हपत्य	२२२	चलितशास्त्र	६९०	ज्यायान्	५४४
गुच्छ	१५२	चाक्रवालिक	१७५	ज्योतिष	१२
गुण	१७८	चाण्डाल	९४ ३४७ ९१०	झ	
गुणसंकीर्तन	१४८	चापकुचि	८१३	झषास्य	८१३
गृहज	३४६	चारण	४२८ ४४०	त	
गूढपुरुष	७३ ७५	चारसंचारी	५१५	तंतुवाय	४२२
गूढाजीव	४४३	चार्या	१०६	तक्षण	२२२
गूढाजीवी	४४०	चिकित्सक	७२ ७६	तबुत्तय	७४७ ७४९०
गृहपतिक	३६ ५१५	९४ ४४० ५१३	६२३	तपस्विन्	७७
गृहपतिकव्यञ्जना	८४८	चित्र	६०७	तादात्विक	१३९
गृहवास्तुक	३५०	चित्रघात	४७४	तापस	३६ ४४० ५१५
गृहस्थ	१३	चित्रभोग	६५३	ताम्र	५०४
गृहीतानुवर्तन	७५९	चीनपट्ट	१६३	तीक्ष्ण	३९ ५१० ५१५
गोऽध्यक्ष	२६६	चोदना	१४६	तीक्ष्णदण्ड	१६
गोकुमारी	४८७	चोर	४८२ ४५८	तुट	२२३
गोप	९४ २९७	छ		तुथोद्गत	१७५
गोपुर	१०८	छन्द	१२	तुला	१०७
गोरक्षकतापसव्यञ्जना	८४८	छायापुरुष	२२१	तूर्यकर	५१४
गोरुत	२२३	छिन्नधान्य	७१२	तूर्णायुद्ध	५८४ ५८९
गौडिक	१७५	ज		त्रयी	१० १२
ग्राम	९३	जङ्गाकारक	९४	त्रिज्ञा	२२१
ग्रामपथ	११०	जटिल	४५ ६६४ ८६८	त्रिपुटक	१८५
ग्रामभृतक	५१५	जडान्ध	४१ ४४०	त्रिपुटकापसारित	१८६
ग्रामवृद्ध	९७	जनपद	९८ ३१३ ४०४ ५३५	त्रिसिद्धि	७७७
घ				द	
घुण	६६			दण्ड	१४९ १५७ २२२ ५३५ ८१३

दण्डनीति	१०	१५	दूष्यशुद्धा	७५७	धर्मोपधा	३१
दण्डपारुष्य	४०४	६९५	दृढक	८१३	धर्म्य	७४७ ७५०
		६९६	देयविसर्ग	७५९	धान्वन	१०३
दण्डमुख्यव्यंजन	८४९		देवच्छन्द	१५२	धेनु	६५ ७६
दण्डवृद्ध	५१७		देवताध्यत्त	५०६	ध्वज	६६
दण्डन्यूह	८१३		देवताश्रम	७६		
दण्डसम्पद्	५३८		देवी	८१	न	
दण्डोपनतसंधि	५६३		देश	७०५ ७२५ ७२६	नकुल	८०
दत्त	३४६		देशमान	२२३	नक्षत्रमाला	१५३
दम्य	२८७		देशविहार	७०५	नट	४१ ९८ ६६२
दशकुलीवाट	११३		देशोपनतसन्धि	५६५	नदीपथ	६२७
दशग्रासी	३५५		दैव	३२० ५४० ६७९	नन्दराज	९४४
दशाण	१०२		दोषहर	९३२	नय	५४०
दाण्डकर्मिक	४९३		दौवारिक	८४ ५१२	नर्तक	४१ ६६२
दाण्डकय	२१		धूत	६९६ ६९७ ७००	नर्तन	९८
दान	७५३		धूताध्यत्त	४१३	नल	६९७
दायक	९४		द्रव्य	९५	नलतूल	१६१
दायविभाग	३३७		द्रव्यहस्ति	५१३	नव	६९० ८९६
दारुवर्ग	२०५		द्रूण	२१०	नवागत	७१२
दासकर्मकर	३८१		द्रोण	२१७	नष्ट	२६६
दासकल्प	३८४		द्रोणमुख	११० ३१३	नागरक	६६३
दिवस	२२३		द्रावुपरिनिबन्ध	४६०	नागरिक	३०१
दीर्घश्चारायण	५२४		द्विनात्मिक	२२४	नाभाग	२२
दुर्ग	६२ १०३ ११४	११५	द्विपद	५१४	नाम	१४५
		११९	द्विसिद्धि	७७७	नामवन	१०१
दुर्गनिवेश	११०		द्वैधीभाव	५४९ ५५६	नायक	५१३ ७८१ ७८४
दुर्गसम्पद्	५३७		द्वैराज्य	६८८ ६८९		८१६
दुर्गापाश्रय	६२०		द्रोणमुख	११०	नावध्यत्त	२६१
दुर्जय	८१३				नालिका	२२२ २२३
दुर्भिक्ष	७०२		ध		निचय	३३
दुष्टपाणिग्राह	५१२		धनु	२२२	नित्य	६०७ ६०८
दुर्योधन	२२		धनुर्ग्रह	२२१	नित्यमित्रा	६१३
दूत	८८		धनुर्मुष्टि	२२१	नित्यमुख्य	५१५
दूतधर्म	६०		धरण	२१३	निदर्शन	९३७
दूतप्रणिधि	५९		धर्मविजयी	८३४	निन्दा	१४६
दूतव्यंजन	८६५		धर्मशास्त्र	१९	निपात	१४५
दूरायत	७१२		धर्मस्थ	३१३ ४१७ ४६६	निमेप	२२३
दूष्ययुक्त	७१२		धर्मस्थीय	४६७ ४६७	नियोग	७७६ ९३७
					निरुक्त	१२

निर्बचन	९३७	परिच्छीण	७१२	पारिहीणिक	१९२
निवर्तन	२२२	परिक्रय	५६४	पारीक्षिक	१७१
निश्चान्तः	७९	परिचारक	५१४	पार्वत	१०३
निषाद	३४७	परिदान	१४७	पार्श्व	१९२
निसृष्टार्थ	५९	परिदेश	२२२	पार्णिग्रहण	६३४
निसृष्टि	१४७	परिपणित	५८१	पार्णिग्राह	६३६ ८४६
निसुबन्ध	७६९	परिपूर्णता	१४४	पालक	५१४
नीवी	१२१	परिमर्दन	१८९	पापण्ड	८८२
नेता	६३६	परिमाणी	२१५	पाषाण	५०४
नैमित्तिक	४६ ४४० ५१३	परिमितार्थ	५९	पिण्डकाह	१९२
प		परमिश्रा	७५८ ७७०	पितृपैतामह	६०७
पंचग्रामी	३५५	परिश्य	२२१	पित्र्य	८९६
पंचदशोपाय	७७६	परिवर्तक	१९३	पिशुन	५५ ६५ २६७ ५२५
पकाश	५०४	परिवाजक	१३		६८३ ६९६
पक्ष	२२३	परिवाजिका	३२ ३९	पिशुनपुत्र	५२५
पण	१७०	परिश्रान्त	७१२	पीडनीय	६१४
पण्य	२०१ २०३ ५०४	परिसृष्ट	७१२	पुत्रविभाग	३४५
पण्यगृह	११५	परीहार	१४७	पुत्रिकापुत्र	३४५
पण्यपत्तन	९५	पर्युपासनकर्म	८८९	पुद्गल	१८४
पण्याध्यक्ष	४३२	पर्युधित	१२२	पुनरुक्त	१४९
पत्तिमुख्य	७९५	पर्णिग्राह	५४२ ५९०	पुराण	१९ ५३२
पत्तियुद्ध	८१०	पर्णिग्राहासार	५४२	पुरुषवीवन्ध	७१२
पत्य	५१३	पल	२१३ २१६	पुरुषादि व्यञ्जन	१४६
पत्यध्यक्ष	२९२	पशुपथ	११०	पुरुषापाश्रय	६२०
पथ	९५	पशुव्रजोपरुद्ध	७०८	पुरोग	७४७ ७५०
पद	२२१	पश्चात्कोप	७३९	पुरोहित	७६ ७७ ९४ ५१२
पदातिकर्म	८०१	पांचनद	१०२	पुरोहित पुरुष	५१३
पदार्थ	९३७	पांचालादि	८२१	पुलिन्द	९४
पदिक	८१५	पांशुदण्ड	५५८	पुस्कस	३४८
पथस	८५	पाक्रमांसिक	४४०	पुष्करिणी	१०८
परचक्र	७०४	पाद	१७०	पूर्व	२२३ ६३६
परदूषण	५६५	पादाता	५१४	पूर्वपथ	९३७
परमाणु	२२१	पान	६९६	पूर्वसाहसदण्ड	४०२
परस्परोपकारसन्दर्शन	१४९	पानव्यसन	६९९	पूर्वाचार्य	१
पराशर	२५	पारशव	३४७	पृच्छा	१४६
परिकुट्टन	१८९	पाराशर	५४ ६५ १२७	पृथिवी	७२५
परिच्छिप्त	७१२		६८२ ६९६	पृषतोत्सर्ग	८०
		पारिकर्मिक	५१४	पैशाच	३२१

पौण्ड्रक	१६३	प्रधावितिका	१०६	ब्राह्मणबल	७३६
पौतवाध्यक्त	२१३	प्रभाव	७२३ ७२४	भ	
पौनर्भव	३४६	प्रभावहीन	६४१	भक्तवेतन	५३०
पौर	५१३	प्रयाग	२१७	भक्तवेतनविकल्प	५१७
पौरजानपद	७५ ९५	प्रवाल	५०४	भद्रसेन	८१
पौराणिक	५१३	प्रव्रजित	४४०	भयोपधा	३३
पौरुष	२२२	प्रशास्ता	५१२ ७८३	भर्त्सना	१४६
प्रकाशयुद्ध	५८४ ५८८	प्रसंग	९३७	भव्यारम्भी	५९९
	७८९	प्रसन्ना	२४७	भागानुप्रविष्टक	२६६
प्रकीर्णक	४१४	प्रसादक	७४७ ७४९	भाजनी	२१६
प्रकृति	४०४ ४६६ ७०४	प्रसाधक	४० ६६२	भाजनीय	२०७
प्रकृतित्तय	८८६	प्रस्थ	२१८	भाण्डभार	६६४
प्रकृतिमण्डल	५५५	प्राच्य	१०२	भार	२१५
प्रकृतिव्यूह	८१२	प्राज्ञापत्य	३२०	भारद्वाज २५ ५३	६४
प्रकृतिसम्पद्	५३५	प्रजापत्यहस्त	२२१	५२४ ५२८ ६८०	६९३
प्रकोपक	७४७ ७४९	ग्रामित्यक	१९३		८३३
प्रचार	९५	प्रावृत्तिक	१४७		१६२
प्रच्छन्दक	४४०	प्लक्क	६६२	भिंमिसी	४२८
प्रजा	७७			भिन्नुक	५१५
प्रज्ञापना	१४७	फ		भिन्नकूट	७१२
प्रणिधि	७९	फल्गु	२०८	भिन्नगर्भ	७१२
प्रतिच्छन्ना	२८६	फल्गुवल	८०८	भिन्नमनुष्य	६१२
प्रतिवल	७३७			भिपक्	८७
प्रतिरोधक	७०९	व		भीतवर्ग	४९ ५०
प्रतिलेख	१४७	वधिर	४१ ४४०	भूतपूर्व	८९६
प्रतिलोमा	७७५	वन्धकी पोधक	५०४	भूमि	७९९ ९३७
प्रतिपिद्ध	३६९	वन्धनागार	११५	भूमिसन्धि	६११
प्रतिषेध	१४६	वलवान्	६२०	भृंगराज	८०
प्रतिष्ठ	८१३	वलि	१९२	भृगु	२१
प्रतिहत	७१२	वार्हस्पत्य	१२७ ३७२	भृत	६०१
प्रतोत्री	१०६ १०७	४०२ ८१२	९३९	भृतकाधिकार	३८८
प्रत्याख्यान	१४६	वाल	७६	भृत्य	७४
प्रत्यादेय	७४७	बाहुदन्ती	२७	भृत्यकर्म	५१२
प्रत्यावाप	८०६	वाह्य	६८८ ७१०	भृत्यवल	७३१
प्रदर	८१३	वाह्यकोप	७४२	भेद	१४९
प्रदेश	९३७	वृषली	४०	भेद्य	७३४
प्रदेशा	२९९ ४६३ ४६७	वृहस्पति	१ १० ६६	भैषज्य	५०४
	४७३ ५१३	ब्रह्मचारिन्	१३		
		ब्रह्मदेय	९४		
		ब्राह्म	३२०		
		ब्राह्मण	१२		

शब्दानुक्रमणिका

१००७

भोग	८१२	माणव	४४४	मृद्गाण्ड	५०४
भोगव्यूह	८१४	माणवक	५१४	मेदक	२४७
भोज	२१	मातृव्यंजना	५१०	मैरेय	२४७
म		माधुर्य	१४४	मौल	६०१
मणि	५०४	मानव ५७	१२७ ३७२	मौलवन	७३०
मणिधातु	१६९		४०१ ९३९	मौहूर्तिक	७६ ४४०
मण्डल ५४३	६३६ ६५६	मानव्याजी	२०२		५१३ ७८१
६६७	८१२ ८९४	मानाध्यक्ष	२२१	य	
मण्डलव्यूह	१९६ ८१४	मानिवर्ग	४९ ५१	यजुप्	१२
मत्तकोकिल	८१	मानुष	५४० ६७९	यज्ञ	७७
मदन	९३२	मार्जार	८०	यम	४५
मद्रक	८२१	मापक	१७०	यवमन्ध्य	२२१
मद्य	७००	मास	२२३	यातव्य ५७३	५९० ५९७
मधु	८६ २४७	मित्र ६२	५३५ ६०१		६३६
मध्यभेदी	८०७		६०७ ६३६	यान	५४९
मध्यम २५५	५४२ ७२५	मित्रप्रकृति	५४१	युक्तारोहक	५१४
मध्यमसाहसदण्ड	४०२	मित्रबल	७३२ ७३६	युग	२२३
मध्यमा	१०२	मित्रभाव	६०८	युधिष्ठिर	६९७
मनीक	८८	मित्रमित्र	५४१ ६३६	युवराज	५०० ५१२
मनु	४४	मित्रवित्तित	२१७	यूकामध्य	२२१
मनुष्यपथ	११०	मित्रसम्पत्	५३८	योग ११	५४० ९३७
मन्त्र	७२४	मिश्रा	७५८	योगपुरुष	९९ ५३०
मन्त्रयुद्ध	८३७	मुख्य	५१३ ७०६	योजन	२२३
मन्त्रशक्तिहीन	६४१	मुख्यक्षय	७०३	योनिपोषक	५१३
मन्त्राधिकार	६६०	मुण्ड ४५	६६४ ८६८	र	
मन्त्रिपरिषद्	५७ ५८	मुण्डकाद्वार	१०९	रजक	४२३
७५ ८८	५१३ ९३९	मुण्डा	४०	रजत	५०४
मन्त्री	२७ ५१२	मुक्ता	५०४	रजन्	१४३
मयूर	८० ८५	मुद्राध्यक्ष	२९५	रज्जु	२२२
सरक	७०२	मुष्पकपुष्प	८०	रज्जुमान	२२२
मर्दकाल	८८९	मुष्टि	२२२	रथ ७५	८८ ५१३
मल्लक	८२१	मुहूर्त	२२३ २२४	रथकर्म	८०१
महत्	६०७	मूक	४१ ४४०	रथकार	३४८
महाकारव	५०४	मूलहर	१३९ ५९८	रथपथ	११०
महान्	७४७ ७४९	मृग	७१०	रथभूमि	७९७
महानसिक	७६ ८५	मृगा	६९६	रथयुद्ध	८१०
महाभोग	६०७ ६५३	मृतकव्यंजन	५१०	रथिक	५१३
मागध ३४७	५१३ ७९४	मृदुदण्ड	१६		

रथ्य	११०	ल	वल्क वर्ग	२०६
रस	९५	लक्षण	वली वर्ग	२०६
रसद	३९ ४१ ५१५	लक्षणाध्यक्ष	वश्य	६०७ ६०८
रसविद्ध	१७४	लक्षलम्भाधिकार	वस्त्र	५०४
रश्मिकलाप	१५२	लघूत्थान	वह	२१८
राक्षस	३२०	लम्भ	वाक्पारुष्य	४०४ ६९५
राजन्	७४	लव	वाक्यकर्मानुयोग	४५८
राज	७०५	लाभ	वाक्यशेष	९३७
राजपुत्र	७१	लाभसम्पत्	वागुरिक	९४
राजप्रणिधि	७४	लिंग	वाग्जीवन	४१ ७२ ९८
राजमहिधी	५१२	लिच्छिविक		६६२
राजमार्ग	११०	लिपि	वाजिन्	७९८
राजमाता	५१२	लुब्ध	वातव्याधि	२६ ६६
राजविवाद	७०४	लुब्धक		५४९ ६८५ ६९९
राजवीजी	६२०	लुब्धवर्ग	वादक	४१ ९८ ६६२
राजवृत्ति	२९	लुब्धकव्यंजना	वानप्रस्थ	१३
राजशब्दी	८२३	लेखक	वापी	१०७
राजशब्दोपजीवी	८२१	लोकायत	वामन	४१ ८४
राजसम्पद	५३८	लोभविजयी	वारिपथ	६२७
राजा	१४ २० २१	व	वारिस्थल	९५
७६ ७८ ८५ ९५		वज्र	वार्ता	१० १५ ८२१
९६ ९८ ९९ ३५६		वज्रधारण	वास	७९९
४३६ ४४५ ४६२ ४६९		वणिक् पथ	वासगृह	७९
५०० ५०५ ५१६ ५४१		वणिज	वास्तु	३५८
५४४ ६८८ ६८९ ७४०		वत्स	वास्तु विक्रय	३५४
		वत्सस्थान	विकल्प	७७६ ९३७
		वन	विकृति	६६६
राजोपजीवी	५२१	वनदुर्ग	विक्रमबल	५४३
राज्य	६८८	वनपाल	विक्रमाधिकार	६६०
रात्रि	२२३	वनविचय	विग्रह	५४९ ५५६
रावण	२२	वप्र	विचिति	१२
राष्ट्र	११० ११९ १९२	वयस	विजय	८१३
राष्ट्रपाल	४९६ ५१३	वर्णक	विजयच्छन्द	१५२
रूपदर्शक	५०७	वर्तमान	विजिगीषु	५४१ ६३६
रूपाजीवा	८२ ४१५	वर्तिनी	विदूरथ	८२
	४८९ ५०४ ६६२	वर्धक	वितस्ति	२२१
रूप्यभावक	२१३	वलय	विद्या	१० १५
		वलीवर्द	विद्यावान्	५१५

शब्दानुक्रमणिका

१००६

विधान	९३७	वेद	१२	वात्य	३४७
विनय	१	वेङ्गकापसारित	१८६	श	
विनष्ट	२६६	वेशशौण्डि	४४०	शक्ति	५४३ ७२६
विपरीत	७२५	वेश्या	५१७	शकारम्भी	५९८
विपर्यय	९३७	वैणव	१७४	शतवर्ग	५१५
विमलित	७१२	वैदेह	२१	शत्रु	६३६
विरक्त	५७७	वैदेहक ३६ ३४७	४४०	शत्रुबल	७३२
विवाहधर्म	३२०	५०७ ५१५ ७०७	८८२	शत्रुशुद्धा	७५७
विवाहपदनिबन्ध	३१२	वैदेहकव्यंजन	५१७ ८७१	शबर	९४
विनीत	३६२ ४७७	वैदेहकव्यंजना	८४८	शमः २२१	५४० ६५७
विनीतपथ	११०	वैराज्य	६८८ ६८९	शरीर	४०४
विनीताध्यक्ष	२९५	वैरन्त्य	८२	शस्त्रोपजीवी	८२१
विशालविजय	८१३	वैवस्वत	४४	शातकुम्भ	१७४
विशालाक्ष	२५ ५४	वैश्य	१२	शाला	९८ १०७
	६४ ६८१	व्यंजन ४४०	५०७ ५१५	शासन	७८१
विशिखा	१८३	व्यय	७४७	शासनहर	५९
विशेषपरिपणित	५८३	व्यतिकीर्णमांसा	२८६	शासनाधिकार	१४३
विष	२०६	व्ययप्रत्याय १२२	१९३	शिक्षा	१२
विषवर्ग	"	व्यवहार	२३२	शिल्प	७९३
विषमव्यूह	७९६ ८०५	व्यवहारस्थापना	३१३	शिल्प दर्शन	५१६
विषमसन्धि	५९१ ६०३	व्यसन	६७९	शिल्पवान	५१४
विषमा	७९६	व्याकरण	१२	शिल्पिन्	८७
विषयुक्त	८६	व्याख्यान	९३७	शीघ्रपण्य	५०४
विष्टिकर्म	८०१	व्याजी	१७१	शुक	८०
विष्टिवन्धक	५१४	व्याघात	१४९	शुक्र	१
विस्त्रावण	१८६	व्याधित ७६ ६९०	७०२	शुद्धवध	४६३
वृत्त	५०४		७१२	शुल्क	२३२
वृत्तपुच्छ	१६१	व्याम	२१२	शुत्काध्यक्ष	२२७
वृत्ति	३२१ ४०४	व्यामिश्रा	७९६	शुल्वापसारित	१८६
वृत्तिर्दण्ड	८१२	व्यायाम	५४०	शूद्र	१३ ३४७
वृद्ध	७६	व्याल	१०२ २८७	शूद्रबल	७३७
वृद्धि	५४०	व्यावहारिक	२१७ ५१३	शून्यपाल	७८३ ८४१
वृद्धयुदय	७४७ ७५०	व्यावहारिकी	२१६		८४२ ८४४
वृषभ	७६	व्यूह	११०	शून्यमूल	७१२
वृषिणसंघ	२२	व्यूहसंपद्	७९३	शूल	२२१
वेणु	५०४	व्रज ९५ ११६	६४२	शृङ्गिशुक्तिज	१७४
वेणुवर्ग	२०५	व्रजपर्यग्र	२६६	शैलखनक	५१४
वैश्याहिक	२६६	व्रजिक	८२१	शौण्डिक	८४९

शौण्डिक व्यञ्जन	८४८	सत्री	३९	५०	५१५	सर्व		६०७
श्मशान	११०				५१७	सर्वत्रग		१४७
श्मशानवाट	११३	सन्धि	५४९	५५६	५६३	सर्वभोग		६५३
श्येन	८१३				६५७	सर्वतोभोगी	६०८	६५३
श्रेणी	६०१	सन्धिकर्म			६५७	सर्वविषहर		९३४
श्रेणीप्राय	५५३	सन्धिमोक्ष			६५७	सर्वाध्यक्ष		५१३
श्रेणीबल	७३१	सन्धिरूपग्रह			५६४	सर्वार्थसिद्धि		७७७
श्रेणीमनुष्य	६१९	सन्निधाता	३३	११९		सर्वोपस्थायिन		५१४
श्रेणीमुख्य	५१३				५१२	७०१		५४२
श्रुत	४०४	सप्तक			४६०	सहस्रवर्ग		५१५
श्रोत्रिय	९४	सभासद			३९४	सहस्राक्ष		५८
श्वपाक	३४८	समन्ततोऽर्थसंशयापत्			७७०	सहोढ		३४६
श्वेता	८०	समन्ततोऽर्थापत्			७७०	साङ्ख्य		११
श्वेतसुरा	२४९	समन्ततोऽनर्थार्थसंशया				साध्वीव्यंजना		५०८
					७७२	सान्त्व		७५३
घ		समन्ततोऽनर्थापत्			७७०	सान्त्वम्		१४६
घड्-दण्ड	४६०	सम			५४४	सान्नाह्य		२८७
घड् भाग	१९२	समकक्ष्या			२८६	साम		१२
		समतल्पतला			२८६	सामन्त	३१	७१
स		समयाचारिक			५२२		३५०	५५६
संख्यायक	५१४	समवायिक	६३८	६३९		सारबल		८०८
संग्रहण	९३	समवृता			२१५	सारिका		८०
सङ्घमुख्य	८२९	समव्यूह			८०५	साहस		४०१
सञ्चार	४०	समसन्धि			६०३	सिंहनिका		१९३
सन्धभृत्	३८८	समा			७९६	सिद्ध		४४०
सन्धलाभ	८२१	समाप्त			७१२	सिद्धव्यंजन	४४४	५०६
सञ्जय	८१३	समाधि			६५७		५०९	८७०
सञ्जात लोहित	२८६	समहर्ता	३३	२९७	४६३	सिद्धि		५४३
सम्पद	७८		५०३	५०५	५१२	सीताध्यक्ष	१९२	२३८
सम्प्लव	१४९				७०७	सीमागृह		१०७
संयानपथ	६२७	समुच्चय			७७६	सुभगा		७०६
संयानीय	११०	समुदय			१३१	सुराध्यक्ष		२४५
संवत्सर	२२३	सम्बन्ध			१४४	सुराष्ट्र		८२१
संवाहक	४०	सम्बन्धोपाख्यान			१४९	सुवर्ण	२१३	५०४
संशय	७६८	सम्भार योग			२४८	सुवर्णकार	४२४	५२७
संशय त्रिवर्ग	७७५	सरस्वति			९११	सुवर्णसन्धि		५६४
संश्रय	५५६	सर्प			८०	सुवर्णमाषक		२१३
संहत व्यूह	७९६	सर्पविष			८०	सुवर्णाध्यक्ष		१
सिचव	२४							

सूची	८१३	स्थलतथ	६२७	ह	
सूत	३४७ ५१३ ७६४	स्थविर	८१	हरण	१६५
सूत्र	२३५ ५०४	स्थाध्यक्ष	२६२	हरितपण्य	५०४
सूद	४० ६६२	स्थान	५४० ५६७	हलमुख	२१०
सूनाध्यक्ष	२५२	स्थानिक	६४ ३०१	हस्ति	७५ ६५ ११०
सेतु	११६	स्थानिकव्यंजन	८६६		५०४ ५१३ ७१०
सेतुवन	११०	स्थानीय	६३ ११० ३१३	हस्तिकर्म	८००
सेनापति	५०० ५१२	स्थितयन्त्र	२०६	हस्तिभूमि	७६८
	५६३ ७६४ ८१५	स्थिरकर्मा	५६६	हस्तियुद्ध	८१०
सौभिक	६६२	स्थूलकर्ण	८१३	हस्तिवन	१०१
सौराष्ट्रिक	१०२	स्नापक	४० ६६२	हस्त्यध्यक्ष	२८३
सौवर्णिक	१८३	स्पष्टत्व	१४५	हस्ती	८८ १०२
सौवीर	२२ ८२	स्वचक्र	७०४	हाटक	१७४
स्कन्दावार	७८१	स्वद्रव्यदान	७५६	हारहूरक	२४८
स्तेय	४०१	स्वयंग्राहदान	७५६	हीन	५४४
स्त्री	८१ ६६६ ६६६	स्वविक्षिप्त	७१२	हेत्वर्थ	६३७
स्त्रीधन	३२१	स्वसंज्ञा	६३७	हेमापसारित	१८६
स्त्रीधनकल्प	३२०	स्वामी	५३५ ७८४	हैहय	२२
स्त्रीव्यसन	६६७			हस्वकाल	६४६ ७४७



